IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355
(+91 22) 6655 3405, 3410, 3404
फैक्स : (+91 22) 2218 0411
वेबसाइट : www.idbibank.in

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355
(+91 22) 6655 3405, 3410, 3404
FAX : (+91 22) 2218 0411
Website : www.idbibank.in

June 28, 2024

The Manager (Listing) BSE Ltd., 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001	The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051

Dear Madam/Sir,

Annual Report for FY 2023-24

In terms of Regulations 34 and 53 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached the Annual Report including the Business Responsibility & Sustainability Report (BRSR) of IDBI Bank for the FY 2023-24 along with the Notice of the 20th AGM of the Bank.

Kindly acknowledge receipt and take the above on record.

Yours faithfully,
For IDBI Bank Ltd.

JYOTHI BIJU NAIR
Digitally signed by JYOTHI BIJU NAIR
Date: 2024.06.28 16:09:40 +05'30'

Company Secretary

Enclosure: As above

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2023-24

दोस्ती जो प्रगति को दे गति
FRIENDSHIP THAT POWERS PROGRESS

IDBI BANK

आईडीबीआई बैंक ने शुरू की अमृत महोत्सव एफडी स्कीम

निवेशकों को 7.65% तक मिलेगा ब्याज

For a Buyer, IDBI will Have Pleasant Surprises

MONDAY MUSINGS

RAKESH SHARMA
CHIEF EXECUTIVE OFFICER, IDBI BANK

IDBI Bank was at the heart of Indian industrialisation pre-2000 but collapsed under its own weight. After a turbulent phase, it is being readied for privatisation as a turnaround story.

The DNA of the institution was wholesale. What did you do to change the approach of the staff?

Future buyers could be another bank or a private equity consortium. If it's a bank it could be a challenge on integration. What are the issues to keep in mind?

आईडीबीआई बैंक का मुनाफा 64 प्रतिशत बढ़ा

3280 करोड़ रुपए हुई शुद्ध ब्याज आय

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का समाप्त वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में शुद्ध मुनाफा इसके पिछले वित्त ... 691 करोड़ रुपए के मुकाबले 60 प्रतिशत बढ़कर 2425 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह आलोच्य

Maruti Suzuki partners with IDBI Bank for dealer financing solutions

FPJ BUREAU / Mumbai

The country's largest car maker Maruti Suzuki India has signed an initial pact with IDBI Bank to offer financing solutions for dealers. The new alliance will empower over 4,000 Maruti Suzuki sales outlets across the country with comprehensive inventory funding options for their working capital needs, the automaker...

Maruti Suzuki starts shipping out Jimny 5-Door SUV

Passenger car major Maruti Suzuki India ... announced on Wednesday ... exports of sport ...

सीआईआई लुधियाना जोन ने आईडीबीआई बैंक के साथ मिलकर फाइनांसिंग फॉर एमएसएमई विषय पर वर्कशाप करवाई

वर्कशॉप के दौरान उपस्थिति को संबोधित करते एमएसएमई के डायरेक्टर वरिंदर शर्मा व साथ मौजूद है ऋषि पाहवा एवं अन्य गणमान्य।

वर्कशॉप के दौरान उपस्थित कारोबारी।

सवेरा न्यूज

IDBI Bank wins three awards at ASSOCHAM 18th Annual Summit & Awards

NEW DELHI, OCT 20: ASSOCHAM confers three awards on IDBI Bank at its 18th Annual Summit & Awards-Banking & Financial Services Lending Companies. ...

Corporate Scorecard

IDBI Bank's Net Profit Rises 44% to ₹1,628 cr in March Qtr

Loan growth, sharp decline in provisions help boost development finance institution's earnings

Our Bureau

Mumbai: IDBI Bank's net profit in the quarter to March increased 44% year-on-year on account of loan growth and helped by a sharp fall in provisions, even as expenses increased and other income fell.

Birla Corporation's Net Profit Jumps 127% to ₹193 crore in Q4

J&K Bank Reports Its Highest-ever Annual Profit of ₹1,767 cr in FY24

ShriJayakumarS.Pillai, Deputy Managing Director, IDBI Bank inaugurated Science City, Ahmedabad and Sector 6, Gandhinagar Branches of Ahmedabad Zone on 21.02.2024 in the presence of Shri Dinesh Singh Rawat, CGM and Zonal Head, Ahmedabad. The occasion was graced by dignitaries & prominent members of nearby societies and offices. IDBI Bank now has 122 branches with a total business of Rs. 20889 Crores in the state of Gujarat.

विषय-सूची

कॉरपोरेट विहंगावलोकन

मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक	ii
31 मार्च 2024 को निदेशक मंडल	iv
31 मार्च 2024 को मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशक	v
अध्यक्ष का संदेश	vi
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश	xiv
कुछ प्रमुख गतिविधियां	xxii
पुरस्कार एवं सम्मान	xxvi

सांविधिक रिपोर्टें

निदेशकों की रिपोर्ट	2
प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण	16
कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट	67
कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट	170

वित्तीय विवरण

एकल वित्तीय विवरण	286
समेकित वित्तीय विवरण	440
समेकित पिलर III प्रकटन	564

Contents

CORPORATE OVERVIEW

Key Performance Indicators	ii
Board of Directors as on March 31, 2024	iv
Chief Vigilance Officer and Executive Directors as on March 31, 2024	v
Message from the Chairman	vi
Message from the Managing Director & CEO	xiv
Some Major Events	xxii
Awards and Accolades	xxvi

STATUTORY REPORTS

Directors' Report	9
Management Discussion and Analysis	42
Corporate Governance Report	119
Business Responsibility & Sustainability Report	228

FINANCIAL STATEMENTS

Standalone Financial Statements	286
Consolidated Financial Statements	440
Consolidated Pillar III Disclosures	564

मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक
Key Performance Indicators

31 मार्च 2024 की स्थिति
Position as on March 31, 2024

कर पश्चात् लाभ
Profit After Tax

₹ करोड़ crore

2023-24	₹5,634
2022-23	₹3,645
2021-22	₹2,439

परिचालनगत लाभ
Operating Profit

₹ करोड़ crore

2023-24	₹9,592
2022-23	₹8,736
2021-22	₹7,495

निवल ब्याज आय
Net Interest Income

₹ करोड़ crore

2023-24	₹14,186
2022-23	₹11,431
2021-22	₹9,162

तुलन-पत्र का आकार
Balance Sheet Size

₹ करोड़ crore

2023-24	₹3,63,190
2022-23	₹3,30,502
2021-22	₹3,01,603

कुल जमाराशियां
Total Deposits

₹ करोड़ crore

2023-24	₹2,77,657
2022-23	₹2,55,490
2021-22	₹2,33,134

कुल अग्रिम (निवल)
Total Advances (Net)

₹ करोड़ crore

2023-24	₹1,88,621
2022-23	₹1,62,568
2021-22	₹1,36,955

आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए)
Return on Assets (RoA)

%

2023-24	1.65
2022-23	1.20
2021-22	0.84

इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई)
Return on Equity (RoE)

%

2023-24	19.50
2022-23	16.15
2021-22	13.60

प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गये सहित)
Provision Coverage Ratio (with Technical Write-Offs)

Year	%
2023-24	99.09
2022-23	97.94
2021-22	97.62

निवल एनपीए
Net NPA

Year	%
2023-24	0.34
2022-23	0.92
2021-22	1.36

जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर)
Capital-to-Risk weighted Assets Ratio (CRAR)

Year	%
2023-24	22.26
2022-23	20.44
2021-22	19.06

निवल ब्याज मार्जिन
Net Interest Margin

Year	%
2023-24	4.93
2022-23	4.52
2021-22	3.73

जमाराशि मिश्रण (%)
Deposit Mix (%)

15.91%
थोक
Bulk

33.66%
रिटेल सावधि
Retail Term

32.78%
बचत
Savings

17.65%
चालू
Current

अग्रिम मिश्रण (%)
Advances Mix (%)

70%
रिटेल
Retail

30%
कॉरपोरेट
Corporate

31 मार्च 2024 को निदेशक मंडल
Board of Directors as on March 31, 2024

श्री टी. एन. मनोहरन
अध्यक्ष

Shri T. N. Manoharan
Chairman

श्री राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Shri Rakesh Sharma
Managing Director & CEO

श्री जयकुमार एस. पिल्लै
उप प्रबंध निदेशक

Shri Jayakumar S. Pillai
Deputy Managing Director

श्री मनोज सहाय
Shri Manoj Sahay

श्री सुशील कुमार सिंह
Shri Sushil Kumar Singh

श्री मुकेश कुमार गुप्ता
Shri Mukesh Kumar Gupta

श्री राज कुमार
Shri Raj Kumar

श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी
Shri Bhuwanchandra B. Joshi

श्री समरेश परिदा
Shri Samaresh Parida

श्री एन. जंबुनाथन
Shri N. Jambunathan

श्री दीपक सिंघल
Shri Deepak Singhal

श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर
Shri Sanjay Gokuldas Kallapur

श्रीमती पी.वी. भारती
Smt. P. V. Bharathi

श्री अजय प्रकाश साहनी
Shri Ajay Prakash Sawhney

31 मार्च 2024 को मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं कार्यपालक निदेशक
Chief Vigilance Officer and Executive Directors as on March 31, 2024

श्रीमती आशा राजीव
मुख्य सतर्कता अधिकारी

Smt. Asha Rajiv
Chief Vigilance Officer

श्री शैलेंद्र नाडकर्णी
Shri Shailendra Nadkarni

श्री नागराज गारला
Shri Nagaraj Garla

श्रीमती बलजिंदर कौर मंडल
Smt. Baljinder Kaur Mandal

श्री शलील आवले
Shri Shalil Awale

श्री सुनित सरकार
Shri Sunit Sarkar

श्री मुरली सौरीराजन
Shri Murali Sourirajan

श्री ईश्वर पधान
Shri Iswar Padhan

श्री त्रिलोक शर्मा
Shri Trilok Sharma

श्री अरुण कुमार बंसल
Shri Arun Kumar Bansal

डॉ. कुमार नील लोहित
Dr. Kumar Neel Lohit

श्री बद्री श्रीनिवास राव
Shri Badri Srinivasa Rao

श्री अनिरुद्ध बेहरा
Shri Anirudha Behera

श्री उगेन टाशी
Shri Ugen Tashi

श्री अजय रमेश लांडे
Shri Ajay Ramesh Lande

अध्यक्ष का संदेश

Message from the Chairman

कई कारकों जैसे अनुकूल कारोबारी माहौल, व्यापक कारोबारी रणनीति, नेतृत्व की दूरदर्शिता, कर्मचारियों के अटूट समर्पित प्रयास तथा हितधारकों के विश्वास के इष्टतम मिश्रण ने बैंक को अपने कारोबारी प्रदर्शन और समग्र लाभप्रदता में लगातार सुधार करने में सहायता की.

An optimal mix of several factors, such as conducive business environment, comprehensive business strategy, vision of the leadership, unwavering dedicated efforts of employees and trust of the stakeholders, aided the Bank in consistently improving its business performance and overall profitability.

टी. एन. मनोहरन
अध्यक्ष

T. N. Manoharan
Chairman

प्रिय शेयरधारको,

निदेशक मंडल की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 की बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है. वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कारोबार और वित्तीय कार्य-निष्पादन, साथ ही अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य संवर्धन की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता के लिए आपके बैंक ने जो कार्य किया है उसका उल्लेख करते हुए मुझे अपार गौरव की अनुभूति हो रही है.

आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था विभिन्न समष्टि आर्थिक चुनौतियों, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, उच्च स्तरीय मुद्रास्फीति और कठिन वित्तीय एवं मौद्रिक स्थितियों के बावजूद लचीली बनी रही. प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) और कई प्रमुख उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में विकास की गति उम्मीद से बेहतर रही है. मुद्रास्फीति को लक्ष्यों के अनुरूप बनाए रखने के लिए उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति दरों को स्थिर रखा गया.

चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था ने तीव्र गति से विस्तार किया और विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरी तथा वैश्विक विकास में अग्रणी योगदानकर्ता बनी. घरेलू अर्थव्यवस्था ने अपनी विकास की गति में मजबूती और स्थिरता प्रदर्शित की, जिसे अच्छी निवेश गतिविधि का सहारा मिला. व्यापक और समय पर किये गये नीतिगत पहलकार्यों से समष्टि आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिली, जिसने विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors, I am pleased to present the Bank's Annual Report for the Financial Year (FY) 2023-24. I write to you with an undeniable sense of pride in the way your Bank has performed during the financial year in terms of its business and financial performance and also its commitment towards enhancing value for all its stakeholders.

Economic Scenario

The global economy in the year 2023 remained resilient despite various macroeconomic challenges, geo-political uncertainties, elevated inflation and tight financial and monetary conditions. Pace of growth in major Advanced Economies (AEs) and several major Emerging Market Economies (EMEs) has been better than expected. The monetary policy rates were kept on hold by major central banks in the AEs to ensure the aligning of inflation with targets.

Amidst the challenging global environment, the Indian economy expanded at a robust pace and emerged as one of the fastest growing major economy in the world and a leading contributor to global growth. The domestic economy exhibited strength and stability in its growth momentum, underpinned by healthy investment activity. The comprehensive and timely policy initiatives aided in strengthening the macroeconomic fundamentals, which provided an added impetus to

प्रदान किया. इसके अलावा, उपभोक्ता और कारोबारी भावनाएं भी उत्साहजनक बनी रहीं.

अस्थिर वैश्विक बाज़ार स्थितियों के बावजूद, घरेलू वित्तीय बाज़ार काफी स्थिर रहा. अनुकूल नीतिगत माहौल और व्यापक संरचनात्मक सुधारों के बदौलत मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढांचे के कारण भारत का बैंकिंग क्षेत्र वर्ष के दौरान लचीला बना रहा. समष्टि आर्थिक गतिविधियों में सुधार के साथ बैंक ऋण में तेजी से वृद्धि हुई, जो जमाराशियों में वृद्धि से अधिक है. मजबूत तुलन-पत्र, पर्याप्त पूंजी और बेहतर आस्ति गुणवत्ता जैसे कई कारकों ने अर्थव्यवस्था में ऋण की बढ़ती मांग को पूरा करने में बैंकों की मदद की.

कारोबारी रणनीति

आपका बैंक अपने ग्राहकों को अपनी कारोबारी रणनीति के मूल में रखने के लिए प्रतिबद्ध बना रहा. अपने ग्राहक-केंद्रित कारोबारी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए, बैंक ने सभी पारंपरिक बैंकिंग योजनाएं और सेवाएं ऑफर करने के साथ ही, सभी वर्गों के अपने ग्राहकों की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए अभिनव बैंकिंग

the manufacturing and services sectors. Furthermore, the consumer and business sentiments also remained buoyant.

In contrast to the volatile global market conditions, the domestic financial market remained fairly stable. India's banking sector continued to remain resilient during the year owing to robust macroeconomic fundamentals on the back of conducive policy environment and comprehensive structural reforms. Growth in bank credit remained robust with improving macroeconomic activities, outpacing deposit expansion. Several factors such as stronger balance sheet, adequate capital and improved asset quality aided the banks in meeting the expansion in the credit demand in the economy.

Business Strategy

Your Bank continued to remain committed towards keeping its customers at the core of its business strategy. To further its customer-centric business approach, the Bank, apart from offering an entire bouquet of traditional

और निवेश समाधान भी उपलब्ध कराये. बैंक अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार करने और अपनी डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है, ताकि अपने ग्राहकों के लिए 24x7 आधार पर सुविधा और पहुंच बढ़ाई जा सके, जिससे निर्बाध बैंकिंग लेनदेन सुनिश्चित हो सकें. ग्राहक-केंद्रितता को बढ़ावा देने के अलावा, बैंक आस्ति और देयता, दोनों मोर्चों पर अपने खुदरा कारोबार की हिस्सेदारी बढ़ाकर खुद को खुदरा-केंद्रित बैंक के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी दृढ़तापूर्वक काम कर रहा है. जहां आपका बैंक अपनी आस्ति बही को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, वहीं एक सुदृढ़ तुलन-पत्र और मजबूत पूंजी आधार सुनिश्चित करने के लिए आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने पर भी जोर दे रहा है.

banking products and services, also offered innovative banking and investment solutions to cater to the emerging needs of its customers across segments. The Bank has been making concerted efforts to expand its branch network and augment its digital functionalities to increase convenience and accessibility for its customers on a 24x7 basis, thereby ensuring seamless banking transactions. In addition to promoting customer-centricity, the Bank is also working steadfastly towards positioning itself as a retail-focussed entity by augmenting the share of its retail business both on the asset and the liability front. While the focus is on augmenting its asset book, your Bank is also placing due emphasis on maintaining asset quality to ensure a healthy balance sheet and a robust capital base.

आपके बैंक ने लगातार चौथे वर्ष लाभ दर्ज किया, प्रत्येक वर्ष का कार्यनिष्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर हुआ.

Your Bank registered profit for the fourth consecutive year, with each year's performance improving over the previous year.

मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी ढांचे और अनुकूल कारोबारी माहौल ने बैंक को वर्ष के दौरान अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने में मदद की. इसके अलावा, आपका बैंक दीर्घावधि में संधारणीय और लाभदायक विकास का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा और एक सुदृढ़ अनुपालन संस्कृति बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध रहा.

The strong macroeconomic fundamentals and conducive business environment aided the Bank in pursuing its strategic objectives during the year. Apart from this, your Bank also remained committed towards maintaining a strong risk management framework and a robust compliance culture to pave the path for a sustainable and profitable growth path in the long run.

संवृद्धि और लाभप्रदता

आपके बैंक ने लगातार चौथे वर्ष लाभ दर्ज किया, प्रत्येक वर्ष का कार्यनिष्पादन पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर हुआ. आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 5,634 करोड़ का सर्वकालिक उच्चतम निवल लाभ दर्ज किया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 55% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई. कारोबारी मोर्चे पर, वित्तीय वर्ष 2023-24 में अग्रिम और जमा, दोनों में वृद्धि से आपके बैंक के कुल कारोबार में सुधार हुआ. वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल कारोबार ₹ 4.66 लाख करोड़ हो गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के ₹ 4.18 लाख करोड़ की तुलना में 12% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई. आस्ति गुणवत्ता के संबंध में, बैंक ने उच्च प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) बनाए रखा और अपनी सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) एवं निवल अनर्जक आस्तियों (एनएनपीए) को कम करने और गिरावट को रोकने के लिए ठोस प्रयास किए.

Growth and Profitability

Your Bank registered profit for the fourth consecutive year, with each year's performance improving over the previous year. Your Bank registered an all-time high net profit of ₹ 5,634 crore in FY 2023-24 while registering an annualised growth of 55% over the previous year. On the business front, your Bank's total business improved with both advances and deposits registering growth in FY 2023-24. The total business was at ₹ 4.66 lakh crore in FY 2023-24, registering an annual growth of 12% over ₹ 4.18 lakh crore in FY 2022-23. With regard to asset quality, the Bank maintained a high Provision Coverage Ratio (PCR) and also undertook concerted efforts to reduce its Gross Non-Performing Assets (GNPAs) and Net Non-Performing Assets (NNPAs) and contain slippages.

भविष्य में आपके बैंक का इरादा अपनी अंतर्निहित शक्तियों और सामर्थ्य का लाभ उठाना है ताकि अपनी लाभप्रदता को और बढ़ाने के लिए उभरते कारोबारी अवसरों का फायदा उठाया जा सके.

Going forward, your Bank intends to leverage its inherent strengths and competencies to capitalise on the emerging business opportunities to further augment its profitability.

आपके बैंक की पूंजी स्थिति में भी और सुधार हुआ तथा यह विनियामक आवश्यकताओं से काफी ऊपर रही. कई कारकों जैसे अनुकूल कारोबारी माहौल, व्यापक कारोबारी रणनीति, नेतृत्व की दूरदर्शिता, कर्मचारियों के अटूट समर्पित प्रयास तथा हितधारकों

Your Bank's capital position also improved further and remained well above the regulatory requirements. An optimal mix of several factors, such as conducive business environment, comprehensive business strategy, vision of the leadership, unwavering dedicated efforts of

के विश्वास के इष्टतम मिश्रण ने बैंक को अपने कारोबारी प्रदर्शन और समग्र लाभप्रदता में लगातार सुधार करने में सहायता की.

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके बैंक के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के ₹ 10 के अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹ 1.50 के लाभांश की अनुशंसा की है जो वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है.

आगे की राह

वित्तीय वर्ष 2023-24 आपके बैंक के लिए एक और महत्वपूर्ण वर्ष रहा, इसने विस्तार, लाभप्रदता, परिचालन प्रभावकारिता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और पर्यावरण के प्रति जागरूक संस्था की ओर बढ़ने के अपने रणनीतिक उद्देश्यों की दिशा में निरंतर प्रगति जारी रखी. भविष्य में आपके बैंक का इरादा अपनी अंतर्निहित शक्तियों और सामर्थ्य का लाभ उठाना है ताकि अपनी लाभप्रदता को और बढ़ाने के लिए उभरते कारोबारी अवसरों का फायदा उठाया जा सके. आपका बैंक खुदरा-केंद्रित बैंक के रूप में अपनी अभीष्ट स्थिति को बनाए रखने की दिशा में कार्य करना जारी रखेगा. इसके अलावा, आपका बैंक जुटाये जा रहे कारोबार की गुणवत्ता को कम किए बिना और अच्छी

employees and trust of the stakeholders, aided the Bank in consistently improving its business performance and overall profitability.

I am happy to state that the Board of Directors of your Bank have recommended a dividend of Rs. 1.50 per Equity Share of face value of Rs. 10 each of the Bank for the financial year ended March 31, 2024, subject to approval of the shareholders at the Annual General Meeting.

Way Forward

The financial year 2023–24 was yet another milestone year for your Bank as it continued to make steady progress toward its strategic objectives of expansion, profitability, operational effectiveness, technological advancement and transitioning towards an environmentally conscious entity. Going forward, your Bank intends to leverage its inherent strengths and competencies to capitalise on the emerging business opportunities to further augment its profitability. Your Bank will continue to work towards maintaining its intended positioning as a retail-centric bank. Furthermore, your

Your transactions are safe, just like your secrets

Secure transactions with **IDBI Bank Go Mobile+** App.

गुणवत्ता वाली आस्ति बही सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय करते हुए, नए कारोबारी अवसरों की खोज करके अपनी कारोबारी क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध बना रहेगा.

बदलते कारोबारी परिदृश्य और विकसित हो रही उपभोक्ता प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, आपका बैंक अपनी भौगोलिक पहुंच का विस्तार करते हुए अपनी योजनाओं और सेवाओं की पेशकश को व्यापक बनाना जारी रखेगा और साथ ही, अपनी पेशकशों को त्वरित, कुशल, सुरक्षित और निर्बाध तरीके से पहुंचाने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकीय नवाचारों को अपनाता रहेगा. इस दिशा में, आपका बैंक अपनी डिजिटल बुनियादी संरचना को मजबूत करना जारी रखेगा और अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बनाए रखने तथा अपनी परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकीय उन्नयन में अपने निवेश को बढ़ाएगा. इसके अतिरिक्त, आपका बैंक अपने सभी कारोबारी और सहायक कार्यों में बेहतर अभिशासन, जोखिम और अनुपालन पद्धतियों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देगा, ताकि अपने सभी हितधारकों के बीच सर्वाधिक पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्रमाणित कर सके.

आभार प्रदर्शन

आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल की ओर से, मैं भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सभी सांविधिक एवं विनियामक प्राधिकारियों को उनके सतत सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं. मैं शेयरधारकों और ग्राहकों को उनके सतत संरक्षण, निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा. आपका बैंक आपके निरंतर भरोसे और विश्वास का

Bank will remain committed to enhancing its business potential by exploring new business opportunities, without undermining the quality of business being sourced as also taking proactive measures to ensure good quality asset book.

In keeping with the changing business landscape and evolving consumer preferences, your Bank will continue to broad-base its products and services offering while expanding its geographical reach as also embracing latest technological innovations to deliver its offerings in a quick, efficient, secure and seamless manner. Towards this end, your Bank will continue to strengthen its digital infrastructure and increase its investment in technological upgradation to maintain its competitive edge and enhance its operational efficiency. Additionally, your Bank will emphasise on continued focus on robust governance, risk and compliance practices across all its business and support functions in order to re-validate its status as the most preferred and trusted bank among all its stakeholders.

Expression of Gratitude

On behalf of the Board of Directors of IDBI Bank, I would like to express my sincere thanks to the Government of India, the Reserve Bank of India and all the other statutory & regulatory authorities for their continued support and guidance. I would also like to extend my gratitude to shareholders and customers for their unstinted patronage, sustained support

आदर करता है और आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी लगन से कार्य करता रहेगा. मैं बैंक के निदेशक मंडल के अपने सहयोगियों को बैंक के अभिशासन एवं कारोबार संवर्धन की दिशा में उनकी दूरदर्शिता और बहुमूल्य योगदान के लिए हृदय से सराहना करता हूं. अंत में, मैं बैंक के शीर्ष प्रबंधन और सभी कर्मचारियों के अटूट समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने चुनौतीपूर्ण कारोबारी और परिचालनगत माहौल के बावजूद बैंक को अपने समग्र कारोबारी लक्ष्यों को हासिल करने का मार्ग प्रशस्त किया और नई ऊंचाइयों को छूआ.

मैं भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सर्वाधिक पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक के रूप में खुद को स्थापित कर अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य संवर्धन करने की आपके बैंक की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहूंगा.

शुभकामनाओं सहित,

टी. एन. मनोहरन
अध्यक्ष

and co-operation. Your Bank values your continued trust and confidence and shall continue to work assiduously to live up to your expectations. I would also like to convey my sincere appreciation to my colleagues on the Bank's Board for their vision and invaluable contribution towards driving the Bank's governance and business growth. Last but not the least, I would like to express my gratitude to the Top Management and all employees of the Bank for exhibiting their unwavering dedication and commitment that paved the way for the Bank to achieve its overall business objective and scale new heights in spite of the challenging business and operating environment.

I would like to reiterate your Bank's commitment to enhance the value for all its stakeholders by establishing itself as the most preferred and trusted bank in the Indian banking space.

With best wishes,

T. N. Manoharan
Chairman

There is one for everyone

Choose the **Savings Account** that suits your needs with **IDBI Bank.**

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश

Message from the Managing Director & CEO

एक मजबूत तुलन-पत्र, पर्याप्त पूंजी और लाभदायक कारोबारी समृद्धि को बनाए रखना बैंक की प्रमुख प्राथमिकताएँ बनी रहीं.

राकेश शर्मा

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Maintaining a robust balance sheet, healthy capital and profitable business growth continued to remain the key priorities for the Bank.

Rakesh Sharma

Managing Director & CEO

प्रिय शेयरधारको,

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की मुख्य बातों को आपके समक्ष रखते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है. यद्यपि आपके बैंक की उपलब्धियों और पहलकार्यों का वर्णन वार्षिक रिपोर्ट में विस्तार से किया गया है, मैं आपका ध्यान वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक के कार्यनिष्पादन की कुछ मुख्य बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा.

समष्टि आर्थिक विहंगावलोकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने 2023 में सुदृढ़ विकास दर्ज करना जारी रखा, जो महामारी से धीरे-धीरे उबरने को दर्शाता है. इस पृष्ठभूमि में, भारतीय अर्थव्यवस्था ने नीतिगत सुधारों और संरचनात्मक परिवर्तनों की सहायता से लचीलापन प्रदर्शित किया, जिसने सुनिश्चित किया कि खपत और निवेश की मांग अच्छी बनी रही. बैंकिंग क्षेत्र ने बेहतर आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता के आधार पर बढ़ी हुई ऋण मांग को पूरा करके आर्थिक गति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. दरों में बढ़ोतरी को रोकने के रिज़र्व बैंक के फैसले ने उधार दरों में किसी भी महत्वपूर्ण या तेज वृद्धि को रोक दिया, जिससे अर्थव्यवस्था में ऋण की मांग को बढ़ावा मिला. बैंकों ने भी बढ़ती ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी जमाराशियों को बढ़ाया. बेहतर समष्टि आर्थिक स्थितियों और संरचनात्मक सुधारों ने भी बैंकों के लिए उच्च लाभप्रदता हासिल करने में मदद की, जिससे आर्थिक विकास को अतिरिक्त गति मिली.

कारोबारी रणनीति

आपके बैंक ने रणनीतिक कारोबार दृष्टिकोण बनाए रखा, जिससे उसे अवसरों का लाभ उठाने और बाधाओं को दूर करने में मदद मिली. एक मजबूत तुलन-पत्र, पर्याप्त पूंजी और लाभदायक कारोबारी समृद्धि को बनाए रखना बैंक की प्रमुख प्राथमिकताएँ बनी रहीं. इस

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to place before you the highlights of your Bank's performance during FY 2023-24. While the achievements and initiatives taken by your Bank are described in detail in the Annual Report, I would like to draw your attention to some of the key highlights of the Bank's performance in FY 2023-24.

Macroeconomic Overview

The global economy continued to post healthy growth in 2023, reflecting gradual recovery from the pandemic. In this backdrop, the Indian economy exhibited resilience, aided by policy reforms and structural changes, which ensured that consumption and investment demand remained healthy. The banking sector played a vital role in driving the economic momentum by meeting the increased credit demand on the back of improved asset quality, profitability and capital adequacy. The RBI's decision to pause rate hikes precluded any significant or sharp rise in the lending rates, encouraging credit demand in the economy. Banks also boosted their deposits to meet the growing credit needs. Improved macroeconomic conditions and structural reforms also helped in achieving higher profitability for banks, providing an added impetus to the economic growth.

Business Strategy

Your Bank maintained a strategic business approach that allowed it to take advantage of opportunities and overcome obstacles. Maintaining a robust balance sheet, healthy capital and profitable business growth

दिशा में, बैंक ने अपनी कम लागत वाली जमाराशियों जैसे चालू खाता और बचत खाता जमाराशियों को बढ़ाने का प्रयास किया, साथ ही अपनी जमाराशि जुटाने की रणनीति के एक हिस्से के रूप में खुदरा मीयादी जमाराशियां और थोक जमाराशियां जुटाने पर भी ध्यान केंद्रित किया. बैंक ने खुदरा एवं सुविशाखीकृत आस्ति पोर्टफोलियो बनाये रखने पर ध्यान केन्द्रित रखा, जो खुदरा, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) खंडों के साथ-साथ अच्छी रेटिंग वाली कंपनियों को ऋण देने में दिखा. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ अपने संबंधों द्वारा सृजित कारोबारी तालमेल के परिणामस्वरूप बैंक को कारोबार में वृद्धि और शुल्क आय से लाभ मिलना जारी रहा. आपके बैंक ने अच्छी गुणवत्ता वाले आस्ति पोर्टफोलियो को प्राथमिकता देना जारी रखा, जिसके लिए इसने पिछले कुछ वर्षों में गिरावट को न्यूनतम करने के लिए कई कदम उठाए हैं और साथ ही अपनी अनर्जक आस्तियों से वसूली और उन्नयन के लिए एक सख्त दृष्टिकोण अपनाया है. आपका बैंक कारोबारी पहलकार्यों के अलावा, अपनी परिचालन दक्षता में सुधार के लिए तकनीकी उन्नयन और अधिक मात्रा में डिजिटलीकरण की दिशा में भी कई कदम उठाता रहा है. इसके अलावा, बैंक अनुपालन-संचालित कार्य संस्कृति पर लगातार अधिक ध्यान केंद्रित करता रहा है जो मजबूत जोखिम प्रबंधन और अभिशासन प्रथाओं को प्राथमिकता

continued to remain the key priorities for the Bank. Towards this end, the Bank strived to scale up its low-cost deposits, viz. Current Account and Savings Account deposits, as also focussed on garnering retail term deposits and bulk deposits as a part of its deposit mobilisation strategy. The Bank continued to focus on maintaining a granular and well-diversified asset portfolio that saw it lending to Retail, Agriculture & MSME (RAM) segments as well as well-rated corporates. As a result of the business synergies created by its relationship with Life Insurance Corporation of India (LIC), the Bank continued to gain from business growth and fee income. Your Bank continued to prioritise good quality asset portfolio, for which, it has taken a number of steps over the years to minimise slippages as also adopted a rigorous approach towards recovery and upgradation of its non-performing assets. Your Bank, in addition to the business initiatives, has also been taking various measures towards technological upgradation and greater degree of digitalisation to improve its operational efficiency. Furthermore, the Bank has been increasingly focussing on a compliance-driven work culture that prioritises robust risk management and governance practices.

स्वर्ण का अधिकतम मूल्य
कम समय में

आईडीबीआई बैंक से पाएं शीघ्र **स्वर्ण ऋण**
कम ब्याज दरों पर

देती है. अपने मूलभूत कारोबार मॉडल को मजबूत करने के अपने रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, बैंक अपने ग्राहक-केंद्रित पहलकार्यों के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें इसके शाखा नेटवर्क का विस्तार और एक निर्बाध बहु-चैनल अनुभव प्रदान करने के लिए अपनी डिजिटल कार्यक्षमताओं में सुधार करना शामिल है.

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा विभिन्न कार्य क्षेत्रों में किये गये विभिन्न रणनीतिक पहलकार्यों के बारे में वार्षिक रिपोर्ट के निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधन विवेचना एवं विश्लेषण खंडों में विस्तार से चर्चा की गई है. मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि रणनीतिक प्रयासों से बैंक को वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपनी परिचालन और वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दर्ज करने में मदद मिली है, जिनमें से कुछ पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा.

Complementing its strategic objectives to strengthen its inherent business model, the Bank has been focussing on ensuring highest level of customer satisfaction through its customer-centric initiatives, which included expansion of its branch network and improving its digital functionalities to offer a seamless multi-channel experience.

Various strategic initiatives across functionalities that were taken by the Bank during the year have been discussed in detail in the Directors' Report and Management Discussion & Analysis sections of the Annual Report. I am immensely pleased to state that the strategic endeavours helped the Bank to post notable gains in its operational and financial standing in FY 2023-24, some of which I would like to highlight.

मुझे पूरा विश्वास है कि आपके बैंक के पास किसी भी चुनौती से निपटने और तेजी से विकसित हो रहे परिचालन परिवेश में किसी भी अवसर को भुनाने के लिए सही रणनीति और क्षमताएं हैं.

I am confident that your Bank has the right strategy and capabilities to surmount any challenges and seize any opportunities in the rapidly evolving operational environment.

वित्तीय एवं परिचालनगत विशेषताएं

कारोबारी मोर्चे पर, बैंक का कुल कारोबार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर ₹4.66 लाख करोड़ हो गया, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के ₹ 4.18 लाख करोड़ की तुलना में 12% की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई. आस्ति के मोर्चे पर, निवल अग्रिम ₹ 1.89 लाख करोड़ रहे, जिनमें 16% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज हुई. खुदरा-केंद्रित बैंक के रूप में अपनी वांछित स्थिति के अनुरूप, मार्च 2024 के अंत में कुल अग्रिमों में खुदरा और कॉरपोरेट अग्रिमों का हिस्सा सुधर कर

Financial and Operational Highlights

On the business front, the Bank's total business improved to ₹ 4.66 lakh crore in FY 2023-24, registering an annualised growth of 12% over ₹ 4.18 lakh crore in FY 2022-23. On the asset front, net advances stood at ₹ 1.89 lakh crore, registering a growth of 16% (y-o-y). The share of retail to corporate advances in total advances, in alignment with its intended positioning as

70:30 हो गया, जबकि मार्च 2023 के अंत में यह 69:31 था. बैंक का खुदरा निवल अग्रिम पोर्टफोलियो 17% (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर ₹ 1.33 लाख करोड़ हो गया और संरचनागत खुदरा आस्ति (एसआरए) पोर्टफोलियो ₹ 83,882 करोड़ रहा, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में 11% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई. इसके अलावा, बैंक ने जोखिम-संतुलित तरीके से अपनी कॉरपोरेट ऋण बही को बढ़ाने के लिए भी ठोस प्रयास किए. देयताओं के मोर्चे पर, बैंक का जमा आधार 9% (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर ₹ 2.78 लाख करोड़ हो गया, जबकि कासा जमा में 3% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹ 1.40 लाख करोड़ हो गई. यद्यपि कासा अनुपात में वित्तीय वर्ष 2022-23 के 53.02% से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50.43% तक की मामूली गिरावट आई, लेकिन यह 50% के निशान के ऊपर बना रहा.

आस्ति गुणवत्ता के संबंध में, प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) वित्तीय वर्ष 2022-23 के 97.94% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 99.09% हो गया. इसके सकल एनपीए (जीएनपीए) और निवल एनपीए (एनएनपीए) आधार में कमी बैंक की अपनी आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है. जीएनपीए अनुपात वित्तीय वर्ष 2022-23 के 6.38% की तुलना में 185 आधार अंक घटकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4.53%

a retail-focused bank, improved to 70:30 as at end-March 2024 as compared to 69:31 as at end-March 2023. The Bank's retail net advances portfolio grew by 17% (y-o-y) to ₹ 1.33 lakh crore and the Structured Retail Assets (SRA) portfolio stood at ₹ 83,882 crore, registering a growth of 11% (y-o-y) in FY 2023-24. Furthermore, the Bank also undertook concerted efforts to grow its corporate loan book in a risk-calibrated manner. On the liability front, the Bank's deposit base increased by 9% (y-o-y) to ₹ 2.78 lakh crore with CASA deposits registering a growth of 3% (y-o-y) to ₹ 1.40 lakh crore. While there has been a marginal dip in the CASA ratio to 50.43% in FY 2023-24 from 53.02% in FY 2022-23, it has remained above the 50% mark.

With regard to asset quality, Provision Coverage Ratio (PCR) improved further to 99.09% in FY 2023-24 from 97.94% in FY 2022-23. The reduction in its Gross NPA (GNPA) and Net NPA (NNPA) base underscore the Bank's commitment to improve its asset quality. The GNPA ratio was at 4.53% in FY 2023-24 as compared to 6.38% in FY 2022-23 – registering 185 basis points reduction. The NNPA ratio was at 0.34% in

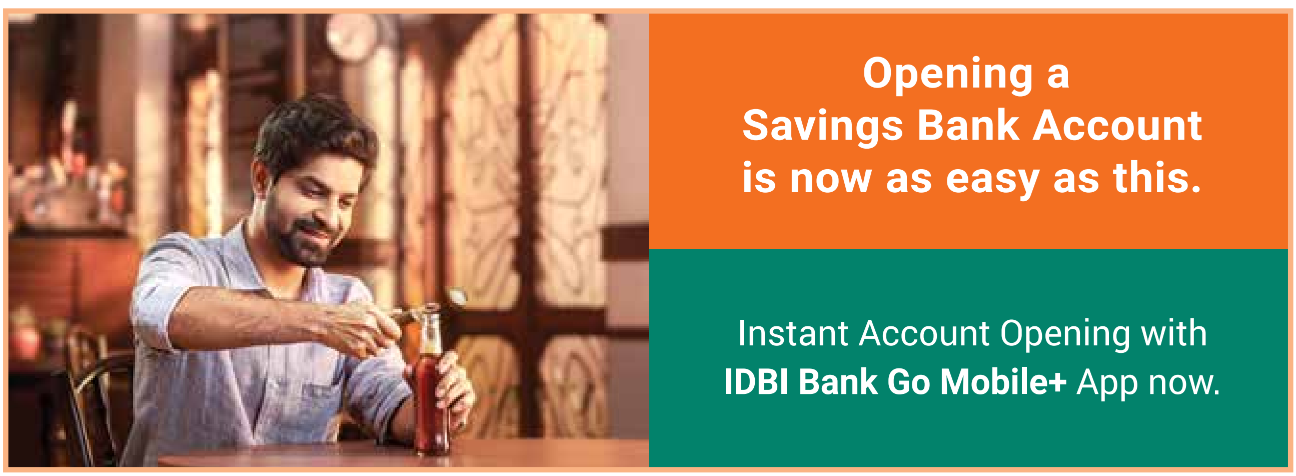

रह गया. एनएनपीए अनुपात वित्तीय वर्ष 2022-23 के 0.92% की तुलना में 58 आधार अंक घटकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में 0.34% रह गया.

बैंक की पूंजी स्थिति में और सुधार हुआ तथा यह विनियामक अपेक्षाओं से काफी ऊपर बनी रही. सीआरएआर वित्तीय वर्ष 2022-23 के 20.44% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 22.26% हो गया. टियर 1 अनुपात वित्तीय वर्ष 2022-23 के 18.08% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 20.11% रहा.

वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक की समग्र लाभप्रदता में सुधार हुआ; निवल ब्याज आय (एनआईआई) में 24% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई, जो ₹14,186 करोड़ हो गई; परिचालन लाभ 10% (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर ₹ 9,592 करोड़ हो गया; कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) 56% (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर ₹ 8,195 करोड़ हो गया और इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसका निवल लाभ 55% बढ़कर ₹ 5,634 करोड़ हो गया. मैं यहाँ यह उल्लेख करना चाहूँगा कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, यह लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक ने निवल लाभ दर्ज किया है और प्रत्येक वर्ष का प्रदर्शन पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर हो रहा है.

आगे की राह

मुझे पूरा विश्वास है कि आपके बैंक के पास किसी भी चुनौती से निपटने और तेजी से विकसित हो रहे परिचालन परिवेश में किसी भी अवसर को भुनाने के लिए सही रणनीति और क्षमताएं हैं. आपके बैंक ने कई रणनीतिक पहलों को एक साथ लागू किया है, जिससे न केवल पिछले कुछ वर्षों में कुछ मुद्दों को हल करने में मदद मिली है बल्कि इसकी अंतर्निहित आधारभूत शक्तियां भी बढ़ी हैं. आपका बैंक अनुकूल समष्टि आर्थिक वातावरण का लाभ उठाने के लिए बेहतर स्थिति में है. एक बेहतर और मजबूत तुलन पत्र द्वारा समर्थित बैंक ऋण मांग को पूरा करके भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास आकांक्षाओं का

FY 2023-24 as compared to 0.92% in FY 2022-23 – registering 58 basis points reduction.

The Bank's capital position improved further and remained well above the regulatory requirements. The CRAR was at 22.26% in FY 2023-24 as compared to 20.44% in FY 2022-23. The Tier 1 Ratio was at 20.11% in FY 2023-24 as compared to 18.08% in FY 2022-23.

The overall profitability of the Bank improved in FY 2023-24; Net Interest Income (NII) registered a growth of 24% (y-o-y) to ₹ 14,186 crore; Operating Profit increased by 10% (y-o-y) to ₹ 9,592 crore; Profit Before Tax (PBT) increased by 56% (y-o-y) to ₹ 8,195 crore and consequently led to a 55% surge in its Net Profit to ₹ 5,634 crore for FY 2023-24. I would like to mention here that, despite various challenges, this is the fourth year in a row that the Bank has registered net profit, with each year's performance improving over the previous year.

Way Forward

I am confident that your Bank has the right strategy and capabilities to surmount any challenges and seize any opportunities in the rapidly evolving operating environment. Your Bank has implemented multiple strategic initiatives cohesively that have not only helped it to address certain issues over the years but have also enhanced its inherent foundational strengths. Your Bank is well-positioned to take advantage of the favourable macroeconomic environment. Backed by a healthier and stronger balance sheet, the Bank is well-placed to support the growth aspirations of the Indian economy by catering to the credit demand. The

समर्थन करने के लिए अच्छी स्थिति में है. बैंक अपने जमा आधार को बढ़ाने के लिए अपने ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण का लाभ उठाना जारी रखेगा. अपने मुख्य बैंकिंग कारोबार के अलावा, बैंक एक ही स्थान पर सभी वित्तीय समाधान प्रदान कर मौजूदा ग्राहक संबंधों को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा. बैंकिंग क्षेत्र में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए, आपका बैंक अपने कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में निवेश करना जारी रखेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य में आगे बढ़ने और बेहतरीन ग्राहक सेवा प्रदान करने में सक्षम हों. आपका बैंक परिचालन दक्षता एवं नवाचारों को बढ़ाते हुए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिए प्रौद्योगिकीय प्रगति में निवेश करना जारी रखेगा और इससे ग्राहक अनुभव में परिवर्तन आएगा. अपनी रणनीति के मूल में, बैंक अपने सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य में वृद्धि करते हुए सर्वाधिक पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक बने रहने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति दृढ़ है.

अपनी रणनीति के मूल में, बैंक अपने सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य में वृद्धि करते हुए सर्वाधिक पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक बने रहने की अपनी प्रतिबद्धता के प्रति दृढ़ है.

आभार

मैं भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा अन्य सभी सांविधिक एवं विनियामकीय प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर दिए गए बहुमूल्य समर्थन और सहयोग के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ. मैं भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा दिए गए समर्थन के लिए अपनी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूँ, जिसने बैंक को अपनी

Bank will continue to capitalise on its customer-centric approach to widen its deposit base. In addition to its core banking business, the Bank will focus on deepening the existing customer relationships by providing holistic financial solutions under one roof. To further augment its position in the banking space, your Bank will continue to invest in scaling up the knowledge and skills of its workforce to ensure that they are capable of navigating the evolving financial landscape and providing superior customer service. Your Bank will continue to invest in technological advances to gain a competitive edge by enhancing operational efficiency, driving innovations and thus, transforming customer experiences. At the core of its strategy, the Bank remains resolute in its commitment to remain the most preferred and trusted bank enhancing long-term value for all its stakeholders.

At the core of its strategy, the Bank remains resolute in its commitment to remain the most preferred and trusted bank enhancing long-term value for all its stakeholders.

Acknowledgement

I would like to express my gratitude for the valuable support and co-operation extended by the Government of India, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India and all other statutory & regulatory authorities from time-to-time. I would like to extend my heartfelt appreciation for the support extended by the Life Insurance Corporation of India (LIC) that has empowered

यात्रा में सशक्त बनाया है. मैं निदेशक मंडल और प्रबंधन टीम को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ. मैं सभी कर्मचारियों की उनके समर्पण, कड़ी मेहनत और लचीलेपन के लिए सराहना करना चाहता हूँ, जिनसे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिली. मैं अपने शेयरधारकों और ग्राहकों द्वारा बैंक पर रखे गए विश्वास और भरोसे के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ. मैं बैंक की मूल्य श्रृंखला में भागीदारों को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारी दैनंदिन गतिविधियों में महत्वपूर्ण रहे हैं और जिन्होंने हमें अपने कारोबारी उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद की है. आईडीबीआई बैंक में, हम आपके बैंक की तेजी से बढ़ने की क्षमता के बारे में आशावादी हैं और आपके निरंतर समर्थन और सद्भाव की आशा करते हैं ताकि हम उज्ज्वल और बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर होते रहें.

शुभकामनाओं सहित,

राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

the Bank in its journey. I would like to thank the Board of Directors and the Management Team for their invaluable guidance and unwavering support. I would like to commend all the employees for their dedication, hard work and resilience that helped us to achieve our goals. I acknowledge the trust and confidence that our shareholders and customers have placed in the Bank. I would also like to extend my sincere thanks to the Bank's value chain partners for their invaluable contribution that has been pivotal in our day-to-day activities and has helped us to achieve our business objectives. We, at IDBI Bank, are optimistic about your Bank's potential to grow exponentially and look forward to your continued support and goodwill as we continue to march ahead towards brighter and better future.

With best wishes,

Rakesh Sharma
Managing Director & CEO

Owning is easy.
Driving is fun.

Auto Loans from **IDBI Bank.**

कुछ प्रमुख गतिविधियां

Some Major Events

विगत वर्ष की झलकियां

Glimpses of the past year

श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश का चेक प्राप्त करते हुए माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण.

Hon'ble Finance Minister, Smt. Nirmala Sitharaman, receiving the dividend cheque for FY 2022-23 from Shri Rakesh Sharma, MD & CEO.

श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ मोहंती को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश का चेक सौंपते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, handing over the dividend cheque for FY 2022-23 to Shri Siddhartha Mohanty, Chairperson, LIC of India.

श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, अम्बेडकर जयंती के अवसर पर डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, paying homage to Dr. Babasaheb Ambedkar on the occasion of Ambedkar Jayanti.

श्री जयकुमार एस. पिल्लै, उप प्रबंध निदेशक, बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में साइंस सिटी, अहमदाबाद शाखा का उद्घाटन करते हुए.

Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, inaugurating the Science City, Ahmedabad branch, in presence of senior officials of the Bank and other dignitaries.

महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री, श्री एकनाथ शिंदे , महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, श्री गिरीश महाजन, अन्य गणमान्य व्यक्ति और बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों की उपस्थिति में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, से विलेज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फाउंडेशन (वीएसटीएफ) के लिए सीएसआर अनुदान प्राप्त करते हुए.

Hon'ble Chief Minister, Maharashtra, Shri Eknath Shinde, receiving a CSR Grant towards Village Social Transformation Foundation (VSTF) from Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, in the presence of Hon'ble Deputy Chief Minister, Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, Hon'ble Minister, Rural Development, Maharashtra, Shri Girish Mahajan, other dignitaries and senior executives of the Bank.

श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों की उपस्थिति में पुणे में आईडीबीआई लर्निंग सेंटर का उद्घाटन करते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, inaugurating the IDBI Learning Center, Pune, in the presence of senior executives of the Bank.

श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, *'सतर्कता जागरूकता सप्ताह'* के अवसर पर सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाते हुए, साथ में हैं श्री सुरेश खटनहार, तत्कालीन डीएमडी, श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी और बैंक की सीवीओ श्रीमती आशा राजीव.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, administering the Integrity Pledge on the occasion of *'Vigilance Awareness Week'* along with Shri Suresh Khatanhar, then DMD, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD and Smt. Asha Rajiv, CVO of the Bank.

श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी हिंदी दिवस के अवसर पर आईडीबीआई बैंक के प्रधान कार्यालय, मुंबई में त्रैमासिक हिंदी गृह पत्रिका *'विकास प्रभा'* का विमोचन करते हुए.

Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, releasing the quarterly in-house Hindi magazine *'Vikas Prabha'* on the occasion of Hindi Diwas at IDBI Bank's Head Office, Mumbai.

आईडीबीआई बैंक को धनम बीएफएसआई समिट एंड अवार्ड नाइट 2024 में *'धनम प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ द ईयर'* पुरस्कार प्राप्त हुआ. श्रीमती अनुराधा कांत, अंचल प्रमुख, बंगलुरु ने बैंक की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया.

IDBI Bank received the *'Dhanam Private Sector Bank of the Year'* award at the Dhanam BFSI Summit & Award Nite 2024. Smt. Anuradha Kant, Zonal Head, Bengaluru, received the award on behalf of the Bank.

इन्वेंट्री फाइनेंसिंग के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी श्री शशांक श्रीवास्तव.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO and Shri Shashank Srivastava, Senior Executive Officer, Maruti Suzuki India Limited, at the MoU signing for Inventory Financing.

श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, मुंबई पुलिस जिमखाना ग्राउंड में आयोजित *'वरिष्ठ कार्यपालकों का क्रिकेट मैच'* में बैंक के अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों के साथ.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO and Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, at the *'Senior Executives Cricket Match'* conducted at Mumbai Police Gymkhana Ground, along with other senior executives of the Bank.

पुरस्कार एवं सम्मान
Awards and Accolades

आईडीबीआई बैंक को बीएफएसआई टेक समिट एंड अवाड्‌र्स 2023 में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के लिए *'डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर'* पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

IDBI Bank was conferred with the *'Digital Initiative of the Year'* Award for electronic Bank Guarantee at the BFSI Tech Summit and Awards 2023.

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने बैंक को लीडरशिप पिनेकल एपीवाई और बिग बिलीवर्स कैम्पेन में इसके प्रदर्शन के लिए क्रमशः ट्रॉफी और *'पार एक्सीलेंस'* पुरस्कार प्रदान किया.

Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) bestowed the Bank with a trophy and an Award of *'Par Excellence'* for its performance in the Leadership Pinnacle APY and the Big Believers Campaigns respectively.

आईडीबीआई बैंक ने एशियन बैंकिंग एंड फाइनेंस होलसेल बैंकिंग अवाड्‌र्स 2023 में *'डोमेस्टिक लिक्विडिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर 2023'* पुरस्कार जीता.

IDBI Bank won the *'Domestic Liquidity Management Initiative of the Year'* Award at the Asian Banking & Finance Wholesale Banking Awards 2023.

बैंक की त्रैमासिक हिंदी गृह-पत्रिका *'विकास प्रभा'* को प्रसिद्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था *'आशीर्वाद'* की ओर से सर्वश्रेष्ठ गृह-पत्रिका का सम्मान प्रदान किया.

The Bank's in-house quarterly Hindi Magazine *'Vikas Prabha'* was conferred with the Best In-House Magazine citation from *'Aashirwad'* - a renowned literary and cultural organization.

आईडीबीआई बैंक को जे.पी. मॉर्गन द्वारा अमेरिकी डॉलर समाशोधन के लिए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) श्रेणी के अंतर्गत *'एलीट क्वालिटी रिकॉग्निशन अवार्ड 2023'* से सम्मानित किया गया.

IDBI Bank was bestowed with the *'Elite Quality Recognition Award 2023'* under the Straight Through Processing (STP) category for US Dollar Clearing by J. P. Morgan.

बैंक को एसोचैम की 18वीं वार्षिक समिट एंड अवाड्‌र्स में *'बेस्ट डिजिटल इनिशिएटिव्ज'* के लिए विजेता तथा *'बेस्ट रिस्क एंड साइबर सिक्यूरिटी इनिशिएटिव'* और *'बेस्ट प्रोडक्ट/ सर्विस इन्नोवेशन'* के लिए उप विजेता घोषित किया गया.

The Bank was declared winner for the *'Best Digital Initiatives'* and runner up for the *'Best Risk & Cyber Security Initiatives'* and *'Best Product/Service Innovation'* at the ASSOCHAM 18th Annual Summit and Awards.

आईडीबीआई बैंक ने न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज द्वारा आयोजित एकम 2023 में न्यू आई-एस्त्रा मॉड्यूल के लिए कारोबार में नए तकनीकी विकास की श्रेणी के अंतर्गत *'उत्कृष्ट कार्यान्वयन'* पुरस्कार जीता.

IDBI Bank won the *'Outstanding Implementation'* Award under the category of new technological development in Business, for the new i-Astra module at EkAM 2023, hosted by Newgen Software Technologies.

आईडीबीआई बैंक को नकदी प्रबंधन सेवा एप्लीकेशन - एफसीएम 4.6 के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जैसे-

- भारत बीएफएसआई लीडरशिप समिट एंड अवार्ड्स के तीसरे संस्करण में *'बेस्ट होलसेल बैंकिंग डिजिटल सोल्युशन ऑफ द ईयर'*.
- दूसरे बीएफएसआई इनोवेशन कॉन्फेक्स एंड अवार्ड्स 2024 में *'आउटस्टेंडिंग डिजिटल पेमेंट सोल्युशन प्रोवाइडर ऑफ द ईयर'*.
- चौथे बीएफएसआई और फिनटेक कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स 2023 में *'इन्नोवेटिव इनिसिएटिव इन डिजिटल कस्टमर एक्सपीरिएन्स एंड इंगेजमेंट'*.

IDBI Bank received multiple Awards for the Cash Management Services application - FCM 4.6 viz.

- *'Best Wholesale Banking Digital Solution of the Year'*, at the 3rd Edition of the Bharat BFSI Leadership Summit & Awards.
- *'Outstanding Digital Payments Solution Provider of the Year'*, at the 2nd BFSI Innovation Confex & Awards 2024
- *'Innovative Initiative in Digital Customer Experience & Engagement'*, at the 4th BFSI & Fintech Conclave & Awards 2023.

आईडीबीआई बैंक को टीयू सिबिल एवं आईबीए सम्मेलन में उपभोक्ता एवं वाणिज्यिक ब्यूरो दोनों के लिए *'इंडस्ट्री बेस्ट डाटा क्वालिटी इंडेक्स (डीक्यूआई)'* पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

IDBI Bank was bestowed with the *'Industry Best Data Quality Index (DQI)'* Award for both Consumer and Commercial bureau at the TU CIBIL & IBA Conference.

आईडीबीआई बैंक ने धनम बीएफएसआई समिट एंड अवार्ड्स नाइट 2024 में *'धनम प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ द ईयर 2023'* पुरस्कार जीता.

IDBI Bank won the *'Dhanam Private Sector Bank of the Year 2023'* Award at the Dhanam BFSI Summit and Award Nite 2024.

फाइनैंशियल ब्रांड द्वारा प्रकाशित *'सोशल मीडिया पावर 100'* में आईडीबीआई बैंक वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर रहा.

IDBI Bank was ranked 5th globally among Banks in the *'Social Media Power 100'* published by The Financial Brand.

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके बैंक के निदेशक मंडल को 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के कारोबार और परिचालनों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है.

वर्ष 2023 में वैश्विक विकास आम तौर पर लचीला रहा. कई झटकों के साथ-साथ मौद्रिक सख्ती के प्रभाव का मुकाबला करते हुए अनुकूल मांग और आपूर्ति कारकों ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में विकास का समर्थन किया. भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहा और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8.2% की सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की. भारत द्वारा प्रदर्शित निरंतर लचीलेपन के कारण यह 2023 में वैश्विक विकास में लगभग 16% का योगदान देने के साथ एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है. व्यापक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और संरचनात्मक सुधारों को लागू करने के भारत के प्रयासों ने वैश्विक चुनौतियों के सामने इसके आर्थिक लचीलेपन में काफी हद तक योगदान दिया है. बुनियादी ढांचे की बढ़ती क्षमता, निवेश चक्र में पुनरुद्धार, डिजिटल अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास, वैश्विक व्यापार प्रवाहों के साथ अपेक्षाकृत अधिक एकीकरण, कुशल कार्यबल, बड़े और बढ़ते घरेलू बाज़ार, मजबूत बैंकिंग क्षेत्र और अर्थव्यवस्था में औपचारिकता की अधिक मात्रा जैसे कारकों ने अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू विकास की गति को बढ़ाने में योगदान दिया है.

बैंकिंग क्षेत्र, जिसे अक्सर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, व्यवसाय चक्र में उछाल का समर्थन करने के लिए अच्छी स्थिति में है. अपेक्षाकृत सुदृढ़ तुलन-पत्रों और अच्छी तरह से पूंजीकृत स्थितियों के आधार पर, बैंकों ने ऋण विस्तार में सहयोग किया, जिसका अर्थव्यवस्था में त्वरित प्रभाव पड़ा. वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी नीतिगत दरों पर यथास्थिति बनाए रखी. सुदृढ़ विकास के साथ-साथ कम मुद्रास्फीतिकारक दबाव ने आरबीआई को अपनी नीतिगत दरों में ठहराव बनाए रखने और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने की उम्मीदों तथा नीतिगत दर में बढ़ोत्तरी के पूर्ण अंतरण को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से अवस्फीतिकारी नीति रुख बनाए रखने के लिए गुंजाइश प्रदान की. नीतिगत दरों में बढ़ोतरी पर ठहराव ने यह सुनिश्चित किया कि ब्याज दरें मजबूत निवेश और उपभोग मांग के साथ विकास स्थितियों के लिए सहायक बनी रहीं, जिससे बैंक ऋण में दोहरे अंक की वृद्धि हुई. ऋण वृद्धि को जमाराशियों में दोहरे अंक की अच्छी वृद्धि का भी समर्थन मिला, जिसने उच्च ब्याज दरों के कारण, विशेष रूप से जोखिम से बचने वाले निवेशकों के बीच एक आकर्षक निवेश विकल्प के रूप में अपनी जगह पुनः बनाई.

वित्तीय विशेषताएं

31 मार्च 2024 को आपके बैंक की कुल जमाराशियां और अग्रिम क्रमशः ₹ 2,77,657 करोड़ तथा ₹ 1,88,621 करोड़ हो गये. समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं नीचे तालिका में दी गई हैं:

प्रमुख वित्तीय विशेषताएं

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2024 को
पूंजी	10,752	10,752
रिज़र्व और अधिशेष	34,566	39,129
जमाराशियां	2,55,490	2,77,657
उधार राशियां	12,638	17,083
अन्य देयताएं और प्रावधान	17,056	18,569
कुल देयताएं	**3,30,502**	**3,63,190**
नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	16,639	13,991
बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	12,541	11,942
निवेश	99,690	1,14,934
अग्रिम	1,62,568	1,88,621
स्थायी और अन्य आस्तियां	39,064	33,702
कुल आस्तियां	**3,30,502**	**3,63,190**
इस अवधि में	**2022-23**	**2023-24**
कुल आय	24,942	30,037
कुल व्यय (प्रावधानों को छोड़कर)	16,206	20,445
प्रावधान (कर को छोड़कर)	3,498	1,397
कर पूर्व लाभ/ (हानि)	5,238	8,195
कर के लिए प्रावधान	1,593	2,561
कर पश्चात् लाभ/ (हानि)	3,645	5,634

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक की कुल आय ₹ 30,037 करोड़ रही, जिसमें ₹ 26,426 करोड़ की ब्याज आय और ₹ 3,611 करोड़ की अन्य आय शामिल है. ₹ 20,445 करोड़ के कुल व्यय (प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं को छोड़कर) में ब्याज व्यय ₹ 12,240 करोड़ और परिचालनगत व्यय ₹ 8,205 करोड़ रहा.

वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 5,634 करोड़ का निवल लाभ अर्जित किया. जहां वर्ष के दौरान प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) ₹ 5.24 रहा, वहीं 31 मार्च 2024 को प्रति शेयर बही मूल्य [अमूर्त आस्तियों और आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) को छोड़कर] ₹ 30.55 रहा.

निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के प्रत्येक ₹ 10 के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों पर ₹1.50 के लाभांश की सिफारिश की है जो 20वीं वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है.

31 मार्च 2024 को समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यम के कार्य-निष्पादन तथा वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट

संस्था का नाम	निवल आस्तियां अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर		लाभ या हानि में हिस्सा	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)
मूल: आईडीबीआई बैंक लि.	97.37%	49,882	97.34%	5,634
सहायक संस्थाएं:				
भारतीय:				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि.	0.66%	337	0.13%	7
2. आईडीबीआई इंटेक लि.	0.23%	118	0.18%	10
3. आईडीबीआई असेट मैनजमेंट लि.	0.42%	215	1.39%	81
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.	0.00%	2	0.00%	(0.08)
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.	0.66%	337	0.99%	57
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित	0.30%	153	0.45%	26
सहयोगी संस्थाएं (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश) #				
भारतीय:				
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00%	-
2. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	0.88%	51
3. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00%	-
4. पॉण्डिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
संयुक्त उद्यम (आनुपातिक समेकन के अनुसार/ इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय:				
1. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.00%	-	0.00%	-
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**99.64%**	**51,044**	**100.46%**	**5,815**
विलोपन	0.36%	182	(0.46%)	(27)
निवल कुल	**100.00%**	**51,226**	**100.00%**	**5,788**

टिप्पणी: उपर्युक्त किसी भी सहायक कंपनियों की कोई सहायक कंपनी नहीं है.

 # पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में, बैंक को कंपनी से कोई वित्तीय विवरण एवं लेनदेनों का ब्योरा प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए उपरोक्त तालिका में जानकारी समेकित नहीं की गई है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में निवेश को घटाकर एक रुपया कर दिया है.

आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो वित्तीय वर्ष के अंत और बोर्ड को रिपोर्ट करने की तारीख के दौरान हुई हों :

बैंक के वित्तीय वर्ष के अंत अर्थात् 31 मार्च 2024 और निदेशकों की रिपोर्ट की तारीख के बीच बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ नहीं थीं.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता से संबंधित विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अनुसार सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में यह दर्शाया जाना चाहिए कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में क्या बैंक के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) प्रणाली उपलब्ध है तथा ऐसे नियंत्रणों की परिचालनात्मक प्रभावशीलता कितनी है. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) में संदर्भित आईएफसी से आशय वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसीओ-एफआर) से है. बैंक का प्रबंधन बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आईएफसीओ-एफआर के लेखापरीक्षा के बारे में दिशानिर्देश नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए बनाए गए हैं. इन जिम्मेदारियों में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्वयन व रखरखाव शामिल है, जो बैंक की नीतियों के अनुपालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम व पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता और पूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने सहित अपने कारोबार का सुव्यवस्थित व प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित थे. आपके बैंक ने मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन के लिए आईएफसीओ-एफआर रूपरेखा तैयार की है और दस्तावेजीकरण, प्रमाणन, सभी कारोबार वर्टिकलों/ विभागों के नियंत्रण की रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुपालन के वैधीकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में बैंक में नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक के आईएफसीओ-एफआर रूपरेखा के अनुसार सभी अंतर्निहित प्रक्रियाओं के परीक्षण और वैधीकरण के पश्चात् परामर्शदाता ने जून 2023, सितंबर 2023, दिसंबर 2023 और मार्च 2024 को समाप्त तिमाहियों का आंतरिक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है.

प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों (अर्थात् गत वित्तीय वर्ष की तुलना में 25% या अधिक बदलाव) का विवरण तथा उन पर विस्तृत स्पष्टीकरण:

विवरण	वित्त 2022-23	वित्त 2023-24	टिप्पणियां
आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.20%	1.65%	वित्तीय वर्ष 2022-23 के ₹ 3,645 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹ 5,634 करोड़ का निवल लाभ हुआ है.
निवल एनपीए अनुपात	0.92%	0.34%	वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल एनपीए में ₹ 851 करोड़ की कमी आई और निवल अग्रिमों में ₹ 26,053 करोड़ की वृद्धि हुई है.
सकल एनपीए अनुपात	6.38%	4.53%	वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक के सकल एनपीए में ₹ 2,052 करोड़ की कमी आई और सकल अग्रिमों में ₹ 24,852 करोड़ की वृद्धि हुई है.

पूंजी पर्याप्तता

बासेल III ढांचे के तहत रिजर्व बैंक के स्तंभ 1 दिशानिर्देशों के अनुपालन में, आपका बैंक मासिक आधार पर ऋण, बाज़ार और परिचालन जोखिमों के लिए विनियामक पूंजी आवश्यकता की गणना करता है. न्यूनतम जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) बनाए रखने के अलावा, भारत में बैंकों को 2.50% का पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) बनाए रखना अनिवार्य है. तदनुसार, 31 मार्च 2024 को आपके बैंक का 'कुल पूंजी + सीसीबी' अनुपात 11.50% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 22.26% था. इसी प्रकार, आपके बैंक का *'सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) + सीसीबी'* अनुपात 8.00% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 20.11% रहा. 31 मार्च 2024 को आपके बैंक का 'टियर 1 + सीसीबी' अनुपात 9.50% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 20.11% रहा. 31 मार्च 2024 को आपके बैंक का लीवरेज अनुपात 3.50% की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा की तुलना में 8.53% रहा.

कारोबारी रणनीति

अवसरों का लाभ उठाते हुए और चुनौतियों से निपटते हुए, आपके बैंक ने एक रणनीतिक कारोबारी योजना के साथ काम करना जारी रखा जिससे वित्तीय

और परिचालन स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ. मुख्य ध्यान लाभदायक व्यवसाय वृद्धि, मजबूत तुलनपत्र और सुदृढ़ पूंजी पर रहा. बढ़ती ऋण मांग को पूरा करने के लिए, कम लागत वाली जमाराशियों जैसे चालू खाता और बचत खाता (सीएएसए) जमाराशियां सक्रिय रूप से एकत्रित की गई तथा खुदरा सावधि जमा के साथ-साथ थोक जमा इनकी पूरक रहीं. खुदरा और अच्छी विविधता वाला आस्ति पोर्टफोलियो बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बैंक ने खुदरा, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) खंड को ऋण देने को प्राथमिकता देना जारी रखा, वहीं चुनिंदा रूप से अच्छी रेटिंग वाले कॉरपोरेट्स को भी ऋण दिया. बैंक को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ अपने सहयोग से उत्पन्न कारोबारी तालमेल से कारोबार वृद्धि और शुल्क आय के रूप में लाभ होता रहा. इससे बैंक को अपनी जमाराशियों की लागत और निधियों की लागत को प्रतिस्पर्धी स्तरों पर बनाए रखने में मदद मिली. आस्ति के मोर्चे पर, आपके बैंक ने नई गिरावट को नियंत्रित करने के साथ-साथ अपने आस्ति पोर्टफोलियो में चूक को कम करने के लिए वसूली और उन्नयन प्रयासों पर जोर देना जारी रखा. अपनी आस्ति की गुणवत्ता में निरंतर सुधार से बैंक को अपने निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) को अच्छे स्तर पर बनाए रखने में मदद मिली. बैंक की ग्राहक-केंद्रित पहल ने विस्तारित शाखा नेटवर्क और उन्नत डिजिटल कार्यक्षमताओं के साथ सुविधा और पहुंच को प्राथमिकता दी है, जो ग्राहकों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से निर्बाध मल्टी-चैनल अनुभव प्रदान करता है. ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने वित्तीय सेवाओं की समय-समय पर समीक्षा की और उनमें नयापन लाया गया. लाभदायक वृद्धि को बनाए रखने के लिए, बैंक ने संपूर्ण कार्यबल के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करके पूरे संगठन में एक मजबूत जोखिम और अनुपालन संस्कृति बनाए रखने का प्रयास किया. बैंक हितधारकों के विश्वास को बनाए रखने और सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा बैंक बनने के लिए उच्चतम कॉरपोरेट अभिशासन मानक, निष्पक्षता, नैतिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है.

मुख्य कारोबारी पहल-कार्य

बैंक ने ग्राहकों की बदलती जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करने और उत्कृष्ट सेवा के साथ आनंददायक अनुभव प्रदान करने पर केंद्रित अपनी कारोबारी रणनीति के साथ ग्राहक प्रथम दृष्टिकोण को अपनाया है. आपका बैंक देश भर में फैले अपने ग्राहकों से जुड़ने के लिए अपने स्केलेबल हाइब्रिड डिलीवरी मॉडल अर्थात 2,004 शाखाओं और 3,303 एटीएम के भौतिक टचप्वाइंट तथा अपने डिजिटल चैनलों का लाभ उठा रहा है. पारंपरिक बैंकिंग योजनाओं और सेवाओं की संपूर्ण श्रृंखला के अलावा, आपका बैंक अपने ग्राहकों को ग्राहकीकृत और नवोन्मेषी बैंकिंग एवं वित्तीय समाधान भी प्रदान करता है. इसके अलावा, बदलते समय के साथ प्रासंगिक बने रहने के लिए, उभरते व्यावसायिक परिदृश्य और ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं के अनुसार, आपके बैंक ने अपने मौजूदा योजनाओं और सेवाओं के साथ-साथ अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को भी बेहतर बनाया है.

आपका बैंक डिजिटल चैनलों जैसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, व्हाट्सअप बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल (भौतिक और डिजिटल, दोनों), इंटरनेट पेमेंट गेटवे, एटीएम, आदि की व्यापक श्रृंखला के जरिये चौबीस घंटे विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है. आपका बैंक, विभिन्न डिजिटल चैनलों के उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ, डिजिटल चैनलों के जरिये लेनदेन करते समय सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए भी ठोस प्रयास कर रहा है.

आपके बैंक का लक्ष्य सर्वोत्तम डिजिटल अनुभव, प्रौद्योगिकी मानकों, प्रक्रियाओं और प्रविधियों को लागू करके अपने ग्राहकों को एक सुरक्षित, निर्बाध और सुविधाजनक बैंकिंग मंच प्रदान करना है. इस दिशा में, आपका बैंक अपनी डिजिटल पेशकशों को और व्यापक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश बढ़ा रहा है. इसके अतिरिक्त, आपका बैंक अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है और खुद को नवीनतम विश्लेषणात्मक उपकरणों और प्रौद्योगिकी से लैस कर रहा है ताकि ग्राहक डेटा का विश्लेषण और सारांश प्रस्तुत किया जा सके, ग्राहक अनुभव को और बढ़ाया जा सके, परिचालन को सुव्यवस्थित किया जा सके और डिजिटल दुनिया की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके.

एक खुदरा-केंद्रित बैंक के रूप में, आपका बैंक खुदरा, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) खंड में ग्राहकों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजनाओं और सेवाओं का एक पूरा गुलदस्ता पेश करके सेवा प्रदान कर रहा है. आपका बैंक अपने खुदरा ग्राहकों को योजनाओं और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे अन्य योजनाओं के साथ-साथ जमा योजनाएं, ऋण योजनाएं, क्रेडिट कार्ड, एनआरआई सेवाएं, आदि प्रदान करता है. आपका बैंक कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रों को ऋण प्रदान करके प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है. आपका बैंक समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी)/ बिजनेस फैसिलिटेटर (बीएफ) नेटवर्क का भी उपयोग कर रहा है. आपका बैंक उचित और पारदर्शी तरीके से किफ़ायती लागत पर समाज के कमजोर वर्गों की वित्तीय योजनाओं और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करके वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सक्रिय रहा है. इसके अलावा, आपका बैंक विभिन्न बैंकिंग योजनाओं के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिससे वित्तीय साक्षरता में वृद्धि हो रही है.

आपका बैंक अपनी कॉरपोरेट ऋण बही को चयनात्मक, अंशांकित और नियंत्रित-जोखिम के तरीके से बढ़ाने के लिए अच्छी रेटिंग वाले कॉरपोरेटों के लिए व्यवहार्य वित्तपोषण के अवसर भी तलाश रहा है. आपका बैंक अच्छी रेटिंग वाले कॉरपोरेट खातों के नए अधिग्रहण के साथ-साथ मौजूदा ग्राहकों के साथ कारोबार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. इसके अलावा, बैंक निधि-आधारित और गैर-निधि आधारित मंजूर सीमाओं के उपयोग तथा प्रति-विक्रय में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर ब्याज और शुल्क आय में वृद्धि को लक्ष्य बना रहा है.

आपका बैंक, अपनी ऋण बही को बढ़ाने के साथ-साथ नई गिरावट को न्यूनतम करने के लिए खातों पर गहन निगरानी करके अपनी आस्ति की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है. इसके साथ ही, आपका बैंक

अपनी दबावग्रस्त आस्तियों और एनपीए मामलों को उन्नत करने या समय पर समाधान लागू करने का भी प्रयास कर रहा है.

आपका बैंक कई कारोबारी पहल करने के साथ ही, अपनी परिचालन दक्षता में सुधार करने और अपनी कारोबारी क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय जैसे प्रक्रिया में सुधार, प्रौद्योगिकीय नवाचार को अपनाना, अपने आईटी बुनियादी ढांचे में उन्नयन और सुधार भी कर रहा है.

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए पहल कार्यों का विस्तृत ब्योरा वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है.

बैंक के कारोबार पर कोविड -19 महामारी का प्रभाव

वैश्विक महामारी कोविड-19 वाइरस ने गत कुछ वर्षों में विश्वभर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है. कोविड-19 महामारी बैंक के परिचालनों को और कितना प्रभावित करेगी यह वर्तमान और भावी घटनाक्रमों पर निर्भर करेगा. बैंक प्रबंधन इस संबंध में गहनता से निगरानी रख रहा है.

निदेशक मंडल

आपके बैंक के निदेशक मंडल का आधार व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ज़ारी दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर) विनियम] और बैंक के संस्था अंतर्नियम के प्रावधानों द्वारा अभिशासित है. बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही विभिन्न बोर्ड-स्तरीय समितियों के माध्यम से कार्य करता है, जिनका गठन बैंक के महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में संकेंद्रित अभिशासन प्रदान करने के लिए किया गया है. संस्था के अंतर्नियम के अनुसार निदेशक मंडल में तीन से कम और पंद्रह से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, जिनमें अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ), दो उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी), एलआईसी के दो नामिती निदेशक, भारत सरकार के दो नामिती निदेशक और आठ स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष तथा एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) शामिल हैं.

31 मार्च 2024 को बोर्ड में चौदह निदेशक यथा श्री टी.एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक और अंशकालिक अध्यक्ष; श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, पूर्ण कालिक निदेशकों के रूप में; श्री मनोज सहाय और श्री सुशील कुमार सिंह, सरकार के नामिती निदेशकों और; श्री मुकेश कुमार गुप्ता और श्री राज कुमार, गैर-कार्यपालक निदेशकों के रूप में एलआईसी के नामिती निदेशक; स्वतंत्र निदेशकों के रूप में श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जम्बुनाथन, श्री दीपक सिंघल, श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर, श्रीमती पी.वी. भारती और श्री अजय प्रकाश साहनी शामिल थे. 31 मार्च 2024 को बोर्ड में 14 (चौदह) निदेशकों की संख्या बैंक के संस्था के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 114 (ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट अपेक्षा को पूरा करती है.

शीर्ष समितियां

आपके बैंक के कारोबार और परिचालनों के विभिन्न कार्य क्षेत्रों की देख-रेख करने के लिए बोर्ड की कुल तेरह समितियां हैं. बोर्ड की समितियों में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, कार्यपालक समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, मानव संसाधन संचालन समिति, धोखाधड़ी निगरानी समिति, वसूली समीक्षा समिति, जोखिम प्रबंध समिति, सीएसआर एवं ईएसजी समिति, असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति, ग्राहक सेवा समिति, इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति तथा सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति शामिल हैं.

कॉरपोरेट अभिशासन

आपका बैंक कॉरपोरेट अभिशासन की सर्वोत्तम पद्धतियां अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक की यह मान्यता है कि प्रभावी कॉरपोरेट अभिशासन सिर्फ विनियामक अनुपालन की आवश्यकता मात्र नहीं है बल्कि हितधारकों के मूल्य में वृद्धि सहित उत्कृष्ट अभिशासन के लिए एक सुसाध्यकारक भी है. आपके बैंक की कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों का विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अंतर्गत एक अलग खंड के रूप में दिया गया है.

कारोबारी उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2022-23 से सेबी ने बाज़ार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष एक हजार सूचीबद्ध संस्थाओं को सेबी (एलओडीआर) विनियमों के तहत निर्दिष्ट प्रारूप में कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य कर दिया है. बीआरएसआर सभी कंपनियों, क्षेत्रों और समय में तुलनीयता के लिए ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन) मापदंडों के बारे में गुणात्मक और मानकीकृत प्रकटन करने के लिए अभीष्ट है. सेबी मानदंडों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 की बैंक की बीआरएसआर को निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किया गया है और वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में अलग खंड अर्थात् कारोबारी उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट में शामिल किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट (https://www.idbibank.in/business-responsibility-and-sustainablity-report.aspx) पर भी होस्ट किया गया है.

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत विवरण

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान आपके बैंक की सेवा में तीन ऐसे कार्मिक थे जिन्हें ₹1.02 करोड़ से अधिक का वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ. इसके अतिरिक्त, बैंक की सेवा में वर्ष के किसी हिस्से में ऐसा कोई कार्मिक नहीं था जिसे प्रतिमाह ₹ 8.50 लाख से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष अथवा उसके किसी हिस्से के दौरान ऐसा कोई कार्मिक नियोजित नहीं किया गया जिसे बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशकों द्वारा आहरित कुल पारिश्रमिक की दर से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो और जिसके पास स्वयं अथवा उसके पति/ पत्नी और आश्रित बच्चों के साथ मिलाकर बैंक के कम से कम 2% इक्विटी शेयर हों.

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत विवरण- शीर्ष 10 कर्मचारियों का ब्योरा

क्र. सं.	नाम	पदनाम	प्राप्त वार्षिक पारिश्रमिक (₹) *	नियोजन की प्रकृति, यह संविदागत है अथवा अन्य प्रकार का है.	कर्मचारी की अर्हता	नियोजन शुरू करने की तारीख	आईडीबीआई बैंक में कर्मचारी का अनुभव	ऐसे कर्मचारी की आयु	कंपनी में कार्यभार संभालने से पूर्व ऐसे कर्मचारी द्वारा धारित पिछला नियोजन
1	श्री राकेश शर्मा	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	2,10,34,551.44	संविदात्मक	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और सीएआईआईबी	10 अक्तूबर 2018	5 वर्ष एवं 5 माह	65	केनरा बैंक
2	श्री सुरेश खटनहार	उप प्रबंध निदेशक	1,25,85,799.42	संविदात्मक	एम. कॉम, आईसीडब्ल्यूए एवं सीएआईआईबी	23 जून 1997	26 वर्ष एवं 9 माह	60	देना बैंक
3	श्री अरुण कुमार बंसल	प्रमुख-ट्रेजरी	1,07,50,937.55	संविदात्मक	बी.कॉम, एम.कॉम	15 जून 2022	1 वर्ष एवं 9 माह	53	इंडियन बैंक
4	श्री ओम प्रकाश सेठ	मुख्य सूचना अधिकारी	90,27,129.88	संविदात्मक	बी. टेक (इलेक्ट्रॉनिक्स) एवं एमबीए	23 जनवरी 2023	1 वर्ष एवं 2 माह	50	आदित्य बिरला कैपिटल
5	श्री पद्मभूषण बहादुरे	मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी	72,90,538.88	संविदात्मक	बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग, प्रबंध कार्यक्रम एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा	01 अगस्त 2019	4 वर्ष एवं 7 माह	47	भारतीय स्टेट बैंक
6	श्री नागराज गारला	कार्यपालक निदेशक	67,84,490.40	कर्मचारी	बी.कॉम, एम.कॉम आईसीडबल्यूए (इंटर) एवं एमबीए	17 फरवरी 2000	24 वर्ष	54	आईएनजी वयास्या बैंक
7	श्रीमती बलजिंदर कौर मंडल	कार्यपालक निदेशक	64,91,408.28	कर्मचारी	बीई एवं पीजीडीएम	1 जून 1988	35 वर्ष एवं 9 माह	58	लागू नहीं
8	श्री सुनित सरकार	कार्यपालक निदेशक	64,26,392.28	कर्मचारी	बी.टेक., कारोबार प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं आईसीडब्ल्यूए	01 सितंबर 1993	30 वर्ष एवं 6 माह	57	ईएसएबी इंडिया लि.
9	श्री जयकुमार एस. पिल्लै	उप प्रबंध निदेशक	62,60,668.45	संविदात्मक	बी. एफ.एससी एवं एमबीए	12 जून 2023	9 माह	58	केनरा बैंक
10	श्री शलील मुकुन्द आवले	कार्यपालक निदेशक	62,50,278.94	कर्मचारी	बी.टेक. एवं एम. टेक.	16 अक्तूबर 1996	27 वर्ष एवं 5 माह	55	राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान

** - आयकर नियमों के अनुसार पारिश्रमिक में मूल वेतन, भत्ते, अनुलाभ शामिल हैं लेकिन नियोक्ता का पीएफ/पेंशन में अंशदान, गैर-मौद्रिक अनुलाभ कर और उपचित सेवानिवृत्ति लाभ शामिल नहीं हैं.*

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा व्यय

(क) ऊर्जा संरक्षण

बैंक ऊर्जा संरक्षण के लिए कई पहलकार्य कर रहा है. बैंक की नई शाखाओं को बिजली बचाने के लिए ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं. बैंक ने केबिन खाली रहने की स्थिति में लाइटों को स्वचालित रूप से बंद करने के लिए केबिनों में लाइटिंग सेंसर लगाए हैं. बैंक, जहां भी संभव हो, बिजली बचाने के लिए शाखाओं में दिन के उजाले का उपयोग को बढ़ावा देता है. बैंक अपने कर्मचारियों को उपयोग में न होने पर सभी विद्युत उपकरणों/फिक्स्चर को बंद करने के लिए भी जागरूक कर रहा है. इसके अलावा, बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों को एयर कंडीशनर (एसी) को 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड पर संचालित करने की सलाह दी गई है. साथ ही, बैंक की कुछ नई शाखाओं/ अंचल कार्यालयों में इन्वर्टर प्रकार/वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (वीआरएफ) ऊर्जा कुशल एसी का उपयोग किया जा रहा है. बैंक अंचल कार्यालयों और महानगरीय शाखाओं में स्वचालित पावर फैक्टर सुधार (एपीएफसी) पैनल के माध्यम से पावर फैक्टर (पीएफ) को यूनिटी के करीब बनाए रख रहा है. बैंक ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मानक विद्युत मोटर को ऊर्जा कुशल मोटर से बदल दिया है. ये सभी पहल ऊर्जा संरक्षण की दिशा में बैंक के योगदान के रूप में शुरू किये गये हैं.

ख) प्रौद्योगिकी समावेशन

आपका बैंक ऐसे नवीनतम प्रौद्योगिकी आधारित नवोन्मेष का सक्रिय रूप से मूल्यांकन और समावेशन करता रहा है जिनमें उसके व्यवसायिक कार्यों को सशक्त बनाने, उसके ग्राहकों के अनुभव को समृद्ध करने और भविष्य के अवसरों एवं चुनौतियों के प्रति उसकी तैयारी को इष्टतम बनाने की क्षमता हो.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने सभी शाखाओं को कवर करने के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क (एसडी-डब्ल्यूएएन) को शुरू करके अपने आईटी के बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया. आपके बैंक ने अपने आईटी हार्डवेयर को उच्च कंप्यूट और प्रोसेसिंग पावर वाले नवीनतम आईबीएम पी-सीरीज़ सर्वर के साथ अपग्रेड किया है. आपके बैंक ने क्षमता और गणना बढ़ाने तथा आईटी संसाधनों के समय पर प्रावधान के लिए व्यवसाय की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने ऑन-प्रिमाइस प्राइवेट क्लाउड को बढ़ाया. आपके बैंक ने बैंक-व्यापी माइक्रोसॉफ्ट 365 (एम365) आधारित सहयोग और कार्यालय उत्पादकता उपकरण भी लागू किये हैं. आपके बैंक ने आईटी आस्तियों की एक केंद्रीकृत सूची स्थापित की है और आईटी सेवा प्रबंधन एवं टिकटिंग के लिए उद्योग मानक उपकरण लगा रहा है. आपका बैंक कहीं से भी कार्य करने के लिए सुरक्षित पहुंच में सहयोग करने के लिए जीरो ट्रस्ट नेटवर्क आर्किटेक्चर (जेडटीएनए) और वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस (वीडीआई) भी लागू कर रहा है. आपके बैंक ने बैंक और इसके ग्राहक के डेटा की सुरक्षा के लिए डेटा लीकेज प्रिवेंशन (डीएलपी) टूल लागू किया है. आपके बैंक ने ग्राहक को जोड़ने वाले एप्लिकेशन को किसी भी साइबर हमले से बचाने के लिए एंटरप्राइज़-ग्रेड वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल (डबल्यूएएफ़) भी लागू किया है.

आपके बैंक ने अपने भौतिक सर्वरों की संख्या कम कर दी है और वर्चुअलाइज्ड और ऑन-प्रिमाइस प्राइवेट क्लाउड सेटअप को बढ़ा दिया है, जिससे ऊर्जा की खपत और संबंधित ई-कचरे में कमी आई है.

सूचना प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में की गई पहलों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंधन विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है.

ग) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा ₹774.21 करोड़ (डेरिवेटिव और विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेनों में विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह को छोड़कर) और परिचालन एवं पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के लिए कुल विदेशी मुद्रा व्यय ₹ 72.99 करोड़ रहा.

निदेशकों की जिम्मेदारी के संबंध में कथन

निदेशक मंडल एतद्द्वारा घोषणा और पुष्टि करता है कि:

क. वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है. साथ ही अनुसरण न किये गये महत्वपूर्ण मामलों में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका निरंतर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं एवं अनुमान लगाए हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति और इसी अवधि में बैंक के लाभ और हानि की सही एवं उचित तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए यथोचित तथा विवेकपूर्ण हैं;

ग. निदेशकों ने बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

घ. निदेशकों ने चालू संस्था आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं.

ङ. निदेशकों ने बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं तथा ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और

च. निदेशकों ने लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं तथा ये प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं.

आभार

आपके बैंक का निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), अन्य सभी सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का उनके बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभारी है. निदेशक मंडल विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं का भी उनके द्वारा दिये गये सहयोग और सहायता के लिए आभार मानता है. बोर्ड विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों/ संस्थाओं से मिले सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता है. बोर्ड अपने सभी निष्ठावान शेयरधारकों और ग्राहकों का वर्ष के दौरान उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए हृदय से आभार प्रकट करता है और भविष्य में भी उनसे सतत् सहयोग की अपेक्षा करता है. बोर्ड अपने समस्त स्टाफ की निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवाओं की सराहना करता है और बैंक के प्रति उनकी वचनबद्धता का अत्यधिक सम्मान करता है.

[जयकुमार एस. पिल्लै]
उप प्रबंध निदेशक

[राकेश शर्मा]
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान: मुंबई
दिनांक: 30 मई 2024

Directors' Report

Your Bank's Board of Directors is pleased to present the Report on the Bank's business and operations for the financial year ended March 31, 2024.

The global growth remained generally resilient in 2023. Favourable demand and supply factors supported growth in the major economies, countering the impact of multiple shocks as well as of monetary tightening. India continued to be one of the fastest growing major economies and posted healthy growth of 8.2% in FY 2023-24. The continued resilience displayed by India has led to its emergence as a significant economic power, with it contributing to around 16% to the global growth in 2023. India's efforts to maintain macroeconomic stability and enact structural reforms have largely contributed to its economic resilience in the face of global challenges. Factors such as expanding infrastructure capacity, revival in investment cycle, rapid growth in digital economy, greater integration with global trade flows, skilled workforce, large & growing domestic market, strong banking sector and greater degree of formalisation in the economy have, *inter alia,* contributed in supporting the domestic growth momentum.

The banking sector, which is often cited as the backbone of the Indian economy, has been well-positioned to support the upswing in the business cycle. Aided by healthier balance sheets and well-capitalised positions, the banks supported the credit expansion that had an accelerator effect in the economy. During the year, the Reserve Bank of India (RBI) maintained a status quo on its policy rates. The moderate inflationary pressures, coupled with healthy growth, provided the headroom to the RBI to maintain a pause in its policy rates and also maintain an actively disinflationary policy stance to ensure anchoring of inflation expectations and fuller transmission of policy rate hikes. The pause in the policy rate hikes ensured that the interest rates remained supportive of the growth conditions with robust investment and consumption demand leading to double-digit growth in bank credit. The credit growth was also supported by healthy double-digit growth in deposits, which regained favour as a lucrative investment option, especially among the risk-averse investors, on the back of higher interest rates.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

As on March 31, 2024, your Bank's aggregate deposits and advances touched ₹ 2,77,657 crore and ₹ 1,88,621 crore, respectively. Your Bank's business highlights for the period under review are presented in the following table:

Key Financials

(₹ in crore)

	As on March 31, 2023	As on March 31, 2024
Capital	10,752	10,752
Reserves & Surplus	34,566	39,129
Deposits	2,55,490	2,77,657
Borrowings	12,638	17,083
Other Liabilities & Provisions	17,056	18,569
Total Liabilities	**3,30,502**	**3,63,190**
Cash & Balances with RBI	16,639	13,991
Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	12,541	11,942
Investments	99,690	1,14,934
Advances	1,62,568	1,88,621
Fixed & Other Assets	39,064	33,702
Total Assets	**3,30,502**	**3,63,190**
For the period	**2022-23**	**2023-24**
Total Income	24,942	30,037
Total Expenses (other than provisions)	16,206	20,445
Provisions (other than tax)	3,498	1,397
Profit/ (Loss) Before Tax	5,238	8,195
Provision for Tax	1,593	2,561
Profit/ (Loss) After Tax	3,645	5,634

During the year under review, your Bank's total income amounted to ₹ 30,037 crore, comprising interest income of ₹ 26,426 crore and other income of ₹ 3,611 crore. Interest expenses stood at ₹ 12,240 crore and operational expenses at ₹ 8,205 crore, accounting for total expenditure (excluding provisions and contingencies) of ₹ 20,445 crore.

During the year, the Bank earned net profit of ₹ 5,634 crore. While the Earnings per Share (EPS) during the year was ₹ 5.24, the Book Value per Share (excluding intangible assets and Deferred Tax Asset (DTA)) stood at ₹ 30.55 as at March 31, 2024.

The Board of Directors have recommended a dividend of ₹ 1.50 per equity share of face value of ₹ 10 each of the Bank for the financial year ended March 31, 2024, subject to approval of the shareholders at the 20th Annual General Meeting.

REPORT ON THE PERFORMANCE AND FINANCIAL POSITION OF SUBSIDIARIES AND JOINT VENTURE INCLUDED IN THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT AS ON MARCH 31, 2024

Name of the Entity	Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		Share on profit or loss	
	As % of consolidated net assets	Amount (₹ in crore)	As % of consolidated profit or loss	Amount (₹ in crore)
Parent : IDBI Bank Ltd.	97.37%	49,882	97.34%	5,634
Subsidiaries				
Indian :				
1. IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	0.66%	337	0.13%	7
2. IDBI Intech Ltd.	0.23%	118	0.18%	10
3. IDBI Asset Management Ltd.	0.42%	215	1.39%	81
4. IDBI MF Trustee Co. Ltd.	0.00%	2	0.00%	(0.08)
5. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.66%	337	0.99%	57
Foreign:	NA	NA	NA	NA
Minority Interest in all Subsidiaries	0.30%	153	0.45%	26
Associates (Investment as per the equity method)#				
Indian:				
1. Biotech Consortium India Ltd.	NA	NA	0.00%	-
2. National Securities Depository Ltd.	NA	NA	0.88%	51
3. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	NA	NA	0.00%	-
4. Pondicherry Industrial Promotion Development & Investment Corporation Ltd. (PIPDICL)	NA	NA	NA	NA
Foreign:	NA	NA	NA	NA
Joint Ventures (as per proportionate consolidation/ investment as per the equity method)				
Indian:				
1. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	0.00%	-	0.00%	-
Foreign:	NA	NA	NA	NA
Total	**99.64%**	**51,044**	**100.46%**	**5,815**
Elimination	0.36%	182	(0.46%)	(27)
Net Total	**100.00%**	**51,226**	**100.00%**	**5,788**

Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

 # - In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements & transaction details from the company and hence, information is not consolidated in the above table. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee One.

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING FINANCIAL POSITION OF IDBI BANK WHICH HAVE OCCURRED DURING THE END OF FINANCIAL YEAR AND THE DATE OF BOARD REPORT

There were no material changes and commitments affecting the financial position of the Bank, which occurred between the end of the financial year, i.e. March 31, 2024 and the date of the Directors' Report.

THE DETAILS IN RESPECT OF ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS

According to Section 143(3) (i) of the Companies Act 2013, the report of the Statutory Auditors should state whether the Bank has adequate Internal Financial Controls (IFCs) system in place and what is the operating effectiveness of such controls in the context of the financial statements. The IFCs, as referred to in Section 143(3) (i) of the Companies Act, relate to Internal Financial Controls Over Financial Reporting (IFCO-FR). The Bank's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of IFCO-FR issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, safeguarding of its assets, prevention and detection of frauds and errors, accuracy and completeness of the accounting records and timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 and the guidelines issued by the RBI. Your Bank has put in place an IFCO-FR framework for evaluation of the existing internal financial controls system and appointed a consultant for validating the compliances with respect to the documentation, certification, reporting process of the controls across all business verticals/ departments and ascertaining the adequacy and effectiveness of the controls in the Bank in all material respects with respect to financial reporting. During FY 2023-24, the consultant has submitted the Internal Compliance Certificate for the quarters ended June 2023, September 2023, December 2023 and March 2024 after carrying out testing and validation of all the underlying processes as per the Bank's IFCO-FR framework.

DETAILS OF SIGNIFICANT CHANGES (I.E. CHANGE OF 25% OR MORE AS COMPARED TO THE IMMEDIATE PREVIOUS FINANCIAL YEAR) IN KEY FINANCIAL RATIOS, ALONG WITH A DETAILED EXPLANATION THEREOF

Particulars	FY 2022-23	FY 2023-24	Comments
Return on Assets	1.20%	1.65%	Net profit for FY 2023-24 is ₹ 5,634 crore as compared to net profit of ₹ 3,645 crore in FY 2022-23.
Net NPA ratio	0.92%	0.34%	Net NPA decreased by ₹ 851 crore and Net Advances increased by ₹ 26,053 crore in FY 2023-24 over FY 2022-23.
Gross NPA Ratio	6.38%	4.53%	The Bank's Gross NPA decreased by ₹ 2,052 crore and gross advances increased by ₹ 24,852 crore in FY 2023-24 over FY 2022-23.

CAPITAL ADEQUACY

In adherence to the Pillar 1 guidelines of the RBI under Basel III framework, your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market and operational risks on a monthly basis. In addition to maintaining the minimum Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR), banks in India are mandated to maintain the Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50%. Accordingly, your Bank's *'Total Capital + CCB'* ratio was 22.26% as on March 31, 2024 as against the regulatory requirement of 11.50%. Similarly, your Bank's *'Common Equity Tier 1 (CET1) + CCB'* ratio was 20.11% as against the regulatory requirement of 8.00%. Your Bank's *'Tier 1 + CCB'* ratio stood at 20.11% as on March 31, 2024 as against the regulatory requirement of 9.50%. Your Bank's Leverage Ratio was 8.53% as on March 31, 2024 as against the minimum regulatory requirement of 3.50%.

BUSINESS STRATEGY

Capitalising on opportunities and navigating challenges, your Bank continued to operate along a strategic business plan that led to significant improvements in financial and operational health. The core focus remained on profitable business growth, a strong balance sheet and healthy capital. To cater to the growing credit demand, low-cost deposits, viz. Current Account & Savings Account (CASA) deposits, were

actively built, supplemented by retail term deposits as well as bulk deposits. Focussing on maintaining a granular and well-diversified asset portfolio, the Bank continued to prioritise lending to Retail, Agriculture & MSME (RAM) segment while also selectively lending to well-rated corporates. The Bank continued to benefit in terms of business growth and fee income from the business synergies arising from its association with Life Insurance Corporation of India (LIC). This helped the Bank to maintain its Cost of Deposits and Cost of Funds at competitive levels. On the assets front, your Bank continued to emphasise on controlling fresh slippages as also on recovery and upgradation efforts to reduce the delinquency in its asset portfolio. Continued improvement in its asset quality helped the Bank to maintain its Net Interest Margin (NIM) at a healthy level. The Bank's customer-centric initiatives prioritised convenience and accessibility with expanded branch network and enhanced digital functionalities to provide seamless multi-channel experience with the aim of customer delight. Your Bank's financial offerings are periodically reviewed and refreshed to meet the evolving customer needs and preferences. For sustaining the profitable growth, the Bank endeavoured to instil a robust risk and compliance culture across the organisation by encouraging best practices among the entire workforce. The Bank remains committed to the highest corporate governance standards, promoting fairness, ethics and transparency to retain stakeholder trust and become the most trusted and preferred bank.

KEY BUSINESS INITIATIVES

Your Bank has adopted a customer-first approach with its business strategy centred around meeting the changing customer needs and preferences and creating delightful experiences with excellent service. Your Bank is leveraging its scalable hybrid delivery model, viz. its physical touchpoints of 2,004 branches and 3,303 ATMs and its digital channels to connect with its customers spread across the country. In addition to an entire gamut of traditional banking products and services, your Bank also offers customised and innovative banking and financial solutions to its customers. Furthermore, in accordance with the emerging business landscape and evolving customer preferences, your Bank also fine-tuned its existing bouquet of products and services as also its business processes, in order to stay relevant with changing times.

Your Bank provides a wide range of services on a round-the-clock basis through a wide range of digital channels such as Mobile Banking, Internet Banking, WhatsApp Banking, UPI, Debit Cards, Credit Cards, Point of Sale (PoS) terminals (both physical and digital), Internet Payment Gateway, ATMs, etc. Your Bank, while promoting use of various digital channels, is also making concerted efforts to increase awareness among its customers regarding safe and secure banking practices while transacting through digital channels.

Your Bank aims to provide a secure, seamless and convenient banking platform to its customers by deploying the best digital experience, technology standards, processes and procedures. Towards this end, your Bank has been scaling up investment in technology in order to further broad-base its digital offerings. Additionally, your Bank has been strengthening its digital infrastructure and equipping itself with latest analytical tools and technology in order to enable it to analyse and summarise customer data, to further enhance customer experience, to streamline its operations and to drive innovation to meet the evolving needs of the digital world.

As a retail-focussed bank, your Bank has been catering to the customers in the Retail, Agriculture and MSME (RAM) segment by offering an entire bouquet of products and services to meet their specific requirements. Your Bank offers a wide range of products and services, viz. deposit products, loan products, credit cards, NRI services, among others, to its retail customers. Your Bank also contributes significantly towards lending to the priority sectors by extending credit to Agriculture and Micro Small & Medium Enterprises (MSME) sectors. Your Bank has also been leveraging its Business Correspondent (BC)/ Business Facilitator (BF) network to expand its reach to unserved and underserved sections of the society. Your Bank has been proactive in furthering the objective of financial inclusion by ensuring access to financial products and services to the vulnerable sections of the society at affordable cost in a fair and transparent manner. Furthermore, your Bank has been conducting various outreach programmes to spread awareness among people about various banking products, thereby enhancing financial literacy.

Your Bank is also exploring viable financing opportunities to well-rated corporates to augment its corporate loan book in a selective, calibrated and risk-contained manner. Your Bank continues to focus on fresh acquisition of well-rated corporate accounts as well as deepening its existing business. Furthermore, the Bank has been targeting growth in interest and fee income through focussed improvement in utilisation of sanctioned fund-based and non-fund based limits and cross-selling.

Your Bank, while augmenting its loan book, is also focussing on maintaining its asset quality by closely monitoring accounts to minimise fresh slippages. Simultaneously, your Bank has also been endeavouring to upgrade or implement timely resolution for its stressed assets and NPA cases.

Your Bank, apart from undertaking a slew of business initiatives, has also been taking various measures such as process improvement, embracing technological innovation, upgradation and improvement in its IT infrastructure, among other measures, to improve its operational efficiency and enhance its business potential.

The detailed description of the Bank's initiatives undertaken during the year is outlined in the Management Discussion and Analysis section of the Annual Report.

IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE BANK'S BUSINESS

The COVID-19 virus, a global pandemic, affected the world's economy over the last couple of years. The extent to which COVID-19 pandemic will further impact the Bank's operations will depend on ongoing as well as future developments. The management of the Bank is closely monitoring the developments in this regard.

BOARD OF DIRECTORS

Your Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI), the Companies Act, 2013, Securities & Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [SEBI (LODR) Regulations] and the Articles of Association of the Bank. The Board functions directly as well as through various Board-level committees which have been constituted to provide focussed governance in the important functional areas of the Bank. As per the Articles of Association, the Board of Directors shall not be less than three and more than fifteen members consisting of a Chairman, a Managing Director and Chief Executive Officer (MD & CEO), two Deputy Managing Directors (DMDs), two Nominee Directors of LIC, two Nominee Directors of Government of India (GoI) and eight Independent Directors (including the Chairman and one Woman Independent Director).

As on March 31, 2024, the Board comprised fourteen Directors, viz. Shri T. N. Manoharan, Independent Director & Part-Time Chairman, Shri Rakesh Sharma, MD & CEO and Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, as Whole Time Directors; Shri Manoj Sahay and Shri Sushil Kumar Singh, Government Nominee Directors and Shri Mukesh Kumar Gupta and Shri Raj Kumar, LIC Nominee Directors, as Non-Executive Directors; Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal, Shri Sanjay Gokuldas Kallapur, Smt. P. V. Bharathi and Shri Ajay Prakash Sawhney as Independent Directors. The strength of 14 (fourteen) Directors on the Board as on March 31, 2024 meets the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association of the Bank.

APEX COMMITTEES

The Board has a total of thirteen committees to oversee various functional areas of your Bank's business and operations. The Board committees include Audit Committee of the Board, Executive Committee, Nomination & Remuneration Committee, Stakeholders' Relationship Committee, HR Steering Committee, Frauds Monitoring Committee, Recovery Review Committee, Risk Management Committee, CSR & ESG Committee, Non-Cooperative Borrowers' Review Committee, Customer Service Committee, Wilful Defaulters' Review Committee and Information Technology Strategy Committee.

CORPORATE GOVERNANCE

Your Bank is committed to adopt the best corporate governance practices. The Bank believes that effective corporate governance is not just a requirement for regulatory compliance, but also a facilitator for excellence in governance including enhancement of stakeholders' value. The details of your Bank's corporate governance practices are given in this Annual Report as a separate section under the Corporate Governance Report.

BUSINESS RESPONSIBILITY & SUSTAINABILITY REPORT

With effect from FY 2022-23, SEBI has mandated the top one thousand listed entities based on market capitalisation to submit Business Responsibility & Sustainability Report (BRSR) in the format as specified under SEBI (LODR) Regulations. The BRSR is intended towards having quantitative and standardised disclosures on ESG (Environment, Social and Governance) parameters to enable comparability across companies, sectors and time. In compliance with the SEBI norms, the Bank's BRSR for FY 2023-24 has been prepared as per the prescribed format and is included as a part of the Annual Report as a separate section, viz. Business Responsibility & Sustainability Report and also hosted on the website of the Bank (https://www.idbibank.in/business-responsibility-and-sustainability-report.aspx).

STATEMENT UNDER SECTION 134 OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH RULE 5 OF THE COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014

There were three personnel in your Bank's service, during the financial year under review, who received remuneration of over ₹ 1.02 crore annually. Further, there was no personnel in the service of the Bank for a part of the year who received remuneration in excess of ₹ 8.50 lakh per month. Also, there was no personnel employed throughout the financial year or part thereof who was in receipt of remuneration at a rate, which in the aggregate, was in excess of that drawn by Managing Director & CEO or Deputy Managing Directors of the Bank and who held by himself or along with his spouse and dependent children, not less than 2% of the equity shares of the Bank.

STATEMENT UNDER RULE 5(2) OF THE COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014 FOR YEAR ENDED MARCH 31, 2024 – DETAILS OF TOP TEN EMPLOYEES

Sr. No.	Name	Designation	Annual Remuneration received (₹)*	Nature of employment, whether contractual or otherwise	Qualifications of the employee	Date of commencement of employment	Experience of the employee in IDBI Bank	Age of such employee	The last employment held by such employee before joining the company
1	Shri Rakesh Sharma	Managing Director & Chief Executive Officer	2,10,34,551.44	Contractual	Post Graduate in Economics & CAIIB	10-Oct-18	5 years & 5 months	65	Canara Bank
2	Shri Suresh Khatanhar	Deputy Managing Director	1,25,85,799.42	Contractual	M.Com, ICWA & CAIIB	23-Jun-97	26 years & 9 months	60	Dena Bank
3	Shri Arun Kumar Bansal	Head-Treasury	1,07,50,937.55	Contractual	B.Com & M.Com	15-Jun-22	1 year & 9 months	53	Indian Bank
4	Shri Om Prakash Seth	Chief Information Officer	90,27,129.88	Contractual	B.Tech (Electronics) & MBA	23-Jan-23	1 year & 2 months	50	Aditya Birla Capital
5	Shri Padmabhushan Bahadure	Chief Technology Officer	72,90,538.88	Contractual	Bachelor of Engineering, Management Programme & Post Graduate Diploma	01-Aug-19	4 years & 7 months	47	State Bank of India
6	Shri Nagaraj Garla	Executive Director	67,84,490.40	Employee	B.Com, M.Com, I.C.W.A (Inter) & M.B.A	17-Feb-00	24 years	54	ING Vysya Bank
7	Smt. Baljinder Kaur Mandal	Executive Director	64,91,408.28	Employee	B.E. & P.G.D.M	01-Jun-88	35 years & 9 months	58	Not Applicable
8	Shri Sunit Sarkar	Executive Director	64,26,392.28	Employee	B.Tech, Post Graduate Diploma in Business Management & I.C.W.A	01-Sep-93	30 years & 6 months	57	ESAB India Ltd.
9	Shri Jayakumar S. Pillai	Deputy Managing Director	62,60,668.45	Contractual	B.F.Sc & MBA	12-Jun-23	9 months	58	Canara Bank
10	Shri Shalil Mukund Awale	Executive Director	62,50,278.94	Employee	B.Tech & M.Tech	16-Oct-96	27 years & 5 months	55	National Environmental Engineering Research Institute

** - Remuneration includes basic salary, allowances, perquisites as per the Income Tax rules but excludes employer's contribution to PF/ Pension, non-monetary perquisite tax and accrued retirement benefits.*

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

a) Conservation of Energy

The Bank has been taking several initiatives towards conservation of energy. New branches of the Bank have been provided with energy efficient light fixtures to conserve power. The Bank has installed lighting sensors in cabins for automatic switching-off of the lights in case the cabin is vacant. The Bank, wherever feasible, promotes use of daylight in branches to conserve electricity. The Bank is also sensitising its employees to switch-off all electrical gadgets/ fixtures when not in use. Furthermore, all branches and offices of the Bank have been advised to operate Air Conditioners (ACs) at 25°-26° centigrade. Furthermore, inverter type/ Variable Refrigerant Flow (VRF) energy efficient ACs are being used in some of its new branches/ Zonal Offices. The Bank is also maintaining Power Factor (PF) close to unity through Automatic Power Factor Correction (APFC) Panel in Zonal Offices and metro branches. The Bank has also replaced standard electrical motor with energy efficient motor in Sewage Treatment Plant. All these initiatives have been undertaken as Bank's contribution towards conservation of energy.

b) **Technology Absorption**

Your Bank has been proactively evaluating and absorbing the latest technology-based innovations which have the potential to empower its business functions, enrich its customer experience and optimise its readiness towards opportunities and challenges of the future.

During the year, your Bank further strengthened its IT infrastructure with rolling-out the Software Defined Wide Area Network (SD-WAN) to cover all the branches. Your Bank also upgraded its IT hardware with latest IBM P-Series servers with high compute and processing power. Your Bank augmented its on-premise Private Cloud to increase the capacity and compute and to meet the increasing needs of the business for just-in-time provisioning of IT resources. Your Bank has also implemented bank-wide Microsoft 365 (M365) based Collaboration and Office Productivity tools. Your Bank has set up a centralised inventory of IT Assets and is rolling out industry standard tools for IT service management and ticketing. Your Bank is also implementing Zero Trust Network Architecture (ZTNA) and Virtual Desktop Interface (VDI) to support secured access for work from anywhere. Your Bank has implemented Data Leakage Prevention (DLP) tool to safeguard data of the Bank and its customer. Your Bank has also implemented enterprise-grade Web Application Firewall (WAF) to protect the customer facing applications from any cyber-attacks.

Your Bank has reduced its count of physical servers and increased adoption of virtualised and on-premise private cloud setup, thereby reducing the consumption of energy and the related e-waste.

Details of initiatives taken in the Information Technology ecosphere have been provided in the Management Discussion and Analysis section of the Annual Report.

c) **Foreign Exchange Earnings and Outgo**

During the year, the total foreign exchange earned by the Bank was ₹ 774.21 crore (excluding foreign currency cash flows in derivatives and foreign currency exchange transactions) and the total foreign exchange outgo was ₹ 72.99 crore towards the operating and capital expenditure requirements.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

The Board of Directors, hereby, declares and confirms that:

a. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b. The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;

c. The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d. The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;

e. The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the Bank and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and

f. The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

ACKNOWLEDGEMENTS

Your Bank's Board of Directors is sincerely grateful to the Government of India, Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), all other statutory/ regulatory authorities and Life Insurance Corporation of India (LIC) for their valuable co-operation and guidance. The Board also acknowledges with gratitude, the co-operation and support received from various State Governments and other banks/ financial institutions. The Board thanks various multilateral institutions and international banks/ institutions for their support. The Board takes this opportunity to put on record its deep sense of gratitude to its loyal shareholders and customers for extending their support during the year and looks forward to their continued association in the years ahead. The Board appreciates the sincere and devoted services rendered by its entire staff and highly values their commitment towards the Bank.

[Jayakumar S. Pillai]
Deputy Managing Director

[Rakesh Sharma]
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: May 30, 2024

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

कारोबारी परिवेश

वैश्विक अर्थव्यवस्था ने विभिन्न कारकों से संचालित होकर 2023 में अपेक्षाकृत सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की. आर्थिक गतिविधि मांग पक्ष की ओर मजबूत निजी एवं सरकारी खर्च और आपूर्ति पक्ष की ओर श्रम बल की बढ़ती भागीदारी, बहाल आपूर्ति शृंखलाओं और व्यापक-आधार वाली अवस्फीति द्वारा संचालित हुई. इन कारकों ने कठिन मौद्रिक स्थितियों के प्रभाव एवं नवीकृत भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं को आंशिक रूप से कम करने में मदद की. जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था महामारी से धीरे-धीरे उबर रही है, वहीं विकास महामारी-पूर्व स्तर से नीचे और सभी क्षेत्रों में असमान बना हुआ है.

इस पृष्ठभूमि में, सुनियोजित व्यापक नीति और संरचनात्मक सुधारों से उत्साहित होकर, भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी चुनौतियों के प्रति लचीली बनी रही और अपनी सुदृढ़ विकास की गति को बनाए रखा. बढ़ते उपभोग और निवेश मांग ने व्यापार चक्र में सुधार कर आर्थिक गतिविधि का संचालन करना जारी रखा. बड़े घरेलू बाज़ार और सरकार द्वारा उच्च पूंजी व्यय ने व्यापार और उपभोक्ता की आशा को बढ़ावा दिया, जो आर्थिक गतिविधियों की तेज गति के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है.

बैंकिंग क्षेत्र ने उच्च ऋण मांग को पूरा करके आर्थिक पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पिछले कुछ वर्षों में, नीति और विनियामक प्रयासों के साथ-साथ आंतरिक प्रणालियों और संरचनाओं के सुधार ने बेहतर आस्ति गुणवत्ता, उच्च लाभप्रदता और पर्याप्त पूंजी के रूप में बैंकों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में सहायता की है. इससे बैंकों को विशेष रूप से खुदरा एवं एमएसएमई खंडों और अन्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बढ़ती ऋण मांग को पूरा करने में मदद मिली है, जिसने आर्थिक गतिविधियों की गति को बढ़ाने में मदद की. वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक द्वारा दर वृद्धि के चक्र में जारी ठहराव ने उधार दरों को कम स्तर पर बनाए रखने में मदद की, जिससे ऋण मांग को समर्थन मिला. उच्च ऋण मांग का समर्थन करने के लिए, बैंकों ने भी अपनी जमाराशियों में बढ़ोत्तरी की. संरचनात्मक सुधारों के साथ बेहतर समष्टि-आर्थिक स्थितियों ने बैंकों को व्यापार में वृद्धि और आस्ति गुणवत्ता में सुधार के कारण उच्च लाभप्रदता रिपोर्ट जारी रखने में मदद की. वित्तीय रूप से मजबूत बैंकों के सुचक्र और उच्च आर्थिक विकास निकट भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत हैं.

आगे वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपेक्षित सामान्य मानसून, स्थिर और मजबूत घरेलू मांग के साथ-साथ निजी खपत और निवेश की मांग में सुधार के कारण भारत अपनी विकास यात्रा को आगे जारी रखेगा, इसके अलावा चालू संरचनात्मक सुधारों से इसे और बल मिलेगा. उन्नत विनिर्माण क्षमताओं, सेवा क्षेत्र में निरंतर विकास, भुगतान संतुलन की आरामदायक स्थिति, मुद्रास्फीति के दबाव में निरंतर नरमी, व्यापार और उपभोक्ताओं के रूख में निरंतर सुधार और डिजिटल प्रगति जैसे अनुकूल कारक उच्च स्तर के निरंतर विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं.

कारोबार समीक्षा

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपका बैंक व्यवसाय वृद्धि और लाभप्रदता के मामले में लगातार आगे बढ़ता रहा. बैंक ने संगठित और व्यापक पहल कार्यों के माध्यम से अपने व्यापक रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित रखा, जिनका विस्तृत विवरण वार्षिक रिपोर्ट के इस खंड में दिया गया है.

बैंक ने अपने खुदरा कारोबार को अधिक मजबूत करने के रणनीतिक उद्देश्य के अनुरूप, मार्च 2021 में रिज़र्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) से बाहर आने के बाद से संपूर्ण भारत में कुल 100 नई शाखाएं खोली हैं. इसके साथ ही, मार्च 2024 के अंत तक 2,004 शाखाओं के साथ बैंक ने शाखा नेटवर्क के महत्वपूर्ण पड़ाव को हासिल किया, जिसमें भारत में 454 महानगरीय शाखाएं, 480 शहरी शाखाएं, 637 अर्ध-शहरी शाखाएं और 432 ग्रामीण शाखाएं (268 वित्तीय समावेशन वाली शाखाओं सहित) और गुजरात अंतरराष्ट्रीय फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट), गांधीनगर, गुजरात में एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र (आईएफ़एससी) बैंकिंग इकाई (आईबीयू) शामिल हैं. अपने बढ़ते शाखा नेटवर्क के पूरक के तौर पर, बैंक के पास मार्च 2024 के अंत तक भारत में कुल 3,303 एटीएम का नेटवर्क था, जिसने अपनी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं जैसे इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के साथ मिलकर अपने ग्राहकों को उनकी सुविधा के अनुसार आसानी से अपने बैंकिंग लेनदेन करने के लिए एक निर्बाध मल्टी-चैनल के जरिये पहुंच की सुविधा प्रदान की.

बैंक ने विभिन्न ग्राहक वर्गों की जरूरतों को पूरा करने वाली अपनी जमा योजनाओं के माध्यम से और नई योजनाएं पेश करके, कम लागत और स्थिर जमा आधार बनाने के लिए अपनी जमाराशियों, विशेष रूप से चालू खाता और बचत खाता (सीएएसए) जमाराशियों में वृद्धि करने का प्रयास किया. बैंक ने अपनी कुल जमाराशियों को बढ़ाने के लिए खुदरा सावधि जमाराशियों और थोक जमाराशियों को प्रतिस्पर्धी दरों पर बढ़ाने के भी उपाय किए. आपके बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ सहयोग से उत्पन्न कारोबारी अवसरों का भी लाभ उठाया. डेटा विश्लेषण के व्यापक उपयोग और ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) प्रणाली को अपनाने से बैंक को अपना जमा आधार बढ़ाने के प्रयास में मदद मिली. अग्रिमों के मोर्चे पर, बैंक ने खुदरा और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के साथ-साथ अच्छी रेटिंग वाले कॉरपोरेट्स पर ध्यान केंद्रित करके एक खुदरा और सुसंपार्श्विक ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने का लक्ष्य रखा. सुदृढ़ ऋण पोर्टफोलियो को बनाए रखने और ऋण जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंध करने के लिए, बैंक ने अपनी ऋण हामीदारी प्रक्रिया और अपने ऋण खातों की निगरानी को मजबूत किया है. आपके बैंक ने अनर्जक आस्तियों के समाधान के साथ-साथ नए गिरावट को नियंत्रित करने पर भी ध्यान केंद्रित करना जारी रखा. सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद बैंक होने के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, आपका बैंक मजबूत अनुपालन, कॉरपोरेट अभिशासन और जोखिम प्रबंधन संस्कृति को सुदृढ़ और स्थिर कारोबार परिचालनों की आधारशिला के रूप में देखता है. इस दिशा में, बैंक ने न केवल पद्धितयों को सशक्त करने के लिए बल्कि दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में निर्धारित मानदंडों का पालन करने के अत्यधिक महत्व के बारे में अपने कार्यबल के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कई उपाय किए.

भविष्य में प्रतिस्पर्धी लेकिन अनुकूल कारोबारी माहौल में कार्य करते हुए, आपके बैंक की कारोबारी रणनीति ग्राहक-केंद्रित नवाचारों और अपने ग्राहक संबंधों को गहरा करने में मदद करने के लिए ग्राहक अनुभवों को समृद्ध करने पर केंद्रित बनी रहेगी. बैंक अपने हितधारकों के बीच विश्वास बनाए रखने और निरंतर एवं स्थिर विकास गति सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन और अभिशासन द्वारा संचालित संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करके अपने कारोबार संचालन को और अधिक परिष्कृत तथा मजबूत करने का प्रयास करेगा.

रिटेल बैंकिंग

रिटेल देयता योजनाएं

आपका बैंक विभिन्न प्रकार की जमा योजनाएं ऑफर करता है, जिन्हें विशेष रूप से समाज के सभी वर्गों के ग्राहकों जैसे व्यक्तियों (सामान्य नागरिकों, वरिष्ठ नागरिकों, पेंशनभोगियों, छात्रों, अनिवासी भारतीयों सहित) और गैर-वैयक्तिक [एकल स्वामित्व, भागीदारी फर्मों, कॉरपोरेट, सरकारी संस्थानों, न्यासों, संघों, समितियों, क्लबों, अन्य बैंकों (सहकारी बैंकों सहित) आदि] की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है.

आपके बैंक ने ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाओं और बदलते बाज़ार की गतिशीलता के अनुरूप अपनी योजनाओं/ प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के अपने प्रयास को जारी रखा है. आपके बैंक ने नई योजनाएं सफलतापूर्वक शुरू कीं जैसे पेरोल खंड के अंतर्गत आईडीबीआई पेरोल रत्न और चालू खाता खंड में कारोबारी बैंकिंग समाधान.

आपके बैंक ने वीडिओ से खाता खोलने (वीओए) के प्लैटफ़ार्म के माध्यम से नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकी को भी लागू किया है.

आपके बैंक ने अप्रतिदेय/प्रतिदेय जमाराशियों का विशेष बकेट शुरू किया है. बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए जमाराशियों की लागत में किसी भी बढ़ोतरी को कम करने के लिए दरों में किए गए संशोधनों के चुनिंदा बकेट को माप कर अंशांकित किया गया.

आपके बैंक ने डेटा विश्लेषण के व्यापक उपयोग और ग्राहक संपर्क प्रबंधन (सीआरएम) उपकरणों के अंगीकरण के जरिये ग्राहकों से जुड़ने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना जारी रखा, ताकि कारोबारी पैठ को बढ़ाने में मदद मिले.

आपके बैंक ने मार्च 2021 में रिजर्व बैंक के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे से बाहर निकलने के बाद, शाखा विस्तार की एक नई यात्रा शुरू करने के बाद से, संचयी रूप से 100 से अधिक नई शाखाएं खोलीं और अपने जमा आधार को बढ़ाने के लिए कम पूंजी एवं तेजी से स्केलेबल हाइब्रिड डिलीवरी मॉडल अर्थात डिजिटल प्लेटफॉर्म और भौतिक शाखाओं के संयोजन द्वारा विकास की परिकल्पना की गई है.

एनआरआई सेवाएं

आपका बैंक विश्व भर में फैले भारतीय प्रवासियों की बैंकिंग और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनिवासी (बाह्य) (एनआरई) जमाराशियों/ अनिवासी साधारण (एनआरओ) जमाराशियों/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाराशियों, पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के माध्यम से इक्विटी बाज़ार में निवेशों सहित निवेश, विश्वव्यापी अंतर-बैंक वित्तीय दूरसंचार सोसाइटी(स्वीफ्ट) के माध्यम से प्रेषण एवं अन्य रीतियों और ऋणों के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की योजनाओं की व्यापक शृंखला प्रदान करता है.

आपके बैंक ने अपने एनआरआई ग्राहकों के लिए ग्राहक अनुभव, सेवा सुपुर्दगी और बैंकिंग की सुविधा को बढ़ाने के लिए योजना/ प्रक्रिया में सुधार करना जारी रखा.

रिटेल आस्तियां

आपके बैंक ने खुदरा केन्द्रित बैंक के रूप में स्थापित करने के अपने ध्येय के अनुरूप उत्तरोत्तर बड़े खुदरा कारोबार पोर्टफोलियो का लक्ष्य जारी रखा. बैंक ने भारत में हर घर की जीवनशैली संबंधी निर्णयों और आकांक्षाओं से जुड़ने के लिए खुदरा आस्ति योजनाओं एवं सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला विकसित करने का प्रयास किया है. बैंक द्वारा विभिन्न खुदरा आस्ति योजनाएं आर्फर की जाती हैं जिनमें अन्य योजनाओं के साथ आवास ऋण (एचएल), संपत्ति पर ऋण (एलएपी), ऑटो ऋण (एएल), वैयक्तिक ऋण (पीएल), शिक्षा ऋण (ईएल), प्रतिभूतियों पर ऋण (एलएएस) शामिल हैं. ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं और सहस्त्राब्दी उधारकर्ताओं के बढ़ते वर्ग की अपेक्षाओं के साथ तालमेल रखने के लिए संशोधन/ नवोन्मेष/ अनुकूलीकरण करने के लिए योजनाओं एवं प्रक्रियाओं की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आपका बैंक संरचित खुदरा ऋण खंड में एक प्रमुख संस्था बना रहा. अपने ग्राहकों की भिन्न और उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपके बैंक ने स्वीकृत परियोजना वित्त के तहत आवास ऋण पर जोर देना, हाल ही में शुरू किए गए वेरिएंट के तहत उधारकर्ताओं के लिए त्वरित अधिग्रहण जैसे अधिशेष नकदी प्रवाह वाले अल्ट्रा सेवर आवास ऋण, पूर्व स्वामित्व वाली कारों के लिए ऑटो ऋण, डिजिटल व्यक्तिगत ऋण और विदेश में चुनिंदा प्रमुख संस्थानों में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण प्रदान करना, जैसे विभिन्न उपाय किए. आपके बैंक ने सुदृढ़ त्वरित टर्न अराउन्ड टाइम (टीएटी) सुनिश्चित करने के लिए एक नई स्वचालित ऋण प्रसंस्करण प्रणाली को लागू किया, ग्राहक अनुभवों को बढ़ाने और ग्राहकों के हित के लिए कई प्रकार के डिजिटल पहलों की शुरुआत की. इसके अलावा, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों की सहायता करने के लिए, बैंक भारत सरकार (जीओआई) की योजनाओं जैसे 'सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) के तहत शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं को सब्सिडी का लाभ प्रदान करता है. बैंक डॉ अम्बेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी (सीएसआईएस)' और 'पढ़ो परदेश स्कीम' के तहत नवीनीकरण दावों को भी संसाधित करता है, जिसको अब बंद कर दिया गया है.

क्रेडिट कार्ड

आपका बैंक विभिन्न नेटवर्क योजनाओं के तहत क्रेडिट कार्ड वेरिएंट ऑफर करता है. ये वेरिएंट विभिन्न ग्राहक खंडों की आवश्यकताओं को पूरा करने

के लिए तैयार किए गए हैं. मौजूदा भुगतान योजना के तहत कवरेज हैं (क) रुपे योजना - विनिंग्स सेलेक्ट, (ख) वीज़ा योजना - रॉयल सिग्नेचर, एस्पायर प्लैटिनम एवं इम्पेरियम प्लैटिनम, और (ग) मास्टरकार्ड योजना - यूफोरिया वर्ल्ड. बैंक रुपे योजना पर एलआईसी कार्ड्स सर्विसेज लिमिटेड (एलआईसीसीएसएल) के साथ सह-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, अर्थात् एक्लैट और ल्यूमिन भी ऑफर करता है. डिजिटल फोकस को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने की एंड-टू-एंड डिजिटल ऑन-बोर्डिंग भी शुरू की है. बैंक ने बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट सीमा के साथ पूर्व-अनुमोदित क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए संभावित मौजूदा ग्राहकों की भी पहचान की है.

बेहतर ग्राहक सेवा और उपयोग में आसानी के लिए, क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग और गो मोबाइल+ ऐप में नए क्रेडिट कार्ड फीचर्स भी जोड़े गए जैसे रिवॉर्ड पॉइंट रिडेम्पशन, कार्ड एक्टिवेशन और कार्ड इंश्योरेंस नॉमिनी जोड़ना. पहुंच और दृश्यता को और बेहतर बनाने के लिए, बैंक ने कार्डधारकों द्वारा कार्ड के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए छूट और कैशबैक ऑफर बढ़ाने के लिए विभिन्न व्यापारियों के साथ रणनीतिक गठजोड़ भी किया है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बैंकिंग

बैंक रिजर्व बैंक के अधिदेश के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) को उधार देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उप-लक्ष्य सहित पीएसएल के लिए सभी विनियामक लक्ष्यों को हासिल कर लिया. विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) खंडों को वित्तीय सहायता देने पर ध्यान केन्द्रित किया. अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए बैंक अपने कॉरपोरेट कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ़) नेटवर्क के माध्यम से कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा कर रहा है. बैंक ने मार्च 2024 के अंत तक 35 कॉरपोरेट कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) /कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ़) के साथ गठजोड़ किया है.

भारत सरकार की योजनाओं/ निर्देशों के अनुसार, बैंक केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड अप इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम एसवीए निधि), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), कृषि बुनियादी संरचना निधि (एआईएफ), पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्यम औपचारिकीकरण योजना (पीएमएफएमई), पीएम विश्वकर्मा (पीएमवीके) आदि के अंतर्गत ऋण प्रदान करता रहा है. बैंक अनुसूचित जातियों (अजा)/ अनुसूचित जनजातियों (अजजा) सहित अल्पसंख्यक समुदायों एवं कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है.

वर्ष के दौरान, बैंक ने पीएसएल के तहत कई पहल कीं. बैंक ने डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंसिंग (ई-एससीएफ) समाधान प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित कॉरपोरेटों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किए हैं. बैंक ने बीसी/सह-ऋण व्यवस्था के तहत स्वर्ण ऋण व्यवसाय के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ गठजोड़ व्यवस्थाएं की हैं. बैंक ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों को व्यवसाय ऋण की सोर्सिंग के लिए भी सह-ऋण की व्यवस्था की है.

अन्य पक्ष योजनाएं तथा पूंजी बाज़ार योजनाएं

आपका बैंक अन्य पक्ष वितरण (टीपीडी) खंड के अंतर्गत ग्राहकों को उनकी जोखिम प्रोफाइल, वित्तीय लक्ष्यों एवं निवेश उद्देश्यों के दृष्टिगत विभिन्न मूल्य संवर्धित योजनाएं व सेवाएं उपलब्ध करता है. बैंक ने मूल्य बिक्री को बढ़ावा देने और व्यापार के फोकस को योजना केंद्रित से ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण की ओर करने के लिए कई पहलकार्य किये हैं. रणनीति में बदलाव यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहक प्रथम दृष्टिकोण को अनुपालक व्यवसाय प्रथाओं के साथ जोड़ा जाए जिसके परिणामस्वरूप बैंक को लगातार और स्थायी शुल्क आय प्राप्त हो. आपका बैंक भारत के कुछ सबसे भरोसेमंद ब्रांड अर्थात् जीवन बीमा क्षेत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और एजीस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एएफएलआई) के साथ सामान्य और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा खंड में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईएएल), टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (टीएजीआईसी) और निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनबीएचआई) के साथ भागीदार है. आपके बैंक ने म्यूचुअल फंड क्षेत्र में कई प्रसिद्ध आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के साथ एमएफ योजनाओं के वितरण के लिए करार किए हैं. आपका बैंक ग्राहकों को अन्य निवेश अवसरों के रूप में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और भारत सरकार (जीओआई) बांड जैसे फ्लोटिंग रेट सेविंग बांड, सॉवरेन गोल्ड बांड और कैपिटल गेन्स बांड भी प्रदान करता है. पूंजी बाजार खंड के तहत, आपका बैंक 2-इन-1 खाता (बचत और डीमैट खाता), 3-इन-1 खाता (ऑनलाइन ट्रेडिंग खाते से जुड़ा बचत और डीमैट खाता), अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए) और सिंडिकेट एएसबीए (एसएएसबीए) जैसी योजनाएं उपलब्ध कराता है.

तेजी से विकसित हो रहे उद्योग कारोबार की प्रथाओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, आपके बैंक ने अन्य पक्ष की योजनाओं के वितरण को डिजिटल बनाने के लिए विभिन्न पहलकार्य किये हैं. इन पहलकार्यों में गो मोबाइल+ अप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन म्यूचूअल फंड निवेश मॉड्यूल, एनपीस खाते खोलने की शुरूआत, डिजिटल माध्यम से ई-नामांकन और डीमैट खातों में केवाईसी का अनिवार्य अद्यतन करना शामिल है. आपके बैंक ने अपने मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग चैनलों के माध्यम से डीमैट खाता खोलने की सुविधा दी है. डिजिटल चैनलों के गैर-उपयोगकर्ताओं के लिए शाखा चैनल के माध्यम से न्यूनतम दस्तावेज के साथ तुरंत डीमैट खाते खोलने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने एक संक्षिप्त डीमैट खाता खोलने का फॉर्म (एओएफ) अर्थात् दुरंतो डीमैट खाता भी ऑफर करता है.

एलआईसी के साथ तालमेल

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने जनवरी 2019 में आपके बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी अर्जित की और पिछले पाँच वर्षों की अवधि में कारोबार के लिए महत्वपूर्ण तालमेल को बढ़ाने के लिए कई पहलकार्यों की पहचान की

गई और उन्हें सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया गया. आपके बैंक ने अपनी सर्वोत्तम श्रेणी की योजनाओं और सेवाओं के माध्यम से राजस्व तालमेल, लागत तालमेल और वित्तीय तालमेल के संदर्भ में तालमेल वाले क्षेत्रों में कारोबार बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से विशिष्ट कार्य बिंदुओं की योजना बनाई, विशेष रूप से कम लागत वाली जमा बही, जैसे चालू खाता बही. आपके बैंक ने एलआईसी के कॉरपोरेट एजेंट के रूप में जुटाये गये कारोबार के लिए अपने टचप्वाइंट की प्रभावी और इष्टतम तैनाती के साथ बैंकाश्योरेंस चैनल में लगातार अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है. आपके बैंक ने अपनी शाखाओं/डिजिटल चैनलों के माध्यम से एलआईसी के विभिन्न कार्यालयों के संग्रहण/भुगतान संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लेन-देन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके सुविधा बैंकिंग को प्रभावी ढंग से लागू किया है. इन तालमेलों ने दो संस्थाओं के संयुक्त मूल्य एवं निष्पादन को स्थापित करने में सहायता की है जिससे आपके बैंक के खुदरा कारोबार और शुल्क आय को बढ़ाने में मदद मिली है.

वित्तीय समावेशन

आपका बैंक समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को किफायती लागत पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से वित्तीय योजनाओं और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में नीति-निर्माताओं के साथ भागीदारी करने में तत्पर रहा है. आपका बैंक प्रमुख तीन क्षेत्रों अर्थात् उपयुक्त वित्तीय योजनाएं ऑफर करने, प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने तथा वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने में हस्तक्षेप करते हुए वित्तीय समावेशन के कार्य को सक्रियतापूर्वक बढ़ावा देता रहा है.

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

बैंक भारत सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम अर्थात् प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई), जिसका उद्देश्य बिना किसी न्यूनतम शेष राशि की अपेक्षा, मुफ्त डेबिट कार्ड की सुविधा, ओवरड्राफ्ट सुविधा और बीमा लाभों के लिए बैंक खाता रहित व्यक्तियों के लिए एक बचत बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करके सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है, में सक्रिय रूप से भागीदार रहा है. मार्च 2024 के अंत तक, बैंक के पास कुल 18.72 लाख पीएमजेडीवाई खाते थे. मार्च 2024 के अंत तक, बैंक ने प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत 10.86 लाख लाभार्थियों को नामांकित किया है,यह एक बीमा योजना है जो मामूली लागत पर दुर्घटना के कारण मृत्यु और विकलांगता कवर ऑफर करती है. बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत मार्च 2024 के अंत तक 3.81 लाख लाभार्थियों को नामांकित किया, यह योजना उचित लागत पर व्यक्तियों को जीवन बीमा कवर प्रदान करती है. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत बैंक ने मार्च 2024 के अंत तक 5.48 लाख लाभार्थियों को नामांकित किया है, यह समाज के गरीब और वंचित वर्गों, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए, एक पेंशन योजना है.

कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ)

बैंक ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पैठ बढ़ाने के प्रयास में कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ताओं (बीएफ) के अपने नेटवर्क का लाभ उठाया, जिससे देश भर में वित्तीय समावेशन अधिक मात्रा हुआ और बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) कारोबार को बढ़ाना सुनिश्चित हुआ. मार्च 2024 के अंत तक, बैंक के 1,539 बीसी आउटलेट थे जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा दे रहे थे. इन बीसी आउटलेटों के माध्यम से, बैंक इन क्षेत्रों में ग्राहकों को उनके अपने दरवाजे पर छोटे मूल्य के नकद जमा और निकासी लेनदेन करने में सक्षम बनाकर देश के कम बैंकिंग सुविधा वाले और गैर-बैंकिंग स्थानों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है. वर्ष के दौरान बैंक ने बीसी आउटलेटों की पहुंच बढ़ाने के लिए सात अतिरिक्त संस्थाओं को कॉरपोरेट बीसी के रूप में नियुक्त किया है. बैंक ने देशभर में विभिन्न स्थानों पर सभी बीसी / बीएफ के लिए गहन प्रशिक्षण सत्रों/कार्यशालाओं का आयोजन किया. इसके अलावा, आपके बैंक ने कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ताओं (बीएफ) को बैंकिंग लेनदेन करने हेतु प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों पर कार्य करने के लिए उनके तकनीकी कौशल को विकसित करने हेतु काम के दौरान प्रशिक्षण भी प्रदान किया.

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय साक्षरता की पहचान प्रभावी वित्तीय समावेशन के लिए पूर्व आवश्यकता और साथ ही पीएमजेडीवाई के अभिन्न अंग के रूप में की गई है ताकि लाभार्थी उनको उपलब्ध कराई गई वित्तीय सेवाओं का भरपूर उपयोग कर सकें. बैंक विभिन्न बैंकिंग योजनाओं के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करता है. वर्ष के दौरान बैंक ने 233 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए जहां प्रतिभागियों में मुख्य रूप से किसान, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सदस्य और छोटे व्यापारी शामिल थे.

महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित आपके बैंक का ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आईडीबीआई आरएसईटीआई) ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण कौशल प्रभाग, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप जिले के ग्रामीण युवाओं के लिए स्व-रोजगार प्रशिक्षण आयोजित करता है. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आईडीबीआई आरएसईटीआई ने 606 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया, जिनमें से 433 उम्मीदवारों (71.45%) स्व-उद्यमों की स्थापना करके स्वरोजगार में लग गए हैं. आईडीबीआई आरएसईटीआई प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ सुविधाओं के उच्च मानकों को बनाए रख रहा है, इसलिए उन्हें 'एए' ग्रेडिंग से सम्मानित किया गया है, जो 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), भारत सरकार से समग्र प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट है.

डिजिटल बैंकिंग

आपके बैंक का लक्ष्य सर्वोत्तम डिजिटल अनुभव, प्रौद्योगिकी मानकों, प्रक्रियाओं एवं क्रियाविधियों को तैनात करके अपने ग्राहकों को एक सुरक्षित, निर्बाध और सुविधाजनक बैंकिंग मंच प्रदान करना है जहां ग्राहक सुविधा और सुरक्षा प्राथमिक महत्व है.

प्रौद्योगिकी में निवेश अपने ग्राहकों के लिए एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करने में महत्वपूर्ण रहा है. आराम, सुरक्षा, सुविधा और डिजिटल बैंकिंग चैनलों की 24x7 उपलब्धता के कारण डिजिटल ग्राहकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में समग्र डिजिटल लेनदेनों में 37%, यूपीआई लेनदेन में 38% और मोबाइल बैंकिंग के सक्रिय ग्राहक आधार में 33% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है.

आपके बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप *'गो मोबाइल+'* के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) बुनियादी ढांचे को उन्नत किया और बढ़े हुए डिजिटल लेनदेन को पूरा करने के लिए बेहतर लेनदेन अनुभव और उपलब्धता के लिए तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) 3.5 जैसी प्रमुख पहलों को लागू किया. आपके बैंक ने ऑनलाइन प्रीपेड कार्ड जारी करने एवं प्रबंधन प्रक्रिया, खाता एग्रीगेटर सेवाओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) एवं कृषि ऋण उत्पादों की सोर्सिंग हेतु डिजिटल लीड जनरेशन को सक्षम करने के लिए डिजिटल क्षेत्र में भी तेजी से प्रगति की है.

आपके बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप में उद्योग मानक कार्यात्मकताओं को भी लागू किया है जैसे (i) अन्य बैंक खाते के विवरण के साथ एकीकृत खाता डैशबोर्ड, (ii) बेहतर यूपीआई यात्रा, (iii) आधार का उपयोग करके मोबाइल बैंकिंग सक्रियण और (iv) अवरूद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (एएसबीए) उच्च मालियत वाले व्यक्ति (एचएनआई) श्रेणी में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ). इसके अलावा, अतिरिक्त सुविधाएं जैसे सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) खातों के लिए स्थायी निर्देश, मोबाइल नंबर का उपयोग करके धन अंतरण, आईएमपीएस फंड ट्रांसफर के दौरान लाभार्थी को सत्यापित करना, विवाद दर्ज करना, आभासी खातों में निधियों का अंतरण करना, डार्क थीम एवं बहुभाषी क्षमता को भी गो मोबाइल+ बैंकिंग ऐप में सक्षम किया गया है.

नेट बैंकिंग पर अपने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, आपके बैंक ने उन्नत आईएमपीएस कार्यक्षमता, एचएनआई ग्राहकों के लिए एएसबीए आईपीओ, धोखाधड़ी एवं विवाद रिपोर्टिंग और सेंट्रल नो योर कस्टमर रजिस्ट्री (सीकेवाईसी) नंबर देखने की सुविधा आदि जैसी नई सुविधाएँ पेश कीं.

संवादी बैंकिंग में डिजिटल पहुंच एवं ग्राहक सुविधा को आगे बढ़ाने की अच्छी संभावनाएं हैं. आपके बैंक ने डेबिट कार्ड की हॉटलिस्टिंग, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाणपत्र तैयार करने, पुनः केवाईसी और वैयक्तिकृत प्रचार संदेश जैसी प्रमुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपनी व्हाट्सएप बैंकिंग सुविधा को अपग्रेड किया है.

अपने योजना पोर्टफोलियो को बढ़ाने और विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आपके बैंक ने रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया, जो अपने उच्च मालियत वाले व्यक्ति (एचएनआई) ग्राहकों के लिए व्यापक यात्रा और जीवन शैली लाभों के साथ एक प्रीमियम श्रेणी का डेबिट कार्ड है. आपके बैंक ने व्यापारियों के लिए नकद, संपर्क रहित कार्ड लेनदेन और त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए एक नया मोबाइल एप्लिकेशन आधारित सॉफ्ट-प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) लॉन्च किया है. आपके बैंक ने साउंड-बॉक्स समाधान भी पेश किया है जो व्यापारियों को धन की प्राप्ति के बारे में सचेत करने के लिए एक ऑडियो सक्षम उपकरण है.

आपके बैंक ने नए ग्राहक खंडों का पता लगाने, अधिक नवीन योजनाएं विकसित करने, लागत दक्षता के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और अपने ग्राहकों को मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल रूपांतरण, नवाचार और विकास के अपने रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए फिनटेक के साथ जुड़ने के लिए आवश्यक अभिशासन संरचना तैयार की है.

कॉरपोरेट बैंकिंग

आपके बैंक के कॉरपोरेट बैंकिंग खंड में बृहत कॉरपोरेट समूह (एलसीजी) और मध्यम कॉरपोरेट समूह (एमसीजी) शामिल हैं. एलसीजी अपने बड़े कॉरपोरेट ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करता है, जबकि एमसीजी मध्यम आकार के कॉरपोरेट की आवश्यकता को पूरा करता है.

भारत सरकार द्वारा सेवाओं, विनिर्माण और बुनियादी संरचना क्षेत्रों में निवेश को बढ़ाने के लिए लिये गये कई नीतिगत पहलकार्यों से ऋण मांग बढ़ रही है. आपका बैंक चुनिंदा, अंशांकित और जोखिम नियंत्रित दृष्टिकोण अपना कर इन क्षेत्रों में व्यवहार्य वित्तपोषण अवसर तलाश कर रहा है. बड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण में निहित जटिलताओं और हामीदारी मानकों को इष्टतम करने की दृष्टि से आपके बैंक ने वर्ष के दौरान अपने प्रधान कार्यालय में विशेषीकृत परियोजना मूल्यांकन कक्ष स्थापित किया है.

आपके बैंक के कॉरपोरेट बैंकिंग पोर्टफोलियो में विभिन्न क्षेत्रों में फैले अपने कॉरपोरेट ग्राहकों को प्रदान की गई निधि एवं गैर-निधि आधारित योजनाएं एवं सेवाएं शामिल हैं.

कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए आपके बैंक के आस्ति पोर्टफोलियो में परियोजनाओं और गैर-परियोजनाओं, दोनों के लिए सावधि ऋण, कार्यशील पूंजी (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित, दोनों), निर्यातकों को पैकिंग तथा पोत-लदानोत्तर ऋण, बिल भुनाई, इंट्रा-डे की सीमा आदि शामिल हैं. आपका बैंक अपने कॉरपोरेट ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य योजनाएं भी ऑफर करता है, जैसे अल्पकालिक ऋण-गैर-प्रतिबद्ध लाइन, प्राप्य खरीद, बाहरी बेंचमार्क से जुड़ा सावधि ऋण, बाहरी बेंचमार्क से जुड़ा बिल भुनाई, आपाती साख पत्र के प्रति वित्तपोषण आदि शामिल हैं.

कॉरपोरेट बैंकिंग की सीमा के भीतर चैनल वित्तपोषण और कॉरपोरेट के डीलर/ वेंडर के लिए वेंडर वित्तपोषण, साथ ही ग्राहकों को आगे उधार देने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) खंड से ऋण देना जैसी योजनाएं ऑफर कर आपका बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पर भी उचित बल देता है. आपके बैंक का कॉरपोरेट बैंकिंग समूह अपने कॉरपोरेट ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त योजनाएं तैयार करने और उचित समाधान प्रदान करने के लिए रिटेल बैंकिंग, लेनदेन बैंकिंग, ट्रेजरी आदि में अन्य कारोबार/विशेष टीमों के साथ गहनता से मिलकर कार्य करता है.

आपके बैंक ने अपने कॉरपोरेट ऋण बही को बढ़ाने के लिए एक अंशांकित दृष्टिकोण का अनुसरण करना जारी रखा, ताकि कम पूंजी वाला मॉडल बनाये

रखा जा सके, साथ ही संतुलित कारोबार पोर्टफोलियो मिश्रण का लक्ष्य रखा जा सके. इस दिशा में, आपका बैंक अच्छी रेटिंग वाले कॉरपोरेट खातों के नए अधिग्रहण के साथ-साथ मौजूदा अच्छी रेटिंग वाले ग्राहकों के संबंध में कारोबार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता रहा है. इसके अलावा, बैंक स्वीकृत निधि-आधारित और गैर-निधि आधारित सीमाओं के उपयोग और क्रॉस-सेल में सुधार पर फोकस कर ब्याज आय और शुल्क आय में वृद्धि को लक्ष्य बना रहा है. आपके बैंक ने खाता स्तर के प्रदर्शन पर निगरानी के लिए नई तकनीकों को अपनाकर ऋण निगरानी तंत्र को बढ़ाया है ताकि दबाव की आशंका होने पर पूर्व-निवारक उपाय किए जा सकें.

ऋण निगरानी समूह

बैंक में ऋण निगरानी समूह (सीएमजी) द्वारा ऋण पोर्टफोलियो की समग्र गुणवत्ता को बनाये रखने और सुधारने के लिए संरचित ऋण समीक्षा तंत्र (एलआरएम), ऋण प्रशासन मानदंडों (सीएपी) की निगरानी और कॉरपोरेट एवं खुदरा पोर्टफोलियो में दबाव के आरंभ होने पर निगरानी रखता है.

पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) एप्लिकेशन, जो ऋण निगरानी का एक महत्वपर्णू साधन है, दिसंबर 2019 से परिचालनगत है. यह प्रणाली आंतरिक/ बाह्य स्रोतों से डेटा फ़ीड का उपयोग कर दबाव और प्रारम्भिक कमजोरी का पता लगाने और नियमित आधार पर चेतावनी उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त की जाती है. सभी कॉरपोरेट और खुदरा खातों के मामले में सिस्टम प्रारंभिक सीमा के साथ उच्च/ मध्यम/ कम जोखिम के अंतर्गत जोखिम समूहन किया जाता है जिससे उच्च जोखिम वाले खातों और दबाव के आरंभिक लक्षण दर्शाने वाले खातों को पहचानने में बैंक की क्षमता में वृद्धि करता है. यह आपके बैंक को तत्काल और पूर्वक्रीत कार्रवाई करने और समय पर उपचारात्मक उपाय लागू करने में मदद करता है. ईडब्ल्यूएस एप्लिकेशन की आवधिक समीक्षा की जाती है और लगातार विकसित हो रही विनियामक अपेक्षाओं एवं सर्वोत्तम उद्योग प्रथाओं के अनुरूप नई विशेषताएं जोड़ी जाती हैं.

आपका बैंक अपने आस्ति निगरानी टूल 'सजग' के माध्यम से ऋण प्रशासन के विभिन्न मानदंडों के अनुपालन की निगरानी करता है जिससे ऋण संस्कृति में सुधार करने, ऋण पोर्टफोलियो में आरंभिक कमजोरियों की पहचान करने और गिरावट को रोकने में सहायता मिलती है.

आपका बैंक ऋण मंजूरी की प्रभावकारिता के संबंध में समय पर फीडबैक देने तथा नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की नियमित अनुवर्ती कार्रवाई, समय-पूर्व चेतावनी संकेतों और सीएपी के समय से अनुपालन के लिए संरचित ऋण समीक्षा तंत्र (एलआरएम) का उपयोग करता है. इन पहलों के कारण खातों में आरंभिक दबावों को पहचानने और उनका प्रबंधन करने, और इसके द्वारा आपके बैंक की आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिली है.

खुदरा संग्रहण

एक सुदृढ़ और लाभदायक आस्ति पोर्टफोलियो बनाए रखना बैंक के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य में से एक है. इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास आवश्यक हैं कि चूक स्वीकार्य सीमा के भीतर हो और अनर्जक आस्तियां (एनपीए), बट्टे खाते में डालना और प्रावधान न्यूनतम हों. इस संबंध में, आरंभिक दबाव एवं गिरावटों पर नियंत्रण रखने और खुदरा ऋण खातों से देयताओं और अतिदेयताओं के संग्रहण करने के लिए एक समर्पित खुदरा संग्रह टीम है. खुदरा संग्रहण टीम की गतिविधियों में पूर्व-विशेष उल्लेख वाले खातों, उच्च जोखिम खातों, विशेष उल्लेख खातों (एसएमए) और संभावित/ पहली बार चिन्हित अनर्जक आस्तियों (एफ़टीएनपीए) को कम करना शामिल है.

खुदरा संग्रहण टीम बैंक के विभिन्न अंचलों/ क्षेत्रों में तैनात संग्रहण अधिकारियों की एक टीम की सहायता से संग्रहण गतिविधियां संचालित करती है और इन्हें कॉल सेंटर, संग्रहण एजेंसियों, कारोबार प्रतिनिधि(बीसी)/ कारोबारी सुलभकर्ताओं (बीएफ़) और शाखा केन्द्रित योजनाओं के लिए शाखाओं /रिटेल आस्ति केंद्रों (आरएसी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है.

संग्रहण के संबंध में उच्चतर समाधान दर प्राप्त करने के उद्देश्य से खुदरा संग्रहण टीम बैंक के कॉल सेंटर और संग्रहण एजेंसियों का व्यापक स्तर पर उपयोग करती है. प्रिडिक्टिव मॉडल से प्राप्त होने वाले उच्च जोखिम वाले खातों की निगरानी रिटेल आस्ति केन्द्रों (आरएसी)/ शाखाओं द्वारा एसएमए के अंतर्वाहों को कम करने के और क्षेत्र पदाधिकारियों द्वारा उपचारात्मक उपायों को शुरू करने के लिए की जाती है.

अपने संग्रह तंत्र को और मजबूत करने के प्रयास में, बैंक संग्रहण-संबंधित गतिविधियों के डिजिटलीकरण के अग्रिम चरण में है. एक एकीकृत संग्रहण एवं वसूली मॉड्यूल(आईसीएनआरएम) एप्लिकेशन, जो दबाव की पहचान करने तथा संग्रहण हेतु संसाधनों को प्रभावी रूप से नियोजित करने में बैंक की सहायता करेगा, को विकसित किया गया है और कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है. डिजिटल प्रक्रियाओं का उद्देश्य सुविधाजनक ऑनलाइन संग्रहण और उधारकर्ताओं से बकाया राशियों की सुविधाजनक वसूली के लिए प्लैटफ़ार्म प्रदान करना और संग्रहण संबंधी कार्यकलापों के लिए एक पूर्ण और निर्बाध प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रदान करना भी है.

खुदरा वसूली

आपका बैंक आक्रामक तरीके से भार-रहित आस्तियों की पहचान कर कुर्क करने, प्रतिभूतियों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने, बातचीत के माध्यम से निपटान विकल्प, एकबारगी निपटान (ओटीएस) अभियान/योजनाओं आदि के द्वारा अशोध्य ऋणों की वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करता रहा है. आपके बैंक ने सभी प्रकार के उपलब्ध विधिक उपचारों जैसे वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेएसी) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई, बंधक आस्तियों का भौतिक अधिग्रहण के लिए मुख्य महानगर दंडाधिकारी (सीएमएम)/जिलाधिकारी (डीएम) का आदेश प्राप्त करना, तेजी से वसूली हेतु ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी)/सिविल न्यायालयों में वाद दाखिल करने आदि में तेजी से प्रयास किए.

आपके बैंक ने सरफेएसी अधिनियम के अंतर्गत बड़े पैमाने पर ई - नीलामी की और संपूर्ण भारत में व्यापक प्रचार के साथ माननीय न्यायालयों/ विधिक मंचों के माध्यम से नीलामी की कार्रवाई की. आपके बैंक ने छोटे मूल्य वाले ऋणों के

समाधान हेतु संपूर्ण भारत में प्रत्येक तिमाही में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालतों में भी सक्रियता से भाग लिया.

आस्ति गुणवत्ता

आपके बैंक ने नई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की रोकथाम करने और मौजूदा ह्रासित आस्तियों से अधिकतम वसूली पर जोर देना जारी रखा. मार्च 2024 के अंत में आपके बैंक की कुल आस्तियों में 95.47% अर्जक आस्तियां और 4.53% अनर्जक आस्तियां थीं. वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक की नई गिरावट इसके मानक अग्रिमों का 1.92% रही. वर्ष के दौरान ह्रासित आस्तियों से वसूली और अनर्जक आस्तियों के अर्जक आस्तियों के रूप में अपग्रेड ₹ 2, 626 करोड़ की रही. बैंक ने मौजूदा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए. विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में आपके बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31 मार्च 2024 को 99.09% है.

आपके बैंक के पास खाता विशेष आधारित वसूली रणनीतियां बनाने और कॉरपोरेट एनपीए पर गहन निगरानी के लिए संकेंद्रित और आक्रामक दृष्टिकोण अपनाने हेतु समर्पित वर्टिकल अर्थात् एनपीए प्रबंधन समूह (एनएमजी) है.

आपके बैंक ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अधीन आने वाले मामलों के लिए केन्द्रीय डेस्क की स्थापना की है. यह समर्पित डेस्क विभिन्न टीमों के क्षेत्र से जुड़े तथा विभिन्न जटिलताओं का सामना करने में आए अनुभवों को अंगीकार करने और उन्हें साझा करने में सक्रिय भूमिका निभाती रही है जिससे बैंक इन सीआईआरपी मामलों को सफलतापूर्वक संभालने में सक्षम हुआ है. 31 मार्च 2024 को कुल मिलाकर ₹ 39,922 करोड़ (अनर्जक आस्तियों/ तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाली गई (टीडब्ल्यूओ) आस्तियों सहित) सकल मूलधन बकाया (जीपीओ) के साथ कुल 289 मामले दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी), 2016 के अधीन सीआईआरपी के अंतर्गत थे. आपका बैंक इनमें से कुछ मामलों को सीआईआरपी के तहत निपटाने में सफल रहा और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कुल ₹ 2,049 करोड़ की वसूली की गई. 289 मामलों की सूची में कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें से कुछ में अंशतः वसूली हुई है लेकिन पूरी राशि प्राप्त नहीं हुई.

आपके बैंक की एक *'एक बारगी निपटान (ओटीएस) प्रबंधन प्रणाली'* है जो बैंक की वेबसाइट के माध्यम से ओटीएस आवेदनों की प्रस्तुति को सुविधाजनक बनाती है साथ ही वसूली की निगरानी करने सहित ओटीएस प्रस्ताव की प्रोसेसिंग को शुरू से अंत तक सक्षम बनाती है.

आपके बैंक ने एनपीए/टीडब्ल्यु खातों में निपटान आधार पर देय राशियों की शीघ्र वसूली के लिए गैर-विवेकाधीन और गैर-भेदभावपूर्ण निपटान योजना शुरू की है जिसमें ₹ 10 करोड़ तक के कुल जीपीओ वाले एनपीए प्रबंधन समूह द्वारा देखे जा रहे ऐसे उधारकर्ताओं को शामिल किया गया है जो तीन साल से अधिक की संदिग्ध आस्तियों (डीए-3), हानि आस्तियों (एलए) और टीडब्ल्यूओ आस्ति श्रेणी वाले खाते हैं और व्यक्तिगत गारंटर (पीजी)/ कॉरपोरेट गारंटर (सीजी) के साथ बकाया के निपटान के लिए ₹ 10 करोड़ तक के जीपीओ वाले मामले शामिल हैं.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने ₹ 1,573.05 करोड़ के जीपीओ वाले 11 खातों (दो एनपीए खाते और नौ तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गये खातों) को ₹ 460.48 करोड़ (जिसमें ₹ 242.58 करोड़ की नकद वसूली और ₹217.90 करोड़ की प्रतिभूति प्राप्तियाँ शामिल हैं) के प्रतिफल की वसूली पर अनुमति प्राप्त संस्थाओं को अंतरित किया गया. इसके अलावा, आपके बैंक ने ₹ 170.68 करोड़ के एक्सपोजर वाले एक अनर्जक निवेश को ₹ 43.23 करोड़ (जिसमें ₹ 6.48 करोड़ की नकद वसूली और ₹ 36.75 करोड़ की प्रतिभूति प्राप्तियाँ शामिल हैं) को अनुमति प्राप्त संस्थाओं को अंतरित किया गया.

आपका बैंक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेएसी) अधिनियम, 2002 के अधीन प्रवर्तन कार्रवाई सहित लागू कानूनों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करता रहा है. बैंक ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी)/ न्यायालयों के साथ भी निरंतर फॉलो-अप करता रहा है और डीआरटी संबंधी कार्य के लिए बैंक के एनएमजी, विधि एवं खुदरा वसूली विभागों से नोडल अधिकारियों की एक टीम को चिन्हित किया है ताकि वसूली प्रमाणपत्र/ डिक्री प्राप्त करने और उन्हें निष्पादित करने में होने वाले विलंब को न्यूनतम किया जा सके.

आपके बैंक ने 31 मार्च 2024 को बैंक ने कुल 364 मामलों का वर्गीकरण इरादतन चूककर्ताओं के रूप में किया है तथा ऐसे उधारकर्ताओं/ प्रवर्तकों/ निदेशकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरु की है और आठ मामलों को असहयोगी उधारकर्ताओं के रूप में घोषित किया है.

व्यापार वित्त

आपके बैंक के पास एक समर्पित व्यापार वित्त (टीएफ) विभाग है, जो अपने कॉरपोरेट तथा खुदरा ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य पर योजनाओं और सेवाओं की व्यापक श्रृंखला ऑफर करता है. सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली योजनाओं की श्रृंखला में आवक/ जावक विप्रेषण, साख-पत्र (एलसी), बैंक गारंटी (बीजी), आपाती साख पत्र (एसबीएलसी) आदि से लेकर जटिलतर घरेलू और सीमा पार व्यापार योजनाएं हैं जिनमें वस्तुओं और सेवाओं का आयात/निर्यात, लदान-पूर्व और लदान-पश्चात निर्यात वित्तपोषण, अल्पावधि व्यापार ऋण (क्रेता की साख पर उधार और आपूर्तिकर्ता की साख पर उधार), मर्चेंटिंग व्यापार, पूँजी खाता लेनदेन आदि शामिल हैं.

आपके बैंक के पास, प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी I बैंक के रूप में 38 समर्पित टीएफ़ केंद्र हैं जो सभी प्रकार के विदेशी मुद्रा लेनदेनों के लिए प्राधिकृत हैं. बैंक की व्यापार वित्त योजनाओं/ सेवाओं को केन्द्रीकृत व्यापार प्रोसेसिंग केंद्रों (सीटीपीसी) के जरिए प्रोसेस किया जाता है जो तीन मुख्य मेट्रो केन्द्रों, अर्थात् मुंबई, चेन्नई और दिल्ली में हब-एंड-स्पोक मॉडेल के रूप में कार्य करता है. सीटीपीसी बैंक की सभी शाखाओं की जरूरतों को पूरा करता है तथा इस प्रकार मानकीकृत प्रसंस्करण, सक्षम संचार और तीव्रतम प्रतिवर्तन काल (टीएटी) की सुविधा प्रदान करता है.

आपका बैंक अपने कोर बैंकिंग प्लेटफॉर्म में निरंतर सुधार कर रहा है तथा साथ ही ग्राहक संबंधों को बढ़ाने के लिए डिजिटल व्यापार प्रोसेसिंग भी प्रदान करता है और व्यापार परिचालन प्रक्रिया के प्रत्येक कदम को बाधारहित और सुविधाजनक बनाता है. आपके बैंक ने लेनदेन संबंधी कार्यनिष्पादन को

तीव्रतर, त्रुटिहीन और निर्बाध बनाने के लिए विभिन्न आईटी पहल कार्य शुरू किए हैं. उदाहरण के लिए, बैंक के पास एक इंटरनेट आधारित व्यापार वित्त प्लेटफॉर्म अर्थात् आईडीबीआई ई-ट्रैड है जो ग्राहकों को 24X7 आधार पर लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करता है. बैंक ने स्विफ्ट जीपीआई क्षमताओं का निर्माण किया है जो तत्काल आधार पर सीमा-पार भुगतान को ट्रैक करने में सहायता करता है और इस तरह से ग्राहकों के अनुभव को समृद्ध करता है. आपके बैंक ने स्विफ्ट इंडिया के साथ साझेदारी की है और एन्क्रिप्शन के साथ उन्नत कतार प्रबंधन के लिए मैसेज क्यू होस्ट एडाप्टर (एमक्यूएचए) लागू किया है जो घरेलू लेनदेन के लिए संदेश प्रवाह के आसपास मौजूदा सुरक्षा को मजबूत करता है. आपके बैंक का स्विफ्ट परिचालन एक केंद्रीकृत स्विफ्ट कक्ष (सीएससी) के माध्यम से किया जाता है, जो एक सुरक्षित आईटी प्लेटफॉर्म के तहत अत्यंत सावधानी और बहुस्तरीय सत्यापन प्रक्रियाओं सहित सुचारु और निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करता है. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने विनियामक/ सांविधिक मानदंडों साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पद्धति संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु नीतियाँ, प्रक्रियाएँ, मानक परिचालन कार्यविधि (एसओपी), परिचालन मैनुअल, सुदृढ़ निगरानी तंत्र आदि निर्धारित किये हैं.

आपके बैंक ने अपने खुदरा इंटरनेट बैंकिंग के पोर्टल के माध्यम से रिज़र्व बैंक की उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत ऑनलाइन विदेशी जावक विप्रेषण शुरू करने की सुविधा प्रदान की है. व्यक्तियों के पक्ष में एक निश्चित सीमा के अंतर्गत विदेशी आवक विप्रेषण के निष्पादन के लिए बैंक की अपनी एक केन्द्रीकृत प्रसंस्करण व्यवस्था है जिससे बैंक के ग्राहकों को तीव्रतर/ तत्काल जमा की सुविधा मिलेगी. इसके अतिरिक्त, कुशल सेवा सुपुर्दगी के उपाय के रूप में, आपके बैंक का एक ऑनलाइन बैंक गारंटी(बीजी) पुष्टीकरण मॉड्यूल है जो इसके द्वारा जारी की गई बैंक गारंटियों (बीजी) के लाभार्थियों को गारंटी निर्गमन की ऑनलाइन पुष्टि प्राप्त करने में सक्षम बनाता है.

आपके बैंक की चौबीस घंटे धोखाधड़ी निगरानी सुविधा के साथ, उपयुक्त परिचालनगत/ अनुपालन अलर्ट जारी करने की व्यवस्था है. आपके बैंक ने साइबर धोखाधड़ी जोखिम को कम करने और सीमा पार भुगतानों में धन-शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद वित्तपोषण का सामना (सीएफ़टी) करने संबंधी चिंताओं का समाधान निकालने के लिए भुगतान नियंत्रण प्रणाली और लेनदेन जांच प्रक्रियाओं के रूप में प्रभावी प्रणाली नियंत्रण तंत्र गठित किया है. अतिरिक्त नियंत्रण सुनिश्चित करने के क्रम में, आपके बैंक ने अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सिस्टम सत्यापन लागू किए हैं. आपका बैंक धन-शोधन निवारक (एएमएल)/अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ आतंकवाद वित्तपोषण का सामना (सीएफ़टी) दिशानिर्देश, सुदृढ़ व्यापार आधारित धन शोधन (टीबीएमएल) रेड फ्लैगिंग प्रक्रियाओं और अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए यूएस/ईयू द्वारा प्रतिबंधों की जांच डिजिटल रूप से करता है. आपका बैंक सिद्धांततः अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम ब्यूरो (आईएमबी) के जरिए मर्चेन्ट व्यापार में अंतरराष्ट्रीय कार्गो संचलन का सत्यापन करता है. बैंक सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यवसाय सूचना रिपोर्टों के माध्यम से विदेशी पार्टियों की साख, प्रमुख कार्यकलापों, कारोबार स्तर और भुगतान शीघ्रता का सत्यापन करता है.

आपके बैंक की बिल वित्त नीति भारतीय रुपये (आईएनआर) और विदेशी मुद्रा (एफसीवाई) में किए गए व्यापार से उत्पन्न होने वाले सभी वास्तविक बिलों की खरीद/ भुनाई/ परक्रामण को कवर करती है. आपके बैंक ने निर्यात ऋण की सुविधा प्राप्त करने वाले अपने सभी ग्राहकों को भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) द्वारा उपलब्ध कराई जा रही बैंकों के लिए समग्र टर्नओवर निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) पॉलिसियों के अंतर्गत कवर किया है.

बैंक ने द्विपक्षीय संपर्क प्रबंध एप्लीकेशन (आरएमए) के जरिए विश्व भर में लगभग 650 बैंकों के साथ संपर्की बैंकिंग व्यवस्थाओं का बहुव्यापी नेटवर्क विकसित किया है जिसके फलस्वरूप वह विश्व भर में व्यापारिक और गैर-व्यापारिक सेवाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है. बैंक ने विश्व भर में 11 मुद्राओं में सीधे धनराशि भेजने की नोस्ट्रो व्यवस्था एवं 120 मुद्राओं में धन प्रेषणों को संभालने के लिए प्रतिनिधि बैंकों के साथ व्यवस्था की है.

सरकारी कारोबार

आपका बैंक केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की प्राप्ति और भुगतान संबंधी लेनदेनों को संभालने के लिए रिज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है. आपका बैंक केंद्र सरकार के करों जैसे प्रत्यक्ष करों, सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संग्रहण के लिए प्राधिकृत है. आपका बैंक 17 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में प्राप्तियों का संग्रहण सक्रिय रूप से कर रहा है एवं बैंक कर भुगतानों के लिए 24x7 इंटरनेट बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है. आपका बैंक इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षित बैंक एवं ट्रेजरी रसीद (ई-एसबीटीआर) और साधारण रसीद के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य में स्टांप शुल्क भी एकत्र करता है.

आपके बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से संबंधित देयों की ऑनलाइन वसूली की व्यवस्था की है. आपका बैंक भारत सरकार द्वारा अपनी शाखाओं के माध्यम से छोटी बचत योजनाओं अर्थात् लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धि खाता योजना (एसएसए), महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 (एमएसएससी) ऑफर करने के लिए प्राधिकृत है और यह केंद्रीय सिविल, डिफेंस और रेलवे पेंशन के संवितरण के लिए भी प्राधिकृत है.

नकदी प्रबंध सेवाएं

आपका बैंक कॉरपोरेटों को उनके संग्रहण को इष्टतम करने, थोक भुगतानों को युक्तिसंगत बनाने और नकदी प्रवाह को इष्टतम करने में समर्थ बनाने हेतु अत्याधुनिक नकदी प्रबंधन सेवाएँ (सीएमएस) प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, बैंक ने नवीनतम प्रगति का लाभ उठाने के लिए हाल ही में अपने सीएमएस सिस्टम को अपग्रेड किया है. यह निवेश सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों को अत्याधुनिक तकनीक का लाभ मिले, जिससे उनकी नकदी प्रबंधन गतिविधियों की दक्षता और प्रभावशीलता में और वृद्धि हो.

आपका बैंक सीएमएस समाधान का एक व्यापक सेट प्रदान करता है जिसमें संग्रहण, भुगतान और लेनदेन बैंकिंग शामिल है, यह कॉरपोरेट ग्राहकों की

विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, जो उन्हें उनकी तरलता स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण के लिए सशक्त बनाता है.

आपका बैंक चलनिधि प्रबंधन समाधान जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी वाले समाधान ऑफर करता है जिनमें कॉरपोरेट चलनिधि प्रबंधन समाधान (सी-एलएमएस), सरकारी चलनिधि प्रबंधन समाधान (जी-एलएमएस) और सीएमएस योजनाएं जैसे राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच), वर्चुअल रेमिटर आइडेंटिफिकेशन कोड (वीआरआईसी), भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के जरिये उपयोगिता भुगतान, सीधी नामे सुविधाएं , फास्टैग आदि शामिल हैं. इसके अलावा, आपका बैंक होस्ट-टू-होस्ट प्रौद्योगिकी के जरिये ग्राहक की प्रणालियों से निर्बाध एकीकृत ग्राहकोनुकूल ई-समाधान उपलब्ध कराता है.

आपका बैंक भारतीय रेलवे के ई-भाड़ा भुगतान प्रणाली में भाग लेने के लिए 12 अंचलों में अधिकृत है. आपके बैंक ने सीएमएस सेट के तहत नए युग की डिजिटल योजनाएं शुरू की हैं जैसे (i) क्विक आई-पे, जो एक संस्थागत संग्रहण योजना है जिससे बिजनेस-से-उपभोक्ता (बीटूसी) खंड के संस्थान एकल प्रणाली का प्रयोग कर अपने ग्राहकों से सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से देयताओं का संग्रहण करते हैं एवं (ii) इलेक्ट्रॉनिक सावधि जमा - सुविधा ईएफडी, यह स्टॉक ब्रोकरों के लिए एक ऑनलाइन सुविधा है जो उन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के पास अपनी प्रतिभूति मार्जिन जमा को निर्बाध तरीके से रखने में सहायता करती है.

ट्रेजरी परिचालन

आपके बैंक ने विभिन्न बाज़ार खंडों जैसे मुद्रा बाज़ार, नियत आय, विदेशी मुद्रा-विनिमय, डेरिवेटिव और इक्विटी में ट्रेजरी परिचालनों को एकीकृत किया है. आपके बैंक के ट्रेजरी परिचालनों में तुलन पत्र प्रबंधन, चलनिधि प्रबंधन, आरक्षित नकद अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चल निधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना, बाजार लिखतों में ट्रेडिंग एवं निवेश, फोरेक्स लेनदेन व डेरिवेटिव से संबंधित कार्यों में सक्रिय भूमिका होती है.

आपके बैंक की ट्रेजरी सीआरआर की विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है. आपका बैंक वित्तीय वर्ष 2023-24 में 4.50% सीआरआर बनाए रखकर विनियामक अपेक्षा का अनुपालक रहा.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंकिंग प्रणाली की तरलता सितंबर 2023 के मध्य में अधिशेष से घाटे में चली गई. रिज़र्व बैंक ने वेरिएबल रेट रेपो (वीआरआर) और वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) दोनों का उपयोग करके तरलता परिचालनों का तीव्रता से प्रबंध करना जारी रखा. चलनिधि का सक्रियता से प्रबन्ध करने के लिए बैंक की ट्रेजरी ने अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग किया, जैसे चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और रिज़र्व बैंक के खुले बाज़ार के परिचालन (ओएमओ) के साथ बाज़ार के अन्य साधन / प्लेटफॉर्म जैसे त्रिपक्षीय रेपो (टीआरईपीएस), क्लीयरकॉर्प रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (सीआरओएमएस) तथा मांग एवं सूचना पर देय धन. अधिशेष चलनिधि को जमा प्रमाणपत्र, चलनिधि म्यूचुअल फंड और मांग/ सूचना/ मीयादी मुद्रा उधार, फॉरेक्स जमा नियोजन, आदि विभिन्न अल्पावधि लिखतों में नियोजन किया गया था.

आपके बैंक की ट्रेजरी अपने ट्रेडिंग / निवेश पोर्टफोलियो के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक)/ राज्य विकास ऋण (एसडीएल) / ट्रेजरी बिल (टी-बिल) की नीलामी में सक्रिय रूप से भाग लेती रही है. आपका बैंक वित्तीय वर्ष 2023-24 में 18% न्यूनतम एसएलआर बनाए रखकर विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालक रहा. 31 मार्च 2024 को एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंक का कुल निवेश 17% की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹85,849 करोड़ रहा.

वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति बेंचमार्क ने अंतिम तिमाही में अधोगामी झुकाव के साथ 6.95%-7.40% की एक संकीर्ण सीमा में कारोबार किया, जिसमें जून 2024 से शुरू होने वाले जेपी मॉर्गन बांड सूचकांक में बांड इंडेक्स को शामिल करने के कारण ऋण बाज़ार में लगातार विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) अंतर्वाह रहा. वित्तीय वर्ष 2023-24 में नीतिगत रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने के रिज़र्व बैंक के फैसले से बॉन्ड प्रतिफल में धीरे-धीरे गिरावट आई. आपके बैंक ने प्रतिफल हलचलों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाया और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 85,849 करोड़ (बिक्री पर लाभ सहित) के कुल एसएलआर निवेश पर 7.04% प्रतिफल बनाए रखने के लिए पोर्टफोलियो का सक्रिय रूप से कुशलतापूर्वक प्रबंध किया.

आपका बैंक प्राथमिक डीलर (पीडी) के रूप में जी-सेक बाज़ार में एक सक्रिय भागीदार बना हुआ है. पीडी डेस्क यह सुनिश्चित करता है कि बैंक जी-सेक के लिए बोली प्रतिबद्धता एवं टर्नओवर अनुपात तथा टी-बिल नीलामी के लिए सफलता अनुपात आदि जैसी सभी विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करता है.

आपका बैंक गिल्ट खाताधारकों (जीएएच) को संघटकों की सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) सेवा भी प्रदान कराता है. इसके अतिरिक्त रिज़र्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष सुविधा के अंतर्गत खुदरा निवेशकों को द्वितीयक बाज़ार में चलनिधि प्रदान करने के लिए आपका बैंक एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म (विषम लॉट व भाव के लिए अनुरोध खंड में) पर खुदरा निवेशकों को खरीद / बिक्री का भाव प्रदान कर बाज़ार निर्माण का कार्य भी करता है. आपका बैंक आईडीबीआई समृद्धि प्लेटॉफर्म के जरिये जी-सेक में खुदरा सुविधा प्रदान करता है, यह एक वेब आधारित ट्रेड पोर्टल है जिसमें खुदरा निवेशक जी-सेक का ऑनलाइन और बैंक के एटीएम के माध्यम खरीद-बिक्री कर सकते हैं.

आपके बैंक की ट्रेजरी के पास एक सक्रिय फॉरेक्स इंटरबैंक और डेरिवेटिव डेस्क है. फॉरेक्स इंटरबैंक डेस्क ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी फॉरेक्स दरें उपलब्ध कराता है. अपने विदेशी मुद्रा व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए, आपके बैंक ने स्वचालित प्रणाली-संचालित व्यापार के माध्यम से भारत में बैंकों के साथ क्रॉस मुद्राओं में दो-तरफ़ा बाज़ार निर्माण/व्यापार की शुरुआत की. इससे आपके बैंक के विदेशी मुद्रा कारोबार की मात्रा और लाभप्रदता बढ़ने की उम्मीद है. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे विदेशी मुद्रा बाज़ार में आपके बैंक की उपस्थिति बढ़ने की उम्मीद है. बैंक की डेरिवेटिव डेस्क ग्राहकों की हैजिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न ब्याज दर और विनिमय दर हेजिंग समाधान उपलब्ध कराता है.

विदेशी विनिमय, निश्चित आय और डेरिवेटिव उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए आपके बैंक के ट्रेजरी को 13 केंद्रों की अखिल भारतीय बिक्री टीम द्वारा

सहयोग किया जाता है. बिक्री टीम बड़े, मध्यम और छोटे कॉरपोरेट खुदरा ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए बैंक के सभी संपर्क प्रबंधकों के साथ मिलकर काम करती है. टीम के सदस्य मुद्राओं, दरों में अपने एक्सपोजर का प्रभावी ढंग से प्रबंध करने के लिए समाधान प्रदान करने के लिए ग्राहकों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करते हैं और उन्हें ऋण लिखतों (जी-सेक, गैर-एसएलआर बांड, आदि) में निवेश समाधान के बारे में सलाह भी देते हैं. बिक्री टीम बैंक के अन्य उत्पादों को क्रॉस-सेल करने के लिए भी अपनी पहुंच का लाभ उठाती है. बैंक ने कवरिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और विदेशी मुद्रा लेनदेन की दक्षता में सुधार करने के लिए अपने प्रधान कार्यालय में एक केंद्रीकृत विदेशी मुद्रा डेस्क स्थापित किया है. बैंक का इक्विटी डेस्क अल्पकालिक और मध्यम अवधि के मूल्य हलचलों के माध्यम से ट्रेडिंग राजस्व अर्जित करने के लिए वित्तीय लिखतों में कारोबार करता है.

आपके बैंक का वेंचर कैपिटल फंड्स (वीसीएफ) (जैसा कि 1996 के दौरान तत्कालीन सेबी नियमों द्वारा परिभाषित किया है) में ₹23.98 करोड़ का बकाया निवेश है.

रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन पर अपने मास्टर निर्देश (दिशा-निर्देश), 2023 के तहत, 1 अप्रैल 2024 से निवेश पोर्टफोलियो और डेरिवेटिव अनुबंधों के वर्गीकरण, मूल्यांकन, आय पहचान, लेखांकन और प्रस्तुति को संशोधित किया. आपके बैंक ने 1 अप्रैल 2024 से दिशानिर्देशों को लागू किया है.

सीमा-पार शाखाएं

आपके बैंक की गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) स्थित अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबीयू) ने 6 मई 2016 से अपना परिचालन शुरू किया. आईबीयू, गिफ्ट के कांदला विशेष आर्थिक जोन (एसईज़ेड) के अंतर्गत आता है और इसका कामकाज अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा जारी प्रावधानों / दिशानिर्देशों के अनुसार नियंत्रित होता है. अन्य योजनाओं के अलावा, बैंक का आईबीयू पात्र भारतीय कॉरपोरेटों को बायर्स क्रेडिट (बीसी) के प्रति निधीयन और बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) प्रदान करने पर भी फोकस करता है. आपके बैंक की गिफ्ट सिटी शाखा आईबीयू सावधि जमा और प्रतिपूर्ति प्राधिकरण (आरए) वित्तपोषण योजनाएं भी ऑफर करती है.

अपनी कारोबारी रणनीति के एक भाग के रूप में, आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में दुबई में परिचालन बंद करने का कार्य शुरू किया. आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, डीआईएफसी शाखा को बंद करने की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूरी की गई.

ऋण रेटिंग

आपका बैंक अपनी घरेलू और विदेशी मुद्रा उधाराशियों के लिए क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करता है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान रेटिंग कार्रवाई और 31 मार्च 2024 को रुपया संसाधनों के लिए वर्तमान रेटिंग निम्नानुसार है:

रुपया उधार के लिए रेटिंग

रेटेड लिखत	क्रिसिल	इक्रा	इंडिया रेटिंग	केयर
रेटिंग संबंधी कार्रवाई	जनवरी 2024	अगस्त 2023	दिसंबर 2023	दिसंबर 2023
सावधि जमाराशियाँ	क्रिसिल एए/स्टेबल ^	[इक्रा] एए-/ स्टेबल ^^	इंड एए-/ स्टेबल ^^^	-
अल्पावधि उधार राशियाँ (जमा प्रमाणपत्र)	क्रिसिल ए1+	[इक्रा] ए1+	इंड ए1+	केयर ए1+
दीर्घावधि रुपया बांड (सीनियर एवं लोअर टियर II बांड)	क्रिसिल एए-/ स्टेबल&	[इक्रा] एए-/ स्टेबल ^^	इंड एए- / स्टेबल ^^^#	-
हाइब्रिड अपर टियर II बांड	आहरित	-	-	-
हाइब्रिड - आईपीडीआई (बासेल II)	आहरित	-	-	-
टियर II बांड (बासेल III)	क्रिसिल एए- / स्टेबल&	[इक्रा]एए-/ स्टेबल ^^	इंड एए-/ स्टेबल ^^^	केयर एए-/ स्टेबल%

टिप्पणी :

^ - रेटिंग को क्रिसिल एए- / स्टेबल से अपग्रेड करके क्रिसिल एए/स्टेबल किया गया.
& - रेटिंग को क्रिसिल ए+/स्टेबल से अपग्रेड करके क्रिसिल एए-/स्टेबल किया गया.
^^ - रेटिंग को इक्रा ए+/पॉजिटिव से अपग्रेड करके इक्रा एए -/स्टेबल किया गया.
^^^ - रेटिंग को इंड ए+/स्टेबल से अपग्रेड करके इंड एए-/स्टेबल किया गया.
 # - केवल सीनियर टियर II बांड को रेटिंग दी गई है
% - रेटिंग को केयर ए+/पॉजिटिव से अपग्रेड कर केयर एए-/स्टेबल किया गया.

विदेशी रेटिंग एजेंसियों यथा एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स (एसएंडपी) और फिच रेटिंग्स (फिच) द्वारा रेट किए गए मीडियम टर्म नोट (एमटीएन) बांड का पूरा भुगतान 30 नवंबर 2020 को कर दिया गया. इसलिए, बैंक ने एमटीएन बॉन्ड कार्यक्रम के तहत किए गए विभिन्न मामलों के लिए 21 मई 2021 को उनके साथ रेटिंग अनुबंध/करार समाप्त कर दिया गया था. तदनुसार, विदेशी मुद्रा उधार की रेटिंग वापस ले ली गई है.

जोखिम प्रबंधन

आपके बैंक की जोखिम प्रबंध रणनीति तीन बुनियादी बातों अर्थात् पहचान, मापन और निगरानी पर अनिवार्य रूप से ध्यान केंद्रित करती है. पहचान प्रक्रिया जहाँ आगे के विश्लेषण और मूल्यांकन के लिए समर्थ बनाती है वहीं मापन बैंक को जोखिम का प्रभावी रूप से प्रबंध करने में सक्षम बनाता है. इस रणनीतिक दृष्टिकोण ने जोखिम प्रबंधन साधनों के माध्यम से आपके बैंक को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाया है तथा उसमें विश्वास पैदा किया है. उचित सीमाओं और प्रक्रियागत पहलुओं को दर्शानेवाली एक सुपरिभाषित नीति की रूपरेखा बैंक की समग्र रूप से जोखिम वहन करने की क्षमता के अंतर्गत

जोखिम कम करने और इसका प्रबंधन करने में मदद करती है. कारोबार गतिशीलता के मूल तत्वों, बैंकिंग नवोन्मेष, उभरते जोखिम परिदृश्य और विनियामकीय परिवर्तनों को समझते हुए जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में और अधिक सुधार को सुनिश्चित करने के लिए नीति का आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है. आपका बैंक सभी वर्टिकलों में जोखिम के प्रति जागरूकता पैदा कर और निर्णय लेने में इसे एक अत्यावश्यक मानदंड बना कर अपनी जोखिम प्रबंध संस्कृति में लगातार सुधार का प्रयास करता है. जहां बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, वहीं दिन-प्रति-दिन की गतिविधियों का संचालन जोखिम अभिशासन संरचना के आधार पर विभिन्न स्तरों पर किया जाता है. जोखिम प्रबंधन प्रणालियां और इसकी प्रक्रियाओं को विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुसार लगातार अद्यतित किया जाता है. एक अधिक सुदृढ़ और तकनीकी रूप से उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के लिए, आपके बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन आर्किटेक्चर (आईआरएमए) लागू किया है जिसमें सॉफ्टवेयर समाधान, अर्थात् ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (आरएएम), पूंजी मूल्यांकन मॉडल (सीएएम) और व्यापक परिचालनगत जोखिम मूल्यांकक (सीओआरई) शामिल हैं. आईआरएमए ऋण और परिचालनगत जोखिमों की पहचान और मापन में मदद करता है जिससे उपयुक्त जोखिम प्रबंधन रणनीतियां तैयार करने में मदद मिलती है. इसके अलावा बैंक में उसके आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम), निधि अंतरण मूल्य-निर्धारण (एफटीपी), लाभप्रदता प्रबंध और तरलता जोखिम प्रबंध आवश्यकताओं के लिए सुस्थापित वित्तीय विश्लेषण ऐप्लिकेशन भी कार्यान्वित किया है.

जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ

बैंक सभी परिचालनों और पोर्टफोलियो में जोखिमों के मूल्यांकन और प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न नीतियों और स्थापित प्रथाओं के संदर्भ में अपनी जोखिम समीक्षा प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करता है. बैंक के पास विभिन्न स्तरों पर जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को शामिल करने और लागू करने के लिए एक सुपरिभाषित नीति की रूपरेखा है जिन्हें वार्षिक रिपोर्ट के इस खंड में उल्लिखित उपायों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है.

बासेल मानदंडों का कार्यान्वयन

आपका बैंक बासेल-III ढांचे के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के पिलर-I दिशानिर्देशों के अनुपालन में ऋण, बाज़ार और परिचालनगत जोखिमों के लिए विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की मासिक आधार पर गणना करता है. इसके अलावा, भारत में बैंकों को 2.50% का पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) बनाए रखने के लिए अधिदेशित किया गया है. आपका बैंक मासिक आवधिकता पर जोखिम (भारित) आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के घट-बढ़ पर भी निगरानी रखता है. 31 मार्च 2024 को आपके बैंक का 'कुल पूंजी + सीसीबी' अनुपात 11.50 % की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 22.26 % रहा. इसी प्रकार, आपके बैंक का 'सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) + सीसीबी' अनुपात 8.00% की विनियामकीय अपेक्षा की तुलना में 20.11% रहा. 31 मार्च 2024 को आपके बैंक का 'टियर 1 + सीसीबी' अनुपात 9.50% की विनियामकीय अपेक्षा की तुलना में 20.11% रहा. 31 मार्च 2024 को आपके बैंक का लीवरेज अनुपात 3.50% की न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षा की तुलना में 8.53% रहा. आपके बैंक के पास बासेल III ढांचे के पिलर 2 मानदंडों के अनुरूप आंतरिक पूंजी पर्याप्तता अभिनिर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है. यह नीति बैंक को पिलर-I में शामिल नहीं या पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किए गए जोखिमों का आंतरिक रूप से आकलन करने और उनका परिमाण निर्धारित करने तथा साथ ही सामान्य एवं दबावग्रस्त स्थितियों में जोखिमों का प्रबंध करने और उन्हें कम करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां तैयार करने में समर्थ बनाती है. आपके बैंक ने रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, व्यापक दबाव परीक्षण की रूपरेखा कार्यान्वित की है. यह दबाव परीक्षण रूपरेखा आपके बैंक को असाधारण लेकिन संभाव्य घटनाक्रमों/परिदृश्य में अपने कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए उपयुक्त सक्रिय रणनीति बनाने में सक्षम बनाती है. दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क में परिदृश्य विश्लेषण, बहुघटकीय संवेदनशीलता विश्लेषण और प्रतिवर्ती दबाव परीक्षण को भी शामिल किया गया है. परिदृश्य विश्लेषण में बैंक की पूंजी और लाभप्रदता के संदर्भ में सकल एनपीए के और अधिक बढ़ने, अनर्जक आस्तियों (एनपीए) और तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले (टीडबल्यूओ) खातों में गैर-निधि आधारित सुविधाओं के क्रिस्टलीकरण और गैर तरल प्रतिभूतियों के प्रभाव का अध्ययन शामिल है. बैंक दबाव के स्तर का पता लगाने के लिए प्रतिवर्ती दबाव परीक्षण की व्यवस्था का उपयोग करता है जिसे पूर्वनिर्धारित न्यूनतम स्तर तक ले जाने के लिए बैंक की पूंजी और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. आपके बैंक ने बासेल मानदंडों के अंतर्गत पिलर 3 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटन नीति अपनाई है. तदनुसार प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर प्रकटनों को आपके बैंक की वेबसाइट पर रखा जाता है, जो उच्च स्तरीय पारदर्शिता प्रदर्शित करता है. आपके बैंक ने अपनी प्रतिष्ठा के संबंध में उत्पन्न जोखिमों और संबंधित परिणामों के साथ-साथ उन्हें नियंत्रित करने के उपायों के लिए जोखिमों का सक्रिय रूप से आकलन करने के लिए एक प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम आकलन और प्रबंध नीति भी बनाई है. आपके बैंक ने समूह स्तर पर समग्र जोखिम प्रोफाइल की निगरानी करने और उसे कम करने के लिए समूह जोखिम मूल्यांकन नीति भी लागू की है. आपका बैंक पूंजी प्रभार की गणना के लिए ऋण जोखिम के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है. आपका बैंक परिचालनगत जोखिम के लिए विनियामक पूंजी प्रभार की गणना हेतु मूलभूत सांकेतिक दृष्टिकोण (बीआईए) अपनाता है. आपका बैंक रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित परिचालन जोखिम पूंजी आवश्यकता के आकलन के लिए नए मानकीकृत दृष्टिकोण को लागू करने के लिए तैयार है. जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और प्रभावी नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कारोबार खंडों में प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) और जोखिम व नियंत्रण स्व-आकलन (आरसीएसए) की व्यापक रूपरेखा लागू की गई है. आपका बैंक बाज़ार जोखिम के लिए विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की गणना हेतु मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) अपनाता है.

ऋण जोखिम

आपके बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली में ऋण प्रस्तावों की क्रेडिट रेटिंग के लिए जोखिम मूल्यांकन मॉडल (आरएएम) और पूंजी पर्याप्तता निर्धारण

के स्वचालन के लिए पूंजी मूल्यांकन मॉडल (सीएएम) शामिल है. बैंक की ऋण नीति की बदलते कारोबारी उद्देश्यों तथा आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप आवधिक समीक्षा की जाती है और कारोबारी वर्टिकलों के लिए मार्गदर्शी साधन तैयार किए जाते हैं. बोर्ड द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) अन्य कार्यों के साथ-साथ ऋण नीति की रणनीतियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है और बैंक-व्यापी आधार पर ऋण जोखिम की निगरानी करती है. जोखिम मूल्यांकन मॉडल (आरएएम)/ स्कोर आधारित आंतरिक रेटिंग के अतिरिक्त, बैंक ने उच्च मूल्य वाले कॉरपोरेट और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को ऋणों के जोखिम वर्गीकरण के लिए मात्रात्मक जोखिम स्कोरिंग मैट्रिक्स (क्यूएसएम) भी विकसित किया है.

आपके बैंक ने कारोबारी उपयोगकर्ताओं के लिए उन्नत ऋण जोखिम मूल्यांकन एप्लिकेशन, अर्थात आईसीओएन (इंटेलिजेंट क्रेडिट ओरिजिनेशन) शुरू किया है. अद्यतन आईसीओएन एप्लिकेशन तेज, लचीला और अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है. इसमें कई नई विशेषताएं हैं जो सुचारू और कुशल आंतरिक रेटिंग और ऋण संबंधी निर्णय लेने में मदद करेगा.

आपके बैंक ने एक केंद्रीकृत मॉडल रिपोजिटरी सिस्टम (एमआरएस) विकसित किया है, जिसे जनवरी 2024 में शुरू किया गया था. एमआरएस दस्तावेज़ीकरण, समीक्षा, सत्यापन और करारों के निष्पादन के संबंध में वर्टिकलों को ई-प्लेटफॉर्म पर अपने संबंधित मॉडल की निगरानी करने में सक्षम बनायेगा.

बाज़ार जोखिम

आपके बैंक में कार्यों और कारोबारी स्थितियों के संदर्भ में बाज़ार जोखिम प्रबंधन, बाज़ार जोखिम एवं डेरिवेटिव नीति तथा निवेश नीति में परिभाषित नीतिगत ढांचे के अनुरूप परिचालित होता है. सामान्यतः ये नीतियां जोखिमों व अपवादों के मापन, निगरानी, रिपोर्टिंग तथा बढ़त के आकलन के लिए जोखिम वहन क्षमता के उपयुक्त स्तरों तथा कार्यान्वयन प्रणालियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं. इंटीग्रेटेड ट्रेजरी मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के कार्यान्वयन के साथ, आपके बैंक की बाज़ार जोखिम प्रबंधन प्रभावकारिता को और अधिक मजबूती मिली है. ट्रेजरी के मिड ऑफिस द्वारा सभी निर्धारित सीमाओं तथा प्रक्रियाओं की गहन निगरानी की जाती है जो ट्रेजरी के फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस से अलग है. ट्रेडिंग पोजीशन की निगरानी पोर्टफोलियो के साथ-साथ डीलर स्तर पर सीमाओं के आधार पर की जाती है. एक मजबूत गैर- सांविधिक चल निधि अनुपात (एनएसएलआर) बॉण्ड पोर्टफोलियो बनाने के लिए इन-हाउस स्तर पर आंतरिक रेटिंग आधारित मॉडल के विकास के माध्यम से गैर- सांविधिक चल निधि अनुपात (एनएसएलआर) बांडों का मूल्यांकन किया जाता है. बाज़ार जोखिम की निगरानी विभिन्न मेट्रिक्स और साधनों के माध्यम से की जाती है, जैसे स्थितियों की सीमाएं, अंतराल, संशोधित अवधि (एमडी), पीवी01, डे लाइट एक्सपोजर और नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन (एनओओपी). बैंक वैल्यू-एट-रिस्क (वीएआर) मेट्रिक्स और नियमित दबाव परीक्षण की मदद से भी जोखिम का आकलन करता है.

चलनिधि प्रबंधन

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति में किए गए उल्लेख के अनुसार सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंध ढाँचा है. बैंक की आस्ति-देयता प्रबंध समिति (एलको) व्यवसाय रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिम की निगरानी और प्रबंध करती है. चलनिधि विश्लेषण और प्रबंध सहित आस्ति-देयता प्रबंध (एएलएम) कार्यकलाप कार्यात्मक क्षेत्रों जैसे तुलन-पत्र प्रबंध, ट्रेजरी फ्रंट कार्यालय, बजट एवं आयोजना, आदि के अंतर्गत आने वाले विभिन्न आस्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) सहयोग समूहों के बीच समन्वय से संपन्न किए जाते हैं. आस्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) निर्देश तथा आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) निर्देश संबंधित कारोबारी समूहों और वर्टिकलों द्वारा कार्यान्वित किये जाते हैं. विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार 1 जनवरी 2017 से बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना दैनिक आधार पर की जाती है. 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंक का औसत चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) 119.84% रहा. आपके बैंक ने रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप 1 अक्तूबर 2021 से निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) को लागू किया है. यथा 31 मार्च 2024 को बैंक का निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) 118.87% था.

परिचालनगत जोखिम

आपके बैंक के पास एक सुदृढ़ परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा (ओआरएमएफ) है, इसकी एक संगठनात्मक व्यवस्था है जिसमें निदेशक मंडल, बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी), परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी), जोखिम प्रबंधन विभाग में परिचालन जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) अनुभाग तथा विभिन्न कार्यों/ विभागों के नोडल अधिकारी शामिल हैं. परिचालनगत जोखिम की परिचालन प्रक्रिया बोर्ड अनुमोदित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा निर्देशित है जिसका लक्ष्य बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े परिचालनगत जोखिमों की पहचान, निगरानी, आकलन तथा प्रबंधन करना है. आपके बैंक में विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलापों/ परिचालनों में अंतर्निहित जोखिमों को कम करने के लिए सशक्त आंतरिक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएं हैं. यह मुख्य जोखिम संकेतकों (केआरआई) तथा जोखिम नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) अभ्यासों के जरिए परिचालनगत जोखिमों का प्रबंधन करता है और इस संबंध में हुई प्रगति से परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) को आवधिक रूप से अवगत कराता है. पूरे बैंक से परिचालनगत जोखिम हानि की घटनाओं को समेकित किया जाता है और मूल कारणों के विश्लेषण के साथ परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) को प्रस्तुत किया जाता है.

आपका बैंक अर्जन और पूंजी पर दबावग्रस्त परिचालनगत जोखिम संबंधी हानियों के प्रभाव के अध्ययन के लिए तिमाही आधार पर दबाव परीक्षण कार्रवाई भी करता है. इसके साथ ही परिचालनगत जोखिम के लिए बोर्ड अनुमोदित जोखिम वहन सीमा में किसी उल्लंघन का मापन और रिपोर्टिंग भी की जाती है. वर्तमान में, बैंक ने परिचालनगत जोखिम विनियामकीय पूंजी और जोखिम

भारित आस्तियों की गणना के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है. साथ ही, बैंक बासेल III मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत परिचालन जोखिम विनियामक पूंजी गणना के लिए भी तैयार है, जो मौजूदा बीआईए की जगह लेगा. आपके बैंक ने सभी आंतरिक नीतियों, उत्पादों, मैनुअल और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को एक ही स्थान पर डिजिटल रूप से होस्ट करने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि समय पर अद्यतन किया जाये और कर्मचारियों के लिए सहज पहुंच सुनिश्चित हो.

कारोबार निरंतरता प्रबंधन

आपके बैंक के पास कारोबारी व्यवधानों को कम करने तथा जीवन के लिए जोखिम भरी घटनाओं का मुकाबला करने के लिए सुदृढ़ कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रक्रियाएं हैं. आपके बैंक को कारोबार निरंतरता प्रबंधन के बैंक व्यापी कवरेज के लिए आईएसओ 22301:2019 प्रमाणन प्राप्त हुआ है. कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) के एक भाग के रूप में मूल तथा सहायता कार्यों के लिए सुपरिभाषित कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) कार्यान्वित की गई है. इस योजना का उद्देश्य कारोबार व्यवधान/ आपदा की स्थिति में ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करना है. इसके अलावा आपदा के दौरान मानव जीवन की रक्षा करने और मूल्यवान आस्तियों के नुकसान को कम करने के लिए अपनी प्रमुख स्थापनाओं के लिए एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) भी लागू की गई है. इन कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) तथा आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) की आघात सहनशीलता का बीसीपी परीक्षण अभ्यास, संपूर्ण ड्रिल और मॉक इवैक्यूएशन ड्रिलों सहित आपदा बहाली के माध्यम से आवधिक परीक्षण किया जाता है. बैंक की कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली एक स्वचालित घटना रिपोर्टिंग टूल अर्थात् एकीकृत आपदा और कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (आई-डीएबी) से सुसज्जित है. ग्राहकों को महत्वपूर्ण सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, बैंक ने 'अयान बीसीपी' नामक एक मोबाइल आधारित एप्लिकेशन विकसित किया है, ताकि बाधित शाखाओं में तत्काल कार्य बहाल कर व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) लागू की जा सके.

सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम

आपके बैंक ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) जोखिम प्रबंधन तथा नियंत्रण को सशक्त करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं. आपके बैंक ने बैंक की प्रणालियों उच्च उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नवी मुंबई स्थित अपने डेटा केंद्र (डीसी) और चेन्नई स्थित आपदा रिकवरी (डीआर) साइट पर एक अत्याधुनिक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की है. यह 24X7 कार्यरत रहने वाला सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी), बैंक के ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के बैंक के उद्देश्य को पूरा करने के अलावा साइबर अपराधों से निपटने के लिए और बैंक की सूचना सुरक्षा नीति और साइबर सुरक्षा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक कमांड केंद्र के रूप में कार्य करता है. इसके अलावा, सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) के माध्यम से आपका बैंक केंद्रीकृत रूप से सुरक्षा साधनों जैसे फायरवाल्स, राऊटर्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम (आईडीएस) डिवाइस/ इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम (आईपीएस) डिवाइस, विशेषाधिकारकृत पहचान प्रबंध (पीआईएम), एंटीवायरस, फिशिंग/ मालवेयर प्रयासों आदि की निगरानी करता है और सुधारात्मक उपाय करता है. आपका बैंक बाह्य ऐप्लिकेशनों अर्थात् फिनेकल ई-बैंकिंग एप्लिकेशन (एफ़ईबीए), मोबाइल बैंकिंग, मेल मैसेजिंग आदि के लिए नियमित रूप से भेद्यता मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) करता है.

आपके बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों के संबंध में रिज़र्व बैंक की सिफ़ारिशों और बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक के साइबर सुरक्षा ढांचे को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है. आपके बैंक ने दिशानिर्देशों में अनुशंसित रूप में उपयुक्त संगठनात्मक ढांचा स्थापित किया है जिसमें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ), जो बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) को रिपोर्ट करते हैं, के नेतृत्व में एक अनन्य सूचना सुरक्षा समूह का गठन शामिल है.

आपके बैंक ने विशिष्ट सूचना सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना लागू की है जो साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का समाधान करने के लिए प्रबंधन के इरादे तथा दिशा को स्पष्ट करती हैं. आपका बैंक विभिन्न प्रकार के साइबर ड्रिल, टेबल टॉप अभ्यासों, फिशिंग सिमुलेशन अभ्यासों और अपने सूचना सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति की जांच करने और बनाए रखने के लिए उल्लंघन तैयारी (ब्रीच रेडिनेस) अभ्यास संचालित करता है और सहभागिता करता है.

सूचना सुरक्षा जागरूकता को बैंक के नए कर्मचारियों के लिए परिचय कार्यक्रम में एक अनिवार्य सत्र के रूप में शामिल किया गया है. बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) में आयोजित किए गए आईटी जोखिम कार्यक्रम में सहभागिता की. कर्मचारियों के लिए नियमित सूचना सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा, सुरक्षा भंग करने के प्रयासों को कम करने/ विफल करने के लिए मेल, एसएमएस, एटीएम और पोस्टरों के जरिए विभिन्न सूचना सुरक्षा सावधानियों के बारे में ग्राहकों को भी अवगत कराया जाता है. बैंक भारत सरकार के दिशा - निर्देशों के अनुसार प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को *'साइबर जागरूकता दिवस'* मनाता रहा है. इसके अलावा, बैंक ने चुनिंदा वेंडर समर्थित सहायक आउटसोर्स स्टाफ के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी हाइजिन कार्यक्रम भी आयोजित करता है.

आईटी की बुनियादी संरचना और प्रणाली को परिमीटर और एंड पॉइंट दोनों समाधानों सहित एक सशक्त सूचना सुरक्षा फ्रेमवर्क के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया है. आपके बैंक का डेटा सेंटर (डीसी), आपदा उद्धार केंद्र (डीआर) तथा नजदीकी डीआर केंद्र (एनडीआर) नवीनतम आईएसओ 27001: 2013 सूचना सुरक्षा मानकों के साथ प्रमाणित हैं. आपके बैंक का नजदीकी डीआर महत्वपूर्ण लेनदेन प्रणालियों के लिए शून्य डेटा हानि सुनिश्चित करता है. बैंक की सूचना सुरक्षा संचालन समिति (आईएसएससी) सूचना प्रणालियों में आईटी जोखिम को कम करने के लिए निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करती है तथा भेद्यता मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) / एप्लिकेशन सुरक्षा परीक्षण (एपसेक) प्रक्रिया के माध्यम से पहचानी गई टिप्पणियों की स्थिति पर दिशानिर्देश जारी करती है. साइबर सुरक्षा की दशा, विभिन्न सुरक्षा घटनाएं और नीतियां आवश्यक निर्देशों के लिए बोर्ड की आईटी रणनीति समिति

(आईटीएससीबी) के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं. नीतियों को आईटीएससीबी द्वारा अनुमोदन के लिए बोर्ड को अनुशंसित किया जाता है.

ग्राहक डेटा को सुरक्षित रखने, बाह्य आक्रमणों को रोकने तथा आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाने के लिए अनेक सूचना सुरक्षा समाधानों जैसे विशेषाधिकार प्राप्त पहचान सुविधा प्रबंधन, नेक्स्ट-जेनरेशन - फायरवाल समाधान, मोबाइल युक्ति प्रबंधन, हनीपॉट समाधान, पैच प्रबंधन समाधान, सक्रिय डायरेक्टरी, वेब/ मेल गेटवे, एंड पॉइंट एवं यूनिवर्सल सिरियल बस (यूएसबी) एनक्रिप्शन, डेटा लीकेज प्रिवेंशन (डीएलपी) सॉल्यूशन, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट (एपीटी), नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी), वेब-एप्लिकेशन फायरवाल (डब्ल्यूएएफ) आदि कार्यान्वित किए गए हैं.

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

आपके बैंक के पास एक समर्पित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समूह (एफआरएमजी) है जो विविध डिजिटल बैंकिंग प्लेटफार्म एवं अनुप्रयोगों में संदिग्ध लेनदेन की जोखिम-आधारित निगरानी पर ध्यान केंद्रित करता है. धोखाधड़ी का पता लगाने और वास्तविक समय पर रोकथाम के लिए, बैंक उच्च निष्पादन वाला उद्यम-व्यापी धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफआरएमएस) के अंतर्गत पहचान नियमों और पूर्वानुमानित विश्लेषणात्मक मॉडल को तैनात करता है.

जोखिम-आधारित संदिग्ध लेनदेन निगरानी गतिविधि जो 24x7 आधार पर संचालित होती है, को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) सहित सभी डिजिटल चैनल लेनदेनों को कवर करने के लिए व्यापक बना दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने संपूर्ण डिजिटल लेनदेन परिदृश्य को स्कैन करने के लिए निर्णय लेने के प्राधिकरण नियमों और सतर्क कतारों को उत्तरोत्तर कार्यान्वित किया है. यह तंत्र आपके बैंक के ग्राहकों को अधिक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में लेनदेन करने एवं उनको डिजिटल भुगतान करने के लिए सशक्त बनाता है.

जलवायु जोखिम प्रबंधन

बैंक ने अपने ऋण पोर्टफोलियो में जलवायु संबंधी जोखिमों का आकलन करके जलवायु जोखिम प्रबंधन को अपनी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में शामिल किया है. इसमें एक्सपोजरों की पहचान करना, संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करना एवं ऐसे पोर्टफोलियो की नियमित रूप से निगरानी करना शामिल है. बैंक की ऋण नीति पर्यावरणीय रूप से हानिकारक उद्योगों यथा ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन/ उपभोग करने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध लगाती है, जबकि संधारणीय वित्तपोषण को प्रोत्साहित करती है. बैंक के पास हरित जमाओं और वित्तपोषण फ्रेमवर्क के बारे में भी बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति है. बैंक सौर ऊर्जा/ निवास के लिए सौर पैनल, संपीड़ित बायो गैस, वाणिज्यिक/ यात्री इलेक्ट्रिक वाहन, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों को ऋण देकर नवीकरणीय ऊर्जा के वित्तपोषण को भी प्रोत्साहित करता है. बैंक की आंतरिक रेटिंग प्रणाली उधारकर्ता के ऋण जोखिम मूल्यांकन के एक हिस्से के रूप में पर्यावरणीय जोखिमों को भी रेखांकित करती है. बैंक की सुपरिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति यह मानती है कि जलवायु जोखिम का अध्ययन बैंक द्वारा सामना किये जा रहे महत्वपूर्ण जोखिमों में से एक के रूप में किया जाना चाहिए. बैंक अपने एक्स्पोज़र में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों का आकलन करने के लिए कथन संचालित(नैरेटिव-ड्रिवन) परिदृश्य विश्लेषण विकसित करने की प्रक्रिया में है. आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण के एक भाग के रूप में, बैंक अपने कृषि और आवासीय स्थावर संपदा पोर्टफोलियो के लिए मध्यावधि में भौतिक जोखिम का आकलन कर रहा है.

उभरते जोखिम

बैंक जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा खतरों और निकट अवधि में अन्य उभरते जोखिमों की पहचान करता है और ऐसे जोखिमों से निपटने के लिए सक्रिय उपाय करने के प्रयास करता है. जलवायु जोखिम बैंक की आस्ति, ऋण एवं परिचालन के लिए केवल खतरे ही उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि धारणीय परियोजनाओं में अवसर भी उपलब्ध कराता है.

सूचना सुरक्षा जोखिम ग्राहक डेटा और वित्तीय समग्रता की सुरक्षा के लिए सशक्त साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल और निरंतर निगरानी की मांग करता है. साइबर सुरक्षा, बाह्य प्रमाणन/ सत्यापन आदि कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र है जिनकी बैंक द्वारा निरंतर निगरानी की जाती है.

अपने परिचालनों में जलवायु जोखिम प्रबंधन और साइबर सुरक्षा उपायों को एकीकृत करके बैंक न केवल संभावित प्रभावों को कम करता है बल्कि वीयूसीए (अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता) की दुनिया में संधारणीयता और ग्राहक विश्वास की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित करता है.

प्रबंधन, नियंत्रण और प्रणालियाँ

मानव संसाधन

आपका बैंक हमेशा अपने कर्मचारियों को उत्कृष्टता प्रदान करने और उनकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक स्फूर्तिपूर्ण और भविष्य के लिए तैयार संगठनात्मक वातावरण बनाने के लिए प्रेरित रहा है.

विभिन्न कारोबारी चुनौतियों को कम करते हुए, आपके बैंक ने रणनीति, संरचना, प्रणाली और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. कर्मचारी अनुभव को पुनः व्यवस्थित करने का प्रयास हमेशा ऐसे सभी रणनीतिक हस्तक्षेपों के केंद्र में रहा है. हमेशा एक ऐसी संस्कृति बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो बाजार और कर्मचारी उन्मुखीकरण का मिश्रण हो.

ज्ञानार्जन और कर्मचारी सहभागिता विभाग

आईडीबीआई ज्ञानार्जन पारिस्थितिकी तंत्र: सीखने में निवेश करें और बदलाव लाएं

आपका बैंक पेशेवर उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए ज्ञानार्जन और कर्मचारी सहभागिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कर्मचारी विकास के लिए प्रतिबद्ध है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपके बैंक ने ज्ञानार्जन और कर्मचारी

सहभागिता विभाग को मजबूत करने और ज्ञानार्जन कार्यक्रमों को बैंक के दृष्टिकोण, मिशन और लक्ष्यों के साथ समन्वित करने के लिए कई पहल-कार्य किए हैं. समग्र कर्मचारी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंचल और वर्टिकल विशिष्ट ज्ञानार्जन की अपेक्षाओं के आधार पर जरूरत के अनुसार व्यवहार एवं कार्यात्मक कार्यक्रम सतर्कतापूर्वक डिजाइन किए गए. ये कार्यक्रम बैंक के प्रधान कार्यालय, मुंबई, आईडीबीआई प्रशिक्षण कॉलेज, हैदराबाद और देशभर के आईडीबीआई प्रशिक्षण केंद्रों (आईएलसी) में संचालित किए गये.

आरोहण 2: उत्कृष्टता की ओर हमारी यात्रा- ग्राहक अनुभव, कर्मचारी सहभागिता और सकारात्मक कार्य संस्कृति पर केंद्रित एक व्यापक व्यवहार विज्ञान का कार्यक्रम

आपका बैंक सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व को स्वीकार करता है जहां कर्मचारी एक टीम के रूप में कार्य करते हैं, निरंतर नए कौशल सीखते हैं और ग्राहकों के जीवन पर सार्थक प्रभाव डालने के लिए अतिरिक्त प्रयास करके ग्राहक अनुभव को समृद्ध करने के लिए सक्रिय रूप से पहलकार्य करते हैं. इस भावना को स्थापित करने के लिए, एक आंतरिक जन व्यवहार विज्ञान पर कार्यक्रम विकसित किया गया है, जो बैंक के मुख्य मूल्यों - ग्राहक से जुड़ना, पहल करना और बदलाव लाना, कार्य संस्कृति को अपनाना तथा विकसित होते 'हैप्पीनेस ट्री' की नई अवधारणा 'बदलावों के साथ रूपांतरण' पर केंद्रित है.

वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्रेड 'डी' तक के 14,558 कर्मचारियों (पात्र कर्मचारियों का 94%) को कवर करते हुए कुल 515 कार्यक्रम संचालित किए गए.

क्षमता निर्माण: नींव को मजबूती प्रदान करना

(i) ***शाखा में विभिन्न भूमिकाओं के लिए भूमिका आधारित कार्यशालाएँ***

आपके बैंक ने शाखा प्रमुखों, आस्ति अधिकारियों, सेवा और परिचालन प्रबंधकों, संबंध प्रबंधकों, ग्राहक सेवा एग्जीक्यूटिव एवं टेलर सेवा एग्जीक्यूटिव सहित शाखाओं में विभिन्न पदों के लिए भूमिका-आधारित कार्यशालाएँ शुरू की हैं. इन कार्यशालाओं में व्यापक तौर पर कार्य संबंधी और व्यवहार संबद्ध सत्रों को कवर करने के साथ ही अनुपालन, नियंत्रण और नैतिक मूल्यों पर बल दिया. इसका उद्देश्य ज्ञान एवं कौशल संबंधी अंतर को खत्म करते हुए कर्मचारियों में आत्मविश्वास विकसित करना ताकि वे नई या मौजूदा भूमिकाओं का निर्वहन कर सकें.

वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न अंचलों में 4,070 प्रतिभागियों को कवर करते हुए कुल 260 भूमिका-आधारित कार्यशालाएँ संचालित की गईं.

(ii) ***ऑनलाइन कैप्सूल कार्यक्रम - एमएसएमई एवं कृषि ज्ञानशाला और केवाईसी उत्कृष्टता अभियान***

आपके बैंक ने एमएसएमई और कृषि जैसे विशेषीकृत क्षेत्रों में कर्मचारियों के विकास के लिए ऑनलाइन कैप्सूल कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास शुरू किए हैं. ये कार्यक्रम कारोबारी समय के बाद कर्मचारियों के डेस्क तक पहुँचकर संचालित किए जाते हैं. इसका लक्ष्य व्यक्तिगत कर्मचारियों के स्थान पर शाखा को लक्षित करना है, कार्यक्रमों में शाखा की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इनका संचालन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग के माध्यम से किया जाता है. वित्तीय वर्ष 2023-24 में, एमएसएमई ज्ञानशाला, कृषि ज्ञानशाला और केवाईसी उत्कृष्टता अभियान पर 234 ऑनलाइन कैप्सूल कार्यक्रम संचालित किए गए हैं और 4,193 कर्मचारियों ने इनमें सहभागिता की.

अनुपालन संस्कृति का विकास करना - अनुपालन, नियंत्रण एवं नैतिकता (सीसीई) पर समर्पित कार्यक्रम

आपके बैंक ने अनुपालन, नियंत्रण और नैतिकता पर अनन्य रूप से एक विशिष्ट कार्यक्रम संचालित किया, जिसमें 85 आंचलिक परिचालन प्रबंधकों और क्षेत्रीय परिचालन प्रबंधकों (पात्र कर्मचारियों का 94%) द्वारा सहभागिता की गई. शीर्ष प्रबंधन के मार्गदर्शन में इस पहल का उद्देश्य दैनिक कार्य के अभिन्न अंग के रूप में अनुपालन की संस्कृति को स्थापित करना है. इसके अतिरिक्त, कार्यात्मक कार्यक्रमों में अनुपालन, नियंत्रण और नैतिकता पर समर्पित सत्रों को शामिल किया गया है.

कारोबारी उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) के अनुसार ज्ञानार्जन कार्यक्रम:

(i) ***पर्यावरण, समाज और अभिशासन (ईएसजी) पर कार्यक्रम***

संगठनों द्वारा ईएसजी-अंगीकरण प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की पेशकश करता है, निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ाता है, जोखिम प्रबंधन एवं समृद्ध पारदर्शिता के लिए विनियमकों से प्रशंसा प्राप्त करता है, ग्राहक निष्ठा का निर्माण, वित्तीय प्रदर्शन को बेहतर बनाता है और परिचालनगत संधारणीयता को बढ़ावा देता है. ईएसजी के अंगीकरण को महत्त्वपूर्ण स्तरों तक संचालन के लिए, आपके बैंक ने निदेशकों का संस्थान के सहयोग से बोर्ड के सदस्यों, शीर्ष कार्यपालकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए पर्यावरण, समाज और अभिशासन (ईएसजी) पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया.

अन्य कर्मचारियों में ईएसजी के महत्त्व एवं कार्यान्वयन के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए, उन्हें एक ई-लर्निंग मॉड्यूल सौंपा गया है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में इसे 93% कर्मचारियों द्वारा पूरा कर लिया गया है.

(ii) ***अधीनस्थ और लिपिक कर्मचारियों के लिए कल्याण कार्यक्रम एवं मानवाधिकार जागरूकता***

आपके बैंक ने विभिन्न अंचलों में अधीनस्थ कर्मचारियों एवं लिपिक कर्मचारियों के लिए कल्याण और मानवाधिकार जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया है और अपने 88% कर्मचारियों को कवर किया है.

आईएसबी, हैदराबाद में वरिष्ठ प्रबंधन के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम

कौशल सेट को समृद्ध करने, परिवर्तन के लिए अनुकूलनशीलता को बढ़ावा देने, रणनीतिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, उत्तराधिकार योजना में मदद करने, और नवीनतम रूझानों के संबंध में जानकारी उपलब्ध करने के क्रम में, आपके बैंक ने आईएसबी, हैदराबाद में वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 53 वरिष्ठ अधिकारियों ने सहभागिता की.

युवा प्रतिभा का पोषण, संस्थागत टाई-अप कार्यक्रमों एवं परिचय कार्यक्रमों की समीक्षा की गई

भावी नेतृत्वकर्ताओं का विकास करना आपके बैंक के लिए हमेशा से एक प्राथमिकता रही है. उनके ऑन-बोर्डिंग अनुभव को समृद्ध करने, उनकी दक्षताओं को निखारने, उन्हें बैंक की कार्य संस्कृति, विकास के अवसरों, उनकी भूमिकाओं एवं अपेक्षाओं आदि से अवगत कराने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रखने के लिए सहायक प्रबंधकों एवं पार्श्व भर्ती कार्मिकों के लिए संस्थागत टाई-अप कार्यक्रमों और परिचय कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है.

विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम

संबंधित क्षेत्रों में कर्मचारियों के एक्सपोजर और विशेषज्ञता को व्यापक बनाने के लिए, आपके बैंक ने विदेशी प्रशिक्षण/ सेमिनार के लिए 8 पात्र कर्मचारियों को नामांकित किया है.

विशिष्ट बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

आपके बैंक ने जोखिम एवं अनुपालन, सूचना प्रौद्योगिकी, ऋण, ट्रेजरी आदि जैसे विभिन्न डोमेन में उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाह्य संस्थानों/ संकाय के सहयोग से 733 चयनित कर्मचारियों के लिए विशिष्ट बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की है.

सहयोगात्मक ज्ञानार्जन - स्थान आधारित सुविधा कार्यक्रम

आपके बैंक ने नजदीकी शाखा समूहों की सामूहिक चिंताओं पर आधारित अनुकूलित कार्यक्रम विकसित करके स्थान सुविधा कार्यक्रम नामक एक नए दृष्टिकोण पर काम किया है. ये कार्यक्रम दैनिक कार्यों में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करते हुए शाम को शाखा स्थानों पर सुविधा प्रदाताओं द्वारा संचालित किए जाते हैं.

कारोबार एवं अनुपालन के साथ साझेदारी - वर्टिकल आवश्यकता-आधारित कार्यक्रम

आपका बैंक अपने कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है. विभिन्न वर्टिकलों की आवश्यकताओं के अनुरूप, आंतरिक और बाह्य दोनों ही विशेषज्ञताओं का लाभ उठाते हुए, 1,604 प्रतिभागियों को कवर करते हुए 63 अनन्य कार्यक्रमों का संचालन किया गया. इसमें ट्रेजरी, ऋण, लेखा परीक्षा, रिटेल, परिचालन और अन्य आवश्यक क्षेत्रों के लिए प्रमुख पहल शामिल हैं.

अनिवार्य ज्ञानार्जन कार्यक्रमों का डिजिटलीकरण

कर्मचारियों को सुविधा और उन्हें आसान पहुंच प्रदान करने के लिए विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य कार्यक्रमों को ई-लर्निंग मॉड्यूल के अंतर्गत विकसित किया गया है. इस दृष्टिकोण ने सभी कर्मचारियों द्वारा उच्चतर पूर्णता प्रतिशत के साथ अच्छे परिणाम दिए हैं. अनुपालन एवं ग्राहक सेवा, जिस पर विशेष फोकस रहा है, संबंधी मॉड्यूल को ग्रेड एफ तक के 98% पात्र कर्मचारियों द्वारा पूरा कर लिया गया है.

ओजस (ई-लर्निंग) मॉड्यूल को अद्यतन करना

कर्मचारियों को नवीनतम घटनाओं, बैंक के दिशानिर्देशों, योजनाओं एवं प्रक्रियाओं तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करने के क्रम में, आपके बैंक ने ई-लर्निंग मॉड्यूल को अद्यतित करने के प्रयास किए हैं. इन मॉड्यूल्स को मोबाइल फोन सहित ऑनलाइन माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है.

अन्य बैंकों/ एनबीएफसी के लिए ज्ञानार्जन कार्यक्रमों का आयोजन

आपके बैंक ने विभिन्न क्षेत्रों में, आंतरिक और बाह्य विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए अन्य बैंकों के लिए 30 ऑफलाइन/ वर्चुअल ज्ञानार्जन कार्यक्रमों का संचालन किया है. यह पहल अन्य संस्थानों के साथ संपर्क बनाने और पारस्परिक लाभ हेतु भविष्य में सहयोग सुनिश्चित करने में मदद करता है.

कर्मचारी सहभागिता के लिए ज्ञानार्जन गतिविधियां

निरंतर ज्ञानार्जन की आदत को विकसित करने के लिए, आपके बैंक ने शाखाओं, क्षेत्रों, अंचलों एवं वर्टिकलों में कर्मचारियों के ज्ञान को अद्यतित करने और उन्हें नए कौशल सिखाने के लिए विभिन्न कर्मचारी सहभागिता गतिविधियां जैसे- *'ज्ञानार्जन बुधवार'* नामक एक समर्पित दिन, *'आईडीबीआई ज्ञान कप'*- एक बैंक स्तरीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, जिसके पहले चरण में 76 क्षेत्रों की टीमों ने भाग लिया, विजेता टीम दूसरे चरण में पहुंची और अंतिम चरण अंचल विजेताओं के मध्य आयोजित किया गया, *'अनुपालन पर रेपिड फायर'*- यह आईएलसी और आईडीबीआई टीसी में सभी कार्यात्मक कार्यक्रमों के अंतिम दिन संचालित किया गया था. इस सहयोगी ज्ञानार्जन दृष्टिकोण से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं.

ई-प्रकाशनों के माध्यम से ज्ञान को अद्यतन करना

बैंक की योजनाओं, प्रक्रियाओं एवं दिशानिर्देशों पर ज्ञान को अद्यतित करने और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, वैश्विक अर्थव्यवस्था, विनियामक दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता बढ़ाने आदि के लिए आपके बैंक ने आंतरिक ई-प्रकाशनों को विकसित किया है और ज्ञान के अद्यतन के लिए इंट्रानेट पर *'क्यूबैंक'* अपलोड किया है जो ज्ञान अद्यतन करने के लिए प्रश्न बैंक है और जिस पर इस वर्ष के दौरान 15,182 कर्मचारियों द्वारा विजिट किया गया और *'जीके+'* अर्थव्यवस्था, विनियामक दिशानिर्देशों और हमारे आस-पास की दुनिया संबंधी जागरूकता के लिए बनाया गया है.

मानव संसाधन की तैनाती

कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक और सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके बैंक के पास एक सुदृढ़ मानव संसाधन तैनाती की व्यवस्था है. यह प्लेसमेंट व्यापक और विविध परिचालन क्षेत्रों में अनुभव के माध्यम से अधिकारियों की क्षमताओं और कौशल को विकसित करने के लिए किया जा रहा है. यह कार्य क्षमता निर्माण ढांचे के माध्यम से भी किया जाता है जिसमें ज्ञान उन्नयन और मौजूदा कौशल सेटों में वृद्धि के जरिए विशेष हस्तक्षेप के द्वारा व्यक्तिगत कौशलों में इष्टतम वृद्धि की परिकल्पना की गई है. इसके अतिरिक्त, संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों सहित अधिकारियों का स्थानांतरण अधिकारियों का आवर्तन और स्थानांतरण नीति में प्रदान किए गए फ्रेमवर्क के अनुसार किया जाता है.

कर्मचारी हितलाभ एवं कल्याण

आपके बैंक ने कर्मचारी अनुभव को समृद्ध बनाया है जो उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने में सहायता करता है, उन्हें अपने कार्य क्षेत्रों में अधिकाधिक ध्यान केंद्रित करने में और अपने कार्य में संबद्धता, दक्षता और पूर्णता की भावना महसूस करने में मदद करता है. आपके बैंक ने कर्मचारियों से संबंधित सभी नीतियां एवं प्रक्रियाएं 'मानव केन्द्रित' दृष्टिकोण के साथ तैयार की हैं.

स्वास्थ्य एवं कल्याण

आपका बैंक अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें अस्पताल में भर्ती की सुविधा, घरेलू उपचार पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति, व्यापक स्वास्थ्य जांच, प्रमुख केंद्रों पर बैंक चिकित्सा अधिकारी की सेवाएं आदि शामिल हैं. अपने कर्मचारियों के भावनात्मक कल्याण की देखभाल के लिए आपके बैंक ने कर्मचारी कल्याण और सहायक कार्यक्रम, अर्थात् आई-केयर, की शुरुआत की है जिसमें कर्मचारी प्रशिक्षित विशेषज्ञ सलाहकारों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

वित्तीय सहायता

आपका बैंक सुलभ ब्याज दरों और चुकौती के रियायती शर्तों पर ऋण और अग्रिम प्रदान करता है, जो अपने कर्मचारियों को अपने सपने साकार करने के लिए अपने सपनों का घर/ कार खरीदने में सक्षम बनाता है. इसमें सेवानिवृत्ति की आयु के बाद भी आवास ऋणों को आगे बढ़ाने का प्रावधान रहता है.

कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति (अजा)/ अनुसूचित जनजाति (अजजा) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले श्रेणी III एवं IV के कर्मचारियों के बच्चों के लिए डॉ. बी.आर. अम्बेडकर छात्रवृत्ति प्रदान किया.

अनुकंपा योजनाएँ

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए, आपके बैंक की परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति/ वित्तीय सहायता के लिए अनुग्रह राशि प्रदान करने हेतु योजनाएँ हैं. सभी कर्मचारियों को जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है तथा बेजमानती ओवर ड्राफ्ट की सुविधा सहित सभी बकाया स्टाफ ऋणों को बीमा योजनाओं के अंतर्गत कवर किया जाता है.

विधिक एवं वित्तीय सहायता

आपके बैंक ने अपने निदेशकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को वित्तीय एवं विधिक सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई है तथा एक निदेशक एवं अधिकारी देयता बीमा पॉलिसी (डी एंड ओ पॉलिसी) भी ली है.

औद्योगिक संबंध

आपके बैंक में वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध का वातावरण सामान्यतः मैत्रीपूर्ण रहा है तथा अधिकांश समस्याओं का समाधान सौहार्दपूर्ण रूप से कर लिया गया है. अपने कर्मचारियों की शिकायतों को समझने और उनका समाधान निकालने हेतु प्रलक्षित संवाद स्थापित करने के अपने प्रयासों के तौर पर बैंक संघों और यूनियनों के साथ बैठकें करता है. यूनियन और संघ भी विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए प्रतिक्रियाशील और सक्रिय रहे हैं.

विविधता और समावेशन

आपके बैंक ने कार्यबल में विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे हैं. पिछले वर्ष की तुलना में महिला कर्मचारियों के अनुपात में सुधार आया है. आपके बैंक ने दिव्यांग जन की भर्ती करना और आरक्षण पर लागू दिशानिर्देशों का पालन करना जारी रखा है. 31 मार्च 2024 को बैंक की कुल श्रमशक्ति संख्या में अनुसूचित जाति (अजा)/ अनुसूचित जनजाति (अजजा)/ अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आरूकव) का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार था:

ग्रेड	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
अधिकारी	2,417	993	4,268	255
एक्जीक्यूटिव	304	124	677	234
लिपिकीय	42	19	42	0
अधीनस्थ	96	31	79	0
कुल	**2,859**	**1,167**	**5,066**	**489**

उत्तराधिकार नियोजन नीति (एसपीपी)

आपके बैंक ने कार्यपालक निदेशकों और मुख्य महा प्रबंधकों के महत्वपूर्ण वरिष्ठ पदों पर उत्तराधिकार योजना आरंभ की है. यह नीति वरिष्ठ पदों के लिए लीडरशिप प्रक्रिया के सृजन के लिए समग्र ढांचा उपलब्ध कराती है ताकि जब चिन्हित महत्वपूर्ण पद खाली हो तो कारोबार निरंतरता सुनिश्चित की जा सके.

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच)

बैंक ने अवांछनीय घटना के घटित होने पर पीड़ित महिला को तुरंत सहायता देने और तत्काल अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से प्रभावित महिला की शिकायत सीधे आन्तरिक समिति के सदस्यों के पास दर्ज कराने के लिए ई-मेल आधारित शिकायत प्रणाली कार्यान्वित की है.

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण,निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

बैंक ने सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण कार्य वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण को सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण,निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के निपटान के लिए दो आंतरिक शिकायत समितियां बनाई हैं. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आपके बैंक को इस संबंध में 9 (नौ) शिकायतें प्राप्त हुई, जिस पर संबंधित आंतरिक समितियों द्वारा संज्ञान लिया गया. 31 मार्च 2024 को 3 (तीन) शिकायतों पर निर्णय लंबित था.

कार्य-निष्पादन प्रबंधन प्रणाली

आपके बैंक ने कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन को संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखित करने, इसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने और कार्य-निष्पादन एवं अनुपालन केंद्रित संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक कार्य-निष्पादन आकलन प्रणाली, अर्थात् आईडीबीआई कार्य-निष्पादन मूल्यांकन एवं निरंतर मूल्यांकन प्रणाली (आईपेस) कार्यान्वित की है. आईपेस में एकरूप भार सहित समान भूमिकाओं और अधिकांश मापने योग्य केआरए के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली/ डैशबोर्ड लिंकेज वाला मानकीकृत मुख्य परिणाम क्षेत्र (केआरए) शामिल है.

भर्ती और स्टाफिंग

अपने विकास पथ के अनुरूप, बैंक बहुआयामी प्रतिभा अधिग्रहण कार्यनीति के साथ युवा कार्यबल का निर्माण कर रहा है, जिसमें कैंपस संबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से युवा प्रतिभाओं को शामिल करना, प्रशिक्षित अधिकारी प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहभागिता एवं प्रत्यक्ष भर्ती करना शामिल है. संगठनात्मक विकास के लिए अभीष्ट गुणवत्ता और कौशल सेट के साथ प्रतिभा को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विभिन्न ग्रेड में 2,809 व्यक्तियों की भर्ती की,जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

ग्रेड	कुल
डीएमडी	1
ग्रेड ए (सहायक प्रबंधक)	1,549
ग्रेड बी (प्रबंधक)	53
ग्रेड सी (सहायक महाप्रबंधक)	44
ग्रेड डी (उप महाप्रबंधक)	5
ग्रेड ई (महाप्रबंधक)	3
ग्रेड एफ (मुख्य महाप्रबंधक)	1
ग्रेड जी (कार्यपालक निदेशक)	1
संविदागत एक्जीक्यूटिव	1,149
लिपिकीय #	3
कुल*	**2,809**

** उपर्युक्त डेटा में सलाहकार (संविदा पर) और मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी शामिल नहीं हैं.*
 # अनुकंपा नियुक्तियाँ

31 मार्च 2024 को आपके बैंक के पास कुल स्टाफ संख्या 19,013 थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	कुल
अधिकारी	16,341
एक्जीक्यूटिव (बिक्री एवं परिचालन)	1,951
लिपिकीय	341
अधीनस्थ	380
कुल*	**19,013**

**गणना में संविदागत कर्मचारी शामिल है*

व्यावसायिक विकास

बैंकिंग के विभिन्न पहलुओं यथा खुदरा, कॉरपोरेट, व्यापार वित्त, ट्रेजरी, सरकारी व्यवसाय आदि के साथ-साथ बिक्री, परिचालन और सहायक कार्य में अवसर कर्मचारियों को एक पूर्ण बैंकर के रूप में उनके सर्वांगीण विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएँ प्रदान करता है. युवा कर्मचारी ज्ञानार्जन पर अपेक्षाकृत अधिक बल देते हैं क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं. आपका बैंक पुनर्कौशल/ भविष्य कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है और निरंतर ज्ञानार्जन को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत आपका बैंक संबंधित क्षेत्रों में पाठ्यक्रम शुल्क/ दूरस्थ शिक्षा/ प्रमाणन प्रायोजित कर रहा है.

नैतिकता एवं अनुपालन

आपके बैंक ने पूरे बैंक में नैतिक और अनुपालन संस्कृति का प्रचार सुनिश्चित करने के लिए मुख्य नैतिकता अधिकारी/ अंचल नैतिकता अधिकारी की अवधारणा शुरू की है.

प्रशासन और बुनियादी संरचना प्रबंधन

आपके बैंक ने शाखाओं और विभिन्न अंचलों का स्थानांतरण और बड़ा नवीनीकरण पूरा किया है. आपके बैंक ने चौदह राज्यों के लिए व्यावसायिक कर भुगतान का केंद्रीकरण पूरा कर लिया है. आपके बैंक ने प्रक्रिया प्रवाह में टर्नअराउंड समय और दक्षता में सुधार लाने के क्रम में पेपरलेस विजिटर पास प्रणाली, कर्मचारी शिक्षा ऋण के आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल, डोरमिटरी का आबंटन, कर्मचारी-संबंधी भुगतान जैसे विविध क्षेत्रों का स्वचालन पूरा किया है.

आंतरिक लेखापरीक्षा

आपके बैंक का एक समर्पित आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जो आंतरिक नीतियों, प्रक्रियाओं और विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन का मूल्यांकन करता है और साथ ही यह बैंक के भीतर आंतरिक नियंत्रणों, जोखिम प्रबंधन और अभिशासन की प्रभाविकता सुनिश्चित करता है और उक्त में सुधार हेतु सुझाव देता है. अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखाओं और गैर शाखा क्षेत्रों में फैले बैंक के सभी कारोबारी एवं सहायक वर्टिकलों को कवर कर लेखापरीक्षा कार्यकलाप में जोखिम आधारित दृष्टिकोण और लेखापरीक्षा गतिविधियों को अपनाया है. जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा फ्रेमवर्क की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है और इसमें संशोधन किया जाता है ताकि इसे बदलते कारोबारी वातावरण के साथ संरेखित किया जा सके और एक सख्त अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा भी दिया जा सके. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के दिशानिर्देशों तथा देख-रेख में कार्य करता है.

बैंक के लेखा परीक्षा के कार्य (i) जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति; (ii) समवर्ती लेखापरीक्षा नीति; और (iii) सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा नीति द्वारा अभिशासित हैं. जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के हिस्से के रूप में लेखापरीक्षा विभाग विभिन्न प्रकार के लेखापरीक्षा अर्थात् शाखा लेखापरीक्षा, अंचलों और क्षेत्रों की प्रबंधन लेखापरीक्षा, ऋण लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा आदि का आयोजन करता है. सामान्य लेखापरीक्षाओं के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा विभाग औचक लेखापरीक्षा, गतिशील लेखापरीक्षा, स्नैप लेखापरीक्षा, विषयगत लेखापरीक्षा आदि करता है ताकि आंतरिक नियंत्रण तंत्र की सशक्तता सुनिश्चित की जा सके. शाखा लेखापरीक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने तथा प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक अंचल लेखापरीक्षा कार्यालय (जेडएओ) संरचना बनाई गई है. लेखापरीक्षा गतिविधियों को एक वेब आधारित एप्लिकेशन-लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली के जरिये संपन्न किया जाता है, जिसे लेखापरीक्षित इकाइयों के संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालनों की निगरानी हेतु तत्काल आधार पर उपयोग किया जाता है. इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (i) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति के तहत धोखाधड़ी निगरानी (ii) कर्मचारी जवाबदेही नीति के तहत कर्मचारी जवाबदेही (iii) लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट, और (iv) वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी कार्य का भी प्रबंध करता है.

लेखापरीक्षा कार्य के लिए उपयुक्त रूप से योग्य और कुशल मानव संसाधन की तैनाती की है, जो जहां भी उचित समझा जाए, परिचालनगत, वित्तीय और विनियामक जोखिमों, आदि को कम करने के लिए सक्रिय रूप से प्रक्रियाओं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की सिफारिशें करता है और प्रबंधन को सुधारात्मक कार्रवाइयों के लिए समय पर प्रतिक्रिया देता है.

लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर)

लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) को अंतिम रूप देने के लिए लेखापरीक्षा विभाग बैंक की शाखाओं द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को संकलित कर बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) के साथ साझा करता रहा है. बैंक की शाखाओं द्वारा एलएफ़एआर पर्यवेक्षणों और इसके अनुपालन प्रस्तुति की जानकारी/ डेटा दर्ज करने और एससीए द्वारा उपयोग के लिए समेकित रिपोर्ट जेनरेट करने हेतु एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है. लेखापरीक्षा विभाग एससीए द्वारा एलएफएआर में किए गए पर्यवेक्षणों के समय पर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों/कार्यक्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करता है. एलएफएआर मॉड्यूल को अपेक्षाकृत अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने के लिए इसमें संवर्द्धन किया गया है. बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, एलएफएआर पर्यवेक्षणों की संख्या को कम करने के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं और प्रणालियों में बदलाव का सुझाव देने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया गया था. समिति की सिफारिशों के आधार पर एलएफएआर पर्यवेक्षणों की संख्या को कम करने के लिए प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई है. एलएफएआर पर्यवेक्षणों का अधिकतम अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अंचलों के साथ बैठकें सहित अंतर-वर्टिकल बैठकें आयोजित की गईं.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (इफको-एफआर)

लेखा परीक्षा विभाग, (i) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता; और (ii) ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावशीलता, इसके साथ ही सभी सक्रिय मुद्दों को समय पर और प्रभावी रूप से बंद करना सुनिश्चित करने के संबंध में सत्यापन के लिए नियुक्त किए गए बाहरी परामर्शदाता द्वारा जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स की पहचान करने और उसका परीक्षण करने में समन्वय व पर्यवेक्षण भी करता है. संबंधित कारोबारी कार्यों को सक्रिय करने के लिए निरंतर अभ्यास किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी खुले मुद्दों को बंद करने के प्रयास के अंतर्गत नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं.

कवरेज बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं में परिवर्तन और एससीए के सुझावों के आधार पर जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स (आरसीएम) की आवधिक समीक्षा की जाती है और अद्यतन किया जाता है. आरसीएम को सत्यापित करने के लिए सलाहकार को हर तिमाही में देश भर में विभिन्न स्थानों पर स्थित कुछ शाखाओं, खुदरा आस्ति केंद्रों और व्यापार वित्त केंद्रों का दौरा करने की सलाह दी गई है.

सूचना प्रणाली (आईएस) की लेखापरीक्षा

बैंक की सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा कार्यकलाप में एप्लिकेशन सिस्टम, आईटी बुनियादी संरचना, बाहरी विक्रेताओं, नीति एवं प्रक्रिया समीक्षा और शाखा लेखापरीक्षा सहित लेखापरीक्षाओं की एक व्यापक शृंखला को शामिल करते हुए बैंक की आईटी आस्तियों की अखंडता, गोपनीयता और उपलब्धता को सुनिश्चित करने में एक अहम भूमिका निभाती है. आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए 'लेखा परीक्षा कार्य के स्वतंत्र आश्वासन' पर बैंक का आईएस लेखा परीक्षा प्रबंधन तथा विनियामक दोनों को आश्वासन प्रदान करता है. आवधिक आधार पर गुणवत्ता आश्वासन समीक्षाओं के माध्यम से बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य की प्रभावशीलता और दक्षता को मान्य किया जाता है, जो सशक्त अभिशासन कार्यप्रणालियों के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है. बैंक ने उभरते खतरों और विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए इसकी व्यापक आईएस लेखा परीक्षा नीति को अद्यतित किया है.

उभरती प्रौद्योगिकियों, सूचना सुरक्षा की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देशों/सलाहों/परिपत्रों के बारे में आईएस लेखा परीक्षकों को अद्यतित करने के लिए आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित किए जाते हैं. बैंक ने थीम आधारित लेखा परीक्षा की शुरुआत की है और बढ़ती साइबर घटनाओं को देखते हुए आईएस लेखा परीक्षा के दायरे में साइबर सुरक्षा पहलुओं को शामिल करने पर बल दिया गया है. आईएस लेखा परीक्षा की टिप्पणियों के समग्र अनुपालन में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित किया गया है, जिसका श्रेय लंबित टिप्पणियों की सख्त निगरानी और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के साथ नियमित सहभागिता को जाता है. बेहतर अनुपालन निगरानी के लिए लेखा परीक्षा प्रबंधन प्रणालियों को भी नया रूप दिया गया है.

बैंक आईएस लेखा परीक्षा से संबंधित अपनी अभिशासन कार्यप्रणालियों में निरंतर सुधार कर रहा है. आईएस लेखा परीक्षा, नियमित लेखा परीक्षा, समीक्षा, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से, बैंक सुधार हेतु क्षेत्रों की पहचान करता है और अभिशासन ढांचे को सशक्त करने के उपायों को लागू करता है.

ऑफसाइट निगरानी प्रणाली (ओएमएस)

ऑफसाइट निगरानी प्रणाली (ओएमएस) दैनंदिन में फिनेकल परिचालनों से उत्पन्न होने वाली त्रुटियों/ भूलों का पता लगाने वाला एक साधन है, जिसमें नियम-आधारित इंजन पूर्व-निर्धारित आवधिकता के आधार पर अलर्ट उत्पन्न करता है. इन अलर्टों के बारे में सुधारात्मक कार्रवाईयों के किए कारोबारी इकाइयों को ससमय सूचित किया जाता है. तीव्र डिजिटलीकरण को ध्यान में रखते हुए और प्रणाली को वर्तमान बैंकिंग परिदृश्य के साथ संरेखित करने के लिए, ओएमएस अलर्ट को देखने के लिए मौजूदा नियमों और टर्न अराउंड समय (टीएटी) की समीक्षा की गई और निर्धारित प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं से विचलन का पता लगाने के लिए नए नियम जोड़े गए. इन परिवर्तनों का उद्देश्य त्रुटियों/ भूलों की पहचान करने और संबंधित जोखिम को कम करने के लिए ओएमएस को अपेक्षाकृत अधिक सशक्त प्रणाली बनाना है.

समवर्ती लेखापरीक्षा

समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) प्रणाली अनियमितताओं/ चूकों का पता लगाने के लिए बैंक की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) का भाग है जो जोखिमों को नियंत्रित रखने में आंतरिक और विनियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघनों की रोकथाम करने और धोखाधड़ी वाले लेनदेनों को रोकने में सहायता करती है. सीए प्रणाली मूलतः एक नियंत्रण प्रक्रिया है जो मजबूत आंतरिक लेखांकन प्रणालियों की स्थापना और प्रभावी नियंत्रणों हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है. रिजर्व बैंक के संबद्ध दिशानिर्देशों के अनुसार समवर्ती लेखापरीक्षा शाखाओं/ अन्य गैर शाखा इकाइयों जैसे ट्रेजरी, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई (सीपीयू) और खुदरा आस्ति केन्द्रों (आरएसी) में की जाती है, जिनकी पहचान जोखिम बोध और किए जाने वाले कारोबार की मात्रा के आधार पर होती है. इसके अलावा, बैंक के प्रधान कार्यालय के अभिनिर्धारित कार्यपरक प्रभागों तथा सभी व्यापार वित्त केंद्रों को समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया. बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित समवर्ती लेखापरीक्षा नीति के अनुसार समवर्ती लेखापरीक्षा को बैंक की जमाओं के 70% और अग्रिमों के 70% भाग को कवर करना आवश्यक है. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक ने सनदी लेखाकारों की सूचीबद्ध बाह्य फर्मों की सेवाएं लेकर 74.91% जमाओं और 81.25% अग्रिमों (खुदरा एवं कॉरपोरेट शाखाओं, आरएसी, व्यापार वित्त केंद्रों, करेंसी चेस्ट, ऋण समाधान केंद्रों, गैर-शाखा खंडों सहित) को शामिल करते हुए समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत लगभग 1,080 लेखापरीक्षित इकाइयां कवर की. रिपोर्ट की गुणवत्ता तथा समय पर प्रस्तुति हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों के कार्यनिष्पादन पर अंचल लेखापरीक्षा कार्यालय और बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा निरंतर गहन निगरानी रखी जाती है. इसके अतिरिक्त, उच्च जोखिम या उससे अधिक के रूप में चिन्हित की गई ग्रामीण (वित्तीय समावेशन)/ ग्रामीण शाखाओं और ऐसी इकाइयां, जहां सीए की अनुपलब्धता के कारण समवर्ती लेखापरीक्षक नियुक्त नहीं किए जा सकते थे, ऐसे स्थानों पर जोखिम को कम करने के लिए तिमाही आधार पर संबंधित अंचल लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा तदर्थ लेखापरीक्षा भी की जाती है.

ऋण लेखापरीक्षा

ऋण पोर्टफोलियो में गुणवत्ता संबंधी सुधार सुनिश्चित करने के लिए आपके बैंक के पास चुनिंदा खातों की विस्तृत समीक्षा हेतु ऋण लेखापरीक्षा की एक प्रणाली है. ऋण लेखापरीक्षा मूल्यांकन की पर्याप्तता, आंतरिक और विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन, दस्तावेजीकरण और सुरक्षा निर्माण की पर्याप्तता, खाते के संचालन की जांच आदि जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करता है. परिभाषित मानदंडों के आधार पर उधारकर्ता खातों को ऋण लेखापरीक्षा के लिए अभिनिर्धारित किया जाता है अर्थात् (i) कार्यकलाप के आकार के आधार पर निर्दिष्ट सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक की मंजूरी सीमा वाले सभी नए, अधिग्रहित एवं ऋण वर्धन प्रस्ताव और सीमाओं के नवीकरण/ नवीकरण-सह-वृद्धि के प्रस्ताव; (ii) शेष पोर्टफोलिओ में से बिना किसी क्रम से चुने गए (10%) प्रस्ताव; और (iii) निवेश ग्रेड से नीचे (यदि समीक्षाधीन अवधि के दौरान निवेश ग्रेड से परिवर्तित हुए हों). संशोधित चयन मानदंड के अनुसार,

वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में खातों की कवरेज वार्षिक आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में ऋण लेखापरीक्षा में 32% की वृद्धि हुई है.

छानबीनपरक लेखापरीक्षा अथवा विशेष छानबीनपरक लेखापरीक्षा (आईए /एसआईए)

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा विभिन्न ट्रिगर्स के आधार पर विभिन्न शाखाओं/ खुदरा आस्ति केंद्रों (आरएसी) में विशेष छानबीनपरक लेखापरीक्षाएं / छानबीनपरक लेखापरीक्षा (एसआईए/ आईए) की गईं. लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की गई छानबीन प्रणालीगत सुधारों, नीतिगत सुधारों, योजना संबंधी दिशानिर्देशों, कार्य-प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, साथ ही नियंत्रणों को मजबूत करने तथा शाखाओं की बेहतर ढंग से समग्र निगरानी सुनिश्चित करने में सहायता करती हैं. एसआईए/आईए द्वारा दिये गये प्रारंभिक ट्रिगर अंचलों को समय पर वसूली/विधिक कार्रवाई करने में सहायता की और खातों को अनर्जक आस्तियों (एनपीए) में जाने से रोका गया. इन एसआईए से प्राप्त महत्वपूर्ण अवलोकनों को आवश्यक निर्देशों हेतु एसआईए/ आईए के लिए गठित कार्यपालक निदेशक (ईडी) स्तर की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है. उन पर किए गए सुधारात्मक उपायों को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) को रिपोर्ट किया जाता है. एसआईए/ आईए से प्राप्त चूक/ कमियों को शाखाओं और साथ ही नियंत्रक इकाइयों के साथ साझा किया जाता है ताकि ऐसी चूक की पुनरावृत्ति से बचा जा सके और न केवल शाखा स्तर पर, बल्कि पर्यवेक्षीय स्तर पर अनुपालन प्रक्रिया को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके.

धोखाधड़ी निगरानी

बैंक ने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के अंतर्गत एक समर्पित धोखाधड़ी निगरानी समूह (एफ़एमजी) के माध्यम से धोखाधड़ी निगरानी व्यवस्था कार्यान्वित की है. एफ़एमजी धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाईयों की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करता है तथा आंतरिक नियंत्रणों को सशक्त बनाने और आवश्यकता आधारित उपचारात्मक उपाय लागू करने के उद्देश्य से समय-समय पर आवश्यक सलाह/ परिपत्र भी जारी करता है. धोखाधड़ियों का समयपूर्व पता लगाने, उनकी रोकथाम करने, रिपोर्टिंग, निगरानी और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन (एफ़आरएम) नीति कार्यान्वित की गई है. धोखाधड़ी की समय पर रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए एफ़एमजी वार्षिक आधार पर एफआरएम नीति की समीक्षा करता है.

बैंक ने धोखाधड़ी की त्वरित रिपोर्टिंग और धोखाधड़ी के मामलों की समय-सीमा के अंतर्गत रिपोर्टिंग हेतु विभिन्न आंतरिक परिपत्र जारी किए हैं, जिनमें रिजर्व बैंक को धोखाधड़ी की समय पर रिपोर्टिंग करने के महत्व को दोहराया गया है.

स्टाफ जवाबदेही

आपके बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्टाफ जवाबदेही (एसए) नीति के अंतर्गत स्टाफ जवाबदेही संबंधी मुद्दों की जांच के लिए एक समर्पित टीम है. वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाने वाली बैंक की एसए नीति का उद्देश्य बैंक के व्यापक हितों की सुरक्षा हेतु ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना है जहां बैंक द्वारा बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं हो रहा है और जिसके परिणामस्वरूप बैंक को क्षति हुई है. यह प्रक्रिया, बैंक को अपनी कार्य-प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करने, प्रशिक्षण और परामर्श के माध्यम से किसी प्रकार के ज्ञान की कमी को दूर करने अथवा अन्य कार्रवाइयों द्वारा एक ऐसा वातावरण तैयार करने में जो दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं के बेहतर अनुपालन के अनुकूल हो, के द्वारा बैंक को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने में सहायता करती है.

सतर्कता तंत्र

आपके बैंक के प्रधान कार्यालय, मुंबई में एक सतर्कता विभाग (वीजीडी) परिचालनरत है जिसके प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं. आपके बैंक ने अंचल स्तर पर बेहतर नियंत्रण रखने और सतर्कता गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने सभी अंचल कार्यालयों (ज़ेडओ) में सतर्कता टीमों का गठन किया है.

सीवीओ बैंक के सतर्कता मामलों से संबंधित सभी कार्यों को करते/ देखते हैं जिनके कार्यक्षेत्र/व्याप्ति में शामिल हैं (i) बैंक के कर्मचारियों द्वारा किए गए या संभवतः किए जाने वाले भ्रष्ट आचरण के बारे में सूचना का संग्रहण करना; (ii) सतर्कता मामलों का प्रसंस्करण, सतर्कता उद्देश्यों संबंधी शिकायतों एवं सत्यापन योग्य आरोपों की जांच करना या जांच शुरू करना; (iii) छानबीन रिपोर्टों पर कार्रवाई करना जिसे आगे अनुशासनात्मक प्राधिकारी के विचारार्थ भेजना; (iv) जहां कहीं भी आवश्यकता हो मामलों को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को उनके विचारार्थ/ सलाह हेतु भेजना; (v) भ्रष्टाचार / कदाचार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना; (vi) अन्य कार्यकलापों के साथ विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय एवं संपर्क करना, शामिल है.

आपके बैंक के इंट्रानेट पर सतर्कता विभाग का एक समर्पित वेबपेज है, जो इसके कार्यों का विहंगावलोकन, सीवीसी के मानक नोटिस का प्रारूप प्रदान करता है, जिसे बैंक की शाखाओं/ कार्यालयों में प्रदर्शित किया जाना निर्धारित है, सीवीसी, सीवीसी के मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन (सीटीईओ), साथ ही आपके बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए महत्वपूर्ण परिपत्रों/ दिशानिर्देशों और निवारक सतर्कता के लिए क्या करें और क्या न करें को भी इसमें शामिल किया गया है. सतर्कता विभाग द्वारा किए गए प्रयासों से आपके बैंक के अधिकारियों के बीच सतर्कता जागरूकता के स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है.

सतर्कता कार्य में 'निवारक सतर्कता' और 'दंडात्मक सतर्कता' दोनों तत्त्व शामिल हैं. निवारक सतर्कता एक सतत प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा का प्रयास करता है कि निर्धारित प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, विवेक का कम उपयोग किया जाता है और सतर्कता मामलों पर कर्मचारियों के साथ-साथ बैंक के अन्य हितधारकों को सुग्राही बनाना/ जागरूकता उत्पन्न करना सुनिश्चित करता है.

आपके बैंक द्वारा अपनाए गए कुछ सतर्कता निवारक उपायों में विभिन्न शाखाओं में अनाचार, यदि कोई हो, का पता लगाने और निर्धारित प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन की जांच हेतु ऑनसाइट/ औचक सतर्कता दौरे (एसवीवी) तथा स्वतः संज्ञान आधार (स्टाफ/ बाह्य तत्वों द्वारा किसी भी संदिग्ध अनुचित कार्यों की जानकारी प्राप्त होने पर) पर निरीक्षण करना शामिल है. इसके अलावा, एक बारीय निपटान (ओटीएस)/ पहली बार अनर्जक आस्ति (एनपीए) मामलों की जांच, बैंक अधिकारियों के आस्ति व देयताओं की विवरणियों (एआरएएल) की जांच और बैंक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों आदि की जांच, जहां भी आवश्यक हो, व्यवस्थित सुधार के लिए पाई गई अनियमितताओं को रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करना और सतर्कता मामलों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना आदि कार्य सतर्कता विभाग द्वारा किए जाते हैं.

भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयासों के तहत और साथ ही साथ सीवीसी के निदेशों के अनुसार सतर्कता विषयों पर जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, आपके बैंक ने 30 अक्तूबर 2023 से 05 नवंबर 2023 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2023 'भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें (Say no to Corruption: Commit to the Nation)' विषय पर मनाया. इस अवसर पर, आपके बैंक ने अपने सभी कर्मचारियों के लाभ के लिए एक विशेष ई-पत्रिका जारी की. बैंक ने अखिल भारतीय स्तर पर स्टाफ सदस्यों तथा उनके बच्चों के लिए ऑनलाइन और ऑफ लाइन मोड पर विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे प्रश्नोत्तरी, निबंध-लेखन, कार्टून और कैरिकेचर, कॉइन-ए-कैप्शन, मेमोरी गेम, क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता आदि का आयोजन भी किया गया. इसके अतिरिक्त, वीएडब्ल्यू 2023 के दौरान भारत सरकार के वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफ़एस) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आपके बैंक के प्रधान कार्यालय के कर्मचारियों को संबोधित किया और साथ ही कर्मचारियों को उनको सौंपे गए कार्यों के प्रति सतर्क/ जागरूक रहने के लिए सम्मानित भी किया, जिसके कारण अनुचित घटनाओं पर रोक लगाई जा सकी और आपके बैंक को वित्तीय/ प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम से बचाया जा सका. आपके बैंक ने सतर्कता विषयों से संबंधित मामलों की प्रभावी निगरानी और शिकायतों का अपेक्षाकृत त्वरित निपटान करने के लिए एक सतर्कता शिकायत प्रबंधन मॉड्यूल (वीसीएमएम) विकसित किया है.

वीएडब्ल्यू 2023 के एक हिस्से के रूप में, आपके बैंक के कर्मचारियों ने ऑनलाइन माध्यम से सत्यनिष्ठता की प्रतिज्ञा ली. भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई का समर्थन करने के लिए बैंक के ग्राहकों को उनके खाते के विवरण के साथ सत्यनिष्ठता की प्रतिज्ञा लेने के लिए एक लिंक भी भेजा गया. आपके बैंक के फील्ड अधिकारियों के लाभ के लिए विभिन्न स्थानों पर संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया. आम जनता/नागरिकों के बीच जागरुकता के लिए, वीएडब्ल्यू 2023 के बैनर/पोस्टर आपके बैंक के अंचल कार्यालयों (ज़ेडओ), क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ), शाखाओं और सार्वजनिक इंटरफेस वाले अन्य स्थानों पर प्रदर्शित किए गए. आपके बैंक ने विभिन्न स्थानों पर ग्राम सभाओं का भी आयोजन किया.

सीवीसी के निर्देशों के अनुसार, वीएडब्ल्यू 2023 के बारे में जानकारी आपके बैंक की वेबसाइट के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके प्रोफाइल/ हैंडल के माध्यम से प्रसारित की गई.

विनियामक अनुपालन

आपका बैंक आंतरिक नियंत्रणों की संरचित प्रणाली और स्तरीय समीक्षाओं के जरिए भारत सरकार(जीओआई), रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा अन्य विनियामक/ सांविधिक निकायों द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न सांविधिक एवं विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. आपके बैंक का अनुपालन विभाग, प्रधान कार्यालय मुंबई में है और कार्यपालक निदेशक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी इसके प्रमुख हैं जिन्हें मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के रूप में नामित किया गया है. जो सभी सांविधिक और विनियामक दिशानिर्देशों के प्रसार और आंतरिककरण का समन्वय करता है. आपके बैंक ने रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक अनुपालन नीति लागू की है जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. आपके बैंक में प्रत्येक स्तर के लिए अनुपालन कार्य के संबंध में भूमिका और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है. बोर्ड को रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों/ एजेंसियों से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचनाओं/ दिशानिर्देशों के संबंध में मासिक अंतराल पर अवगत कराया जाता है. आपके बैंक ने उन्नत तकनीकी ऐप्लिकेशन जैसे अनुपालन परीक्षण / सत्यापन के लिए Cermo+ NXT और आरबीआई को अनुपालन समय पर प्रस्तुत करने के लिए उचित डेटा प्रबंधन हेतु ट्रैकर्स के कार्यान्वयन द्वारा निचले स्तर तक आंतरिक अनुपालन संस्कृति को सशक्त बनाया है.

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम

आपके बैंक ने कार्य के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त होने वाले अनुरोधों का त्वरित उत्तर देने के लिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किए हैं. इसके अलावा, सभी शाखा प्रमुखों को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों को प्राप्त करने और उन्हें सीपीआईओ के पास भेजने के लिए केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है. आपके बैंक ने असंतुष्ट आवेदकों की अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य महा प्रबंधक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपील प्राधिकारी(एफएए) के रूप में नामित किया है. आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यपालक निदेशक स्तर के अधिकारी को पारदर्शिता अधिकारी नियुक्त किया गया है. बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के लिए एक अलग लिंक उपलब्ध कराया गया है. आपके बैंक ने भारत सरकार के आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के साथ भी संबद्धता स्थापित की है जिसके अंतर्गत नागरिक पोर्टल (https://rtionline.gov.in) के जरिये आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांग सकते हैं और अपील दायर कर सकते हैं.

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किये हैं और भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम व नियमों के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन कर रहा है. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और अन्य निर्देशों के अनुपालन के लिए आपके बैंक के सभी वर्टिकलों, विभागों, अंचल कार्यालयों और शाखाओं द्वारा नियमित रूप से विशेष प्रयास किए गए. बैंक ने ग्राहकों के साथ हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए कई पहलकार्य किये हैं. वर्ष के दौरान, बैंक की वेबसाइट पर बैंक की योजनाओं एवं योजनाओं के बारे में हिन्दी में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रयास किये गये. बैंक के मोबाइल एप्लिकेशन गो मोबाइल+ में हिंदी की सुविधा उपलब्ध कराई गई. ग्राहकों के लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के पोस्टर, बैनर तथा अन्य प्रचार सामग्री को हिंदी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रदर्शित किया गया. सरकार की सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के प्रचार अभियानों में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया. आपके बैंक ने हिंदी में कार्य को सुगम बनाने के लिए अपने इंट्रानेट पर द्विभाषी रूप में टेम्पलेट पत्र, फॉर्म, शब्दकोश, नोटिंग और अन्य प्रासंगिक संदर्भ सामग्री अपलोड की है. स्टाफ सदस्यों द्वारा अपने दैनंदिन कार्यालयीन कार्य में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गईं और कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों/वर्टिकलों और अन्य कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को प्रगामी रूप से बढ़ावा देने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन की विभिन्न अपेक्षाओं और हिंदी यूनिकोड के प्रयोग से कर्मचारियों को परिचित करने के लिए आपके बैंक के सभी क्षेत्रों में राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गईं. सितंबर 2023 में बैंक में राजभाषा पखवाड़ा भी मनाया गया.

ग्राहक सेवा और शिकायत प्रबंधन

अपने सभी हितधारकों के लिए सर्वाधिक पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक बनने के अपने ध्येय को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है जो उत्कृष्ट सेवा के साथ ग्राहकों को खुश करने पर केंद्रित है.

आपके बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसी) गुणवत्तापूर्ण ग्राहक अनुभव को बनाये रखते हुए शिकायतों के समय पर समाधान के लिए प्रतिबद्ध है. ग्राहकों के प्रश्नों के 24X7 आधार पर समाधान करने और विविध चैनलों से प्राप्त ग्राहक शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए आपके बैंक के पास सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई और हैदराबाद स्थित दो समर्पित ग्राहक संपर्क केंद्र है.

ग्राहकों की बदलती जरूरतों और पसंदों के प्रति उत्तरदायी होने के लिए, आपका बैंक वार्षिक आधार पर अपनी नीतियों की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये नीतियां नवीनतम घटनाक्रमों के अनुरूप हैं और ग्राहकों को एक परिभाषित प्रणाली के अनुसार अपनी शिकायतों को हल करने के लिए सशक्त बनाती हैं. बैंक सभी चैनलों से प्राप्त शिकायतों पर इन्हीं नीतियों के अनुसार ही कार्रवाई करता है, जिसमें एक आंतरिक चेतावनी तंत्र वाला समय-आधारित इन-बिल्ट एस्केलेशन मैट्रिक्स भी शामिल है, जिसके तहत यदि शिकायत का समाधान एक पूर्व-परिभाषित टर्नअराउंड समय (टीएटी) के भीतर नहीं किया जाता है, तो उसे बेहतर शिकायत समाधान प्रबंधन के लिए अगले उच्च अधिकारी के पास प्रेषित कर दिया जाता है. आपके बैंक ने अपने सभी अंचल कार्यालयों में शिकायत निवारण अधिकारियों (जीआरओ) और प्रधान कार्यालय में एक प्रधान नोडल अधिकारी (पीएनओ) को पदनामित किया है. इसके अलावा, आंतरिक लोकपाल योजना 2018 और मास्टर निर्देश - भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक लोकपाल) निर्देश 2023 के अनुसार जिन शिकायतों को बैंक अस्वीकार/ आंशिक समाधान प्रदान करने का प्रस्ताव करता है, उन्हें ग्राहक को जवाब देने से पूर्व बैंक के आंतरिक लोकपाल (आईओ) के पास भेजा जाता है. आपके बैंक की एक मानकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) है, जो प्राप्त शिकायतों को दर्ज करने, निगरानी और उनका समय पर समाधान करने में सहायता करती है. विभिन्न ग्राहक संपर्क बिन्दुओं और विनियामकों से प्राप्त शिकायतों की प्रविष्टि इस सिस्टम में की जाती है और इसे ट्रैक करने के लिए एक लिंक के साथ एसएमएस के द्वारा पावती ग्राहक को भेजी जाती है. आपके बैंक ने ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति (एससीसीएस) एवं बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) जैसी वरिष्ठ स्तर की दो समितियां स्थापित की हैं जो हर तिमाही आधार पर बैठकें आयोजित करती हैं. इन समितियों को बैंक के विभिन्न संपर्क बिन्दुओं द्वारा ग्राहकों को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के मूल्यांकन का कार्य सौंपा गया है.

आपके बैंक ने विगत वित्तीय वर्ष में ग्राहक सेवा के क्षेत्र में विभिन्न पहलकार्य किए हैं. इसके अतिरिक्त, लागत को कम करते हुए प्रक्रिया दक्षताओं में स्वचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से आपका बैंक विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों का लाभ उठा रहा है.

कॉरपोरेट संवाद

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आपके बैंक के विज्ञापन का उद्देश्य बैंक के ब्रांड और इसकी प्रमुख योजनाओं एवं सेवाओं की खासियत सृजित करना तथा इसकी सकारात्मक छवि को बढ़ाना था. वर्ष के दौरान चलाए गए अभियान, उत्पादों की विशिष्ट विशेषताओं को उजागर करने पर केंद्रित थे और मुख्य रूप से डिजिटल प्लेटफ़ोर्मों और माध्यमों जैसे ट्रांजिएंट ओओएच (आउट ऑफ होम) डिस्प्ले, सिनेमा स्क्रीन ब्रांडिंग आदि के माध्यम से चलाए गए थे, जो टेलीविज़न और ओटीटी (ओवर-दि-टॉप) जैसे उच्च प्रभाव वाले तेज़ी से बढ़ते प्लेटफॉर्मों के पूरक थे. आपके बैंक द्वारा जनसंपर्क (पीआर) के क्षेत्र में भी कई पहल कार्य किए गए, जिनका उद्देश्य समाचारों के सकारात्मक पहलू को बनाए रखना और मीडिया में आपके बैंक की छवि को बढ़ाने के साथ ही साथ हितधारकों की अनुभूति को सुदृढ़ करना भी था. आपके बैंक को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में अपने पहल कार्यों के लिए कई सकारात्मक प्रतिसाद मिले. बैंक ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर और यूट्यूब पर अपने आधिकारिक ब्रांड पेज / हैंडल के माध्यम से संप्रेषण किया और अभिनव तरीकों से जुड़ाव गतिविधियों को जारी रखा. बैंक ने सोशल मीडिया पर साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी जागरूकता आदि जैसे विषयों पर विभिन्न ग्राहक शिक्षण सीरीज की भी शुरुआत की.

सूचना प्रौद्योगिकी

आपके बैंक ने अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया और स्वयं को नवीनतम विश्लेषणात्मक उपकरणों और एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) तकनीक से सुसज्जित किया, जो ग्राहक डेटा का विश्लेषण करने और उसका सारांश प्रस्तुत करने, इसके अतिरिक्त, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालनों को सुव्यवस्थित करने और डिजिटल दुनिया की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे नवाचार से लैस करने में सक्षम है.

आपके बैंक ने एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई) स्विच माइग्रेशन परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की. मौजूदा यूपीआई प्रणाली को एक नए और बेहतर संस्करण में रूपांतरित कर दिया गया, जो विभिन्न बैंकों और प्लेटफार्मों पर निर्बाध और सुरक्षित लेनदेन को सक्षम बनाता है. यह बैंक को विशेषताओं और मात्रा को संभालने की क्षमताओं के मामले में अन्य बैंकों की तुलना में बराबरी पर लाता है.

आपके बैंक ने बैंक के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) समाधान को जीरो ट्रस्ट सॉल्यूशन आर्किटेक्चर में अपग्रेड किया. वर्तमान समाधान दूरस्थ कार्यबल के लिए अपने नेटवर्क के विस्तार जैसे निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए बैंक की क्षमताओं और उपयोगकर्ता अनुभव को अपग्रेड करता है.

आपके बैंक ने एपडायनामिक्स नामक एक अग्रणी एप्लिकेशन कार्य-निष्पादन प्रबंधन (एपीएम) समाधान में अद्यतित कर कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) पर निगरानी क्षमताओं को सशक्त किया है. यह सीबीएस की निगरानी के लिए क्लाउड बुनियादी संरचना का लाभ उठाता है और कार्य-निष्पादन में गिरावट का पता लगाने में बैंक की क्षमताओं में सुधार करता है और सीबीएस पर बेहतर अप-टाइम प्राप्त करने में सहायता करता है.

बेहतर सुरक्षा के लिए, आपके बैंक ने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में सत्र टाइम-आउट पर नियंत्रण कार्यान्वित किया है. यह हाइजेक उपयोगकर्ता सत्रों या उपयोगकर्ताओं द्वारा खुले डेस्कटॉप के दुरुपयोग द्वारा धोखाधड़ियों की रोकथाम के मामले में बैंक की प्रतिरोधक क्षमता और स्थिति को सशक्त बनाता है. आपके बैंक ने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है. इससे उपयोगकर्ता पासवर्ड साझा करने या दुर्भावनापूर्ण हमलों के खिलाफ बैंक की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है जो दुर्भावनापूर्ण उपयोग के लिए उपयोगकर्ता पासवर्ड की पहचान करने के लिए की-लॉग पर नजर रखता है.

आपके बैंक ने बैंक में रिजर्व बैंक की केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है जिसके तहत 62 रिजर्व बैंक विवरणियों को स्वचालित किया गया है और स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) के तहत स्वचालित डेटा फ्लो (एडीएफ) एप्लिकेशन के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रस्तुत की जाती हैं. डेटा परिशोधन और संवर्धन मोर्चों पर, एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस (एपीआई) के माध्यम से विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलईआई) सत्यापन को कोर सिस्टम में कार्यान्वित किया गया है. बैंक ने क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) समूहों को बैंक द्वारा की गई प्रस्तुतियों की डेटा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रक्रियाएं और सिस्टम लॉजिक भी कार्यान्वित किए हैं.

गोपनीयता नीति

आपके बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ सूचना सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईटी नीति लागू की है. ग्राहकों की एकत्रित जानकारी तक पहुंच केवल अधिकृत अधिकारियों या बैंक द्वारा अधिकृत एजेंसियों को ही दी जाती है. अनधिकृत पहुंच या प्रकटीकरण को रोकने के लिए, बैंक ने एकत्र की गई जानकारी के संरक्षण और सुरक्षा के लिए उपयुक्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएं कार्यान्वित की हैं. आपके बैंक ने डेटा गोपनीयता, पहुंच, स्वामित्व और सुरक्षा स्थापित करने के लिए डेटा अभिशासन नीति भी बनाई है. बैंक ने ग्राहकों/ संभावित ग्राहकों द्वारा साझा की गई जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए गोपनीयता नीति भी कार्यान्वित की है. आपका बैंक नियमित आधार पर उचित एपसैक और भेद्यता परीक्षण आयोजित करता है. गोपनीयता नीति बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (आईटीडी) और सूचना सुरक्षा समूह (आईएसजी) के दायरे में आती है. आईएसजी नियमित रूप से लेखापरीक्षा और आईटीडी के साथ समन्वय में उचित नियंत्रण तंत्र स्थापित करके डेटा गोपनीयता पहलुओं का ध्यान रखता है. बैंक की सूचना सुरक्षा नीति के तहत, डेटा/सुरक्षा उल्लंघन की घटनाओं को घटना रिपोर्ट के रूप में रिपोर्ट किया जाता है और बैंक की नीतियां निर्धारित करती हैं कि सुरक्षा/गोपनीयता नीति के उल्लंघन की जांच बैंक की मौजूदा नीतियों के अनुसार की जाती है. आपका बैंक नियमित आधार पर नियमित सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा आयोजित करता है जिसमें डेटा गोपनीयता की जांच के साथ प्रत्येक एप्लिकेशन/ सर्वर/ प्रक्रिया की लेखापरीक्षा भी शामिल होती है.

केंद्रीकृत परिचालन

बैंक का एक समर्पित केन्द्रीकृत परिचालन वर्टिकल है जिसमें विभिन्न विभाग जैसे केन्द्रीय प्रोसेसिंग इकाई (सीपीयू), क्षेत्रीय प्रोसेसिंग इकाई (आरपीयू), खुदरा आस्ति परिचालन (आरएओ), धन शोधन निवारण कक्ष (एएमएल), निक्षेपागार खाते परिचालन, घरेलू भुगतान और विप्रेषण सेवाएं, नकदी प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस), सरकारी कारोबार समूह (जीबीजी), पूंजी बाज़ार परिचालन, इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग परिचालन, कार्ड निर्गम एवं प्रबंधन अनुभाग, डेटा क्लीन-अप और अनुपालन टीम (डीसीसीटी) और जीएसटी परिचालन शामिल हैं.

केन्द्रीकृत परिचालनों ने ग्राहक को खुश करने के उपायों के हिस्से के रूप में विभिन्न पहलकार्य और प्रोसेस स्वचालन किये हैं जैसे उसी दिन खाता खोलना (बचत, चालू, मीयादी जमा, आदि), विविध अनुरोधों जैसे मोबाइल नंबर बदलना, पता, ईमेल आईडी अपडेट करना, केवाई अपडेट करना आदि तत्काल प्रोसेस करना, फॉर्म 15 एच/जी को तत्काल आधार पर अपडेट करना, सीकेवाईसी नंबर जनरेट करने के बाद तत्काल ग्राहकों को भेजना, खुदरा ऋण ग्राहकों द्वारा ईएमआई का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने के लिए चुकौती के तरीके को अपडेट करना, निर्धारित टीएटी के भीतर संपत्ति के दस्तावेज लौटाना, आदि.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान केन्द्रीकृत परिचालन बैंक की ग्राहक संबंधों में मूल्य योजन करने की अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतरने के लिए प्रोसेस

स्वचालन के जरिये सहायता कर रहा है. इसके अलावा, केन्द्रीकृत परिचालनों ने ग्राहकों के सेवा अनुरोध को प्रोसेस करने के लिए टीएटी कम करके परिचालन दक्षता में सुधार कर बैंक की सहायता कर रहा है, विभिन्न कारोबारी इकाइयों को निर्बाध सहायता सेवाएं सुनिश्चित कर रहा है जिससे परिचालन लागतों में कमी हो रही है.

शाखा परिचालन सहायता और नीति

आपका बैंक बैंकिंग परिचालनों, सेवाओं आदि के संबंध में अपने स्टाफ को अद्यतन जानकारी प्रदान करके उन्हें तैयार करने में अग्रणी है ताकि यह सुनिश्चित हो कि आपका बैंक अपने सभी हितधारकों को कुशल बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम है. तद्नुसार, बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों को शामिल करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम 'आरोहण' आयोजित किया गया है.

आपके बैंक ने 'अनधिकृत इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग लेनदेनों (यूईबीटी) की नीति' और 'ग्राहक क्षतिपूर्ति नीति' सहित विविध विनियामकों यथा - रिज़र्व बैंक, सेबी आदि के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए सशक्त नीतियाँ तैयार की हैं. ये दोनों नीतियाँ बैंक के ग्राहकों के सुलभ संदर्भ के लिए बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर उपलब्ध कराई गई हैं.

ग्राहकों को बैंक के पास पड़ी अदावी जमाराशियों की खोज और दावा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए, आपके बैंक ने रिज़र्व बैंक के 'अदावी जमाराशियां - सूचना अभिगम गेटवे (यूडीजीएएम)' पोर्टल में सक्रियता से स्वयं को पंजीकृत किया है और बैंक के पास पड़ी अदावी जमाराशियों का ब्योरा अपलोड किया है. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने अदावी जमाराशियों के ग्राहकों की पहचान करने और उनका निपटान करने के लिए रिज़र्व बैंक के *'100 दिन 100 भुगतान'* अभियान में सक्रियता से सहभागिता की है और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 9,800 से अधिक मामलों में दावों का निपटान किया है. साथ ही, आपका बैंक अदावी जमाराशियों की पहचान करने और ग्राहकों तक पहुँच बनाकर उनका पहले ही निपटान करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है ताकि निधियों को जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईए निधि) में अंतरित करने से बचा जा सके.

आपके बैंक की पूरे देश में 25 करेंसी चेस्ट (सीसी) हैं. ये सीसी सभी लिंक शाखाओं से नकदी का प्रसंस्करण करती हैं और एटीएम एवं शाखाओं के माध्यम से वितरण हेतु स्वच्छ नोट प्रदान करती हैं. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आपके बैंक ने इन सीसी के माध्यम से पूरे देश में 580 सिक्का मेले और गंदे नोटों की अदला-बदली के लिए मेलों का आयोजन किया है जिनमें लगभग ₹ 12 करोड़ मूल्य के सिक्कों को अपनी शाखाओं के माध्यम से आम जनता को वितरित किये गये. इसके अलावा, बैंक ने जाली करेंसी नोटों का पता लगाने और उन्हें जब्त करने के लिए अपनी शाखाओं में नोट छंटाई / नोट अधिप्रमाणन मशीनें लगाई हैं. आपके बैंक ने रिज़र्व बैंक द्वारा संचलन से ₹ 2,000/- के नोटों को वापस लेने की गतिविधि को सक्रियता से संभाला, जिसमें ₹ 2,000/- मूल्यवर्ग के लगभग ₹ 10,270 करोड़ एकत्रित किए गए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर रिज़र्व बैंक को विप्रेषित किए गए हैं.

आपके बैंक ने धोखाधड़ी जोखिम न्यूनीकरण एवं नियंत्रण, प्रभावी परिचालनगत नियंत्रण और कुशल ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए कई प्रौद्योगिकीय पहलकार्य, प्रणालीगत जांच और प्रक्रियाओं में सुधार किये हैं. इन पहलकार्यों में एसएमएस, आदि के जरिये खातों के निष्क्रिय होने से रोकने और बाद में खाते के फ्रीज होने से बचने के लिए परिचालन न होने के बारे में ग्राहकों को अलर्ट भेजना, लेनदेन संबंधी अलर्ट भेजना, री-केवाईसी के संबंध में ग्राहक को देय होने से छह माह पहले अद्यतन केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत के लिए सूचना भेजना, री-केवाईसी प्रक्रिया का सरलीकरण और संबंधित दस्तावेजों/वर्तमान पते की पुष्टि के बारे में सूचना भेजना शामिल है.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

आपके बैंक के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के जीवन में कमियों की पहचान करके उनमें महत्वूपर्ण, दृश्यमान और स्थायी बदलाव लाना और उनके बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता-आधारित योगदान देना है. आपका बैंक प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के साथ-साथ लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर बहुआयामी प्रभाव हासिल करना चाहता है.

आपके बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समाज के लक्षित वर्ग पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डालने के क्रम में सीएसआर के तहत प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही विभिन्न संगठनों के सहयोग से अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया है. आपके बैंक की सीएसआर परियोजनाओं का लक्ष्य ग्रामीण विकास, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता विकास, गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बच्चे, युवा, महिलाएं और जनजातीय वर्ग जैसे समाज के कमजोर और हाशिए पर रहने वाले वर्गों की स्थिति में सुधार करना था. आपके बैंक की सीएसआर गतिविधियों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट और व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट खंड में विस्तार से दिया गया है.

पर्यावरण, सामाज एवं अभिशासन (ईएसजी)

हाल के वर्षों में, भारत ने ईएसजी प्रकटीकरण के प्रति अपने दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण विकास देखा है, जो विनियामक घटनाक्रमों, हितधारकों की बदलती अपेक्षाओं और कारोबारी परिचालनों पर ईएसजी कारकों के प्रभाव की बढ़ती मान्यता से प्रेरित है. ईएसजी के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में अपनी पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) नीति प्रतिपादित की. ईएसजी नीति को लागू राष्ट्रीय कानूनों/ विनियमों के अनुरूप डिजाइन किया गया है और इसका उद्देश्य बैंक को अपनी गतिविधियों के माध्यम से ईएसजी-अनुपालक इकाई के रूप में स्थापित करना है. मौजूदा विनियामक मानदंडों के अनुपालन में, बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट

2022-23 के एक भाग के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 की अपनी कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) भी प्रकाशित की, जो भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश (एनजीआरबीसी) में निहित नौ सिद्धांतों के बारे में इसके प्रदर्शन पर प्रकाश डालती है. बैंक ने पारदर्शी और आसानी से समझने योग्य ढंग में हितधारकों के एक व्यापक समूह के लिए विभिन्न सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर डेटा प्रसारित करने के प्रयोजन से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एक ईएसजी डेटाबुक भी प्रकाशित की. वर्ष के दौरान, बैंक ने एस एवं पी वैश्विक कॉरपोरेट संधारणीयता मूल्यांकन (सीएसए) 2023 में भी भाग लिया. अपने ईएसजी प्रदर्शन में सुधार करने और विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में ईएसजी-केंद्रित संस्कृति को अपनाने के क्रम में, बैंक ने ईएसजी के सभी आयामों के लिए कार्य योजनाएं तैयार की हैं.

Management Discussion & Analysis

BUSINESS ENVIRONMENT

The global economy recorded relatively healthy growth in 2023 driven by various factors. Economic activity was driven by stronger private and government spending on the demand side and by increased labour force participation, restored supply chains and broad-based disinflation on the supply side. These factors helped in partially offsetting the impact of the tight monetary conditions and renewed geopolitical uncertainties. While the global economy continues to gradually recover from the pandemic, the growth remains below pre-pandemic levels and uneven across regions.

In this backdrop, buoyed by carefully planned wide-ranging policy and structural reforms, the Indian economy continued to be resilient to the external challenges and maintained its healthy growth momentum. Healthy consumption and investment demand continued to drive economic activity spurred by upswing in the business cycle. Large domestic market and high capital expenditure by the Government fuelled business and consumer optimism, acting as a catalyst for healthy pace of economic activities.

The banking sector played a crucial role in the economic revival by catering to the higher credit demand. Over the years, policy and regulatory efforts as well as overhaul of internal systems and structures have helped in improving the financial health of the banks in terms of improved asset quality, higher profitability and adequate capital. This has helped the banks to meet the growing credit demand, especially from the retail and MSME segments and other strategically important sectors, which helped in spurring the pace of economic activities. During the year, the sustained pause in the rate hike cycle by the RBI helped in keeping the lending rates at moderate level, thereby supporting the credit demand. To support the higher credit demand, the banks also shored up their deposits. The improved macroeconomic conditions, coupled with structural reforms, helped the banks to continue reporting higher profitability on the back of business growth and improving asset quality. The virtuous cycle of financially sound banks and higher economic growth augurs well for the Indian economy in the foreseeable future.

Going forward, in FY 2024-25, India will continue its upward growth trajectory on the back of expected normal monsoon, stable and robust domestic demand as well as improved private consumption and investment demand, further reinforced by the ongoing structural reforms. Favourable factors such as improved manufacturing capabilities, sustained growth in services sector, comfortable balance of payments position, continued moderation in inflationary pressures, continued improvement in business and consumer sentiments and digital advances provide a sound foundation for sustained growth in a higher trajectory.

BUSINESS REVIEW

During the period under review, your Bank continued on its upward trajectory in terms of business growth and profitability. The Bank remained focussed on achieving its broad strategic objectives through cohesive and wide-ranging initiatives which have been elaborated in this section of the Annual Report.

In line with its strategic objective of further strengthening its retail franchise, the Bank has cumulatively opened over 100 new branches pan-India after exiting the RBI's Prompt Corrective Action (PCA) framework in March 2021. With this, the Bank's branch network touched a milestone with 2,004 branches as at end-March 2024, which comprised 454 metro branches, 480 urban branches, 637 semi-urban branches and 432 rural branches (including 268 Financial Inclusion branches) in India and one International Financial Services Centre (IFSC) Banking Unit (IBU) at Gujarat International Finance Tec–City (GIFT), Gandhinagar, Gujarat. Complementing its growing branch network, the Bank had a network of 3,303 ATMs in India as at end-March 2024, which, coupled with its digital banking services, viz. internet banking and mobile banking, provided a seamless, multi-channel access to its customers to carry out their banking transactions with ease as per their convenience.

The Bank, through its gamut of deposit products catering to various customer segments and by introducing new product offerings, endeavoured to drive growth in its deposits, especially Current Account & Savings Account (CASA) deposits, to create low-cost and stable deposit base. The Bank also took measures to shore up retail term deposits and bulk deposits at competitive rates in order to bolster its total deposits. Your Bank also capitalised on the business opportunities arising from its association with Life Insurance Corporation of India (LIC). Extensive use of data analytics and adoption of Customer Relationship Management (CRM) system helped the Bank in its endeavour of growing its deposit base. On the advances front, the Bank targeted scaling up a granular and well-collateralised loan portfolio by focussing on retail and priority sector segments as well as well-rated corporates. In order to maintain healthy loan portfolio and managing credit risks effectively, the Bank has strengthened its credit underwriting process and monitoring of its loan accounts. Your Bank continued to focus on resolution of non-performing assets as also on controlling fresh slippages. Aligned to its vision of being the most preferred and trusted bank, your Bank views robust compliance, corporate governance and risk management culture as the cornerstone of sound and stable business operations. Towards this end, the Bank took numerous measures to not just strengthen the practices but also to spread awareness among its workforce regarding the crucial importance of adhering to the laid down norms in the day-to-day activities.

Going forward, operating in a competitive but conducive business environment, your Bank's business strategy will continue to be focussed on customer-centric innovations and enriching customer experiences to help in deepening its customer relations. The Bank will strive to further refine and strengthen its business operations by focussing on compliance and governance driven culture to maintain trust among its stakeholders and to ensure sustained and stable growth momentum.

RETAIL BANKING

Retail Liability Products

Your Bank offers a gamut of deposit products, specifically designed to cater to the banking requirements of customers from all segments of the society, viz. individuals (including general citizens, senior citizens, pensioners, students, Non-Resident Indians (NRIs) and non-individuals (including proprietorships, partnership firms, corporates, Government Institutions, Trusts, Associations, Societies, Clubs, other banks (including Co-operative Banks) etc.).

Your Bank pursued its endeavour of fine-tuning products/ processes in line with the evolving customer requirements and changing market dynamics. Your Bank has successfully rolled out new products under Payroll segment, viz. IDBI Payroll Ratna and the Current Account segments, viz. Business Banking Solutions.

Your Bank also implemented state-of-the-art technology in digitising the customer on-boarding journey under the Video Account Opening (VAO) platform.

Your Bank launched special bucket non-callable/ callable deposits. The rate revisions done were also measured and calibrated in select buckets to curtail any spike in the cost of deposits while remaining competitive in the market.

Your Bank continued to augment its customer engagement approach through extensive usage of data analytics and adoption of Customer Relationship Management (CRM) tools so as to foster enhanced business penetration.

Your Bank cumulatively opened more than 100 new branches, since embarking on a new journey of branch expansion, post exit from the RBI's Prompt Corrective Action (PCA) framework in March 2021 and has envisaged development of a capital light and quickly scalable hybrid delivery model, viz. combination of digital platform and brick-and-mortar branches, to expand its deposit base.

NRI Services

Your Bank offers a wide array of products across the spectrum of Non-Resident (External) (NRE) Deposits/ Non-Resident Ordinary (NRO) Deposits/ Foreign Currency Non-Resident (FCNR) Deposits, investments including equity market investments through Portfolio Investment Scheme (PIS), remittances through Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) & other modes and loans to meet the banking and financial needs of the Indian diaspora across the globe.

Your Bank continued to undertake product/ process improvements for augmenting customer experience, service delivery and convenience of banking for its NRI customers.

Retail Assets

Your Bank continued to target a progressively larger retail business portfolio in line with its intended positioning as a retail-centric bank. The Bank has endeavored to evolve a wide range of retail asset products and services to forge a connection with lifestyle decisions and aspirations of every household in India. The Bank offers a bouquet of retail asset products, including Housing Loan (HL), Loan against Property (LAP), Auto Loan (AL), Personal Loan (PL), Education Loan (EL), Loan Against Securities (LAS), among other products. The products and processes are reviewed periodically for modifications/ innovations/ customisations to align with evolving customer preferences and the expectations of the growing segment of millennial borrowers.

During the period under review, your Bank continued to remain a prominent player in the structured retail loan segment. To meet the divergent and emerging needs of its customers, your Bank undertook various measures such as placing thrust on home loans under Approved Project Finance, accelerated acquisition under recently launched variants like Ultra Saver Home Loan for borrowers with surplus cash flows, auto loans for pre-owned cars, Digital Personal Loan and Education Loan for studies in select Premier Institutions abroad. Your Bank successfully implemented a New Automated Loan Processing System to ensure a robust faster Turn-Around Time (TAT), enhance customer experience and taken several digital initiatives for customer delight. Additionally, in order to support students from the Economically Weaker Sections (EWSs) of the society, the Bank extends subsidy benefit to education loan borrowers under the Government of India (GoI) schemes such as Central Sector Interest Subsidy Scheme (CSIS). The Bank also processes renewal claims under the schemes, viz. Dr. Ambedkar Central Sector Scheme of Interest Subsidy (CSIS) and Padho Pardesh Scheme, which have since been discontinued.

Credit Card

Your Bank offers credit card variants under different network schemes. These variants are tailored to cater to the requirements of different customer segments. The

coverage under the extant payment scheme are (a) RuPay scheme - Winnings Select, (b) Visa scheme - Royale Signature, Aspire Platinum & Imperium Platinum, and (c) Mastercard scheme - Euphoria World. The Bank also offers co-branded credit cards with LIC Cards Services Ltd. (LICCSL) on RuPay scheme namely, Eclat and Lumine. Keeping up with the digital focus, the Bank has also launched end-to-end digital on-boarding of credit card issuance. The Bank has also identified potential existing customers for offering pre-approved credit card with pre-sanctioned credit limit, sans any additional documentation.

For better customer service and ease of usage, new credit card features were also added in the credit card net banking and GO Mobile+ app such as reward point redemption, card activation and card insurance nominee addition. To further improve the reach and visibility, the Bank has also entered into strategic tie-ups with various merchants to extend discounts and cashback offers to incentivise card usage by the cardholders.

PRIORITY SECTOR BANKING

The Bank has been contributing significantly to Priority Sector Lending (PSL) as mandated by the RBI. The Bank achieved all the regulatory targets for PSL, including sub-target, for FY 2023-24. As per the regulatory requirement, the Bank focussed on financial assistance to the Agriculture and Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) segments during the year. To extend its reach, the Bank has been catering to the un-serviced areas through its Corporate Business Correspondent (BC)/ Business Facilitator (BF) network. The Bank had tie-ups with 35 Corporate BC/ BF service providers as at end-March 2024.

In terms of the Government of India schemes/ directions, the Bank has been extending loans under various Central Government/ State Government sponsored schemes like Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), Stand-up India, Prime Minister Street Vendor Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi), Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP), Agriculture Infrastructure Fund (AIF), PM Formalisation of Micro Food Enterprises (PMFME) scheme, PM Vishwakarma (PMVK), etc. The Bank is also committed towards lending to minority communities and weaker sections, including Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs).

During the year, the Bank undertook a number of initiatives under PSL. The Bank has executed Memorandums of Understanding (MoUs) with various reputed corporates for extending Digital Supply Chain Financing (e-SCF) solution. The Bank has entered into tie-up arrangements with reputed companies in the gold loan business under the BC/ co-lending arrangement. The Bank has also entered into co-lending arrangement for sourcing of business loan to micro and small enterprises.

THIRD PARTY PRODUCTS AND CAPITAL MARKET PRODUCTS

The Third Party Distribution (TPD) segment of your Bank offers various value-added products and services to customers, keeping in view their risk profile, financial goals and investment objectives. The Bank has taken a number of initiatives to foster value sales and shift of business focus from product-centric to customer-centric approach. The shift in the strategy is to ensure customer first approach clubbed with compliant business practices resulting in persistent and sustainable fee income to the Bank. Your Bank partners with some of India's most trusted brand names, i.e. Life Insurance Corporation of India (LIC) and Ageas Federal Life Insurance Company Ltd. (AFLI) in life insurance segment besides New India Assurance Co. Ltd. (NIAL), TATA AIG General Insurance Co. Ltd. (TAGIC), and Niva Bupa Health Insurance Co. Ltd. (NBHI) in general & standalone health insurance segment. Your Bank has entered into MF schemes distribution agreements with multiple renowned Asset Management Companies (AMCs) in mutual fund space. Your Bank also offers National Pension System (NPS) and Government of India (GoI) bonds such as Floating Rate Savings Bonds, Sovereign Gold Bonds and Capital Gains Bonds as other investment opportunities to customers. Under the capital market segment, your Bank offers products such as 2-in-1 Account (Savings and Demat account), 3-in-1 Account (Savings and Demat account linked to Online Trading account), Application Supported by Blocked Amount (ASBA) and Syndicate ASBA (SASBA).

To keep pace with the rapidly evolving industry business practices, your Bank has undertaken various initiatives for digitalising the third party product distribution journey. These initiatives include introduction of online mutual fund investment module, digital on-boarding in NPS account opening through GO Mobile+ application and e-nomination and mandatory KYC updation in Demat accounts through digital mode. Your Bank enabled Demat account opening through its mobile and internet banking channels. Your Bank also offers an abridged Demat Account Opening Form (AOF), viz. Duranto Demat Account, to extend the reach of Demat accounts to non-users of digital channels, by enabling instant Demat account opening with minimum documentation through the branch channel.

SYNERGIES WITH LIC

The Life Insurance Corporation of India (LIC) acquired majority stake in your Bank in January 2019 and over a span of last five years, numerous initiatives were identified and implemented successfully to leverage significant business synergies. Your Bank had strategically planned specific action points in order to garner business in synergy areas in-terms of revenue synergies, cost synergies and

financial synergies through its best-in-class products and services, especially by leveraging low-cost deposit book, viz. current account book. Your Bank has consistently maintained its top position in the Bancassurance channel with effective and optimal deployment of its touchpoints to source business as Corporate Agent of LIC. Your Bank has effectively implemented convenience banking by extending transaction banking services to meet collection/ payment related requirements of various offices of the LIC through its branch/ digital channels. These synergies have supported in establishing combined value and performance of two entities that helped in augmenting your Bank's retail business and fee income.

FINANCIAL INCLUSION

Your Bank has been proactive in partnering with the policymakers to further the objective of financial inclusion by ensuring access to financial products and services needed by vulnerable sections of the society at affordable cost in a fair and transparent manner. The Bank has been actively promoting the agenda of financial inclusion with interventions in three key areas, viz. offering appropriate financial products, making intensive use of technology and enhancing financial literacy.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and Social Security Schemes

The Bank has proactively participated in GoI's financial inclusion programme, viz. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), which aims to provide universal banking services by facilitating unbanked individuals to open one savings bank account without the requirement to maintain any minimum balance, facility of free debit card, overdraft facility and insurance benefits. As at end-March 2024, the Bank had a total base of 18.72 lakh PMJDY accounts. As at end-March 2024, the Bank enrolled 10.86 lakh beneficiaries under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), which is an insurance scheme offering death and disability cover on account of an accident at a nominal cost. The Bank also enrolled 3.81 lakh beneficiaries as at end-March 2024 under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), which offers life insurance cover to individuals at a reasonable cost. Under the Atal Pension Yojana (APY), which is a pension scheme for the poor and unprivileged sections of the society, especially those in the unorganised sector, the Bank enrolled 5.48 lakh beneficiaries as at end-March 2024.

Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs)

The Bank leveraged its network of Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs) in an effort to increase penetration of banking services in rural and semi-urban locations, thereby ensuring greater degree of financial inclusion across the country and enhancing Priority Sector Lending (PSL) business of the Bank. As at end-March 2024, the Bank had 1,539 BC outlets serving mainly in the rural areas. Through these BC outlets, the Bank facilitates access to the financial services in the underbanked and unbanked locations of the country by enabling customers in these areas to perform small value cash deposit and withdrawal transactions at their doorstep. During the year, the Bank additionally appointed seven entities as Corporate BCs to increase the outreach of the BC outlets. The Bank conducted extensive training sessions/ workshops for all BCs/ BFs at various locations across the country. Besides, your Bank has also provided on-the-job training to its BCs/ BFs to develop their technical skill to operate on technology platform for conducting banking transactions.

Financial Literacy

Financial literacy has been identified as a pre-requisite for effective financial inclusion and an integral part of the PMJDY in order to let the beneficiaries make best use of the financial services being made available to them. The Bank conducts various outreach programmes to spread awareness among people about various banking products. During the year, the Bank conducted 233 financial literacy camps where the participants mainly included farmers, members of Self-Help Groups (SHGs) and small traders.

Your Bank's Rural Self Employment Training Institute (IDBI RSETI) located at Satara, Maharashtra conducts self-employment training aligned to National Skill Qualification Framework (NSQF) for the rural youth of the district as instructed by Ministry of Rural Development, Rural Skill Division, GoI. During the year under review, IDBI RSETI trained 606 candidates and 433 candidates (71.45%) were reported as settled by establishing self-enterprises. IDBI RSETI has been maintaining high standards of training as well as facilities for the participants hence awarded with *'AA'* grading, which is outstanding for overall performance from Ministry of Rural Development (MORD), GoI, in 2023.

DIGITAL BANKING

Your Bank aims to provide a secure, seamless and convenient banking platform to its customers by deploying the best digital experience, technology standards, processes and procedures where customer convenience and security is of primary importance.

The investments in technology have been pivotal in providing a robust digital banking experience for its customers. There is a significant growth in digital customers owing to comfort, safety, convenience and 24x7 availability of digital banking channels. The Bank has seen a significant growth of 37% in overall digital transactions, 38% in UPI transactions and

33% growth in mobile banking active customer base in FY 2023-24.

Your Bank upgraded the technology platform for its mobile banking app *'Go Mobile+'*, upgraded the Unified Payments Interface (UPI) infrastructure and implemented key initiatives like Immediate Payment Service (IMPS) 3.5 for better transaction experience and availability to cater to the increased digital transactions. Your Bank also took rapid strides in the digital realm to enable online Prepaid Card Issuance & Management Process, Account Aggregator services and Digital Lead Generation for sourcing of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) & Agriculture loan products.

Your Bank also implemented industry standard functionalities in its mobile banking app such as (i) unified account dashboard with other bank account details, (ii) revamped UPI journey, (iii) Mobile Banking activation using Aadhaar and (iv) Application Supported by Blocked Amount (ASBA) Initial Public Offers (IPOs) in High Net-worth Individual (HNI) category. Further, additional facilities such as standing instruction for Public Provident Fund (PPF) and Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) accounts, transfer of funds using mobile number, verify beneficiary during IMPS fund transfer, raise disputes, transfer funds to virtual accounts, dark theme and multi-lingual capability have also been enabled in the Go Mobile+ banking app.

In order to improve its customer experience on net banking, your Bank introduced new features such as enhanced IMPS functionality, ASBA IPO for HNI clients, fraud and dispute reporting and facility to view Central Know Your Customer Registry (CKYC) number, etc.

Conversational banking holds good potential for furtherance of digital reach and customer convenience. Your Bank has upgraded its WhatsApp Banking facility to offer key features like hotlisting of Debit Card, generation of Tax Deducted at Source (TDS) certificate, re-KYC and personalised promotional messaging.

To augment its product portfolio and serve niche customer needs, your Bank launched RuPay Select Debit Card, which is a premium category Debit Card with comprehensive travel and lifestyle benefits for its High Net-Worth Individual (HNI) customers. Your Bank launched a new mobile application based soft-Point of Sale (POS) for merchants to receive payments through cash, contactless card transactions and Quick Response (QR) code. Your Bank also introduced Sound-Box solution which is an audio enabled device to alert the merchants about receipt of funds.

Your Bank has put in place the necessary governance structure for engaging with FinTechs to achieve its strategic objectives of digital transformation, innovation and growth to explore new customer segments, develop more innovative products, streamline internal processes for cost efficiencies and provide value added services to its customers.

CORPORATE BANKING

The corporate banking segment of your Bank comprises Large Corporate Group (LCG) and Mid Corporate Group (MCG). The LCG caters to the requirement of its large corporate clients, while the MCG caters to the requirement of mid-sized corporates.

Several policy initiatives taken by the GoI to spur investment in services, manufacturing and infrastructure sectors is boosting credit demand. Your Bank has been looking at viable financing opportunities in these sectors while adopting a selective, calibrated and risk contained approach. Given the complexity involved in financing large projects and with a view to optimising underwriting standards, your Bank set up a specialised Project Appraisal Cell at its Head Office during the year.

Your Bank's Corporate Banking portfolio includes fund and non-fund based products and services provided to its corporate customers spread across various sectors.

Your Bank's asset portfolio for corporate clients includes term loans for both projects and non-projects, working capital (both fund-based and non-fund based), packing credit and post shipment credit to exporters, bill discounting, intra-day limits, etc. Your Bank also offers other products to cater to the needs of its corporate clients such as Short Term Loan – Non-Committed Line, Receivable Buyout, Term Loan linked to External Benchmark, Bill Discounting linked to External Benchmark, Funding against Standby Letter of Credit, etc.

Within the ambit of corporate banking, your Bank also places due emphasis on Priority Sector Lending (PSL) by offering products such as channel financing and vendor financing for dealers/ vendors of corporates as also lending to Non-Banking Financial Companies (NBFCs) for on-lending to customers from the PSL segment. The corporate banking group of your Bank works closely with other business/ specialised teams in Retail Banking, Transaction Banking, Treasury, etc. to develop suitable products and devise appropriate solutions to fulfill specific needs of its corporate clients.

Your Bank continues to follow a calibrated approach in its corporate loan book growth, in order to maintain a capital light model while simultaneously aiming at balanced business portfolio mix. Towards this, your Bank continues to focus on fresh acquisition of well-rated corporate accounts as well as improving business with respect to existing well-rated clients. Furthermore, the Bank has been targeting growth in interest income and fee income through focussed

improvement in utilisation of sanctioned fund-based and non-fund based limits and cross-sell. Your Bank has enhanced credit monitoring mechanisms by adopting new technologies to monitor account level performance to take pre-emptive measures where stress is anticipated.

Credit Monitoring Group

The Credit Monitoring Group (CMG) in the Bank oversees structured Loan Review Mechanism (LRM), monitors Credit Administration Parameters (CAP) and onset of stress in the corporate & retail portfolio for preserving and improving the overall quality of loan portfolio.

The Early Warning Signal (EWS) Application, which is an important tool in credit monitoring, has been operational since December 2019. The system is used to detect stress and incipient weakness by using data feeds from internal/ external sources and generates alerts on regular basis. Risk bucketing under High/ Medium/ Low risk is carried out in respect of all Corporate and Retail accounts within the system's threshold limit, which augments the capability of your Bank to identify high-risk accounts and accounts showing early signs of stress. This enables your Bank to undertake prompt and pre-emptive actions and timely corrective measures. A periodic review of the EWS Application is undertaken and new features are added, in line with continuously evolving regulatory requirement and best industry practices.

Through its asset monitoring tool *'SAJAG',* your Bank monitors the compliances of various Credit Administration Parameters (CAP) which helps to improve the credit culture, to identify incipient weaknesses in the loan portfolio and to prevent slippages.

Your Bank uses structured Loan Review Mechanism (LRM) to provide timely feedback on the effectiveness of credit sanction and regular follow-up is undertaken to ensure compliance of policy guidelines, tracking of early warning signals and timely compliance of the CAP. All these initiatives have helped in identifying and managing the incipient stress in the accounts and thereby, improving the asset quality of your Bank.

Retail Collections

Maintaining a healthy and profitable asset portfolio is one of the most important objective of the Bank. All efforts are, therefore, required to ensure that the delinquencies are within acceptable limits and Non-Performing Assets (NPAs), write-offs and provisions are minimum. In this regard, the Bank has a dedicated Retail Collection team to control incipient stress & slippages and collect dues and overdues from retail loan accounts. The Retail Collection team's activities entail reduction of Pre-Special Mention Accounts, High Risk Accounts, Special Mention Accounts (SMAs) and probable/ marked First Time Non-Performing Assets (FTNPA).

The Retail Collection team drives the collection activities with the help of a team of Collection Officers posted at different Zones/ Regions of the Bank, supported by the Call Centre, Collection Agencies, Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs) as well as the branches/ Retail Asset Centres (RACs) for branch-centric products.

The Retail Collection team makes extensive use of the Bank's Call Centre and the Collection Agencies to achieve higher resolution rate on collections. The High Risk Accounts emanating from predictive model are monitored to contain inflow of SMA by RACs/ Branches for focussed collection and for initiating remedial measures by the field functionaries.

In its endeavour to further strengthen its collection mechanism, the Bank is at an advanced stage of digitisation of the collection-related activities. An Integrated Collection & Recovery Module (ICnRM) Application, which is aimed at assisting the Bank to identify the stress and deploy resources effectively, has been developed and is in the final stages of implementation. The digitised processes are aimed at providing a platform for convenient online collection & recovery of dues from delinquent borrowers and also providing a complete & seamless Management Information System (MIS) for collection-related activities.

Retail Recovery

Your Bank continued to aggressively follow up for recovery of bad loans by identifying and attaching unencumbered properties, ensuring enforcement of securities, opting for negotiated settlements, One-Time Settlement (OTS) campaigns/ schemes, etc. Your Bank intensified its efforts in resorting to all available legal remedies, viz. Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) actions, Chief Metropolitan Magistrate (CMM)/ District Magistrate (DM) permission for taking physical possession of mortgaged assets, filing of suit in Debt Recovery Tribunals (DRTs)/ Civil Courts for fast recovery, etc.

Your Bank also conducted mega e-auctions under SARFAESI Act and auctions through Hon'ble Courts/ legal forums on a pan-India basis with wide publicity. Your Bank also actively participated in National Lok Adalats held every quarter on a pan-India basis for resolving small value loans.

ASSET QUALITY

Your Bank continued to focus its efforts towards containment of fresh Non-Performing Assets (NPAs) and maximising recovery from the existing impaired assets. As at end-March 2024, 95.47% of your Bank's Total Assets were Performing Assets, whereas 4.53% were NPAs. The Bank's fresh slippages were at 1.92% of its Standard Advances in FY 2023-24. During the year, the Bank's recovery from impaired assets and upgrade of NPAs to Performing Assets

amounted to ₹ 2,626 crore. The Bank made adequate provisions in conformity with extant regulatory guidelines. As a prudent approach, your Bank had Provision Coverage Ratio (PCR) of 99.09% as on March 31, 2024.

Your Bank has a dedicated vertical, viz. NPA Management Group (NMG), for driving focused and aggressive approach towards resolution and recovery with account-specific strategies and close monitoring of corporate NPAs.

Your Bank has also set up a centralised desk for cases under the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP). This dedicated desk has been playing a proactive role in providing an overall view by aiding internalisation of learning from the field and dissemination across teams for navigating through the complexities, thereby enabling the Bank to successfully handle the CIRP cases. As of March 31, 2024, a total of 289 cases with an aggregate Gross Principal Outstanding (GPO) of ₹ 39,922 crore (including NPAs/ Technically Written-Off (TWO) Assets) were undergoing CIRP within the ambit of Insolvency & Bankruptcy Code (IBC), 2016. Your Bank was able to resolve some cases under CIRP and recovered a sum of ₹ 2,049 crore from these cases during FY 2023-24. There are few cases in the list of 289 cases in which simultaneously recovery has also happened in parts but not fully received.

Your Bank has a *'One Time Settlement (OTS) Management System'* which facilitates submission of an OTS application through its website and also enables end-to-end processing of an OTS proposal, including tracking of recovery.

Your Bank has launched a non-discretionary and non-discriminatory settlement scheme to expedite recovery of dues on settlement basis in NPA/ TWO accounts under asset categories Doubtful Assets for more than three years (DA-3), Loss Assets (LAs) & TWO currently being handled by the Bank's NPA Management Group with the borrower's aggregate GPO up to ₹ 10 crore and settlement of dues with Personal Guarantor (PG)/ Corporate Guarantors (CG) in cases with GPO up to ₹ 10 crore.

During the year, your Bank also transferred 11 accounts (two NPA accounts and nine Technically Written Off (TWO) accounts) with the GPO amounting to ₹ 1,573.05 crore for consideration of ₹ 460.48 crore (which consists of cash recovery of ₹ 242.58 crore and Security Receipts of ₹ 217.90 crore) to the Permitted Entities. Further, your Bank has transferred one Non-Performing Investment with exposure of ₹ 170.68 crore for consideration of ₹ 43.23 crore (which consists of cash recovery of ₹ 6.48 crore and Security Receipts of ₹ 36.75 crore) to the Permitted Entities.

Your Bank has been pursuing legal action under the applicable laws including enforcement actions under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002. The Bank has also been following up with Debt Recovery Tribunals (DRTs)/ courts on a continued basis and has identified nodal cross-functional team of officers from the Bank's NMG, Legal and Retail Recovery departments for work relating to the DRTs so as to minimise the delays in obtaining recovery certificates/ decrees and execution thereof.

As on March 31, 2024, your Bank classified 364 cases as wilful defaulters with punitive actions initiated against such borrowers/ promoters/ directors and declared eight cases as Non-Cooperative Borrowers.

TRADE FINANCE

Your Bank has a dedicated Trade Finance (TF) department, which offers a wide range of products and services to its corporate and retail customers at competitive pricing. The offerings range from the most commonly used products such as Inward/ Outward Remittances, Letters of Credit (LCs), Bank Guarantees (BGs), Standby Letters of Credit (SBLCs), etc. to more complex domestic and cross-border trade products involving import/ export of goods & services, pre-shipment & post-shipment export finance, short-term trade credits (buyer's credit and supplier's credit), merchanting trade, capital account transactions, etc.

Your Bank, as an Authorised Dealer (AD) Category I bank, has 38 dedicated TF centres, which are authorised to handle all types of foreign exchange transactions. The Bank's Trade Finance products/ services are processed through Centralised Trade Processing Centres (CTPCs), which operate on a hub-and-spoke model at three major metro centres, viz. Mumbai, Chennai and Delhi. The CTPCs cater to the needs of all branches of the Bank and thus, facilitate standardised processing, efficient communication and faster turnaround time (TAT).

Your Bank has been constantly improving its core banking platform as also has been offering digitised trade processing to increase customer engagements and make every step of the trade operation process seamless and convenient. Your Bank has undertaken various IT initiatives to make the transaction executions faster, error-free and seamless. For instance, the Bank has an internet-based Trade Finance platform, viz. IDBI eTRADE, which offers flexibility to the customers to transact on a 24x7 basis. The Bank has built SWIFT GPI capabilities which helps in real-time tracking of cross-border payments, thereby enhancing customer experience. Your Bank has partnered with SWIFT India and implemented Message Queue Host Adaptor (MQHA) for advanced queue management with encryption that strengthens existing security around the message flow for domestic transactions. The SWIFT operations of your Bank are carried out through a Centralised SWIFT Cell (CSC) with utmost due diligence and multiple validation processes under a secured IT platform to

ensure smooth and flawless operations. Further, your Bank has laid down policies, processes, Standard Operating Procedures (SoPs), operating manuals, robust monitoring mechanisms, etc. in compliance with regulatory/ statutory norms as well as international trade practice guidelines.

Your Bank, through its retail internet banking portal, has enabled online initiation of foreign outward remittances under the Liberalised Remittances Scheme (LRS) of the RBI. The Bank has a centralised processing set-up for execution of foreign inward remittances up to a certain threshold limit favouring individuals that would enable faster/ immediate credit to its customers. Further, as a measure of efficient service delivery, your Bank has an online Bank Guarantee (BG) Confirmation Module, which enables beneficiaries of the BGs issued by it to obtain online confirmation of issuance of guarantees.

Your Bank has put in place appropriate operational/ compliance alerts enabled with round-the-clock fraud monitoring. Your Bank, in its endeavour to mitigate cyber fraud risks and also to build effective control mechanism to address Anti-Money Laundering (AML)/ Combating of Financing of Terrorism (CFT) concerns in cross-border payments, has instituted effective system control mechanisms in the form of Payment Controls System & Transaction Screening processes. In order to ensure additional control, your Bank has put in place various system validations to ensure compliance. Your Bank diligently follows Anti-Money Laundering (AML)/ Know Your Customer (KYC)/ Combating of Financing of Terrorism (CFT) guidelines, robust Trade-Based Money Laundering (TBML) red-flagging procedures and the US/ EU sanctions screening for international payments. Your Bank, as a matter of principle, verifies international cargo movement in merchanting trade through the International Maritime Bureau (IMB). The Bank verifies credentials, core activities, scale of business and payment velocity of overseas parties through Business Information Reports offered by reputed agencies in order to safeguard the interests of all stakeholders.

Your Bank's bill finance policy covers purchase/ discount/ negotiation of all genuine bills arising out of trade in Indian Rupee (INR) and Foreign Currency (FCY). Your Bank has covered all its clients availing export credit under Whole Turnover Export Credit Insurance for Banks (ECIB) policies offered by the Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC).

The Bank has developed a widespread network of correspondent banking arrangements with around 650 banks across the globe through bilateral Relationship Management Application (RMA) and consequently is able to render trade and non-trade services across the world. The Bank has Nostro arrangement for remitting funds in 11 currencies directly and also handles remittances in 120 currencies across the globe through correspondent bank arrangement.

GOVERNMENT BUSINESS

Your Bank acts as an agent of the RBI in handling receipt and payment transactions of the Central Government and the State Governments. Your Bank is authorised to collect Central Government Taxes, viz. Direct Taxes, Customs Duty and Goods & Services Tax etc. Your Bank is actively collecting receipts in 17 States/ Union Territories (UTs) and provides 24x7 internet banking facilities for tax payments. Your Bank also collects stamp duty in the state of Maharashtra through electronic Secured Bank and Treasury Receipt (e-SBTR) and Simple Receipt.

Your Bank has enabled online collection of dues for Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) and Employees' State Insurance Corporation (ESIC). Your Bank is authorised by the Government of India to offer Small Savings Schemes viz. Public Provident Fund (PPF), Senior Citizens Savings Scheme (SCSS), Sukanya Samriddhi Account Scheme (SSA), Mahila Samman Savings Certificate, 2023 (MSSC) through its branches and it is also authorised to disburse Central Civil, Defence and Railway Pension.

CASH MANAGEMENT SERVICES

Your Bank is committed to delivering cutting-edge Cash Management Services (CMS) designed to empower corporates in optimising their collections, streamlining Bulk Payments and optimising cash flow. In line with its commitment to innovation, the Bank recently upgraded its CMS System to leverage the latest advancements. This investment ensures that clients will get benefit from state-of-the-art technology, further enhancing the efficiency and effectiveness of their cash management activities.

Your Bank offers an extensive suite of CMS solution encompassing collections, payments and transaction banking, tailored to meet the diverse needs of corporate clients, empowering them with full control over their liquidity position.

Your Bank offers advanced technology solutions like Liquidity Management Solutions, which includes Corporate Liquidity Management Solution (C-LMS), Government Liquidity Management Solution (G-LMS) and CMS products such as National Automated Clearing House (NACH), Virtual Remitter Identification Code (VRIC), Utility Payments through Bharat Bill Payment System (BBPS), Direct Debit, FASTag etc. Additionally, your Bank provides customised e-solutions seamlessly integrated with client systems through Host-to-Host technology.

Your Bank is authorised for participation in Indian Railways e-freight payment system across 12 Zones. Your Bank has launched new age digital products under the CMS suite such as (i) Quick i-Pay, which is an institutional collection product that enables institutions in Business-to-Consumer (B2C) segment to collect dues from their customers through all possible online and offline modes using one single system and (ii) Electronic Fixed Deposits - Suvidha eFD, which is an online facility for Stock Brokers to allow them to place their margin deposits with National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) in a seamless manner.

TREASURY OPERATIONS

Your Bank has integrated Treasury operations in various market segments like Money Market, Fixed Income, Foreign Exchange, Derivatives and Equities. Your Bank's Treasury operations involve active role in balance sheet management, liquidity management, maintaining Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR), trading and investments in market instruments, forex transactions and derivatives.

Your Bank's Treasury is responsible for adherence to regulatory requirement of CRR. Your Bank was compliant with the regulatory requirement by maintaining CRR at 4.50% in FY 2023-24.

The banking system liquidity during FY 2023-24 moved from surplus to deficit in mid-September 2023. The RBI continued to nimbly manage liquidity operations using both Variable Rate Repo (VRR) and Variable Rate Reverse Repo (VRRR). To actively manage liquidity, the Bank's Treasury used various instruments such as Liquidity Adjustment Facility (LAF), Marginal Standing Facility (MSF) and Open Market Operation (OMO) of the RBI as well as other market instruments/ platforms such as Triparty Repo (TREPS), Clearcorp Repo Order Matching System (CROMS) and Call & Notice money. The surplus liquidity was deployed in various short term instruments like Certificates of Deposits, Liquid Mutual Funds and lending in Call/ Notice/ Term Money, Forex Deposit placements, etc.

Your Bank's Treasury has been actively participating in the auction of Government Securities (G-Sec)/ State Development Loans (SDL)/ Treasury Bills (T-Bills) for its trading/ investment portfolio. Your Bank was compliant with the regulatory guidelines by maintaining minimum SLR of 18% in FY 2023-24. The Bank's aggregate investment in SLR securities was ₹ 85,849 crore as on March 31, 2024 with an annualised growth of 17%.

The 10-year Government security benchmark traded in a narrow range of 6.95%-7.40% in FY 2023-24 with downward bias in the last quarter with the debt market continuously receiving Foreign Portfolio Investment (FPI) inflows on account of bond index inclusion in JP Morgan bond indices starting from June 2024. The RBI's decision to keep the policy repo rate unchanged in FY 2023-24 led to gradual decline in bond yields. Your Bank capitalised on the opportunities offered by yield movements and actively managed the portfolio efficiently to maintain yields at 7.04% on total SLR investment of ₹ 85,849 crore (including profit on sale) during FY 2023-24.

Your Bank continues to be an active player in G-Sec market as a Primary Dealer (PD). The PD desk ensures that the Bank meets all the regulatory requirements like bidding commitment and turnover ratio for G-sec and success ratio for T-bill auctions, etc.

Your Bank also provides Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) service to Gilt Account Holders (GAHs). Further, in order to provide liquidity in the secondary market for retail investors under the RBI Retail Direct facility, your Bank also undertakes market making by providing buy/ sell quotes to the retail investors on the NDS-OM platform (odd-lot and Request for Quotes segment). Your Bank provides retailing of G-Sec through IDBI Samriddhi platform, which is a web-traded portal wherein retail investors can buy/ sell G-Sec online and through the Bank's ATMs.

Your Bank's Treasury has an active forex interbank and derivatives desk. The forex interbank desk provides competitive forex rates to the clients. In order to further enhance its forex business, your Bank introduced Two-Way Market Making/ Trading in Cross Currencies with the banks in India through automatic system-driven trading. This is expected to increase volume and profitability of your Bank's forex business. More importantly, it is expected to increase your Bank's market presence in the forex market. The Bank's Derivatives desk provides various interest rates and exchange rate hedging solutions to clients to meet their hedging requirements.

Your Bank's Treasury is supported by a pan-India sales team across 13 centres for effective marketing of foreign exchange, fixed income and derivative products. The sales team works closely with all the relationship managers of the Bank to cater to the large, medium and small corporate retail clients. The team members proactively interact with the clients to provide solutions for them to effectively manage their exposures in currencies, rates and also advise them with investment solution in Debt instruments (G-Sec, Non-SLR Bonds, etc.). The sales team also leverages its reach to cross-sell other products of the Bank. The Bank has set up a centralised forex desk at its Head Office to streamline covering process and improve efficiency of forex transactions. The Bank's Equity Desk trades in financial instrument to earn trading revenues through short term and medium term price movements.

Your Bank has an outstanding investment of ₹ 23.98 crore in Venture Capital Funds (VCF) (as defined by erstwhile SEBI regulations during 1996).

The RBI, vide its Master Direction on Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2023, revised the classifications, valuations, income recognitions, accounting and presentation of investment portfolio and derivative contracts, with effect from April 1, 2024. Your Bank has implemented the guidelines as on April 1, 2024.

CROSS-BORDER BRANCHES

Your Bank's International Banking Unit (IBU) at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) commenced its operations on May 6, 2016. The IBU comes under the Kandla Special Economic Zone (SEZ) of GIFT and its functioning is regulated by the provisions/ guidelines issued by the International Financial Services Centres Authority (IFSCA). Besides other products, the Bank's IBU also focusses on funding against Buyers' Credit (BC) and External Commercial Borrowings (ECBs) for eligible Indian corporates. Your Bank's GIFT City branch also offers product IBU Term Deposit and Reimbursement Authorisation (RA) Financing.

As a part of its business strategy, your Bank had initiated closure of operation in Dubai in FY 2022-23. After obtaining necessary approval, the process of closure of DIFC Branch was completed in FY 2023-24.

CREDIT RATING

Your Bank obtains credit ratings for both its domestic and foreign currency borrowings. The rating action during FY 2023-24, along with current ratings for the Rupee resources as on March 31, 2024, are as follows:

	Ratings for Rupee Borrowings			
Rated Instruments	**CRISIL**	**ICRA**	**India Rating**	**CARE**
Rating action in	**Jan 2024**	**Aug 2023**	**Dec 2023**	**Dec 2023**
Fixed Deposit	CRISIL AA/ Stable^	[ICRA] AA-/ Stable^^	IND AA-/ Stable^^^	-
Short Term Borrowings (Certificate of Deposit)	CRISIL A1+	[ICRA] A1+	IND A1+	CARE A1+
Long Term Rupee Bond (Senior and Lower Tier II Bonds)	CRISIL AA-/ Stable&	[ICRA] AA-/ Stable^^	IND AA-/ Stable^^^#	-
Hybrid Upper Tier II Bonds	Withdrawn	-	-	-
Hybrid – IPDI (Basel II)	Withdrawn	-	-	-
Tier II Bonds (Basel III)	CRISIL AA-/ Stable&	[ICRA] AA -/ Stable^^	IND AA-/ Stable^^^	CARE AA-/ Stable%

Note:

^ - *Rating upgraded to CRISIL AA/Stable from CRISIL AA-/Stable*

& - *Rating upgraded to CRISIL AA-/Stable from CRISIL A+/Stable*

^^ - *Rating upgraded to [ICRA] AA-/Stable from ICRA A+/Positive*

^^^ - *Rating upgraded to IND AA-/Stable from IND A+/Stable*

- *Only Senior Tier II bonds has been rated*

% - *Rating upgraded to CARE AA-/ Stable from CARE A+/Positive*

The Medium Term Note (MTN) Bonds rated by foreign rating agencies, viz. S&P Global Ratings (S&P) and Fitch Ratings (Fitch), were fully repaid on November 30, 2020. Hence, the Bank had terminated the rating engagements/ agreement with them on May 21, 2021, for various issues made under the MTN Bond Programme. Accordingly, rating for Foreign Currency Borrowings stands withdrawn.

RISK MANAGEMENT

The risk management strategy of your Bank essentially focusses on the fundamental tripod, viz. identification, measurement and monitoring. While identification enables the Bank for further analysis and assessment, measurement empowers the Bank to manage risk effectively. This strategic approach allows the Bank to attain improved decision-making and derive confidence therein through available risk management tools. A well-defined policy framework outlining appropriate limits and procedural aspects enables the Bank to mitigate and manage risk within its overall risk appetite. Periodic policy updates attempt to ensure further refinement in risk management practices by capturing the essence of business dynamics, banking innovations, emerging risk scenarios and regulatory changes. Your Bank constantly endeavours to improve its risk management culture by spreading risk awareness across all the verticals and making it an integral decision-making criterion. While the Risk Management Committee (RMC) of the Board is responsible for overall risk management, the day-to-day activities are conducted at various levels based on the risk governance structure. The risk management systems and processes are continuously upgraded in alignment with the regulatory requirements. For a more robust and technologically advanced risk management system, your Bank has implemented Integrated Risk Management Architecture (IRMA) comprising software solutions, viz. Credit Risk Assessment Module (RAM), Capital Assessment Model (CAM) and Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE). IRMA helps to identify and measure credit and operational risks which in turn facilitates formulation of suitable risk management strategies. Further, the Bank has a well-established Financial Analytical Application for its Asset Liability Management (ALM), Fund Transfer Pricing (FTP), Profitability Management and Liquidity Risk Management.

Risk Management Processes

The Bank documents its risk review process in terms of various policies and established practices to ensure transparency, accountability and consistency in evaluating and managing risks across all operations and portfolios. The Bank has a well-defined policy framework to incorporate and implement risk management process at various levels which are demonstrated through measures outlined in this section of the Annual Report.

Implementation of Basel Norms

In adherence to the Pillar 1 guidelines of the RBI under Basel III framework, your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market and operational risks on a monthly basis. In addition, banks in India are mandated to maintain the Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50%. Your Bank also keeps a close watch on the movement of Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR) at monthly periodicity. Your Bank's *'Total Capital + CCB'* ratio was 22.26% as on March 31, 2024 against the regulatory requirement of 11.50%. Similarly, your Bank's *'Common Equity Tier 1 (CET1) + CCB'* ratio was 20.11% as against the regulatory requirement of 8.00%. Your Bank's *'Tier 1 + CCB'* ratio stood at 20.11% as on March 31, 2024 as against the regulatory requirement of 9.50%. Your Bank's Leverage Ratio as on March 31, 2024 was 8.53% against the minimum regulatory requirement of 3.50%. Your Bank has a Board-approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in line with the Pillar 2 norms of the Basel III framework. This policy enables your Bank to internally assess and quantify those risks which are not covered or not adequately covered under Pillar 1 as well as to develop appropriate strategies to manage and mitigate risks under normal and stressed conditions. Your Bank has also put in place a comprehensive stress testing framework in line with the RBI guidelines. The stress testing framework enables your Bank to assess its performance under exceptional but plausible events/ scenario and facilitates in framing appropriate proactive strategies to meet unforeseen contingencies. The stress testing framework also includes scenario analysis, multifactor sensitivity analysis and reverse stress testing. Scenario analysis covers a study on impact of further increase in Gross NPAs, crystallisation of non-fund facilities in Non-Performing Assets (NPAs) & Technically Written-Off (TWO) accounts and impact of illiquid securities on capital and profitability of the Bank. The Bank uses the mechanism of reverse stress testing to ascertain the level of stress which may adversely impact the capital and profitability of the Bank to take it to a pre-determined floor level. Your Bank has adopted a Disclosure Policy in accordance with the Pillar 3 requirements under the Basel norms. Accordingly, disclosures as at the end of each quarter are hosted on your Bank's website, thereby exhibiting high degree of transparency. Your Bank has also laid down a Reputational Risk Assessment and Management Policy to proactively assess the risks posed to its reputation and the related consequences, along with the measures to contain them. Your Bank has also put in place Group Risk Assessment Policy to monitor and minimise the overall risk profile at the group level. Your Bank follows the Standardised Approach under Credit Risk for computation of capital charge. Your Bank follows Basic Indicator Approach (BIA) to compute regulatory capital charge for Operational Risk. Your Bank is in readiness to implement new standardised approach for assessment of operational risk capital requirement as proposed by the RBI. A comprehensive set of Key Risk Indicators (KRIs) and Risk & Control Self-Assessment (RCSA) framework was rolled out across different business segments for augmenting risk culture and ensuring effective control mechanism. For Market Risk, your Bank follows Standardised Measurement Method (SMM) to compute regulatory capital requirements.

Credit Risk

The Credit Risk Management system in your Bank includes the Risk Assessment Model (RAM) for credit rating of proposals and Capital Assessment Model (CAM) for automation of capital adequacy assessment. The Bank's Credit Policy is reviewed periodically in line with changing business objectives and economic environment and forms the guiding tool for the business verticals. As per the Board-approved structure, the Credit Risk Management Committee (CRMC), inter alia, ensures implementation of Credit Policy strategies and monitors credit risk on bank-wide basis. In addition to Risk Assessment Model (RAM)/ score-based internal rating, the Bank has also developed Quantified Risk Scoring Matrix (QASM) for risk-categorisation of high-value Corporate and Micro, Small & Medium Enterprise (MSME) loans.

Your Bank has rolled out the upgraded credit risk assessment application, viz. ICON (Intelligent Credit Origination), for business users. The updated ICON application is agile, flexible and is based on cutting–edge technology. It has various new features which will help in smooth and efficient internal rating and credit decision making.

Your Bank developed a centralised Model Repository System (MRS), which was launched in January 2024. The MRS would enable the verticals to monitor their respective models on an e-platform in respect of documentation, review, validation and agreement execution.

Market Risk

The Market Risk Management in your Bank, in terms of functions and business positions, operates in line with the policy framework defined in the Market Risk & Derivative Policy and the Investment Policy. These policies, in general, outline the appropriate levels of risk appetite and implementation mechanisms for measurement, monitoring, reporting and escalation of risks and exceptions. With the implementation of Integrated Treasury Management System (ITMS), market risk management efficacy of your Bank has been further strengthened. All the prescribed limits and procedures are monitored closely by the Treasury Mid-office, which is independent of the Front-office and the Back-office of Treasury. Trading positions are monitored against limits at portfolio as well as dealer level. Assessment of Non-Statutory

Liquidity Ratio (NSLR) Bonds is carried out through in-house developed internal rating based model in order to create a robust Non-Statutory Liquidity Ratio (NSLR) Bond portfolio. Market risk is monitored through various metrics and tools, viz. limits on positions, gaps, Modified Duration (MD), PV01, Day Light Exposure and Net Overnight open Position (NOOP). The Bank also assesses risk with the help of Value-at-Risk (VaR) metrics and regular stress testing.

Liquidity Management

The Bank has a well-organised liquidity risk management structure as enumerated in the Board-approved Asset Liability Management (ALM) Policy. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors and manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. The Asset Liability Management (ALM) activities including liquidity analysis and management are conducted through co-ordination amongst various Asset Liability Management Committee (ALCO) support groups in the functional areas such as Balance Sheet Management, Treasury Front-office, Budget & Planning, etc. The Asset Liability Management Committee (ALCO) directives and Asset Liability Management (ALM) directions are implemented by the business groups and verticals concerned. As per the regulatory guidelines, the Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Bank is computed on a daily basis with effect from January 1, 2017. The average Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Bank remained at 119.84% for the quarter ended March 31, 2024. Your Bank implemented the Net Stable Funding Ratio (NSFR) from October 1, 2021 in line with the RBI directives. The Bank's Net Stable Funding Ratio (NSFR) as on March 31, 2024 was 118.87%.

Operational Risk

Your Bank has a robust Operational Risk Management Framework (ORMF) which includes an organisational set-up comprising the Board of Directors, Risk Management Committee (RMC) of the Board, Operational Risk Management Committee (ORMC), Operational Risk Management (ORM) section in the Risk Management Department and nodal officers from various functions/ departments. The operating procedures for operational risk are guided by the Board-approved Operational Risk Management Policy which aims at identifying, monitoring, measuring and managing operational risks associated with banking activities. Your Bank has robust internal systems and procedures for mitigation of inherent risks spread across various business activities/ operations. It manages the operational risks through Key Risk Indicators (KRIs) and Risk Control Self-Assessment (RCSA) exercises and periodically updates these outcomes to the Operational Risk Management Committee (ORMC) and the Risk Management Committee (RMC) of the Board. Operational risk loss events from across the Bank are collated and presented to the Operational Risk Management Committee (ORMC) along with the root cause analysis.

Your Bank also conducts stress testing exercises on a quarterly basis in order to study the impact of stressed operational risk losses on its earnings and capital. This is aided by measurement and reporting of any breach in the Board-approved Risk Appetite limits for operational risk. At present, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach (BIA) for computation of Operational Risk Regulatory Capital and Risk Weighted Assets. At the same time, the Bank is also ready with Operational Risk Regulatory Capital Computation under Basel III Standardised approach, which shall replace existing BIA. Your Bank has created a centralised platform for digital hosting of all internal policies, products, manuals and Standard Operating Procedures (SOPs) at one place in order to ensure timely updation and easy access to the employees.

Business Continuity Management

Your Bank has robust Business Continuity Management (BCM) processes to mitigate business disruptions and life-threatening events. Your Bank has been awarded ISO 22301:2019 certification for its bank-wide coverage of Business Continuity Management. As a part of the Business Continuity Management (BCM), a well-defined Business Continuity Plan (BCP) has been put in place for core and support functions. This is intended to provide continuity in services to customers even in case of business disruption/ disaster. Besides, a comprehensive Disaster Management Plan (DMP) is deployed for its major establishments to safeguard human lives and minimise damage to valuable assets during disaster. Resilience of the Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Management Plan (DMP) is tested periodically through BCP testing exercises, disaster recovery including holistic drill and mock evacuation drills. The Bank's Business Continuity Management System is well-equipped with an automated incident reporting tool, viz. Integrated Disaster and Business Continuity Management System (i-DaB). In order to ensure uninterrupted delivery of critical services to customers, the Bank has developed a mobile-based application, viz. ion BCP, to enable hassle-free instant invocation and execution of the Business Continuity Plan (BCP) by the disrupted branches.

Information Technology Risk

Your Bank has taken a series of steps to improve its Information Technology (IT) risk management and control. Your Bank has set up a state-of-the-art Security Operation Centre (SOC) at its Data Centre (DC) at Navi Mumbai and at Disaster Recovery (DR) site at Chennai to ensure high availability of the Bank's systems. The 24x7 Security Operation Centre (SOC) is a Command Centre for countering cyber threats and ensuring compliance with the Bank's Information

Security Policy and Cyber Security Policy besides fulfilling the Bank's objective of providing safe and secure banking to its customers. Further, through the Security Operation Centre (SOC), your Bank centrally monitors security devices like firewalls, routers, Intrusion Detection System (IDS) devices/ Intrusion Prevention System (IPS) devices, Privileged Identity Management (PIM), antivirus, phishing/ malware attempts and takes corrective actions. Your Bank regularly conducts Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT) of external applications, viz. Finacle E-Banking Application (FEBA), mobile banking, mail messaging, etc.

Your Bank has successfully implemented the RBI's recommendations pertaining to Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds and the RBI's Cyber Security Framework for banks. Your Bank has put in place an appropriate organisational framework, as recommended in the guidelines, which includes an exclusive Information Security Group headed by the Chief Information Security Officer (CISO) who reports to the Chief Risk Officer (CRO) of the Bank.

Your Bank has put in place distinct Information Security Policy, Cyber Security Policy and Cyber Crisis Management Plan, which articulate management intent and direction for addressing cyber security risks. Your Bank conducts and participates in various types of cyber drills, table-top exercises, phishing simulation exercises and breach readiness exercises to check and maintain the health of its information security set-up.

Information Security Awareness has been included as a mandatory session in the Induction Programme for new recruits of the Bank. The members of the Senior Management of the Bank attended IT Risk programme at Institute for Development & Research in Banking Technology (IDRBT). Apart from conducting regular information security awareness programmes for the employees, various information security precautions are also communicated to customers through mailers, SMSes, ATMs and posters, to minimise/ thwart the attempts of security breach. The Bank observes the *'Cyber Jagrookta (Awareness) Diwas'* on the first Wednesday of every month in line with the GoI guidelines. Moreover, the Bank has also extended cyber security related hygiene programme for Select Vendor supported outsourced staff.

IT infrastructure and systems have been implemented within a robust information security framework including solutions on both perimeter and end-points. Your Bank's Data Centre (DC), Disaster Recovery Centre (DR) as well as Near DR Centre (NDR) are certified with the latest ISO 27001:2013 information security standards. Your Bank's Near DR ensures zero data loss for critical transaction systems. The Information Security Steering Committee (ISSC) of the Bank provides directions and guidance for mitigating IT risk in the information systems and provides direction on the status of observations identified through Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT)/ Application Security Testing (AppSec) process. The cyber security posture, various security incidents and the policies are placed before the IT Strategy Committee of the Board (ITSCB) for necessary directions. The policies are recommended by ITSCB to the Board for approval.

Several information security solutions have been implemented like Privileged Identity Access Management, Next-Generation-Firewall Solution, Mobile Device Management, Honeypot Solution, Patch Management Solution, Active Directory, Web/ Mail Gateways, Endpoint and Universal Serial Bus (USB) encryption, Data Leakage Prevention (DLP) solution, Advanced Persistent Threat (APT), Network Access Control (NAC), Web Application Firewall (WAF) etc. to protect customer data, prevent external attacks as well as strengthen internal controls.

Fraud Risk Management

Your Bank has a dedicated Fraud Risk Management Group (FRMG) which focusses on risk-based monitoring of suspicious transactions across various digital banking platforms & applications. In order to achieve fraud detection and real-time prevention, the Bank deploys detection rules and predictive analytical models within the high performance Enterprise-wide Fraud Risk Management Solution (EFRMS).

The risk-based suspicious transaction monitoring activity which operates on 24x7 basis, has been extended to cover all digital channel transactions encompassing Debit Cards, Credit Cards, Mobile Banking, Internet Banking, Unified Payments Interface (UPI) and Aadhaar Enabled Payment System (AEPS). During FY 2023-24, the Bank has progressively implemented decision making authorisation rules and alerting queues to scan the entire digital transaction landscape. This mechanism empowers customers of your Bank to transact and make their digital payments in a more safe and secured environment.

Climate Risk Management

The Bank has integrated climate risk management into its risk management process by assessing climate related risks across its lending portfolio. This involves identifying exposures, evaluating potential impact and regularly monitoring of such portfolio. The Bank's Credit Policy stipulates restrictions on environmentally detrimental industries such as those producing/ consuming ozone depleting substances while encouraging sustainable financing. The Bank also has a Board-approved policy on Green Deposits and Financing Framework. The Bank also encourages financing to Renewable Energy through its lending to various segments like Solar Energy/ Solar Panel for Residence, Compressed Bio Gas, Commercial/ Passenger Electric Vehicles, etc. The

Bank's internal rating system also captures environmental risks as part of credit risk assessment of a borrower. The well-defined Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy of the Bank acknowledges the climate risk to be studied as one of the material risks being faced by the Bank. The Bank is in the process of developing narrative-driven scenario analysis to assess potential risk emerging out of climatic changes to its exposure. As part of internal capital adequacy assessment, the Bank is assessing physical risk on a medium term, for its agriculture and residential real estate portfolios.

Emerging Risk

The Bank recognises risks like climate changes, cyber security threats and other emerging risks in the near term and endeavours to take proactive measures to address such risks. The climate risk not only poses threat to the Bank's assets, lending and operations but also creates opportunities in sustainable projects.

Information security risks demand robust cyber security protocols and continuous monitoring to safeguard customer data and financial integrity. Constant vigil over cyber security, external certification/ validation, etc. are some of the focus areas for the Bank.

By integrating climate risk management and cybersecurity measures into its operations, the Bank not only mitigates potential impacts but also demonstrates its commitment to sustainability and safeguarding customer trust in a VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity) world.

MANAGEMENT, CONTROLS AND SYSTEMS

HUMAN RESOURCES

Your Bank has always been driven to build an agile and future-ready organisational environment for its employees to excel and realise their aspirations.

While mitigating the various business challenges, your Bank has undertaken a significant re-alignment of strategy, structure, systems and technology. Efforts to realign employee experience has always been at the heart of all such strategic interventions. There has always been a focus to create a culture which is a blend of market and employee orientation.

LEARNING AND EMPLOYEE ENGAGEMENT DEPARTMENT

IDBI Learning Ecosystem: Invest in learning and make a difference

Your Bank is committed to employee development, focussing on learning and employee engagement to enhance professional excellence. During FY 2023-24, your Bank has implemented numerous initiatives to strengthen the Learning and Employee Engagement Department and to align learning programmes with the Bank's vision, mission and goals. Customised behavioural & functional programmes were meticulously designed based on zone & vertical specific learning needs, fostering holistic employee development. These programmes were conducted at the Bank's Head Office, Mumbai, IDBI Training College, Hyderabad and IDBI Learning Centres (ILCs) across the country.

Aarohan 2: Our Journey to Excellence – An extensive behavioural science programme focusing on customer experience, employee engagement and positive work culture

Your Bank recognises the significance of fostering a positive work culture where employees work as a team, continuously acquire new skills and proactively initiate actions to enhance customer experience, going for an extra mile to make a meaningful impact on customers' lives. To instill this ethos, an in-house mass behavioural science program was developed, focusing on the Bank's core values– Customer Connect, Take Initiatives & Make a Difference, Imbibing Work Culture and Transform with Changes with a novel concept of flourishing *'Happiness Tree'*.

A total of 515 programmes have been conducted covering 14,558 employees (94% of eligible employees) up to grade 'D' in FY 2023-24.

Capacity Building - Strengthening Foundation

(i) Role-based Workshops for various branch roles

Your Bank has initiated role-based workshops for various positions in the branches, including branch heads, asset officers, service and operation managers, relationship managers, customer service executives & teller service executives. These workshops comprehensively covered functional and behavioural sessions while emphasising on compliance, control and ethical practices. The aim is to bridge knowledge & skill gaps and to develop confidence in employees as they take on new or existing roles.

A total number of 260 role-based workshops were conducted covering 4,070 participants across zones in FY 2023-24.

(ii) Online Capsule Programmes – MSME & Agri Gyanshala and KYC Excellence Drive

Your Bank has initiated efforts to develop employees in specialised areas such as MSME and Agriculture through online capsule programmes. These programmes are conducted after business hours, reaching employees at their desks. The goal is to target the branch in place of individual employees,

as the programmes are conducted through Microsoft Teams meeting in a hand-holding manner to facilitate maximum branch participation. In FY 2023-24, 234 online capsule programmes on MSME Gyanshala, Agri Gyanshala and KYC Excellence Drive have been conducted and attended by 4,193 employees.

Developing Compliance Culture - Dedicated Programmes on Compliance, Control & Ethics (CCE)

Your Bank has proactively conducted an exclusive program on Compliance, Control and Ethics which was attended by 85 Zonal Operation Managers and Regional Operation Managers (94% of eligible employees). This initiative, under the guidance of the top management, sought to instill a culture of compliance as an integral part of daily work. Additionally, dedicated sessions on Compliance, Control and Ethics have been incorporated in functional programs.

Learning programmes as per Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR)

(i) ***Program on Environment, Social and Governance (ESG)***

ESG-adoption by organisations offers a competitive advantage, instill investors' confidence, earns appreciation from regulators for risk management & enhanced transparency, builds customer loyalty, improves financial performance and promotes operational sustainability. To drive the adoption of ESG processes at crucial levels, your Bank in collaboration with the Institute of Directors, organised a programme on Environment, Social and Governance (ESG) for the Board members, top executives and senior management.

To spread awareness among other employees about ESG importance & implementation, an e-learning module has been assigned to them and it is completed by 93% employees in FY 2023-24.

(ii) ***Wellness program & Human Rights Awareness for subordinate & clerical employees***

Your Bank has conducted wellness & human rights awareness program for subordinate staff & clerical employees across zones and covered 88% of its employees.

Management Development Program for Senior Management at ISB, Hyderabad

In order to enrich skill sets, fostering adaptability to change, gaining strategic insights, facilitate succession planning and provide insights into the latest trends, your Bank conducted a management development program for senior management at ISB, Hyderabad, which was attended by 53 senior executives.

Nurturing young talent – Reviewed institutional tie up programmes & induction programmes

Developing future leaders has always been a priority for your Bank. To enhance their on-boarding experience, enhance their competencies, familiarising them with the Bank's work culture, growth opportunities, their roles & expectations etc., institutional tie-up programmes and induction programmes for assistant managers & lateral recruits have been reviewed to maintain a competitive edge.

Foreign Training Programmes

To broaden the exposure and expertise of employees in relevant areas, your Bank nominated eight eligible employees for foreign training/ seminars.

Specialised External Training Programmes

Your Bank arranged specialised external training programmes for 733 selected employees in collaboration with external institutes/ faculty, catering to their specific needs in various domains such as risk & compliance, information technology, credit, treasury, etc.

Collaborative Learning - Location Convenience Programmes

Your Bank has worked on a new approach of location convenience program, by developing customised program based on the collective concerns of nearby branch clusters. These programmes are conducted in the evenings at branch locations by the facilitators ensuring minimal disruptions to daily operations.

Partnering with Business & Compliance - Vertical need-based programmes

Your Bank remains dedicated to fostering the well-rounded growth of its employees. In alignment with the requirements of different verticals, 63 exclusive programmes were organised covering 1,604 participants, leveraging both internal and external expertise. This includes major initiatives for treasury, credit, audit, retail, operations and other essential areas.

Digitisation of Mandatory Learning Programmes

Mandatory learning programmes as per the regulatory guidelines have been developed into e-learning modules to provide convenience and easy access to employees. This approach has yielded good results with a higher completion percentage by all the employees. Compliance & Customer Service which have been the major focus areas, have been completed by 98% of eligible employees upto grade 'F'.

Updation of OJAS (e-learning) Modules

In order to facilitate convenient access to the latest developments, Bank guidelines, products & processes to the employees, your Bank has undertaken efforts to update e-learning modules. These modules are accessible online, including on mobile phones.

Organising Learning Programmes for other Banks/ NBFCs

Your Bank conducted 30 offline/ virtual learning programmes for other banks in various areas, leveraging internal and external expertise. This initiative strengthens connect with other institutes and helps exploring future collaborations for mutual benefit.

Learning Activities for Employee Engagement

To inculcate a habit of continuous learning, your Bank has launched various employee engagement activities such as *'Learning Wednesday'* – a dedicated day for updating knowledge and learning new skills in a team by the employees at branches, regions, zones & verticals, *'IDBI Knowledge Cup'* – a Bank-level quiz competition wherein teams of 76 regions participated in the first round, winner teams reached the second round and the final round was conducted among zone winners, *'Rapid Fire on Compliance'* - which was conducted on the last day of all functional programmes in ILCs and IDBI TC. This collaborative learning approach is yielding positive outcomes.

Knowledge updation through e-Publications

For knowledge updation on the Bank's products, processes & guidelines and enhancing awareness of current economic conditions, the world economy, regulator's guidelines etc., your Bank has developed internal e-publications and uploaded on Intranet - *'QBank'* which is a Question Bank for knowledge updation and was visited by 15,182 employees during the year and *'GK+'* which is prepared for awareness about the economy, regulator guidelines and the world around us.

Manpower Deployment

Your Bank has a robust manpower deployment mechanism for facilitating the organisational and the statutory requirements while keeping in view employees' interest as well. The placements are done to develop competencies and skills of the officers through exposure to wider and diverse operational areas. This is also facilitated through the capacity building framework which envisages optimising skills of individuals through specific intervention by way of knowledge upgradation and enhancing existing skill sets. Further, movement of officers, including officers holding sensitive positions, is guided by the framework provided in Officers' Rotation and Transfer Policy.

Employee Benefits & Well-Being

Your Bank has curated an employee experience that helps them perform better, have a sharper focus at their jobs and feel a sense of belonging, accomplishment and fulfilment in their work. Your Bank has designed all employee policies and processes with a *'human-centric'* approach.

Health & Well-being

Your Bank provides medical facilities for its employees and their dependents, which include hospitalisation cover, reimbursement of domiciliary treatment, comprehensive health check-ups, services of Bank Medical Officers at major centres, etc. In order to take care of its employees' emotional well-being, your Bank has introduced an Employee wellbeing and Assistant Programme, viz. i-Care, wherein the employees can seek support from trained professional counsellors.

Financial Assistance

Your Bank extends loans and advances at soft rate of interest and concessional terms of repayment which enables its employees to fulfil their dreams of owning their dream home/ car. There is also a provision for carry forward of repayment of home loans beyond the age of retirement.

Scholarship for wards of employees

During FY 2023-24, your Bank disbursed Dr. B. R. Ambedkar Scholarship to the children of Class III & IV employees from the Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs) category.

Compassionate Schemes

To ensure that bereaved family members of employees who die in harness do not face financial difficulties and to tide over such circumstances, your Bank has put in place schemes to provide compassionate appointment to dependent family members/ payment of ex-gratia amount for financial support. Life insurance cover is provided to all employees and all outstanding staff loans, including clean overdraft facility, are covered under insurance schemes.

Legal & Financial Assistance

Your Bank has put in place a scheme for extending financial and legal assistance to its Directors/ Officers/ Employees and also, a Directors & Officers Liability Insurance Policy (D & O Policy).

Industrial Relations

The industrial relations climate in your Bank was generally cordial, during the year, with most of the issues having been resolved amicably. The Bank has been holding meetings

with the Associations and Unions in its endeavour to have constructive dialogue for understanding and addressing grievances of its employees. The Associations and Unions have also been responsive and proactive while addressing various issues.

Diversity and Inclusion

Your Bank continued its efforts in promoting diversity and inclusion in the workforce. The ratio of women employees improved over the previous year. Your Bank continued to recruit Persons with Disabilities and applicable guidelines on reservation were followed. As on March 31, 2024, the representation of Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs)/ Other Backward Classes (OBCs)/ Economically Weaker Sections (EWSs) in the Bank's total manpower was as follows:

CLASS	SC	ST	OBC	EWS
Officers	2,417	993	4,268	255
Executives	304	124	677	234
Clerical	42	19	42	0
Subordinate	96	31	79	0
Total	**2,859**	**1,167**	**5,066**	**489**

Succession Planning Policy (SPP)

Your Bank has put in place a policy for succession planning at critical senior positions of Executive Directors and Chief General Managers. The policy provides a holistic framework for creating leadership pipeline for the senior positions to ensure business continuity when identified critical positions are vacated.

Prevention of Sexual Harassment at Workplace (POSH)

With the aim of providing quick assistance and the much desired immediate support to the aggrieved women on account of occurrence of an untoward incident, an e-mail based grievance mechanism has been put in place by the Bank to enable them to lodge complaints of sexual harassment faced by them at the Bank's workplace with the members of internal committees directly.

Disclosures under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

With the objective of creating a safe and friendly work environment and ensuring prevention of sexual harassment at workplace, the Bank, in line with the requirements of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, has set up two Internal Committees to redress the complaints received regarding sexual harassment of women at workplace. During FY 2023-24, the Bank received 9 (nine) complaints which were attended to by the respective Internal Committees. As on March 31, 2024, 3 (three) complaints were pending for conclusion.

Performance Management System

Your Bank has put in place a performance appraisal system, viz. IDBI Performance Assessment & Continuous Evaluation System (iPACE), with the objective of aligning an employee's performance with the organisational targets, ensuring objectivity and fostering performance & compliance oriented culture. iPACE includes standardised Key Result Areas (KRAs) for similar roles with uniform weightage and direct system/ dashboard linkages for most of the measurable KRAs.

Recruitment and Staffing

In sync with its growth trajectory, the Bank has been building up a young workforce with a multi-pronged talent acquisition strategy that involves on-boarding young talent through Campus Connect programme, collaborations with educational institutes to provide trained officers and direct recruitment. The focus is on on-boarding talent with the desired quality and skill sets for organisational growth. During the year, your Bank recruited 2,809 individuals in various grades as given below:

Grade	Total
DMD	1
Grade A (Assistant Manager)	1,549
Grade B (Manager)	53
Grade C (Assistant General Manager)	44
Grade D (Deputy General Manager)	5
Grade E (General Manager)	3
Grade F (Chief General Manager)	1
Grade G (Executive Director)	1
Executive on Contract	1,149
Clerical#	3
Total*	**2,809**

** - The above data excludes Advisors (on contract) and Chief Customer Service Officer.*
 # - Compassionate Appointments

As on March 31, 2024, your Bank had total staff strength of 19,013 as given below:

Class	Total
Officers	16,341
Executives (Sales & Operations)	1,951
Clerical	341
Subordinate	380
Total*	**19,013**

** - The count includes employees on contract*

Professional Growth

Opportunities in varied aspects of banking, viz. Retail, Corporate, Trade Finance, Treasury, Government Business, etc. as well as sales, operations and support functions provide ample scope to employees to have a well-rounded professional growth as complete bankers. Younger employees place more emphasis on learning as competitive landscapes are continually changing. Your Bank focusses on re-skilling/ future skilling and in an endeavour to encourage continuous learning, your Bank has been sponsoring course fees/ distance learning/ certifications in relevant areas.

Ethics & Compliance

Your Bank has introduced the concept of Chief Ethics Officer/ Zonal Ethics Officers to ensure promulgation of an ethical and compliant culture throughout the Bank.

ADMINISTRATION AND INFRASTRUCTURE MANAGEMENT

Your Bank has completed relocation and major renovation of branches and various Zones. Your Bank completed centralisation of Professional Tax Payment for fourteen states. Your Bank has completed automation of various areas, viz. Paperless Visitor Pass System, Online Portal for application of Staff Education Loan, Allotment of Dormitory, Staff-related payment, in order to improve the turnaround time and efficiency in process flow.

INTERNAL AUDIT

Your Bank has a dedicated Internal Audit Department, which evaluates the adherence to internal policies, procedures and regulatory guidelines as also provides objective assurance on the effectiveness of internal controls, risk management and governance processes within the Bank and suggests improvements. The audit function has adopted the Risk Based Audit approach and audit activities cover the entire spectrum of the Bank's business and support verticals spread across the Zonal Offices, the Regional Offices, the branches and the non-branch segments. The Risk Based Internal Audit framework is reviewed and revised periodically to align it with the changing business environment and also promote a strict compliance culture. The Audit Department functions under the overall guidance and supervision of the Audit Committee of the Board (ACB).

The Audit function is governed by (i) Risk Based Internal Audit Policy; (ii) Concurrent Audit Policy; and (iii) Information Systems Audit Policy. As part of the Risk Based Internal Audit Programme, the Audit Department conducts various types of audits, viz. Branch Audit, Management Audit of Zones and Regions, Credit Audit, Information Systems Audit, Concurrent Audit, etc. In addition to the normal audits, the Audit Department also undertakes Surprise Audit, Dynamic Audit, Snap Audit, Thematic Audit, etc. to ensure robustness of the internal control mechanism. A Zonal Audit Office (ZAO) structure has been created in order to ensure focussed attention on branch audits and for effective follow-up. The audit process is undertaken through a web-based application, the Audit Management System, which can be accessed by respective officers of auditee units on real-time basis for monitoring of compliances. In addition, the Audit Department also manages the functions of: (i) Fraud Monitoring under Fraud Risk Management Policy; (ii) Staff Accountability under Staff Accountability Policy; (iii) Long Form Audit Report; and (iv) Internal Financial Controls over Financial Report.

The Audit function has deployed suitably qualified and skilled manpower, which proactively recommends improvements in processes and service quality to mitigate operational, financial and regulatory risks, etc. wherever deemed fit and provides timely feedback to the management for corrective actions.

Long Form Audit Report (LFAR)

The Audit Department has been compiling and sharing information submitted by the bank branches with the Bank's Statutory Central Auditors (SCAs) for finalisation of the Long Form Audit Report (LFAR). An online system has been developed for inputting of LFAR observations and submission of its compliance/ data by the Bank's branches and generation of consolidated reports for use by the SCAs. The Audit Department undertakes the follow up with the concerned departments/ verticals to ensure timely compliance for the observations made in the LFAR by the SCAs. Enhancements are carried out in the LFAR module to make it more user-friendly. Pursuant to the Board's directives, an Internal Committee was formed for suggesting changes in existing processes and systems to reduce number of LFAR observations. Based on the recommendations of the Committee, processes have been reviewed for reducing number of the LFAR observations. Inter-vertical meetings, including meetings with Zones, were held to ensure maximum compliance to the LFAR observations.

Internal Financial Control over Financial Reporting (IFCO-FR)

The Audit Department also co-ordinates and supervises the identification and testing of the Risk Control Matrix by an external consultant appointed for the purpose to verify that (i) adequate internal financial control systems are in place; and (ii) there is operating effectiveness of such controls as also to ensure timely and effective closure of all open issues. A continual exercise is undertaken to sensitise the concerned business functions to ensure that adequate measures are taken for the controls in an effort to close all the open issues.

The Risk Control Matrices (RCMs) are periodically reviewed and updated based on change in processes and suggestions of the SCAs to enhance the coverage. The Consultant has been advised to visit few branches, Retail Asset Centres and Trade Finance Centres located in different locations across the country every quarter to validate the RCMs.

Information Systems (IS) Audit

The Bank's Information Systems (IS) Audit function plays a pivotal role in ensuring the integrity, confidentiality and availability of the Bank's IT Assets by encompassing a comprehensive range of audits, including Application Systems, IT Infrastructure, External Vendors, Policy & Process Reviews and Branch Audits. Adhering to the RBI's guidelines on *'Independent Assurance of the Audit function',* the Bank's IS Audit provides assurance to both the management and the regulators. Through periodic quality assurance reviews, the effectiveness and efficiency of the Bank's Internal Audit function is validated, reinforcing commitment to robust governance practices. The Bank updated its comprehensive IS Audit Policy to address evolving threats and regulatory requirements.

Internal and external training programmes are regularly conducted to update IS Auditors about the emerging technologies, Information Security best practices and the RBI's Master Directions/ Advisories/ Circulars. The Bank has introduced theme-based audits and emphasis is laid on covering cyber security aspects in IS Audit scope in view of the increasing cyber incidents. A significant improvement has been exhibited in overall compliance with IS Audit observations, attributed to diligent monitoring of pending observations and regular engagement with senior management officials. For better compliance monitoring, the Audit Management Systems have also been revamped.

The Bank is continuously improving its governance practices relating to IS Audit. Through IS Audit and regular audits, reviews, assessments and feedback mechanisms, the Bank identifies areas for improvement and implements measures to strengthen the governance framework.

Offsite Monitoring System (OMS)

Offsite Monitoring System (OMS) is a tool to detect errors/ omissions arising out of day-to-day operations in Finacle in which rule-based engine generates alerts based on pre-defined periodicity. These alerts are flagged to the business units for timely corrective actions. Keeping in view rapid digitalisation and to align the system with present banking scenario, existing Rules and Turn Around Time (TAT) for attending to OMS alerts were reviewed and new rules were added to detect deviations from laid down systems and procedures. These changes are intended to make OMS a more robust system to identify errors/ omissions and mitigate associated risk.

Concurrent Audit

The Concurrent Audit (CA) system is a part of the Bank's Early-Warning System to detect irregularities/ lapses, which helps in checking violations of the internal and regulatory guidelines in controlling risks and in preventing fraudulent transactions. The CA system is essentially a control process which is integral to the establishment of sound internal accounting systems and effective controls. As per the relevant RBI guidelines, the CA is carried out in the branches/ other non-branch units like Treasury, the Central Processing Unit (CPU) and the Retail Asset Centres (RACs) identified based on risk perception and volume of business handled. Further, identified functional divisions at the Bank's Head Office and all Trade Finance Centres are also subjected to the CA. As per the Board-approved CA Policy of the Bank, the CA is required to cover 70% of deposits and 70% of advances of the Bank. Accordingly, for FY 2023-24, the Bank covered around 1,080 auditee units under Concurrent Audit with coverage of 74.91% of deposits and 81.25% of advances (including Retail & Corporate Branches, RACs, Trade Finance Centres, Currency Chests, Credit Solution Centres, Non-branch Segments, etc.) by engaging the services of empanelled external firms of Chartered Accountants. The Concurrent Auditors' performance is closely monitored by the Zonal Audit Offices and the Head Office on a continuous basis for qualitative reports and timely submission. Further, ad-hoc audit is also conducted by the Zonal Audit Offices concerned on a quarterly basis for the Rural (Financial Inclusion)/ Rural branches rated as high-risk or above and at units where Concurrent Auditor could not be appointed due to non-availability of CA in these locations to mitigate the risk.

Credit Audit

Your Bank has a system of Credit Audit for detailed review of selected accounts to ensure improvement in quality of credit portfolio. Credit Audit covers important aspects like adequacy of appraisal, compliance with internal and regulatory guidelines, adequacy of documentation and security creation, examining conduct of account, etc. Borrower accounts for credit audit are identified on the basis of defined criteria: (i) all new, takeover & enhancement proposals and proposals for renewal/ renewal-cum enhancement of limits, with sanction limits equal to or above a cut-off depending upon the size of activity; (ii) randomly selected (10%) proposals from the rest of the portfolio; and (iii) Below Investment Grade (if migrated from Investment Grade during the review period). As per the revised selection criteria, coverage of accounts subjected to credit audit increased by 32% on an annualised basis in FY 2023-24 in comparision to FY 2022-23.

Investigative Audits or Special Investigative Audits (IAs/ SIAs)

Special Investigative Audits/ Investigative Audits (SIAs/ IAs) were carried out by the Audit Department at various branches/ Retail Asset Centers (RACs) based on various triggers. Investigations carried out by the Audit Department play a vital role in bringing about systemic improvements, improvements in policies, product guidelines, processes and procedures, helping in strengthening the controls and drawing attention to better overall monitoring of the branches. An early trigger provided by SIAs/ IAs have helped the Zones to initiate timely recovery/ legal actions and to arrest slippage of accounts into Non-Performing Assets (NPAs). Significant observations emerging out of these SIAs are being presented to an Executive Director (ED) level Committee for SIA/ IA for necessary directions. Corrective steps taken thereon are being reported to the Audit Committee of the Board (ACB). Lapses/ gaps emerging out of SIAs/ IAs are shared with branches as well as with the controlling units in order to avoid reoccurrence of such lapses with a focus on strengthening the compliance culture not only at branch level but also at supervisory level.

Fraud Monitoring

The Bank has put in place a fraud monitoring mechanism through a dedicated Fraud Monitoring Group (FMG) within the Internal Audit Department. The FMG reviews efficacy of the remedial actions taken to prevent reoccurrence of frauds and also issues necessary advisories/ circulars from time-to-time aimed towards strengthening of internal control and putting in place need-based remedial measures. The Fraud Risk Management (FRM) Policy in place contains guidelines for early detection, prevention, reporting, monitoring and follow-up of frauds. The FMG reviews the FRM Policy on annual basis for facilitating timely reporting of frauds.

The Bank has issued various internal circulars on prompt reporting of frauds and timelines for reporting of fraud incidents, reiterating the importance of timely reporting of frauds to the RBI.

Staff Accountability

Your Bank has a dedicated team for examining staff accountability issues under the Board-approved Staff Accountability (SA) Policy. The SA policy, which is reviewed annually, aims at safeguarding the larger interests of the Bank by identifying the areas where the rules and procedures designed to protect the interests of the Bank are not being followed by the staff, resulting in a loss to the Bank. This exercise helps the Bank to take necessary corrective steps by way of improvement in systems and procedures, strengthening any knowledge gaps by way of training and mentoring or by any other action to create an environment which could be conducive for better compliance of the guidelines and processes.

VIGILANCE MECHANISM

Your Bank has a Vigilance Department (VgD), headed by a Chief Vigilance Officer (CVO), at its Head Office in Mumbai. Your Bank has also set up vigilance teams at all its Zonal Offices (ZOs) in order to achieve better control and to ensure monitoring of vigilance activities at the zonal level.

The CVO performs/ oversees all functions relating to the vigilance matters in the Bank, with a wide scope/ coverage, including (i) collecting intelligence about corrupt practices committed or likely to be committed by the employees of the Bank; (ii) processing of vigilance cases, investigating or initiating investigations into complaints with vigilance overtones & verifiable allegations; (iii) processing of Investigation Reports for further consideration of the Disciplinary Authority; (iv) referring the matters, wherever necessary, to the Central Vigilance Commission (CVC) for its consideration/ advice; (v) taking measures to prevent commission of malpractices/ misconducts; (vi) co-ordinating & liasioning with various law enforcement agencies, among other activities.

Your Bank's Intranet has a dedicated webpage of the Vigilance Department, which provides an overview of its functions, format of Standard Notice of the CVC which is stipulated to be displayed at the Bank's branches/ offices, important circulars/ guidelines issued from time-to-time by the CVC, Chief Technical Examiner's Organisation (CTEO) of CVC, as also by your Bank and Do's and Don'ts of Preventive Vigilance. The efforts made by the Vigilance Department have helped in enhancing the level of vigilance awareness amongst your Bank's officers.

The vigilance function comprises elements of both *'Preventive Vigilance'* and *'Punitive Vigilance'*. Preventive Vigilance is a continuous process, which strives to review the existing guidelines to ensure that set systems and procedures are being followed, to reduce use of discretion and to ensure sensitisation of/ to create awareness amongst the employees as well as the stakeholders of the Bank on vigilance matters.

Some of the preventive vigilance measures adopted by your Bank include undertaking of Onsite Monitoring/ Surprise Vigilance Visits (SVVs) and inspections on suo moto basis (on receiving source information, of any suspected wrong-doing by staff/ outside elements) of various branches to detect malpractices, if any, and gauge adherence of laid down systems and procedures. Apart from this, scrutiny of cases of One Time Settlement (OTS)/ First Time Non-Performing Assets (FTNPAs), Annual Return of Assets & Liabilities (ARAL) of the officers of the Bank, Audit Reports

of the Bank and issuance of advisories to curb irregularities found for systemic improvements, wherever necessary as also imparting training to employees on vigilance matters, etc. is undertaken by the Vigilance Department.

As a part of efforts to combat corruption and also to enhance and to spread public awareness on vigilance matters in line with the directives of the CVC, your Bank observed Vigilance Awareness Week (VAW) 2023 from October 30, 2023 to November 5, 2023, with the theme as 'भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें (Say no to Corruption; Commit to the Nation)'. On the occasion, your Bank released a special e-journal for the benefit of all its employees. The Bank also conducted various competitions on online and offline mode like quiz, essay writing, cartoon and caricature, coin-a-caption, memory games, crossword competition, etc. for staff members and their children on a pan-India basis. Further, during the VAW 2023, a senior official from Department of Financial Services (DFS), GoI, addressed the employees at the Head Office of your Bank and also felicitated the employees for being vigilant/ alert in their assigned tasks, which led to prevention of unwarranted incidents and protected your Bank from financial/ reputational risk. Your Bank has developed a Vigilance Complaints Management Module (VCMM) for effective monitoring and quicker disposal of complaints relating to the vigilance matters.

As a part of VAW 2023, your Bank's employees took the integrity pledge through online mode. A link for taking integrity pledge was also sent to the Bank's customers along with their account statements to support the fight against corruption. Seminars and workshops were organised at various locations for the benefit of your Bank's field functionaries. For the awareness among general public/ citizens, the VAW 2023 banners, posters were displayed at prominent locations at your Bank's Zonal Offices (ZOs), Regional Offices (ROs), branches and also at other offices with public interface. Your Bank also organised Gram Sabhas at various locations.

In accordance with directives of the CVC, information regarding VAW 2023 was disseminated through your Bank's website as well as its page/ handle on social media platforms.

REGULATORY COMPLIANCE

Your Bank ensures compliance of various statutory and regulatory guidelines laid down by the GoI, the RBI, the Securities & Exchange Board of India (SEBI) and other regulatory/ statutory bodies through a structured system of internal controls and tiered reviews. The Compliance Department located at your Bank's Head Office, which is headed by a senior official in the rank of an Executive Director designated as Chief Compliance Officer (CCO), coordinates dissemination and internalisation of all the statutory and regulatory guidelines. Your Bank has put in place an extensive Board-approved Compliance Policy as per the RBI guidelines and reviews it annually. The role and responsibility with regard to the compliance function is clearly defined for every tier in your Bank. The Board is apprised at monthly intervals about important communications/ guidelines received from the RBI and other regulators/ agencies. Your Bank has strengthened the internal compliance culture at a granular level by implementing advanced technology application, viz. Cermo+ NXT, for compliance testing/ validation and trackers for proper data management for ensuring timely submission of compliance to the RBI.

RIGHT TO INFORMATION (RTI) ACT

Your Bank has designated Central Public Information Officers (CPIOs) for responding promptly to requests for information pertaining to various functional areas. In addition, all branch heads have been designated as Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) to receive and forward applications under the Right to Information (RTI) Act to the CPIOs. Your Bank has designated a senior officer in the rank of Chief General Manager as First Appellate Authority (FAA) for dealing with appeals of aggrieved applicants. A Transparency Officer, in the rank of Executive Director, has been designated for effective implementation of provisions of Section 4 of the RTI Act. A separate link for the RTI Act has been provided on the Bank's website (www.idbibank.in). Your Bank has also aligned with the Government of India's RTI online portal, whereby citizens can seek the information and raise appeals under RTI Act through the portal (https://rtionline.gov.in).

PROGRESSIVE USE OF HINDI

During the period under review, your Bank made concerted efforts to increase usage of Official Language - Hindi and implementing the various provisions of Official Language Act and Rules of the GoI. All the verticals, departments, Zonal Offices and branches of your Bank made special efforts on regular basis to achieve the targets prescribed in the Annual Programme and other directives issued by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, GoI. The Bank has taken several initiatives for the progressive use of Hindi in customer communications. During the year, necessary efforts were taken to provide in-depth information about the Bank's products and schemes in Hindi on the Bank's website. The Bank's mobile application, GO Mobile+, is enabled with the facility of Hindi. Various types of posters, banners and other publicity material were displayed in Hindi as well as in regional languages for the benefit of customers. Hindi and regional languages were used in advertising campaigns for various Government social security schemes. Your Bank uploaded template letters, forms, dictionaries, notings and other relevant reference materials in bilingual form on its Intranet to facilitate working in Hindi. Various incentive schemes were implemented and many competitions were organised

to encourage staff members to use Hindi in their day-to-day official work. In order to progressively increase the usage of Hindi in different departments/ verticals of Head Office as well as other offices, Rajbhasha workshops were organised in all the regions of your Bank to familiarise the employees with the various requirements of Official Language implementation and use of Hindi Unicode. The Bank also organised Rajbhasha fortnight in September 2023.

CUSTOMER SERVICE AND COMPLAINTS MANAGEMENT

Your Bank, in adherence to the spirit of its vision of being the most preferred and trusted bank for all its stakeholders, has adopted a customer-centric approach that focusses on customers delight with excellent service.

The Customer Care Centre (CCC) of your Bank is committed to timely resolution of complaints while upholding quality customer experience. Your Bank has two dedicated Customer Contact Centres, located at CBD Belapur, Navi Mumbai and Hyderabad, to address customer queries on a 24x7 basis and swiftly redress customer grievances received through multiple channels.

In order to be responsive to changing customer needs and preferences, your Bank annually reviews its policies to ensure that the policies are in sync with the latest developments as also to empower the customers to resolve their grievances as per a defined system. The Bank handles complaints received from all channels in line with these policies, which also include a time-based in-built escalation matrix with an internal alert mechanism wherein if the complaint is not resolved within the pre-defined turnaround time (TAT), the same is escalated to the next level of authority for better complaint resolution management. Your Bank has designated Grievance Redressal Officers (GROs) at each of its Zonal Offices and a Principal Nodal Officer (PNO) at the Head Office. Further, in line with the Internal Ombudsman Scheme 2018 and Master Direction – Reserve Bank of India (Internal Ombudsman for Regulated Entities) Directions, 2023, the complaints, which the Bank proposes to reject/ provide partial resolution, are referred to the Internal Ombudsman (IO) of the Bank prior to responding to the customer. Your Bank has in place a Standardised Public Grievance Redressal System (SPGRS) which facilitates recording, monitoring and timely resolution of complaints received. The complaints received from various customer touch-points and regulators are recorded in the system and a communication is sent to the customer through an SMS acknowledging the complaint along with a link to track the same. Your Bank has established two senior level customer service committees, i.e. Standing Committee on Customer Service (SCCS) and Customer Service Committee of the Board (CSCB), both of which are convened on a quarterly basis. These Committees are entrusted with the task of assessment of quality of customer service rendered by the various touchpoints of the Bank.

Your Bank has taken various initiatives in the area of customer service in the last financial year. In addition, your Bank has been leveraging various digital platforms with a view to increasing automation in improving process efficiencies while reducing costs.

CORPORATE COMMUNICATIONS

During FY 2023-24, the objective of your Bank's advertising was to create salience for the brand as well as its flagship products and services to enhance its positive image. The campaigns undertaken during the year, focussed on highlighting the distinguishing features of the products and were carried out primarily vide digital platforms and mediums like Transient OOH (Out of Home) display, Cinema Screen branding, etc. complemented with measured bursts on high impact platforms like television and OTT (Over-The-Top). Several initiatives were undertaken by your Bank in the Public Relations (PR) domain aimed at maintaining positive tonality of news and enhancing your Bank's profile in the media, while simultaneously striving to reinforce stakeholder perception. Your Bank found numerous positive mentions of its initiatives in print, electronic and digital media. The Bank communicated through its official brand pages/ handles on Facebook, Instagram, LinkedIn, X and YouTube and continued to undertake engagement activities in innovative ways. The Bank also undertook various customer educational series across social media on topics like cyber security, fraud awareness, etc.

INFORMATION TECHNOLOGY

Your Bank strengthened its digital infrastructure and equipped itself with latest analytical tools & Application Programming Interface (API) technology, capable of analysing and summarising customer data, further enhancing customer experience, streamlining operations and driving innovation to meet the evolving needs of the digital world.

Your Bank successfully completed the Unified Payments Interface (UPI) Switch Migration project. The existing UPI system was migrated to a new and improved version enabling seamless and secure transactions across different banks and platforms, bringing it at par with other banks in terms of features and volume handling capabilities.

Your Bank also upgraded the Virtual Private Network (VPN) solution for the Bank to Zero Trust Solution Architecture. The current solution upgrades the Bank's capabilities and user experience to provide a seamless experience like an extension of its network for remote workforce.

Your Bank has strengthened the Monitoring Capabilities on Core Banking Solution (CBS) by upgrading to AppDynamics, a leading Application Performance Management (APM) solution. This leverages cloud infrastructure for monitoring CBS and improves the Bank's capabilities in detection of performance deterioration and helps attain better up-time on CBS.

For enhanced security, your Bank has implemented controls on session time-out in Core Banking Solution (CBS). This strengthens the Bank's deterrence and position in terms of prevention of frauds by hijacked user sessions or misuse of desktops unlocked by users. Your Bank has made biometric authentication compulsory for all users. This improves the Bank's deterrence against user password sharing or malicious attacks which track key-logs to identify user passwords for malicious use.

Your Bank has successfully implemented the RBI's Centralised Information Management System (CIMS) project in the Bank under which 62 RBI returns are automated and successfully submitted through Automated Data Flow (ADF) application under Straight Through Processing (STP). On the data refinement and enrichment fronts, Legal Entity Identifier (LEI) validation through Application Programming Interface (API) is implemented in the core system. The Bank has also put in place processes and system logics, improving the data quality of submissions made by the Bank to Credit Information Companies (CICs) aggregators.

Privacy Policy

Your Bank has put in place IT Policy to ensure, *inter alia,* information security. Access to collected information of the customers is granted only to the authorised officials or agencies authorised by the Bank. In order to prevent unauthorised access or disclosure, the Bank has put in place suitable systems and procedures to safeguard and secure the information collected. Your Bank has also formulated Data Governance policy to establish Data Privacy, Accessibility, Ownership, and Security. The Bank has also put in place Privacy Policy to safeguard the information shared by the customers/ prospective customers. Your Bank conducts proper AppSec and Vulnerability test on a regular basis. The Privacy Policy falls under the purview of the Bank's Information Technology Department (ITD) and the Information Security Group (ISG). The ISG takes care of data privacy aspects by conducting regular audit and putting in place proper control mechanism in coordination with ITD. Under the Bank's Information Security Policy, data/ security breach incidents are reported as incident report and the Bank's policies stipulate that the breach of the security/ privacy policy is investigated in accordance with the Bank's extant policies. Your Bank conducts regular Information Systems (IS) Audit on a regular basis which entails audit of each application/ server/ process with data privacy also being checked.

CENTRALISED OPERATIONS

The Bank has a dedicated centralised operations vertical comprising of various departments like Central Processing Unit (CPU), Regional Processing Unit (RPU), Retail Asset Operations (RAO), Anti-Money Laundering Cell (AML), Depository Accounts Operations, Domestic Payments and Remittance services, Cash Management services (CMS), Government Business Group (GBG), Capital Market Operations, Internet & Mobile Banking operations, Card Issuance & Management section, Data Clean up and Compliance Team (DCCT) & GST Operations.

The centralised operations has taken various initiatives and process automation as part of customer delight measures, viz. same day account Opening (SB, CA, TD etc.), real-time processing of miscellaneous requests such as mobile number change, address, email ID updation, KYC updation etc., updation of Form 15 H/G on real time basis, sharing CKYC number with customers immediately after generation, updation of repayment mode for servicing EMI electronically for retail loan customers, returning of property documents within stipulated TAT, etc.

During FY 2023-24, through process automation, the centralised operations, facilitating the Bank to stay true to its commitment of adding value to customers relationship. Further the centralised operations helped the Bank in improving operational efficiency by reducing the TAT for processing of service request from customers, ensuring uninterrupted support services to various business units and thereby reducing operational costs.

BRANCH OPERATIONS SUPPORT AND POLICY

Your Bank is at the forefront in equipping its staff by keeping them updated regarding banking operations, services, etc., in order to ensure that your Bank is able to provide efficient banking services to all its stakeholders. Accordingly, an exclusive training programme *'Aarohan'* was conducted during FY 2023-24 covering all staff of the Bank.

Your Bank has put in place robust policies in compliance with the guidelines of various regulators, viz. the RBI, the SEBI etc., including a '*Policy on Unauthorised Electronic Banking Transactions (UEBT)*' and a '*Customer Compensation Policy*'. Both these policies are made available on the Bank's website (www.idbibank.in) for ready reference of the Bank's customers.

In order to facilitate the customers to search and claim the unclaimed deposits with the Bank, your Bank has actively registered itself in the Unclaimed Deposits – Gateway to Access information (UDGAM) portal of the RBI and uploaded the details of the unclaimed deposits lying with the Bank. Further, your Bank has actively participated in the RBI's '*100 Days 100 Pays*' campaign for identifying and settling unclaimed deposits to the customers and has settled the claims in more than 9,800 cases in FY 2023-24. Simultaneously, your Bank is proactively making efforts to identify and reach out to the customers to settle the unclaimed deposits upfront to avoid transfer of funds to Depositor Education & Awareness Fund (DEA Fund).

Your Bank has 25 Currency Chests (CCs) across the country. These CCs process cash from all linked branches and provide clean notes for dispensing through ATMs and branches. During FY 2023-24, your Bank has conducted 580 Coin Melas and Soil Note Exchange Melas across the country through its CCs where coins worth around ₹ 12 crore were distributed to the public through its branches. Further, the Bank has deployed Note Sorting/ Note Authentication Machines in its branches to detect and impound fake currency notes. Your Bank has actively handled the activity of withdrawal of ₹ 2,000/- banknote from circulation by the RBI, in which around ₹ 10,270 crore in denomination of ₹ 2,000/- was collected and remitted to the RBI within the stipulated timelines.

Your Bank has taken many technological initiatives, systemic checks and process improvisations towards achieving fraud risk mitigation & control, effective operational controls and efficient customer service. These initiatives include alerting the customers about non-operations in the accounts to prevent accounts slipping to inoperative status and subsequent freeze of the account, sending transactional alerts, sending six months advance information to the customer in respect of the Re-KYC due accounts for submission of the latest KYC documents, simplification of the Re-KYC process and submission of the related document/ confirmation of present address through SMS, etc.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Your Bank's CSR objective is to make material, visible and lasting difference to the lives of underprivileged sections of the society by identifying gaps and extending need-based support for their betterment. Your Bank seeks to achieve multidimensional impact through direct interventions as well as acting as a catalyst for socio-economic progress of the beneficiaries.

Your Bank stepped up its efforts under CSR during the year under review, directly as well as in association with various organisations, in order to make an even greater impact on targeted strata of society. Your Bank's CSR projects were targeted at uplifting the vulnerable and marginalised sections of the society such as children, youth, women and tribals by focussing on areas such as rural development, skill development, education, healthcare, entrepreneurship development, eradication of poverty, among other areas. The details of your Bank's CSR activities have been elaborated in Corporate Governance Report and Business Responsibility & Sustainability Report sections of the Annual Report.

ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG)

In the recent years, India has witnessed a significant evolution in its approach to ESG disclosures, fuelled by regulatory developments, changing stakeholder expectations and growing recognition of impact of ESG factors on business operations. Taking cognisance of the growing importance of ESG, the Bank formulated its Environmental, Social and Governance (ESG) Policy in FY 2022-23. The ESG Policy has been designed in consonance with the applicable national laws/ regulations and is aimed at positioning the Bank as an ESG-compliant entity through its activities. In compliance with the extant regulatory norms, the Bank also published its Business Responsibility & Sustainability Report (BRSR) for FY 2022-23 as a part of its Annual Report 2022-23 which highlights its performance against the nine principles enshrined in the National Guidelines on Responsible Business Conduct (NGRBC) developed by the Ministry of Corporate Affairs, GoI. The Bank also brought out an ESG Databook for FY 2022-23 with the intent to disseminate granular data on various social and environmental aspects to a wider group of stakeholders in a transparent and easily comprehensible manner. During the year, the Bank also participated in the S&P Global's Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2023. In order to improve its ESG performance and for imbibing ESG-centric culture across various functional areas, the Bank has drawn up action plans across the ESG dimensions.

वर्मा एंड वर्मा,
सनदी लेखाकार,
यूनिट नं.101, ऑप्शन प्राइमो
प्लाट नं. एक्स-21, एमआईडीसी रोड नं.21,
अंधेरी पूर्व, मुंबई-400093
महाराष्ट्र

जी डी आप्टे एंड कं.,
सनदी लेखाकार,
डी-509, नीलकंठ बिजनेस पार्क,
नथानी रोड, विद्याविहार पश्चिम
मुंबई-400086
महाराष्ट्र

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अध्याय IV के कतिपय प्रावधानों के अनुसार कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

प्रति,
सदस्यगण, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,

परिचय

1. हम, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (जिसे इसमें आगे 'बैंक' कहा गया है), जिसका पंजीकृत कार्यालय आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400005 में स्थित है, के संयुक्त सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 समय-समय पर यथा संशोधित (सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैरा सी और डी में निर्दिष्टानुसार कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का बैंक द्वारा अनुपालन के लिए यह प्रमाणपत्र जारी कर रहे हैं.

प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. सूचीबद्धता विनियमों में निर्दिष्टानुसार कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है. इस जिम्मेदारी में सूचीबद्धता विनियमों में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वयन और अनुरक्षण भी शामिल है.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है. यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति है.
4. हमने बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं के अनुपालन पर समुचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा रखे गये बहीखातों तथा अन्य संबंधित अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है.
5. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन के प्रमाणन पर मार्गदर्शी नोट, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानक जो इस प्रमाणपत्र के उद्देश्य के लिए लागू है तथा रिपोर्टों पर मार्गदर्शी नोट अथवा आईसीएआई द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों हेतु प्रमाणपत्र जिसके द्वारा यह अपेक्षित है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता की नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें, के अनुसार बैंक के संबंधित अभिलेखों की जांच की है.
6. हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी)1, लेखापरीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तथा ऐतिहासिक वित्तीय सूचना की समीक्षाओं और अन्य आश्वासन व संबद्ध सेवा वचनबद्धताओं के लिए लागू प्रासंगिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है.

निष्कर्ष

7. संबंधित अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान किये गये अभ्यावेदन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसची V के पैरा सी और डी में निर्दिष्टानुसार यथा प्रयोज्य 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है.

उपयोग पर प्रतिबंध

8. यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही बैंक के कार्यों को संचालित करने की प्रबंधन की कार्यकुशलता अथवा प्रभावशीलता के बारे में आश्वासन है.
9. यह प्रमाणपत्र कॉरपोरेट अभिशासन के संबंधित विनियमों के अनुपालन के संदर्भ में सूचीबद्धता विनिमयों के तहत अपने दायित्वों के अनुपालन करने के एकमात्र उद्देश्य से बैंक के सदस्यों को संबोधित और उपलब्ध कराया गया है तथा इसका प्रयोग किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए. तद्नुसार, हम बिना किसी हमारी पूर्व लिखित सहमति के किसी अन्य उद्देश्य के लिए अथवा किसी अन्य पक्ष को दिखाये जाने पर अथवा किसी अन्य को उपलब्ध हो जाने पर कोई देयता अथवा सावधानी संबंधी कर्तव्य का दायित्व स्वीकार या मान्य नहीं करते हैं. इस प्रमाणपत्र की तारीख के बाद होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों के लिए इस प्रमाणपत्र को अपडेट करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है.

कृते वर्मा एंड वर्मा
सनदी लेखाकार
फर्म पं.सं. 004532S

श्रीनिवास के पी
साझेदार
सदस्यता सं. 208520
यूडीआईएनः 24208520BKBLWZ2455
स्थानः बैंगलोर
दिनांक : 18 जून 2024

कृते जी डी आप्टे एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पं.सं. 100515W

सौरभ पेशवे
साझेदार
सदस्यता सं. 121546
यूडीआईएनः 24121546BKBJHH5852
स्थानः पुणे
दिनांक : 18 जून 2024

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

अभिशासन संहिता पर बैंक के दर्शन का संक्षिप्त विवरण

बैंक अपने परिचालनों में कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. इसकी नीतियां व पद्धतियां न सिर्फ सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, बल्कि अपने स्टेकधारकों के सर्वोत्तम हित में काम करने की इसकी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती हैं. अभिशासन के उच्च मानकों को बनाये रखने का दायित्व बैंक के निदेशक मंडल तथा बोर्ड की विभिन्न समितियों का है जिन्हें विधिक एवं विनियामक प्रावधानों तथा बैंकिंग परंपराओं के ढांचे के भीतर आवश्यक प्रकटीकरण करने सहित उत्कृष्ट कॉरपोरेट अभिशासन प्रथाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के अधिकार प्राप्त हैं.

इस दिशा में बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके निदेशक मंडल का गठन निर्धारित मानदंडों के अनुसार होता रहे, निर्धारित अंतराल पर इसकी नियमित बैठकें हों, यह प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे, प्रबंधन पर नियंत्रण रखे, कार्यपालकों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखे तथा समुचित प्रकटीकरण करे. इसके अतिरिक्त, रणनीतिक नियंत्रण ढांचे की स्थापना और इसकी प्रभावशीलता की निरंतर समीक्षा तथा नीति निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए स्पष्ट दस्तावेजीकृत तथा पारदर्शी प्रबंध प्रक्रियाओं की स्थापना और निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग बैंक के अन्य नीतिगत दिशा-निर्देश देना है. बैंक बोर्ड को निर्बाध रूप से सभी संबद्ध सूचनाएं तथा संसाधन उपलब्ध कराता है जिससे वे अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभा सकें.

निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का आधार व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013, बैंक के संस्था अन्तर्नियमों के प्रावधानों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 (एलओडीआर विनियमों) में यथावर्णित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं से अधिशासित होता है. बैंक का बोर्ड प्रत्यक्ष रूप से और महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने के लिए गठित बोर्ड की विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है.

i. विचारार्थ विषय

- शेयरधारकों से उनके शेयरों पर अप्रदत्त धनराशि के संबंध में मांग करना;
- कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 68 के तहत प्रतिभूतियों की वापसी खरीद को प्राधिकृत करना;
- भारत में या भारत से बाहर डिबेंचरों सहित प्रतिभूतियों को जारी करना;
- धन उधार लेना;
- बैंक की निधियों का निवेश करना;
- बैंक के वित्तीय विवरणों और बोर्ड की रिपोर्ट अनुमोदित करना.
- बैंक के कारोबार में विविधता लाना;
- समामेलन, विलयन या पुनर्निर्माण को अनुमोदित करना;
- किसी कंपनी का अधिग्रहण करना या किसी अन्य कंपनी में नियंत्रक या पर्याप्त हिस्सेदारी हासिल करना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) को नियुक्त करना या हटाना;
- आंतरिक लेखा-परीक्षकों और सचिवीय लेखा-परीक्षकों को नियुक्त करना;
- राजनीतिक योगदान करना;
- निदेशकों के हित और शेयरधारिता के प्रकटन को नोट करना;
- बैंक द्वारा धारित निवेशों (व्यापार वाले निवेशों के अलावा) का क्रय-विक्रय करना, जिसमें निवेशित कंपनी की चुकता शेयर पूंजी और निर्बंध प्रारक्षित निधियों का पांच प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सा शामिल है;
- तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों या वित्तीय परिणामों, जो भी हों, को अनुमोदित करना;
- गैर-अनुपालन के मामलों में सुधार करने के लिए बैंक द्वारा की गई कार्रवाई और उठाये गये कदमों के साथ बैंक पर लागू सभी कानूनों से संबंधित अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक समीक्षा करना;
- निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तैयार करना;

- बैंक के लिए जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करना, कार्यान्वयन करना और निगरानी सुनिश्चित करना;
- स्वतंत्र निदेशकों, सभी अन्य निदेशकों, बोर्ड की समितियों और संपूर्ण निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना;
- कॉरपोरेट रणनीति, कार्रवाई की प्रमुख योजनाओं, जोखिम नीति, वार्षिक बजट और कारोबार योजना की समीक्षा और मार्गदर्शन करना, कार्य-निष्पादन के उद्देश्य तय करना, कार्यान्वयन और कॉरपोरेट कार्य-निष्पादन की निगरानी करना, और प्रमुख पूंजीगत व्यय, अधिग्रहण और विनिवेशों का निरीक्षण करना;
- बैंक के अभिशासन वाले कार्यों की प्रभावशीलता की निगरानी और उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) का चयन, मुआवज़ा, निगरानी, और जब आवश्यक हो, उनका प्रतिस्थापन और उत्तराधिकार योजना का निरीक्षण करना;
- बैंक और उसके शेयरधारकों के दीर्घकालिक हितों के साथ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) और निदेशकों के पारिश्रमिक को सुमेलित करना;
- निदेशक मंडल में विचार, अनुभव, ज्ञान, परिप्रेक्ष्य और लैंगिक विविधता के साथ बोर्ड के लिए पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना;
- कॉरपोरेट आस्तियों के दुरुपयोग और संबंधित पक्ष के लेनदेनों के गलत उपयोग के साथ-साथ प्रबंधन, निदेशक मंडल के सदस्य और शेयरधारकों के हितों के संभावित टकरावों की निगरानी और प्रबंध करना;
- स्वतंत्र लेखा-परीक्षा सहित बैंक की लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना और यह देखना कि नियंत्रण की उचित प्रणाली, मुख्य रूप से जोखिम प्रबंधन, वित्तीय और परिचालनगत नियंत्रण प्रणाली सुव्यवस्थित है तथा यह देखना कि कानून और प्रासंगिक मानकों के अनुपालन की उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है;
- प्रकटन और संचार प्रक्रिया की देखरेख करना;
- निदेशक मंडल की मूल्यांकन संरचना की निगरानी और समीक्षा करना;
- बैंक को रणनीतिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, प्रबंधन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना और बैंक एवं इसके शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह होना;
- कॉरपोरेट संस्कृति और मूल्य निर्धारित करना जिसके अनुसार बैंक के सभी कार्यपालकों को आचरण करना होगा;
- पूर्ण जानकारी के आधार पर, सद्भावना में, समुचित सावधानी और देखभाल के साथ बैंक और शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना;
- निदेशक मंडल के सदस्यों को अद्यतित जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निदेशकों के नियमित प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करना;
- सभी शेयरधारकों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना;
- उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखना और बैंक के स्टेकधारकों के हितों का ध्यान रखना;
- बैंक के कॉरपोरेट मामलों के बारे में वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय का निष्पादन करना;
- जहां हितों के टकराव की संभावना हो, वहां निदेशक मंडल को कार्य करने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त गैर-कार्यपालक सदस्यों को नामित करने पर विचार करना;
- रणनीति, रणनीतिक पहल (जैसे अधिग्रहण), जोखिम क्षमता, एक्सपोजर और बैंक के ध्यान देने वाले मुख्य क्षेत्रों जैसी अंतर्निहित धारणाओं की चुनौती से कार्यपालक प्रबंधन की सहायता करना;
- निदेशक मंडल की समितियों के अधिदेश, संरचना और कार्य प्रक्रियाओं को परिभाषित और प्रकट करना;
- निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में और निदेशक मंडल की समितियों के एक सदस्य के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को अपनी भूमिका का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए सुविधा प्रदान करना; और
- समय-समय पर विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के द्वारा इसको अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. 31 मार्च 2024 को निदेशक मंडल की संरचना (नियुक्ति की तारीख, शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल/ विशेषज्ञता सहित) -

निदेशक का नाम	नियुक्ति की तारीख	कार्यपालक/ गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र/ गैर-स्वतंत्र निदेशक	शैक्षणिक योग्यता	विशेषज्ञता
			स्वतंत्र निदेशक व अंशकालिक अध्यक्ष		
श्री टी.एन. मनोहरन	24 फरवरी 2022	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बी. कॉम, एम. कॉम, लॉं स्नातक, आईसीएआई के फैलो सदस्य और इंग्लैंड एवं वेल्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान से आईएफ़आरएस सर्टिफिकेट लेवल ऑनलाइन प्रशिक्षण और मूल्यांकन कार्यक्रम.	लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, बैंकिंग, विधि, जोखिम, लघु उद्योग, वित्त, मानव संसाधन, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन और कॉर्पोरेट अभिशासन
			प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी		
श्री राकेश शर्मा	10 अक्तूबर 2018	कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बी.कॉम, अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर और सीएआईआईबी	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, लघु उद्योग, जोखिम, मानव संसाधन, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन और कॉरपोरेट अभिशासन
			उप प्रबंध निदेशक		
श्री जयकुमार एस. पिल्लै	12 जून 2023	कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बी.एफ.एससी, एमबीए (वित्त), विदेश व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएफ़टी), आईसीए, लंदन से अभिशासन, जोखिम एवं अनुपालन (जीआरसी) में डिप्लोमा और सीएआईआईबी	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, अर्थशास्त्र, वित्त, लघु उद्योग, मानव संसाधन, जोखिम, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन और कॉरपोरेट अभिशासन
			नामिती निदेशक		
श्री मुकेश कुमार गुप्ता (एलआईसी)	10 फरवरी 2022	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बी.एससी. और एमबीए (एचआरएम)	मानव संसाधन, बैंकिंग, बिक्री एवं मार्केटिंग, व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री राज कुमार (एलआईसी)	19 मई 2022	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बी.एससी.	मानव संसाधन, मार्केटिंग, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री मनोज सहाय (भारत सरकार)	28 अप्रैल 2022	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बीई (सिविल इंजीनियरिंग)	लेखाशास्त्र एवं वित्त, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री सुशील कुमार सिंह (भारत सरकार)	28 अप्रैल 2022	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र	बी.ए और एम.ए (दर्शनशास्त्र)	लेखाशास्त्र एवं वित्त, मानव संसाधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन

निदेशक का नाम	नियुक्ति की तारीख	कार्यपालक/ गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र/ गैर-स्वतंत्र निदेशक	शैक्षणिक योग्यता	विशेषज्ञता
			स्वतंत्र निदेशक		
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी	9 अक्तूबर 2017	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बी. कॉम, सीएआईआईबी	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री समरेश परिदा	19 मई 2018	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	सनदी लेखाकार, कॉस्ट अकाउंटेंट और एमबीए	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवसाय प्रबंधन, रणनीतिक आयोजना, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री एन. जंबुनाथन	19 मई 2018	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	सांख्यिकी में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी और प्रबंधन में डिप्लोमा	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान एवं निपटान, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री दीपक सिंघल	28 फरवरी 2019	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बीए, एमबीए, सीएआईआईबी, पीजीडीआरएम	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, मानव संसाधन, व्यवसाय प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री संजय जी. कल्लापुर	5 मार्च 2019	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	बी.कॉम, एम.एम.एस., व्यवसाय अर्थशास्त्र में पी एचडी, एसीएमए	लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, वित्त, जोखिम, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्रीमती पी. वी. भारती	14 जनवरी 2021	गैर-कार्यपालक	महिला स्वतंत्र	बी. एससी., एम.ए (अर्थशास्त्र), बी. एड., सीएआईआईबी, बैंकिंग एवं वित्त में एकीकृत पाठ्यक्रम (एनआईबीएम)	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, जोखिम, अर्थशास्त्र, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन
श्री अजय प्रकाश साहनी	28 अगस्त 2023	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र	मैकेनिकल इंजीनियर्स संस्थान, लंदन से स्नातक (बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के समकक्ष)	मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान एवं निपटान, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन

31 मार्च 2024 को बोर्ड में 14 (चौदह) निदेशकों की संख्या बैंक के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 114(ए) के अंतर्गत प्रदान की गई अपेक्षाओं को पूरा करती है.

बोर्ड की राय में स्वतंत्र निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं.

iii. निदेशकों के बीच परस्पर संबंध

(i) बैंक के बोर्ड में किसी भी निदेशक का किसी अन्य निदेशक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है.

(ii) आरबीआई द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल के लिए विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा के अनुसार बैंक के किसी भी पूर्णकालिक निदेशक और गैर-कार्यपालक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) की आयु क्रमशः सत्तर वर्ष और पचहत्तर वर्ष नहीं हुई है.

(iii) बैंक के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक हैं और वह अनुच्छेद 116(1)(i) के निबंधनों, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित 'रिलेटिव' शब्द की परिभाषा के अनुसार बैंक के एमडी एवं सीईओ से संबंधित नहीं हैं.

iv. बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम कुल संख्या का एक तिहाई अथवा तीन (3) निदेशक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा बशर्ते कि इनमें कम से कम एक निदेशक भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का नामिती हो और बैठक में उपस्थित निदेशकों में कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक हों.

v. बोर्ड की बैठकों की बारंबारता

बोर्ड की बैठक आम तौर पर एक वर्ष में कम से कम छह बार और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी तथा बोर्ड की लगातार दो बोर्ड बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए.

vi. बोर्ड की संपन्न बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024) के दौरान निदेशक मंडल की कुल 13 बैठकें 29 अप्रैल 2023, 31 मई 2023, 23 जून 2023, 24 जुलाई 2023, 19 अगस्त 2023, 30 सितंबर 2023, 21 अक्तूबर 2023, 04 नवंबर 2023 (रणनीतिक बैठक); 30 नवंबर 2023, 28 दिसंबर 2023, 20 जनवरी 2024, 28 फरवरी 2024 और 28 मार्च 2024 को संपन्न हुईं. इनमें से 04 नवंबर 2023 को गोवा में हुई केवल एक बैठक को छोड़कर, बाकी सभी बैठकें मुंबई में आयोजित हुईं. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर सूचित किए अनुसार व्यक्तिगत रूप से और वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित की गईं तथा बैंक के प्रत्येक निदेशक की बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति, गत वार्षिक महासभा (एजीएम) में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में उनकी निदेशकता और समितियों में सदस्यता का ब्योरा नीचे तालिका 1 में दिया गया है.

तालिका 1 : निदेशकों की बोर्ड की बैठकों और पिछली वार्षिक महा सभा में उपस्थिति, उनकी निदेशकता और समितियों में सदस्यता

निदेशक का नाम	अपने कार्यकाल में आयोजित बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित/ उपस्थित)	13 जुलाई 2023 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियां) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (केवल एसीबी एवं एसआरसी)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां व्यक्ति निदेशक हैं और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
		अंशकालिक अध्यक्ष एवं स्वतंत्र निदेशक			
श्री टी.एन. मनोहरन (डीआईएन: 01186248)	(13/13)	उपस्थित	02	02	स्वतंत्र निदेशक: 1. टेक महिन्द्रा लि. 2. महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि. 3. नेशनल बैंक फॉर फाइनैंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट
		पूर्णकालिक निदेशक			
श्री राकेश शर्मा (डीआईएन: 06846594)	(13/13)	उपस्थित	02	शून्य	शून्य
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन:02262530) [05-04-2023 तक]	शून्य	लागू नहीं	-	-	-

निदेशक का नाम	अपने कार्यकाल में आयोजित बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित/ उपस्थित)	13 जुलाई 2023 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियां) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (केवल एसीबी एवं एसआरसी)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां व्यक्ति निदेशक हैं और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
श्री सुरेश खटनहार (डीआईएन:03022106) [14-01-2024 तक]	(10/10)	उपस्थित	-	-	-
श्री जयकुमार एस पिल्लै (डीआईएन: 10041362) [12-06-2023 से प्रभावी]	(11/11)	उपस्थित	01	शून्य	शून्य
गैर कार्यपालक निदेशक					
श्री मुकेश कुमार गुप्ता (डीआईएन-06638754)	(13/11)	उपस्थित	01	01	1. आईटीसी लि. - नामिती निदेशक
श्री राज कुमार (डीआईएन-06627311)	(13/13)	उपस्थित	01	शून्य	1. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि.- गैर-कार्यपालक निदेशक
श्री मनोज सहाय (डीआईएन-08711612)	(13/07)	उपस्थित	02	शून्य	शून्य
श्री सुशील कुमार सिंह (डीआईएन-09584577)	(13/06)	अनुपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
स्वतंत्र निदेशक					
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन - 00603925) [27-08-2023 तक]	(05/05)	उपस्थित	-	-	-
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी (डीआईएन - 06713850)	(13/13)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री समरेश परिदा (डीआईएन - 01853823)	(13/13)	उपस्थित	01	01	1. शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड - स्वतंत्र निदेशक
श्री एन. जंबुनाथन (डीआईएन - 05126421)	(13/13)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री दीपक सिंघल (डीआईएन - 08375146)	(13/13)	उपस्थित	01	01	शून्य
श्री संजय जी कल्लापुर (डीआईएन - 08377808)	(13/13)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य

निदेशक का नाम	अपने कार्यकाल में आयोजित बैंक के बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित/ उपस्थित)	13 जुलाई 2023 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियां) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में सदस्यता/ अध्यक्षता (केवल एसीबी एवं एसआरसी)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां व्यक्ति निदेशक हैं और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
श्रीमती पी.वी. भारती (डीआईएन - 06519925)	(13/12)	उपस्थित	03	02	1. पीटीसी इंडिया फ़ाइनानसियल सर्विसेस लि. - स्वतंत्र निदेशक
श्री अजय प्रकाश साहनी (डीआईएन - 03359323) [28.08.2023 से प्रभावी]	(08/08)	लागू नहीं	02	शून्य	शून्य

बैंक के किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक के पास बैंक द्वारा जारी शेयर या संपरिवर्तनीय लिखत नहीं है.

बोर्ड की समितियां

बोर्ड की कुल 13 समितियां हैं, यथा :

- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
- हितधारक संबंध समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- वसूली समीक्षा समिति
- इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति
- कार्यपालक समिति
- धोखाधड़ी निगरानी समिति
- सीएसआर एवं ईएसजी समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति
- एचआर संचालन समिति
- असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति

अ. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

i. विचारार्थ विषय

- संवेदनशील क्षेत्रों अर्थात् (क) पूंजी बाज़ार; और (ख) रियल इस्टेट को एक्सपोजर की समीक्षा करना;
- अपने ग्राहक को जानिए/ धन शोधन निवारक (केवाईसी / एएमएल) दिशा-निर्देश-
  - i. कार्यान्वयन की समीक्षा;
  - ii. शाखाओं में अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धन-शोधन निवारण (एएमएल) दिशा-निर्देशों के पालन के संबंध में संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुपालन की समीक्षा;
- हाउसकीपिंग की समीक्षा - विशेषकर लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों उचंत/ विविध/ देय अथवा प्रदत्त ड्राफ्ट/ मार्गस्थ निधियाँ/ समाशोधन/ सहायक सामान्य खाताबही (एसजीएल)/ संघटक सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) खातों में शेष और समाधान तथा नोस्ट्रो खातों की समीक्षा;
- रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के संबंध में अनुपालन की समीक्षा-जोखिम तथा पूंजी के मूल्यांकन हेतु पर्यवेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (आरएआर) और जोखिम न्यूनीकरण योजना (आरएमपी);

- वार्षिक लेखा-परीक्षा योजना और इसकी उपलब्धियों की स्थिति की समीक्षा करना;
- निम्नलिखित लेखा-परीक्षाओं के महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षों/ में पायी गयी आंतरिक नियंत्रण कमियों की उसके अनुपालन सहित समीक्षा करना- (i) लांग फॉर्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) (ii) संगामी लेखा-परीक्षा (iii) आंतरिक निरीक्षण (iv) डाटा सेंटर और अन्य विभागों की सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा (v) ट्रेज़री एवं डेरिवेटिव (vi) नियंत्रक कार्यालयों/ प्रधान कार्यालय की प्रबंधन लेखा-परीक्षा (vii) सेवा शाखाओं की लेखा-परीक्षा (viii) करेंसी चेस्ट (ix) विदेशी मुद्रा विनिमय में संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत शाखाओं की विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) लेखा-परीक्षा आदि;
- एसीबी/ बोर्ड/ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों पर अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करना;
- समुद्रपारीय शाखाओं के संबंध में मेजबान देशों में विनियामकों की विनियामकीय अपेक्षाओं पर अनुपालन को रिपोर्ट करना;
- प्रबंधन चर्चा, वित्तीय स्थिति का विश्लेषण, सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण की कमियों के बारे में जारी प्रबंधन पत्रों/ पत्रों सहित तिमाही के वित्तीय परिणामों की समीक्षा करना;
- विवेकाधिकार शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किए गए उल्लंघन संबंधी जानकारी की समीक्षा करना;
- उधारकर्ता कंपनियों में उनकी प्रदत्त पूंजी के 30% से अधिक की इक्विटी शेयर धारिता के संबंध में जानकारी रिपोर्ट करना;
- रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा करना;
- संबद्ध पक्षों के साथ लेन-देनों और संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए पूर्वानुमोदन और संबद्ध पक्ष लेन-देनों में उत्तरवर्ती संशोधन, यदि कोई हो, की समीक्षा करना;
- (क) जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा नीति, (ख) संगामी लेखा-परीक्षा नीति और (ग) आईएस लेखा-परीक्षा नीति की समीक्षा करना;
- बैंक के लेखों में अधिक पारदर्शिता लाने और लेखांकन मानकों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक की लेखांकन नीतियों/ प्रणालियों की समीक्षा करना और वर्ष के दौरान किसी भी परिवर्तन और उसके प्रभाव की समीक्षा करना तथा इस आशय की पुष्टि कि लेखांकन नीतियां, लेखांकन मानकों और रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं;
- आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की संख्या तथा विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखा-परीक्षा की बारंबारता सहित आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना;
- बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा करना;
- बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की समीक्षा करना;
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता, कार्य निष्पादन, देशी और समुद्रपारीय परिचालनों दोनों के लिए लेखा-परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;
- बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुति से पूर्व एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग सी के बिन्दु ए (4) में दर्शाई गयी (क) से (छ) की मदों के विशेष संदर्भ में बैंक के वार्षिक लेखों/ वित्तीय विवरणों और इन पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना;
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा दी गई किसी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों को किए जाने वाले भुगतान का अनुमोदन करना;
- लेखा-परीक्षा शुरू होने से पूर्व उसके स्वरूप और कार्य-क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों के साथ तथा किसी चिंताजनक विषय का पता लगाने के लिए लेखा-परीक्षा के उपरांत विचार-विमर्श करना;
- विभिन्न कानूनों और संविधियों के तहत बैंक पर लगाए गए दंडों/ दंडात्मक कार्रवाई और सुधारात्मक उपायों के लिए की गयी कार्रवाइयों की समीक्षा करना;
- आंतरिक/ बाह्य लेखा-परीक्षकों द्वारा पता लगाई गई राजस्व रिसाव की रिपोर्ट और उसकी वसूली की स्थिति - कमतर राजस्व के कारण और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए उठाये गये कदमों की समीक्षा करना;

- ऑफर दस्तावेज़ों और निधियों के सार्वजनिक निर्गम (सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित) के ज़रिये जुटाई गई निधियों के अंतिम उपयोग पर रिपोर्ट और साथ ही साथ, (i) विनियमावली 32(1) के अनुसार निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन(नों) के तिमाही विवरण और (ii) एलओडीआर विनियमावली के विनियम 32(7) के अनुसार ऑफर दस्तावेज़ में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य के लिये उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण;
- असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए विशेष निवेशों सहित वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करना;
- पहली बार हुए एनपीए (एफ़टीएनपीए) की समीक्षा करना;
- 1 करोड़ और उससे अधिक के नकारे गए चेकों की समीक्षा करना;
- संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली की वार्षिक समीक्षा का आयोजन;
- आउटसोर्स वेंडरों की लेखा-परीक्षा की वार्षिक समीक्षा का आयोजन करना;
- सतर्कता तंत्र की कार्य प्रणाली (पूर्व में विसिल ब्लोअर तंत्र) की समीक्षा करना;
- (i) मुख्य वित्तीय अधिकारी (ii) मुख्य आंतरिक लेखा-परीक्षक और (iii) मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन करना;
- सूचीबद्ध संस्था के उपक्रमों या आस्तियों का मूल्यांकन देखना, जहां कहीं भी आवश्यक हो;
- बैंक के लेखों को प्रभावित करने वाले रिज़र्व बैंक के परिपत्रों की समीक्षा करना;
- सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा करना;
- बैंक द्वारा सहायक संस्था में ₹ 100 करोड़ से अधिक या सहायक संस्था के आस्ति आकार के 10%, मौजूदा ऋण/ अग्रिम/ निवेश सहित, जो भी कम हो, में/को ऋण और/ या अग्रिमों / निवेश के उपयोग की समीक्षा करना;
- बैंक और इसके शेयरधारकों के विलय, विलगाव, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार और टिप्पणी करना;
- स्टाफ जवाबदेही जांच की समीक्षा करना;
- ऋण/ प्रतिभूति दस्तावेजों के स्वत्व विलेखों और समुचित सावधानी कार्रवाई की वास्तविकता को सत्यापित करना;
- परोक्ष निगरानी (ओएमएस) के कार्यनिष्पादन के बारे में रिपोर्ट करना;
- कंपनी अधिनियम, 2013, एलओडीआर विनियमावली, आदि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए अनुपालन पर सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना;
- सेंट्रल डिपॉजटरी सर्विसेस लि. (सीडीएसएल), नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉज़िटरी लि. (एनएसडीएल) और संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों की निरीक्षण रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों का अनुपालन करना;
- खोजी लेखा परीक्षा (आईए)/ विशेष जांच लेखा परीक्षा (एसआईए) के निष्कर्षों की समीक्षा करना;
- रेटिंग एजेंसियों के साथ चर्चा करना;
- प्रबंधन की उपस्थिति के बिना प्रमुख-आंतरिक लेखा परीक्षा और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के साथ चर्चा करना;
- जोखिम रेटिंग प्रवसन और लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता की समीक्षा करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. एसीबी की संरचना

31 मार्च 2024 को एसीबी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से चार सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे अर्थात् अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक श्री समरेश परिदा और सदस्यों के रूप में श्री मनोज सहाय, भारत सरकार के नामिती निदेशक, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक, श्रीमती पी.वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक और श्री अजय प्रकाश साहनी, स्वतंत्र निदेशक.

iii. *एसीबी बैठकों के लिए कोरम:*

एसीबी बैठकों के लिए कोरम में एसीबी के तीन सदस्य होंगे, इनमें से कम से कम दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे. एसीबी बैठक की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो बोर्ड की किसी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे.

iv. *एसीबी बैठकों की बारंबारता*

एसीबी की वर्ष में कम से कम चार बैठकें होंगी और एसीबी की लगातार दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिन से अधिक का अंतराल नहीं होगा.

v. *एसीबी की बैठकें*

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024) के दौरान एसीबी की 14 बैठकें 29 अप्रैल 2023; 30 मई 2023; 22 जून 2023; 24 जुलाई 2023; 18 अगस्त 2023; 29 सितंबर 2023; 21 अक्तूबर 2023; 29 नवंबर 2023; 27 दिसंबर 2023; 20 जनवरी 2024; 22 फरवरी 2024; 27 फरवरी 2024; 26 मार्च 2024 और 27 मार्च 2024 को संपन्न हुईं.

आ. कार्यपालक समिति (ईसी)

i. *विचारार्थ विषय*

- ₹ 250 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले उच्च मूल्य ऋण प्रस्तावों की मंजूरी करना;
- कार्यपालक समिति (ईसी) द्वारा मंजूरी निबंधनों और शर्तों में संशोधन करना;
- ऋण समितियों के कार्यवृत्त को रेकॉर्ड पर लेना;
- बातचीत से तय/ एकबारीय निपटान (ओटीएस) के प्रस्तावों की मंजूरी करना;
- अन्य बैंकों के निदेशक (अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक सहित) को ₹ 5 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों और अन्य कोई फर्म जिसमें अन्य बैंकों के कोई निदेशक साझेदार या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों और कोई कंपनी जिसमें अन्य बैंकों के कोई निदेशक पर्याप्त हित रखते हों या निदेशक या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों के ₹ 25 लाख और अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी देना.
- निम्नलिखित को ₹ 5 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों के संबंध में मंजूरी देना:
  - बैंक के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक या बैंक के अन्य निदेशकों के कोई संबंधी;
  - अन्य बैंकों के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशकों के कोई संबंधी;
  - कोई फर्म जिसमें ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार उनके कोई संबंधी साझेदार या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों; और
  - कोई कंपनी जिसमें ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार उनके कोई संबंधी पर्याप्त हित रखते हों या निदेशक या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों;
- प्रतिभूतिकरण पोर्टफोलियो की मंजूरियों की रिपोर्टिंग करना;
- कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित मामलों के संबंध में प्रतिभूति सृजन की स्थिति की समीक्षा और रिपोर्टिंग करना;
- देय और प्राप्य राशियों को निवेश लिखत(तों) में परिवर्तन के प्रस्तावों का अनुमोदन करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. *ईसी की संरचना*

31 मार्च 2024 को ईसी में पांच सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक और श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक.

iii. ईसी बैठकों के लिए कोरम

ईसी की बैठकों के लिए कोरम कुल संख्या का एक-तिहाई या ईसी के दो सदस्य, जो भी अधिक हो, होगी.

iv. ईसी बैठकों की बारंबारता

ईसी की बैठक वर्ष में कम से कम चार बैठकों के साथ आवश्यकताओं के अनुसार होगी.

v. ईसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024) के दौरान कार्यपालक समिति की कुल 25 बैठकें हुईं जो 17 अप्रैल 2023; 28 अप्रैल 2023; 16 मई 2023; 30 मई 2023; 13 जून 2023; 26 जून 2023; 05 जुलाई 2023; 11 जुलाई 2023; 25 जुलाई 2023; 11 अगस्त 2023; 29 अगस्त 2023; 14 सितंबर 2023; 29 सितंबर 2023; 12 अक्तूबर 2023; 30 अक्तूबर 2023; 15 नवम्बर 2023; 29 नवंबर 2023; 14 दिसंबर 2023; 28 दिसंबर 2023; 16 जनवरी 2024; 29 जनवरी 2024; 13 फरवरी 2024; 01 मार्च 2024; 16 मार्च 2024 और 27 मार्च 2024 को संपन्न हुईं.

इ. स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसी)

i. विचारार्थ विषय

स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 तथा एलओडीआर विनियमावली के अनुसूची II के भाग डी के साथ पठित विनियम 20 के अंतर्गत उपबंधित विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करती है.

एसआरसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं

- शेयरों के अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए / डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, महासभा आदि से संबंधित शिकायतों सहित शेयरधारकों, बांडधारकों और अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का समाधान करना;
- अपनी प्रत्येक बैठक में बैंक की इक्विटी सर्विसिंग और बांड सर्विसिंग रिपोर्टों पर विचार तथा समीक्षा करना और उपर्युक्त अधिदेश को पूरा करने के लिए जरूरी होने पर इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी करना:
  - इक्विटी सर्विसिंग संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा करना;
  - फ्लेक्सीबॉण्डों की सर्विसिंग संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा करना;
  - शेयर पूँजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के समाधान की रिपोर्टिंग की समीक्षा करना;
  - स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत निवेशकों की शिकायतों के विवरणों की रिपोर्टिंग की समीक्षा करना;
  - शेयरधारकों द्वारा वोटिंग अधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना;
  - रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा दी गई विभिन्न सेवाओं के संदर्भ में बैंक द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना;
  - अदावी लाभांश की मात्रा को कम करने और बैंक के शेयरधारकों को लाभांश वारंट /वार्षिक रिपोर्ट/ सांविधिक नोटिस की समयबद्ध प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहल कार्यों की समीक्षा करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. एसआरसी की संरचना

31 मार्च 2024 को एसआरसी में तीन सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक श्री संजय जी. कल्लापुर और सदस्यों के रूप में श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी और श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक.

श्रीमती ज्योति बीजू नायर, बैंक की कंपनी सचिव एलओडीआर विनियमावली के अंतर्गत अनुपालन अधिकारी के रूप में भी कार्य करती हैं.

iii. एसआरसी बैठकों के लिए कोरम

एसआरसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा एसआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगी.

iv. एसआरसी बैठकों की बारंबारता

एसआरसी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. एसआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024) के दौरान एसआरसी की चार बैठकें दिनांक 16 मई 2023, 19 अगस्त 2023, 15 नवंबर 2023 और 13 फरवरी 2024 को संपन्न हुईं.

vi. अनुरोध/ शिकायतों की संख्या (इक्विटी एवं बांड)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त शेयरधारकों/ बांडधारकों की शिकायतों की संख्या	11,554
जिन शिकायतों का समाधान शेयरधारकों/ बांडधारकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया गया उनकी संख्या	शून्य
लंबित शिकायतों की संख्या	शून्य

ई. धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी)

i. विचारार्थ विषय

₹1 करोड़ तथा इससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी तथा उनका अनुवर्तन करने के लिए विशेष समिति के रूप में धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी) का गठन किया गया है. इसका गठन धोखाधड़ी का पता लगाने, उन पर निगरानी रखने और उनसे निपटने के लिए किया गया है.

एफएमसी की व्यापक भूमिका एवं उसके उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- प्रणालीगत कमी, यदि कोई है, जिससे धोखाधड़ी संभव हुई हो, की पहचान करना तथा उसे रोकने के लिए उपाय सुझाना;
- धोखाधड़ी, यदि कोई है, का पता लगाने तथा बैंक के शीर्ष प्रबंधन और रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करने में विलंब के कारणों की पहचान करना;
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)/ पुलिस द्वारा जांच पड़ताल में प्रगति और वसूली स्थिति की निगरानी करना;
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ जवाबदेही की जांच हो तथा बिना समय गँवाए तत्काल कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, पूरी हो;
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता, जैसे आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करना, की समीक्षा करना;
- रेड फ्लैग खातों तथा बकाया रेड फ्लैग खातों के बारे में की गई उपचारात्मक कार्रवाई/ दिए गए जांच आदेश की स्थिति की समीक्षा करना;
- धोखाधड़ी के मामलों में स्टाफ जवाबदेही प्रक्रिया के पूरा होने और उस पर की गई कार्रवाई को नोट करना;
- सीबीआई, पुलिस आदि द्वारा जांच किए जा रहे मामलों से वसूली सहित धोखाधड़ी मामलों में वसूली की स्थिति की समीक्षा करना;
- इलेक्ट्रोनिक धोखाधड़ी के मामले में बैंक द्वारा उठाए गए न्यूनीकरण संबंधी कदमों की प्रगति और धोखाधड़ी की संख्या एवं मूल्यों को नियंत्रित करने में इसकी प्रभावशीलता की निगरानी करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. एफएमसी की संरचना

31 मार्च 2024 को एफएमसी में पांच सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री जयकुमार एस.पिल्लै, डीएमडी, श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक और श्री अजय प्रकाश साहनी, स्वतंत्र निदेशक.

iii. एफएमसी बैठकों के लिए कोरम

एफएमसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई अथवा एफएमसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. एफएमसी बैठकों की बारंबारता

₹ 1 करोड़ और उससे अधिक राशि की धोखाधड़ी के मामले के प्रकाश में आने पर धोखाधड़ी निगरानी समिति की बैठक आयोजित करना और उसमें मामले की समीक्षा करना अपेक्षित होता है.

v. एफएमसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024) के दौरान एफएमसी की 12 बैठकें दिनांक 28 अप्रैल 2023; 30 मई 2023; 22 जून 2023; 24 जुलाई 2023; 18 अगस्त 2023; 29 सितंबर 2023; 21 अक्तूबर 2023; 29 नवंबर 2023; 27 दिसंबर 2023; 20 जनवरी 2024; 27 फरवरी 2024; और 27 मार्च 2024 को संपन्न हुईं.

उ. जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी)

i. विचारार्थ विषय

बैंक के कारोबार से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन करने, उनमें कमी लाने, आस्ति देयता असंतुलन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने और साथ ही जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) का गठन किया गया है.

आरएमसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- चलनिधि जोखिम और अन्य जोखिमों के साथ चलनिधि जोखिम की संभावित पारस्परिक क्रिया सहित बैंक के समक्ष आई सभी जोखिमों का मूल्यांकन करना;
- नकदी प्रवाह के अनुमानों की रिपोर्टिंग और चलनिधि जोखिम, प्रयुक्त धारणाओं का मापन करना;
- बोर्ड को नीतियों यथा ऋण नीति, वसूली नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता नीति, परिचालनगत जोखिम तथा कारोबार निरंतरता प्रबंधन (ओआर एवं बीसीएम) नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, बाज़ार जोखिम तथा डेरिवेटिव नीति, देश जोखिम प्रबंधन नीति एवं देश की जोखिम सीमाएं, निवेश नीति, प्रकटन नीति, प्रतिष्ठा जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन नीति, समूह जोखिम एवं प्रबंधन नीति आदि की सिफ़ारिश करना;
- परिचालनगत जोखिम एवं कारोबार निरंतरता प्रबंधन पर प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करना;
- ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की बाज़ार जोखिम रिपोर्ट की समीक्षा करना;
- दबाव परीक्षण के परिणामों की समीक्षा करना;
- जोखिम प्रबंधन विभाग, मॉडल सत्यापन - आंतरिक रेटिंग के माइग्रेशन और चूक विश्लेषण के अंतर्गत किए गए कार्यों की समीक्षा करना;
- आस्ति देयता प्रबंधन समीक्षा करना;
- प्रणाली उत्पाद अनुमोदन एवं समीक्षा समिति (स्पार्क) I एवं II के कार्यवृत्त को रिपोर्ट करना;
- प्रतिपक्षकार बैंक सीमाओं एवं घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के लिए सीमाओं के आबंटन पर नीति की समीक्षा करना;
- ऋण एक्सपोजर मानदंडों के अनुपालन की समीक्षा करना;

- पारिश्रमिक और जोखिम के बीच प्रभावी सुयोजन को प्राप्त करने के उद्देश्य से नामांकन और पारिश्रमिक समिति के साथ समन्वय में कार्य करना;
- विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
  - सूचीबद्ध संस्था द्वारा वित्तीय, परिचालनगत, क्षेत्र संबंधी, धारणीयता (विशेष रूप से ईएसजी संबंधी जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिमों अथवा समिति द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य जोखिम सहित सामना की गई आंतरिक और बाह्य जोखिमों की पहचान के लिए रूपरेखा तैयार करना.
  - पहचान किए गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम न्यूनीकरण के उपाय करना; और
  - कारोबार निरंतरता योजना.
- यह सुनिश्चित करना कि बैंक के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियाँ मौजूद हैं;
- जोखिम प्रबंधन प्रणाली की पर्याप्तता के मूल्यांकन सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और निरीक्षण करना;
- जोखिम प्रबंधन नीति की आवधिक आधार पर दो वर्ष में कम से कम एक बार समीक्षा करना, जिसमें बदलते उद्योग की गतिशीलता और विकसित जटिलता पर विचार करना शामिल है;
- मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति, हटाने और पारिश्रमिक की शर्तों यदि कोई हो, की समीक्षा करना;
- समकक्ष बैंक की समीक्षा करना;
- आईसीएएपी की मध्यावधि समीक्षा करना;
- प्रतिपक्ष बैंक एक्सपोजर सीमाओं और देश जोखिम एक्सपोजर सीमाओं की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा करना;
- आंतरिक और बाह्य रेटिंग के बीच विचलन का विश्लेषण करना;
- साइबर सुरक्षा के संबंध में जोखिम प्रबंधन योजना की समीक्षा करना और उससे उत्पन्न होने वाले किसी भी जोखिम को कम करने के उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति और ऋण जोखिम प्रबंधन समिति के कार्यवृत्त की समीक्षा करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. आरएमसी की संरचना

31 मार्च 2024 को आरएमसी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से चार सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्रीमती पी.वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक और सदस्यों के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक, श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक और श्री टी.एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक.

iii. आरएमसी बैठकों के लिए कोरम

आरएमसी की बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों में से कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक सदस्य के पास जोखिम प्रबंधन में पेशेवर विशेषज्ञता/ योग्यता होनी चाहिए. आरएमसी की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी जो बोर्ड या किसी अन्य समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे.

iv. आरएमसी बैठकों की बारंबारता

आरएमसी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. आरएमसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024) के दौरान आरएमसी की पांच बैठकें दिनांक 13 जून 2023; 29 अगस्त 2023; 18 दिसंबर 2023 और 14 मार्च 2024 और 15 मार्च 2024 को संपन्न हुईं.

ऊ. सीएसआर एवं ईएसजी समिति

i. विचारार्थ विषय

- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति तैयार करना और बोर्ड को उसकी सिफारिश करना जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों में बैंक द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाएगी;
- उपर्युक्त खंड में दिए गए कार्यकलापों पर होने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना;
- बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति की समय-समय पर निगरानी करना;
- ईएसजी से संबंधित बैंक की सभी गतिविधियों का निरीक्षण करना और ईएससी नीति की समीक्षा करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. सीएसआर एवं ईएसजी समिति की संरचना

31 मार्च 2024 को सीएसआर एवं ईएसजी समिति में चार सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक.

iii. सीएसआर एवं ईएसजी समिति की बैठकों के लिए कोरम

सीएसआर एवं ईएसजी समिति की बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. सीएसआर एवं ईएसजी समिति की बैठकों की बारंबारता

सीएसआर एवं ईएसजी समिति की बैठकें छमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. सीएसआर एवं ईएसजी समिति की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024) के दौरान सीएसआर एवं ईएसजी समिति की तीन बैठकें दिनांक 28 अप्रैल 2023; 18 अगस्त 2023 और 27 फरवरी 2024 को संपन्न हुईं.

ए. ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)

i. विचारार्थ विषय

बैंक में ग्राहक संरक्षण तथा सेवा की अभिशासन संरचना को मजबूत बनाने और साथ ही बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियां बनाने और उनके आंतरिक अनुपालन का आकलन करने के लिए ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) का गठन किया गया है.

सीएससी की व्यापक भूमिका तथा उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- रिटेल बैंकिंग खंड में ग्राहक की शिकायतों को देखना तथा ग्राहकों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करना;
- व्यापक जमा नीति तैयार करना;
- जमाकर्ता की मृत्यु होने पर उनके खाते के परिचालन जैसे मुद्दों का समाधान करना;
- जमाकर्ता की संतुष्टि के वार्षिक सर्वेक्षण के संचालन की जांच करना;
- ग्राहक सेवाओं की त्रैवार्षिक लेखा परीक्षा आयोजित करना;

- भारत के विभिन्न राज्यों के आंतरिक लोकपाल द्वारा समाधान की जा चुकी शिकायतों के संबंध में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाना;
- आंतरिक लोकपाल द्वारा दिए गए सभी निर्णयों पर ध्यान देना;
- तीन माह से अधिक समय तक कार्यान्वित नहीं किए गए सभी निर्णयों की कारणों सहित समीक्षा करना;
- बैंक में ग्राहक सुरक्षा एवं सेवा के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना;
- शिकायत निवारण नीति को संशोधित करना;
- प्रदान की गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले किन्हीं अन्य मुद्दों की जांच करना.
- आंतरिक लोकपाल के कार्यकलापों की समीक्षा करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. सीएससी की संरचना

31 मार्च 2024 को सीएससी में पांच सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री राज कुमार, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक और श्री अजय प्रकाश साहनी, स्वतंत्र निदेशक. श्री प्रमोद कुमार, आंतरिक लोकपाल स्थायी आमंत्रिती हैं.

iii. सीएससी बैठकों के लिए कोरम

सीएससी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा सीएससी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. सीएससी बैठकों की बारंबारता

सीएससी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. सीएससी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024) के दौरान सीएससी की चार बैठकें दिनांक 31 मई 2023; 18 अगस्त 2023; 29 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 को संपन्न हुईं.

ऐ. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी)

i. विचारार्थ विषय

बैंक में प्रभावी प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी) का गठन किया गया है. इसका उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न आईटी समर्थकारी सेवाएं प्रदान करना, दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने में मदद करना, नए आईटी उत्पाद लांच करने में सहायता देना एवं तत्संबंधी सेवाएं प्रदान करना और साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं तथा साइबर सुरक्षा नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करना है. समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन और साइबर धोखाधड़ी के बारे में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों की समीक्षा देना;
- यह सुनिश्चित करना कि बैंक ने एक प्रभावी आईटी रणनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है;
- आईटी रणनीति की तैयारी में मार्गदर्शन करना और यह सुनिश्चित करना कि आईटी रणनीति अपने व्यवसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैंक की समग्र रणनीति के साथ संरेखित हो;
- स्वयं को संतुष्ट करना कि आईटी अभिशासन और सूचना सुरक्षा अभिशासन संरचना जवाबदेही को बढ़ावा देती है, प्रभावी और कुशल है, इसमें पर्याप्त कुशल संसाधन, सुपरिभाषित उद्देश्य और संगठन में प्रत्येक स्तर के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियाँ हैं.
- यह सुनिश्चित करना कि बैंक ने आईटी और साइबर सुरक्षा जोखिमों का आकलन और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं बनाई हैं;
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी कार्य (आईटी सुरक्षा सहित), साइबर सुरक्षा बैंक की आईटी परिपक्वता, डिजिटल गहराई, खतरे के माहौल और उद्योग मानकों के अनुरूप हैं और बताए गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किए गए हैं; और

- बैंक की कारोबार निरंतरता योजना और आपदा से उबरने का प्रबंधन की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की कम से कम वार्षिक आधार पर समीक्षा करना.

आईटीएससी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- बोर्ड को प्रस्तावित आईटी बजट की संस्तुति करना;
- आईटी बजट के उपयोग की समीक्षा करना;
- बैंक के ग्राहकों के लिए विभिन्न उत्पादों तथा आईटी समर्थित सेवाओं के प्रारंभ की समीक्षा करना;
- आंतरिक अथवा बाहर से खरीदे गए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर/ हार्डवेयर के विकास, अधिप्राप्ति और परिचालनों की समीक्षा करना और प्रौद्योगिकी के चयन के लिए निविदाएँ आमंत्रित करने अथवा अन्य क्रियाविधिओं के लिए प्रक्रियाएँ तैयार करना;
- प्रणाली और प्रक्रियाओं के निष्पादन, कार्यान्वयन और परिचालन की निगरानी करना;
- प्रौद्योगिकी के ज़रिए शाखाओं के एकीकरण और बैंक के लिए एमआईएस के विकास का निरीक्षण करना;
- प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर की अद्यतन स्थिति और की गईं प्रमुख आईटी पहलों की समीक्षा करना;
- सूचना/साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं की समीक्षा करना;
- सूचना सुरक्षा नीति की समीक्षा करना;
- आईटी नीति की समीक्षा करना;
- साइबर सुरक्षा संबंधी तैयारी का मूल्यांकन करना;
- साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- साइबर सुरक्षा नीतियों की निगरानी करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. आईटीएससी की संरचना

31 मार्च 2024 को आईटीएससी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक और सदस्यों के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री मनोज सहाय, सरकार के नामिती निदेशक, श्री राज कुमार, एलआईसी के नामिती निदेशक, और श्री अजय प्रकाश साहनी, स्वतंत्र निदेशक.

iii. आईटीएससी बैठकों के लिए कोरम

आईटीएससी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा आईटीएससी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. आईटीएससी बैठकों की बारंबारता

आईटीएससी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. आईटीएससी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024) के दौरान, आईटीएससी की चार बैठकें 13 जून 2023; 14 सितंबर 2023; 14 दिसंबर 2023 और 14 मार्च 2024 को आयोजित की गईं.

ओ. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

i. विचारार्थ विषय

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- निदेशक के लिए अर्हताएं, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों को पारिश्रमिक से संबंधित नीति की निदेशक मंडल को अनुशंसा करना;

- बोर्ड, उसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के प्रभावी मूल्यांकन के लिए, या तो बोर्ड द्वारा, एनआरसी द्वारा अथवा स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा निष्पादन की रीति को निर्दिष्ट करना और उनके कार्यान्वयन एवं अनुपालन की समीक्षा करना;
- स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करना और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करना. स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति के पास इस तरह के विवरण में पहचानी गई क्षमताएं होंगी. उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, एनआरसी निम्नलिखित तरीके अपना सकती है:
  - यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करें;
  - विविधता को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न कार्यक्षेत्रों में भूमिका निभाने वाले उम्मीदवारों पर विचार करें; तथा
  - उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार करें.
- स्वतंत्र निदेशकों तथा निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
- निदेशक मंडल की विविधता के बारे में नीति तैयार करना;
- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, और निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना;
- अर्हता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा, 'उपयुक्त और उचित' मानदंड, सकारात्मक गुणों और स्वतंत्र (यदि लागू हो) तथा स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशकों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड में निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति/ नियुक्ति को जारी रखने की योग्यता को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया पर कार्य करना तथा उससे संबंधित मानदंड को तैयार करना;
- निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, आदि के लिए पारिश्रमिक/ क्षतिपूर्ति नीति बनाना;
- बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन को भुगतान किए जाने वाले सभी पारिश्रमिकों, चाहे वे किसी भी रूप में हों, की सिफारिश करना;
- पारिश्रमिक और जोखिम के बीच प्रभावी सुयोजन प्राप्त करने के संबंध में जोखिम प्रबंधन समिति के साथ समन्वय कार्य करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. एनआरसी की संरचना

31 मार्च 2024 को एनआरसी में सात सदस्य शामिल थे, सभी सदस्य गैर-कार्यपालक निदेशक हैं, जिसमें पांच स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक और सदस्यों के रूप में श्री सुशील कुमार सिंह, सरकार के नामिती निदेशक, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक, श्री टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक.

iii. एनआरसी बैठकों के लिए कोरम

एनआरसी बैठकों के लिए कोरम तीन सदस्यों का होगा जिनमें से एनआरसी की बैठकों में भाग लेने वाले कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे और एक आरएमसी का सदस्य होगा. एनआरसी के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे जो बोर्ड की अध्यक्षता नहीं करेंगे.

iv. एनआरसी बैठकों की बारंबारता:

वर्ष में कम से कम एक बार एनआरसी की बैठक आयोजित की जाएगी.

v. एनआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024) के दौरान एनआरसी की छह बैठकें 28 अप्रैल 2023; 30 मई 2023; 18 अगस्त 2023; 30 नवम्बर 2023; 26 दिसंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 को संपन्न हुईं.

vi. स्वतंत्र निदेशकों के लिए कार्य-निष्पादन मूल्यांकन मानदंड

स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन एनआरसी द्वारा अनुमोदित तैयार की गई प्रश्नावली के आधार पर किया जाता है जिसमें बोर्ड में उपस्थिति, बैठक के दौरान भागीदारी, निदेशकों के योगदान का स्तर, ज्ञान की गुणवत्ता और विषय की समझ, पारदर्शिता का स्तर आदि कॉर्पोरेट अभिशासन के मानदंड शामिल हैं. मूल्यांकन के बारे में अपनी राय बनाने के लिए प्रश्नावली पहले ही निदेशकों को विचार करने के लिए परिचालित कर दी जाती है. स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन जिस निदेशक का मूल्यांकन किया जा रहा है, उन्हें छोड़कर पूरे निदेशक मंडल द्वारा किया जा रहा है. मूल्यांकन में उपर्युक्त मापदंडों पर निदेशकों का कार्य-निष्पादन और स्वतंत्र मानदंडों को पूरा करना शामिल है. इसके अलावा मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है.

औ. मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी)

i. विचारार्थ विषय

मानव संसाधन संबंधी मामलों को देखने और मानव संसाधन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी) का गठन किया गया है.

एचआरएससी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- भर्ती और प्रशिक्षण से संबंधित नीतियां बनाना;
- कार्य-निष्पादन प्रबंधन, क्षतिपूर्ति और कैरियर विकास पहलों की समीक्षा करना;
- प्रबंधन योजना, विकास और उत्तराधिकार योजना पर विचार करना;
- एचआर रणनीति को कारोबार रणनीति व योजना के अनुकूल बनाना;
- कार्मिक की नियुक्ति, मानवशक्ति मूल्यांकन, पदोन्नति आदि सहित विभिन्न अन्य एचआर मामलों पर विचार और अनुमोदन प्रदान करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. एचआरएससी की संरचना

31 मार्च 2024 को एचआरएससी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री सुशील कुमार सिंह, सरकार के नामिती निदेशक, श्री मुकेश कुमार गुप्ता, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक और श्री टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक.

iii. एचआरएससी की बैठकों के लिए कोरम

एचआरएससी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा एचआरएससी के दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

iv. एचआरएससी बैठकों की बारंबारता

एचआरएससी की बैठक आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जाएगी.

v. एचआरएससी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024) के दौरान एचआरएससी की पाँच बैठकें 31 मई 2023; 11 अगस्त 2023; 30 सितंबर 2023; 27 दिसंबर 2023 और 27 मार्च 2024 को आयोजित की गईं.

अं. वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी)

i. विचारार्थ विषय

भारत सरकार के दिशानिर्देशों/ बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए), दबावग्रस्त खातों, बट्टे खाते डाले गए मामलों, सरकारी परिसमापक (ओएल) मामलों, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) मामलों आदि से वसूली की समीक्षा करने के लिए और वसूली की प्रगति पर निगरानी रखने तथा अन्य संबंधित प्रयोजनों के लिए वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी) का गठन किया गया है.

आरआरसी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- पहली बार हुए एनपीए (एफ़टीएनपीए) और एनपीए की समीक्षा करना;
- शीर्ष 100 एनपीए एवं तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गये (टीडबल्यूओ) खातों की समीक्षा करना;
- वाद दायर किए गए मामलों की समीक्षा करना;
- सरफेएसी अधिनियम के तहत कार्रवाई - स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा करना.
- दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी), 2016 के तहत मामलों की समीक्षा करना;
- सरकारी परिसमापक (ओएल) के पास पड़ी राशि की समीक्षा करना;
- विशेष उल्लेखवाले खातों (एसएमए) की समीक्षा करना;
- इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं की प्रगति की समीक्षा करना;
- सुलह के माध्यम से किए गए निपटान पर रिपोर्ट करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. आरआरसी की संरचना

31 मार्च 2024 को आरआरसी में पांच सदस्य शामिल थे, जिसमें से दो स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी, श्री राज कुमार, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक और श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक.

iii. आरआरसी बैठकों के लिए कोरम

आरआरसी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा आरआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

iv. आरआरसी बैठकों की बारंबारता

आरआरसी की बैठक वर्ष में कम से कम चार बैठकों के साथ आवश्यकताओं के अनुसार होगी.

v. आरआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024) के दौरान आरआरसी की चार बैठकें 22 जून 2023; 30 सितंबर 2023; 27 दिसंबर 2023 और 28 मार्च 2024 को आयोजित की गईं.

अः. असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी)

i. विचारार्थ विषय

असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी) की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- उधारकर्ता को असहयोगी उधारकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित आंतरिक असहयोगी उधारकर्ता समिति के आदेशों/ निर्णयों की समीक्षा करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. एनसीबीआरसी की संरचना

एनसीबीआरसी का गठन एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशकों के साथ किया गया था. 31 मार्च 2024 को एनसीबीआरसी में अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक और श्री संजय जी. कल्लापुर स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

iii. एनसीबीआरसी की बैठकों के लिए कोरम

एनसीबीआरसी बैठकों के लिए सभी सदस्यों की उपस्थिति कोरम को पूरा करेगी.

iv. एनसीबीआरसी बैठकों की बारंबारता

एनसीबीआरसी की छमाही आधार पर बैठक आयोजित कर असहयोगी उधारकर्ताओं की स्थिति की समीक्षा करना आवश्यक है.

v. एनसीबीआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024) के दौरान एनसीबीआरसी की दो बैठकें 19 अगस्त 2023 और 13 फरवरी 2024 को आयोजित की गईं.

अ.अ. इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआरसी)

i. विचारार्थ विषय

इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआरसी) की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में आंतरिक इरादतन चूककर्ता समिति के आदेशों/ निर्णयों की समीक्षा करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. डब्ल्यूडीआरसी की संरचना

डब्ल्यूडीआरसी का गठन एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशकों के साथ किया गया था. 31 मार्च 2024 को इस समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ और सदस्यों के रूप में श्री समरेश परिदा और श्रीमती पी.वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

iii. डब्ल्यूडीआरसी की बैठकों के लिए कोरम

डब्ल्यूडीआरसी बैठकों के लिए सभी सदस्यों की उपस्थिति कोरम को पूरा करेगी.

iv. डब्ल्यूडीआरसी की बैठकों की बारंबारता

बैंक की इरादतन चूककर्ता संबंधी आंतरिक समिति द्वारा जब भी किसी उधारकर्ता को 'इरादतन चूककर्ता' के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है तो डब्ल्यूडीआरसी के लिए बैठक आयोजित करना और समीक्षा करना आवश्यक होता है.

v. डब्ल्यूडीआरसी की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024) के दौरान डब्ल्यूडीआरसी की पांच बैठकें 31 मई 2023; 11 अगस्त 2023; 12 अक्तूबर 2023; 18 दिसंबर 2023 और 15 मार्च 2024 को आयोजित की गईं.

वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक की समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण तालिका 2 में दिया गया है.

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक (आईडीएम)

i. विचारार्थ विषय

स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, एलओडीआर विनियमावली के विनियम 25 के निबंधनों के अनुसार और भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों पर सचिवीय मानक-1 का अनुपालन करेंगे.

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक की व्यापक भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार है:

- गैर-स्वतंत्र निदेशकों और समग्र रूप से बोर्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा करना;
- कार्यपालक निदेशकों तथा गैर-कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए बैंक के अध्यक्ष के कार्य निष्पादन की समीक्षा करना;
- बैंक के प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन करना जो बोर्ड के कर्तव्यों के प्रभावी और तर्कसंगत कार्य-निष्पादन के लिए आवश्यक है; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित की जाने वाली अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. आईडीएम की संरचना

31 मार्च 2024 को बैंक के बोर्ड में आठ स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् श्री भुवनचंद्र बी जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल, श्री संजय जी. कल्लापुर, श्रीमती पी. वी. भारती, श्री टी. एन. मनोहरन और श्री अजय प्रकाश साहनी. स्वतंत्र निदेशक प्रत्येक बैठक में अपने में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं.

iii. आईडीएम के लिए कोरम

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार सभी स्वतंत्र निदेशक, स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे.

iv. आईडीएम की बैठकों की बारंबारता

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जानी चाहिए.

v. स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

समीक्षाधीन अवधि (1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024) के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की चार बैठकें 25 मई 2023; 30 सितंबर 2023; 30 नवंबर 2023; और 28 मार्च 2024 को आयोजित की गईं.

तालिका 2: वित्तीय वर्ष 2023-24 में समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	एसीबी		ईसी		एसआरसी		एफ़एमसी		आरएमसी		सीएसआर एवं ईएसजी		सीएससी		आईटीएसजी		एनआरसी		एचआरएससी		आरआरसी		एनसीबीआरसी		डबल्यूडीआरसी	
		आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ	आ	उ
1.	श्री टी. एन. मनोहरन (डीआईएन: 01186248)	0	0	0	0	0	0	5	4	5	5	0	0	0	0	0	0	6	5	5	5	0	0	0	0	0	0
2.	श्री राकेश शर्मा (डीआईएन: :06846594)	0	0	25	25	0	0	12	12	5	5	3	3	4	4	4	4	0	0	5	5	4	4	2	2	5	5
3.	श्री सुरेश खटनहार (डीआईएन: :03022106) (14-01-24 तक)	0	0	19	18	3	3	9	9	3	3	2	2	3	3	3	3	0	0	4	3	3	3	0	0	0	0
4.	श्री जयकुमार एस. पिल्लै (डीआईएन: 10041362) (12-06-23 से)	0	0	21	21	3	3	10	10	5	5	2	2	3	3	4	4	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0
5.	श्री मुकेश कुमार गुप्ता (डीआईएन: 06638754)	14	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	5	5	0	0	0	0	0	0
6.	श्री राजकुमार (डीआईएन: 06627311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
7.	श्री मनोज सहाय (डीआईएन: 08711612)	14	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	श्री सुशील कुमार सिंह (डीआईएन: 09584577)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	1	5	2	0	0	0	0	0	0
9.	श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन: 00603925) (27-08-23 तक)	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	2	2	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	श्री भुवनचंद्र बी. जोशी (डीआईएन: 06713850)	0	0	25	25	0	0	12	12	0	0	0	0	4	4	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	श्री समरेश परिदा (डीआईएन: 01853823)	14	14	0	0	0	0	0	0	5	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	5	5
12.	श्री एन. जंबुनाथन (डीआईएन: 05126421)	0	0	25	25	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	श्री दीपक सिंघल (डीआईएन: 08375146)	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	5	5	0	0	2	2	0	0
14.	श्री संजय जी. कल्लापुर (डीआईएन: 08377808)	14	14	0	0	4	4	12	11	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
15.	श्रीमती पी. वी. भारती (डीआईएन: 06519925)	14	13	0	0	0	0	0	0	5	5	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	4	3	0	0	5	5
16.	श्री अजय प्रकाश साहनी (डीआईएन: 03359323) (28-08-23 से)	9	9	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(आ = आयोजित / उ = उपस्थित)

31 मार्च 2024 को निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता के निर्धारण की मैट्रिक्स और ऐसे कौशल रखने वाले निदेशकों के नाम नीचे तालिका में दिए गए हैं:

	लेखा शास्त्र	कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था	बैंकिंग	सहयोग	अर्थ शास्त्र	वित्त	विधि	लघु उद्योग	मानव संसाधन	जोखिम	सूचना प्रौद्योगिकी	भुगतान और निपटान	व्यापार प्रबंधन	प्रशासन	कॉरपोरेट अभिशासन
श्री टी. एन. मनोहरन	√		√		√	√	√	√	√	√			√	√	√
श्री राकेश शर्मा	√	√	√		√			√	√	√			√	√	√
श्री जयकुमार एस. पिल्लै	√	√	√		√	√		√	√	√			√	√	√
श्री मुकेश कुमार गुप्ता			√			√			√	√	√		√	√	√
श्री राजकुमार									√				√	√	√
श्री मनोज सहाय	√					√								√	√
श्री सुशील कुमार सिंह	√					√			√					√	√
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी		√	√					√						√	√
श्री समरेश परिदा	√	√				√					√		√	√	√
श्री एन. जंबुनाथन		√	√					√			√	√		√	√
श्री दीपक सिंघल		√	√						√				√	√	√
श्री संजय जी. कल्लापुर	√				√	√				√				√	√
श्रीमती पी. वी. भारती		√	√		√			√		√				√	√
श्री अजय प्रकाश साहनी									√		√	√		√	√

वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ए) और धारा 92(3) के अनुसरण में बैंक की वार्षिक विवरणी इसकी वेबसाइट https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspxपर रखी जाती है.

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा का विवरण

बैंक के स्वतंत्र निदेशक श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन.जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल, श्री संजय जी. कल्लापुर, श्रीमती पी. वी. भारती, श्री टी. एन. मनोहरन और श्री अजय प्रकाश साहनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार 1 अप्रैल 2024 को यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6), एलओडीआर विनियमों के विनियम 16(1)(बी) एवं 17(10) तथा रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों में उल्लिखित स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और वे किसी भी ऐसी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं हैं जो मौजूद है या यथोचित रूप से प्रत्याशित है, जो वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय के साथ और किसी भी बाहरी प्रभाव के बिना उनके कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता को ह्रासित करते हैं या प्रभावित कर सकते हैं. वार्षिक प्रकटीकरण के साथ निदेशकों ने यह भी पुष्टि की कि स्वतंत्र निदेशकों के डाटाबैंक में पंजीकरण एवं नवीकरण और ऑनलाइन प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण/ छूट दिये जाने के संबंध में उन्होंने कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2019 के पांचवें संशोधन के नियम 6 के उप नियम 1 और 2 के प्रावधानों का अनुपालन किया है. उक्त को निदेशक मंडल द्वारा 4 मई 2024 को नोट किया गया और इसकी सत्यता का सही आकलन करने के बाद इस पर बोर्ड की राय थी कि स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं. इसके अलावा, बोर्ड की राय में स्वतंत्र निदेशक सभी प्रयोज्य विधियों तथा बैंक की नीतियों के अधीन अपेक्षित आवश्यक निष्ठा, अनुभव, विशेषज्ञता और प्रवीणता रखते हैं.

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी की नीति

निदेशकों की नियुक्ति एवं मूल्यांकन साथ ही क्षतिपूर्ति नीति के संबंध में बैंक की नीति इसकी वेबसाइट (www.idbibank.in) पर https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है.

कंपनी की लाभांश वितरण नीति

लाभांश वितरण के बारे में बैंक की नीति इसकी वेबसाइट (www.idbibank.in) पर https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है.

सचिवीय मानकों का अनुपालन

बैंक ने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित सचिवीय मानकों यथा एसएस-1 (बोर्ड की बैठकों के बारे में सचिवीय मानक) और एसएस-2 (सामान्य बैठकों के बारे में सचिवीय मानक) को अपनाया है. बैंक ने अपनी बोर्ड, समिति और सामान्य बैठकों का आयोजन इन मानकों के अनुसार आयोजित तथा इनका अनुपालन करते हुए किया है.

आंतरिक लेखापरीक्षक

बैंक का अपना एक आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग है जो आंतरिक लेखा-परीक्षा का कार्य करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुसार श्री बद्री श्रीनिवास राव, कार्यपालक निदेशक, आईडीबीआई बैंक को आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है. जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने एक प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा नीति भी अपनाई है.

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत शुरू की गई कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के बारे में प्रकटीकरण

बैंकिंग कंपनियों के लिए ये प्रावधान लागू नहीं है.

लेखापरीक्षकों अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में किए गए प्रत्येक विशिष्टता, रिजर्वेशन अथवा प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा डिसक्लेमर पर बोर्ड की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में से किसी में भी कोई ऐसी विशिष्टता, दुराव (रिजर्वेशन) अथवा प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा डिसक्लेमर नहीं है जिस पर बोर्ड की टिप्पणियों की आवश्यकता हो.

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अनुसार, बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट की जाने वाली घटनाओं के अलावा, धोखाधड़ी की कोई घटना रिपोर्ट नहीं की है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का विवरण

उप-धारा (1) को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधान, सामान्य कारोबार के दौरान बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण, गारंटी अथवा प्रतिभूति पर लागू नहीं होते हैं. बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 के लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंक द्वारा किए गए निवेश के ब्योरे वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 में प्रकट किए जाते हैं.

निर्धारित फॉर्म में संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार के विवरण

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार, यदि कोई हो, के विवरण निर्धारित फॉर्म एओसी-2 में दिये गये हैं जो रिपोर्ट के **अनुबंध-अ** के रूप में संलग्न किए गए हैं.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर रिपोर्ट

बैंक की सीएसआर नीति की रूपरेखा इसकी वेबसाइट (www.idbibank.in)) पर https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.aspxलिंक के अंतर्गत उपलब्ध है. बैंक द्वारा किए गए सीएसआर कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट **अनुबंध-आ** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है.

जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक एक विस्तृत एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली का पालन करता है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अद्यतन किया जाता है. बोर्ड की एक समर्पित जोखिम प्रबंधन समिति बैंक के जोखिम मामले एवं जोखिम-संबद्ध पहलुओं की नियमित रूप से व्यापक समीक्षा करती है. बैंक का निदेशक मंडल भी आवधिक रूप से जोखिम मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा अनुसरण की जा रही न्यूनीकरण प्रक्रियाओं के साथ-साथ बैंक की पूंजी अपेक्षाओं की समीक्षा करता है.

बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके की सूचना का विवरण

कंपनी (लेखा) विनियमावली, 2014 के नियम 8(4) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (पी) के अनुसार उपर्युक्त विषय पर ब्योरे नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

(i) स्वतंत्र निदेशकों ने 28 मार्च 2024 को संपन्न अपनी बैठक में सभी गैर-स्वतंत्र निदेशकों, बोर्ड के अध्यक्ष साथ ही संपूर्ण बोर्ड के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया.

(ii) बोर्ड ने 28 मार्च 2024 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों के कार्य निष्पादन, स्वयं के कार्य-निष्पादन तथा साथ ही बोर्ड की समितियों के कार्यनिष्पादन का भी मूल्यांकन किया. सभी वैयक्तिक निदेशकों का मूल्यांकन संपूर्ण बोर्ड द्वारा किया गया, जिसमें कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन के संबंध में (क) बैठकों में उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा और (ख) कंपनी अधिनियम 2013 और एलओडीआर विनियम में विनिर्दिष्ट स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करना तथा उनकी प्रबंधन से स्वतंत्रता के आधार पर मूल्यांकन भी शामिल है. बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किए जा रहे ऐसे संबंधित निदेशक ने अपने मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान बैठक में भाग नहीं लिया.

स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड द्वारा वार्षिक मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ वैयक्तिक निदेशकों, बोर्ड की समितियों और बोर्ड के संबंध में खाली मूल्यांकन शीटें ईमेल के माध्यम से वैयक्तिक निदेशकों को अग्रिम रूप में प्रेषित की गईं ताकि वे पहले से ही अपना अभिमत बना सकें और संबंधित बैठकों में मूल्यांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में सहायता मिल सके. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक के अध्यक्ष और बोर्ड द्वारा प्राधिकृत बोर्ड के अध्यक्ष ने मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के पश्चात् क्रमशः स्वतंत्र निदेशकगण और बोर्ड की ओर से मूल्यांकन शीटों पर हस्ताक्षर किए. एमडी और सीईओ को बोर्ड के अध्यक्ष के मूल्यांकन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया था.

कारोबार के स्वरूप में परिवर्तन, यदि कोई हो

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने बैंकिंग के कारोबार को जारी रखा और इसके कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ.

निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन

निदेशक का नाम	पदनाम	परिवर्तन का स्वरूप	दिनांक
श्रीमती स्मिता हरीश कुबेर	मुख्य वित्तीय अधिकारी	नियुक्ति	01-04-2023
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	उप प्रबंध निदेशक	सेवा समाप्ति	05-04-2023
श्री जयकुमार एस. पिल्लै	उप प्रबंध निदेशक	नियुक्ति	12-06-2023
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी	स्वतंत्र निदेशक	सेवा समाप्ति	27-08-2023
श्री अजय प्रकाश साहनी	अतिरिक्त निदेशक	नियुक्ति	28-08-2023
श्री अजय प्रकाश साहनी	स्वतंत्र निदेशक	पदनाम में परिवर्तन	19-11-2023
श्री सुरेश खटनहार	उप प्रबंध निदेशक	सेवा समाप्ति	14-01-2024

वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों का विवरण

वरिष्ठ प्रबंधन में मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक से एक स्तर नीचे के कार्मिक शामिल होंगे और इसमें विशेष रूप से कार्यात्मक प्रमुख और कंपनी सचिव एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी शामिल होंगे. 31 मार्च 2024 को बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक हैं:

1	श्री शैलेंद्र गोविंद नाडकर्णी	कार्यपालक निदेशक - बृहद कॉरपोरेट समूह (एलसीजी), अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबीयू) - गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) एवं सहायक सेवाएँ - कॉर्पोरेट बैंकिंग
2	श्री नागराज गारला	कार्यपालक निदेशक - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र समूह (पीएसजी) (कृषि एवं एमएसई), वित्तीय समावेशन, ऋण प्रसंस्करण केंद्र
3	श्रीमती बलजिंदर कौर मंडल	कार्यपालक निदेशक - केंद्रीकृत परिचालन, नकदी प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस) एवं सरकारी कारोबार समूह (जीबीजी) परिचालन, करेंसी चेस्ट, शाखा परिचालन सहायता एवं नीति विभाग (बीओएसपीडी), कॉरपोरेट रणनीति एवं योजना विभाग (सीएसपीडी)
4	श्री शलील मुकुंद आवले	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी
5	श्री सुनित सरकार	कार्यपालक निदेशक - ऋण निगरानी समूह (सीएमजी (खुदरा, पीएसजी एवं कॉरपोरेट)), खुदरा वसूली एवं संग्रहण
6	श्री मुरली सौरीराजन	कार्यपालक निदेशक - विधि एवं एनपीए प्रबंधन समूह
7	श्री ईश्वर पधान	कार्यपालक निदेशक - मध्य कॉर्पोरेट समूह (एमसीजी), व्यापार वित्त, सीएमएस एवं जीबीजी (बिक्री)
8	श्री त्रिलोक शर्मा	कार्यपालक निदेशक - खुदरा देयताएं, अन्य पक्ष वितरण (टीपीडी), डिजिटल बैंकिंग विभाग (डीबीडी) एवं शाखा बैंकिंग
9	श्री अरुण कुमार बंसल	कार्यपालक निदेशक एवं प्रमुख - ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस
10	डॉ. कुमार नील लोहित	कार्यपालक निदेशक - खुदरा आस्तियां
11	श्री बद्री श्रीनिवास राव	कार्यपालक निदेशक - लेखा-परीक्षा एवं आंतरिक लेखा परीक्षक
12	श्री अनिरुद्ध बेहरा	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी
13	श्री उगेन टाशी	कार्यपालक निदेशक - मानव संसाधन (एचआर), ज्ञानार्जन एवं कर्मचारी सहभागिता विभाग (एल एवं ईडी), प्रशासन एवं बुनियादी संरचना प्रबंधन विभाग (आईएमडी)
14	श्री अजय रमेश लांडे	कार्यपालक निदेशक एवं प्रमुख - सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)
15	श्रीमती स्मिता हरीश कुबेर	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
16	श्रीमती ज्योति बिजू नायर	कंपनी सचिव

वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों में परिवर्तन

नाम	पदनाम	परिवर्तन का स्वरूप	दिनांक
श्री बद्री श्रीनिवास राव	कार्यपालक निदेशक - लेखा परीक्षा एवं आंतरिक लेखा परीक्षक	नियुक्ति	08-05-2023
श्री जॉर्टी चाको	कार्यपालक निदेशक	सेवा समाप्ति	31-07-2023
श्री संजय देशपांडे	कार्यपालक निदेशक	सेवा समाप्ति	31-07-2023
डॉ. सौरव कुमार दत्ता	कार्यपालक निदेशक - आईटी	इस्तीफा	31-07-2023
श्री अजय रमेश लांडे	कार्यपालक निदेशक एवं प्रमुख - आईटी	नियुक्ति	18-03-2024
श्री संजय पनिकर	कार्यपालक निदेशक - सीएसपीडी, प्रशासन एवं एफ़आईएमडी	नियुक्ति	06-05-2024

निदेशकों को पारिश्रमिक

आईडीबीआई बैंक के 21 जनवरी 2019 से निजी क्षेत्र का बैंक बन जाने से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशक के पारिश्रमिक एवं परिलब्धियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित की जाती हैं. एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित और प्रदत पारिश्रमिक का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों के बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध/ लेनदेन नहीं रहे हैं.

वित्तीय वर्ष 2023-24 में एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों के पारिश्रमिक के घटक (वार्षिक)

विवरण	श्री राकेश शर्मा (एमडी एवं सीईओ)	श्री सुरेश खटनहार^ (डीएमडी)	श्री जयकुमार एस. पिल्लै (डीएमडी)
			[राशि ₹ में]
वेतन	1,17,00,000	68,75,000	65,25,000
भविष्य निधि	11,70,000	6,87,500	6,52,500
ग्रेच्युटी	4,87,500	2,86,458	2,71,875
छुट्टी किराया रियायत/ भत्ता	2,85,554	2,17,343	1,65,608
मनोरंजन व्यय	2,75,000	1,50,000	1,25,000
परिलब्धियां *	25,40,065	13,10,065	13,10,065

^ रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अवधि की समाप्ति पर 14 जनवरी 2024 से श्री सुरेश खटनहार आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के डीएमडी नहीं रहें.

** परिलब्धियों में मुफ्त सुसज्जित घर और उसके रखरखाव, कार, चिकित्सीय खर्च तथा अन्य परिलब्धियों का प्रावधान शामिल है;*

-वित्तीय वर्ष 2023-24 के डबल्यूटीडी के लिए परिवर्ती वेतन इस अवधि में उनके कार्य- निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाएगा.

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोई ईएसओपी नहीं दिया गया.

कार्यकाल	**श्री राकेश शर्मा** - 7 मार्च 2019 को आरबीआई से अनुमोदन के बाद श्री राकेश शर्मा को 19 मार्च 2019 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया. वर्तमान कार्यकाल के समापन पर, आरबीआई के 15 फरवरी 2022 के अनुमोदन के अनुसार श्री राकेश शर्मा को 19 मार्च 2022 से तीन वर्ष की अवधि के लिए एमडी और सीईओ के रूप में पुन: नियुक्त किया गया है. 5 मई 2022 को पोस्टल बैलेट द्वारा शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त किया गया था. **श्री जयकुमार एस. पिल्लै** - श्री जयकुमार एस. पिल्लै को बोर्ड द्वारा 19 मई 2023 के आरबीआई के पत्र के अनुसार 22 मई 2023 को पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए डीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया. श्री जयकुमार एस. पिल्लै ने 12 जून 2023 को कार्यभार ग्रहण किया. 13 जुलाई 2023 को सम्पन्न 19 वीं वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त किया गया.

गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान करने के लिए मानदंड:

सरकार के नामिती निदेशकों को छोड़कर सभी गैर-कार्यपालक निदेशकों को केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है. 31 दिसंबर 2023 तक बोर्ड की बैठकों के लिए प्रति बैठक ₹ 80,000/- और बोर्ड की सभी समितियों की बैठकों के लिए ₹ 50,000/- प्रति बैठक की दर से बैठक शुल्क था. 1 जनवरी 2024 से प्रभावी प्रति बोर्ड बैठक के लिए ₹ 1,00,000/- और बोर्ड की सभी समितियों की प्रति बैठक के लिए ₹ 60,000/- बैठक शुल्क संशोधित किया गया है. एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों को पारिश्रमिक और गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक फीस के अलावा बैंक द्वारा निदेशकों को उनकी यात्रा, रहने तथा परिवहन पर हुए खर्च को छोड़कर और कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया.

वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वतंत्र निदेशकों सहित गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क की कुल राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदत्त बैठक शुल्क (₹)
श्री टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक एवं अंशकालिक अध्यक्ष	22,50,000
श्री मुकेश कुमार गुप्ता, एलआईसी नामिती निदेशक	21,20,000
श्री राज कुमार, एलआईसी नामिती निदेशक	16,80,000
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक (27-08-2023 तक)	12,50,000
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक	37,70,000
श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक	29,60,000
श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक	33,50,000
श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक	33,00,000
श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक	32,30,000
श्रीमती पी. वी. भारती, स्वतंत्र निदेशक	27,90,000
श्री अजय प्रकाश साहनी , स्वतंत्र निदेशक(28-08-2023 से प्रभावी)	20,10,000

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अधीन प्रकटन

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और बोर्ड द्वारा अनुशंसा के बाद बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के तहत प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक को रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाता है. बोर्ड के अन्य निदेशकों को गैर कार्यपालक निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड वाले अनुच्छेद में वर्णित बैठकों में उपस्थिति के लिए बैठक शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) अर्थात् मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव सहित बैंक के अन्य कर्मचारियों को बैंक के समान ग्रेड के अधिकारियों के लिए लागू पारिश्रमिक मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों सहित कर्मचारियों के वेतनमान में आवधिक संशोधन बैंक के कार्यनिष्पादन सहित कई कारकों पर निर्भर है.

रिज़र्व बैंक के 4 नवंबर 2019 के परिपत्र के अनुसार, परिवर्ती वेतन बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी), तात्विक जोखिम लेने वाले और नियंत्रणकर्ता कर्मचारियों पर लागू होगा. डब्ल्यूटीडी को देय पारिश्रमिक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एमडी एवं सीईओ और डीएमडी हेतु पारिश्रमिक के घटक वाले पैराग्राफ में उल्लिखित है. क्षतिपूर्ति के सभी पहलुओं को कवर करने वाली एक क्षतिपूर्ति नीति अर्थात नियत वेतन एवं परिलब्धियां, परिवर्ती वेतन (नकद और शेयरों से जुड़े), अधिवर्षिता/ सेवानिवृत्ति लाभ (भविष्य निधि, पेंशन/ राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और ग्रेच्युटी) आदि को बैंक के तात्विक जोखिम लेने वाले, नियंत्रणकर्ता कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है. रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों में परिवर्ती वेतन को आस्थगित करने का अधिदेश है, जिसे बैंक की क्षतिपूर्ति नीति में शामिल किया गया है. सभी पात्र कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए परिवर्ती वेतन का भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के पूरा होने के बाद क्षतिपूर्ति नीति के अनुसार किया गया था.

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) की शर्तों के अनुसार विवरण नीचे दिये गए हैं:

बैंक के रोल पर नियमित कर्मचारियों की संख्या;	*19,013 (इनमें से 1,966 कर्मचारी संविदा आधार पर थे)*
बैंक के कर्मचारियों के माध्यिका पारिश्रमिक की तुलना में प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात;	(see table below)

कार्यपालक निदेशक का नाम	सभी कर्मचारियों की माध्यिका से पारिश्रमिक का अनुपात
श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	12.14
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी*	2.95
श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी*	7.26
श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी	3.61

** 5 अप्रैल 2023 और 14 जनवरी 2024 से क्रमशः श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज एवं श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी नहीं रहे. इसके अलावा, 12 जून 2023 से श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी नियुक्त किये गए.*

वित्तीय वर्ष में प्रत्येक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कंपनी सचिव या प्रबंधक के पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि, यदि कोई हो;	**पदनाम** / **प्रतिशत वृद्धि** एमडी एवं सीईओ: 29.39 डीएमडी *: 28.84 सीएफओ *: 3.19 सीएस: 17.04 ** 5 अप्रैल 2023 और 14 जनवरी 2024 से क्रमशः श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज एवं श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी नहीं रहें. इसके अलावा, 12 जून 2023 से श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी नियुक्त किए गए.*
वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के माध्यिका पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि;	12.58%
पिछले वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों के वेतन में पहले से हुई औसत वृद्धि तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि के साथ इसकी तुलना एवं इसका औचित्य तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए असाधारण परिस्थितियां यदि कोई हों का उल्लेख करें;	*वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक के गैर-प्रबंधकीय कार्मिकों के औसत पारिश्रमिक में 9.60% की वृद्धि हुई और बैंक के प्रबंधकीय कार्मिकों के औसत पारिश्रमिक में 25.21% की वृद्धि हुई.*
अभिपुष्टि कि पारिश्रमिक बैंक की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है.	हाँ

महासभा की बैठकें

अ. बैंक की पिछली तीन वार्षिक महासभाओं का आयोजन निम्नानुसार हुआ है:-

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वार्षिक महासभाओं का विवरण

पिछली तीन वार्षिक महासभाओं के आयोजन का स्थान और समय	1) 10 अगस्त 2021 को अपराह्न 2:00 बजे केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की गई (बैंक की 17वीं वार्षिक महासभा). 2) 22 जुलाई 2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की गई (बैंक की18 वीं वार्षिक महासभा) 3) 13 जुलाई 2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे केवल वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की गई (बैंक की 19 वीं वार्षिक महासभा)
क्या पिछली तीन वार्षिक महासभाओं में विशेष संकल्प पारित किए गए थे.	➢ **17वीं वार्षिक महासभा में** बैंक की 10 अगस्त 2021 को संपन्न 17वीं वार्षिक महासभा में (i) बैंक को ₹7,500 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक पूंजी जुटाने और इस संबंध में विशिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62(1)(सी) और अन्य लागू प्रावधानों के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने; (ii) ₹45,396.18 करोड़ की संचित हानियों को समंजित करने के लिए 01 अप्रैल 2021 को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में शेष ₹50,719.75 करोड़ की राशि का उपयोग करने के लिए शेयर पूंजी में कमी की योजना का अनुमोदन; (iii) बैंक के संस्था अंतर्नियम में परिवर्तन करने; (iv) श्री भुवनचंद्र बी. जोशी (डीआईएनः 06713850) को 09 अक्तूबर 2021 से चार वर्षों की दूसरी अवधि के लिए बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए.
	➢ **18 वीं वार्षिक महासभा में** बैंक की 22 जुलाई 2022 को संपन्न 18वीं वार्षिक महासभा में बैंक को ₹5000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक पूंजी जुटाने और इस संबंध में विशिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62(1)(सी) और अन्य लागू प्रावधानों के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प पारित किया गया.

	➢ **19 वीं वार्षिक महासभा में** 13 जुलाई 2023 को सम्पन्न बैंक की 19 वीं वार्षिक महासभा में आईडीबीआई बैंक के अंतर्नियमों में परिवर्तन के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प पारित किया गया.
क्या गत वर्ष डाक मतपत्र के ज़रिए कोई विशेष संकल्प पारित किया गया था - मतदान पैटर्न का ब्योरा दें	हां. मतदान का ब्योरा स्टॉक एक्सचेंजेज को प्रस्तुत किया गया था और बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/agm-egm-postal-ballot-voting-results-fy-2023-24.aspx पर भी उपलब्ध कराया गया है. मतदान प्रक्रिया का विवरण निम्नांकित तालिका में नीचे दिया गया है: **दिनांक 16 अक्तूबर 2023 की डाक मतदान सूचना**

संकल्प सं.	संकल्प का विवरण	पक्ष में मतदान	विपक्ष में मतदान
1.	स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री अजय प्रकाश साहनी (डीआईएन: 03359323) की नियुक्ति, 28 अगस्त 2023 से लगातार 4 वर्ष की अवधि के लिए बैंक के बोर्ड से आवर्तन द्वारा सेवानिवृत होने के उत्तरदायी नहीं हैं.	5,67,62,80,299 (99.9773%)	12,86,950 (0.0227%)

व्यक्ति, जिसने डाक मतदान का कार्य संचालित किया	बैंक के निदेशक मण्डल ने एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव की सुश्री अपर्णा गॉडगिल या उनकी अनुपस्थिति में श्री एस. एन. विश्वनाथन को डाकपत्र ई-मतदान प्रक्रिया को एक उचित और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया.
क्या कोई विशेष संकल्प डाक मतदान के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है.	डाक मतदान के माध्यम से कोई विशेष संकल्प का पारित करने का प्रस्ताव नहीं है.
डाक मतदान की प्रक्रिया	इस संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी 25 सितंबर 2023 के सामान्य परिपत्र सं. 09/2023 और छूटों से संबधित पिछले परिपत्रों(एमसीए परिपत्रों), कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं 110 और लागू नियमों, सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के प्रावधानों और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए महासभाओं के बारे में सचिवीय मानकों (एसएस-2) और लागू अन्य विधियों, नियमों एवं विनियमों के अनुसरण में नोटिस में दिये गए विशेष कारोबारों को केवल इलेक्ट्रोनिक साधनों के माध्यम से आईडीबीआई बैंक लि. के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने 16 अक्तूबर 2023 को एक डाक मतपत्र सूचना जारी की थी. तदनुसार डाक मतपत्र सूचना में निर्दिष्ट संकल्प 19 नवंबर 2023 को आवश्यक बहुमत से पारित हुआ था.

सूचना के साधन

बैंक के कामकाज पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन अपेक्षित बोर्ड की रिपोर्ट और वार्षिक लेखे शामिल हैं, उपलब्ध कराने के अलावा बैंक अपने शेयरधारकों की जानकारी के लिए नियमित रूप से तिमाही परिणाम प्रकाशित करता है. इन्हें राष्ट्रव्यापी प्रसार वाले एक अंग्रेजी समाचार पत्र अर्थात् फाइनेंशियल एक्सप्रेस में और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र अर्थात् लोकसत्ता में प्रकाशित किया जाता है और यह विज्ञापन शेयर बाजार को सूचित किए जाते हैं. उपर्युक्त जानकारी अधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के साथ बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspxपर भी उपलब्ध कराई जाती है.

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

	आम शेयरधारकों के लिए सूचना	
i.	एजीएम की तारीख, समय और स्थान	मंगलवार, 23 जुलाई 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से
ii.	वित्तीय वर्ष	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024
iii.	कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित एलओडीआर विनियमावली के विनियम 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार ई-वोटिंग अवधि.	ई-वोटिंग अवधि गुरुवार, 18 जुलाई 2024 को पूर्वाह्न 9.00 बजे (भारतीय मानक समय के अनुसार) से प्रारंभ होगी और सोमवार, 22 जुलाई 2024 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समय के अनुसार) समाप्त होगी.
iv.	रिकॉर्ड तारीख	मंगलवार, 16 जुलाई 2024.
v.	लाभांश भुगतान की तारीख	20 वीं वार्षिक महासभा में शेयरधारक द्वारा अनुमोदन के पश्चात 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा.
vi.	लेखाबहियों के बंद रहने की तारीख	17 जुलाई 2024 से 23 जुलाई 2024 तक (दोनों दिनों सहित)
vii.	स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता और वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क के भुगतान की पुष्टि	1. **बीएसई लि. (बीएसई)** पताः 25वीं मंजिल, फिरोज जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001 2. **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई)** पताः एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई - 400 051. घरेलू बाजार में जारी किए गए बॉण्डों में निजी तौर पर नियोजित बॉण्ड शामिल हैं और ये बीएसई/ एनएसई पर सूचीबद्ध हैं. लागू सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान कर दिया गया है.
viii.	स्टॉक कोड/ प्रतीक	बीएसई - 500116, एनएसई - आईडीबीआई
ix.	रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट	**केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड** यूनिट : आईडीबीआई इक्विटी, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500032
x.	शेयर अंतरण प्रणाली	सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40(1) के अनुसार भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का अंतरण 1 अप्रैल 2019 से बंद कर दिया गया है. तद्नुसार, बैंक के शेयर जो डीमैट (अमूर्त) रूप में रखे गए हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम के माध्यम से स्वतंत्र रूप से अंतरणीय हैं. 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा प्राप्त डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के/ डिलीशन/ ट्रांसमिशन/ ट्रांसपोजिशन अनुरोधों को शेयर अंतरण समिति (जिसमें कार्यपालक निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक शामिल हैं) नामक एक आंतरिक समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया और सेबी के मौजूदा परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार संसाधित किया गया.

xi.	वित्तीय कैलेंडर	**1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024** तिमाही परिणाम अनुमोदित किए गए:

के परिणाम	बोर्ड की बैठक
30 जून 2023	24 जुलाई 2023
30 सितंबर 2023	21 अक्तूबर 2023
31 दिसंबर 2023	20 जनवरी 2024
31 मार्च 2024	04 मई 2024

xii.	शेयरों का अमूर्तीकरण एवं चलनिधि	बैंक के शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों में अनिवार्य रूप से अमूर्त रूप में ट्रेड किया जा सकता है. 31 मार्च 2024 को अमूर्त और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों की संख्या निम्नानुसार है.

	शेयरों की संख्या	कुल इक्विटी शेयरों का %
एनएसडीएल में अमूर्त रूप से रखे गए	5669213857	52.72%
सीडीएसएल में अमूर्त रूप से रखे गए	5077126167	47.22%
भौतिक	6062151	0.06%
कुल	**10752402175**	**100.00%**

xiii.	ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता	बैंक द्वारा जारी और 31 मार्च 2024 को बैंक की बही में बकाया अप्रतिभूत दीर्घकालिक रुपी बॉण्ड/ डिबेंचर बीएसई और एनएसई के ऋण खंड में सूचीबद्ध हैं.
xiv.	डिबेंचर न्यासी	**एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड,** **पता:** चौथी मंजिल, मिस्त्री भवन, 122 दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट मुंबई- 400 020. **टेलीफोन नंबर:** 022-43025572 **ट्रस्टी के प्रमुख अधिकारी का ईमेल आईडी** corporate@sbicaptrustee.com / nazer.kondakari@sbicaptrustee.com
xv.	बकाया ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें (जीडीआर)/ अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें (एडीआर)/ वारंट अथवा परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख तथा इक्विटी पर संभावित प्रभाव	आईडीबीआई बैंक ने जीडीआर/ एडीआर/ वारंट आदि जारी नहीं किए हैं.
xvi.	प्लांट का स्थान	लागू नहीं. तथापि, बैंक की शाखाओं के स्थानों के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट, (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है.

xvii. पत्राचार के लिए पता	**आईडीबीआई बैंक लि.** **CIN - L65190MH2004GOI148838** **पता:** इक्विटी कक्ष- बोर्ड विभाग, आईडीबीआई बैंक लि., 22वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 **फोन: 022-66553147/ 3062/ 3336/ 2806** **ई-मेल:** idbiequity@idbi.co.in **वेबसाइट:** www.idbibank.in **रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट** **केफिन टेक्नोलॉजिस लिमिटेड** (यूनिट आईडीबीआई इक्विटी) **पता:** सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032 **टोल फ्री नंबर:** 1800 309 4001 **Website:** www.kfintech.com **E-mail:** einward.ris@kfintech.com
xviii. बैंक द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग की सूची	क्रेडिट रेटिंग का विवरण वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंधन विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है.
xix. बाजार मूल्य डेटा	तालिका i देखें
xx. बीएसई सेंसेक्स आदि जैसे व्यापक आधार वाले सूचकांकों की तुलना में कार्यनिष्पादन.	तालिका ii देखें
xxi. शेयरधारिता का वितरण	तालिका iii देखें

तालिका i:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) और बीएसई लि. (बीएसई) में आईडीबीआई बैंक लि. के शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव: अप्रैल 2023 - मार्च 2024 (₹)

	एनएसई		बीएसई			एनएसई		बीएसई	
माह	**उच्च**	**निम्न**	**उच्च**	**निम्न**	**माह**	**उच्च**	**निम्न**	**उच्च**	**निम्न**
अप्रैल 2023	54.65	46.15	54.62	46.16	**अक्तूबर 2023**	70.95	61.80	70.98	61.87
मई 2023	56.65	53.05	56.65	53.02	**नवंबर 2023**	66.15	60.15	66.12	60.15
जून 2023	55.90	53.35	55.86	53.42	**दिसंबर 2023**	70.20	62.50	70.21	62.57
जुलाई 2023	59.05	56.70	59.03	56.69	**जनवरी 2024**	86.60	66.80	86.62	66.79
अगस्त 2023	65.25	59.45	65.26	59.47	**फरवरी 2024**	94.65	81.85	94.55	81.97
सितंबर 2023	72.55	60.05	72.53	60.13	**मार्च 2024**	89.10	76.70	89.10	76.66

तालिका ii :

1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान बीएसई सेंसीटिव इंडेक्स (सेंसेक्स) की तुलना में आईडीबीआई बैंक के इक्विटी शेयर का प्रदर्शन निम्नलिखित चार्ट में दिया गया है -

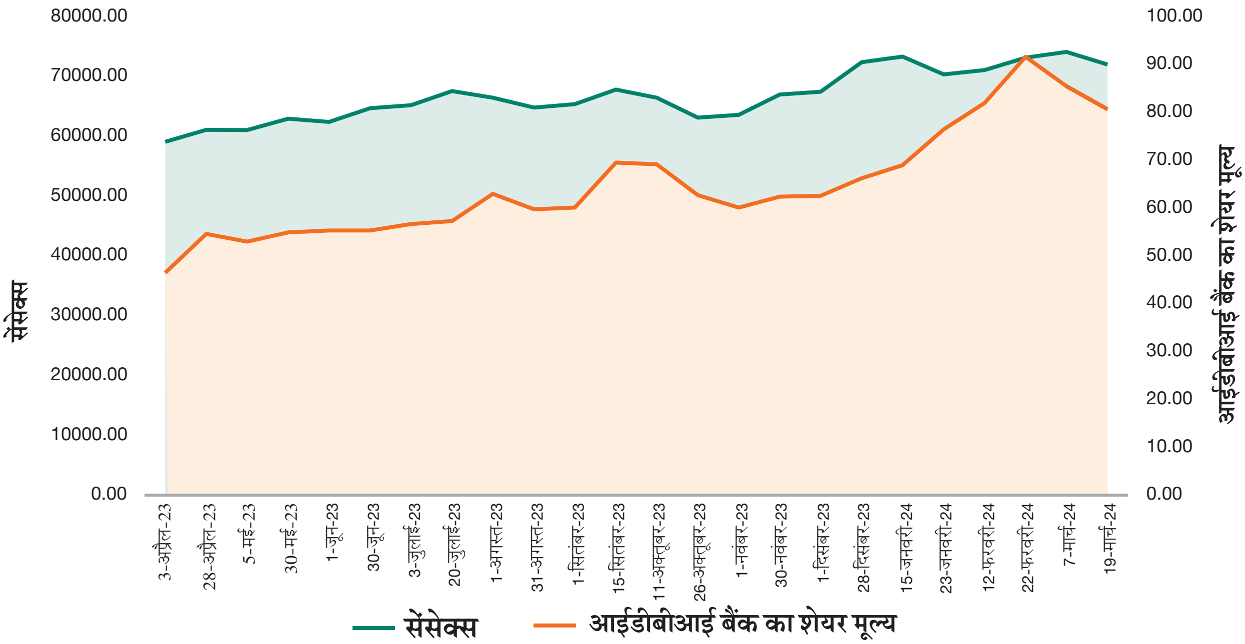

तालिका iii :

मार्च 2024 के अंत में बैंक के शेयरधारकों की प्रमुख श्रेणियों द्वारा शेयरधारिता का ब्योरा और वितरण अनुसूची नीचे दी गई है :

31 मार्च 2024 को शेयरधारिता का स्वरूप

शेयरधारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रबंधन नियंत्रण के साथ प्रमोटर)	5294102939	49.24%
भारत सरकार (बिना प्रबंधन नियंत्रण के साथ सह-प्रमोटर)	4889871903	45.48%
कर्मचारी	684963	0.01%
जनता	415085098	3.86%
हिन्दू अविभाजित परिवार	15954400	0.15%
कॉरपोरेट निकाय	47716403	0.44%
संस्थाएं		
अ) बैंक	1176168	0.01%
आ) विदेशी संस्थागत निवेशक	100	0.00%
इ) वित्तीय संस्थाएं /बीमा कंपनियां	13941432	0.13%
ई) म्यूचुअल फंड	1474076	0.01%
उ) एनबीएफसी	905183	0.01%
सोसायटी	24800	0.00%

शेयरधारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
न्यास	1600510	0.01%
निदेशक, केएमपी एवं उनके रिश्तेदार	4400	0.00%
अनिवासी भारतीय	12797377	0.12%
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	48513510	0.45%
आईईपीएफ	8508949	0.08%
एनएसडीएल (अंतरणाधीन)	39964	0.00%
कुल योग	**10752402175**	**100.00%**

31 मार्च 2024 को वितरण अनुसूची

क्रं. सं	श्रेणी से	श्रेणी तक	शेयरधरकों की संख्या	कुल शेयरधरकों में प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल इक्विटी शेयरों का %
1	1	5000	663513	98.67%	169408319	1.58%
2	5001	10000	4563	0.67%	34523790	0.32%
3	10001	20000	2256	0.34%	32458776	0.30%
4	20001	30000	721	0.11%	18202552	0.17%
5	30001	40000	325	0.05%	11453252	0.11%
6	40001	50000	239	0.04%	11115041	0.10%
7	50001	100000	448	0.07%	32043200	0.30%
8	100001 और अधिक		369	0.05%	10443197245	97.12%
	योग		**672434**	**100.00%**	**10752402175**	**100.00%**

अन्य प्रकटन -

i. कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अंतर्गत शामिल जमाराशियों से संबंधित विवरण और जमाराशियों का विवरण जो अधिनियम के अध्याय V की अपेक्षाओं के अनुपालन में नहीं हैं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73(1) के प्रावधान के अनुसार, इस उप-धारा का कुछ भी बैंकिंग कंपनी पर लागू नहीं होगा और इसलिए, ऊपर दिए गए विवरण के प्रकटीकरण की आवश्यकता आईडीबीआई बैंक पर लागू नहीं होती है.

ii. विनियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित किए गए उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण जो चालू संस्था की स्थिति और कंपनी के भविष्य में संचालन को प्रभावित करते हैं

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विनियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया जो चालू संस्था की स्थिति और आईडीबीआई बैंक के भविष्य में संचालन को प्रभावित कर सकते हैं.

iii. उन कंपनियों के नाम जो वर्ष के दौरान इसकी सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां बनी या नहीं रहीं

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई सहायक, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां नहीं बनाई गई हैं और वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई भी सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियां समाप्त नहीं हुई हैं.

इसके अलावा, एनएसडीएल के मामले में- बैंक की एक सहयोगी संस्था, जिसमें बैंक के पास ₹2 प्रत्येक के 52,200,000 इक्विटी शेयर कुल मिलाकर 26.10% हैं, बैंक ने 25 सितंबर, 2023 को एक स्वैच्छिक वचन दिया है कि (क) 3 अक्तूबर, 2023 से 22,220,000 एनएसडीएल शेयरों ("आधिक्य शेयरों") के संबंध में मतदान अधिकारों का प्रयोग एनएसडीएल में बैंक की हिस्सेदारी वास्तविक रूप से घटकर 15% से कम होने तक नहीं करेगा; और (ख) सेबी (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018 के विनियम 20 के साथ पठित विनियम 21 के अनुपालन में, आधिक्य शेयरों के संबंध में कॉरपोरेट कार्यों से होने वाले अन्य लाभों को स्थगित रखेगा.

iv. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशकों को नियमित रूप से बैंक के व्यवसाय, उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों तथा विनियामक वातावरण में परिवर्तन के अनुसार बैंक में अनुपालन आवश्यकताओं से परिचित कराया जा रहा है. इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित/प्रतिनियुक्त किया गया.

इस संबंध में विस्तृत स्थिति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर निम्नलिखित लिंक के तहत प्रदान की गई है: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx

v. सतर्कता तंत्र की स्थापना

सांविधिक/विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन में बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित सतर्कता तंत्र नीति है. सतर्कता तंत्र पर रिपोर्ट नियमित आधार पर बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया. सतर्कता तंत्र की स्थापना का विवरण देने वाली सतर्कता तंत्र नीति का प्रकटन बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट (www.idbibank.in) पर निम्नलिखित लिंक के तहत किया गया है: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx

vi. महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण हेतु नीति

एलओडीआर विनियमों के विनियम 46 की अपेक्षा के अनुसार, महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर निम्नलिखित लिंक के तहत उपलब्ध है: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx

vii. संबंधित पक्ष से लेनदेन करने की नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों और एलओडीआर विनियमों के विनियम 23 के अनुसार, बैंक ने संबंधित पक्ष से लेनदेन करने के लिए एक नीति तैयार की है. संबंधित पक्ष से लेनदेन संबंधी नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank in) पर निम्नलिखित लिंक के तहत उपलब्ध है: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx

viii. वास्तव में महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन के बारे में प्रकटीकरण जिनका व्यापक स्तर पर सूचीबद्ध संस्था के हितों के साथ कोई संभावित टकराव हो

एलओडीआर विनियमावली की सूची V के साथ पठित विनियम 34 के संबंध में यह पुष्टि की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने वास्तव में महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष से लेनदेन नहीं किया है जिससे बैंक के हितों के साथ कोई संभावित टकराव हो सकता हो.

ix. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत जानकारी

यौन उत्पीड़न के खिलाफ बैंक की एक नीति है और उत्पीड़न या भेदभाव की शिकायतों से निपटने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया है. उक्त नीति कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप है. बैंक ने उक्त अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है. एलओडीआर विनियम के प्रावधानों के अनुसार, वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:

अ	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	9
आ	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	9#
इ	वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	3*

 # - वित्तीय वर्ष 2022-23 से लंबित एक मामला सहित जिसका वित्तीय वर्ष 2023-24 में समाधान किया गया.

**- पिछले वर्ष के दो लंबित मामलों सहित और वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक मामला प्राप्त हुआ जिसे शिकायतकर्ता द्वारा 20 अप्रैल 2024 को ईमेल के माध्यम से वापस ले लिया गया था.*

x. पण्य मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा और पण्य हेजिंग गतिविधियों का प्रकटन

बैंक पण्य मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा और पण्य हेजिंग गतिविधियों, यदि कोई हों, के संबंध में विनियामकों द्वारा निर्धारित प्रासंगिक दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है.

xi. लेखांकन व्यवहार का प्रकटीकरण

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार यह पुष्टि की जाती है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में निर्धारित लेखा मानकों से अलग कोई व्यवहार नहीं किया गया है और इसलिए, इस संबंध में प्रबंधन की ओर से किसी स्पष्टीकरण की अपेक्षा नहीं है.

xii. प्रकटीकरण, कि क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकार्ड का रखरखाव कंपनी द्वारा आवश्यक है और तद्नुसार ऐसे खाते और रिकार्ड बनाए और रखे जाते हैं.

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड एक बैंकिंग कंपनी होने के कारण इस पर लागत रिकार्ड के रखरखाव के प्रावधान लागू नहीं होते हैं.

xiii. प्रकटन

क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाज़ारों से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर लगाए गए गैर-अनुपालन, दंड, अवक्षेप के विवरण निम्नानुसार हैं:

वि.व. 2023-24	शून्य
वि.व. 2022-23	पूंजी बाजारों से संबंधित स्टॉक किसी भी मामले पर एक्सचेंजों या सेबी अथवा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई जुर्माना या अवक्षेप नहीं लगाया गया. तथापि रिज़र्व बैंक ने 8 अप्रैल 2023 के अपने पत्र के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों (एफआई) द्वारा धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग; प्रायोजक बैंकों और कॉरपोरेट ग्राहक के रूप में एससीबी/यूसीबी के बीच भुगतान परितंत्र के नियंत्रण को सुदृढ़ करने और बैंकों में साइबर सुरक्षा ढ़ांचे के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत इसमें निहित शक्तियों का उपयोग कर बैंक पर कुल ₹90 लाख का दंड लगाया गया.
वि.व. 2021-22	शून्य

ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने अधिमानी आवंटन या अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के माध्यम से कोई फंड नहीं जुटाया है. पूर्व में जुटाई गई निधियों की धनराशि का पूरी तरह से बैंक की पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने और सामान्य कारोबार उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है.

ग) मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, कंपनी सचिव के श्री एस. एन. अनंतसुब्रमणियन (सीपी सं. 1774) से दिनांक 23 मई 2024 का इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है कि बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को सेबी/एमसीए अथवा इस प्रकार के किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने अथवा बने रहने के लिए विवर्जित अथवा अयोग्य नहीं ठहराया गया है. यह प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट से साथ संलग्न है.

घ) बैंक ने वार्षिक रिपोर्ट में वे सभी प्रकटन किए हैं जो एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V (वार्षिक रिपोर्ट) के कॉरपोरेट अभिशासन खंड के उप-पैरा (2) से (10) के अनुसार अपेक्षित थे.

ङ) बैंक ने एलओडीआर विनियमावली के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (बी) से (आई) में निर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन अपेक्षाओं का अनुपालन किया है.

च) बैंक ने एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 में दी गई सभी अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित प्रारूपों में कॉरपोरेट गवर्नेंस पर त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है.

छ) ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है जहां बोर्ड ने बोर्ड की किसी भी समिति की ऐसी किसी सिफ़ारिश को स्वीकार नहीं किया हो जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हो, अतः इस संबंध में किसी प्रकटन की अपेक्षा नहीं है.

ज) एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों को सभी सेवाओं के लिए प्रदत्त कुल शुल्क की राशि ₹ 262.50 लाख (प्रमाणीकरण और अन्य लेखापरीक्षा संबंधित सेवाओं सहित) रही और अधिकतम फुटकर खर्च ₹ 25.20 लाख रहा.

झ) **सहायक कंपनियाँ:** 31 मार्च 2024 को बैंक की पांच सहायक संस्थाएं थीं यथा- आईडीबीआई इंटेक लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि., आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि., आईडीबीआई एमएफ़ ट्रस्टी कं. लि. और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. बैंक के निदेशक मंडल के किसी स्वतंत्र निदेशक को उसकी किसी सहायक संस्था के बोर्ड में शामिल करने की अपेक्षा नहीं है क्योंकि इन सहायक संस्थाओं में से कोई भी संस्था एलओडीआर विनियमावली के विनियम 16 के अंतर्गत परिभाषित अनुसार महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है. एलओडीआर विनियमावली के विनियम 24 की अपेक्षाओं के अनुपालन में बैंक की लेखा परीक्षा समिति गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से उनके द्वारा किए गए निवेशों की समीक्षा करती है. गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त नियमित रूप से बैंक के बोर्ड की बैठकों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं.

ञ) **दस्तावेजों का रखरखाव और प्रतिधारण नीति:** एलओडीआर विनियमावली के विनियम 9 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने बोर्ड अनुमोदित दस्तावेजों का रखरखाव और प्रतिधारण नीति कार्यान्वित की है.

ट) **अभिलेखीय नीति:** एलओडीआर विनियमावली, 2015 के विनियम 30(8) के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने बोर्ड अनुमोदित अभिलेखीय नीति कार्यान्वित की है.

ठ) **सूचीबद्ध संस्थाओं को बाध्य करने वाले कुछ प्रकार के समझौतों का प्रकटन:** ऐसे कोई समझौते नहीं हैं जिनके लिए एलओडीआर विनियमों की अनुसूची III के भाग ए के पैराग्राफ ए के खंड 5ए के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता हो.

ड) **डीमैट उचंत खाता/ अदावी उचंत खाता के संबंध में प्रकटन**

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार बैंक अदावी उचंत खाते में पड़े इक्विटी शेयरों के संदर्भ में निम्न ब्योरा रिपोर्ट करता है:

i. सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 39(4) के अनुपालन में डीमैट उचंत खाते में अंतरित शेयर:

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
(क)	1 अप्रैल 2023 को उचंत खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया पड़े शेयर	4	800
(ख)	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान उचंत खाते से शेयरों का अंतरण करवाने के लिए बैंक से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	0	0
(ग)	उन शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित किए गए	0	0
(घ)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 एवं 125 के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित शेयरों की संख्या	0	0
(ङ)	31 मार्च 2024 को उचंत खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया पड़े शेयर	4	800
(च)	इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरोधित (फ्रीज) रहेगा जब तक इन शेयरों के वैध स्वामी शेयरों का दावा नहीं करते.		

ii. दिनांक 25 जनवरी 2022 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 के अनुपालन में सस्पेंस एस्क्रो डीमैट खाते में अंतरित शेयर (ऐसे मामले जिनमें पुष्टिकरण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है):

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
(क)	1 अप्रैल 2023 को सस्पेंस एस्क्रो डीमैट खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया पड़े शेयर	5	1291
(ख)	उन शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान सस्पेंस एस्क्रो डीमैट खाते में अंतरित किए गए	13	3040
(ग)	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान सस्पेंस एस्क्रो डीमैट खाते से शेयरों का अंतरण करवाने के लिए बैंक से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	2	480
(घ)	उन शेयरधारकों की संख्या जिन्हें 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान सस्पेंस एस्क्रो डीमैट खाते से शेयर अंतरित किए गए	2	480
(ड.)	31 मार्च 2024 को सस्पेंस एस्क्रो डीमैट खाते में शेयरधारकों की कुल संख्या और बकाया पड़े शेयर	16	3851
(च)	**ऐसे शेयरों के वास्तविक स्वामी को वोट देने और लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है.**		

ड) निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के संबंध में प्रकटन

क्रम सं.	विवरण	शेयर/बॉन्ड/डिबेंचर	राशि (रु.)
(क)	वर्ष के दौरान आईईपीएफ में किए गए अंतरण/अंतरणों का विवरण :		
(i)	अदावी/अप्रदत्त लाभांश की राशि और संबंधित शेयर	शून्य	शून्य
(ii)	अधिमानी शेयरों की मोचन राशि	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए उपचित ब्याज के साथ परिपक्व जमाओं की राशि	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	उपचित ब्याज के साथ परिपक्व डिबेंचरों की राशि	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	किसी भी प्रतिभूति के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन राशि तथा धन वापसी के लिए उपचित ब्याज सहित देय राशि	शून्य	शून्य
(vi)	बोनस शेयर के जारी होने, विलय और समामेलन से उत्पन्न होने वाले आंशिक शेयरों की बिक्री राशि	शून्य	शून्य
(ख)	आईईपीएफ को पहले ही अंतरित शेयरों से उत्पन्न परिणामी लाभ का विवरण :		शून्य
(ग)	अप्रदत्त / अदावी लाभांश की वर्ष-वार राशि जो इस वर्ष तक अप्रदत्त खाते में पड़ी है तथा संबंधित शेयर जो आईईपीएफ में अंतरित किए जाने हैं व ऐसे अंतरण के लिए नियत तारीखों का विवरण:		शून्य

क्रम सं.	विवरण	शेयर/बॉन्ड/डिबेंचर	राशि (रु.)
(घ)	आईईपीएफ को कंपनी द्वारा दिये गए दान की राशि, यदि कोई हो	शून्य	
(ड.)	वर्ष के दौरान आईईपीएफ को अंतरित ऐसी अन्य राशि, यदि कोई हो	निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 के नियम 6(14) और 6ए(13) के अनुपालन में, बैंक ने आईईपीएफ प्राधिकरण के पास रखे शेयरों और बाद में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ दाखिल फॉर्म आईईपीएफ-7, पर ₹ 82,61,776/- का लाभांश जमा किया है.	

विनियम 27 की विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग 'ई' में दी गई विवेकपूर्ण अपेक्षाओं की स्थिति निम्नानुसार हैः :

क्रम सं.	विवेकपूर्ण अपेक्षाएं	स्थिति
1.	गैर कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए पात्र होगा और उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दी जाएगी.	बैंक के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 116(1) (i) के अनुसार श्री टी. एन. मनोहरन, स्वतंत्र निदेशक को बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है. बैंक ने आईडीबीआई टॉवर, कफ परेड, मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष के कार्यालय की व्यवस्था की है. श्री टी. एन. मनोहरन को बोर्ड और समिति की बैठकों में उपस्थिति के लिए बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है.
2.	शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को पिछले छः महीनों के दौरान उल्लेखनीय कार्यक्रमों के सार सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा भेजी जाए.	तिमाही और अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को बोर्ड के अनुमोदन के तुरंत बाद शेयरधारकों और अन्य स्टेकधारकों की जानकारी के लिए समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाता है और स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजा जाता है. महत्वपूर्ण घटनाक्रमों सहित परिणामों के मुख्य अंशों की प्रेस विज्ञप्ति भी स्टॉक एक्सचेंजों को भेजी जाती है और बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है.
3.	कंपनी असंशोधित लेखा परीक्षा अभिमत वाले वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो.	बैंक के वित्तीय विवरण असंशोधित लेखा परीक्षा राय के साथ हैं और बैंक असंशोधित लेखा परीक्षा राय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाता रहता है.
4.	कंपनी अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को इस प्रकार से नियुक्त करें कि अध्यक्ष - (क) गैर-कार्यपालक निदेशक हो; और (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित 'रिलेटिव' शब्द की परिभाषा के अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संबंधित न हों.	बैंक में अंशकालिक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के लिए अलग-अलग पद हैं. अध्यक्ष बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के संबंधी नहीं हैं.
5.	आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करे.	आंतरिक लेखा परीक्षक बैंक के डीएमडी को रिपोर्ट करते हैं एवं आवश्यक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक तिमाही में एसीबी के साथ आमने-सामने बैठक करते हैं.

आचार एवं सदाचार संहिता

बैंक के निदेशक मंडल ने अपने निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार एवं सदाचार संहिता को अपनाया है. एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 की अपेक्षाओं के अनुपालन में बैंक के बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि के बारे में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा घोषणा

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के प्रावधानों के अनुसरण में, सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईडीबीआई बैंक लि. के बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की अभिपुष्टि की है.

राकेश शर्मा
(डीआईएन - 06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
दिनांक: 30 मई 2024

सीईओ/ सीएफ़ओ का प्रमाणन

एलओडीआर विनियमावली के विनियम 17(8) के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में वित्तीय विवरणों तथा आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में एमडी एवं सीईओ और सीएफ़ओ से प्रमाणन प्राप्त किया गया है और उसे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है.

अनुबंध-अ

एओसी -2

(अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा तृतीय परंतुक के अंतर्गत किए गए कुछ स्वतंत्र संव्यवहारों सहित की गई संविदाओं/ व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म

i. स्वतंत्र आधार पर न की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों का विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार की अवधि	संविदा अथवा व्यवस्था या संव्यवहार के मूल्य सहित, यदि कोई हो, प्रमुख शर्तें	इस प्रकार की संविदा अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहार करने का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	धारा 188 के प्रथम परंतुक की अपेक्षा अनुसार महासभा में विशेष संकल्प पारित होने की तारीख
शून्य								

ii. स्वतंत्र आधार पर की गई महत्वपूर्ण संविदाओं अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार की अवधि	संविदा अथवा व्यवस्था या संव्यवहार के मूल्य सहित, यदि कोई हो, प्रमुख शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख (खें), यदि कोई हो :	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो :
शून्य						

राकेश शर्मा
(डीआईएन - 06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
दिनांक: 02 मई 2024

अनुबंध-आ

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. बैंक की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

बैंक की सीएसआर नीति का उद्देश्य समाज के सुविधा से वंचित वर्गों में व्याप्त विभेदों की पहचान करना और उनकी बेहतरी के लिए जरूरत-आधारित योगदान करते हुए उनके लिए मूर्त, दृश्य तथा स्थायी बदलाव लाना है. सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पहल को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ा जाएगा. बैंक यह प्रत्यक्ष दखल तथा हिताधिकारियों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए हासिल करना चाहता है.

बैंक की सीएसआर नीति, अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में दखल करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है.

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशकता का स्वरूप	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री राकेश शर्मा	एमडी एवं सीईओ - समिति अध्यक्ष	03	03
2.	श्री सुरेश खटनहार (14-01-2024 तक)	उप प्रबंध निदेशक	02	02
3.	श्री जयकुमार एस. पिल्लै (12-06-2023 से प्रभावी)	उप प्रबंध निदेशक	02	02
4.	श्री समरेश परिदा	स्वतंत्र निदेशक	03	03
5.	श्रीमती पी.वी. भारती	स्वतंत्र निदेशक	03	03

3. वेबलिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटन किया गया है:

सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों का वेब लिंक है - https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.aspx

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन के वेबलिंक के साथ कार्यपालक सार प्रदान करें, यदि लागू हो:

लागू नहीं

5. (क) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ -

बैंक का गत तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 3,704.28 करोड़ का औसत निवल लाभ (सीएसआर उद्देश्य के लिए) रहा.

(ख) धारा 135 की उप-धारा (5) अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत -

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (5) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक का दो प्रतिशत औसत निवल लाभ ₹74.09 करोड़ था.

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला अधिशेष - शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो - पिछले दो वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹1.62 करोड़.

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख)+(ग)-(घ)] - ₹72.47 करोड़

6. (क) **सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजनाओं एवं चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य, दोनों पर): ₹39.24 करोड़.**

(ख) प्रशासनिक उप-शीर्ष में खर्च की गई राशिः शून्य.

(ग) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू होः लागू नहीं.

(घ) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)] - ₹39.24 करोड़.

(ङ) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशिः वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीएसआर खर्च ₹39.24 करोड़ है और चालू योजनाओं के लिए ₹25.62 करोड़ की राशि मंजूर की गई है, लेकिन संवितरण नहीं किया गया है. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अव्ययित राशि ₹7.61 करोड़ है.

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि (₹ में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि.		धारा 135 की उप-धारा(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को अंतरित राशि.*		
	राशि (₹ करोड़ में)	अंतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
39.24	25.62	29 अप्रैल 2024	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

** ₹7.61 करोड़ 30 सितंबर 2024 तक एक या अधिक स्वीकार्य निधियों में अंतरित किए जाएंगे.*

(च) समायोजन के लिए आधिक्य राशि, यदि कोई हो :

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उपधारा(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	74.09
(ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि	39.24
(iii)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई आधिक्य राशि [(ii)-(i)]	लागू नहीं
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न आधिक्य, यदि कोई हो	शून्य
(v)	उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	लागू नहीं

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों की अव्ययित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व राशि का विवरण :

1	2	3	4	5	6		7	8
क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा 6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ करोड़ में)	धारा 135 की उपधारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (₹ करोड़ में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को अंतरित राशि, यदि कोई हों.		उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ करोड़ में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (₹ करोड़ में)	अंतरण की तिथि		
1.	वि.व. - 1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य	-
2.	वि.व. - 2	शून्य	शून्य	0.18	शून्य	लागू नहीं	शून्य	-
3.	वि.व. - 3	शून्य	शून्य	1.44	शून्य	लागू नहीं	शून्य	-

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत आस्ति सृजित या अर्जित की गई है: नहीं

यदि हां, सृजित/अर्जित की गई पूंजीगत आस्तियों की संख्या दर्ज करें: लागू नहीं

वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से सृजित या अर्जित की गई ऐसी आस्ति(यों) का विवरण दें :

क्रम सं.	संपत्ति या आस्ति(यों) का लघु विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या आस्ति(यों) का पिन कोड	सृजन तिथि	खर्च की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत स्वामी की संस्था/ प्राधिकारी/ लाभार्थी का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(सभी फील्ड राजस्व रिकॉर्ड में दिये अनुसार ही भरे जाने चाहिएं, फ्लैट संख्या, आवास संख्या, नगरपालिका कार्यालय/ नगर निगम/ ग्राम पंचायत विनिर्दिष्ट किया जाए तथा साथ ही अचल संपत्ति का क्षेत्रफल और उसकी सीमाओं का विवरण दें)

9. यदि कंपनी, धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है तो कारण निर्दिष्ट करें - वित्तीय वर्ष 2023-24 में सीएसआर पर ₹39.24 करोड़ खर्च किया गया है और चालू परियोजनाओं के लिए ₹25.62 करोड़ की अवितरित राशि को 'वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अव्ययित सीएसआर खाते' में अंतरित कर दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अव्ययित ₹7.61 करोड़ की राशि को 30 सितंबर 2024 से पहले कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुसार किसी भी स्वीकार्य निधि में अंतरित कर दिया जाएगा.

राकेश शर्मा
(डीआईएन : 06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
सीएसआर समिति के अध्यक्ष
30 मई 2024

फॉर्म सं. एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
सीआईएन: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400005.

हमने **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** (इसमें इसके पश्चात् 'बैंक' कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है. सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई है जिससे हमें कॉरपोरेट संचालनों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उन पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है.

बैंक की बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों और साथ ही बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों तथा सचिवीय लेखापरीक्षा करने के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में बैंक ने **31 मार्च 2024** को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही, बैंक ने इसमें इसके पश्चात् की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, वर्णित रीति से और उसके अध्यधीन उपयुक्त बोर्ड- प्रक्रियाएँ और अनुपालन-प्रणाली लागू की हैं.

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार **31 मार्च 2024** को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है :

i. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,1956 ('एससीआरए') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अधीन तैयार की गई विनियम तथा उप-नियमों;

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए नियम तथा विनियमन - **लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिपोर्ट की जाने वाली कोई घटना नहीं है;**

v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन विनिर्दिष्ट निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देशः

   क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

   ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 ;

   ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018; - **लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिपोर्ट की जाने वाली कोई घटना नहीं है;**

   घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और उद्यम इक्विटी) विनियम, 2021- **लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिपोर्ट की जाने वाली कोई घटना नहीं है;**

ङ. कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक के साथ संव्यवहार के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम,1993 - **लागू नहीं क्योंकि बैंक समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में पंजीकृत नहीं है;**

च. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021 - **लागू नहीं, क्योंकि बैंक ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी स्टाक एक्सचेंज से अपने इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध नहीं किया है/ असूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं किया है;**

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद) विनियम, 2018 - **लागू नहीं, क्योंकि बैंक ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी किसी प्रतिभूति की वापसी-खरीद नहीं की है/ वापसी-खरीद का प्रस्ताव नहीं किया है;**

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2021

झ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015.

vi. प्रबंधन ने बैंक पर विशेष रूप से लागू निम्नलिखित कानूनों की पहचान तथा पुष्टि की है:

1. बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियम, अधिसूचनाएं, परिपत्र एवं मार्गदर्शन;
2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934;
3. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेएसी) अधिनियम, 2002;
4. धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 एवं धन-शोधन निवारण (रिकॉर्ड प्रबंधन आदि), नियमावली, 2005
5. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007;
6. परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881.

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और महा सभाओं (एसएस-2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;

(ii) बीएसई लिमिटेड व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए सूचीबद्धता करार.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है.

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

➢ बैंक के निदेशक मंडल का कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और महिला स्वतंत्र निदेशक के समुचित संतुलन के साथ विधिवत गठन किया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे.

➢ केवल ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें सूचना, कार्य-सूची और कार्य-सूची पर नोट बैठक से सात दिन से कम समय पहले भेजने के लिए निदेशकों की सहमति प्राप्त हुई थी, सभी निदेशकों को बोर्ड /समिति बैठकों के आयोजन के संबंध में पर्याप्त समय पहले सूचना दी जाती है और कार्य-सूची एवं कार्य-सूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गए हैं;

➢ बैठकों से पहले कार्य-सूची की मदों पर अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण मांगने तथा प्राप्त करने के लिए और बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए व्यवस्था मौजूद है.

- बोर्ड तथा समिति की बैठकों में सभी निर्णय अपेक्षित बहुमत से लिये गए हैं.

  हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक द्वारा स्थापित अनुपालन प्रणाली की समीक्षा और विभिन्न विभागों/ वर्टिकलों/ सहायक कंपनियों से प्राप्त प्रमाण-पत्रों पर आधारित कंपनी सचिव एवं मुख्य अनुपालन अधिकारी द्वारा जारी और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक (कों) में दर्ज किए गए अनुपालन प्रमाणपत्र(त्रों) के आधार पर हमारा अभिमत है कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के पास प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ मौजूद हैं और बैंक के आकार और परिचालन के अनुरूप इनको और मजबूत बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है.

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के अनुसरण के कारण निम्न गतिविधियों/कार्रवाइयों का बैंक के कार्य पर प्रमुख प्रभाव पड़ाः

- बैंक ने, सेबी विनियमों के अधिदेश के अनुसार, 13 जुलाई 2023 को संपन्न 19वीं वार्षिक महासभा में डिबेंचरधारकों के प्रति चूक की स्थिति में डिबेंचर ट्रस्टी द्वारा नामित निदेशक नियुक्त करने का प्रावधान शामिल करने के लिए अपने संस्था के अंतर्नियमों में सदस्यों द्वारा पारित विशेष संकल्प के द्वारा संशोधन किया है.

यह रिपोर्ट हमारे सम दिनांकित पत्र के साथ पढ़ी जाए जो **अनुबंध-अ** के रूप में संलग्न है जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है.

कृते एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड नं. P1991MH040400
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं.: 5218/2023

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
संस्थापक साझेदार
एफ़सीएसः 4206, सीओपी नं. 1774
आईसीएसआई यूडीआईएनः F004206F000429642
दिनांक : 23 मई 2024, ठाणे

अनुबंध-अ

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
सीआईएन: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई-400005

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सम दिनांकित सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए.

प्रबंधन की जिम्मेदारी:

1. यह बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करे, लागू सभी कानूनों तथा विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां तैयार करे और सुनिश्चित करे कि प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से परिचालन करती हैं.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

2. हमारी जिम्मेदारी सचिवीय अनुपालनों के संबंध में बैंक द्वारा अनुसरण किए गए इन सचिवीय अभिलेखों, मानकों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अपनी राय प्रकट करना है.
3. हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है.
4. हमारा विश्वास है कि बैंक प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और जानकारी हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित है.
5. जहां कहीं आवश्यक हुआ, हमने उचित आश्वासन प्राप्त किया है कि सचिवीय लेखा परीक्षा के संबंध में बैंक द्वारा तैयार किए गए विवरण, अनुरक्षित दस्तावेज या अभिलेख गलत कथनों से मुक्त हैं.
6. जहां कहीं आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों व विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने, आदि के बारे में प्रबंधन से अभ्यावेदन प्राप्त किया है.

डिस्क्लेमर

7. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के कार्यों के संचालन में उनकी दक्षता अथवा प्रभावकारिता का आश्वासन देती है.
8. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा बहियों की परिशुद्धता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.

कृते एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड नं. P1991MH040400
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र नं.: 5218/2023

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
संस्थापक साझेदार
एफ़सीएस: 4206, सीओपी नं. 1774
आईसीएसआई यूडीआईए :F004206F000429642
दिनांक : 23 मई 2024, ठाणे

निदेशकों की गैर-अपात्रता संबंधी प्रमाण पत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची V के पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसरण में]

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
सीआईएन: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स
कफ परेड,
मुंबई - 400005.

हमने निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच की है:

i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 164 के अधीन अपेक्षित गैर-अपात्रता की घोषणा;

ii) अधिनियम की धारा 184 के अधीन अपेक्षित प्रतिष्ठान या हितों का प्रकटन;

(इसमें इसके पश्चात 'संबंधित दस्तावेजों' के रूप में उल्लिखित)

सीआईएन: L65190MH2004GOI148838 वाले **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** ('बैंक'), जिसका पंजीकृत कार्यालय आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005 है, के निदेशकों द्वारा 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष और 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के निदेशक मंडल ('बोर्ड') को प्रस्तुत किए अनुसार तथा बैंक द्वारा रखे गए संबंधित रजिस्टरों, अभिलेखों, फॉर्मों और रिटर्न और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के साथ पठित विनियम 34 (3) के अनुसार यह प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से हमें उपलब्ध कराये गए हैं. हमने विनियामक/ सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा गैर-निषेध को शामिल करने के लिए गैर-अपात्रता माना है.

यह निदेशकों की जिम्मेदारी है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित दस्तावेज संपूर्ण एवं सटीक जानकारी के साथ प्रस्तुत करें.

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/ निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारा दायित्व अपने सत्यापन के आधार पर इन पर अपनी राय प्रकट करना है.

उपर्युक्त के अनुसार हमारी जांच और हमारे द्वारा किए गए ऐसे अन्य सत्यापनों, जो आवश्यक एवं पर्याप्त समझे गये, (www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) के आधार पर, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान तथा बैंक, इसके अधिकारियों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतद्द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि नीचे दी गई सूची में से 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड का कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/ कॉरपोरेट मामले मंत्रालय अथवा ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति या बने रहने से विवर्जित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है.

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	नियुक्ति की तारीख	पद समाप्ति की तारीख
1.	श्री ज्ञान प्रकाश जोशी	00603925	28/08/2015	27/08/2023
2.	श्री भुवनचन्द्र बालकृष्ण जोशी	06713850	09/10/2017	-
3.	श्री समरेश परिदा	01853823	19/05/2018	-
4.	श्री जंबुनाथन नारायणन	05126421	19/05/2018	-
5.	श्री राकेश शर्मा	06846594	10/10/2018	-
6.	श्री दीपक सिंघल	08375146	28/02/2019	-

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	नियुक्ति की तारीख	पद समाप्ति की तारीख
7.	श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर	08377808	05/03/2019	
8.	श्री सेम्युअल जोसेफ जेबराज	02262530	20/09/2019	05/04/2023
9.	श्री सुरेश किशनचंद खटनहार	03022106	15/01/2020	14/01/2024
10.	श्रीमती पी.वी. भारती	06519925	14/01/2021	-
11.	श्री मुकेश गुप्ता	06638754	10/02/2022	-
12.	श्री तोटला नारायणसामी मनोहरन	01186248	24/02/2022	-
13.	श्री मनोज सहाय	08711612	28/04/2022	-
14.	श्री सुशील कुमार सिंह	09584577	28/04/2022	-
15.	श्री राज कुमार	06627311	19/05/2022	-
16.	श्री जयकुमार सुब्रमोनिया पिल्लै	10041362	12/06/2023	-
17.	श्री अजय प्रकाश साहनी	03359323	28/08/2023	-

यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के कार्यों के संचालन में उनकी दक्षता अथवा प्रभावकारिता का आश्वासन देता है.

यह प्रमाणपत्र 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में प्रकटीकरण हेतु बैंक के अनुरोध पर जारी किया गया है.

कृते एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एण्ड कं.
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनिक कोड: P1991MH040400
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या: 5218/2023

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
संस्थापक साझेदार
एफ़सीएस 4206। सीओपी नं. 1774
आईसीएसआई यूडीआईएन: F004206F000429884

दिनांक: 23 मई 2024। ठाणे

Varma & Varma,
Chartered Accountants, Unit No 101,
Option Primo,
Plot No X-21, MIDC Road No. 21,
Andheri East,
Mumbai-400 093 Maharashtra

G D Apte & Co.,
Chartered Accountants,
D - 509, Neelkanth Business Park,
Nathani Road, Vidyavihar West,
Mumbai-400086
Maharashtra

INDEPENDENT AUDITOR'S CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH THE CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE AS PER CERTAIN PROVISIONS OF CHAPTER IV OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

To,

The Members, IDBI Bank Limited

Introduction

1. We are the Joint Statutory Central Auditors of IDBI BANK LIMITED (hereinafter referred to as "the Bank"), having its registered office at IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400005, are issuing a certificate for the Bank's compliance with the conditions of Corporate Governance as stipulated in regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of regulation 46(2) and para C and D of Schedule V of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, as amended ('Listing Regulations") from time to time.

Management's Responsibility

2. The compliance of conditions of Corporate Governance as stipulated under listing regulations is the responsibility of the Management. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control and procedures to ensure the compliance with the conditions of the Corporate Governance stipulated in the Listing Regulations.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is limited to examining the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring compliance with the conditions of corporate governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.
4. We have examined the books of account and other relevant records and documents maintained by the Bank for the purpose of providing reasonable assurance on the compliance with Corporate Governance requirements by the Bank.
5. We have carried out an examination of the relevant records of the Bank in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance issued by the Institute of the Chartered Accountants of India (the ICAI), the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Companies Act 2013, in so far as it is applicable for the purpose of this certificate and as per the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes issued by the ICAI which requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.
6. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standards on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audit and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Conclusion

7. Based on our examination of the relevant records and according to the information and explanations provided to us and the representations provided by the Management, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of regulation 46(2) and para C and D of Schedule V of the Listing Regulations during the year ended March 31, 2024 as applicable .

Restriction on Use

8. This Certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.
9. This certificate is addressed to and provided to the members of the Bank solely for the purpose of enabling it to comply with its obligations under the Listing Regulations with reference to compliance with the relevant regulations of Corporate Governance and should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care or for any other purpose or to any other party to whom it is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. We have no responsibility to update this certificate for events and circumstances occurring after the date of this certificate.

For Varma & Varma
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 004532S

Srinivas K P
Partner
Membership No. 208520
UDIN: 24208520BKBLWZ2455
Place: Bangalore
Date: 18th June 2024

For GD Apte & Co.
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 100515W

Saurabh Peshwe
Partner
Membership No. 121546
UDIN: 24121546BKBJHH5852
Place: Pune
Date: 18th June 2024

Corporate Governance Report

Brief Statement on the Bank's Philosophy on Code of Governance

The Bank is committed to upholding the highest standards of corporate governance in its operations. Its policies and practices are not only in line with the statutory requirements, but also reflect its commitment to operate in the best interest of its stakeholders. The responsibility for maintaining high governance standards lies with the Bank's Board of Directors and various Board Committees, which are empowered to monitor implementation of the best corporate governance practices, including making of necessary disclosures within the framework of legal and regulatory provisions and banking conventions.

In this direction, the Bank is committed to ensure that its Board of Directors continues to be constituted according to the prescribed norms, meets regularly according to the prescribed frequency, provides effective leadership, exercises control over the management, monitors executive performance and makes appropriate disclosures. Besides, the other policy directives of the Bank are to establish a strategic control framework and continuously review its efficacy as well as to set up clearly documented and transparent management processes to develop, implement and review policies, take decisions, monitor, control and report. The Bank provides free access of relevant information and resources to the Board, enabling it to carry out its role effectively.

BOARD OF DIRECTORS

The Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI), the Companies Act, 2013, the Articles of Association of the Bank and the requirements of Corporate Governance, as envisaged in the Securities & Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations). The Bank's Board functions directly as well as through various Board Committees constituted to provide focussed governance in the important functional areas.

i. Terms of Reference

- To make calls on shareholders in respect of money unpaid on their shares;
- To authorise buy-back of securities under Section 68 of the Companies Act, 2013;
- To issue securities, including debentures, whether in or outside India;
- To borrow monies;
- To invest the funds of the Bank;
- To approve financial statements and the Board's report of the Bank;
- To diversify the business of the Bank;
- To approve amalgamation, merger or reconstruction;
- To take over a company or acquire a controlling or substantial stake in another company;
- To appoint or remove Key Managerial Personnel (KMP);
- To appoint Internal Auditors and Secretarial Auditors;
- To make political contributions;
- To take note of the disclosures of Directors' interest and shareholding;
- To buy and sell investments held by the Bank (other than trade investments), constituting five percent or more of the paid up share capital and free reserves of the investee company;
- To approve quarterly, half-yearly and annual financial statements or financial results, as the case may be;
- To periodically review compliance reports pertaining to all laws applicable to the Bank, prepared by the Bank as well as steps taken by the Bank to rectify instances of non-compliances;
- To lay down a code of conduct for all the members of the Board of Directors and the senior management of the Bank;

- To ensure framing of, implementation of and monitoring of the risk management plan for the Bank;
- To undertake performance evaluation of the Independent Directors, all the other Directors, the Committees of the Board and the Board of Directors as a whole;
- To review and guide corporate strategy, major plans of action, risk policy, annual budgets and business plans, to set performance objectives, to monitor implementation and corporate performance, and to oversee major capital expenditures, acquisitions and divestments;
- To monitor the effectiveness of the Bank's governance practices and making changes as needed;
- To select, compensate, monitor and, when necessary, replace the Key Managerial Personnel (KMP) and oversee succession planning;
- To align remuneration of Key Managerial Personnel (KMP) and Directors with the longer term interests of the Bank and its shareholders;
- To ensure a transparent nomination process to the Board to achieve diversity of thought, experience, knowledge, perspective and gender in the Board of Directors;
- To monitor and manage potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in related party transactions;
- To ensure the integrity of the Bank's accounting and financial reporting systems, including the independent audit and that appropriate systems of control are in place, in particular, systems for risk management, financial and operational control, and compliance with the law and relevant standards;
- To oversee the process of disclosure and communications;
- To monitor and review the Board of Directors' evaluation framework;
- To provide strategic guidance to the Bank, to ensure effective monitoring of the management and to be accountable to the Bank and its shareholders;
- To set a corporate culture and the values by which the executives throughout the Bank shall behave;
- To act on a fully informed basis, in good faith, with due diligence and care, and in the best interests of the Bank and its shareholders;
- To encourage continual Directors' training to ensure that the members of the Board of Directors are kept up-to-date;
- To treat all the shareholders fairly;
- To maintain high ethical standards and take into account the interests of the stakeholders of the Bank;
- To exercise objective independent judgment on the corporate affairs of the Bank;
- To consider assigning a sufficient number of non-executive members of the Board of Directors capable of exercising independent judgment to tasks where there is a potential for conflict of interest;
- To be able to step back to assist executive management by challenging the assumptions underlying strategy, strategic initiatives (such as acquisitions), risk appetite, exposures and the key areas of the Bank's focus;
- To define and disclose the mandate, composition and working procedures of the committees of the Board of Directors;
- To facilitate the Independent Directors to perform their role effectively as members of the Board of Directors and also as members of Committees of the Board of Directors; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. ***Composition (including Date of Appointment, Educational Qualifications and Skills/ Expertise) of the Board of Directors as on March 31, 2024 -***

Name of the Director	Date of Appoint-ment	Executive/ Non-Executive Director	Independent/ Non-Independent Director	Educational Qualification	Expertise
		Independent Director & Part-time Chairman			
Shri T. N. Manoharan	February 24, 2022	Non-Executive	Independent	B.Com, M.Com, Law Graduate, Fellow member of the ICAI and IFRS Certificate level online learning and assessment programme of The Institute of Chartered Accountants in England and Wales	Accountancy, Economics, Banking, Law, Risk, Small Scale Industry, Finance, Human Resource, Business Management, Administration and Corporate Governance
		Managing Director and Chief Executive Officer			
Shri Rakesh Sharma	October 10, 2018	Executive	Non-Independent	B.Com, Post Graduate in Economics and CAIIB	Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Banking, Economics, Small Scale Industry, Risk, Human Resource, Business Management, Administration and Corporate Governance.
		Deputy Managing Director			
Shri Jayakumar S. Pillai	June 12, 2023	Executive	Non-Independent	B.F.Sc, MBA(Finance), Post Graduate Diploma in Foreign Trade (PGDFT), Diploma in Governance, Risk & Compliance (GRC) from ICA, London and CAIIB	Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Banking, Economics, Finance, Small Scale Industry, Human Resource, Risk, Business Management, Administration and Corporate Governance
		Nominee Directors			
Shri Mukesh Kumar Gupta (LIC)	February 10, 2022	Non-Executive	Non-Independent	B.Sc. and MBA (HRM)	Human Resource, Banking, Sales & Marketing, Business Management, Risk, Information Technology, Finance, Administration and Corporate Governance
Shri Raj Kumar (LIC)	May 19, 2022	Non-Executive	Non-Independent	B.Sc.	Human Resource, Marketing, Business Management, Administration and Corporate Governance
Shri Manoj Sahay (GoI)	April 28, 2022	Non-Executive	Non-Independent	BE (Civil Eng.)	Accountancy & Finance, Administration and Corporate Governance
Shri Sushil Kumar Singh (GoI)	April 28, 2022	Non-Executive	Non-Independent	B.A. and M.A. (Philosophy)	Accountancy & Finance, Human Resource, Administration and Corporate Governance

Name of the Director	Date of Appoint-ment	Executive/ Non-Executive Director	Independent/ Non-Independent Director	Educational Qualification	Expertise
			Independent Directors		
Shri Bhuwanchandra B. Joshi	October 9, 2017	Non-Executive	Independent	B.Com and CAIIB	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, Administration and Corporate Governance
Shri Samaresh Parida	May 19, 2018	Non-Executive	Independent	Chartered Accountant, Cost Accountant and MBA	Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Finance, Information Technology, Business Management, Strategic Planning, Administration and Corporate Governance
Shri N. Jambunathan	May 19, 2018	Non-Executive	Independent	Post Graduate in Statistics, CAIIB and Diploma in Management	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, Information Technology, Payment & Settlement, Administration and Corporate Governance
Shri Deepak Singhal	February 28, 2019	Non-Executive	Independent	B.A., MBA, CAIIB and PGDRM	Agriculture & Rural Economy, Banking, Human Resource, Business Management, Administration and Corporate Governance
Shri Sanjay G. Kallapur	March 5, 2019	Non-Executive	Independent	B.Com, M.M.S, Ph.D. in Business Economics and ACMA	Accountancy, Economics, Finance, Risk, Administration and Corporate Governance
Smt. P. V. Bharathi	January 14, 2021	Non-Executive	Woman Independent	B.Sc., M. A. (Economics), B. Ed., CAIIB and Integrated Course in Banking & Finance (NIBM)	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, Risk, Economics, Administration and Corporate Governance
Shri Ajay Prakash Sawhney	August 28, 2023	Non-Executive	Independent	Graduate of Institute of Mechanical Engineers, London (Equivalent of BE. Mechanical Engineering)	Human Resources, Information Technology, Payment & Settlement, Administration and Corporate Governance

The strength of 14 (fourteen) Directors on the Board as on March 31, 2024 meets the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association of the Bank.

In the opinion of the Board, the Independent Directors fulfill the conditions specified in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and are independent of the management.

iii. Relationship between Directors inter-se

(i) None of the Directors on the Bank's Board are related in any manner, directly or indirectly, to any other Director.

(ii) None of the Whole-Time Directors and Non-Executive Directors (including Independent Directors) of the Bank have attained the age of seventy years and seventy-five years, respectively, as prescribed by the RBI as the upper age limit for Directors on the Boards of private sector banks.

(iii) Chairperson of the Bank is an Independent Director and he is not related to the MD & CEO of the Bank as per the definition of the term 'relative' defined under the Companies Act, 2013, in terms of Article 116(1)(i).

iv. Quorum for the Board Meetings

The quorum for the Board Meetings shall be one-third of the total strength or three (3) Directors, whichever is higher, subject to at least one Director being a nominee of the Life Insurance Corporation of India (LIC) and at least half of Directors attending the meeting being Independent Directors.

v. Frequency of the Board Meetings

Meetings of the Board shall ordinarily be held at least six times in a year and at least once in every quarter and not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive Board meetings.

vi. Number of the Board Meetings held

During the period under review (April 1, 2023 to March 31, 2024), 13 meetings of the Board of Directors were held on April 29, 2023; May 31, 2023; June 23, 2023; July 24, 2023; August 19, 2023; September 30, 2023; October 21, 2023; November 04, 2023 (strategy meeting); November 30, 2023; December 28, 2023; January 20, 2024; February 28, 2024 and March 28, 2024. Out of these, all the meeting were held in Mumbai, except one meeting held on November 04, 2023 in Goa. The meetings were held in person and through video conferencing as provided by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and the Securities & Exchange Board of India (SEBI) from time-to-time and the details regarding attendance at the Board meetings, attendance in the last Annual General Meeting (AGM), Directorships in other companies and memberships of committees in respect of each Director of the Bank, are given below in Table 1.

Table 1: Directors' Attendance at the Board Meetings and the last AGM, their Directorships and Committee Memberships

Name of the Director	Attendance at the Bank's Board Meetings held during tenure (Held/ Attended)	Attendance at the last AGM held on July 13, 2023	Directorships in other companies (other public companies)	Memberships/ Chairmanships in other Companies (only ACB & SRC)	Names of other listed entities where the person is a Director and the category of Directorship
1	2	3	4	5	6
PART TIME CHAIRMAN & INDEPENDENT DIRECTOR					
Shri T. N. Manoharan (DIN: 01186248)	(13/13)	Present	02	02	Independent Director: 1. Tech Mahindra Ltd. 2. Mahindra & Mahindra Ltd. 3. National Bank for Financing Infrastructure and Development
WHOLE-TIME DIRECTORS					
Shri Rakesh Sharma (DIN: 06846594)	(13/13)	Present	02	NIL	NIL
Shri Samuel Joseph Jebaraj (DIN:02262530) [upto 05-04-2023]	NIL	N.A	-	-	-

Name of the Director	Attendance at the Bank's Board Meetings held during tenure (Held/ Attended)	Attendance at the last AGM held on July 13, 2023	Directorships in other companies (other public companies)	Memberships/ Chairmanships in other Companies (only ACB & SRC)	Names of other listed entities where the person is a Director and the category of Directorship
1	2	3	4	5	6
Shri Suresh Khatanhar (DIN:03022106) [upto 14-01-2024]	(10/10)	Present	-	-	-
Shri Jayakumar S. Pillai (DIN: 10041362) [w.e.f. 12-06-2023]	(11/11)	Present	01	NIL	NIL
NON-EXECUTIVE DIRECTORS					
Shri Mukesh Kumar Gupta (DIN:06638754)	(13/11)	Present	01	01	1. ITC Ltd.- Nominee Director
Shri Raj Kumar (DIN:06627311)	(13/13)	Present	01	NIL	1. Grasim Industries Ltd. - Non-Executive Director
Shri Manoj Sahay (DIN:08711612)	(13/07)	Present	02	NIL	NIL
Shri Sushil Kumar Singh (DIN:09584577)	(13/06)	Absent	NIL	NIL	NIL
INDEPENDENT DIRECTORS					
Shri Gyan Prakash Joshi (DIN:00603925) [upto 27-08-2023]	(05/05)	Present	-	-	-
Shri Bhuwanchandra B. Joshi (DIN:06713850)	(13/13)	Present	NIL	NIL	NIL
Shri Samaresh Parida (DIN:01853823)	(13/13)	Present	01	01	1. Shaily Engineering Plastics Limited- Independent Director
Shri N. Jambunathan (DIN:05126421)	(13/13)	Present	NIL	NIL	NIL

Name of the Director	Attendance at the Bank's Board Meetings held during tenure (Held/ Attended)	Attendance at the last AGM held on July 13, 2023	Directorships in other companies (other public companies)	Memberships/ Chairmanships in other Companies (only ACB & SRC)	Names of other listed entities where the person is a Director and the category of Directorship
1	2	3	4	5	6
Shri Deepak Singhal (DIN:08375146)	(13/13)	Present	01	01	NIL
Shri Sanjay G. Kallapur (DIN:08377808)	(13/13)	Present	NIL	NIL	NIL
Smt. P. V. Bharathi (DIN:06519925)	(13/12)	Present	03	02	1. PTC India Financial Services Ltd. – Independent Director
Shri Ajay Prakash Sawhney (DIN: 03359323) [w.e.f. 28-08-2023]	(08/08)	N.A	02	NIL	NIL

None of the Non-Executive Directors of the Bank hold shares or convertible instruments issued by the Bank.

Committees of Board

The Board has constituted a total of 13 Committees namely:

- Audit Committee of the Board
- Stakeholders' Relationship Committee
- Risk Management Committee
- Customer Service Committee
- Nomination & Remuneration Committee
- Recovery Review Committee
- Wilful Defaulters Review Committee
- Executive Committee
- Frauds Monitoring Committee
- CSR & ESG Committee
- Information Technology Strategy Committee
- HR Steering Committee
- Non - Cooperative Borrowers' Review Committee

A. AUDIT COMMITTEE OF THE BOARD (ACB)

i. Terms of Reference

- To review exposure to sensitive sectors, i.e., (a) Capital Market; and (b) Real Estate;
- Know Your Customer/ Anti-Money Laundering (KYC/ AML) Guidelines –
  - i. review of implementation;
  - ii. review of compliance of the Concurrent Audit reports with respect to adherence to Know Your Customer (KYC)/ Anti-Money Laundering (AML) guidelines at the branches;
- To review housekeeping - particularly balancing and reconciliation of long outstanding entries Suspense/ Sundries/ Drafts Payable or Paid/ Funds in Transit/ Clearing/ Subsidiary General Ledger (SGL)/ Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) accounts and review of Nostro accounts;
- To review compliance in respect of the Annual Financial Inspection conducted by the RBI - Risk Assessment Report (RAR) and Risk Mitigation Plan (RMP) under Supervisory Programme for Assessment of Risk and Capital;

- To review the Annual Audit Plan and status of achievement thereof;
- To review significant audit findings/ internal control weakness of the following audits along with the compliance thereof - (i) Long Form Audit Report (LFAR), (ii) Concurrent Audit, (iii) Internal Inspection, (iv) Information System Audit of Data Centre and other Departments, (v) Treasury & Derivatives, (vi) Management Audit at the controlling offices/ the Head Office, (vii) Audit of the service branches, (viii) the Currency Chests, (ix) Foreign Exchange Management Act (FEMA) Audit of the branches authorised to deal in foreign exchange, etc.;
- To review the compliance report on the directives issued by the ACB/ the Board / the RBI;
- To report on the compliance of the regulatory requirements of the regulators in the host countries in respect of the overseas branches;
- To review financial results for the quarter including management discussion, analysis of financial condition, management letters/ letters of internal control weaknesses issued by the Statutory Auditors;
- To review information on violations by various functionaries in the exercise of discretionary powers;
- To report information in respect of equity shareholdings in borrower companies more than 30% of their paid up capital;
- To review all fraud cases reported;
- To review transactions with related parties and prior approval to related party transactions and subsequent modifications, if any, in related party transactions;
- To review (a) Risk Based Internal Audit Policy, (b) Concurrent Audit Policy and (c) IS Audit Policy;
- To review accounting policies/ systems of the Bank with a view to ensuring greater transparency in its accounts and adequacy of accounting standards, to review any change during the year and their impact, and a confirmation that accounting policies are in compliance with accounting standards and the RBI guidelines;
- To review the adequacy of the internal audit function, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit;
- To review the Bank's Internal Financial Controls;
- To review the Bank's Risk Management Systems;
- To appoint Statutory Auditors, to review and to monitor the auditor's independence, performance, effectiveness of audit process both for domestic and overseas operations;
- To review annual accounts/ financial statements of the Bank and the Auditor's Report thereon before submission to the Board for approval with particular reference to items (a) to (g) as indicated in Point A(4) of Part C of Schedule II of the LODR regulations;
- To approve payment to Statutory Auditors for any other services rendered by the Statutory Auditors;
- To discuss with the Statutory Auditors before the audit commences about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;
- To review penalties imposed/ penal action taken against the Bank under various laws and statutes and action taken for corrective measures;
- To review report on revenue leakage detected by Internal/ External Auditors and status of recovery thereof - reasons for undercharges and steps taken to prevent revenue leakage;
- To report on end-use of funds raised through offer documents and public issue funds (certified by the Statutory Auditors) as well as (i) quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency in

terms of Regulations 32(1) and (ii) annual statement of funds utilised for purposes other than those stated in the offer document in terms of Regulation 32(7) of the LODR Regulations;

- To review financial statements including particular investments made by the Unlisted Subsidiaries;
- To review First Time Non-Performing Assets (FTNPAs);
- To review dishonour of cheques amounting to ₹ 1 crore & above;
- To conduct annual review of the Concurrent Audit System;
- To conduct annual review of Outsourced Vendors' Audit;
- To review the functioning of Vigil Mechanism (formerly Whistle Blower Mechanism);
- To approve appointment of (i) Chief Financial Officer; (ii) Chief Internal Auditor and (iii) Chief Compliance Officer;
- To oversee valuation of undertakings or assets of the listed entity wherever it is necessary;
- To review RBI circulars having impact on the Bank's accounts;
- To review annually the compliance of the provisions of the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
- To review the utilisation of loans and/ or advances from/ investment by the Bank in the subsidiary exceeding ₹ 100 crore or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans/ advances/ investments;
- To consider and comment on the rationale, the cost-benefit and the impact of the schemes involving merger, demerger, amalgamation etc., of the Bank and its shareholders;
- To review the staff accountability examination;
- To verify genuineness of title deeds & due diligence of loan/ security documents;
- To report performance of Off-Site Monitoring (OMS);
- To review the Secretarial Auditor’s Report on Compliances made by the Bank during the financial year under the Companies Act, 2013, LODR Regulations, etc.;
- To comply with the observations made in inspection reports of the Central Depository Services Ltd. (CDSL), National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Concurrent Audit Reports;
- To review findings of Investigative Audits (IAs)/ Special Investigative Audits (SIAs);
- To discuss with the rating agencies;
- To discuss with the Head – Internal Audit and the Chief Compliance Officer (CCO) without the presence of the Management;
- To review Risk Rating Migration and the efficacy of Audit System; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the ACB

As on March 31, 2024, the ACB comprised six members, out of whom four members were Independent Directors, viz. Shri Samaresh Parida, Independent Director as Chairman and Shri Manoj Sahay, GOI Nominee Director, Shri Mukesh Kumar Gupta, LIC Nominee Director, Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director, Smt. P. V. Bharathi, Independent Director and Shri Ajay Prakash Sawhney, Independent Director, as members.

iii. ***Quorum for the ACB Meetings***

The quorum for the ACB meetings shall be three members of the ACB out of which at least two-thirds shall be Independent Directors. The ACB meeting shall be chaired by an Independent Director who shall not chair any other Committee of the Board.

iv. ***Frequency of the ACB Meetings***

The ACB shall meet at least four times in a year and not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive ACB meetings.

v. ***Meetings of the ACB***

During the period under review (April 1, 2023 to March 31, 2024), 14 meetings of the ACB were held on April 29, 2023; May 30, 2023; June 22, 2023; July 24, 2023; August 18, 2023; September 29, 2023; October 21, 2023; November 29, 2023; December 27, 2023; January 20, 2024; February 22, 2024; February 27, 2024; March 26, 2024 and March 27, 2024.

B. EXECUTIVE COMMITTEE (EC)

i. ***Terms of Reference***

- To sanction high value credit proposals with exposure of more than ₹ 250 crore;
- To modify terms and conditions of sanctions made by the Executive Committee (EC);
- To take on record the minutes of the Credit Committees;
- To sanction proposals for Negotiated/ One-Time Settlements (OTS);
- To sanction proposals with exposure of more than ₹ 5 crore to Directors (including the Chairman/ Managing Director) of other banks and of ₹ 25 lakh and more to any firm in which any of the Directors of other banks is interested as a partner or guarantor and any company in which any of the Directors of other banks holds substantial interest or is interested as a Director or as a guarantor.
- To sanction proposals with exposure of more than ₹ 5 crore to:
    - Any relative of the Chairman/ Managing Directors or other Directors of the Bank;
    - Any relative of the Chairman/ Managing Director or other directors of other banks;
    - Any firm in which any of the relatives as mentioned above is interested as a partner or guarantor; and
    - Any company in which any of the relatives as mentioned above hold substantial interest or are interested as a Director or as a guarantor;
- To report sanctions of securitisation portfolios;
- To review and report status of security creation in respect of the EC approved cases;
- To approve proposals for conversion of dues and receivables into investment instrument(s); and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. ***Composition of the EC***

As on March 31, 2024, the EC comprised five members, of whom three members were Independent Directors, viz. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, and Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director, Shri N. Jambunathan, Independent Director and Shri Deepak Singhal, Independent Director, as members.

iii. *Quorum for the EC Meetings*

The quorum for the EC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the EC, whichever is higher.

iv. *Frequency of the EC Meetings*

The EC shall meet as per the need with at least four meetings in a year.

v. *Meetings of the EC*

During the period under review (April 1, 2023 to March 31, 2024), 25 meetings of the EC were held on April 17, 2023; April 28, 2023; May 16, 2023; May 30, 2023; June 13, 2023; June 26, 2023; July 05, 2023; July 11, 2023; July 25, 2023; August 11, 2023; August 29, 2023; September 14, 2023; September 29, 2023; October 12, 2023; October 30, 2023; November 15, 2023; November 29, 2023; December 14, 2023; December 28, 2023; January 16, 2024; January 29, 2024; February 13, 2024; March 01, 2024; March 16, 2024 and March 27, 2024.

C. STAKEHOLDERS' RELATIONSHIP COMMITTEE (SRC)

i. *Terms of Reference*

The Stakeholders' Relationship Committee (SRC) functions as per the terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013 and Regulation 20 read with Part D of Schedule II of the LODR Regulations.

The broader roles and responsibilities of the SRC are as under:

- To resolve the grievances of the shareholders, the bondholders and other security holders, including complaints relating to transmission of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividends, issue of new/ duplicate certificates, general meetings, etc.;
- To consider and review the equity servicing as well as the bonds servicing reports of the Bank in each of its meetings and give directions, wherever deemed necessary, towards achieving the mandate as given above, as follows:
    - Review the report on equity servicing;
    - Review the report on servicing of flexibonds;
    - Review the reporting of reconciliation of Share Capital Audit Report;
    - Review the reporting of details of investors complaints submitted to the stock exchanges;
    - Review the measures taken for effective exercise of voting rights by the shareholders;
    - Review the adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent;
    - Review various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/ Annual Reports/ statutory notices by the shareholders of the Bank; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. *Composition of the SRC*

As on March 31, 2024, the SRC comprised three members out of whom two were Independent Directors, viz. Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director as Chairman and Shri Jayakumar S. Pillai, DMD and Shri N. Jambunathan, Independent Director, as members.

Smt. Jyothi Biju Nair, the Company Secretary of the Bank, also acts as the Compliance Officer under the LODR Regulations.

iii. Quorum for the SRC Meetings

The quorum for the SRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the SRC, whichever is higher.

iv. Frequency of the SRC Meetings

The SRC meetings shall be held on quarterly basis.

v. Meetings of the SRC

During the period under review (April 1, 2023 to March 31, 2024), four meetings of the SRC were held on May 16, 2023; August 19, 2023; November 15, 2023 and February 13, 2024.

vi. Number of Requests/ Complaints (Equity & Bonds)

Number of shareholder/ bondholder complaints received in FY 2023-24	11,554
Number of complaints not solved to the satisfaction of shareholders/ bondholders	Nil
Number of pending complaints	Nil

D. FRAUDS MONITORING COMMITTEE (FMC)

i. Terms of Reference

The Frauds Monitoring Committee (FMC) has been constituted as a special committee for monitoring and following up on fraud cases of ₹ 1 crore and above. It has been set up to detect, monitor and address frauds.

The broader roles and responsibilities of the FMC are as under:

- To identify the systemic lacunae, if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same;
- To identify the reasons for delay in detection of fraud, if any, and in reporting to top management of the Bank and the RBI;
- To monitor progress of the Central Bureau of Investigation (CBI)/ police investigation and the recovery position;
- To ensure that staff accountability is examined at all levels in all cases of frauds and action, if required, is completed quickly without loss of time;
- To review the efficacy of remedial actions taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls;
- To review the Red Flagged Accounts and the status of remedial action taken/ investigation ordered in the outstanding Red Flagged Accounts;
- To take note of completion of staff accountability exercise in fraud cases and the action taken thereon;
- To review the status of recovery in fraud cases including recovery from cases being investigated by CBI, police, etc.;
- To monitor the progress of the mitigating steps taken by the Bank in case of electronic frauds and the efficacy of the same in containing fraud numbers and values; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. *Composition of the FMC*

As on March 31, 2024, the FMC comprised five members, out of whom three members were Independent Directors, viz. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman and Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director, Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director and Shri Ajay Prakash Sawhney, Independent Director, as members.

iii. *Quorum for the FMC Meetings*

The quorum for the FMC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the FMC, whichever is higher.

iv. *Frequency of the FMC Meetings*

The FMC is required to meet and review as and when a fraud involving an amount of ₹ 1 crore and above comes to light.

v. *Meetings of the FMC*

During the period under review (April 1, 2023 to March 31, 2024), 12 meetings of the FMC were held on April 28, 2023; May 30, 2023; June 22, 2023; July 24, 2023; August 18, 2023; September 29, 2023; October 21, 2023; November 29, 2023; December 27, 2023; January 20, 2024; February 27, 2024 and March 27, 2024.

E. RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)

i. *Terms of Reference*

The Risk Management Committee (RMC) has been constituted to assess various risks associated with the Bank's business, their mitigation, address the issues relating to asset liability mismatch and also monitor & review the Risk Management Plan.

The broader roles and responsibilities of the RMC are as under:

- To evaluate the overall risks faced by the Bank, including liquidity risk and the potential interaction of liquidity risk with other risks;
- To report projections of the cash flows and measure liquidity risk, assumptions used;
- To recommend policies, viz. Credit Policy, Recovery Policy, Risk Management Policy, Asset Liability Policy, Operational Risk and Business Continuity Management (OR & BCM) Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Market Risk & Derivative Policy, Country Risk Management Policy & Country Risk Limits, Investment Policy, Disclosure Policy, Reputation Risk Assessment & Management Policy, Group Risk and Management Policy, etc. to the Board;
- To review the progress report on Operational Risk & Business Continuity Management;
- To review the market risk report of the trading portfolio;
- To review the results of stress test;
- To review the activities undertaken in the Risk Management Department, Model Validation - Migration and default analysis of Internal Ratings;
- To review asset liability management;
- To report minutes of Systems Product Approval & Review Committee (SPARC) I & II;
- To review policy on counterparty bank limits and allocation of limits for domestic & international banks;
- To review compliance of norms on credit exposure;
- To work in co-ordination with the Nomination & Remuneration Committee in order to achieve effective alignment between remuneration and risks;

- To formulate a detailed risk management policy which shall include:
  - A framework for identification of internal and external risks specifically faced by the listed entity, in particular including financial, operational, sectoral, sustainability (particularly, ESG-related risks), information, cyber security risks or any other risk as may be determined by the Committee.
  - Measures for risk mitigation including systems and processes for internal control of identified risks; and
  - Business Continuity Plan.
- To ensure that appropriate methodology, processes and systems are in place to monitor and evaluate risks associated with the business of the Bank;
- To monitor and oversee implementation of the Risk Management Policy, including evaluating the adequacy of risk management systems;
- To periodically review the Risk Management Policy, at least once in two years, including by considering the changing industry dynamics and evolving complexity;
- To review the appointment, removal and terms of remuneration, if any, of the Chief Risk Officer;
- To conduct peer bank review;
- To conduct Mid-Term Review of ICAAP;
- To review Quarterly Report of the counterparty Bank Exposure Limits and Country Risk Exposure Limits;
- To analyse divergence between internal and external ratings;
- To review the risk management plan with respect to cyber security and monitor the implementation of the measures to mitigate any risk arising therefrom;
- To review minutes of the Operational Risk Management Committee and the Credit Risk Management Committee; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the RMC

As on March 31, 2024, the RMC comprised six members, of whom four members were Independent Directors, viz. Smt. P. V. Bharathi, Independent Director as Chairperson, and Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Samaresh Parida, Independent Director, Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director and Shri T. N. Manoharan, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the RMC Meetings

At least half of the members attending the RMC meeting shall be Independent Directors, of which at least one member shall have professional expertise/ qualification in risk management. The RMC shall be chaired by an Independent Director who shall not chair the Board or any other Committee.

iv. Frequency of the RMC Meetings

The RMC meetings shall be held on quarterly basis.

v. ***Meetings of the RMC***

During the period under review (April 1, 2023 to March 31, 2024), five meetings of the RMC were held on June 13, 2023; August 29, 2023; December 18, 2023; March 14, 2024 and March 15, 2024.

F. CSR & ESG COMMITTEE

i. ***Terms of Reference***

- To formulate and recommend Corporate Social Responsibility (CSR) Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the Bank in areas or subject, specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013 to the Board;
- To recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in above clause;
- To monitor the CSR Policy of the Bank from time-to-time;
- To oversee all activities of the Bank relating to ESG and review the ESG Policy; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. ***Composition of the CSR & ESG Committee***

As on March 31, 2024, the CSR & ESG Committee comprised four members of whom two were Independent Directors, viz. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman and Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Samaresh Parida, Independent Director and Smt. P. V. Bharathi, Independent Director, as members.

iii. ***Quorum for the CSR & ESG Committee Meetings***

The quorum for the CSR & ESG Committee meetings shall be one-third of the total strength or two members, whichever is higher.

iv. ***Frequency of the CSR & ESG Committee Meetings***

The CSR & ESG Committee meetings shall be held on half-yearly basis.

v. ***Meetings of the CSR & ESG Committee***

During the period under review (April 1, 2023 to March 31, 2024), three meetings of the CSR & ESG Committee were held on April 28, 2023; August 18, 2023 and February 27, 2024.

G. CUSTOMER SERVICE COMMITTEE (CSC)

i. ***Terms of Reference***

The Customer Service Committee (CSC) has been constituted to formulate policies and assess the compliance thereof internally with a view to strengthening the governance structure for customer protection and service in the Bank and also to bring about on-going improvements in the quality of customer service provided by the Bank.

The broader roles and responsibilities of the CSC are as under:

- To look into the customer grievances and effectively service customers in the retail banking segment;
- To formulate a Comprehensive Deposit Policy;
- To address issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his/ her account;
- To examine conduct of annual survey of depositor satisfaction;
- To conduct triennial audit of customer services;
- To play a more proactive role with regard to the complaints/ grievances resolved by the Internal Ombudsman of various states in India;

- To take note of all the awards given by the Internal Ombudsman;
- To review all the awards remaining unimplemented for more than three months with the reasons thereof;
- To review the measures taken for customer protection & service in the Bank;
- To revise the Grievance Redressal Policy;
- To examine any other issues having a bearing on the quality of customer service rendered;
- To review the activities of Internal Ombudsman; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the CSC

As on March 31, 2024, the CSC comprised five members of whom two were Independent Directors, viz. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman and Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Raj Kumar, LIC Nominee Director, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director and Shri Ajay Prakash Sawhney, Independent Director, as members. Shri Pramod Kumar, Internal Ombudsman, is a permanent invitee.

iii. Quorum for the CSC Meetings

The quorum for the CSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the CSC, whichever is higher.

iv. Frequency of the CSC Meetings

The CSC meetings shall be held on quarterly basis.

v. Meetings of the CSC

During the period under review (April 1, 2023 to March 31, 2024), four meetings of CSC were held on May 31, 2023; August 18, 2023; November 29, 2023 and February 28, 2024.

H. INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE (ITSC)

i. Terms of Reference

The Information Technology Strategy Committee (ITSC) has been constituted to put in place an effective technology platform in the Bank. The objectives are to render various IT-enabled services to customers, to help in streamlining the approach, to assist in launching new IT products & to provide related services and to monitor the implementation of Cyber Security Management Plans & Cyber Security Policies. The roles and responsibilities of the Committee are in line with the RBI guidelines on information security, electronic banking, technology risk management and cyber frauds and include the following:

- To review IT strategy and policy documents;
- To ensure that Bank has put an effective IT strategic planning process in place;
- To guide in preparation of IT Strategy and ensure that the IT Strategy aligns with the overall strategy of the Bank towards accomplishment of its business objectives;
- To satisfy itself that the IT Governance and Information Security Governance structure fosters accountability, is effective and efficient, has adequate skilled resources, well-defined objectives and unambiguous responsibilities for each level in the organisation;
- To ensure that the Bank has put in place processes for assessing and managing IT and cyber security risks;
- To ensure that the budgetary allocations for the IT function (including for IT security), cyber security are commensurate with the Bank's IT maturity, digital depth, threat environment and industry standards and are utilised in a manner intended for meeting the stated objectives; and

- To review, at least on annual basis, the adequacy and effectiveness of the Business Continuity Planning and Disaster Recovery Management of the Bank.

The broader roles and responsibilities of the ITSC are as under:

- To recommend proposed IT budget to the Board;
- To review IT budget utilisation;
- To review the launch of various products and IT-enabled services for the Bank's customers;
- To review development, procurement and operations of various software/ hardware either in-house or purchased from outside and to formulate procedures for inviting tenders or other process for selection of technology;
- To oversee the execution, implementation and operations of systems and procedures;
- To oversee integration of branches through technology and development of MIS for the Bank;
- To review update of technology architecture and major IT initiatives undertaken;
- To review information/ cyber security incidents;
- To review Information Security Policy;
- To review IT Policy;
- To assess cyber security preparedness;
- To monitor the implementation of Cyber Security Management Plans;
- To monitor Cyber Security Policies; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the ITSC

As on March 31, 2024, the ITSC comprised six members, of whom two members were Independent Directors, viz. Shri N. Jambunathan, Independent Director as Chairman and Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Manoj Sahay, Government Nominee Director, Shri Raj Kumar, LIC Nominee Director and Shri Ajay Prakash Sawhney, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the ITSC Meetings

The quorum for the ITSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the ITSC, whichever is higher.

iv. Frequency of the ITSC Meetings

The ITSC meetings shall be held on quarterly basis.

v. Meetings of the ITSC

During the period under review (April 1, 2023 to March 31, 2024), four meetings of the ITSC were held on June 13, 2023; September 14, 2023; December 14, 2023 and March 14, 2024.

I. NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE (NRC)

i. Terms of Reference

The broader roles and responsibilities of the Nomination & Remuneration Committee (NRC) are as under:

- To formulate the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a Director and recommend to the Board of Directors a policy relating to the remuneration of the Directors, Key Managerial Personnel and other employees;

- To specify the manner for effective evaluation of performance of the Board, its Committees and individual Directors to be carried out either by the Board by the NRC or by an independent external agency and review its implementation and compliance;
- To evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the Board for every appointment of an Independent Director and on the basis of such evaluation, prepare a description of the role and capabilities required of an Independent Director. The person recommended to the Board for appointment as an Independent Director shall have the capabilities identified in such description. For the purpose of identifying suitable candidates, the NRC may:
    - Use the services of an external agencies, if required;
    - Consider candidates from a wide range of backgrounds, having due regard to diversity; and
    - Consider the time commitments of the candidates.
- To formulate criteria for evaluation of performance of Independent Directors and the Board of Directors;
- To devise a policy on diversity of the Board of Directors;
- To identify persons who are qualified to become directors and who may be appointed in the senior management in accordance with the criteria laid down and recommend to the Board of Directors their appointment and removal;
- To undertake a process of due diligence to determine the suitability of any person for appointment/ continuing to hold appointment as a Director on the Board, based upon qualification, expertise, track record, integrity, 'fit and proper' criteria, positive attributes and independence (if applicable) and on the basis of the report of performance evaluation of directors, including Independent Directors and formulate the criteria relating thereto;
- To formulate Remuneration/ Compensation Policy for the Directors, the KMPs, etc.;
- To recommend to the Board, all remuneration, in whatever form, payable to the senior management;
- To work in co-ordination with the Risk Management Committee in order to achieve effective alignment between remuneration and risks; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the NRC

As on March 31, 2024, the NRC comprised seven members, all of whom are Non-Executive Directors including five Independent Directors, viz. Shri Deepak Singhal, Independent Director as Chairman, and Shri Sushil Kumar Singh, Government Nominee Director, Shri Mukesh Kumar Gupta, LIC Nominee Director, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director, Shri N. Jambunathan, Independent Director; Shri T. N. Manoharan, Independent Director and Smt. P.V. Bharathi, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the NRC Meetings

The quorum for the NRC meetings shall be three members, of which at least half the members attending the NRC meetings shall be Independent Directors and one shall be a member of the RMC. The Chairman of the NRC shall be an Independent Director who shall not chair the Board.

iv. Frequency of the NRC Meetings

The NRC shall meet at least once in a year.

v. Meetings of the NRC

During the period under review (April 1, 2023 to March 31, 2024), six meetings of NRC were held on April 28, 2023; May 30, 2023; August 18, 2023; November 30, 2023; December 26, 2023 and February 28, 2024.

vi. Performance Evaluation Criteria for Independent Directors

The performance evaluation of all the Directors, including Independent Directors, is done on the basis of the questionnaires prepared as approved by the NRC, which covers the Corporate Governance parameters such as Board attendance, participation during the meeting, the level of Directors' contribution, the quality of knowledge and familiarity with the subject, the level of transparency, etc. The questionnaire is circulated in advance to the Directors to consider and form their opinion about the evaluations. The performance evaluation of Independent Directors is being done by the entire Board of Directors, excluding the Director being evaluated. The evaluation includes performance of the Directors on above parameters and fulfillment of the independence criteria. Further, on the basis of results of evaluation, extension of the term of an Independent Director is considered.

J. HR STEERING COMMITTEE (HRSC)

i. Terms of Reference

The HR Steering Committee (HRSC) has been constituted to deal with the matters relating to human resources and to discuss critical issues in HR.

The broader roles and responsibilities of the HRSC are as under:

- To make policies pertaining to recruitment and training;
- To review the performance management, compensation and career development initiatives;
- To consider management planning, development and succession planning;
- To align the HR strategy to the business strategy and plan;
- To consider and approve various other HR matters, including appointment of personnel, manpower assessment, promotions etc.; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the HRSC

As on March 31, 2024, the HRSC comprised six members, out of whom two members were Independent Directors, viz. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman and Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Sushil Kumar Singh, Government Nominee Director, Shri Mukesh Kumar Gupta, LIC Nominee Director, Shri Deepak Singhal, Independent Director and Shri T. N. Manoharan, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the HRSC Meetings

The quorum for the HRSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the HRSC, whichever is higher.

iv. Frequency of the HRSC Meetings

The HRSC shall meet as per the need.

v. Meetings of the HRSC

During the period under review (April 1, 2023 to March 31, 2024), five meetings of the HRSC were held on May 31, 2023; August 11, 2023; September 30, 2023; December 27, 2023 and March 27, 2024.

K. RECOVERY REVIEW COMMITTEE (RRC)

i. Terms of Reference

According to the Government of India directives/ the Board's recommendation, the Recovery Review Committee (RRC) has been constituted for reviewing recovery from Non-Performing Assets (NPAs), Stressed Accounts, Written-off cases, Official Liquidator (OL) cases, Debt Recovery Tribunal (DRT) cases, etc. and to monitor the progress of recovery and so on.

The broader roles and responsibilities of the RRC are as under:

- To review First Time NPAs (FTNPAs) and NPAs;
- To review top 100 NPAs & Technically Written-off (TWO) accounts;
- To review Suit Filed Cases;
- To review action under SARFAESI Act-Status Report;
- To review cases referred under Insolvency & Bankruptcy Code (IBC), 2016;
- To review amount lying with Official Liquidator (OL);
- To review Special Mention Accounts (SMA);
- To review progress of Wilful Defaulters & Non-Cooperative Borrowers;
- To report compromise settlements; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the RRC

As on March 31, 2024, the RRC comprised five members, out of whom two members were Independent Directors, viz. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman and Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, Shri Raj Kumar, LIC Nominee Director, Shri Samaresh Parida, Independent Director and Smt. P. V. Bharathi, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the RRC Meetings

The quorum for the RRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of the RRC, whichever is higher.

iv. Frequency of the RRC Meetings

The RRC shall meet as per the need with at least four meetings in a year.

v. Meetings of the RRC

During the period under review (April 1, 2023 to March 31, 2024), four meetings of the RRC were held on June 22, 2023; September 30, 2023; December 27, 2023 and March 28, 2024.

L. NON-COOPERATIVE BORROWERS' REVIEW COMMITTEE (NCBRC)

i. Terms of Reference

The broader roles and responsibilities of the Non-Cooperative Borrowers' Review Committee (NCBRC) are:

- To review the internal Non-Cooperative Borrowers' Committee's orders/ decisions of classifying a borrower as non-cooperative borrower; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the NCBRC

The NCBRC was constituted comprising MD & CEO and two Independent Directors. As on March 31, 2024, the NCBRC comprised Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, and Shri Deepak Singhal, Independent Director and Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director, as members.

iii. Quorum for the NCBRC Meetings

The presence of all members shall form the quorum for the NCBRC Meetings.

iv. ***Frequency of the NCBRC Meetings***

The NCBRC is required to meet and review on a half-yearly basis the status of non-cooperative borrowers.

v. ***Meetings of the NCBRC***

During the period under review (April 1, 2023 to March 31, 2024), two meetings of the NCBRC were held on August 19, 2023 and February 13, 2024.

M. WILFUL DEFAULTERS REVIEW COMMITTEE (WDRC)

i. ***Terms of Reference***

The broader roles and responsibilities of the Wilful Defaulters Review Committee (WDRC) are:

- To review the internal Wilful Defaulters Committee's orders/ decisions of classifying a borrower as wilful defaulter; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. ***Composition of the WDRC***

The WDRC was constituted consisting of MD & CEO and two Independent Directors. As on March 31, 2024, the WDRC comprised Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman and Shri Samaresh Parida and Smt. P.V. Bharathi, Independent Directors, as members.

iii. ***Quorum for the WDRC Meetings***

The presence of all members shall form the quorum for the WDRC meetings.

iv. ***Frequency of the WDRC Meetings***

The WDRC is required to meet and review as and when the decision to classify a borrower as 'Wilful Defaulter' is taken by internal Wilful Defaulters Committee of the Bank.

v. ***Meetings of the WDRC***

During the period under review (April 1, 2023 to March 31, 2024), five meetings of the WDRC were held on May 31, 2023; August 11, 2023; October 12, 2023; December 18, 2023 and March 15, 2024.

Details of attendance of Directors for the Committee Meetings of the Bank for the FY 2023-24 are given at Table 2.

INDEPENDENT DIRECTORS' MEETING (IDM)

i. ***Terms of Reference***

The Independent Directors' shall comply with the provisions of Companies Act, 2013 read with Schedule IV of the Companies Act, 2013, Regulation 25 of the LODR Regulations and Secretarial Standards-1 on Meetings of the Board of Directors issued by the Institute of Company Secretaries of India.

The broader roles and responsibilities of the Independent Directors' Meeting are:

- To review the performance of Non-Independent Directors and the Board as a whole;
- To review the performance of the Chairperson of the Bank, taking into account the views of Executive Directors and Non-Executive Directors;
- To assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Bank's management and the Board which is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under the regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of the IDM

As on March 31, 2024, there were eight Independent Directors on the Board of the Bank, viz. Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal, Shri Sanjay G. Kallapur, Smt. P. V. Bharathi, Shri T. N. Manoharan and Shri Ajay Prakash Sawhney. The Independent Directors elect one of themselves as the Chairperson at every meeting.

iii. Quorum for the IDM

As per Schedule IV of the Companies Act, 2013, all Independent Directors shall strive to be present at the Independent Directors' meetings.

iv. Frequency of the IDM

Independent Directors' meetings should be held at least once in a financial year.

v. Meetings of Independent Directors

During the period under review (April 1, 2023 to March 31, 2024), four meetings of Independent Directors were held on May 25, 2023; September 30, 2023; November 30, 2023 and March 28, 2024.

Table 2: Attendance of Directors at Committee Meetings for the FY 2023-24

SN	Names of Directors	ACB		EC		SRC		FMC		RMC		CSR & ESG		CSC		ITSC		NRC		HRSC		RRC		NCBRC		WDRC	
		H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A	H	A
1.	Shri T.N. Manoharan (DIN:01186248)	0	0	0	0	0	0	5	4	5	5	0	0	0	0	0	0	6	5	5	5	0	0	0	0	0	0
2.	Shri Rakesh Sharma (DIN:06846594)	0	0	25	25	0	0	12	12	5	5	3	3	4	4	4	4	0	0	5	5	4	4	2	2	5	5
3.	Shri Suresh Khatanhar (DIN:03022106) (upto 14-01-24)	0	0	19	18	3	3	9	9	3	3	2	2	3	3	3	3	0	0	4	3	3	3	0	0	0	0
4.	Shri Jayakumar S. Pillai (DIN:10041362) (w.e.f. 12-06-23)	0	0	21	21	3	3	10	10	5	5	2	2	3	3	4	4	0	0	4	4	4	4	0	0	0	0
5.	Shri Mukesh Kumar Gupta (DIN:06638754)	14	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	5	5	0	0	0	0	0	0
6.	Shri Raj Kumar (DIN:06627311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
7.	Shri Manoj Sahay (DIN:08711612)	14	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Shri Sushil Kumar Singh (DIN:09584577)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	1	5	2	0	0	0	0	0	0
9.	Shri Gyan Prakash Joshi (DIN:00603925) (upto 27-08-23)	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	2	2	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Shri Bhuwanchandra B. Joshi (DIN:06713850)	0	0	25	25	0	0	12	12	0	0	0	0	4	4	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Shri Samaresh Parida (DIN:01853823)	14	14	0	0	0	0	0	0	5	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	5	5
12.	Shri N. Jambunathan (DIN:05126421)	0	0	25	25	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Shri Deepak Singhal (DIN:08375146)	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	5	5	0	0	2	2	0	0
14.	Shri Sanjay G. Kallapur (DIN:08377808)	14	14	0	0	4	4	12	11	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
15.	Smt. P. V. Bharathi (DIN:06519925)	14	13	0	0	0	0	0	0	5	5	3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	4	3	0	0	5	5
16.	Shri Ajay Prakash Sawhney (DIN: 03359323) (w.e.f. 28-08-23)	9	9	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(H= Held/A=Attended)

MATRIX SETTING OUT SKILLS/ EXPERTISE/ COMPETENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AS ON MARCH 31, 2024 AND NAMES OF THE DIRECTORS WHO POSSESS SUCH SKILL ARE MENTIONED IN THE TABLE BELOW:

	Accountancy	Agriculture and Rural Economy	Banking	Co-operation	Economics	Finance	Law	Small-scale industry	HR	Risk	IT	Payment and Settlement	Business Management	Administration	Corporate governance
Shri T.N. Manoharan	√		√		√	√	√	√	√	√			√	√	√
Shri Rakesh Sharma	√	√	√		√			√	√	√			√	√	√
Shri Jayakumar S. Pillai	√	√	√		√	√		√	√	√			√	√	√
Shri Mukesh Kumar Gupta			√			√			√	√	√		√	√	√
Shri Raj Kumar									√				√	√	√
Shri Manoj Sahay	√					√								√	√
Shri Sushil Kumar Singh	√					√			√					√	√
Shri Bhuwanchandra B. Joshi		√	√					√						√	√
Shri Samaresh Parida	√	√				√					√		√	√	√
Shri N. Jambunathan		√	√					√			√	√		√	√
Shri Deepak Singhal		√	√						√				√	√	√
Shri Sanjay G. Kallapur	√				√	√				√				√	√
Smt. P. V. Bharathi		√	√		√			√		√				√	√
Shri Ajay Prakash Sawhney									√		√	√		√	√

ANNUAL RETURN

Pursuant to Section 134(3)(a) and Section 92(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Annual Return of the Bank is disclosed on its website at https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx

STATEMENT ON DECLARATION GIVEN BY INDEPENDENT DIRECTORS

In terms of Section 149(7) of the Companies Act, 2013, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal, Shri Sanjay G. Kallapur, Smt. P. V. Bharathi, Shri T. N. Manoharan and Shri Ajay Prakash Sawhney, Independent Directors of the Bank have given declaration on April 01, 2024, that they meet the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013, Regulations 16(1)(b) & 17(10) of the LODR Regulations and RBI guidelines and that they are not aware of any circumstance or situation, which exist or may be reasonably anticipated that could impair or impact their ability to discharge their duties with an objective independent judgment and without any external influence. The Directors, along with the annual disclosures, also provided a confirmation stating that they have complied with the provisions of Sub-rule 1 and 2 of Rule 6 of the Companies (Appointment & Qualification of Directors) Fifth Amendment Rules, 2019 regarding registration & renewal in the Independent Directors Databank and passed/ exempted from the online proficiency test thereof. The same was noted by the Board of Directors on May 04, 2024 and after undertaking due assessment of the veracity of the same, the Board was of the opinion that the Independent Directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the Management. Further, in the opinion of the Board, the Independent Directors possess the requisite integrity, experience, expertise and proficiency required under all applicable laws and the policies of the Bank.

COMPANY'S POLICY ON DIRECTORS' APPOINTMENT AND REMUNERATION

The Bank's Policy on Directors' Appointment & Evaluation as well as the Compensation Policy of the Bank is available on its website (www.idbibank.in) under the link https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx

COMPANY'S DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

The Bank's Policy on Dividend Distribution is available on its website (www.idbibank.in) under the link https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx

COMPLIANCE WITH SECRETARIAL STANDARDS

The Bank has adopted the Secretarial Standards namely SS-1 (Secretarial Standard on Board Meetings) and SS-2 (Secretarial Standards on General Meetings) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and notified under the Companies Act, 2013. The Bank has conducted its Board, Committee and General Meetings in accordance with these standards and is in compliance with the same.

INTERNAL AUDITOR

The Bank has an in-house Internal Audit Department which carries out the Internal Audit functions. Shri Badri Srinivasa Rao, Executive Director, IDBI Bank Ltd., was designated as Head of Internal Audit in terms of Section 138 of the Companies Act, 2013. In line with the RBI's guidelines on Risk Based Internal Audit (RBIA), the Bank has also adopted a robust Internal Audit Policy.

DISCLOSURE ON CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS INITIATED UNDER THE INSOLVENCY & BANKRUPTCY CODE, 2016 (IBC)

These provisions are not applicable for banking companies.

BOARD'S COMMENTS ON EVERY QUALIFICATION, RESERVATION OR ADVERSE REMARK OR DISCLAIMER MADE BY THE AUDITORS OR SECRETARIAL AUDITORS IN THEIR REPORT

There are no qualifications, reservation or adverse remarks or disclaimers either in the Statutory Auditors' Report or in the Secretarial Auditors' Report which require the Board's comments thereon in terms of Section 134(3)(f) of the Companies Act, 2013.

Further, pursuant to Section 143(12) of the Companies Act, 2013, the Statutory Auditors of the Bank have not reported any instances of frauds other than those which are reportable to the Central Government.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

The provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013, except sub-section (1), do not apply to a loan made, guarantee given or security provided by a banking company in the ordinary course of business. The particulars of investments made by the Bank are disclosed in Schedule 8 of the financial statements as per the applicable provisions of the Banking Regulation Act, 1949.

PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES IN THE PRESCRIBED FORM

In terms of Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the particulars of contracts or arrangements, if any, with Related Parties are given in the prescribed Form AOC-2 which is annexed to the report as **Annexure-A**.

REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY

The CSR Policy framework of the Bank is available on its website (www.idbibank.in) under the link https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.aspx The Annual Report on the CSR activities undertaken by the Bank is annexed to the Report as **Annexure-B**.

RISK MANAGEMENT POLICY

The Bank follows a detailed and comprehensive risk management system which is constantly updated based on the RBI's regulatory guidelines issued in this regard from time-to-time. A dedicated Risk Management Committee of the Board regularly reviews comprehensively the risk matters and risk-related aspects of the Bank. The Board of Directors of the Bank also periodically reviews the risk assessment and minimisation procedures followed in the Bank as well as the capital requirements of the Bank.

STATEMENT INDICATING THE MANNER OF FORMAL ANNUAL EVALUATION OF BOARD, ITS COMMITTEES AND INDIVIDUAL DIRECTORS

In terms of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(4) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the details on the captioned matter are furnished herein below:

(i) Independent Directors' at their meeting held on March 28, 2024 evaluated the performance of all Non-Independent Directors, the Chairman of the Board as well as the performance of the Board as a whole.

(ii) The Board, at its meeting held on March 28, 2024, evaluated the performance of all the Directors on the Board including the Independent Directors, its own performance as well as the performance of Committees of the Board. The evaluation of all the Individual Directors was done by the entire Board, which apart from Corporate Governance parameters, also included evaluation of Independent Directors on (a) review of their performance in meetings and (b) fulfillment of the independence criteria as specified in the Companies Act, 2013 and LODR Regulations and their independence from the Management. The Director concerned being evaluated by the Board did not participate in the meeting during the process of his/ her own evaluation.

For the purpose of the annual evaluation by Independent Directors and the Board, blank evaluation sheets in respect of individual Directors, Board Committees and the Board were circulated in advance to individual Directors through e-mails to enable the Directors to form their opinion in advance and help finalise the evaluation process at the respective meetings. The Chairman of Independent Directors' meeting and Chairman of the Board authorised by the Board, signed the evaluation sheets on behalf of Independent Directors' and the Board respectively after finalisation of the evaluation. The MD & CEO was authorised to sign the evaluation sheet of Chairman of the Board.

CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS, IF ANY

During the period under review, the Bank continued to carry on the business of banking and there was no change in the nature of its business.

CHANGE IN DIRECTORS/ KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Name of Director	Designation	Nature of Change	Date
Smt. Smita Harish Kuber	Chief Financial Officer	Appointment	01-04-2023
Shri Samuel Joseph Jebaraj	Dy. Managing Director	Cessation	05-04-2023
Shri Jayakumar S. Pillai	Dy. Managing Director	Appointment	12-06-2023
Shri Gyan Prakash Joshi	Independent Director	Cessation	27-08-2023
Shri Ajay Prakash Sawhney	Additional Director	Appointment	28-08-2023
Shri Ajay Prakash Sawhney	Independent Director	Change in Designation	19-11-2023
Shri Suresh Khatanhar	Dy. Managing Director	Cessation	14-01-2024

PARTICULARS OF SENIOR MANAGEMENT PERSONNEL

Senior Management shall comprise personnel one level below the Chief Executive Officer or Managing Director or Whole Time Director and shall specifically include the functional heads and the Company Secretary and the Chief Financial Officer. Senior Management Personnel of the Bank as on March 31, 2024 are:

1	Shri Shailendra Govind Nadkarni	Executive Director – Large Corporate Group (LCG), International Banking Unit (IBU) - Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) & Support Services - Corporate Banking
2	Shri Nagaraj Garla	Executive Director – Priority Sector Group (PSG) (Agriculture & MSE), Financial Inclusion, Credit Processing Centre
3	Smt. Baljinder Kaur Mandal	Executive Director - Centralised Operations, Cash Management Services (CMS) & Government Business Group (GBG) Operations, Currency Chest, Branch Operations Support & Policy Department (BOSPD), Corporate Strategy & Planning Department (CSPD)
4	Shri Shalil Mukund Awale	Executive Director & Chief Compliance Officer
5	Shri Sunit Sarkar	Executive Director – Credit Monitoring Group (CMG (Retail, PSG & Corporate)), Retail Recovery & Collections
6	Shri Murali Sourirajan	Executive Director - Legal & NPA Management Group
7	Shri Iswar Padhan	Executive Director – Mid Corporate Group (MCG), Trade Finance, CMS & GBG (Sales)
8	Shri Trilok Sharma	Executive Director - Retail Liabilities, Third Party Distribution (TPD), Digital Banking Department (DBD) & Branch Banking
9	Shri Arun Kumar Bansal	Executive Director & Head - Treasury Front Office
10	Dr. Kumar Neel Lohit	Executive Director - Retail Assets
11	Shri Badri Srinivasa Rao	Executive Director - Audit & Internal Auditor
12	Shri Anirudha Behera	Executive Director & Chief Risk Officer
13	Shri Ugen Tashi	Executive Director – Human Resource (HR), Learning & Employee Engagement Department (L & ED), Administration & Infrastructure Management Department (IMD)
14	Shri Ajay Ramesh Lande	Executive Director & Head – Information Technology (IT)
15	Smt. Smita Harish Kuber	Executive Director & Chief Financial Officer
16	Smt. Jyothi Biju Nair	Company Secretary

CHANGE IN SENIOR MANAGEMENT PERSONNELS

Name	Designation	Nature of Change	Date
Shri Badri Srinivas Rao	Executive Director - Audit & Internal Auditor	Appointment	08-05-2023
Shri Jorty Chacko	Executive Director	Cessation	31-07-2023
Shri Sanjay Deshpande	Executive Director	Cessation	31-07-2023
Dr. Sourav Kumar Dutta	Executive Director - IT	Resignation	31-07-2023
Shri Ajay Ramesh Lande	Executive Director & Head - IT	Appointment	18-03-2024
Shri Sanjay Panicker	Executive Director – CSPD, Administration and FIMD	Appointment	06-05-2024

REMUNERATION OF DIRECTORS

IDBI Bank, being a Private Sector Bank with effect from January 21, 2019, the remuneration and perquisites of the MD & CEO and DMD is approved by the RBI as per Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949. The details of remuneration as approved by the RBI and paid to MD & CEO and DMDs are given in the table below. There have been no pecuniary relationships/ transactions of Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the period under review.

Elements of Remuneration of MD & CEO and DMDs for FY 2023-24 (Annual)

Particulars	Shri Rakesh Sharma (MD & CEO)	Shri Suresh Khatanhar^ (DMD)	Shri Jayakumar S. Pillai (DMD)
			[Amount in ₹]
Salary	1,17,00,000	68,75,000	65,25,000
Provident Fund	11,70,000	6,87,500	6,52,500
Gratuity	4,87,500	2,86,458	2,71,875
Leave Fare Concession / Allowance	2,85,554	2,17,343	1,65,608
Entertainment Expenses	2,75,000	1,50,000	1,25,000
Perquisites*	25,40,065	13,10,065	13,10,065

^- *Shri Suresh Khatanhar ceased to be DMD of IDBI Bank Limited with effect from January 14, 2024 on completion of his term as approved by the RBI.*

*- *Perquisites includes provision of free furnished house & its maintenance, car, medical expenses and any other perquisites;*

- *The Variable Pay of the WTDs for FY 2023-24 will be proposed and approved on the basis of their performance assessment for the period.*

- *No ESOPs were granted in the FY 2023-24.*

Tenure	**Shri Rakesh Sharma** – Shri Rakesh Sharma was appointed as MD & CEO of the Bank for a period of three years with effect from March 19, 2019 as per the RBI approval dated March 7, 2019. On the conclusion of the term, Shri Rakesh Sharma was subsequently reappointed as MD & CEO for a period of three years with effect from March 19, 2022 as per RBI approval dated February 15, 2022. The shareholder's approval was obtained by postal ballot on May 05, 2022. **Shri Jayakumar S. Pillai** - Shri Jayakumar S. Pillai was appointed as DMD by the Board on May 22, 2023 for a period of three years with effect from the date of taking over the charge of the post as per RBI letter dated May 19, 2023. Shri Jayakumar S. Pillai took charge on June 12, 2023. The shareholder's approval was obtained at 19th AGM held on July 13, 2023.

Criteria for making payments to Non-Executive Directors:

All the Non-Executive Directors, except the Government Nominee Directors, are only paid sitting fees. The rate of sitting fees for Board was ₹ 80,000/- per meeting and ₹ 50,000/- per meeting for all Board Committee meetings upto December 31, 2023. The sitting fees with effect from January 01, 2024 has been revised to ₹ 1,00,000/- per Board meeting and ₹ 60,000/- per meeting for all Board Committee meetings. Apart from the remuneration to MD & CEO and DMDs and the sitting fees to the Non-Executive Directors, no other remuneration was paid to the Directors, except the expenditure upon their travel, stay and transport incurred by the Bank.

Aggregate amount of sitting fees paid to Non-Executive Directors including Independent Directors for FY 2023-24 is as detailed below:

Name of the Non-Executive Director	Sitting fees paid for FY 2023-24 (₹)
Shri T. N. Manoharan, Independent Director & part-time Chairman	22,50,000
Shri Mukesh Kumar Gupta, LIC Nominee Director	21,20,000
Shri Raj Kumar, LIC Nominee Director	16,80,000
Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director (upto 27-08-2023)	12,50,000
Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Director	37,70,000
Shri Samaresh Parida, Independent Director	29,60,000
Shri N. Jambunathan, Independent Director	33,50,000
Shri Deepak Singhal, Independent Director	33,00,000
Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director	32,30,000
Smt. P. V. Bharathi, Independent Director	27,90,000
Shri Ajay Prakash Sawhney, Independent Director (w.e.f. 28-08-2023)	20,10,000

DISCLOSURE UNDER RULE 5 OF THE COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014

The appointment and remuneration of the MD & CEO and the DMDs is approved by the RBI under Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949 after the same is recommended by the Nomination & Remuneration Committee and the Board. Other Directors on the Board do not get any remuneration except the sitting fees for attending meetings as mentioned in the paragraph on criteria for making payments to Non-Executive Directors. The other employees of the Bank, including the Key Managerial Personnel (KMPs), i.e. Chief Financial Officer and the Company Secretary, get remuneration as applicable to the officials in the similar grades of the Bank. Periodical revision in the pay scales of employees, including the KMPs, does have relationship with many factors, including the Bank's performance.

As per the RBI Circular dated November 4, 2019, variable pay shall be applicable to Whole-time Directors (WTDs), Material Risk Takers and Control Function staff of the Bank. The remuneration payable to WTDs is as mentioned in the paragraph Elements of Remuneration of MD & CEO and DMDs for FY 2023-24. A Compensation Policy covering all aspects of compensation, viz. Fixed Pay & Perquisites, Variable Pay (Cash & Shares linked), Superannuation/ Retirement Benefits (Provident Fund, Pension/ National Pension Scheme (NPS) & Gratuity) etc. has been formulated taking into account the RBI Guidelines for Material Risk Takers, Control Function Staff and other employees of the Bank. The RBI guidelines mandate deferral of Variable Pay, which has been incorporated in the Compensation Policy of the Bank. Variable pay for FY 2022-23 was paid to all eligible employees after the completion of performance appraisal for FY 2022-23 as per the Compensation Policy.

The details in terms of Section 197(12) of the Companies Act, 2013, read with Rule 5(1) of the Companies (Appointment & Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, are given below:

The number of regular employees on the rolls of the Bank;	*19,013 (out of which 1,966 employees were on contract basis)*
The ratio of the remuneration of each Director to the median remuneration of the employees of the Bank.	(see table below)

Name of the Executive Director	Ratio of remuneration to the median of all employees
Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	12.14
Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD*	2.95
Shri Suresh Khatanhar, DMD*	7.26
Shri Jayakumar S. Pillai, DMD*	3.61

**Shri Samuel Joseph Jebaraj & Shri Suresh Khatanhar ceased to be DMD with effect from April 5, 2023 and January 14, 2024, respectively. Further, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, was appointed with effect from June 12, 2023.*

The percentage increase in remuneration of each Director, Chief Financial Officer, Chief Executive Officer, Company Secretary or Manager, if any, in the financial year;	**Designation** / **Percentage Increase** MD & CEO: 29.39 DMDs*: 28.84 CFO: 3.19 CS: 17.04 **Shri Samuel Joseph Jebaraj & Shri Suresh Khatanhar ceased to be DMD with effect from April 5, 2023 and January 14, 2024, respectively. Further, Shri Jayakumar S. Pillai, DMD, was appointed with effect from June 12, 2023.*
The percentage increase in the median remuneration of employees in the financial year;	12.58%
Average percentile increase already made in the salaries of employees other than the managerial personnel in the last financial year and its comparison with the percentile increase in the managerial remuneration and justification thereof and point out if there are any exceptional circumstances for increase in the managerial remuneration;	Average remuneration increase for non-managerial personnel of the Bank during FY 2023-24 was 9.60% and the average remuneration increase for the managerial personnel of the Bank was 25.21%.
Affirmation that the remuneration is as per the remuneration policy of the Bank.	Yes

GENERAL BODY MEETINGS

A. The last three Annual General Meetings (AGMs) of the Bank were held as under:

Details of Annual General Meetings of IDBI Bank Ltd.

Location and time of the last three AGMs	1)	August 10, 2021 held exclusively through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) at 2:00 p.m. (17th AGM of the Bank)
	2)	July 22, 2022 held exclusively through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) at 11:00 a.m. (18th AGM of the Bank)
	3)	July 13, 2023 held exclusively through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) at 11:00 a.m. (19th AGM of the Bank)
Whether Special Resolutions were passed in previous three AGMs	➢	**In 17th AGM** Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 42, 62(1)(c) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹ 7,500 crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard; (ii) Approval for Scheme of Reduction of Share Capital for setting off accumulated losses aggregating to ₹ 45,396.18 crore by utilising the balance of ₹ 50,719.75 crore standing to the credit of Securities Premium Account as on April 01, 2021; (iii) Alteration to the Article of Association of the Bank; (iv) taking shareholders' approval u/s 149 of the Companies Act, 2013 for re-appointment of Shri Bhuwanchandra B. Joshi (DIN:06713850) as Independent Director of the Bank for the second term of four years with effect from October 09, 2021, were passed at the 17th AGM of the Bank held on August 10, 2021.
	➢	**In 18th AGM** Special resolution for taking shareholders' approval u/s 42, 62(1)(c) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹ 5,000 crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard was passed at the 18th AGM of the Bank held on July 22, 2022.

	➢ **In 19th AGM** Special Resolution for taking shareholders' approval for Alteration of Articles of IDBI Bank was passed at the 19th AGM of the Bank held on July 13, 2023.
Whether any special resolution was passed last year through postal ballot – details of voting pattern	Yes. The details of voting were submitted to the Stock Exchanges and are also made available on the website of the Bank at https://www.idbibank.in/agm-egm-postal-ballot-voting-results-fy-2023-24.aspx The details of voting pattern is given below in the following table: **Postal Ballot notice dated October 16, 2023**

Res. No.	Details of Resolution	Votes in favour	Votes Against
1.	Appointment of Shri Ajay Prakash Sawhney (DIN: 03359323) as an Independent Director, not liable to retire by rotation, on the Board of the Bank for a term of four consecutive years with effect from August 28, 2023	5,67,62,80,299 (99.9773%)	12,86,950 (0.0227%)

Person who conducted the postal ballot exercise	The Board of Directors of the Bank appointed Ms. Aparna Gadgil or failing her, Mr. S. N. Viswanathan of S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries, as the scrutiniser for conducting the Postal Ballot e-voting process in a fair and transparent manner.
Whether any special resolution is proposed to be conducted through postal ballot	No special resolution is proposed to be conducted through postal ballot.
Procedure for Postal Ballot	Pursuant to General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and the previous circulars relating to relaxations issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) applicable in this regard (MCA Circulars), Sections 108 & 110 of Companies Act, 2013 and applicable rules, provisions of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and any other applicable law, rules and regulations, the special businesses given in the notice were approved by the members of IDBI Bank Ltd. only by way of voting through electronic means. During FY 2023-24, the Bank had issued a Postal Ballot Notice on October 16, 2023. Accordingly, the resolution as set out in the Postal Ballot notice was passed with requisite majority on November 19, 2023.

MEANS OF COMMUNICATION

Apart from providing the detailed Annual Report on the Bank's working, consisting of the Board's Report as required under Section 134 of the Companies Act, 2013 and the Annual Accounts, the Bank regularly brings out its quarterly results for information of its shareholders. These are published in one English language newspaper, viz. the Financial Express, having nationwide circulation and in one regional language newspaper, viz. Loksatta and these advertisements are intimated to the stock exchanges. The aforesaid information is also displayed on the Bank's website https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx along with the official press release.

GENERAL SHAREHOLDERS' INFORMATION

GENERAL SHAREHOLDERS' INFORMATION		
i.	Date, time and venue of AGM	Tuesday, July 23, 2024, 11:00 a.m., through video conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM).
ii.	Financial Year	April 1, 2023 to March 31, 2024
iii.	E-voting period in terms of Regulation 44 of LODR Regulations and section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014	E-voting period commences on and from Thursday, July 18, 2024 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, July 22, 2024 at 5.00 p.m (IST).
iv.	Record Date	Tuesday, July 16, 2024
v.	Dividend Payment Date	Will be paid within 30 days post approval by shareholder at the 20th AGM
vi.	Book closure date	July 17, 2024 to July 23, 2024 (both days inclusive)
vii.	Listing on Stock Exchanges and confirmation of payment of Annual listing fee	1. **BSE Ltd. (BSE)** Address: 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 2. **National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)** Address: Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C / 1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051. The bonds issued in the domestic market comprised privately placed bonds and are listed on the BSE/ NSE. Listing fees as applicable have been paid.
viii.	Stock code/ Symbol	BSE – 500116, NSE – IDBI
ix.	Registrar and Share Transfer Agents	**KFin Technologies Ltd.** Unit : IDBI Equity, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032
x.	Share Transfer system	In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. Accordingly, the Bank's shares which are held in dematerialised form only are freely transferable through the depository systems. Requests for issue of duplicate share certificates/ deletion/ transmission/ transposition received by the Bank during the financial year ended March 31, 2024 were approved by an internal committee called Share Transfer Committee (comprising Executive Directors/ Chief General Managers) and were processed as per SEBI's extant operational guidelines.

xi.	Financial Calendar	**April 1, 2023 to March 31, 2024** Quarterly Results were approved on:

Results as on	Board Meeting
June 30, 2023	July 24, 2023
September 30, 2023	October 21, 2023
December 31, 2023	January 20, 2024
March 31, 2024	May 04, 2024

xii.	Dematerialisation of Shares & Liquidity	The Bank's shares can be compulsorily traded in the stock exchanges in dematerialised form only. The number of shares held in dematerialised and physical mode as on March 31, 2024 is as under:

	No. of shares	% of total Equity Shares
Held in dematerialised form in NSDL	5669213857	52.72%
Held in dematerialised form in CDSL	5077126167	47.22%
Physical	6062151	0.06%
Total	**10752402175**	**100.00%**

xiii.	Listing of Debt Securities	Unsecured Long-term Rupee Bonds/ Debentures issued by the Bank and outstanding in the books of the Bank as on March 31, 2024, are listed on the debt segment of the BSE and the NSE.
xiv.	Debenture Trustee	**SBICAP Trustee Company Ltd.,** **Address:** 4th Floor, Mistry Bhavan, 122 Dinshaw Vachha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020 **Telephone number :** 022-43025572 **E-mail ID of the Principal officer of the Trustee–** corporate@sbicaptrustee.com / nazer.kondakari@sbicaptrustee.com
xv.	Outstanding Global Depository Receipts (GDRs)/ American Depository Receipts (ADRs)/ warrants or convertible instruments, conversion date and likely impact on equity	IDBI Bank has not issued GDRs/ ADRs/ Warrants, etc.
xvi.	Plant Locations	Not applicable. However, the information about the locations of the Bank's branches is available on its website (www.idbibank.in).

xvii.	Address for Correspondence	**IDBI Bank Ltd.** **CIN – L65190MH2004GOI148838** **Address:** Equity Cell - Board Department, IDBI Bank Ltd., 22nd floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005 **Phone: 022-66553147/ 3062/ 3336/ 2806** **E-mail:** idbiequity@idbi.co.in **Website:** www.idbibank.in **Registrar & Transfer Agents** **KFin Technologies Ltd.** (Unit IDBI Equity) **Address:** Selenium Tower B, Plot. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 **Toll Free Number: 1800 309 4001** **Website:** www.kfintech.com **E-mail:** einward.ris@kfintech.com
xviii.	List of Credit Rating obtained by the Bank	The Credit Rating details are provided in the Management Discussion & Analysis section of the Annual Report.
xix.	Market price data	Refer Table i
xx.	Performance in comparison to broad-based indices such as BSE Sensex, etc.	Refer Table ii
xxi.	Distribution of shareholding	Refer Table iii

Table i

IDBI Bank Ltd.'s Share Price Movement on the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) & BSE Ltd.(BSE) : April 2023 – March 2024

(₹)

	NSE		BSE			NSE		BSE	
Month	High	Low	High	Low	Month	High	Low	High	Low
Apr 2023	54.65	46.15	54.62	46.16	**Oct 2023**	70.95	61.80	70.98	61.87
May 2023	56.65	53.05	56.65	53.02	**Nov 2023**	66.15	60.15	66.12	60.15
June 2023	55.90	53.35	55.86	53.42	**Dec 2023**	70.20	62.50	70.21	62.57
July 2023	59.05	56.70	59.03	56.69	**Jan 2024**	86.60	66.80	86.62	66.79
Aug 2023	65.25	59.45	65.26	59.47	**Feb 2024**	94.65	81.85	94.55	81.97
Sept 2023	72.55	60.05	72.53	60.13	**Mar 2024**	89.10	76.70	89.10	76.66

Table ii:

The performance of IDBI Bank equity share relative to the BSE Sensitive Index (Sensex) during the period April 1, 2023 to March 31, 2024 is given in the following chart –

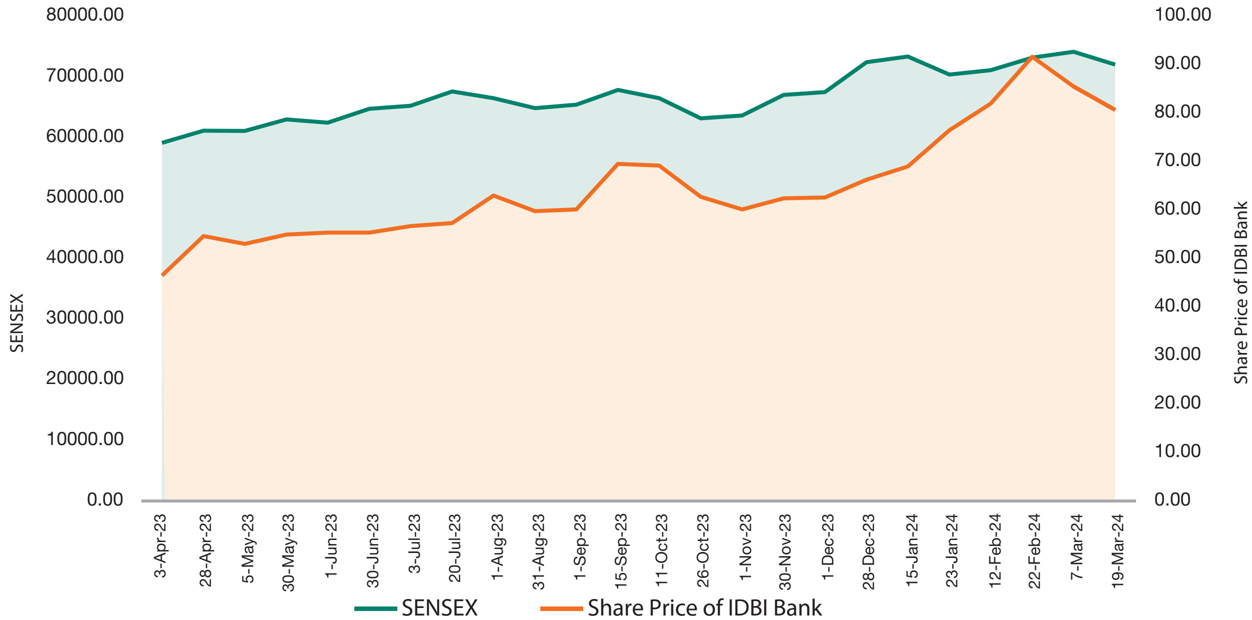

Table iii:

The details of shareholding in the Bank by the major categories of the shareholders and the distribution schedule as at end-March 2024 is presented below:

Shareholding Pattern as on March 31, 2024

Category of Shareholders	No. of Shares Held	% to Total
Life Insurance Corporation of India (Promoter with Management control)	5294102939	49.24%
Government of India (co-promoter without Management control)	4889871903	45.48%
Employees	684963	0.01%
Public	415085098	3.86%
Hindu Undivided Family	15954400	0.15%
Bodies corporate	47716403	0.44%
Institutions		
A) Banks	1176168	0.01%
B) Foreign Institutional Investors	100	0.00%
C) Financial Institutions/ Insurance Companies	13941432	0.13%
D) Mutual Funds	1474076	0.01%
E) NBFC	905183	0.01%
Societies	24800	0.00%

Category of Shareholders	No. of Shares Held	% to Total
Trusts	1600510	0.01%
Directors, KMPs & Relatives	4400	0.00%
NRI's	12797377	0.12%
Foreign Portfolio Investors	48513510	0.45%
IEPF	8508949	0.08%
NSDL (transit)	39964	0.00%
GRAND TOTAL	**10752402175**	**100.00%**

Distribution Schedule as at March 31, 2024

Sr. No.	Category		No. of shareholders	% to total shareholders	No. of shares	% to total Equity Shares
	From	To				
1	1	5000	663513	98.67%	169408319	1.58%
2	5001	10000	4563	0.67%	34523790	0.32%
3	10001	20000	2256	0.34%	32458776	0.30%
4	20001	30000	721	0.11%	18202552	0.17%
5	30001	40000	325	0.05%	11453252	0.11%
6	40001	50000	239	0.04%	11115041	0.10%
7	50001	100000	448	0.07%	32043200	0.30%
8	100001 & above		369	0.05%	10443197245	97.12%
	Total		**672434**	**100.00%**	**10752402175**	**100.00%**

OTHER DISCLOSURES–

i. DETAILS RELATING TO DEPOSITS COVERED UNDER CHAPTER V OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND DETAILS OF DEPOSITS WHICH ARE NOT IN COMPLIANCE OF THE REQUIREMENTS OF CHAPTER V OF THE ACT

In terms of proviso to Section 73(1) of the Companies Act, 2013, nothing in this sub-section shall apply to banking company and hence, the requirement of disclosure of captioned details is not applicable to IDBI Bank.

ii. DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE

There were no significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals during FY 2023-24 which could impact the going concern status and IDBI Bank's operations in future.

iii. THE NAMES OF COMPANIES WHICH HAVE BECOME OR CEASED TO BE ITS SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES OR ASSOCIATE COMPANIES DURING THE YEAR

No subsidiaries, Joint Ventures or Associate Companies have been formed during the FY 2023-24 and no Subsidiaries, Joint Ventures or Associate Companies have ceased to be the same during the FY 2023-24.

Further, in case of NSDL- an associate of the Bank, where the Bank holds 52,200,000 equity shares of ₹ 2 each aggregating to 26.10%, the Bank has given a voluntary undertaking dated September 25, 2023 to (a) not exercise voting rights with respect to the 22,220,000 NSDL Shares ("Excess Shares") with effect from October 3, 2023 till the actual reduction of the shareholding of the Bank in NSDL to less than 15%; and (b) keep in abeyance other benefits accruing out of corporate actions with respect to the Excess Shares, in compliance to Regulation 21 read with Regulation 20 of SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 2018.

iv. FAMILIARISATION PROGRAMME FOR INDEPENDENT DIRECTORS

The Independent Directors are being regularly familiarised with the business of the Bank, their duties & responsibilities and the compliance requirements in the Bank as per the changes in the regulatory environment. Further, the Independent Directors were nominated for/ deputed to various training programmes during FY 2023-24.

The detailed status in this regard is provided on the Bank's website (www.idbibank.in) under the following link: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx

v. ESTABLISHMENT OF VIGIL MECHANISM

The Bank has a Board-approved Vigil Mechanism Policy in compliance with the statutory/ regulatory requirements. The report on Vigil Mechanism is submitted to the Board on a regular basis. During FY 2023-24, no personnel were denied access to the Audit Committee. The Policy on Vigil Mechanism giving details of establishment of Vigil Mechanism has been disclosed by the Bank on its website (www.idbibank.in) under the following link: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx

vi. POLICY FOR DETERMINING MATERIAL SUBSIDIARIES

In terms of the requirement of Regulation 46 of the LODR Regulations, the policy for determining material subsidiaries is available on the Bank's website (www.idbibank.in) under the following link: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx

vii. POLICY ON DEALING WITH RELATED PARTY TRANSACTIONS

In terms of the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 and Regulation 23 of the LODR Regulations, the Bank has formulated a policy on dealing with Related Party Transactions. The Policy on Related Party Transactions is available on the Bank's website (www.idbibank.in) under the following link: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx

viii. DISCLOSURE ON MATERIALLY SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTIONS THAT MAY HAVE POTENTIAL CONFLICT WITH THE INTEREST OF LISTED ENTITY AT LARGE

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is confirmed that, during FY 2023-24, the Bank has not undertaken any materially significant related party transaction that may have potential conflict with the interest of the Bank.

ix. INFORMATION UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION & REDRESSAL) ACT, 2013

The Bank has a policy against sexual harassment and a formal process for dealing with complaints of harassment or discrimination. The said policy is in line with the requirements of the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. The Bank has complied with provisions relating to the constitution of Internal Complaints Committee under the said Act. Pursuant to the provisions of the LODR Regulations, the details pertaining to number of complaints during the year has been provided below:

A	Number of complaints filed during the financial year	9
B	Number of complaints disposed of during the year	9#
C	Number of complaints pending as at end of the financial year	3*

 # - Includes one case pending from FY 2022-23 which was resolved in FY 2023-24.

**- Includes two cases pending from previous years and one case received in FY 2023-24 which was withdrawn by the complainant vide email dated April 20, 2024.*

x. DISCLOSURE OF COMMODITY PRICE RISKS OR FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITY HEDGING ACTIVITIES

The Bank is in compliance with the relevant provisions in respect of commodity price risks or foreign exchange and commodity hedging activities as per the guidelines, if any, prescribed by regulators.

xi. DISCLOSURE OF ACCOUNTING TREATMENT

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is confirmed that, in preparation of financial statements, no treatment different from that prescribed in an Accounting Standard has been followed and hence, no explanation from the Management is required to be given in this regard.

xii. DISCLOSURE, AS TO WHETHER MAINTENANCE OF COST RECORDS AS SPECIFIED BY THE CENTRAL GOVERNMENT UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 148 OF THE COMPANIES ACT, 2013, IS REQUIRED BY THE COMPANY AND ACCORDINGLY SUCH ACCOUNTS AND RECORDS ARE MADE AND MAINTAINED

IDBI Bank Ltd., being a banking company, provisions of maintenance of cost records is not applicable to it.

xiii. DISLOSURES

a) Details of non-compliances, penalties, strictures imposed on the Bank by the stock exchanges or the SEBI or any statutory authority, on any matter relating to capital markets, during the last three years are:

FY 2023-24	Nil
FY 2022-23	No penalties or strictures were imposed on the Bank by the stock exchanges or the SEBI or any other statutory authority on any matter relating to the capital markets. However, the RBI, vide their letter dated April 8, 2022, imposed an aggregate penalty of ₹ 90 lakh on the Bank, in exercise of powers vested in it under the provisions of Section 47A(1)(c) read with Section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949 for non-compliance with the directions issued by the RBI on Frauds-classification and reporting by commercial banks and select Financial Institutions (FIs); strengthening the Controls of Payment Ecosystem between Sponsor Banks and SCBs/ UCBs as a Corporate Customer and Cyber Security Framework in Banks.
FY 2021-22	Nil

b) During FY 2023-24, the Bank did not raise any funds through preferential allotment or through Qualified Institutions Placement (QIP). The proceeds from previous funds raised, have been fully utilised for augmenting the capital adequacy of the Bank and for general business purposes.

c) A certificate dated May 23, 2024 has been obtained from Shri S. N. Ananthasubramanian (CP No. 1774) of M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the SEBI/ the MCA or any such statutory authority is annexed to this Report.

d) The Bank has made all the disclosures in the Annual Report that were required in terms of sub-paras (2) to (10) of the Corporate Governance section of Schedule V (Annual Report) of the LODR Regulations.

e) The Bank has complied with the Corporate Governance requirements specified in Regulations 17 to 27 and Clauses (b) to (i) of Sub-regulation (2) of Regulation 46 of the LODR Regulations.

f) The Bank has complied with all the mandatory requirements given under Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations and has been submitting quarterly/ half-yearly/ annual compliance report on Corporate Governance in the prescribed formats to the Stock Exchanges within the prescribed timelines.

g) There has been no instance where the Board had not accepted any recommendation of any Committee of the Board which is mandatorily required and hence, no disclosure in this regard is required.

h) In terms of Schedule V of the LODR Regulations, the total fees for all services paid by the Bank to the Statutory Auditors during FY 2023-24 was ₹ 262.50 lakh (including Certification and other audit related services) and out of pocket expenses were capped at ₹ 25.20 lakh.

i) **Subsidiary Companies:** As on March 31, 2024, the Bank had five subsidiaries, viz. IDBI Intech Ltd., IDBI Capital Markets & Securities Ltd., IDBI Asset Management Ltd., IDBI MF Trustee Co. Ltd. and IDBI Trusteeship Services Ltd. No Independent Director on the Board of the Bank is required to be inducted on the Board of its subsidiaries as none of the subsidiaries are material subsidiary companies as defined under Regulation 16 of the LODR Regulations. In compliance of the requirements of Regulation 24 of the LODR Regulations, the Bank's Audit Committee reviews the financial statements, in particular, the investments made by the unlisted subsidiary companies. The minutes of the Board meetings of unlisted subsidiary companies are regularly placed at the Bank's Board meetings.

j) **Document Handling and Retention Policy:** In terms of Regulation 9 of LODR Regulations, the Bank has in place a Board-approved Document Handling and Retention Policy.

k) **Archival Policy:** The Bank has in place a Board approved archival policy in terms of Regulation 30(8) of the LODR Regulations, 2015.

l) **Disclosure of certain types of agreements binding listed entities:** There are no agreements that require disclosure under clause 5A of paragraph A of Part A of Schedule III of the LODR Regulations.

m) **Disclosures with respect to demat suspense account/ unclaimed suspense account**

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, the Bank reports the following details in respect of equity shares in the unclaimed suspense account:

i. Shares transferred to Demat Suspense Account in compliance of Regulation 39(4) of SEBI (LODR):

Sr. No.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares
(a)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Account as on April 01, 2023	4	800
(b)	Number of shareholders who approached the Bank for transfer of shares from the Suspense Account during April 01, 2023 to March 31, 2024	0	0
(c)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Suspense Account during April 01, 2023 to March 31, 2024	0	0
(d)	Number of shareholders whose shares were transferred to IEPF Authority in compliance of section 124 & 125 of the Companies Act, 2013.	0	0
(e)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Account as on March 31, 2024	4	800
(f)	The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.		

ii. Shares transferred to Suspense Escrow Demat Account in compliance of SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated 25th January 2022 (Cases wherein validity of Letter of Confirmation expired):

Sr. No.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares
(a)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Escrow Demat Account as on April 01, 2023	5	1291
(b)	Number of shareholders whose shares were transferred to Suspense Escrow Demat Account during April 01, 2023 to March 31, 2024	13	3040
(c)	Number of shareholders who approached the Bank for transfer of shares from the Suspense Escrow Demat Account during April 01, 2023 to March 31, 2024	2	480
(d)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Suspense Escrow Demat Account during April 01, 2023 to March 31, 2024	2	480
(e)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Escrow Demat Account as on March 31, 2024	16	3851
(f)	**The rightful owner of such shares are entitled to vote and to receive dividend.**		

n) Disclosures in respect of Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Sr. No.	Description	Shares/Bonds/ Debentures	Amount
(a)	Details of the transfer/s to the IEPF made during the year :		
(i)	Amount of unclaimed/ unpaid dividend and the corresponding shares	NIL	NIL
(ii)	Redemption amount of preference shares	NA	NA
(iii)	Amount of matured deposits, for companies other than banking companies, along with interest accrued thereon	NA	NA
(iv)	Amount of matured debentures along with interest accrued thereon	NA	NA
(v)	Application money received for allotment of any securities and due for refund along with interest accrued	NIL	NIL
(vi)	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation	NIL	NIL
(b)	Details of the resultant benefits arising out of shares already transferred to the IEPF		NIL
(c)	Year-wise amount of unpaid/ unclaimed dividend lying in the unpaid account upto the year and the corresponding shares, which are liable to be transferred to the IEPF, and the due dates for such transfer:		NIL

Sr. No.	Description	Shares/Bonds/ Debentures	Amount
(d)	The amount of donation, if any, given by the company to the IEPF		NIL
(e)	Such other amounts transferred to the IEPF, if any, during the year	In compliance to rule 6(14) and 6A(13) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, Bank has credited dividend amounting to ₹ 82,61,776/- on account of shares held with IEPF Authority and subsequently filed Form IEPF-7 with Ministry of Corporate Affairs.	

STATUS OF COMPLIANCE OF DISCRETIONARY REQUIREMENTS OF REGULATION 27

The status of discretionary requirements given under Part E of Schedule II of the LODR Regulations is as follows:

Sr. No.	Discretionary Requirements	Status
1.	A Non-Executive Chairperson may be entitled to maintain a Chairperson's Office at the Company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/ her duties	In terms of Article 116(1) (i) of the Articles of Association of the Bank, Shri T.N. Manoharan, Independent Director has been appointed as the Part-time Chairman of the Bank. The Bank has provided for a Chairman's office at its Head Office located at IDBI Tower, Cuffe Parade, Mumbai. Sitting fees is paid to Shri T.N. Manoharan for attending the Board and Committee Meetings.
2.	A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in the last six months may be sent to each household of shareholders	Quarterly and half-yearly financial results are published in the newspapers as well as disseminated to the Stock Exchanges immediately after the Board approval for information of shareholders and other stakeholders. Press release of highlights of results including significant developments is also disclosed to the Stock Exchanges and uploaded on the website of the Bank.
3.	Company may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion	The Bank's financial statements are with unmodified Audit opinion and Bank continues to adopt best practices to ensure regime of unmodified audit opinion.
4.	The Company may appoint separate persons to the post of Chairman and MD & CEO such that the Chairperson shall – (a) be a Non-Executive Director; and (b) not be related to the Managing Director or the Chief Executive Officer as per the definition of the term "relative" defined under the Companies Act, 2013.	The Bank has separate positions for Part-time Chairman and a MD & CEO. The Chairperson is not related to the MD & CEO of the Bank.
5.	The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	Internal Auditor reports to the DMD of the Bank and has a one-to-one meeting with the ACB every quarter as per the required provisions.

CODE OF CONDUCT AND ETHICS

The Bank's Board of Directors has adopted a Code of Conduct and Ethics for its Directors, Officers and Employees. In compliance with the requirement of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, a declaration signed by the Managing Director & CEO about the affirmation of compliance with the Code of Conduct by the Board members and Senior Management Personnel of the Bank is given below:

DECLARATION BY MD & CEO

Pursuant to the provisions of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is hereby declared for the information of all concerned that all the Board Members and Senior Management Personnel of IDBI Bank Ltd. have affirmed compliance with the Code of Conduct for Directors, Officers and Employees of IDBI Bank Ltd. for the FY 2023-24.

Rakesh Sharma
(DIN-06846594)
Managing Director & CEO
Dated: May 30, 2024

CEO/ CFO CERTIFICATION

In terms of Regulation 17(8) of the LODR Regulations, the certification by MD & CEO and CFO on the financial statements and internal controls relating to financial reporting has been obtained and submitted to the Board.

Annexure-A

AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3)of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/ arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto

i. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

Sl. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts/ arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	Date of approval by the Board	Amount paid as advances, if any:	Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188
NIL								

ii. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis

Sl. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transaction including the value, if any:	Date(s) of approval by the Board, if any:	Amount paid as advances, if any:
NIL						

Rakesh Sharma
(DIN-06846594)
MD & CEO
Dated: May 02, 2024

Annexure-B

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES FOR FY 2023-24

1. **Brief outline on CSR Policy of the Bank:**

The Bank's CSR objective is to make material, visible and lasting difference to the lives of underprivileged sections of the society by identifying gaps and extending need-based contribution for their betterment. The initiatives shall be aligned with the national priorities towards achieving sustainable development goals. The Bank seeks to achieve this through direct intervention as well as acting as a catalyst for socio-economic progress of the beneficiaries.

The Bank's CSR policy, inter alia, provides the platform for undertaking interventions in areas as specified under Schedule VII of the Companies Act 2013.

2. **Composition of CSR Committee:**

Sr. No	Directors	Designation/ Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year
1.	Shri Rakesh Sharma	MD & CEO – Chairman of the Committee	03	03
2.	Shri Suresh Khatanhar (upto 14-01-2024)	Dy. Managing Director	02	02
3.	Shri Jayakumar S. Pillai (w.e.f. 12-06-2023)	Dy. Managing Director	02	02
4.	Shri Samaresh Parida	Independent Director	03	03
5.	Smt. P.V. Bharathi	Independent Director	03	03

3. **Provide the web-link(s) where Composition of CSR Committee, CSR Policy and CSR Projects approved by the board are disclosed on the website of the company.**

The web-link to the CSR policy and projects or programmes is https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.aspx

4. **Provide the executive summary along with web-link(s) of Impact Assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8, if applicable**

Not Applicable.

5. (a) **Average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135 –**

The average net profit of the Bank (for CSR purpose) was ₹ 3,704.28 crore for last three financial years, i.e. FY 2020-21, FY 2021-22 and FY 2022-23.

(b) **Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135 –**

In terms of Section 135 (5) of the Companies Act, 2013, the two percent average net profit of the Bank was ₹74.09 crore for FY 2023-24.

(c) **Surplus arising out of the CSR Projects or programmes or activities of the previous financial years – Nil**

(d) **Amount required to be set off for the financial year, if any –** ₹ 1.62 crore towards last two financial years i.e. FY 2021-22 & FY 2022-23.

(e) **Total CSR obligation for the financial year [(b)+(c)-(d)] – ₹ 72.47 crore.**

6. (a) **Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Projects and other than Ongoing Projects) - ₹ 39.24 crore**

(b) Amount spent in Administrative Overheads - Nil.

(c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable - Not Applicable.

(d) Total amount spent for the Financial Year [(a)+(b)+(c)] – ₹ 39.24 crore.

(e) CSR amount spent or unspent for the Financial Year: CSR spent for FY 2023-24 is ₹ 39.24 crore and amount of ₹ 25.62 crore has been sanctioned but not disbursed relating to ongoing projects. Accordingly, unspent amount for FY 2023-24 is ₹ 7.61 crore.

Total Amount Spent for the Financial Year. (in ₹)	Amount Unspent (in ₹)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per subsection (6) of section 135.		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second provison to sub-section (5) of section 135.*		
	Amount (In ₹ crore)	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
39.24	25.62	April 29, 2024	NA	Nil	NA

** ₹ 7.61 crore shall be transferred to one or more of the admissible funds by September 30, 2024.*

(f) **Excess amount for set-off, if any:**

Sl. No.	Particular	Amount (in ₹ crore)
(1)	(2)	(3)
(i)	Two percent of average net profit of the company as per sub-section (5) of section 135	74.09
(ii)	Total amount spent for the Financial Year	39.24
(iii)	Excess amount spent for the Financial Year [(ii)-(i)]	Not applicable
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous Financial Years, if any	Nil
(v)	Amount available for set off in succeeding Financial Years [(iii)-(iv)]	Not applicable

7. **Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three Financial Years:**

1	2	3	4	5	6		7	8
Sl. No.	Preceding Financial Year(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under subsection (6) of section 135 (in ₹ crore)	Balance Amount in Unspent CSR Account under subsection (6) of section 135 (in ₹ crore)	Amount Spent in the Financial Year (in ₹ crore)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to subsection (5) of section 135, if any		Amount remaining to be spent in succeeding Financial Years (in ₹ crore)	Deficiency, if any
					Amount (in ₹ crore)	Date of Transfer		
1.	FY-1	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	-
2.	FY-2	Nil	Nil	0.18	Nil	NA	Nil	-
3.	FY-3	Nil	Nil	1.44	Nil	NA	Nil	-

8. **Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year: No**

If yes, enter the number of Capital assets created/ acquired: NA

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the Financial Year:

Sl. No.	Short particulars of the property or asset (s) [including complete address and location of the property]	Pin code of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

(All the fields should be captured as appearing in the revenue record, flat no, house no, Municipal Office/Municipal Corporation/ Gram panchayat are to be specified and also the area of the immovable property as well as boundaries)

9. **Specify the reason(s), if the company has failed to spend two per cent of the average net profit as per subsection (5) of section 135 –** The CSR spent for FY 2023-24 is ₹ 39.24 crore and undisbursed amount of ₹ 25.62 crore towards ongoing projects has been transferred to *'Unspent CSR Account for FY 2023-24'.* The unspent amount of Rs. 7.61 crore for FY 2023-24 shall be transferred to any of the admissible funds as per Schedule VII of the Companies Act, 2013 before September 30, 2024.

Rakesh Sharma
(DIN: 06846594)
MD & CEO
Chairman of CSR Committee
May 30, 2024

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2024

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
IDBI Bank Limited
CIN: L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai – 400005.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **IDBI Bank Limited** (hereinafter called 'the Bank'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the Financial Year ended **31st March, 2024,** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the Financial Year ended **31st March, 2024** according to the provisions of:

i. The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder;

ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings – **Not applicable as no reportable event during the year under review;**

v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act,1992 ('SEBI Act'):

   a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

   b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations,2015;

   c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; - **Not Applicable as no reportable event during the year under review;**

   d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021– **Not applicable as there was no reportable event during the year under review;**

   e. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations,1993 regarding the Companies Act and dealing with client – **Not applicable as the Bank is not registered as Registrar to Issue and Share Transfer Agent during the financial year under review;**

f. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 – **Not applicable as the Bank has not delisted/proposed to delist its equity shares from any stock exchange during the financial year under review;**

g. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018 – **Not applicable as the Bank has not bought back/proposed to buy back any of its securities during the financial year under review;**

h. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021

i. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

vi. The management has identified and confirmed the following laws as specifically applicable to the Bank:

1. The Banking Regulation Act, 1949 and Rules, Notifications, Circulars and Guidance issued by the Reserve Bank of India from time to time;

2. The Reserve Bank of India (RBI) Act, 1934;

3. Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002;

4. The Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), 2002 and The Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records, etc) Rules, 2005;

5. The Payment and Settlement Systems Act, 2007;

6. The Negotiable Instruments Act, 1881.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards with regard to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India;

(ii) Listing Agreements entered into with BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

During the period under review the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards etc. mentioned above.

We further report that:

➢ The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, Independent Directors and a Woman Independent Director. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

➢ Adequate notice is given to all Directors pertaining to the schedule of the Board/Committee Meetings and agenda & detailed notes on agenda were sent atleast seven days in advance except where consent of Directors was received for circulation of the notice, Agenda and notes on Agenda less than seven days before the meeting.

➢ A system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

➢ All decisions of the Board and Committee meetings were carried with requisite majority.

We further report that based on the review of the compliance mechanism established by the Bank and on the basis of Compliance Certificate(s) issued by Company Secretary and Chief Compliance Officer based on certificates received from various departments / Verticals / Subsidiary Companies and taken on record by the Board of Directors at their meeting(s), we are of the opinion that the Bank has systems and processes in place and is taking efforts to further strengthen them so as to make them commensurate with the size and operations of the Bank, to monitor and ensure compliance with all applicable laws, rules, regulations and guidelines.

During the Audit period the following events/ actions having a major bearing on Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards referred to above have taken place:

- The Bank has, as mandated by SEBI Regulations, amended its Articles of Association, to include a provision to appoint a Director nominated by Debenture Trustee in the event of default towards debenture holders, at the 19th Annual General Meeting held on 13th July, 2023 by way of Special Resolution passed by Members.

  The Report is to be read with our letter of even date which is annexed as **Annexure – A** hereto and forms an integral part of this report.

For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.
Company Secretaries
ICSI Unique Code: P1991MH040400
Peer Review Cert. No.: 5218/2023

S. N. Ananthasubramanian
Founding Partner
FCS: 4206 | COP No.: 1774
ICSI UDIN: F004206F000429642
23rd May, 2024 | Thane

Annexure – A

To,
The Members,
IDBI Bank Limited
CIN: L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai– 400005.

Our Secretarial Audit Report for the Financial Year ended 31st March, 2024 of even date is to be read along with this letter.

Management's Responsibility

1. It is the responsibility of the management of the Bank to maintain secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

Auditor's Responsibility

2. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the Bank with respect to secretarial compliances.
3. We have conducted the Audit as per the applicable Auditing Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.
4. We believe that audit evidence and information obtained from the Bank's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.
5. Wherever required, we have obtained reasonable assurance whether the statements prepared, documents or Records, in relation to Secretarial Audit, maintained by the Bank, are free from misstatement.
6. Wherever required, we have obtained the Management's representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events, etc.

Disclaimer

7. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.
8. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.

For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.
Company Secretaries
ICSI Unique Code: P1991MH040400
Peer Review Cert. No.: 5218/2023

S. N. Ananthasubramanian
Founding Partner
FCS: 4206 | COP No.: 1774
ICSI UDIN: F004206F000429642
23rd May, 2024 | Thane

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C Clause (10)(i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,
The Members of
IDBI BANK LIMITED
CIN: L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade
Mumbai- 400005

We have examined the following documents:

i) Declaration of non-disqualification as required under Section 164 of Companies Act, 2013 ('the Act');

ii) Disclosure of concern or interests as required under Section 184 of the Act;
(hereinafter referred to as 'relevant documents')

as submitted by the Directors of **IDBI Bank Limited** ('the Bank') bearing CIN: L65190MH2004GOI148838 and having its registered office at IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400005, to the Board of Directors of the Bank ('the Board') for the **Financial Year ended 31st March 2024 and Financial Year ended 31st March 2025** and relevant registers, records, forms and returns maintained by the Bank and as made available to us for the purpose of issuing this Certificate in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C Clause 10(i) of SEBI (LODR) Regulations, 2015. We have considered non-disqualification to include non-debarment by Regulatory/ Statutory Authorities.

It is the responsibility of Directors to submit relevant documents with complete and accurate information in accordance with the provisions of the Act.

Ensuring the eligibility for the appointment/continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification.

Based on our examination as aforesaid and such other verifications carried out by us as deemed necessary and adequate (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in), in our opinion and to the best of our information and knowledge and according to the explanations provided by the Bank, its officers and authorized representatives, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank, as listed hereunder for the Financial Year ending 31st March, 2024, have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Bank by Securities and Exchange Board of India/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

Sr. No.	Name of Director	Director Identification Number (DIN)	Date of Appointment	Date of cessation
1.	Mr. Gyan Prakash Joshi	00603925	28/08/2015	27/08/2023
2.	Mr. Bhuwanchandra Balkrishna Joshi	06713850	09/10/2017	-
3.	Mr. Samaresh Parida	01853823	19/05/2018	-
4.	Mr. Jambunathan Narayanan	05126421	19/05/2018	-
5.	Mr. Rakesh Sharma	06846594	10/10/2018	-
6.	Mr. Deepak Singhal	08375146	28/02/2019	-
7.	Mr. Sanjay Gokuldas Kallapur	08377808	05/03/2019	-
8.	Mr. Samuel Joseph Jebaraj	02262530	20/09/2019	05/04/2023
9.	Mr. Suresh Kishinchand Khatanhar	03022106	15/01/2020	14/01/2024
10.	Mrs. P. V. Bharathi	06519925	14/01/2021	-

Sr. No.	Name of Director	Director Identification Number (DIN)	Date of Appointment	Date of cessation
11.	Mr. Mukesh Gupta	06638754	10/02/2022	-
12.	Mr. Thothala Narayanasamy Manoharan	01186248	24/02/2022	-
13.	Mr. Manoj Sahay	08711612	28/04/2022	-
14.	Mr. Sushil Kumar Singh	09584577	28/04/2022	-
15.	Mr. Raj Kumar	06627311	19/05/2022	-
16.	Mr. Jayakumar Subramonia Pillai	10041362	12/06/2023	-
17.	Mr. Ajay Prakash Sawhney	03359323	28/08/2023	-

This Certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

This Certificate has been issued at the request of the Bank to make disclosure in its Corporate Governance Report of the Financial Year ended 31st March, 2024.

For S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO.
Company Secretaries
ICSI Unique Code: P1991MH040400
Peer Review Cert. No. 5218/2023

S. N. Ananthasubramanian
Founding Partner
FCS : 4206 I COP No. : 1774
ICSI UDIN: F004206F000429884
23rd May, 2024 I Thane

कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कथन

प्रिय हितधारको,

आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन टीम की ओर से 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक के वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली बैंक की कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर) प्रकाशित करते हुए हमें खुशी हो रही है. पारदर्शिता सुनिश्चित करने और विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप, बीआरएसआर के प्रमुख प्रकटनों का एक स्वतंत्र उचित आश्वासन देने के लिए हमने बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों, वर्मा एंड वर्मा की सेवाएं ली हैं. उनके द्वारा प्रदान किया गया स्वतंत्र आश्वासन कथन आपके संदर्भ के लिए वार्षिक रिपोर्ट के बीआरएसआर खंड के एक भाग के रूप में शामिल है.

वैश्विक स्तर पर चुनौतीपूर्ण अर्थव्यवस्था के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है.भारत में विकास की संभावनाएँ अपार हैं जो मुख्य रूप से घरेलू खपत से प्रेरित हैं. अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और पर्यवेक्षकों ने देश की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को पहचाना है. हम, आईडीबीआई बैंक में, पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) के मोर्चे पर स्थिर प्रगति सुनिश्चित करते हुए इस विकास पथ पर अग्रसर रहना जारी रखे हैं.

ईएसजी में हमारी प्रतिबद्धता अन्य बातों के साथ-साथ हमारे ग्राहकों के लिए डिजिटल रूपांतरण को गति देने, हमारे लोगों को सशक्त बनाने, एक अधिक संधारणीय ग्रह की दिशा में योगदान करने और न्यायसंगत एवं संधारणीय समुदायों को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को प्रेरित करती है. बीआरएसआर में दर्शाये गये प्रकटन बैंक के इरादे को मूर्त रूप देते हैं. बैंक की रणनीतिक स्थिति, इसकी डिजिटल क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण निवेशों के साथ मिलकर, निकट भविष्य में निरंतर, दीर्घकालिक लाभदायक विकास हासिल करने की हमारी क्षमता को सुरक्षित करने में मदद करती है.

बैंकिंग क्षेत्र में बैंक की नई स्थिति इसकी हालिया व्यावसायिक रणनीति के सफल कार्यान्वयन को दर्शाती है. खुदरा बैंक के रूप में अपने रणनीतिक फोकस और अपनी डिजिटल क्षमताओं के विस्तार में पर्याप्त निवेश के माध्यम से, बैंक ने आने वाले वर्षों में लगातार, दीर्घकालिक, लाभदायक विकास प्रदान करने के लिए एक ठोस आधार स्थापित किया है. आगे बढ़ते हुए, बैंक अपनी मौजूदा व्यावसायिक रणनीति के ढांचे के भीतर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही साथ ईएसजी क्षेत्र में भी प्रगति कर रहा है. बैंक तेजी से विकसित हो रहे परिचालन परिदृश्य से पूरी तरह वाकिफ है और अपनी सक्रियता को बनाए रखेगा तथा उभरती व्यावसायिक संभावनाओं को भुनाने और अपने लाभों को बढ़ाने के लिए अपनी रणनीति को समायोजित करेगा.

मैं भारत सरकार (जीओआई), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और सभी सांविधिक एवं विनियामक प्राधिकरणों का उनके बहुमूल्य समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ. मैं निदेशक मंडल का भी उनके मार्गदर्शन और अटूट समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ. हमारे सभी समर्पित कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए विशेष धन्यवाद, जो बैंक की क्षमता को प्रकट करने में सहायक रहे हैं. मैं अपने ग्राहकों, शेयरधारकों और मूल्य श्रृंखला के भागीदारों के प्रति वर्षों से उनके दृढ़ विश्वास और साझेदारी के लिए बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमें सबसे चुनौतीपूर्ण समय से भी निपटने में मदद की है.

मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों से बैंक अपनी विकास और संधारणीय यात्रा में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहेगा.

शुभकामनाओं के साथ,

राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

भाग अ: सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध संख्या का ब्योरा

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
1.	संस्था की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L65190MH2004GOI148838
2.	सूचीबद्ध संस्था का नाम	आईडीबीआई बैंक लि.
3.	निगमन का वर्ष	27 सितंबर 2004
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी, कफ परेड, मुंबई - 400 005
5.	कॉरपोरेट पता	आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी, कफ परेड, मुंबई - 400 005
6.	ई-मेल:	idbiequity@idbi.co.in
7.	टेलीफोन	+91-22-66553355
8.	वेबसाइट	www.idbibank.in
9.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्ट की जा रही है	1 अप्रैल 2023-31 मार्च 2024
10.	शेयर एक्सचेंज(जों) का नाम जहां शेयरों को सूचीबद्ध किया गया है	बीएसई लि. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
11.	चुकता पूंजी(रुपयों में)	1,07,52,40,21,750
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन एवं ई-मेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	श्री मनीष आईन्द महाप्रबंधक ईमेल: brsr@idbi.co.in टेलीफ़ोन: +91-22-66553355
13.	रिपोर्टिंग सीमा (एकल अथवा समेकित आधार पर)	एकल 31 मार्च 2024 को बैंक की 2,004 शाखाएं और 225 कार्यालय हैं. सिद्धांत 6 के तहत, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिजली, ईंधन और जल के बारे में पर्यावरणीय डेटा से संबंधित प्रकटन केवल मुंबई में बैंक के प्रधान कार्यालय, इसके बेलापुर स्थित कार्यालय, हैदराबाद में आईडीबीआई ट्रेनिंग कॉलेज और 14 अंचल कार्यालयों से संबंधित है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपशिष्ट से संबंधित डेटा केवल तीन स्थानों अर्थात् बैंक का प्रधान कार्यालय, इसका बेलापुर में स्थित कार्यालय और आईडीबीआई ट्रेनिंग कॉलेज के लिए रिपोर्ट किया गया है. तद्नुसार डेटा बैंक के सम्पूर्ण परिचालनों को कवर नहीं करता है.
14.	आश्वासन प्रदाता का नाम	वर्मा एंड वर्मा
15.	प्राप्त आश्वासन का प्रकार	उचित आश्वासन

II. योजनाएं और सेवाएं

16. कारोबारी गतिविधियों का ब्योरा (कुल टर्नओवर का 90% हिस्सा):

क्रम संख्या	प्रमुख गतिविधि का वर्णन	कारोबारी गतिविधि का विवरण	संस्था का टर्न ओवर %
1.	वित्तीय और बीमा सेवा	केंद्रीय, वाणिज्यिक और बचत बैंकों द्वारा बैंकिंग गतिविधियां	100%

17. संस्था द्वारा बेची गई योजनाएं / सेवाएं (संस्था के टर्नओवर का 90% हिस्सा):

क्रम संख्या	प्रमुख गतिविधि का वर्णन	एनआईसी कोड	कुल टर्न ओवर में योगदान का %
1.	वाणिज्यिक बैंकों, बचत बैंकों, डाक बचत बैंकों और डिस्काउंट गृहों की मौद्रिक मध्यस्थता	64191	100%

III. परिचालन

18. जहां पर संस्था के संयंत्र और /या परिचालन / कार्यालय मौजूद हैं उन स्थानों की संख्या :

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं	शाखाएं - 2,003 कार्यालय - 225	शाखाएं - 2,003 कार्यालय - 225
अंतर्राष्ट्रीय*	लागू नहीं	शाखा-1	शाखा-1

** - इसमें गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी (गिफ्ट), गांधीनगर,गुजरात में स्थित बैंक का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाई (आईबीयु) शामिल है.*

19. संस्था द्वारा सेवित बाज़ार:

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	35*
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	1#

** - केंद्र शासित प्रदेशों सहित.*

 # - इसमें गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी (गिफ्ट), गांधीनगर,गुजरात में स्थित बैंक का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाई (आईबीयु) शामिल है.

ख. संस्था के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान कितना है ?

लागू नहीं

ग. ग्राहकों के प्रकारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड एक यूनिवर्सल बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है. यह खुदरा, कृषि, एमएसएमई और कॉरपोरेट क्षेत्र में फैले अपने ग्राहकों की विस्तृत श्रृंखला को सभी वित्तीय समाधान उपलब्ध कराता है. बैंक अपनी योजनाओं के विस्तृत समूह के माध्यम से व्यक्तियों और कारोबारों को अपने वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाता है. बैंक द्वारा की जा रही पेशकशों में बचत खाता, चालू खाता, मीयादी जमा, आवास ऋण, ऑटो ऋण, शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सहायता, ट्रेजरी और पूंजी बाज़ार की योजनाएं, व्यापार वित्त योजनाएं और सेवाएं, नकद प्रबंधन सेवाएं, कर संग्रह आदि जैसी वैयक्तिक बैंकिंग योजनाओं की विस्तृत श्रृंखला के साथ बृहद ग्राहक आधार को सेवा प्रदान कर रहा है.

IV. कर्मचारी:

20. वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत का विवरण:

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांग कर्मचारियों सहित):

कर्मचारी						
क्रम सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	प्रतिशत (ख / क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग / क)
1.	स्थायी कर्मचारी	16,326	10,920	66.89%	5,406	33.11%
2.	स्थायी कर्मचारी से इतर	1,966	1,088	55.34%	878	44.66%
3.	**कुल कर्मचारी (1+2)**	**18,292**	**12,008**	**65.65%**	**6,284**	**34.35%**

कामगार						
क्रम सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	प्रतिशत (ख / क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग / क)
4.	स्थायी कामगार	721	553	76.70%	168	23.30%
5.	स्थायी कामगार से इतर	0	0	-	0	-
6.	**कुल कामगार (4+5)**	**721**	**553**	**76.70%**	**168**	**23.30%**

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

दिव्यांग कर्मचारी						
क्रम सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	प्रतिशत (ख / क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग / क)
1.	स्थायी कर्मचारी	471	351	74.52%	120	25.48%
2.	स्थायी कर्मचारी से इतर	300	219	73.00%	81	27.00%
3.	**कुल कर्मचारी (1+2)**	**771**	**570**	**73.93%**	**201**	**26.07%**

दिव्यांग कामगार						
क्रम सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	प्रतिशत (ख / क)	संख्या (ग)	प्रतिशत (ग / क)
4.	स्थायी कामगार	11	9	81.82%	2	18.18%
5.	स्थायी कामगार से इतर	0	0	-	0	-
6.	**कुल कामगार (4+5)**	**11**	**9**	**81.82%**	**2**	**18.18%**

21. 31 मार्च 2024 को महिलाओं की सहभागिता / समावेश / प्रतिनिधित्व:

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या (ख)	प्रतिशत (ख / क)
निदेशक मंडल	14*	1	7.14%
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	4#	2	50.00%

** - बैंक के निदेशक मंडल के दो सदस्य, अर्थात् प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) और उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के अंतर्गत भी शामिल हैं.*

 # - मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक में एमडी एवं सीईओ, डीएमडी और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और कंपनी सचिव शामिल हैं.

22. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की टर्नओवर दर:

	वित्तीय वर्ष 2023-24#			वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2021-22		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी *	6.51%	6.63%	6.55%	4.82%	4.59%	4.74%	2.87%	1.98%	2.59%
स्थायी कामगार	1.10%	2.08%	1.33%	13.51%	8.63%	12.47%	8.16%	3.52%	7.27%

** - टर्नओवर दर (वित्तीय वर्ष 2023-24): संशोधित लॉजिक के अनुसार/अवधि के दौरान स्वैच्छिक निकास (अवधि की शुरूआत में कर्मचारियों की संख्या + अवधि के दौरान नवनियुक्त कर्मचारियों की संख्या).*

 # - एमडी एवं सीईओ, डीएमडी और कार्यपालक शामिल हैं

टिप्पणी:

1. *स्थायी के अंतर्गत स्थायीकृत कर्मचारी और परिवीक्षा पर कर्मचारी शामिल हैं.*
2. *स्थायी के अलावा अनुबंध पर कर्मचारी शामिल हैं.*
3. *कर्मचारियों में अधिकारी श्रेणी शामिल है.*
4. *कामगारों में लिपिकीय / अधीनस्थ श्रेणी शामिल है.*

V. नियंत्रक / सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित):

23. (क) नियंत्रक / सहायक/ सहयोगी कंपनियां/ संयुक्त उद्यमों का नाम

क्रम सं.	नियंत्रक / सहायक / सहयोगी कंपनियां / संयुक्त उद्यमों के नाम (अ)	यह दर्शायें कि क्या कंपनी नियंत्रक / सहायक / सहयोगी कंपनी/ संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	कॉलम 'अ' में दर्शायी गयी संस्था सूचीबद्ध संस्था की कारोबारी दायित्व की पहलों में भाग लेती है ? (हाँ / नहीं)
1	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि.	सहायक	66.67%	नहीं
2	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लि.	सहायक	100.00%	नहीं
3	आईडीबीआई इंटेक लि	सहायक	100.00%	नहीं
4	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.	सहायक	54.70%	नहीं
5	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.	सहायक	100.00%	नहीं
6	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि.	सहयोगी	26.10%	नहीं
7	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.	सहयोगी	25.00%	नहीं
8	बायोटेक कॉन्सोर्शियम इंडिया लि.	सहयोगी	27.93%	नहीं
9	पॉन्डिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि.	सहयोगी	21.14%	नहीं

VI. सीएसआर का ब्योरा

24.

(i)	**क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है? (हाँ / नहीं) :**	**हाँ**
(ii)	**टर्नओवर (रुपये में)**	₹ 30,037.04 करोड़
(iii)	**निवल मालियत (रुपये में)**	₹ 32,842.82 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटन संबंधी अनुपालन

25. जिम्मेदार कारोबारी आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अंतर्गत किसी भी सिद्धांत (1 - 9) के बारे में शिकायत/परिवाद :

हितधारक समूह	मौजूद शिकायत निवारण तंत्र (हाँ / नहीं) (नीति का वेब लिंक प्रदान करें)	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24			पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23		
		दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	हां. बैंक की सीएसआर नीति में शिकायत निवारण तंत्र को शामिल किया गया है (https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy.pdf)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

हितधारक समूह	मौजूद शिकायत निवारण तंत्र (हाँ / नहीं) (नीति का वेब लिंक प्रदान करें)	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24			पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23		
		दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
निवेशक (शेयर धारकों से इतर)	हां. *(https://www.idbibank.in/flexi-bond.aspx)*	-	-	'ग्राहक' शीर्ष के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है जिसमें फ़्लेक्सी बॉन्ड संबंधी शिकायतें भी शामिल हैं	-	-	'ग्राहक' शीर्ष के अंतर्गत रिपोर्ट किया गया है जिसमें फ़्लेक्सी बॉन्ड संबंधी शिकायतें भी शामिल हैं
शेयर धारक	हां. (https://www.idbibank.in/idbi-bank-officials-for-shareholder-grievances.aspx)	1,644	0	लागू नहीं	1,480	0	लागू नहीं
कर्मचारी और कामगार[@]	हां. आईडीबीआई बैंक ने ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र i-Hridayo का शुभारंभ किया.	42	23	लागू नहीं	45	11	लागू नहीं
ग्राहक	हां. (https://www.idbibank.in/banking-complaints-I.aspx)	59,714	282	फ्लेक्सी बॉन्ड शिकायतों सहित सभी स्रोतों से दर्ज की गई शिकायतें.	65,232	1,114	वित्तीय वर्ष 2022-23 के डेटा को पिछले साल रिपोर्ट किए गए 'टी+5 दिनों से अधिक के टीएटी वाले एटीएम विवादों' की तुलना में 'टी+1 दिन के भीतर हल नहीं किए गए एटीएम विवादों' को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है.
मूल्य शृंखला भागीदार	हां. (https://www.idbibank.in/vigilance-mechanism-notice.aspx)	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं

हितधारक समूह	मौजूद शिकायत निवारण तंत्र (हाँ / नहीं) (नीति का वेब लिंक प्रदान करें)	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24			पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23		
		दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
अन्य	हां. (https://www.idbibank.in/vigilance-mechanism-notice.aspx) सतर्कता तंत्र नीति के अनुसार बैंक के इंट्रानेट पर व्हिसल ब्लोअर पोर्टल उपलब्ध है.	77	7	सतर्कता/ भ्रष्टाचार की दृष्टि से शिकायतें	137	4	सतर्कता/ भ्रष्टाचार की दृष्टि से शिकायतें

@ - प्रश्न संख्या 6 और 7 के अंतर्गत सिद्धांत 5 में इंगित यौन उत्पीड़न पर शिकायतों सहित कर्मचारी शिकायतें. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी शिकायतों के डेटा को संशोधित कर ऐसी शिकायतों को शामिल किया गया है.

26. संस्था के महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारोबारी आचरण मुद्दों का विहंगावलोकन

कृपया निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारोबारी आचरण और निरंतरता से संबंधित मुद्दों को इंगित करें जो आपके कारोबार के लिए या तो कोई जोखिम पैदा करते हैं या फिर कोई अवसर; उनको पहचानने के लिए तर्काधार और इसके वित्तीय निहितार्थों के साथ ही जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसको कम करने का दृष्टिकोण:

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	यह दर्शाएं जोखिम है या अवसर [आर / ओ]	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (नकारात्मक/सकारात्मक)
1	ग्राहक निजता और डेटा सुरक्षा	जोखिम	**जोखिम:** बैंकिंग क्षेत्र के लिए ग्राहक निजता और डेटा की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, जहां कई लेनदेन डिजिटल हैं, वहां सूचना और साइबर सुरक्षा के खतरे बढ़ रहे हैं. संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को संभालने के लिए मजबूत सुरक्षा के उपायों की आवश्यकता पर बल दिया जाता है.	• बैंक ने अपनी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं. बैंक ने सूचना सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना तैयार की है जो साइबर सुरक्षा जोखिम से निपटने के लिए प्रबंधन के इरादे और दिशा को स्पष्ट करती है. बैंक के पास फायरवॉल, राउटर, घुसपैठ जांच प्रणाली (आईडीएस) उपकरण/घुसपैठ रोकथाम प्रणाली (आईपीएस) उपकरण, विशेषाधिकार प्राप्त पहचान प्रबंधन (पीआईएम), एंटीवायरस, फ़िशिंग/ मैलवेयर प्रयास और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए सुरक्षा उपकरणों की केंद्रीकृत निगरानी का 24x7 सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) है. बैंक नियमित रूप से बाहरी अनुप्रयोगों की भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) भी आयोजित करता है.	**नकारात्मक जोखिम:** आंकड़ों की सुरक्षा का उल्लंघन और साइबर हमला होने की स्थिति में बैंक की प्रतिष्ठा पर आंच और हितधारकों के साथ संबंध पर उसका विपरीत प्रभाव हो सकता है.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	यह दर्शाएं जोखिम है या अवसर [आर / ओ]	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (नकारात्मक/सकारात्मक)
				• बैंक ने डेटा सेंटर (डीसी), आपदा निवारण केंद्र (डीआर) के साथ-साथ नियर डीआर सेंटर (एनडीआर) की स्थापना की है जो नवीनतम आईएसओ 27001:2013 सूचना सुरक्षा मानकों द्वारा प्रमाणित है.	
2.	ग्राहक संतुष्टि	जोखिम और अवसर	• **जोखिम:** निम्न ग्राहक संतुष्टि के कारण ग्राहक पलायन की दर अधिक हो सकती है. ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में विफलता से प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कम हो सकती है, जिससे नए ग्राहकों को आकर्षित करना और मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है. • **अवसर:** उच्च स्तरीय ग्राहक संतुष्टि से ग्राहक निष्ठा मजबूत हो सकती है, जिससे दीर्घकालिक संबंध और कारोबार में वृद्धि हो सकती है. इससे ब्रांड की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है.	• बैंक के पास एक समर्पित ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसी) और ग्राहक संपर्क केंद्र हैं जो ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करने और कई चैनलों के माध्यम से प्राप्त ग्राहक शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए 24x7 आधार पर दो स्थानों पर संचालित होते हैं. बैंक सभी चैनलों से प्राप्त शिकायतों को परिभाषित नीतियों के अनुरूप संभालता है, जिसमें आंतरिक सावधानी तंत्र के साथ समय-आधारित इन-बिल्ट एस्केलेशन मैट्रिक्स भी शामिल है. • बैंक ने अपने प्रत्येक अंचल कार्यालय में शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ), प्रधान कार्यालय में एक प्रधान नोडल अधिकारी (पीएनओ) नामित किया है और उन शिकायतों की जांच के लिए एक आंतरिक लोकपाल (आईओ) भी नियुक्त किया है जिन्हें बैंक अस्वीकार/ आंशिक समाधान प्रदान करने का प्रस्ताव करता है. • बैंक ने विभिन्न संपर्क बिंदुओं द्वारा प्रदान की गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए बैंक में दो वरिष्ठ स्तर की ग्राहक सेवा समितियों, अर्थात ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति (एससीसीएस) और बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन किया है.	**नकारात्मक जोखिम:** असंतुष्ट ग्राहकों के परिणामस्वरूप संभावित राजस्व हानि, बाजार हिस्सेदारी में कमी और बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अल्प और दीर्घ अवधि में लाभप्रदता में कमी आ सकती है. **सकारात्मक अवसर:** ग्राहकों की संतुष्टि से राजस्व में वृद्धि हो सकती है, ग्राहकों द्वारा उच्च उत्पाद ग्रहण, कम मंथन और ग्राहक आधार में आंगिक संवृद्धि हो सकती है, जिससे समय के साथ लाभप्रदता में सुधार हो सकता है.
3.	जोखिम प्रबंधन	जोखिम और अवसर	**जोखिम:** अपर्याप्त या असंतोषजनक जोखिम प्रबंधन से कई प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं जो वित्तीय स्थिरता, परिचालन दक्षता, विनियामक अनुपालन और समग्र प्रतिष्ठा को अत्यधिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं. **अवसर:** मजबूत जोखिम पहचान, प्रबंधन और शमन ढांचा संभावित खतरों के खिलाफ परिचालन लचीलापन बढ़ाता है और दीर्घकालिक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करता है.	• बैंक ने अपनी समग्र जोखिम क्षमता के भीतर जोखिम को कम करने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाने के लिए उचित सीमाओं और प्रक्रियात्मक पहलुओं को रेखांकित करते हुए स्पष्ट नीति ढांचा तैयार किया है. इसके अतिरिक्त, बैंक समय-समय पर नीति को अद्यतन करता है ताकि कारोबार की गतिशीलता, बैंकिंग नवाचारों, उभरते जोखिम परिदृश्यों और विनियामक परिवर्तनों के सार को समझकर जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में और सुधार सुनिश्चित किया जा सके.	**नकारात्मक जोखिम:** जोखिम प्रबंधन की विफलता से वित्तीय नुकसान, विनियामक दंड, प्रतिष्ठा को क्षति और संगठनात्मक अस्थिरता जैसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिससे लाभप्रदता, शेयरधारक मूल्य और बाजार प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आ सकती है. **सकारात्मक अवसर:** जोखिम कम करने से परिचालन दक्षता और कारोबार निरंतरता को इष्टतम किया जा सकता है जिससे स्थिर लाभप्रदता प्राप्त हो सकती है.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	यह दर्शाएं जोखिम है या अवसर [आर / ओ]	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (नकारात्मक/सकारात्मक)
				• बैंक ने एक सुदृढ़ और तकनीकी रूप से उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन आर्किटेक्चर (आईआरएमए) लागू किया है जिसमें सॉफ्टवेयर समाधान अर्थात जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (आरएएम), पूंजी मूल्यांकन मॉडल (सीएएम), और व्यापक परिचालनगत जोखिम मूल्यांकक (सीओआरई) शामिल हैं	
4.	डिजिटाइजेशन	अवसर	**अवसर**: डिजिटाइजेशन कारोबारी मॉडल का रूपांतरण करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, ग्राहक अनुभव में सुधार लाने, योजना/सेवा नवाचारों को शुरू करने, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को बढ़ाने, अनुपालन में सुधार करने सहित अन्य क्षेत्रों के लिए कई अवसर प्रस्तुत करता है.	-	**सकारात्मक अवसर:** डिजिटल प्रौद्योगिकियां डिजिटल चैनलों के माध्यम से ग्राहक अनुभव को बढ़ाने, बैक-ऑफिस प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और अयांत्रिक कार्यों के स्वचालन में मदद कर सकती हैं, जिससे टर्नअराउंड समय में सुधार होता है, इस प्रकार, डेटा-संचालित ग्राहक खंड को लक्षित करने और नई राजस्व क्षेत्र खोलने में मदद मिल सकती है. अवसरों में निरंतर राजस्व वृद्धि की संभावना है.
5.	अनुपालन	जोखिम और अवसर	**जोखिम:** सांविधिक /विनियामक मानदंडों के अनुपालन में विफलता जोखिम पैदा करती है क्योंकि इससे वित्तीय हानि, विनियामक दंड, प्रतिष्ठा संबंधी क्षति और परिचालन अस्थिरता हो सकती है. **अवसर:** प्रभावी अनुपालन प्रथाएं ब्रांड विश्वास बनाने और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक अवसर के रूप में काम कर सकती हैं. सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और नैतिक आचरण के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर, बैंक ग्राहकों, निवेशकों, विनियामकों और अन्य हितधारकों का भरोसा और विश्वास अर्जित कर सकता है.	बैंक आंतरिक नियंत्रण और स्तरीय समीक्षाओं की एक संरचित प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार, रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और अन्य विनियामक/ सांविधिक निकायों द्वारा निर्धारित विभिन्न सांविधिक और विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. • बैंक ने एक व्यापक अनुपालन नीति लागू की है. • बैंक ने प्रधान कार्यालय में मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) नामित किया है. • बैंक ने उन्नत प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अर्थात् cermo+NXT को लागू करके आंतरिक अनुपालन संस्कृति को व्यापक स्तर पर मजबूत किया है. जिसमें रिजर्व बैंक को अनुपालन संबंधी जानकारी समय पर प्रस्तुत करने और उचित डेटा प्रबंधन को सक्षम करने के लिए ट्रैकर मौजूद है.	**नकारात्मक जोखिम:** लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप मौद्रिक जुर्माना/दंड लगाया जा सकता है, ग्राहक पलायन, हितधारक विश्वास की हानि, कानूनी लागत हो सकते हैं, जिससे राजस्व हानि हो सकती है. **सकारात्मक अवसर:** प्रभावी अनुपालन बेहतर परिचालन स्थिरता, विनियामक जुर्माने/दंड से बचने, कानूनी लागत कम करने, प्रतिष्ठा और ब्रांड मूल्य बढ़ाने में मदद कर सकता है.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	यह दर्शाएं जोखिम है या अवसर [आर / ओ]	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (नकारात्मक/सकारात्मक)
6.	ग्राहक जागरूकता	अवसर	**अवसर:** बैंकिंग योजनाओं/सेवाओं और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता बढ़ने से ग्राहकों के बीच भरोसा और विश्वास पैदा करने में मदद मिलती है. पारदर्शी और समझने योग्य तरीके से जानकारी प्रदान करने से बैंकों को ग्राहक हित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने में मदद मिलती है और इस प्रकार गहरी सहभागिता और निष्ठा बढ़ती है.	-	**सकारात्मक अवसर:** बेहतर ग्राहक जागरूकता बैंकों को ग्राहक संबंधों को मजबूत करने, अधिक प्रति-विक्रय और उपरि-विक्रय अवसरों का लाभ उठाने, ग्राहक सेवा पूछताछ/शिकायतों को कम करने और ग्राहकों के लिए जोखिमों को कम करने में मदद कर सकती है. इससे बैंकों को अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने और राजस्व वृद्धि में मदद मिल सकती है.
7.	कारोबारी नैतिकता और अभिशासन	जोखिम और अवसर	**जोखिम:** कारोबारी नैतिकता में कमी और अभिशासन संबंधी जोखिमों के कारण अत्यधिक जोखिम लेना, अनुपालन विफलताएं और धोखाधड़ी की घटनाएं होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा होती हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा, वित्तीय स्थिरता और विनियामक जांच प्रभावित होती है. **अवसर:** मजबूत कारोबारी नैतिकता और प्रभावी कॉरपोरेट अभिशासन प्रथाएं हितधारक विश्वास बढ़ाने, सकारात्मक ब्रांड छवि बनाने और दुर्भावनापूर्ण प्रथाओं को कम कर बैंकों पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं.	• कॉरपोरेट अभिशासन की बेहतरीन पद्धतियों को लागू करने और विधिक एवं विनियामक प्रावधानों तथा बैंकिंग परंपराओं के ढांचे के भीतर आवश्यक प्रकटीकरण का अधिकार बैंक के निदेशक मंडल तथा बोर्ड की विभिन्न समितियों को है. • बैंक ने सामान्य आचार संहिता और नैतिकता के साथ-साथ अन्य नीतियों एवं प्रक्रियाओं को भी लागू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक का संचालन नैतिक रूप से हो और मजबूत कॉरपोरेट प्रशासन मानकों का अनुपालन हो. • बैंक ने नैतिक और अनुपालन संस्कृति का प्रचार सुनिश्चित करने के लिए बैंक में मुख्य नैतिकता अधिकारी/अंचल नैतिकता अधिकारियों की अवधारणा भी प्रारंभ की है. • बैंक ने एक पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) नीति भी लागू की है जो नैतिक और वैध व्यावसायिक आचरण को प्राथमिकता देती है.	**नकारात्मक जोखिम:** अनैतिक आचरण और असंतोषजनक अभिशासन प्रथाओं का अन्य के साथ-साथ वित्तीय नुकसान, हितधारक विश्वास में गिरावट, विनियामक दंड/जुर्माना/कार्रवाई, प्रतिष्ठा संबंधी क्षति आदि के रूप में गंभीर प्रभाव पड़ता है. **सकारात्मक अवसर:** नैतिक आचरण सभी हितधारकों, विशेष रूप से ग्राहकों के साथ भरोसा और विश्वसनीयता का निर्माण करता है, जिससे ग्राहक प्रतिधारण और निष्ठा बढ़ती है और इस प्रकार, व्यवसाय में वृद्धि होती है. इसके अतिरिक्त, कम दंड/जुर्माना, कानूनी लागत और बेहतर दक्षता समग्र लाभप्रदता में योगदान करती है.

क्रम सं.	अभिज्ञात महत्वपूर्ण मुद्दा	यह दर्शाएं जोखिम है या अवसर [आर / ओ]	जोखिम / अवसर का पता लगाने के पीछे तर्क	जोखिम के मामले में, जोखिम के अनुकूल बनने अथवा उसे कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम अथवा अवसर के वित्तीय निहितार्थ (नकारात्मक/सकारात्मक)
8.	प्रतिस्पर्धी व्यवहार	जोखिम और अवसर	**जोखिम:** बैंकों द्वारा प्रतिस्पर्धी व्यवहार में कमी के कारण परिचालन संबंधी अक्षमताएं, उच्च लागत, ग्राहक सेवा में कमी और योजना/सेवा नवाचार में ठहराव आता है. **अवसर:** बैंकों में प्रतिस्पर्धी व्यवहार नवीन योजनाओं/ सेवाओं, बेहतर ग्राहक अनुभव और परिचालन दक्षता में सुधार के माध्यम से अपनी बाजार स्थिति को बढ़ाने के कई अवसर प्रस्तुत करता है.	• बैंक अपनी बाजार स्थिति को बढ़ाने और ग्राहकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील होकर विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी व्यवहार में संलग्न है. यह प्रभावी नेतृत्व निरीक्षण और मजबूत नीतियों/प्रक्रियाओं के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है. • बैंक समय-समय पर अपने मौजूदा योजनाओं/सेवाओं की समीक्षा करता है और बाजार की गतिशीलता के अनुरूप नई योजनाएं/सेवाएं पेश करता है. • इसके अतिरिक्त, बैंक ग्राहक अनुभव में वृद्धि के लिए तकनीकी प्रगति का लाभ उठाता है और इससे ग्राहक प्रतिधारण और अधिग्रहण में वृद्धि होती है.	**नकारात्मक जोखिम:** प्रतिस्पर्धी व्यवहार के अभाव से ग्राहकों में असंतोष और पलायन हो सकता है, जिससे बाजार हिस्सेदारी कम हो सकती है और वित्तीय हानि हो सकती है. **सकारात्मक अवसर:** नई योजनाओं की शुरूआत, बेहतर ग्राहक सेवा, परिचालन दक्षता में वृद्धि से बाजार तक पहुंच बढ़ाने में मदद मिल सकती है और इस तरह राजस्व प्रवाह और लाभप्रदता बढ़ती है.
9.	रोजगार प्रथाएं	अवसर	**अवसर:** बैंकों में विकास के लिए मानव पूंजी सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है और ग्राहक अनुभव, ब्रांड छवि, परिचालन स्थिरता, परिचालन दक्षता के संदर्भ में अवसर प्रदान करती है और प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करती है.	-	**सकारात्मक अवसर:** एक कुशल और प्रतिबद्ध कार्यबल का लाभ, अधिक ग्राहक संतुष्टि, बेहतर बाजार हिस्सेदारी, नैतिक आचरण, बेहतर जोखिम प्रबंधन, कारोबार विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसरों का लाभ उठाने से प्रकट होता है.
10.	कर्मचारी कल्याण	जोखिम और अवसर	**जोखिम:** कर्मचारियों के कल्याण को उचित महत्व न देने से उत्पादकता में कमी, अनुपस्थिति में वृद्धि, उच्च आवर्त दर, शीर्ष प्रतिभा को आकर्षित करने में असमर्थता, खराब परिचालन प्रबंध, मनोबल में कमी आदि विभिन्न जोखिम हो सकते हैं. **अवसर:** कर्मचारी कल्याण को प्राथमिकता देना बैंकों के लिए अवसर प्रस्तुत करता है क्योंकि एक खुशहाल श्रमशक्ति उत्पादकता में सुधार और बेहतर ग्राहक सेवा मानकों को सुनिश्चित करने में मदद करता है. एक समृद्ध और अनुकूल कार्य संस्कृति बेहतर ग्राहक अनुभव, ग्राहक प्रतिधारण को बढ़ावा देने और ग्राहक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने में मदद करती है.	• बैंक ने सभी कर्मचारी नीतियों और प्रक्रियाओं को 'मानव-केंद्रित' दृष्टिकोण के साथ निर्मित किया है. इस दिशा में, बैंक अपने श्रमशक्ति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई वित्तीय और गैर-वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है. • बैंक ने व्यावसायिक उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए सीखने और कर्मचारी नियुक्ति पर ध्यान केंद्रित करके कर्मचारी विकास की सुविधा प्रदान किया है. • इसके अलावा, बैंक अपने श्रमशक्ति को सर्वांगीण व्यावसायिक विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है.	**नकारात्मक जोखिम:** कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित न करने से उत्पन्न होने वाले जोखिम जैसे अनुपस्थिति, उच्च पलायन, उत्पादकता में कमी के परिणामस्वरूप भर्ती लागत और प्रशिक्षण व्यय के रूप में प्रत्यक्ष वित्तीय हानि हो सकती है. इसके अतिरिक्त, ग्राहक सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव से राजस्व के अवसर खो सकते हैं, जिससे व्यवसाय की वृद्धि और लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है. **सकारात्मक अवसर:** एक सकारात्मक कार्य संस्कृति शीर्ष प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद कर सकती है, जिससे बेहतर ग्राहक सेवा और सकारात्मक ब्रांड छवि जैसे सकारात्मक लाभ मिल सकते हैं जो कारोबार के विकास में मदद कर सकते हैं.

भाग आ : प्रबंधन और प्रक्रियाओं का प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य कारोबार में एनजीआरबीसी के सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रकट करने में मदद करना है.

	प्रकटीकरण संबंधी प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
	नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1.	**क. क्या आपकी संस्था की नीति / नीतियों में एनजीआरबीसी के हर सिद्धांत और इसके मूलभूत सिद्धांतों को शामिल किया गया है? [हाँ / नहीं]**	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ख. क्या यह नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है ? [हाँ/ नहीं]	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	ग. इन नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हों	1,2,3,4	5,6	7,8,9,10	5	7	5	5	11	12, 13
2.	**क्या संस्था ने अपनी नीतियों को क्रियाविधियों में परिवर्तित किया है ? [हाँ / नहीं]**	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3.	**क्या सूचीबद्ध नीतियाँ आपकी मूल्य श्रृंखला भागीदारों पर भी लागू होती हैं [हाँ/नहीं]**	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4.	**आपकी संस्था द्वारा अपनाये गये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड / प्रमाणपत्र / लेबल्स / मानकों [जैसे, फॉरेस्ट स्टूअर्ड्शिप काउंसिल, फेयर ट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायन्स, ट्रस्टी] मानक [जैसे एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस] का नाम और अपने हर सिद्धांत के साथ उन्हें जोड़ लिया है.**	बैंक ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा अन्य संवैधानिक प्राधिकरण/विनियामक द्वारा निर्धारित अन्य सभी लागू कानूनों/नियमों को अपनाया और उनका अनुपालन करता है. बैंक की कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रक्रियाएं आईएसओ 22301:2019 के रूप में प्रमाणित हैं.								
5.	**संस्था द्वारा सुपरिभाषित समय सीमा के साथ विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और निर्धारित लक्ष्य, यदि कोई हों**	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
6.	**संस्था का विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्य और लक्ष्यों को लेकर कार्यनिष्पादन तथा यदि इनमें से कोई पूरा नहीं हुआ है तो उसके कारण**	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अभिशासन, नेतृत्व और निरीक्षण									
7.	**कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा कथन, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया हो** - कृपया प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) द्वारा दिये गए कथन को वार्षिक रिपोर्ट के बीआरएसआर खंड में देखें.									
8.	**कारोबारी उत्तरदायित्व की नीति(यों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण.**	श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी								
9.	**क्या संस्था में बोर्ड / निदेशक की ऐसी कोई निर्दिष्ट समिति है जो संधारणीयता से संबंधित मुद्दों के बारे में निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? [हाँ / नहीं] यदि हाँ, तो विवरण दें.**	संधारणीयता संबंधी मुद्दों के लिए बैंक अपनी पर्यावरण, सामाजिक एवं अभिशासन (ईएसजी) की नीति द्वारा निर्देशित है. बैंक के बोर्ड की सीएसआर एवं ईएसजी समिति ईएसजी संबंधी पहलों के निरीक्षण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है. बैंक की सीएसआर एवं ईएसजी की प्रबंधन समिति एक आंतरिक समिति है, जिसमें वरिष्ठ कार्यपालक शामिल होते हैं, बैंक की ईएसजी कार्यसूची को अतिरिक्त गति प्रदान करने के लिए समय-समय पर उल्लेखित उद्देश्यों के अंतर्गत इसके कार्यनिष्पादन की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार हैं.								

टिप्पणियां:

1. *बैंक ने सामान्य आचरण एवं सदाचार संहिता लागू की है जिसे https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx लिंक पर देखा जा सकता है.*
2. *बैंक ने सतर्कता तंत्र पर नीति लागू किया है जिसे https://www.idbibank.in/pdf/Policy-on-Vigil-Mechanism-.pdf पर देखा जा सकता है.*

3. *बैंक ने अधिकारियों की सेवा, आचरण, अनुशासन और अपीलों के लिए नियमावली लागू की है, जो बैंक का आंतरिक दस्तावेज है और गोपनीयता के कारण जनता को उपलब्ध नहीं कराया गया है.*

4. *बैंक ने रिश्वत-विरोधी और भ्रष्टाचार-विरोधी नीति लागू की है जिसे https://www.idbibank.in/pdf/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Policy.pdf. पर देखा जा सकता है.*

5. *बैंक ने ईएसजी नीति बनायी है जिसे https://www.idbibank.in/pdf/ESG-Policy.pdf पर देखा जा सकता है.*

6. *बैंक कारोबारी निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रक्रियाओं के बारे में अपने वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटीकरण करता है. वार्षिक रिपोर्ट को https://apps.idbibank.in/idbiapp/idbi-bank-anual-report.aspx. पर देखा जा सकता है. इसके अतिरिक्त, बैंक का बीसीएम प्रकटन विवरण https://www.idbibank.in/pdf/basel/bcm-disclosure.pdf पर देखा जा सकता है.*

7. *बैंक ने मानवाधिकार नीति लागू की है जिसे https://www.idbibank.in/pdf/Human-Rights-Policy.pdf पर देखा जा सकता है.*

8. *बैंक ने समान अवसर नीति लागू की है जिसे https://www.idbibank.in/pdf/Equal-Opportunity-Policy-Employees.pdf पर देखा जा सकता है.*

9. *कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, (रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप, बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी प्राप्त शिकायतों का निवारण करने के लिए दो समितियाँ गठित की हैं. जिनके विवरण को https://www.idbibank.in/pdf/Sexual-Harassment-Redressal-Policy.pdf. पर देखा जा सकता है.*

10. *बैंक ने अपने श्रमशक्ति को भौतिक सुरक्षा जोखिमों से बचाने के लिए सुरक्षा नीति लागू की है. यह नीति एक आंतरिक दस्तावेज़ है और गोपनीयता के कारण जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है.*

11. *बैंक की सीएसआर गतिविधियां इसकी सीएसआर नीति से अभिशासित होती है जिसे https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy.pdf पर देखा जा सकता है.*

12. *बैंक अपनी ग्राहक सेवा नीति (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Customer_Care_Policy.pdf), ग्राहक अधिकार नीति (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Customer_Rights_Policy.pdf), शिकायत विचारण नीति (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Grievance_Redressal_Policy.pdf) और ग्राहक क्षतिपूर्ति नीति (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Compensation-Policy-Upload.pdf) में निर्धारित शर्तों के अनुसार अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है और अपने ग्राहकों का सम्मान करता है.*

13. *बैंक ने साइबर सुरक्षा के संबंध में नीतियाँ। दिशानिर्देश जारी किये हैं जो बैंक के आंतरिक दस्तावेज हैं और वे गोपनीयता के कारण जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराए गये हैं.*

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का ब्योरा:

समीक्षा के लिए विषय	यह दर्शायें कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / अन्य किसी समिति द्वारा समीक्षा की गयी थी									आवृत्ति (वार्षिक / छमाही / त्रैमासिक / अन्य कोई - कृपया निर्दिष्ट करें)								
	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
उपर्युक्त नीतियों के संबंध में कार्यनिष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	बैंक अपनी नीतियों की नियमित समीक्षा, संबंधित नीति दस्तावेजों में उल्लिखित अनुसार और/या सक्षम अधिकारियों द्वारा आवश्यक समझे जाने पर करता है. इन नीतियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है और आवश्यकतानुसार नीतियों और प्रक्रियाओं में समायोजन या संशोधन किए जाते हैं.																	
सिद्धांतों से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन में सुधार	बैंक संबंधित सांविधिक/विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचित सभी लागू कानूनों/विनियमों का अनुपालन करता है.																	

11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों का स्वतंत्र रूप से आकलन / मूल्यांकन करवाया है? (हाँ / नहीं). यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएं.

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

12. यदि उपर्युक्त प्रश्न (11)का उत्तर ''नहीं'' है, अर्थात् नीति में सभी सिद्धांत शामिल नहीं है, कारणों का उल्लेख किया जाए :

प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
संस्था इन सिद्धांतों को अपने कारोबार की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं मानती है (हाँ /नहीं)	सभी सिद्धांत नीतियों में शामिल नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन मनोभाव से उनका पालन किया जाता है और बैंक के परिचालन के तरीके का हिस्सा होते हैं.								
संस्था ऐसी स्थिति में नहीं है कि जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ बना सके और उनको कार्यान्वित कर सके (हाँ / नहीं)									
संस्था के पास उक्त कार्य के लिए वित्तीय या मानव और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ / नहीं)									
इसे अगले वित्तीय वर्ष में किये जाने की योजना है (हाँ / नहीं)									
अन्य कोई कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)									

खंड ग : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन का प्रकटीकरण

संस्था, प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में अपना कार्यनिष्पादन प्रदर्शित करती है.

सिद्धांत 1: कारोबारों को स्वयं को अखंडता के साथ और ऐसी पद्धति से संचालित और अभिशासित करना चाहिए, जो नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेहयुक्त हो.

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता द्वारा कवरेज का प्रतिशत:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत कवर किए गए विषय / सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम में शामिल संबंधित श्रेणियों के व्यक्तियों का %
निदेशक मंडल	9	ए . नवनियुक्त निदेशकों के लिए बैंक के विभागों के संबंध में परिचय कार्यक्रम. बी. सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग (सीएएफ़आरएएल) द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) और धन शोधन निवारण (एएमएल) पर प्रशिक्षण सत्र. सी. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) द्वारा उद्यम जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड का ध्यान बढ़ाने पर केंद्रित कार्यशाला.	85.71%*
		डी. सीएएफआरएएल द्वारा आयोजित बैंकों, वित्तीय संस्थानों (एफआई) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के बोर्ड में कार्यरत निदेशकों के लिए अभिशासन प्रशिक्षण.	

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत कवर किए गए विषय / सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रम में शामिल संबंधित श्रेणियों के व्यक्तियों का %
		ई. इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (आईओडी), भारत द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के नामित निदेशकों के लिए निदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए मास्टरक्लास. एफ़. सतत नेतृत्व - आईओडी के लिए पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) पर जरूरत के अनुसार इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम. जी. इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) द्वारा उच्च-प्रदर्शन बोर्डों को सशक्त बनाने पर कार्यक्रम. एच. आईटी और साइबर सुरक्षा पर सत्र. आई. रणनीतिक नवोन्मेष एवं नेतृत्व पर मास्टरक्लास.	
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	14	ए. रणनीतिक नवोन्मेष एवं नेतृत्व मास्टरक्लास. बी. सतत नेतृत्व - आईओडी के लिए ईएसजी पर जरूरत के अनुसार इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम. सी. आईएसबी द्वारा उच्च-प्रदर्शन बोर्डों को सशक्त बनाने पर कार्यक्रम. डी. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन, नैतिकता और सचिवीय मामलों के अनुपालनों पर वेबिनार और प्रशिक्षण. ई. एएमएल जागरूकता कार्यक्रम. एफ़. वरिष्ठ प्रबंधन के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम.	100.00%*
निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को छोड़ कर अन्य कर्मचारी	1,998	विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत विषयों/सिद्धांतों को कवर किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आरोहण 2.0, फ्रंटलाइन अधिकारियों के लिए भूमिका-आधारित कार्यशालाएं, ग्राहक सेवा, कल्याण कार्यक्रम, बीआरएसआर और ईएसजी मॉड्यूल आदि शामिल थे.	98.69%
कामगार	40	स्वस्थ एवं व्यावसायिक तथा वैयक्तिक रूप से सफल जीवन जीने के संबंध में स्वास्थ्य कार्यक्रम, अनुसूचित जाति (एससी) / अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उम्मीदवारों के पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण, तनाव प्रबंधन योग दिवस, स्वास्थ्य संबंधी व्याख्यान श्रृंखला- कैंसर जागरूकता, कल्याण और मानवाधिकार जागरूकता, ओजस ऑनलाइन ई लर्निंग मॉड्यूल, आदि.	92.79%

** - निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की कुल संख्या में एमडी एवं सीईओ और डीएमडी शामिल हैं और इसे 31 मार्च 2024 तक माना गया है.*

2. **वित्तीय वर्ष के दौरान विनियामकों / कानून प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों के द्वारा की गई कार्रवाई (संस्था द्वारा या निदेशकों/ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा) में लगाया गया जुर्माना / दंड / सजा / फैसला / चक्रवृद्धि शुल्क / निपटान राशि के भुगतान का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण:**

(नोट: सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट, महत्व के आधार पर और जिसका संस्था की वेबसाइट पर प्रकटीकरण किया गया हो, के अनुसार प्रकटन किया जायेगा):

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	**विनियामक / प्रवर्तन एजेंसी/ न्यायिक संस्था का नाम**	**राशि (भारतीय रुपयों में)**	**मामले का संक्षिप्त सार**	**क्या कोई अपील दर्ज की गई है ? (हाँ / नहीं)**
दंड / जुर्माना	1	भारतीय रिज़र्व बैंक	₹ 6,76,136	गुप्त निरीक्षणों के दौरान सिक्कों और छोटे मूल्यवर्ग के नोटों तथा कटे-फटे नोटों के आदान-प्रदान पर दिशानिर्देशों का गैर -अनुपालन (₹ 1,10,000/-) 11 मामले. करेंसी चेस्ट द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को किए गए विप्रेषणों के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्टों को दिया गया दंड (₹ 5,02,468) 98 मामले. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एजेंसी कमीशन के लिए दावा की गई अतिरिक्त राशि (₹ 63,668) एक मामला.	नहीं
निपटान	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
चक्रवृद्धि शुल्क	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

गैर-मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	**विनियामक / प्रवर्तन एजेंसी / न्यायिक संस्था का नाम**	**राशि (रुपये में)**	**मामले का संक्षिप्त सार**	**क्या कोई अपील दर्ज की गई है (हां / नहीं)**
कारावास	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
सजा	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं

3. **उपर्युक्त प्रश्न 2 में प्रकट की गयी जानकारी में से उन मामलों के ब्योरे जिनके मामले में अपील / संशोधन दर्ज किया गया है जहां मौद्रिक अथवा गैर- मौद्रिक कार्रवाई करने की अपील की गयी है.**

मामले का ब्योरा	विनियामक / प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थाओं के नाम
लागू नहीं	

4. **क्या संस्था की कोई भ्रष्टाचार निरोधक अथवा रिश्वतखोरी निरोधक नीति है? यदि हाँ, तो उसका संक्षिप्त ब्योरा दें और यदि उपलब्ध हो, तो इस नीति से संबंधित वेब लिंक उपलब्ध कराएं.**

सीवीसी मैनुअल (2021 में अद्यतित) के अनुसार रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और अन्य सतर्कता मामलों के लिए बैंक केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी नीति/दिशानिर्देशों द्वारा शासित होता है. सीवीसी मैनुअल सीवीसी की वेबसाइट (www.cvc.gov.in) पर उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त, अधिकारी अनुशासन और अपील की नियमावली -2006 (ओडीएआर- 2006) पर बैंक की नीति के अनुसार ऐसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पर कार्रवाई करने के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश और प्रक्रिया का उल्लेख पैराग्राफ सं. 12 में किया गया है.

5. निदेशकों/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों/कर्मचारियों/कामगारों की संख्या जिनके विरुद्ध किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा रिश्वत खोरी/भ्रष्टाचार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:

	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24	पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23
निदेशक	0	0
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	0	0
कर्मचारी	0*	2*
कामगार	0	0

**- केवल सीबीआई के मामलों के संदर्भ में.*

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का ब्योरा:

	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24		**पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23**	
	संख्या	**टिप्पणी**	**संख्या**	**टिप्पणी**
निदेशकों के हितों के टकराव के मामलों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	-	0	-
केएमपी के हितों के टकराव के मामलों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	-	0	-

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों में विनियामकों / कानून प्रवर्तन एजेंसियों / न्यायिक संस्थानों द्वारा लगाये गये दंड / जुमनि / की गयी कार्रवाई से संबंधित मामलों पर कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो या की जा रही हो तो उसका विवरण प्रस्तुत करें.

शून्य

8. निम्नलिखित प्रारूप में देनदारी लेखों के दिनों की संख्या (देनदारी लेखे*365)/ खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत):

	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24	**पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23**
देनदारी लेखों के दिनों की संख्या	37.89	39.39
	व्यवसाय मॉडल को ध्यान में रखते हुए, बैंक की सीधे देनदारी लेखों से संबंधित देयता नहीं है. बैंक की देयता को 'अन्य देयताएं' शीर्षक के अंतर्गत समूहित किया गया है और इसकी निगरानी खाता मालिकों द्वारा की जाती है.	

9. व्यापार की स्पष्टता:

निम्नलिखित प्रारूप में ट्रेडिंग हाउस, व्यापारियों और संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम एवं निवेश सहित खरीद और बिक्री का संकेंद्रण का विवरण प्रदान करें:

मापदंड	**मेट्रिक्स**	**चालू वित्तीय वर्ष 2023-24**	**पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23**
खरीद संकेंद्रण	क. कुल खरीद के % के रूप में ट्रेडिंग हाउस से खरीद	बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में लगी एक बैंकिंग कंपनी होने के नाते बैंक पर खरीद और बिक्री मानदंड लागू नहीं होते हैं. बैंक के पास जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं का व्यापक आधार है जो इसकी नीतियों के अनुसार जुटाये जाते हैं. बैंक का ट्रेडिंग हाउस/व्यापारियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है. संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन निष्पक्ष रूप से किए जाते हैं. बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में संबंधित चार श्रेणियों के शीर्ष 20 खातों के संबंध में जमा, अग्रिम, एक्सपोजर और एनपीए के संकेंद्रण का प्रकटन किया गया है.	
	ख. ट्रेडिंग हाउस की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है.		
	ग. ट्रेडिंग हाउस से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 ट्रेडिंग हाउस से खरीदारी.		

मापदंड	मेट्रिक्स	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24	पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23
बिक्री संकेंद्रण	क. कुल बिक्री के % के रूप में व्यापारियों/ वितरकों को बिक्री		
	ख. व्यापारियों/वितरकों की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है		
	ग. व्यापारियों/ वितरकों के कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 व्यापारियों/वितरकों को बिक्री		
आरपीटी का हिस्सा	क. खरीद (संबंधित पक्षों से खरीद/ कुल खरीद)		
	ख. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/ कुल बिक्री)		
	ग. ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिये गये ऋण एवं अग्रिम/ कुल ऋण एवं अग्रिम)[#]	0.28%	0.01%
	घ. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/ किया गया कुल निवेश)[##]	0.26%	0.33%

 # - संबंधित पक्ष को प्रदत्त ऋण/बैंक के सकल अग्रिम.

- संबंधित पक्ष में निवेश/बैंक के कुल सकल निवेश.

नेतृत्व संकेतक :

1. मूल्य शृंखला के भागीदारों के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किसी भी सिद्धांत पर चलाये गये जागरूकता कार्यक्रम :

आयोजित किये गये जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण में शामिल किये गये विषय / सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किये गये मूल्य शृंखला के भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये कारोबार के मूल्य के आधार पर)
2	• ईएसजी, एनजीआरबीसी सिद्धांतों और बीआरएसआर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल. • कार्मिकों की सुरक्षा, टीम वर्क, सहकर्मियों के साथ अपनाए जाने वाले अच्छे व्यवहार, समय प्रबंधन, निवारक रखरखाव, नैतिक मूल्यों आदि जैसे विषयों पर प्रशिक्षण.	• बैंक ने ईएसजी, एनजीआरबीसी सिद्धांतों और बीआरएसआर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल के संबंध में अपने आपूर्ति शृंखला भागीदारों को जागरूकता ई-मेल भेजे थे. • इसके अलावा, बैंक ने इन विषयों पर मुंबई में बैंक के प्रधान कार्यालय में कार्यरत मूल्य शृंखला भागीदारों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है.

2. **क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों के हितों के टकराव को टालने के लिए /प्रबंधन करने के लिए कोई प्रक्रिया मौजूद है? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो उक्त का विवरण प्रस्तुत करें.**

हां, बैंक ने बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव को संबोधित करने के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाएं बनायी हैं. निदेशकों से संबंधित मुद्दों सहित हितों के टकराव को दूर करने के लिए बैंक की सामान्य आचार संहिता और नैतिकता, बैंक की वेबसाइट (https://www.idbibank.in/idbi-bank-general-code-of-conduct-ethics.aspx) पर उपलब्ध है.

इसके अभिशासन ढांचे के एक भाग के रूप में, बोर्ड के सदस्यों को बाहरी संस्थाओं में अपने हितों में किसी भी बदलाव को बोर्ड को तुरंत प्रकट करना आवश्यक है. यह प्रकटन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में होने वाली बोर्ड की पहली बैठक के दौरान किया जाता है और उसके बाद बदलाव होने पर किसी विशेष कार्यसूची मद में निहित निदेशक निष्पक्ष निर्णय लेना सुनिश्चित करने के लिए भागीदारी से दूर रहते हैं.

सिद्धांत 2:- कारोबार को इस प्रकार वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हों

आवश्यक संकेतक :

1. **संस्था द्वारा कुल आर एंड डी तथा पूंजीगत व्यय निवेशों के लिए योजना एवं प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभावों को सुधारने के लिए विशिष्ट तकनीकों में क्रमशः आर एंड डी और पूंजीगत व्यय (केपेक्स) निवेशों का प्रतिशत.**

	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24	पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23	पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रभावों में आये सुधार का ब्योरा
अनुसंधान और विकास	वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में संचालन की प्रकृति को देखते हुए यह लागू नहीं है.		
केपेक्स			

2. **क. क्या संस्था के पास टिकाऊ सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हाँ/नहीं)**

ख. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत निविष्टियां संधारणीयता रूप से प्राप्त की गईं?

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में अपनी नई खुली शाखाओं और कुछ अन्य कार्यालयों/आवासीय फ्लैटों के लिए ग्रीन बिल्डिंग उत्पाद जैसे ग्रीन प्लाईवुड, एलईडी लाइट आदि की खरीद की है.

बैंक ईएसजी मापदंडों के तहत अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अपने विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करेगा, ताकि उन्हें अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग, राष्ट्रीय और स्थानीय श्रम कानूनों का पालन और बाल, जबरन या तस्करी आदि से लाया गया श्रम सहित मानव अधिकार जैसे स्थायी प्रथाओं के लिए उपाय करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके.

बैंक उन आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता देता है जो, जहां संभाव्य हो, ईएमएस/आईएसओ14001 प्रमाणित हों. बैंक ईएसजी अनुपालक आपूर्तिकर्ताओं पर अधिक आश्रित रहने के लिए प्रतिबद्ध है.

3. **जीवनकाल की समाप्ति पर अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें:**

(क) प्लास्टिक (पैकिंग सामग्री सहित)

(ख) ई-वेस्ट

(ग) हानिकारक कचरा

(घ) अन्य कचरा

इस बात पर विचार करते हुए यह लागू नहीं है कि वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में इसके परिचालन की प्रकृति को देखते हुए बैंक के पास ऐसा कोई उत्पाद नहीं है जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके.

हालाँकि, क्षेत्र के प्रकार को देखते हुए, ई-वेस्ट महत्वपूर्ण हानिकारक कचरे में से एक है. ई-वेस्ट के निपटान के लिए, बैंक ने ई-वेस्ट प्रबंधन नीति निर्मित की है जो सभी शाखाओं, वर्टिकलों, क्षेत्रीय कार्यालयों और अंचल कार्यालयों को कवर करती है. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा निर्धारित मौजूदा निपटान दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी ई-वेस्ट का निपटान उसके उत्पादन के 180 दिनों के भीतर किया जाए. सभी ई-वेस्ट का निपटान केवल पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को ही किया जाता है. बैंक ने उत्पन्न और निपटाए गए ई-वेस्ट की ट्रैकिंग के लिए एक प्रणाली भी स्थापित की है.

इसके अलावा, अपने प्रयासों के साथ संधाणीयता को समाहित करने के प्रयास में, बैंक डिजिटल चैनलों के जरिए योजनाएं एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का प्रयास करता है. साथ ही, दैनंदिन कार्यों में बैंक के डिजिटल प्रयासों का उद्देश्य कागज के उपयोग को तर्कसंगत बनाना है.

4. क्या संस्था की गतिविधियों के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) लागू है ?(हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो क्या कचरा उठाने की योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की गई विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी(ईपीआर) के अनुरूप है? यदि नहीं, तो उक्त के समाधान के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करें.

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक :

1. क्या संस्था ने अपने किसी भी उत्पाद के लिए (विनिर्माण क्षेत्र के लिए) या अपनी किसी भी सेवाओं के लिए (सेवा उद्योग के लिए) उसका जीवन चक्र परिदृश्य / मूल्यांकन (एलसीए) किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में उसका ब्योरा प्रस्तुत करें.

एनआईसी कोड	उत्पाद / सेवा का नाम	योगदान दिए गये कुल कारोबार का प्रतिशत	सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिदृश्य/ मूल्यांकन किया गया था	क्या किसी बाहरी स्वतंत्र संस्था द्वारा किया गया था ? (हाँ / नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो कृपया वेब लिंक उपलब्ध कराएं
लागू नहीं					

2. यदि आपके उत्पाद के निर्माण अथवा सेवा से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक अथवा पर्यावरणीय चिंताओं के मुद्दे पैदा हो रहे हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिदृश्य / मूल्यांकन, (एलसीए) में या अन्य किसी माध्यम के जरिये पहचाना गया है, तो उसका संक्षेप में वर्णन करें और उसे घटाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं, यह बताएं.

उत्पाद / सेवा का नाम	जोखिम / चिंता का वर्णन	की गई कार्रवाई
लागू नहीं		

3. उत्पादन में (विनिर्माण उद्योग के लिए) अथवा सेवा प्रदान करने के लिए (सेवा उद्योग के लिए) उपयोग में लाई गई कुल सामग्री में से री-सायकल की गई या दोबारा उपयोग में लाई गई सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के रूप में).

इनपुट की गई सामग्री का उल्लेख करें	कुल सामग्री के मुकाबले री-सायकल की गई या दोबारा उपयोग में लाई गई इनपुट सामग्री	
	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24	पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23

इस बात पर विचार करते हुए यह लागू नहीं है कि वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में इसके परिचालन की प्रकृति को देखते हुए बैंक के पास ऐसा कोई उत्पाद नहीं है जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके. हालाँकि, ई-कचरा जो एक महत्वपूर्ण खतरनाक अपशिष्ट है, के सुरक्षित निपटान के लिए बैंक ने पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए एक ई-कचरा प्रबंधन नीति लागू की है.

4. निम्नलिखित प्रारूप में जीवन समाप्त होने पर, उत्पाद तथा पैकेजिंग सामग्री के दोबारा प्रयोग में लाई गई, री-सायकल की गई और सुरक्षित रूप से नष्ट की गयी सामग्री की मात्रा (मेट्रिक टन में):

	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24			पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23		
	दोबारा प्रयोग की गई	री-साइकल की गयी	सुरक्षित रूप से नष्ट की गई	दोबारा प्रयोग की गई	री-साइकल की गई	सुरक्षित रूप से नष्ट की गई
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	लागू नहीं					
ई-वेस्ट						
हानिकारक कचरा						
अन्य कचरा						

5. **प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए दोबारा दावा किये गये उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री(बेचे गये उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)**

उत्पाद श्रेणी का उल्लेख करें	संबंधित श्रेणी में बेचे गये कुल उत्पादों के % के रूप में दोबारा दावा किये गये उत्पाद और उनके पैकेजिंग की सामग्री
लागू नहीं	

सिद्धांत 3:- कारोबारों को उनकी मूल्य श्रृंखलाओं के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए.

आवश्यक संकेतक

1. **क) कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए उपायों का ब्योरा:**

श्रेणी	कुल (अ)	स्वास्थ्य बीमा*		दुर्घटना बीमा		प्रसूति लाभ		पितृत्व लाभ		पालना घर सुविधाएं	
		संख्या (आ)	% (आ / अ)	संख्या (इ)	% (इ /अ)	संख्या (ई)	% (ई /अ)	संख्या (ई)	% (ई / अ)	संख्या (ऊ)	% (ऊ / अ)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	10,920	10,920	100.00%	10,920	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	10,920	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	5,406	5,406	100.00%	5,406	100.00%	5,406	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	16,326	16,326	100.00%	16,326	100.00%	5,406	33.11%	10,920	66.89%	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी से इतर											
पुरुष	1,088	1,078	99.08%	1,088	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	878	875	99.66%	878	100.00%	878	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	1,966	1,953	99.34%	1,966	100.00%	878	44.66%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

**- स्थायी कर्मचारी बैंक की इन-हाउस स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आते हैं. प्रवेश स्तर के अधिकारी फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा नीति के अंतर्गत आते हैं.*

ख) कामगारों के कल्याण के लिए किये गये उपायों का ब्योरा:

श्रेणी	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा*		दुर्घटना बीमा		प्रसूति लाभ		पितृत्व लाभ		पालना घर सुविधाएं	
		संख्या (आ)	% (आ / अ)	संख्या (इ)	% (इ /अ)	संख्या (ई)	% (ई /अ)	संख्या (ई)	% (ई / अ)	संख्या (ऊ)	% (ऊ / अ)
स्थायी कामगार											
पुरुष	553	553	100.00%	553	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	553	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	168	168	100.00%	168	100.00%	168	100.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	721	721	100.00%	721	100.00%	168	23.30%	553	76.70%	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी कामगार से इतर											
पुरुष	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
महिला	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
कुल	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

** - स्थायी कामगार बैंक की इन-हाउस स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आते हैं.*

ग. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और स्थायी से इतर) के कल्याण के उपायों पर खर्च करना

	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24	पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23
कंपनी के कुल राजस्व के % के रूप में कल्याण उपायों पर व्यय की गई लागत.	0.80%	0.73%

2. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 और पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के सेवानिवृत्ति लाभों का ब्योरा:

लाभ	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24			पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23		
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए कर्मचारी	कुल कामगारों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए कामगार	कटौती कर प्राधिकरण के पास जमा करा दी गई (हाँ / नहीं / लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में शामिल किए गए कर्मचारी	कुल कामगारों के प्रतिशत के रूप में शामिल किये गये कामगार	कटौती कर प्राधिकरण के पास जमा करा दी गई (हाँ / नहीं / लागू नहीं)
भविष्य निधि	2.82%	13.04%	हाँ	3.39%	14.63%	हाँ
ग्रेच्युटी	100.00%	100.00%	हाँ	100.00%	100.00%	हाँ
ईएसआई	0.00%	0.00%	लागू नहीं	0.00%	0.00%	लागू नहीं
अन्य- *कृपया निर्दिष्ट करें**	97.18%	86.96%	हाँ#	96.61%	85.37%	हाँ#

**- पेंशन एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना*

 # - खोले न गए स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) वाले कर्मचारियों को छोड़कर.

3. कार्य स्थलों तक पहुँच

क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार संस्था के परिसर / कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुगम्य हैं ? यदि "नहीं", तो क्या संस्था ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं ?

बैंक अपने परिसर/कार्यालयों को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. 31 मार्च 2024 के बैंक की 2,004 शाखाएँ थीं, जिनमें से 938 शाखाओं में रैंप की सुविधा है. छह शाखाओं में रैंप सुविधाओं का निर्माण कार्य जारी है. 298 शाखाओं में रैंप सुविधा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन शाखाओं का प्रवेश द्वार सड़क के समानांतर है या लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है. 762 शाखाएँ ऊपरी भूतल या पहली मंजिल पर स्थित हैं और इसलिए इन शाखाओं में रैंप की सुविधा प्रदान करना संभव नहीं है.

4. क्या संस्था के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति मौजूद है ? यदि हाँ, तो उक्त नीति की वेब लिंक उपलब्ध कराएं.

हाँ, बैंक की समान अवसर नीति है जो सार्वजनिक रूप से (https://www.idbibank.in/pdf/Equal-Opportunity-Policy-Employees.pdf) पर उपलब्ध है. बैंक का यह प्रयास है कि कार्यस्थल पर समान अवसर सृजित करके और विविधता, समानता एवं समावेशन (डीई एवं आई) को ध्यान में रखते हुए तथा उसका सम्मान करते हुए अनुकूल और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण बनाए रखा जाए. बैंक अपने सभी कर्मचारियों और सभी योग्य आवेदकों को उनकी जाति, वंश, धर्म, रंग, वंशज, वैवाहिक स्थिति, लिंग, आयु, राष्ट्रीयता, अक्षमता आदि पर ध्यान दिए बिना समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है.

5. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पैतृक लाभ की छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की काम पर वापसी एवं काम पर बने रहने की दर.

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगार	
	काम पर वापसी*	बने रहने की दर#	काम पर वापसी*	बने रहने की दर#
पुरुष	99.81%	90.89%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	82.26%	87.37%	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	92.49%	89.53%	लागू नहीं	लागू नहीं

** - काम पर वापसी: जिन अधिकारियों ने पितृत्व/ मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया है और यथा 31 मार्च 2024 तक सेवा में हैं को शामिल किया गया है.*

 # - बने रहने की दर: जिन अधिकारियों ने पितृत्व/ मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया है तथा 12 महीनों के बाद भी बने हुए हैं और यथा 31 मार्च 2024 तक सेवा में हैं को शामिल किया गया है.

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों की शिकायतें सुनने का और उनका निवारण करने का कोई तंत्र मौजूद है ? यदि "हाँ", तो उस तंत्र का ब्योरा संक्षिप्त में दीजिए.

स्थायी कामगार	हाँ, कर्मचारियों / कामगारों को अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए बैंक के पास ऑन लाइन पोर्टल अर्थात i-Hridayo है, जो बैंक के इंट्रानेट पर मौजूद है. बैंक ने शिकायतों का निवारण करने को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से अपनी विभिन्न नीतियों, क्रियाविधियों और प्रक्रियाओं में अपीलीय तंत्र को ही अंतर्भूत कर लिया है.
स्थायी कामगारों से इतर	
स्थायी कर्मचारी	
स्थायी कर्मचारियों से इतर	

7. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यताप्राप्त संघ (घों) अथवा यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता

श्रेणी	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24			पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगार (ए)	संबंधित श्रेणी में उन कर्मचारियों/ कामगारों की कुल संख्या जो संघ (घों) अथवा यूनियनों के सदस्य हैं (बी)#	प्रतिशत (%) (बी/ए)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/ कामगार (सी)	संबंधित श्रेणी में उन कर्मचारियों/ कामगारों की कुल संख्या जो संघ (घों) अथवा यूनियनों के सदस्य हैं (डी)#	प्रतिशत (%) (डी/ सी)
कुल स्थायी कर्मचारी	**18,292***	**10,686**	**58.42%**	**17,016***	**10,451**	**61.42%**
- पुरुष	12,008	7,597	63.27%	11,180	7,454	66.67%
- महिला	6,284	3,089	49.16%	5,836	2,997	51.35%
कुल स्थायी कामगार	**721**	**688**	**95.42%**	**834**	**806**	**96.64%**
- पुरुष	553	553	100.00%	643	643	100.00%
- महिला	168	135	80.36%	191	163	85.34%

** - डेटा में संविदा पर एक्जीक्यूटिव शामिल हैं.*

 # - हालांकि, किसी भी यूनियन/संघ को मान्यता प्राप्त यूनियन का दर्जा नहीं दिया गया है, उपर्युक्त बैंक में संचालित प्रमुख यूनियनों /संघों की अस्थायी सदस्यता स्थिति दर्शाता है.

8. (क) स्वाथ्य एवं सुरक्षा उपायों पर कर्मचारियों और कामगारों को दिए गये प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24			पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23		
	कुल (अ)	संख्या (आ)	प्रतिशत (%) (आ/अ)	कुल (इ)	संख्या (ई)	प्रतिशत (%) (ई/इ)
			कर्मचारी			
पुरुष	12,008	9,907	82.50%	11,180	1,768	15.81%
महिला	6,284	4,881	77.67%	5,836	1,035	17.73%
कुल	**18,292**	**14,788**	**80.84%**	**17,016**	**2,803**	**16.47%**
			कामगार			
पुरुष	553	501	90.60%	643	539	83.83%
महिला	168	154	91.67%	191	170	89.01%
कुल	**721**	**655**	**90.85%**	**834**	**709**	**85.01%**

(ख) कौशल उन्नयन पर कर्मचारियों और कामगारों को दिए गये प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24			पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23		
	कुल (अ)	संख्या (आ)	प्रतिशत (%) (आ/अ)	कुल (इ)	संख्या (ई)	प्रतिशत (%) (ई/इ)
कर्मचारी						
पुरुष	12,008	11,775	98.06%	11,180	10,765	96.29%
महिला	6,284	6,119	97.37%	5,836	5,587	95.73%
कुल	**18,292**	**17,894**	**97.82%**	**17,016**	**16,352**	**96.10%**
कामगार						
पुरुष	553	507	91.68%	643	525	81.65%
महिला	168	161	95.83%	191	173	90.58%
कुल	**721**	**668**	**92.65%**	**834**	**698**	**83.69%**

9. कर्मचारियों और कामगारों के कार्यनिष्पादन और करीयर विकास की समीक्षा का ब्योरा*:

श्रेणी	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24			पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23		
	कुल (अ)#	संख्या (आ)@	प्रतिशत (%) (आ/अ)	कुल (इ)#	संख्या (ई)@$	प्रतिशत (%) (ई/इ)
कर्मचारी						
पुरुष	10,938	10,311	94.27%	10,401	10,000	96.14%
महिला	5,409	4,827	89.24%	5,144	4,589	89.21%
कुल	**16,347**	**15,138**	**92.60%**	**15,545**	**14,589**	**93.85%**
कामगार						
पुरुष	634	611	96.37%	736	732	99.46%
महिला	192	188	97.92%	206	206	100.00%
कुल	**826**	**799**	**96.73%**	**942**	**938**	**99.58%**

** - संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर.*

 # -कुल कर्मचारी/कामगार में जीवित कर्मचारी और सेवानिवृत्त/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस)/मृत कर्मचारी शामिल हैं.

@ - कुल कर्मचारी/कामगार जो वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 में मूल्यांकन के लिए पात्र हैं.

$ - वित्तीय वर्ष 2022-23 के संशोधित डेटा में ऐसे कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है जो सेवा में नहीं हैं (सेवानिवृत/वीआरएस/मृत कर्मचारी) और मूल्यांकन के लिए पात्र नहीं हैं.

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली :

क.	**क्या संस्था द्वारा कोई व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? हाँ /नहीं) यदि "हाँ", इस प्रणाली की व्याप्ति क्या है ?**	बैंक के पास एक आंतरिक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) प्रबंधन प्रणाली मौजूद है. बैंक ने अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, बैंक चिकित्सा अधिकारियों (बीएमओ) की सुविधा, प्रधान कार्यालय और कुछ अंचल कार्यालयों में एम्बुलेंस सेवाओं के साथ टाई-अप और अपने अधिकारियों के लिए एर्गोनोमिक कुर्सियों की व्यवस्था की है. किसी प्रतिकूल घटना की स्थिति में कर्मचारियों की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमुख कार्यालय परिसरों में मॉक निकासी अभ्यास आयोजित किए जाते हैं. बैंक ने बाहरी वेंडर के माध्यम से प्रशिक्षित परामर्शदाताओं को संलग्न करके आई-केयर, कर्मचारी मानसिक स्वास्थ्य सहायक कार्यक्रम भी शुरू किया है. कर्मचारी व्यक्तिगत और कार्य-संबंधी समस्याओं जो उनके कार्य प्रदर्शन, स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण को प्रभावित कर सकती है पर सहायता ले सकते हैं. बैंक अपने प्रधान कार्यालय और अंचल कार्यालयों में समय-समय पर स्वास्थ्य जांच और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाता रहा है.
ख.	**संस्था द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर कार्य से संबंधित खतरों की पहचान करने और जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?**	बैंक आवधिक रूप से बैंक के स्वामित्व/कब्जे वाली ऊंची इमारतों के लिए अग्नि शमन मॉक ड्रिल का आयोजन करता है. इसके प्रधान कार्यालय में तैनात सुरक्षा रक्षकों को अग्नि सुरक्षा उपकरणों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है. बैंक अपने सभी उपकरणों का निवारक रखरखाव भी आयोजित करता है.
ग.	**क्या आपके पास कामगारों द्वारा काम से संबंधित खतरों को रिपोर्ट करने तथा उन्हें स्वयं को वहाँ से हटाने की प्रणाली मौजूद है? (हाँ /नहीं)?**	इसके प्रधान कार्यालय में, घटना/खतरा, यदि कोई हो, को रिकॉर्ड/रिपोर्ट करने के लिए लॉगबुक, इलेक्ट्रिकल शॉक रजिस्टर आदि उपलब्ध हैं. इसके अलावा, कामगारों को खतरों से बचाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) उपलब्ध हैं.
घ.	**क्या संस्था के कर्मचारियों/कामगारों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य जांच सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध है? (हाँ / नहीं)**	हाँ, सभी कर्मचारी और उनके आश्रित बैंक की चिकित्सा योजना के अंतर्गत आते हैं. इसके प्रधान कार्यालय में मानसिक स्वास्थ्य, लिवर फंक्शन टेस्ट, नेत्र परीक्षण, हृदय स्वास्थ्य आदि सहित स्वास्थ्य जांच की गई. इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम जैसे- कैंसर, महिला स्वास्थ्य, आहार और पोषण आदि का भी आयोजन किया गया था.

11. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं का निम्नलिखित प्रारूप में ब्योरा :

सुरक्षा से संबंधित घटना/संख्या	श्रेणी	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24	पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23
लॉस्ट टाइम इंज्युरी फ्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति घंटे के काम के दौरान)	कर्मचारी	वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक का कोई भी कर्मचारियों/कामगारों ऐसा नहीं था जिसे कार्य संबंधी चोट/अस्वास्थ्यता/मृत्यु का भारी भुगतान करना पड़ा हो.	
	कामगार		
कार्य से जुड़ी दर्ज करने योग्य कुल चोट	कर्मचारी		
	कामगार		
मृतकों की संख्या	कर्मचारी		
	कामगार		
कार्य से जुड़ी चोट के भारी परिणाम अथवा अस्वास्थ्य (मृतकों की संख्या को छोड़कर)	कर्मचारी		
	कामगार		

12. संस्था द्वारा सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल को सुनिश्चित करने के लिए किये गये उपायों का वर्णन करें.

आईडीबीआई बैंक सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित करने का प्रयास करता है जिसके लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- मुंबई स्थित इसके प्रधान कार्यालय तथा अपने सभी अंचल कार्यालयों में सभी कर्मचारियों के लिए आवधिक रूप से अग्निशमन की कवायद का प्रशिक्षण.
- सभी कार्यालय परिसरों में अग्निशमन सहायता उपकरण, आग लगने पर खतरे की घंटी, और अग्नि शमन उपकरण का प्रावधान.
- मुंबई में स्थित इसके प्रधान कार्यालय और स्टाफ क्वार्टरों में तथा इसके कुछ अंचल कार्यालयों में बैंक चिकित्सा अधिकारी(बीएमओ) की उपलब्धता और एंबुलेंस के साथ टाई-अप.

13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित के बारे में की गयी शिकायतों की संख्या :

	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24			पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23		
	दर्ज	वर्ष के अंत में अनिर्णीत	टिप्पणी	दर्ज	वर्ष के अंत में अनिर्णीत	टिप्पणी
कामकाज की स्थिति	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं
स्वास्थ्य और सुरक्षा	0	0	लागू नहीं	0	0	लागू नहीं

14. वर्ष के लिए मूल्यांकन (2023-24):

	आपके उन संयंत्रों और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था द्वारा अथवा सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा अथवा किसी अन्य पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा की प्रथाएं कामकाज की स्थितियाँ	मुंबई में बैंक के प्रधान कार्यालयों का निरीक्षण लिफ्ट निरीक्षक द्वारा, विद्युत स्थापना का विद्युत निरीक्षक द्वारा, अग्नि स्थापना का प्राधिकृत एजेंसी द्वारा, सील बंद पानी का परीक्षण निर्माता द्वारा और डीजी प्रदूषण का निरीक्षण प्राधिकृत एजेंसी द्वारा किया गया. बैंक की शाखाओं और कार्यालयों का निरीक्षण इसके अधिकारियों द्वारा आंतरिक रूप से किया गया.

15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं तथा कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण जोखिमों /मुद्दों का विवरण प्रदान करें.

बैंक के पास सुरक्षित और स्वस्थ कामकाज की स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए निवारक रखरखाव कार्यक्रम, एसओपी, क्या करें, क्या न करें आदि मौजूद हैं.

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (क) किसी कर्मचारी; ख)किसी कामगार की मृत्यु होने की स्थिति में कोई जीवन बीमा अथवा कोई क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करती है ? (हाँ/नहीं) विवरण दें.

हाँ, बैंक अपने कर्मचारियों और कामगारों को जीवन बीमा सुरक्षा और क्षतिपूर्ति पैकेज प्रदान करता है.

2. संस्था द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य शृंखला के भागीदारों द्वारा सांविधिक देयताओं की कटौती की गई तथा उस राशि को जमा किये जाने के बारे में किये गये उपायों के बारे में बताएं.

बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि उसके मूल्य शृंखला के भागीदार भविष्य निधि (पीएफ़), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), उपदान, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आदि जैसी सांविधिक कटौतियां करते हैं और उनको जमा भी करते हैं. इसके अतिरिक्त विक्रेता इस आशय का अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हैं. बैंक ने अपने प्रस्ताव अनुरोध (आरएफ़पी) में सांविधिक विनियामक भुगतान करने का एक खंड भी शामिल किया है.

3. उन कर्मचारियों/कामगारों की संख्या प्रदान करें जिन्हें कार्य से संबंधित अत्यधिक गंभीर चोट / बीमारी / मृत्यु हुई है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्र. 11 में रिपोर्ट किया गया है), और जिनका पुनर्वसन किया गया है और उन्हें यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है अथवा जिनके परिवार के सदस्यों को यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है:

	प्रभावित कर्मचारियों / कामगारों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों / कामगारों की कुल संख्या जिनका पुनर्वसन किया गया है अथवा जिनके परिवार के सदस्यों को यथायोग्य रोजगार उपलब्ध कराया गया है	
	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कर्मचारी कामगार	लागू नहीं, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक का कोई भी कर्मचारियों/कामगारों ऐसा नहीं था जिसे कार्य-संबंधी गंभीर चोट/अवस्थ्यता/मृत्यु का सामना करना पड़ा हो.			

4. **क्या संस्था सेवानिवृति अथवा रोजगार समाप्त होने के बाद निरंतर नियोजन योग्यता और करियर समाप्ति के प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम संचालित करती है? (हां/ नहीं).**

हाँ, बैंक अपने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त योजना कार्यशालाओं का आयोजन करता है जिससे वे अपना सेवानिवृत्त जीवन आसानी से बिता सकें. ये कार्यशालाएं इस उद्देश्य से चलायी जाती हैं कि वे कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद होनेवाले शारीरिक तथा मानसिक बदलावों के लिए तैयार हो सके. आईडीबीआई प्रशिक्षण कॉलेज, हैदराबाद में तीन दिवसीय पाठ्यक्रम में ये कार्यशालाएं चलायी जाती हैं :

- स्वस्थ बुढ़ापा और शारीरिक बदलावों का प्रबंधन
- सेवानिवृत्ति के बाद समग्र जीवन के लिए तंदुरुस्त रहने का व्यक्तिगत लक्ष्य
- आहार और जीवन शैली का अभ्यास
- सर्वांगीण सुख पाने के लिए योगा और ध्यान धारणा के मार्ग को अपनाना
- जीवन और जीविका का तत्वज्ञान (आध्यात्मिक पहलू)
- उत्पादक बुढ़ापा और सोशल नेटवर्किंग
- दूसरे करियर में सफलतापूर्वक बदलाव के लिए मानसिक कवायद
- कर संबंधी पहलुओं सहित वित्त और निवेशों का प्रबंधन
- वसीयत बनाने का महत्व और नामांकन के नियम
- अधिवर्षिता के लाभ

5. **मूल्य श्रृंखला के भागीदारों के मूल्यांकन का ब्योरा (वित्तीय वर्ष 2023-24):**

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का %(ऐसे भागीदारों के साथ किये गये कारोबार का मूल्य) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएं	बैंक ने अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों को ईएसजी, एनजीआरबीसी सिद्धांतों और बीआरएसआर के बारे में जागरूकता ईमेल परिचालित किए हैं ताकि उन्हें संवेदनशील बनाया जा सके और उनके अनुपालन के संबंध में उनकी पुष्टि प्राप्त की जा सके. इसके अतिरिक्त, बैंक ने मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में काम करने वाले मूल्य श्रृंखला भागीदारों के कर्मचारियों को कार्मिक सुरक्षा, टीम वर्क, सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार, समय प्रबंधन, निवारक रखरखाव, नैतिक मूल्यों आदि जैसे विषयों पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया है.
कार्य स्थल की स्थितियाँ	

6. **स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के मूल्यांकन तथा मूल्य श्रृंखला भागीदारों की कार्य स्थितियों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / मुद्दों को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.**

यह प्रश्न बैंक के लिए लागू नहीं है, क्योंकि मूल्य शृंखला भागीदारों का ऐसा मूल्यांकन अब तक नहीं किया गया है.

सिद्धांत 4: कारोबारों को अपने सभी स्टेकधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **संस्था के प्रमुख स्टेकधारक समूहों का पता लगाने के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया का वर्णन करें.**

बैंक के प्रयासों को उसके प्रमुख हितधारक समूहों की जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति लक्षित, प्रासंगिक और उत्तरदायी बनाया गया है, जिससे विश्वास, सहयोग और साझा मूल्य निर्माण को बढ़ावा मिलता है.

प्रमुख हितधारकों की पहचान करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **हितधारक मैपिंग:** बैंक ने विभिन्न प्रकार के हितधारकों को मैप करने के लिए एक विश्लेषण किया, जो उसकी कारोबारी गतिविधियों से प्रभावित हैं या उन पर प्रभाव डालते हैं. इसमें अपने कारोबार परिचालन के स्थान, बैंक के साथ संबंध, इसके परिचालन के लिए महत्वपूर्ण और जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों की पहचान करना शामिल था.
- **संबद्धता इतिहास:** बैंक ने उन हितधारकों की पहचान करने के लिए अपने पिछले संबद्धता इतिहास की समीक्षा की जिनके साथ उसने अतीत में संबंध स्थापित किए हैं या बातचीत की है. इससे इसके सहभागी प्रयासों में निरंतरता सुनिश्चित करने में सहायता मिली और जारी संवाद के महत्व को स्वीकार किया गया.
- **हितधारक इनपुट:** हितधारकों के दृष्टिकोण, चिंताओं और अपेक्षाओं की पहचान करने के लिए बैंक सक्रिय रूप से ग्राहक प्रतिक्रिया, कर्मचारी सर्वेक्षण, सामुदायिक परामर्श और निवेशक संबंधों सहित विभिन्न स्रोतों से इनपुट मांग रहा है.

2. **उन स्टेक धारक समूहों की सूची जिन्हें आपकी संस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्टेकधारक के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है और हर स्टेक धारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति**

स्टेक धारक समूह	क्या उसे कमजोर और सीमांत समूह के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है (हाँ/ नहीं)	संप्रेषण के चैनल	जुड़ाव की आवृत्ति	इस तरह की प्रत्येक जुड़ने के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और मुद्दों सहित ऐसी जुड़ाव का उद्देश्य और उनका दायरा
ग्राहक	नहीं	बैंक अपने ग्राहकों के साथ संचार चैनलों की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से जुड़ता है, जिसमें ईमेल पत्राचार, एसएमएस अधिसूचना, व्यक्तिगत बैठकें, आभासी बैठकें, टेलीफोन कॉल, इसकी वेबसाइट, नोटिस बोर्ड, विज्ञापन और इसके मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ग्राहक संपर्क चैनल शामिल हैं.	नियमित	• ग्राहक प्रतिक्रिया • ग्राहकों की शिकायतें • परिवर्तन सहित योजनाओं और सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करना, यदि कोई हो
समुदाय	नहीं	बैंक अपने समुदाय के सदस्यों के साथ ई-मेल, व्यक्तिगत बैठकें, आभासी बैठकों, टेलीफ़ोन कॉल आदि के माध्यम से संप्रेषण करता है.	आवश्यकता आधारित	• निरीक्षण और मूल्यांकन • समुदाय की शिकायतें • चुनौतियाँ और सुधार की गुंजाइश
क़र्मचारी	नहीं	बैंक विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपने कर्मचारियों के साथ प्रभावी संचार और जुड़ाव को बढ़ावा देता है, जिसमें ईमेल पत्राचार, व्यक्तिगत बैठकें, टाउन हॉल बैठकें, आभासी बैठकें, प्रतिक्रिया इकट्ठा करने के लिए सर्वेक्षण, समर्पित कर्मचारी शिकायत चैनल, व्यापक प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम और प्रासंगिक जानकारी तक पहुंच शामिल है.	नियमित	• नई नीतियाँ • कर्मचारियों की शिकायतें • बुद्धिमत्ता प्रबंधन • अभ्यास और विकास • कार्यनिष्पादन प्रबंधन • कर्मचारी सहभागिता
निवेशक	नहीं	बैंक अपने निवेशकों के साथ ई-मेल, वेबसाइट, वार्षिक महासभा निवेशक शिकायत / संपर्क चैनलों, टेलीफोन कॉल के माध्यम से संप्रेषण करता है.	आवश्यकता आधारित	• कार्यनिष्पादन और अद्यतन • कारोबार रणनीति • निवेशकों की शिकायतें
विक्रेता और आपूर्तिकर्ता	नहीं	बैंक अपने विक्रेताओं से ई-मेल, व्यक्तिगत बैठकें, आभासी बैठकें और वेबसाइट के माध्यम से संप्रेषण करता है.	आवश्यकता आधारित	• ऑन-बोर्डिंग के दौरान समुचित सावधानी • आपूर्तिकताओं का आवधिक मूल्यांकन

नेतृत्व संकेतक

1. स्टेकधारकों और बोर्ड के बीच आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विषयों पर परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें अथवा यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को ऐसे परामर्शों से प्राप्त प्रतिक्रिया कैसे प्रदान की जाती है.

बैंक ने पारदर्शिता और समावेशी प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2022-23 में एक हितधारक प्रतिबद्धता और भौतिकता मूल्यांकन (एसईएमए) प्रक्रिया शुरू की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी संधारणीयता पहल इसके हितधारकों की जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुरूप हैं. एसईएमए प्रक्रिया में कई प्रमुख चरण शामिल हैं, अर्थात्:

- **हितधारकों की पहचान:** बैंक ने निवेशकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, समुदायों और विक्रेताओं सहित अपने प्रमुख हितधारकों की पहचान उनके प्रभाव, असर, जिम्मेदारी और बैंक के साथ अन्योन्याश्रितता के आधार पर की है.
- **जुड़ाव और परामर्श:** बैंक इन हितधारकों के साथ सर्वेक्षण, साक्षात्कार, फोकस समूह और हितधारक संवाद जैसे विभिन्न चैनलों के माध्यम से जुड़ा हुआ है ताकि बैंक के संधारणीय प्रदर्शन और प्रथाओं के संबंध में उनके दृष्टिकोण, चिंताओं और अपेक्षाओं को समझा जा सके.
- **भौतिकता विश्लेषण:** भौतिकता विश्लेषण के माध्यम से, बैंक ने सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) मुद्दों की पहचान की जो उसके कारोबार और हितधारकों के लिए प्रासंगिक हैं. इस विश्लेषण से बैंक को अपने संधारणीय प्रयासों को प्राथमिकता देने और उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिली जो उसके हितधारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और जिनके कारोबार पर सबसे अधिक संभावित प्रभाव पड़ता है. इसे अंतिम रूप देने से पहले बैंक द्वारा प्रमुख सामग्री विषयों की समीक्षा की गई.
- **उद्देश्य निर्धारण:** अपने विविध हितधारक समूहों से 200 से अधिक प्रतिक्रियाओं से प्राप्त अंतर्दृष्टि और भौतिकता विश्लेषण के आधार पर, बैंक ने एसईएमए प्रक्रिया के दौरान पहचानी गई प्रमुख संधारणीय चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने के लिए स्पष्ट और मापने योग्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं.

एसईएमए प्रक्रिया का उद्देश्य था:

- अपने हितधारकों की संधारणीयता संबंधी अपेक्षाओं, चिंताओं और प्राथमिकताओं की व्यापक समझ हासिल करना;
- अपने कारोबार और हितधारकों के लिए प्रासंगिक सबसे महत्वपूर्ण ईएसजी मुद्दों की पहचान करना और प्राथमिकता देना;
- हितधारकों की प्रतिक्रिया और भौतिकता विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट और मापने योग्य स्थिरता उद्देश्य निर्धारित करना; और
- अपनी संधारणीयता रणनीति और रिपोर्टिंग में हितधारक इनपुट को शामिल करके पारदर्शिता, जवाबदेही और हितधारक विश्वास को बढ़ाना.

एसईएमए प्रक्रिया के परिणाम इस प्रकार हैं:

- **हितधारक जुड़ाव में वृद्धि:** एसईएमए प्रक्रिया ने अपने हितधारकों के साथ सार्थक संवाद और सहयोग की सुविधा प्रदान की, जिससे मजबूत रिश्ते और विश्वास को बढ़ावा मिला.
- **भौतिक मुद्दों की बेहतर समझ:** बैंक को सबसे महत्वपूर्ण ईएसजी मुद्दों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई जो उसके हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनके कारोबार पर संभावित प्रभाव डाल सकते हैं.
- **स्पष्ट संधारणीयता उद्देश्य और लक्ष्य:** एसईएमए प्रक्रिया ने बैंक को स्पष्ट और प्रासंगिक संधारणीय उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता की है जो हितधारक की अपेक्षाओं और भौतिकता विचारों के साथ संरेखित हैं.
- **मजबूत संधारणीयता रणनीति:** एसईएमए प्रक्रिया से प्राप्त अंतर्दृष्टि ने बैंक की संधारणीयता रणनीति विकसित करने में सहायता की, जिससे यह उन कार्यों और पहलों को प्राथमिकता देने में सक्षम हो गया जो इसके कारोबार और हितधारकों के सामने आने वाली सबसे महत्वपूर्ण संधारणीय चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करते हैं.

2. क्या पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की पहचान करने और प्रबंधन के लिए स्टेकधारक परामर्श की सहायता ली जाती है? (हाँ /नहीं) यदि हाँ, तो इस बात का ब्योरा प्रस्तुत करें कि किस प्रकार स्टेकधारकों से इन विषयों पर प्राप्त जानकारी को संस्था की नीतियों एवं गतिविधियों में किस प्रकार शामिल किया गया?

पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन के समर्थन में हितधारक परामर्श महत्वपूर्ण रहा है.

- भौतिकता मूल्यांकन के आधार पर बैंक सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) मुद्दों की पहचान करने में सक्षम है जो उसके कारोबार और हितधारकों के लिए प्रासंगिक हैं. इससे बैंक को अपने हितधारकों के साथ संबंध को प्राथमिकता देने में सहायता मिली है.
- हितधारक पहचान प्रक्रिया गतिशील रही है और इसे आवधिक समीक्षा और अद्यतन के अधीन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह बैंक के विकसित कारोबारी उद्देश्यों और हितधारक अपेक्षाओं के अनुरूप बनी रहे.

3. कमजोर /सीमांत स्टेकधारक समूहों के मुद्दों का निवारण करने के लिए नियोजित और कार्रवाई करने की घटनाओं का विवरण प्रदान करें.

बैंक के पास अपने स्टेकधारकों अर्थात ग्राहकों, कर्मचारियों, निवेशकों और सीएसआर लाभार्थियों की शिकायतों / चिंताओं का निवारण करने के लिए नीतियां हैं. मूल्य श्रृंखला के भागीदारों की शिकायत / चिंताओं का मामला-दर-मामला आधार पर निवारण किया जाता है.

सिद्धांत 5: कारोबारों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उनको बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारियों और कामगारों को संस्था के मानवाधिकारों के मुद्दों और नीति(यों) पर दिये गए प्रशिक्षण, निम्नलिखित प्रारूप में हैं:

श्रेणी	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24			पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23		
	कुल (अ)	संख्या (आ)	प्रतिशत (%) (आ /अ)	कुल (इ)	संख्या (ई)	प्रतिशत (%) (ई /इ)
			कर्मचारी			
स्थायी	16,326	15,747	96.45%	15,420	14,922	96.77%
स्थायी से इतर	1,966	1,614	82.10%	1,596	1,430	89.60%
कुल कर्मचारी	**18,292**	**17,361**	**94.91%**	**17,016**	**16,352**	**96.10%**
			कामगार			
स्थायी	721	664	92.09%	834	698	83.69%
स्थायी से इतर	0	0	-	0	0	-
कुल कर्मचारी	**721**	**664**	**92.09%**	**834**	**698**	**83.69%**

2. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और कामगारों को अदा की गयी न्यूनतम मजदूरी का ब्योरा :

श्रेणी	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24					पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23				
	कुल (अ)	न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		संख्या (आ)	% (आ / अ)	संख्या (इ)	% (इ / अ)		संख्या (ई)	% (ई / डी)	संख्या (ऊ)	% (ऊ/ ई)
					कर्मचारी					
स्थायी	**16,326**	**शून्य**	**लागू नहीं**	**16,326**	**100.00%**	**15,420**	**शून्य**	**लागू नहीं**	**15,420**	**100.00%**
- पुरुष	10,920	शून्य	लागू नहीं	10,920	100.00%	10,308	शून्य	लागू नहीं	10,308	100.00%
- महिला	5,406	शून्य	लागू नहीं	5,406	100.00%	5,112	शून्य	लागू नहीं	5,112	100.00%
स्थायी से इतर	**1,966**	**शून्य**	**लागू नहीं**	**1,966**	**100.00%**	**1,596**	**शून्य**	**लागू नहीं**	**1,596**	**100.00%**
- पुरुष	1,088	शून्य	लागू नहीं	1,088	100.00%	872	शून्य	लागू नहीं	872	100.00%
- महिला	878	शून्य	लागू नहीं	878	100.00%	724	शून्य	लागू नहीं	724	100.00%

श्रेणी	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24					पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23				
	कुल (अ)	न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		संख्या (आ)	% (आ / अ)	संख्या (इ)	% (इ / अ)		संख्या (ई)	% (ई / डी)	संख्या (ऊ)	% (ऊ/ ई)
					कामगार					
स्थायी	721	शून्य	लागू नहीं	721	100.00%	834	शून्य	लागू नहीं	834	100.00%
- पुरुष	553	शून्य	लागू नहीं	553	100.00%	643	शून्य	लागू नहीं	643	100.00%
- महिला	168	शून्य	लागू नहीं	168	100.00%	191	शून्य	लागू नहीं	191	100.00%
स्थायी से इतर	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-
- पुरुष	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-
- महिला	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-

3. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक /वेतन /मजदूरी का ब्योरा:

क. माध्यिका पारिश्रमिक / मजदूरी:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी के माध्यिका वेतन / मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी के माध्यिका वेतन / मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	10*	26,05,000	1#	27,90,000
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	4@	94,23,234	2	43,46,534
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को छोड़ कर अन्य कर्मचारी	13,464	18,41,890	7,040	15,71,261
कामगार	423	8,17,866	48	7,87,644

** - निदेशक मंडल के विवरण में एमडी और सीईओ और दो डीएमडी के विवरण शामिल नहीं है क्योंकि उनका विवरण प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में शामिल किया गया है. इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है लेकिन बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है और बैठक शुल्क का विवरण प्रदान किया गया है. भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों को बैठक शुल्क प्राप्त नहीं होता है और इसलिए उन्हें बाहर रखा गया है. निदेशकों की कुल संख्या में श्री ज्ञान प्रकाश जोशी जो 27 अगस्त 2023 से निदेशक नहीं रहे एवं श्री अजय प्रकाश साहनी जो 28 अगस्त 2023 से निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए, शामिल हैं.*

 # - माध्यिका की गणना नहीं की जा सकती क्योंकि निदेशक मंडल में एक महिला प्रतिनिधि है.

@ - प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की कुल संख्या में श्री सैमुअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी और श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी शामिल हैं जिनका कार्यकाल क्रमशः 05 अप्रैल 2023 और 14 जनवरी 2024 तक था.

ख. संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी का % के रूप में महिलाओं को दी जाने वाली सकल मजदूरी निम्नलिखित प्रारूप में:

	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24	पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23
कुल मजदूरी का % के रूप में महिलाओं को भुगतान किया गया सकल वेतन	30.50%	30.52%

4. क्या आपका कोई ऐसा केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो कारोबार द्वारा उत्पन्न अथवा के योगदान द्वारा मानवाधिकारों के प्रभावों या मुद्दों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार है? (हां /नहीं)

बैंक ने मानवाधिकार नीति बनायी है, जो इसके कर्मचारियों सहित सभी स्टेकधारकों पर लागू होती है. उक्त नीति में व्यापक रूप से शामिल हैं:

- स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर सुरक्षा,
- कार्यबल विविधता,
- बाल श्रम और जबरन श्रम का निषेध,
- उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल,
- मानव गरिमा,
- न्यूनतम मजदूरी और लाभ,
- कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया और शिकायतें, और
- कारोबार में नैतिक आचरण

बैंक के पास लागू आचरण नियमों/नीतियों में सक्षम प्रावधान हैं जो ऐसे मुद्दों के लिए समाधान प्रदान करते हैं

5. मानवाधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें

बैंक उस मूल्यवान भूमिका को स्वीकार करता है जो बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकारों के दीर्घकालिक संरक्षण में कारोबार निभा सकते हैं. इन मूलभूत सिद्धांतों के प्रति बैंक का समर्थन बैंक की नीतियों और उसके स्टेकधारकों के प्रति निभाये गये कार्यों में परिलक्षित होता है. बैंक ने कर्मचारी द्वारा शिकायतें दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल अर्थात i-HRIDAYO चालू किया है और भेदभाव तथा उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत निवारण समिति गठित की है. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पोश अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है. बैंक ने मानवाधिकार नीति भी लागू की है, जो कर्मचारियों सहित सभी स्टेकधारकों पर भी लागू होती है.

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गयी शिकायतों की संख्या :

	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24			पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दर्ज की गयी	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दर्ज की गयी	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियाँ
यौन उत्पीड़न	9	3	-	7	5	-
कार्यस्थल पर भेद भाव	8	1	-	9	2	-
बाल श्रमिक	0	0	-	0	0	-
जबरन श्रम / अनैच्छिक श्रम	0	0	-	0	0	-
मजदूरी	1	1	-	3	2	-
मानवाधिकारों से संबंधित अन्य मामले	0	0	-	0	0	-

7. निम्नलिखित प्रारूप में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत दर्ज की गई शिकायतें:

	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24	पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के तहत रिपोर्ट की गई कुल शिकायतें)	9	7
महिला कर्मचारी/कामगारों के % के रूप में पीओएसएच शिकायतें	0.14%	0.12%
पीओएसएच संबंधी शिकायतों को सही पाया गया	शून्य	1

8. भेदभाव और उत्पीड़न मामलों में शिकायतकर्ताओं को प्रतिकूल परिणामों से बचाने के लिए तंत्र.

बैंक ने सतर्कता तंत्र पर एक नीति बनाई है, जो कार्यस्थल पर देखे गये अनैतिक आचरण, कदाचार, गलत कामों आदि का अत्यधिक गोपनीय तरीके से एक पोर्टल के माध्यम से प्रकटन करने के लिए सभी कर्मचारियों को एक ढांचा उपलब्ध कराती है और इसके लिए उन्हें शक्तियां भी प्रदान करती हैं. इस पोर्टल को केवल आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग के मुख्य महाप्रबंधक ही देख सकते हैं. ऐसी घटनाओं के बारे में सचेत करनेवाले व्यक्ति (व्हिसल ब्लोअर) ऐसे मुद्दों/शिकायतों को बैंक की इंट्रानेट साइट पर बनायी गयी एक अलग ई-मेल लॉग इन सुविधा के माध्यम से बैंक को भेज सकते हैं. व्हिसल ब्लोअर द्वारा भेजे गए मेल को केवल एक प्राधिकृत व्यक्ति ही प्राप्त/एक्सेस कर सकता है. नामित अधिकारी प्राप्त शिकायत/मुद्दों को अत्यंत गोपनीय बनाये रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि मुद्दे के सभी विवरण और व्हिसल ब्लोअर की पहचान को गोपनीय रखा जाए. व्हिसल ब्लोअर इस संबंध में सीवीसी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोपों का खुलासा करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से भी सीधे संपर्क कर सकता है. बैंक के पास कर्मचारियों के लिए पीओएसएच नीति आंतरिक रूप से भी उपलब्ध है और इसमें शिकायतकर्ता की पहचान को सुरक्षित रखकर उनके मुद्दों का निवारण करने का प्रावधान है. बैंक की मानवाधिकार नीति मानवाधिकारों की रक्षा करने और काम के माहौल को उत्पीड़न मुक्त बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.

9. क्या मानवाधिकार की अपेक्षाएं आपके कारोबारी करारों और संविदाओं का हिस्सा होती हैं? (हाँ/नहीं)

हां, विक्रेताओं के साथ बैंक के कारोबारी करारों और संविदाओं में स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष को समय-समय पर जारी किए गए श्रम और औद्योगिक मामलों सहित सभी कानूनों/नियमों/विनियमों/अधिसूचनाओं का पालन करने के लिए निर्धारित करते हैं जो मानव अधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं. इसके अतिरिक्त बैंक ने अपने आरएफपी प्रारूप में *'श्रम कानून और न्यूनतम वेतन'* खंड को शामिल किया है. सभी सुरक्षा, श्रम और औद्योगिक कानून जो वैधानिक एजेंसियों द्वारा लागू किए जाते हैं किसी भी संविदा के निष्पादन के दौरान बैंक और विक्रेताओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए. बैंक के कारोबारी भागीदार कर्मियों, कार्य और सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सभी उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए बाध्य हैं. इसी तरह उधारकर्ताओं के साथ ऋण करारों में बैंक यह पुष्टि चाहता है कि उनके पास भविष्य निधि या श्रम बकाया जैसे कोई बकाया दावा या देनदारियां नहीं हैं, इस प्रकार मानव अधिकारों की रक्षा करता है.

10. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मूल्यांकन:

	प्लांट और कार्यालयों का प्रतिशत जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था द्वारा अथवा सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा अथवा किसी अन्य पक्ष द्वारा)
बाल श्रमिक	100.00%
जबरन /अनैच्छिक श्रमिक	100.00%
यौन उत्पीड़न	100.00%
कार्य स्थल पर भेद भाव	100.00%
मजदूरी	100.00%
अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं

11. उपर्युक्त प्रश्न 9 के मूल्यांकन से उत्पन्न हुई महत्वपूर्ण जोखिमों / मुद्दों का समाधान करने के लिए की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें.

बैंक ने कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं पाया है.

नेतृत्व के संकेतक

1. मानवाधिकार संबंधी शिकायतों/मुद्दों के निपटाने के परिणामस्वरूप संशोधित की जा रही / लागू की गयी कारोबारी प्रक्रिया का ब्योरा.

बैंक ने ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं की है जिसमें मौजूदा प्रक्रियाओं में संशोधन की आवश्यकता हो.

हालांकि मानवाधिकार संबंधी शिकायतों/मुद्दों का कोई मामला नहीं है, बैंक समय-समय पर अपनी नीतियों और कारोबारी प्रक्रियाओं की लगातार समीक्षा और निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानवाधिकारों का कोई उल्लंघन न हो.

2. किसी भी मानवाधिकार के मामले में सम्यक तत्परता का दायरा और व्याप्ति संबंधी विवरण दें.

बैंक ने किसी भी मानवाधिकार के मामले में सम्यक तत्परता अभी तक आयोजित नहीं की है.

3. क्या संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांग जन के अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार दिव्यांग आगंतुकों के लिए पहुँच योग्य हैं ?

बैंक अपने परिसर/कार्यालयों को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक ने अपने परिसर में जहां भी तकनीकी रूप से संभव हो, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार दिव्यांग आगंतुकों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक भौतिक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था की है. 31 मार्च 2024 को बैंक की 2,004 शाखाएं थीं जिनमें से 938 शाखाओं में रैंप की सुविधा है. छह शाखाओं में रैंप सुविधाओं का निर्माण कार्य चल रहा है. 298 शाखाओं में रैंप सुविधा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन शाखाओं का प्रवेश द्वार सड़क के समानांतर है या लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध है. 762 शाखाएं ऊपरी ज़मीन या पहली मंजिल पर स्थित हैं और इसलिए इन शाखाओं में रैंप की सुविधा प्रदान करना संभव नहीं है.

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन का ब्योरा :

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये कारोबार के मूल्य के रूप में) जिनका मूल्यांकन किया गया है:
बाल श्रमिक	बैंक ने अभी तक ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया है.
जबरन / अनैच्छिक श्रमिक	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
मजदूरी	

5. उपर्युक्त प्रश्न 4 के मूल्यांकन से उत्पन्न हुई महत्वपूर्ण जोखिमों/मुद्दों का समाधान करने के लिए की गई या की जा रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.

जबकि बैंक ने ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया है, ऐसा कोई महत्वपूर्ण जोखिम या मुद्दा पाया या रिपोर्ट नहीं किया गया है.

सिद्धांत 6: कारोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और पर्यावरण की रक्षा तथा उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित फॉर्मेट में ऊर्जा की कुल खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा की तीव्रता का ब्योरा:

मापदंड	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24*	पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23*
गीगाजूल में 'नवीकरणीय स्रोतों' से		
बिजली की कुल खपत (ए)	लागू नहीं	लागू नहीं
ईंधन की कुल खपत (बी)	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी)	लागू नहीं	लागू नहीं
नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की कुल खपत (ए +बी +सी)	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
गीगाजूल में 'गैर-नवीकरणीय स्रोतों' से		
बिजली की कुल खपत (डी)	69,547.60	17,638.64
ईंधन की कुल खपत (ई)	3,873.57	7.95
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (एफ़)	0	0
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की कुल खपत (डी+ई+एफ़)	**73,421.16**	**17,646.59**
प्रत्येक रुपये के कारोबार के प्रति ऊर्जा की तीव्रता (जीजे / करोड़ रुपये)# *(ऊर्जा की कुल खपत /करोड़ रुपयों में कुल कारोबार)*	2.44	0.71
क्रय शक्ति समता के लिए समायोजित प्रत्येक रुपये के कारोबार के प्रति ऊर्जा की तीव्रता@ *(ईंधन की कुल खपत / परिचालनों से राजस्व को पीपीपी के लिए समायोजित) (जीजे / मिलियन यूएसडी)*	5.42	1.60
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा की तीव्रता (जीजे / करोड़ रुपये)$	2.44	0.70
पूर्ण कालिक कर्मचारी के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता (जीजे/पूर्णकालिक कर्मचारी)&	4.31	1.09

टिप्पणी: कृपया यह दर्शाये कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से आकलन/मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि ''हाँ'', तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं.

हां, बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षक जी.डी. आप्टे और वर्मा एंड वर्मा ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक के बीआरएसआर के मुख्य प्रकटीकरण का आश्वासन दिया है.

**- वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ऊर्जा डेटा तुलनीय नहीं है क्योंकि बैंक ने निम्नलिखित 17 स्थानों पर विचार किया है - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक का प्रधान कार्यालय, इसका बेलापुर में कार्यालय, आईडीबीआई ट्रेनिंग कॉलेज और 14 अंचल कार्यालयों जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केवल बैंक के प्रधान कार्यालय पर विचार किया गया. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,004 शाखाओं और 208 कार्यालयों के लिए ऊर्जा डेटा रिपोर्ट नहीं किया गया है.*

#- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रति रुपये टर्नओवर की ऊर्जा तीव्रता की गणना के लिए, रिपोर्ट किए गए 17 स्थानों के लिए ऊर्जा खपत को बैंक की कुल टर्नओवर (कुल आय) से विभाजित किया गया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में, बैंक के प्रधान कार्यालय के लिए ऊर्जा खपत को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैंक के कुल टर्नओवर (कुल आय) से विभाजित करके प्रति रुपया टर्नओवर पर ऊर्जा तीव्रता की गणना की गई है.

@-अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा प्रकाशित निहित पीपीपी रूपांतरण दर का उपयोग क्रय शक्ति समता गणना के लिए किया गया है. वित्तीय वर्ष 2023- 24 के लिए, 2023 के मूल्य पर विचार किया गया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2022 के मूल्य पर विचार किया गया है.

$- भौतिक उत्पादन पर आधारित तीव्रता के लिए खुदरा बैंकिंग खंड से बैंक के राजस्व को शामिल किया गया है क्योंकि इसकी कुल राजस्व में सबसे अधिक हिस्सेदारी है, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 57.26% और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 60.66% है.

&- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पूर्णकालिक कर्मचारियों के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता की गणना के लिए, रिपोर्ट किए गए 17 स्थानों के लिए ऊर्जा खपत को 31 मार्च 2024 तक बैंक के कुल स्थायी कर्मचारियों और स्थायी कामगारों द्वारा विभाजित किया गया है. इन 17 स्थानों में कर्मचारियों का शेयर 31 मार्च 2024 तक बैंक की कुल कर्मचारी संख्या का 22.71% था. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रति रुपये टर्नओवर की ऊर्जा तीव्रता की गणना हेतु, बैंक के प्रधान कार्यालय के लिए ऊर्जा खपत को 31 मार्च 2023 तक बैंक के कुल स्थायी कर्मचारी और स्थायी कामगारों को विभाजित करके किया गया है. इन 17 स्थानों में कर्मचारियों का शेयर 31 मार्च 2023 तक बैंक की कुल कर्मचारी संख्या का 7.86% थी.

2. **क्या संस्था के पास भारत सरकार के कार्यनिष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचानी गई कोई साइट / सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो प्रकट करें कि क्या पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है. यदि लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गयी सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, की जानकारी प्रदान करें.**

बैंक सरकार की पीटीए योजना के अंतर्गत नहीं आता है. अतः यह प्रश्न बैंक पर लागू नहीं होता है. फिर भी बैंक स्थायी तरीके से काम करने का प्रयास करता है और प्रासंगिक पर्यावरण कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. बैंक की ऋण नीति संधारणीय वित्तपोषण को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण के लिए हानिकारक उद्योगों जैसे कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन/उपभोग करने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध भी निर्धारित करती है. इसके अतिरिक्त, बैंक की ऋण नीति भी संधारणीय वित्तपोषण को प्रोत्साहित करती है.

3. **निम्नलिखित फॉर्मेट में जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का ब्यौरा प्रस्तुत करें:**

मापदंड	**वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24***	**पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23***
स्रोत से जल की निकासी (किलो लीटर्स में-केएल)		
(i) भूपृष्ठीय जल	0	0
(ii) भूजल	0	0
(iii) अन्य पक्ष जल^	1,08,029.14	34,089.22
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	0	0
(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	0	0
जल निकासी की कुल मात्रा (किलो लीटर्स) *(i + ii + iii + iv + v)*	**1,08,029.14**	**34,089.22**
जल की खपत की कुल मात्रा (किलो लीटर्स)	**1,08,029.14**	**34,089.22**
प्रति रुपये टर्नओवर के प्रति जल की तीव्रता (किलो लीटर्स में / करोड़ रुपये)# *(जल खपत / टर्नओवर)*	3.60	1.37
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपये टर्नओवर के प्रति जल की तीव्रता@ *(कुल जल खपत / पीपीपी के लिए समायोजित परिचालनों से राजस्व) (किलो लीटर्स में / मिलियन यूएसडी में)*	7.97	3.08
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल की तीव्रता (किलो लीटर्स में / करोड़ रुपयों में)$	3.59	1.36
पूर्ण कालिक कर्मचारी के संदर्भ में जल की तीव्रता (किलो लीटर्स/पूर्णकालिक कर्मचारी)&	6.34	2.10

टिप्पणी: कृपया यह दर्शाये कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से आँकलन/मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं.

हाँ, वर्मा एंड वर्मा बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक के बीआरएसआर मुख्य प्रकटीकरण का आश्वासन दिया है.

**- वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जल डेटा तुलनीय नहीं हैं क्योंकि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित 17 स्थानों - बैंक के प्रधान कार्यालय, इसके बेलापुर स्थित कार्यालय, आईडीबीआई प्रशिक्षण कॉलेज और 14 अंचल कार्यालय को शामिल किया है जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में केवल बैंक के प्रधान कार्यालय को शामिल किया था. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2,004 शाखाओं और 208 कार्यालयों का जल डेटा को रिपोर्ट नहीं किया गया है.*

^ - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, अन्य पक्ष जल में छः स्थानों में स्थानीय निकायों द्वारा जल की आपूर्ति में, बैंक के प्रधान कार्यालय के लिए बोतलबंद/ पैकेज्ड जल और 11 स्थानों के लिए अनुमान ("45 लीटर x 31 मार्च 2024 को कर्मचारियों की संख्या x 360 दिन" के फॉर्मूला का उपयोग करके) शामिल है जिसके लिए जल का बिल उपलब्ध नहीं है.

 # - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रति रुपये टर्नओवर की जल तीव्रता की गणना के लिए, रिपोर्ट किए गए 17 स्थानों के लिए जल खपत को बैंक के कुल टर्नओवर (कुल आय) से विभाजित किया गया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में, बैंक के प्रधान कार्यालय के लिए जल खपत को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बैंक के कुल टर्नओवर (कुल आय) से विभाजित करके प्रति रुपया टर्नओवर पर जल तीव्रता की गणना गई है.

@ - क्रय शक्ति समता गणना के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा प्रकाशित निहित पीपीपी रूपांतरण दर का उपयोग किया गया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2023 के मूल्य पर विचार किया गया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2022 के मूल्य पर विचार किया गया है.

$- भौतिक उत्पादन पर आधारित तीव्रता के लिए खुदरा बैंकिंग खंड से बैंक के राजस्व को शामिल किया गया है क्योंकि बैंक के कुल राजस्व में इसकी सबसे अधिक हिस्सेदारी है, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2023-24 में 57.26% और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 60.66% है.

& - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पूर्ण कालिक कर्मचारी के संबंध में जल की तीव्रता की गणना करने के लिए, अनुमानित जल खपत को 31 मार्च 2024 को बैंक के कुल स्थायी कर्मचारियों और स्थायी कामगारों द्वारा विभाजित किया गया है. इन 17 स्थानों पर कर्मचारियों का हिस्सा 31 मार्च 2024 बैंक की कुल कर्मचारी संख्या का 22.71% है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, पूर्णकालिक कर्मचारी के संबंध में जल की तीव्रता की गणना बैंक के प्रधान कार्यालय में जल की खपत को 31 मार्च, 2023 को बैंक के कुल स्थायी कर्मचारियों और स्थायी कामगारों द्वारा विभाजित करके की गई है. प्रधान कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च, 2023 को बैंक की कुल कर्मचारियों की संख्या का 7.86% थी.

4. जल की निकासी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

मापदंड	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24	पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23
गंतव्य द्वारा स्रोत से जल की निकासी और उपचार का स्तर (किलो लीटर्स में)		
(i) भूपृष्ठीय जल	बैंक ने मुंबई में अपने प्रधान कार्यालय, बेलापुर में बैंक ऑफिस और हैदराबाद में आईडीबीआई प्रशिक्षण कॉलेज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किया है, चूंकि वहां कोई प्रवाह मीटर नहीं है, इसलिए इस संबंध में डेटा का रखरखाव नहीं किया जा रहा है.	
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ-कृपया प्रबंध का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) अन्य पक्ष को भेजा गया		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
- कोई उपचार नहीं		
- उपचार के साथ- कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
जल की कुल निकासी (किलो लीटर्स में)		

टिप्पणी: कृपया यह दर्शाये कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से आकलन/मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं.

हाँ, वर्मा एंड वर्मा बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक के बीआरएसआर मुख्य प्रकटीकरण का उचित आश्वासन दिया है.

5. क्या संस्था ने शून्य तरल निर्वहन (ज़ेडएलडी) के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हां, तो इसकी व्याप्ति और कार्यान्वयन का विवरण दें.

हाँ , बैंक ने मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में, बेलापुर में इसके ऑफिस और आईडीबीआई प्रशिक्षण कॉलेज, हैदराबाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किया है और उपचार किये गए जल को केन्द्रीकृत वातानुकूलन संयंत्र तथा बागवानी उद्देश्य के लिए दोबारा प्रयोग में लाया जाता है.

6. कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

मापदंड	कृपया यूनिट बताएं	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24*	पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23#
एन ओ एक्स	किलो ग्राम	2,856.88	6.49
एस ओ एक्स	किलो ग्राम	1.18	0.003
कणिका तत्व(पी एम)	किलो ग्राम	150.36	0.34

मापदंड	कृपया यूनिट बताएं	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24*	पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23#
अनवरत जैविक प्रदूषक (पी ओ पी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
हानिकारक वायु प्रदूषक (एच ए पी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी: कृपया यह दर्शाये कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से आकलन/मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं.

**- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 17 स्थानों अर्थात् बैंक के प्रधान कार्यालय, बेलापुर में अपने ऑफिस, आईडीबीआई प्रशिक्षण कॉलेज और 14 अंचल कार्यालयों पर ईंधन खपत के आधार पर वायु उत्सर्जन (जीएचजी के अलावा) का अनुमान लगाया गया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वायु उत्सर्जन (जीएचजी के अलावा) का अनुमान केवल बैंक के प्रधान कार्यालय की ईंधन की खपत के आधार पर लगाया गया था. अतः इन दो वर्षों के लिए डेटा तुलना के योग्य नहीं है.*

7. कृपया ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	कृपया यूनिट निर्दिष्ट करें	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24*	पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23*
क्षेत्र 1 का कुल उत्सर्जन *(जीएचजी का सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 का अलग-अलग विवरण, यदि उपलब्ध हो).*	*सीओ2 के समतुल्य मेट्रिक टन*	285.97	0.58
क्षेत्र 2 का कुल उत्सर्जन *(जीएचजी का सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 का अलग-अलग विवरण, यदि उपलब्ध हो).*	*सीओ2 के समतुल्य मेट्रिक टन*	13,832.24	3,508.13
प्रति रुपया टर्नओवर के हिसाब से क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 का कुल उत्सर्जन^	**सीओ2 के समतुल्य मेट्रिक टन/ करोड़ रुपये**	**0.47**	**0.14**
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया टर्नओवर के हिसाब से क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 का कुल उत्सर्जन *(क्षेत्र 1 और 2 का कुल उत्सर्जन / पीपीपी के लिए समायोजित परिचालनों से राजस्व) (सीओ2 से समतुल्य मेट्रिक टन / मिलियन यूएसडी)@*	*सीओ2 के समतुल्य मेट्रिक टन / मिलियन यूएसडी*	1.04	0.32
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 के कुल उत्सर्जन की तीव्रता	सीओ2 के समतुल्य मेट्रिक टन/ करोड़ रुपये$	0.47	0.14
पूर्णकालिक कर्मचारी के संदर्भ में उत्सर्जन तीव्रता&	सीओ2 के समतुल्य मेट्रिक टन/पूर्णकालिक कर्मचारी	0.83	0.22

टिप्पणी: कृपया यह दर्शाये कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से आकलन/मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं.

हाँ, वर्मा एंड वर्मा बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक के बीआरएसआर मुख्य प्रकटीकरण का आश्वासन दिया है.

**_ वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के जीएचजी उत्सर्जन डेटा तुलनीय नहीं हैं क्योंकि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निम्नलिखित 17 स्थानों - बैंक के प्रधान कार्यालय, इसके बेलापुर स्थित कार्यालय, आईडीबीआई प्रशिक्षण कॉलेज और 14 अंचल कार्यालयों को शामिल किया गया है जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में केवल बैंक के प्रधान कार्यालय को शामिल किया गया था. वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2004 शाखाओं और 208 कार्यालयों के जीएचजी उत्सर्जन डेटा को रिपोर्ट नहीं किया गया है.*

 # - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 के प्रति रुपये टर्नओवर के कुल उत्सर्जन तीव्रता की गणना के लिए बैंक के वित्तीय वर्ष 2023-24 के कुल टर्नओवर (कुल आय) को रिपोर्ट किए गए 17 स्थानों के कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन से भाग दिया गया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में, क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 के प्रति रुपये टर्नओवर के कुल उत्सर्जन की गणना बैंक के वित्तीय वर्ष 2022-23 के कुल टर्नओवर (कुल आय) को बैंक के प्रधान कार्यालय के क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 के कुल उत्सर्जन को भाग देकर की गई है.

@ - क्रय शक्ति समता गणना के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) द्वारा प्रकाशित निहित पीपीपी रूपांतरण दर का उपयोग किया गया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2023 के मूल्य पर विचार किया गया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2022 के मूल्य पर विचार किया गया है.

$- भौतिक उत्पादन पर आधारित तीव्रता के लिए खुदरा बैंकिंग खंड से बैंक के राजस्व को शामिल किया गया है क्योंकि बैंक की कुल राजस्व में इसकी सबसे अधिक हिस्सेदारी है अर्थात् वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 57.26% और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 60.66% है.

& - वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पूर्ण कालिक कर्मचारी के संबंध में उत्सर्जन तीव्रता की गणना के लिए, 31 मार्च 2024 को बैंक के कुल स्थायी कर्मचारी और स्थायी कामगार से क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 के कुल उत्सर्जन को भाग दिया गया है. इन 17 स्थानों पर कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च 2024 को बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या का 22.71% हिस्सा है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, पूर्ण कालिक कर्मचारी के संबंध में उत्सर्जन तीव्रता की गणना 31 मार्च 2023 को बैंक के कुल स्थायी कर्मचारी और स्थायी कामगार से क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 के कुल उत्सर्जन को भाग देकर की गई है. प्रधान कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च 2023 को बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या का 7.86% है.

8. क्या संस्था के पास ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि ''हाँ'', तो विवरण दें.

हाँ, बैंक ने ऊर्जा की खपत को घटाने के लिए पहलकार्य किए हैं और जागरुकता अभियान चलाया है. ऊर्जा की खपत को घटाने के लिए बैंक ने वि.व. 2023-24 में निम्नलिखित कदम उठाए हैं.

- अपने बोर्ड की बैठकों के लिए ज्ञापनों की आवाजाही के डिजिटलीकरण के परिणामस्वरूप कागज की खपत में कमी आई है और 4.78 tCO_2e कार्बन उत्सर्जन से बचाया गया है;
- क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के डिजिटलीकरण से 1.01 tCO_2e कार्बन उत्सर्जन से बचने में मदद मिली;
- एसी कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर बनाये रखा जाता है.
- जब उपयोग में ना हो तब केबिन और बैक ऑफिस की सभी लाइट बंद कर दी जाती हैं.
- पीसी / लैपटॉप 30 मिनट से अधिक तक उपयोग में न होने पर उसे बंद कर दिया जाता है.
- टेलीविजन, फ़ोटोकॉपियर, श्रेडर मशीन और अन्य व्यावसायिक स्वचालित उपकरणों को उपयोग में न होने पर अथवा दिवस की समाप्ति पर बंद किया जाता है.
- प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम उपयोग किया जाता है और बिजली के लाइटों का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाना.
- कुछ नई शाखाओं/अंचल कार्यालयों में इन्वर्टर प्रकार/वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (वीआरएफ) ऊर्जा कुशल एसी का उपयोग करना;
- अंचल कार्यालयों और मेट्रो शाखाओं में स्वचालित पावर फैक्टर करेक्शन (एपीएफसी) पैनल के माध्यम से पावर फैक्टर (पीएफ) को यूनिटी के करीब बनाए रखना;
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मानक विद्युत मोटर को ऊर्जा कुशल मोटर से बदला जाना; और
- ऊर्जा की हानि से बचने के लिए सभी उपकरणों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से वार्षिक रख-रखाव अनुबंधों का समयबद्ध तरीके से नवीकरण किया जाता है.

ऋण पोर्टफोलियो के संबंध में, बैंक की ऋण नीति संधारणीय वित्तपोषण को प्रोत्साहित करती है, जिससे जीएचजी कटौती में सकारात्मक योगदान मिलता है. बैंक के पास प्राथमिकता क्षेत्र खंड के लिए एक विशिष्ट उत्पाद है जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है. बैंक ने एक उत्पाद अर्थात् आईडीबीआई सूर्य शक्ति लॉन्च किया है, जो सौर वॉटर हीटर, सौर प्रकाश प्रणाली और सौर पंप की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा घरेलू और कृषि बिजली की आवश्यकता में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है. मार्च 2024 के अंत तक, बैंक के पास इस योजना के तहत 100 से अधिक खाते थे, जिनमें ₹ 446 लाख की बकाया ऋण राशि थी.

9. संस्था द्वारा कचरा प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

मापदंड	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24*	पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23*
उत्पन्न कुल कचरा (मेट्रिक टनों में)		
प्लास्टिक कचरा (ए)	4.99	उपलब्ध नहीं
इलेक्ट्रॉनिक कचरा (बी)	21.88	2.87
जैव-चिकित्सीय कचरा (सी)	0	उपलब्ध नहीं
निर्माण और विनष्टीकरण का कचरा(डी)	2.61	उपलब्ध नहीं
बैटरी कचरा (ई)	0	उपलब्ध नहीं
रेडियो एक्टिव कचरा (एफ)	0	उपलब्ध नहीं
अन्य उत्पन्न हानिकारक कचरा, यदि कोई हो, कृपया निर्दिष्ट करें (जी)	0	उपलब्ध नहीं
उत्पन्न हुआ अन्य गैर हानिकारक कचरा (एच)यदि कोई हो तो, कृपया निर्दिष्ट करें	125.37	408.00
उत्पन्न कुल कचरा *(ए +बी +सी +डी +ई +एफ +जी +एच)*	**154.85**	**410.87**

मापदंड	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24*	पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23*
प्रति रुपए टर्नओवर पर कचरा तीव्रता (मैट्रिक टन / रुपये करोड़)# *(कुल उत्पन्न कचरा/परिचालन से राजस्व)*	0.01	0.02
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रूपये टर्नओवर पर कचरे की तीव्रता@ *(कुल उत्पन्न कचरा/पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व) (मैट्रिक टन/मिलियन अमेरिकी डॉलर)*	0.01	0.04
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में कचरे की तीव्रता (मैट्रिक टन / आईएनआर करोड़)$	0.01	0.02
पूर्णकालिक कर्मचारी के संदर्भ में कचरे की तीव्रता (मैट्रिक टन / पूर्ण कालिक कर्मचारी)&	0.01	0.03
उत्पन्न हुए कचरे, रिसाइकलिंग के जरिये प्राप्त कुल कचरा, पुन:उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति से संबंधित परिचालन (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हेतु		
कचरे की श्रेणी		
(i) रिसाइकल	25.57	170.87
(ii) पुन:उपयोग	0	उपलब्ध नहीं
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति परिचालन	0	उपलब्ध नहीं
कुल	**25.57**	**170.87**
उत्पन्न हुए कचरे, उनका निपटान की स्वाभाविक पद्धति नष्ट किया गया कुल कचरा (मेट्रिक टन में) की प्रत्येक श्रेणी हेतु		
कचरे की श्रेणी		
(i) जलाना	0	उपलब्ध नहीं
(ii) जमीन में भर देना	133.90	240.00
(iii) नष्ट करने के अन्य परिचालन	0	Not Available
कुल	**133.90**	**240.00**

टिप्पणी: कृपया यह दर्शाये कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से आकलन/मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हाँ/नहीं) यदि ''हाँ'', तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं.

हां, वर्मा एंड वर्मा बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक के बीआरएसआर मुख्य प्रकटीकरण का आश्वासन दिया है.

**- वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्पन्न अपशिष्ट से संबंधित डेटा तुलनीय नहीं हैं क्योंकि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित 3 स्थानों - बैंक के प्रधान कार्यालय, बेलापुर में इसके कार्यालय और आईडीबीआई प्रशिक्षण कॉलेज पर विचार किया गया है जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 में उत्पन्न अपशिष्ट का अनुमान केवल बैंक के प्रधान कार्यालय के लिए लगाया गया था जो प्रतिदिन उत्पन्न अपशिष्ट और कार्य दिवसों की संख्या पर आधारित था.*

#- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टर्नओवर के प्रति रुपये अपशिष्ट तीव्रता की गणना करने के लिए, रिपोर्ट किए गए 3 स्थानों में उत्पन्न अपशिष्ट को वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंक के कुल टर्नओवर (कुल आय) से विभाजित किया गया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 में टर्नओवर के प्रति रुपये उत्पन्न अपशिष्ट की गणना बैंक के प्रधान कार्यालय में उत्पन्न अपशिष्ट को वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंक के कुल टर्नओवर (कुल आय) से विभाजित करके की गई थी.

@- क्रय शक्ति समता गणना के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा प्रकाशित निहित पीपीपी रूपांतरण दर का उपयोग किया गया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2023 के मूल्य पर विचार किया गया है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2022 के मूल्य पर विचार किया गया है.

$-भौतिक आउटपुट पर आधारित तीव्रता के लिए, खुदरा बैंकिंग खंड से बैंक के राजस्व पर विचार किया गया है क्योंकि बैंक के कुल राजस्व में इसकी सबसे अधिक हिस्सेदारी है यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 57.26% और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 60.66%.

&- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पूर्णकालिक कर्मचारी के संबंध में अपशिष्ट तीव्रता की गणना करने के लिए उत्पन्न अपशिष्ट को 31 मार्च 2024 को बैंक के कुल स्थायी कर्मचारियों और स्थायी कामगारों द्वारा विभाजित किया गया है. इन 17 स्थानों पर कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च 2024 को बैंक की कुल कर्मचारियों की संख्या का 22.71% है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पूर्णकालिक कर्मचारियों के संबंध में अपशिष्ट तीव्रता की गणना 31 मार्च 2023 को बैंक के कुल स्थायी कर्मचारियों और स्थायी कामगारों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को विभाजित करके की गई है. 31 मार्च 2023 को प्रधान कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या बैंक के कुल कर्मचारी संख्या का 7.86% थी.

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनायी गयी कचरा प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें. अपने उत्पादों एवं प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी ने ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए क्या रणनीतियां एवं प्रथाएं अपनायी है. उनका वर्णन करें.

कंपनी जिस क्षेत्र में है उसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कचरा सबसे हानिकारक कचरे में से एक है. बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन नीति बनायी है जिसमें सभी शाखाएं,वर्टिकलों, क्षेत्रीय कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों को शामिल किया गया है. पर्यावरण, जंगल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा जारी किये गये मौजूदा निपटान संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए, बैंक सुनिश्चित करता है कि सारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा उत्पन्न होने के 180 दिनों के भीतर नष्ट कर दिया जाये. उपर्युक्त सारा कचरे का निपटान पंजीकृत री-साइकलर्स को ही किया जाता है. बैंक ने उत्पन्न हुए तथा निपटान किये गये ई कचरे को ट्रैक करने के लिए एक प्रणाली सुस्थापित की है. संबंधित रिसाइक्लर द्वारा जारी किए गए निपटान के सहायक प्रमाणपत्र आईटी आस्ति प्रबंधन प्रणाली (एसीएमएस) पोर्टल में दर्ज किए गए हैं.

11. यदि संस्था के परिचालन/कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अथवा उसके आस पास स्थित हैं, (जैसे नैशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, जीवमंडल भंडार, झीलों, जैव विविधता हॉटस्पॉट,वन,तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) जहां पर्यावरणीय अनुमोदन / मंजूरी आवश्यक है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करें.

क्रम संख्या	परिचालनों / कार्यालयों का स्थान	परिचालनों के प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन /मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है ? (हाँ/नहीं). यदि नहीं, तो उसका कारण और किये गये सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हो.

वित्तीय सेवा प्रदाता होने के नाते बैंक पर यह प्रश्न लागू नहीं होता है. तथापि, बैंक संधारणीय तरीके से काम करने का प्रयास करता है और प्रासंगिक पर्यावरण कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. बैंक की ऋण नीति संधारणीय वित्तपोषण को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण के लिए हानिकारक उद्योगों जैसे कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन/उपभोग करने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध निर्धारित करती है. इसके अलावा, बैंक की ऋण नीति संधारणीय वित्तपोषण को प्रोत्साहित करती है.

12. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में लागू क़ानूनों के आधार पर संस्था द्वारा किए गए परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का विवरण:

परियोजना का नाम और संक्षिप्त ब्योरा	ईआईए अधिसूचना संख्या	तारीख	क्या किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया? (हाँ/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में संप्रेक्षित किये गये परिणाम (हाँ/नहीं)	संबंधित वेब-लिंक

लागू नहीं

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरणीय कानून/ विनियमों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है, जैसे जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु, (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियम (हाँ /नहीं). यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

क्रम संख्या	उस कानून / विनियम / दिशानिर्देश का उल्लेख करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया है	गैर-अनुपालन का ब्योरा प्रस्तुत करें	विनियामक एजेंसियों जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा अदालतों द्वारा लगाया गया दंड/ जुर्माना/ की गई कार्रवाई आदि	की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो

हां, बैंक भारत में लागू पर्यावरणीय कानूनों/ विनियमों/ दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है, जैसे कि जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु, (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियम. इन कानूनों / विनियमों / दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन की कोई घटना देखी /रिपोर्ट नहीं की गई.

नेतृत्व संकेतक

1. **'जल संकट' वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलो लीटर में):**

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

i. क्षेत्र का नाम

ii. परिचालन की प्रकृति

iii. निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निस्सरण :

मापदंड	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24	पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलो लीटर में)		
(i) भू-पृष्ठ जल	-	-
(iii) भू-जल	-	-
(iii) अन्य पक्ष जल	-	-
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	-	-
(v) अन्य	-	-
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	-	-
जल के खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	-	-
प्रति रुपया टर्नओवर के लिए जल की तीव्रता *(खपत किया गया जल / टर्नओवर)*	-	-
जल की तीव्रता *(वैकल्पिक)* - संस्था अपनी संबंधित मेट्रिक चुन सकती है	-	-
गंतव्य द्वारा जल निर्वहन और उपचार का स्तर (किलो लीटर्स में)		
(i) **भू-पृष्ठ जल के लिए**		
- कोई उपचार नहीं	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें	-	-
(ii) भूजल के लिए		
- कोई उपचार नहीं	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें	-	-
(iii) अन्य पक्ष को भेजा गया जल		
- कोई उपचार नहीं	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें	-	-
(iv) समुद्री जल में		
- कोई उपचार नहीं	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें	-	-
(v) अन्य		
- कोई उपचार नहीं	-	-
- उपचार के साथ - कृपया उपचार स्तर का उल्लेख करें	-	-
छोड़ा गया गया कुल जल (किलोलीटर में)		

नोट: कृपया यह सूचित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से कोई आकलन/ मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हां /नहीं) यदि हां, तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं.

2. कृपया कुल क्षेत्र 3 उत्सर्जन एवं उसकी तीव्रता का ब्योरा निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें :

मापदंड	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24	पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23
कुल क्षेत्र 3 का उत्सर्जन *जीएचजी का सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में अलग अलग आंकड़ें प्रस्तुत करें, यदि उपलब्ध है)*	*मेट्रिक टन सीओ2 के समतुल्य*	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
प्रति एक रुपया टर्नओवर कुल क्षेत्र 3 का उत्सर्जन	*(मेट्रिक टन सीओ2 के समतुल्य/ ₹ करोड़)*	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
पूर्णकालिक कर्मचारी के संदर्भ में कुल क्षेत्र 3 उत्सर्जन	*(मेट्रिक टन सीओ2 के समतुल्य/ एफटीई)*	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

टिप्पणी: कृपया यह सूचित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र रूप से कोई आकलन/ मूल्यांकन/ आश्वासन दिया गया है? (हां /नहीं) यदि ''हां'', तो उस बाहरी एजेंसी का नाम बताएं.

3. उपर्युक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में रिपोर्ट की गई पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ-साथ जैव-विविधता पर संस्था के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का ब्योरा प्रदान करें.

वित्तीय सेवा प्रदाता होने के नाते यह प्रश्न बैंक पर लागू नहीं होता है. तथापि, बैंक संधारणीय तरीके से काम करने का प्रयास करता है और प्रासंगिक पर्यावरण कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. बैंक की ऋण नीति संधारणीय वित्तपोषण को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण के लिए हानिकारक उद्योगों जैसे कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन/ उपभोग करने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध निर्धारित करती है. इसके अलावा, बैंक की ऋण नीति संधारणीय वित्तपोषण को प्रोत्साहित करती है.

4. यदि संस्था ने संसाधनों की दक्षता में सुधार लाने अथवा प्रसार / प्रवाह निस्सरण / उत्पन्न कचरे के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल अथवा किसी अभिनव प्रोद्यौगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया उसके साथ-साथ ऐसी पहलों के परिणाम का ब्योरा निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

क्रम संख्या	की गई पहल	पहल का ब्योरा (सारांश के साथ वेब लिंक, यदि कोई हो, प्रदान किया जाए)	पहल का परिणाम

बैंक ने अपनी बोर्ड बैठकों के लिए ज्ञापनों की आवाजाही और क्रेडिट कार्ड विवरणों का डिजिटलीकरण जैसी पहल की है, जिससे कागज की खपत को कम करने में मदद मिली है. इसके अलावा, बिजली की बचत करने के लिए एसी के कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखा जाता है; केबिन और बैक-ऑफिस क्षेत्रों में लाइटें, पीसी/लैपटॉप, टेलीविजन, फोटोकॉपियर, श्रेडर मशीन और अन्य व्यावसायिक स्वचालन उपकरण उपयोग में न होने पर बंद कर दिए जाते हैं. बैंक द्वारा प्राकृतिक प्रकाश के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाइट का उपयोग केवल आवश्यक होने पर ही किया जाए. इसके अलावा, बैंक की कुछ नई शाखाओं/अंचल कार्यालयों में इन्वर्टर प्रकार/वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो (वीआरएफ) ऊर्जा कुशल एसी का उपयोग किया जा रहा है. बैंक अंचल कार्यालयों और मेट्रो शाखाओं में स्वचालित पावर फैक्टर सुधार (एपीएफसी) पैनल के माध्यम से पावर फैक्टर (पीएफ) को यूनिटी के करीब बनाए रखता है. बैंक ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मानक विद्युत मोटर को ऊर्जा कुशल मोटर से बदल दिया है. कामकाज को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने और ऊर्जा हानि से बचने के लिए सभी उपकरणों के वार्षिक रख-रखाव संविदाओं को समय पर नवीनीकृत किया जाता है. ये सभी पहलें ऊर्जा संरक्षण की दिशा में बैंक के योगदान के रूप में शुरू की गई हैं.

5. क्या संस्था के पास कारोबार निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों में ब्योरा \ वेब लिंक प्रदान करें

हां, बैंक के किसी विघटन/आपदा की स्थिति में महत्वपूर्ण कारोबार कार्यों को जारी रखने में मदद के लिए बोर्ड से अनुमोदित कारोबार निरंतरता प्रबंधन ढांचा है. बैंक की कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) आईएसओ 22301:2019 के अनुरूप है. बीसीएम में कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) शामिल हैं. बीसीएम दस्तावेज़ में, अन्य बातों के साथ-साथ, कारोबार में व्यवधान की स्थिति में

तौर-तरीकों और परिणामी पुनर्प्राप्ति रणनीतियों और योजनाएं शामिल है. विभिन्न व्यवधान परिदृश्यों के तहत इन योजनाओं के लचीलेपन का परीक्षण बीसीपी परीक्षण अभ्यास, महत्वपूर्ण आईटी एप्लिककेशनों के डीआर ड्रिल और बैंक के स्वामित्व वाले परिसर में मॉक निकासी अभ्यास सतत आधार पर किया जाता है. सिस्टम की विफलता के जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने चेन्नई में आपदा प्रबंध (डीआर) तथा मुंबई में आपदा प्रबंध के नजदीकी साइट की स्थापना की है. बैंक समय-समय पर डीआर साइट की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डीआर ड्रिल अभ्यास करता है. किसी भी व्यवधान की घटना तथा बीसीएम गतिविधियों की रिपोर्टिंग एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यानी i-DaB के माध्यम से स्वचालित रूप से की जाती है. बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में इन कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रक्रियाओं के बारे में (https://apps.idbibank.in/idbiapp/idbi-bank-anual-report.aspx) पर विवरण प्रदान किया जाता है.

6. **संस्था की मूल्य शृंखला से पर्यावरण पर पड़ने वाले किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभावों को प्रकट करें. इस संबंध में इन परिणामों को घटाने अथवा अनुकूलन हेतु संस्था ने क्या उपाय किये हैं.**

   शून्य.

   वर्तमान में, बैंक की मूल्य शृंखला के भागीदारों की ओर से उत्पन्न किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की सूचना प्राप्त नहीं हुई है.

7. **मूल्य शृंखला के भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किये गये व्यवसाय के मूल्य के रूप में) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया.**

   वर्ष के दौरान ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया.

सिद्धांत 7: कारोबार जो सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न हो तो उन्हें ऐसा करते समय जिम्मेदार और पारदर्शी तरीका अपनाना चाहिए.

आवश्यक संकेतक

1. **(क) व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों के साथ संबद्धता की संख्या**

   बैंक अनेक व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों से संबद्ध है.

   (ख) संस्था जिन उद्योग मंडलों/ संघों के साथ संबद्ध/सदस्य है, ऐसे 10 प्रमुख उद्योग मंडलों/संघों (ऐसी निकाय के कुल सदस्यों की संख्या के आधार पर निर्धारित) की सूची.

क्रम सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों का नाम*	व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों का विस्तार (राज्य/राष्ट्रीय)
1.	भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल(एसोचेम)	राष्ट्रीय
2.	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)	राष्ट्रीय
3.	भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ(फिक्की)	राष्ट्रीय
4.	फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल)	राष्ट्रीय
5.	भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा)	राष्ट्रीय
6.	फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआई)	राष्ट्रीय
7.	भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई)	राष्ट्रीय
8.	भारतीय बैंक संघ (आईबीए)	राष्ट्रीय
9.	भारतीय प्राथमिक व्यापारी संघ (पीडीएआई)	राष्ट्रीय

** - नामों की सूची सांकेतिक है परिपूर्ण नहीं.*

2. **विनियामक प्राधिकारियों से प्राप्त प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था के गैर-प्रतिस्पर्धा आचरण से संबंधित किसी मुद्दों के बारे में की गयी अथवा की जा रही कार्रवाई की जानकारी प्रदान करें.**

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त सार	की गयी सुधारात्मक कार्रवाई
0	0	0

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति की स्थिति का विवरण:

क्रम संख्या	समर्थित सार्वजनिक नीति	ऐसे समर्थन के लिए अपनाया गया तरीका	क्या इसकी जानकारी सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है ? (हाँ / नहीं)	बोर्ड द्वारा की गयी समीक्षा की आवृत्ति	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो

बैंक सरकारों, नीति निर्माताओं, विनियामकों, उद्योग निकायों/व्यापार संघों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा में भाग लेकर जिम्मेदार और नैतिक तरीके से सार्वजनिक समर्थन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध है.

सिद्धांत 8: कारोबारों को समावेशी वृद्धि और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गयी परियोजनाओं के सामाजिक प्रभावों के मूल्यांकन(एसआईए) का विवरण :

परियोजना का नाम और संक्षिप्त ब्योरा	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख	क्या किसी स्वतंत्र बाह्य संस्था द्वारा आयोजित किया गया (हाँ /नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन पर प्रदर्शित किये गये हैं (हाँ /नहीं)	संबंधित वेब लिंक
लागू नहीं					

2. अपनी संस्था द्वारा पुनर्स्थापन और पुनर्वास (आर एवं आर) के लिए चलाई जा रही परियोजना(ओं) से संबंधित जानकारी निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

क्रम संख्या	उस परियोजना का नाम जिसके लिए आर एवं आर चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना से प्रभावित परिवारों की सं. (पीएएफ)	आर एवं आर में शामिल पीएएफ का प्रतिशत	वित्तीय वर्ष में पीएएफ को अदा की गई राशियाँ (भारतीय रुपयों में)
लागू नहीं						

3. समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनके समाधान करने के तंत्र का उल्लेख करें.

बैंक ने अपनी सीएसआर नीति में शिकायत निवारण तंत्र को शामिल किया है जिसे इसकी वेबसाइट (https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy.pdf) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है.

4. आपूर्तिकारों से जुटाई गई इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के हिसाब से कुल इनपुट में इनपुट):

	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24	पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23
एमएसएमई /छोटे उत्पादकों से प्रत्यक्ष तौर पर जुटाए गए	बैंक की प्राथमिक निविष्टियां तकनीकी संबद्ध सेवाएं और लेखन-सामग्री है. इसके अतिरिक्त, बैंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत शामिल अपने पूर्तिकर्ताओं से प्रासंगिक सूचनाओं के संकलन की प्रक्रिया में है.	
भारत के भीतर सीधे तौर पर		

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन: निम्नलिखित स्थानों पर नियोजित व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों या कामगारों सहित) को कुल मजदूरी लागत के % के रूप में भुगतान की गई मजदूरी प्रकट करें:

स्थान	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24	पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23
ग्रामीण	6.75%	6.46%
अर्ध शहरी	14.75%	14.00%
शहरी	23.12%	22.74%
महानगर	55.38%	56.80%

नोटः स्थान को रिजर्व बैंक की वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत किया गया है- ग्रामीण/अर्ध-शहरी/शहरी/महानगरीय

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन में पाए गए नकारात्मक सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का ब्योरा दें. (संदर्भ: ऊपर दर्शाये गए आवश्यक संकेतकों का प्रश्न सं 1):

पता लगाए गये नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का ब्योरा	की गयी सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं	

2. सरकारी निकायों द्वारा अभिनिर्धारित निर्दिष्ट महत्वाकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा प्रारंभ की गयी सीएसआर परियोजना के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें :

क्रम संख्या	राज्य	महत्वाकांक्षी जिला	खर्च की गयी राशि (रुपयों में)
1	बिहार	औरंगाबाद	41,65,552
2	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	6,00,000
3	उत्तराखंड	हरिद्वार	1,00,000
4	ओड़िशा	रायगढ़	24,06,167

3. (क) क्या आपके पास अधिमानी खरीद नीति मौजूद है जहां आप उपेक्षित /कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं? (हां/ नहीं)

हाँ, खरीदारी के लिए व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी एकरूप दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है. (वेब-लिंक - https://doe.gov.in/manuals)

(ख) किस उपेक्षित /कमजोर समूहों से आप खरीद करते हैं ?

बैंक इस संबंध में डाटा नहीं रखता है. हालाँकि, बैंक खरीद के लिए भारत सरकार के व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए एक समान दिशानिर्देशों का पालन करता है.

(ग) यह कुल खरीद (मूल्य के हिसाब से) का कितना प्रतिशत दर्शाता है?

बैंक इस संबंध में डाटा नहीं रखता है. हालाँकि, बैंक खरीद के लिए भारत सरकार के व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए एक समान दिशानिर्देशों का पालन करता है.

4. आपकी संस्था द्वारा पारंपरिक ज्ञान के आधार पर (चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में) अपनी स्वामित्व वाली या अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण:

क्रम संख्या	पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व वाली / अर्जित (हाँ / नहीं)	साझा किये गये लाभ (हाँ / नहीं)	साझा लाभों की गणना का आधार
लागू नहीं				

5. बौद्धिक संपदा संबंधी विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है.

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त सार	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं		

6. सीएसआर परियोजना के लाभार्थियों का ब्योरा:

क्रम संख्या	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और उपेक्षित समूहों के लाभार्थियों का प्रतिशत
1	**स्वास्थ्य देखभाल:** अनाथ बच्चों, वृद्ध और निराश्रितों के साथ-साथ रोगियों, परिचारकों और स्वास्थ्य कर्मियों को पोषण, स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की मरम्मत और नवीनीकरण	63,706	99.47%
2	**शिक्षा:** प्रशिक्षण और कौशल विकास गतिविधि, बच्चों के लिए किताबें और स्टेशनरी की आपूर्ति, महिलाओं के लिए उद्यमिता, शैक्षणिक खर्चों का समर्थन करना	4,325	92.00%
3	**ग्रामीण विकास:** मिशन महाग्राम के तहत सामाजिक, आर्थिक और ग्रामीण परिवर्तन और खरीद केंद्रों पर आधार समर्थित पीओपी मशीनों की स्थापना	111	मापन योग्य नहीं
4	**पर्यावरणीय संधारणीयता:** पर्यावरणीय संधारणीयता और पशु कल्याण को बढ़ावा देने के साथ-साथ जल की गुणवत्ता में सुधार और नदियों की स्थिति में सुधार करके जल प्रदूषण को कम कर जल की गुणवत्ता और कमी में सुधार करना	मापन योग्य नहीं	मापन योग्य नहीं
5	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) को योगदान:** साइबर सुरक्षा खतरों को कम करने और रोकने के लिए साइबर सुरक्षा प्रयोगशाला का निर्माण	मापन योग्य नहीं	मापन योग्य नहीं
6	**स्वीकार्य धनराशि:** किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने और प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए पीएम केयर फंड में सीएसआर योगदान	मापन योग्य नहीं	मापन योग्य नहीं

सिद्धांत 9: कारोबारों को अपने ग्राहकों के साथ जुड़ना चाहिए और उनका जिम्मेदार तरीके से सम्मान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता से शिकायतें और उनसे फीड बैक प्राप्त करने के लिए तथा उनका उत्तर देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें.

शिकायत निवारण के संबंध में बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति मौजूद है. यह नीति बैंक के ग्राहकों की शिकायतों के बारे में शिकायत निवारण तंत्र को परिभाषित करती है. ग्राहक /गैर-ग्राहक द्वारा सभी शिकायतें मानकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) के ग्राहक मूल्य प्रबंधन (सीवीएम) मॉड्यूल में विभिन्न चैनलों के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं ताकि शिकायतों का समय पर और गुणात्मक निवारण सुनिश्चित किया जा सके. निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान न होने की स्थिति में, शिकायतकर्ता वेबसाइट या शिकायत के समाधान पर ग्राहक को भेजे गए एसएमएस में दिये गये लिंक के माध्यम से शिकायत को आगे भेज सकता है. इस तंत्र में प्रदान किये गये त्रि-स्तरीय वृद्धि मैट्रिक्स के अनुसार शिकायतकर्ता अपनी शिकायत अगले प्राधिकारी तक पहुंचा सकता है. यदि शिकायत दर्ज करने के 30 कार्य दिवसों के भीतर शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो ग्राहक मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के लोकपाल (ओआरबीआईओ) के कार्यालय से संपर्क कर सकता है.

इसके अलावा, आंतरिक लोकपाल योजना, 2018 के अनुसार जो शिकायत बैंक के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र द्वारा अंशतः अथवा पूर्णतः अस्वीकार की जाती है, उसे शिकायतकर्ता को उत्तर देने से पहले समीक्षा के लिए आंतरिक रूप से बैंक के आंतरिक लोकपाल(आइ ओ) के पास भेजा जाता है. बैंक ने जनवरी 2024 से भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक लोकपाल) निर्देश, 2023 के मास्टर निर्देश को अपनाया है.

2. **उन सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में, उत्पादों और / सेवाओं का टर्नओवर, जिनमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है:**

मापदंड	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंड	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	बैंक नियमित रूप से ग्राहक जागरूकता अभियान चलाता है जिसका उद्देश्य सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना और साइबर अपराध तथा धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए जागरूकता को बढ़ाना है. ये पहल एसएमएस/ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक की वेबसाइट, एटीएम, गो मोबाइल+, इंटरनेट बैंकिंग, शाखा बैठकें और क्षेत्रीय ग्राहक बैठकें सहित विभिन्न संचार चैनलों का उपयोग करती हैं. इसके अतिरिक्त, शैक्षिक प्रयास बीसी बिंदुओं पर आधार समर्थित भुगतान सेवा जैसी सेवाओं के उपयोग को कवर करते हैं, साथ ही सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए नोटिस बोर्ड पर क्या करें और क्या न करें प्रकाशित करते हैं. सुरक्षित लेन-देन के तरीकों पर शैक्षिक सामग्री को ईमेल और एसएमएस जैसे नियमित संचार के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता है और आशय पत्र तथा ऋण करार जैसे प्रमुख दस्तावेजों में एकीकृत किया जाता है.
री-साइक्लिंग और / अथवा सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

3. **निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या :**

	चालू वित्तीय वर्ष 2023-24		टिप्पणियाँ	पिछला वित्तीय वर्ष 2022-23		टिप्पणियाँ
	प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित		प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित	
डेटा गोपनीयता	4	0	-	0	0	-
विज्ञापन	0	0	-	0	0	-
साइबर-सुरक्षा	4,231	0	अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेनों (यूईबीटी) से संबंधित शिकायतें	5,771	4	अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन (यूईबीटी) से संबंधित शिकायतें
आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी	518	10	सुपुर्दगियों अर्थात् एटीएम कार्ड, आई-नेट पिन की हार्ड कॉपी, ऋण दस्तावेज, आदि की प्राप्ति न होने से संबंधित शिकायतें	573	5	सुपुर्दगियों अर्थात् एटीएम कार्ड, आई-नेट पिन की हार्ड कॉपी, ऋण दस्तावेज, आदि की प्राप्ति न होने से संबंधित शिकायतें
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं	0	0	-	0	0	-
अनुचित व्यापार प्रथाएं	0	0	-	0	0	-
ग्राहकों की शिकायतें	54,961	272	उपर्युक्त को छोड़कर अन्य सभी शिकायतें	58,888	1,105	उपर्युक्त को छोड़कर अन्य सभी शिकायतें. वित्तीय वर्ष 2022-23 के डेटा को पिछले वर्ष रिपोर्ट किए गए 'टी+5 दिनों से अधिक के टीएटी वाले एटीएम विवादों' की तुलना में 'टी+1 दिन के भीतर हल नहीं किए गए एटीएम विवादों' को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है.

4. **सुरक्षा संबंधी मुद्दों के कारण उत्पाद को वापस लेने की घटनाओं का ब्योरा:**

	संख्या	वापस लेने का कारण
स्वेच्छा से वापस लिए गए	लागू नहीं	
जबरन वापस लिए गए		

5. **क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता से संबंधित जोखिम के लिए कोई ढांचा / नीति मौजूद है ? (हाँ /नहीं). यदि उपलब्ध हैं, तो कृपया उक्त नीति की वेब लिंक उपलब्ध कराएं.**

हां, बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित सूचना सुरक्षा नीति (आईएसपी) और साइबर सुरक्षा नीति (सीएसपी) है जो साइबर खतरों से निपटने के उचित दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि जानकारी अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित है; सूचना की गोपनीयता और अखंडता बनाए रखी जाती है और वैध उपयोगकर्ताओं के लिए आईटी संसाधनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है. दोनों नीतियां, आईएसपी और सीएसपी, बैंक के इंट्रानेट पर होस्ट की गई हैं, संबंधित कर्मियों और संबंधित इच्छुक पार्टियों को सूचित किया जाता है, और पूर्व-निर्धारित अंतराल पर समीक्षा की जाती है, साथ ही किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के होने पर की जाती है.

बैंक ने ग्राहक के विवरण की सुरक्षा बढ़ाने और उनके खातों की सुरक्षा के लिए कई उपाय अपनाए हैं. क्या करें और क्या न करें तथा सूचना सुरक्षा दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट पर होस्ट किए गए हैं जो आसान उपाय निर्धारित करते हैं जिनका पालन करके ग्राहक अपने पैसे और व्यक्तिगत विवरण की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं.

इन दिशानिर्देशों को निम्नलिखित लिंक के तहत बैंक की वेबसाइट पर एक्सेस किया जा सकता है (https://www.idbibank.in/dos-donts-banking.aspx) और (https://www.idbibank.in/information-security.aspx)

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी; साइबर सुरक्षा, ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पादों को वापस लेने के उदाहरणों की पुनरावृत्ति से संबंधित मुद्दों पर की गयी या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई और उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर विनियामक प्राधिकरणों द्वारा दंड लगाने / की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें.**

विज्ञापन के संबंध में किसी विनियामक/सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है या की जा रही है. बैंक को साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता से संबंधित ऐसी किसी घटना का सामना नहीं करना पड़ा है. ऐसी कोई भी घटना होने पर निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी. आईटी से संबंधित सभी प्रमुख घटनाओं और आईटी सुरक्षा से संबंधित घटनाओं की सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति बोर्ड की समिति (आईटीएससीबी) को दी जा रही है.

7. **डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

(क) डेटा उल्लंघन के मामलों की संख्या:

शून्य

(ख) ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत.

लागू नहीं

(ग) डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो.

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. **चैनल / प्लैटफॉर्म्स जहां पर संस्था की योजनाओं और सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है (यदि संभव है, तो वेब लिंक प्रदान करें).**

बैंक की योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाईट (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है तथा बैंक की योजनाओं और सेवाओं के संबंध में योजनाओं के पोस्ट बैंक के निम्नलिखित सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है :

- फेसबुक (https://www.facebook.com/IDBIBank/)
- ट्विटर (https://twitter.com/idbi_bank)

- इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/idbibankofficial/)
- लिंक्ड इन (https://in.linkedin.com/company/idbi-bank)
- यूट्यूब (https://www.youtube.com/IDBIBANK

2. योजनाओं और/अथवा सेवाओं का सुरक्षित और जिम्मेदार तरीके से उपयोग करने के लिए ग्राहकों को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम.

बैंक नियमित रूप से ग्राहक जागरूकता अभियान चलाता है जिसका उद्देश्य सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना और साइबर अपराध तथा धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए जागरूकता को बढ़ाना है. ये पहल एसएमएस/ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक वेबसाइट, एटीएम, गो मोबाइल+, इंटरनेट बैंकिंग, शाखा बैठकें और क्षेत्रीय ग्राहक बैठकें सहित विभिन्न संचार चैनलों का उपयोग करती हैं. इसके अतिरिक्त, शैक्षिक प्रयास बीसी बिंदुओं पर आधार समर्थित भुगतान सेवा जैसी सेवाओं के उपयोग को कवर करते हैं, साथ ही सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए नोटिस बोर्ड पर क्या करें और क्या न करें प्रकाशित करते हैं. सुरक्षित लेन-देन के तरीकों पर शैक्षिक सामग्री को ईमेल और एसएमएस जैसे नियमित संचार के माध्यम से सुदृढ़ किया जाता है और आशय पत्र तथा ऋण करार जैसे प्रमुख दस्तावेजों में एकीकृत किया जाता है.

इसके अलावा, ग्राहकों को शिक्षित करने और उन्हें जिम्मेदारी से सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए, बैंक ने समय-समय पर भेजे जाने वाले ऋण विवरण में ऋण खाते के अतिरिक्त विशिष्ट विवरण को शामिल करना शुरू कर दिया है जिसमें ऋण की प्रचलित ब्याज दर और अवशिष्ट अवधि शामिल है. इसके अलावा, बेंचमार्क दरों में उर्ध्वगामी संशोधन के कारण ब्याज दर में किसी भी बढ़ोतरी के परिदृश्य में, ग्राहकों को उपलब्ध विकल्पों के बारे में विधिवत सूचित किया जाता है ताकि वे मौजूदा ईएमआई को जारी रखने के लिए आंशिक भुगतान करने या ऋण चुकाने के लिए मौजूदा अवधि या अवधि को यथासंभव सीमा तक ईएमआई बढ़ाने या निश्चित ब्याज दर पर स्विच करने का विकल्प चुन सकें. ग्राहकों के ऋण की शर्तों को प्रभावित करने वाली ब्याज दरों या सेवा शुल्क अनुसूची आदि में कोई भी संशोधन बैंक की वेबसाइट पर विधिवत होस्ट किया जाता है.

3. आवश्यक सेवाओं में बाधा / अनिरंतरता होने का कोई जोखिम उत्पन्न होने पर ग्राहकों को जानकारी देने के लिए उपलब्ध तंत्र.

बैंक के पास अपनी सभी प्रक्रियाओं और स्थानों के लिए एक सुपरिभाषित कारोबार निरंतरता योजना मौजूद है. ग्राहकों को ईमेल, बैंक की वेबसाइट पर नोटिस, मोबाइल एप्लिकेशन बैनर, एसएमएस अलर्ट, कॉल आदि के माध्यम से सूचित किया जाता है. किसी भी स्थान पर कोई खराबी आने की गंभीर स्थिति में ग्राहकों को निकटतम स्थानों पर निर्देशित किया जाता है और उनके लेनदेन को यथोचित रूप से पूरा किया जाता है. कारोबार प्रतिनिधि, जो मुख्य रूप से दूरदराज के क्षेत्रों, जहां बैंक की उपस्थिति नहीं है, ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, बैंक के सर्वर नियंत्रण के साथ, वित्तीय गतिविधियों के लिए आईटी-समर्थित प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं. बीसी के पास संभावित व्यवधानों के लिए बैकअप योजना है और यदि आवश्यक सेवाएं उनकी समाधान क्षमता से परे होती हैं, तो ग्राहकों को सहायता के लिए निकटतम आईडीबीआई बैंक शाखा में भेज दिया जाता है.

4. क्या संस्था स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य रूप से उत्पादों के बारे में जानकारी से अधिक प्रदर्शित करती है? (हां / नहीं / लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षिप्त में विवरण प्रदान करें. क्या आपकी संस्था ने अपने प्रमुख योजनाओं /सेवाओं, संस्था के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या संपूर्ण संस्था के बारे में ग्राहक संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया ? (हां / नहीं)

बैंक की योजनाओं और सेवाओं के बारे में बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी जानकारी उपलब्ध है. बैंक शाखाओं और एटीएम जैसे विभिन्न संपर्क बिंदुओं पर अपनी पेशकश और सुविधाओं को प्रमुखता से प्रदर्शित करता है. बैंक समय-समय पर अपने ग्राहकों के साथ योजनाओं और सेवाओं के बारे में ग्राहकों का फीडबैक पाने के लिए उनसे बातचीत करता है. बैंक वार्षिक आधार पर ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भी करता है.

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') में चिन्हित संधारणीयता सूचना पर स्वतंत्र व्यवसायी की उचित आश्वासन रिपोर्ट, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट

प्रति,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल,

1. हमने दिनांक 14 मार्च 2024 के नियुक्ति पत्र संख्या आईडीबीआई बैंक/सीएसपीडी/2023-24/236 के द्वारा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ("बैंक") के लिए नीचे सूचीबद्ध सहमत संधारणीयता सूचना ("चिन्हित संधारणीयता सूचना" या आईएसआई या "बीआरएसआर प्रमुख संकेतक") के संबंध में नीचे पैराग्राफ 4 में बताए गए मानदंडों के अनुसार उचित आश्वासन देने का कार्य किया है. यह संधारणीयता सूचना 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्ट ("बीआरएसआर" या "रिपोर्ट") में शामिल है. यह कार्य आश्वासन व्यवसायियों की एक टीम द्वारा किया गया था.

आश्वासन का दायरा

2. हमारे उचित आश्वासन के दायरे में हमारी रिपोर्ट के अनुबंध अ में सूचीबद्ध चिन्हित संधारणीयता सूचना (आईएसआई)में शामिल है. रिपोर्ट की रिपोर्टिंग सीमा खंड अ : बीआरएसआर का सामान्य प्रकटीकरण के प्रश्न 13 में बताई गई है और अपवाद, जहां लागू हो, बीआरएसआर के संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत नोट के रूप में बताये गये हैं.

3. हमारा उचित आश्वासन का कार्य केवल 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष की जानकारी के संबंध में था और हमने पहले की अवधि या बीआरएसआर में शामिल किसी भी अन्य तत्व के संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं की है और इसलिए उन पर कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं.

रिपोर्टिंग मानदंड

4. चिन्हित संधारणीयता जानकारी तैयार करने के लिए बैंक द्वारा प्रयुक्त रिपोर्टिंग मानदंड का सारांश नीचे दिया गया है:

   क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं (सेबी एलओडीआर), 2015 यथा संशोधित के विनियम 34(2)(एफ);

   ख. 11 जुलाई 2023 के सेबी मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-एसईसी-2/पी/सीआईआर/2023/120 और 12 जुलाई 2023 के सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-एसईसी-2/पी/सीआईआर/2023/122 के अनुसार सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए कारोबारी उत्तरदायित्व और संधारणीयता रिपोर्टिंग की अपेक्षाएं.

   ग. सेबी द्वारा जारी बीआरएसआर प्रारूप के लिए मार्गदर्शन नोट.

   घ. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के संधारणीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड द्वारा जारी संधारणीयता आश्वासन कार्यों के लिए मानक [एसएसएई] 3000, "संधारणीयता जानकारी पर आश्वासन कार्य".

   ङ. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के संधारणीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड द्वारा जारी आश्वासन कार्यों के लिए मानक (एसएई) 3410 ग्रीनहाउस गैस विवरणों के बारे में आश्वासन कार्य.

प्रबंधन की जिम्मेदारी

5. बैंक का प्रबंधन रिपोर्ट की रिपोर्टिंग सीमा सहित संधारणीयता सूचना तैयार करने के लिए उपयुक्त मानदंडों का चयन या स्थापना करने, संधारणीयता सूचना के बारे में रिपोर्टिंग से संबंधित लागू कानूनों और विनियमों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखना, प्रमुख पहलुओं की पहचान, हितधारकों की सहभागिता, विषयवस्तु, मानदंडों के अनुसार चिन्हित संधारणीयता जानकारी की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है.

6. इस जिम्मेदारी में बीआरएसआर की तैयारी और चिन्हित संधारणीयता जानकारी के मापन से संबंधित आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं जो धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त है.

अंतर्निहित सीमाएँ

7. गैर-वित्तीय जानकारी का मूल्यांकन और माप करने के लिए स्थापित पद्धति के एक महत्वपूर्ण भाग की अनुपस्थिति अलग, लेकिन स्वीकार्य, उपायों और माप तकनीकों की अनुमति देती है और संस्थाओं के बीच तुलना को प्रभावित कर सकती है.

हमारी स्वतंत्रता और गुणवत्ता नियंत्रण

8. हमने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी है और पुष्टि करते हैं कि हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और 12 जुलाई 2023 के सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-एसईसी-2/पी/सीआईआर/2023/122 द्वारा जारी आचार संहिता की अपेक्षाओं और उसके स्पष्टीकरणों को पूरा किया है और इस आश्वासन कार्य को करने के लिए आवश्यक क्षमता और अनुभव रखते हैं.

9. हम गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, "ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा और समीक्षा करने वाली फर्मों तथा अन्य आश्वासन एवं संबंधित सेवा कार्यों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण" लागू करते हैं और तदनुसार नैतिक अपेक्षाओं, पेशेवर मानकों और लागू कानूनों एवं विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं सहित गुणवत्ता नियंत्रण की व्यापक प्रणाली बनाए रखते हैं.

हमारी जिम्मेदारी

10. हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अनुबंध-अ में सूचीबद्ध चिन्हित संधारणीयता जानकारी पर एक उचित आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त करना है.

11. हमने अपना कार्य इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के संधारणीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड द्वारा जारी दोनों संधारणीयता आश्वासन कार्य के लिए मानक (एसएसएई) 3000 "संधारणीयता जानकारी के बारे में आश्वासन कार्य" और आश्वासन कार्यों पर मानक (एसएई) 3410 ग्रीनहाउस गैस विवरणों के लिए आश्वासन कार्य (सामूहिक रूप से "मानक") के अनुसार किया है.

12. इन मानकों में यह अपेक्षा है कि हम अपनी कार्य योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि हमें इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त हो जाए कि क्या अनुबंध-अ में सूचीबद्ध और रिपोर्ट में शामिल चिन्हित संधारणीयता जानकारी, सभी महत्वपूर्ण मामलों में, ऊपर पैराग्राफ 4 के तहत बताए गए रिपोर्टिंग मानदंडों के अनुसार तैयार की गई है.

13. मानकों के अनुरूप उचित आश्वासन कार्य के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं तथा संपूर्ण कार्य के दौरान पेशेवर संशय बनाए रखते हैं.

14. एक उचित आश्वासन कार्य में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण चिन्हित संधारणीयता जानकारी के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का आकलन करना, परिस्थितियों की आवश्यकतानुसार आकलित जोखिमों का जवाब देना शामिल है.

15. हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं हमारे पेशेवर निर्णय पर आधारित थीं और इसमें पूछताछ, निष्पादित प्रक्रियाओं का अवलोकन, दस्तावेजों का निरीक्षण, परिमाणीकरण विधियों और रिपोर्टिंग नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन, विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और अंतर्निहित रिकॉर्ड के साथ सहमति या सामंजस्य स्थापित करना शामिल था.

16. उपर्युक्त सूचीबद्ध प्रक्रियाओं को पूरा करने में कार्य की परिस्थितियों को देखते हुए हम सूचित करते हैं कि हमने :

- चिन्हित संधारणीयता जानकारी और संबन्धित प्रकटनों की समझ प्राप्त की ;
- रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी वाले बैंक के प्रबंधन और संबंधित विभागों से पूछताछ की.
- नमूने के आधार पर अंतर्निहित अभिलेखों के साथ चिन्हित संधारणीयता जानकारी को सहमत या समन्वित कर संधारणीयता जानकारी को एकत्रित करने के लिए बैंक की प्रक्रिया का परीक्षण किया.
- चिन्हित संधारणीयता संकेतकों का नमूने के आधार पर वास्तविक परीक्षण किया ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि डेटा को दर्ज, संकलित और रिपोर्ट किये गये अंतर्निहित दस्तावेजों के साथ उचित रूप से मापा गया था. इसमें रिकॉर्ड का मूल्यांकन करना और नमूना डेटा की पुनर्गणना सहित परीक्षण करना शामिल था.
- रिपोर्टिंग सीमा के अतंर्गत अनुबंध-आ में सूचीबद्ध प्रधान कार्यालय और अन्य स्थानों पर चिन्हित संधारणीयता जानकारी की प्रक्रियाओं, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के लिए नियंत्रणों की समझ प्राप्त की और रिपोर्ट किए जा रहे डेटा की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए सभी 14 अंचल कार्यालयों, इसके बेलापुर कार्यालय, प्रशिक्षण कॉलेज और प्रधान कार्यालय, मुंबई के समेकन का परीक्षण किया.
- ऐतिहासिक आंकड़ों में प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित कीं तथा तदनुसार चालू वर्ष में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों की तर्कसंगतता का पता लगाया.

हमारा मानना है कि हमने जो साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे हमारे उचित आश्वासन निष्कर्ष के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

अपवर्जन:

17. हमारे आश्वासन के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं और इसलिए हम इन पर कोई निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं:

- "आश्वासन के दायरे" में उल्लिखित के अलावा बैंक के अन्य परिचालन.
- चिन्हित संधारणीयता जानकारी के अलावा बीआरएसआर और डेटा/जानकारी (गुणात्मक या मात्रात्मक) के पहलू.
- निर्धारित रिपोर्टिंग अवधि अर्थात 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 से बाहर के डेटा और जानकारी.
- बैंक द्वारा प्रदान किए गए विवरण जिनमें अभिमत, विश्वास, आकांक्षा, अपेक्षा, उद्देश्य अथवा भविष्य के इरादों की अभिव्यक्ति की गई है.
- अनुबंध-आ में दिए गए स्थानों के अलावा बैंक की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय शाखाओं से संबंधित डेटा और सूचना.

अन्य जानकारी

18. अन्य जानकारी के लिए बैंक का प्रबंधन जिम्मेदार है. अन्य जानकारी में बीआरएसआर और वार्षिक रिपोर्ट में दी गई जानकारी शामिल है, चिन्हित संधारणीयता जानकारी और उन पर 27 जून 2024 की हमारी स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट के अलावा.

19. चिन्हित संधारणीयता जानकारी पर हमारे निष्कर्ष में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं.

20. चिन्हित संधारणीयता जानकारी के बारे में हमारे आश्वासन कार्य के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करना कि क्या अन्य जानकारी चिन्हित संधारणीयता जानकारी से अत्यधिक रूप से असंगत है या अन्यथा अत्यधिक रूप से मिथ्या कथन प्रतीत होती है.

21. यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण मिथ्या कथन है तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना है. इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है.

परिमित आश्वासन का आधार :

22.

(क) बैंक इसके प्रधान कार्यालय, 2004 शाखाओं (एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा सहित), ज्ञानार्जन केन्द्रों सहित 225 अन्य कार्यालयों से परिचालित करता है. रिपोर्टिंग के लिए निम्नलिखित जानकारी पर विचार किया गया है:

i. सिद्धांत 6, आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 7

ii. सिद्धांत 6, आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 3 एवं 4

iii. सिद्धांत 6, आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1

iv. सिद्धांत 6, आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 9 (अनुबंध आ (ii))

जानकारी रिपोर्ट के अनुबंध आ में सूचीबद्ध केवल बैंक के मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय, इसके बेलापुर स्थित कार्यालय, हैदराबाद स्थित प्रशिक्षण कॉलेज और 14 अंचल कार्यालयों से संबंधित है. 2,004 शाखाओं और 208 कार्यालयों से संबंधित जानकारी निर्धारित नहीं हुई है और उपर्युक्त प्रश्नों/संकेतकों के अंतर्गत रिपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए इन पर विचार नहीं किया गया है. तदनुसार, इस सिद्धांत के अंतर्गत रिपोर्टिंग और इसमें रिपोर्ट किये गये अनुपात बैंक स्तरीय जानकारी का निरूपण नहीं करते हैं.

ख) इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट के अनुबंध आ में सूचीबद्ध 17 स्थानों में से, जैसा कि बीआरएसआर के अनुभाग ग के ‘सिद्धांत 6’ "कारोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और उसे संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए" की टिप्पणी में उल्लिखित है, - आवश्यक संकेतक 3 "जल से संबंधित विवरण" की रिपोर्ट में बैंक ने "जल से संबंधित विवरण" संकेतकों के पूर्ण और सटीक प्रकटन निर्धारित करने लिए बीआरएसआर निर्देशिका नोट के अंतर्गत प्रदान किए गए दृष्टिकोण की बजाय 11 स्थानों के लिए अप्रत्यक्ष अनुमानों का उपयोग किया है. 31 मार्च 2024 को और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए "जल से संबंधित विवरण" के तहत प्रकट किए गए मूल्यों की पूर्णता और सटीकता की जांच हेतु पर्याप्त उचित प्रमाण के अभाव में, 31 मार्च 2024 को और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए हम यह निर्धारित कर पाने में असमर्थ हैं कि "जल से संबंधित विवरण" से संबद्ध रिपोर्ट किए गए आकड़ों में किसी समायोजन की आवश्यकता थी या नहीं.

मामले पर बल:

23. जैसा कि बीआरएसआर के अनुभाग ग के 'सिद्धांत 8': "कारोबारों को समावेशी वृद्धि और न्यायोचित विकास को बढ़ावा देना चाहिए" - आवश्यक संकेतक 4 "आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य में कुल इनपुट में इनपुट)" और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(सी)(IV) की टिप्पणियों में उल्लिखित है, बैंक एमएसएमई अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की पूरी सूची की पहचान करने और प्रकटन के उद्देश्य से संबंधित जानकारी को समेकित करने की प्रक्रिया में है.

24. जैसा कि बीआरएसआर के अनुभाग ग "सिद्धांत 1 कारोबारों को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से और सत्यनिष्ठा के साथ संचालित और नियंत्रित करना चाहिए" में अपेक्षित है, खाता देय के दिनों की संख्या निर्धारित करने के उद्देश्य से - आवश्यक संकेतक 8 "देय खातों में दिनों की संख्या" के संबंध में "अनुसूची 5" अन्य देयताएँ एवं इन देय से संबद्ध वस्तुओं और सेवाओं की लागत के अनुसार वास्तविक खाता देय पर विचार करने के बजाय बैंक ने 31 मार्च 2024 को इन शीर्षकों के प्रति खाता देय (अंश) के रूप में किये गये परिचालन व्ययों को एक आधार और प्रावधान के रूप में विचार करते हुए मूल्य की गणना की है.

    हालांकि, जैसा कि बीआरएसआर रिपोर्ट के अनुभाग ग के संबंधित सिद्धांतों में प्रकट किया गया, बैंक के कारोबार के पैमाने को ध्यान में रखते हुए शेष/अनुपात महत्वपूर्ण नहीं हैं.

    पैरा 23 और 24 में उल्लिखित मामलों के बारे में हमारे आश्वासन को संशोधित नहीं किया गया है.

परिमित उचित आश्वासन निष्कर्ष

25. हमारी रिपोर्ट के परिमित निष्कर्ष का आधार अनुभाग में उल्लिखित मामलों के प्रभावों, या संभव प्रभावों के अतिरिक्त, हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और हमें प्राप्त प्रमाण के आधार पर, सभी महत्वपूर्ण मामलों के संदर्भ में, उपर्युक्त अनुच्छेद 4 के अंतर्गत वर्णित रिपोर्टिंग मानदंड के अनुसार, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है, जो हमें यह विश्वास दिलाए कि अनुबंध-अ में वर्णित चिन्हित संधारणीयता जानकारी उचित रूप से प्रस्तुत नहीं की गई है.

उपयोग पर प्रतिबंध:

26. बैंक के अनुरोध पर ही, बैंक को बैंक के संधारणीय कार्यनिष्पादन और गतिविधियों की रिपोर्टिंग में सहायता के लिए हमारी उचित आश्वासन रिपोर्ट बनाई गई है और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के निदेशक मंडल को संबोधित की गई है. तद्नुसार, हमारी जवाबदेही बैंक के अतिरिक्त किसी के प्रति नहीं है. हमारी उचित आश्वासन रिपोर्ट का किसी अन्य उद्देश्य या हमारी रिपोर्ट जिनको संबोधित है, उनके अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग नहीं की जानी चाहिए. हम हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी अन्य उद्देश्य या किसी अन्य पक्ष को दिखाए गए हमारे डिलिवरेबल या इसके उनके हाथों में आने के संदर्भ में किसी भी प्रकार के कर्तव्य या देयता न तो स्वीकार करते है और न ही मानते हैं.

कृते वर्मा एवं वर्मा
सनदी लेखाकर
फ.पं.सं.: 004532S

फ़िज़ो कोल्लानूर जोस
साझेदार
सदस्यता सं.: 138208
यूडीआईएन: 24138208BKFETH6931
दिनांक: 27.06.2024
स्थान: बैंगलोर

अनुबंध अ

सिद्धांत	बीआरएसआर संकेतक	आश्वासन का प्रकार
सिद्धांत 6 : कारोबारों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसको संरक्षित करने तथा पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए		
	विशेषता 1: ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) फुटप्रिंट	
पी6 क्यू7	प्रश्न 7: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण:	रिपोर्ट का पैराग्राफ 22 देखें
	कुल क्षेत्र 1 उत्सर्जन	
	कुल क्षेत्र 2 उत्सर्जन	
	प्रति करोड़ रुपए के टर्नओवर पर कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन तीव्रता	
	क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रूपये के टर्नओवर पर कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन तीव्रता	
	भौतिक उत्पादन/किसी अन्य प्रासंगिक मेट्रिक के संदर्भ में कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन तीव्रता	
	विशेषता 2: जल फुटप्रिंट	
पी6 क्यू3	जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटनों का विवरण:	रिपोर्ट का पैराग्राफ 22 देखें
	स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में)	
	जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	
	जल उपभोग की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	
	प्रति करोड़ रुपए के टर्नओवर पर जल तीव्रता (कुल जल खपत परिचालनों से राजस्व)	
	क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रूपये के टर्नओवर पर जल तीव्रता	
	भौतिक उत्पादन/किसी अन्य प्रासंगिक मेट्रिक के संदर्भ में जल तीव्रता	
पी6 क्यू4	छोड़े गए जल से संबंधित विवरण :	
	गंतव्य से जल निस्सरण और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)	
	छोड़ा गया कुल जल (किलोलीटर में)	
	विशेषता 3: ऊर्जा फुटप्रिंट	
पी6 क्यू1	कुल ऊर्जा खपत (जूल अथवा गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण:	रिपोर्ट का पैराग्राफ 22 देखें
	नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा	
	गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा	
	प्रति करोड़ रुपए के टर्नओवर पर ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत / परिचालनों से राजस्व)	
	क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रूपये के टर्नओवर पर ऊर्जा तीव्रता	
	भौतिक उत्पादन/किसी अन्य प्रासंगिक मेट्रिक के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता	

सिद्धांत	बीआरएसआर संकेतक	आश्वासन का प्रकार
विशेषता 4: परिसंचरण अंगीकरण - संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण		
पी6 क्यू9	संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:	रिपोर्ट का पैराग्राफ 22 देखें
	कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)	
	प्रति करोड़ रुपए के टर्नओवर पर अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/परिचालनों से राजस्व)	
	क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति करोड़ रूपये के टर्नओवर पर अपशिष्ट तीव्रता	
	भौतिक उत्पादन/किसी अन्य प्रासंगिक मेट्रिक के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता	
	उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्चक्रण परिचालनों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)	
	उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)	
सिद्धांत 3: कारोबारों को उनकी मूल्य श्रृंखलाओं के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए		
विशेषता 5: कर्मचारी कल्याण और सुरक्षा को बढ़ाना		
पी3 क्यू1 (सी)	कर्मचारियों और कामगारों (स्थायी और गैर-स्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर व्यय: कंपनी के कुल राजस्व के % के रूप में कल्याण उपायों पर उपगत लागत	उचित
पी3 क्यू11	कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:	
	खोया समय क्षति आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति एक मिलियन व्यक्ति घंटे कार्य)	
	कुल रिकॉर्ड योग्य कार्य-संबंधी चोटें	
	मृतकों की संख्या	
	उच्च परिणाम वाली कार्य-संबंधी क्षति या अस्वस्थता, मृत्यु को छोड़कर	
सिद्धांत 5: कारोबारों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए		
विशेषता 6: व्यवसाय में लैंगिक विविधता को सक्षम बनाना		
पी5 क्यू3 (बी)	संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को प्रदत्त सकल मजदूरी	उचित
पी5 क्यू7	कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दर्ज शिकायतें	
	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	
	महिला कर्मचारियों/कामगारों के प्रतिशत के रूप में पॉश के अंतर्गत शिकायतें	
	पॉश के अंतर्गत समर्थित शिकायतें	

सिद्धांत	बीआरएसआर संकेतक	आश्वासन का प्रकार
सिद्धांत 8: कारोबारों को समावेशी वृद्धि और न्यायोचित विकास को बढ़ावा देना चाहिए		
विशेषता 7: समावेशी विकास को सक्षम बनाना		
पी8 क्यू4	आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इन्पुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इन्पुट में इन्पुट) : क. एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त ख. सीधे भारत के भीतर से	रिपोर्ट का पैराग्राफ 23 देखें
पी8 क्यू5	छोटे शहरों में रोजगार सृजन - कुल मजदूरी लागत के % के रूप में छोटे शहरों में कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी / अनुबंध के आधार पर नियोजित कर्मचारियों या कामगारों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी बताएं.	उचित
सिद्धांत 9: कारोबारों को अपने ग्राहकों के साथ जुड़ना चाहिए और उनका जिम्मेदार तरीके से सम्मान करना चाहिए		
विशेषता 8: ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं के साथ निष्पक्षता		
पी9 क्यू7	डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:	उचित
	क. डेटा उल्लंघनों की घटनाओं की संख्या	
	ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से संबंधित डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत	
	ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो	
सिद्धांत 1: कारोबारों को नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से और सत्यनिष्ठा के साथ संचालित और नियंत्रित करना चाहिए.		
विशेषता 9: कारोबार का खुलापन		
पी1 क्यू8	देय खातों के दिनों की संख्या (देय खाते *365) / खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत)	रिपोर्ट का पैराग्राफ 24 देखें
पी1 क्यू9	ट्रेडिंग घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद एवं बिक्री, साथ ही संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम और निवेश के संकेन्द्रण का विवरण :	उचित
	खरीद का संकेन्द्रण	
	बिक्री का संकेन्द्रण	
	निम्न में आरपीटी का हिस्सा	
	क. खरीद (संबंधित पक्षों से खरीद / कुल खरीद)	
	ख. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री / कुल बिक्री)	
	ग. ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम / कुल ऋण एवं अग्रिम)	
	घ. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश / कुल किया गया निवेश)	

अनुबंध आ :

i. उल्लिखित संकेतकों : "ग्रीन-हाउस गैस (जीएचजी) फुटप्रिंट, जल फुटप्रिंट और ऊर्जा फुटप्रिंट के लिए विचार किए गए स्थानों की सूची

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	पता
1	आईडीबीआई मुख्यालय - मुंबई	आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005
2	आईडीबीआई सीबीडी कार्यालय - बेलापुर	आईडीबीआई बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 39/40/41, सेक्टर 11, सीबीडी - बेलापुर, नवी-मुंबई-400614
3	आईडीबीआई प्रशिक्षण कॉलेज	53/2, इंदिरा नगर, गच्चीबौली, हैदराबाद, तेलंगाना 500032
4	आईडीबीआई अंचल कार्यालय - बेंगलुरु	आईडीबीआई हाउस, 58 मिशन रोड, बैंगलोर, शहरी कर्नाटक, 560027.
5	आईडीबीआई अंचल कार्यालय - चंडीगढ़	एससीओ 72-73, सेक्टर 17- बी, चंडीगढ़, 160017
6	आईडीबीआई अंचल कार्यालय - चेन्नई	115, अन्ना सलाई, सैदापेट, पोस्ट बैग नंबर: 805, चेन्नई, तमिलनाडु, 600015
7	आईडीबीआई अंचल कार्यालय - हैदराबाद	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, डी. नं. 5-9-89/1 और 2, चैपल रोड, हैदराबाद, तेलंगाना, 500001
8	आईडीबीआई अंचल कार्यालय -लखनऊ	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, सीपी-12, विराज खंड, गोमती नगर, सिंगापुर मॉल के पास, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 226010
9	आईडीबीआई अंचल कार्यालय - नई दिल्ली	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, 9वीं मंजिल, प्लेट बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, पूर्व किदवई नगर, दक्षिण दिल्ली, 110023
10	आईडीबीआई अंचल कार्यालय - पटना	तीसरा तल, साई कॉर्पोरेट पार्क, रूकनपुरा , बेली रोड, पटना, बिहार, 800014
11	आईडीबीआई अंचल कार्यालय - अहमदाबाद	आईडीबीआई कॉम्प्लेक्स, लाल बंगला, ऑफ सीजी रोड, अहमदाबाद, गुजरात, 380006
12	आईडीबीआई अंचल कार्यालय - भोपाल	सेंटर पॉइंट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, टी टी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश, 462003
13	आईडीबीआई अंचल कार्यालय - भुवनेश्वर	आईडीबीआई हाउस, द्वितीय तल, जनपथ, खुर्दा , ओडिशा, भुवनेश्वर, 751022
14	आईडीबीआई अंचल कार्यालय - कोलकाता	44, शेक्सपियर सरणी, पीबी नं 16102, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 700017
15	आईडीबीआई अंचल कार्यालय - नागपुर	सालासर प्रेस्टीज, प्रथम तल, प्लॉट नं.-1/ए, ऑफ डब्लूएचसी रोड, धरमपेठ , नागपुर, महाराष्ट्र, 440010
16	आईडीबीआई अंचल कार्यालय - पुणे	आईडीबीआई हाउस, ज्ञानेश्वर पादुका चौक, फर्गुसन कॉलेज रोड, पुणे, महाराष्ट्र, 411004
17	आईडीबीआई अंचल कार्यालय - मुंबई	द्वितीय तल, ए, बी और सी विंग, मित्तल कोर्ट, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र, 400021

ii. अपशिष्ट फुटप्रिंट संकेतक के लिए शामिल स्थानों की सूची

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	पता
1	आईडीबीआई मुख्यालय - मुंबई	आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई 400005
2	आईडीबीआई सीबीडी कार्यालय - बेलापुर	आईडीबीआई बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 39/40/41, सेक्टर 11, सीबीडी - बेलापुर, नवी-मुंबई-400614
3	आईडीबीआई प्रशिक्षण कॉलेज	53/2, इंदिरा नगर, गच्चीबौली, हैदराबाद, तेलंगाना 500032

Business Responsibility & Sustainability Report

Statement by Managing Director & Chief Executive Officer

Dear Stakeholders,

On behalf of the Board of Directors and the Management Team of IDBI Bank, we are pleased to publish the Bank's Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) covering the financial year from April 1, 2023, to March 31, 2024. To ensure transparency and in conformity with the regulatory guidelines, we enlisted the services of the Bank's statutory auditor, Varma & Varma, to conduct an independent reasonable assurance of the BRSR Core disclosures. The independent assurance statement provided by them is included as a part of the BRSR section of the Annual Report for your reference.

Despite a challenging economy at the global level, the Indian economy has shown remarkable resilience. The growth potential in India, primarily fuelled by domestic consumption, remains vast. International investors and observers have recognised the country's macroeconomic and financial stability. We, at IDBI Bank, continue to ride the wave of this growth trajectory while ensuring steady progress on the Environment, Social and Governance (ESG) front as well.

Our commitment in ESG, *inter alia,* drives our efforts to accelerate digital transformation for our customers, to empower our people, to contribute towards a more sustainable planet and to foster equitable and sustainable communities. The disclosures outlined in the BRSR embody the intent of the Bank. The Bank's strategic positioning, coupled with significant investments in enhancing its digital capabilities, has helped secure our ability to achieve sustained, long-term profitable growth in the foreseeable future.

The Bank's revamped position in the banking sector mirrors the successful implementation of its recent business strategy. Through its strategic focus as a retail bank and substantial investments in expanding its digital capabilities, the Bank has established a solid foundation for delivering consistent, long-term, profitable growth in the years ahead. Moving forward, the Bank remains committed to operating within the framework of its existing business strategy, while simultaneously making strides in the ESG space. The Bank is fully aware of the swiftly evolving operating landscape and will persist in its agility and adjust its strategy to capitalise on emerging business prospects and maximise its gains.

I extend my heartfelt gratitude to the Government of India (GOI), the Reserve Bank of India (RBI), the Life Insurance Corporation of India (LIC) and all statutory and regulatory authorities for their invaluable support and cooperation. I also want to express my appreciation to the Board of Directors for their guidance and unwavering support. A special thanks to all our dedicated employees for their hard work, which has been instrumental in unlocking the Bank's potential. I am deeply thankful to our customers, shareholders and value chain partners for their enduring trust and partnership over the years, which has helped us navigate even the most challenging times.

I firmly believe that with the collective efforts of all our stakeholders, the Bank will continue to achieve new heights on its growth and sustainability journey.

With best wishes,

Rakesh Sharma
Managing Director & CEO

Section A: General Disclosures

I. Details of the listed entity:

S. No.	Question	Response
1.	Corporate Identity Number (CIN) of the Entity	L65190MH2004GOI148838
2.	Name of the Listed Entity	IDBI Bank Ltd.
3.	Year of Incorporation	September 27, 2004
4.	Registered Office Address	IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005
5.	Corporate Address	IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005
6.	E-mail	idbiequity@idbi.co.in
7.	Telephone	+91-22-66553355
8.	Website	www.idbibank.in
9.	Financial Year for which report is being done	April 1, 2023 – March 31, 2024
10.	Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed	BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.
11.	Paid-up Capital (INR)	1,07,52,40,21,750
12.	Name and contact details (telephone & email) of the person who may be contacted in case of queries on the BRSR report	Shri Manish Aind General Manager E-mail: brsr@idbi.co.in Telephone: +91-22-66553355
13.	Reporting Boundary (Standalone or Consolidated basis)	Standalone The Bank has 2,004 branches and 225 offices as on March 31, 2024. Under Principle 6, the disclosures pertaining to the environmental data on electricity, fuel and water for FY 2023-24 have been reported only for the Bank's Head Office in Mumbai, its office in Belapur, IDBI Training College in Hyderabad and 14 Zonal Offices. The data pertaining to waste for FY 2023-24 has been reported for only three locations, viz. the Bank's Head Office, its office in Belapur and IDBI Training College. Accordingly, the data does not cover the Bank's entire operations.
14.	Name of assurance provider	Varma & Varma
15.	Type of assurance obtained	Reasonable Assurance

II. Products and Services:

16. Details of business activities (accounting for 90% of the turnover):

S. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	%Turnover of the entity
1.	Financial and Insurance Service	Banking activities by central, commercial and saving banks	100%

17. Product/ Services sold by the entity (accounting for 90% of the entity's turnover):

S. No.	Description of Main Activity	NIC Code	%of total turnover contributed
1.	Monetary intermediation of commercial banks, saving banks, postal savings bank and discount houses	64191	100%

III. Operations:

18. Number of locations where plants and/or operations/ offices of the entity are situated:

Location	Number of Plants	Number of Offices	Total
National	NA	Branches – 2,003 Offices – 225	Branches – 2,003 Offices – 225
International*	NA	Branch - 1	Branch - 1

** - Includes the Bank's International Financial Services Centre (IFSC) Banking Unit (IBU) located at Gujarat International Finance Tec – City (GIFT), Gandhinagar, Gujarat.*

19. Markets Served by the Entity:

a. **Number of Locations:**

Location	Number
National (No. of States)	35*
International (No. of Countries)	1#

** - Includes Union Territories.*

 # - Includes the Bank's International Financial Services Centre (IFSC) Banking Unit (IBU) located at Gujarat International Finance Tec – City (GIFT), Gandhinagar, Gujarat.

b. **What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?**

Not Applicable

c. **A brief on types of customers**

IDBI Bank Ltd., a universal bank headquartered in Mumbai, provides an entire gamut of financial solutions to its wide range of customers spanning Retail, Agriculture, MSMEs and Corporates. The Bank, through its wide bouquet of products, empowers individuals and businesses alike to achieve their financial goals. The Bank's offerings comprise wide range of personalised banking products such as savings account, current account, term deposits, home loan, auto loan, education loan, personal loan, fund based and non-fund based assistance, treasury & capital market products, trade finance products & services, cash management services, tax collection, etc. catering to a large customer base.

IV. Employees:

20. Details as at the end of Financial Year 2023-24:

a. **Employees and Workers (including differently abled):**

Employees						
S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			Number (B)	Percentage (B/A)	Number (C)	Percentage (C/A)
1.	Permanent Employees	16,326	10,920	66.89%	5,406	33.11%
2.	Other than Permanent Employees	1,966	1,088	55.34%	878	44.66%
3.	**Total Employees (1+2)**	**18,292**	**12,008**	**65.65%**	**6,284**	**34.35%**

Workers						
S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			Number (B)	Percentage (B/A)	Number (C)	Percentage (C/A)
4.	Permanent Workers	721	553	76.70%	168	23.30%
5.	Other than Permanent Workers	0	0	-	0	-
6.	**Total Workers (4+5)**	**721**	**553**	**76.70%**	**168**	**23.30%**

b. **Differently Abled Employees and Workers**

Differently Abled Employees						
S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			Number (B)	Percentage (B/A)	Number (C)	Percentage (C/A)
1.	Permanent Employees	471	351	74.52%	120	25.48%
2.	Other than Permanent Employees	300	219	73.00%	81	27.00%
3.	**Total Employees (1+2)**	**771**	**570**	**73.93%**	**201**	**26.07%**
Differently Abled Workers						
S. No.	Particulars	Total (A)	Male		Female	
			Number (B)	Percentage (B/A)	Number (C)	Percentage (C/A)
4.	Permanent Workers	11	9	81.82%	2	18.18%
5.	Other than Permanent Workers	0	0	-	0	-
6.	**Total Workers (4+5)**	**11**	**9**	**81.82%**	**2**	**18.18%**

21. Participation/ Inclusion/ Representation of Women as on March 31, 2024

	Total (A)	Number of Female (B)	Percentage (B/A)
Board of Directors	14*	1	7.14%
Key Management Personnel	4#	2	50.00%

** - Two members of the Board of Directors of the Bank, viz. Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) and Deputy Managing Director (DMD) are also included under Key Management Personnel.*

 # - Key Management Personnel includes MD & CEO, DMD, Chief Financial Officer (CFO) and Company Secretary.

22. Turnover rate for permanent employees and workers:

	FY 2023-24#			FY 2022-23			FY 2021-22		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Permanent Employees*	6.51%	6.63%	6.55%	4.82%	4.59%	4.74%	2.87%	1.98%	2.59%
Permanent Workers	1.10%	2.08%	1.33%	13.51%	8.63%	12.47%	8.16%	3.52%	7.27%

** - Turnover Rate(FY 2023-24): Voluntary exits during the period/ (Number of employees at the beginning of the period+ Number of new joinees during the period) as per revised logic.*
 # - Includes MD & CEO, DMD and Executives.
NOTE:
1. Permanent includes confirmed employees and employees on probation.
2. Other than Permanent includes employees on contract.
3. Employee includes Officer Class.
4. Workers Includes Clerical/ Subordinate Class.

V. Holding, Subsidiary and Associate Companies (including joint ventures):

23. (a) Names of holding/ subsidiary/ associate companies/ joint ventures

S. No.	Name of the holding/ subsidiary/ associate company/ joint venture (A)	Indicate whether holding/ subsidiary/ associate company/ joint venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at Column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the entity (Yes/ No)
1	IDBI Asset Management Ltd.	Subsidiary	66.67%	No
2	IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	Subsidiary	100.00%	No
3	IDBI Intech Ltd.	Subsidiary	100.00%	No
4	IDBI Trusteeship Services Ltd.	Subsidiary	54.70%	No
5	IDBI MF Trustee Company Ltd.	Subsidiary	100.00%	No
6	National Securities Depository Ltd.	Associates	26.10%	No
7	North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	Associates	25.00%	No
8	Biotech Consortium India Ltd.	Associates	27.93%	No
9	Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd.	Associates	21.14%	No

VI. CSR Details:

24.

(i)	Whether CSR is applicable as per Section 135 of Companies Act, 2013 (Yes/No)	Yes
(ii)	Turnover (in INR)	₹ 30,037.04 crore
(iii)	Net Worth (in INR)	₹ 32,842.82 crore

VII. Transparency and Disclosures Compliances:

25. Complaints/ Grievances on any of the Principles (1-9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct:

Stakeholder Group	Grievance Redressal Mechanism in place (Y/N) (Provide web-link of policy)	Current Financial Year 2023-24			Previous Financial Year 2022-23		
		Number of complaints filed	Number of complaints pending at close of year	Remarks	Number of complaints filed	Number of complaints pending at close of year	Remarks
Communities	Yes. Grievance redressal mechanism is incorporated in the CSR policy of the Bank. (https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy.pdf)	Nil	Nil	NA	Nil	Nil	NA

Stakeholder Group	Grievance Redressal Mechanism in place (Y/N) (Provide web-link of policy)	Current Financial Year 2023-24			Previous Financial Year 2022-23		
		Number of complaints filed	Number of complaints pending at close of year	Remarks	Number of complaints filed	Number of complaints pending at close of year	Remarks
Investors *(Other than shareholders)*	Yes. (https://www.idbibank.in/flexi-bond.aspx)	-	-	Reported under the head *'Customers'* which includes Flexibond complaints	-	-	Reported under the head *'Customers'* which includes Flexibond Complaints
Shareholders	Yes. (https://www.idbibank.in/idbi-bank-officials-for-shareholder-grievances.aspx)	1,644	0	NA	1,480	0	NA
Employees and Workers@	Yes. IDBI Bank has put in place i-Hridayo online Grievance redressal system.	42	23	NA	45	11	NA
Customers	Yes. (https://www.idbibank.in/banking-complaints-I.aspx)	59,714	282	Complaints filed from all sources including Flexibonds complaints	65,232	1,114	The data for FY 2022-23 has been revised to include *'ATM disputes not resolved within T+1 day'* as against *'ATM disputes with TAT of more than T+5 days'* reported last year.
Value Chain partners	Yes. (https://www.idbibank.in/vigilance-mechanism-notice.aspx)	Nil	Nil	NA	Nil	Nil	NA

Stakeholder Group	Grievance Redressal Mechanism in place (Y/N) (Provide web-link of policy)	Current Financial Year 2023-24			Previous Financial Year 2022-23		
		Number of complaints filed	Number of complaints pending at close of year	Remarks	Number of complaints filed	Number of complaints pending at close of year	Remarks
Others	Yes. (https://www.idbibank.in/vigilance-mechanism-notice.aspx) Whistle blower portal available on the Bank's Intranet as per the Policy on Vigil Mechanism.	77	7	Complaints from vigilance/ corruption angle	137	4	Complaints from vigilance/ corruption angle

@ - Employee complaints including complaints on sexual harassment indicated under Principle 5 under question numbers 6 and 7. Accordingly, the employee complaints data for FY 2022-23 has been revised to include such complaints.

26. Overview of the entity's material responsible business conduct issues

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format:

S. No.	Material Issue Identified	Indicate whether Risk or Opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of Risk, approach to adapt or mitigate	Financial Implications of the risk or the opportunity (Negative/ Positive)
1	Customer privacy and data security	Risk	**Risk:** Customer privacy and data security are critical in banking sector, where many transactions are digitalised, increasing the risk of information and cybersecurity threats. Handling sensitive personal data stresses the need for robust security measures.	• The Bank has taken a series of steps to improve its Information Technology (IT) risk management and control. The Bank has put in place Information Security Policy, Cyber Security Policy and Cyber Crisis Management Plan which articulate management intent and direction for addressing cyber security risk. The Bank has a 24x7 Security Operation Centre (SOC) for centralised monitoring of security devices like firewalls, routers, Intrusion Detection System (IDS) devices/ Intrusion Prevention System (IPS) devices, Privileged Identity Management (PIM), antivirus, phishing/ malware attempts and for taking corrective actions. The Bank also regularly conducts Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT) of external applications.	**Negative Risk:** The Bank's reputation and relationship with stakeholders can be adversely affected in case of any instance of data breaches and cyber attacks.

S. No.	Material Issue Identified	Indicate whether Risk or Opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of Risk, approach to adapt or mitigate	Financial Implications of the risk or the opportunity (Negative/ Positive)
				• The Bank has set up Data Centre (DC), Disaster Recovery Centre (DR) as well as Near DR Centre (NDR) which are certified with the latest ISO 27001:2013 information security standards.	
2.	Customer satisfaction	Risk and Opportunity	**Risk:** Low customer satisfaction can lead to higher customer attrition rates. Failure to meet customer expectations can lead to loss of competitive edge, making it difficult to attract new customers and retain existing ones. **Opportunity:** High levels of customer satisfaction can lead to stronger customer loyalty, leading to long-term relationships and business growth. It also leads to enhanced brand reputation, providing a competitive edge in the market.	• The Bank has a dedicated Customer Care Centre (CCC) and Customer Contact Centres operating in two locations on a 24x7 basis to address customer queries and swiftly redress customer grievances received through multiple channels. The Bank handles complaints received from all channels in line with defined policies, which also include a time-based in-built escalation matrix with an internal alert mechanism. • The Bank has designated Grievance Redressal Officers (GROs) at each of its Zonal Offices, a Principal Nodal Officer (PNO) at the Head Office and has also appointed an Internal Ombudsman (IO) for examining the complaints which the Bank proposes to reject/ provide partial resolution. • The Bank has established two senior level customer service committees, i.e. Standing Committee on Customer Service (SCCS) and Customer Service Committee of the Board (CSCB), for assessment of quality of customer service rendered by the various touchpoints of the Bank.	**Negative Risk:** Instances of unsatisfied customers can result in potential revenue loss, decreased market share and damage to the Bank's reputation, which can result in decreased profitability in the short and long term. **Positive Opportunity:** Customer satisfaction can increase revenue, higher product uptake by customers, reduced churn and organic growth in the customer base, thus leading to improved profitability over time.
3.	Risk Management	Risk and Opportunity	**Risk:** Inadequate or poor risk management may lead to numerous adverse consequences, significantly affecting financial stability, operational efficiency, regulatory compliance and overall reputation. **Opportunity:** Robust risk identification, management and mitigation framework enhances the operational resilience against potential threats and ensure long-term stability and growth.	• The Bank has put in place a well-defined policy framework outlining appropriate limits and procedural aspects to enable the Bank to mitigate and manage risk within its overall risk appetite. Furthermore, the Bank undertakes periodic policy updates to ensure further refinement in risk management practices by capturing the essence of business dynamics, banking innovations, emerging risk scenarios and regulatory changes.	**Negative Risk:** Risk management failure can lead to severe consequences such as financial losses, regulatory penalties, reputational damage and organisational instability, which may lead to decreased profitability, shareholder value and market competitiveness. **Positive Opportunity:** Risk mitigation can lead to optimising operational efficiency and business continuity, thereby leading to sustained profitability.

S. No.	Material Issue Identified	Indicate whether Risk or Opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of Risk, approach to adapt or mitigate	Financial Implications of the risk or the opportunity (Negative/ Positive)
				• The Bank has implemented an Integrated Risk Management Architecture (IRMA), comprising software solutions such as the Risk Assessment Module (RAM), Capital Assessment Model (CAM) and Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE), to ensure a robust and technologically advanced risk management system is in place.	
4.	Digitisation	Opportunity	**Opportunity:** Digitisation presents several opportunities for transforming the business models, enhancing operational efficiency, improving customer experience, introducing product/ service innovations, enhancing data security protocols, improving compliance, among other areas.	-	**Positive Opportunity:** Digital technologies can help in enhancing customer experience through digital channels, streamlining back-office processes and helping in automation of manual tasks, leading to improved turnaround time, thus, helping in data-driven customer segment targeting and opening up new revenue streams. The opportunities have the potential for sustained revenue growth.
5.	Compliance	Risk and Opportunity	**Risk:** Failure to comply with statutory/ regulatory norms pose a risk as it may lead to financial loss, regulatory penalties, reputational damage and operational instability. **Opportunity:** Effective compliance practices can serve as a strategic opportunity to build brand trust and enhance reputation. By demonstrating a commitment to integrity, transparency and ethical conduct, the Bank can earn the trust and confidence of customers, investors, regulators and other stakeholders.	• The Bank ensures compliance of various statutory and regulatory guidelines laid down by the GoI, the RBI, the Securities & Exchange Board of India (SEBI) and other regulatory/ statutory bodies through a structured system of internal controls and tiered reviews. • The Bank has put in place an extensive Compliance Policy. • The Bank has designated Chief Compliance Officer (CCO) at the Head Office. • The Bank has strengthened the internal compliance culture at a granular level by implementing advanced technology application, viz. Cermo+ NXT, which has trackers in place for enabling timely submission of compliance to the RBI and proper data management.	**Negative Risk:** Non-compliance with applicable rules and regulations can result in imposition of monetary fines/ penalties, customer attrition, loss of stakeholder trust, legal costs, which may lead to revenue loss. **Positive Opportunity:** Effective compliance can help in improved operational stability, avoidance of regulatory fines/ penalties, reduced legal costs, enhanced reputation and brand value.

S. No.	Material Issue Identified	Indicate whether Risk or Opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of Risk, approach to adapt or mitigate	Financial Implications of the risk or the opportunity (Negative/ Positive)
6.	Customer awareness	Opportunity	**Opportunity:** Increased awareness about banking products/ services and process helps to build trust and confidence among customers. Providing information in a transparent and understandable manner helps banks to demonstrate their commitment to customer well-being and thus, leading to deeper engagement and loyalty.	-	**Positive Opportunity:** Greater customer awareness can help banks to strengthen customer relationships, to tap into greater cross-selling and upselling opportunities, to reduce customer service enquiries/ complaints, to mitigate risks for customers. This can help banks to augment their market share and drive revenue growth.
7.	Business Ethics and governance	Risk and Opportunity	**Risk:** Deficiencies in business ethics and governance risks lead to excessive risk-taking, compliance failures and incidence of frauds, resulting in significant challenges for banks, affecting their reputation, financial stability and regulatory scrutiny. **Opportunity:** Strong business ethics and effective corporate governance practices positively impact banks through enhanced stakeholder trust, positive brand image and mitigate mala fide practices.	• The Bank's Board of Directors and various Board Committees are empowered to monitor implementation of the best corporate governance practices and make necessary disclosures within the framework of legal and regulatory provisions and banking conventions. • The Bank has put in place General Code of Conduct and Ethics as well as other policies and procedures to ensure that the Bank's operations are conducted ethically and in compliance with robust corporate governance standards. • The Bank has also introduced the concept of Chief Ethics Officer/ Zonal Ethics Officers to ensure promulgation of an ethical and compliant culture in the Bank. • The Bank has also put in place an Environment, Social & Governance (ESG) Policy which prioritises ethical and lawful business conduct.	**Negative Risk:** Unethical conduct and poor governance practices have severe implications in terms of financial losses, erosion of stakeholder trust, regulatory penalty/ fines/ actions, reputational damage, among others. **Positive Opportunity:** Ethical practices build trust and credibility with all stakeholders, especially with customers, leading to higher customer retention and loyalty and thus, enhancing business growth. Furthermore, lower penalties/ fines, legal costs and improved efficiency contribute to overall profitability.

S. No.	Material Issue Identified	Indicate whether Risk or Opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of Risk, approach to adapt or mitigate	Financial Implications of the risk or the opportunity (Negative/ Positive)
8.	Competitive behaviour	Risk and Opportunity	**Risk:** Lack of competitive behaviour by banks leads to operational inefficiencies, higher costs, deficiencies in customer service and stagnation in product/ service innovation. **Opportunity:** Competitive behaviour in banks presents numerous opportunities to enhance their market position through innovative products/ services, enhanced customer experience and enhanced operational efficiency.	• The Bank engages in competitive behaviour to enhance its market position and to drive growth by being more responsive to customer requirements. This is ensured through effective leadership oversight and robust policies/ procedures. • The Bank periodically reviews its existing products/ services and introduces new products/ services in tandem with the market dynamics. • Furthermore, the Bank leverages technological advancements to enhance customer experience and this leads to higher customer retention and acquisition.	**Negative Risk:** Absence of competitive behaviour can lead to customer dissatisfaction and attrition, thereby leading to reduced market share and financial loss. **Positive Opportunity:** Introduction of new products, enhanced customer service, increased operational efficiency can help in expanding market reach and thereby increase revenue streams and profitability.
9.	Employment practices	Opportunity	**Opportunity:** Human capital is one of the most crucial factors for growth in banks and offers opportunities in terms of driving customer experience, brand image, operational stability, operational efficiency and imparts competitive advantage.	-	**Positive Opportunity:** The benefits of a skilled and committed workforce is manifested through greater customer satisfaction, enhanced market share, ethical conduct, better risk management, unlocking significant opportunities for business growth.
10.	Employee Well-being	Risk and Opportunity	**Risk:** Not giving due importance to the well-being of employees can lead to various risks, including decreased productivity, increased absenteeism, higher turnover rates, inability to attract top talent, poor operational conduct, decreased morale, etc. **Opportunity:** Prioritising the employee well-being presents opportunities for banks, as a happy and engaged workforce helps in ensuring improved productivity and better customer service standards. A thriving and conducive work culture helps in ensuring better customer experience, driving customer retention and customer acquisition.	• The Bank has designed all employee policies and processes with a *'human-centric'* approach. Towards this, the Bank provides a number of financial and non-financial facilities to promote well-being of its workforce. • The Bank has facilitated employee development by focusing on learning and employee engagement to enhance professional excellence. • Furthermore, the Bank offers ample scope to its workforce to have a well-rounded professional growth.	**Negative Risk:** The risks stemming from not focussing on employees such as absenteeism, higher attrition, reduced productivity can result in direct financial losses in terms of recruitment costs and training expenses. Further, the adverse impact on customer service can lead to lost revenue opportunities, affecting business growth and profitability. **Positive Opportunity:** A positive work culture can help in attracting and retaining top talent, which can drive positive gains such as better customer service and positive brand image which can help in driving business growth.

Section B: Management and Process Disclosures

This section is aimed at helping businesses demonstrate the structures, policies, and processes put in place towards adopting the NGRBC Principles and Core Elements.

	Disclosure Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
	Policy and Management Processes									
1.	**a. Whether your entity's policy/ policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)**	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	b. Has the policy been approved by the Board? (Yes/No)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	c. Web Link of the policies, if available	1,2,3,4	5,6	7,8,9,10	5	7	5	5	11	12, 13
2.	**Whether the entity has translated the policy into procedures? (Yes/No)**	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3.	**Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)**	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4.	**Name of the national and international codes/ certifications/labels/standards (e.g., Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustee) standards (e.g., SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.**	The Bank has adopted and complies with the regulations as prescribed by Ministry of Corporate Affairs (MCA), Reserve Bank of India (RBI), Securities & Exchange Board of India (SEBI) and all other applicable laws/ regulations stipulated by any other statutory authority/ regulator. The Bank's Business Continuity Management (BCM) processes are certified as ISO 22301:2019.								
5.	**Specific commitments, goals, and targets set by the entity with defined timelines, if any.**	N	N	N	N	N	N	N	N	N
6.	**Performance of the entity against the specific commitments, goals, and targets along with reasons in cases the same are not met.**	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	Governance, leadership, and oversight									
7.	**Statement by the director responsible for the business responsibility and sustainability report, highlighting ESG related challenges, targets, and achievements -** Please refer to the Statement by Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) in the BRSR section of the Annual Report.									
8.	**Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy (ies)**	Shri Rakesh Sharma, Managing Director & Chief Executive Officer								
9.	**Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes/No).** **If "Yes", provide details**	The Bank is guided by its Environment, Social & Governance (ESG) Policy for sustainability related issues. The Bank's CSR & ESG Committee of the Board is responsible for oversight and implementation of the ESG initiatives. The Management Committee of CSR & ESG of the Bank, an internal committee comprising senior executives, is responsible for monitoring the performance under the stated objectives on a periodic basis to provide an added impetus to the Bank's ESG agenda.								

Notes:

1. *The Bank has put in place General Code of Conduct and Ethics which can be accessed at https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.aspx*

2. *The Bank has put in place Policy on Vigil Mechanism which can be accessed at https://www.idbibank.in/pdf/Policy-on-Vigil-Mechanism-.pdf*

3. *The Bank has put in place Officers Service, Conduct, Discipline & Appeals Rules which is an internal document and has not been made available to the public due to confidentiality reasons.*

4. *The Bank has put in place Anti-bribery and Anti-Corruption Policy which can be accessed at https://www.idbibank.in/pdf/Anti-Bribery-Anti-Corruption-Policy.pdf.*

5. *The Bank has put in place an ESG Policy which can be accessed at https://www.idbibank.in/pdf/ESG-Policy.pdf*

6. *The Bank makes disclosures regarding its Business Continuity Management (BCM) processes in its Annual Reports. The Annual Reports can be accessed at https://apps.idbibank.in/idbiapp/idbi-bank-anual-report.aspx. Further, the Bank's BCM Disclosure Statement may be accessed at https://www.idbibank.in/pdf/basel/bcm-disclosure.pdf*

7. *The Bank has put in place a Human Rights Policy which can be accessed at https://www.idbibank.in/pdf/Human-Rights-Policy.pdf*

8. *The Bank has put in place an Equal Opportunity Policy which can be accessed at https://www.idbibank.in/pdf/Equal-Opportunity-Policy-Employees.pdf*

9. *In line with the requirements of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, the Bank has set up two committees to redress the complaints received regarding sexual harassment of women at workplace. The details can be accessed at https://www.idbibank.in/pdf/Sexual-Harassment-Redressal-Policy.pdf.*

10. *The Bank has put in place Security Policy for protecting its workforce against physical security risks. The Policy is an internal document and has not been made available to the public due to confidentiality reasons.*

11. *The Bank's CSR activities are governed by its CSR Policy which can be accessed at https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy.pdf*

12. *The Bank protects the interests and provides value to its customers as per the terms laid out in its Customer Care Policy (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Customer_Care_Policy.pdf), Customer Rights Policy (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Customer_Rights_Policy.pdf), Grievance Redressal Policy (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Grievance_Redressal_Policy.pdf) and Customer Compensation Policy (https://www.idbibank.in/pdf/policy/Compensation-Policy-Upload.pdf)*

13. *The Bank has put in place policies/ guidelines pertaining to cyber security which are internal documents and have not been made available to the public due to confidentiality reasons.*

10. Details of Review of NGRBCs by the Company:

Subject for Review	Indicate whether review was undertaken by Director/ Committee of the Board/ Any other Committee									Frequency (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ Any Other- please specify)								
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Performance against above policies and follow up action	The Bank conducts regular reviews of its policies as outlined in the respective policy documents and/ or when deemed necessary by competent authorities. The performance against these policies is evaluated and adjustments or modifications to policies and procedures are carried out as and when required.																	
Compliance with statutory requirements of relevance to the principles, and rectification of any non-compliances	The Bank is compliant with all applicable laws/ regulations notified by concerned statutory/ regulatory authorities.																	

11. **Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/No). If "Yes", provide name of the agency.**

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
No	No	No	No	No	No	No	No	No

12. **If Answer to Question (11) Above is "NO", i.e., not all Principles are covered by a Policy, reasons to be stated:**

Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
The entity does not consider the Principles material to its business (Yes/No)	All principles may not be covered by policies but are followed in spirit and form part of the Bank's way of operation.								
The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes/No)									
The entity does not have the financial or human and technical resources available for the task (Yes/No)									
It is planned to be done in the next financial year (Yes/No)									
Any Other Reason (please specify)									

Section C: Principle Wise Performance Disclosure

Entity demonstrates their performance in integrating the Principles and Core Elements with key processes and decisions.

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent, and Accountable

Essential Indicators

1. **Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the Principles during the financial year 2023-24:**

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics/ Principles covered under training and its impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors	9	a. Familiarisation programme regarding departments of the Bank for newly inducted Directors b. Training sessions on Know Your Customer (KYC) and Anti Money Laundering (AML) organised by Centre for Advanced Financial Research and Learning (CAFRAL) c. Workshops aimed at enhancing Board focus on Enterprise Risk Management by Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) d. Governance training for Directors serving on Boards of Banks, Financial Institutions (FIs) and Non-Banking Financial Companies (NBFCs) organised by CAFRAL	85.71%*

Segment	Total number of training and awareness programmes held	Topics/ Principles covered under training and its impact	%age of persons in respective category covered by the awareness programmes
		e. Masterclass for Directors training programmes for Nominee Directors of Life Insurance Corporation of India (LIC) conducted by Institute of Directors (IOD), India f. Customised In-House Training Programme on Environmental, Social, and Governance (ESG) for Sustainable Leadership - IOD g. Programme focused on Powering High-Performance Boards by Indian School of Business (ISB) h. Sessions on IT & Cyber Security i. Masterclass on Strategic Innovation & Leadership.	
Key Managerial Personnel	14	a. Strategic Innovation & Leadership Masterclass b. Customised In-House Training Programme on ESG for Sustainable Leadership - IOD c. Programme on Powering High-Performance Board by ISB d. Webinars and training on Corporate Governance, Ethics and Compliances of secretarial matters organised by Institute of Company Secretaries of India (ICSI) e. AML Awareness Programme f. Management Development Programme for Senior Management.	100.00%*
Employees other than BoD and KMPs	1,998	The topics/ Principles were covered under various training programmes which included, inter alia, Aarohan 2.0, role-based workshops for frontline officers, Customer Service, Wellness Programmes, BRSR and ESG modules, etc.	98.69%
Workers	40	Wellness programme on healthy living and leading a successful professional and personal life, pre-promotion training to Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribe (ST) candidates, stress management yoga day, health talk series - cancer awareness, wellness and human rights awareness, OJAS online e-learning modules etc.	92.79%

** - The total count of Board of Directors and Key Managerial Personnel include MD & CEO and DMD and has been considered as on March 31, 2024.*

2. **Details of fines/ penalties/ punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors/ KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format:**

(Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Obligations) Regulations, 2015 and as discussed on the entity's website)

Monetary					
	NGRBC Principle	**Name of the Regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions**	**Amount (in INR)**	**Brief of Case**	**Has an appeal been preferred? (Yes/ No)**
Penalty/ Fine	1	Reserve Bank of India	₹ 6,76,136	Non-compliance of guidelines on exchange of coins and small denomination notes and mutilated notes during incognito visits (₹ 1,10,000/-) 11 instances. Penalties imposed by RBI on currency chests in cases of remittances, made by currency chests to RBI (₹ 5,02,468) 98 instances. Excess amount claimed for agency commission during FY 2022-23 (₹ 63,668) one instance.	No
Settlement	NA	NA	Nil	NA	NA
Compounding Fee	NA	NA	Nil	NA	NA

Non-Monetary					
	NGRBC Principle	**Name of the Regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions**	**Amount (in INR)**	**Brief of Case**	**Has an appeal been preferred? (yes/ No)**
Imprisonment	NA	NA	Nil	NA	NA
Punishment	NA	NA	Nil	NA	NA

3. **Of the instances disclosed in Question 2, above detail of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed.**

Case Details	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions
Not applicable	

4. **Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide web-link to the policy.**

For bribery, corruption and other vigilance matters, the Bank is governed by the policy/ guidelines issued by Central Vigilance Commission (CVC), as per the CVC Manual (2021 updated). The CVC Manual can be viewed on the CVC's website (www.cvc.gov.in). Further, as per the Bank's policy on Officers' Discipline & Appeal Rules - 2006 (ODAR-2006) detailed guidelines & procedure to deal with the officers who have indulged in corrupt practices is mentioned in the paragraph no. 12.

5. **Number of Directors/ KMPs/ Employees/ Workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption:**

	Current Financial Year 2023-24	Previous Financial Year 2022-23
Directors	0	0
Key Managerial Personnel (KMPs)	0	0
Employees	0*	2*
Workers	0	0

**- In respect of CBI cases only.*

6. **Details of complaints with regard to conflict of interest:**

	Current Financial Year 2023-24		Previous Financial Year 2022-23	
	Number	**Remark**	**Number**	**Remark**
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	0	-	0	-
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	0	-	0	-

7. **Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines/ penalties/ action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.**

Nil

8. **Number of days of accounts payables ((Accounts payable*365)/ Cost of goods/services procured) in the following format:**

	Current Financial Year 2023-24	**Previous Financial Year 2022-23**
Number of days of accounts payables	37.89	39.39
	Considering the business model, the Bank does not have liability directly related to accounts payable. The Bank's liability is grouped under head *'other liabilities'* and the same is monitored by the accounts owners.	

9. **Openness of Business:**

Provide details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties, along with loans and advances & investments with related parties, in the following format:

Parameter	**Metrics**	**Current Financial Year 2023-24**	**Previous Financial Year 2022-23**
Concentration of Purchases	a. Purchases from trading houses as % of the total purchases	Purchase and Sales parameters are not applicable to the Bank being a banking company engaged in providing banking and financial services.	
	b. Number of trading houses where purchases are made from	The Bank has wide base of depositors and borrowers which are sourced as per its policies. The Bank has no transactions with trading house/ dealers.	
	c. Purchases from top 10 trading houses as % of total purchases from trading houses	All the transactions with related parties are done at an arm's length. Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs with respect to Top 20 accounts of respective four categories are disclosed in the Bank's Annual Report.	

Parameter	Metrics	Current Financial Year 2023-24	Previous Financial Year 2022-23
Concentration of Sales	a. Sales to dealers/ distributors as % of total sales		
	b. Number of dealers/ distributors to whom sales are made		
	c. Sales to top 10 dealers/ distributors as % of total sales to dealers/ distributors		
Share of RPTs in	a. Purchases (Purchases with related parties/ Total Purchases)		
	b. Sales (Sales to related parties/ Total Sales)		
	c. Loans & advances (Loans & advances given to related parties/ Total loans & advances)#	0.28%	0.01%
	d. Investments (Investments in related parties/ Total Investments made)##	0.26%	0.33%

 # - Loans given to Related party/ Gross Advances of the Bank.

- Investments in Related party/ Total Gross Investments of the Bank.

Leadership Indicators

1. **Awareness programmes conducted for the value chain partners on any of the Principles during the financial year 2023-24:**

Total number of awareness programmes held	Topics/ Principles covered under the training	%age of value chain partners covered (by value of business done with such partners) under the awareness programmes
2	• Online training module on ESG, NGRBC Principles and BRSR. • Training on topics such as personnel safety, teamwork, good behaviour to be followed with co-workers, time management, preventive maintenance, moral values, etc.,	• The Bank had sent awareness emailers to its supply chain partners regarding the online training module on ESG, NGRBC Principles and BRSR. • Further, the Bank has conducted training programme for the staff of the value chain partners working at the Bank's Head Office in Mumbai on these topics.

2. **Does the entity have processes in place to avoid/ manage conflict of interests involving members of the Board? (Yes/No).**

If "Yes", provide details of the same.

Yes, the Bank has established systems and procedures to address conflicts of interest involving members of the Board. The Bank's General Code of Conduct and Ethics, accessible on the Bank's website (https://www.idbibank.in/idbi-bank-general-code-of-conduct-ethics.aspx), addresses conflict of interest issues, including those related to the Directors.

As a part of its governance framework, the Board members are required to promptly disclose any changes in their interests in external entities to the Board. This disclosure is made at the first meeting of the Board held in each financial year and as changes occur thereafter. The Directors with a vested interest in a particular agenda item recuse themselves from participation to ensure impartial decision-making.

Principle 2: Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

Essential Indicators

1. **Percentage of R&D and capital expenditure (capex) investments in specific technologies to improve environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively.**

	Current Financial Year 2023-24	Previous Financial Year 2022-23	Details of improvements in environmental and social impacts
R&D	Not applicable given the nature of operations as a financial service provider.		
Capex			

2. a. **Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing? (Yes/No).**

   b **If "Yes", what percentage of inputs were sourced sustainability?**

   The Bank has procured green building products such as green plywood, LED lights, etc., for its newly opened branches and few other offices/ residential flats in FY 2023-24.

   The Bank shall endeavour to work closely with its vendors/ service providers to improve its performance under the ESG parameters by encouraging them to take measures for sustainable practices such as waste management, use of renewable resources, adherence to national and local labour laws and protection of human rights including child, forced or trafficked labour, etc.

   The Bank prefers suppliers who are EMS/ ISO14001 certified wherever feasible. The Bank is committed to continue to rely more on ESG compliant suppliers.

3. **Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling, and disposing at the end of life for:**

   a. **Plastics (including packaging)**

   b. **E-waste**

   c. **Hazardous waste**

   d. **Other waste**

   This is not applicable considering that the Bank does not have any products that involved being reclaimed given the nature of its operations as a financial services provider.

   However, given the type of sector, e-waste is one of the critical hazardous wastes. For disposal of e-waste, the Bank has developed an e-waste management policy, which covers all the branches, verticals, Regional Offices and Zonal Offices. Following the extant disposal guidelines laid down by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEFCC), the Bank ensures that all the e-waste is disposed of within 180 days of its generation. All the e-waste is disposed only to the registered recyclers. The Bank has also put in place system for tracking of the e-waste generated and disposed.

   Furthermore, in a bid to integrate sustainability with its operations, the Bank endeavours to leverage technology to provide products and services through digital channels. Furthermore, the Bank's digitisation efforts in day-to-day functioning is aimed at rationalising its paper consumption.

4. **Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.**

   Not applicable

Leadership Indicators

1. **Has the entity conducted Life Cycle Perspective/ Assessment (LCA) for any of its products (for manufacturing industries) or for its services (for service industry)? If "Yes", provide details in the following format:**

NIC Code	Name of product/ service	% of Total Turnover contributed	Boundary for which the Life cycle perspective/ assessment was conducted	Whether conducted by independent external agency (Yes/No)	Results communicated in public domain (Yes/No) If "Yes", provide web-link
Not applicable					

2. **If there are any significant social or environmental concerns and/or risks arising from production or disposal of your products/ services, as identified in the Life Cycle Perspective/ Assessments (LCA) or through any other means, briefly describe the same along with action-taken to mitigate the same.**

Name of Product/ Service	Description of the risk/ concern	Action Taken
Not applicable		

3. **Percentage of recycled or reused input material to total material (by value) used in production (for manufacturing industry) or providing services (for service industry).**

Indicate input material	Recycled or re-used input material to total material	
	Current Financial Year 2023-24	Previous Financial Year 2022-23

This is not applicable considering that the Bank does not have any products that involved being reclaimed given the nature of operations as a financial services provider. However, the Bank has put in place an e-waste management policy for safe disposal of e-waste, which is a critical hazardous waste, to the registered recyclers.

4. **Of the products and packaging reclaimed at end of life of products, amount (in metric tonnes) reused, recycled, and safely disposed, as per the following format:**

	Current Financial Year 2023-24			Previous Financial Year 2022-23		
	Re-Used	Recycled	Safely Disposed	Re-Used	Recycled	Safely Disposed
Plastics (including packaging)	Not applicable					
E-Waste						
Hazardous Waste						
Other Waste						

5. Reclaimed products and their packaging materials (as percentage of products sold) for each product category

Indicate Product Category	Reclaimed products and their packaging materials as % total products sold in respective category
Not applicable	

Principle 3: Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

Essential Indicators

1. a. Details of measures for the well-being of Employees:

Category	Total (A)	Health Insurance*		Accident Insurance		Maternity Benefits		Paternity Benefits		Day Care Facilities	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	% (C/A)	Number (D)	% (D/A)	Number (E)	% (E/A)	Number (F)	% (F/A)
Permanent Employees											
Male	10,920	10,920	100.00%	10,920	100.00%	NA	NA	10,920	100.00%	NA	NA
Female	5,406	5,406	100.00%	5,406	100.00%	5,406	100.00%	NA	NA	NA	NA
Total	16,326	16,326	100.00%	16,326	100.00%	5,406	33.11%	10,920	66.89%	NA	NA
Other than Permanent Employees											
Male	1,088	1,078	99.08%	1,088	100.00%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Female	878	875	99.66%	878	100.00%	878	100.00%	NA	NA	NA	NA
Total	1,966	1,953	99.34%	1,966	100.00%	878	44.66%	NA	NA	NA	NA

**- Permanent employees are covered under the Bank's in-house Medical Scheme. Entry level Officers are covered under Floater Health Insurance Policy.*

1. b. Details of measures for the well-being of Workers:

Category	Total (A)	Health Insurance*		Accident Insurance		Maternity Benefits		Paternity Benefits		Day Care Facilities	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	% (C/A)	Number (D)	% (D/A)	Number (E)	% (E/A)	Number (F)	% (F/A)
Permanent Workers											
Male	553	553	100.00%	553	100.00%	NA	NA	553	100.00%	NA	NA
Female	168	168	100.00%	168	100.00%	168	100.00%	NA	NA	NA	NA
Total	721	721	100.00%	721	100.00%	168	23.30%	553	76.70%	NA	NA
Other than Permanent Workers											
Male	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Female	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

** - Permanent workers are covered under Bank's in-house Medical Scheme.*

c. Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format

	Current Financial Year 2023-24	Previous Financial Year 2022-23
Cost incurred on well-being measures as a % of total revenue of the company	0.80%	0.73%

2. Details of retirement benefits for Current FY 2023-24 and Previous FY 2022-23

Benefits	Current Financial Year 2023-24			Previous Financial Year 2022-23		
	No. of Employees covered as % of total Employee	No. of workers covered as % of total workers	Deducted and Deposited with the authority (Yes/ No/ NA)	No. of Employees covered as % of total Employee	No. of workers covered as % of total workers	Deducted and Deposited with the authority (Yes/ No/ NA)
PF	2.82%	13.04%	Y	3.39%	14.63%	Y
Gratuity	100.00%	100.00%	Y	100.00%	100.00%	Y
ESI	0.00%	0.00%	N.A.	0.00%	0.00%	N.A.
Others- *Please specify**	97.18%	86.96%	Y#	96.61%	85.37%	Y#

**- Pension & National Pension Scheme.*

 # - Except employees with unopened Permanent Retirement Account Number (PRAN).

3. Accessibility of Workplaces

Are the premises/ offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If "Not", then whether any steps are being taken by the entity in this regard.

The Bank is committed to making its premises/ offices accessible to all. As of March 31, 2024, the Bank had 2,004 branches of which 938 branches have ramp facilities. Construction of ramp facilities is underway in six branches. In 298 branches, ramp facility is not required as entrance of these branches are parallel to the road or lift facility is available. 762 branches are located on upper ground or first floor and hence, it is not feasible to provide ramp facilities in these branches.

4. **Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, please provide the web-link of the policy.**

Yes, the Bank has put in place an Equal Opportunity Policy which is available publicly (https://www.idbibank.in/pdf/Equal-Opportunity-Policy-Employees.pdf). It is the endeavour of the Bank to maintain conducive and harmonious work environment by creating equal opportunities at workplace and recognising and valuing diversity, equity and inclusion (DE&I). The Bank strives to provide equal opportunities to all its employees and all qualified applicants for employment without regard to their race, caste, religion, colour, ancestry, marital status, sex, age, nationality, disability, etc.

5. **Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave for FY 2023-24.**

Gender	Permanent Employees		Permanent Workers	
	Return to Work Rate*	Retention Rate#	Return to Work Rate*	Retention Rate#
Male	99.81%	90.89%	NA	NA
Female	82.26%	87.37%	NA	NA
Total	92.49%	89.53%	NA	NA

** - Return to Work: Officers availed paternity/ maternity leave and in service as on March 31, 2024 are considered.*

 # - Retention Rate: Officers availed paternity/ maternity leave and retained after 12 months and in service as on March 31, 2024 are considered.

6. **Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and workers? If "Yes", give details of the mechanism in brief:**

Permanent Workers	Yes, the Bank has an online portal, viz. i-Hridayo, hosted on its Intranet for employees/ workers to report their grievances. The Bank also has put in place in-built appellate mechanisms in various policies, procedures and processes to facilitate grievance redressal.
Other than Permanent Workers	
Permanent Employees	
Other than Permanent Employees	

7. **Membership of employees and workers in association(s) or Unions recognised by the listed entity:**

Category	Current Financial Year 2023-24			Previous Financial Year 2022-23		
	Total employees/ workers in respective category (A)	No. of employees/ workers in respective category, who are part of Association(s) or Unions (B)#	Percentage (%) (B/A)	Total employees/ workers in respective category (C)	No. of employees/ workers in respective category, who are part of Association(s) or Unions (D)#	Percentage (%) (D/C)
Total Permanent Employees	**18,292***	**10,686**	**58.42%**	**17,016***	**10,451**	**61.42%**
- Male	12,008	7,597	63.27%	11,180	7,454	66.67%
- Female	6,284	3,089	49.16%	5,836	2,997	51.35%
Total Permanent Workers	**721**	**688**	**95.42%**	**834**	**806**	**96.64%**
- Male	553	553	100.00%	643	643	100.00%
- Female	168	135	80.36%	191	163	85.34%

** - Data includes Executives on Contract.*

 # - Though recognised union status has not been given to any of the unions/ associations, the above is the tentative membership position of major unions/ associations operating in the Bank.

8. (a) **Details of training given to employees and workers on Health and Safety Measures**

Category	Current Financial Year 2023-24			Previous Financial Year 2022-23		
	Total (A)	Number (B)	Percentage (%) (B/A)	Total (C)	Number (D)	Percentage (%) (D/C)
			Employees			
Male	12,008	9,907	82.50%	11,180	1,768	15.81%
Female	6,284	4,881	77.67%	5,836	1,035	17.73%
Total	**18,292**	**14,788**	**80.84%**	**17,016**	**2,803**	**16.47%**
			Workers			
Male	553	501	90.60%	643	539	83.83%
Female	168	154	91.67%	191	170	89.01%
Total	**721**	**655**	**90.85%**	**834**	**709**	**85.01%**

(b) Details of training given to employees and workers on Skill Upgradation

Category	Current Financial Year 2023-24			Previous Financial Year 2022-23		
	Total (A)	Number (B)	Percentage (%) (B/A)	Total (C)	Number (D)	Percentage (%) (D/C)
Employees						
Male	12,008	11,775	98.06%	11,180	10,765	96.29%
Female	6,284	6,119	97.37%	5,836	5,587	95.73%
Total	**18,292**	**17,894**	**97.82%**	**17,016**	**16,352**	**96.10%**
Workers						
Male	553	507	91.68%	643	525	81.65%
Female	168	161	95.83%	191	173	90.58%
Total	**721**	**668**	**92.65%**	**834**	**698**	**83.69%**

9. Details of Performance and Career Development reviews of employees and workers*:

Category	Current Financial Year 2023-24			Previous Financial Year 2022-23		
	Total (A)#	Number (B)@	Percentage (%) (B/A)	Total (C)#	Number (D)@$	Percentage (%) (D/C)
Employees						
Male	10,938	10,311	94.27%	10,401	10,000	96.14%
Female	5,409	4,827	89.24%	5,144	4,589	89.21%
Total	**16,347**	**15,138**	**92.60%**	**15,545**	**14,589**	**93.85%**
Workers						
Male	634	611	96.37%	736	732	99.46%
Female	192	188	97.92%	206	206	100.00%
Total	**826**	**799**	**96.73%**	**942**	**938**	**99.58%**

** - Excludes employees on contract.*

 # - The total employees/ workers includes live employees plus retired/ Voluntary Retirement Scheme (VRS)/ deceased employees.

@ - The total Employees/Workers who are eligible for assessment in FY 2022-23 and FY 2023-24.

$ - The revised data for FY 2022-23 excludes employees who have exited (other than then Retired/ VRS/ Deceased employees) and not eligible for assessment.

10. Health and Safety Management System:

a.	**Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/No)** **If "Yes", then coverage of the system.**	The Bank has an internal Occupational Health and Safety (OHS) management system in place. The Bank has put in place fire safety arrangement, CCTV, first aid box, facility of Bank Medical Officers (BMOs), tie-up with Ambulance services at the Head Office and some Zonal Offices and provision of ergonomic chairs for its officers. Mock evacuation drills are conducted at all major office premises to ensure readiness of employees in a scenario of an adverse event. The Bank has also launched i-CARE, an employee mental well-being assistance programme, by engaging services of trained counsellors through external vendor. Employees can seek assistance on personal and work-related problems that may impact their job performance, health and general well-being. The Bank has also been carrying out periodic health check-up and awareness programmes at its Head Office and Zonal Offices.
b.	**What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis of the entity?**	The Bank periodically organises fire mock drill for high rise buildings owned/ occupied by the Bank. Security guards deployed at its Head Office are trained for handling fire safety equipment. The Bank also conducts preventive maintenance of all its equipment.
c.	**Whether you have processes for workers to report the work-related hazards and to remove themselves from such risks? (Yes/No)**	Logbooks, electrical shock register, etc., are available at its Head Office for recording/ reporting the incident/ hazards, if any. Further, Standard Operating Procedures (SOPs) are available to protect workers from hazards.
d.	**Do the employees/ workers of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/No)**	Yes, all employees and their dependents are covered under the Bank's Medical Scheme. Health checkup including mental well-being, Liver Function Test, Eye Testing, Cardiovascular health, etc., were conducted at its Head Office. Further, various health awareness programmes, viz. Cancer, women's health, diet and nutrition, etc., were also conducted.

11. Details of safety related incidents in the following format:

Safety Incidents/ Number	Category	Current Financial Year 2023-24	Previous Financial Year 2022-23
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	**Employees**	In FY 2023-24, there were no employees/ workers of the Bank who suffered high consequence work-related injury/ ill-health/ fatalities.	
	Workers		
Total recordable work-related injuries	**Employees**		
	Workers		
Number of fatalities	**Employees**		
	Workers		
High consequence work-related injury or ill-health (excluding fatalities)	**Employees**		
	Workers		

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy workplace.

IDBI Bank strives to ensure a safe and healthy work environment for all employees, for which the following measures have been taken:

- Periodic fire drill training for all employees at its Head Office in Mumbai and all its Zonal Offices.
- Provision of fire aid kit, fire alarm and fire extinguishers at all office premises.
- Availability of Bank Medical Officer (BMO) and tie-up with Ambulance at its Head Office and staff quarters in Mumbai and some of its Zonal Offices.

13. Number of complaints on the following made by employees and workers:

	Current Financial Year 2023-24			Previous Financial Year 2022-23		
	Filed	Pending Resolution at end of year	Remark	Filed	Pending Resolution at end of year	Remark
Working Conditions	0	0	NA	0	0	NA
Health and Safety	0	0	NA	0	0	NA

14. Assessment for the Year (2023-24):

	% of plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third party)
Health and Safety Practices	The Bank's Head Office in Mumbai has been inspected by lift inspector, electrical installation by Electrical Inspector, fire installation by authorised agency, packaged water testing by manufacturer and DG pollution from authorised agency. The Bank's branches and offices are inspected by its officers internally.
Working Conditions	

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risk/ concerns arising from assessment of health and safety practices and working conditions.

The Bank has preventive maintenance schedules, SOPs, Do's & Don'ts, etc. in place for ensuring safe and healthy working conditions.

Leadership Indicators

1. Does the entity extend any life insurance or compensatory package in the event of death of (A). Employees; and (B). Workers (Yes/No). Provide detail.

Yes, the Bank provides life insurance cover and compensatory packages to its employees and workers.

2. Provide the measures undertaken by the entity to ensure that statutory dues have been deducted and deposited by the value chain partners.

The Bank endeavours to ensure that its value chain partners deduct and deposit statutory dues like Provident Fund (PF), Employees' State Insurance (ESI), Gratuity, Goods & Service Tax (GST), etc. Further, the vendors submit compliance certificate to this effect. The Bank has also incorporated a clause on making statutory regulatory payments in its Request for Proposal (RFP).

3. Provide the number of employees/ workers having suffered high consequence work-related injury/ ill-health/ fatalities (as reported in Qs. 11 of Essential Indicators above), who have been/ are rehabilitated and placed in suitable employment or whose family members have been placed in suitable employment:

	Total Number of affected employees/ workers		No. of employees/ workers that are rehabilitated or whose family member have been placed in suitable employment	
	FY 2023-24	FY 2022-23	FY 2023-24	FY 2022-23
Employees	Not applicable considering there were no employees/ workers of the Bank who suffered high consequence work-related injury/ ill-health/ fatalities in FY 2023-24.			
Workers				

4. **Does the entity provide transition assistance programmes to facilitate continued employability and the management of career endings resulting from retirement or termination of employment? (Yes/No)**

Yes, the Bank conducts Retirement Planning workshops for its retiring employees which help them plan their life ahead. The workshops are conducted to prepare/ assist the employees in planning/ addressing the changes that take place physically and psychologically. The following workshops are conducted over a course of three days at the IDBI Training College, Hyderabad:

- Healthy Ageing and Managing the Physical Transition
- Wellness as an achievable personal goal for holistic life after retirement
- Diet and Lifestyle Practices
- Yoga and Meditation as a Way of Life for all-round happiness
- Philosophy of Life & Living (Spiritual Aspects)
- Productive Ageing and Social Networking
- Psychological Exercises for Successful Transition Second Career
- Managing Finances and Investments including Tax Aspects
- Importance of Will Making and Laws of Nomination
- Superannuation Benefits

5. **Details on assessment of value chain partners (FY 2023-24):**

	% of value chain partners *(by value of business done with such partners)* **that were assessed**
Health and Safety Practices	The Bank has circulated awareness emailers to its value chain partners regarding ESG, NGRBC Principles and BRSR to sensitise them and obtain their confirmation regarding their compliance to the same. Further, the Bank has also provided training on topics such as personnel safety, teamwork, good behaviour to be followed with co-workers, time management, preventive maintenance, moral values, etc. to the staff of the value chain partners working at the Bank's Head Office in Mumbai.
Working Conditions	

6. **Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks/ concerns arising from assessments of health and safety practices and working conditions of value chain partners.**

The question is not applicable for the Bank since such assessment of value chain partners have not been conducted yet.

Principle 4: Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

Essential Indicators

1. **Describe the process for identifying key stakeholder groups of the entity.**

The Bank's engagement efforts have been targeted, relevant and responsive to the needs and expectations of its key stakeholder groups, thereby fostering trust, collaboration and shared value creation.

The process of identifying the key stakeholders involved the following:

- **Stakeholder Mapping:** The Bank conducted an analysis to map the diverse range of stakeholders who are affected by or have an impact on its business activities. This included identifying both internal and external stakeholders by means of the location of its business operations, association with the Bank, critical to its operations and risk assessments.
- **Engagement History:** The Bank reviewed its past engagement history to identify stakeholders with whom it has established relationships or have interacted with in the past. This aided in ensuring continuity in its engagement efforts and acknowledges the importance of ongoing dialogue.
- **Stakeholder Input:** The Bank has been actively seeking input from various sources, including customer feedback, employee surveys, community consultations and investor relations, to identify stakeholders' perspectives, concerns and expectations.

2. **List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.**

Stakeholder Group	Identified as Vulnerable or Marginalised Group (Yes/No)	Channels of Communication	Frequency of engagement	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during each engagement
Customers	No	The Bank engages with its customers through a wide range of communication channels, including email correspondence, SMS notifications, in-person meetings, virtual meetings, telephone calls, its website, notice boards, advertisements, and customer facing channels such as its mobile app and social media platforms.	Regular	• Customer feedback • Customer grievances • Providing information regarding products and services, including changes, if any
Community	No	The Bank communicates with its community members through emails, in-person meetings, virtual meetings, telephone calls, etc.	Need-based	• Monitoring and evaluation • Community grievance • Challenges and scope of improvement
Employees	No	The Bank fosters effective communication and engagement with its employees through various channels, including email correspondence, in-person meetings, town hall meetings, virtual meetings, surveys to gather feedback, dedicated employee grievance channels, comprehensive training and capacity development programmes and access to relevant information.	Regular	• New policies • Employee grievances • Talent management • Learning and development • Performance management • Employee Engagement
Investors	No	The Bank communicates with its investors through emails, website, annual general meetings, investor grievance/ contact channels, telephone calls etc.	Need-based	• Performance and updates • Business strategy • Investor grievances
Vendors and Suppliers	No	The Bank communicates with its vendors through emails, in-person meetings, virtual meetings and website.	Need-based	• Due diligence during on-boarding • Periodic assessments of suppliers

Leadership Indicators

1. **Provide the processes for consultation between stakeholders and the Board on economic, environmental, and social topics or if consultation is delegated, how is feedback from such consultations provided to the Board.**

   The Bank, in alignment with its commitment towards transparency and inclusive practices, undertook a Stakeholder Engagement and Materiality Assessment (SEMA) process in FY 2022-23 to ensure that its sustainability initiatives are aligned with the needs and expectations of its stakeholders. The SEMA process involved several key steps, namely:

   - **Identification of Stakeholders:** The Bank identified its key stakeholders, including investors, employees, customers, communities and vendors, based on their influence, impact, responsibility and interdependency with the Bank.
   - **Engagement and Consultation:** The Bank engaged with these stakeholders through various channels such as surveys, interviews, focus groups and stakeholder dialogues to understand their perspectives, concerns and expectations regarding the Bank's sustainability performance and practices.
   - **Materiality Analysis:** Through a materiality analysis, the Bank identified the most significant Environmental, Social and Governance (ESG) issues that are relevant to its business and stakeholders. This analysis aided the Bank in prioritising its sustainability efforts and focus on the issues that matter most to its stakeholders and have the greatest potential impact on its business. The key material topics were then reviewed by the Bank before its finalisation.
   - **Objective Setting:** Based on the insights gathered from over 200 responses from its diverse stakeholder groups and the materiality analysis, the Bank has set clear and measurable objectives to address key sustainability challenges and opportunities identified during the SEMA process.

   The objectives of the SEMA process was to:

   - To gain a comprehensive understanding of the sustainability expectations, concerns and priorities of its stakeholders;
   - To identify and prioritise the most significant ESG issues relevant to its business and stakeholders;
   - To set clear and measurable sustainability objectives based on stakeholder feedback and materiality analysis; and
   - To enhance transparency, accountability and stakeholder trust by incorporating stakeholder input into its sustainability strategy and reporting.

   The outcomes of the SEMA process are as follows:

   - **Enhanced stakeholder engagement:** The SEMA process facilitated meaningful dialogue and collaboration with its stakeholders, fostering stronger relationships and trust.
   - **Improved understanding of material issues:** The Bank gained valuable insights into the most significant ESG issues that matter to its stakeholders and have potential impact on its business.
   - **Clearer sustainability objectives and targets:** The SEMA process aided the Bank in setting clear and relevant sustainability objectives and targets that are aligned with stakeholder expectations and materiality considerations.
   - **Strengthened sustainability strategy:** The insights gained from the SEMA process aided in developing the Bank's sustainability strategy, enabling it to prioritise actions and initiatives that address the most pressing sustainability challenges and opportunities facing its business and stakeholders.

2. **Whether stakeholder consultation is used to support the identification and management of environmental, and social topic? (Yes/No). If so, provide details of instances as to how the inputs received from stakeholders on these topics were incorporated into policies and activities of the entity.**

   Stakeholder consultation has been instrumental in supporting the identification and management of environmental and social topics.

- On the basis of the materiality assessment, the Bank has been able to identify the most significant Environmental, Social and Governance (ESG) issues that are relevant to its business and stakeholders. This has aided the Bank in prioritising engagement with its stakeholders.
- The stakeholder identification process has been dynamic and would be subjected to periodic review and updates to ensure it remains aligned with the Bank's evolving business objectives and stakeholder expectations.

3. **Provide detail of instances of engagement with, and actions taken to, address the concerns of vulnerable/ marginalised stakeholder groups.**

The Bank has policies in place for addressing the grievance/ concerns of its stakeholders, viz. customers, employees, investors and CSR beneficiaries. The grievance/ concerns of the value chain partners are addressed on a case-to-case basis.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

Essential Indicators

1. **Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity in the following format:**

Category	Current Financial Year 2023-24			Previous Financial Year 2022-23		
	Total (A)	Number (B)	Percentage (%) (B/A)	Total (C)	Number (D)	Percentage (%) (D/C)
Employees						
Permanent	16,326	15,747	96.45%	15,420	14,922	96.77%
Other than permanent	1,966	1,614	82.10%	1,596	1,430	89.60%
Total Employees	**18,292**	**17,361**	**94.91%**	**17,016**	**16,352**	**96.10%**
Workers						
Permanent	721	664	92.09%	834	698	83.69%
Other than permanent	0	0	-	0	0	-
Total Workers	**721**	**664**	**92.09%**	**834**	**698**	**83.69%**

2. **Details of minimum wages paid to employees and workers in the following format :**

Category	Current Financial Year 2023-24					Previous Financial Year 2022-23				
	Total (A)	Equal to Minimum Wage		More than Minimum Wage		Total (D)	Equal to Minimum Wage		More than Minimum Wage	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	% (C/A)		Number (E)	% (E/D)	Number (F)	% (F/D)
Employees										
Permanent	**16,326**	**Nil**	**NA**	**16,326**	**100.00%**	**15,420**	**Nil**	**NA**	**15,420**	**100.00%**
- Male	10,920	Nil	NA	10,920	100.00%	10,308	Nil	NA	10,308	100.00%
- Female	5,406	Nil	NA	5,406	100.00%	5,112	Nil	NA	5,112	100.00%
Other than Permanent	**1,966**	**Nil**	**NA**	**1,966**	**100.00%**	**1,596**	**Nil**	**NA**	**1,596**	**100.00%**
- Male	1,088	Nil	NA	1,088	100.00%	872	Nil	NA	872	100.00%
- Female	878	Nil	NA	878	100.00%	724	Nil	NA	724	100.00%

Category	Current Financial Year 2023-24					Previous Financial Year 2022-23				
	Total (A)	Equal to Minimum Wage		More than Minimum Wage		Total (D)	Equal to Minimum Wage		More than Minimum Wage	
		Number (B)	% (B/A)	Number (C)	% (C/A)		Number (E)	% (E/D)	Number (F)	% (F/D)
Workers										
Permanent	721	Nil	NA	721	100.00%	834	Nil	NA	834	100.00%
- Male	553	Nil	NA	553	100.00%	643	Nil	NA	643	100.00%
- Female	168	Nil	NA	168	100.00%	191	Nil	NA	191	100.00%
Other than Permanent	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-
- Male	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-
- Female	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-

3. **Details of remuneration/ salary/ wages in the following format for FY 2023-24:**

a. **Median remuneration/ wages:**

	Male		Female	
	Number	Median salary/ wage of respective category	Number	Median salary/ wage of respective category
Board of Directors (BoD)	10*	26,05,000	1#	27,90,000
Key Managerial Personnel	4@	94,23,234	2	43,46,534
Employees other than BoD and KMP	13,464	18,41,890	7,040	15,71,261
Workers	423	8,17,866	48	7,87,644

** - The details of Board of Directors do not include the details of MD & CEO and two DMDs as their details have been included in Key Managerial Personnel. Further, the Board of Directors are not paid remuneration but sitting fees and details of sitting fees are provided. The Government of India Nominee Directors are not in receipt of sitting fees and hence, excluded. The total number of Directors includes Shri Gyan Prakash Joshi who ceasesd to be Director w.e.f. August 27, 2023 and Shri Ajay Prakash Sawhney who was appointed as a Director w.e.f. August 28, 2023.*

 # - Median cannot be calculated as there is one female representative in the Board of Directors.

@ - The total number of KMPs includes the Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD and Shri Suresh Khatanhar, DMD, whose terms were till April 05, 2023 and January 14, 2024, respectively.

b. **Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity in the following format:**

	Current Financial Year 2023-24	Previous Financial Year 2022-23
Gross wages paid to females as % of total wages	30.50%	30.52%

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/No)

The Bank has put in place Human Rights Policy, which is applicable to all stakeholders including its employees. The Policy broadly covers:

- Health and Safety at Workplace,
- Workforce Diversity,
- Prohibition of Child Labour & Forced Labour,
- Harassment-free Workplace,
- Human Dignity,
- Minimum wages and benefits,
- Employee Feedback and Grievances, and
- Ethical Business Conduct.

The Bank has enabling provisions in the applicable conduct rules/ policies which address such issues.

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.

The Bank recognises the valuable role that businesses can play in the long-term protection of human rights for a better future. The Bank's support for these fundamental principles reflects in its policies and actions towards its stakeholders. The Bank has provided an online portal, viz. i-HRIDAYO for submission of employee grievances and has put in place a Grievance Redressal Committee to examine grievances relating to discrimination and harassment. Mechanism for redressal of sexual harassment complaints received has been put in place in line with provision of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act). The Bank has also put in place Human Rights Policy, which is applicable to all stakeholders, including employees.

6. Number of complaints on the following made by employees and workers:

	Current Financial Year 2023-24			Previous Financial Year 2022-23		
	Filed during the year	Pending resolution at end of year	Remark	Filed during the year	Pending resolution at end of year	Remark
Sexual Harassment	9	3	-	7	5	-
Discrimination at workplace	8	1	-	9	2	-
Child Labour	0	0	-	0	0	-
Forced Labour/ Involuntary Labour	0	0	-	0	0	-
Wages	1	1	-	3	2	-
Other human rights related issues	0	0	-	0	0	-

7. **Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace *(Prevention, Prohibition and Redressal)* Act, 2013 in the following format:**

	Current Financial Year 2023-24	Previous Financial Year 2022-23
Total Complaints reported under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH)	9	7
Complaints on POSH as a % of female employees / workers	0.14%	0.12%
Complaints on POSH upheld	Nil	1

8. **Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.**

The Bank has put in place a Policy on Vigil Mechanism, which provides a framework and empowers all the employees to disclose unethical conduct, malpractices, wrongdoings, etc. noticed at the workplace in a confidential manner through a portal exclusively accessed by the Chief General Manager of the Internal Audit Department. The whistleblowers may send such concerns/ complaints to the Bank through a separate email login facility created on the Bank's Intranet site. Only an authorised person can receive/ access mail sent by the whistleblower. The Designated Official maintains utmost secrecy of the complaint/ concern received and ensures the details of the concern and the identity of the whistleblower is kept confidential. The whistleblower can also approach the Central Vigilance Commission (CVC) for complaints for disclosure on any allegation of corruption or misuse of office by following the procedure laid down by the CVC in this regard. The POSH guidelines for employees are also available with the Bank internally and it has provisions for protecting the complainant's identity while redressing their concerns. The Bank's Human Rights Policy outlines its commitment to protecting the human rights and maintaining a work environment free of harassment.

9. **Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/No)**

Yes, the Bank's business agreements and contracts with vendors explicitly stipulate the other party to comply with all laws/ rules/ regulations/ notifications, including those on labour and industrial matters, issued from time-to-time, reflecting its commitment to safeguard human rights. Furthermore, the Bank has included the *'Labour Laws and Minimum Wages'* clause in its RFP format. All safety, labor and industrial laws, which are enforced by the statutory agencies, must be adhered to by the Bank and the vendors during the execution of any contract. The Bank's business partners are obliged to take all necessary measures to ensure the safety of personnel, work and facilities and to follow all reasonable safety protocols. Similarly, in loan agreements with borrowers, the Bank seeks confirmation that they have no outstanding claims or liabilities, such as provident fund or labour dues, thereby safeguarding human rights.

10. **Assessment for the FY 2023-24:**

	% of plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child Labour	100.00%
Forced/ Involuntary Labour	100.00%
Sexual harassment	100.00%
Discrimination at workplace	100.00%
Wages	100.00%
Others – please specify	Not applicable

11. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks/ concerns arising from the assessments at Qs. 9, above.

The Bank has not observed any significant risks.

Leadership Indicators

1. Details of a business process being modified/ introduced as a result of addressing human rights grievances/ complaints.

The Bank has not recorded any instances necessitating modifications to the current processes.

Even though there have been no instances of human rights grievances/ complaints, the Bank continuously reviews and monitors its policies and business processes on a periodic basis in order to ensure there are no violation of human rights.

2. Details of the scope and coverage of any Human Rights due diligence conducted.

The Bank has not yet conducted any human rights due diligence.

3. Is the premise/ office of the entity accessible to differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016?

The Bank is committed to making its premises/ offices accessible to all. The Bank has put in place necessary physical infrastructure in its premises, wherever technically feasible, to ensure accessibility for differently abled visitors, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. As of March 31, 2024, the Bank had 2,004 branches of which 938 branches have ramp facilities. Construction of ramp facilities is underway in six branches. In 298 branches, ramp facility is not required as entrance of these branches are parallel to the road or lift facility is available. 762 branches are located on upper ground or first floor and hence it is not feasible to provide ramp facilities in these branches.

4. Details on assessment of Value Chain Partners:

	% of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed:
Child Labour	The Bank has not conducted such an assessment yet.
Forced/ Involuntary Labour	
Sexual harassment	
Discrimination at workplace	
Wages	

5. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks/ concerns arising from the assessment at Qs. 4 above.

While the Bank has not conducted such assessments, no such significant risks or concerns have been observed or reported.

Principle 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

Essential Indicators

1. **Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity in the following format:**

Parameter	Current Financial Year 2023-24*	Previous Financial Year 2022-23*
From 'Renewable Sources' in Gigajoules		
Total Electricity Consumption (A)	Not Applicable	Not Applicable
Total Fuel Consumption (B)	Not Applicable	Not Applicable
Energy consumption through Other Sources (C)	Not Applicable	Not Applicable
Total Energy Consumption from renewable sources (A+B+C)	**Not Applicable**	**Not Applicable**
From 'Non-Renewable Sources' in Gigajoules		
Total Electricity Consumption (D)	69,547.60	17,638.64
Total Fuel Consumption (E)	3,873.57	7.95
Energy consumption through Other Sources (F)	0	0
Total Energy Consumption from non-renewable sources (D+E+F)	**73,421.16**	**17,646.59**
Energy intensity per rupee of turnover (GJ / INR Crore)# *(Total energy consumption/turnover in crore rupees)*	2.44	0.71
Energy intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity@ *(Total energy consumed/ Revenue from operations adjusted for PPP) (GJ/ Million USD)*	5.42	1.60
Energy intensity in terms of physical output (GJ/ INR Crore)$	2.44	0.70
Energy intensity in terms of Full Time Employee (GJ/ Full Time Employees)&	4.31	1.09

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Yes/No). If "Yes", name the external agency.

Yes, Varma and Varma, the Bank's statutory auditor, have conducted assurance of the Bank's BRSR Core Disclosures for FY 2023-24.

**- The energy data for FY 2023-24 and FY 2022-23 is not comparable as the Bank has considered the following 17 locations – the Bank's Head Office, its office in Belapur, IDBI Training College and 14 Zonal Offices for FY 2023-24 while for FY 2022-23, only the Bank's Head Office was considered. The energy data for 2,004 branches and 208 offices have not been reported for FY 2023-24.*

 # - For computing the Energy intensity per rupee of turnover for FY 2023-24, the energy consumption for the reported 17 locations has been divided by the Bank's Total Turnover (Total Income). In FY 2022-23, the Energy intensity per rupee of turnover has been computed by dividing the energy consumption for the Bank's Head Office by the Bank's Total Turnover (Total Income) for FY 2022-23.

@ - The implied PPP conversion rate published by International Monetary Fund (IMF) has been used for Purchasing Power Parity calculation. For FY 2023-24, the value for 2023 has been considered. For FY 2022-23, the value for 2022 has been considered.

$ - For the intensity based on Physical Output, the Bank's revenue from the retail banking segment has been considered since it has the highest share in the Bank's Total Revenue, i.e., 57.26% for FY 2023-24 and 60.66% for FY 2022-23.

& - For computing the Energy intensity in terms of Full Time Employee for FY 2023-24, the energy consumption for the reported 17 locations has been divided by the Bank's Total Permanent Employees and Permanent Workers as on March 31, 2024. The share of employees in these 17 locations account for 22.71% of the Bank's total employee count as on March 31, 2024. For computing the Energy intensity in terms of Full Time Employees for FY 2022-23, the energy consumption for the Bank's Head Office has been divided by the Bank's Total Permanent Employees and Permanent Workers as on March 31, 2023. The share of employees in the Head Office account for 7.86% of the Bank's total employee count as on March 31, 2023.

2. **Does the entity have any sites/ facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve, and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Yes/No) If "Yes", disclose whether targets set under the PAT Scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any.**

The question is not applicable as the Bank does not fall under the PAT scheme of the Government. Nonetheless, the Bank endeavours to operate in a sustainable manner and ensures compliance with relevant environmental laws and regulations. The Bank's Credit Policy also stipulates restrictions on environmentally detrimental industries such as those producing/ consuming ozone depleting substances while encouraging sustainable financing. Furthermore, the Bank's lending policy also encourages sustainable financing.

3. **Provide details of the following disclosures related to water in the following format:**

Parameter	Current Financial Year 2023-24*	Previous Financial Year 2022-23*
Water withdrawal by source (in Kilolitres- KL)		
(i) Surface Water	0	0
(ii) Groundwater	0	0
(iii) Third Party Water^	1,08,029.14	34,089.22
(iv) Seawater/ Desalinated water	0	0
(v) Others (Please specify)	0	0
Total Volume of water withdrawal (in KL) *(i + ii + iii + iv + v)*	**1,08,029.14**	**34,089.22**
Total volume of water consumption (in KL)	**1,08,029.14**	**34,089.22**
Water intensity per rupee of turnover (KL/ INR Crore)# *(water consumed/ turnover)*	3.60	1.37
Water intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)@ *(Total water consumption/ Revenue from operations adjusted for PPP) (KL/ Million USD)*	7.97	3.08
Water intensity in terms of physical output (KL/ INR Crore)$	3.59	1.36
Water intensity in terms of Full Time Employee (KL/ Full Time Employees)&	6.34	2.10

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Yes/No). If "Yes", name the external agency.

Yes, Varma and Varma, the Bank's statutory auditor, have conducted assurance of the Bank's BRSR Core Disclosures for FY 2023-24.

**- The water data for FY 2023-24 and FY 2022-23 is not comparable as the Bank has considered the following 17 locations – the Bank's Head Office, its office in Belapur, IDBI Training College and 14 Zonal Offices for FY 2023-24 while for FY 2022-23, only the Bank's Head Office was considered. The water data for 2,004 branches and 208 offices have not been reported for FY 2023-24.*
^ - For FY 2023-24, the third party water includes water supplied by local bodies in six locations, bottled/ packaged water for the Bank's Head Office and estimation (using the formula "45 litres X No. of Employees as on March 31, 2024 X 360 days") for 11 locations for which water bills are not available.
 # - For computing the water intensity per rupee of turnover for FY 2023-24, the water consumption for the reported 17 locations has been divided by the Bank's Total Turnover (Total Income). In FY 2022-23, the water intensity per rupee of turnover has been computed by dividing the water consumption for the Bank's Head Office by the Bank's Total Turnover (Total Income) for FY 2022-23.
@ - The implied PPP conversion rate published by International Monetary Fund (IMF) has been used for Purchasing Power Parity calculation. For FY 2023-24, the value for 2023 has been considered. For FY 2022-23, the value for 2022 has been considered.
$ - For the intensity based on Physical Output, the Bank's revenue from the retail banking segment has been considered since it has the highest share in the Bank's Total Revenue, i.e., 57.26% for FY 2023-24 and 60.66% for FY 2022-23.
& - For computing the water intensity in terms of Full Time Employee for FY 2023-24, the estimated water consumption has been divided by the Bank's Total Permanent Employees and Permanent Workers as on March 31, 2024. The share of employees in these 17 locations account for 22.71% of the Bank's total employee count as on March 31, 2024. For FY 2022-23, the water intensity in terms of Full Time Employee has been computed by dividing the water consumption for the Bank's Head Office by the Bank's Total Permanent Employees and Permanent Workers as on March 31, 2023. The share of employees in the Head Office accounted for 7.86% of the Bank's total employee count as on March 31, 2023.

4. **Provide the following details related to water discharge:**

Parameter	Current Financial Year 2023-24	Previous Financial Year 2022-23
Water discharge by destination and level of treatment (in Kilolitres)		
(i) To Surface Water	While the Bank has installed Sewage Treatment Plant (STP) at its Head Office in Mumbai, Back Office at Belapur and IDBI Training College, Hyderabad, since there are no flow meters in place data is not being maintained in this regard.	
- No treatment		
- With treatment- please specify level of treatment		
(ii) To Ground Water		
- No treatment		
- With treatment- please specify level of treatment		

Parameter	Current Financial Year 2023-24	Previous Financial Year 2022-23
(iii) To Seawater		
- No treatment		
- With treatment- please specify level of treatment		
(iv) Sent to Third Parties		
- No treatment		
- With treatment- please specify level of treatment		
(v) Others		
- No treatment		
- With treatment- please specify level of treatment		
Total water discharged (in kilo-litres)		

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Yes/No). If "Yes", name the external agency.

Yes, Varma and Varma, the Bank's statutory auditor, have conducted assurance of the Bank's BRSR Core Disclosures for FY 2023-24.

5. **Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge (ZLD)? If "Yes", provide details of its coverage and implementation.**

Yes, the Bank has installed Sewage Treatment Plant (STP) at its Head Office in Mumbai, its office at Belapur and IDBI Training College, Hyderabad and the treated water is reused for centralised air conditioning unit and gardening purpose.

6. **Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity in the following format:**

Parameter	Please specify unit	Current Financial Year 2023-24*	Previous Financial Year 2022-23*
NOx	Kg	2,856.88	6.49
SOx	Kg	1.18	0.003
Particulate Matter (PM)	Kg	150.36	0.34
Persistent organic pollutant (POP)	NA	NA	NA
Volatile organic compounds (VOC)	NA	NA	NA
Hazardous air pollutant (HAP)	NA	NA	NA
Others- please specify	NA	NA	NA

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Yes/No). If "Yes", name the external agency.

**- For FY 2023-24, the air emissions (other than GHG) has been estimated based on the fuel consumption of 17 locations, viz. the Bank's Head Office, its office in Belapur, IDBI Training College and 14 Zonal Offices. For FY 2022-23, the air emission (other than GHG) was estimated based on the fuel consumption of only the Bank's Head Office. Hence, the data for these two years is not comparable.*

7. **Please provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) and its intensity in the following format:**

Parameter	Please specify unit	Current Financial Year 2023-24*	Previous Financial Year 2022-23*
Total Scope 1 Emissions *(Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)*	*Metric tonnes of CO2 equivalent*	285.97	0.58
Total Scope 2 Emissions *(Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)*	*Metric tonnes of CO2 equivalent*	13,832.24	3,508.13
Total Scope 1 and Scope 2 emissions per rupee of turnover#	**Metric tonnes of CO2 equivalent / INR Crore**	**0.47**	**0.14**
Total Scope 1 and Scope 2 emissions per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)@ *(Total Scope 1 & 2 emissions/ Revenue from operations adjusted for PPP) (Metric tonnes of CO2 equivalent / Million USD)*	Metric tonnes of CO2 equivalent / Million USD	1.04	0.32
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output$	Metric tonnes of CO2 equivalent / INR Crore	0.47	0.14
Emission intensity in terms of Full Time Employee&	Metric tonnes of CO2 equivalent/ Full Time Employee	0.83	0.22

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Yes/No). If "Yes", name the external agency.

Yes, Varma and Varma, the Bank's statutory auditor, have conducted assurance of the Bank's BRSR Core Disclosures for FY 2023-24.

**- The GHG emissions data for FY 2023-24 and FY 2022-23 is not comparable as the Bank has considered the following 17 locations – the Bank's Head Office, its office in Belapur, IDBI Training College and 14 Zonal Offices for FY 2023-24 while for FY 2022-23, only the Bank's Head Office was considered. The GHG emissions data for the 2,004 branches and 208 offices have not been reported for FY 2023-24.*

 # - For computing the Total Scope 1 and Scope 2 emissions intensity per rupee of turnover for FY 2023-24, the Total Scope 1 and Scope 2 emissions for the reported 17 locations has been divided by the Bank's Total Turnover (Total Income) for FY 2023-24. In FY 2022-23, the Total Scope 1 and Scope 2 emissions per rupee of turnover has been computed by dividing the Total Scope 1 and Scope 2 emissions for the Bank's Head Office by the Bank's Total Turnover (Total Income) for FY 2022-23.

@ - The implied PPP conversion rate published by International Monetary Fund (IMF) has been used for Purchasing Power Parity calculation. For FY 2023-24, the value for 2023 has been considered. For FY 2022-23, the value for 2022 has been considered.

$ - For the intensity based on Physical Output, the Bank's revenue from the retail banking segment has been considered since it has the highest share in the Bank's Total Revenue, i.e., 57.26% for FY 2023-24 and 60.66% for FY 2022-23.

& - For computing the Emission intensity in terms of Full Time Employee for FY 2023-24, the Total Scope 1 and Scope 2 emission has been divided by the Bank's Total Permanent Employees and Permanent Workers as on March 31, 2024. The share of employees in these 17 locations account for 22.71% of the Bank's total employee count as on March 31, 2024. For FY 2022-23, the emission intensity in terms of Full Time Employee has been computed by dividing the Total Scope 1 and Scope 2 emission by the Bank's Total Permanent Employees and Permanent Workers as on March 31, 2023. The share of employees in the Head Office accounted for 7.86% of the Bank's total employee count as on March 31, 2023.

8. **Does the entity have any project related to reducing Greenhouse gas emissions? If "Yes", then provide details.**

Yes, the Bank has taken initiatives and implemented awareness campaigns to reduce energy consumption. The following measures have been taken up by the Bank in FY2023-24 for reducing its energy consumption:

- Digitalisation of the movement of memorandums for its Board meetings resulting in reduction in paper consumption and avoiding 4.78 tCO2e of carbon emission;
- Digitalisation of credit card statements helping in avoiding 1.01 tCO2e of carbon emission;
- Maintaining the AC room temperature at 25°C;
- Switching off lights in cabins and back-office areas when not in use;
- Switching off PCs/ laptops when not used for more than 30 mins;
- Turning off television, photocopier, shredder machine and other business automation equipment when not in use or at the end of the day;
- Maximising use of natural light and use of electrical lighting only when necessary;
- Using inverter type/ Variable Refrigerant Flow (VRF) energy efficient ACs in some of the new branches/ Zonal Offices;

- Maintaining Power Factor (PF) close to unity through Automatic Power Factor Correction (APFC) Panel in the Zonal Offices and the metro branches;
- Replaced the standard electrical motor with energy efficient motor in Sewage Treatment Plant; and
- Renewing Annual Maintenance Contracts for all equipment in a timely manner for ensuring smooth functioning and avoiding energy losses.

With regard to the lending portfolio, the Bank's lending policy encourages sustainable financing, thereby contributing positively in GHG reduction. The Bank has a specific product for the priority sector segment that focuses on environment and climate change. The Bank has launched a product, viz. IDBI Surya Shakti, to encourage utilisation of renewable energy in household and farm electricity requirement by extending financial assistance for purchase of solar water heater, solar lighting system and solar pump. As at end-March 2024, the Bank had over 100 accounts under this product with an outstanding loan amount of ₹ 446 lakh.

9. Provide details related to waste management by the entity in the following format:

Parameter	Current Financial Year 2023-24*	Previous Financial Year 2022-23*
Total Waste Generated (in Metric Tonnes)		
Plastic Waste (A)	4.99	Not Available
E-Waste (B)	21.88	2.87
Bio-medical Waste (C)	0	Not Available
Construction and Demolition Waste (C&D) (D)	2.61	Not Available
Battery Waste (E)	0	Not Available
Radioactive Waste (F)	0	Not Available
Other Hazardous Waste generated (G) *(Please specify, if any)*	0	Not Available
Other Non-Hazardous Waste generated (H) *(Please specify, if any)*	125.37	408.00
Total Waste Generated *(A+B+C+D+E+F+G+H)*	**154.85**	**410.87**
Waste intensity per rupee of turnover (Metric Tonnes / INR Crore)# *(Total waste generated/ Revenue from operations)*	0.01	0.02
Waste intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)@ *(Total waste generated/ Revenue from operations adjusted for PPP) (Metric Tonnes / Million USD)*	0.01	0.04
Waste intensity in terms of physical output (Metric Tonnes / INR Crore)$	0.01	0.02
Waste intensity in terms of Full Time Employee (Metric Tonnes/ Full Time Employee)&	0.01	0.03
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
Category Waste		
(i) Recycled	25.57	170.87
(ii) Re-used	0	Not Available
(iii) Other recovery operations	0	Not Available
Total	**25.57**	**170.87**
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category Waste		
(i) Incineration	0	Not Available
(ii) Landfilling	129.28	240.00
(iii) Other disposal operations	0	Not Available
Total	**129.28**	**240.00**

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Yes/No). If "Yes", name the external agency.

Yes, Varma and Varma, the Bank's statutory auditor, have conducted assurance of the Bank's BRSR Core Disclosures for FY 2023-24.

**- The waste generated data for FY 2023-24 and FY 2022-23 is not comparable as the Bank has considered the following 3 locations for FY 2023-24 – the Bank's Head Office, its office in Belapur and IDBI Training College while for FY 2022-23, the waste generated was estimated for only the Bank's Head Office based on waste generated per day and the number of working days.*

 # - For computing waste intensity per rupee of turnover for FY 2023-24, the waste generated for the reported 3 locations has been divided by the Bank's Total Turnover (Total Income) for FY 2023-24. In FY 2022-23, the waste generated per rupee of turnover has been computed by dividing the waste generated for the Bank's Head Office by the Bank's Total Turnover (Total Income) for FY 2022-23.

@ - The implied PPP conversion rate published by International Monetary Fund (IMF) has been used for Purchasing Power Parity calculation. For FY 2023-24, the value for 2023 has been considered. For FY 2022-23, the value for 2022 has been considered.

$ - For the intensity based on Physical Output, the Bank's revenue from the retail banking segment has been considered since it has the highest share in the Bank's Total Revenue, i.e., 57.26% for FY 2023-24 and 60.66% for FY 2022-23.

& - For computing the waste intensity in terms of Full Time Employee for FY 2023-24, the waste generated has been divided by the Bank's Total Permanent Employees and Permanent Workers as on March 31, 2024. The share of employees in these 17 locations account for 22.71% of the Bank's total employee count as on March 31, 2024. For FY 2022-23, the waste intensity in terms of Full Time Employee has been computed by dividing the waste generated by the Bank's Total Permanent Employees and Permanent Workers as on March 31, 2023. The share of employees in the Head Office accounted for 7.86% of the Bank's total employee count as on March 31, 2023.

10. Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes.

Given the type of sector, e-waste is one of the critical hazardous wastes. The Bank has developed e-waste management policy, which covers all the branches, verticals, Regional Offices and Zonal Offices. Following the extant disposal guidelines laid down by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEFCC), the Bank ensures that all the e-waste is disposed of within 180 days of its generation. All the e-waste is disposed only to the registered recyclers. The Bank has also put in place system for tracking of the e-waste generated and disposed. The supporting certificates of the disposal issued by respective recycler has been recorded in the IT Asset Management System (ACMS) portal.

11. If the entity has operations/ offices in & around ecologically sensitive areas *(such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones, etc.)* **where environmental approvals/ clearances are required, please specify details in the following format:**

S. No.	Location of operations/ offices	Type of operations	Whether the conditions of environmental approval/ clearance are being complied with? (Yes/No) If "No", the reasons thereof and corrective action taken, if any.

The question is not applicable to the Bank being a financial service provider. However, the Bank endeavours to operate in a sustainable manner and ensures compliance with relevant environmental laws and regulations. The Bank's Credit Policy stipulates restrictions on environmentally detrimental industries such as those producing/ consuming ozone depleting substances while encouraging sustainable financing. Furthermore, the Bank's lending policy encourages sustainable financing.

12. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws in the current financial year 2023-24:

Name and brief of the project	EIA Notification No.	Date	Whether conducted by independent agency (Yes/No)	Results communicated in public domain (Yes/No)	Relevant Web-link
Not applicable					

13. **Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment Protection Act and Rules thereunder (Yes/ No). If "Not", provide details of all such non-compliances in the following format:**

S. No.	Specify the law/ regulation/ guidelines which is not compliant	Provide details of the non-compliance	Any fines/ penalties/ action taken by regulatory agencies such as pollution control board or by courts	Corrective action taken, if any

Yes, the Bank is compliant with the applicable environmental laws/ regulations/ guidelines in India such as Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment Protection Act and Rules thereunder. No instances of non-compliance to these laws/ regulations/ guidelines have been observed/ reported.

Leadership Indicators

1. **Water withdrawal, consumption and discharge in areas of 'Water Stress' (in kilo litres):**

For each facility/ plant located in areas of water stress, provide the following information:

i. **Name of area**

ii. **Nature of operations**

iii. **Water withdrawal, consumption, and discharge in the following format:**

Parameter	Current Financial Year 2023-24	Previous Financial Year 2022-23
Water withdrawal by source (in kilo litres)		
(i) Surface Water	-	-
(ii Ground Water	-	-
(iii) Third Party Water	-	-
(iv) Seawater/ Desalinated Water	-	-
(v) Others	-	-
Total volume of water withdrawal (in KL)	-	-
Total volume of water consumption (in KL)	-	-
Water intensity per rupee of turnover *(Water consumed/ Turnover)*	-	-
Water intensity *(optional)- the relevant metric may be selected by the entity*	-	-
Water discharge by destination and level of treatment (in Kilo litres)		
(i) **To Surface Water**		
- No treatment	-	-
- With treatment- please specify level of treatment	-	-
(ii) To Ground Water		
- No treatment	-	-
- With treatment- please specify level of treatment	-	-

Parameter		Current Financial Year 2023-24	Previous Financial Year 2022-23
(iii)	**Sent to Third Party Water**		
	- No treatment	-	-
	- With treatment- please specify level of treatment	-	-
(iv)	**Into Seawater**		
	- No treatment	-	-
	- With treatment- please specify level of treatment	-	-
(v)	**Others**		
	- No treatment	-	-
	- With treatment- please specify level of treatment	-	-
Total water discharged (in kilo-litres- Kl)			

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Yes/No). If "Yes", name the external agency.

2. **Please provide details of total Scope 3 emissions and its intensity in the following format:**

Parameter	Please specify unit	Current Financial Year 2023-24	Previous Financial Year 2022-23
Total Scope 3 Emissions *(Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)*	*Metric tonnes of CO2 equivalent*	Not Available	Not Available
Total Scope 3 emissions per rupee of turnover	*(Metric tonnes of CO2 equivalent / INR Crore)*	Not Available	Not Available
Total Scope 3 Emission Intensity in terms of Full Time Employee	*(Metric tonnes of CO2 equivalent/ FTE)*	Not Available	Not Available

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Yes/No). If "Yes", name the external agency.

3. **With respect to the ecologically sensitive areas reported in Qs. 11 of Essential Indicators above, provide details of significant direct & indirect impact of the entity on biodiversity in such areas along with prevention and remediation activities.**

The question is not applicable to the Bank being a financial service provider. However, the Bank endeavours to operate in a sustainable manner and ensures compliance with relevant environmental laws and regulations. The Bank's Credit Policy stipulates restrictions on environmentally detrimental industries such as those producing/ consuming ozone depleting substances while encouraging sustainable financing. Furthermore, the Bank's lending policy encourages sustainable financing.

4. If the entity has undertaken any specific initiatives or used innovative technology or solutions to improve resource efficiency, or reduce impact due to emissions/ effluent discharge/ waste generated, please provide details of the same as well as outcome of such initiatives, as per the following format:

S. No.	Initiative undertaken	Details of the initiative (Web-link, if any, may be provided along with summary)	Outcome of the Initiative

The Bank has taken initiatives such as digitalisation of the movement of memorandums for its Board meetings and digitilisation of credit card statements which has helped in reducing paper consumption. Furthermore, in order to conserve electricity, the AC room temperature is maintained at 25°C; lights in cabins and back-office areas, PCs/ laptops, television, photocopier, shredder machine and other business automation equipment are switched off when not in use; use of natural light is encouraged by the Bank to ensure that electrical lighting is used only when necessary. Furthermore, inverter type/ Variable Refrigerant Flow (VRF) energy efficient ACs are being used in some of its new branches/ Zonal Offices. The Bank is also maintaining Power Factor (PF) close to unity through Automatic Power Factor Correction (APFC) Panel in Zonal Offices and metro branches. The Bank has also replaced standard electrical motor with energy efficient motor in Sewage Treatment Plant. The Annual Maintenance Contracts for all equipments are renewed in a timely manner for ensuring smooth functioning and avoiding energy losses. All these initiatives have been undertaken as Bank's contribution towards conservation of energy.

5. Does the entity have a business continuity and disaster management plan? Give details in 100 words/ web-link.

Yes, the Bank has put in place a Board-approved Business Continuity Management framework to facilitate continuity of critical business functions, in the event of any disruption/ disaster. The Bank's Business Continuity Management System (BCMS) is ISO22301:2019 compliant. The BCM comprises Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Management Plan (DMP). The BCM documents, inter alia, incorporate the modalities, in an event of business disruption and consequent recovery strategies and plans. The resilience of these plans under different disruption scenarios are tested on an on-going basis through BCP testing exercises, DR drills for critical IT applications and mock evacuation drills at the Bank's owned premises. To mitigate the risk of system failure, the Bank has set up a Disaster Recovery (DR) site at Chennai and a near DR site at Mumbai. The Bank periodically carries out DR drill exercises to test the capabilities of its DR site. Reporting of any disruption incident and BCM activities is automated through an application software i.e. i-DaB. The Bank's Annual Report provides the details of its Business Continuity Management processes (https://apps.idbibank.in/idbiapp/idbi-bank-anual-report.aspx).

6. Disclose any significant adverse impact to the environment, arising from the value chain of the entity. What mitigation or adaptation measures have been taken by the entity in this regard.

Nil.

At present, no significant impact has been reported arising from value chain partners of the Bank.

7. Percentage of value chain partners (by value of business done with such partners) that were assessed for environmental impacts.

No such assessment was conducted during the year.

Principle 7: Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

Essential Indicators

1. (a) **Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations.**

   The Bank is affiliated to numerous trade and industry chambers/ associations.

   (b) **List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total numbers of such body) the entity is member of/ affiliated to.**

S. No.	Name the trade and industry chambers/ associations*	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/ National)
1.	Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)	National
2.	Confederation of Indian Industry (CII)	National
3.	Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI)	National
4.	Financial Benchmarks India Pvt Ltd (FBIL)	National
5.	Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India (FIMMDA)	National
6.	Forex Association of India (FAI)	National
7.	Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI)	National
8.	Indian Banks Association (IBA)	National
9.	Primary Dealers' Association of India (PDAI)	National

** - The list of names is indicative and not exhaustive.*

2. **Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities.**

Name of authority	Brief of the Case	Corrective action taken
0	0	0

Leadership Indicators

1. **Details of public policy positions advocated by the entity:**

S. No.	Public policy advocated	Method resorted for such advocacy	Whether information available in public domain (Yes/No)	Frequency of Review by Board	Web Link, if available
The Bank is committed to engage in public advocacy process in a responsible and ethical way by participating in discussions with the governments, policymakers, regulators, industry bodies/ trade associations and other stakeholders.					

Principle 8: Businesses should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

1. **Details of Social Impact Assessments (SIA) projects undertaken by the entity based on applicable laws in the current financial year 2023-24:**

Name and brief detail of project	SIA Notification No.	Date of notification	Whether conducted by independent external agency (Yes/ No)	Results communicated in public domain (Yes/No)	Relevant web-link
Not applicable					

2. **Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity in the following format:**

S. No.	Name of the project for which R&R is ongoing	State	District	No. of project affected families (PAFs)	%of PAFs covered by R&R	Amounts paid to PAFs in the FY (in INR)
Not applicable						

3. **Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community.**

The Bank has incorporated grievance redressal mechanism in its CSR policy which has been made publicly available on its website (https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy.pdf).

4. **Percentage of input material (input to total inputs by value) sourced from suppliers:**

	Current Financial Year 2023-24	Previous Financial Year 2022-23
Directly sourced from MSMEs/ Small producers	The Bank's primary inputs are technology-related services and stationary items. Furthermore, the Bank is in the process of compiling relevant information from its suppliers about their coverage under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	
Directly from within India		

5. **Job creation in smaller towns: Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent/ on contract basis) in the following locations, as % of the total wage cost:**

Location	Current Financial Year 2023-24	Previous Financial Year 2022-23
Rural	6.75%	6.46%
Semi-Urban	14.75%	14.00%
Urban	23.12%	22.74%
Metropolitan	55.38%	56.80%

Note: Place categorised as per RBI Classification System- rural/ semi-urban/ urban/ metropolitan.

Leadership Indicators

1. **Provide details of actions taken to mitigate any negative social impacts identified in the Social Impact Assessments (Reference Qs. 1 of Essential Indicators above).**

Details of negative social impact identified	Corrective action taken
Not applicable	

2. **Provide the following information on CSR projects undertaken by your entity in designated aspirational districts as identified by government bodies:**

S. No.	State	Aspirational District	Amount Spent (in INR)
1	Bihar	Aurangabad	41,65,552
2	Uttarakhand	Udham Singh Nagar	6,00,000
3	Uttarakhand	Haridwar	1,00,000
4	Odisha	Rayagada	24,06,167

3. (a) **Do you have a preferential procurement policy where you give preference to purchase from suppliers comprising marginalised/ vulnerable groups? (Yes/No)**

Yes, uniform guidelines issued from time-to-time by the Department of Expenditure, Government of India are followed for procurement. (Web-link - https://doe.gov.in/manuals)

(b) **From which marginalised/ vulnerable groups do you procure?**

The Bank doesn't maintain data in this regard. However, the Bank follows uniform guidelines issued from time-to-time by the Department of Expenditure, Government of India, for procurement.

(c) **What percentage of total procurement (by value) does it constitute?**

The Bank doesn't maintain data in this regard. However, the Bank follows uniform guidelines issued from time-to-time by the Department of Expenditure, Government of India, for procurement.

4. **Details of the benefits derived and shared from the intellectual properties owned or acquired by your entity (in the current financial year 2023-24), based on traditional knowledge:**

S. No.	Intellectual Property based on traditional knowledge	Owned/ Acquired (Yes/ No)	Benefit Shared (Yes/ No)	Basis of calculating benefit share
Not applicable				

5. **Details of corrective actions taken or underway, based on any adverse order in intellectual property related disputes wherein usage of traditional knowledge is involved.**

Name of authority	Brief of Case	Corrective action taken
Not applicable		

6. **Details of beneficiaries of CSR Projects:**

S. No.	CSR Project	No. of persons benefited from CSR Projects	% Beneficiaries from vulnerable & marginalised groups
1	**Healthcare:** Nutrition to orphan children, old age people and destitute as well as patients, attendants and healthcare workers, promoting health awareness, repair and renovation of healthcare centres	63,706	99.47%
2	**Education:** Training and skill development activity, supplying books and stationary for children, entrepreneurship for women, supporting academic expenses	4,325	92.00%
3	**Rural Development:** Social, economic and rural transformation under Mission MahaGram and installation of Aadhar enabled POP machines at Procurement Centres	111	Non-measurable
4	**Environmental Sustainability:** Promoting Environmental sustainability and Animal welfare as well as improvement of water quality and abatement of water pollution by improving the condition of rivers	Non-measurable	Non-measurable
5	**Contributions to Indian Institute of Technology (IIT)**: Creation of Cyber Security Laboratory to mitigate and prevent cyber security threats	Non-measurable	Non-measurable
6	**Admissible Funds:** CSR contribution to the PM CARES Fund in order to deal with any emergency situation and to provide relief to the affected people	Non-measurable	Non-measurable

Principle 9: Business should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

1. **Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.**

The Bank has put in place a Board-approved policy on Grievance Redressal. The policy defines Grievance Redressal mechanism for the customer complaints of the Bank. All the complaints by the customer/ non-customer can be lodged through multiple channels in the Standardised Public Grievance Redressal System (SPGRS) module of the Customer Value Management (CVM) to ensure timely & qualitative redressal of complaints. In case of non-resolution within the stipulated timeframe, the complainant may escalate the complaint through the website or the link that is provided in the SMS triggered to the customer on resolution of a complaint. The complainant may escalate the complaints to the next authority as per the three-tier escalation matrix provided in the mechanism. In case grievance is not resolved within 30 working days of lodging of complaint, the customer can approach Office of the RBI Ombudsman (ORBIO) as per the extant guidelines.

Further, in line with the Internal Ombudsman Scheme 2018, a complaint which is partly or wholly rejected by the Bank's internal grievance redressal mechanism are internally escalated to the Bank's Internal Ombudsman (IO) for review before replying to the complainant. The Bank has adopted the Master Direction – Reserve Bank of India (Internal Ombudsman for Regulated Entities) Directions, 2023 from January 2024.

2. **Turnover of products and/services as a percentage of turnover from all products/services that carry information about:**

Parameters	As percentage to total turnover
Environmental and social parameters relevant to the product	Not applicable
Safe and responsible usage	The Bank regularly conducts customer awareness campaigns aimed at promoting safe banking practices and raising awareness about cyber-crime and fraud prevention. These initiatives utilise various communication channels, including SMS/ email, social media, the Bank's website, ATMs, Go Mobile+, Internet Banking, branch meetings and regional customer meets. Additionally, educational efforts cover the use of services like Aadhaar Enabled Payment Service at BC points, with Do's and Don'ts published on notice boards to promote safe banking practices. Educational content on safe transaction methods is reinforced through regular communications such as emails and SMSes and integrated into key documents like Letters of Intent and loan agreements.
Recycling and/or safe disposal	Not applicable

3. **Number of consumer complaints in respect of the following:**

	Current Financial Year 2023-24		Remarks	Previous Financial Year 2022-23		Remarks
	Received	Pending at end of year		Received	Pending at end of year	
Data Privacy	4	0	-	0	0	-
Advertising	0	0	-	0	0	-
Cyber-security	4,231	0	Complaints related to Unauthorised Electronic Banking Transactions (UEBT)	5,771	4	Complaints relating to Unauthorised Electronic Banking Transactions (UEBT)

	Current Financial Year 2023-24		Remarks	Previous Financial Year 2022-23		Remarks
	Received	Pending at end of year		Received	Pending at end of year	
Delivery of essential services	518	10	Complaints related to non- receipt of deliverables, viz. ATM Cards, hard copy of i-net Pin, loan documents, etc.	573	5	Complaints related to non- receipt of deliverables, viz. ATM Cards, hard copy of i-net Pin, loan documents, etc.
Restrictive Trade Practices	0	0	-	0	0	-
Unfair Trade Practices	0	0	-	0	0	-
Customer Complaints	54,961	272	All complaints except above.	58,888	1,105	All complaints except above. The data for FY 2022-23 has been revised to include *'ATM disputes not resolved within T+1 day'* as against *'ATM disputes with TAT of more than T+5 days'* reported last year.

4. Details of instances of product recalls on account of safety issues:

	Number	Reasons for recall
Voluntary Recalls	Not applicable	
Forced Recalls		

5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No). If available, provide a web-link of the policy.

Yes, the Bank has a Board-approved Information Security Policy (ISP) and Cyber Security Policy (CSP) that clearly defines the appropriate approach to combat cyber threats and to ensure that information is protected from unauthorised access; confidentiality and integrity of the information is maintained and timely availability of IT resources to legitimate users is ensured. Both the policies, ISP & CSP, are hosted on the Bank's Intranet, communicated to relevant personnel and relevant interested parties, and reviewed at pre-defined intervals and if any significant changes occur.

The Bank has adopted several measures to enhance the security of customer details and to protect their accounts. Do's and Don'ts and Information Security guidelines are hosted on the Bank's website that set out simple steps the customers can follow to ensure that their money and personal details are safe and secure.

These guidelines can be accessed on the Bank's website under the following links (https://www.idbibank.in/dos-donts-banking.aspx) and (https://www.idbibank.in/information-security.aspx)

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services, cyber security, and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls, penalty/ action taken by regulatory authorities on safety of products/ services.

With respect to advertising, no corrective action has been taken or is underway by any regulatory/ statutory authority. Further, the Bank has not encountered any such incident related to cyber security and data privacy of customers. Corrective actions shall be initiated as and when any such incidents happen as per laid down guidelines. All major IT incidences and IT security incidences are being reported to the Information Technology Strategy Committee of Board (ITSCB).

7. **Provide the following information relating to data breaches:**
   (a) **Number of instances of data breaches:**
   Nil
   (b) **Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers.**
   Not applicable
   (c) **Impact, if any, of the data breaches.**
   Not applicable

Leadership Indicators

1. **Channels/ platforms where information on products and services of the entity can be accessed (provide web link, if possible)**

   Information regarding the Bank's products and services are available on the Bank's website (www.idbibank.in) and product posts on the Bank's products and services are available on the Bank's social media platforms:

   - Facebook (https://www.facebook.com/IDBIBank/)
   - X (https://x.com/idbi_bank)
   - Instagram (https://www.instagram.com/idbibankofficial/)
   - LinkedIn (https://in.linkedin.com/company/idbi-bank)
   - YouTube (https://www.youtube.com/IDBIBANK)

2. **Steps taken to inform and educate consumers about safe and responsible usage of products and/ or services.**

   The Bank regularly conducts customer awareness campaigns aimed at promoting safe banking practices and raising awareness about cyber-crime and fraud prevention. These initiatives utilise various communication channels, including SMS/Email, social media, the Bank's website, ATMs, Go Mobile+, Internet Banking, branch meetings and regional customer meets. Additionally, educational efforts cover the use of services like Aadhaar Enabled Payment Service at the BC points, with Do's and Don'ts published on notice boards to promote safe banking practices. Educational content on safe transaction methods is reinforced through regular communications such as emails and SMSes and integrated into key documents like Letters of Intent and loan agreements.

   Further, to educate customers and to enable them to avail the services responsibly, the Bank has commenced incorporating additional specific details of the loan account in the statement of loan sent periodically which includes prevailing interest rate of loan and residual tenure. Further, in the scenario of any hike in interest rate due to upward revision in benchmark rates, customers are duly informed on the options available so that they may choose to make part payment to continue with existing EMI or increase the EMI to repay the loan within the existing tenor or increase the tenor to the extent possible or switchover to fixed rate of interest. Any revision in interest rates or service charges schedule, etc. affecting terms of loan of customers are duly hosted on the Bank's website.

3. **Mechanism in place to inform consumers of any risk of disruption/ discontinuation of essential services.**

   The Bank has a well-defined Business Continuity Plan for all its processes and locations. The customers are informed by way of emails, notices on the Bank's website, mobile applications banners, SMS alerts, calls, etc. In extreme situations for any location facing downtime, the customers are directed to the nearest locations and their transactions are attended appropriately. The Business Correspondents, who primarily cater to the customers in remote areas where the Bank doesn't have a presence, use IT-enabled platforms for financial activities, with server control with the Bank. The BCs have backup plan in place for potential disruptions and in case, essential services are disrupted beyond their capacity to resolve, the customers are redirected to the nearest IDBI Bank branch for assistance.

4. **Does the entity display product information on the product over and above what is mandated as per the local laws? (Yes/ No/ Not Applicable). If "Yes", provide details in brief. Did your entity carry out any survey about customer satisfaction relating to the major products/ services of the entity, significant locations of operation of the entity or the entity as a whole? (Yes/ No).**

   The Bank provides detailed information about its products and services through its website (www.idbibank.in) and social media platforms. The Bank prominently displays its offerings and features at various touchpoints like branches and ATMs. The Bank periodically interacts with its customers for their feedback on products and services. The Bank also conducts customer satisfaction surveys on an annual basis.

Independent Practitioner's Reasonable Assurance report on the Identified Sustainability Information in IDBI Bank Ltd (the 'Bank') Business Responsibility and Sustainability Report for the period from April 1, 2023 to March 31, 2024.

To the Board of Directors of IDBI Bank Ltd,

1. We have undertaken to perform a reasonable assurance engagement, for IDBI Bank Ltd ("the Bank") vide Appointment letter no. IDBI Bank/CSPD/2023-24/236 dated March 14, 2024 in respect of the agreed Sustainability Information listed below (the "Identified Sustainability Information" or ISI or "BRSR Core Indicators") in accordance with the criteria stated in paragraph 4 below. This Sustainability Information is included in the Business Responsibility and Sustainability Report (the "BRSR" or the "Report") of the Bank for the year ended March 31, 2024. This Engagement was conducted by a team of Assurance Practitioners.

Scope of Assurance.

2. Our scope of reasonable assurance consists of the Identified Sustainability Information (ISI) listed in Annexure A to our report. The reporting boundary of the Report is as disclosed in Question 13 of Section A: General Disclosure of the BRSR with exceptions disclosed by way of note under respective questions of the BRSR, where applicable.

3. Our reasonable assurance engagement was with respect to the year ended March 31, 2024 information only and we have not performed any procedures with respect to earlier periods or any other elements included in the BRSR and, therefore, do not express any conclusion thereon.

Reporting Criteria

4. The Reporting Criteria used by the Bank to prepare the Identified Sustainability Information is summarized below:

   a. Regulation 34(2)(f) of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) Listing Obligations and Disclosure Requirements (SEBI LODR), 2015 as amended;

   b. Business Responsibility and Sustainability Reporting Requirements for listed entities as per SEBI Master circular number SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/120 dated July 11, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated July 12, 2023.

   c. Guidance notes for BRSR format issued by SEBI.

   d. Standard on Sustainability Assurance Engagements. [SSAE] 3000, "Assurance engagements on Sustainability information", issued by the Sustainability Reporting Standards Board of the Institute of Chartered Accountants of India.

   e. Standard on Assurance Engagements (SAE) 3410 Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements, issued by the Sustainability Reporting Standards Board of the Institute of Chartered Accountants of India.

Management's Responsibility

5. The Bank's management is responsible for selecting or establishing suitable criteria for preparing the Sustainability Information including the reporting boundary of the Report, taking into account applicable laws and regulations, if any, related to reporting on the Sustainability Information, Identification of key aspects, engagement with stakeholders, content, preparation and presentation of the Identified Sustainability Information in accordance with the Criteria.

6. This responsibility includes design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the BRSR and the measurement of Identified Sustainability Information, which is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Inherent limitations

7. The absence of a significant body of established practice on which to draw to evaluate and measure non-financial information allows for different, but acceptable, measures and measurement techniques and can affect comparability between entities.

Our Independence and Quality Control

8. We have maintained our independence and confirm that we have met the requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (the "ICAI") and SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 dated July

12, 2023, and its clarifications thereto and have the required competencies and experience to conduct this assurance engagement.

9. We apply Standards on Quality Control (SQC) 1, “Quality Control for Firms that Perform Audit and Review of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements”, and accordingly maintain a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards, and applicable legal and regulatory requirements.

Our Responsibility

10. Our responsibility is to express a reasonable assurance conclusion on the Identified Sustainability Information listed in Annexure A based on the procedures we have performed and evidence we have obtained.

11. We conducted our engagement in accordance with the Standard on Sustainability Assurance Engagements (SSAE) 3000, “Assurance Engagements on Sustainability Information” and Standard on Assurance Engagements (SAE) 3410 Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements (together the “Standards”), both issued by the Sustainability Reporting Standards Board (the “SRSB”) of the Institute of Chartered Accountants of India.

12. These standards requires that we plan and perform our engagement to obtain reasonable assurance about whether the Identified Sustainability Information listed in Annexure A and included in the Report are prepared, in all material respects, in accordance with the Reporting Criteria stated under paragraph 4 above.

13. As part of reasonable assurance engagement in accordance with Standards, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the engagement.

14. A reasonable assurance engagement involves assessing the risks of material misstatement of the Identified Sustainability Information whether due to fraud or error, responding to the assessed risks as necessary in the circumstances.

15. The procedures we performed were based on our professional judgment and included inquiries, observation of processes performed, inspection of documents, evaluating the appropriateness of quantification methods and reporting policies, analytical procedures and agreeing or reconciling with underlying records.

16. Given the circumstances of the engagement, in performing the procedures listed above, we:

    - Obtained an understanding of the Identified Sustainability Information and related disclosures;
    - Made enquiries of the Bank’s Management and concerned departments of the Bank with the responsibility for preparation of the Report.
    - Tested the Bank’s process for collating the sustainability information through agreeing or reconciling the identified Sustainability Information with the underlying records on a sample basis.
    - Performed substantive testing on a sample basis of the identified sustainability indicators at sample basis, to verify that data had been appropriately measured with the underlying documents recorded, collated and reported. This included assessing records and performing testing, including recalculation of sample data.
    - Obtained an understanding of the processes, controls for recording and reporting on the Identified Sustainability information at the Head office and other locations listed in Annexure B under the reporting boundary and tested the consolidation of all the 14 zonal offices, its office in Belapur, Training College and the Head office in Mumbai to ensure the completeness of data being reported.
    - Performed analytical procedures to analyze trends in the historical data and accordingly ascertain the reasonableness of the data reported in the current year.

    We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our reasonable assurance conclusion.

Exclusions:

17. Our assurance scope excludes the following and therefore we do not express a conclusion on the same:

    - Operations of the Bank other than those mentioned in the “Scope of Assurance”.

- Aspects of the BRSR and the data/information (qualitative or quantitative) other than the Identified Sustainability Information.
- Data and information outside the defined reporting period i.e., April 1, 2023, till March 31, 2024.
- The statements that describe expression of opinion, belief, aspiration, expectation, aim, or future intentions provided by the Bank.
- Data and information relating to Domestic and International branches of the Bank except Locations other than in Annexure B.

Other Information

18. The Bank's Management is responsible for the Other Information. The Other Information comprises the Information included within the BRSR and the Annual Report, other than Identified Sustainability Information and our Independent assurance report dated June 27, 2024 thereon.

19. Our Conclusion on the Identified Sustainability Information does not cover the Other Information and we do not express any form of assurance thereon.

20. In connection with our assurance engagement of the Identified Sustainability Information, our responsibility is to read the Other Information and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Identified Sustainability Information or otherwise appears to be materially misstated.

21. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Basis for Qualified Assurance

22.

a) The Bank operates from its Head Office, 2004 Branches (including one international Branch), Other 225 Offices including learning centers The information considered for reporting in

   i. Principle 6, Question 7 of Essential Indicators

   ii. Principle 6, Question 3 and 4 of Essential Indicators

   iii. Principle 6, Question 1 of Essential Indicators

   iv. Principle 6, Question 9 of Essential Indicators (Annexure B (ii))

   relates to only the Bank's Head Office in Mumbai, its office in Belapur, its Training College in Hyderabad and 14 Zonal Offices, as listed in Annexure B of the Report. The information relating to 2,004 Branches and 208 Offices have not been ascertained and is not considered for the purposes of reporting under the said Questions/Indicators. Accordingly, the resultant Reporting under this principle and ratios reported therein do not fully represent the Bank Level information.

b) Further, out of the 17 locations listed in Annexure B to the report, as described in the Note to BRSR Section C 'Principle 6 "Business should respect and make efforts to protect and restore the environment" – Essential Indicators 3 "Details related to Water" of the Report, Bank has used indirect estimation for 11 locations instead of the approach provided under the BRSR guidance note to determine complete and accurate disclosures for "Details related to Water" indicators. In the absence of sufficient appropriate evidence to check the completeness and accuracy of the values disclosed under "Details related to Water" as at and for the year ended March 31, 2024, we were unable to determine whether any adjustments to the reported figures with respect to "Details related to Water" were necessary or not as at and for the year ended March 31, 2024.

Emphasis of Matter:

23. As described in Notes to BRSR Section C "Principle 8: Businesses should promote inclusive growth and equitable development"- Essential Indicator 4 "Percentage of Input material (input to total inputs by value) sourced from suppliers" and Schedule 18(C)(IV) of the Audited Financial Statements for the year ended March 31, 2024, the Bank is in the process

of identifying complete list of Suppliers registered under MSME Act, 2006 and also compiling relevant information for purpose of disclosures.

24. For purpose of determining No of Days Accounts Payable as required under BRSR Section C "Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent, and Accountable" – Essential Indicator 8 "Number of days of accounts payables", the Bank has calculated the value considering Operating Expenses as a base and provision made as on 31st March 2024 against these heads as amount payable (numerator), instead of considering actual accounts payable as per "schedule 5" Other Liabilities & cost of goods and services related to these payable.

    However, as disclosed in relevant principles of section C of the BRSR report, the balances/ratios are not material considering the scale of business of the Bank.

    Our assurance is not modified to the extent of matters stated in Para 23 and 24.

Qualified Reasonable Assurance Conclusion

25. Based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained except for the effects, or possible effects of the matters described in the Basis for Qualified Conclusion section of our Report, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Identified Sustainability information as mentioned in Annexure A is not fairly presented, in all material respects, in accordance with the Reporting Criteria stated under paragraph 4 above.

Restriction on use:

26. Our Reasonable Assurance report has been prepared and addressed to the Board of Directors of IDBI Bank Limited at the request of the Bank solely, to assist the Bank in reporting on Bank's sustainability performance and activities. Accordingly, we accept no liability to anyone, other than the Bank. Our Reasonable Assurance report should not be used for any other purpose or by any person other than the addresses of our report. We neither accept nor assume any duty of care or liability for any other purpose or to any other party to whom our Deliverables are shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing.

For Varma & Varma
Chartered Accountants
FRN: 004532S

Fizo Kollanoor Jose
Partner
M. No: 138208
UDIN: 24138208BKFETH6931

Date: 27.06.2024
Place: Bangalore

Annexure A

Principle	BRSR Indicator	Type of Assurance
Principle 6: Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment		
Attribute 1: Green-house gas (GHG) footprint		
P6 Q7	Question 7: Details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) its intensity:	Refer Paragraph 22 of the Report
	Total Scope 1 emissions	
	Total Scope 2 emissions	
	Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee crore of turnover	
	Total Scope I and Scope 2 emission intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
	Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
Attribute 2: Water footprint		
P6 Q3	Details of the following disclosures related to water:	Refer Paragraph 22, of the Report
	Water withdrawal by source (in kilolitres)	
	Total volume of water withdrawal (in kilolitres)	
	Total volume of water consumption (in kilolitres)	
	Water intensity per rupee crore of turnover (Total water consumption Revenue from operations)	
	Water intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
	Water intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
P6 Q4	Details related to water discharged:	
	Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)	
	Total water discharged (in kilolitres)	
Attribute 3: Energy footprint		
P6 Q1	Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity:	Refer Paragraph 22 of the Report
	Total energy consumed from renewable sources	
	Total energy consumed from non-renewable sources	
	Energy intensity per rupee crore of turnover (Total energy consumed / Revenue from operations)	
	Energy intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
	Energy intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	

Principle	BRSR Indicator	Type of Assurance
Attribute 4: Embracing circularity - details related to waste management by the entity		
P6 Q9	Provide details related to waste management by the entity:	Refer Paragraph 22 of the Report
	Total Waste generated (in metric tonnes)	
	Waste intensity per rupee crore of turnover (Total waste generated/Revenue from operations)	
	Waste intensity per rupee crore of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP)	
	Waste intensity in terms of physical output/ any other relevant metric	
	For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re- using or other recovery operations (in metric tonnes)	
	For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)	
Principle 3: Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains		
Attribute 5: Enhancing Employee Wellbeing and Safety		
P3 Q1 (C)	Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent): Cost incurred on well- being measures as a % of total revenue of the company	Reasonable
P3 Q 11	Details of safety related incidents for Employees and Workers:	
	Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million-person hours worked)	
	Total recordable work-related injuries	
	No. of fatalities	
	High consequence work-related injury or ill-health excluding fatalities)	
Principle 5: Businesses should respect and promote human rights		
Attribute 6: Enabling Gender Diversity in Business		
P5 Q3 (b)	Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity	Reasonable
P5 Q7	Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:	
	Total Complaints reported under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH)	
	Complaints on POSH as a % of female employees /workers	
	Complaints on POSH upheld	
Principle 8: Businesses should promote inclusive growth and equitable development		
Attribute 7: Enabling Inclusive Development		
P8 Q4	Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers: a. Directly sourced from MSMEs/ small producers b. Directly from within India	Refer Paragraph 23 of the Report
P8 Q5	Job creation in smaller towns — Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent / on contract basis) in smaller towns, as % of total wage cost.	Reasonable

Principle	BRSR Indicator	Type of Assurance
Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner		
Attribute 8: Fairness in Engaging with Customers and Suppliers		
P9 Q7	Provide the following information relating to data breaches: a. Number of instances of data breaches b. Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers c. Impact, if any, of the data breaches	Reasonable
Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Integrity, and In a manner that is Ethical, Transparent, and Accountable.		
Attribute 9: Open-ness of business		
P1 Q8	Number of days of accounts payable (Accounts payable *365) / Cost of goods/ services procured)	Refer Paragraph 24 of the Report
P1 Q9	Details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties:	Reasonable
	Concentration of Purchases	
	Concentration of Sales	
	Share of RPTs in	
	a. Purchases (Purchases with related parties / Total Purchases)	
	b. Sales (Sales to related parties / Total Sales)	
	c. Loans & advances (Loans & advances given to related parties / Total loans & advances)	
	d. Investments (Investments In related parties / Total Investments made)	

Annexure B:

i. List of Reporting Boundary locations considered for mentioned Indicators: "Green-house gas (GHG) footprint, Water footprint and Energy footprint.

Sl No	Name of the Offices	Address
1	IDBI Bank Head Office – Mumbai	IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400005
2	IDBI Bank CBD Belapur Office	IDBI Building, 'Plot No 39/40/41, Sector 11, CBD- Belapur, 'Navi Mumbai- 400614
3	IDBI Bank Training College	53/2, Indira Nagar, Gachibowli, Hyderabad, Telangana 500032
4	IDBI Bank Zonal Office – Bengaluru	IDBI House, 58 Mission Road, Bangalore, Karnataka, 560027.
5	IDBI Bank Zonal Office – Chandigarh	SCO 72-73, Sector 17-B , Chandigarh , 160017
6	IDBI Bank Zonal Office – Chennai	115, Anna Salai , Saidapet, Post Bag No: 805, Chennai, Tamil Nadu, 600015
7	IDBI Bank Zonal Office – Hyderabad	IDBI Bank Ltd., D. Num 5-9-89/1 and 2, Chapel Road, Hyderabad, Telangana, 500001
8	IDBI Bank Zonal Office –Lucknow	IDBI Bank Ltd., CP-12, Viraj Khand, Gomti Nagar, Near Singapore Mall, Lucknow, Uttar Pradesh, 226010
9	IDBI Bank Zonal Office – New Delhi	IDBI Bank Ltd., 9th Floor, Plate B, Block 2, NBCC office Complex, East Kidwai Nagar , South Delhi, 110023

Sl No	Name of the Offices	Address
10	IDBI Bank Zonal Office – Patna	Third Floor, Sai Corporate Park, Rukanpura, Bailey Road, Patna, Bihar, 800014
11	IDBI Bank Zonal Office – Ahmedabad	IDBI Complex, Lal Bungalows, Off CG Road, Ahmedabad, Gujarat, 380006
12	IDBI Bank Zonal Office – Bhopal	Centre Point Commercial Complex, First Floor, T. T. Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh, 462003
13	IDBI Bank Zonal Office – Bhubaneswar	IDBI House, 2nd floor, Janpath, Odisha, Bhubaneshwar, 751022
14	IDBI Bank Zonal Office – Kolkata	44, Shakespeare Sarani, PB No 16102, Kolkata, West Bengal, 700017
15	IDBI Bank Zonal Office – Nagpur	Salasar Prestige, 1st Floor, Plot No.-1/A, Off WHC Road, Dharampeth, Nagpur, Maharashtra, 440010
16	IDBI Bank Zonal Office – Pune	IDBI House, Dynaneshwar Paduka Chowk, Fergusson College Road, Pune, Maharashtra, 411004
17	IDBI Bank Zonal Office – Mumbai	2nd Floor, A, B & C Wings, Mittal Court, Nariman Point, Mumbai, Maharashtra, 400021

ii. **List of locations considered for Waste Footprint Indicator**

Sl No	Name of the Offices	Address
1	IDBI Bank Head Office – Mumbai	IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400005
2	IDBI Bank CBD Belapur Office	IDBI Building, 'Plot No 39/40/41, Sector 11, CBD- Belapur, 'Navi Mumbai- 400614
3	IDBI Bank Training College	53/2, Indira Nagar, Gachibowli, Hyderabad, Telangana 500032

एकल वित्तीय विवरण
Standalone Financial Statements

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
Independent Auditors' Report

प्रति,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** ("बैंक") के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिनमें 31 मार्च 2024 का तुलन पत्र, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसमें इसके बाद एकल वित्तीय विवरणों के रूप में संदर्भित किया गया) सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त एकल वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और साथ ही साथ कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के जरिये बैंकिंग कंपनियों से यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत, उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2024 को बैंक के कार्यों की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के उसके लाभ तथा इसके नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

अभिमत हेतु आधार

हमने अपनी एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा पर मानकों ("एसए") के अनुरूप की है. उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट की एकल वित्तीय विवरण खंड में लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्वों में वर्णित हैं. हम एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुरूप अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है.

लेखापरीक्षा के मुख्य मामले

लेखापरीक्षा के मुख्य मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे. इन मामलों का एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं. हमने नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित करने के लिए किया है. नीचे उल्लिखित प्रत्येक मामलों पर हमारी लेखापरीक्षा ने क्या समाधान किए, उसका वर्णन उस संदर्भ में दिया गया है:

To,
The Members of IDBI Bank Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **IDBI Bank Limited** ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at March 31st, 2024, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended March 31st 2024, and notes to the financial statements, including a summary of the significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as the Standalone Financial Statements)

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, as well as the Companies Act, 2013 ("the Act") and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India, in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act, read with rules made thereunder, of the state of affairs of the Bank as at March 31st, 2024 and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the Standalone Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report. For each matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context:

लेखापरीक्षा के मुख्य मामले	लेखापरीक्षक का दृष्टिकोण
आस्थगित कर आस्ति की मान्यता और मापन	
बैंक ने 31 मार्च 2024 को ₹ 8,959.66 करोड़ की निवल आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण किया है, जो वर्ष के दौरान ₹ 2,561.32 करोड़ के निवल रिवर्सल के बाद है। आस्थगित कर की मान्यता में इन आस्तियों की वसूली की संभावना के बारे में निर्णय शामिल है, विशेष रूप से क्या भविष्य की अवधि में पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा जो इन आस्तियों की मान्यता का समर्थन करेगा. इन आस्थगित कर आस्तियों को वसूली योग्य या अन्यथा मानने में शामिल निर्णय की डिग्री को देखते हुए, हम इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला मानते हैं.	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में लागू कर कानूनों और बैंक पर लागू संबंधित विनियमों को समझना शामिल था. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल था: • एएस 22 आय पर कर के लिए लेखांकन के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण और मापन के लिए अपनाई गई नीतियों का मूल्यांकन; • प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त पूर्वानुमानों और अन्य मापदंडों के आधार पर लाभों की उपलब्धता की संभावना का मूल्यांकन किया गया, जिसमें से बैंक संदर्भित पूर्वानुमान के अनुसार भविष्य में इस आस्थगित कर आस्ति का उपयोग कर पायेगा, जैसा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति ने नोट किया था. • लागू कर दरों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण करने में अपनाई गई पद्धति का मूल्यांकन किया गया तथा अंकगणितीय परिशुद्धता का परीक्षण किया गया.
अग्रिमों के लिए आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा विनियामक मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण	
अग्रिम बैंक की कुल आस्तियों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. वे, अन्य बातों के साथ-साथ, आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंडों (आईआरएसी) तथा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते हैं, जो अग्रिमों के अर्जक और अनर्जक अग्रिमों (एनपीए) में वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करते हैं. बैंक इन अग्रिमों को आईआरएसी मानदंडों के आधार पर अपनी लेखा नीति अनुसूची संख्या: 17 के अनुसार वर्गीकृत करता है.	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के अंतर्गत अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण की रूपरेखा, आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता और समुचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का परीक्षण शामिल था. इसमें विशेष रूप से निम्न बातें शामिल हैं: • एप्लिकेशन सिस्टम से प्राप्त अपवाद रिपोर्टों का परीक्षण जहां अग्रिम दर्ज किए गए हैं.

Key Audit Matters	Auditor's Approach
Recognition and Measurement of Deferred Tax Asset	
The Bank has recognised a net deferred tax asset of ₹ 8,959.66 Crores as on March 31st, 2024, after net reversal of ₹ 2,561.32 Crores during the year. The recognition of deferred tax involves judgement regarding the likelihood of realisation of these assets in particular whether there will be sufficient taxable profits in future periods that will support the recognition of these assets. Given the degree of judgement involved in considering these deferred tax assets as recoverable or otherwise, we consider this to be a key audit matter.	Our audit procedures involved gaining an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. Our audit procedures included: • Evaluation of policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income; • Assessed the probability of the availability of profits based on assumptions and other parameters used by the Management against which the Bank will be able to use this deferred tax asset in the future with reference to forecast as noted by the Audit Committee of the Board of Directors. • Assessed the method for determining the Deferred Tax Asset with reference to applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy.
Income Recognition and Asset Classification of Advances (IRAC) and Provisioning as per regulatory norms	
Advances constitute significant portion of the Bank's total assets. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non- performing Advances (NPA) The Bank classifies these Advances based on IRAC norms as per its accounting policy schedule no: 17	Our audit approach included testing the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments. In particular: • Testing of the exception reports generated from the application systems where the advances have been recorded.

अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में उचित तंत्र की स्थापना शामिल है और बैंक को विनियमों द्वारा निर्धारित गुणात्मक और मात्रात्मक, दोनों कारकों को लागू कर प्रत्येक अनर्जक आस्ति ('एनपीए') के लिए आवश्यक प्रावधान की राशि को पहचानने और निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है.

आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान निम्नलिखित महत्वपूर्ण गलत विवरणों को जन्म दे सकते हैं:

- आईआरएसी मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान की संपूर्णता और समय निर्धारण.
- ऋण एक्सपोजर, ऋण की अवधि और वर्गीकरण, प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य के आधार पर अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान का मापन;
- एनपीए पर अप्राप्त आय का उचित रिवर्सल;
- मानक आस्तियों के प्रावधान करने में निहित निर्णय.

बैंक अपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेन दर्ज करता है. एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान की गणना आईआरएसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नामक एक अन्य आईटी प्रणाली के माध्यम से की जाती है. यदि एकल या समग्र रूप में आईआरएसी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाए तो इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों को घटाकर) अत्यधिक रूप से अयथार्थ बताया जा सकता है.

निहित महत्वपूर्णता, लेनदेन की प्रकृति, विनियामक आवश्यकताओं, मौजूदा कारोबारी माहौल, उधारकर्ताओं की

- रिज़र्व बैंक के वृहद ऋणों के बारे में जानकारी के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) में बैंक और अन्य बैंकों द्वारा विशेष उल्लिखित खातों ("एसएमए") के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों पर दबाव की पहचान करने के लिए विचार करना.
- मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाते के विवरण और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना
- बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा, क्रेडिट लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना
- हमने अग्रिमों के संबंध में दर्ज राशियों, ऋण दस्तावेजीकरण की वैधता की परीक्षण जांच की, लेखा विवरण, अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान और अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में रिज़र्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच की.
- पहचाने गए अनर्जक अग्रिमों और मानक आस्तियों के लिए, हमने दबावग्रस्त क्षेत्रों और खाता तात्विकता सहित कारकों के आधार पर, नमूना आधार पर आस्ति वर्गीकरण की तारीखों, अप्राप्त ब्याज के रिवर्सल, उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य और आईआरएसी मानदंडों के अनुसार प्रावधान की जांच की. हमने प्रमुख इनपुट कारकों पर विचार करने

The identification of performing and non-performing advances involves establishment of proper mechanism and the Bank is required to apply significant degree of judgement to identify and determine the amount of provision required against each non-performing asset ('NPA') applying both quantitative as well as qualitative factors prescribed by the regulations.

Significant judgements and estimates for asset classification and provisioning could give rise to material misstatements on:

- Completeness and timing of recognition of non-performing assets in accordance with criteria as per IRAC norms;
- Measurement of the provision for non-performing assets based on loan exposure, ageing and classification of the loan, realizable value of security;
- Appropriate reversal of unrealized income on the NPAs;
- Judgement involved in making provision for standard assets.

The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Core Banking Solution (CBS). NPA classification and calculation of provision is done through another IT System viz. IRAC Application Software. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed.

Considering the materiality involved, nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment,

- Considering the accounts reported by the Bank and other banks as Special Mention Accounts ("SMA") in RBI's central repository of information on large credits (CRILC) to identify stress.
- Reviewing account statements and other related information of the borrowers selected based on quantitative and qualitative risk factors
- Considering reports of Internal Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank.
- We have test checked advances to examine the validity of the recorded amounts, loan documentation, examined the statement of accounts, provision for non-performing assets, and compliance with income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances in terms of applicable RBI guidelines.
- For non-performing advances identified and standard assets, we, based on factors including stressed sectors and account materiality, tested on a sample basis the asset classification dates, reversal of unrealized interest, value of available security and provisioning as per IRAC norms. We recomputed the provision after considering the key input factors

वित्तीय अवस्था के मूल्यांकन में शामिल अनुमान/निर्णय साथ ही प्रतिभूतियों के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है.	के बाद प्रावधान की पुनर्गणना की और हमारे माप परिणामों की तुलना प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए परिणामों से की. • इसके अलावा, हमने शाखाओं/ कार्यालयों का दौरा करने और दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की जांच के साथ-साथ अग्रिमों के लिए प्रतिभूतियों पर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट सहित मूल प्रक्रियाएं भी पूरी की हैं. • अन्य शाखाओं के संबंध में, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंक द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए स्कैन किए गए रिकॉर्ड/ रिपोर्ट/ दस्तावेजों/ प्रमाणपत्रों के आधार पर नमूना अग्रिमों की समीक्षा, सीबीएस के रिमोट एक्सेस और बैंक के सुरक्षित नेटवर्क पर अन्य प्रासंगिक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर शामिल हैं.

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियां और वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण

बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग, आईआरएसी और ट्रेजरी समाधानों तथा अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर इतनी ज्यादा निर्भर हैं कि आईटी नियंत्रण में कमी होने पर वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग रिकार्डों के अत्यधिक रूप से गलत होने का जोखिम बना रहता है. बैंक अपनी समग्र वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कई प्रणालियों का उपयोग करता है और प्रतिदिन कई स्थानों पर बड़ी मात्रा में लेनदेन दर्ज किए जा रहे हैं. इसके अलावा, बैंक के सिस्टम और डेटा की अखंडता की रक्षा करने के लिए चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं और हाल की अवधि में साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण जोखिम बन गई है.	वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए बैंक की आईटी प्रणालियों और संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में निम्नलिखित बातें शामिल हैं: • हमने बैंक की आईटी प्रणाली को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और नमूना जांच की योजना बनाई है, उन्हें डिजाइन किया है और निष्पादित किया है. हमने उनकी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण सहित बैंक के आईटी वातावरण की समझ प्राप्त की है. • हमने आईटी सामान्य नियंत्रणों (तार्किक पहुंच, परिवर्तन प्रबंधन और आईटी परिचालन नियंत्रण के पहलुओं) का परीक्षण किया. इसमें सिस्टम

estimation/ judgement involved in assessment of financial condition of borrowers as well as valuation of securities, we have determined this as a Key Audit Matter.	and compared our measurement outcome to that prepared by management. • In addition, we have also carried out substantive procedures including visits to branches/ offices and examination of documentation and other records as well as reports of independent valuers on securities to advances. • In respect of other Branches, our audit procedures included review of sample advances based on scanned records/ reports/ documents/ certificates made available to us by the Bank through electronic mode and remote access to CBS and other relevant application software over secure network of the Bank.

Information Technology (IT) Systems and controls over financial reporting

The Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on Core Banking, IRAC and Treasury Solutions and other supporting software and hardware controls such that there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being materially misstated. The Bank uses several systems for its overall financial reporting and there is a large volume of transactions being recorded at multiple locations daily. In addition, there are increasing challenges to protect the integrity of the Bank's systems and data since cyber security has become a more significant risk in recent periods.	As a part of our audit procedures for review of the Bank's IT systems and related controls for financial reporting: • We have planned, designed and carried out the audit procedures and sample checks, taking into consideration the IT systems of the Bank. We obtained an understanding of Bank's IT environment including integration of various systems to evaluate their adequacy. • We tested IT general controls (logical access, changes management and aspects of IT operational controls). This included testing that requests for access

आईटी पर्यावरण की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में इसके महत्व के कारण, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में अभिनिर्धारित किया है.	तक पहुंच के अनुरोधों की समीक्षा करने व प्राधिकृत करने का परीक्षण भी शामिल था. हमने अनुमोदन और प्राधिकरण के लिए सिस्टम में बदलाव के अनुरोधों का निरीक्षण किया. हमने नमूना आधार पर लेखा परीक्षा ट्रेल की रिकार्डिंग की प्रणाली की भी समीक्षा की है और महत्वपूर्ण एप्लिकेशनों के लेखा परीक्षा ट्रेल प्रणाली पर बैंक द्वारा प्राप्त किए गए रिपोर्ट की भी समीक्षा की. • आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्ट और आईआरएसी के लिए की गई बाह्य आईटी प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा साथ ही, सनदी लेखाकार की एक स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को ध्यान में रखा गया. • उपरोक्त के अलावा, हमने कुछ स्वचालित नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया जिन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण माना जाता था. जहां कमियों की पहचान की गई थी, वहाँ हमने क्षतिपूर्ति नियंत्रणों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा अथवा वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं संपन्न की.

एकल वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है. अन्य जानकारी में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण, निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध सहित निदेशकों की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट, कॉरपोरेट अभिशासन और शेयरधारकों की जानकारी (सामूहिक रूप से 'अन्य जानकारी' के रूप में निर्दिष्ट) शामिल हैं लेकिन इनमें एकल वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं. उपर्युक्त अनुसार अतिरिक्त जानकारी इस लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है.

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम अन्य जानकारी पर किसी तरह का आश्वासन/ निष्कर्ष नहीं देते हैं.

एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमें उपलब्ध कराए जाने पर ऊपर निर्दिष्ट अन्य जानकारी का अध्ययन करें और

Due to the pervasive nature and complexity of the IT environment as well as its importance in relation to accurate and timely financial reporting, we have identified this area as a Key Audit Matter.	to systems were reviewed and authorised. We inspected requests of changes to systems for approval and authorisation. We have also reviewed system of the recording Audit trails on a sample basis and also reviewed the reports obtained by bank on the Audit trail system for critical applications. • Considering reports on IS audit conducted by Internal audit department and External IT System audit report for IRAC as well as the audit report of Internal Financial Control over Financial Reporting conducted by an independent firm of Chartered Accountants. • In addition to the above, we tested the design and operating effectiveness of certain automated controls that were considered as key internal controls over financial reporting. Where deficiencies were identified, we sought explanations regarding compensating controls or performed alternate audit procedures.

Information Other Than Standalone Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The Other Information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Director's Report including Annexures to Director's Report, Business Responsibility and Sustainability Report, Corporate Governance and Shareholders information (collectively called as "Other Information") but does not include the Standalone Financial Statements and our auditor's report thereon. The Other information as above is expected to be made available to us after the date of this Auditors' report.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the Other Information and we do not express any form of assurance/ conclusion on the other information.

In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Standalone

ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों से अथवा लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त की गई सूचना से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से गलत प्रतीत होती है. अन्य जानकारी का अध्ययन करने पर यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई तात्विक विसंगति है, तो हमारे लिए उस तथ्य को अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को उसकी सूचना देना आवश्यक है.

प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों की एकल वित्तीय विवरणों के प्रति जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल बैंकिंग कंपनियों के लिए आवश्यक तरीके से इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 और बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं. इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें बनाए रखना, जो सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करने वाली धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाले तथ्यात्मक मिथ्या कथन से मुक्त एकल वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, भी शामिल हैं.

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन की कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो.

बैंक का प्रबंधन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है.

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात का आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई महत्वपूर्ण मिथ्या कथन न हो और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो. उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में पहले से मौजूद महत्वपूर्ण मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है.

एसए के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं. हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- एकल वित्तीय विवरणों में मिथ्याकथन के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए हों, उन जोखिमों के अनुरूप लेखा प्रक्रियाएं तैयार करना और उन पर कार्रवाई करना तथा हमारी राय को पर्याप्त और संगत आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों को न पहचानने

Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

The Bank's Management and Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements in the manner required for Banking companies and that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cashflows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ("RBI") from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities, selection and application of appropriate accounting policies, making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, Management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Bank's Management is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve

का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, कपट, जानबूझ कर छोड़ी गई त्रुटियां, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना जो उन परिस्थितियों के लिए उचित हों. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है तथा क्या इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है.
- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों का औचित्य एवं उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना.
- बैंक के प्रबंधन और निदेशक मंडल के लेखांकन के कार्यशील संस्था के रूप में उपयोग करने के उपयुक्तता पर अपना निष्कर्ष देना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस बात का पता लगाना कि क्या उन घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चतता मौजूद है या वैसी परिस्थितियां बनी हैं जिसमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके. यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चतता विद्यमान है तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों में इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं है तो हमें अपने अभिमत को संशोधित करना होगा. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर आधारित हैं. तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने न रहने का कारण बन सकती हैं.
- प्रकटीकरण सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या एकल वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि इसकी निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त की जा सके.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे, उसकी अवधि और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों तथा लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते हैं.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को वक्तव्य भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और साथ ही हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले संबंधों और उन मामलों की जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, और जहां भी लागू हो वहां उनसे संबंधित सावधानियों की जानकारी भी देते हैं.

अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो इसलिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय हैं. हम उन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन द्वारा इस मामले के प्रकटन के लिए या तो रोका न जाए या फिर अत्यंत विरल परिस्थितियों में जब हम यह निर्णय लें कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है.

अन्य मामले

बैंक की दुबई शाखा से संबन्धित ₹ 4.00 करोड़ के कुल राजस्व और ₹ 0.77 करोड़ की कुल हानि वित्तीय विवरणों में शामिल है जो 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसम्बर 2023 (शाखा के बंद होने की तारीख) की अवधि के दौरान परिचालनगत थी. शाखा के 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसम्बर 2023 की अवधि के वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा एक स्थानीय शाखा लेखापरीक्षक द्वारा की गई, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है और इस शाखा के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है.

collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Bank has adequate internal financial controls system with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Management.
- Conclude on the appropriateness of Bank's Management and Board of Directors use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

Included in the financials are total revenue of ₹ 4.00 Crores and total loss of ₹ 0.77 Crores pertaining to Dubai branch of the Bank, which was operational during the period from April 01, 2023 to December 31, 2023 (the date of closure of the branch).The financial statements of the branch for the period from April 01, 2023 to December 31, 2023 were audited by a local branch auditor whose report has been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this branch, is based solely on the report of such branch auditor.

उपर्युक्त मामले में हमारी राय संशोधित नहीं की गई है.

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा अधिनियम की धारा 133 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं.

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं किः

   क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे तथा उन्हें संतोषजनक पाया है.

   ध) हमारी लेखापरीक्षा के दौरान बैंक के जो लेन-देन हमारे ध्यान में आए हैं, वे बैंक की अधिकार सीमा के भीतर हैं.

   ग) बैंक की वित्तीय लेखा प्रणाली केंद्रीकृत हैं और इसलिए वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से लेखांकन विवरणियाँ शाखाओं द्वारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है. हमने लेखा-परीक्षा केंद्रीय रूप से की है क्योंकि हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी अपेक्षित रिकॉर्ड और डेटा केंद्रीय रूप से उपलब्ध हैं. इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने रिज़र्व बैंक के मौजूदा परिपत्र के अनुपालन में हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए ऐसी शाखाओं में रखे गए अभिलेखों की जांच करने के लिए 31 घरेलू शाखाओं और गिफ्ट सिटी आईबीयू, गांधीनगर शाखा (विदेश) का दौरा किया है, जिनमें बैंक के सकल अग्रिमों का 34% निहित है.

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अपेक्षानुसार हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं किः

   क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

   ख) हमारी राय में बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है;

   ग) बैंक की दुबई शाखा के लेखों की अन्य लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित रिपोर्ट हमारे पास प्रेषित की गई है और इस पर उचित रूप से विचार किया गया है;

   घ) इस रिपोर्ट में शामिल किए गए तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं;

   ङ) हमारी राय में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के उस सीमा तक अनुपालन में हैं जहां तक वे रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं;

   च) 31 मार्च 2024 को निदेशकों से प्राप्त और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, किसी भी निदेशक को यथा 31 मार्च 2024 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के निबंधनों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है;

Our opinion is not modified in respect of the above matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provision of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Act and Rules made thereunder.

2. As required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

   a. We have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

   b. The transactions of the Bank, which have come to our notice during the course of our audit, have been within the powers of the Bank.

   c. The financial accounting systems of the Bank are centralized and therefore, accounting returns for the purpose of preparing financial statements are not required to be submitted by the branches. Our audit has been carried out centrally as the necessary records and data required for the purposes of our audit are centrally made available. Further, during the course of our audit, we have visited 31 domestic branches and a Gift City IBU, Gandhinagar branch (Overseas) which, in aggregate, comprise of 34% of the gross advances of the Bank, to examine the records maintained at such branches for the purpose of our audit, in compliance with the extant RBI Circular.

3. As required by section 143(3) of the Act, based on our audit we report that:

   a. we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

   b. in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as appears from our examination of those books;

   c. the report on the accounts of the Dubai branch of the Bank audited by other auditor has been forwarded to us and the same has been appropriately dealt with;

   d. the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

   e. in our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act and relevant Rules made thereunder, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

   f. on the basis of written representation received from the directors as on March 31st, 2024 and taken on record by the Board of Directors, none of the directors are disqualified as on March 31st, 2024 from being appointed as director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act, 2013;

   g. With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements of the Bank and the operating effectiveness

छ) बैंक के एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में 'अनुबंध ए' में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें;

ज) हमारी राय में, एक बैंकिंग कंपनी होने के नाते, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान इसके निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 बी के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, और;

झ) यथा संशोधित, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार -;

i. बैंक ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है. एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(बी)(12)(सी) देखें.

ii. बैंक ने व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि कोई हों, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किया है. एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(बी)(12)(बी) देखें.

iii. बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को अंतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है.

iv.

क. प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखा टिप्पणी 18 (सी) (VII) में यथा दर्शाए अनुसार, बैंक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित किसी से कोई धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी भी प्रकार के अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) नहीं ली गई है, तथा लिखित अथवा अन्यथा रूप से यह माना गया है कि मध्यस्थ, बैंक द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा.

ख. प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखा टिप्पणी 18 (सी) (VII) में यथा दर्शाए अनुसार, बैंक द्वारा विदेशी संस्था (''फंडिंग पार्टियां'') सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, तथा लिखित अथवा अन्यथा रूप से यह माना गया है कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा

of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A";

h. In our opinion, the entity being a Banking company, the remuneration to its directors during the year ended March 31st, 2024 has been paid/ provided by the Bank in accordance with the provisions of section 35B of the Banking Regulation Act, 1949, and;

i. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us;

i. The Bank has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Standalone Financial Statements. Refer Schedule 18(B)(12)(C) to the Standalone Financial Statements.

ii. The Bank has made provision, as required, under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts. Refer Schedule 18(B)(12)(B) to the Standalone Financial Statements.

iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank.

iv.

a. The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the note 18(C)(VII) to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the bank to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Bank ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries

b. The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, as disclosed in the note 18(C)(VII) to the accounts, no funds have been received by the Bank from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the bank shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party

या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा.

ग. लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण है.

v. जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 18(बी) (7) (बी) में उल्लिखित है,

क) वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा प्रस्तावित, घोषित और भुगतान किया गया वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबन्धित अंतिम लाभांश, यथा लागू अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है.

ख) वर्ष के दौरान बैंक ने अन्तरिम लाभांश घोषित नहीं किया है.

ग) बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक महासभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है. प्रस्तावित लाभांश की राशि, यथा लागू अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है.

vi. हमारे परीक्षण पर आधारित, बैंक ने अपने खाता बहियों, जिसमें लेखा परीक्षा ट्रेल (एडिट-लॉग) सुविधा के अभिलेखन की विशेषता है और सॉफ्टवेयर में अभिलेखित सभी लेनदेनों के लिए उक्त का परिचालन पूरे वर्ष किया गया है, के रख- रखाव के लिए लेखाकंन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया है. इसके अतिरिक्त, हमारे लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान हमें लेखा परीक्षा ट्रेल के साथ हस्तक्षेप का कोई उदाहरण नहीं मिला.

प्रयोज्यता के प्रथम वर्ष में, अभिलेखन प्रतिधारण के लिए लेखा परीक्षा ट्रेल के परिरक्षण पर रिपोर्टिंग, आईसीएआई द्वारा जारी निर्देशिका नोट, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत लेखा परीक्षा ट्रेल के रिपोर्टिंग पर कार्यान्वयन निर्देश के अनुसार रिपोर्ट किया जाना आवश्यक नहीं है.

("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

c. Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

v. As stated in Note 18(B)(7)(B) to the standalone financial statements,

a) During the year, the final dividend proposed, declared and paid by the bank relating to FY 2022-23 is in accordance with Section 123 of the Act, as applicable.

b) The bank has not declared interim dividend during the year.

c) The Board of Directors of the Bank have proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The amount of dividend proposed is in accordance with section 123 of the Act, as applicable.

vi. Based on our examination, the bank has used accounting software for maintaining its books of accounts which have feature of recording audit trail (edit log) facility and the same have been operated throughout the year for all transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit, we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with.

In the first year of applicability, the reporting on preservation of audit trail for record retention is not required to be reported upon as per the Guidance Note on "Implementation Guide on Reporting on Audit Trail under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014" issued by ICAI.

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

के पी श्रीनिवास
K P Srinivas
साझेदार/Partner
स. सं./M.No. 208520
यूडीआईएन/UDIN: 24208520BKBLUM4288

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या /FRN-100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार/ Partner
स. सं./M.No. 121546
यूडीआईएन/UDIN: 24121546BKBJGI6555

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 04 मई 2024 / Date : May 04, 2024

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध 'ए'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (''बैंक'') के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ उस तारीख को बैंक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट (''मार्गदर्शी नोट'') में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के संबंध में बनाए गए आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. इन जिम्मेदारियों में संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी बैंक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करने की है. हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट (''मार्गदर्शी नोट'') तथा लेखापरीक्षा संबंधी मानकों (''एसए'') के अनुसार की है जो दोनों आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन विनिर्दिष्ट माने जाएंगे. उन मानकों और मार्गदर्शी नोट से यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें कि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं.

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसी जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक मिथ्या कथन के जोखिमों का आकलन शामिल है.

हमें विश्वास है कि बैंक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है.

Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the Standalone Financial Statements of IDBI Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls with reference to financial statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

We have audited the internal financial controls with reference to financial statements of IDBI Bank Limited ("the Bank") as at March 31st, 2024 in conjunction with our audit of the financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's Management and Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("the Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ("the Act").

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls with reference to financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("the Guidance Note") and the Standards on Auditing ("the SAs"), issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls over financial reporting, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls system with reference to financial statements.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

बैंक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो -

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित ब्योरे, शुद्धता से एवं उचित रूप में बैंक की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को दर्शाते हैं;

(2) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि बैंक की प्राप्तियाँ और व्यय बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

(3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम या समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं जिनसे वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से नियंत्रणों के अधिव्यापन की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्विक अयथार्थ कथन की घटना हो सकती है और उनका पता न लगाया जा सके. साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में आने वाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

अभिमत

हमारी राय में बैंक में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2024 को ये प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to Financial Statements

A Bank's internal financial control with reference to financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. Bank's internal financial control with reference to financial statements includes those policies and procedures that

1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank;
2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of Management and Directors of the Bank; and
3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Bank has in all material respects, an adequate internal financial controls system with reference to financial statements and such internal financial controls with reference to financial statements were operating effectively as at March 31st, 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

के पी श्रीनिवास
K P Srinivas
साझेदार/Partner
स. सं./M.No. 208520
यूडीआईएन/ UDIN: 24208520BKBLUM4288

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या /FRN-100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार/Partner
स. सं./M.No. 121546
यूडीआईएन/ UDIN: 24121546BKBJGI6555

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 04 मई 2024 / Date : May 04, 2024

तुलन-पत्र 31 मार्च 2024 को
Balance Sheet as at March 31, 2024

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	10752 40 22	10752 40 22
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	39129 46 35	34566 07 88
जमाराशियां / Deposits	3	277657 22 34	255490 05 09
उधार राशियां / Borrowings	4	17082 69 58	12637 75 01
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	5	18568 68 27	17055 89 01
कुल / TOTAL		**363190 46 76**	**330502 17 21**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	13990 95 92	16639 18 42
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	11941 92 60	12541 57 00
निवेश / Investments	8	114934 24 44	99689 74 49
अग्रिम / Advances	9	188620 61 44	162567 72 93
स्थायी आस्तियां / Fixed assets	10	9519 91 55	9756 86 55
अन्य आस्तियां / Other assets	11	24182 80 81	29307 07 82
कुल / TOTAL		**363190 46 76**	**330502 17 21**
आकस्मिक देयताएं / Contingent liabilities	12	197028 69 66	176900 68 70
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		12363 89 59	11310 73 40
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet			

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
डीआईएन/DIN: 06846594

(जयकुमार एस. पिल्लै)
(Jayakumar S. Pillai))
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
डीआईएन/DIN: 10041362

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
डीआईएन/DIN: 01853823

(स्मिता कुबेर)
(Smita Kuber)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date
कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

के पी श्रीनिवास
K P Srinivas
साझेदार/Partner
स. सं./ M.No. 208520

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या /FRN-100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार/Partner
स. सं./M.No. 121546

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 04 मई 2024 / Date : May 04, 2024

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2024

(₹ '000 / ₹ '000)

	विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023
I	**आय / INCOME**			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	26426 13 40	20569 78 39
	अन्य आय / Other Income	14	3610 90 70	4371 98 37
	कुल / TOTAL		**30037 04 10**	**24941 76 76**
II	**व्यय / EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	12239 69 49	9139 23 16
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	8205 29 62	7066 70 00
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		3957 95 61	5090 74 33
	कुल / TOTAL		**24402 94 72**	**21296 67 49**
III	**लाभ/ हानि / PROFIT / LOSS**			
	वर्ष का निवल लाभ/(हानि) / Net Profit / (Loss) for the Year		5634 09 38	3645 09 27
	आगे लाया गया लाभ/(हानि) / Profit/(Loss) brought forward		4191 26 82	(43724 12 99)
	आगे लाई गई हानियों का शेयर प्रीमियम से समंजन Brought forward losses set off against Share premium		-	45396 18 36
	कुल / TOTAL		**9825 36 20**	**5317 14 64**
IV	**विनियोजन / APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		1408 52 35	911 27 37
	पूंजीगत रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		41 33 02	18 21 87
	गत वर्ष से संबंधित लाभांश इस वर्ष में प्रदत्त Dividend pertaining to previous year paid during the year		1075 24 02	-
	निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व (आईएफआर) में अंतरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve(IFR)		151 99 55	196 38 58
	शेष राशि तुलनपत्र में ले जाई गई / Balance carried over to balance sheet		7148 27 26	4191 26 82
	कुल / TOTAL		**9825 36 20**	**5317 14 64**

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2024

(₹ '000 / ₹ '000)

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023
प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per share (₹) (Face Value ₹ 10 per share)	18(B)(7A)		
मूल / Basic		5.24	3.39
न्यूनीकृत / Diluted		5.24	3.39
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ-हानि लेखे के अभिन्न अंग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account			

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
डीआईएन/DIN: 06846594

(जयकुमार एस. पिल्लै)
(Jayakumar S. Pillai))
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
डीआईएन/DIN: 10041362

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
डीआईएन/DIN: 01853823

(स्मिता कुबेर)
(Smita Kuber)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या /FRN-100515W

के पी श्रीनिवास
K P Srinivas
साझेदार/Partner
स. सं./M.No. 208520

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार/Partner
स. सं./M.No. 121546

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 04 मई 2024 / Date : May 04, 2024

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
प्रत्येक ₹ 10 के 2100 00 00 000 इक्विटी शेयर 2100 00 00 000 Equity Shares of ₹ 10 each	21000 00 00	21000 00 00
	21000 00 00	21000 00 00
निर्गमित, अभिदत्त और चुकता पूंजी / Issued, Subscribed & Paid up Capital		
प्रत्येक ₹ 10 के 1075 24 02 175 (1075 24 02 175) पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर (अनुसूची 18 नोट सी I देखें) 1075 24 02 175 (1075 24 02 175) Equity Shares of ₹ 10 each fully paid up (Refer Schedule 18 Note C I)	10752 40 22	10752 40 22
कुल / TOTAL	10752 40 22	10752 40 22

अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
I	**सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	4335 70 43	3424 43 06
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1408 52 35	911 27 37
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		5744 22 78	**4335 70 43**
II	**विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिज़र्व/ Foreign Currency Translation Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	13 68 77	2 28 16
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	4 53 11	11 40 61
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		18 21 88	**13 68 77**
III	**पूंजी रिज़र्व / Capital Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	3186 70 21	3168 48 34
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	41 33 02	18 21 87
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		3228 03 23	**3186 70 21**
IV	**पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	8200 97 55	8467 76 35
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	267 52 19	266 78 80
		7933 45 36	**8200 97 55**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
V	**शेयर प्रीमियम / Share Premium**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	5323 56 46	50719 74 82
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year#	-	45396 18 36
		5323 56 46	**5323 56 46**
VI	**राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserve**		
	(क)/(a) सामान्य रिज़र्व / General Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	7000 82 98	6734 04 18
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	पुनर्मूल्यन रिज़र्व से अंतरित / Transferred from Revaluation Reserve	267 52 19	266 78 80
	लाभ-हानि लेखे से अंतरित / Transferred from Profit & Loss Account	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		7268 35 17	**7000 82 98**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व **(b) Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	6 35 04	6 35 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		6 35 04	**6 35 04**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व **(c) Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	1566 00 00	1566 00 00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1566 00 00	**1566 00 00**
	(घ) निवेश में उतार-चढ़ाव रिज़र्व **(d) Investment Fluctuation Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	740 99 62	544 61 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	151 99 55	196 38 58
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		892 99 17	**740 99 62**
VII	**लाभ-हानि लेखे में शेष# / Balance in Profit and Loss account#**	7148 27 26	4191 26 82
	कुल (I से VII) / TOTAL (I to VII)	**39129 46 35**	**34566 07 88**

टिप्पणी: # 31 मार्च 2021 की आगे लाई गई हानियों का शेयर प्रीमियम से समंजन, अनुसूची 18(ए)(1सी) की टिप्पणी देखें
Note: # brought forward losses as on March 31, 2021 set off against Share premium refer note Schedule 18(A)(1C)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
अ / A		
I. मांग जमाराशियां / Demand Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	11774 13 82	11562 67 90
(ii) अन्य से / From others	37239 48 87	37393 26 05
	49013 62 69	**48955 93 95**
II. बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits	91013 24 14	86498 80 42
III. सावधि जमाराशियां / Term Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	7619 31 63	8232 23 14
(ii) अन्य से / From others	130011 03 88	111803 07 58
	137630 35 51	**120035 30 72**
कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**277657 22 34**	**255490 05 09**
आ / B		
(i) भारत में स्थित शाखाओं में जमाराशियां / Deposits of branches in India	277655 43 26	255487 78 55
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं में जमाराशियां Deposits of branches outside India	1 79 08	2 26 54
कुल / TOTAL	**277657 22 34**	**255490 05 09**

अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
I. भारत में उधार राशियां / Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	2400 00 00	2400 00 00
(ii) अन्य बैंक / Other banks	376 30 00	578 20 00
(iii) टियर 1 (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier I (Innovative Perpetual Debt Instrument)	-	-
(iv) अपर टियर II बांड / Upper Tier II bonds	-	-
(v) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टियर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	302 00 00	302 00 00
(vi) बासेल III ओम्नी टियर 2 बांड / Basel III Omni Tier 2 Bond	2645 00 00	2645 00 00
(vii) अन्य / Others	9920 01 23	6153 79 41
कुल (I) / TOTAL (I)	**15643 31 23**	**12078 99 41**
II. भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India	1439 38 35	558 75 60
कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	**17082 69 58**	**12637 75 01**

टिप्पणी: ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां - ₹ 7315 01 23 हजार (पिछले वर्ष ₹ 3548 79 41 हजार)
Note: Secured borrowings included in I and II above- ₹ 7315 01 23 Thousand (Previous Year ₹ 3548 79 41 Thousand)

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
I.	देय बिल / Bills Payable	2634 82 96	2348 92 67
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
III.	उपचित ब्याज / Interest accrued	754 68 38	508 99 48
IV.	**अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provision)**		
	(क) मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान (a) Prudential provisions against standard assets	4816 55 64	4977 20 49
	(ख) प्राप्त अग्रिम भुगतान (b) Advance payments received	723 34 51	544 90 49
	(ग) देय लाभांश और लाभांश कर (c) Dividend and dividend tax payable	-	-
	(घ) विविध लेनदार (d) Sundry Creditors	122 72 54	117 43 29
	(ङ) देय सेवा कर/टीडीएस/अन्य कर (e) Service tax/TDS/Other taxes payable	227 96 65	172 33 65
	(च) विविध जमाराशियां (f) Sundry Deposits	14 65 53	14 12 23
	(छ) अन्य प्रावधान (g) Other provisions	6017 31 14	5072 09 28
	(ज) विविध (h) Miscellaneous	3256 60 92	3299 87 43
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**18568 68 27**	**17055 89 01**

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	1772 58 42	2488 65 86
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
	(क/a) चालू खातों में / in Current Accounts	11898 37 50	10970 52 56
	(ख/b) अन्य खातों में / in Other Accounts	320 00 00	3180 00 00
	कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	**13990 95 92**	**16639 18 42**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
I	भारत में / In India			
	(i)	बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
		(क) चालू खातों में (a) in Current Accounts	184 07 91	229 92 97
		(ख) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	3503 01 00	10558 84 50
	(ii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice		
		(क) बैंकों के पास (a) with banks	7919 93 88	986 04 00
		(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) with other Institutions	-	-
		कुल (i और ii) / Total (i and ii)	**11607 02 79**	**11774 81 47**
II	भारत से बाहर / Outside India			
	(i)	चालू खातों में / in Current Accounts	234 05 31	152 07 44
	(ii)	अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	41 70 25	553 58 75
	(iii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	59 14 25	61 09 34
		कुल (i, ii और iii) / Total (i , ii and iii)	**334 89 81**	**766 75 53**
		कुल जोड़ (I तथा II) / GRAND TOTAL (I and II)	**11941 92 60**	**12541 57 00**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
I	**भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in**			
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां@ / Government Securities@	98287 39 33	85961 27 41
	(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
	(iii)	शेयर / Shares	323 53 65	245 03 62
	(iv)	डिबेंचर एवं बॉण्ड / Debentures and Bonds	5771 09 86	6172 88 41
	(v)	सहायक संस्थाएं और/या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or joint ventures	264 85 21	256 22 43
	(vi)	अन्य (सीपी, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी, वीसीएफ, सीडी) Others (CPs, Units in MFs, SRs, PTCs, VCFs, CDs)	9872 47 00	6833 77 86
		कुल / TOTAL	**114519 35 05**	**99469 19 73**
II	**भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in**			
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	414 89 39	220 54 76
	(ii)	सहायक संस्थाएं और/या संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and/or joint ventures	-	-
	(iii)	अन्य निवेश / Other investments	-	-
		कुल / TOTAL	**414 89 39**	**220 54 76**
		कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	**114934 24 44**	**99689 74 49**
III	**भारत में निवेश / Investments in India**			
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments		119817 38 36	104594 96 06
	घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation		5298 03 31	5125 76 33
	निवल निवेश / Net investments		114519 35 05	99469 19 73
IV	**भारत से बाहर निवेश / Investments Outside India**			
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments		414 89 39	220 54 76
	घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास / Less:Aggregate provision / depreciation		-	-
	निवल निवेश / Net investments		414 89 39	220 54 76

@ *इसमें गैर-एसएलआर एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत ₹ 12438 00 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 12438 00 00 हजार) की भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं।*

@ *Includes Special GOI Securities of ₹ 12438 00 00 Thousand (Previous Year ₹ 12438 00 00 Thousand) classified as Non-SLR-HTM Securities.*

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
अ / A				
	(i)	खरीदे और भुनाए/ पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	8898 33 96	6327 23 02
	(ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	38173 89 97	38207 57 22
	(iii)	मीयादी ऋण@ / Term loans@	141548 37 51	118032 92 69
		कुल / TOTAL	**188620 61 44**	**162567 72 93**
आ / B				
	(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत@@ / Secured by tangible assets@@	155621 08 89	139290 68 70
	(ii)	बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित@@@ Covered by Bank / Government guarantees@@@	8706 23 27	7265 58 52
	(iii)	अप्रतिभूत / Unsecured	24293 29 29	16011 45 71
		कुल / TOTAL	**188620 61 44**	**162567 72 93**
इ / C				
I	भारत में अग्रिम / Advances in India			
	(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	63537 23 65	56344 33 19
	(ii)	सरकारी क्षेत्र / Public sector	6190 70 06	34 09 86
	(iii)	बैंक / Banks	1307 34 82	5 35 56
	(iv)	अन्य / Others	108080 97 84	100990 70 84
		कुल / TOTAL	**179116 26 36**	**157374 49 45**
II	भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India			
	(i)	बैंकों से देय / Due from banks	-	-
	(ii)	अन्य से देय / Due from others:	-	-
	(क) (a)	खरीदे तथा भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted	-	-
	(ख) (b)	समूहित ऋण Syndicated loans	-	-
	(ग) (c)	अन्य Others	9504 35 08	5193 23 48
		कुल / TOTAL	**9504 35 08**	**5193 23 48**
		कुल जोड़ (इ I तथा इ II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	**188620 61 44**	**162567 72 93**

@ *₹ 6000 00 00 हजार (पिछले वर्ष : शून्य) के अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (निवल) शामिल हैं.*
@ *Includes Inter Bank Participatory Certificate (Net) ₹ 6000 00 00 Thousand (Previous Year: Nil)*

@@ *बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं.*
@@ *Includes advances against book debts*

@@@ *बैंकों द्वारा जारी साख पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं.*
@@@ *Includes advances against letter of credit issued by banks.*

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
I	**परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी आ.2 देखें) Premises (Refer Schedule 18 Note B.2)**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	8966 29 62	8957 43 44
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	336 12 81	8 86 17
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्मूल्यन / Revaluation made during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	10 10	-
	तुलन पत्र की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	597 74 30	283 70 88
	कुल / TOTAL	**8704 58 03**	**8682 58 73**
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्स्चर सहित) Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (at cost)	2529 32 38	2367 46 46
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	371 63 97	229 86 02
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	64 32 59	68 00 09
	तुलन पत्र की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	2128 06 18	1932 44 09
	कुल / TOTAL	**708 57 58**	**596 88 30**
III	**पट्टे पर दी गईं आस्तियां / Assets given on Lease**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (at cost)	601 81 79	601 81 79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	तुलन पत्र की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing assets	1 76 52	1 76 52
	कुल / TOTAL	**-**	**-**
IV	**चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress**	**106 75 94**	**477 39 52**
	कुल योग (I से IV) / GRAND TOTAL (I to IV)	**9519 91 55**	**9756 86 55**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	3061 67 74	2825 79 19
III	अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर की कटौती (निवल) Tax paid in advance /tax deducted at source (net)	2808 09 95	2527 58 55
IV	स्टेशनरी एवं स्टांप / Stationery and stamps	1 18 04	15 79
V	दावों की तुष्टि में प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियां (लागत पर) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims (at cost)	736 90 93	736 90 93
VI	अन्य / Others		
	(क) आस्थगित कर आस्ति (निवल) (a) Deferred Tax Asset (net)	8959 66 48	11520 97 99
	(ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर/बॉण्ड (b) Shares / Bonds Pending allotment	-	11 51 37
	(ग) विविध जमाराशियां व अग्रिम (c) Sundry deposit and advances	649 77 75	627 31 04
	(घ) प्राप्य दावे (d) Claims receivable	212 61 28	215 06 46
	(ङ) विविध@ (e) Miscellaneous@	7752 88 64	10841 76 50
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**24182 80 81**	**29307 07 82**

@ *प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जमा ₹ 5916 86 69 हजार (पिछले वर्ष ₹ 8353 02 02 हजार) में निवेश शामिल है.*

@ *Includes Investment in Priority sector deposit ₹ 5916 86 69 Thousand (Previous Year ₹ 8353 02 02 Thousand)*

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the Bank not acknowledged as debts	243 85 04	134 87 93
II	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	74 83	74 83
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	70750 33 56	106053 17 96
IV	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) - भारत में (a) - in India	43349 40 02	40159 13 61
	(ख) - भारत से बाहर (b) - outside India	445 42 50	846 73 85
V	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	15778 19 98	16021 57 25
VI	**अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है** **Other items for which the Bank is contingently liable**		
	(क) ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता (a) Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	61482 77 48	7872 09 40
	(ख) अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता (b) Liability in respect of other Derivative contracts	3105 84 63	2808 58 62
	(ग) विवादित कर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के कारण (c) On account of disputed taxes, Interest tax, penalty and interest demands	836 97 07	2362 15 77
	(घ) अन्य (d) Others	1035 14 55	641 59 48
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**197028 69 66**	**176900 68 70**

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023
I	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances/bills	17970 67 21	13336 62 63
II	निवेशों से आय / Income on investments	7737 60 95	5948 95 46
III	रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	339 85 28	517 96 94
IV	अन्य / Others	377 99 96	766 23 36
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**26426 13 40**	**20569 78 39**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	1945 62 45	1924 11 09
II	निवेशों की बिक्री से लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	707 58 13	872 61 82
III	निवेशों के पूनर्मूल्यन से लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	11 26 99	50 87 71
IV	भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(71 49)	(1 83 57)
V	विनिमय लेनदेनों / डेरिवेटिव से लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	353 64 28	615 71 82
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend income from subsidiary companies and / or joint ventures in India	17 91 29	34 93 16
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	508 24 94	716 03 63
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	67 34 11	159 52 71
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**3610 90 70**	**4371 98 37**

अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज / SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	10601 31 69	7828 19 08
II	रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज / Interest on RBI / inter bank borrowings	905 35 96	438 09 71
III	अन्य / Others	733 01 84	872 94 37
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**12239 69 49**	**9139 23 16**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय / SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / Payments to and provisions for employees	4233 96 10	3518 89 77
II	किराया, कर और बिजली / Rent, taxes and lighting	535 15 45	499 42 07
III	प्रिंटिंग और स्टेशनरी / Printing and stationery	43 53 00	47 10 75
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	46 93 97	40 24 23
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / Depreciation on bank's property	536 41 74	494 43 70
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	2 97 44	2 73 26
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	2 93 67	2 64 06
VIII	विधि प्रभार / Law charges	31 21 82	27 23 48
IX	डाक खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	126 22 42	117 24 24
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	125 75 77	94 25 43
XI	बीमा / Insurance	302 76 22	296 55 56
XII	अन्य व्यय: / Other Expenditure:		
	(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	204 05 05	182 19 55
	(ख) कार्ड एवं एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	333 40 58	323 74 40
	(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	14 37 25	7 10 99
	(घ) बट्टे खाते डाले गये मामलों से वसूली व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases	9 43 27	8 68 46
	(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	705 49 62	655 08 86
	(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	194 33 92	173 56 83
	(छ) स्टाफ प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	20 48 38	13 84 21

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023
(ज) यात्रा और वाहन प्रभार (h) Travelling and conveyance charges	36 43 19	36 29 76
(झ) ट्रेजरी व्यय (i) Treasury expenses	5 06 33	6 24 96
(ञ) उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय (j) Fee and other expenses for borrowing	-	-
(ट) अन्य व्यय (k) Others	694 34 43	519 15 43
कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)	**8205 29 62**	**7066 70 00**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
SCHEDULE 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

बैंक के वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां अर्थात् विशिष्ट लेखांकन नीतियां और इन सिद्धांतों को लागू करने के तरीके निम्नानुसार हैं.
Following are the significant accounting policies i.e., the specific accounting policies and methods of applying these principles in the preparation and presentation of the financial statements of the Bank.

1. पृष्ठभूमि / Background:

मुंबई, भारत में निगमित आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('आईडीबीआई बैंक' या 'बैंक') एक बैंकिंग कंपनी है जो खुदरा बैंकिंग, थोक बैंकिंग और ट्रेजरी परिचालन सहित कई प्रकार की बैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती है. बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा अधिशासित होता है. बैंक की अपतटीय बैंकिंग इकाई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफ़एससी), गिफ्ट सिटी, भारत में स्थित है. बैंक विविध वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने वाली एक संस्था है जो पूरे भारत में कॉरपोरेट और खुदरा ग्राहकों को विभिन्न बैंकिंग और वित्तीय सेवाए प्रदान करती है. बैंक अपने 2,004 शाखाओं, 3,303 एटीएम और 58 ई-लाउंज के नेटवर्क के माध्यम से पूरे भारत में अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है.
IDBI Bank Limited ('IDBI Bank' or 'the Bank'), incorporated in Mumbai, India is a banking company engaged in providing a range of banking and financial services including retail banking, wholesale banking and treasury operations. The Bank is governed by the Banking Regulation Act, 1949 and the Companies Act, 2013. The Bank has Offshore Banking Unit at International Financial Service Centre (IFSC), GIFT City, India. The Bank is a diversified financial services entity offering a wide range of banking and financial services to corporate and retail customers throughout India. The Bank provides a wide array of services to its customers across India through its network of 2,004 branches, 3,303 ATMs and 58 e-lounges.

2. तैयार करने का आधार / Basis of Preparation:

वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2021 सहित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के साथ पठित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक, जहां तक वे बैंकों पर लागू होते हैं, अधिनियम के प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतः प्रचलित पद्धितियों के अनुरूप हैं. बैंक लेखांकन की उपचय पद्धति तथा परंपरागत लागत पद्धति, जहां अन्यथा उल्लिखित किया गया हो को छोड़कर, का अनुसरण करता है.
The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time, the Accounting Standards (AS) issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with rules thereunder including the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021, in so far as they apply to banks, provisions of the Act and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting and historical cost convention, except where otherwise stated.

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां, जहां अन्यथा उल्लिखित किया गया है को छोड़कर, पिछले वर्ष अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं.
The accounting policies adopted in the preparation of financial statements are consistent with those followed in the previous year except as otherwise stated.

3. अनुमानों का उपयोग / Use of Estimates

वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान व धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय राशियों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान और धारणाएं तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण हैं. तथापि वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.
The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that may affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

4. राजस्व निर्धारण / Revenue Recognition

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि बैंक को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सकता है.
Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured.

i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामले में जहां इसे रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद हिसाब में लिया जाता है.
Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of the RBI.

ii. साख पत्र (एलसी) /बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/ बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है.
Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.

iii. शुल्क और कमीशन आय तब निर्धारित किए जाते हैं जब देय हो और वसूली का यथोचित अधिकार सिद्ध हो जाता है तथा इसे विश्वसनीय रूप से आंका जा सके. जब महत्वपूर्ण कार्य / माईलस्टोन पूरा हो जाता है तब समूहन/ व्यवस्थापक शुल्क को आय के रूप में लिया जाता है.
Fees and commission income is recognized as income when due and reasonable right of recovery is established and can be reliably measured. Syndication / Arranger fee is recognized as income when a significant act / milestone is completed.

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि में निर्धारित किया जाता है.
Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

v. लाभांश प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर उसे उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.
Dividend is booked on accrual basis when the right to receive is established.

vi. अनर्जक अग्रिमों (एनपीए)/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गये (टीडब्लयुओ) खातों के मामले में वसूली का विनियोजन निम्नलिखित ढंग से किया जाता है:
The appropriation of recoveries in case of Non-Performing Advances (NPA)/ Technically Written-off (TWO) accounts is done in the following manner:

क. एनसीएलटी/ विवाचन या कानूनी कार्यवाही के अधीन उधारकर्ताओं के संदर्भ में वसूली एनसीएलटी/ विवाचक/ न्यायालय द्वारा दिए गए संबद्ध आदेश और विशिष्ट मामले या मामलों के समूह के संबंध में सांविधिक/विनियामक निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार विनियोजित किया जाता है.

a. In respect of borrowers under NCLT/Arbitration or Legal Proceedings, the recovery is apportioned in terms of relevant order of NCLT/ Arbitrator/ Court of Law and in accordance with statutory /regulatory directives if any issued in respect of a specific case or group of cases.

ख. उन मामलों में जहां वसूली के कारण ऋण खाते के बंद होने (ऋण खातों के गारंटीकर्ताओं/ अन्य पक्षकारों, यदि कोई हों, सहित उधारदाता/ उधारकर्ता का संबंध विच्छेद होने) [एक मुश्त निपटान/ बातचीत के रूप में निपटान/ दबावग्रस्त ऋण एक्सपोजर के अंतरण/ आईबीसी के माध्यम से वसूली (समाधान मोड/ समापन मोड के अधीन), लेकिन वसूली के लिए आगे कोई विधिक उपाय उपलब्ध न हो या अन्य कोई माध्यम के जरिये प्रस्तावित न हो] की स्थिति में निम्नलिखित रूप में विनियोजित किया जाएगा:

b. In cases where recovery is leading to final closure (severance of lender /borrower relationship including with guarantors /third parties, if any) of loan accounts [by way of One time settlement /Negotiated settlement /transfer of Stressed Loan Exposure/Recovery through IBC (under resolution mode/liquidation mode) but no further legal recourse is available or proposed through any other mode of recovery] shall be appropriated as mentioned below:

(i) मूलधन
Principal

(ii) अदत्त व्यय/ ऐसे व्यय जो पहले ही व्यय/ भुगतान किए गए हैं.
Unpaid Expenses/Expenses already incurred /paid.

(iii) ब्याज/ दंडस्वरूप ब्याज
Interest /penal Interest

(iv) प्रभार (बकाया शुल्क/ बीजी कमीशन)
Charges (Fees/BG commission outstanding).

ग. जहां वसूली के कारण खाता अंतिम रूप से बंद न हो, ऐसी स्थिति में विनियोजन संविदात्मक शर्तों के अनुसार किया जाएगा. जहां बैंक और उधारकर्ता के बीच एनपीए में वसूलियों के विनियोजन हेतु स्पष्ट अनुबंध न हो वहाँ विनियोजन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा:

c. In cases where recovery not resulting in final closure of accounts, it shall be appropriated as per contractual terms. In absence of any clear agreement between bank and borrower for the purpose of appropriation of recoveries in NPAs, the same would be appropriated as mentioned below:

(i) अदत्त व्यय/ पहले ही व्यय/ भुगतान किए गये खर्च
Unpaid Expenses/Expenses already incurred /paid.

(ii) ब्याज/ दंडस्वरूप ब्याज
Interest /penal Interest

(iii) प्रभार (बकाया शुल्क/ बीजी कमीशन)
Charges (Fees/BG commission outstanding).

(iv) मूलधन
Principal

घ. बट्टे खाते में डाले गए ऋणों से वसूल राशियों को लाभ एवं हानि विवरण में आय के रूप में दर्शाया जाता है
d. Amounts recovered against debts written off are recognized as income in the Statement of Profit & Loss.

ङ. एनपीए के लिए प्रावधान को लाभ एवं हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.
e. Provisions for NPA are recognized as an expense in the Statement of Profit & Loss.

5. अग्रिम और प्रावधान / Advances and Provisions

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिये किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है. विदेशी शाखाओं के संदर्भ में ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण तथा अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान स्थानीय विनियमों या आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, जो ज्यादा विवेकपूर्ण हो, के आधार पर किया जाता है.
Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by the RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances. In respect of foreign branches, the classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per norms of the RBI, whichever is more prudent.

ii. अग्रिम जिनके लिए मूर्त प्रतिभूति (बही ऋण सहित) निर्धारित की गई हो, का वर्गीकरण 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में किया जाता है. जहां ऐसी प्रतिभूति की शर्त न हो, ऐसे अग्रिमों का वर्गीकरण 'अप्रतिभूत' के रूप में किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को मूर्त नहीं माना जाता है.
Advances wherein a tangible security (including book debts) is stipulated are classified as 'Secured by Tangible Assets'. Where such security is not stipulated, advances are classified as 'Unsecured'. Any Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc. are not considered as Tangible.

iii. बैंक उस खाते को पुनर्संरचित खाता मानता है जहां उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों से संबंधित आर्थिक या विधिक कारणों से उधारकर्ता को ऐसी रियायतें प्रदान करता है जिन पर बैंक अन्यथा विचार नहीं करता. पुनर्संरचना में सामान्य रूप से अग्रिमों / प्रतिभूतियों की शर्तों में आशोधन शामिल हैं, जिसमें सामान्यतः अन्य के साथ-साथ चुकौती अवधि/ प्रतिदेय राशि/ किस्तों की राशि/ ब्याज दर (प्रतिस्पर्धात्मक कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से) में परिवर्तन शामिल होता है. पुनर्संरचना पैकेज के अनुमोदन और कार्यान्वयन पर ही बैंक द्वारा पुनर्गठित खातों को इस रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
The Bank considers a restructured account as one where the Bank, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants to the borrower concessions that the Bank would not otherwise consider. Restructuring would normally involve modification of terms of the advance / securities, which would generally include, among others, alteration of repayment period / repayable amount / the amount of instalments / rate of interest (due to reasons other than competitive reasons). Restructured accounts are classified as such by the Bank only upon approval and implementation of the restructuring package.

iv. एनपीए के लिए प्रावधान प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों की अनुसार किया जाता है जो रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक प्रावधानों से अधिक हैं.
Provisions are made for NPAs as per the rates determined by the management which are higher than the minimum regulatory provisions stipulated by the RBI.

v. विशिष्ट मामलों / परिस्थितियों में प्रबंधन द्वारा एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है.
Additional provisions on NPAs are made by the management in specific cases/circumstances.

vi. मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किये जाते हैं. ये प्रावधान तुलन-पत्र की अनुसूची 5 के ''अन्य देयताएँ एवं प्रावधान - अन्य'' शीर्षक के अंतर्गत दर्शाए जाते हैं और निवल एनपीए के आकलन के लिए इन पर विचार नहीं किया जाता है.
General provisions are also made for standard assets. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at the Net NPAs.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

vii. बैंक अभिनिर्धारित दबावग्रस्त क्षेत्रों की मानक आस्तियों पर विनियामक न्यूनतम प्रावधान के अलावा जोखिम निर्धारण के आधार पर दबावग्रस्त क्षेत्रों के लिए उच्च दरों से अतिरिक्त प्रावधान भी करता है.
Bank is also making additional provisions on stressed sectors based on risk assessment at rates higher than the regulatory minimum provision on standard assets of identified stressed sectors.

viii. दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे और कोविड-19 से संबद्ध दबाव के लिए समाधान ढांचे के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार बैंक ने पात्र उधारकर्ताओं के लिए समाधान योजनाएं लागू की हैं. आस्ति वर्गीकरण और उन पर आवश्यक प्रावधानीकरण रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है.

In accordance with the RBI guidelines on the prudential framework for resolution of stressed assets and the resolution frameworks for COVID-19 related stress and its Board approved policy, the Bank has implemented resolution plans for eligible borrowers. The asset classification and necessary provisioning thereon has been carried out in accordance with the said RBI guidelines.

ix. गैर-सहयोगी और जानबूझ कर चूककर्ताओं के रूप में वर्गीकृत उधारकर्ताओं के संबंध में बैंक रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार त्वरित प्रावधान करता है. धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किये गये ऋणों को हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और प्रतिभूति के मूल्य पर विचार किये बिना तत्काल पूर्ण प्रावधान किया जाता है.
In respect of borrowers classified as non-cooperative and wilful defaulters, the Bank makes accelerated provisions as per the extant RBI guidelines. Loans reported as fraud are classified as loss assets, and fully provided immediately without considering the value of security.

कंट्री एक्सपोजर के लिए प्रावधान /Provision for Country Exposure:

x. आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार धारित विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, वैयक्तिक कंट्री एक्सपोजर (स्वदेश के अलावा) के लिए भी प्रावधान किए जाते हैं. देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत जाता है अर्थात् - महत्वहीन, निम्न, मध्यम, उच्च, अति उच्च, प्रतिबंधित एवं ऑफ क्रेडिट और भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक का कंट्री एक्सपोजर (निवल) कुल निधिकृत आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे कंट्री एक्सपोजर पर कोई प्रावधान नहीं किया जाता है. यह प्रावधान तुलन-पत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है.
In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning is made as per the extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. However, the provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head “Other Liabilities & Provisions – Others”.

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर /Unhedged Foreign Currency Exposure:

xi. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक तिमाही आधार पर अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएचएफ़सीई) वाली संस्थाओं के लिए वृद्धिशील पूंजी एवं प्रावधान रख रहा है. बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के लिए विदेशी मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन हेतु प्रक्रिया निर्धारित की है जिसे बैंक की ऋण नीति के अंतर्गत शामिल किया जाता है.
The Bank is holding incremental capital and provisions for entities with un-hedged foreign currency exposure (UHFCE), in line with the RBI guidelines, on quarterly basis. Bank has a laid down process for managing foreign currency induced credit risk for its borrowers which is covered in Bank’s Credit Policy.

6. निवेश / Investments:

अ. वर्गीकरण:

A. Classification

निवेश वर्गीकरण व मूल्यांकन के बारे में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:
In terms of extant guidelines of the RBI on investment classification and valuation, the entire investment portfolio is categorized as:

i. परिपक्वता तक धारित
Held To Maturity,

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा
Available For Sale and

iii. ट्रेडिंग के लिए धारित
Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता हैः
Investments under each category are further classified as:

i. सरकारी प्रतिभूतियां
Government Securities

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
Other Approved Securities

iii. शेयर
Shares

iv. डिबेंचर तथा बांड
Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम
Subsidiaries/ Joint Ventures

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाणपत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, उद्यम पूंजी निधि, पास थ्रू प्रमाणपत्र)
Others (Commercial Paper, Certificate of Deposits, Mutual Fund Units, Security Receipts, Venture capital funds, Pass through Certificate).

आ. वर्गीकरण का आधार:
B. Basis of Classification

क) ऐसे निवेश, जिन्हें बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है, को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है.
a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) अल्पावधि मूल्य/ ब्याज दर में उतार-चढ़ाव का लाभ लेने के लिए ट्रेड के इरादे से अर्जित निवेश को 'ट्रेडिंग के लिए धारित' (एचएफ़टी) के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा. एचएफ़टी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को 90 दिनों के भीतर बेच दिया जाएगा.
b) Investments acquired with the intention to trade by taking advantage of the short-term price/interest rate movements shall be classified under 'Held for Trading' (HFT). The investments classified under HFT shall be sold within 90 days.

ग) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को सामान्यतः 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, किन्तु इसमें ऐसे मामले शामिल नहीं हैं, जिनकी आवश्यकता आधारित समीक्षा कर आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में अंतरित किया जाता है. सहयोगी कंपनियों में निवेश का वर्गीकरण इसके अधिग्रहण के समय किया जाता है.
c) Equity Investment in subsidiaries and joint venture are normally classified as 'Held To Maturity' except in case, on need based reviews, they are shifted to 'Available for Sale' category as per the RBI guidelines. The classification of investments in associates is done at the time of its acquisition.

घ) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
d) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.

ङ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'ट्रेडिंग के लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली और मूल्यांकन रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.
e) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with the RBI guidelines.

इ. मूल्यांकन :
C. Valuation:

i. किसी निवेश की अधिग्रहण लागत को निर्धारित करने मेंः
In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेकंडरी बाजार से अधिगृहीत इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अधिग्रहण लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

a) Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अधिग्रहण लागत/ बिक्री में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है.

b) Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.

ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.

c) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii. 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हों, अधिग्रहण लागत पर हिसाब में लिया जाता है और ऐसे मामलों में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष बची अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों, जिन्हें 'परिपक्वता तक धारित' में शामिल किया जाता है, के मूल्य में कमी (अस्थायी स्वरूप के अलावा) की पहचान की जाती है और प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है.

Investments in 'Held To Maturity' category are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Any diminution (other than temporary) in the value of the investments, which are included under HTM, are recognized and provided individually for each investment.

iii. 'ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेशों के स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है, जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है. तथापि ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण अनर्जित आस्तियां या निवेश जो पुनर्संरचना/ ऋण के परिवर्तन के फलस्वरूप अर्जित हों, अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के बढ़े हुए मूल्य में से मूल्यह्रास/ प्रावधान को समंजित नहीं किया जाता है.

Investments in 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored. However, in respect of investments which are classified as 'Non-Performing' or investments which are acquired out of restructuring/conversion of debt, the depreciation/provision is not set off against the appreciation in respect of other performing securities.

क) बट्टाकृत लिखत होने के नाते ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost.

ख) ट्रेड/ उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध ट्रेड/ भाव-सूची से लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the recognised stock exchanges.

ग) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर तथा अनुद्धृत / ट्रेड न की गई सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफआईएमएमडीए/ फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर किया जाता है. उद्धृत तथा अनुद्धृत, दोनों प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफ़बीआईएल दरों पर किया जाता है.

c) Quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by FIMMDA/ Financial Benchmark India Pvt Ltd (FBIL). For both quoted as well as unquoted securities valuation, FBIL rates are considered.

घ) अनुद्धृत इक्विटी शेयर अर्थात् ऐसे इक्विटी शेयर जिनकी वर्तमान क्वोटेशन उपलब्ध नहीं हैं या जिनके भाव एक्सचेंज पर उपलब्ध न हो, उनका मूल्यांकन अलग-अलग मूल्य ('पुनर्मूल्यांकन रिजर्व', यदि कोई हो, के बिना), जो कि कंपनी के नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र से प्राप्त होगा, के आधार पर किया जाएगा. नवीनतम तुलन-पत्र के बनाने की तारीख मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से पहले की नहीं होनी चाहिए. यदि नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र उपलब्ध न हो तो शेयरों का मूल्यांकन आरबीआई के संबंधित मास्टर निर्देश के आधार पर एक रू प्रति कंपनी पर किया जाएगा.

d) The unquoted equity shares i.e., equity shares for which current quotations are not available or where the shares are not quoted on the exchanges, shall be valued at break-up value (without considering 'revaluation reserves', if any) which is to be ascertained from the company's latest audited balance sheet. The date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months. In case the latest audited balance sheet is not available, the shares shall be valued at Re.1 per company, as per the relevant RBI master direction.

ङ) अनुद्धृत एमएफ़ यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संदर्भ में एमएफ़ द्वारा हाल में घोषित किए गए पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाएगा. ऐसी निधियाँ जो लॉक-इन अवधि के साथ हों या कोई अन्य फ़ंड जिसका पुनर्खरीद मूल्य/बाज़ार भाव उपलब्ध न हो, ऐसी यूनिटों का मूल्यांकन योजना के निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाएगा. यदि एनएवी उपलब्ध नहीं हो तो इनका मूल्यांकन लॉक-इन अवधि की समाप्ति तक लागत के आधार पर किया जाएगा.

e) Investment in un-quoted MF units shall be valued on the basis of the latest re-purchase price declared by the MF in respect of each scheme. In case of funds with a lock-in period or any other fund, where repurchase price/ market quote is not available, units shall be valued at Net Asset Value (NAV) of the scheme. If NAV is not available, these shall be valued at cost, till the end of the lock-in period.

च) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे कीमत-लागत अंतर व प्रयुक्त वाईटीएम दरें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों के अनुसार होती हैं.

f) Unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FBIL.

छ) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए न्यूनतम प्रावधान के अधीन ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तद्नुसार, ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए निवल आस्ति मूल्य को हिसाब में लेता है.

g) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments subject to floor provision requirements as prescribed by the RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at the end of each reporting period.

ज) उद्धृत अधिमानी शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / ट्रेड न किये जाने वाले अधिमानी शेयरों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अनधिक परिपक्वता आधार पर उपयुक्त प्रतिलाभ के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है.

h) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per the RBI guidelines.

झ) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) में किए गए निवेश को परिपक्वता तक धारित श्रेणी में वर्गीकृत कर लागत पर मूल्यांकित किया जाता है.

i) Investment in Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF) is categorized as Held to Maturity and valued at cost.

ञ) एचटीएम श्रेणी में धारित अनुद्धृत उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ़)/ वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश का वर्गीकरण बैंक के निर्णय पर प्रारम्भिक तीन वर्षों के लिए किया जाता है और आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार इस अवधि में लागत पर मूल्यांकन किया जाता है. ऐसे निवेशों को संवितरण की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के बाद एएफ़एस श्रेणी में अंतरित किया जाता है तथा वीसीएफ़ द्वारा वित्तीय विवरणों में दिखाये गये एनएवी पर इनका मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष में कम से कम एक बार, इन यूनिटों का मूल्यांकन वीसीएफ़ के हाल के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, यदि उपलब्ध हो, के आधार पर या आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार रु. 1 प्रति वीसीएफ़ की दर से किया जाता है.

j) Investments in unquoted Venture Capital Fund (VCF)/Alternate Investments Funds (AIFs) are categorised, at the discretion of the Bank, under HTM category for an initial period of three years and valued at cost during this period, in accordance with the RBI guidelines. Such investments are transferred to the AFS category after completion of the said period of three years from the date of disbursement and valued at NAV shown by the VCF in its financial statements. At least once a year, the units are valued based on the latest audited financials of the VCF if available or at Re 1 per VCF as per the RBI guidelines.

ट) पीटीसी निवेश वर्तमान में केवल एएफएस श्रेणी में धारित किए गए हैं तथा इनका मूल्यांकन परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) आधार पर केंद्र सरकार की समतुल्य परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों की वाईटीएम दरों पर उचित कीमत-लागत अंतर प्रभावी कर एवं एनबीएफसी बॉन्ड पर लागू कीमत-लागत अंतर के साथ किया जाता है. इस प्रकार के कीमत-लागत अंतर तथा प्रयुक्त वाईटीएम दरें एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संबंधित दर के अनुसार होती हैं.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

k) PTC investments are presently held only under AFS category and are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity and the spreads applicable are that of NBFC bonds. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FBIL.

iv. निवेशों की श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है.

Transfer of securities between categories of investments is accounted for as per the RBI guidelines.

v. निवेशों की बिक्री से हुए लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है. तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और उसके बाद वर्ष/ अवधि की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर विनियोजित किया जाता है और सांविधिक रिजर्व से पूंजीगत रिजर्व खाते में अंतरित किया जाता है. बिक्री से हुई हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शायी जाती है.

Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in 'Held to Maturity' category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes and transfer to statutory reserves, to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account. Investments are stated net of provisions.

अनर्जक निवेश / Non-Performing Investments

अनर्जक निवेशों की पहचान की जाती है तथा उन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है. ऐसे अनर्जक निवेश का मूल्यह्रास/ प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों की मूल्यवृद्धि से समायोजित नहीं किया जाता है. जब तक अनर्जक निवेशों पर ब्याज नहीं मिलता तब तक लाभ-हानि लेखे में इसे दर्शाया नहीं जाता है.

Non-performing investments are identified and depreciation provisions are made thereon based on the RBI guidelines. The depreciation / provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss Account until received.

अधिविक्रय / Short Sale

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में अधिविक्रय करता है. अधिविक्रय स्थितियों को एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और बाज़ार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है. रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बाज़ार मूल्य को बही में अंकित करने से हुई हानि को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है और लाभ, यदि कोई हो, को शामिल नहीं किया जाता है.

The Bank undertakes short sale transaction Central Government dated securities in accordance with the RBI guidelines. The short positions are categories under HFT category and are marked to market. The mark-to-market loss is charged to profit and loss account and gain, if any, is ignored as per the RBI guidelines.

ई. रेपो एवं रिवर्स रेपो लेन-देन
D. Repo and reverse repo transactions

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा ('एलएएफ') व सीमांत आपाती सुविधा ('एमएसएफ') के तहत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन-देनों सहित) में रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः उधार लेने व उधार देने वाले लेन-देनों के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देनों पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with the RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

7. डेरिवेटिव लेन-देन / Derivative Transactions

''डेरेवेटिव लेन-देनों में वायदा संविदाएँ, स्वैप और विकल्प शामिल है जिनका प्रकटन आकस्मिक देयताओं के रूप में किया जाता है. वायदा, स्वैप और विकल्पों को ट्रेडिंग या हेज लेन-देन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.''

"Derivative transactions comprise of forward contracts, swaps and options which are disclosed as contingent liabilities. The forwards, swaps and options are categorized as trading or hedge transactions."

'हेज' के रूप में नामित लेन-देनों में/ In Transactions designated as 'Hedge':

क) तुलन-पत्र की आस्तियों और देयताओं को हेज करने के लिए की गई स्वैप संविदाओं की रचना इस प्रकार की जाती है कि वे अंतर्निहित तुलन-पत्र की मदों के साथ एक विपरीत और भिन्न प्रभाव दर्शाते हैं. ऐसे डेरिवेटिव लिखत अंतर्निहित आस्तियों और देयताओं के साथ सहसंबद्ध होते हैं तथा इनकी गणना हेज लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार की जाती है. बैंक लेन-देन के शुरूआत में हेज मद (आस्ति या देयता) की पहचान करता है.

a) The swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets and liabilities are structured such that they bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items. The impact of such derivative instruments is correlated with the movement of underlying assets and liabilities and accounted pursuant to the principles of hedge accounting. The Bank identifies the hedged item (asset or liability) at the inception of the transaction itself.

ख) डेरिवेटिव लेन-देनों पर देय/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

b) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ग) हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर हुए लाभ/हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर दर्शाया जाता है.

c) On premature termination of hedge swaps, any profits/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

घ) अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने को एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.

d) Re-designation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

घ) हेज की प्रभावशीलता का पता हेज की शुरूआत के समय और उसके बाद आवधिक आधार पर लगाया जाता है. 26 जून 2019 को जारी आरबीआई के परिपत्र पर आधारित 26 जून 2019 के बाद स्थापित हेज संबंधों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी डेरिवेटिव संविदाओं के लिए लेखांकन पर निर्देशक नोट के अनुसार किया जाता है. हेज संबंधों के अंतर्गत स्वैप जो उस तारीख से पहले स्थापित किए गए हो, की गणना उपचय आधार पर की जाती है और उनकी गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता. बाजार मूल्य को अंकित करने वाले हेज करारों के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

e) Hedge effectiveness is ascertained at the time of the inception of the hedge and periodically thereafter. Based on the RBI circular issued on June 26, 2019, the accounting of hedge relationships established after June 26, 2019 is in accordance with the Guidance note on Accounting for Derivative Contracts issued by ICAI. The swaps under hedge relationships established prior to that date are accounted on an accrual basis and are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में / In Transactions designated as 'Trading':

क) 'ट्रेडिंग' के लिए नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

a) Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

ख) एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ) खंडों में ट्रेडिंग के लिए नामित डेरिवेटिव लेन-देनों में मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन्स और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों से हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माह के अंत में निपटान की तारीख को लाभ- हानि लेखे में अंतरित किया जाता है.

b) Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

ग) ''ट्रेडिंग'' के रूप में नामित रुपया डेरिवेटिव पर आय को वसूली आधार पर लाभ-हानि लेखे में दिखाया जाता है.

c) Income on Rupee Derivatives designated as "Trading" is recognised in the Profit and Loss Account on realisation basis.

घ) डेरिवेटिव संविदाओं के अंतर्गत किसी भी प्राप्यराशि, जो 90 दिन से अधिक के लिए अतिदेय रहती है, को लाभ-हानि लेखे के जरिये 'उचंत खाता निश्चित प्राप्यराशियां' में रिवर्स किया जाता है.

d) Any receivable under derivative contracts, which remain overdue for more than 90 days, are reversed through Profit and Loss Account to "Suspense Account Crystallised Receivables".

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

8 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार का प्रमाण-पत्र / Priority Sector Lending Certificates

बैंक प्राथमिकता - प्राप्त क्षेत्र को उधार के प्रमाण-पत्र (पीएसएलसी) के क्रय या विक्रय के लेन-देन करता है. बिक्री लेन-देन के मामले में, बैंक आरबीआई के ट्रेडिंग प्लैटफ़ार्म पर प्राथमिकता - प्राप्त क्षेत्र को उधार दायित्वों को पूरा करने के लिए बिक्री करता है और खरीद लेनदेन के मामले में, बैंक प्राथमिकता - प्राप्त क्षेत्र को उधार दायित्वों को पूरा करने के लिए क्रय करता है. जोखिम या ऋण आस्तियों का कोई अंतरण नहीं होता है. पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को विविध आय के रूप में दर्शाया जाता है और पीएसएलसी की खरीद के लिए अदा किए गए शुल्क को अन्य व्यय के रूप में लाभ-हानि खाते में रिकॉर्ड किया जाता है. इनको प्रमाण पत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है.

The Bank enters into transactions for the sale or purchase of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs). In the case of a sale transaction, the Bank sells the fulfilment of priority sector obligation and in the case of a purchase transaction the Bank buys the fulfilment of priority sector obligation through the RBI trading platform. There is no transfer of risks or loan assets. The fee received for the sale of PSLCs is recorded as miscellaneous income and the fee paid for purchase of the PSLCs is recorded as other expenditure in Profit and Loss Account. These are amortised over the period of the Certificate.

9 स्थायी आस्तियां एवं मूल्यहास (संपत्ति संयंत्र और उपकरण)
Fixed Assets and Depreciation (Property Plant and Equipment)

i. स्थायी आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यहास घटाकर लागत पर दिखाया जाता है. परिसर का मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यहास घटाकर पुनर्मूल्यित राशि पर दिखाया जाता है.

Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and the RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.

ii. पट्टेधृत परिसरों के सुधार में किए गए व्यय को पट्टे की बची हुई प्राथमिक अवधि के दौरान विलोपित किया जाता है.
Improvements to lease hold premises are charged off over the remaining primary period of lease.

iii. आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है.
Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets which have been put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

iv. पुनर्मूल्यन पर मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को पुनर्मूल्यन रिज़र्व में शामिल किया जाता है.
The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.

v. स्थायी आस्तियों के संबंध में मूल्यहास की गणना लागत या पुनर्मूल्यित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यित राशि पर सीधी रेखा पद्धति द्वारा की जाती है.
Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued.

vi. पुनर्मूल्यित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यहास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यन रिज़र्व से सामान्य रिज़र्व में अंतरित किया जाता है.
In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.

vii. ₹ 5000 से कम लागत की एकल स्थायी आस्तियों को पहले पूंजीकृत किया जाता है और फिर उनके अर्जन के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यहासित किया जाता है.
Fixed assets individually costing less than ₹ 5,000/- are first capitalized and then fully depreciated in the year of addition.

viii. गोचर आस्तियों पर मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के अंतर्गत निर्धारित रूप में आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान विनिधानित किया जाता है. उपयोगी जीवनकाल तथा अवशिष्ट मूल्य की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, किसी आस्ति को अर्जित करते समय उस आस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यहास की ऊंची दर लगायी जाती है.
Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate of the useful life of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on the management's estimate of useful life / remaining useful life.

ix. वर्ष के दौरान स्थायी आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अवधि के लिए लगाया जाता है.
Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets are actually held.

x. स्थायी आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:
The useful lives of Fixed assets are as follows:

आस्ति Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में) Useful Life (in Years)
स्वामित्व वाले परिसर / Owned Premises	60
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी / Electrical installation and machinery	10
मोटर वाहन / Motor vehicles	8
कंप्यूटर / Computers	3
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण / VSAT equipment	6
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	
क) फर्नीचर एवं फिक्सचर a) Furniture and fixtures	10
ख) पर्सनल कंप्यूटर b) Personal Computers	3

xi. पट्टाधृत भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है. पट्टेधृत सुधार को उसी आस्ति श्रेणी की पूंजी में परिणित तथा पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है. .
Leasehold land is amortized over the period of lease. Leasehold improvements are capitalized in the same asset category and amortized over period of lease.

xii. ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले प्रत्येक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत किया जाता है और 6 वर्ष से अनधिक अवधि में इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है.
Computer Software individually costing more than ₹ 2.50 lacs is capitalized and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years.

10 प्रतिभूतीकरण लेन-देन:
Securitisation Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतीकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसपीवी) को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक, बिक्री के समय ही होने वाली हानि को तुरंत हिसाब में लेता है और बिक्री के परिणामस्वरूप हुए लाभ/प्रीमियम को उस एसपीवी द्वारा, जिसे आस्तियां बेची गई हैं, जारी की जाने वाली अथवा जारी की गई प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.

Securitization of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognized when the control over the contractual rights in the securitized assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortized over the life of the securities issued/ to be issued by the SPV to which the assets are sold.

11 प्रतिभूतीकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री:
Sale of financial assets to Securitization Companies/ Reconstruction Companies:

प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्संरचना कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के मोचन मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

Sale of financial assets to Securitization Companies (SCs) / Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

आस्तियों की बिक्री, जिसके लिए पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है तथा तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाला गया है, के मामलों में प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की गणना बैंक की निवेश बही में एक रुपये मान कर की जाती है.

In case of sale of assets which are fully provided and Technically Written off, the Security Receipts (SRs) are reckoned at Rupee one in the investment book of the Bank.

यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् धारित प्रावधानों को घटाकर बही मूल्य) से कम है तो कमी को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे में नामे किया जाता है.

In case the sale value is at a price below the Net Book Value (NBV) (i.e., book value less provision held), the shortfall is be debited to the profit and loss account of that year.

यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से उच्चतर मूल्य पर है तो आधिक्य प्रावधान को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे में प्रतिवर्तित किया जाता है जिसमें नकद राशि प्राप्त हुई हो. तथापि आधिक्य प्रावधान का प्रतिवर्तन प्राप्त नकदी के आस्तियों के निवल बही मूल्य से अधिक होने की सीमा तक सीमित रहेगा.

In case, sale value is higher than the NBV, the excess provision is reversed to the profit and loss account in the year in which cash amounts are received. However, such reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

12. विदेशी मुद्रा लेन-देन: Foreign Currency Transactions:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देनों को आरंभिक अभिनिर्धारण पर लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

   Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं की गई हैं, की शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.

   Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized.

iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं हैं, का फेडाई की बंद दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का मूल्य निर्धारण फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. परिणामी लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

   Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profits/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.

iv. वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर लाभ और हानि विवरण में दिखाया जाता है.

   Profits/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, are recognized in the statement of profit & loss on the date of termination.

v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की बंद दरों पर की जाती है.

   Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts are calculated at the contracted rates of exchange and those in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेशी शाखा के परिचालनों को 'गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है. मौद्रिक और गैर-मौद्रिक, गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनों की दोनों विदेशी मुद्रा आस्तियों और देनदारियों को तुलन-पत्र की तारीख को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर रूपांतरित किया जाता है.

आय और व्यय मदों को त्रैमासिक औसत दरों पर रूपान्तरित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप विनिमय अंतरों से उत्पन्न लाभ/ हानि को एएस-11, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव और आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन के निपटान तक विदेशी मुद्रा रूपांतरण खाते में संचित किया जाता है.

Operations of foreign branch are classified as `Non-Integral Foreign Operations'. Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the Balance Sheet date, Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates and the resulting profit / loss arising from exchange differences are accumulated in the Foreign Currency Translation Account until disposal of the non-integral foreign operations in accordance with *AS-11, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates and* the extant RBI guidelines.

13. कर्मचारी लाभ:
Employee Benefits:

(i) पेंशन / Pension

परिभाषित लाभ योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों के समूह को देय पेंशन के संबंध में, बैंक अपने द्वारा स्थापित और न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित पेंशन फंड ट्रस्ट को वेतन का 10% योगदान देता है. बैंक प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर पेंशन देयता के एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता की कमी के लिए अतिरिक्त राशि का योगदान देता है, जिसकी गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, नौकरी छोडने की दर, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है. प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके देयता/ परिभाषित लाभ निर्धारित किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में उस अवधि के लिए दिखाया जाता है जिसमें वे होते हैं.

In respect of Pension payable to the group of employees who are eligible for Pension under Defined Benefit Scheme, Bank contributes 10% of pay to Pension Fund Trust set up by the Bank and administered by the Board of Trustees. Bank further contributes for an additional amount towards the liability shortfall, based on an independent Actuarial valuation of Pension liability at each Balance Sheet date which is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate. The liability / defined benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

(ii) नई पेंशन योजना (एनपीएस) / New Pension Scheme (NPS)

नई पेंशन योजना (एनपीएस) में शामिल किए गए कर्मचारियों के संबंध में, बैंक परिभाषित योगदान योजना में कर्मचारियों के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत परिभाषित योजना में योगदान देता है, जिसे पेंशन फंड कंपनियों द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाता है. बैंक का इसके योगदान के अलावा कोई दायित्व नहीं है और इस तरह के योगदान को वर्ष में किया गया खर्च माना जाता है.

In respect of the employees covered under New Pension Scheme (NPS), Bank contributes a certain percentage of the Salary of employees to the defined scheme, a defined contribution plan, which is managed and administered by Pension Fund companies. Bank has no liability other than its contribution and recognizes such contribution as an expense in the year incurred.

(iii) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ / Compensated Absences

बैंक के कर्मचारी विविध क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के हकदार हैं. कर्मचारी अप्रयुक्त उपार्जित क्षतिपूरित अनुपस्थिति के एक हिस्से को आगे ले जा सकते है और इसका उपयोग भविष्य की अवधि में कर सकते है या निर्दिष्ट दिनों तक कुछ प्रकार के अप्रयुक्त उपार्जित क्षतिपूरित अनुपस्थिति के लिए सेवानिवृत्ति या सेवा की समाप्ति पर नकद प्राप्त कर सकते है. एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा तुलन-पत्र की तारीख को किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बैंक क्षतिपूरित अनुपस्थिति के लिए देयता उपार्जित करता है, जिसमें जनसांख्यिकी, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, वेतन वृद्धि, ब्याज दर और छुट्टी का उपयोग करना शामिल है. बैंक के दायित्व के निवल वर्तमान मूल्य का निर्धारण तुलन-पत्र की तारीख को प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके किया जाता है. बीमांकिक लाभों/ हानियों को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में दर्शाया जाता है, जिस वर्ष वे उत्पन्न होते हैं.

The employees of the Bank are entitled to various compensated absences. The employees can carry forward a portion of the unutilized accrued compensated absence and utilize it in future periods or receive cash compensation at retirement or termination of employment for certain types of unutilized accrued compensated absence upto specified number of days. The Bank accrues the liability for compensated absences based on the actuarial valuation as at the Balance Sheet date conducted by an independent actuary which includes assumptions about demographics, early retirement, salary increases, interest rates and leave utilization. The net present value of the Banks' obligation is determined using the Projected Unit Credit Method as at the Balance Sheet date. Actuarial gains / losses are recognized in the Profit and Loss Account in the year in which they arise.

(iv) स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस) / Voluntary Health Scheme (VHS)

बैंक की एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस) है जो कर्मचारियों की विभिन्न ग्रेड के लिए निर्धारित सीमा (घरेलू और अस्पताल में भर्ती) के अनुसार कर्मचारियों, और उनके पति या पत्नी और आश्रित बच्चों (जैसा लागू हो), की सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करती है. यह योजना

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

वैकल्पिक थी और सदस्यता के लिए बंद कर दी गई है. इसके अलावा, बैंक तुलन पत्र की तारीख को इस योजना के लिए एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कमी राशि के लिए एक अतिरिक्त राशि के लिए योगदान देता है, जिसकी गणना अवधि में फंड के वास्तविक उपयोग और उन लोगों के लिए शेष सीमा के आधार पर की जाती है जिन्होंने सदस्यता ली है.

The Bank has a Voluntary Health Scheme (VHS) which caters to the post-retirement medical needs of the employees and their spouse & dependent children (as applicable) as per the limits (domiciliary and hospitalization) set for various Grades of employees. This scheme was optional and has been closed for subscription. Further, Bank contributes for an additional amount towards the shortfall amount based on an independent actuarial valuation for this scheme as on Balance Sheet date which is calculated based on the actual utilization of the fund for the period and the balance limits for those who have subscribed to the scheme.

(v) **उपदान (ग्रेच्युटी) / Gratuity:**

उपदान के रूप में बैंक का एक दायित्व है जो एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जिसमें सभी पात्र कर्मचारियों को इस्तीफा, सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या रोजगार की समाप्ति पर दिया जाता है. बैंक आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट में योगदान देता है, जिसे ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित किया जाता है. जिन कर्मचारियों ने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है लेकिन 10 साल से कम हो, उन्हें ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है. ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए ग्रेच्युटी अधिनियम के नियमों के अलावा बैंक के पास ग्रेच्युटी नियम, 2004 का एक अलग सेट है. ग्रेच्युटी नियम, 2004 उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन्होंने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है और उनके लिए ग्रेच्युटी की गणना के लिए एक अलग पद्धति है. ऐसे कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गणना ग्रेच्युटी अधिनियम और ग्रेच्युटी नियम दोनों के अनुसार की जाती है और जो भी कर्मचारी के लिए फायदेमंद हो, उसका भुगतान किया जाता है.

The bank has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering all eligible employees on resignation, retirement, death while in employment or on termination of employment. The Bank makes contributions to IDBI Bank Employees' Gratuity Fund Trust, administered by the Trustees. The employees who have completed 5 years of service but less than 10 years, Gratuity is paid as per Gratuity Act. Bank has a separate set of Gratuity Rules, 2004 apart from the rules as per Gratuity Act for payment of Gratuity. The Gratuity Rules, 2004 are applicable to those employees who have completed 10 years of service period and has a separate methodology for calculation of Gratuity. For such employees gratuity is calculated as per both Gratuity Act and Gratuity Rules and are paid the amount whichever is beneficial to employee.

बैंक त्रैमासिक आधार पर ग्रेच्युटी देयता के एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता में कमी के लिए योगदान देता है, जिसकी गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, नौकरी छोड़ने की दर, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है. प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके देयता/ परिभाषित लाभ निर्धारित किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है जिसमें वे होते हैं.

Bank contributes towards the liability shortfall, based on an independent Actuarial Valuation of Gratuity liability on a quarterly basis which is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate. The liability / defined benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

(vi) **भविष्य निधि / Provident Fund:**

बैंक एक अलग ट्रस्ट (आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट) को पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान करता है जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करता है. वर्ष में निधि में अंशदान को खर्च माना जाता है और लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है. बैंक का दायित्व ऐसा नियत अंशदान करना और सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिलाभ दर (ईपीएफओ दरों) सुनिश्चित करना है. ईपीएफओ की प्रतिलाभ दर की तुलना में निधि की आस्तियों में कमी, यदि कोई हो, जो स्वतंत्र बीमांकक के मूल्यांकन द्वारा निर्धारित की जाती है, तो उसकी पूर्ति बैंक द्वारा की जाती है और उसे लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.

The Bank pays fixed contribution to the provident fund at predetermined rates to a separate trust (IDBI Bank Employees Provident Fund Trust), which invests the funds in permitted securities. The contributions to the fund for the year are recognized as expense and are charged to the Profit and Loss Account. The obligation of the Bank is to make such fixed contributions and to ensure a minimum rate of return to the members as specified by the Government of India (EPFO rates). Shortfall in the fund assets to match EPFO rate of return, if any, determined based on the independent actuarial valuation, is made good by the bank and charged to the Profit and Loss Account.

14. खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

बैंक तीन खंडों अर्थात होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और ट्रेजरी सेवाओं में परिचालन करता है. इन खंडों का निर्धारण आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुरूप तथा योजनाओं व सेवाओं की प्रकृति के स्वरूप और जोखिम रूपरेखा पर विचार करने के बाद खंड रिपोर्टिंग के बारे में लेखा मानक-17, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है.

The Bank operates in three segments wholesale banking, retail banking and treasury operations. These segments have been identified in line with extant RBI guidelines and AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों एवं देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु पहचानने योग्य राशियां और आबंटित राशि शामिल है. जो आस्तियां एवं देयताएं ज्ञात खंडों में आबंटित नहीं की जा सकती हैं, उन्हें अनाबंटित आस्तियों व देयताओं के रूप में समूहित किया गया है.

Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

15. आयकर / Income Tax

i. कर व्यय में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल हैं.

Tax expense comprises of current and deferred tax.

वर्तमान कर आयकर की वह निर्धारित राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 तथा आय संगणना एवं प्रकटन मानक (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार परिकलित अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है.

Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

ii. वर्ष के लिए बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक हिसाब में लिया जाता है जितनी उनकी भविष्य में वसूली की उचित निश्चितता हो.

Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii. अनवशोषित मूल्यह्रास/ हानियों के मामले में आस्थगित कर आस्तियां तभी हिसाब में ली जाती हैं जब यह आभासी रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं.

Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/ losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

iv. आस्थगित कर आस्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है और उचित / आभासी रूप से वसूल होने वाली राशि को समुचित रूप से समायोजित किया जाता है.

Deferred tax assets are reviewed at each Balance Sheet date and appropriately adjusted to reflect the amount that is reasonably/ virtually certain to be realized.

v. जब यह संभावना होती है कि विवादित करों के संबंध में वर्तमान दायित्व मौजूद है तब प्रावधान किया जाता है. जब ऐसे किसी वर्तमान दायित्व के मौजूद होने की संभावना नहीं होती है तब बैंक विगत निर्धारण से संबंधित मतों/ विविध न्यायायिक निर्णयों और अन्य प्रासंगिक न्यायायिक निर्णयों के आधार पर एक आकस्मिक देयता का प्रकटन करता है जब तक कि संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो, जहाँ कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया गया हो.

Where it is probable that a present obligation exists in respect of disputed taxes, a provision is made. Where it is not probable that such a present obligation exists, the bank discloses a contingent liability, unless the possibility of an outflow of resources is remote, based on opinions/ various judicial decisions in respect of past assessment and other relevant judicial decisions, where in no provision or disclosure is made.

16. पट्टे / Leases

i. पट्टे/ किराए के आधार पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/ निरसनीय हैं.

The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.

ii. बैंक के द्वारा किए गए पट्टे करार सहमत अवधि के लिए होते हैं जिनमें लीज अवधि के दौरान आपसी सहमति वाला नोटिस (समान्यतः एक कैलेंडर माह) देकर समाप्त करने का विकल्प है.

The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed notice (normally one calendar month) in writing.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

iii. परिचालन पट्टे के लिए अदा किये गये पट्टे किराये को उसी वर्ष के लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है जिससे यह संबंधित है.

Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates.

iv. परिचालन पट्टे के संबंध में प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत जैसे विधिक लागत, दलाली लागत, आदि को तत्काल खर्च के रूप में लाभ-हानि खाते में दिखाया जाता है.

Initial direct costs in respect of operating leases such as legal costs, brokerage costs, etc. are recognized as expense immediately in the Profit and Loss Account

17. प्रति शेयर अर्जन / Earnings Per Share

i. बैंक लेखामानक 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर अर्जन की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.

The Bank reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत अर्जन उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाती है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के योग से भाग देकर की जाती है.

Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

18. आस्तियों का ह्रासित होना / Impairment of Assets

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन इस बात का संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि वसूलीयोग्य नहीं रही तो स्थायी आस्तियों के ह्रासित होने की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य और उपयोग में मूल्य की आस्ति की रखाव राशि से तुलना द्वारा किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां ह्रासित मानी गई हों तो उस ह्रास को उस आस्ति की रखाव राशि से उसके अनुमानित वर्तमान वसूलीयोग्य मूल्य या उपयोग में मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है. दावों के निपटान से प्राप्त गैर-बैंकिंग आस्तियों के ह्रास की समीक्षा केवल तब की जाती हैं जब ह्रास के संकेत स्पष्ट दिखें.

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use. Non-banking assets acquired in settlement of claims are reviewed for impairment only when the indications of impairment are evident.

19. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. लेखा मानक 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के मामले में प्रावधानों को बैंक तभी हिसाब में लिया जाता है जब पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनी है और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए आर्थिक लाभों को साकार करने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए दायित्व का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता है और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.

Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह आभासी रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक आस्तियों को न तो हिसाब में लिया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.
Contingent Assets are neither recognized nor disclosed.

v. आकस्मिक देयता का प्रकटन निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है:
A disclosure of contingent liability is made when there is:

- जब संभाव्य दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों का बहिर्वाह होने की संभावना बहुत कम न हो, या
  a possible obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is not remote; or

- किसी विगत घटना से वर्तमान में दायित्व उत्पन्न हो रहा है जिसे माना नहीं गया है क्योंकि इस बात की संभाव्यता नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की जरूरत होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता.
  a present obligation arising from a past event which is not recognized as it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.

- जब कोई संभाव्य दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है.
  When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

20. लाभांश का लेखांकन / Accounting for Dividend

लेखांकन मानक (एएस) 4 ''तुलनपत्र की तारीख के बाद होने वाली आकस्मिकताएं एवं घटनाएं'' के अनुसार, बैंक प्रस्तावित लाभांश या तुलनपत्र की तारीख के बाद घोषित लाभांश को चालू वर्ष के तुलनपत्र में लाभ-हानि खाते से विनियोजन के जरिये देयता के रूप में नहीं दिखाता है. इसे लेखों पर टिप्पणियों में प्रकटित किया जाता है. इसे शेयरधारकों के अनुमोदन वाले वर्ष में दिखाया जाता है. तथापि, पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिए पूंजी निधियों के निर्धारण में प्रस्तावित लाभांश को हिसाब में लिया जाता है.

In terms of Accounting Standard (AS) 4 "Contingencies and Events occurring after the Balance sheet date" the Bank does not account for proposed dividend or Dividend declared after balance sheet date as a liability through appropriation from profit and loss account in current year balance sheet. This is disclosed in the notes to accounts. The same is recognized in the year of approval of shareholders. However, the Bank reckons proposed dividend in determining capital funds in computing the capital adequacy ratio.

21. नकदी एवं नकदी समतुल्य / Cash & Cash equivalents

नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, रिज़र्व बैंक के पास शेष, अन्य बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल है.

Cash and cash equivalents include cash in hand, balances with RBI, balances with other banks and money at call and short notice.

22. कारपोरेट सामाजिक दायित्व / Corporate Social Responsibility

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए किए गए व्यय को लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाता है.

Expenditure towards corporate social responsibility, in accordance with Companies Act, 2013, is recognised in the Profit and Loss Account.

23. दुर्वह संविदाएं / Onerous contracts

दुर्वह संविदाओं के लिए प्रावधान तब निर्धारित किए जाते हैं जब संविदा के अंतर्गत भविष्य के दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागतों की तुलना में बैंक को प्राप्त होने वाले लाभ के कम होने की संभावना होती है. प्रावधान का मूल्यांकन संविदा समाप्त करने की अपेक्षित लागत तथा संविदा के जारी रखने की अपेक्षित निवल लागत में से कम के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है. प्रावधान निर्धारण से पहले बैंक संविदा से संबद्ध आस्तियों पर किसी ह्रासशील नुकसान की पहचान करता है.

Provisions for onerous contracts are recognised when the expected benefits to be derived by the Bank from a contract are lower than the unavoidable costs of meeting the future obligations under the contract. The provision is measured at the present value of the lower of the expected cost of terminating the contract and the expected net cost of continuing with the contract. Before a provision is established, the Bank recognises any impairment loss on the assets associated with that contract.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 18 - लेखा टिप्पणियां
SCHEDULE 18 - NOTES TO ACCOUNTS

अ. रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रकटन
A. DISCLOSURES REQUIRED AS PER RBI GUIDELINES

1. विनियामक पूंजी / Regulatory Capital

क) विनियामक पूंजी की संरचना
a) Composition of Regulatory Capital

बैंक के जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात ('पूंजी पर्याप्तता अनुपात') की गणना बासेल III पूंजी विनियम ('बासेल III') के बारे में रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है. बासेल III के अंतर्गत बैंक के पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना नीचे दी गई है:
The Bank's capital to risk-weighted assets ratio ('Capital Adequacy Ratio') is calculated in accordance with the RBI guidelines on Basel III capital regulations ('Basel III'). The Bank's capital adequacy ratio computed under Basel III is given below:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	35,504	29,604
(ii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी / Additional Tier 1 capital	-	-
(iii)	टियर 1 पूंजी (i + ii) / Tier 1 capital (i + ii)	35,504	29,604
(iv)	टियर 2 पूंजी / Tier 2 capital	3,793	3,863
(v)	कुल पूंजी (टियर 1+ टियर 2) / Total capital (Tier 1+Tier 2)	39,297	33,467
(vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) Total Risk Weighted Assets (RWAs)	176,531	1,63,719
(vii)	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	20.11%	18.08%
(viii)	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी) Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	20.11%	18.08%
(ix)	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी) Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	2.15%	2.36%
(x)	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी (सीआरएआर) अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	22.26%	20.44%
(xi)	लिवरेज अनुपात / Leverage Ratio	8.53%	7.86%
(xii)	निम्नलिखित की शेयर धारिता का प्रतिशत / Percentage of the shareholding of		
	क) भारत सरकार a) Government of India	45.48%	45.48%

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
	ख) राज्य सरकार b) State Government	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
	ग) प्रायोजक बैंक c) Sponsor Bank	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
(xiii)	वर्ष के दौरान जुटाई गई चुकता इक्विटी पूंजी की राशि Amount of paid-up equity capital raised during the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(xiv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(xv)	वर्ष के दौरान जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि Amount of Tier 2 capital raised during the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil

रिज़र्व बैंक ने दिनांक 1 मार्च 2016 के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015/16 के द्वारा सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व/ विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिज़र्व/डीटीए पर विचार करने हेतु बैंकों को विवेकाधिकार दिया है. बैंक ने उपर्युक्त गणना में विकल्प का प्रयोग किया है.
RBI vide circular no DBR.No.BP.BC.83/21.06.201/2015/16 dated March 01, 2016 has given discretion to Banks to consider Revaluation Reserve/ Foreign Currency Translation Reserve/ DTA for the purpose of computation of Capital Adequacy as CET-1 capital ratio. The Bank has exercised the option in the above computation.

रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के लिए निवल लाभ को सीईटी-1 पूंजी में माना जाता है. इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए CET-1 पूंजी में वृद्धि हुई.
Net Profit for the current financial year is considered in CET-1 capital in accordance with extant RBI guidelines. This had resulted in increase in CET-1 capital for period ending March 31, 2024.

ख) आरक्षित निधि में कमी
b) Draw Down from Reserves

बैंक ने 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान आरक्षित निधि में कोई कमी नहीं की है.
The Bank has not undertaken any drawdown from reserves during the year ended March 31, 2024 and March 31, 2023.

ग) संचित हानियों का समंजन
c) Set-off of Accumulated Losses

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने किसी भी संचित हानियों का समंजन नहीं किया है.
During financial year 2023-24 Bank has not set off any accumulated losses.

पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने अपने शेयरधारकों, भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के दिनांक 29 मार्च 2023 के आदेश के पश्चात उक्त तारीख को बैंक के प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा राशि का उपयोग करके 1 अप्रैल 2021 को ₹ 45,396 करोड़ की अपनी संचित हानियों का समंजन किया था.
During the previous financial year 2022-23, the Bank had set off its accumulated losses of ₹ 45,396 crore as on April 01, 2021 by utilizing the balance outstanding to the credit of Securities Premium Account of the Bank on the said date after obtaining approval from its shareholders, Reserve Bank of India and National Company Law Tribunal order dated March 29, 2023.

2. आस्ति देयता प्रबंधन
Asset Liability Management

क) 31 मार्च 2024 को आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप
a) Maturity Pattern of Certain Items of Assets and Liabilities as on March 31, 2024

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन व 2 माह तक 31 days & upto 2 months	2 माह से अधिक व 3 माह तक Over 2 months & upto 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमाराशियां# / Deposits #	972	6,284	3,096	6,541	6,434	7,924	15,429	40,687	1,57,478	15,369	17,443	2,77,657
अग्रिम# / Advances #	492	1,084	1,867	3,277	6,194	7,931	11,518	17,952	53,705	14,717	69,884	1,88,621
निवेश / Investments	23,873	23,184	1,186	2,880	4,805	3,050	4,770	12,400	23,919	3,987	10,880	1,14,934
उधार राशियां# / Borrowings #	-	556	125	305	359	611	1,354	9,001	4,767	2	3	17,083
विदेशी मुद्रा आस्तियां @ Foreign Currency assets @	241	17,914	1,169	5,895	8,637	8,360	2,515	10,408	2,263	2,698	7,365	67,465
विदेशी मुद्रा देयताएं $ Foreign Currency Liabilities $	6	19,328	1,782	8,713	11,553	12,518	1,326	6,981	1,589	494	20,053	84,343

31 मार्च 2023 को आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप
Maturity Pattern of Certain Items of Assets and Liabilities as on March 31, 2023

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन व 2 माह तक 31 days & upto 2 months	2 माह से अधिक व 3 माह तक Over 2 months & upto 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमाराशियां# / Deposits #	739	4,419	3,670	5,864	7,707	5,897	12,704	26,147	1,54,178	14,037	20,127	2,55,490
अग्रिम# / Advances #	446	1,165	1,239	2,609	5,555	3,606	7,408	11,593	50,791	12,122	66,034	1,62,568
निवेश / Investments	18,990	16,531	1,713	2,178	2,461	3,297	4,053	6,277	28,171	4,117	11,901	99,690
उधार राशियां# / Borrowings #	-	586	-	123	33	394	-	-	11,496	-	5	12,638
विदेशी मुद्रा आस्तियां @ Foreign Currency assets @	274	5,061	3,144	7,050	7,504	14,944	22,643	5,118	3,303	373	5,127	74,541
विदेशी मुद्रा देयताएं $ Foreign Currency Liabilities $	86	4,365	1,774	11,707	8,399	14,266	1,503	4,625	3,433	660	18,044	68,864

 # इनमें विदेशी मुद्रा शेष राशियां शामिल हैं.
 # Includes foreign currency balances.

@ इनमें विदेशी मुद्रा-रुपया क्रय-विक्रय आस्तियां और विदेशी मुद्रा अग्रिम शामिल हैं.
@ Includes foreign currency- Rupee buy-sell assets and foreign currency advances.

$ इनमें विदेशी मुद्रा-रुपया विक्रय- क्रय स्वैप देयताएं और विदेशी मुद्रा जमाराशियां तथा उधार शामिल हैं.
$ Includes foreign currency-Rupee sell –buy swap liabilities and foreign currency deposits and borrowings.

नोट : चालू वर्ष एवं पिछले वर्ष दोनों के लिए एएलएम गणना के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आस्तियों और देयताओं का वर्गीकरण रिजर्व बैंक को प्रस्तुत विवरणियों के संकलन के लिए बैंक द्वारा उपयोग किये गये अनुमानों और मान्यताओं पर ही आधारित है.

Note: Classification of Assets & Liabilities under the different heads of ALM computation for both current year & previous year is based on same estimates and assumptions as used by the bank for the compiling the returns submitted to the RBI.

ख) चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)
b) Liquidity Coverage Ratio (LCR)

(i) वित्तीय वर्ष 2023-24 की सभी चार तिमाहियों को शामिल करते हुए एलसीआर (मात्रात्मक प्रकटन)
LCR covering all the four quarters (Quantitative disclosure) for FY2023-24

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

		मार्च 2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended March 2024		दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended December 2023		सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended September 2023		जून 2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2023	
क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		80,307		80,652		75,234		68,542
	नकदी बहिर्वाह Cash Outflows								
2	खुदरा जमाराशियां और छोटे कारोबारी ग्राहकों से प्राप्त जमा राशियां जिनमें से: Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	1,28,241	12,398	1,28,615	12,434	1,29,081	12,482	1,27,406	12,317
	(i) स्थिर जमाराशियां Stable deposits	8,509	425	8,559	428	8,526	426	8,469	423
	(ii) कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	1,19,732	11,973	1,20,056	12,006	1,20,555	12,056	1,18,937	11,894
3	अप्रतिभूति थोक निधीयन, जिनमें से: Unsecured wholesale funding, of which:	1,03,499	61,982	79,938	47,465	57,890	35,822	57,153	35,017
	(i) परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	0	0	0	0	0	0	0	0
	(ii) गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Non-operational deposits (all counterparties)	1,01,947	60,430	79,118	46,645	57,070	35,002	56,333	34,197
	(iii) अप्रतिभूत ऋण Unsecured debt	1,552	1,552	820	820	820	820	820	820
4	प्रतिभूत थोक निधीयन Secured wholesale funding		0		0		0		0
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से Additional requirements, of which	50,953	6,098	54,256	6,698	56,506	7,639	52,512	7,403

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मार्च 2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended March 2024		दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended December 2023		सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended September 2023		जून 2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2023	
		कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
	(i) *डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह* *Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements*	1,028	1,028	1,018	1,018	1,116	1,116	1,028	1,028
	(ii) *ऋण उत्पादों पर निधीयन हानि से संबंधित बहिर्वाह* *Outflows related to loss of funding on debt products*	0	0	0	0	0	0	0	0
	(iii) *क्रेडिट और चलनिधि* *Credit and liquidity*	49,925	5,070	53,238	5,680	55,390	6,523	51,484	6,375
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व Other contractual funding obligations	1,939	1,939	1,773	1,773	2,025	2,025	1,965	1,965
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व Other contingent funding obligations	1,11,511	3,345	1,09,500	3,284	1,08,495	3,255	1,01,101	3,033
8	**कुल नकदी बहिर्वाह Total Cash Outflows**		85,762		71,654		61,223		59,735
	नकदी अंतर्वाह Cash Inflows								
9	प्रतिभूत ऋण (अर्थात् रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	276	0	230	0	51	0	208	0
10	पूर्णतः अर्जक एक्सपोजरों से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	8,911	4,455	8,719	4,360	8,630	4,315	9,169	4,585
11	अन्य नकदी अंतर्वाह Other cash inflows	14,595	14,295	9,089	8,788	7,716	7,416	7,994	7,849
12	**कुल नकदी अंतर्वाह Total Cash Inflows**	23,782	18,750	18,038	13,148	16,397	11,731	17,371	12,434
			कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मार्च 2024 को समाप्त तिमाही Quarter ended March 2024		दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended December 2023		सितंबर 2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended September 2023		जून 2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2023	
		कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
13	कुल एचक्यूएलए Total HQLA		80,307		80,652		75,234		68,542
14	कुल निवल नकदी बहिर्वाह Total Net Cash Outflows		67,012		58,506		49,492		47,301
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)		119.84%		137.85%		152.01%		144.90%

टिप्पणी : दिनांक 09 जून 2014 के आरबीआई परिपत्र संदर्भ: आरबीआई/2013-14/635 डीबीओडी.बीपी.बीसी.सं.120/21.04.098/2013-14 के अनुसार, औसत भारित और गैर भारित राशियों की गणना कार्य दिवसों के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दैनिक साधारण औसत लेते हुए की जाती है.

Note: In accordance with RBI circular Ref: RBI/2013-14/635 DBOD.BP.BC.No.120 /21.04.098/2013-14 dated June 09, 2014, the average weighted and un-weighted amounts are calculated taking daily simple average from 1st April to 31st March for working days.

वित्तीय वर्ष 2022-23 की सभी चार तिमाहियों को शामिल करते हुए एलसीआर (मात्रात्मक प्रकटन)
LCR covering all the four quarters (Quantitative disclosure) for FY2022-23

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मार्च 2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended March 2023		दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended December 2022		सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended September 2022		जून 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2022	
		कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		64,956		59,009		60,592		63,766
	नकदी बहिर्वाह Cash Outflows								
2	खुदरा जमाराशियां और छोटे कारोबारी ग्राहकों से प्राप्त जमा राशियां जिनमें से: Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	1,25,989	12,175	1,22,886	11,864	1,22,413	11,817	1,22,786	11,848
	(i) स्थिर जमाराशियां Stable deposits	8,461	423	8,510	426	8,498	425	8,610	430
	(ii) कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	1,17,528	11,752	1,14,376	11,438	1,13,915	11,392	1,14,176	11,418

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

		मार्च 2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended March 2023		दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended December 2022		सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended September 2022		जून 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2022	
क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन, जिनमें से: Unsecured wholesale funding, of which:	57,288	34,622	55,090	35,333	53,912	34,742	52,926	33,049
	(i) परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	0	0	0	0	0	0	0	0
	(ii) गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Non-operational deposits (all counterparties)	56,468	33,802	54,270	34,513	53,092	33,922	52,106	32,229
	(iii) अप्रतिभूत ऋण Unsecured debt	820	820	820	820	820	820	820	820
4	प्रतिभूत थोक निधीयन Secured wholesale funding		0		0		0		0
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें से Additional requirements, of which	5,516	2,645	2,371	2,191	1,203	1,195	627	627
	(i) डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	2,164	2,164	2,071	2,071	1,190	1190	627	627
	(ii) ऋण उत्पादों पर निधीयन हानि से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to loss of funding on debt products	0	0	0	0	0	0	0	0
	(iii) क्रेडिट और चलनिधि Credit and liquidity	3,352	481	300	120	13	5	0	0
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व Other contractual funding obligations	1,864	1,864	1,546	1,546	1,677	1,677	1,583	1,583
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व Other contingent funding obligations	1,47,047	6,207	1,53,993	6,677	1,45,594	6,266	1,41,892	6,147
8	**कुल नकदी बहिर्वाह Total Cash Outflows**		57,513		57,611		55,697		53,254
	नकदी अंतर्वाह Cash Inflows								
9	प्रतिभूत ऋण Secured lending	355	0	269	0	140	0	4,799	0
10	पूर्णत: अर्जक एक्सपोजरों से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	6,341	3,157	5,712	2,856	5,591	2,795	4,338	2,169

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण Particulars	मार्च 2023 को समाप्त तिमाही Quarter ended March 2023		दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended December 2022		सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended September 2022		जून 2022 को समाप्त तिमाही Quarter ended June 2022	
		कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (Average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (Average)
11	अन्य नकदी अंतर्वाह Other cash inflows	6,453	6,474	6,595	6,470	5,686	5,674	6,180	6,180
12	**कुल नकदी अंतर्वाह Total Cash Inflows**	**13,149**	**9,631**	**12,576**	**9,326**	**11,417**	**8,469**	**15,317**	**8,349**
			कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value		कुल समायोजित मूल्य Total Adjusted Value
13	**कुल एचक्यूएलए** Total HQLA		64,956		59,009		60,592		63,766
14	**कुल निवल नकदी बहिर्वाह** Total Net Cash Outflows		47,882		48,285		47,228		44,905
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)** Liquidity Coverage Ratio (%)		135.66%		122.21%		128.30%		142.00%

(ii) **चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के आस-पास गुणात्मक प्रकटन**
Qualitative disclosure around Liquidity Coverage Ratio (LCR)

वर्ष 2007 में शुरू हुए वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पूंजी और चलनिधि विनियमन को मजबूती प्रदान करने के लिए सुधार के कुछ प्रस्ताव रखे थे. इस दिशा में बीसीबीएस ने जनवरी 2013 में 'बासेल III : चलनिधि कवरेज अनुपात और चलनिधि जोखिम निगरानी साधन' और जनवरी 2014 में 'चलनिधि कवरेज अनुपात प्रकटीकरण मानक' पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए थे. तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 09 जून 2014 के अपने परिपत्र के द्वारा चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशनिर्देश जारी किए थे.

In the backdrop of the global financial crisis that started in 2007, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) proposed certain reforms to strengthen global capital and liquidity regulations with the objective of promoting a more resilient banking sector. In this direction BCBS published guidelines on 'Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools' in January 2013 and the 'Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards' in January 2014. Accordingly, Reserve Bank of India, vide its circular dated June 09, 2014, issued guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR).

चलनिधि कवरेज अनुपात संभावित चल निधि विघटनों के प्रति बैंक की अल्पावधि आघात-सहनीयता को यह सुनिश्चित करते हुए बढ़ावा देता है कि 30 दिनों तक बनी रहने वाली विकट दबावग्रत स्थितियों का सामना करने के लिए उनके पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) हैं. चलनिधि कवरेज अनुपात मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त मात्रा में भारमुक्त उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां बनाए रखे जिसे पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट अत्यधिक गंभीर चलनिधि दबाव वाली स्थिति में 30 कैलेंडर दिवस की समयावधि हेतु अपनी चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में रूपांतरित किया जा सके.

The LCR promotes short-term resilience of banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

चलनिधि कवरेज अनुपात की परिभाषा / Definition of LCR:

उच्च गुणवत्ता पूर्ण चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) स्टॉक / Stock of high quality liquid assets (HQLAs)
———————————————————————————— > = 100%
अगले 30 कैलेंडर दिनों का कुल निवल नकदी बहिर्वाह / Total net cash outflows over the next 30 calendar days

चलनिधि कवरेज अनुपात की अपेक्षाएं 01 जनवरी 2015 से बैंकों पर बाध्यकारी हैं. एलसीआर को 100% की दर से बनाए रखा जाना है.
The LCR requirement is binding on banks from January 1, 2015. LCR is to be maintained at 100%.

उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) / High Quality Liquid Assets (HQLA):

इस मानक के अंतर्गत बैंकों के लिए निर्धारित दबावग्रस्त परिदृश्य के अंतर्गत 30 दिन की अवधि के लिए कुल निवल नकदी बहिर्वाह को शामिल करने के लिए अभारग्रस्त एचक्यूएलए का स्टॉक रखना अनिवार्य है. एचक्यूएलए के रूप में पात्र होने के उद्देश्य से दबाव काल के दौरान आस्तियां बाज़ार में नकदी सुलभ होनी चाहिए और अधिकांश मामलों में केंद्रीय बैंक के परिचालनों में उपयोग के लिए पात्र होनी चाहिए. बैंक की एचक्यूएलए में मुख्यतः अनिवार्य अपेक्षाओं से अधिक एसएलआर निवेश, सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत उधार (एनडीटीएल का 2%) के माध्यम से उपलब्ध चलनिधि, चलनिधि कवरेज अनुपात (एनडीटीएल का 16%) के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं.

Under the standard, banks must hold a Stock of unencumbered HQLA to cover the total net cash outflows over 30-day period under the prescribed stress scenario. In order to qualify as HQLA, assets should be liquid in markets during times of stress and, in most cases, be eligible for use in central bank operations. The HQLA of the Bank mainly comprise of SLR investments over and above mandatory requirement, liquidity available by way of borrowing under Marginal Standing Facility (2% of NDTL), Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (16% of NDTL) & other securities as may be permitted by Reserve Bank of India from time to time.

कुल निवल नकदी बहिर्वाह / Total net cash outflows:

कुल प्रत्याशित नकदी बहिर्वाह की गणना विभिन्न श्रेणियों की बकाया शेष राशियों या देयता के प्रकारों तथा तुलन-पत्र से बाह्य वचनबद्धताओं में उन दरों का गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके बढ़ने या घटने की आशा है. कुल प्रत्याशित नकदी अंतर्वाहों की गणना संविदागत प्राप्य राशियों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेष में उन दरों को गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके प्रवाहित होने की आशा है.

Total expected cash out flows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow.

चलनिधि प्रबंधन / Liquidity Management:

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंधन संरचना है जो एएलएम नीति में वर्णित है. बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) कारोबारी रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिम की निगरानी एवं प्रबंधन करती है. चलनिधि विश्लेषण एवं प्रबंधन सहित एएलएम कार्यकलाप का संचालन आस्ति देयता प्रबंधन, ट्रेज़री फ्रंट ऑफिस, बजट एवं योजना आदि के कार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न एल्को सहायता समूहों के बीच समन्वय के माध्यम से किया जाता है. कारोबारी समूहों एवं वर्टिकलों द्वारा एल्को दिशा-निर्देशों तथा एएलएम कार्रवाइयों का कार्यान्वयन किया जाता है.

The Bank has well organized liquidity risk management structure as enumerated in ALM Policy which is approved by the Board. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors & manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis & management is conducted through coordination between various ALCO support groups residing in the functional areas of Asset Liability Management, Treasury Front Office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the business groups and verticals.

बैंक ने 31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान आवश्यक पात्र कटौतियों को हिसाब में लेने के बाद ₹ 80,307 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 64956 करोड़) का औसत एचक्यूएलए बनाए रखा. एचक्यूएलए मुख्य रूप से लेवल 1 आस्तियों द्वारा संचालित होता है और इसमें मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियां और टी-बिल शामिल हैं जो 31 मार्च 2024 को एचक्यूएलए के 90% से अधिक थीं. बैंक के पास निधियों के विविध स्रोत हैं जिसमें मुख्य रूप से जमाराशियां शामिल हैं, इनमें शीर्ष 20 जमाकर्ताओं ने 31 मार्च 2024 को कुल जमाराशियों में 10.06% (पिछले वर्ष कुल जमा का 8.04 %) योगदान दिया है.

The Bank during the quarter ended 31st March 2024, maintained average HQLA of ₹ 80,307 crore (Previous Year ₹ 64956 crore) after factoring eligible haircuts. HQLA is mainly driven by Level 1 Assets and comprises mainly of Government securities and T-bills which constitute more than 90% of HQLA as on 31st March 2024. Bank has well diversified source of funds which mainly comprise of deposits, with top 20 depositors contributing 10.06% of total deposits (Previous Year 8.04 % of total deposit) as on 31st March 2024.

31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए औसत एलसीआर वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम 100% की तुलना में अधिक अर्थात् 119.84% (पिछले वर्ष 135.66%) था.

The average LCR for the quarter ended March 31, 2024 was at 119.84% (Previous Year 135.66%) above the present prescribed minimum requirement of 100%.

c) **निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) / Net Stable Funding Ratio (NSFR)**

(i) **वित्तीय वर्ष 2023-24 का एनएसएफ़आर मात्रात्मक प्रकटन / NSFR Quantitative disclosure for FY2023-24**

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	विवरण Particulars	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
	एएसएफ़ मद / ASF Item					
1	पूंजी: (2+3) / Capital: (2+3)	0	0	0	47,298	47,298
2	विनियामक पूंजी / Regulatory capital	0	0	0	46,996	46,996
3	अन्य पूंजी लिखत / Other capital instruments	0	0	0	302	302
4	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे व्यावसायिक ग्राहकों से जमाराशियां: (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	78,112	22,612	47,520	375	1,34,220
5	स्थिर जमाराशियां / Stable deposits	6,751	811	956	12	8,104
6	कम स्थिर जमाराशियां / Less stable deposits	71,361	21,801	46,564	363	1,26,116
7	थोक निधीयन: (8+9) / Wholesale funding: (8+9)	40,562	27,357	35,655	1,947	53,734
8	परिचालनगत जमाराशियां / Operational deposits	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधीयन / Other wholesale funding	40,562	27,357	35,655	1,947	53,734
10	अन्य देयताएं: (11+12) / Other liabilities: (11+12)	59,320	0	0	2,570	2,570
11	एनएसएफ़आर व्युत्पन्न देयताएं / NSFR derivative liabilities		0	0	0	
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other liabilities and equity not included in the above categories	58,879	0	0	2,570	2,570
13	**कुल एएसएफ़ (1+4+7+10) / Total ASF (1+4+7+10)**					**2,37,822**
आरएसएफ़ मद / RSF Item						
14	कुल एनएसएफ़आर उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)	0.00	95,026	0.00	0.00	4,052
15	परिचालन के उद्देश्य से अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशियाँ Deposits held at other financial institutions for operational purposes	418	0	0	0	209
16	अर्जक ऋण व प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	0	59,550	19,193	1,52,307	1,53,685

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	विवरण Particulars	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
17	लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0	2,499	0	0	250
18	गैर-लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थाओं को अप्रतिभूत अर्जक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0	17,524	1,863	17,236	20,796
19	गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को ऋण, जिनमें से: Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	0	23,698	15,023	57,478	67,000
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	19,758	14,787	8,137	22,562
21	अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें : Performing residential mortgages, of which:	0	1,198	1,013	60,807	43,408
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	1,035	899	46,917	31,462
23	प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में अर्हक नहीं हैं Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0	14,631	1,294	16,786	22,231
24	अन्य आस्तियां : (25 से 29 की पंक्तियों का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	29,650	606	121	6,482	35,956
25	स्वर्ण सहित भौतिक क्रय-विक्रय वाली वस्तुएं Physical traded commodities, including gold	0	0	0	0	0
26	डेरिवेटिव संविदाओं के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां और सीसीपी की डिफ़ॉल्ट निधियों में योगदान Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	0	0	0	3,279	2,787
27	एनएसएफ़आर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets	0	411	0	0	0
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	0	22	0	0	22
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other assets not included in the above categories	29,650	173	121	3,203	33,147

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	विवरण Particulars	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
30	तुलन-पत्र से इतर मदें Off-balance sheet items	0	0	0	1,69,480	6,172
31	**कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)**	**30,068**	**1,55,182**	**19,314**	**3,28,269**	**2,00,074**
32	**निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)**					**118.87%**

नोट : चालू वर्ष और पिछले वर्ष, दोनों के लिए एनएसएफ़आर गणना के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आस्तियों और देयताओं का वर्गीकरण रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत विवरणियों के संकलन के लिए बैंक द्वारा उपयोग किये गये अनुमानों और मान्यताओं पर ही आधारित है.

Note: Classification of Assets & Liabilities under the different heads of NSFR computation for both current year and previous year is based on same estimates and assumptions as used by the bank for the compiling the returns submitted to the RBI.

वित्तीय वर्ष 2022-23 का एनएसएफ़आर गुणात्मक प्रकटन: / NSFR Quantitative disclosure for FY2022-23

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	विवरण Particulars	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
	एएसएफ़ मद / ASF Item					
1	पूंजी: (2+3) / Capital: (2+3)	0	0	0	43,815	43,815
2	विनियामक पूंजी / Regulatory capital	0	0	0	43,513	43,513
3	अन्य पूंजी लिखत / Other capital instruments	0	0	0	302	302
4	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे व्यावसायिक ग्राहकों से जमाराशियां (5+6) Retail deposits and deposits from small business customers: (5+6)	77,739	18,839	16,515	28,859	1,31,061
5	स्थिर जमाराशियां / Stable deposits	7,079	734	550	870	8,815
6	कम स्थिर जमाराशियां / Less stable deposits	70,660	18,105	15,965	27,989	1,22,246
7	थोक निधीयन: (8+9) / Wholesale funding: (8+9)	35,175	18,666	15,547	11,893	46,587
8	परिचालनगत जमाराशियां / Operational deposits	0	0	0	0	0
9	अन्य थोक निधीयन / Other wholesale funding	35,175	18,666	15,547	11,893	46,587
10	अन्य देयताएं: (11+12) / Other liabilities: (11+12)	55,000	0	0	8,554	8,554
11	एनएसएफ़आर व्युत्पन्न देयताएं / NSFR derivative liabilities		0	0	0.00	
12	अन्य सभी देयताएं और इक्विटी जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other liabilities and equity not included in the above categories	54,570	0	0	8,554	8,554
13	**कुल एएसएफ़ (1+4+7+10) / Total ASF (1+4+7+10)**					**2,30,017**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	विवरण Particulars	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
आरएसएफ मद / RSF Item						
14	कुल एनएसएफआर उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total NSFR high-quality liquid assets (HQLA)					3,634
15	परिचालन के उद्देश्य से अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशियाँ Deposits held at other financial institutions for operational purposes	382	0	0	0	191
16	अर्जक ऋण व प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23) Performing loans and securities: (17+18+19+21+23)	0	37,405	13,340	1,42,815	1,33,291
17	लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण Performing loans to financial institutions secured by Level 1 HQLA	0	0	0	0	0
18	गैर-लेवल 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को अर्जक ऋण और वित्तीय संस्थाओं को अप्रतिभूत अर्जक ऋण Performing loans to financial institutions secured by non-Level 1 HQLA and unsecured performing loans to financial institutions	0	13,128	1,650	11,078	13,872
19	गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को अर्जक ऋण, खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण, और संप्रभु, केंद्रीय बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण, जिनमें से: Performing loans to non- financial corporate clients, loans to retail and small business customers, and loans to sovereigns, central banks and PSEs, of which:	0	17,676	9,725	59,594	62,540
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	15,788	9,530	11,678	20,250
21	अर्जक आवासीय बंधक, जिनमें: Performing residential mortgages, of which:	0	1,044	894	55,058	39,043
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या उसके बराबर के जोखिम भार के साथ With a risk weight of less than or equal to 35% under the Basel II Standardised Approach for credit risk	0	950	806	43,626	29,235
23	प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में अहर्ता नहीं हैं Securities that are not in default and do not qualify as HQLA, including exchange-traded equities	0	5,557	1,071	17,085	17,836
24	अन्य आस्तियां : (25 से 29 की पंक्तियों का योग) Other assets: (sum of rows 25 to 29)	43,277	628	73	5,886	49,071
25	स्वर्ण सहित भौतिक क्रय-विक्रय वाली वस्तुएं Physical traded commodities, including gold	0	0	0	0	0

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	विवरण Particulars	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारित मूल्य Unweighted value by residual maturity				भारित मूल्य Weighted value
		कोई परिपक्वता नहीं No Maturity	<6 माह <6 Months	6 माह से < 1वर्ष 6 months to < 1yr	≥ 1 वर्ष ≥ 1yr	
26	डेरिवेटिव संविदाओं के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां और सीसीपी की डिफ़ॉल्ट निधियों में योगदान Assets posted as initial margin for derivative contracts and contributions to default funds of CCPs	0	0	0	2,419	2,056
27	एनएसएफ़आर डेरिवेटिव आस्तियां NSFR derivative assets	0	576	0	0	147
28	पोस्ट किए गए भिन्नता मार्जिन की कटौती से पहले एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं NSFR derivative liabilities before deduction of variation margin posted	0	21	0	0	21
29	अन्य सभी आस्तियां जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं All other assets not included in the above categories	43,277	30	73	3,467	46,847
30	तुलन-पत्र से इतर मदें Off-balance sheet items	0	0	0	1,49,175	5,477
31	**कुल आरएसएफ़ (14+15+16+24+30) Total RSF (14+15+16+24+30)**	**43,659**	**1,24,999**	**13,413**	**2,97,876**	**1,91,664**
32	**निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%) Net Stable Funding Ratio (%)**					**120.01%**

(ii) **निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) के आस-पास गुणात्मक प्रकटन :**
Qualitative disclosure around Net Stable Funding Ratio (NSFR)

वर्ष 2007 में शुरू हुए वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पूंजी और चलनिधि विनियमन को मजबूती प्रदान करने के लिए सुधार के कुछ प्रस्ताव रखे थे. इस दिशा में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने अक्तूबर 2014 में 'बासेल III : निवल स्थिर निधीयन अनुपात और 01 जनवरी 2018 से लागू होने वाले एनएसएफ़आर मानक पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए थे. तद्नुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 17 मई 2018 के अपने परिपत्र के द्वारा निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफ़आर) पर अंतिम दिशनिर्देश जारी किए थे.

In the backdrop of the global financial crisis that started in 2007, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) proposed certain reforms to strengthen global capital and liquidity regulations with the objective of promoting a more resilient banking sector. In this direction BCBS published guidelines on 'Basel III: The Net Stable Funding Ratio' in October 2014 and the NSFR standard to be effective from January 01, 2018. Accordingly, Reserve Bank of India, vide its circular dated May 17, 2018, issued final guidelines on Net Stable Funding Ratio (NSFR).

एनएसएफआर बैंकों को अपनी गतिविधियों को निरंतर आधार पर वित्तपोषण के अधिक स्थिर स्रोतों के साथ वित्त पोषित करने की आवश्यकता के द्वारा लंबी अवधि के क्षितिज पर लचीलापन को बढ़ावा देता है. एक स्थायी वित्तपोषण संरचना का उद्देश्य बैंक के नियमित वित्तपोषण के स्रोतों में व्यवधान के कारण बैंक की तरलता की स्थिति के क्षरण की संभावना को कम करना है जिससे इसकी विफलता का जोखिम बढ़ जाएगा और संभावित रूप से व्यापक प्रणालीगत दबाव हो सकता है. एनएसएफआर अल्पकालिक थोक वित्त पोषण पर अधिक निर्भरता को सीमित करता है, सभी ऑन- और ऑफ-बैलेंस शीट मदों में फंडिंग जोखिम के बेहतर मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है और निधीयन स्थिरता को बढ़ावा देता है.

The NSFR promotes resilience over a longer-term time horizon by requiring banks to fund their activities with more stable sources of funding on an ongoing basis. A sustainable funding structure is intended to reduce the probability of erosion of a bank's liquidity position due to disruptions in a bank's regular sources of funding that would increase the risk of its failure and potentially lead to broader systemic stress. The NSFR limits overreliance on short-term wholesale funding, encourages better assessment of funding risk across all on- and off- balance sheet items, and promotes funding stability

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

एनएसएफआर की परिभाषा: / Definition of NSFR:

$$\text{एनएसएफआर / NSFR} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) / Available Stable Funding (ASF)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ) / Required Stable Funding (RSF)}} >= 100\%$$

उपर्युक्त अनुपात निरंतर आधार पर कम से कम 100% के बराबर होना चाहिए और एनएसएफआर अनुपात बैंकों पर 1 अक्तूबर 2021 से आबद्धकारी है.
The above ratio should be equal to at least 100% on an ongoing basis and the NSFR ratio is binding on banks w. e. f October 1, 2021.

उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ़) / Available Stable Funding (ASF)

एएसएफ की राशि को किसी संस्थान के फंडिंग स्रोतों की सापेक्ष स्थिरता की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है, जिसमें इसकी देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता और विभिन्न प्रकार के फंडिंग प्रदाताओं की अपनी फंडिंग वापस लेने की प्रवृत्ति में अंतर शामिल है. एएसएफ की राशि की गणना पहले किसी संस्थान की पूंजी और देयताओं के वहन मूल्य को रिजर्व बैंक के परिपत्र में उल्लिखित पांच श्रेणियों में से एक को निर्दिष्ट करके की जाती है. फिर प्रत्येक श्रेणी को दी गई राशि को एएसएफ़ फ़ैक्टर से गुणा किया जाता है और कुल एएसएफ़ भारित राशियों का योग होना है. वहन मूल्य उस राशि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर किसी भी विनियामक कटौती, फ़िल्टर या अन्य समायोजन को लागू करने से पहले देयता या इक्विटी लिखत दर्ज किया जाता है.
The amount of ASF is measured, based on the broad characteristics of the relative stability of an institution's funding sources, including the contractual maturity of its liabilities and the differences in the propensity of different types of funding providers to withdraw their funding. The amount of ASF is calculated by first assigning the carrying value of an institution's capital and liabilities to one of five categories as mentioned in RBI circular. The amount assigned to each category is then multiplied by an ASF factor, and the total ASF is the sum of the weighted amounts. Carrying value represents the amount at which a liability or equity instrument is recorded before the application of any regulatory deductions, filters or other adjustments

आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ़) / Required Stable Funding (RSF)

आवश्यक स्थिर निधीयन की राशि को किसी संस्थान की आस्तियों और ओबीएस एक्सपोजर की तरलता जोखिम प्रोफाइल की व्यापक विशेषताओं के आधार पर मापा जाता है. आवश्यक स्थिर निधिकरण की राशि की गणना पहले किसी संस्था की आस्तियों का वहन मूल्य को रिजर्व बैंक के परिपत्र में सूचीबद्ध श्रेणियों को निर्दिष्ट कर के की जाती है. प्रत्येक श्रेणी को दी गई राशि को उसके संबद्ध आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ) कारक से गुणा किया जाता है, और कुल आरएसएफ ओबीएस गतिविधि (या संभावित तरलता एक्सपोजर) की मात्रा में जोड़े गए भारित राशि का योग होता है, जो इसके संबंधित आरएसएफ कारक से गुणा किया जाता है.
The amount of required stable funding is measured based on the broad characteristics of the liquidity risk profile of an institution's assets and OBS exposures. The amount of required stable funding is calculated by first assigning the carrying value of an institution's assets to the categories listed in RBI circular. The amount assigned to each category is then multiplied by its associated required stable funding (RSF) factor, and the total RSF is the sum of the weighted amounts added to the amount of OBS activity (or potential liquidity exposure) multiplied by its associated RSF factor.

चलनिधि प्रबंधन / Liquidity Management

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंधन संरचना है जो एएलएम नीति में वर्णित है. बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) कारोबारी रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी एवं प्रबंधन करती है. चलनिधि विश्लेषण एवं प्रबंधन सहित एएलएम कार्यकलाप का संचालन आस्ति देयता प्रबंधन, ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस, बजट एवं योजना आदि के कार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न एल्को सहायता समूहों के बीच समन्वय के माध्यम से किया जाता है. कारोबारी समूहों एवं वर्टिकलों द्वारा एल्को दिशा-निर्देशों तथा एएलएम कार्रवाइयों का कार्यान्वयन किया जाता है.
The Bank has well organized liquidity risk management structure as enumerated in ALM Policy which is approved by the Board. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors & manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis & management is conducted through coordination between various ALCO support groups residing in the functional areas of Asset Liability Management, Treasury Front Office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the business groups and verticals.

बैंक ने 31 मार्च 2024 को ₹2,37,822 करोड़ (पिछले वर्ष - ₹ 2,30,017 करोड़) के उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) और ₹ 2,00,074 करोड़ (पिछले वर्ष - ₹ 1,91,664 करोड़) के आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ) को बनाए रखा. उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ)

मुख्य रूप से कुल विनियामक पूंजी और खुदरा ग्राहकों, छोटे कारोबार ग्राहक, गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहक और सार्वजनिक उपक्रम से एक वर्ष से अधिक परिपक्वता के साथ की गई जमाराशियों द्वारा संचालित होती है. आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ) मुख्य रूप से एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली भार-रहित सरकारी प्रतिभूतियों और आस्तियों द्वारा संचालित होती है. कटौती के बाद एचक्यूएलए (उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां) भारित आरएसएफ के 2.03 % थीं. एचक्यूएलए को बाजार में आसानी से बेचा जा सकता है या अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जा सकता है.

Bank maintained Available Stable Funding (ASF) of ₹ 2,37,822 crore (Previous year - ₹ 2,30,017 crore) and Required Stable Funding (RSF) of ₹ 2,00,074 crore (Previous year- ₹ 1,91,664 crore) as on 31st March 2024. Available Stable Funding (ASF) is mainly driven by total regulatory capital and deposits with maturity over one year from retail customers, small business customers, non-financial corporate customers and PSUs. Required Stable Funding (RSF) is mainly driven by unencumbered government securities and assets with maturity over one year. HQLAs (High Quality Liquid Assets) after applying hair-cut constitute 2.03 % of weighted RSF. HQLAs can be easily sold in the market or can be used as collateral for sourcing additional funds.

मार्च 2024 को समाप्त तिमाही में बैंक का एनएसएफ़आर विनियामक सीमा 100% की तुलना में 118.87 % (पिछले वर्ष 120.01%) रहा है.

The NSFR of the Bank for Quarter ending March, 2024 is at 118.87 % (Previous Year 120.01%) as against the regulatory limit of 100%..

3. निवेश / Investments

क) 31 मार्च 2024 को निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

a) Composition of Investment Portfolio as at March 31, 2024

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	भारत में निवेश Investments in India							भारत के बाहर निवेश Investments outside India				कुल निवेश Total Investments
	सरकारी प्रतिभूतियां# Government Securities#	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड### Debentures and Bonds###	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and /or Joint Ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारणों सहित) Government Securities (Including local authorities)	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and /or Joint Ventures	अन्य Others	भारत के बाहर कुल निवेश Total investments outside India	
परिपक्वता तक धारित / Held to Maturity												
सकल / Gross	60,497		2	14,910	174	-	75,583	-	-	-	-	75,583
घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)## Less: Provision for Non-performing investments (NPI)##	673		-	-	-	-	673	-	-	-	-	673
निवल / NET	**59,824**		**2**	**14,910**	**174**	**-**	**74,910**	**-**	**-**	**-**	**-**	**74,910**
बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale												
सकल / Gross	24,381		540	4,794	134	9,164	39,013	415	-	-	415	39,428
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	-		218	1,495	43	2,870	4,626	-	-	-	-	4,626
निवल / Net	**24,381**		**322**	**3,299**	**91**	**6,294**	**34,387**	**415**	**-**	**-**	**415**	**34,802**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	भारत में निवेश Investments in India							भारत के बाहर निवेश Investments outside India				कुल निवेश Total Investments
	सरकारी प्रतिभूतियां # Government Securities#	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड### Debentures and Bonds###	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and /or Joint Ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारणों सहित) Government Securities (Including local authorities	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and /or Joint Ventures	अन्य Others	भारत के बाहर कुल निवेश Total investments outside India	
ट्रेडिंग के लिए धारित Held for Trading												
सकल / Gross	1,644		-	-	-	3,578	5,222	-	-	-	-	5,222
घटाएं : मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for Depreciation and NPI	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल / Net	**1,644**		**-**	**-**	**-**	**3,578**	**5,222**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5,222**
कुल निवेश Total Investments	**86,522**		**542**	**19,704**	**308**	**12,742**	**1,19,818**	**415**	**-**	**-**	**415**	**1,20,233**
घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for Non Preforming Investments	673		-	-	-	-	673	-	-	-	-	673
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	-		218	1,495	43	2,870	4,626	-	-	-	-	4,626
निवल / Net	**85,849**		**324**	**18,209**	**265**	**9,872**	**1,14,519**	**415**	**-**	**-**	**415**	**1,14,934**

#एचटीएम श्रेणी के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में ₹ 673 करोड़ का एसएएसएफ़ निवेश शामिल है .

 # Government Securities under HTM category includes SASF investment of ₹ 673 crore

एचटीएम सरकारी प्रतिभूतियों के तहत एनपीआई प्रावधान एसएएसएफ के लिए किए गए ₹ 673 करोड़ के प्रावधान को दर्शाता है जिसके लिए पूरी तरह से प्रावधान किया गया है.

NPI provision under HTM Govt. securities represents provision of ₹ 673 crore for SASF been fully provided

एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत डिबेंचरों और बांडों में भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 12,438 करोड़ के पुनर्पूंजीकरण बांड शामिल हैं.

Debentures and bonds under HTM category includes recapitalisation bonds issued by GOI of ₹ 12438 crore

31 मार्च 2023 को निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

Composition of Investment Portfolio as at March 31, 2023

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	भारत में निवेश Investments in India							भारत के बाहर निवेश Investments outside India				कुल निवेश Total Investments
	सरकारी प्रतिभूतियां# Government Securities#	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड### Debentures and Bonds###	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and /or Joint Ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारणों सहित) Government Securities (Including local authorities	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and /or Joint Ventures	अन्य Others	भारत के बाहर कुल निवेश Total investments outside India	
परिपक्वता तक धारित / Held to Maturity												
सकल / Gross	52,670	-	2	14,920	174	-	67,766	-	-	-	-	67,766
घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)## Less: Provision for Non-performing investments (NPI)##	879	-	-	-	-	-	879	-	-	-	-	879
निवल / NET	**51,791**	**-**	**2**	**14,920**	**174**	**-**	**66,887**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66,887**
बिक्री के लिए उपलब्ध Available for Sale												
सकल / Gross	19,419	-	398	5,057	134	7,043	32,051	221	-	-	221	32,272
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	17	-	160	1,367	51	2,652	4,247	-	-	-	-	4,247
निवल / Net	**19,402**	**-**	**238**	**3,690**	**83**	**4,391**	**27,804**	**221**	**-**	**-**	**221**	**28,025**
ट्रेडिंग के लिए धारित Held for Trading												
सकल / Gross	2,330	-	5	-	-	2,443	4,778	-	-	-	-	4,778
घटाएं : मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for Depreciation and NPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल / Net	**2,330**	**-**	**5**	**-**	**-**	**2,443**	**4,778**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,778**
कुल निवेश Total Investments	**74,419**	**-**	**405**	**19,977**	**308**	**9,486**	**1,04,595**	**221**	**-**	**-**	**221**	**1,04,816**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	भारत में निवेश Investments in India							भारत के बाहर निवेश Investments outside India				कुल निवेश Total Investments
	सरकारी प्रतिभूतियां# Government Securities#	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities	शेयर Shares	डिबेंचर और बांड### Debentures and Bonds###	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and /or Joint Ventures	अन्य Others	भारत में कुल निवेश Total investments in India	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकारणों सहित) Government Securities (Including local authorities	सहायक और/या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and /or Joint Ventures	अन्य Others	भारत के बाहर कुल निवेश Total investments outside India	
घटाएं: अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधान Less: Provision for Non Preforming Investments	879	-	-	-	-	-	879	-	-	-	-	879
घटाएं: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान Less: Provision for depreciation and NPI	17	-	160	1,367	51	2,652	4,247	-	-	-	-	4,247
निवल / Net	**73,523**	**-**	**245**	**18,610**	**257**	**6,834**	**99,469**	**221**	**-**	**-**	**221**	**99,690**

#एचटीएम श्रेणी के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में ₹ 879 करोड़ का एसएएसएफ़ निवेश शामिल है.

 # Government Securities under HTM category includes SASF investment of ₹ 879 crore.

एचटीएम सरकारी प्रतिभूतियों के तहत एनपीआई प्रावधान एसएएसएफ के लिए किए गए ₹ 879 करोड़ के प्रावधान को दर्शाता है जिसके लिए पूरा प्रावधान किया गया है.

NPI provision under HTM Govt. securities represents provision of ₹ 879 crore for SASF been fully provided.

एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत डिबेंचरों और बांडों में भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 12,438 करोड़ के पुनर्पूंजीकरण बांड शामिल हैं.

Debentures and bonds under HTM category includes recapitalisation bonds issued by GOI of ₹ 12438 crore.

ख) मूल्यह्रास और निवेश में उतार-चढ़ाव रिज़र्व के प्रावधानों में घट-बढ़
b) Movement of Provisions for Depreciation and Investment Fluctuation Reserve

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम संख्या Sr. No.		विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
i		**निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधान में घट-बढ़ Movement of provision held towards depreciation on investments**		
	क. a.	**प्रारंभिक शेष Opening Balance**	5,126	6,495
	ख. b.	जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान Add: Provision made during the year	799	2,399
	ग. c.	घटाएं : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना/ पुनरांकित करना Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year	627	3,768
	घ. d.	**अंतिम शेष Closing balance**	5,298	5,126

क्रम संख्या Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
ii	**निवेश में उतार-चढ़ाव रिज़र्व में घट-बढ़** **Movement of Investment Fluctuation Reserve**		
	क. प्रारंभिक शेष **a. Opening balance**	741	545
	ख. जोड़ें : वर्ष के दौरान अंतरित राशि b. Add: Amount transferred during the year	152	196
	ग. घटाएं: गिरावट c. Less: Drawdown	-	-
	घ. अंतिम शेष d. Closing balance	893	741
iii	**एएफ़एस और एचएफ़टी/वर्तमान श्रेणी में निवेश के अंतिम शेष के प्रतिशत के रूप में आईएफ़आर में अंतिम शेष (निवल)** **Closing balance in IFR as a percentage of closing balance of investments in AFS and HFT/Current category (Net)**	**2.23%**	**2.26%**

संबंधित रिपोर्टिंग अवधियों के अंत की स्थितियों की तुलना करके वार्षिक आधार पर प्रावधान में घट-बढ़ तैयार किया जाता है.

Movement of provision is prepared on annual basis by comparing the positions as at the respective reporting period end.

नोट: रिज़र्व बैंक ने 25 अगस्त 2021 के मास्टर निर्देश के अनुसार 'वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन (निर्देश), 2021' के अनुसार ऐसी राशि का निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व (आईएफआर) बनाने की सलाह दी गई है जो वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या वर्ष के लिए निवल लाभ से अनिवार्य विनियोजन घटाने के बाद की राशि, जो भी कम हो, जब तक कि आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2 प्रतिशत न हो.

Note: As per RBI vide its Master Direction dated August 25, 2021 on 'Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio of Commercial Banks (Directions), 2021' advised to create Investments Fluctuation Reserve (IFR) with an amount which is not less than lower of net profit on sale of investments during the year or net profit for the year less mandatory appropriations until the amount of IFR is at least 2 percent of the HFT and AFS portfolio, on a continuing basis.

31 मार्च 2024 को जब तक कि आईएफ़आर की राशि सकल एचएफ़टी और एएफ़एस पोर्टफोलियो के कम से कम 2% न हो , बैंक ने आईएफ़आर में अंतरित किया है.

Bank has transferred to IFR until the amount of IFR is at least 2% of the Gross HFT and AFS portfolio as on March 31, 2024.

ग) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से / को विक्रय व अंतरण

c) Sales and transfers to/from Held to Maturity (HTM) category

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष (और 31 मार्च 2023 को समाप्त गत वर्ष) के दौरान एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है.

During the year ended March 31, 2024 (and previous year ended March 31, 2023), the value of sales and transfers of securities to/from HTM category has not exceeded 5% of the book value of the investments held in HTM category at the beginning of the year.

उपरोक्त सीमा के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को बाहर रखा गया है: / For the purpose of above limit following are excluded:

लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में बैंकों को अनुमत निदेशक मंडल के अनुमोदन से किया जानेवाला एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों के एकबारीय अंतरण, पूर्व घोषित खुला बाज़ार परिचालन (ओएमओ) नीलामियों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को की गई बिक्री, एसएलआर धारितों को कम करने के लिए एचटीएम से सीधी बिक्री, भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋणों की पुनर्खरीद और रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत प्रतिभूतियों का अतिरिक्त स्थानांतरण.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

Onetime transfer to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year, sale to RBI under pre-announced Open Market Operation (OMO) auctions, direct sales from HTM for bringing down SLR holdings, repurchase of government securities by GOI, repurchase of state development loans by respective state governments and additional shifting of securities permitted by RBI.

घ) **गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो**

d) **Non- SLR Investment Portfolio**

(i) **अनर्जक गैर- एसएलआर निवेश / Non-performing Non-SLR investments**

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23
प्रारंभिक शेष / Opening balance	1,321	1,495
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year since 1st April	1,484	737
उपर्युक्त वर्ष के दौरान कमी @ Reductions during the above year @	331	911
अंतिम शेष / Closing balance	2,474	1,321
धारित कुल प्रावधान# / Total provisions held#	**2,474**	**1,321**

@ ₹ 86 करोड़ (पिछला वर्ष- ₹ 707 करोड़) के निवेश मोचन/बिक्री/ बट्टे खाते में डालना / निपटान /वापसी खरीद, ₹ 94 करोड़ (पिछला वर्ष-शून्य) का उन्नयन और अन्य आस्तियों में अंतरित निवेश शून्य (पिछला वर्ष- ₹ 204 करोड़), ₹ 151 करोड़ (पिछला वर्ष-शून्य) का एनसीडी से एसआर में परिवर्तन शामिल है.

@ Includes Investment Redemption/ Sale/ Write-off/ Settlement/Buyback of ₹ 86 crore (previous year - ₹ 707 crore), Up-gradation of ₹ 94 crore (previous year - Nil) and Investment moved to other assets Nil (previous year - ₹ 204 crore) Conversion of NCD to SR of ₹ 151 crore (previous year - Nil)

 # कुल प्रावधान में ₹356/ - (पिछले वर्ष - ₹332 करोड़) का निर्मित विशेष प्रावधान शामिल है. प्रावधान में घट-बढ़ संबंधित रिपोर्टिंग अवधियों की स्थितियों की तुलना कर वार्षिक आधार पर तैयार किया जाता है.

 # Total Provision held includes special provision created of ₹ 356/- (previous year - ₹ 332 crore) Movement of provision is prepared on annual basis by comparing the positions as on respective reporting periods

(ii) **गैर-एसएलआर निवेशों की निर्गमकर्ता संरचना / Issuer composition of Non-SLR investments**

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount		निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement		'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा # Extent of below investment grade' securities #		'बिना- रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा $ Extent of 'unrated' securities$		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
31 मार्च को / As at March 31,		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम** PSUs**	12,467	12,572	2	102	-	2	12,467	12,472	29	29
2	वित्तीय संस्थाएं / FIs	739	^948	69	30	-	-	19	19	19	19
3	बैंक / Banks	9,945	^6,591	284	254	-	-	6	1	-	-
4	निजी कॉरपोरेट Private corporates	6,477	^6,826	6,010	^6,111	1,788	1,555	1,624	1,248	1,606	^1,638

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount		निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement		'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा # Extent of below investment grade' securities #		'बिना- रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा $ Extent of 'unrated' securities$		'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities	
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
31 मार्च को / As at March 31,		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
5	सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम Subsidiaries / JV	308	308	290	290	-	-	308	308	308	308
6	अन्य@ / Others@	4,446	^4,030	503	^303	1,430	2,627	1,995	3,302	4,031	^3,809
	सकल कुल / Gross Total	34,382	31,275	7,158	7,090	3,218	4,184	16,419	17,350	5,993	5,803
7	मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रावधान Prov. held towards Depreciation	5298	5,109	-	-	-	-	-	-	-	-
	निवल कुल / Net Total	**29,084**	**26,166**	**7,158**	**7,090**	**3,218**	**4,184**	**16,419**	**17,350**	**5,993**	**5,803**

$ इक्विटियों में निवेश को बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियां माना जाता है.
$ Investment in Equities are treated as unrated securities

@ अन्य में पीटीसी, एसएएसएफ, एसआर और विदेशी/गिफ्ट निवेश शामिल है.
@ Others include PTC, SASF, SR and overseas/GIFT investment.

*** गैर एसएलआर होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 12,438 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12,438 करोड़) के पुनर्पूंजीकरण बांड को पीएसयू के रूप में वर्गीकृत किया गया है.*
*** The Recapitalisation Bonds issued by GOI of ₹ 12,438 crore (previous year - ₹ 12,438 crore) being Non SLR has been classified as PSU*

 # इक्विटी/ अधिमान्य शेयरों तथा राज्य स्तरीय बॉण्डों में एनपीआई निवेश को निवेश ग्रेड से नीचे माना गया है.
 # NPI Investments in equity/preference shares and state level bonds have been considered as below investment grade.

^ सीपी/सीडी और म्युच्युअल फंड को निर्गमकर्ता श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत किया गया है. जहां आवश्यक हुआ वहां वित्तीय वर्ष 2022-23 के आंकड़ों को पुनः दर्शाया गया है.
^ CP/CD and Mutual Fund are categorized based on Issuer category, all the figures of FY 2022-23 are restated wherever required.

घ) रेपो लेन-देन (अंकित मूल्य के संदर्भ में)
e) Repo Transactions (in face value terms)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण / Disclosure for the year ended March 31, 2024

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया@ Minimum Outstanding During The Year@	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum Outstanding During The Year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average Outstanding During The Year	31 मार्च 2024 को बकाया Outstanding as on March 31, 2024
रिज़र्व बैंक रेपो, बाज़ार रेपो, कॉरपोरेट बांड रेपो लेनदेन RBI REPO, MARKET REPO, CORPORATE BOND REPO TRANSACTION				
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities sold under Repo (Face Value)				
I. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	2,421	8,015	2,957	2,421

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया@ Minimum Outstanding During The Year@	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum Outstanding During The Year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average Outstanding During The Year	31 मार्च 2024 को बकाया Outstanding as on March 31, 2024
II. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	50	100	0.40	Nil
III. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities purchased under Reverse Repo (Face Value)				
I. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	5	739	46	शून्य / Nil
II. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	75	161	7	शून्य / Nil
III. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
टीआरईपीएस रेपो लेनदेन TREPS REPO TRANSACTION				
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities sold under Repo (Face Value)				
I. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	285	17,618	4,588	शून्य / Nil
II. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
III. कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities purchased under Reverse Repo (Face Value)				
I. सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	495	4,200	70	2,500
II. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया@ Minimum Outstanding During The Year@	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum Outstanding During The Year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average Outstanding During The Year	31 मार्च 2024 को बकाया Outstanding as on March 31, 2024
III.	कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

@ - ''वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि'' के निर्धारण के उद्देश्य के लिए ''शून्य'' शेष राशि को शामिल नहीं किया गया है.
@ - For the purpose of determination of "minimum outstanding amounts during the year", "zero" balances have been excluded.

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण / Disclosure for the year ended March 31, 2023

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया@ Minimum Outstanding During The Year@	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum Outstanding During The Year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया Daily Average Outstanding During The Year	31 मार्च 2023 को बकाया Outstanding as on March 31, 2023
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) **Securities sold under Repo (Face Value)**					
I.	सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	2,421	4,422	2,467	2,421
II.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	50	100	1	शून्य / Nil
III.	कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) **Securities purchased under Reverse Repo (Face Value)**					
I.	सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	5	18,724	1,270	शून्य / Nil
II.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	50	150	6	शून्य / Nil
III.	कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
टीआरईपीएस रेपो लेनदेन **TREPS REPO TRANSACTION**					
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) **Securities sold under Repo (Face Value)**					
I.	सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	350	9,391	3,850	शून्य / Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

II.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
III.	कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities purchased under Reverse Repo (Face Value)					
I.	सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	206	1,937	34	शून्य / Nil
II.	कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
III.	कोई अन्य प्रतिभूतियां Any Other Securities	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

@ - ''वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि'' के निर्धारण के उद्देश्य के लिए ''शून्य'' शेष राशि को शामिल नहीं किया गया है.
@ - For the purpose of determination of "minimum outstanding amounts during the year" "zero" balances have been excluded.

घ) सरकारी प्रतिभूति उधार (जीएसएल) लेनदेन
f) Government Security Lending (GSL) transactions

बैंक ने चालू वर्ष और गत वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के उधार संबंधी कोई लेनदेन नहीं किया है.
Bank has no transaction in Government Securities Lending during the current year & previous year.

4. आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality

क) 31 मार्च 2024 को अग्रिमों और धारित प्रावधानों का वर्गीकरण
a) Classification of advances and provisions held as on March 31, 2024

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-performing				
	कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances (A)	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम (आ) Total Non-Performing Advances (B)	कुल (अ+आ) Total (A+B)
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए Gross Standard Advances & NPA						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1,61,073	1,006	2,989	6,974	10,969	1,72,042
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year					3,559	
घटाएं : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					5,611	
अंतिम शेष / Closing Balance	1,87,977	2053	2680	4184	8,917	1,96,894
सकल एनपीए में कमी के कारण: Reductions in Gross NPAs due to:						
i) उन्नयन Up-gradation					1,510	

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-performing				
	कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances (A)	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम (आ) Total Non-Performing Advances (B)	कुल (अ+आ) Total (A+B)
ii) वसूलियां (अपग्रेड खातों से हुई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					1,117	
iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए Technical/ Prudential Write-offs					2,758	
iv) उपर्युक्त (iii) को छोड़कर बट्टे खाते में डाले गए Write-offs other than those under (iii) above					227	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)^ Provisions (excluding Floating Provisions)^						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held	4,977	333	2,168	6,974	9,475	14,452
जोड़ें:वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					4,064	
घटाएं: रिवर्स किये गये आधिक्य प्रावधान/ बट्टे खाते डाले गये ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					5,266	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of provisions held	4,817	1,441	2,648	4,184	8,273	13,090
निवल एनपीए / Net NPAs						
प्रारंभिक शेष Opening Balance		674	821	0	1,495	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					1,060	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					1,911	
अंतिम शेष / Closing Balance		612	32	0	644	644
अस्थायी प्रावधान Floating Provisions						
प्रारंभिक शेष Opening Balance						शून्य / Nil
जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						शून्य / Nil
घटाएं: वर्ष के दौरान कम की गई राशि Less: Amount drawn down during the year						शून्य / Nil
अस्थिर प्रावधानों के अंतिम शेष Closing balance of floating provisions						शून्य / Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-performing				
	कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances (A)	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम (आ) Total Non-Performing Advances (B)	कुल (अ+आ) Total (A+B)
तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए और उनसे की गई वसूली **Technical write-offs and the recoveries made thereon**						
तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						61,737
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						2,758
घटाएं: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले गए खातों में हुई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						2,598@
अंतिम शेष Closing balance						61,897

@ - विनिमय अंतर (निवल) / @ - Exchange differences (net)

^ रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों में परिवर्तन के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 के निवल एनपीए की गणना में एनपीवी के लिए प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है.

^ Pursuant to change in extant RBI guidelines, provision for NPV is excluded for the purpose of computation of Net NPA for FY2023-24

नोट: 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने आईआरएसी मानदंडों से अधिक का अतिरिक्त प्रावधान किया है.

Note: During financial year ended March 31, 2024, Bank has made additional provision of over and above the IRAC norms.

31 मार्च 2023 को अग्रिमों और धारित प्रावधानों का वर्गीकरण

Classification of advances and provisions held as on March 31, 2023

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-performing				
	कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances (A)	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम (आ) Total Non-Performing Advances (B)	कुल (अ+आ) Total (A+B)
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए Gross Standard Advances & NPA						
प्रारंभिक शेष / Opening Balance	1,35,091	1,167	10,402	22,546	34,115	1,69,206

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-performing				
	कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances (A)	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम (आ) Total Non-Performing Advances (B)	कुल (अ+आ) Total (A+B)
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन Add: Additions during the year					3,750	
घटाएं : वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					26,896	
अंतिम शेष / Closing Balance	1,61,073	1,006	2,989	6,974	10,969	1,72,042
सकल एनपीए में कमी के कारण: Reductions in Gross NPAs due to:						
i) उन्नयन Up-gradation					801	
ii) वसूलियां (अपग्रेड खातों से हुई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries from upgraded accounts)					4,169	
iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए Technical/ Prudential Write-offs					18,950	
iv) उपर्युक्त (iii) को छोड़कर बट्टे खाते में डाले गए Write-offs other than those under (iii) above					2,976	
प्रावधान (अस्थायी प्रावधानों को छोड़कर)^ **Provisions (excluding Floating Provisions)^**						
धारित प्रावधानों का प्रारंभिक शेष Opening balance of provisions held	3,071	207	9,498	22,546	32,251	35,322
जोड़ें:वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान Add: Fresh provisions made during the year					3,241	
घटाएं: रिवर्स किये गये आधिक्य प्रावधान/ बट्टे खाते डाले गये ऋण Less: Excess provision reversed/ Write-off loans					26,017	
धारित प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of provisions held	4,977	333	2,168	6,974	9,475	14,452
निवल एनपीए / Net NPAs						

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	मानक Standard	अनर्जक Non-performing				
	कुल मानक अग्रिम (अ) Total Standard Advances (A)	अव-मानक Sub-standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल अनर्जक अग्रिम (आ) Total Non-Performing Advances (B)	कुल (अ+आ) Total (A+B)
प्रारंभिक शेष Opening Balance		960	904	0	1,864	
जोड़ें: वर्ष के दौरान नए परिवर्धन Add: Fresh additions during the year					1,921	
घटाएं: वर्ष के दौरान कमी Less: Reductions during the year					2,290	
अंतिम शेष / Closing Balance		674	821	0	1,495	1,495
अस्थिर प्रावधान Floating Provisions						
प्रारंभिक शेष Opening Balance						शून्य / Nil
जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये अतिरिक्त प्रावधान Add: Additional provisions made during the year						शून्य / Nil
घटाएं: वर्ष के दौरान कम की गई राशि Less: Amount drawn down during the year						शून्य / Nil
अस्थिर प्रावधानों का अंतिम शेष Closing balance of floating provisions						शून्य / Nil
तकनीकी रूप से डाले गए बट्टे खाते और उनमें से की गई वसूली Technical write-offs and the recoveries made thereon						
तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए खातों का प्रारंभिक शेष Opening balance of Technical/ Prudential written-off accounts						44,097
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण ढंग से बट्टे खाते डाले गए Add: Technical/ Prudential write-offs during the year						18,950
घटाएं: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले गए खातों से हुई वसूली Less: Recoveries made from previously technical/ prudential written-off accounts during the year						1,310@
अंतिम शेष Closing balance						61,737

@ - विनिमय अंतर (निवल)

@ - Exchange differences (net)

^ रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों में परिवर्तन के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2022-23 के निवल एनपीए की गणना में एनपीवी के लिए प्रावधान को शामिल नहीं किया गया है.

^ Pursuant to change in extant RBI guidelines, provision for NPV is excluded for the purpose of computation of Net NPA for FY2022-23

अनुपात Ratios	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24	वत्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए / Gross NPA to Gross Advances	4.53%	6.38%
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए / Net NPA to Net Advances	0.34%	0.92%
प्रावधान कवरेज अनुपात (टीडब्ल्युओ को शामिल कर) / Provision Coverage Ratio (including TWO)	99.09%	97.94%

ख) क्षेत्र-वार अग्रिम और सकल एनपीए

b) Sector-wise Advances and Gross NPAs

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं Sl. No	क्षेत्र@ Sector@	31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024			31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023		
	विवरण Particulars	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
अ A	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector**						
1	**कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities**	**22,265**	**1,812**	**8.14%**	**20,956**	**2,065**	**9.85%**
	कृषि और वानिकी Agriculture and Forestry	19,473	1,675	8.60%	19,012	1,901	10.00%
2	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में उधार के लिए पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending**	**5,790**	**325**	**5.61%**	**5,979**	**506**	**8.46%**
	विनिर्माण / Manufacturing	4,354	284	6.53%	4,383	502	11.45%
	निर्माण / Construction	1,304	38	2.91%	1,486	68	4.58%
3	**सेवाएं / Services**	**20,774**	**880**	**4.24%**	**15,155**	**1,450**	**9.57%**
	थोक और खुदरा व्यापार Wholesale and Retail Trade	9,197	606	6.59%	9,490	876	9.23%
	रियल एस्टेट, किराया और व्यावसायिक कार्यकलाप Real Estate, Renting and Business Activities	881	42	4.77%	1,565	135	8.63%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं Sl. No	क्षेत्र@ Sector@	31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024			31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023		
	विवरण Particulars	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
4	**वैयक्तिक ऋण / Personal loans**	17,716	267	1.51%	17,133	237	1.38%
5	**अन्य / Others**	0	0	0	-	-	-
	उप-कुल (अ) / Sub-total (A)	66,545	3,283	4.93%	59,223	4,258	7.19%
आ B	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector**						
1	**कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities**	271	0	0.00%	115	0	0.00%
	कृषि और वानिकी Agriculture and Forestry	215	0	0.00%	107	0	0.00%
2	**उद्योग क्षेत्र को अग्रिम Advances to industries sector**	41,146	2,234	5.43%	36,051	3,846	10.67%
	विनिर्माण / Manufacturing	14,641	1,712	11.69%	15,310	2,735	17.86%
	निर्माण / Construction	79	31	39.24%	123	31	25.20%
	बिजली, गैस और पानी की आपूर्ति Electricity, Gas And Water Supply	4,944	147	2.97%	6,644	737	11.09%
	खनन और उत्खनन Mining and Quarrying	6,071	0	0.00%	2,436	0	0.00%
3	**सेवाएं / Services**	9,299	549	5.90%	6,416	484	7.54%
	वित्तीय मध्यस्थता Financial Intermediation	2,910	330	11.34%	383	325	84.86%
	थोक और खुदरा व्यापार Wholesale and Retail Trade	2,248	84	3.74%	1,915	66	3.45%
	रियल एस्टेट, किराया और व्यावसायिक कार्यकलाप Real Estate, Renting and Business Activities	596	20	3.36%	619	14	2.26%
	परिवहन, भंडारण एवं संचार Transport Storage & Communication	2,418	76	3.14%	2,186	2	0.09%
	लोक प्रशासन एवं रक्षा; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	498	0	0.00%	491	0	0.00%

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र.सं SI. No	क्षेत्र@ Sector@ / विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024 बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023 बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
	अन्य समुदाय, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं Other Community, Social & Personal Services	439	4	0.91%	615	5	0.81%
4	**वैयक्तिक ऋण** Personal loans	79,633	2,850	3.58%	69,580	2,381	3.42%
5	**अन्य** / Others	0	0	0.00%	657	0	0.00%
	उप-कुल (आ) / Sub-total (B)	1,30,349	5,633	4.32%	1,12,819	6,711	5.95%
	कुल (अ+आ) / TOTAL (A+B)	**1,96,894**	**8,917**	**4.53%**	**1,72,042**	**10,969**	**6.38%**

@ - उप-क्षेत्र जहां बकाया अग्रिम उस क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक हैं, उन्हें अलग से प्रकट किया जाता है.

@ - Sub-sectors where the outstanding advances exceed 10% of the outstanding total advances to that sector is disclosed separately..

नोट: 28 दिसंबर 2023 के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, प्राथमिकता क्षेत्र के उद्देश्य के लिए उधारकर्ताओं को एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र (यूआरसी)/उद्यम आधार प्रमाणपत्र (यूएसी) आवश्यक है. बैंक ने सभी पात्र उधारकर्ताओं के लिए यूआरसी प्राप्त कर लिया है और काफी अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के लिए यूएसी उत्पन्न करने में सक्षम रहे हैं. प्राथमिकता क्षेत्र के तहत एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत शेष उधारकर्ताओं (आईएमई) के लिए यूएसी प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं.

Note: In terms of regulatory guidelines dated December 28, 2023, Udyam Registration certificate (URC)/ Udyam Aadhar Certificate(UAC) is required for classification of borrowers as MSMEs for the purpose of priority sector. The bank has obtained the URC for all eligible borrowers and has been able to generate UAC for considerable Informal Micro Enterprises (IMEs). Efforts are in progress to obtain UAC for remaining borrowers (IMEs) classified as MSMEs under priority sector

ग) समुद्रपारीय आस्तियां, एनपीए और राजस्व

c) Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
कुल आस्तियां / Total Assets	10,053	6,082#
कुल एनपीए (निवल) / Total NPAs (Net)	35	Nil
कुल राजस्व / Total Revenue	1,669	578#

 # मार्च 2023 के आंकड़ों में डीआईएफ़सी शाखा से संबन्धित आंकड़े शामिल हैं.

#The figure of March 2023 includes data pertaining to DIFC branch.

नोट: *दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (डीआईएफसी) शाखा को बंद करने के लिए बोर्ड की मंजूरी और दुबई वित्तीय सेवाएं प्राधिकरण द्वारा मंजूर लाइसेंस वापसी के अनुमोदन के अनुसार, डीआईएफसी प्राधिकरण ने 22 दिसंबर 2023 को पंजीकरण को वापस लेने की मंजूरी दे दी और तदनुसार 22 दिसंबर 2023 को डीआईएफसी शाखा का अस्तित्व समाप्त हो गया है .*

Note: *Pursuant to Board approval for closure of the Dubai International Financial Centre (DIFC) Branch and license withdrawal approval granted by Dubai Financial Services Authority, DIFC authority granted it's de-registration approval on December 22, 2023 and accordingly DIFC Branch has ceased to exist w.e.f. December 22, 2023.*

घ) समाधान योजना और पुनर्संरचना का विवरण

d) Particulars of resolution plan and restructuring

(i) रिज़र्व बैंक के दिनांक 07 जून 2019 के परिपत्र सं. आरबीआई/2018-2019/203 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के अनुसार 'दवाबग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेक पूर्ण ढांचा' के बारे में प्रकटन.

(i) Disclosure as per RBI Circular on 'Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets' Circular No: RBI/2018-2019/203DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 dated June 07, 2019.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

31 मार्च 2024 को / As at March 31, 2024:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	आरपी कार्यान्वयन की स्थिति Status of RP Implementation	मामले Cases	बकाया शेष (एफबी+एनएफबी) O/S Balance (FB+NFB)	कुल धारित प्रावधान Total Provision Held	विलंबित कार्यान्वयन हेतु प्रावधान (यदि कोई हो) Provision for Delayed Implementation (if any)
1	कार्यान्वित Implemented	22	6,325	3,835	499
2	गैर-कार्यान्वित Non implemented	36	18,811	18,578	305
	कुल / Total	**58**	**25,136**	**22,413**	**804**

31 मार्च 2023 को / As at March 31, 2023:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	आरपी कार्यान्वयन की स्थिति Status of RP Implementation	मामले Cases	बकाया शेष (एफबी+एनएफबी) O/S Balance (FB+NFB)	कुल धारित प्रावधान Total Provision Held	विलंबित कार्यान्वयन हेतु प्रावधान (यदि कोई हो) Provision for Delayed Implementation (if any)
1	कार्यान्वित Implemented	15	4,406	2,188	533
2	गैर-कार्यान्वित Non implemented	45	23,704	23,143	252
	कुल / Total	60	**28,110**	**25,331**	**785**

(ii) पूंजी बाजार एक्सपोजर स्थिति पर विनियामकीय सीमा/ पाबंदी से छूट प्राप्त ऋण का इक्विटी में संपरिवर्तन के कारण इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण.
Acquisitions of Equity Shares due to conversion from Debt to Equity exempted from Regulatory Ceilings/ Restrictions on Capital Market Exposure Position

विवरण Particulars		पुनर्संरचना के अधीन Under Restructuring
31 मार्च 2024 को पुनर्संरचित खाते Restructured Accounts as on March 31, 2024	उधारकर्ताओं की संख्या Number of Borrowers	28
	बकाया राशि (₹ करोड़) Amount Outstanding (₹crore)	49
31 मार्च 2023 को पुनर्संरचित खाते Restructured Accounts as on March 31, 2023	उधारकर्ताओं की संख्या Number of Borrowers	29
	बकाया राशि (₹ करोड़) Amount Outstanding (₹ crore)	59

ङ) **रिज़र्व बैंक के 18 अप्रैल 2017 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.63/21.04.018/2016-17, रिज़र्व बैंक के 01 अप्रैल 2019 के परिपत्र सं. आरबीआई/2018-19/157/डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.32/21.04.018/2018-19 और रिज़र्व बैंक के 11 अक्तूबर 2022 के आरबीआई/2022-23/130/डीओआर.एसीसी.आरईसी संख्या. 74/21.04.018/2022-23 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण तथा एनपीए के लिए प्रावधान में विचलन.**

e) **Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs as per RBI Circular DBR.BP.BC.No.63/21.04.018/2016-17 dated April 18, 2017, RBI Circular No: RBI/2018-19/157 DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 dated April 01, 2019 & RBI/2022-23/130 DOR.ACC.REC.No.74/21.04.018/2022-23 dated October 11, 2022**

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, जहां कहीं भी अतिरिक्त प्रावधान आकलित/ अतिरिक्त सकल एनपीए रिजर्व बैंक द्वारा अभिनिर्धारित किये जाते हैं जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक हों, बैंकों को अपने वित्तीय विवरणों के लेखा नोटों में, रिज़र्व बैंक के वार्षिक पर्यवेक्षकीय प्रक्रिया के कारण आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन को प्रकट करना जरूरी होता है.

In terms of the RBI guidelines, banks are required to disclose the divergence in asset classification and provisioning consequent to RBI's annual supervisory process in their notes to accounts to the financial statements, wherever the additional provisioning assessed/ additional gross NPAs identified by RBI exceeds the threshold specified by RBI.

वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अभिनिर्धारित विचलन रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों में वर्णित रिपोर्टिंग मानदंड को पूरा नहीं करते.

Divergence identified during FY2023-24 and FY 2022-23 did not meet the reporting criteria stipulated in extant RBI guidelines.

च) **ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटन**

f) **Disclosure of Transfer of loan exposures**

(i) ऐसे ऋणों के संबंध में जिसमें चूक नहीं हुई है, और जिनको अंतरित या अर्जित किया गया है - शून्य
In respect of loans not in default that are transferred or acquired - Nil

(ii) अंतरित या अर्जित दबावग्रस्त ऋणों के मामले में, प्रकटन निम्नानुसार है:
In the case of stressed loans transferred or acquired, the disclosure is as follows:

(अ) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अंतरित/ अर्जित एसएमए का विवरण - शून्य
(a) Details of SMA transferred/ acquired during FY 2023-24 - Nil

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अंतरित/अर्जित एसएमए का विवरण - शून्य
Details of SMA transferred/ acquired during FY 2022-23 – Nil

(ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अंतरित एनपीए/टीडब्ल्युओ का विवरण:
(b) Details of NPAs/TWO transferred during FY2023-24:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	एआरसी को To ARCs	अनुमत अंतरीतियों को To permitted transferees	अन्य अंतरीतियों को To other transferees
खातों की सं. / No. of accounts	#11	1	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों की कुल मूल बकाया राशि Aggregate principal outstanding of loans transferred	#1,606	138	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	एआरसी को To ARCs	अनुमत अंतरीतियों को To permitted transferees	अन्य अंतरीतियों को To other transferees
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
सकल प्रतिफल Aggregate consideration	417	##86	शून्य / Nil
पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संदर्भ में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल (प्रतिभूति रसीदों से मोचन) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years (Redemption from Security Receipts)	88	शून्य / Nil	शून्य / Nil

 # इसमें ₹ 171 करोड़ के एक्सपोजर वाला 1 अनर्जक निवेश खाता (एनपीआई) शामिल है, जिसे ₹ 43 करोड़ के प्रतिफल में अंतरित किया गया है. [₹ 6 करोड़ का नकद और ₹ 37 करोड़ की प्रतिभूति रसीद].

 # Includes 1 Non-Performing Investment a/c (NPI) having exposure of ₹ 171 crore, transferred for consideration of ₹ 43 crore. [Cash ₹ 6 crore and Security Receipts ₹ 37 crore]

अंतरिती द्वारा विलंबित ब्याज भुगतान के लिए प्रदत्त ₹ 1 करोड़ शामिल है.

Includes ₹ 1 crore paid by transferee for delayed interest payment.

नोट: बैंक ने चालू वर्ष के दौरान दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में ₹ 231 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹ 618 करोड़) का आधिक्य प्रावधान रिवर्स किया है.

Note: Bank has reversed excess provisions of ₹ 231 crore (Previous Year: ₹ 618 crore) to the profit and loss account on account of sale of stressed loans during the current year.

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण:

Details of loans acquired during the year FY 2023-24:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूएसबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी से From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	एआरसी से From ARCs
अर्जित ऋणों की कुल मूल बकाया राशि Aggregate principal outstanding of loans acquired	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल प्रतिफल प्रदत्त / Aggregate consideration paid	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अर्जित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of loans acquired	शून्य / Nil	शून्य / Nil

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अंतरित एनपीए का विवरण / Details of NPAs transferred during FY2022-23:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	एआरसी को To ARCs	अनुमत अंतरीतियों को To permitted transferees	अन्य अंतरीतियों को To other transferees
खातों की सख्या / No. of accounts	5	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों की कुल मूल बकाया राशि Aggregate principal outstanding of loans transferred	4,428	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of the loans transferred	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अंतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	0.00	शून्य / Nil	शून्य / Nil
सकल प्रतिफल Aggregate consideration	2,054	शून्य / Nil	शून्य / Nil
पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल (प्रतिभूति रसीदों से मोचन) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years (Redemption from Security Receipts)	86	शून्य / Nil	शून्य / Nil

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण / Details of loans acquired during the year FY2022-23:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	आवास वित्त कंपनियों (एचएफ़सी) सहित एससीबी, आरआरबी, यूसीबी, एसटीसीबी, डीसीसीबी, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी से From SCBs, RRBs, UCBs, StCBs, DCCBs, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	एआरसी से From ARCs
अर्जित ऋणों की कुल मूल बकाया राशि Aggregate principal outstanding of loans acquired	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल प्रतिफल प्रदत्त Aggregate consideration paid	शून्य / Nil	शून्य / Nil
अर्जित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि Weighted average residual tenor of loans acquired	शून्य / Nil	शून्य / Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

31 मार्च 2024 को बैंक द्वारा धारित प्रतिभूति रसीदों (एसआर) को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में वितरण :

The distribution of the Security Receipts (SRs) held by bank across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on March 31, 2024:

वसूली रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही लागत Book Cost (₹ करोड़) / (₹ Crore)
आरआर1+ / RR1+	0
आरआर1 / RR1	1,425
आरआर2 / RR2	3
आरआर3 / RR3	40
आरआर4 / RR4	5
आरआर5 / RR5	59
रेटिंग लागू नहीं # / Rating not applicable#	1,323
कुल / Total	**2,855**

 # - रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 8 वर्ष के बाद की रेटिंग लागू नहीं है.

 # - As per RBI guideline post 8 years Rating is not applicable.

31 मार्च 2023 को बैंक द्वारा धारित प्रतिभूति रसीदों (एसआर) को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को समनुदेशित वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में वितरण :

The distribution of the Security Receipts (SRs) held by bank across the various categories of Recovery Ratings assigned to such SRs by the credit rating agencies as on March 31, 2023:

वसूली रेटिंग बैंड Recovery Rating Band	बही लागत Book Cost (₹ करोड़) / (₹ Crore)
आरआर1+ / RR1+	0
आरआर1 / RR1	0
आरआर2 / RR2	45
आरआर3 / RR3	0
आरआर4 / RR4	56
आरआर5 / RR5	103
रेटिंग लागू नहीं # / Rating not applicable#	2,423
कुल / Total	**2,627**

 # रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 8 वर्ष के बाद की रेटिंग लागू नहीं है. उपर्युक्त सभी प्रतिभूति रसीदों के लिए पूरा प्रावधान किया गया है और 31 मार्च 2023 को निवल बही मूल्य शून्य था.

 # As per RBI guideline post 8 years Rating is not applicable. All the above Security Receipts are fully provided and Net Book value as on March 31, 2023 is Nil.

छ) **वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामले और किए गए प्रावधान**

g) **Fraud Reported and Provision made during the Year**

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी मामलों की संख्या / Number of Frauds reported	#628	$# 812
धोखाधड़ी में शामिल राशि / Amount involved in fraud	#33	$# 4,913
ऐसी धोखाधड़ियों के लिए की गई प्रावधान की राशि Amount of provision made for such frauds	@ #28	@ #4,864
वर्ष के अंत में 'अन्य आरक्षित निधि' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की राशि Amount of Unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil

 # वित्तीय वर्ष 2024 में कुल ₹ 0.15 करोड़ के 4 गैर-रिपोर्टिंग वसूलीकर्ता बैंक (एनआरसीबी) मामले और वित्तीय वर्ष 2023 में कुल ₹ 0.28 करोड़ के 8 गैर-रिपोर्टिंग वसूलीकर्ता बैंक (एनआरसीबी) संबंधी मामले शामिल हैं जिन्हें दिनांक 1 जुलाई 2016 (3 जुलाई 2017 को अद्यतन किया गया) के रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश वाणिज्यिक बैंकों एवं चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के अनुसार रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट नहीं किया गया.

 # Includes 4 Non-Reporting Collecting Bank (NRCB) cases aggregating ₹ 0.15 crore for the FY 2024 & 8 Non-Reporting Collecting Bank (NRCB) cases aggregating ₹ 0.28 crore for the FY 2023 which were not reported to RBI as per RBI Master Directions on Frauds-Classification and Reporting by commercial banks and select FIs. July 01, 2016 (Updated as on July 03, 2017).

$ बैंक की सहायक कंपनी अर्थात् आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड - विलासिनी सी बी द्वारा रिपोर्ट किया गया कुल मिलाकर ₹ 0.75 करोड़ का एक मामला शामिल है जिसे दिनांक 1 जुलाई 2016 (3 जुलाई 2017 को अद्यतन किया गया) के रिज़र्व बैंक के मास्टर निर्देश वाणिज्यिक बैंकों एवं चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी-वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के अनुसार एफएमआर की हार्ड कॉपी द्वारा रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किया गया.

$ Include 1 case reported by banks subsidiary i.e. IDBI Capital Markets & Securities Limited-Vilasini C B aggregating ₹ 0.75 crore which was reported to RBI through hard copy of FMR as per RBI Master Directions on Frauds-Classification and Reporting by commercial banks and select FIs. July 01, 2016 (Updated as on July 03, 2017).

@ प्रावधान की राशि वसूली को घटाकर है.

@ Amount of provision is net of recovery.

ज) **कोविड-19 संबंधित दबाव के लिए समाधान ढांचे के अंतर्गत प्रकटन**

h) **Disclosure under Resolution Framework for COVID-19- related stress**

''कोविड-19 संबंधी दबाव के लिए समाधान ढांचे'' के बारे में रिज़र्व बैंक के दिनांक 6 अगस्त 2020 के परिपत्र सं. आरबीआई/2020-21/16डीओआर.सं.बीपी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 के अनुसार प्रकटन.

Disclosure as per RBI circular No. RBI/2020-21/16 DOR. No. BP. BC/3/21.04.048/2020-21 dated August 6, 2020 under "Resolution Framework for COVID-19 related stress"

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

झ) वित्तीय वर्ष 2023 - 24 के लिए प्रकटन

(i) Disclosure for FY 2023-24

31 मार्च 2024 को समाप्त छमाही के लिए प्रकटन: / Disclosure for Half Year ended March 31, 2024:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	(अ) / (A)	(आ) / (B)	(इ) / (C)	(ई) / (D)	(उ) / (E)
उधारकर्ता का प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्स्पोजर - 30 सितंबर 2023 को समाप्त पिछली छमाही की स्थिति [1,2] Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half year ended September 30, 2023[1,2]	(अ) में से ऋण की कुल राशि जो छमाही के दौरान एनपीए हो गई Of (A) aggregate amount of Debt that slipped in to NPA during the half year	(अ) में से वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि Of (A) amount written off during the year	(अ) में से छमाही के दौरान उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि[3] Of (A) amount paid by the borrower during the half year[3]	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्स्पोजर - 31 मार्च 2024, को समाप्त इस वर्ष की छमाही की स्थिति [1,2] Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half year ended March 31, 2024[1,2]
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	2,328	145	-	325	2,002
कॉरपोरेट व्यक्ति Corporate persons	155	-	-	18	136
इनमें से, एमएसएमई Of which, MSMEs	323	5	-	50	289
अन्य / Others	24	4	-	4	17
कुल / Total	**2,507**	**149**	**-**	**347**	**2,155**

1. *इसमें उधारकर्ता की अन्य सुविधाएं जिनकी पुनर्संरचना नहीं की गई है, शामिल नहीं है.*
   This excludes the other facilities to the borrower which have not been restructured.
2. *मानक खातों की निधि आधारित बकाया राशि इंगित करता है.*
   Represents fund based outstanding balances of standard accounts.
3. *उधारकर्ता के ऋण खाते में क्रेडिट इंगित करता है.*
   Represents credits to the loan account of the borrower.

30 सितंबर 2023 को समाप्त छमाही के लिए प्रकटन: / Disclosure for Half Year ended September 30, 2023:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	(अ) / (A)	(आ) / (B)	(इ) / (C)	(ई) / (D)	(उ) / (E)
उधारकर्ता प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्स्पोजर - 31 मार्च 2023 को समाप्त पिछली छमाही की स्थिति [1, 2] Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half year ended March 31, 2023[1, 2]	(अ) में से ऋण की कुल राशि जो छमाही के दौरान एनपीए हो गई Of (A) aggregate amount of Debt that slipped in to NPA during the half year	(अ) में से वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि Of (A) amount written off during the year	(अ) में से छमाही के दौरान उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि[3] Of (A) amount paid by the borrower during the half year[3]	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्स्पोजर - 30 सितंबर 2023, को समाप्त इस वर्ष की छमाही की स्थिति [1, 2] Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half year ended September 30, 2023[1, 2]
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	2,436	87	-	273	2,328
कॉरपोरेट व्यक्ति Corporate persons	161	-	-	8	155
इनमें से, एमएसएमई Of which, MSMEs	340	5	-	49	323
अन्य / Others	40	7	-	11	24
कुल / Total	**2,637**	**94**	**-**	**292**	**2,507**

1. *इसमें उधारकर्ता की अन्य सुविधाएं जिनकी पुनर्संरचना नहीं की गई है, शामिल नहीं है.*
   This excludes the other facilities to the borrower which have not been restructured.
2. *मानक खातों की निधि आधारित बकाया राशि इंगित करता है.*
   Represents fund based outstanding balances of standard accounts.
3. *उधारकर्ता के ऋण खाते में क्रेडिट इंगित करता है.*
   Represents credits to the loan account of the borrower.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(ii) **वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रकटन / Disclosure for FY 2022-23**

31 मार्च 2023 को समाप्त छमाही के लिए प्रकटन: / Disclosure for Half Year ended March 31, 2023:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	(अ) / (A)	(आ) / (B)	(इ) / (C)	(ई) / (D)	(उ) / (E)
उधारकर्ता का प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्सपोजर - 30 सितंबर 2022 को समाप्त पिछली छमाही की स्थिति [1, 2] Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half year ended September 30, 2022[1, 2]	(अ) में से ऋण की कुल राशि जो छमाही के दौरान एनपीए हो गई Of (A) aggregate amount of Debt that slipped in to NPA during the half year	(अ) में से छमाही के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि Of (A) amount written off during the half year	(अ) में से छमाही के दौरान उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि[3] Of (A) amount paid by the borrower during the half year[3]	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्सपोजर - 31 मार्च 2023, को समाप्त इस वर्ष की छमाही की स्थिति [1, 2] Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half year ended March 31, 2023[1, 2]
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	2,654	133	-	224	2,436
कॉरपोरेट व्यक्ति Corporate persons	298	116	-	88	161
इनमें से, एमएसएमई Of which, MSMEs	370	18	-	29	340
अन्य / Others	85	17	-	32	40
कुल / Total	**3,037**	**266**	**-**	**344**	**2,637**

1. *इसमें उधारकर्ता की अन्य सुविधाएं जिनकी पुनर्संरचना नहीं की गई है, शामिल नहीं है।*
   This excludes the other facilities to the borrower which have not been restructured.

2. *मानक खातों की निधि आधारित बकाया राशि इंगित करता है।*
   Represents fund based outstanding balances of standard accounts.

3. *उधारकर्ता के ऋण खाते में क्रेडिट इंगित करता है।*
   Represents credits to the loan account of the borrower.

30 सितंबर 2022 को समाप्त छमाही के लिए प्रकटन : / Disclosure for Half Year ended September 30, 2022:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	(अ) / (A)	(आ) / (B)	(इ) / (C)	(ई) / (D)	(उ) / (E)
उधारकर्ता का प्रकार Type of Borrower	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्स्पोजर - 31 मार्च 2022 को समाप्त पिछली छमाही की स्थिति [1, 2#] Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of the previous half year ended March 31, 2022[1, 2#]	(अ) में से ऋण की कुल राशि जो छमाही के दौरान एनपीए हो गई Of (A) aggregate amount of Debt that slipped in to NPA during the half year	(अ) में से वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गई राशि Of (A) amount written off during the year	(अ) में से छमाही के दौरान उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि[3] Of (A) amount paid by the borrower during the half year[3]	समाधान योजना को लागू करने के बाद मानक के रूप में वर्गीकृत खातों के प्रति एक्स्पोजर - 30 सितंबर 2022, को समाप्त इस वर्ष की छमाही की स्थिति [1,2] Exposure to accounts classified as Standard consequent to implementation of resolution plan - Position as at the end of this half year ended September 30, 2022[1,2]
व्यक्तिगत ऋण Personal Loans	2,735	65	-	166	2,654
कॉरपोरेट व्यक्ति Corporate persons	716	387	-	87	298
इनमें से, एमएसएमई Of which, MSMEs	408	39	-	25	370
अन्य / Others	198	37	-	94	85
कुल / Total	**3,649**	**489**	**-**	**347**	**3,037**

 # इसमें सितंबर 2021 - दिसंबर 2021 में पुनर्संरचित खाते शामिल हैं.
 # It includes accounts restructured during September 2021 – December 2021.

1. *इसमें उधारकर्ता की अन्य सुविधाएं जिनकी पुनर्संरचना नहीं की गई है, शामिल नहीं है.*
   This excludes the other facilities to the borrower which have not been restructured.
2. *मानक खातों की निधि आधारित बकाया राशि इंगित करता है*
   Represents fund based outstanding balances of standard accounts.
3. *उधारकर्ता के ऋण खाते में क्रेडिट इंगित करता है.*
   Represents credits to the loan account of the borrower.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

5. एक्सपोजर / Exposures

(अ) स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर
(a) Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

श्रेणी Category	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
1. प्रत्यक्ष एक्सपोजर / Direct exposure	77,197	69,635
(क) आवासीय बंधक - (a) Residential Mortgages –	76,805	68,876
आवासीय संपत्ति, जो उधारकर्ता के कब्जे में है/होगी या किराये पर दी गई है, पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत ऋण Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	76,805	68,876
उपर्युक्त में से ऐसे व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाने के पात्र हैं. Of above individual having housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	16,067	16,341
(ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र - (b) Commercial Real Estate –	392	759
वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण Lending secured by mortgages on commercial real estates	133	184
उपर्युक्त में से गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं Of above non-fund based (NFB) limits	65	297
(ग) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर - (c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –	0	0
क. आवासीय, a. Residential,	0	0
ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र b. Commercial Real Estate	0	0
2. अप्रत्यक्ष एक्सपोजर / Indirect Exposure	6,463	5,323
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	6,456	5,314
उपर्युक्त में से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Of the above Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	6	0
कोई अन्य-अप्रत्यक्ष एक्सपोजर / Any other - Indirect Exposure	7	9
कुल / Total	**83,660**	**74,958**

(ख) पूंजी बाज़ार में एक्स्पोजर
(b) Exposure to Capital Market

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ऐसे इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में सीधे निवेश, जिनकी मूल निधि को केवल कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता है; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	896	#967
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ ईसॉप सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/ बॉण्डों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या अप्रतिभूत आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	246	220
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जिनमें शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है; Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	-	-
(iv)	अन्य किसी उद्देश्य के लिए अग्रिम, जो शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हैं अर्थात् जिनमें शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों / परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा अन्य प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरा कवर नहीं करती है; Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	-	-
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां; Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	813	509

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर अथवा अप्रतिभूत आधार पर कॉरपोरेट को मंजूर ऋण; Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters contribution to the equity of new companies in anticipation of rising resources;	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/ निर्गम पर कंपनियों को पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	-	-
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी वचनबद्धताएं; Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures of units of equity oriented mutual fund;	-	-
(ix)	स्टॉक ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण; Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
(x)	उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत, दोनों) में सभी एक्सपोजर. All Exposures to venture capital funds (both registered and unregistered)	25	26
	पूंजी बाज़ार में कुल एक्सपोजर Total Exposure to Capital Market	**1980**	1722

 # परिवर्तनीय बॉण्ड और डिबेंचरों को वर्तमान वर्ष में पूंजी बाज़ार में प्रत्यक्ष एक्सपोजर में शामिल किया गया है और तदनुसार पिछले वर्ष के आंकड़े पुनः दर्शाये गये हैं.
 # Convertible bonds and debentures have been included in direct exposure in capital markets in the current year and accordingly previous year figure is restated.

(ग) जोखिम श्रेणी-वार देश में एक्सपोजर
(c) Risk Category Wise Country Exposure

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च 2024 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2024	31 मार्च 2024 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2024	31 मार्च 2023 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2023	31 मार्च 2023 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2023
नगण्य / Insignificant	1,624	-	1,296	-
निम्न जोखिम / Low Risk	405	-	2,531	-

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च 2024 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2024	31 मार्च 2024 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2024	31 मार्च 2023 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2023	31 मार्च 2023 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2023
मध्यम निम्न जोखिम/ Moderately Low Risk	446	-	-	-
मध्यम जोखिम Moderate Risk	-	-	-	-
मध्यम उच्च जोखिम Moderately High Risk	-	-	-	-
उच्च जोखिम / High Risk	-	-	-	-
अति उच्च जोखिम Very High Risk	-	-	-	-
कुल / Total	**2,475**	**-**	**3,827**	**-**

31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को किसी भी देश में बैंक का निवल निधि आधारित एक्सपोजर बैंक की कुल आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है.
Bank's net fund based exposure to any of the countries is not more than 1% of total assets of the bank as on March 31, 2024 and as on March 31, 2023

(घ) **अप्रतिभूत अग्रिम**
(d) **Unsecured Advances**

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total unsecured advances of the bank	24,293	16,011
उपर्युक्त में से, अग्रिमों की राशियां जिनके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं Out of the above, amount of advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority, etc. have been taken	0	0
ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य Estimated value of such intangible securities	0	0

(ङ) **फैक्टरिंग एक्सपोजर**
(e) **Factoring Exposures:**

दिनांक 31 मार्च 2024 को व्यापार प्राप्य डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) बकाया ₹ 2,079 करोड़ है (पिछले वर्ष ₹ 1344 करोड़).
Trade Receivable Discounting System (TReDS) outstanding of ₹ 2,079 crore as at March 31, 2024 (previous year of ₹ 1344 crore).

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(च) अंत:-समूह एक्सपोजर
(f) Intra-Group Exposures

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
(क) अंतः-समूह एक्सपोजर की कुल राशि (a) Total amount of intra-group exposures	907	2,905
(ख) शीर्ष 20 अंतः-समूह एक्सपोजर की कुल राशि@ (b) Total amount of top-20 intra-group exposures @	907	2,905
(ग) उधारकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के प्रति अंतः समूह एक्सपोजर का प्रतिशत @@ (c) Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrowers/ customers @@	0.24%	0.93%
(घ) अंतः-समूह एक्सपोजर पर सीमा उल्लंघन का वर्णन और इस पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो. (d) Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	शून्य / Nil	शून्य / Nil

@ - आईडीबीआई बैंक की कुल 09 समूह संस्थाएं हैं जिनमें बैंक की इक्विटी शेयर धारिता 20% से अधिक है.

@ - Total Group entities of IDBI Bank are 09 where Bank is holding more than 20% equity shareholding.

@@ - बैंक का कुल प्रतिबद्ध एक्सपोजर ₹ 3,72,004 करोड़ है (पिछले वर्ष: ₹ 3,12,457 करोड़).
@@ - Total committed exposure of Bank is ₹ 3,72,004 crore (Previous Year: ₹ 3,12,457 crore).

(छ) अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर
(g) Unhedged Foreign Currency Exposure

बैंक, जैसा कि इसकी ऋण नीति में वर्णित है, अपने उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी करता है तथा अपने ग्राहकों को विनिमय दर में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से होने वाली हानि को कम करने के उद्देश्य से उनके विदेशी मुद्रा को रक्षित करने के लिए सूचित करता है. बैंक अपने ग्राहकों से अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में आवधिक आधार पर सूचना प्राप्त करता है और इसे आंतरिक रूप से विकसित प्रणाली में रखता है तथा विनिमय दर में घट-बढ़ से होने वाले संभावित हानि की गणना के लिए कार्य-प्रणाली का अनुसरण करता है. इस एक्सपोजर के प्रति 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधन ₹ 5 करोड़ घटकर ₹ 30 करोड़ हो गया है जबकि 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रावधान ₹ 35 करोड़ था. जोखिम के प्रति धारित पूंजी 31 मार्च 2024 को ₹ 52 करोड़ (31 मार्च 2023 को ₹ 40 करोड़) थी.

The Bank, as detailed in its Credit Policy, monitors the Unhedged Foreign Currency Exposure of its borrower and pursues its clients to hedge their forex exposure to minimize the losses due to adverse exchange rate fluctuation. Bank obtains information on Un-hedged Foreign Currency Exposure from its customers on a periodic basis and maintains the same in an internally developed system and follows the methodology for computation of likely loss on account of exchange rate movement. The provisioning for the year ending March 31, 2024 towards this exposure has decreased by ₹ 5 crore to ₹ 30 crores as compared to ₹ 35 crores provisioning for year ending March 31, 2023. The capital held towards the risk stood at ₹ 52 crore as on March 31, 2024 (₹ 40 crore as on March 31, 2023).

6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण
Concentration of deposits, advances, exposures and NPAs

(क) जमाराशियों का संकेंद्रण
(a) Concentration of Deposits

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of the twenty largest depositors	27,936	20,540
बैंक की कुल जमाराशियां Total Deposits of the Bank	2,77,657	2,55,490
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	10.06%	8.04%

(ख) अग्रिमों का संकेंद्रण
(b) Concentration of Advances

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers	48,097	43,897
कुल अग्रिम Total Advances	3,50,059	2,93,619
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	13.74%	14.95%

नोटः कुल अग्रिमों की गणना क्रेडिट एक्पोजर के आधार पर की गई है, अर्थात् डेरिवेटिव एक्सपोजर सहित निधिक और गैर-निधिक सीमाएं, जहां लागू हो. एक्सपोजर गणना के लिए स्वीकृत सीमाएं या बकाया, जो भी अधिक है, को हिसाब में लिया जाता है. तथापि, पूरी तरह से आहरित मीयादी ऋणों के मामले में, जहां स्वीकृत सीमा के किसी भी भाग के पुनः आहरण की कोई गुंजाइश न हो, बैंक ने बकाया राशि को क्रेडिट एक्सपोजर माना है.

Note: Total Advances has been computed on the basis of credit exposure i.e. funded and non-funded limits including derivative exposures wherever applicable. The sanctioned limits or outstanding, whichever is higher, has been reckoned for exposure computation. However, in the case of fully drawn term loans, where there is no scope for re-drawal of any portion of the sanctioned limit, bank has reckoned the outstanding as the credit exposure.

(ग) एक्सपोजर का संकेंद्रण
(c) Concentration of Exposures

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर Total Exposure of twenty largest borrowers/customers	51,643	44,968
कुल एक्सपोजर Total Exposure	3,72,004	3,12,457
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	13.88%	14.39%

नोटः 1 जुलाई 2015 के एक्सपोजर मानदंडों के बारे में रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं. आरबीआई/2015-16/70 डीबीआर.नं.डीआईआर.बीसी.12/13.03.00/2015-16 के आधार पर.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

Note: Based on RBI Circular No. RBI/2015-16/70 DBR.No.Dir.BC.12/13.03.00/2015-16 on Exposure Norms dated July 1, 2015.

(घ) एनपीए का संकेंद्रण

(d) Concentration of NPAs

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
बीस शीर्ष एनपीए खातों को कुल एक्सपोजर# Total Exposure to top twenty NPA accounts#	2,735	4,576
कुल सकल एनपीए की तुलना में बीस सबसे बड़े एनपीए को एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of exposures to the twenty largest NPA exposure to total Gross NPAs.	30.67%	41.71%

 # -------------------- / # Total Exposure includes fund based outstanding amount only.

7. डेरिवेटिव / Derivatives

(क) वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

(a) Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024		31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	
		हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps	हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps
(i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन@ The notional principal of swap agreements@	शून्य / Nil	61,230	शून्य / Nil	7,073
(ii)	करारों के अंतर्गत यदि काउंटर पार्टी अपने दायित्व के निर्वहन में असफल होती हैं तो उसके कारण होनेवाली हानियां Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	शून्य / Nil	114	शून्य / Nil	28
(iii)	स्वैप निष्पादित करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति Collateral required by the Bank upon entering into swaps	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(iv)	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	शून्य / Nil	नीचे (i) देखें Refer (i) Below	शून्य / Nil	नीचे (ii) देखें Refer (i) Below
(v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य The fair value of the swap book	शून्य / Nil	(1)	शून्य / Nil	(3)

@ इसमें विदेशी शाखा के आंकड़े भी शामिल हैं / @ The figures include overseas branch also.

(i) 31 मार्च 2024 को 5 शीर्ष कॉरपोरेट ग्राहकों के ऋण जोखिम का संकेन्द्रण (बैंक का वर्तमान ऋण एक्सपोजर) बैंक के कॉरपोरेट ग्राहकों से कुल वर्तमान ऋण एक्सपोजर ₹ 12 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 12 करोड़) का 100% है.

Concentration of credit risk (Current exposure to the Bank) to top 5 corporate clients as at March 31, 2024 is at 100% of the total current exposure ₹ 12 crore (previous year ₹ 12 crore) from Corporate Clients to the Bank.

(ii) 31 मार्च 2024 को स्वैप का स्वरूप और इसकी शर्तें निम्नानुसार हैं:
The nature and terms of the Swaps on March 31, 2024 are set out below:

स्वरूप Nature	संख्या Nos.	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़) Notional Principal (₹ Crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	479	30,680	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	610	30,550	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	मिफोर MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	मिफोर MIFOR	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	सीआईआरएस CIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable

(iii) 31 मार्च 2023 को स्वैप का स्वरूप और शर्तें निम्नानुसार हैं:
The nature and terms of the Swaps as on March 31, 2023 are set out below:

स्वरूप Nature	संख्या Nos.	आनुमानिक मूलधन (₹ करोड़) Notional Principal (₹ Crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग Trading	112	3,548	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	116	3,525	मिबोर - ओआईएस MIBOR-OIS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	मिफोर MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	मिफोर MIFOR	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	एसआईआरएस SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	एसआईआरएस SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	सीआईआरएस CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग Trading	-	-	सीआईआरएस CIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(iv) पीवी01 के संदर्भ में ओआईएस पोर्टफोलियो की निवल खुली स्थिति ₹ 0.05 करोड़ (नियत प्राप्त) (पिछले वर्ष ₹ 0.0028 करोड़) से नकारात्मक है, जिसका आशय है कि रुपया ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप (आईएनआर ओआईएस) वक्र में एक आधार बिन्दु वृद्धि के लिए ₹ 0.05 करोड़ का संभावित नुकसान है. बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम सीमाओं के संदर्भ में सभी खुली स्थितियों की दैनिक आधार पर निगरानी और प्रबंधन किया जाता है.

Net open position of OIS portfolio in terms of PV01 is at negative ₹ 0.05 crore (receive fixed) (Previous Year ₹ 0.0028 crore) implying a potential loss of ₹ 0.05 crore for one basis point increase in the Rupee Overnight Indexed Swap (INR OIS) curve. All the open positions are monitored and managed on a daily basis in terms of risk limits approved by the Board.

(ख) एक्सचेंज में क्रय-विक्रय वाले ब्याज दर डेरिवेटिव

(b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
(i)	**वर्ष के दौरान एक्सचेंज में ट्रेड किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि** **Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year**		
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	70,491	22,268
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	364	150
	ग) विकल्प c) Options	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(ii)	**एक्सचेंज में ट्रेड किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया आनुमानिक मूलधन राशि** **Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding**		
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	3,106	2,722
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ग) विकल्प c) Options	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(iii)	**एक्सचेंज में ट्रेड किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया आनुमानिक मूलधन राशि और ''उच्च प्रभावी'' नहीं है** **Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"**		
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	शून्य/ Nil	शून्य / Nil
	ग) विकल्प c) Options	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(iv)	**एक्सचेंज में ट्रेड किये गये ब्याज डेरिवेटिव का बकाया मार्क-टू-मार्केट मूल्य और ''उच्च प्रभावी'' नहीं है** **Mark-to market value of exchange traded interest derivatives outstanding and not "highly effective"**		
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	शून्य/ Nil	शून्य / Nil
	ग) विकल्प c) Options	शून्य / Nil	शून्य / Nil

(ग) डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन
(c) Disclosures on risk exposure in derivatives

(i) गुणात्मक प्रकटन / Qualitative disclosures

(क) डेरेवेटिव ट्रेडिंग में जोखिम के प्रबंधन के लिए संरचना और संगठन
(a) The structure and organization for management of risk in derivatives trading

बैंक हेजिंग के साथ ही ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए डेरेवेटिव का इस्तेमाल करता है. ऐसे डेरिवेटिव के इस्तेमाल से विभिन्न जोखिम जैसे ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम, विधिक जोखिम आदि बढ़ जाते हैं. बैंक के पास इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा है जिसमें जोखिम नीति, जोखिम प्रबंधन संगठन, जोखिम आकलन और निगरानी प्रक्रिया, सीमा संरचना तथा प्रणालीगत बुनियादी संरचना शामिल हैं. बैंक में एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग है जिसके प्रमुख मुख्य जोखिम अधिकारी हैं.

The Bank uses derivatives for Hedging as well as for Trading purposes. The use of such derivatives gives rise to various risks like credit risk, market risk, operational risk, legal risk etc. The Bank has a well-defined structure to manage these risks, consisting of risk policy, risk management organization, risk measurement and monitoring process, limit structure and system infrastructure. The Bank has an independent Risk Management Department, headed by Chief Risk Officer.

(ख) जोखिम आकलन, जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम निगरानी प्रणाली का कार्यक्षेत्र और स्वरूप
b) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems

जोखिम प्रबंधन ग्रुप, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट नीतियों, प्रक्रियाओं, मानदंडों और सीमाओं तथा लागू विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम आदि के आकलन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए कार्यात्मक रूप से जिम्मेदार है. जोखिम का प्रबंध संबंधित समितियों (जैसे- ऋण जोखिम प्रबंध समिति, परिचालन जोखिम प्रबंध समिति और आस्ति देयता प्रबंध समिति) के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत किया जाता है और इसकी रिपोर्टिंग बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति और बोर्ड को नियमित रूप से की जाती है.

The Risk Management Group is functionally responsible for measurement, monitoring and reporting of risks like credit risk, market risk, operational risk etc. in accordance with the policies, processes, parameters and limits defined by the Board as well as the applicable regulatory guidelines. Risk is managed under the overall supervision of respective committees (viz. Credit Risk Management Committee, Operational Risk Management Committee and Asset Liability Management Committee) with periodic reporting to Risk Management Committee of the Board as well as to the Board..

(ग) हेजिंग/शमन की निरंतर प्रभावशीलता की निगरानी के लिए हेजिंग और /या जोखिम को कम करने और रणनीतियों और प्रक्रियाओं के लिए नीतियाँ.
(c) Policies for hedging and / or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges / mitigants

ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालन तथा विधिक जोखिम पर नियंत्रण करने के लिए संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही अर्थों में डेरिवेटिव लेन-देनों में जोखिम एक्सपोजर का आकलन/मूल्यांकन किया जाता है. डेरिवेटिव लेन-देन करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहक/दूसरे पक्ष को ऋण समतुल्य जोखिम (एलईआर) के अर्थ में आकलित ऋण जोखिम, अनुमोदित सीमा के भीतर हो तथा ग्राहक/दूसरे पक्ष को लेन-देन की आवश्यक समझ हो. बाजार जोखिम एक्सपोजर का आकलन और प्रबंध स्थितियों, समय-सीमा अथवा अवधि, बाज़ार दरों के प्रति संवेदनशीलता, अंतराल, ग्रीक्स, हानि-रोध आदि उपायों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. भौतिक रूप से निपटाए गए विदेशी मुद्रा अनुबंधों का भुगतान बनाम भुगतान के आधार पर निपटान किया जाता है ताकि विफल ट्रेडों के परिणामस्वरूप होने वाले मूल जोखिम को कम किया जा सके. जहां भी लागू हो, बैंक क्लोज-आउट नेटिंग समझौतों, मार्जिन के आदान-प्रदान, सांपार्श्विक आदि के प्रभावी उपयोग से प्रतिस्थापन लागत जोखिम को कम करता है. पर्याप्त प्रणालीगत बुनियादी संरचना और नियंत्रण प्रणाली को व्यवस्थित रखकर परिचालनगत जोखिमों का समाधान किया जाता है. आवश्यक विधिक करारों के निष्पादन और दस्तावेजीकरण के जरिये विधिक जोखिमों का ध्यान रखा जाता है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

Risk exposures in derivatives transactions are measured/ assessed, in both quantitative and qualitative terms, to capture credit risk, market risk and operational & legal risk. Prior to the execution of derivative transaction, it is ensured that credit risk exposure to the client/counterparty, measured in terms of Loan Equivalent Risk (LER), is within the approved limit and the client/counterparty has the necessary understanding of the transaction. Market risk exposure is measured and managed in terms of positions, duration or tenor, sensitivities to market rates, gaps, greeks, stop loss etc. Physically-settled foreign exchange contracts are settled on payment versus payment (PvP) basis so as to mitigate principal risk resulting from failed trades. The Bank mitigates replacement cost risk by effective use of close-out netting agreements, exchange of margin, collaterals etc, wherever applicable. Operational risks are addressed by having adequate system infrastructure and control mechanism in place. Legal risks are taken care of by execution of necessary legal agreements and documentation.

(घ) हेज और नॉन-हेज लेनदेन; आय की पहचान, प्रीमियम और छूट; बकाया संविदाओं का मूल्यांकन; प्रावधान, संपार्श्विक और ऋण जोखिम न्यूनीकरण संबंधी रिकार्डिंग के लिए लेखांकन नीति.

(d) Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions; recognition of income, premiums and discounts; valuation of outstanding contracts; provisioning, collateral and credit risk mitigation.

डेरिवेटिव के लिए लेखांकन नीति रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसके विवरण अनुसूची सं.17 ''बैंक की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों'' में दिये गए हैं.
The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, the details of which are contained in Schedule No.17 "Significant Accounting Policies of the Bank".

(ii) मात्रात्मक प्रकटन / Quantitative disclosures

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sl. No	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024		31 मार्च 2023 March 31, 2023	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amt.)				
	क) हेजिंग के लिए a) For hedging	6	शून्य / Nil	12	शून्य / Nil
	ख) ट्रेडिंग के लिए b) For trading	248	61,230	791	7,073
(ii)	मार्क्ड-टू-मार्केट पोजीशन Marked to Market Positions				
	क) आस्तियां (+) a) Asset(+)	55	114	125	28
	ख) देयताएं (-) b) Liability (-)	(53)	(115)	(122)	(31)
(iii)	ऋण जोखिम / Credit Exposure				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर a) On hedging derivatives	2	शून्य / Nil	5	शून्य / Nil

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sl. No	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024		31 मार्च 2023 March 31, 2023	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
	ख) b) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर On trading derivatives	58	610	157	85
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	क) a) हेजिंग डेरिवेटिव पर on hedging derivatives	0.02	-	0.07	शून्य / Nil
	ख) b) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर on trading derivatives	-	5	शून्य / Nil	0.28
(v)	वर्ष के दौरान पाये गये 100*पीवी01 के अधिकतम एवं न्यूनतम@ Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year @				
	क) a) हेजिंग पर on hedging				
	- अधिकतम / Maximum	0.06	-	0.16	शून्य / Nil
	- न्यूनतम / Minimum	0.02	-	0.07	शून्य / Nil
	ख) b) ट्रेडिंग पर on trading				
	- अधिकतम / Maximum	-	10	0.0011	5
	- न्यूनतम / Minimum	-	0.06	शून्य / Nil	0.06

*@ चूंकि संव्यवहार आस्ति-देयता पोर्टफोलियो में ब्याज दर और मुद्रा जोखिमों से बचाव व्यवस्था के लिए किए जाते हैं, अतः बैंक अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01 की गणना दैनिक आधार पर नहीं करता है.*

*@ Since the transaction are undertaken to hedge the interest rate and currency risks in the asset-liability portfolio, the bank is not calculating the maximum and minimum of 100*PV01 on daily basis.*

(घ) ऋण चूक स्वैप

(d) Credit Default Swaps

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 और पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने कोई सीडीएस लेनदेन नहीं किया है.

During the current financial year 2023-24 and the previous year 2022-23, the Bank did not enter into any CDS transactions.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

8. प्रतिभूतीकरण / Securitisation

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023
1.	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (यहाँ केवल बकाया प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी की रिपोर्टिंग की जाये) No of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitization exposures to be reported here)	शून्य/ Nil	शून्य / Nil
2.	एसपीई की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	शून्य/ Nil	शून्य / Nil
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमआरआर के अनुपालन के संबंध में प्रवर्तक द्वारा धारित कुल एक्सपोजर राशि Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	शून्य/ Nil	शून्य / Nil
	क) a) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर Off-balance sheet exposures • प्रथम हानि / First loss • अन्य / Others	-	-
	ख) b) तुलन पत्र संबंधी एक्सपोजर On-balance sheet exposures • प्रथम हानि / First loss • अन्य / Others	-	-
4.	एमआरआर से इतर प्रतिभूति लेनदेन में एक्सपोजर राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	क) a) तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर Off-balance sheet exposures i) अपने प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to own securitisations • प्रथम हानि / First loss • अन्य / Others ii) अन्य पक्ष प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to third party securitisations • प्रथम हानि / First loss • अन्य / Others	-	-

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023
	ख) तुलन पत्र संबंधी एक्सपोजर b) On-balance sheet exposures i) अपने प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to own securitisations • प्रथम हानि / First loss • अन्य / Others ii) अन्य पक्ष प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to third party securitisations • प्रथम हानि / First loss • अन्य / Others	-	-
5.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल और प्रतिभूतीकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	**शून्य** / Nil	शून्य / Nil
6.	तरलता सहायता, प्रतिभूतीकरण के बाद आस्ति सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रारूप और मात्रा (बकाया मूल्य) Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	**शून्य** / Nil	शून्य / Nil
7.	प्रदान की गई सुविधा का कार्यनिष्पादन. कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात् ऋण वृद्धि, चलनिधि सहायता, सर्विसिंग एजेंट आदि. प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में कोष्ठक में प्रतिशत का उल्लेख करें. Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided.	**शून्य** / Nil	शून्य / Nil
	(क) भुगतान की गई राशि (a) Amount paid	-	-
	(ख) प्राप्त चुकौती (b) Repayment received	-	-
	(ग) बकाया राशि (c) Outstanding amount	-	-
8.	अतीत में देखे गए पोर्टफोलियो की औसत चूक दर. कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग - अलग विवरण प्रदान करें. Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans etc.	**शून्य** / Nil	शून्य / Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को As on March 31, 2024	31 मार्च 2023 को As on March 31, 2023
9.	उसी अंतर्निहित आस्ति पर दिये गए अतिरिक्त/टॉप-अप ऋण की राशि और संख्या. कृपया प्रत्येक आस्ति वर्ग अर्थात् आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग - अलग विवरण प्रदान करें Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e. RMBS, Vehicle Loans, etc.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
10.	निवेशकों की शिकायतें / Investor complaints (क) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (a) Directly/Indirectly received and; (ख) बकाया शिकायतें (b) Complaints outstanding	शून्य / Nil	शून्य / Nil

9. प्रायोजित तुलन-पत्र बाह्य एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है)
Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

31 मार्च 2024 March 31, 2024		31 मार्च 2023 March 31, 2023	
देशी / Domestic	विदेशी / Overseas	देशी / Domestic	विदेशी / Overseas
शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

10. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि में अंतरण (डीईए निधि)
Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEA Fund)

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
i)	डीईए निधि में अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEA Fund	403	259
ii)	जोड़े : वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEA Fund during the year	131	154
iii)	घटाएँ : दावे के लिए डीईए निधि से प्रतिपूर्ति की राशि Less: Amounts reimbursed by DEA Fund towards claims	(51)	(10)
iv)	डीईए निधि में अंतरित राशियों का अंतिम शेष Closing Balance of amounts transferred to DEA Fund	483	403

11. शिकायतों का प्रकटन / Disclosure of Complaints

क) ग्राहकों से और बैंकिंग लोकपाल के कार्यालयों (ओबीओ) से बैंक को प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी:

a) Summary information on complaints received by the Bank from customers and from the Offices of Banking Ombudsman (OBOs)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
	बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें Complaints received by the Bank from its customers		
1	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	1,114	286
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	59,714	65,232
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या Number of complaints disposed during the year	60,546	64,404
3.1	जिनमें से, बैंक द्वारा खारिज की गई शिकायतों की संख्या Of which, number of complaints rejected by the bank	556	569
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	282	1,114
	ओबीओ से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतें Maintainable complaints received by the Bank from OBOs		
5	ओबीओ से बैंक को प्राप्त अनुरक्षणीय शिकायतों की संख्या Number of maintainable complaints received by the Bank from OBOs	2,904	2,123
5.1	5 में से, ओबीओ द्वारा बैंक के पक्ष में समाधान की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved in favour of the bank by OBOs	2,281	1,332
5.2	5 में से, ओबीओ द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved through conciliation/ mediation/ advisories issued by OBOs	623	791
5.3	5 में से, बैंक के खिलाफ ओबीओ द्वारा अधिनिर्णय पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints resolved after passing of Awards by OBOs against the bank	0	0
6	निर्धारित समय के भीतर कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील वाले मामलों के अलावा) Number of Awards unimplemented within the stipulated time (other than those appealed)	0	0

नोट : उपर्युक्त सारांश में आयकर, सीबीआई और सतर्कता विभाग से प्राप्त शिकायतें शामिल नहीं हैं. इसके अलावा, ग्राहक सेवा के बारे में रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार, अगले कार्य दिवस के भीतर समाधान की गई शिकायतों को उपर्युक्त सारांश में शामिल नहीं किया गया है. बैंकों में शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने के संबंध में 27 जनवरी 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार डेटा को संरेखित किया गया है.

Note: The above summary does not include complaints from Income Tax, CBI, and Vigilance. Further, as per RBI master circular on Customer Service, complaints resolved within the next working day are excluded from the above summary. The data has been aligned according to the circular issued by Reserve Bank of India on January 27, 2021 regarding Strengthening of Grievance Redress Mechanism in Banks.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

 # पिछले वित्तीय वर्ष (2022-23) के डेटा को 'टी+1 दिन के भीतर हल नहीं किए गए एटीएम विवादों' को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है, जबकि पिछले साल रिपोर्ट किए गए 'टी+5 दिनों से अधिक के टीएटी वाले एटीएम विवाद' को इसमें शामिल किया गया था।

 # The data for Previous Financial Year (2022-23) has been revised to include 'ATM disputes not resolved within T+1 day' as against 'ATM disputes with TAT of more than T+5 days', reported last year.

ख) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त शिकायतों के शीर्ष पांच आधार:

b) Top five grounds of complaints received by the Bank from customers

शिकायतों के आधार (अर्थात् शिकायतें जिससे संबंधित थीं) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या के % में वृद्धि / कमी % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	5 में से, 30 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहीं शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
	वित्तीय वर्ष 2023-24 / FY 2023-24				
एटीएम/डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards	962	30,199	(16)	123	0
खाता खोलना / खातों के परिचालन में कठिनाई Account opening /difficulty in operation of accounts	85	10,596	48	71	0
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/mobile/Electronic Banking	38	6,727	3	58	0
ऋण और अग्रिम Loans and advances	21	1,959	(12)	14	0
बिना किसी पूर्व-सूचना के शुल्क लगाना / अत्यधिक शुल्क / फोरक्लोजर प्रभार Levy of charges without prior notice/ excessive charges/foreclosure charges	1	403	49	2	0
अन्य Others	7	9,830	(24)	14	0
कुल / Total	**1,114**	**59,714**	**(8)**	**282**	**0**
	वित्तीय वर्ष 2022-23 / FY 2022-23				
एटीएम/डेबिट कार्ड ATM/Debit Cards	142	#36,097	(8)	962	0
खाता खोलना / खातों के परिचालन में कठिनाई Account opening /difficulty in operation of accounts	46	7,140	21	85	0
इंटरनेट/मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग Internet/mobile/Electronic Banking	28	6,520	0.51	38	0
ऋण और अग्रिम Loans and advances	49	2,238	(30)	21	0

शिकायतों के आधार (अर्थात् शिकायतें जिससे संबंधित थीं) Grounds of complaints, (i.e. complaints relating to)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the beginning of the year	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या Number of complaints received during the year	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या के % में वृद्धि / कमी % increase/ decrease in the number of complaints received over the previous year	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या Number of complaints pending at the end of the year	5 में से, 30 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहीं शिकायतों की संख्या Of 5, number of complaints pending beyond 30 days
1	2	3	4	5	6
बिना किसी पूर्व-सूचना के शुल्क लगाना / अत्यधिक शुल्क/फोरक्लोज़र प्रभार Levy of charges without prior notice/ excessive charges/foreclosure charges	3	270	(31)	1	0
अन्य Others	18	12,967	(22)	7	0
कुल / Total	**286**	**#65,232**	**(9)**	**1,114**	**0**

 # पिछले वित्तीय वर्ष (2022-23) के डेटा को 'टी+1 दिन के भीतर हल नहीं किए गए एटीएम विवादों' को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया है, जबकि पिछले साल रिपोर्ट किए गए 'टी+5 दिनों से अधिक के टीएटी वाले एटीएम विवाद' को इसमें शामिल किया गया था।

 # The data for Previous Financial Year (2022-23) has been revised to include 'ATM disputes not resolved within T+1 day' as against 'ATM disputes with TAT of more than T+5 days', reported last year.

12. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटन
Disclosure on Penalties imposed by Reserve Bank of India

(क) वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित दंड लगाए गए: बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

(a) During the year following penalties were imposed by RBI: Banking Regulation Act, 1949

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023	
		घटनाओं की संख्या Number of Instances	राशि Amount	घटनाओं की संख्या Number of Instances	राशि Amount
1	चेक संग्रहण प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए दंड Penalty for non-compliance of guidelines on cheque collection process.	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023	
		घटनाओं की संख्या Number of Instances	राशि Amount	घटनाओं की संख्या Number of Instances	राशि Amount
2	अप्रकट दौरों के दौरान एटीएम आउट ऑफ कैश घटनाओं और सिक्कों एवं कम वर्गमूल्य के नोटों तथा कटे-फटे नोटों को बदलने संबंधी दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए आरबीआई द्वारा लगाया गया दंड Penalty imposed by RBI for ATM out of cash instances and non-compliance of guidelines on exchange of coins and small denomination notes and mutilated notes during incognito visits.	11	0.0110	139	0.1390
3	करेंसी चेस्ट द्वारा रिज़र्व बैंक को किए गए विप्रेषणों के मामलों में रिज़र्व बैंक द्वारा करेंसी चेस्ट पर लगाए गए दंड Penalties imposed by RBI on currency chest in cases of remittances, made by currency chests to RBI	98	0.0502	89	0.0565
4	ऊपर उल्लेख न किए गए अन्य कारणों के लिए दंड Penalties for other reasons not mentioned above	1	0.0063	2	0.9395
	कुल दंड का भुगतान (अ) Total Penalties Paid (A)	**110**	**0.0675**	**230**	**1.1350**

वर्ष के दौरान निम्नलिखित दंड लगाए गए (रिज़र्व बैंक के अलावा):

During the year following penalties were imposed (other than RBI):

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023	
		घटनाओं की संख्या Number of Instances	राशि Amount	घटनाओं की संख्या Number of Instances	राशि Amount
1	अन्य देशी विनियामकों द्वारा लगाए गए दंड की कुल राशि Total amount of penalties levied by other domestic regulators	-	-	1	0.0178

(ख) **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007: शून्य**
(b) Payment and Settlement System Acts, 2007: Nil

(ग) **सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (एसजीएल के बाउंसिंग के लिए) : शून्य**
(c) Government Securities Act, 2006 (for bouncing of SGL): Nil

13. पारिश्रमिक पर प्रकटन / Disclosures on Remuneration

(1) **गुणात्मक प्रकटन** / Qualitative disclosures

(क) **नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के गठन एवं अधिदेश से संबंधित सूचना:**
(a) Information relating to the composition and mandate of the Nomination and Remuneration Committee:

पारिश्रमिक का ध्यान रखनेवाली मुख्य समिति का नाम, संरचना और उससे संबंधित अधिदेशः

Name, composition and mandate of the main body overseeing remuneration:

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) में सात सदस्य अर्थात् इसके अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक सहित सभी गैर-कार्यपालक निदेशक, एक सरकारी नामिती निदेशक, एक एलआईसी के नामिती निदेशक और अन्य सदस्य के रूप में चार स्वतंत्र निदेशकगण शामिल हैं. समिति, निदेशकों के उपयुक्त और माकूल स्थिति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, एलओडीआर विनियमावली के विनियम 19 और अनुसूची II के भाग डी, सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियमन, 2021 तथा रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में प्रदत अधिदेशों/विचारार्थ विषयों को पूरा करती है जो निम्नानुसार हैं :

Nomination and Remuneration Committee (NRC) comprises of seven members, all Non-Executive Directors with an Independent Director as its Chairman, one Government Nominee Director, one LIC Nominee Director and four other Independent Directors as members. The Committee fulfils the mandate / terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013, Regulation 19 and Part D of Schedule II of the LODR Regulations, SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 and RBI guidelines in respect of fit and proper status of Directors as under :

- एक निदेशक की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश करना;

  Formulation of the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the Board of Directors a policy relating to remuneration of the directors, key managerial personnel and other employees;

- बोर्ड द्वारा, एनआरसी द्वारा अथवा स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के प्रभावी मूल्यांकन के लिए पद्धति विनिर्दिष्ट करना और इसके कार्यान्वयन एवं अनुपालन की समीक्षा करना;

  To specify the manner for effective evaluation of performance of the Board, its Committees and individual directors, to be carried out either by the Board, by the NRC or by an independent external agency and review its implementation and compliance;

- स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मण्डल के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;

  Formulation of criteria for evaluation of performance of Independent Directors and the Board of Directors;

- निदेशक मण्डल में विविधता के लिए नीति तैयार करना;

  Devising a policy on diversity of Board of Directors;

- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, तथा निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और निष्कासन की सिफारिश करना;

  To identify persons who are qualified to become directors and who may be appointed in senior management with the criteria laid down, and recommend to the Board of Directors their appointment and removal;

- निदेशकों की नियुक्ति और मूल्यांकन नीति में निर्धारित मानदंडों के अनुसार बोर्ड को निदेशकों की नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना;

  To recommend to the Board the appointment and removal of Directors in accordance with the criteria laid down in the Directors' Appointment and Evaluation Policy;

- स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी. स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति के पास ऐसे विवरण में तय की गई क्षमताएं होनी चाहिए. उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, समिति निम्न कार्य कर सकती हैः

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

For every appointment of an independent director, the Nomination and Remuneration Committee shall evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the Board and on the basis of such evaluation, prepare a description of the role and capabilities required of an independent director. The person recommended to the Board for appointment as an independent director shall have the capabilities identified in such description. For the purpose of identifying suitable candidates, the Committee may:

क. यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग;

a. Use the services of external agencies, if required;

ख. विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पृष्ठभूमियों के उम्मीदवारों पर विचार करना; और

b. Consider candidates from a wide range of backgrounds, having due regard to diversity; and

ग. उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धताओं पर विचार करना

c. Consider the time commitments of the candidates.

- योग्यता, विशेषज्ञता, पिछले कार्यनिष्पादन, सत्यनिष्ठा, 'उपयुक्त और माकूल' मानदंड, सकारात्मक गुणों और स्वतन्त्रता (यदि लागू हो) के आधार पर तथा स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशक मण्डल संबंधी कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड में निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति/ नियुक्ति को जारी रखने के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु समुचित सावधानी की प्रक्रिया अपनाना तथा उसके संबंध में मानदंड तैयार करना;

  To undertake a process of due diligence to determine the suitability of any person for appointment / continuing to hold appointment as a director on the Board, based upon qualification, expertise, track record, integrity, 'fit and proper' criteria, positive attributes and independence (if applicable) and on the basis of the report of performance evaluation of directors including independent directors and formulate the criteria relating thereto;

- निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, आदि के लिए पारिश्रमिक नीति तैयार करना;

  Formulation of Remuneration Policy for Directors, KMPs, etc.

- बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन को देय पारिश्रमिक, चाहे जिस रूप में हो, की सिफारिश करना;

  Recommend to the Board, all remunerations, in whatever form, payable to the senior management;

- क्षतिपूर्ति और विवेकपूर्ण जोखिम के बीच प्रभावी सुसंगतीकरण के लिए जोखिम प्रबंधन समिति के साथ गहन समन्वय के साथ कार्य करना;

  To work in close coordination with Risk Management Committee to achieve effective alignment between compensation and prudent risk-taking;

- क्षतिपूर्ति प्रणाली की रूपरेखा और परिचालनों का निरीक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रणाली अपेक्षानुसार कार्य करती है और यह वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए सिद्धांतों के अनुरूप है.

  To oversee the compensation system's design and operations to ensure that the system operates as intended and is also consistent with the principles outlined by the Financial Stability Board;

- क्षतिपूर्ति नीति के निर्धारण, समीक्षा और कार्यान्वयन की निगरानी करना और मुख्य कार्यपालक अधिकारी/पूर्णकालिक निदेशकों/तात्विक जोखिम उठाने वालों के साथ-साथ जोखिम नियंत्रण और अनुपालन स्टाफ (बोर्ड द्वारा अनुसमर्थन के लिए) के लिए वार्षिक पारिश्रमिक का निर्णय लेना.

  To oversee framing, review and implementation of compensation policy and make annual remuneration decisions for Chief Executive Officer/Whole Time Directors/Material Risk Takers plus Risk Control and Compliance staff (for ratification by the Board);

- सुनिश्चित करना कि क्षतिपूर्ति बैंक के लागत-आय अनुपात का समर्थन करती है जो सुदृढ़ पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाये रखने के अनुरूप है.

  To ensure that the cost to income ratio of the Bank supports the compensation consistent with maintaining sound capital adequacy ratio;

- बैंक की क्षतिपूर्ति प्रथाओं और नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में पर्यवेक्षी निरीक्षण करना. बैंकिंग क्षेत्र और सामान्य रूप से उद्योग से संबंधित विभिन्न विधियों द्वारा निर्धारित सभी प्रकटीकरण मानदंडों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना.

  To have supervisory oversight regarding implementation of compensation practices and policies of the Bank. To ensure complete compliance with all disclosure norms as prescribed by the various statutes relevant to the banking sector and industry in general;

- मैलस एंड क्लाबैक के लिए हर साल विशिष्ट मानदंडों की समीक्षा करना.
  To review specific criteria for Malus and Clawback every year;

- हर साल नकद आधारित प्रोत्साहनों और शेयर-संबद्ध प्रोत्साहनों के लिए कार्य-निष्पादन मानदंड और अंतिम भुगतान तय करना.
  To fix performance parameters & final payout for Cash based incentives and share-based incentives every year;

- तात्विक जोखिम लेने वालों (एमआरटी) की पहचान करना जिनके कार्यों का बैंक के जोखिम एक्सपोजर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और जो गुणात्मक और मात्रात्मक मानदंडों को पूरा करते हैं.
  To identify Material Risk Takers (MRTs) whose actions have a material impact on the risk exposure of the Bank, and who satisfy the qualitative and quantitative criteria;

- सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियमावली, 2021 के विनियम 5 के तहत निर्धारित क्षतिपूर्ति समिति के रूप में कार्य करना. सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियमावली, 2021 के तहत अधिदेशित कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना/कर्मचारी स्टॉक वृद्धि अधिकार (एसएआर) योजना का प्रशासन और पर्यवेक्षण करना तथा अन्य बातों के साथ-साथ उन कर्मचारियों के ग्रेडों को अनुमोदित करना जिन्हें विकल्प/एसएआर दिए जा सकते थे और साथ ही विकल्प/एसएआर की अनुमति देने के लिए अपनाए जाने वाले आवश्यक प्रदर्शन स्तर और/ या कोई अन्य मानदंड निर्धारित करना.
  To act as the Compensation Committee as prescribed under Regulation 5 of the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021. To administer and supervise the Employee Stock Option Scheme/Employee Stock Appreciation Rights (SAR) Scheme of the Bank as mandated under the SEBI (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 and to inter-alia approve the grades of employees to whom options/SARs could be granted as well as determine the performance level and/or any other criteria required to be adopted for grant of options/SARs;

- बैंक की कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना/कर्मचारी स्टॉक वृद्धि अधिकार योजना को नियंत्रित करने वाली सभी शर्तों और निबंधनों, उनमें किसी परिवर्तन सहित,का निर्धारण करना और अंतिम रूप देना, जो विनियामक और/या अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत आवश्यक अनुमोदन, यदि आवश्यक हो, की प्राप्ति के अधीन होगा.
  To determine and finalize all the terms and conditions governing the Employee Stock Option Scheme/Employee Stock Appreciation Rights Scheme of the Bank including any variation thereof subject to receipt of requisite approval, if required under regulatory and/or other applicable laws;

- किसी भी स्टॉक विकल्प योजना या एसएआर योजना में संशोधन का सुझाव देना, बशर्ते कि ऐसी योजनाओं में सभी संशोधन बोर्ड के विचार और अनुमोदन के अधीन हों.
  To suggest amendments to any stock option plan or SAR scheme, provided that all amendments to such plans/schemes shall be subject to consideration and approval of the Board;

- वार्षिक आधार पर क्षतिपूर्ति नीति की समीक्षा करना और जब कभी विनियामक दिशानिर्देशों/ अन्य कानूनों के तहत बैंक की कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना/ कर्मचारी स्टॉक संवृद्धि अधिकार योजना की समीक्षा करना आवश्यक हो, उसकी समीक्षा करना.
  To review the Compensation Policy annually and to review the Employee Stock Option Scheme/Employee Stock Appreciation Rights Scheme of the Bank as and when required under regulatory guidelines/other laws;

- विनियामक/ सांविधिक दिशा-निर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए अनुसार कोई भी भूमिका निभाना.
  To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory / statutory guidelines from time-to-time.

31 मार्च 2024 को एनआरसी के सात सदस्य थे जिसमें श्री दीपक सिंघल (स्वतंत्र निदेशक) इसके अध्यक्ष, श्री सुशील कुमार सिंह (सरकारी नामिती निदेशक), श्री मुकेश कुमार गुप्ता (एलआईसी नामिती निदेशक) और श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी, श्री एन. जंबुनाथन, श्री टी. एन. मनोहरन एवं श्रीमती पी. वी. भारती (स्वतंत्र निदेशक) अन्य सदस्यों के रूप में शामिल थे.

As on March 31, 2024, the NRC comprised of seven members with Shri Deepak Singhal (Independent Director) as its Chairman, Shri Sushil Kumar Singh (Government Nominee Director), Shri Mukesh Kumar Gupta (LIC Nominee Director) and Shri Bhuwanchandra B Joshi, Shri N. Jambunathan, Shri T. N. Manoharan & Smt. P. V. Bharathi (Independent Directors) as other members.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(ख) पारिश्रमिक प्रक्रियाओं के ढांचे और संरचना से संबंधित जानकारी और पारिश्रमिक नीति की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य:

(b) Information relating to the design and structure of remuneration processes and the key features and objectives of remuneration policy:

विदेश स्थित सहायक संस्थाओं और शाखाओं पर लागू सीमा सहित बैंक की पारिश्रमिक नीति के कार्यक्षेत्र के संबंध में विवरण:

A description of the scope of the Bank's remuneration policy, including the extent to which it is applicable to foreign subsidiaries and branches:

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 4 नवंबर 2019 के परिपत्र सं.डीओआर.एपीपीटी. बीसी.सं.23/29.67.001/2019-20 के माध्यम से जारी दिशानिर्देशों के आधार पर अपनी क्षतिपूर्ति नीति तैयार की है. क्षतिपूर्ति नीति बैंक की घरेलू शाखाओं/ कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारियों के लिए और इसकी विदेशी शाखाओं में नियुक्त कर्मचारियों के लिए भी लागू है. यह बैंक की सहायक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है.

The Bank has formulated its Compensation Policy based on the Reserve Bank of India guidelines issued vide Circular No.DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 dated November 4, 2019. The Compensation Policy is applicable to employees appointed at Bank's domestic branches/offices and also to the employees posted at its foreign branches (for the purpose of variable pay). It is not applicable to employees of subsidiaries of the Bank.

इसमें शामिल कर्मचारियों के प्रकार का विवरण और ऐसे कर्मचारियों की संख्या:

A description of the type of employees covered and number of such employees:

श्रेणी 1 / Category 1

एमडी एवं सीईओ तथा अन्य डब्ल्यूटीडीः / MD & CEO and Other WTDs:

इस श्रेणी में एमडी एवं सीईओ और दो उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) शामिल हैं. डब्ल्यूटीडी के लिए पारिश्रमिक संरचना में स्थाई व परिवर्ती वेतन शामिल है और परिवर्ती वेतन स्थाई वेतन के प्रतिशत के रूप में देय है और बैंक के कार्य-निष्पादन से सहबद्ध है. बैंक के एमडी और सीईओ तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) के लिए क्षतिपूर्ति संरचना एनआरसी / बोर्ड द्वारा तय की जाती है, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 बी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है. क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35बी(1) के साथ पठित बैंक के संस्था-अंतर्नियम के खंड 119 के अनुसार बैंक के शेयरधारकों की महा सभा में अनुमोदन की भी आवश्यकता होती है.

This category includes MD & CEO and two Deputy Managing Directors (DMDs). The remuneration structure for WTDs comprises of fixed and variable pay and variable pay is payable as a percentage of fixed pay and is linked to the Bank's performance. The compensation structure for MD & CEO and other Whole Time Directors (WTDs) of the Bank is fixed by NRC / Board and is subject to approval of Reserve Bank of India in terms of Section 35 B of the Banking Regulation Act, 1949. The payment of compensation also requires approval of the shareholders of the Bank in the General Meeting pursuant to clause 119 of Articles of Association of the Bank read with Section 197 of the Companies Act, 2013 and Section 35B (1) of Banking Regulation Act 1949.

श्रेणी 2 / Category 2

तात्विक जोखिम लेने वाले (एमआरटी) एवं नियंत्रक कार्य वाले स्टाफः

Material Risk Takers (MRTs) & Control Function Staff:

तात्विक जोखिम लेने वाले (एमआरटी) और नियंत्रक कार्य वाले स्टाफ के पद आईडीबीआई बैंक के कैडर अधिकारियों द्वारा धारित किए जाते हैं तथा उनकी नियत वेतन संरचना में आईडीबीआई बैंक द्वारा समानान्तर ग्रेड में अन्य अधिकारियों को ऑफर किया जा रहा वेतन और भत्तों के समतुल्य वेतन एवं भत्ते शामिल हैं. एमआरटी के लिए परिवर्ती वेतन नियत वेतन के प्रतिशत के रूप में देय है तथा यह व्यक्तियों और बैंक के कार्य-निष्पादन से सहबद्ध है. नियंत्रक कार्य स्टाफ के लिए परिवर्ती वेतन उनके व्यक्तिगत कार्य-निष्पादन से सहबद्ध है; बैंक के समग्र कार्य-निष्पादन को प्राथमिक पात्रता तय करते समय ध्यान में रखा जाता है.

The positions of Material Risk Takers (MRTs) & Control Function Staff are held by cadre officers of IDBI Bank and their fixed pay structure comprising of pay and allowances is equivalent to the pay & allowances being offered by IDBI Bank to the other parallel grade officers. Variable pay is payable as a percentage of fixed pay and is linked to individual and Bank's performance for the MRTs. Variable Pay of Control Function Staff is majorly linked to their individual performance; overall business performance of the Bank is reckoned only for ascertaining primary eligibility.

श्रेणी 3 / Category 3

अन्य अधिकारी और कर्मचारी: / Other Officers and Employees:

मौजूदा नीति के अनुसार अधीनस्थ कर्मचारियों, लिपिकीय कर्मचारियों और कार्यपालक निदेशक के ग्रेड तक के अधिकारियों के नियत वेतन संरचना एक निर्धारित संरचना है जो भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के वेतनमान और भत्तों के अनुसार तैयार की गई है तथा यह 5 वर्ष की अवधि के लिए उद्योग स्तरीय समझौते के साथ समाप्त होती है. इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए परिवर्ती वेतन नियत वेतन के प्रतिशत/अनुपात के रूप में देय है तथा यह व्यक्तिगत और बैंक के कार्य-निष्पादन से सहबद्ध है.

As per the current policy, the fixed pay structure of subordinate staff, clerical staff and officer's upto the grade of Executive Director is drawn on the lines of the Indian Banks' Association (IBA) pay scales and allowances and runs co-terminus with the industry level settlements for a period of 5 years. Variable Pay as a percentage/ proportion of fixed pay is payable to this category of employees and is linked to the individual and Bank's performance.

अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है / Count of Officers and employees is given below:

ग्रेड / Grade	संख्या / Count
अधिकारी (ग्रेड ए से ईडी) / Officers (Gr A to ED)	16,341
एक्जीक्यूटिव* / Executives*	1,951
लिपिकीय / Clerical	341
अधीनस्थ / Subordinates	380
कुल योग / Grand Total	**19,013**

** एक्जीक्यूटिव परिवर्ती वेतन के लिए पात्र नहीं है.*

**Executives and employees on contract are not eligible for Variable Pay.*

पारिश्रमिक नीति के उद्देश्य / Objectives of remuneration policy:

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफ़एसबी) द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, बैंक हर समय, क्षतिपूर्ति की आंतरिक रूप से न्यायसंगत और बाहरी रूप से प्रतिस्पर्धी नीति का पालन करेगा. क्षतिपूर्ति के स्तर को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाएगा कि बैंक की व्यावसायिक योजनाओं को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिभा को आकर्षित किया जा सके व उन्हें रोके रखने में मदद मिल सके.

The Bank shall follow a compensation policy that is internally equitable and externally competitive, while complying, at all times, with the guidelines set forth by the Reserve Bank of India (RBI) and the Financial Stability Board (FSB). The compensation levels shall be designed to enable attraction & retention of the most suitable talent for delivering on the Bank's business plans.

क्या पारिश्रमिक समिति ने पिछले वर्ष के दौरान बैंक की पारिश्रमिक नीति की समीक्षा की और यदि हां, तो किए गए परिवर्तनों का एक विहंगावलोकन

Whether the remuneration committee reviewed the Bank's remuneration policy during the past year and if so, an overview of any changes that were made.

वर्ष 2023-24 के दौरान क्षतिपूर्ति नीति की समीक्षा की गई. मैलस और क्लाबैक से संबंधी प्रावधानों की समीक्षा की गई.

The Compensation Policy was reviewed during the year 2023-24. The provisions regarding malus and clawback were reviewed.

बैंक यह कैसे सुनिश्चित करता है कि जोखिम और अनुपालन कर्मचारियों को उन के द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों से स्वतंत्र रूप से पारिश्रमिक दिया जाए, इस पर चर्चा.

A discussion of how the Bank ensures that risk and compliances employees are remunerated independently of the businesses they oversee.

कार्यपालक निदेशक-मुख्य जोखिम अधिकारी, कार्यपालक निदेशक-मुख्य अनुपालन अधिकारी, कार्यपालक निदेशक-लेखा परीक्षा, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समूह एवं आंतरिक लेखा परीक्षक और मुख्य महाप्रबंधक - मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद आईडीबीआई बैंक के कैडर अधिकारियों के पास हैं और उनके वेतनमान व भत्ते यानी नियत वेतन अन्य समानांतर ग्रेड अधिकारियों को पेश किए जा रहे वेतनमान और भत्तों के बराबर है तथा इसे बैंक द्वारा बोर्ड के अनुमोदन से अंतिम रूप दिया गया है. हालांकि परिवर्ती वेतन उनके व्यक्तिगत कार्यनिष्पादन से जुड़ा हुआ है; बैंक के समग्र व्यावसायिक कार्यनिष्पादन को केवल प्राथमिक पात्रता सुनिश्चित करने के लिए गिना जाता है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

The positions of Executive Director-Chief Risk Officer, Executive Director-Chief Compliance Officer, Executive Director-Audit, Fraud Risk Management Group & Internal Auditor and Chief General Manager-Chief Financial Officer are held by cadre officers of IDBI Bank and their pay scale and allowances i.e. fixed pay is equivalent to the pay scales and allowances being offered to other parallel grade officers and is finalized by the Bank with the approval of the Board. The Variable Pay is, however, linked to their individual performance and overall business performance of the Bank is reckoned only for ascertaining primary eligibility.

(ग) पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में वर्तमान और भविष्य के जोखिमों को शामिल करने के तरीकों का विवरण. इसमें इन जोखिमों का ध्यान रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपायों का स्वरूप और प्रकार शामिल होने चाहिए.

(c) Description of the ways in which current and future risks are taken into account in the remuneration processes. It includes the nature and type of the key measures used to take account of these risks.

जोखिम और समय परिधि के साथ पारिश्रमिक को संरेखित करने के लिए जिसके तहत वे उभरते हैं, एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का परिश्रमिक के महत्वपूर्ण भाग परिवर्ती वेतन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं. परिवर्ती क्षतिपूर्ति नकद और गैर - नकद* घटक के रूप में देय है तथा 3 वर्षों या उससे अधिक अवधि के लिए आस्थगित है. पारिश्रमिक समायोजनों का प्रभाव कर्मचारियों और/ या व्यापार इकाइयों द्वारा की गई कार्रवाई और बैंक द्वारा ली गई जोखिम के स्तर पर उनके प्रभाव के साथ संबद्ध है. उत्तरदायित्व के उच्च स्तर पर परिवर्ती वेतन का अनुपात उच्च है. बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन के आधार पर परिवर्ती वेतन की राशि को शून्य तक भी घटाया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, परिवर्ती वेतन बैंक की क्षतिपूर्ति नीति के मैलस और क्लाबैक प्रावधानों के अधीन है.

In order to align remuneration with the risk and the time horizons over which they could emerge, a substantial portion of the senior management remuneration including that of MD & CEO and Deputy Managing Directors is under variable pay arrangement. The variable compensation is payable in the form of cash and non-cash* components and is deferred over a period of 3 years or more. The impact of remuneration adjustments is linked to actions taken by employees and/or business units, and their impact on the level of risk taken on by the Bank. At higher level of responsibility, the proportion of variable pay is higher. The amount of variable pay can even be reduced to zero depending on the financial performance of the Bank. In addition, variable pay is subject to the malus and clawback provisions of the Compensation Policy of the Bank.

(घ) उन तरीकों का विवरण जिसमें बैंक कार्यनिष्पादन माप अवधि के दौरान कार्यनिष्पादन को पारिश्रमिक के स्तरों के साथ जोड़ना चाहता है:

(d) Description of the ways in which the Bank seeks to link performance during a performance measurement period with levels of remuneration:

परिवर्ती वेतन, कार्यनिष्पादन मापन अवधि के दौरान कर्मचारियों द्वारा अधिकतम कार्यकाल के लिए ग्रेड और निभाई गई भूमिका के आधार पर देय होगा. लक्षित परिवर्ती वेतन नियत वेतन के प्रतिशत के रूप में या दिनों की संख्या के रूप में देय होगा. उत्तरदायित्व के उच्च स्तर पर परिवर्ती वेतन का अनुपात उच्च है. परिवर्ती वेतन के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखे गए कारक निम्न हैं.

Variable Pay shall be payable basis the grade and role performed by employees for maximum tenure during the performance measurement period. The target Variable Pay shall be payable as a percentage or in terms of number of days of Fixed Pay. At higher level of responsibility, the proportion of variable pay is higher. The factors taken into account for the purpose of variable pay are:

- बैंक का कार्य-निष्पादन / The performance of the Bank
- कर्मचारी का व्यक्तिगत कार्य-निष्पादन/ ग्रेड/ भूमिका / Individual performance/grade/role of the employee
- अन्य जोखिम धारणाएं / Other risk perceptions.

(ङ) परिवर्ती पारिश्रमिक के आस्थगन और निहित करने के संबंध में बैंक की नीति पर चर्चा तथा निहित करने से पहले एवं करने के बाद में आस्थगित पारिश्रमिक का समायोजन करने के लिए बैंक की नीति और मापदंडों पर चर्चा.

(e) A discussion of the Bank's policy on deferral and vesting of variable remuneration and a discussion of the Bank's policy and criteria for adjusting deferred remuneration before vesting and after vesting:

(क) परिवर्ती वेतन के प्रयोजन हेतु, कर्मचारियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है.

(a) For the purpose of Variable pay, employees have been grouped into following categories.

i) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और अन्य डबल्यूटीडी / MD & CEO and other WTDs

ii) तात्विक जोखिम लेने वाले / Material Risk Takers

iii) नियंत्रण कार्य करने वाले स्टाफ / Control Function Staff

iv) अन्य अधिकारी / Other Employees

(ख) एमआरटी की पहचान के लिए मानदंड निम्नलिखित हैं:

(b) The criteria for identification of MRTs are as under:

स्टाफ सदस्य जो गुणात्मक मानदंड और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मात्रात्मक मानदंडों में से किसी एक को पूरा करते हैं:
The staff members who satisfy the qualitative criteria and any one of the quantitative criteria as detailed below:

(I) मानक गुणात्मक मानदंड: / Standard Qualitative Criteria:

- संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से, जोखिम एक्सपोजर आदि के लिए महत्वपूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होने वाले स्टाफ सदस्यों (जैसे प्रबंधन निकाय के सदस्य) की भूमिका और निर्णय लेने की शक्ति से संबंधित हैं.
  Relate to the role and decision-making power of staff members (e.g. member of management body) having jointly or individually, the authority to commit significantly to risk exposures, etc.

(II) मानक मात्रात्मक मानदंड: / Standard Quantitative Criteria:

- उनका कुल पारिश्रमिक एक निश्चित सीमा से अधिक है (बोर्ड को अनुमोदन के लिए एनआरसी द्वारा अनुशंसित); जिसका निर्धारण बैंक द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से किया जा सकता है, अथवा
  Their total remuneration exceeds a certain threshold (to be recommended by NRC to the Board for approval); the determination of which may be done prudently by the bank, or
- वे बैंक में उच्चतम पारिश्रमिक वाले 0.3% कर्मचारियों में शामिल हैं, अथवा
  They are included among the 0.3% of staff with the highest remuneration in the bank, or
- उनका पारिश्रमिक वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य जोखिम लेने वालों के न्यूनतम पारिश्रमिक के बराबर या उससे अधिक है.
  Their remuneration is equal to or greater than the lowest remuneration of senior management and other risk-takers.

बोर्ड, एनआरसी की सिफारिश पर, तात्विक जोखिम लेने वालों (एमआरटी) को निर्दिष्ट करेगा जिन के कार्यों का समय-समय पर बैंक के जोखिम एक्सपोजर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है.
The Board, on recommendation of NRC, shall specify Material Risk Takers (MRTs) whose actions have a material impact on the risk exposure of the bank from time-to-time.

(ग) कार्यपालक निदेशक (ईडी)/ मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) ग्रेड के कर्मचारी और निम्नलिखित कार्यक्षेत्र में नियुक्त को 'नियंत्रण कर्मचारी स्टाफ' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता हैं:

(c) Employees in Executive Directors (ED)/ Chief General Manager (CGM) Grade and engaged in following functions are classified under Control Function Staff category

i) मुख्य जोखिम अधिकारी / Chief Risk Officer

ii) मुख्य अनुपालन अधिकारी / Chief Compliance Officer

iii) मुख्य वित्तीय अधिकारी / Chief Financial Officer

iv) आंतरिक लेखा परीक्षक / Internal Auditor

- परिवर्ती वेतन / Variable Pay

परिवर्ती वेतन रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए नकद और शेयर लिंक्ड घटकों के बीच उचित संतुलन के साथ नकद और शेयर- लिंक्ड लिखतों का मिश्रण होगा. शेयर आधारित एलटीआई का फोकस दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य निर्माण पर होगा. उक्त के मद्देनजर शेयर आधारित एलटीआई परिवर्ती वेतन के हिस्से के रूप में स्वीकृत होगा और इसका ब्लैक-श्चोल्स मॉडल या विनियामक(कों) द्वारा निर्देशित किसी अन्य मॉडल के उपयोग द्वारा स्वीकृति के दिन उचित मूल्यांकन किया जाएगा. केवल ऐसे मामलों में जहां शेयर लिंक्ड लिखतों के माध्यम से क्षतिपूर्ति, कानून/ विनियमनों द्वारा स्वीकृत नहीं है, सम्पूर्ण परिवर्ती वेतन नकद के रूप में हो सकता है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

The Variable Pay shall be a mix of cash and share-linked instruments with proper balance between cash and share linked components in keeping with the RBI guidelines. The focus of share-based LTI will be on long-term shareholder value creation. In view of the same, share-based LTI shall be granted as a part of Variable Pay and it shall be fair valued on the date of grant by using the Black-Scholes Model or any other model as may be directed by the Regulator(s). Only in cases where the compensation by way of share-linked instruments is not permitted by statute/regulations, the entire variable pay can be in the form of cash.

पूर्णकालिक निदेशकों के लिए परिवर्ती वेतन का निर्धारण बैंक-व्यापी प्रदर्शन मानदंडों की उपलब्धि पर आधारित है. तात्त्विक जोखिम लेने वाले(एमआरटी) और अन्य कर्मचारियों के परिवर्ती वेतन का निर्धारण व्यक्तिगत एवं बैंक-व्यापी प्रदर्शन मानदंडों की उपलब्धि पर आधारित है. नियंत्रण कार्य कर्मचारी स्टाफ के परिवर्ती वेतन का निर्धारण उनकी व्यक्तिगत कार्यनिष्पादन से संबद्ध है; बैंक के समग्र कार्य-निष्पादन को प्राथमिक पात्रता तय करते समय ध्यान में रखा जाता है.

The assessment of variable pay is based on achievement of Bank-wide performance parameters for Whole Time Directors. For Material Risk Takers (MRTs) and other employees the assessment of variable pay is based on achievement of individual as well as Bank-wide performance parameters. For Control Function staff the assessment of variable pay is linked to their individual performance; overall business performance of the Bank is reckoned only for ascertaining primary eligibility.

(क) परिवर्ती वेतन की सीमा

a. Limit on Variable Pay:

अ. एमडी एवं सीईओ और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों के लिए

A. For MD & CEO and Other Whole Time Directors

i. रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और अन्य नियमों एवं विनियमों के अनुपालन में कुल क्षतिपूर्ति का न्यूनतम 50% परिवर्ती होगा और बैंक-व्यापी प्रदर्शन के आधार पर भुगतान किया जाएगा. कुल परिवर्ती वेतन नियत वेतन का अधिकतम 300% तक होगा.

In compliance to the RBI guidelines and other applicable rules and regulations atleast 50% of the total compensation shall be variable and paid on the basis of Bank-wide performance. The total variable pay shall be limited to a maximum of 300% of the fixed pay.

ii. यदि परिवर्ती वेतन नियत वेतन के 200% तक है, तो परिवर्ती वेतन का न्यूनतम 50%; और यदि परिवर्ती वेतन 200% से अधिक है, तो परिवर्ती वेतन का न्यूनतम 67% गैर-नकद लिखतों के रूप में होगा.

In case variable pay is upto 200% of the fixed pay, a minimum of 50% of the variable pay; and in case variable pay is above 200%, a minimum of 67% of the variable pay shall be in the form of non-cash instruments.

iii. यदि किसी कार्यपालक को शेयर-लिंक्ड लिखतों की मंजूरी के लिए कानून या विनियमन द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, तो उनका/ उनकी परिवर्ती वेतन न्यूनतम 50% से अधिकतम 150% के दायरे में होगा.

In the event that an executive is barred by statute or regulation from grant of share-linked instruments, his/ her variable pay shall be in the range of minimum 50% to maximum 150%.

iv. बैंक के वित्तीय कार्य निष्पादन के आधार पर परिवर्ती वेतन शून्य तक घटाया जा सकता है

The amount of variable pay can even be reduced to zero depending on the financial performance of the Bank.

आ. तात्त्विक जोखिम लेने वालों के लिए (एमआरटी)

B. For Material Risk Takers (MRTs)

i. रिज़र्व बैंक दिशा निर्देशों के अनुपालन में, सभी एमआरटी के कुल क्षतिपूर्ति का 50% परिवर्ती होगा और व्यक्तिगत एवं बैंक-व्यापी प्रदर्शन मानदंडों के आधार पर भुगतान किया जाएगा.

In compliance to the RBI guidelines, 50% of total compensation for all MRTs shall be variable and paid on the basis of individual and Bank-wide performance parameters..

ii. परिवर्ती वेतन का न्यूनतम 50% गैर-नकदी* लिखतों के रूप में होगा.

Minimum 50% of the variable pay shall be in the form of non-cash* instruments.

iii. बैंक के वित्तीय कार्यनिष्पादन के आधार पर परिवर्ती वेतन शून्य तक भी घटाया जा सकता है.
The amount of variable pay can even be reduced to zero depending on the financial performance of the Bank.

iv. समय-समय पर बोर्ड तात्विक जोखिम लेने वालों (एमआरटी) की पहचान करेगा.
The Board shall from time-to-time identify the Material Risk Takers (MRTs).

ख. परिवर्ती वेतन का आस्थगन

b. Deferral of Variable Pay

(i) डबल्यूटीडी और एमआरटी हेतु कुल परिवर्ती वेतन का न्यूनतम 60% निरपवाद रूप से आस्थगित व्यवस्थाओं के अधीन होगा. इसके अतिरिक्त, यदि नकद घटक परिवर्ती वेतन का भाग है तो नकद घटक का न्यूनतम 50% भी आस्थगित होगा.

For WTDs and MRTs, a minimum of 60% of the total variable pay shall invariably be under deferral arrangements. Further, if cash component is part of variable pay, atleast 50% of the cash component shall also be deferred.

(ii) तथापि, उन मामलों में जहां परिवर्ती वेतन का नकदी घटक ₹ 25 लाख से कम है,वहां आस्थगित अपेक्षा लागू नहीं है.

However, in cases where the cash component of variable pay is under ₹ 25 lakh, deferral requirement is not applicable.

ग. आस्थगन व्यवस्था की अवधि

c. Period of Deferral Arrangement

आस्थगन अवधि न्यूनतम 3 वर्ष की होगी. यह परिवर्ती वेतन के नकदी और गैर- नकदी* दोनों घटकों पर लागू होगा.

The deferral period shall be a minimum of 3 years. This would be applicable to both the cash and non-cash* components of the variable pay.

घ. वेस्टिंग

d. Vesting:

शेयर-आधारित दीर्घकालिक प्रोत्साहन मंजूरी की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के दौरान निहित किया जाएगा. (मंजूरी की तारीख से पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में क्रमशः 25%, 25% और 50%) और इसके प्रयोग की अवधि निहित किए जाने की तारीख से 5 वर्ष तक होगी. शेयर-आधारित एलटीआई बैंक की संबंधित योजना पर लागू निबंधनों एवं शर्तों द्वारा अभिशासित होंगे.

Vesting of Share-based Long Term Incentive shall be over a period of 3 years from the grant date (25%, 25% & 50% at the end of 1st, 2nd & 3rd year from date of grant respectively) and exercise period shall be upto 5 years from the date of vesting. Share-based LTIs shall be governed by the terms & conditions of the respective scheme of the Bank, as applicable.

- यदि आस्थगन अवधि 3 वर्ष है तो पहले वर्ष की समाप्ति पर कुल मंजूर किए गए शेयर-आधारित एलटीआई का 33.33% से अधिक निहित नहीं किए जाने चाहिए. इसके अलावा, दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कुल मंजूर शेयर-आधारित एलटीआई का 33.33% से अधिक निहित नहीं होगा. इसी प्रकार यदि आस्थगन व्यवस्था चार वर्ष की है, तो पहले तीन वर्ष में कुल मंजूर शेयर-आधारित एलटीआई का 25% से अधिक निहित नहीं होंगे. इसके अलावा निहित किए जाने की प्रक्रिया वार्षिक आधार की आवधिकता से अधिक बार सम्पन्न नहीं होगी, ताकि कार्योत्तर समायोजनों की प्रयोज्यता के पहले जोखिमों का उचित आकलन सुनिश्चित किया जा सके.

  If deferral period is 3 years, not more than 33.33 % of the total granted Share-based LTI shall vest at the end of first year. Further, not more than 33.33 % of total granted Share-based LTI shall vest at the end of second year. Similarly, in case deferral arrangement is four years, not more than 25% of total granted Share-based LTI shall vest in each of the first three years. Additionally, vesting shall not take place more frequently than on a yearly basis to ensure a proper assessment of risks before the application of ex-post adjustments.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

मैलस/ क्लाबैक / Malus/Clawback

परिवर्ती वेतन (नकद आधारित और शेयर आधारित एलटीआई) पर मैलस और क्लाबैक प्रावधान कुछ स्थितियों अर्थात् एनपीए के लिए बैंक के प्रावधान में विचलन, कमजोर या नकारात्मक वित्तीय कार्यनिष्पादन, कदाचार या एनआरसी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य मापदंड में अनिहित अवार्ड को कम करने या रद्द करने और पहले भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की वसूली करने में एनआरसी सक्षम होगी. मैलस को सभी परिस्थितियों में लागू किया किया जा सकता है और क्लाबैक को कदाचार अथवा एनआरसी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य मानदंड के मामले में लागू किया जा सकता है. मैलस लागू किए जाने की प्रक्रिया में लागू ट्रिगर के ज्ञात होने की तारीख से आंशिक अथवा पूर्ण आस्थगित वार्षिक नकद प्रोत्साहन और/ अथवा अनिहित एलटीआई अवार्डों का निरसन अंतर्निहित होगा. क्लाबैक व्यवस्था में लागू ट्रिगर के प्रारंभ होने की तारीख से पिछले पांच वर्षों में दिए गए वार्षिक नकद प्रोत्साहन और एलटीआई पुरस्कारों की वसूली अंतर्निहित होगी.

Malus & Clawback provisions on variable pay (cash based & share-based LTI) would enable the NRC to reduce or cancel unvested awards and recover previously paid compensation in certain situations viz. divergence in Bank's provisioning for NPAs, subdued or negative financial performance, misconduct or any other parameter deemed relevant by the NRC. Malus can be invoked in all the situations and clawback can be invoked in case of misconduct or any other parameter deemed relevant by the NRC. Invocation of Malus provisions would imply cancellation of partial or full deferred annual cash incentive and/or unvested LTI awards as on the date of discovery of applicable trigger. The clawback arrangement would imply recovery of annual cash incentives paid and LTI awards vested over the last five years from the date of discovery of the applicable trigger.

(च) परिवर्ती पारिश्रमिक के विभिन्न प्रकारों (जैसे नकद और शेयर संबद्ध लिखतों के प्रकार) जिन्हें बैंक प्रयोग करता है, के विवरण और इन विभिन्न प्रकारों के प्रयोग के लिए औचित्य:

(f) Description of the different forms of variable remuneration (i.e. cash and types of share-linked instruments) that the Bank utilizes and the rationale for using these different forms:

परिवर्ती वेतन नकदी एवं शेयर आधारित दीर्घावधि प्रोत्साहन (एलटीआई) का मिश्रण होगा. शेयर-आधारित एलटीआई को परिवर्ती वेतन के एक भाग के रूप में प्रदान किया जाएगा और इसे ब्लैक-स्कोल्स मॉडल या विनियामक (कों) द्वारा निर्देशित किसी अन्य मॉडल का उपयोग करके मंजूरी की तारीख से उचित मूल्यांकन किया जाएगा. शेयर-आधारित एलटीआई समय-समय पर संशोधित बैंक की लागू योजना के निबंधन और शर्तों द्वारा अभिशासित होगा. नियत वेतन के प्रतिशत/ दिनों की संख्या (विनियामक दिशा-निर्देशों के अधीन) के रूप में कर्मचारी-वार लक्ष्य परिवर्ती वेतन नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशों तथा बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार होगा.

The Variable Pay shall be a mix of Cash & Share-based Long Term Incentive (LTI). Share-based LTI shall be granted as a part of Variable Pay and it shall be fair valued on the date of grant by using the Black-Scholes Model or any other model as may be directed by the Regulator(s). Share-based LTI shall be governed by the terms & conditions of the applicable scheme of the Bank, as amended from time-to-time. The employee category-wise target Variable Pay as a percentage/number of days of Fixed Pay (subject to regulatory guidelines) shall be as recommended by the Nomination and Remuneration Committee and approved by the Board.

2) मात्रात्मक प्रकटन / Quantitative Disclosures:

(मात्रात्मक प्रकटन में केवल पूर्णकालिक निदेशकों/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ तात्विक जोखिम लेने वालों की जानकारी शामिल हैं)
(The quantitative disclosures includes only Whole Time Directors / Chief Executive Officer/ Material Risk Takers)

		वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23
(च) (g)	वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या Number of meetings held by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) during the financial year	6	7
	और / and		
	इसके सदस्यों को प्रदत्त पारिश्रमिक. (करोड़ में) Remuneration paid to its members. (in Crores)	0.17	0.21

			वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23
(छ) (h)	(i)	वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्ती पारिश्रमिक अवार्ड प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या Number of employees having received a variable remuneration award during the financial year. **नोट- / Note –** वर्ष 2022-23 के लिए परिवर्ती पारिश्रमिक एमडी एवं सीईओ, 2 डीएमडी और 23 तात्विक जोखिम लेने वालों (वर्ष 2022-23 में 2 सेवानिवृत्त एमआरटी सहित) को वर्ष 2023-24 में भुगतान किया गया. Variable remuneration for the year 2022-23 was paid to MD & CEO, 2 DMDs and 23 Material Risk Takers (including 2 MRTs retired during the year 2022-23) in year 2023-24.	26	25
	(ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान किए गए साइन ऑन/जॉइनिंग बोनस की संख्या और कुल राशि Number and total amount of sign-on/joining bonus made during the financial year.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	(iii)	उपचित लाभों के अतिरिक्त सेवा विच्छेद भुगतान, यदि कोई हो, का विवरण Details of severance pay, in addition to accrued benefits, if any.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(ज) (i)	(i)	नकद, शेयर और शेयर से जुड़े लिखत और अन्य प्रकारों में विभक्त बकाया आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि Total amount of outstanding deferred remuneration, split into cash, shares and share linked instruments and other forms.		
		नकद / Cash	1.04	0.50
		ईएसओपी के एवज में नकद / Cash in lieu of ESOP*	10.87	5.28
	(ii)	वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि Total amount of deferred remuneration paid out in the financial year.	0.92	शून्य / Nil
(झ) (j)		नियत और परिवर्ती, आस्थगित और गैर-आस्थगित घटकों को दिखाने हेतु वित्तीय वर्ष के लिए पारिश्रमिक अवार्ड राशि का विश्लेषण$ Breakdown of amount of remuneration awards for the financial year to show fixed and variable, deferred and non-deferred$		
		नियत / Fixed	13.59	12.21
		परिवर्ती / Variable	13.25	13.33
		आस्थगित / Deferred	10.01	9.86
		गैर-आस्थगित / Non-Deferred	3.24	3.47

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

			वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23
(ञ) (k)	(i)	पूर्व सुस्पष्ट और/ अथवा अस्पष्ट समायोजनों के प्रति बकाया आस्थगित पारिश्रमिक और प्रतिधारित पारिश्रमिक की कुल राशि Total amount of outstanding deferred remuneration and retained remuneration exposed to ex post explicit and / or implicit adjustments.	12.06	5.78
	(ii)	पूर्व सुस्पष्ट समायोजनों के प्रति वित्तीय वर्ष के दौरान की गई कटौतियों की कुल राशि Total amount of reductions during the financial year due to ex post explicit adjustments.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	(iii)	पूर्व अस्पष्ट समायोजनों के प्रति वित्तीय वर्ष के दौरान की गई कटौतियों की कुल राशि Total amount of reductions during the financial year due to ex post implicit adjustments.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(ट) (l)		पहचान किए गए तात्विक जोखिम उठाने वालों (एमआरटी) की संख्या Number of Material Risk Takers (MRTs) identified	24	23
(ठ) (m)	(i)	मामलों की संख्या जहां मैलस का प्रयोग किया गया है. Number of cases where malus has been exercised.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	(ii)	मामलों की संख्या जहां क्लाबैक का प्रयोग किया गया है. Number of cases where clawback has been exercised.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	(iii)	मामलों की संख्या जहां मैलस और क्लाबैक दोनों का प्रयोग किया गया है Number of cases where both malus and clawback have been exercised.	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(ड) (n)		समग्र रूप में (सब-स्टाफ को छोड़कर) बैंक का माध्य (मीन) वेतन तथा निम्नलिखित प्रत्येक डब्ल्यूटीडी के वेतन का माध्य से विचलन: (राशि करोड़ में) The mean pay for the Bank as a whole (excluding sub-staff) and the deviation of the pay of each of the following WTDs from the mean pay: (Amount in Crores)	0.17	0.16
	(i)	एमडी एवं सीईओ / MD & CEO	1.94	1.63
	(ii)	डीएमडी (14 जनवरी 2024 को कार्यमुक्त) DMD (Relieved on 14th January 2024)	0.87	0.87
	(iii)	डीएमडी (12 जून 2023 को पदभार ग्रहण किया) DMD (Joined on 12th June 2023)	0.46	0.00
	(iv)	डीएमडी (5 अप्रैल 2023 को कार्यमुक्त) DMD (Relieved on 5th April 2023)	0.17	0.86

	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23
नोट- / Note – i) वेतन में सकल वेतन (इसमें संपूर्ण बैंक के लिए बीमांकिक आधार पर निर्धारित ग्रेच्युटी और अवकाश लाभों के लिए प्रावधान शामिल नहीं है)+ वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बकाया राशि + छुट्टी नकदीकरण + वर्ष के दौरान भुगतान किया गया परिवर्ती वेतन +आयकर अधिनियम 1961 के तहत गणना के अनुसार अनुलाभ मूल्य शामिल है. Pay includes Gross salary (excludes the provision for gratuity and leave benefits as determined on actuarial basis for the Bank as a whole) + arrears for FY 2022-23 + leave encashment + Variable Pay paid during the year + perquisite value as calculated under the Income Tax Act, 1961.		

 # रिजर्व बैंक के अनुमोदन से बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परिवर्ती वेतन को नकद (3 वर्ष की आस्थगन अवधि) और ईएसओपी के एवज में नकद (4 वर्ष की आस्थगन अवधि) प्रस्तावित किया है.

 # Bank has proposed Variable pay in the form of Cash (deferral period of 3 years) and Cash in lieu of ESOPs (deferral period of 4 years) for FY 2023-24 with the approval of RBI.

$ एमडी एवं सीईओ, डीएमडी और एमआरटी के नियत पारिश्रमिक में सकल वेतन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए डबल्यूटीडी को भुगतान की गई बकाया राशि, एमआरटी को भुगतान की गई तदर्थ बकाया राशि, वार्षिक छुट्टी नकदीकरण और अनुलाभ मूल्य जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 में गणना की गई है, शामिल हैं. इसमें ग्रेच्युटी और अवकाश लाभों के लिए प्रावधान शामिल नहीं है क्योंकि वे संपूर्ण बैंक के लिए बीमांकिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं. एमडी एवं सीईओ, डीएमडी और एमआरटी के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आस्थगित और गैर आस्थगित परिवर्ती वेतन में बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुसार लक्षित परिवर्ती वेतन शामिल हैं और डबल्यूटीडी के लिए यह रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है.

$ Fixed remuneration for MD & CEO, DMDs and MRTs includes, gross salary, arrears paid for FY 2022-23 to WTDs, ad-hoc arrears paid to MRTs, annual leave encashment and perquisite value as calculated under the Income Tax Act 1961. It excludes the provision for gratuity and leave benefits as they are determined on actuarial basis for the Bank as a whole. The Variable Pay - Deferred and Non-deferred includes target variable pay for FY 2023-24 for MD & CEO, DMDs and MRTs as approved by Bank's Board and it is subject to RBI approval for WTDs.

14. अन्य प्रकटन / Other Disclosures

क) व्यवसाय अनुपात
a) Business ratios

क्रम. सं. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
1	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय\$ Interest income as a percentage to working funds\$	7.73%	6.76%
2	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to working funds	1.06%	1.44%
3	जमाओं की लागत / Cost of Deposits	4.30%	3.50%
4	निवल ब्याज मार्जिन^ / Net Interest Margin^	4.93%	4.52%
5	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ\$ Operating profit as a percentage to working funds\$	2.81%	2.87%
6	आस्तियों पर प्रतिलाभ@ / Return on assets@	1.65%	1.20%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्रम. सं. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
7	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा और अग्रिम)# [₹ करोड़] Business (Deposits plus advances) per employee# [₹ crore]	23.50	22.31
8	प्रति कर्मचारी लाभ [₹ करोड़] / Profit per employee [₹ crore]	0.30	0.20

$ कार्यशील निधियों की गणना वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अधीन फॉर्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए अनुसार कुल आस्तियों (संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर) के औसत तथा विदेशी शाखाओं की कुल आस्तियों (संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर) के औसत के रूप में की जाती है.

$ Working funds are reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949, during the 12 months of the financial year and average of total assets (excluding accumulated losses, if any) of overseas branches.

^ निवल ब्याज आय / औसत अर्जक आस्तियां. निवल ब्याज आय= ब्याज आय - ब्याज व्यय.

^ Net Interest Income/ Average Earning Assets. Net Interest Income= Interest Income – Interest Expense

@ आस्तियों पर प्रतिलाभ औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर कुल आस्तियां) के संदर्भ में होगा.

@ Return on Assets would be with reference to average working funds (i.e., total of assets excluding accumulated losses, if any).

 # प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशियों और अग्रिमों का जोड़) की गणना के प्रयोजन के लिए अंतर बैंक जमाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा.

 # For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances), inter-bank deposits shall be excluded.

ख) बैंकएश्योरेंस व्यवसाय

b) Bancassurance Business

बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी और बैंकएश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित शुल्कों/ ब्रोकरेज का विवरण निम्नानुसार है :

The details of fees / brokerage earned in respect of insurance broking, agency and bancassurance business is as follows:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023
एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.@ Ageas Federal Life Insurance Co. Ltd.@	23	15
भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	75	74
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कं. लि. TATA AIG General Insurance Co. Ltd.	16	14
न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी / New India Assurance Co.	5	4
मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस / Max Bupa Health Insurance	23	13
कुल / Total	**142**	**120**

@ - पूर्व में आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. के नाम से जानी जाती थी.

@ - Earlier known as IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.

ग) मार्केटिंग एवं वितरण
c) Marketing & Distribution

मार्केटिंग एवं वितरण कार्य (बैंकाएश्योरेंस व्यवसाय को छोड़कर) के संबंध में प्राप्त शुल्कों/ कमीशन का विवरण निम्नानुसार है:
Details of fees / commission received in respect of the marketing and distribution function (excluding bancassurance business) is as follows:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023
म्युच्युअल फंड / Mutual Fund	32	30
सरकारी बॉन्डस (एफआईएस) / Government Bonds (FIS)	1	2
सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (एसजीबी) / Sovereign Gold Bond (SGB)	2	0.32
एनपीएस / NPS	0.42	0.32
पूंजीगत अभिलाभ बॉण्ड (एनएचएआई, आरईसी एवं आईआरएफसी) Capital Gain Bond (NHAI, REC & IRFC)	1	1
कुल / Total	**36.42**	**33.64**

घ) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्रों (पीएसएलसी) के संबंध में प्रकटन
d) Disclosures regarding Priority Sector Lending Certificates (PSLCs)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान / During the year ended March 31, 2024

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

पीएसएलसी श्रेणी PSLC Category	क्रय राशि Purchased Amount	बिक्री राशि Sold amount
पीएसएलसी-लघु एवं सीमांत कृषक (एसएफएमएफ) PSLC-Small & Marginal farmers (SFMF)	5,000	-
पीएसएलसी-कृषि / PSLC-Agriculture	-	-
पीएसएलसी-सामान्य / PSLC-General	-	-
पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यम / PSLC-Micro Enterprises	-	-
कुल / Total	**5,000**	**-**

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए / During the year ended March 31, 2023

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

पीएसएलसी श्रेणी PSLC Category	क्रय राशि Purchased Amount	बिक्री राशि Sold amount
पीएसएलसी-लघु एवं सीमांत कृषक (एसएफएमएफ) PSLC-Small & Marginal farmers (SFMF)	4,932	-
पीएसएलसी-कृषि / PSLC-Agriculture	-	600
पीएसएलसी-सामान्य / PSLC-General	-	2,600
पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यम / PSLC-Micro Enterprises	-	5,535
कुल / Total	**4,932**	**8,735**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ङ) **प्रावधान तथा आकस्मिकताएं**
(e) Provisions and Contingencies

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
निवेशों के लिए प्रावधान ^ / Provision for Investments^	284	1188
एनपीए के लिए प्रावधान ^ / Provision towards NPA^	(670)	(5,190)
करों के लिए किए गए प्रावधान - वर्तमान कर Provision made towards Taxes - Current Tax	0	(205)
- आस्थगित कर / Deferred Tax	2,561	1,797
अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं Other Provisions and Contingencies		
मानक आस्ति के प्रति प्रावधान Provision towards Standard Asset	(161)	1,906
पुनःसंरचित आस्तियों(एफआईटीएल सहित) के लिए प्रावधान Provision for Restructured Assets (including FITL)	(12)	(57)
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / Bad debts written off	1,681	4,018
अन्य प्रावधान@ / Other Provision@	275	1,634
कुल / Total	**3,958**	**5,091**

@ अन्य प्रावधान में अन्य बातों के साथ-साथ ₹152.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,293 करोड़) के एनपीए मामलों की गैर-निधि आधारित सीमाओं पर प्रावधान शामिल है.

@ Other Provision inter-alia includes provision on Non- fund based limits of NPA cases of ₹ 152.97 crore (Previous year ₹ 1,293 crore).

^वर्ष के दौरान निवेश के लिए प्रावधान में नई प्रतिभूति रसीदों (मोचन घटाकर) के अधिग्रहण के विरूद्ध सृजित ₹ 265 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,426 करोड़) शामिल हैं.

^Provision for Investment includes ₹ 265 crore (previous year - ₹ 1,426 crore) created against acquisition of new security receipts (Net of redemption) during the year.

च) **आईएफआरएस अभिमुख भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) का कार्यान्वयन**
f) **Implementation of IFRS converged Indian Accounting Standard (Ind AS)**

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 16 फरवरी 2015 की अधिसूचना के द्वारा आईएफआरएस अभिमुख भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) को अधिसूचित किया था और वित्तीय वर्ष 2018-19 से बैंकों, बीमा कंपनियों और एनबीएफ़सी के लिए इंड एएस की प्रयोज्यता हेतु रोड मैप (18 जनवरी 2016 की प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा) भी अधिसूचित किया था.

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) had notified IFRS-converged Indian Accounting Standards (Ind AS) vide Notification dated February 16, 2015 and had also notified (vide press release dated January 18, 2016) the roadmap for applicability of Ind AS for Banks, Insurance companies and NBFCs from FY 2018-19.

रिज़र्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होने वाली लेखांकन अवधियों के लिए इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु सूचित किया और इंड एएस की ओर परिवर्तित होने के लिए समय-सीमा निर्धारित की.

RBI advised all scheduled commercial banks to prepare financial statements for accounting periods beginning from April 1, 2018 onwards in accordance with Ind AS and prescribed a timeframe for transition towards Ind AS.

इसके परिणामस्वरूप आईडीबीआई ने वित्तीय परिणामों को तैयार करने के लिए इंड एएस का कार्यान्वयन प्रारंभ किया था. उसके बाद रिज़र्व बैंक ने अपने दिनांक 22 मार्च 2019 के परिपत्र सं.डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 29/21.07.001/2018-19 के द्वारा बैंकिंग उद्योग के लिए इंड एएस के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक आस्थगित रखने का निर्णय किया. इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने 8 अगस्त 2021 के अपने पत्र द्वारा प्रोफॉर्मा इंड एएस वित्तीय विवरण प्रस्तुति की बारंबारता को कम कर तिमाही के स्थान पर छमाही करने का निर्णय किया है. तद्नुसार, बैंक निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर रिज़र्व बैंक को अर्ध वार्षिक आधार पर इंड एएस प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है.

Consequent to this, IDBI had commenced implementation of Ind AS in preparation of financial results. RBI has subsequently decided to defer the implementation of Ind AS for banking industry till further notice vide its Circular No.

DBR.BP.BC.No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019. Further, RBI vide its communication dated August 08, 2021 decided to reduce the frequency of Pro-forma Ind AS Financial Statement submission from quarterly to half yearly. Accordingly Bank is submitting Ind AS Proforma Financial Statements on half yearly basis to RBI within the stipulated time.

चूंकि यह लेखांकन मानकों के नए सेट की ओर परिवर्तन की शुरूआत है और रिज़र्व बैंक की ओर वित्तीय विवरण के प्रारूप की अधिसूचना और साथ ही इंड एएस परिवेश के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के विभिन्न मौजूदा परिपत्रों की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है इसलिए बैंक के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले अंतिम दिशानिर्देशों के आधार पर विभिन्न नितियों के दस्तावेज (यथा-जोखिम प्रबंध, निवेश नीतियां), परिचालन प्रक्रिया ढांचा और आईटी एकीकरण तैयार करना आवश्यक है जिन्हें आने वाले समय में लगातार अद्यतित / आशोधित / विकसित किया जाएगा. बैंक के लिए इंड एएस के कार्यान्वयन के दौरान प्रमुख प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रभावी ब्याज दर लेखांकन, उचित मूल्यांकन निविष्टियां, कार्यप्रणाली और धारणाएं, कई लिखतों में विशिष्ट मूल्यांकन विचार, अपेक्षित क्रेडिट हानियां, कर्मचारी स्टॉक विकल्प और प्रौद्योगिकी प्रणालियों का कार्यान्वयन शामिल हैं.

As it is a beginning of transition to new set of Accounting Standards and awaiting notification of Financial Statements format by RBI as well as clarifications on applicability of various existing RBI Circulars under Ind AS environment, the Bank is required to formulate various policies papers (viz. Risk Management, Investments Policies), operational process setup and IT integration based on final guidelines to be issued by RBI, which will be continuously updated/modified/ evolved over a period of time. The key impact areas during implementation of Ind AS for the Bank include Effective Interest Rate accounting, fair valuation inputs, methodologies and assumptions, specific valuation considerations in many instruments, expected credit losses, employee stock options and implementation of technology systems.

बैंक ने रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए आईसीएआई द्वारा जारी इंड एएस के अनुरूप छमाही इंड एएस प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनकी प्रस्तुति के लिए विभिन्न अवधारणा कागजात तैयार किए हैं.

Bank has prepared various concept papers in line with Ind AS issued by ICAI, for preparation and submission of half yearly Ind AS Pro-forma Financials to RBI.

छ) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम की अदायगी

g) Payment of DICGC Insurance Premium

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान Payment of DICGC Insurance Premium	315	286
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान के लिए बकाया राशियां Arrears in payment of DICGC premium	-	-

ज) हरित जमाओं से जुटाई गई निधि के उपयोग पर पोर्टफोलियो-स्तर की जानकारी

h) Portfolio-level information on the use of funds raised from green deposits

बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान हरित जमा से कोई निधि नहीं जुटाई है.

Bank has not raised any funds from green deposit during current financial year 2023-24 & previous financial year 2022-23.

15. विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं / Prudential Exposure Limits

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31, 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के एलईएफ़ दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक के एकल उधारकर्ताओं तथा संबद्ध प्रतिपक्षी समूह एक्सपोजरों के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं हुए हैं. एकल प्रतिपक्ष उधारकर्ता तथा संबद्ध प्रतिपक्षी समूहों के एक्सपोजर पात्र पूंजी आधार अर्थात् टियर I पूंजी की 20% और 25% की विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के अंदर थे.

During the year ended March 31, 2024, there were no breaches in respect of Single borrowers and Group of Connected Counterparties exposures of the Bank under LEF guidelines of RBI. Exposures to single counterparty borrower and group of connected counterparties were within the prudential exposure limits of 20% and 25% of eligible capital base i.e. Tier I Capital.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31, 2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक के एलईएफ़ दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक के एकल उधारकर्ताओं तथा संबद्ध प्रतिपक्षी समूह एक्सपोजरों के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं हुए हैं. एकल प्रतिपक्ष उधारकर्ता तथा संबद्ध प्रतिपक्षी समूहों के एक्सपोजर पात्र पूंजी आधार अर्थात् टियर I पूंजी की 20% और 25% की विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के अंदर थे.

During the year ended March 31, 2023, there were no breaches in respect of Single borrowers and Group of Connected Counterparties exposures of the Bank under LEF guidelines of RBI. Exposures to single counterparty borrower and group of connected counterparties were within the prudential exposure limits of 20% and 25% of eligible capital base i.e. Tier I Capital.

16. भारतीय रिज़र्व बैंक (वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटन) के निर्देशों, 2021 के अनुसार प्रकटन - महत्वपूर्ण मदों का प्रकटन

Disclosure as per Reserve Bank of India (Financial Statements - Presentation and Disclosures) Directions, 2021 - Disclosure of material items

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए / For the year ended March 31, 2024

क. 'अनुसूची 14 - अन्य आय' शीर्षक के अंतर्गत उपशीर्षक 'विविध आय' के तहत कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक की मदें - शून्य

A. Item under the subhead "Miscellaneous Income" under the head "Schedule 14-Other Income" exceeding one percent of total income - NIL.

ख. 'अनुसूची 16 - परिचालन व्यय' शीर्षक के अंतर्गत उपशीर्षक ''अन्य'' के तहत कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक की मदें :

B. Items under subhead "Others" under the head "Schedule 16 - Operating Expenses" exceeding one percent of total income:

(₹ करोड़) / (₹ Crore))

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024	कुल आय का % % of Total Income	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended on March 31, 2023	कुल आय का % % of Total Income
कार्ड एवं एटीएम व्यय / Card & ATM expenses	333	1.11%	324	1.30%
बाह्यस्रोतीय व्यय / Outsourcing expenses	705	2.35%	655	2.63%
अन्य व्यय # / Other expenditure #	694	2.31%	519	2.08%

 # अन्य व्यय के अंतर्गत प्रमुख मदों में निविष्टि टैक्स क्रेडिट का प्रतिवर्तन - ₹ 210 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 198 करोड़), पीएसएलसी लेनदेन के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम का व्यय - ₹ 111 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 73 करोड़) और लाभांश प्रबंधन व्यय - ₹ 68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 38 करोड़) शामिल है.

 # Major items under other expenditure include Reversal of Input Tax Credit - ₹ 210 crore (Previous year ₹ 198 crore), Expense for premium paid for PSLC transaction - ₹ 111 crore (Previous year ₹ 73 crore), and Dividend handling expense – ₹ 68 crore (Previous year ₹ 38 crore).

ग. 'अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान' के अंतर्गत उपशीर्षक ''अन्य प्रावधान'' के तहत कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक की मदें:

C. Items under subhead "Other Provisions" under the "Schedule 5 - Other Liabilities and Provisions" exceeding one percent of total assets:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	कुल आस्तियों का % % to Total Assets	31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	कुल आस्तियों का % % to Total Assets
मानक आस्तियों के विरूद्ध विवेकपूर्ण प्रावधान Prudential provisions against standard assets	4,817	1.33%	4,977	1.51%
अन्य प्रावधान# / Other provisions #	6,017	1.66%	5,072	1.53%
विविध## (इस शीर्षक के अंतर्गत प्रमुख मदों में विप्रेषण/समझौता राउटिंग खाते शामिल हैं.) Miscellaneous## (Under this head, major items are Remittance / Settlement Routing Accounts)	-	-	3,291	1.00%

 # ''अन्य प्रावधान'' के अंतर्गत प्रमुख मदों में एनपीए एनएफ़बी के लिए प्रावधान - ₹ 2128 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1975 करोड़), कर्मचारी लाभ प्रावधान - ₹ 1427 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1153 करोड़) और गैर-बैंकिंग आस्तियों के लिए प्रावधान - ₹ 747 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 747 करोड़), शामिल है.

 # Major items under "Other provisions" include Provision for NPA NFB - ₹ 2128 crore (Previous year ₹ 1975 crore), Employee Benefit Provision - ₹ 1427 crore (Previous year ₹ 1153 crore) and Provision for Non-Banking Assets – ₹ 747 crore (Previous year ₹ 747 crore)

31 मार्च 2024 को कुल आस्तियों के 1% से अधिक नहीं

Not exceeding 1% of Total assets as at March 31, 2024.

घ. ''अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां'' के अंतर्गत उपशीर्षक ''अन्य'' के तहत कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक की मदें:

D. Items under subhead "Others" under the "Schedule 11 - Other Assets" exceeding one percent of total assets:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	कुल आस्तियों का % % to Total Assets	31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	कुल आस्तियों का % % to Total Assets
आस्थगित कर आस्ति (निवल) / Deferred Tax Asset (net)	8,960	2.47%	11,521	3.49%
विविध# / Miscellaneous#	7,753	2.13%	10,842	3.28%

 # विविध के अंतर्गत प्रमुख मदों में नाबार्ड, एनएचबी, मुद्रा और सिडबी के पास ₹5,355 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8,353 करोड़) की पीएसएल जमाराशियां शामिल हैं.

 # Major items under Miscellaneous include PSL deposits amounting to ₹ 5,355 crore (Previous year ₹ 8,353 crore) held with NABARD, NHB, Mudra and SIDBI.

17. गैर-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) को पारिश्रमिक

Remuneration to the Non-Executive Directors (NEDs)

बैंक गैर-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) को नियत पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता. सरकार द्वारा नामित निदेशकों के अलावा सभी गैर- कार्यपालक निदेशकों को केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है.

Bank does not pay fixed remuneration to the Non-Executive Directors (NEDs). All the Non-Executive Directors, except the Government Nominee Directors, are only paid sitting fees.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

आ. लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं
B. DISCLOSURE REQUIREMENTS AS PER ACCOUNTING STANDARDS

1. **अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)**
   Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies (AS-5)

   - 31 मार्च 2024 तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए पूर्व अवधि की आय/ व्यय की कोई महत्वपूर्ण मदें नहीं थीं.
     There were no material prior period income/ expenditure items for the year ended March 31, 2024 and March 31, 2023.
   - पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष मे अपनाई गई लेखांकन नीतियों की तुलना में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में कोई पविर्तन नहीं हैं.
     There is no change in significant accounting policies adopted during the year ended March 31, 2024 as compared to those followed in the previous financial year.

2. **स्थायी आस्तियां (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण) (एएस-10) / Fixed Assets (Property, Plant & Equipment's) (AS-10)**

   क) 31 मार्च 2024 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में शेष ₹7,933 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8,201 करोड़) है.

   a) The balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2024 is ₹ 7,933 Crores (Previous year ₹ 8,201 Crores).

   ख) वर्ष के दौरान आवासीय/ कार्यालय भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री से हुई ₹ 0.71 करोड़ की निवल हानि (पिछले वर्षः ₹ 2 करोड़ की निवल हानि) की राशि को अनुसूची 14 - अन्य आय में शामिल किया गया है.

   b) Net loss amounting to ₹ 0.71 crore (Previous year: Net Loss ₹ 2 crore) on account of sale of residential / office buildings and other assets during the year is included in Schedule 14 - Other Income.

   ग) लाभांशों के वितरण के लिए पुनर्मूल्यांकन रिजर्व उपलब्ध नहीं हैं.

   c) Revaluation reserve is not available for distribution of dividends

   घ) बैंक ने एनबीसीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए कब्जे पत्र के आधार पर ₹ 334 करोड़ की राशि के वाणिज्यिक स्थान के एक हिस्से को पूंजीकृत किया है. हक विलेख आईडीबीआई बैंक के नाम में निष्पादित किया जाना शेष है.

   d) The Bank has capitalized a portion of commercial space amounting of ₹ 334 Cr on the basis of possession letter provided by the NBCC. The title deed is yet to be executed in the name of IDBI Bank.

3. **कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित) / Employee Benefits (AS-15) (Revised)**

   अ. कर्मचारी लाभ योजनाएं
   A. Employee Benefit Schemes

   i. **निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं / Defined Contribution Schemes**

   क) भविष्य निधि / a) Provident Fund

   बैंक के उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्होंने पेंशन विकल्प चुना है, जिन्होंने 31 मार्च 2008 से पहले बैंक में सेवा ग्रहण की है, उन्हें भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक एक निर्दिष्ट अंशदान जो कि मूल वेतन के नियत प्रतिशत के रूप में होता है, पीएफएस में जमा करता है. भविष्य निधि योजना को आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट (ट्रस्ट) के न्यासी मंडल द्वारा संचालित किया जाता है. आईडीबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) तथा आईडीबीआई गिल्ट्स लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि अंशदान मई 2011 तक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया गया था और उसके बाद अंशदान ऊपर वर्णित निधि में जमा किए कराया गया है. वर्ष 2023-24 के दौरान पीएफएस में ₹ 6 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹7 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया है.

   The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is managed by "The Board of Trustees of IDBI Bank Employees' Provident Fund Trust (Trust)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made

to the aforementioned Fund. During the FY 2023-24 ₹ 6 crore (Previous FY 2022-23 ₹ 7 crore) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

b) **ख) नई पेंशन योजना / New Pension Scheme**

बैंक के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 1 अप्रैल 2008 के बाद कार्यग्रहण किया है, उन्हें आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की नई पेंशन योजना (आईबीएलएनपीएस) के तहत कवर किया गया है, जिसमें बैंक वेतन एवं महँगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप में निश्चित अंशदान करता है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आईबीएलएनपीएस में ₹ 199 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹ 177 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया है.

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by IDBI Bank Ltd. New Pension Scheme (IBLNPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the FY 2023-24, ₹ 199 crore (Previous FY 2022-23 ₹ 177 crore) has been contributed to IBLNPS and charged to Profit and Loss Account.

ii. **निर्दिष्ट लाभ योजनाएं / / Defined Benefit Schemes**

क. बैंक कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता के लिए 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट' में अंशदान देता है.

a. The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

ख. बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं, जिसका प्रबंध 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा किया जाता है.

b. Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

ग. इन निर्दिष्ट लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा संबंधित चालू सेवा लागत की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड द्वारा की जाती है.

c. The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

आ. निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और 31 मार्च 2024 को बैंक के वित्तीय विवरण में दर्शायी गई राशियों की स्थिति को प्रस्तुत करती है जो एएस-15(आर) के अनुसार है.

B. The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Bank's financial statements as at March 31, 2024 which is per AS-15(R).

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
	31 मार्च 2024 को / As at March 31, 2024	31 मार्च 2024 को / As at March 31, 2024	31 मार्च 2023 को / As at March 31, 2023	31 मार्च 2023 को / As at March 31, 2023
क) लाभ दायित्वों में परिवर्तन: **a) Change in benefit obligations:**				
वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ संबंधी दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year	3,793	972	3,619	958
ब्याज लागत / Interest cost	285	73	268	70
चालू सेवा लागत / Current Service cost	44	31	45	35
सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान व्यय की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	-	-	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

	विवरण Particulars	पेंशन Pension 31 मार्च 2024 को / As at March 31, 2024	ग्रेच्युटी Gratuity 31 मार्च 2024 को / As at March 31, 2024	पेंशन Pension 31 मार्च 2023 को / As at March 31, 2023	ग्रेच्युटी Gratuity 31 मार्च 2023 को / As at March 31, 2023
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(226)	(85)	(215)	(87)
	जनसांख्यिकीय अवधारणाओं में हुए बदलाव के कारण बीमांकिक (लाभ)/ हानि Actuarial (gain)/ loss due to change in Demographic assumptions	-	-	-	-
	वित्तीय अवधारणाओं में हुए बदलाव के कारण- दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	124	27	(95)	(19)
	अनुभव के कारण- दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	226	19	171	16
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ/दायित्व **Projected benefit/ obligation, end of the year**	4,246	1,037	3,793	972
ख) b)	**योजना आस्तियों में परिवर्तन :** **Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year	3,900	1,067	3,821	1,023
	योजना आस्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ Expected return on plan assets	293	80	283	75
	नियोक्ता का अंशदान / Employer's contributions	26	1	54	54
	प्रदत्त लाभ/ / Benefits paid	(226)	(85)	(215)	(87)
	बीमांकिक लाभ / (हानि)/ / Actuarial gain / (loss)	90	4	(43)	3
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य **Fair value of plan assets at the end of the year**	4,083	1,067	3,900	1,067
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान** **Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	4,246	1,037	3,793	972
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य **Fair Value of Plan assets at the end of the year**	4,083	1,067	3,900	1,067

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars		पेंशन Pension 31 मार्च 2024 को / As at March 31, 2024	ग्रेच्युटी Gratuity 31 मार्च 2024 को / As at March 31, 2024	पेंशन Pension 31 मार्च 2023 को / As at March 31, 2023	ग्रेच्युटी Gratuity 31 मार्च 2023 को / As at March 31, 2023
	तुलन पत्र में मान्य निवल (देयता)/ आस्ति **Net (Liability)/ Asset Recognized in the Balance Sheet**	**(163)**	**30**	**107**	**95**
घ) **d)**	**लाभ एवं हानि खाते में मान्य व्यय** **Expenses Recognised in Profit &Loss Account**				
	सेवा लागत / Service cost	44	31	45	35
	ब्याज लागत / Interest cost	285	73	268	70
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected return on plan assets	(293)	(80)	(283)	(75)
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि / Net Actuarial (gain)/ loss	260	42	119	(7)
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान निर्धारित की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	-	-	-	-
	वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की वास्तविक लागत Actual cost to P & L for the year	296	66	148	23
ङ) **e)**	**आस्तियों की श्रेणी** **Category of Assets**				
	सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	549	-	401	-
	कॉरपोरेट बॉण्ड / Corporate Bonds	1,034	-	1,182	-
	विशेष जमा योजना / Special Deposits Scheme	-	-	-	-
	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां / Insurer Managed Funds	2,189	1,009	2,229	1,067
	नकद और नकदी के समतुल्य / Cash and Cash equivalents	-	-	11	-
	अन्य / Others	311	58	78	-
	कुल / Total	4,083	1,067	3,900	1,067
च) **f)**	**अगले वर्ष में अपेक्षित अंशदान** **Expected contribution in next year**	106	3	-	-
छ) **g)**	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं** **Assumptions used in accounting:**				
	बट्टा दर / Discount rate	7.24%	7.21%	7.52%	7.49%
	योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर Rate of return on plan assets	7.24%	7.21%	7.52%	7.49%
	वेतन बढ़ोतरी दर / Salary escalation rate	5.75%	5.75%	5.75%	5.75%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

विवरण Particulars	पेंशन Pension 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	ग्रेच्युटी Gratuity 31 मार्च 2024 को/ As at March 31, 2024	पेंशन Pension 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023	ग्रेच्युटी Gratuity 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
नौकरी छोड़ने की दर Attrition Rate	4 वर्ष और उससे कम सेवा के लिए 3.60% प्रति वर्ष. 5 वर्ष और उससे अधिक सेवा के लिए 2.49% प्रति वर्ष. For service 4 years and below 3.60% p.a. For service 5 years and above 2.49% p.a	4 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा तत्पश्चात 2.49% 3.60% for service less than 4 years and 2.49% thereafter	4 वर्ष और उससे कम सेवा के लिए 3.60% तथा तत्पश्चात 2.49% 3.60% p.a. for 4 years and below service and 2.49% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा तत्पश्चात 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter
मृत्यु दर Mortality Rate	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)

बीमांकिक मूल्यांकन में विचार किये जाने वाले भावी वेतन आय वृद्धि के अनुमानों में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है.
The estimates of future salary income increases considered in the actuarial valuation takes into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors.

सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त प्रतिफल वक्र के आधार पर योजनागत आस्तियों को बाजार भाव पर दर्शाया है. अतः प्रतिलाभ की अपेक्षित दर को छूट दर के समान ही रखा गया है.
The Plan assets are marked to market on the basis of the yield curve derived from government securities. Hence, the expected rate of return has been kept the same as the discount rate.

अनुभव समायोजन: / Experience Adjustments:

(i) **ग्रेच्युटी योजना / Gratuity Plan**

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligation	1,037	972	958	938	932
योजना आस्तियां / Plan assets	1,067	1,067	1,023	1,003	880
अधिशेष/(कमी) / Surplus/(deficit)	30	95	64	66	(52)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan liabilities [Gain / (Loss)]	(19)	(16)	(22)	(13)	(56)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments on plan assets [Gain / (Loss)]	4	3	13	(0.06)	5

(ii) **पेंशन योजना / Pension Plan**

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
परिभाषित लाभ दायित्व Defined benefit obligation	4,246	3,793	3,619	3,190	2,993
योजना आस्तियां / Plan assets	4,083	3,900	3,821	3,092	2,698
अधिशेष/(कमी) / Surplus/(deficit)	(163)	107	201	(98)	(295)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan liabilities [Gain / (Loss)]	(227)	171	(245)	15	(351)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments on plan assets [Gain / (Loss)]	90	(43)	154	41	14

अन्य दीर्घावधि लाभ
Other long term benefits

1. **छुट्टी नकदीकरण / रुग्ण छुट्टी / Leave Encashment/Sick Leave**

(₹ करोड़) / (₹ Crore))

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2023
कुल बीमांकित देयता / Total Actuarial Liability	913	743
धारणाए / Assumptions		
बट्टा दर / Discount Rate	7.21%	7.49%
वेतन बढ़ोतरी दर / Salary Escalation Rate	5.75%	5.75%

2. **स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना / Voluntary Health Scheme**

(₹ करोड़) / (₹ Crore))

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2023
कुल बीमांकित देयता / Total Actuarial Liability	61	60
धारणाए / Assumptions		
बट्टा दर / Discount Rate	7.24%	7.52%

3. बैंक के कर्मचारी अशक्तता सहायता के लिए पात्र हैं जिसे अशक्तता की घटना घटित होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है।
Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

4. **भविष्य निधि / Provident Fund**
एएस 15 कर्मचारी लाभ पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया है कि नियोक्ता द्वारा स्थापित भविष्य निधि, जहाँ ब्याज की गारंटी है, को परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में माना जाना चाहिए और देयता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए. भारतीय एक्चुअरीज संस्थान (आईएआई) ने छूट प्राप्त भविष्य

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

निधियों पर गारंटीकृत ब्याज दर के मूल्यांकन पर एक मार्गदर्शन नोट जारी किया है. एक्चुअरी ने तदनुसार इसका मूल्यांकन किया है और बैंक ने गारंटीकृत ब्याज लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के लिए 31 मार्च 2024 को शून्य राशि का प्रावधान रखा है.

The guidance note on AS15, Employee Benefits, states that Employer established Provident Funds, where interest is guaranteed are to be considered as defined benefit plans and the liability has to be valued. The institute of Actuaries of India (IAI) has issued a guidance note on valuation of interest rate guaranteed on exempt provident funds. The actuary has accordingly valued the same and the Bank held provision of NIL as on March 31, 2024 towards the present value of the guaranteed interest benefit obligation.

कर्मचारी लाभ के लिए अतिरिक्त प्रावधान / Additional Provision towards Employee Benefit

नवंबर 2022-अक्तूबर 2027 तक की अवधि के लिए प्रस्तावित संशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त देयता को पूरा करने हेतु कर्मचारी लाभ के लिए निम्नानुसार अतिरिक्त प्रावधान किया गया है:

An additional provision towards employee benefits has been made to meet the additional liability which may arise in effect of implementation of proposed revised pay scale for the period Nov 2022- October 2027 as under:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2023
पेंशन / Pension	22	190
ग्रेच्युटी / Gratuity	3	48
छुट्टी / Leaves	148	112
कुल / Total	**173**	**350**

उपरोक्त तालिका में कर्मचारी लाभ की परिभाषित लाभ योजना के अंतर्गत दिए गए विवरणों पर उपरोक्त प्रावधान का प्रभाव नहीं है.

Details given under Defined benefit scheme of Employee benefits in table above does not have effect of the above provision.

4. **खंड रिपोर्टिंग (एएस-17) / Segment Reporting (AS-17)**

बैंक मुख्य रूप से तीन कारोबारी खंडों में निम्नानुसार परिचालन करता है :

The Bank primarily operates in three business segments as under:

i)	ट्रेजरी Treasury	ट्रेजरी परिचालनों में सभी निवेश, मुद्रा बाज़ार परिचालन, व्युत्पन्नों का सौदा, प्रोप्राइटरी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include all investments, money market operations, derivative trading, and foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
ii)	खुदरा बैंकिंग Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में मोटे तौर पर ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार सहित व्यक्तियों और लघु कारोबार उन्मुख हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रैवल/करेंसी कार्ड और ट्रांजेक्शन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet Banking, mobile Banking, credit cards, debit cards, travel/currency cards and transaction Banking services

iii)	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अलावा जमा एवं ऋण कार्यकलापों को कवर करने वाले कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी / सिंडिकेशन, परियोजना मूल्यांकन भी शामिल हैं. कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में परिणाम, राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों संबंधी नियोजित पूंजी शामिल की जाती है. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal. Results, revenue and capital employed of international operations are included in Corporate/Wholesale Banking segment.
iv)	अविनिधानित Unallocated	इसमें प्रावधान को घटाकर निवल अग्रिम प्रदत्त कर, आस्थगित कर और संस्था स्तर पर गणना किए गए प्रावधानों जैसी मदें शामिल हैं. Includes items such as tax paid in advance net of provision, deferred tax and provisions to the extent reckoned at the entity level.

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	समाप्त वर्ष / Year Ended 31 मार्च 2024 March 31, 2024	 31 मार्च 2023 March 31, 2023
क./a.	**खंड राजस्व / Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	8,808	6,210
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	30,104	25,092
	ट्रेजरी / Treasury	13,362	9,589
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	213	172
	अविनिधानित / Unallocated	87	300
	कुल / TOTAL	**52,574**	**41,362**
	घटाएं : अंतर खंड राजस्व / Less : Inter-segment revenue	22,537	16,421
	निवल खंड राजस्व / Net Segment Revenue	**30,037**	**24,942**
ख. b.	**खंड परिणाम- कर पूर्व लाभ / (हानि) Segment Results -Profit/(loss) before tax**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	3,519	3,432
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	2,258	979
	ट्रेजरी / Treasury	2,179	405
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	152	122
	अविनिधानित / Unallocated	87	300
	कर पूर्व लाभ / (हानि) / Profit/(Loss) before tax	**8,195**	**5,238**
	आय कर / Income taxes	2,561	1,593
	निवल लाभ / (हानि) / Net profit/(Loss)	**5,634**	**3,645**
ग. / c.	**खंड आस्तियां / Segment assets**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	50,506	46,165
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	1,41,951	1,29,710
	ट्रेजरी / Treasury	1,59,116	1,40,560

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	समाप्त वर्ष Year Ended 31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	4	18
	अविनिधानित आस्तियां / Unallocated assets	11,613	14,049
	कुल आस्तियां / Total assets	**3,63,190**	**3,30,502**
घ / d.	**खंड देयताएं / Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	30,917	19,378
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	2,61,700	2,50,402
	ट्रेजरी / Treasury	20,692	15,403
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	-	1
	अविनिधानित आस्तियां / Unallocated liabilities	-	-
	कुल देयताएं / Total liabilities	**3,13,309**	**2,85,184**
ङ e.	**पूंजी नियोजित (खंड आस्तियां - खंड देयताएं) Capital employed (Segment assets-Segment liabilities)**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	19,589	26,787
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	(1,19,749)	(1,20,692)
	ट्रेजरी / Treasury	1,38,424	1,25,157
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	4	17
	अविनिधानित / Unallocated	11,613	14,049
	कुल / Total	**49,881**	**45,318**

- रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार और लागू लेखा मानक (एएस) - 17, 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुपालन में, रिपोर्ट करने योग्य खंडों को ट्रेजरी, कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग परिचालनों के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है. संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और संबंधित आय/ व्यय को ट्रेजरी खंड के अंतर्गत पुनः समूहीकृत किया गया है.

  As per extant RBI guidelines and in compliance with the applicable Accounting Standard (AS) – 17, 'Segment Reporting', reportable segments are identified as Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and other Banking operations. Entire investments portfolio and corresponding income/expenses have been regrouped under the Treasury Segment.

- योजनाओं और सेवाओं के स्वरूप और जोखिम प्रोफ़ाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफ़ाइल, संस्था संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद इन खंडों की पहचान उक्त लेखा मानक (एएस) के अनुरूप की गई है.

  These segments have been identified in line with the said Accounting Standard (AS) after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

- 'खंड परिणाम' निर्धारित करने में, बैंक द्वारा अपनाई गई निधि अंतरण मूल्य तंत्र का इस्तेमाल किया गया है.

  In determining 'Segment Results', the funds transfer price mechanism adopted by the Bank has been used.

- परिणाम, राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों में नियोजित पूंजी को कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में शामिल किया जाता है.

  Results, Revenue and Capital Employed of International operations are included in Corporate/Wholesale Banking segment.

- व्यावसायिक खंडों की पहचान और रिपोर्टिंग लक्षित ग्राहक प्रोफ़ाइल, योजनाओं एवं सेवाओं की प्रकृति, विभिन्न जोखिमों और प्रतिलाभ, संगठन संरचना, आंतरिक व्यापार रिपोर्टिंग प्रणाली और रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए की गई है. 7 अप्रैल 2022 को रिज़र्व

बैंक ने अपने परिपत्र के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना पर रिटेल बैंकिंग खंड के उप-खंड के रूप में डिजिटल बैंकिंग खंड की रिपोर्टिंग निर्धारित की है. बैंक के प्रस्तावित डीबीयू ने संचालन शुरू नहीं किया है और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) (जिसमें बैंकों और रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं) द्वारा गठित डीबीयू वर्किंग ग्रुप की चर्चाओं के संबंध में, खुदरा बैंकिंग खंड के एक अलग उप-खंड के रूप में डिजिटल बैंकिंग की रिपोर्टिंग को डीबीयू वर्किंग ग्रुप के निर्णय के आधार पर बैंक द्वारा लागू किया जाएगा.

Business Segments have been identified and reported taking into account the target customer profile, the nature of products and services, the differing risks and returns, the organisation structure, the internal business reporting system and the guidelines prescribed by the RBI. Vide its circular dated April 7, 2022 on establishment of Digital Banking Units (DBUs), the RBI has prescribed reporting of Digital Banking Segment as a sub-segment of Retail Banking Segment. The proposed DBUs of the Bank have not commenced operations and having regard to the discussions of the DBU Working Group formed by Indian Banks' Association (IBA) (which included representatives of banks and RBI), reporting of Digital Banking as a separate sub-segment of Retail Banking Segment will be implemented by the Bank based on the decision of the DBU Working Group.

- 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने नई प्रतिभूति रसीदें (मोचन को छोड़कर) के अर्जन के प्रति ₹ 265 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1426 करोड़) का प्रावधान किया है.

  During year ended March 31, 2024, bank has made provision of ₹ 265 crore (Previous Year: ₹ 1426 crore) against acquisition of new security receipts (Net of redemption).

- बैंक ने 31 मार्च 2024 को आरएफ 1.0, आरएफ 2.0 और एमएसएमई ओटीआर के तहत ₹ 2315 करोड़ के कुल मानक खुदरा पोर्टफोलियो की पुनर्संरचना पर 80% के लिए ₹ 1843 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹ 1836 करोड़) का प्रावधान किया है.

  The bank has made provision of ₹ 1843 crore (Previous Year: ₹ 1836 crore) at 80% on the total standard retail portfolio restructured under RF 1.0, RF 2.0 and MSME OTR of ₹ 2315 crore as on March 31, 2024.

- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली निधि अंतरण कीमत निर्धारण प्रणाली के अनुसार संगणित अंतर-खंड राजस्व शामिल है.

  The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per Fund Transfer Pricing system followed by the Bank.

- बैंक मुख्यतः भारत में परिचालन करता है अतः बैंक ने यह माना है कि इसके परिचालन मुख्य रूप से घरेलू खंड में हैं अतः रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.

  The Bank primarily operates in India, hence the Bank has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reporatble geographical segments.

- 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने आईआरएसी मानदंडों से ऊपर ₹ 1332 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है.

  During the year ended March 31, 2024, bank has made additional provision of ₹1332 crore over & above the IRAC norms.

5. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) / RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

अ) एएस-18 के अनुसार संबद्ध पक्षकार की सूची
A. List of related party as per AS-18

I. प्रवर्तक : / Promoter:

- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) / Life Insurance Corporation of India (LIC)

II. सहायक संस्थाएं : / Subsidiaries:

- आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड / IDBI Capital Markets & Securities Ltd.
- आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड / IDBI Intech Ltd.
- आइडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड / IDBI Mutual Fund Trustee Company Ltd.
- आइडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड / IDBI Asset Management Ltd.
- आइडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड / IDBI Trusteeship Services Ltd.

III. सहयोगी संस्थाएं / Associates:

- बायोटेक कॉन्सोर्शियम इंडिया लिमिटेड / Biotech Consortium India Ltd.
- नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड / National Securities Depository Ltd
- नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड / North Eastern Development Finance Corporation Ltd
- पोंडीचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीआईपीडीआईसीएल)
  Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd (PIPDICL)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

IV. **बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / Key management personnel of the Bank:**

- श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / Shri Rakesh Sharma, MD & CEO
- श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक (5 अप्रैल 2023 तक)
  Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD (upto April 5, 2023)
- श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, उप प्रबंध निदेशक (14 जनवरी 2024 तक)
  Shri Suresh Kishanchand Khatanhar, DMD (upto January 14, 2024)
- श्री जयकुमार एस. पिल्लै, उप प्रबंध निदेशक (12 जून 2023 से)
  Shri Jayakumar S. Pillai, DMD (From June 12, 2023)
- श्रीमती स्मिता हरीश कुबेर, सीएफओ
  Smt. Smita Harish Kuber, CFO
- श्रीमती ज्योति नायर, कंपनी सचिव / Smt. Jyothi Nair, Company Secretary

केएमपी के रिश्तेदार और उनकी हितबद्ध संस्थाएं / Relative of KMP & their interested entities:

i. श्रीमती अनिता शर्मा, श्री हर्षवर्धन शर्मा, श्री पार्थ शर्मा, श्रीमती करूण्या पुली गद्दा, श्री राजेश कुमार लव, श्रीमती आशा गोस्वामी, श्रीमती निधि शर्मा, श्रीमती शैलजा कौशल, डॉ. मुथुलक्ष्मी रामास्वामी, श्री सैम्युअल जॉर्ज स्टीफन जेबराज, श्रीमती मैरी जेबराज, श्री गेब्रियल स्टीफन राम्याकुमार सैम्युअल, इवांगेलिन मैरी किरूबा सैम्युअल, जॉन अलेक्जेंडर जेबराज, शांति लावण्या पॉल, इवांगेलिन सिंथिया राजकुमार, श्रीमती विदिशा सुरेश खटनहार, श्री किशनचंद खटनहार, श्रीमती रजनी खटनहार, श्री लवेश खटनहार, श्री रमेश खटनहार, श्रीमती पूनम करणी, श्रीमती सीतालक्ष्मी आर, श्री जे सुब्रमण्यम पिल्लै, श्रीमती पद्मावती अम्मल, श्री अरविंद जयन, कु. नंदना जयन, श्री पद्मकुमार एस, रानी पीएस, श्री हरीश विनायक कुबेर, श्री दत्तात्रेय जे. पाध्ये, श्रीमती शुभांगी डी. पाध्ये, चिन्मयी एच. कुबेर, श्री जितेंद्र डी. पाध्ये, श्रीमती भावना एच. पापट, श्री बीजू नायर, श्री कुट्टी कृष्णन नायर, श्रीमती देवी के नायर, अदित्री नायर, प्रीति जावजी, रेति नायर.
Smt. Anita Sharma, Shri. Harshvardhan Sharma, Shri Parth Sharma, Smt. Karunya Puli Gadda, Shri.Rajesh Kumar Lav, Smt. Asha Goswami, Smt. Nidhi Sharma, Smt. Shailja Kaushal, Dr. Muthulakshmi Ramaswamy, Shri Samuel George Stephen Jebaraj, Smt. Mary Jebaraj, Shri Gabriel Stephen Ramyakumar Samuel, Evangeline Mary Kiruba Samuel, John Alexander Jebaraj, Shanthi Lavanya Paul, Evangeline Cynthia Rajkumar, Smt. Vidisha Suresh Khatanhar, Shri Kishinchand Khatanhar, Smt. Rajni Khatanhar, Shri Lavesh Khatanhar, Shri Ramesh Khatanhar, Smt. Poonam Karani, Smt. Seethalekshmy R , Shri J Subramonia Pillai , Smt. Padmavathy Ammal , Shri Aravind Jayan, Kum. Nandana Jayan , Shri Padmakumar S , Rani PS , Shri Harish Vinayak Kuber , Shri Dattatraya J. Padhye , Smt. Shubhangi D. Padhye , Chinmayee H. Kuber , Shri Jitendra D. Padhye Smt. Bhavna H. Papat ,Shri Biju Nair, Shri Kutty Krishnan Nair, Smt. Devi K Nair, Aditri Nair, Preethi Javaji, Rethi Nair.

ii. संस्थाएं जिनमें केएमपी की हितबद्धता है - एसआईआरएफ इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. एवं सोशल फूटप्रिंट प्रा. लि.
Entities in which KMPs have Interest - SIRF Investment Pvt. Ltd. & Social Footprint Pvt. Ltd.

आ. संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए लेन-देनों का विवरण

B. Details of transactions with Related Parties

i. **31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन/ शेषराशियां**
Transactions/ balances with related parties during the Year ended March 31, 2024

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी कंपनियां # Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $@ Key Management Personnel $@	कुल Total
31 मार्च 2024 को बकाया उधार Borrowings Outstanding as on March 31, 2024	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया उधार की अधिकतम राशि Maximum amount of borrowings Outstanding during the year	-	-	-	-	-	-

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी कंपनियां # Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $@ Key Management Personnel $@	कुल Total
जमाराशियों का नियोजन Placement of deposit	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को बकाया जमा राशियां Deposits Outstanding as on March 31, 2024	4,696	292	-	61	-	5,049
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमा राशियां Maximum amount of Deposits Outstanding during the year	23,524	959	-	219	-	24,702
31 मार्च 2024 को अन्य बकाया देयताएं Other Liabilities Outstanding as on March 31, 2024	0.10	34	-	-	-	34
वर्ष के दौरान अन्य बकाया देयताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Other Liabilities Outstanding during the year	0.11	91	-	-	-	91
बकाया निवेश Investments Outstanding	-	308	-	-	-	308
बकाया अधिकतम निवेश Maximum investments Outstanding	-	308	-	-	-	308
31 मार्च 2024 को अग्रिम Advances as on March 31, 2024	500	45	-	-	-	545
वर्ष के दौरान अधिकतम अग्रिम Maximum Advances During the year	503	45	-	-	-	548
31 मार्च 2024 को प्राप्य बकाया Receivable Outstanding as on March 31, 2024	14	1	-	-	-	15
वर्ष के दौरान प्राप्य बकाया की अधिकतम राशि Maximum amount of receivable Outstanding during the Year	17	8	-	-	-	26
जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	1	14	-	36	-	51
पारिश्रमिक Remunerations	-	-	-	-	10	10
से सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यय Expenses for receiving services from	7	92	-	1	-	101

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी कंपनियां # Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $@ Key Management Personnel $@	कुल Total
को प्रदान की गई सेवाओं से आय Income from services rendered to	102	14	-	-	-	116
अग्रिमों पर ब्याज आय Interest Income on Advances	11	3	-	-	-	14
उधारों पर ब्याज व्यय Interest Expense on borrowings	-	-	-	-	-	-
वर्ष 31 मार्च 2024 बकाया गैर-निधि प्रतिबद्धताएं Non-Funded Commitments outstanding as on March 31, 2024	-	12	-	-	-	12
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधि प्रतिबद्धताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	12	-	-	-	12

 # पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में, बैंक को कंपनी से कोई वित्तीय विवरण और लेनदेन विवरण प्राप्त नहीं हुआ है. अतः उपर्युक्त में जानकारी समेकित नहीं है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में निवेश को एक रुपये तक कम कर दिया है.

 # In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the company hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one.

बैंक के पास नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 26.10% हिस्सा है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 06 अक्तूबर 2023 के पत्र के माध्यम से, अतिरिक्त शेयरधारिता के वास्तविक विनिवेश तक, एनएसडीएल में बैंक की 14.99% से अधिक शेयरधारिता के संबंध में वोटिंग अधिकार और सभी कॉर्पोरेट कार्रवाइयों को प्रतिबंधित कर दिया. तथापि, प्रचुर प्रकटीकरण के हित में और विधिक विशेषज्ञ की राय के आधार पर, बैंक ने बैंक द्वारा विभिन्न सांविधिक फाइलिंग के तहत एनएसडीएल को एक 'सहयोगी कंपनी' के रूप में मान्यता देना जारी रखने का निर्णय लिया है और नवीनतम उपलब्ध सीमित समीक्षा के वित्तीय विवरणों अर्थात् 31 दिसंबर 2023 को समाप्त नौ महीने की अवधि के एनएसडीएल के वित्तीय परिणामों को समेकित किया है.

The Bank holds 26.10% of the paid-up equity share capital of National Securities Depository Ltd (NSDL). The Securities Exchange Board of India, vide letter dated October 06, 2023 restricted the voting rights and all corporate actions in respect of bank's shareholding in NSDL in excess of 14.99%, until the actual divestment of the excess shareholding. However, in the interest of abundant disclosure and based on a legal expert's opinion, the Bank has decided to continue to recognize NSDL as an 'associate company' under the various statutory filings by the Bank and has consolidated financial results of NSDL based on the latest available limited reviewed financial statements, i.e. as at and up to the period of nine months ended December 31, 2023.

$ एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेनों को प्रकट नहीं किया गया है.

$ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel. .

@ 1) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ एक समग्र पूल के हिस्से के रूप में अर्जित किए जाते हैं और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों पर आवंटित नहीं किए जाते हैं.
Retiral Benefits for key managerial personnel are accrued as a part of an overall pool and are not allocated against key managerial personnel.

2) पूर्णकालिक निदेशकों/ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/ तात्विक जोखिम लेने वालों और नियंत्रण कार्य करने वाले स्टाफ को क्षतिपूर्ति के बारे में दिनांक 4 नवंबर 2019 के रिज़र्व बैंक परिपत्र आरबीआई/2019-20/89 डीओआर.एपीपीटी. बीसी.सं. 23/29.67.001/2019-20 के अनुसार.
In accordance with RBI Circular RBI/2019-20/89 DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 dated November 4, 2019 on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers and Control Function staff

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परिवर्ती वेतन (नकद घटक) हेतु कुल ₹ 1.16 करोड़ की कुल राशि (पिछले वर्ष ₹ 1.48 करोड़) का प्रावधान किया गया था.
For the FY 2023-24, total amount of ₹ 1.16 Crore (previous year ₹ 1.48 crore) was provided for variable pay (cash component).

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन/ शेष राशियां
Transactions/ balances with related parties during the year ended March 31, 2023:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी संस्थाएं# Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $@ Key Management Personnel $@	कुल Total
31 मार्च 2023 को बकाया उधार Borrowings Outstanding as on March 31, 2023	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया उधार की अधिकतम राशि Maximum amount of borrowings Outstanding during the year	1,450	-	-	-	-	1,450
जमाराशियों का नियोजन Placement of deposit	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 को बकाया जमाराशियां Deposits Outstanding as on March 31, 2023	5,390	177	-	89	-	5,656
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of Deposits Outstanding during the year	9,164	307	13	314	-	9,798
31 मार्च 2023 को बकाया अन्य देयताएं Other Liabilities Outstanding as on March 31, 2023	0.31	17	-	-	-	17
वर्ष के दौरान बकाया अन्य देयताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Other Liabilities Outstanding during the year	0.31	57	0.003	-	-	57
31 मार्च 2023 को बकाया निवेश Investments Outstanding as on March 31, 2023	-	308	-	37	-	345
बकाया अधिकतम निवेश Maximum investments Outstanding	-	308	200	37	-	545
31 मार्च 2023 को अग्रिम Advances as on March 31, 2023	-	22	-	-	-	22
वर्ष के दौरान अधिकतम अग्रिम Maximum Advances During the year	-	22	-	-	-	22
31 मार्च 2023 को प्राप्य बकाया Receivable Outstanding as on March 31, 2023	7	1	-	0.001	-	8
वर्ष के दौरान प्राप्य बकाया की अधिकतम राशि Maximum amount of receivable Outstanding during the Year	7	2	1	0.001	-	10
जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	1	9	0.003	7	-	17
पारिश्रमिक Remunerations	-	-	-	-	8	8
से सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यय Expenses for receiving services from	2	81	-	1	-	84
को प्रदान की गई सेवाओं से आय Income from services rendered to	77	14	2	0.10	-	93

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी संस्थाएं# Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $@ Key Management Personnel $@	कुल Total
अग्रिमों पर ब्याज आय Interest Income on Advances	-	0.47	-	-	-	0.47
उधारों पर ब्याज व्यय Interest Expense on borrowings	70	-	-	-	-	70
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधि प्रतिबद्धताएं Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	5	-	0.28	-	5
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधि प्रतिबद्धताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	5	0.25	0.28	-	6

 # पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में, बैंक को कंपनी से कोई वित्तीय विवरण और लेनदेन विवरण प्राप्त नहीं हुआ है. अतः उपर्युक्त में जानकारी समेकित नहीं है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में निवेश को एक रुपये तक कम कर दिया है.
 # In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the company hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one.

$ एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेनों को प्रकट नहीं किया गया है.
$ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

@ 1) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ एक समग्र पूल के हिस्से के रूप में अर्जित किए जाते हैं और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों पर आवंटित नहीं किए जाते हैं.
Retiral Benefits for key managerial personnel are accrued as a part of an overall pool and are not allocated against key managerial personnel.

2) पूर्णकालिक निदेशकों/ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/ तात्विक जोखिम लेने वालों और नियंत्रण कार्य करने वाले स्टाफ को क्षतिपूर्ति के बारे में दिनांक 4 नवंबर 2019 के रिजर्व बैंक परिपत्र आरबीआई/2019-20/89 डीओआर.एपीपीटी. बीसी.सं. 23/29.67.001/2019-20 के अनुसार.
In accordance with RBI Circular RBI/2019-20/89 DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 dated November 4, 2019 on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers and Control Function staff

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए परिवर्ती वेतन (नकद घटक) हेतु कुल ₹ 1.48 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹ 1.66 करोड़) का प्रावधान किया गया था.
For the FY 2022-23, total amount of ₹ 1.48 Crore (previous year ₹ 1.66 crore) was provided for variable pay (cash component).

ii. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक ₹ 9.93 करोड़ है.
Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ended March 31, 2024 is ₹ 9.93 crore.

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. S. No.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23
1	श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ. Shri Rakesh Sharma, Managing Director & CEO	5.00	3.25
2	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक (5 अप्रैल 2023 तक). Shri Samuel Joseph Jebaraj, Deputy Managing Director (upto April 5, 2023)	1.20	1.69

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. S. No.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23
3	श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, उप प्रबंध निदेशक (14 जनवरी 2024 तक). Shri Suresh Kishanchand Khatanhar, Deputy Managing Director (upto January 14, 2024)	1.89	1.70
4	श्री जयकुमार एस. पिल्लै, उप प्रबंध निदेशक (12 जून 2023 से) Shri Jaya kumar S Pillai, Deputy Managing Director (From June 12, 2023)	0.69	-
5	श्रीमती स्मिता हरीश कुबेर, मुख्य वित्तीय अधिकारी Smt. Smita Harish Kuber, Chief Financial Officer	0.74	-
6	श्री पोथुकुची सीताराम, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी (31 मार्च 2023 तक) Shri Pothukuchi Sitaram, Executive Director & Chief Financial Officer (upto March 31, 2023)	-	0.77
7	श्रीमती ज्योति नायर, कंपनी सचिव Smt. Jyothi Nair, Company Secretary	0.41	0.34
	कुल / Total	**9.93**	**7.75**

नोटः वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए परिवर्ती वेतन का अपफ्रंट घटक ₹ 0.43 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 0.74 करोड़ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भुगतान किया गया, चूंकि यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के उनके पारिश्रमिक में शामिल है इसलिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के उनके पारिश्रमिक में शामिल नहीं है.

Note: Upfront component of variable pay for FY 2021-22 ₹ 0.43 crore and for FY 2022-23 ₹ 0.74 crore paid to Key Management Personnel during the FY 2023-24, since included in their remuneration for FY 2022-23, is not included in their remuneration for FY 2023-24.

6. **पट्टे (एएस-19) / Leases (AS-19)**

क) पट्टा /किराए पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/रद्द करने योग्य होती है.

a) The Properties taken on lease/rental basis are renewable/cancellable at the option of the Bank

ख) बैंक द्वारा लिए गए लीज सहमत अवधि के लिए होते हैं जिसमें लीज अवधि के दौरान भी पारस्परिक रूप से सहमत कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर लीज को समाप्त करने के विकल्प होता है.

b) The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing..

ग) नवीकरण और वृद्धि खंड की शर्तें वे हैं जो सामान्य रूप से ऐसे समझौतों में प्रचलित हैं. समझौतों में कोई अनुचित प्रतिबंध या दुर्वह खंड नहीं है. .

c) The terms of renewal and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements..

घ) परिचालनगत पट्टे के लिए भुगतान किए गए पट्टा किराए को उस वर्ष में जिससे वह संबंधित है, लाभ -हानि खाते में दर्शाया जाता है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लाभ एवं हानि खाते में दर्ज लीज किराया ₹ 458 करोड़ (पिछले वर्षः ₹ 406 करोड़) है.

d) Lease rent paid for operating leases are recognised in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognised in Profit & Loss account during the FY 2023-24 is ₹ 458 crore (Previous Year: ₹ 406 crore).

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

7. अ) प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)(एएस-20)
(A) Earnings Per Share (EPS) (AS-20)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ/ (हानि) (₹ करोड़) Net profit/ (loss) considered for EPS calculation (₹ crore)	5,634	3,645
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares outstanding at the end of the financial year	1075,24,02,175	1075,24,02,175
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	1075,24,02,175	1075,24,02,175
जोड़ें : मंजूर किए गए ईसॉप का न्यूनीकृत प्रभाव Add: Dilutive impact of ESOP granted	शून्य / Nil	शून्य / Nil
न्यूनीकृत ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	1075,24,02,175	1075,24,02,175
ईपीएस(मूल) (₹) EPS (Basic) (₹)	5.24	3.39
ईपीएस (न्यूनीकृत) (₹) EPS (Diluted) (₹)	5.24	3.39
प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹) Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

7. (आ)/(B) लाभांश / Dividend

निदेशक मंडल ने 04 मई 2024 को संपन्न अपनी बैठक में ₹ 1.5 प्रति शेयर (पिछले वर्ष - ₹ 1 प्रति शेयर) का लाभांश प्रस्तावित किया, जो आगामी वार्षिक महासभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है..
The Board of Directors at its meeting held on May 04, 2024, proposed a dividend of ₹ 1.5 per share (previous year - ₹ 1 per share), subject to approval of the members at the ensuing Annual General Meeting.

लेखा मानक (एएस) 4 के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद घटित आकस्मिकताओं और घटनाओं के संदर्भ में बैंक ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते से कुल ₹ 1612.86 करोड़ के प्रस्तावित लाभांश को विनियोजित नहीं किया है. तथापि 31 मार्च 2024 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना में पूंजीगत निधियों के निर्धारण में प्रस्तावित लाभांश के प्रभाव की गणना की गई है.
In terms of Accounting Standard (AS)4 ''Contingencies and Events occurring after the Balance Sheet date'' the Bank has not appropriated proposed dividend aggregating to ₹ 1612.86 crore from the Profit and Loss account for the year ended March 31, 2024. However the effect of the proposed dividend has been reckoned in determining capital funds in the computation of Capital Adequacy Ratio as on March 31, 2024.

वर्ष के दौरान बैंक ने प्रति शेयर ₹ 1 का लाभांश का भुगतान किया था जिसे 13 जुलाई 2023 को संपन्न वार्षिक महासभा में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था.
During the year, the Bank had paid dividend of ₹ 1 per share which was approved by the members at the Annual General Meeting held on July 13, 2023.

8. आय पर करों के लिए लेखांकन(एएस-22) / Accounting For Taxes On Income (AS-22)

समय अंतराल के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियों एवं आस्थगित कर देयता के घटक निम्नानुसार हैं:
The components of Deferred Tax Asset and Deferred Tax Liability arising out of timing difference are as follows:

(₹ करोड़) / (₹ Crore))

विवरण Particulars	यथा मार्च 2024 को As at March 2024	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए घट-बढ़ Movement for the year ended March 31, 2024	यथा मार्च 2023 को As at March 2023
आस्थगित कर आस्ति / Deferred Tax Asset			
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनर्जक आस्तियों से संबंधित अस्वीकृति तथा अन्य प्रावधानों की अनुमति नहीं है Disallowance related to NPA and other provisions not allowed under Income Tax Act, 1961	1,878	(784)	2,662
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी और 35डी के अधीन अस्वीकृति Disallowance u/s 43B and 35D of Income Tax Act, 1961	341	103	238
अनवशोषित मूल्यह्रास Unabsorbed depreciation	75	(31)	106
कारोबार में हानि / Business Loss	6,956	(1,843)	8,799
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on fixed assets	18	(6)	24
कुल (अ) / Total (A)	**9,268**	**(2,561)**	**11,829**
आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability			
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	308	-	308
कुल (आ) / Total (B)	308	-	**308**
आस्थगित कर आस्ति /(देयता)/(निवल)(अ)-(आ) Deferred tax asset/ (liability) (net) (A) – (B)	**8,960**	**(2,561)**	**11,521**

बैंक कारोबार हानि सहित आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) को इसके रिवर्सल होने की आभाषी निश्चितता को ध्यान में रखते हुए दर्ज करता है.

Bank is recognizing deferred tax asset (DTA) including that on business loss keeping in view the virtual certainty of its reversal.

वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, विशिष्ट मानक खातों और पुनर्गठित खातों पर सृजित प्रावधानों पर आस्थगित कर आस्ति को मान्यता नहीं देने का निर्णय लिया था और इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कर व्यय ₹ 400 करोड़ से अधिक है.

During the year Bank as a prudence measure, had decided not to recognize deferred tax asset on provisions created on specific standard accounts & restructured accounts and consequently tax expenses for the Year ended March 31, 2024 are higher by ₹ 400 crore.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

कराधान के लिए प्रावधान / Provision of Taxation

(₹ करोड़) / (₹ Crore))

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended March 31, 2023
आयकर के लिए प्रावधान - वर्तमान कर/ Provision for Income Tax - Current Tax	(0)#	(205)##

 # वित्तीय वर्ष 2024 के लिए आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं है.

#No provision for Income Tax made for the FY 2024.

वित्तीय वर्ष 2023 के लिए आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है. वित्तीय वर्ष 2004, वित्तीय वर्ष 2005 एवं वित्तीय वर्ष 2013 के लिए किए गए कुल ₹ 205 करोड़ का आधिक्य प्रावधान आयकर रिफंड/ मांग के कारण प्रतिलेखित किया गया.

No Provision for Income Tax is made for the FY 2023. The excess provision for FY 2004, FY 2005 & FY 2013 aggregating to ₹ 205 crore was written back on account of Income tax refund/ demand.

9. परिचालन बंद करना (एएस-24) / Discontinuing Operations (AS-24)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा का परिचालन बंद नहीं किया है, जिसके कारण देयता घटी है और आस्तियों की प्राप्ति हुई है और किसी भी परिचालन को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है जिससे उपर्युक्त पर प्रभाव पड़ेगा.

During the FY 2023-24, the Bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realisation of the assets and no decision has been finalised to discontinue an operation in its entirety which will have the above effect.

10. संयुक्त उद्यम (एएस-27) / Joint Ventures (AS-27)

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम में बैंकों की हिस्सेदारी शून्य थी (पिछले वर्ष शून्य).

Banks' holding in joint venture during current FY was Nil (Previous Year Nil)

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बैंक ने एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. में पूरी हिस्सेदारी (25%) ₹ 580 करोड़ के बिक्री प्रतिफल में एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल एनवी को बेच दी थी, जिसके परिमाणस्वरूप ₹380 करोड़ का लाभ हुआ.

During the Financial year 2022-23, Bank had sold entire stake (25%) in Ageas Federal Life Insurance Company Ltd. to Ageas Insurance International NV for a sale consideration of ₹ 580 crore, resulting in profit of ₹ 380 crore.

एएस-27 की अपेक्षानुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक के हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्ययों, आकस्मिक देयताओं और वचनबद्धताओं की प्रत्येक की कुल राशियों का प्रकटन निम्नानुसार प्रस्तुत है :

As required by AS-27, the aggregate amount of each of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Bank's interests in jointly controlled entity are disclosed as under:

(₹ करोड़) / (₹ Crore))

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 (लेखापरीक्षित) March 31, 2024 (Audited)	31 मार्च 2023 (लेखापरीक्षित) March 31, 2023 (Audited)
देयताएं / Liabilities		
इक्विटी पूंजी / Equity Capital	-	-
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and Surplus	-	-
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	-	-
कुल / Total	-	-
आस्तियां / Assets	-	-
नकदी और बैंक शेष राशियां / Cash and Bank Balances	-	-
निवेश / Investments	-	-

(₹ करोड़) / (₹ Crore))

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 (लेखापरीक्षित) March 31, 2024 (Audited)	31 मार्च 2023 (लेखापरीक्षित) March 31, 2023 (Audited)
अग्रिम / Advances	-	-
स्थायी आस्तियां / Fixed Assets	-	-
अन्य आस्तियां/ Other Assets	-	-
कुल / Total	**-**	-
पूंजी वचनबद्धताएं / Capital Commitments	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएं / Other Contingent Liabilities	-	-
आय / Income		
अर्जित ब्याज / Interest Earned	-	6
अन्य आय / Other income	-	1
कुल / Total	**-**	**7**
व्यय / Expenditure		
बीमा कारोबार से हानि / Losses from Insurance Business	-	0
परिचालनगत व्यय / Operating expenses	-	2
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies	-	1
कुल / Total	**-**	**3**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) / Profit/(Loss) for the Year	**-**	4

11. आस्ति ह्रास (एएस-28) / Impairment of Asset (AS-28)

प्रबंधन की राय है कि चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान आस्तियों में कोई ह्रास नहीं हुआ है.

In the opinion of the Management, there is no impairment to the assets during the current year and previous year.

12. अ. आकस्मिक देयताओं का विवरण (एएस-29)@

A. Description of Contingent Liabilities (AS-29)@

क्र. सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है. बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर आर्थिक रूप से कोई महत्वपूर्ण विपरीत असर पड़ेगा. This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्र. सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
II	आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	यह मद आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता की शेष अदत्त राशियों को दर्शाती है. इसमें उद्यम पूंजी निधियों के लिए अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं. This item represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. This also includes undrawn commitments for Venture Capital Funds.
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of Outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएँ निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार होते हैं और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृह्द मूल्य सृजित होता है, जबकि इसका निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
IV	संघटकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपने बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfill its financial or performance obligations.
V	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	यह मद ग्राहक की ऋण अवस्थिति में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करती है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance banking activities with a view to augment the customers' credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customers' obligations, either directly or in case the customer fails to fulfil their financial or performance obligations.
VI	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये योजनाएं उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित करता है. बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार होते हैं और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृह्द मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है.

क्र. सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
		This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower. भारतीय कॉरपोरेट बॉण्डों से संबद्ध ऋण जोखिमों के प्रबंध के लिए बैंक ऋण चूक अदला-बदली (सीडीएस) लेन-देन करता है. The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.
VII	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये योजनाएं उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होते हैं, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.
VIII	विवादित कर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed taxes, interest tax, penalty and Interest demands	बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधान मामलों में पक्षकार है. बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू कानूनों के अनुसार अपील प्राधिकारियों द्वारा पिछले वर्षों में ऐसे मामलों में दिए गए निर्णयों, अनुकूल न्यायिक पूर्व निर्णयों के आधार पर इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favorable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961 and applicable laws.
IX	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the Bank is contingently liable	इस मद में निम्नलिखित शामिल हैं: This item represents the following क) सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकारियों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गईं गारंटियां. a) guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity. ख) **जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरित राशि** - जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक योजना में विनिर्दिष्ट अनुसार दस वर्षों या उससे अधिक समय से निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि और दावा न की गई शेष राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज को अगले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर अंतरित करता है. यदि ग्राहक/ जमाकर्ता अपनी अदावी राशि/ जमा के लिए मांग करते हैं, जिसे बैंक ने डीईए निधि योजना के अनुसार, पहले ही रिज़र्व बैंक को अंतरित कर दिया है, बैंक ग्राहक/ जमाकर्ता को ब्याज सहित, यदि लागू हो, भुगतान करता है और ग्राहक / जमाकर्ता को भुगतान की गई राशि के समतुल्य राशि के लिए रिज़र्व बैंक से वापसी के लिए दावा करता है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्र. सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability		संक्षिप्त विवरण Brief description
		b)	**The amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)** - In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund Scheme 2014, the Bank transfers the proceeds of the inoperative accounts and the balances remaining unclaimed for ten years or more as specified in the scheme and the interest accrued thereon, on the last working day of the subsequent month. In case the customer / depositor(s) raises a demand for their unclaimed amount / deposit which the Bank has already transferred to RBI, as per DEA Fund Scheme, the Bank pays to the customer / depositor, along with interest, if applicable, and lodge a claim for refund from RBI for an equivalent amount paid to the customer / depositor.
		ग)	पूंजी खाते में निष्पादन के लिए शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि, अनाहरित आंशिक ऋण संवृद्धि सुविधाएं, जब जारी प्रतिभूतियां, प्रतिभूतियां जारी होने तक, आदि.
		c)	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, undrawn partial credit enhancement facilities, When Issued Securities till issue of securities etc.

आ. दीर्घावधि संविदाएं
B. Long term contracts

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का उल्लेखनीय पूर्वाभाषी हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसे दीर्घावधि संविदाओं पर उल्लेखनीय पूर्वाभाषी हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि / लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

इ. लंबित मुकदमें
C. Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और आयकर प्राधिकारियों के पास लंबित कार्यवाहियाँ शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की और जहां प्रावधान अपेक्षित है वहाँ पर्याप्त प्रावधान किए हैं तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू है वहाँ आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया है.

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

@ मात्रात्मक प्रकटन के लिए अनुसूची-12 आकस्मिक देयताएं देखें.

@ Refer Schedule-12- Contingent Liabilities for quantitative disclosure.

ई. आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधान में घट-बढ़
D. Movement of provision against Contingent Liabilities

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23
अ) / a)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	178	115
आ) / b)	वर्ष के दौरान जोड़ /(रिवर्सल) / Addition/ (reversal) during the year	63	63
इ) / c)	अंतिम शेष / Closing Balance	241	178

C. अन्य प्रकटन / OTHER DISCLOSURES

I. वर्ष के दौरान कोई भी इक्विटी शेयर को अधिमान आधार पर आवंटित नहीं किया गया था (पिछले वर्ष शून्य).
During the year no Equity Shares were allotted on preferential basis (Previous year Nil).

II. **भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) / Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF)**

भारत सरकार (जीओआई) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग़ैर-ब्याज वाली भारत सरकार आईडीबीआई विशेष प्रतिभूति 2024 के समय-पूर्व मोचन के लिए ₹ 206 करोड़ मोचित किया. तदनुसार 31 मार्च 2024 को एसएएसएफ शेष ₹ 673 करोड़ था और पूरी तरह प्रावधान किया गया है. 31 मार्च 2023 को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 1500 करोड़ की सीमा तक एसएएसएफ प्रतिभूतियों को बट्टे खाते में डाल दिया था.

The Government of India (GOI) redeemed ₹ 206 crore for pre-mature redemption of non-interest-bearing Govt. of India IDBI Special Securities 2024 in Financial Year 2023-24. Accordingly, SASF balance as on March 31, 2024 was ₹ 673 crore and stands fully provided. During Previous year ended March 31, 2023, Bank had written off SASF securities to the extent of ₹ 1500 crore.

III. **कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय / Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure**

क. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित गतिविधियों पर बैंक द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि ₹ 74.09 करोड़ थी. वित्तीय वर्ष 2023 और 2022 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक खर्च की गई ₹ 1.62 करोड़ की राशि का समायोजन करने के बाद, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर बजट ₹ 72.47 करोड़ हो गया. पिछले वर्ष ₹ शून्य था.

a. The gross amount required to be spent by the Bank on Corporate Social Responsibility (CSR) related activities during the year ended March 31, 2024, was ₹ 74.09 crore. Post setting off an amount of ₹1.62 crore spent on CSR activities during FY 2023 & 2022 over and above the minimum requirements, the CSR budget for FY 2023-24 amounted to ₹ 72.47 crore. Previous year ₹ Nil.

ख. वर्ष के दौरान अलग सीएसआर अव्ययित खाते में खर्च/अंतरित की गई राशि नीचे दी गई है:

b. Amount spent/ transferred to separate CSR unspent account during the year is given below:

- निम्नलिखित तालिका में, दर्शाए गए वर्षों के लिए, बैंक द्वारा सीएसआर से संबंधित गतिविधियों पर खर्च राशि दर्शाई गई है.
- The following table sets forth, for the years indicated, the amount spent by the Bank on CSR related activities.

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

Sl. No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2023-24 March 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23 March 2022-23		
		वर्ष के दौरान किया गया खर्च Spent during the year	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में अंतरित Transferred to separate CSR unspent a/c	कुल Total	वर्ष के दौरान किया गया खर्च Spent during the year	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में अंतरित Transferred to separate CSR unspent a/c	कुल Total
1.	किसी आस्ति का निर्माण/ अधिग्रहण Construction / acquisition of any asset	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
2.	उपरोक्त (1) के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए On purpose other than (1) above	39.24	25.62	64.86	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

- ₹ 7.61 करोड़ की अस्वीकृत राशि 30 सितंबर 2024 को या उससे पहले कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट स्वीकार्य निधि(यों) में अंतरित कर दिया जाएगा.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

- The unsanctioned amount of ₹ 7.61 crore shall be transferred to the admissible fund(s) specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013, on or before September 30, 2024.
- निम्नलिखित तालिका में चल रही परियोजनाओं से संबंधित अलग सीएसआर अव्ययित खाते में अंतरित की गई राशि का सारांश दिया गया है:
- The following table sets forth the summary of amount pertaining to ongoing projects transferred to separate CSR unspent account:

(₹ करोड़) / (₹ Crore)

वर्ष Year	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में प्रारंभिक शेष Opening Balance in Separate CSR Unspent A/c	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि Amount required to be spent during the year	वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि Amount spent during the year		वर्ष के दौरान अलग सीएसआर अव्ययित खाते में अंतरित राशि Amount transferred to Separate CSR unspent A/c during the year	अलग सीएसआर अव्ययित खाते में अंतिम शेष Closing Balance in Separate CSR Unspent A/c
			बैंक के खाते से From Bank's A/c	अलग सीएसआर अव्ययित खाते से From Separate CSR Unspent A/c		
वि.व. 23 / FY 23	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
वि.व. 24 / FY 24	शून्य / Nil	72.47	39.24	0	25.62	शून्य / Nil

ग. निम्नलिखित तालिका, दर्शाए गए वर्षों के लिए, लेखांकन मानक (एएस) 18 संबंधित पक्षकार प्रकटीकरणों के अनुसार सीएसआर संबद्ध गतिविधियों से संबंधित पक्षकार लेनदेनों का विवरण प्रस्तुत करती है.

c. The following table sets forth, for the years indicated, the details of related party transactions pertaining to CSR related activities as per Accounting Standard (AS) 18, Related Party Disclosures.

Sl. No.	संबंधित पक्ष Related Party	31 मार्च 2024/ March 31, 2024	31 मार्च 2023/ March 31, 2023
1	''रीवायटलाइजिंग इन्नोवेशन फॉर ससटेनेबल इंटरप्राइजेज (राइज)'' परियोजना के लिए भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआईआई) Entrepreneurship Development Institute of India (EDII) for project "Revitalizing Innovation for Sustainable Enterprises (RISE)".	₹ 6.96 करोड़ (इसमें चालू परियोजनाओं के लिए 'वि.व. 2023-24 के लिए अव्ययित सीएसआर खाता' में अंतरित ₹ 4.18 करोड़ की राशि शामिल है) ₹ 6.96 crore (Includes an amount of ₹ 4.18 crore transferred to 'Unspent CSR Account for FY 2023-24' towards ongoing projects).	शून्य / Nil

IV. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसरण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में कुछ निश्चित प्रकटीकरण आवश्यक है. बैंक उक्त अधिनियम के अधीन कवर की जाने वाली संबद्ध जानकारियों को आपूर्तिकर्ताओं से लेकर समेकित करने की प्रक्रिया में है. प्रबंधन की दृष्टि में, ब्याज का प्रभाव, यदि कोई हो, जो इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार देय हो सकता है, महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं है.

Pursuant to the provisions of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, certain disclosures are required to be made relating to micro, small & medium enterprise. The Bank is in the process of compiling relevant information from its suppliers about their coverage under the said Act. In view of the management, the impact of interest, if any, that may be payable in accordance with the provisions of this Act is not expected to be material.

V. (क) 31 मार्च 2024 को बैंक के पास कोविड-19 से संबंधित कुल प्रावधान ₹ 116 करोड़ (कोविड-19 मानदंडों के अधीन पुनर्संरचना के लिए धारित प्रावधान को छोड़कर) था.

(a) As at March 31, 2024, the Bank held aggregate COVID-19 related provision of ₹ 116 crore (other than provisions held for restructuring under COVID-19 norms).

(ख) समाधान संरचना 1.0 और समाधान संरचना 2.0 के बारे में रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, बैंक ने 31 मार्च 2024 को कुल ₹ 240 करोड़ के विनियामक प्रावधान को जारी रखा है. इसके अलावा 31 मार्च 2024 को, बैंक ने कोविड आरएफ़ 1, आरएफ़ 2 और एमएसएमईआर ओटीआर संरचना के तहत पुनर्गठित खुदरा उधारकर्ताओं के लिए ₹ 1843 करोड़ का आकस्मिकता प्रावधान रखा है.

(b) In terms of RBI's circular on Resolution Framework 1.0 and Resolution Framework 2.0, Bank continues to hold regulatory provision aggregating to ₹ 240 crore as on March 31, 2024. In addition, as on March 31, 2024, Bank held contingency provision of ₹ 1843 crore for retail borrowers restructured under COVID RF 1, RF 2 and MSMER OTR framework.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

VI. बैंक के पास 31 मई 2023 से ₹ 400 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 300 करोड़) की निवल ओवरनाइट खुली स्थिति (एनओओपी) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा है. वर्ष के दौरान (2023-24) खुली स्थिति स्वीकृत सीमा के भीतर थी और औसत उपयोग ₹ 153.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 127 करोड़) था. वर्ष के दौरान अधिकतम उपयोग 12.01.2024 को ₹ 255.34 करोड़ (पिछले वर्ष 30 सितंबर 2022 को ₹ 223 करोड़) था.

The Bank has Board approved limit for Net Overnight Open Position (NOOP) fixed at ₹ 400 crore (Previous Year ₹ 300 crore) w.e.f. May 31, 2023. During the year (2023-24) the open position was within the approved limit and the average utilization was ₹153.96 crore (Previous Year ₹127 crore). The maximum utilization during the year was at ₹ 255.34 crore on 12.01.2024. (Previous Year ₹ 223 crore on Sept 30, 2022).

VII. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान आपसी समझ से लिखित या अन्य प्रकार से बैंक द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, विदेशी संस्था सहित ('मध्यवर्ती') से अथवा को कोई भी राशि अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्त्रोत या प्रकार से जुटाई गई राशि से) के रूप कोई निधि प्रदान नहीं की गई है और यह कि मध्यवर्ती बैंक (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या की और से निर्धारित पक्षकार को उधार दे पाएंगे या उनमें निवेश करेगी. इसके अतिरिक्त बैंक को किसी भी पक्षकार (निधीयन पक्षकार) से कोई भी निधि इस समझ के साथ प्राप्त नहीं है कि बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक द्वारा या इसकी ओर से अभिनिर्धारित किसी व्यक्ति या संस्था (''अंतिम लाभार्थी'') को उधार या उसमें निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की ओर से गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार कुछ और प्रदान करेंगे.

During the year ended March 31, 2024, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall lend or invest in party identified by or on behalf of the Bank (Ultimate Beneficiaries). Further, The Bank has not received any fund from any parties (Funding Party) with the understanding that the Bank shall whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified by or on behalf of the Bank ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

VIII. आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (आईएएमएल) की एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) को 29 जुलाई 2023 को ₹ 88.81 करोड़ के बिक्री मूल्य पर एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट लिमिटेड को अंतरित कर दिया गया है. सेबी ने 12 मार्च 2024 के अपने पत्र के माध्यम से आईडीबीआई म्यूचुअल फंड के लाइसेंस को सरेंडर करने के लिए 30 सितंबर 2024 तक समय बढ़ाने की मंजूरी दे दी है.

Asset Under Management (AUM) of IDBI Asset Management Ltd (IAML) has been transferred to LIC Mutual Fund Asset Management Ltd with effect from July 29, 2023 for a Sale Consideration of ₹ 88.81 crore. SEBI vide its letter dated March 12, 2024 has approved extension of time upto September 30, 2024 for surrender of license of IDBI Mutual Fund.

IX. पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं ताकि इनकी संपुष्टि चालू वर्ष के लिए की गई प्रस्तुति के साथ की जा सके और साथ ही इसे 30 अगस्त 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय परिणामों के बारे में मास्टर निर्देश-प्रस्तुति और प्रकटन (1 अप्रैल 2024 तक अद्यतित) यथा संशोधित और जहां आवश्यक समझा गया, के अनुसरण में किया गया है.

Figures of the previous year, are regrouped/ rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year and also pursuant to the requirement of Master Direction on financial results - Presentation and disclosure issued by Reserve Bank of India dated August 30, 2021 (updated as on April 01, 2024), as amended and wherever considered necessary.

'1' से '18' लेखा अनुसूचियों के लिए हस्ताक्षर / Signature to Schedules '1' to '18' of Accounts.

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer डीआईएन/DIN: 06846594	(जयकुमार एस. पिल्लै) (Jayakumar S. Pillai) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director डीआईएन/DIN: 10041362	(समरेश परिदा) (Samaresh Parida) निदेशक Director डीआईएन/DIN: 01853823	(स्मिता कुबेर) (Smita Kuber) मुख्य वित्तीय अधिकारी Chief Financial Officer	(ज्योति नायर) (Jyothi Nair) कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते वर्मा एंड वर्मा For Varma & Varma सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S	कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी For G D Apte & Co सनदी लेखाकार/Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/FRN-100515W
के पी श्रीनिवास K P Srinivas साझेदार/Partner स. सं. 208520/M.No. 208520	सौरभ पेशवे Saurabh Peshwe साझेदार/Partner स. सं. 121546/M.No. 121546

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 04 मई 2024 / Date : May 04, 2024

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2024

(₹ '000 में / ₹ in '000)

				31.03.2024 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31.03.2023 (Audited)
विवरण Particulars					
अ. A.	**परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash flow from Operating Activities**				
	(1)	कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ/(हानि) Net profit/(loss) before tax and extra-ordinary items		8195 40 89	5237 97 34
	(2)	**समायोजन / Adjustments :**			
		-	स्थायी आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets	71 49	1 83 57
		-	मूल्यहास और पुनर्मूल्यन हानि Depreciation and revaluation loss	536 41 74	494 43 70
		-	परिपक्वता तक धारित निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन Amortisation of premium on Held to Maturity investments	173 25 49	220 34 60
		-	प्रावधान/ बट्टे खाते डालना/ निवेश Provisions/ Write off of Loans/ Investments	1294 19 29	16 24 27
		-	मानक और पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान Provisions for Standard and Restructured Assets	(172 88 29)	1848 97 04
		-	अन्य प्रावधान / Other Provisions	275 48 34	1633 43 60
		-	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर (लाभ)/हानि (Profit) / Loss on revaluation of Investments	(11 26 99)	(50 87 71)
		-	उधार राशियों पर ब्याज (परिचालन गतिविधियों के अलावा) Interest on borrowings (other than operational activities)	707 17 50	855 01 63
		-	सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश Dividend received from subsidiary companies/joint ventures	(17 91 29)	(34 93 16)
		-	व्युत्पन्न और विनिमय लेनदेनों के उचित मूल्य पर (लाभ)/ हानि (Gain)/loss on fair value of derivatives and exchange transactions	30 45 57	(146 49 13)
				11011 03 74	**10075 95 75**
	(3)	**परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:**			
		-	निवेश / Investments	(15690 69 42)	(18058 84 37)
		-	अग्रिम / Advances	(27062 86 83)	(24440 90 74)
		-	अन्य आस्तियां /Other Assets	2539 23 47	2820 98 79
		-	आयकर आस्तियां / Income Tax Assets	(282 21 86)	1108 90 96
	(4)	**परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:**			
		-	उधारराशियां / Borrowings	4444 94 58	901 97 01
		-	जमाराशियां / Deposits	22167 17 24	22440 57 50
		-	अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	1685 78 30	2753 89 70
	परिचालन कार्यकलापों (में प्रयुक्त)/ से उत्पन्न निवल नकदी Net Cash (used in)/generated from Operating activities			**(1187 60 78)**	**(2397 45 40)**
आ. B.	**निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Investing activities**				
	-	स्थायी आस्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर) Purchase (net of sale) of fixed assets		(300 18 22)	(316 22 92)
	-	सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश Dividend received from subsidiary companies/joint ventures		17 91 29	34 93 16
		निवेश कार्यकलापों (में प्रयुक्त)/ से जुटाई गई निवल नकदी Net cash (used in) / raised from Investing activities		**(282 26 93)**	**(281 29 76)**

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2024

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण Particulars	31.03.2024 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित) Year ended 31.03.2023 (Audited)
इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **C. Cash Flow from Financing activities**		
- प्रदत्त लाभांश / Dividend paid	(1075 24 02)	0
- उधारराशियों पर प्रदत्त ब्याज / Interest paid on borrowings	(707 28 26)	(948 30 93)
- बॉण्डों का मोचन / Redemption of Bonds	0	(2609 20 00)
वित्तपोषण कार्यकलापों (में प्रयुक्त)/ से जुटाई गई निवल नकदी **Net cash (used in) / raised from Financing activities**	**(1782 52 28)**	**(3557 50 93)**
ई. ट्रांसलेसन रिज़र्व पर विनिमय के उतार-चढ़ाव का प्रभाव **D. Effect of exchange fluctuation on translation reserve**	4 53 09	11 40 59
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/ (कमी) (अ+आ+इ+ई) **NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS (A+B+C+D)**	**(3247 86 91)**	**(6224 85 50)**
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य / OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	29180 75 42	35405 60 92
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य **CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS**	**25932 88 52**	**29180 75 42**
नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणियां/ Notes to Cash Flow Statement:		
1. नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में तुलन पत्र की निम्नलिखित मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:		
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Cash & Balances with Reserve Bank of India	13990 95 92	16639 18 42
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks & money at call and short notice	11941 92 60	12541 57 00
कुल / Total	**25932 88 52**	**29180 75 42**
2. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर की जाती है Cash Flow from Operating activities is reported by using Indirect method		

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची 17 और 18)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 and 18)

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं.
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
डीआईएन/DIN: 06846594

(जयकुमार एस. पिल्लै)
(Jayakumar S. Pillai)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
डीआईएन/DIN: 10041362

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
डीआईएन/DIN: 01853823

(स्मिता कुबेर)
(Smita Kuber)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN-100515W

के पी श्रीनिवास
K P Srinivas
साझेदार/Partner
स. सं. 208520/M.No. 208520

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार/Partner
स. सं. 121546/M.No. 121546

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 04 मई 2024 / Date : May 04, 2024

समेकित वित्तीय विवरण
Consolidated Financial Statements

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
Independent Auditors' Report

प्रति,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** (''बैंक''), इसकी सहायक संस्थाओं और सहयोगी संस्थाओं (बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं, सामूहिक रूप से ''समूह'' के रूप में निर्दिष्ट), के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों जिनमें 31 मार्च 2024 का समेकित तुलन पत्र, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ-हानि लेखे, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की लेखापरीक्षा की है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- हमारी दिनांक 04 मई 2024 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से हमारे द्वारा, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की गई.
- अन्य लेखा परीक्षकों के द्वारा लेखापरीक्षित, भारत में निगमित 5 देशी सहायक संस्थाओं के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण; और
- 4 सहयोगी संस्थाओं के गैर-लेखापरीक्षित लेखे

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा सहायक संस्थाओं के पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टें तथा प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए सहयोगी संस्थाओं के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार के आधार पर उक्त समेकित वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 तथा साथ ही साथ कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के द्वारा बैंकिंग कंपनियों से यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133 और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2024 को समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं के कार्यों की समेकित स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभ और समेकित नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

अभिमत हेतु आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुरूप की है. उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट की समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में वर्णित है. हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत साथ ही भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुरूप अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है. हम मानते हैं कि हमारे द्वारा लेखापरीक्षित बैंक के संबंध में हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और सहायक संस्थाओं के अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में, जो "अन्य मामलों" खंड में संदर्भित है, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

To,
The Members of IDBI Bank Limited

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of **IDBI Bank Limited** ("the Bank") its subsidiaries and associates (the Bank and its subsidiary companies together referred to as "the Group") comprising of the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2024, the consolidated Profit and Loss Account, the consolidated Cash Flow Statement for the year then ended March 31, 2024 and Notes to the Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information annexed thereto, in which the following are incorporated:

- Audited Financial Statements of IDBI Bank Limited, audited by us, vide our audit report dated May 04, 2024.
- Audited Financial Statements of 5 domestic subsidiaries incorporated in India, audited by other auditors; and
- Unaudited accounts of 4 associates

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, and based on the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements of the subsidiaries and the unaudited financial statements and other financial information of associates as furnished by the management, the aforesaid Consolidated Financial Statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949, as well as the Companies Act, 2013 ("the Act") and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India, in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act, read with rules made thereunder, of the consolidated state of affairs of the Group and its associates as at March 31, 2024 and its consolidated profit, and consolidated cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the Consolidated Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing ("SAs") specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence obtained by us in respect of the Bank audited by us and the audit evidence obtained by the other auditors of subsidiaries in terms of their reports, referred to in section "Other Matters", is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on consolidated financial statements.

लेखापरीक्षा के प्रमुख मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय के अनुसार चालू वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे. इन मामलों का समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं. हमने नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में संप्रेषित करने के लिए अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है. नीचे उल्लिखित प्रत्येक मामले के संदर्भ में हमारी लेखापरीक्षा ने उस मामले का समाधान किस प्रकार से किया, उसका विवरण दिया गया है:

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक का दृष्टिकोण
आस्थगित कर आस्ति की मान्यता और मापन	
बैंक ने 31 मार्च 2024 को ₹ 8,959.66 करोड़ की निवल आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण किया है, जो वर्ष के दौरान ₹ 2,561.32 करोड़ के निवल रिवर्सल के बाद है. आस्थगित कर की मान्यता में इन आस्तियों की वसूली की संभावना के बारे में निर्णय शामिल है, विशेष रूप से क्या भविष्य की अवधि में पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा जो इन आस्तियों की मान्यता का समर्थन करेगा. इन आस्थगित कर आस्तियों को वसूली योग्य या अन्यथा मानने में शामिल निर्णय की डिग्री को देखते हुए, हम इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला मानते हैं.	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में लागू कर कानूनों और बैंक पर लागू संबंधित विनियमों को समझना शामिल था. हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल था: • एएस 22 - आय पर कर के लिए लेखांकन के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण और मापन के लिए अपनाई गई नीतियों का मूल्यांकन; • प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त पूर्वानुमानों और अन्य मापदंडों के आधार पर लाभों की उपलब्धता की संभावना का मूल्यांकन किया गया, जिसमें से बैंक संदर्भित पूर्वानुमान के अनुसार भविय में इस आस्थगित कर आस्ति का उपयोग कर पायेगा, जैसा बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति ने नोट किया था. • लागू कर दरों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण करने में अपनाई गई पद्धति का मूल्यांकन किया गया तथा अंकगणितीय परिशुद्धता का परीक्षण किया गया.
अग्रिमों के लिए आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा विनियामक मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण	
अग्रिम समूह की कुल आस्तियों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. वे, अन्य बातों के साथ-साथ, आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) और प्रावधान मानदंडों और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य परिपत्रों और निर्देशों द्वारा शासित होते	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के अंतर्गत अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण की रूपरेखा, आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता और समुचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का परीक्षण शामिल था. इसमें विशेष रूप से निम्न बातें शामिल हैं:

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current year. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report. For each matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context:

Key Audit Matters	Auditor's Approach
Recognition and Measurement of Deferred Tax Asset	
The Bank has recognised a net deferred tax asset of ₹ 8,959.66 Crores as on March 31, 2024, after net reversal of ₹ 2,561.32 Crores during the year. The recognition of deferred tax involves judgement regarding the likelihood of realisation of these assets in particular whether there will be sufficient taxable profits in future periods that will support the recognition of these assets. Given the degree of judgement involved in considering these deferred tax assets as recoverable or otherwise, we consider this to be a key audit matter.	Our audit procedures involved gaining an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. Our audit procedures included: • Evaluation of policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income; • Assessed the probability of the availability of profits based on assumptions and other parameters used by the Management against which the Bank will be able to use this deferred tax asset in the future with reference to forecast as noted by the Audit Committee of the Board of Directors. • Assessed the method for determining the Deferred Tax Asset with reference to applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy.
Income Recognition and Asset Classification of Advances (IRAC) and Provisioning as per regulatory norms	
Advances constitute significant portion of the Group's total assets. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by the RBI from time to time which	Our audit approach included testing the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments. In particular:

हैं, जो अग्रिमों को अर्जक एवं अनर्जक अग्रिमों (एनपीए) में वर्गीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करते हैं.

बैंक इन अग्रिमों को आईआरएसी मानदंडों के आधार पर अपनी लेखा नीति अनुसूची संख्याः 17 के अनुसार वर्गीकृत करता है.

अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में उचित तंत्र की स्थापना शामिल है और बैंक को विनियमों द्वारा निर्धारित गुणात्मक और मात्रात्मक, दोनों कारकों को लागू कर प्रत्येक अनर्जक आस्ति ('एनपीए') के लिए आवश्यक प्रावधान की राशि को पहचानने और निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है.

एनपीए पहचान और प्रावधान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान निम्नलिखित महत्वपूर्ण अयथार्थ कथनों को उत्पन्न दे सकते हैं:

- आईआरएसी मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की पहचान की संपूर्णता और समय निर्धारण.
- ऋण एक्सपोजर, ऋण की अवधि और वर्गीकरण, प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य के आधार पर अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान का मापन;
- एनपीए पर अप्राप्त आय का उचित रिवर्सल;
- मानक आस्तियों के प्रावधान करने में निहित निर्णय.

बैंक अपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेन दर्ज करता है. एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान की गणना आईआरएसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नामक एक अन्य आईटी प्रणाली के माध्यम से की जाती है. यदि एकल या समग्र रूप में आईआरएसी मानदंडों का ठीक से पालन नहीं किया जाए तो इन अग्रिमों का वहन मूल्य (प्रावधानों को घटाकर) अत्यधिक रूप से अयथार्थ बताया जा सकता है.

- एप्लिकेशन सिस्टम से प्राप्त अपवाद रिपोर्टों का परीक्षण जहां अग्रिम दर्ज किए गए हैं.
- रिजर्व बैंक के वृहद ऋणों के बारे में जानकारी के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) में बैंक और अन्य बैंकों द्वारा विशेष उल्लिखित खातों ("एसएमए") के रूप में रिपोर्ट किए गए खातों पर दबाव की पहचान करने के लिए विचार करना.
- मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर चयनित उधारकर्ताओं के खाते के विवरण और अन्य संबंधित जानकारी की समीक्षा करना
- बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा, क्रेडिट लेखा परीक्षा और समवर्ती लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना
- हमने अग्रिमों के संबंध में दर्ज राशियों, ऋण दस्तावेजीकरण की वैधता की परीक्षण जांच की, लेखा विवरण, अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान और अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में रिजर्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुपालन की जांच की.
- पहचाने गए अनर्जक अग्रिमों और मानक आस्तियों के लिए, हमने दबावग्रस्त क्षेत्रों और खाता तात्विकता सहित कारकों के आधार पर, नमूना आधार पर आस्ति वर्गीकरण की तारीखों, अप्राप्त ब्याज के रिवर्सल, उपलब्ध प्रतिभूति के मूल्य और आईआरएसी मानदंडों के अनुसार प्रावधान की जांच की. हमने प्रमुख इनपुट कारकों पर विचार करने के बाद प्रावधान की पुनर्गणना

provides guidelines related to classification of Advances into performing and non- performing Advances (NPA)

The Bank classifies these Advances based on IRAC norms as per its accounting policy Schedule No 17

The identification of performing and non-performing advances involves establishment of proper mechanism and the Bank is required to apply significant degree of judgement to identify and determine the amount of provision required against each non-performing asset ('NPA') applying both quantitative as well as qualitative factors prescribed by the regulations.

Significant judgements and estimates for NPA identification and provisioning could give rise to material misstatements on:

- Completeness and timing of recognition of non-performing assets in accordance with criteria as per IRAC norms;
- Measurement of the provision for non-performing assets based on loan exposure, ageing and classification of the loan, realizable value of security;
- Appropriate reversal of unrealized income on the NPAs.
- Judgement involved in making provisions for standard assets.

The Bank accounts for all the transactions related to Advances in its Core Banking Solution (CBS). NPA classification and calculation of provision is done through another IT System viz. IRAC Application Software. The carrying value of these advances (net of provisions) may be materially misstated if, either individually or in aggregate, the IRAC norms are not properly followed.

- Testing of the exception reports generated from the application systems where the advances have been recorded.
- Considering the accounts reported by the Bank and other banks as Special Mention Accounts ("SMA") in RBI's central repository of information on large credits (CRILC) to identify stress.
- Reviewing account statements and other related information of the borrowers selected based on quantitative and qualitative risk factors
- Considering reports of Internal Audit, Credit Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank.
- We have test checked advances to examine the validity of the recorded amounts, loan documentation, examined the statement of accounts, provision for non-performing assets, and compliance with income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances in terms of applicable RBI guidelines.
- For non-performing advances identified and standard assets, we, based on factors including stressed sectors and account materiality, tested on a sample basis the asset classification dates, reversal of unrealized interest, value of available security and provisioning as per IRAC norms. We recomputed the provision after considering

निहित महत्वपूर्णता, लेनदेन की प्रकृति, विनियामक आवश्यकताओं, मौजूदा कारोबारी माहौल, उधारकर्ताओं की वित्तीय अवस्था के मूल्यांकन में शामिल अनुमान/निर्णय साथ ही प्रतिभूतियों के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए, हमने इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है।	की और हमारे माप परिणामों की तुलना प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए परिणामों से की। • इसके अलावा, हमने शाखाओं/कार्यालयों का दौरा करने और दस्तावेजों और अन्य अभिलेखों की जांच के साथ-साथ अग्रिमों के लिए प्रतिभूतियों पर स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की रिपोर्ट सहित मूल प्रक्रियाएं भी पूरी की हैं। • अन्य शाखाओं के संबंध में, हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंक द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए स्कैन किए गए रिकॉर्ड/ रिपोर्ट/ दस्तावेजों/ प्रमाणपत्रों के आधार पर नमूना अग्रिमों की समीक्षा, सीबीएस के रिमोट एक्सेस और बैंक के सुरक्षित नेटवर्क पर अन्य प्रासंगिक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर शामिल हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियां और वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण

बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग, आईआरएसी और ट्रेजरी समाधानों तथा अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर इतनी ज्यादा निर्भर हैं कि आईटी नियंत्रण में कमी होने पर वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग रिकार्डों के अत्यधिक रूप से गलत होने का जोखिम बना रहता है। बैंक अपनी समग्र वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कई प्रणालियों का उपयोग करता है और प्रतिदिन कई स्थानों पर बड़ी मात्रा में लेनदेन दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा, बैंक के सिस्टम और डेटा की अखंडता की रक्षा करने के लिए चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं और हाल की अवधि में साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण जोखिम बन गई है।	वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए बैंक की आईटी प्रणालियों और संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में निम्नलिखित बातें शामिल हैं: • हमने बैंक की आईटी प्रणाली को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और नमूना जांच की योजना बनाई है, उन्हें डिजाइन किया है और निष्पादित किया है। हमने उनकी पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणालियों के एकीकरण सहित बैंक के आईटी वातावरण की समझ प्राप्त की है। • हमने आईटी सामान्य नियंत्रणों (तार्किक पहुंच, परिवर्तन प्रबंधन और आईटी परिचालन नियंत्रण के पहलुओं) का

Considering the materiality involved, nature of the transactions, regulatory requirements, existing business environment, estimation/ judgement involved in assessment of financial condition of borrowers as well as in valuation of securities, we have determined this as a Key Audit Matter.	the key input factors and compared our measurement outcome to that prepared by management. • In addition, we have also carried out substantive procedures including visits to branches/ offices and examination of documentation and other records as well as reports of independent valuers on securities to advances. • In respect of other Branches, our audit procedures included review of sample advances based on scanned records/ reports/ documents/ certificates made available to us by the Bank through electronic mode and remote access to CBS and other relevant application software over secure network of the Bank.

Information Technology (IT) Systems and controls over financial reporting

The Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on Core Banking, IRAC and Treasury Solutions and other supporting software and hardware controls such that there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being materially misstated. The Bank uses several systems for its overall financial reporting and there is a large volume of transactions being recorded at multiple locations daily. In addition, there are increasing challenges to protect the integrity of the Bank's systems and data since cyber security has become a more significant risk in recent periods.	As a part of our audit procedures for review of the Bank's IT systems and related controls for financial reporting: • We have planned, designed and carried out the audit procedures and sample checks, taking into consideration the IT systems of the Bank. We obtained an understanding of Bank's IT environment including integration of various systems to evaluate their adequacy. • We tested IT general controls (logical access, changes management and aspects of IT operational controls). This included testing that

आईटी पर्यावरण की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में इसके महत्व के कारण, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में अभिनिर्धारित किया है.	परीक्षण किया. इसमें सिस्टम तक पहुंच के अनुरोधों की समीक्षा करने व प्राधिकृत करने का परीक्षण भी शामिल था. हमने अनुमोदन और प्राधिकरण के लिए सिस्टम में बदलाव के अनुरोधों का निरीक्षण किया. हमने नमूना आधार पर लेखा परीक्षा ट्रेल की रिकार्डिंग की प्रणाली की भी समीक्षा की है और महत्वपूर्ण एप्लिकेशनों के लेखा परीक्षा ट्रेल प्रणाली पर बैंक द्वारा प्राप्त किए गए रिपोर्ट की भी समीक्षा की. • आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा रिपोर्ट और आईआरएसी के लिए की गई बाह्य आईटी प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा साथ ही, सनदी लेखाकार की एक स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को ध्यान में रखा गया. • उपरोक्त के अलावा, हमने कुछ स्वचालित नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया जिन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण माना जाता था. जहां कमियों की पहचान की गई थी, वहाँ हमने क्षतिपूर्ति नियंत्रणों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा अथवा वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं संपन्न की.

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है. अन्य जानकारी में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंधों सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट, कॉरपोरेट अभिशासन और शेयरधारकों की जानकारी (सामूहिक रूप से 'अन्य जानकारी' के रूप में निर्दिष्ट) शामिल हैं लेकिन इनमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं. उपर्युक्त अनुसार अतिरिक्त जानकारी इस लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है.

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम अन्य जानकारी पर किसी तरह का आश्वासन/निष्कर्ष नहीं देते हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमें उपलब्ध कराए जाने पर ऊपर निर्दिष्ट अन्य जानकारी का अध्ययन करें और

Due to the pervasive nature and complexity of the IT environment as well as its importance in relation to accurate and timely financial reporting, we have identified this area as a Key Audit Matter.	requests for access to systems were reviewed and authorised. We inspected requests of changes to systems for approval and authorisation. We have also reviewed system of the recording Audit trails on a sample basis and also reviewed the reports obtained by bank on the Audit trail system for critical applications.
	• Considering reports on IS audit conducted by Internal audit department and External IT System audit report for IRAC as well as the audit report of Internal Financial Control over Financial Reporting conducted by an independent firm of Chartered Accountants. • In addition to the above, we tested the design and operating effectiveness of certain automated controls that were considered as key internal controls over financial reporting. Where deficiencies were identified, we sought explanations regarding compensating controls or performed alternate audit procedures

Information Other Than Consolidated Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of other information. The Other Information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility and Sustainability Report, Corporate Governance and Shareholders information (collectively called as "Other Information") but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon. The Other information as above is expected to be made available to us after the date of this Auditors' report.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the Other Information and we do not express any form of assurance/ conclusion on the other information.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the Other Information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the

ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों से अथवा लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त की गई सूचना से तात्त्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्त्विक रूप से गलत प्रतीत होती है. अन्य जानकारी का अध्ययन करने पर यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई तात्त्विक विसंगति है, तो हमारे लिए उस तथ्य को अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को उसकी सूचना देना आवश्यक है.

प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों की समेकित वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल बैंकिंग कंपनियों के लिए आवश्यक तरीके से इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के बैंक पर लागू प्रावधानों और बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन एवं समेकित नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं. समूह में शामिल संस्थाओं और इसकी सहयोगी संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उन्हें बनाए रखना, जो लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित थे, सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करने वाली धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाले महत्वपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त समेकित वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित, जो उपर्युक्तानुसार बैंक के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य के लिए उपयोग किये गये हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में समूह में शामिल कंपनियों और इसकी सहयोगी कंपनियों के संबन्धित निदेशक मंडल समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों के कार्यशील संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन की कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह हैं जब तक कि प्रबंधन का इरादा समूह का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो.

इसकी सहयोगी कंपनियों सहित समूह में शामिल कंपनियों के संबन्धित निदेशक मण्डल इसकी सहयोगी कंपनियों सहित समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के निरीक्षण के लिए भी जिम्मेदार हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात का आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई महत्वपूर्ण मिथ्या कथन न हो और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो. उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में पहले से मौजूद महत्वपूर्ण मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे महत्वपूर्ण तब माना जाता है जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है.

एसए के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं. हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

Other Information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

The Bank's Management and Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ('the Act') with respect to the preparation of these Consolidated Financial Statements in the manner required for Banking companies and that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group including its associate companies in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, in so far as they apply to the Bank and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the entities included in the Group and of its associates are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Bank, as aforesaid.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group and its associate companies are responsible for assessing the ability of the Group and of its associates to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Management either intends to liquidate the group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies included in the Group including its associate companies are also responsible for overseeing the financial reporting process of the Group including its associate companies.

Auditors' Responsibilities for the audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- समेकित वित्तीय विवरणों में मिथ्याकथन के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए हों, उन जोखिमों के अनुरूप लेखा प्रक्रियाएं तैयार करना और उन पर कार्रवाई करना तथा हमारी राय को पर्याप्त और संगत आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से बड़ा है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, कपट, जानबूझ कर छोड़ी गई त्रुटियां, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करना जो उन परिस्थितियों के लिए उचित हों. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है तथा क्या इस तरह के नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है.
- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों का औचित्य एवं उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना.
- समूह के प्रबंधन और निदेशक मंडल के लेखांकन के कार्यशील संस्था के रूप में उपयोग करने के उपयुक्तता पर अपना निष्कर्ष देना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस बात का पता लगाना कि क्या उन घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनिश्चतता मौजूद है या वैसी परिस्थितियां बनी हैं जिसमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की सहयोगी कंपनियों सहित समूह की सक्षमता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके. यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चतता विद्यमान है तो हमें अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं है तो हमें अपने अभिमत को संशोधित करना होगा. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर आधारित हैं. तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां सहयोगी कंपनियों सहित समूह के कार्यशील संस्था के रूप में बने न रहने का कारण बन सकती हैं.
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि इसकी निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त की जा सके.
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों के भीतर ऐसी संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं. समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहते हैं. हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं. इस संबंध में हमारी जिम्मेदारियों को इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'अन्य मामले' खंड के तहत आगे वर्णित किया गया है.

हम बैंक और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य ऐसी संस्थाओं जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, के अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे, उसकी अवधि और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों तथा लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते हैं.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को वक्तव्य भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और साथ ही हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले संबंधों और उन मामलों की जो हमारी

- Identify and assess the risks of misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Group and its associates has adequate internal financial controls system with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Management.
- Conclude on the appropriateness of Group's Management and Board of Directors use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's including its associate companies' ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group including its associate companies to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of such entities or business activities within the Group and its associates to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of such entities included in consolidated financial statements of which we are the independent auditors. For the other entities included in the consolidated financial statements, which have been audited by other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion. Our responsibilities in this regard are further described under 'Other Matters' section in this audit report.

We communicate with those charged with governance of the Bank and such other entities included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may

स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, और जहां भी लागू हो वहां उनसे संबंधित सावधानियों की जानकारी भी देते हैं.

अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो इसलिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय हैं. हम उन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन द्वारा इस मामले के प्रकटन के लिए या तो रोका न जाए या फिर अत्यंत विरल परिस्थितियों में जब हम यह निर्णय लें कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा संप्रेषण करने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है.

अन्य मामले

i. बैंक की दुबई शाखा से संबन्धित ₹ 4.00 करोड़ के कुल राजस्व और ₹ 0.77 करोड़ की कुल हानि वित्तीय विवरणों में शामिल है जो 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 (शाखा के बंद होने की तारीख) की अवधि के दौरान परिचालनगत थी. शाखा के 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसम्बर 2023 की अवधि के वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा एक स्थानीय शाखा लेखापरीक्षक द्वारा की गई, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है और इस शाखा के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है

उपर्युक्त मामले में हमारी राय संशोधित नहीं की गई है.

ii.

अ. हमने निम्नलिखित के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है:

क) पांच सहायक संस्थाओं, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2024 को कुल आस्तियां ₹ 1117.47 करोड़ तथा 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 483.38 करोड़ और कर पश्चात् कुल निवल लाभ ₹ 155.86 करोड़ दिखाया गया है जिसे समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है जिनकी लेखापरीक्षा उनके संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थीं. इन संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, इन सहायक कंपनियों से संबंधित शामिल की गई राशियों और प्रकटन के संबंध में, सिर्फ अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर ही आधारित है.

आ) हम समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणी 18(10) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कहा गया है कि समेकित वित्तीय विवरणों में उन सभी चार सहयोगी संस्थाओं के वित्तीय विवरण शामिल नहीं हैं जिनके 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण/ लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं. इन चार सहयोगी संस्थाओं में से एक एनएसडीएल (26.10%) के संबंध में 31 दिसंबर 2023 तक के खाते शामिल किए गए हैं तथा 2 अन्य सहयोगी संस्थाओं यथा नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (25%) और बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड (27.93%) के संबंध में 31 मार्च 2023 तक के खातों को शामिल किया गया है. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (21.14%) के मामले में, उक्त कंपनी में निवेश को 1 रुपये तक मूल्यह्रासित कर दिया गया है. प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इन सहयोगी संस्थाओं के वित्तीय विवरण समूह के लिए कोई तात्विक अर्थ नहीं रखते हैं.

reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current year and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

i. Included in the financials are total revenue of ₹ 4.00 Crores and total loss of ₹ 0.77 Crores pertaining to Dubai branch of the Bank, which was operational during the period from April 01, 2023 to December 31, 2023 (the date of closure of the branch).The financial statements of the branch for the period from April 01, 2023 to December 31, 2023 were audited by a local branch auditor whose report has been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this branch, is based solely on the report of such branch auditor.

Our opinion is not modified in respect of the above matter.

ii.

A. We did not audit the financial statements of:

a) Five subsidiaries, whose financial statements reflects total assets of ₹ 1117.47 crores as at March 31, 2024, total revenue of ₹ 483.38 crores, total Net Profit after tax of ₹ 155.86 crores for the year ended March 31, 2024, as considered in the consolidated financial statements, which have been audited by their respective independent auditors. These independent Auditor's report on financial statements of these entities have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries is based solely on the reports of the other auditors.

B. We draw attention to Note 18(10) to the accompanying Consolidated Financial statement which states that the Consolidated Financial statements does not include financial statements in respect of all four Associates for which financial statements /accounts for the year ended March 31, 2024 have not been received. Out of four associates, in respect of 1 associate-NSDL (26.10%), accounts have been included up to December 31, 2023 and in respect of 2 associates North eastern Development Finance Corporation Limited (25%) and Biotech Consortium India Limited (27.93%) accounts have been included up to March 31, 2023.In case of Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment corporation Limited (21.14%), the investment in the said company has been written down to ₹ 1. According to the information and explanations given to us by the Management, the financial statements of these Associates are not material to the Group.

जहां तक किए गए कार्य और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी के संदर्भ में उपर्युक्त मामलों पर हमारे विश्वास का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य विधिक एवं विनियामकीय आवश्यकताओं के संबंध में हमारी रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखा अधिनियम की धारा 133 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं.

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सम्पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे तथा उन्हें संतोषजनक पाया है.

   ख) बैंक के लेन-देन जो हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे ध्यान में आए, वे बैंक की अधिकार सीमा के भीतर रहे हैं.

   ग) बैंक की वित्तीय लेखा प्रणाली केंद्रीकृत हैं और इसलिए वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से लेखांकन विवरणियाँ शाखाओं द्वारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है. हमने लेखा-परीक्षा केंद्रीय रूप से की है क्योंकि हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी अपेक्षित रिकॉर्ड और डेटा केंद्रीय रूप से उपलब्ध हैं. इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने रिजर्व बैंक के मौजूदा परिपत्र के अनुपालन में हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए ऐसी शाखाओं में रखे गए अभिलेखों की जांच करने के लिए 31 घरेलू शाखाओं और 1 विदेशी शाखा का दौरा किया है, जिनमें बैंक के सकल अग्रिमों का 34% निहित है.

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर अलग-अलग वित्तीय विवरणों और सहायक एवं सहयोगी कंपनियों की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सम्पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

   ख) हमारी राय में, बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों को रखा गया है, जैसा कि उन बहियों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

   ग) बैंक की दुबई शाखा के लेखों की अन्य लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित रिपोर्ट हमारे पास प्रेषित की गई है और इस पर उचित रूप से विचार किया गया है;

   घ) इस रिपोर्ट में विचार किए गए समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकन के प्रयोजन से रखी गई लेखा बहियों और रेकॉर्ड के अनुरूप हैं.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on Other Legal and Regulatory requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements / financial information certified by the management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provision of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Act and Rules made thereunder.

2. As required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

   a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

   b) The transactions of the Bank, which have come to our notice during the course of our audit, have been within the powers of the Bank.

   c) The financial accounting systems of the Bank are centralized and therefore, accounting returns for the purpose of preparing financial statements are not required to be submitted by the branches. Our audit has been carried out centrally as all the necessary records and data required for the purposes of our audit are centrally available. Further, during the course of our audit, we have visited 31 domestic branches and 1 overseas branch which, in aggregate, comprise of 34% of the gross advances of the Bank, to examine the records maintained at such branches for the purpose of our audit, in compliance with the extant RBI Circular.

3. As required by section 143(3) of the Act, based on our audit and on the consideration of the reports of the other auditors on separate financial statements and other financial information of the subsidiaries and associates, we report, to the extent applicable that,

   a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of consolidated financial statements;

   b) in our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of consolidated financial statements have been kept by the Bank so far as appears from our examination of those books and reports of other auditors;

   c) the report on the accounts of the Dubai branch of the Bank audited by other auditor has been forwarded to us and the same has been appropriately dealt with;

   d) the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account, and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and records maintained for the purpose of consolidation;

ङ) हमारी राय में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के उस सीमा तक अनुपालन में हैं जहां तक वे रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं.

च) यथा 31 मार्च 2024 को बैंक के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिये जाने के आधार पर तथा भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखापरिक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, समूह की कंपनियों के किसी भी निदेशक को यथा 31 मार्च 2024 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के निबंधनों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है.

छ) समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में 'अनुबंध ए' में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें.

ज) हमारी राय में, एक बैंकिंग कंपनी होने के नाते 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान इसके निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के प्रावधानों के अनुसार किया गया है तथा;

सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, जिनकी हमारे द्वारा लेखा-परीक्षा नहीं की गई थी, सहायक कंपनियों द्वारा उनके निदेशकों को चालू वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है.

इसके अलावा, जैसा कि ऊपर अन्य मामले के पैराग्राफ में संदर्भित है, 4 सहयोगी संस्थाओं के लिए, जिनके वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की गई है, अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में ऐसी संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग के अभाव में अधिनियम की धारा 197(16) के तहत हमारे द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट के संबंध में यथा 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हम उक्त संस्थाओं के लिए ऐसे अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं.

झ) यथा संशोधित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर जैसा 'अन्य मामले' पैराग्राफ में नोट किए अनुसार :

i. समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन

e) in our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act and Rules made thereunder, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

f) on the basis of written representation received from the directors of the Bank as on March 31, 2024 and taken on record by the Board of Directors of the Bank and the reports of the statutory auditors of its subsidiary companies incorporated in India, none of the directors of the group companies are disqualified as on March 31, 2024 from being appointed as director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act 2013;

g) with respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to Financial Statements of the Group & its associates and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A";

h) In our opinion, the entity being a Banking company, the remuneration to its directors during the year ended March 31, 2024 has been paid/ provided by the Bank in accordance with the provisions of section 35B of the Banking Regulation Act, 1949, and;

Based on the report of the statutory auditors of subsidiaries which were not audited by us, the remuneration paid during the current year by the subsidiary companies to their directors are in accordance with the provisions of Section 197 of the Act

Further, for the 4 associates, as referred to in other matter paragraph above, whose financial statements/information have not been audited, in absence of reporting by statutory auditors of such entities with respect to compliance of the provisions of section 197 read with Schedule V of the Act during the year ended March 31, 2024, we are unable to comment on such compliance for the said entities as required to be reported by us under section 197(16) of the Act

i) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors as noted in the "Other Matters" paragraph:

i. The consolidated financial statements disclose the impact of pending litigations on its consolidated financial position of group and its associates. Refer Schedule 18(13)(C) to the Consolidated Financial Statements.

ii. Provision, as required, under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on

किया है. समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(13) (सी) देखें.

ii. समेकित वित्तीय विवरणों में डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि हों, के लिए लागू विधिक या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किए हैं. समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(13) (बी) देखें.

iii. बैंक और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को अंतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है.

iv.

क. समूह में घटक से संबन्धित प्रबंधनों, जो कि भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के अंतर्गत की गई है, हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा ''अन्य मामले'' के अधीन, ने हमें और समूह की संस्थाओं के अन्य लेखापरीक्षकों को यह अभ्यावेदन किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखा की अनुसूची 18 (14) (VIII) में प्रकट किये अनुसार, बैंक या समूह की सहयोगी कंपनियों सहित किसी भी संस्था द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित किसी से कोई धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) नहीं ली गई है, तथा लिखित अथवा अन्यथा रूप से यह माना गया है कि मध्यस्थ, बैंक द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी नहीं प्रदान करेगा.

ख. भारत में निगमित समूह की संस्थाओं के संबंधित प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई है, हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के ''अन्य मामले'' के अधीन ने हमसे और समूह की संस्थाओं के अन्य लेखापरीक्षकों से यह अभ्यावेदन किया है कि उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, लेखा अनुसूची 18(14) (VIII) में यथा दर्शाये अनुसार, बैंक या समूह की किसी संस्था द्वारा विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टियां") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है,

long term contracts including derivative contracts has been made in the consolidated financial statements. Refer Schedule 18 (13)(B) to the Consolidated Financial Statements.

iii. There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank and it's subsidiaries.

iv.

a. The respective Managements of the components in the Group which are companies incorporated in India, whose financial statements have been audited under the Act, subject to "Other Matters" Para in our Audit report have represented to us and the other auditors of such Group entities that, to the best of their knowledge and belief as disclosed in the Schedule 18(14)(VIII) to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank or any of such entities in the Group including its associates to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Bank or any of such components of the Group ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries

b. The respective Managements of the entities in the Group which are incorporated in India, whose financial statements have been audited under the Act, subject to "Other Matters" Para in our Audit report, have represented to us and the other auditors of such Group entities that, to the best of their knowledge and belief as disclosed in the Schedule 18(14)(VIII) to the accounts , no funds have been received by the Bank or any of such entities in the Group from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the

तथा लिखित अथवा अन्यथा रूप से यह माना गया है कि बैंक या समूह के किसी भी घटक की ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई सेवा प्रदान करेगा.

ग. लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण है.

घ. इसके अलावा, जैसा कि ऊपर अन्य मामले के पैराग्राफ में संदर्भित है, 4 सहयोगी संस्थाओं के लिए, जिनके वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की गई है, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 11(ई) के अंतर्गत अंतिम हितधारक के रूप में चिन्हित पास थ्रू संथाओं के माध्यम से निधियों के उधार देने या प्राप्त करने के संबंध में ऐसी संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग के अभाव में कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 11(ई) के अंतर्गत हमारे द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट के संबंध में हम उक्त संस्थाओं के लिए ऐसे अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं.

v. वित्तीय वर्ष के लिए, यथा समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 18(7)(बी) में निर्दिष्ट, बैंक के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक महासभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है. लाभांश की राशि लागू अधिनियम की धारा 123 के अनुसार प्रस्तावित है. हमें दी गई जानकारी के अनुसार और प्रबंधन की पुष्टि के आधार पर तथा हमें दी गई सहायक कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर:

क. वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2022-23 से संबंधित बैंक द्वारा प्रस्तावित, घोषित और भुगतान किया गया अंतिम लाभांश यथा लागू अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है.

ख. समूह में दो सहायक कंपनियों ने पिछले वर्ष प्रस्तावित लाभांश का भुगतान किया है जो कंपनी अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है. समूह की अन्य सहायक

Bank or any of such components of the Group, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

c. Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

d. Further, for the 4 associates, as referred to in other matter paragraph above, whose financial statements/information have not been audited, in absence of reporting by statutory auditors of such entities with respect to reporting on lending or receiving funds through pass-through entities marked for an ultimate beneficiary under Rule 11(e) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 during the year ended March 31, 2024, we are unable to comment on such compliance for the said entities as required to be reported by us under Rule 11(e) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014.

v. For the financial year, as stated in Note 18(7)(b) to the consolidated financial statements, the Board of Directors of the Bank have proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The amount of dividend proposed is in accordance with section 123 of the Act, as applicable. As per the information furnished to us and based on the management confirmation and the audit reports of subsidiaries furnished to us by management:

a. During the year, the final dividend proposed, declared and paid by the bank relating to FY 2022-23 is in accordance with Section 123 of the Act, as applicable.

b. Two subsidiaries in the group have paid the dividend proposed in the previous year which is in accordance with Section 123 of the Companies Act. Other

संस्थाओं ने पिछले वर्ष किसी प्रकार के लाभांश का प्रस्ताव नहीं रखा है.

ग. बैंक और किसी सहायक कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान किसी अंतरिम लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया गया है.

घ. इसके अलावा, जैसा कि ऊपर अन्य मामले के पैराग्राफ में संदर्भित है, 4 सहयोगी संस्थाओं के लिए, जिनके वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखा परीक्षा नहीं की गई है, नियम 11(एफ) के तहत ऐसी संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग के अभाव में हम उक्त संस्थाओं के लिए इस तरह के अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं.

vi. हमारी जांच के आधार पर और सहायक संस्थाओं, जिनकी लेखापरीक्षा हमने नहीं की, के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, समूह ने अपनी लेखा बहियों के रख-रखाव के लिए लेखांकन साफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें लेखापरीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) रिकार्डिंग करने की सुविधा है और साफ्टवेयर में सभी लेनदेनों को रिकॉर्ड करने के लिए उसे पूरे वर्ष परिचालित किया है. इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें लेखा परीक्षा ट्रेल के साथ हस्तक्षेप का कोई उदाहरण नहीं मिला.

प्रयोज्यता के प्रथम वर्ष में, अभिलेखन प्रतिधारण के लिए लेखा परीक्षा ट्रेल के परिरक्षण पर रिपोर्टिंग, आईसीएआई द्वारा जारी निर्देशिका नोट, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत लेखा परीक्षा ट्रेल के रिपोर्टिंग पर कार्यान्वयन निर्देश के अनुसार रिपोर्ट किया जाना आवश्यक नहीं है.

इसके अलावा, जैसा कि ऊपर अन्य मामले के पैराग्राफ में संदर्भित है, 4 सहयोगी संस्थाओं के लिए, जिनके वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखा परीक्षा नहीं की गई है, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 11(जी) के तहत लेखापरीक्षा ट्रेल पर रिपोर्टिंग के संबंध में ऐसी संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्टिंग के अभाव में कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 11(जी) के अंतर्गत हमारे द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट के संबंध में हम उक्त संस्थाओं के लिए ऐसे अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं.

subsidiaries of the group have not proposed any dividend in the previous year.

c. No interim dividend has been declared or paid during the year by the bank and any subsidiaries during the current year.

d. Further, for the 4 associates, as referred to in other matter paragraph above, whose financial statements/information have not been audited, in absence of reporting by statutory auditors of such entities under Rule 11(f) we are unable to comment on such compliance for the said entities.

vi. Based on our examination and based on the report of the statutory auditors of subsidiaries which were not audited by us, the group has used accounting software for maintaining its books of accounts which have feature of recording audit trail (edit log) facility and the same have been operated throughout the year for all transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with.

In the first year of applicability, the reporting on preservation of audit trail for record retention is not required to be reported upon as per the Guidance Note on "Implementation Guide on Reporting on Audit Trail under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014" issued by ICAI.

Further, for the 4 associates, as referred to in other matter paragraph above, whose financial statements/information have not been audited, in absence of reporting by statutory auditors of such entities with respect to reporting on audit trail under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 during the year ended March 31, 2024, we are unable to comment on such compliance for the said entities as required to be reported by us under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014.

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

के पी श्रीनिवास
K P Srinivas
साझेदार/Partner
स. सं./M. No. 208520
यूडीआईएन/UDIN: 24208520BKBLUN2507

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN-100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार/Partner
स. सं./M.No. 121546
यूडीआईएन/UDIN: 24121546BKBJGJ6371

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 04 मई 2024 / Date : May 04, 2024

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध 'ए'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2024 को आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (''बैंक'') और इसकी सहायक एवं सहयोगी संस्थाओं (बैंक और इसकी सहायक संस्थाएं मिलाकर ''समूह'' के रूप में निर्दिष्ट) के सम दिनांकित को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

संबंधित कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट' ('मार्गदर्शी नोट') में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए संबंधित कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के संबंध में बनाए गए आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. इन जिम्मेदारियों में संबंधित कंपनी की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधनियम'') की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करने की है. हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') तथा लेखापरीक्षा संबंधी मानकों ('एसए') के अनुसार की है जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन विनिर्दिष्ट माने जाएंगे और दोनों आईसीएआई द्वारा जारी किये गये हैं. उन मानकों और मार्गदर्शी नोट से यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें कि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं.

हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं. समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसी जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिम का आकलन शामिल है.

Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the Consolidated Financial Statements of IDBI Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls with reference to financial statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

We have audited the internal financial controls with reference to consolidated financial statements of IDBI Bank Limited ("the Bank") as at March 31, 2024 in conjunction with our audit of the Consolidated financial statements of the Bank and its subsidiaries and associates (the Bank and its subsidiary companies together referred to as "the Group") for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective company's Management and Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the respective company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (" the Guidance Note") issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ("the Act").

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls with reference to consolidated financial statements of the Group and its associates based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ("the Guidance Note") and the Standards on Auditing ("the SAs"), issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls over financial reporting, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to consolidated financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to consolidated financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to consolidated financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा अन्य मामले पैराग्राफ में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो:

1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित ब्योरे एवं परिशुद्धता के साथ समूह और इसकी सहयोगी संस्थाओं की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं;

2) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि संस्था की प्राप्तियाँ और व्यय संस्था के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

3) संस्था की आस्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम या समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं जिनका समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था.

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से नियंत्रणों के अधिव्यापन की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्त्विक अयथार्थ कथन की घटना हो सकती है और उनका पता न लगाया जा सके. साथ ही, भावी अवधियों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में आने वाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

अभिमत

हमारी राय में समूह और इसकी सहयोगी कंपनियों में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए समूह और सहयोगी कंपनियों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च 2024 को ये प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे.

We believe that the audit evidence we have obtained and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in the Other Matters paragraphs, below are sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on internal financial controls system with reference to Consolidated Financial Statements of the Group and its associates.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements

A Bank's internal financial control with reference to consolidated financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Bank's internal financial control with reference to consolidated financial statements includes those policies and procedures that

1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Group and its associate companies;

2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of consolidated financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the entity are being made only in accordance with authorizations of Management and Directors of the entity; and

3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the entity's assets that could have a material effect on the consolidated financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to consolidated financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to consolidated financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to consolidated financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Group and its associate companies have in all material respects, an adequate internal financial controls system with reference to consolidated financial statements and such internal financial controls with reference to consolidated financial statements were operating effectively as at March 31, 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Group and its associate companies considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

अन्य मामले

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय विवरणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट का जहां तक निम्न तथ्यों से संबंध है:

क) भारत में निगमित 4 सहायक कंपनियों की संबंधित लेखा परीक्षकों की तद्नुरूपी रिपोर्ट पर आधारित है;

ख) भारत में निगमित 1 सहायक कंपनी, जिसके विशिष्ट उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण उसके स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा किया गया है, ने धारा143 (3) (i) के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है. हमारी राय प्रभावित नहीं है क्योंकि इन समेकित वित्तीय विवरणों में इस सहायक कंपनी के संबंध में शामिल निवल लाभ / हानि और प्रकटीकरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

ग) भारत में निगमित 4 सहायक कंपनियों, जिनके वित्तीय विवरणों/ वित्तीय जानकारी का लेखा परीक्षण नहीं किया गया है के संदर्भ में हमारी राय प्रभावित नहीं है क्योंकि इन समेकित वित्तीय विवरणों में इन सहयोगी कंपनियों के संबंध में शामिल निवल लाभ / हानि और प्रकटीकरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं.

Other Matters

Our aforesaid report under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements insofar as it relates to;

a. 4 subsidiary companies, incorporated in India, is based on the corresponding report of the respective auditors' ;

b. 1 subsidiary company, incorporated in India, whose special purpose financial statements has been audited by it's independent auditor has not furnished a report under 143 (3)(i). Our opinion is not affected as the net profit / loss and disclosures included in respect of this subsidiary in these Consolidated Financial Statements are not material to the Group.

c. 4 associates, incorporated in India whose financial statements/ financial information are unaudited, our opinion is not affected as the share of net profit / loss and disclosures included in respect of these associates in the Consolidated Financial Statements are not material to the Group.

उपरोक्त मामलें के संबंध में हमारी रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया गया है
Our report is not modified in respect of the above matters

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

के पी श्रीनिवास
K P Srinivas
साझेदार/Partner
स. सं./M. No. 208520
यूडीआईएन/UDIN: 24208520BKBLUN2507

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN-100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार/Partner
स. सं./M.No. 121546
यूडीआईएन/UDIN: 24121546BKBJGJ6371

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 04 मई 2024 / Date : May 04, 2024

समेकित तुलन-पत्र 31 मार्च 2024 को
Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2024

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
पूंजी और देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	10752 40 22	10752 40 22
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	40320 65 69	35566 84 18
अल्पसंख्यक हित / Minority Interest	2A	152 85 74	138 48 33
जमाराशियां / Deposits	3	277365 51 49	255313 26 51
उधार राशियां / Borrowings	4	17082 69 58	12637 75 01
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	18597 37 44	17088 96 45
कुल / TOTAL		**364271 50 16**	**331497 70 70**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	13990 99 92	16639 28 10
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	12018 47 70	12607 65 04
निवेश / Investments	8	115718 59 53	100408 67 72
अग्रिम / Advances	9	188575 61 69	162545 84 89
स्थायी आस्तियां / Fixed Assets	10	9542 29 77	9780 40 46
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	24425 51 55	29515 84 49
कुल / TOTAL		**364271 50 16**	**331497 70 70**
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	197055 57 70	176929 12 79
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		12363 89 59	11310 73 40
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet			

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
डीआईएन/DIN: 06846594

(जयकुमार एस. पिल्लै)
(Jayakumar S. Pillai)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
डीआईएन/(DIN: 10041362)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
डीआईएन/DIN: 01853823

(स्मिता कुबेर)
(Smita Kuber)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

के पी श्रीनिवास
K P Srinivas
साझेदार/Partner
स. सं. 208520/M. No. 208520

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN-100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार/Partner
स. सं. 121546/M.No. 121546

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 04 मई 2024 / Date : May 04, 2024

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2024

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023
I	**आय/ INCOME**			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	26445 65 27	20591 52 71
	अन्य आय / Other Income	14	3924 76 02	4575 37 68
	कुल / TOTAL		**30370 41 29**	**25166 90 39**
II	**व्यय / EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	12226 35 92	9130 44 57
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	8370 39 27	7232 56 52
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		4010 25 06	5117 05 05
	कुल / TOTAL		**24607 00 25**	**21480 06 14**
III	**लाभ / PROFIT**			
	सहयोगी संस्थाओं में अर्जन/(हानि) का हिस्सा Share of Earnings/(loss) in Associates		50 68 95	41 12 92
	अल्पसंख्यकों के हित की कटौती से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ/(हानि) Consolidated Net profit/(loss) for the year before deducting Minorities' Interest		5814 09 99	3727 97 17
	घटाएं: अल्पसंख्यकों का हित / Less: Minorities' Interest		25 98 82	21 91 24
	समूह से वर्ष का समेकित लाभ/(हानि) Consolidated profit/(loss) for the year attributable to the group		5788 11 17	3706 05 93
	जोड़ें: समूह से आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि) Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		4577 92 21	(43395 79 67)
	आगे लाई गई हानियों का शेयर प्रीमियम से समंजन Brought forward losses set off against Share premium		-	45396 18 36
	कुल / TOTAL		**10366 03 38**	**5706 44 62**
IV	**विनियोजन / APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		1408 52 35	911 27 37
	पूंजीगत रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		41 33 02	18 21 87

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2024

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023
सामान्य रिजर्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		3 13 81	2 64 59
गत वर्ष से संबंधित लाभांश का भुगतान वर्ष के दौरान किया गया Dividend pertaining to previous year paid during the year		1075 24 02	-
निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व (आईएफआर) में अंतरण Transfer to Investment Fluctuation Reserve (IFR)		151 99 55	196 38 58
शेष राशि समेकित तुलनपत्र में ले जाई गई Balance carried over to Consolidated balance sheet		7685 80 63	4577 92 21
कुल / TOTAL		**10366 03 38**	**5706 44 62**
प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per Share (₹) (Face Value ₹ 10 per Share)	18 (7a)	5.38	3.45
मूल/ / Basic		-	-
न्यूनीकृत / Diluted		5.38	3.45
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलनपत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet			

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
डीआईएन/DIN: 06846594

(जयकुमार एस. पिल्लै)
(Jayakumar S. Pillai)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
डीआईएन/DIN: 10041362

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
डीआईएन/DIN: 01853823

(स्मिता कुबेर)
(Smita Kuber)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

के पी श्रीनिवास
K P Srinivas
साझेदार/Partner
स. सं. 208520/M. No. 208520

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN-100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार/Partner
स. सं. 121546/M.No. 121546

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 04 मई 2024 / Date : May 04, 2024

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
₹ 10 प्रत्येक के 2100 00 00 000 इक्विटी शेयर 2100 00 00 000 Equity Shares of ₹ 10 each	21000 00 00	21000 00 00
	21000 00 00	21000 00 00
निर्गमित, अभिदत्त और चुकता पूंजी / Issued, Subscribed & Paid up Capital		
प्रत्येक ₹ 10 के 1075 24 02 175 (1075 24 02 175) पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर 1075 24 02 175 (1075 24 02 175) Equity Shares of ₹10 each fully paid up (अनुसूची 18 टिप्पणी 14 (I) देखें) / (Refer Schedule 18 Note 14 (I))	10752 40 22	10752 40 22
कुल / TOTAL	**10752 40 22**	**10752 40 22**

अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष / SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
I	**सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	4335 70 43	3424 43 06
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	1408 52 35	911 27 37
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		5744 22 78	**4335 70 43**
II	**विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व/ Foreign Currency Translation Reserves**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	13 68 77	2 28 16
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	4 53 11	11 40 61
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		18 21 88	**13 68 77**
III	**पूंजी रिज़र्व / Capital Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	3186 70 21	3168 48 34
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	41 33 02	18 21 87
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		3228 03 23	**3186 70 21**
IV	**समेकन पर पूंजी रिज़र्व / Capital Reserve on Consolidation**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	345 51 27	315 44 19
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	36 41 25	30 07 08
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		381 92 52	**345 51 27**
V	**पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	8200 97 55	8467 76 35
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	सामान्य रिजर्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	267 52 19	266 78 80
		7933 45 36	**8200 97 55**
VI	**शेयर प्रीमियम / Share Premium**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	5323 52 07	50719 70 43
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां# / Deductions during the year#	-	45396 18 36
		5323 52 07	**5323 52 07**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
VII		राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserve		
	(क) (a)	सामान्य रिजर्व General Reserve		
		प्रारंभिक शेष / Opening balance	7269 47 01	7000 03 61
		वर्ष के दौरान परिवर्धन (समेकित समायोजनों को छोड़कर) Additions during the year (Net of Consolidation Adjustments)	3 13 81	2 64 59
		पुनर्मूल्यन रिजर्व से अंतरित Transferred from Revaluation Reserve	267 52 19	266 78 80
		वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
			7540 13 01	**7269 47 01**
	(ख) (b)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
		प्रारंभिक शेष / Opening balance	6 35 04	6 35 04
		वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
		वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
			6 35 04	**6 35 04**
	(ग) (c)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व Special Reserve created & maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
		प्रारंभिक शेष / Opening balance	1566 00 00	1566 00 00
		वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
		वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
			1566 00 00	**1566 00 00**
	(घ) (d)	निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व Investment Fluctuation Reserves		
		प्रारंभिक शेष / Opening balance	740 99 62	544 61 04
		वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	151 99 55	196 38 58
		वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
			892 99 17	**740 99 62**
VIII		लाभ-हानि लेखे में शेष राशि# / Balance in Profit and Loss account#	7685 80 63	4577 92 21
		कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**40320 65 69**	**35566 84 18**

टिप्पणी: # 31 मार्च 2021 को आगे लाई गई हानियों का शेयर प्रीमियम से समंजन
Note: # brought forward losses as on March 31, 2021 set off against Share premium

अनुसूची 2 अ - अल्पसंख्यक हित / SCHEDULE 2A - MINORITY INTEREST

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
मूल-सहायक संबंध अस्तित्व में आने की तिथि को अल्पसंख्यक हित Minority interest at the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	29 84 39	29 84 39
बाद में वृद्धि/(कमी) / Subsequent increase/(decrease)	123 01 35	108 63 94
तुलन पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक हित / Minority interest on the date of balance sheet	152 85 74	138 48 33

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
अ. / A.		
I. मांग जमाराशियां / Demand Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	11774 13 82	11562 67 90
(ii) अन्य से / From others	37081 62 39	37337 42 10
कुल (i तथा ii) / TOTAL (i and ii)	**48855 76 21**	**48900 10 00**
II. बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits	91013 24 14	86498 80 42
III. सावधि जमाराशियां / Term Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	7619 31 63	8232 23 14
(ii) अन्य से / From others	129877 19 51	111682 12 95
कुल (i तथा ii) / TOTAL (i and ii)	**137496 51 14**	**119914 36 09**
कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**277365 51 49**	**255313 26 51**
आ. / B.		
(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां / Deposits of branches in India	277363 72 41	255310 99 97
(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	1 79 08	2 26 54
कुल (i तथा ii) / TOTAL (i and ii)	**277365 51 49**	**255313 26 51**

अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
I. भारत में उधार राशियां / Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	2400 00 00	2400 00 00
(ii) अन्य बैंक / Other banks	376 30 00	578 20 00
(iii) टियर 1 (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier I (Innovative Perpetual Debt Instrument)	-	-
(iv) अपर टियर II बॉण्ड / Upper Tier II bonds	-	-
(v) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बॉण्ड (टियर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	302 00 00	302 00 00
(vi) बासेल III ओम्नी टीयर 2 बॉण्ड / Basel III Omni Tier 2 Bond	2645 00 00	2645 00 00
(vii) अन्य* / Others*	9920 01 23	6153 79 41
कुल (I)/ TOTAL (I)	**15643 31 23**	**12078 99 41**
II. भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India	1439 38 35	558 75 60
कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	**17082 69 58**	**12637 75 01**

टिप्पणी: उपर्युक्त I तथा II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां - ₹ 7315 01 23 हजार (पिछले वर्ष ₹ 3548 79 41 हजार)
Note: Secured borrowings included in I and II above ₹ 7315 01 23 Thousand (Previous Year ₹ 3548 79 41 Thousand)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान / SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
I.	देय बिल / Bills Payable	2634 82 96	2348 92 67
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
III.	उपचित ब्याज / Interest accrued	747 35 75	506 73 55
IV.	अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provision)		
	(क) मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान (a) Prudential provisions against standard assets	4816 55 64	4977 20 49
	(ख) प्राप्त अग्रिम भुगतान (b) Advance payments received	726 01 05	547 09 99
	(ग) देय लाभांश तथा लाभांश कर (c) Dividend and dividend tax payable	-	-
	(घ) विविध लेनदार (d) Sundry Creditors	128 95 79	123 56 72
	(ङ) देय सेवा कर/टीडीएस/अन्य कर (e) Service tax/TDS/Other taxes payable	237 50 59	183 02 59
	(च) विविध जमाराशियां (f) Sundry Deposits	15 48 06	15 29 75
	(छ) अन्य प्रावधान (g) Other provisions	6030 47 62	5084 47 11
	(ज़) विविध (h) Miscellaneous	3260 19 98	3302 63 58
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**18597 37 44**	**17088 96 45**

अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	1772 62 42	2488 75 54
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	11898 37 50	10970 52 56
	(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	320 00 00	3180 00 00
	कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	**13990 99 92**	**16639 28 10**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
I			भारत में / In India		
	(i)		बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
		(क) (a)	चालू खातों में in Current Accounts	70 51 28	233 92 35
		(ख) (b)	अन्य जमा खातों में in Other Deposit Accounts	3693 12 73	10620 93 16
	(ii)		मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice		
		(क) (a)	बैंकों के पास with banks	7919 93 88	986 04 00
		(ख) (b)	अन्य संस्थाओं के पास with other Institutions	-	-
			कुल (i तथा ii) / TOTAL (i and ii)	**11683 57 89**	**11840 89 51**
II			भारत से बाहर / Outside India		
	(i)		चालू खातों में / in Current Accounts	234 05 31	152 07 44
	(ii)		अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	41 70 25	553 58 75
	(iii)		मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	59 14 25	61 09 34
			कुल (i, ii तथा iii) / Total (i, ii and iii)	**334 89 81**	**766 75 53**
			कुल (I तथा II) / TOTAL (I and II)	**12018 47 70**	**12607 65 04**

अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
I	**भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां@ / Government Securities@	98380 55 58	86036 39 25
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
	(iii) शेयर / Shares	404 27 97	330 43 84
	(iv) डिबेंचर और बॉण्ड / Debentures and Bonds	5882 40 94	6203 44 41
	(v) सहयोगी संस्थाएं/Associates	712 93 56	625 83 35
	(vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी,वीसीएफ़, सीडी) Others (CPs, Units in MFs, SRs,PTCs,VCFs, CDs)	9923 52 09	6992 02 11
	कुल (i से vi) / TOTAL (i to vi)	**115303 70 14**	**100188 12 96**
II	**भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	414 89 39	220 54 76
	(ii) सहयोगी संस्थाएं/Associates	-	-
	(iii) अन्य निवेश / Other investments	-	-
	कुल (i से iii) / TOTAL (i to iii)	**414 89 39**	**220 54 76**
	कुल योग (I तथा II)/ Grand Total (I and II)	**115718 59 53**	**100408 67 72**
III	**भारत में निवेश / Investments in India**		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	120637 96 22	105351 08 08
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation	5334 26 08	5162 95 12
	निवल निवेश / Net investments	**115303 70 14**	**100188 12 96**
IV	**भारत से बाहर निवेश / Investments Outside India**		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	414 89 39	220 54 76
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation	-	-
	निवल निवेश / Net investments	**414 89 39**	**220 54 76**

@ इसमें गैर-एसएलआर एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत ₹ 12438 00 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 12438 00 00 हजार) की भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं.

@ Includes Special GOI Securities of ₹ 12438 00 00 Thousand (Previous Year ₹ 12438 00 00 Thousand) classified as Non-SLR-HTM Securities.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
अ / A			
(i)	खरीदे और भुनाए/ पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	8898 33 96	6327 23 02
(ii)	नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	38128 90 22	38185 69 18
(iii)	मीयादी ऋण@ / Term loans@	141548 37 51	118032 92 69
	कुल (i, ii तथा iii) / TOTAL (i, ii and iii)	**188575 61 69**	**162545 84 89**
आ / B			
(i)	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत@@ / Secured by tangible assets@@	15576 09 13	139268 80 66
(ii)	बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित@@@ Covered by Bank / Government Guarantees@@@	8706 23 27	7265 58 52
(iii)	अप्रतिभूत / Unsecured	24293 29 29	16011 45 71
	कुल (i, ii तथा iii)/ TOTAL (i, ii and iii)	**188575 61 69**	**162545 84 89**
इ / C			
I	भारत में अग्रिम / Advances in India		
(i)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	63537 23 65	56344 33 19
(ii)	सरकारी क्षेत्र / Public sector	6190 70 06	34 09 86
(iii)	बैंक / Banks	1307 34 82	5 35 56
(iv)	अन्य / Others	108035 98 08	100968 82 80
	कुल (i, ii, iii तथा iv) / TOTAL (i, ii ,iii & iv)	**179071 26 61**	**157352 61 41**
II	भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India		
(i)	बैंकों से प्राप्य / Due from banks	-	-
(ii)	अन्य से प्राप्य / Due from others:	-	-
	(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	-	-
	(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated loans	-	-
	(ग) अन्य (c) Others	9504 35 08	5193 23 48
	कुल (i और ii)/TOTAL (i and ii)	9504 35 08	**5193 23 48**
	कुल योग (इ.I. तथा इ.II.)/ GRAND TOTAL (C.I. and C.II.)	**188575 61 69**	**162545 84 89**

@ ₹6000 00 00 हजार (पिछले वर्ष : शून्य) के (निवल) अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र शामिल हैं.

@ Includes Inter Bank Participatory Certificate (Net) 6000 00 00 Thousand (Previous Year: Nil)

@ @ बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं

@ @ Includes advances against book debts

@ @ @ बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं

@ @ @ Includes advances against letter of credit issued by banks.

अनुसूची 10 - स्थायी आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
I	**परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी (2) देखें) Premises (Refer Schedule 18 Note (2))**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	8973 76 52	8964 90 34
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	336 12 82	8 86 18
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्मूल्यन Revaluation made during the year	-	0
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	10 10	0
	तुलन पत्र की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 71 96	286 56 19
	कुल/ TOTAL	**8709 07 28**	**8687 20 33**
II	**अन्य स्थायी आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्स्चर सहित) Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	2600 69 03	2432 50 37
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	376 90 23	242 78 76
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	68 49 48	74 60 10
	तुलन पत्र की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	2183 50 06	1984 88 42
	कुल/ TOTAL	**725 59 72**	**615 80 61**
III	**पट्टाकृत आस्ति/Leased Asset**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	601 81 79	601 81 79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	तुलन पत्र की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing assets	1 76 52	1 76 52
	कुल/ TOTAL	**-**	**-**
IV	**चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress**	107 62 77	477 39 52
	कुल योग (I से IV))/ GRAND TOTAL (I to IV)	**9542 29 77**	**9780 40 46**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	-	-
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	3068 70 43	2832 42 81
III	अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर की कटौती (निवल) Tax paid in advance /tax deducted at source (net)	2846 88 12	2556 30 75
IV	लेखन सामग्री और स्टांप / Stationery and stamps	1 18 05	15 79
V	दावों की तुष्टि में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां (लागत पर) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims (at cost)	736 90 93	736 90 93
VI	अन्य / Others		
(क/a)	आस्थगित कर आस्ति (निवल) / Deferred Tax Asset (net)	8965 05 12	11527 03 00
(ख/b)	आबंटन के लिए लंबित शेयर/बॉण्ड/ Shares / Bonds Pending allotment	-	11 51 37
(ग/c)	विविध जमाराशियां व अग्रिम / Sundry deposit and advances	743 07 56	646 31 92
(घ/d)	प्राप्य दावे / Claims receivable	212 63 63	215 07 08
(ङ/e)	दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) में अंतरित मामलों के संबंध में व्यय/ संवितरण Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)	-	-
(च/f)	विविध@ / Miscellaneous@	7851 07 71	10990 10 84
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**24425 51 55**	**29515 84 49**

@ *प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में जमा ₹5916 86 69 हजार (पिछले वर्ष ₹ 8353 02 02 हजार) का निवेश शामिल है.*

@ *Includes Investment in Priority sector deposit ₹ 5916 86 69 Thousand (Previous Year ₹ 8353 02 02 Thousand)*

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं / SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2024 को As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 को As at March 31, 2023
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the bank not acknowledged as debts	246 01 77	136 89 88
II	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	74 83	74 83
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	70750 33 56	106053 17 96
IV	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) - भारत में (a) - in India	43349 40 02	40163 99 27
	(ख) - भारत से बाहर (b) - outside India	445 42 50	846 73 85
V	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	15778 19 98	16021 57 25
VI	**अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the bank is contingently liable**		
	क) ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता a) Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	61482 77 48	7872 09 40
	ख) अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता b) Liability in respect of other Derivative contracts	3105 84 63	2808 58 62
	ग) विवादित कर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के कारण c) On account of disputed Income tax, Interest tax, penalty and interest demands	861 50 03	2383 67 97
	घ) अन्य / d) Others	1035 32 90	641 63 76
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**197055 57 70**	**176929 12 79**

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	विवरण / Particulars	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023
I	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances/bills	17967 80 74	13336 16 05
II	निवेशों से आय / Income on investments	7755 05 53	5958 67 21
III	रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	334 88 45	517 96 94
IV	अन्य / Others	387 90 55	778 72 51
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**26445 65 27**	**20591 52 71**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	विवरण / Particulars	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	2038 54 95	2004 37 31
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	727 69 60	816 38 63
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	2 64 20	102 84 52
IV	भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	83 25 24	(1 86 43)
V	विनिमय लेन-देनों/ डेरिवेटिव पर लाभ/ (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	353 64 64	615 72 87
VI	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	508 31 79	716 46 89
VII	विविध आय / Miscellaneous Income	210 65 60	321 43 89
	कुल (I से VII) / TOTAL (I to VII)	**3924 76 02**	**4575 37 68**

अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज / SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	विवरण / Particulars	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	10587 67 73	7819 18 19
II	रिजर्व बैंक/ अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज / Interest on RBI / inter bank borrowings	905 35 96	438 09 71
III	अन्य / Others	733 32 23	873 16 67
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**12226 35 92**	**9130 44 57**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय / SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	विवरण / Particulars	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान / Payments to and provisions for employees	4417 00 96	3691 39 33
II	किराया, कर और बिजली / Rent, taxes and lighting	543 01 75	507 59 02
III	मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	44 40 12	48 18 67
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	48 89 94	42 62 30
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / Depreciation on bank's property	543 30 89	499 20 77
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	3 67 84	3 31 66
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	3 18 60	2 94 72
VIII	विधि प्रभार / Law charges	31 43 37	27 36 41
IX	डाक खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	128 41 67	119 59 80
X	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	128 05 55	96 76 40
XI	बीमा / Insurance	303 09 30	296 81 52
XII	अन्य व्यय / Other Expenditure :		
	(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	204 00 27	182 20 64
	(ख) कार्ड एवं एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	333 40 58	323 74 40
	(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	28 58 83	21 93 80
	(घ) बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases	9 43 27	8 68 46
	(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	712 20 68	662 84 83
	(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	112 61 06	105 18 19
	(छ) स्टाफ प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	21 22 56	14 61 55

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year Ended March 31, 2023
(ज) यात्रा और वाहन प्रभार (h) Travelling and conveyance charges	38 92 19	39 36 34
(झ) ट्रेजरी व्यय (i) Treasury expenses	5 06 33	6 24 96
(ञ) उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय (j) Fee and other expenses for borrowing	-	-
(ट) अन्य (k) Other	710 43 51	531 92 75
कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)	**8370 39 27**	**7232 56 52**

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण समेकित लेखा नीतियां

SCHEDULE 17 - CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां अर्थात् समूह के वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए विशिष्ट लेखांकन नीतियां और तरीके निम्नलिखित हैं.

Following are the significant accounting policies i.e., the specific accounting policies and methods of applying these principles in the preparation and presentation of the financial statements of the Group.

1 तैयार करने का आधार / Basis of Preparation

वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, कंपनी (लेखांकन मानक) नियम, 2021 सहित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के साथ पठित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस), जहां तक वे बैंकों पर लागू होते हैं, अधिनियम के प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतः प्रचलित पद्धितियों के अनुरूप हैं. बैंक लेखांकन की उपचय पद्धति तथा परंपरागत लागत पद्धति, जहां अन्यथा उल्लिखित किया गया हो को छोड़कर, का अनुसरण करता है.

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time, the Accounting Standards (AS), issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with rules thereunder including the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021, in so far as they apply to banks, provisions of the Act and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting and historical cost convention, except where otherwise stated.

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियां, जहां अन्यथा उल्लिखित किया गया हो को छोड़कर, पिछले वर्ष की तरह ही जारी रखी गई हैं.

The accounting policies adopted in the preparation of financial statements are consistent with those followed in the previous year except as otherwise stated.

2 समेकन का आधार / Basis of Consolidation

समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन मानक एएस-21 'समेकित वित्तीय विवरण', एएस-23 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन' और एएस 27 'संयुक्त उद्यमों में हित के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग' में परिभाषित किए अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. (मूल कंपनी - ''बैंक'') और इसकी सभी सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यम के लेखे शामिल हैं.

The consolidated financial statements include the accounts of IDBI Bank Limited (parent company – "the Bank") and all its Subsidiaries/ Associates/Joint Venture as defined in Accounting Standard AS-21 'Consolidated Financial Statements', AS-23 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements' and AS-27 `Financial Reporting of Interests in Joint Ventures'.

समेकन में प्रयुक्त सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किए गए हैं जिस तारीख तक बैंक के तैयार किए गए हैं अर्थात् 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए एवं अनुसूची 18(10) में उल्लिखित चार सहयोगियों को छोड़कर जिनके रिपोर्टिंग तिथि के वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं हैं, के आधार पर तैयार किया गया है. इनको नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों के आधार पर समेकित किया गया है. समूह महत्वपूर्ण राशियों के लिए असमान लेखा नीतियों को समायोजित करता है.

The financial statements of the subsidiaries/associates/joint venture used in the consolidation are drawn up to the same reporting date as that of the Bank i.e. year ended March 31, 2024 and have been prepared on the basis of except for four associates as mentioned in Schedule 18(10), for which financial statements as on reporting date are not available. These have been consolidated based on latest available financial statements. The group makes adjustments for non-uniform accounting policies for material amounts.

बैंक के वित्तीय विवरणों को निम्न के साथ मिलाया गया है: (क) इसकी सहायक संस्थाओं की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर जोड़कर, (ख) इसके संयुक्त उद्यम की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के आनुपातिक बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर समेकित कर. विलोपन हिस्सेदारी के समतुल्य आनुपातिक आधार पर किया गया है. (ग) एएस-23 की इक्विटी विधि के अनुसार इसकी सहयोगी संस्थाओं को समेकित कर. अंतः समूह संव्यवहारों और शेष राशियों को समेकन पर समाप्त कर दिया गया है. सहायक संस्थाओं में मूल संस्था के निवेश की लागत तथा सहायक संस्थाओं/ सहयोगी संस्थाओं की इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से के अंतर को वित्तीय विवरण-पत्रों में साख/पूंजी रिज़र्व के रूप में दर्शाया गया है. समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में अल्पसंख्यक हित के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:

The financial statements of the Bank have been combined with: (a) its subsidiaries on a line by line basis by adding the book values of like items of assets, liabilities, income & expenses, (b) its joint venture on a line by line basis by consolidating the proportionate book values of like items of assets, liabilities, income and expenses. The elimination has been considered on proportionate basis equivalent to the stake. c) Its associates by consolidating as per Equity method as per AS-23. Intra Group transactions and balances have been

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

eliminated on Consolidation. The difference between cost to the parent of its investment in the subsidiaries and the parent's portion of the equity of the subsidiaries/associates is recognized in the financial statements as goodwill/ Capital Reserve Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

(क) सहायक संस्था में निवेश की तारीख को अल्पसंख्यकों से संबंधित इक्विटी की राशि; तथा
(a) The amount of equity attributable to the minorities at the date on which investment in a subsidiary is made; and

(ख) मूल संस्था-सहायक संस्था के संबंधों के अस्तित्व में आने के बाद से इक्विटी में अल्पसंख्यक के हिस्से में घट-बढ़.
(b) The minorities' share of movements in equity since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई संस्थाएं निम्नलिखित हैं :
The entities considered in the consolidated financial statements are:

क्र.सं. SN	कंपनी का नाम Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at 31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
अ) A)	**वित्तीय सहायक संस्थाएं: Financial Subsidiary Companies:**			
1)	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज़ लि. IDBI Capital Markets & Securities Limited	भारत India	100	100
2)	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड IDBI Asset Management Limited	भारत India	66.67	66.67
आ) B)	**गैर-वित्तीय सहायक संस्थाएं: Non-Financial Subsidiary Companies:**			
1)	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Limited.	भारत India	100	100
2)	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड IDBI MF Trustee Company Limited	भारत India	100	100
3)	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Limited	भारत India	54.70	54.70
इ) C)	**जीवन बीमा संयुक्त उद्यम: Life Insurance Joint Venture:**			
1)	एजिस फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड Ageas Federal Life Insurance Company Limited	भारत India	#0	#0
ई) D)	**सहयोगी संस्थाएं: Associate Companies:**			
1)	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. National Securities Depository Limited	भारत India	26.10	26.10
2)	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि. Biotech Consortium India Limited	भारत India	27.93	27.93
3)	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. North Eastern Development Finance Corporation Limited	भारत India	25	25
4)	पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कोरपोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल) Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited (PIPDICL)	भारत India	21.14	21.14

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने दिनांक 21 सितंबर 2022 को संयुक्त उद्यम (एजिस फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड) में अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया है. अतः एजिस फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड (25%) के वित्तीय विवरणों का समेकन 20 सितंबर 2022 तक ही किया गया है.

IDBI Bank Limited have sold its stake in Joint Venture (Ageas Federal Life Insurance Company Limited.) on September 21, 2022. Hence, Financials of Ageas Federal Life Insurance Company Limited (25%) has been consolidated upto September 20, 2022.

3 अनुमानों का उपयोग / Use of Estimates

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय की राशि और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करें. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं. तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव के साथ दर्शाया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that may affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

4 राजस्व निर्धारण / Revenue Recognition

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI Bank Limited

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि बैंक को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का मूल्यांकन विश्वसनीय रूप से किया जा सकता है.

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured.

i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, अनर्जक आस्तियों को छोड़कर जिनकी गणना रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली पर की जाती है.
Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of the RBI.

ii. साख पत्र (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है.
Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.

iii. शुल्क और कमीशन आय को आय के रूप में मान्यता तब दी जाती है जब देय हो और वसूली का उचित अधिकार स्थापित हो जाता है तथा इसका मूल्यांकन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता है. सिंडिकेशन / अरेंजर शुल्क को आय के रूप में मान्यता तब दी जाती है जब कोई महत्वपूर्ण कार्य/ माईलस्टोन पूरा हो जाता है.
Fees and commission income is recognized as income when due and reasonable right of recovery is established and can be reliably measured. Syndication / Arranger fee is recognized as income when a significant act / milestone is completed.

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है.
Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

v. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर उपचय आधार पर इसे हिसाब में लिया जाता है.
Dividend is booked on accrual basis when the right to receive is established.

vi. अनर्जक अग्रिमों (एनपीए)/तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गये (टीडब्ल्युओ) खातों के मामले में वसूली का विनियोजन निम्नलिखित ढंग से किया जाता हैः
The appropriation of recoveries in case of Non-Performing Advances (NPA)/ Technically Written-off (TWO) accounts is done in the following manner:

क. एनसीएलटी/ मध्यस्थता या विधिक कार्यवाही के तहत उधारकर्ताओं के संबंध में, वसूली को एनसीएलटी/मध्यस्थ/न्यायालय के सुसंगत आदेश के अनुसार विभाजित किया जाता है और विशिष्ट मामले या मामलों के समूह के संबंध में सांविधिक/विनियामक निर्देशों, यदि कोई जारी किये गये हो, के अनुसार किया जाता है.

a. In respect of borrowers under NCLT/Arbitration or Legal Proceedings, the recovery is apportioned in terms of relevant order of NCLT/ Arbitrator/ Court of Law and in accordance with statutory /regulatory directives if any issued in respect of a specific case or group of cases.

ख. ऐसे मामलों में जहां वसूली ऋण खातों के अंतिम खाताबंदी (गारंटर/अन्य पक्षों, यदि कोई हो, सहित ऋणदाता/ उधारकर्ता संबंध का विच्छेद) की ओर उन्मुख हो [एकमुश्त निपटान/बातचीत के जरिए निपटान/ दबावग्रसत ऋण एक्सपोजर के अंतरण/आईबीसी के माध्यम से वसूली (समाधान रीति/परिसमापन रीति के तहत) लेकिन वसूली के किसी अन्य तरीके के तहत कोई और विधिक वसूली-प्राधिकार उपलब्ध या प्रस्तावित न हो] को नीचे वर्णित अनुसार विनियोजित किया जाएगाः

b. In cases where recovery is leading to final closure (severance of lender /borrower relationship including with guarantors /third parties, if any) of loan accounts [by way of One time settlement /Negotiated settlement /transfer

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

of Stressed Loan Exposure/Recovery through IBC (under resolution mode/liquidation mode) but no further legal recourse is available or proposed through any other mode of recovery] shall be appropriated as mentioned below::

(i) मूलधन / Principal

(ii) अदत्त व्यय / पहले से ही उपगत/प्रदत्त व्यय / Unpaid Expenses/Expenses already incurred /paid.

(iii) ब्याज / दंडात्मक ब्याज / Interest / penal Interest

(iv) प्रभार (बकाया शुल्क/बीजी कमीशन) / Charges (Fees/BG commission outstanding).

ग. ऐसे मामलों में जहां वसूली के परिणामस्वरूप खातों को अंतिम रूप से बंद नहीं किया जाता है, संविदा की शर्तों के अनुसार विनियोजित किया जाएगा. जहां एनपीए में वसूली के विनियोजन के प्रयोजन के लिए बैंक और उधारकर्ता के बीच कोई स्पष्ट समझौता नहीं है, उसे नीचे बताए अनुसार विनियोजित किया जाएगा:

c. In cases where recovery not resulting in final closure of accounts, it shall be appropriated as per contractual terms. In absence of any clear agreement between bank and borrower for the purpose of appropriation of recoveries in NPAs, the same would be appropriated as mentioned below:

(i) अदत्त व्यय/ पहले से ही उपगत/प्रदत्त व्यय / Unpaid Expenses/Expenses already incurred /paid.

(ii) ब्याज / दंडात्मक ब्याज / Interest /penal Interest

(iii) प्रभार (बकाया शुल्क/बीजी कमीशन) / Charges (Fees/BG commission outstanding).

(iv) मूलधन / Principal

vii. बट्टे खाते में डाले गए ऋणों से वसूल की गई राशि को लाभ और हानि विवरण में आय के रूप में दर्शाया जाता है.
Amounts recovered against debts written off are recognized as income in the Statement of Profit & Loss.

viii. एनपीए के लिए प्रावधानों को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.
Provisions for NPA are recognized as an expense in the Statement of Profit & Loss.

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

i. कूपन वाली ऋण प्रतिभूतियों की एकमुश्त आधार पर खरीद अथवा बिक्री पर प्रदत्त अथवा प्राप्त कुल प्रतिफल को मूलधन प्रतिफल और उपचित ब्याज के रूप में अलग से निर्धारित किया जाता है. ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद पर उपचित ब्याज के रूप में प्रदत्त राशि तथा बिक्री पर प्राप्त राशि की निवल आधार पर गणना की जाती है और उसे ब्याज के रूप में व्यय अथवा आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
Total consideration paid or received on purchase or sale, on outright basis, of coupon-bearing debt securities is identified separately as principal consideration and accrued interest. Amount paid as accrued interest on purchase, and received on sale, of such securities is netted and reckoned as expense or income by way of interest.

ii. तुलन-पत्र की तारीख को धारित नियत कूपन वाली ऋण प्रतिभूतियों/ सावधि जमाओं पर ब्याज, खंडित अवधि के लिए कूपन दर/जमा दर पर उपचित होता है. अस्थिर दर वाली प्रतिभूतियों पर ब्याज निर्गम की शर्तों के अनुसार निर्धारित दरों पर उपचित होता है.
Interest on fixed coupon debt securities / fixed deposits, held as on the Balance Sheet date, is accrued for the broken period at the coupon rate / deposit rate. Interest on floating rate securities is accrued at rates determined as per the terms of the issue.

iii. निवेशों की बिक्री पर लाभ का निर्धारण निपटान की तारीख को होता है. यह अर्जन लागत पर बिक्री / मोचन आय का आधिक्य दर्शाता है. लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है. निवेशों की बिक्री पर लाभ की गणना निवेशों की बिक्री पर हुई हानि को समायोजित कर की जाती है.
Profit on Sale of Investments is recognized on the settlement date. It represents the excess of Sale / Redemption proceeds over the acquisition cost. Cost is determined on a weighted average basis. Profit on sale of Investments is netted with loss on sale of Investments.

iv. कंपनी द्वारा हामीदारी दिए गए निर्गमों के संदर्भ में इक्विटी शेयरों के न्यागमन को निवेश माना जाता है. इन निर्गमों पर हामीदारी आय को लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और इन्हें निवेशों के मूल्य में से समायोजित नहीं किया जाता.
Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten by the company are treated as investments. Underwriting income on these issues are credited to profit and loss account and not netted against the value of investments.

v. सेकंडरी मार्केट परिचालनों से अर्जित दलाली और कमीशन को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. ऑनलाइन पोर्टल परिचालनों पर दलाली को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. निर्गम की मार्केटिंग और संसाधन संग्रहण के संबंध में दलाली और कमीशन, सूचना की उपलब्धता की सीमा तक उपचित होता है.

Brokerage and commission earned on secondary market operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization are accrued to the extent of availability of information.

vi. मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग ऋणों के संबंध में ग्राहकों को प्रदान किए गए ऋणों के मामले में ब्याज का निर्धारण ग्राहकों से बकाया राशि और प्रयोज्य दर पर विचार करते हुए समय अनुपात आधार पर विलंबित भुगतान के रूप में किया जाता है.

Interest is recognised on delayed payments from customers on a time proportion basis in relation to the loans relating to the Margin Trading Funding provided to customers taking into account the amount outstanding from customers and the rates applicable.

vii. डिपॉजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन, टर्मिनल शुल्क और अन्य शुल्कों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.

Depository, Portfolio Management, terminal charges and other fees are accounted for on accrual basis.

viii. निर्गम प्रबंधन, ऋण समूहन तथा वित्तीय सलाहकारी सेवाओं से प्राप्त राजस्व की गणना ग्राहक के साथ किए गए करार की शर्तों के आधार पर की जाती है.

Revenue from issue management, loan syndication and financial advisory services is recognised as per terms of agreement with the client.

ix. लाभांश का निर्धारण तब किया जाता है जब तुलन-पत्र की तारीख को कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है.

Dividend is recognised when the company's right to receive payment is established by the balance sheet date.

x. किराये की आय को उपचय आधार पर निर्धारित किया जाता है.

Rent income is recognized on accrual basis.

xi. राजस्व में सेवा कर/जीएसटी, जहां भी वसूल किया गया है, शामिल नहीं है.

Revenue excludes Service Tax/GST, wherever recovered.

इ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Asset Management Limited

i. निवेश प्रबंधन शुल्क / Investment Management fees

निवेश प्रबंधन शुल्क का निर्धारण आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर जीएसटी को घटाकर इस प्रकार किया जाता है कि यह यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 ('विनियमनों') द्वारा विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न हो.

Investment Management fees are recognized net-off GST on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') as amended.

ii. अन्य आय / Other income

क. ब्याज आय को अवधि अनुपात आधार पर हिसाब में लिया जाता है. ब्याजयुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज कूपन दर पर उपचित होता है. ऐसे निवेशों की खरीद पर, अंतिम ब्याज देय होने की तारीख से खरीद की तारीख तक की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान को खरीद की लागत नहीं माना जाता है बल्कि इसे वसूली योग्य ब्याज माना जाता है. इसी प्रकार बिक्री के समय अंतिम ब्याज देय तारीख से बिक्री की तारीख तक की अवधि के लिए प्राप्त ब्याज को बिक्री मूल्य का भाग नहीं माना जाता है बल्कि इसे वसूला गया ब्याज माना जाता है.

a. Interest income is accounted for on period proportion basis. Interest on interest bearing securities is accrued on the coupon rate. On purchase of such investments, interest paid for the period from the last interest due date up to the date of purchase is not treated as a cost of purchase but is treated as interest recoverable. Similarly, interest received at the time of sale for the period from the last interest due date up to the date of sale is not treated as part of sale value but is treated as interest recovered.

ख. खरीद लागत निकालने के लिए फीफ़ो पद्धति का प्रयोग करते हुए क्रय-विक्रय की तारीख को निवेशों के विक्रय पर लाभ/हानि का निर्धारण लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

b. The profit/loss on the sale of investments is recognized in the statement of Profit and Loss on the trade date using the FIFO method for arriving at purchase cost.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ग. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है.

c. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established.

घ. सेवा शुल्क को सहमत शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर गणना में लिया जाता है.

d. Service charges are accounted for on accrual basis as per the agreed terms.

ई. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI MF Trustee Company Limited

i. ट्रस्टीशिप शुल्कः ट्रस्टीशिप शुल्क का निर्धारण आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर इस प्रकार किया जाता है कि यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (म्यूचुअल फंड) विनियमन, 1996 ('विनियमनों') तथा अन्य कोई संशोधन अथवा संबंधित योजनाओं के ऑफर डॉक्युमेंट में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न होने पाए.

Trusteeship fees: Trusteeship fees is recognized on accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') and any other amendments or offer document of the respective schemes.

ii. अन्य आयः निवेशों से आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है. खरीद लागत निकालने के लिए फीफ़ो पद्धति का प्रयोग करते हुए क्रय-विक्रय की तारीख को निवेशों के विक्रय पर लाभ/हानि का निर्धारण लाभ-हानि विवरण में किया जाता है.

Other income: Income from Investments is accounted on accrual basis. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established. Profit / loss on the sale of investments is recognized in the statement of Profit and Loss on the trade date using the FIFO method for arriving at purchase cost.

उ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
E. In case of IDBI Intech Limited

i. राजस्व मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर विकास और संबंधित सेवाओं तथा सॉफ्टवेयर उत्पादों के लाइसेंस से प्राप्त होता है. कंपनी कॉल सेंटर सेवाओं से भी राजस्व अर्जित करती है.

Revenue is primarily derived from software development and related services and from the licensing of the software products. The Company also generates revenue from call center services.

ii. सॉफ्टवेयर विकास और संबंधित सेवाओं के लिए ग्राहकों के साथ व्यवस्था या तो एक निश्चित मूल्य पर, या निश्चित समय सीमा या समय और सामग्री के आधार पर होती है.

Arrangement with customers for software development and related services are either on a fixed price, fixed-timeframe or on a time-and-material basis.

iii. समय और सामग्री संविदाओं पर राजस्व तभी निर्धारित किया जाता है जब संबंधित सेवाओं को निष्पादित कर दिया जाता है.

Revenues on time and material contracts are recognised when the related services are performed.

iv. निश्चित मूल्य और निश्चित समयबद्ध संविदाओं के मामले में, जहां माप या प्रतिफल की सामूहिकता के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है, वहाँ इन्हें संविदा के मूल्य और सेवा पूरी होने की पूर्णता पद्धति के प्रतिशत के आधार पर निकाला जाता है. जब माप या अंतिम सामूहिकता के बारे में अनिश्चितता होती है, वहाँ ऐसी अनिश्चितता का समाधान होने तक राजस्व आकलन स्थगित कर दिया जाता है.

In case of fixed price and fixed time framed contracts, where there is no uncertainty as to measurement or collectivity of consideration, are recognized using percentages of completion method of value of the contract and completed service. When there is uncertainty to the measurement or ultimate collectivity, revenue recognition is postpone until such uncertainty is resolved.

v. सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को माल की संपत्ति के हस्तांतरण अथवा प्रमुख लक्ष्य की प्राप्ति पर हिसाब में लिया जाता है.

Revenue from sale of software applications and products are recognized on transfer of property of goods or on achievement of milestone..

vi. वार्षिक तकनीकी सेवाओं (एटीएस) से प्राप्त राजस्व को उस अवधि के अनुपात में मान्यता दी जाती है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं.

Revenue from Annual Technical Services (ATS) are recognized proportionately over the period in which services are rendered.

vii. ग्राहक प्रशिक्षण, सॉफ़्टवेयर उत्पादों की बिक्री के कारण उत्पन्न होने वाली सहायता और अन्य सेवाओं से प्राप्त राजस्व को संबंधित सेवाओं के निष्पादन होने पर मान्यता दी जाती है.

Revenue from client training, support and other services arising due to the sale of software products is recognised as the related services are performed.

viii. अपूर्ण संविदाओं से अनुमानित नुकसान, यदि कोई हो, का प्रावधान उस अवधि में दर्ज किया जाता है जिसमें वर्तमान अनुमान के आधार पर ऐसे नुकसान संभावित होते हैं.

Provision for estimated losses, if any, from the incomplete contracts are recorded in the period in which such losses become probable based on the current estimate.

ix. पूर्ण किए गए कार्य के प्रतिशत के संविदा मूल्य में किसी भी संशोधन का प्रभाव उस वर्ष में परिलक्षित होता है जिसमें परिवर्तन ज्ञात होता है. निष्पादित सेवाओं के अग्रिम में प्राप्त या बिल की गई राशि को अनर्जित राजस्व के रूप में दर्ज किया जाता है. अन्य चालू आस्तियों में शामिल बिल न की गई सेवाएं संविदा की शर्तों के अनुसार बिलिंग से पहले की गई सेवाओं के आधार पर मानी जाती हैं. राजस्व को छूट/प्रोत्साहन घटाने के बाद रिपोर्ट किया जाता है.

The impact of any revision in contract value of the percentage of work completed is reflected in the year in which the change becomes known. Amount received or billed in advance of services performed are recorded as unearned revenue. Unbilled services included in other current assets represents amount recognized based on services performed in advance of billing in accordance with contract terms. Revenue is reported net of discount / incentive.

x. कॉल सेंटर से प्राप्त राजस्व इकाई कीमत वाली संविदाओं, समय आधारित संविदाओं, लागत आधारित संविदाओं और वचनबद्ध सेवाओं से प्राप्त होती है. ऐसे राजस्व को संबंधित सेवाओं की पूर्ति पर हिसाब में लिया जाता है और इसे ग्राहक के साथ हुई संविदा की निर्धारित शर्तों के अनुसार बिल में शामिल किया जाता है.

Revenue from call centre arises from unit priced contracts, time based contracts, cost based projects and engagement services. Such revenue is recognised on completion of the related services and is billed in accordance with the specific terms of the contract with the client.

xi. ब्याज आय को समय आनुपातिक आधार पर दर्शाया जाता है.

Interest Income is recognised on time proportion basis.

ऊ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में

F. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

i. कंपनी अपना राजस्व स्वीकृति शुल्कों, सेवा प्रभारों, दस्तावेजीकरण प्रभारों, लॉकर के किराए और बैंक सावधि जमाराशियों एवं म्यूचुअल फंडों में निवेश से आय के रूप में प्राप्त करती है जिनकी गणना उपचय आधार पर की जाती है.

The company derives its revenue from Acceptance Fees, Service Charges, Documentation Charges, Locker Rentals and Income from investments in Bank Fixed Deposit and Mutual Funds, which are accounted for on accrual basis.

ii. यदि बकाया देय राशियां अगले दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक वसूल नहीं की जाती हैं, तो समनुदेशनों को अनियमित समनुदेशनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इस प्रकार के अनियमित समनुदेशनों से आय को प्राप्ति के वर्ष में ही गणना में लिया जाता है. ऐसे अनियमित समनुदेशनों के प्रति पिछले वर्ष / वर्षों में बकाया किसी भी राशि को ऐसे निर्धारण वर्ष में अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है.

Assignments are to be classified as irregular assignments if any outstanding dues are not recovered till the end of next two financial years. Income in respect of such irregular assignments is accounted for in the year of receipt. Any previous year/s amounts outstanding against such irregular assignments are written off as bad debt in year of such determination.

iii. जब अंतिम वसूली अनिश्चित हो, तो अन्य ऋणों को अशोध्य व बट्टे खाते डाला गया समझा जाता है

Other Debts are considered as bad and written off when ultimate realisation is uncertain.

iv. वर्ष के अंत में अशोध्य ऋण प्रावधान की गणना निम्नानुसार तब की जाती है जब यह निश्चित हो जाए कि बकाया राशि की वसूली संदिग्ध है:

A bad debt provision is recognized at the year-end where it is ascertain that the outstanding dues are doubtful of recovery as under:

क. 18 माह से अधिक के देनदार - 75%

a. Debtors over 18 months – 75%

ख. जहां वसूली की संभावना नगण्य हो वहाँ मामला-दर-मामला आधार पर अतिरिक्त प्रावधान - 100%

b. Additional provision on case to case basis where chances of recovery is negligible - 100%

v. निवेश पर ब्याज आय को बकाया राशि तथा लागू ब्याज दर को हिसाब में लेते हुए समयानुपातिक आधार पर दर्शाया जाता है. इसे अन्य आय में शामिल किया जाता है.

Interest income on investment recognized on a time proportion basis taking into account amount outstanding and the applicable interest rate. It is included in other income.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

5 अग्रिम और प्रावधान: / Advances and Provisions

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है. विदेशी शाखाओं के संबंध में, ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण तथा एनपीए के प्रावधान स्थानीय नियमों के अनुसार या आरबीआई के मानदंडों के अनुसार, जो भी अधिक विवेकपूर्ण हो, के अनुसार किए जाते हैं.

Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by the RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances. In respect of foreign branches, the classification of loans and advances and provisions for NPAs are made as per the local regulations or as per the norms of the RBI, whichever is more prudent.

ii. जिन अग्रिमों के लिए मूर्त प्रतिभूति(बही ऋण सहित) को विनिर्दिष्ट की जाती है, उन्हें 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. जहां ऐसी प्रतिभूति विनिर्दिष्ट नहीं है, अग्रिमों को 'प्रतिभूति रहित' रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को 'मूर्त' नहीं माना जाता है.

Advances wherein a tangible security (including book debts) is stipulated are classified as 'Secured by Tangible Assets'. Where such security is not stipulated, advances are classified as 'Unsecured'. Any Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc. are not considered as Tangible.

iii. बैंक एक पुनर्संरचित खाते को एक ऐसा खाता मानता है, जहां बैंक, उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक या विधिक कारणों से, उधारकर्ता को ऐसी रियायतें देता है, जिन पर बैंक अन्यथा विचार नहीं करता. पुनर्संरचित में आम तौर पर अग्रिम/प्रतिभूतियों की शर्तों में संशोधन शामिल होता है, जिसमें आम तौर पर अन्य के साथ-साथ, चुकौती अवधि / चुकौती राशि / किस्तों की राशि / ब्याज दर में परिवर्तन शामिल होता है (प्रतिस्पर्धी कारणों के अलावा अन्य कारणों से). पुनर्संरचना के अनुमोदन और कार्यान्वयन पर ही बैंक द्वारा पुनर्संरचित खातों को वर्गीकृत किया जाता है.

The Bank considers a restructured account as one where the Bank, for economic or legal reasons relating to the borrower's financial difficulty, grants to the borrower concessions that the Bank would not otherwise consider. Restructuring would normally involve modification of terms of the advance / securities, which would generally include, among others, alteration of repayment period / repayable amount / the amount of instalments / rate of interest (due to reasons other than competitive reasons). Restructured accounts are classified as such by the Bank only upon approval and implementation of the restructuring package.

iv. एनपीए के लिए प्रबंधन द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं जो आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक प्रावधानों से अधिक होती हैं.

Provisions are made for NPAs as per the rates determined by the management which are higher than the minimum regulatory provisions stipulated by the RBI.

v. विशिष्ट मामलों/परिस्थितियों में प्रबंधन द्वारा एनपीए पर अतिरिक्त प्रावधान किए जाते हैं.

Additional provisions on NPAs are made by the management in specific cases/circumstances.

vi. मानक आस्तियों के लिए भी सामान्य प्रावधान किये जाते हैं. ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के तहत परिलक्षित होते हैं और निवल एनपीए निर्धारित करने के लिए इस पर विचार नहीं किया जाता है.

General provisions are also made for standard assets. These provisions are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others" and are not considered for arriving at the Net NPAs.

vii. बैंक चिन्हित दबावग्रस्त क्षेत्रों की मानक आस्तियों पर विनियामक न्यूनतम प्रावधान से अधिक दरों पर जोखिम मूल्यांकन के आधार पर दबावग्रस्त क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान भी कर रहा है.

Bank is also making additional provisions on stressed sectors based on risk assessment at rates higher than the regulatory minimum provision on standard assets of identified stressed sectors

viii. दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे और कोविड-19 से संबद्ध दबाव के लिए समाधान ढांचों के बारे में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार बैंक ने पात्र उधारकर्ताओं के लिए समाधान योजनाएं कार्यान्वित की हैं. आस्ति वर्गीकरण और उनके लिए आवश्यक प्रावधानीकरण रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है.

In accordance with the RBI guidelines on the prudential framework for resolution of stressed assets and the resolution frameworks for COVID-19 related stress and its Board approved policy, the Bank has implemented resolution plans for eligible borrowers. The asset classification and necessary provisioning thereon has been carried out in accordance with the said RBI guidelines.

ix. असहयोगी और इरादतन चूककर्ताओं के रूप में उधारकर्ताओं के वर्गीकरण के संबंध में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक त्वरित प्रावधान करता है. धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किये गये ऋणों को हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और प्रतिभूति के मूल्य पर विचार किये बिना तत्काल पूर्ण प्रावधान किया जाता है.

In respect of borrowers classified as non-cooperative and wilful defaulters, the Bank makes accelerated provisions as per extant RBI guidelines. Loans reported as fraud are classified as loss assets, and fully provided immediately without considering the value of security.

देश संबंधी जोखिम के लिए प्रावधान / Provision for Country Exposure

x. आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार धारित विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त, अलग-अलग देशों (गृह देश के अलावा) के एक्सपोजर के लिए भी प्रावधान किए जाते हैं. देशों को सात जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् महत्वहीन, निम्न, मध्यम, उच्च, बहुत उच्च, प्रतिबंधित और ऑफ-क्रेडिट तथा प्रावधान आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. यदि प्रत्येक देश के संबंध में बैंक का कंट्री एक्सपोजर (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है, तो ऐसे कंट्री एक्सपोजर पर कोई प्रावधान नहीं किया जाता है. तथापि यह प्रावधान तुलन-पत्र की अनुसूची 5 में "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के तहत परिलक्षित होता है.

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are also made for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorized into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit and provisioning is made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the Bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures. However, the provision is reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions – Others"

अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर / Unhedged Foreign Currency Exposure

xi. बैंक त्रैमासिक आधार पर आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएचएफसीई) वाली संस्थाओं के लिए वृद्धिशील पूंजी और प्रावधान रख रहा है. बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के लिए विदेशी मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की है जो बैंक की ऋण नीति में शामिल है.

The Bank is holding incremental capital and provisions for entities with un-hedged foreign currency exposure (UHFCE), in line with the RBI guidelines, on quarterly basis. Bank has a laid down process for managing foreign currency induced credit risk for its borrowers which is covered in Bank's Credit Policy.

6 निवेश / Investments

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI Bank Limited

क) वर्गीकरण
a) Classification

निवेश वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के बारे में रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

In terms of extant guidelines of the RBI on investment classification and valuation, the entire investment portfolio is categorized as

i परिपक्वता तक धारित / Held To Maturity,

ii बिक्री के लिए उपलब्ध तथा / Available For Sale and

iii क्रय-विक्रय के लिए धारित / Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है.

Investments under each category are further classified as

i. सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other Approved Securities

iii. शेयर / Shares

iv. डिबेंचर तथा बांड / Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम / Subsidiaries/ Joint Ventures

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, वेंचर कैपिटल फंड, पास थ्रू प्रमाणपत्र)
Others (Commercial Paper, Certificate of Deposits, Mutual Fund Units, Security Receipts, Venture capital funds, Pass through Certificate).

ख) वर्गीकरण का आधार
b) Basis of Classification

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ख) अल्पकालिक मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ उठाकर क्रय-विक्रय करने के इरादे से अर्जित निवेश को 'क्रय-विक्रय के लिए धारित(एचएफटी)' के तहत वर्गीकृत किया जाएगा. एचएफटी के तहत वर्गीकृत निवेश 90 दिनों के भीतर बेचे जाएंगे.

b) Investments acquired with the intention to trade by taking advantage of the short-term price/interest rate movements shall be classified under 'Held for Trading' (HFT). The investments classified under HFT shall be sold within 90 days.

ग) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम में इक्विटी निवेश को आम तौर पर 'परिपक्वता तक धारित' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, आवश्यकता आधारित समीक्षाओं के आधार पर, उन्हें आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में स्थानांतरित करने को छोड़कर. सहयोगियों में निवेश का वर्गीकरण उसके अधिग्रहण के समय किया जाता है.

c) Equity Investment in subsidiaries and joint venture are normally classified as 'Held To Maturity' except in case, on need based reviews, they are shifted to 'Available for Sale' category as per RBI guidelines. The classification of investments in associates is done at the time of its acquisition.

घ) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

d) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'. .

ङ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली एवं इनका मूल्यांकन रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.

e) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

ग) मूल्यांकन

c) Valuation

i. किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में: / In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेकेंडरी बाज़ार से खरीदे गए इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.

a) Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत/ बिक्री में शामिल नहीं किया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है.

b) Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.

ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.

c) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii. 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हों, अर्जन लागत पर दिखाया जाता है, ऐसे मामलों में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष बची अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है. निवेशों, जो एचटीएम के अंतर्गत शामिल हैं, के मूल्य में होने वाली किसी कमी (अस्थायी स्वरूप के अलावा) का निर्धारण किया जाता है और प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है.

Investments in 'Held To Maturity' category are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Any diminution (other than temporary) in the value of the investments, which are included under HTM, are recognized and provided individually for each investment.

iii. 'ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेशों के स्क्रिप-वार बाज़ार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है. हालांकि, उन निवेशों के संबंध में जिन्हें 'अनर्जक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है या निवेश जो ऋण के पुनर्संरचना/रूपांतरण से प्राप्त किए गए हैं, अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/प्रावधान को मूल्यवृद्धि से समायोजित नहीं किया जाता है.

Investments in 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored. However, in respect of investments which are classified as 'Non-Performing' or investments which are acquired out of restructuring/conversion of debt, the depreciation/provision is not set off against the appreciation in respect of other performing securities.

क) बट्टाकृत लिखत होने के कारण ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost.

ख) क्रय-विक्रय/ उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध क्रय-विक्रय/ भाव-सूची से लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the recognised stock exchanges.

ग) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों को बाज़ार मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत/ क्रय-विक्रय न की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन एफआईएमएमडीए/फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित कीमत पर किया जाता है. उद्धृत और गैर-उद्धृत, दोनों प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए एफबीआईएल दरों पर विचार किया जाता है.

c) Quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by FIMMDA/ Financial Benchmark India Pvt Ltd (FBIL). For both quoted as well as unquoted securities valuation, FBIL rates are considered.

घ) गैर-उद्धृत इक्विटी शेयर अर्थात् इक्विटी शेयर जिनके लिए वर्तमान कोटेशन उपलब्ध नहीं हैं या जहां शेयर एक्सचेंजों पर उद्धृत नहीं हैं, का मूल्यांकन ब्रेक-अप मूल्य पर किया जाएगा ('पुनर्मूल्यांकन रिजर्व', यदि कोई हो, पर विचार किए बिना) जिसका पता कंपनी की नवीनतम तुलन-पत्र से लगाया जाना है. जिस तारीख का नवीनतम तुलनपत्र तैयार किया गया है, वह मूल्यांकन की तारीख से 18 महीने से पहले का नहीं होगा. यदि नवीनतम लेखा परीक्षित तुलनपत्र उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी 1 रुपया होगा.

d) The unquoted equity shares i.e., equity shares for which current quotations are not available or where the shares are not quoted on the exchanges, shall be valued at break-up value (without considering 'revaluation reserves', if any) which is to be ascertained from the company's latest audited balance sheet. The date as on which the latest balance sheet is drawn up shall not precede the date of valuation by more than 18 months. In case the latest audited balance sheet is not available, the shares shall be valued at Re.1 per company, as per the relevant RBI master direction.

ङ) गैर-उद्धृत एमएफ इकाइयों में निवेश का मूल्यांकन प्रत्येक योजना के संबंध में एमएफ द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के आधार पर किया जाएगा. लॉक-इन अवधि या किसी अन्य निधि के मामले में, जहां पुनर्खरीद मूल्य/बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, इकाइयों का मूल्यांकन योजना के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाएगा. यदि एनएवी उपलब्ध नहीं है, तो लॉक-इन अवधि के अंत तक इनका मूल्यन लागत पर किया जाएगा.

e) Investment in un-quoted MF units shall be valued on the basis of the latest re-purchase price declared by the MF in respect of each scheme. In case of funds with a lock-in period or any other fund, where repurchase price/ market quote is not available, units shall be valued at Net Asset Value (NAV) of the scheme. If NAV is not available, these shall be valued at cost, till the end of the lock-in period.

च) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे मूल्य वृद्धि अंतर व वाईटीएम दरों को एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों के आधार पर लागू किया जाता है.

f) Unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FBIL.

छ) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम प्रावधान अपेक्षाओं के अधीन ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तदनुसार ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए प्राप्त निवल आस्ति मूल्य को हिसाब में लेता है.

g) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments subject to floor provision requirements as prescribed by the RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at the end of each reporting period.

ज) उद्धृत अधिमान्य शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत/ गैर-ट्रेडेड अधिमान्य शेयरों को परिपक्वता पर उचित प्रतिफल द्वारा मूल्यांकित किया जाता है जो रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अधिक नहीं होगा.

h) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per the RBI guidelines.

झ दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) में किए गए निवेश को परिपक्वता तक धारित श्रेणी में वर्गीकृत कर लागत पर मूल्यांकित किया जाता है.

i) Investment in Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF) is categorized as Held to Maturity and valued at cost.

ञ गैर-उद्धृत वेंचर कैपिटल निधि (वीसीएफ)/ वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) में निवेश, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, तीन साल की प्रारंभिक अवधि के लिए एचटीएम श्रेणी के तहत, बैंक के विवेक पर वर्गीकृत किया जाता है और इस अवधि के दौरान लागत पर मूल्यांकित किया गया है. इस तरह के निवेशों को संवितरण की तारीख से तीन साल की उक्त अवधि के पूरा होने के बाद एएफएस श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाता है और वीसीएफ द्वारा अपने वित्तीय विवरणों में दिखाए गए एनएवी पर मूल्यांकित किया जाता है. वर्ष में कम से कम एक बार, यूनिटों का मूल्यांकन वीसीएफ के नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर किया जाता है, यदि उपलब्ध हो या आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रति वीसीएफ 1 रूपये पर किया जाता है.

j) Investments in unquoted Venture Capital Fund (VCF)/Alternate Investments Funds (AIFs) are categorised, at the discretion of the Bank, under HTM category for an initial period of three years and valued at cost during this period, in accordance with the RBI guidelines. Such investments are transferred to the AFS category after completion of the said period of three years from the date of disbursement and valued at NAV shown by the VCF in its financial statements. At least once a year, the units are valued based on the latest audited financials of the VCF if available or at Re 1 per VCF as per the RBI guidelines.

ट पीटीसी निवेश वर्तमान में केवल एएफएस श्रेणी में धारित किए गए हैं तथा इनका मूल्यांकन परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) आधार पर केंद्र सरकार की समतुल्य परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों की वाईटीएम दरों पर उचित कीमत-लागत अंतर प्रभावी कर एवं एनबीएफसी बॉन्ड पर लागू कीमत-लागत अंतर के साथ किया जाता है. ऐसे मूल्य वृद्धि अंतर व वाईटीएम दरों को एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों के आधार पर लागू किया जाता है.हैं.

k) PTC investments are presently held only under AFS category and are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity and the spreads applicable are that of NBFC bonds. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by FBIL.

iv. निवेश की श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का हस्तांतरण आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.
Transfer of securities between categories of investments is accounted for as per the RBI guidelines.

v. निवेशों की बिक्री से लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है. तथापि, 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और उसके बाद वर्ष/ अवधि की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर सांविधिक रिजर्व से पूंजी रिजर्व खाते में अंतरित किया जाता है. बिक्री से हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. निवेशों को प्रावधान घटाकर दिखाया जाता है.
Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in 'Held to Maturity' category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes and transfer to statutory reserves to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account. Investments are stated net of provisions.

अनर्जक निवेश / Non-Performing Investments

अनर्जक निवेशों की पहचान की जाती है और रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर मूल्यह्रास प्रावधान किए जाते हैं. ऐसे अनर्जक निवेशों पर मूल्यह्रास/प्रावधान अन्य अर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यवृद्धि से समायोजित नहीं किए जाते हैं. अनर्जक निवेश पर ब्याज प्राप्त होने तक लाभ और हानि खाते में दर्शाया नहीं जाता है.

Non-performing investments are identified and depreciation provisions are made thereon based on the RBI guidelines. The depreciation / provision on such non-performing investments are not set off against the appreciation in respect of other performing securities. Interest on non-performing investments is not recognized in the Profit and Loss Account until received.

अधिविक्रय / Short Sale

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में अधिविक्रय लेनदेन करता है. अधिविक्रय स्थितियों को एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और बाज़ार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है. बाज़ार मूल्य को बही में अंकित करने से हुई हानि को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है और लाभ, यदि कोई हो, को रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में नहीं लिया जाता है.

The Bank undertakes short sale transaction Central Government dated securities in accordance with the RBI guidelines. The short positions are categories under HFT category and are marked to market. The mark-to-market loss is charged to profit and loss account and gain, if any, ignore as per the RBI guidelines.

घ) रेपो एवं रिवर्स रेपो लेन-देन

d) Repo and reverse repo transactions

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा ('एलएएफ') व सीमांत आपाती सुविधा ('एमएसएफ') के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन-देनों सहित) के रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः ऋण लेने व ऋण देने वाले लेन-देन के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देन पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with the RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

B. In case of IDBI Assets Management Limited

ऐसे निवेश जो तत्काल वसूली योग्य हैं और ऐसे निवेश करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए धारित नहीं किए जाने हैं, उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अन्य सभी निवेशों को दीर्घावधि निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. चालू निवेशों को लागत या उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है. दीर्घावधि निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है. तथापि, निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़कर, के संबंध में ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है. ऐसे घटाव का निर्धारण प्रत्येक निवेश के लिए किया जाता है. बांड की खरीद के दौरान भुगतान किए गए प्रीमियम को बांड की अवधि के दौरान परिशोधित नहीं किया जाता है और इसे खरीद की लागत के रूप में माना जाता है.

Investments which are readily realizable and are intended to be held for not more than one year from the date, on which such investments are made, are classified as current investments. All other investments are classified as long term investments. Current investments are carried at cost or fair value, whichever is lower. Long-term investments are carried at cost. However, provision for diminution is made to recognize a decline, other than temporary, in the value of the investments, such reduction being determined and made for each investment individually. Premium paid during purchase of bonds is not amortized during the tenure of bond and same is considered as cost of purchase.

इ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड के मामले में

C. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

ऐसे निवेश जो लंबे समय से धारित हैं, उन्हें गैर-चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. दीर्घावधि निवेश लागत पर दर्शाए जाते है. दीर्घावधि निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप से भिन्न कमी को दर्शाया जाता है. तरल निवेश को चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर दर्शाया जाता है.

Investments which are held for long term, same are classified as Non Current Investments. Long term investments are stated at cost. Decline in value of long term investment is recognised, if considered other than temporary. Liquid investments are classified as a current investment and are stated at cost.

ई. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में

D. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

i. निवेशों को गैर-चालू और चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. लाभांश तथा ब्याज के रूप में आय अर्जित करने के लिए तथा पूंजीगत मूल्यवृद्धि के प्रयोजनार्थ अर्जित तथा धारित प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय आस्तियों को गैर चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनका मूल्यांकन उनकी अर्जन लागत पर किया जाता है. उनके मूल्य में अस्थायी गिरावट से भिन्न गिरावट, यदि कोई हो, का निर्धारण किया जाता है. चालू निवेश को लागत या बाजार मूल्य में से कमतर पर दिखाया जाता है. मार्केट मेकर के रूप में बाज़ार निर्माण प्रक्रिया में अर्जित प्रतिभूतियों को धारिता-अवधि पर ध्यान दिये बिना चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

Investments are classified into non-current and current investments. Securities and other financial assets acquired and held for earning income by way of dividend and interest and for the purpose of capital appreciation are classified as

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

non-current investments and are valued at their cost of acquisition. Decline in their value other than temporary, if any, is recognized. Current investments are carried at lower of cost or market value. Securities acquired in the market making process as market maker are classified as Current Investments irrespective of the period of holding.

ii. अल्पावधि धारिता और ट्रेडिंग के उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूतियों को विक्रेय माल समझा जाता है और उसे चालू आस्तियों के रूप में माना जाता है.
Securities acquired with the intention of short-term holding and trading are considered as stock-in-trade and regarded as current assets.

iii. विक्रेय माल श्रेणीवार के रूप में धारित प्रतिभूतियों को लागत या बाजार/ उचित मूल्य में से कमतर पर मूल्यांकित किया जाता है. सिर्फ एकमुश्त लेन-देनों पर विचार करते हुए भारित औसत प्रणाली का अनुसरण कर लागत निकाली जाती है. बाज़ार मूल्य को वास्तविक क्रय-विक्रय के लिए बाजार भावों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और जहां ऐसे भाव उपलब्ध नहीं हैं वहाँ उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है, ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, समान परिपक्वता और साख स्थिति की प्रतिभूतियों पर आय-प्राप्ति के संदर्भ में और इक्विटी के मामले में उपलब्ध अंतिम तुलन-पत्र के अनुसार ब्रेक-अप मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति को अलग-अलग मूल्यांकित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति के लिए मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाता है और मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है.
Securities held as stock-in-trade category wise are valued at lower of cost or market/fair value. Cost is derived by following the weighted average method considering only outright transactions. Market value is determined based on market quotes for actual trades and where such quotes are not available, fair value is determined, in the case of debt securities, with reference to yields on securities of similar maturity and credit standing, and in the case of equities, with reference to the break-up value as per the last available balance sheet. Each security is valued individually. The depreciation, if any, for each security is provided and the appreciation, if any, is ignored.

iv. निवेश के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम को लिखत की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है.
Premium paid on government securities held as investment is amortized over the tenor of the instrument.

उ. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में
E. In case of IDBI MF Trustee Company Limited

निवेश / Investments

निवेशों को गैर-चालू और चालू निवेश में वर्गीकृत किया जाता है. लाभांश और ब्याज के रूप में आय अर्जित करने तथा पूंजी मूल्यवृद्धि के प्रयोजन के लिए अर्जित और धारित प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय आस्तियों को गैर-चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और अधिग्रहण की उनकी लागत पर मूल्यांकित किया जाता है. अस्थायी के अलावा उनके मूल्य में गिरावट, यदि कोई हो, को चिन्हित किया जाता है. चालू निवेश को लागत या बाजार मूल्य से कमतर पर दर्शाया जाता है.
Investments are classified into non-current and current investments. Securities and other financial assets acquired and held for earning income by way of dividend and interest and for the purpose of capital appreciation are classified as non-current investments and are valued at their cost of acquisition. Decline in their value other than temporary, if any, is recognized. Current investments are carried at lower of cost or market value.

7 व्युत्पन्न लेनदेन / Derivative Transactions

''व्युत्पन्न लेनदेनों में वायदा संविदा, स्वैप और विकल्प शामिल होते हैं जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाता है. वायदा, स्वैप और विकल्प को ट्रेडिंग या हेज लेनदेनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.''
"Derivative transactions comprise of forward contracts, swaps and options which are disclosed as contingent liabilities. The forwards, swaps and options are categorized as trading or hedge transactions."

'हेज' के रूप में नामित लेनदेनों में
In Transactions designated as 'Hedge'

क) तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं को हेज करने के लिए दर्ज किए गए स्वैप अनुबंधों को इस तरह से संरचित किया जाता है कि वे अंतर्निहित तुलन पत्र की मदों के साथ विपरीत और ऑफसेटिंग प्रभाव डालते हैं. ऐसे व्युत्पन्न लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों और देयताओं के बदलाव से संबंधित है और हेज लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है. बैंक लेन-देन की शुरूआत में ही हेज मद (आस्ति या देयता) की पहचान करता है.

a) The swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets and liabilities are structured such that they bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items. The impact of such derivative instruments is correlated with the movement of underlying assets and liabilities and accounted pursuant to the principles of hedge accounting. The Bank identifies the hedged item (asset or liability) at the inception of the transaction itself.

क) व्युत्पन्न लेन-देनों पर भुगतान योग्य/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

b) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ग) हेज स्वैपों के नियत समयपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/ हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर दर्शाया जाता है.

c) On premature termination of hedge swaps, any profits/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

घ) अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेजस्वैपों को पुनः अभिनामित करने को एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.

d) Re-designation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

ङ) हेज की प्रभावशीलता का पता हेज की शुरूआत के समय और उसके बाद समय-समय पर लगाया जाता है. 26 जून 2019 को जारी आरबीआई के परिपत्र के आधार पर 26 जून 2019 के बाद स्थापित हेज संबंधों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी व्युत्पन्न संविदाओं के लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार किया जाता है. उस तिथि से पहले स्थापित हेज रिश्तों के तहत स्वैप का हिसाब उपचय आधार पर किया जाता है और बाज़ार मूल्य को बही में दर्ज नहीं किया जाता है जब तक कि अंतर्निहित का बाज़ार मूल्य भी बही में दर्ज नहीं किया जाता है. बाज़ार मूल्य को बही में दर्ज किये गये हेज अनुबंधों के संबंध में, बाज़ार मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

e) Hedge effectiveness is ascertained at the time of the inception of the hedge and periodically thereafter. Based on the RBI circular issued on June 26, 2019, the accounting of hedge relationships established after June 26, 2019 is in accordance with the Guidance note on Accounting for Derivative Contracts issued by ICAI. The swaps under hedge relationships established prior to that date are accounted on an accrual basis and are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में / In Transactions designated as 'Trading'

क) 'ट्रेडिंग' के रूप में नामित बकाया व्युत्पन्न लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

a) Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

ख) एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ़) खंड में ट्रेडिंग के लिए नामित व्युत्पन्न लेन-देनों में मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और उनका नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों से हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माह के अंत की निपटान तारीख को लाभ- हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.

b) Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

ग) ''ट्रेडिंग'' के रूप में नामित रुपया व्युत्पन्न पर आय को वसूली आधार पर लाभ-हानि लेखे में दिखाया जाता है.

c) Income on Rupee Derivatives designated as "Trading" is recognised in the Profit and Loss Account on realisation basis.

घ) व्युत्पन्न संविदाओं के अंतर्गत कोई भी प्राप्यराशि, जो 90 दिन से अधिक अतिदेय रहती है, को लाभ-हानि लेखे के जरिये ''उचंत खाता क्रिस्टलीकृत प्राप्यराशियों'', में रिवर्स कर दिया जाता है.

d) Any receivable under derivative contracts, which remain overdue for more than 90 days, are reversed through Profit and Loss Account to "Suspense Account Crystallised Receivables".

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में / In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

क. फ्यूचर्स एवं विकल्पों में लेनदेन

A. Transactions in Futures and Options

i. फ्यूचर्स संविदा / विकल्पों की बिक्री करते समय देय प्रारंभिक मार्जिन को सावधि जमा, नकद जमा और प्रतिभूतियों के रूप में एक्सचेंजों के पास जमा के साथ समायोजित किया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Initial Margin payable at the time of entering into futures contract / sale of options is adjusted against the deposits with the exchanges in the form of fixed deposits, cash deposits and securities.

ii. फ्यूचर संविदाओं में लेन-देनों को संविदा के कल्पित व्यापार मूल्य पर खरीद और बिक्री के रूप में हिसाब में लिया जाता है. तुलन पत्र की तिथि को फ्यूचर्स में खुली संविदा को इसके कल्पित मूल्य से घटाया जाता है.

Transactions in Future contracts are accounted as Purchase and Sales at the notional trade value of the contract. The open interest in futures as at the Balance Sheet date is netted by its notional value.

iii. पिछले दिन के निपटान मूल्य या एक्सचेंज क्लोजिंग मूल्य और बाद के दिन के एक्सचेंज क्लोजिंग मूल्य में एक्सचेंज को किए गए या प्राप्त भुगतान अंतर को मार्क टू मार्केट मार्जिन के रूप में माना जाता है. मार्क टू मार्केट मार्जिन खाते में शेष, तुलन पत्र की तारीख तक फ्यूचर्स संविदाओं में खुली संविदा की कीमतों में बदलाव के आधार पर भुगतान या प्राप्त की गई निवल राशि को दर्शाता है. मार्क टू मार्केट मार्जिन खाते में निवल नामे शेष को राजस्व से प्रभारित किया जाता है जबकि निवल जमा शेष को चालू देयताओं के अंतर्गत दिखाया जाता है.

The difference in the settlement price or exchange closing price of the previous day and exchange closing price of the subsequent day, paid to or received from the exchange is treated as Mark to Market Margin. The balance in the Mark to Market Margin Account represents the net amount paid or received on the basis of movement in the prices of open interest in futures contracts till the balance sheet date. Net debit balance in the Mark to Market Margin Account is charged off to revenue whereas net credit balance is shown under current liabilities.

iv. विकल्पों की खरीद और बिक्री पर भुगतान या प्राप्त प्रीमियम और विकल्पों के प्रयोग पर भुगतान या प्राप्त अंतर को खरीद या बिक्री के रूप में गिना जाता है. तुलन पत्र की तारीख को बेचे गए विकल्पों में खुली संविदा के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके द्वारा तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित प्रीमियम उन विकल्पों के लिए प्राप्त प्रीमियम से अधिक हो जाता है. तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित प्रीमियम से अधिक प्राप्त प्रीमियम को मान्यता नहीं दी जाती है. इसी तरह, खरीदे गए विकल्पों के मामले में, उस राशि के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके द्वारा विकल्प के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित प्रीमियम से अधिक हो जाता है और भुगतान किए गए प्रीमियम पर तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित प्रीमियम की अधिकता को उपेक्षित कर दिया जाता है. कई खुली स्थितियों के मामले में, खरीद और बिक्री की स्थिति में शेष राशि को घटाने के बाद प्रावधान किया जाता है या अतिरिक्त प्रीमियम को उपेक्षित कर दिया जाता है.

Premium paid or received on purchase and sale of options and the difference paid or received on exercise of options is accounted as Purchases or Sales. In case of open interest in options sold as on the balance sheet date, provision is made for the amount by which premium prevailing on the Balance Sheet date exceeds the premium received for those options. The excess of premium received over the premium prevailing on the Balance Sheet date is not recognised. Similarly, in case of options bought, provision is made for the amount by which the premium paid for the option exceeds the premium prevailing on the Balance Sheet date and the excess of premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium paid is ignored. In case of multiple open positions, provision is made or excess premiums are ignored after netting off the balances in buy as well as sell positions.

ख. ब्याज दर स्वैप
B. Interest Rate Swaps

आस्ति और देयताओं में प्राथमिक डीलरशिप संचालन से संबंधित बंद किए गए परिचालनों के ब्याज दर स्वैप की कल्पित मूल राशि को घटाया जाता है. ब्याज दर स्वैप पर लाभ या हानि संविदा की शर्तों के अनुसार नियत तारीखों पर गणना की जाती है.

Assets and Liabilities in respect of notional principal amount of Interest Rate Swaps of the discontinued operations pertaining to Primary Dealership operations are netted. Gain or loss on Interest Rate Swaps is accounted for on due dates as per the terms of the contract.

8 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण प्रमाण पत्र / Priority Sector Lending Certificates

बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) की बिक्री या खरीद लेनदेन करता है. बिक्री लेनदेन के मामले में, बैंक आरबीआई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दायित्वों की पूर्ति बेचता है और खरीद लेनदेन के मामले में बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दायित्व की पूर्ति खरीदता है. जोखिम या ऋण आस्तियों का कोई अंतरण नहीं होता है. पीएसएलसी की बिक्री से प्राप्त शुल्क को विविध आय के रूप में दर्ज किया जाता है और पीएसएलसी की खरीद के लिए भुगतान किये गये शुल्क को लाभ-हानि खाते में अन्य व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है. इन्हें प्रमाणपत्र की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

The Bank enters into transactions for the sale or purchase of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs). In the case of a sale transaction, the Bank sells the fulfilment of priority sector obligation and in the case of a purchase transaction the Bank buys the fulfilment of priority sector obligation through the RBI trading platform. There is no transfer of risks or loan assets. The fee received for the sale of PSLCs is recorded as miscellaneous income and the fee paid for purchase of the PSLCs is recorded as other expenditure in Profit and Loss Account. These are amortised over the period of the Certificate.

9 स्थायी आस्तियां एवं मूल्यह्रास / Fixed Assets and Depreciation

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI Bank Limited

i. स्थायी आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर दिखाया जाता है. परिसर का मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यांकित राशि पर दर्शाया जाता है.
Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and the RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.

ii. पट्टा धारित परिसर में सुधार को लीज की शेष प्राथमिक अवधि में प्रभारित किया जाता है.
Improvements to lease hold premises are charged off over the remaining primary period of lease.

iii. आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने के बाद आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है.
Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets which have been put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

iv. पुनर्मूल्यन पर वृद्धि, यदि कोई हो, को पुनर्मूल्यन रिजर्व में जमा किया जाता है.
The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.

v. स्थायी आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना लागत अथवा आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन की स्थिति में पुनर्मूल्यांकित राशियों पर सीधी रेखा पद्धति से की जाती है.
Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued.

vi. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन-पत्र में पुनर्मूल्यन रिजर्व से सामान्य रिज़र्व में अंतरित किया जाता है.
In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet.

vii. 5000 रूपए से कम लागत की एकल स्थायी आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में पहले पूंजीकृत किया जाता है और फिर पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.
Fixed assets individually costing less than ₹ 5,000/- are first capitalized and then fully depreciated in the year of addition.

viii. मूर्त आस्तियों पर मूल्यह्रास का आबंटन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी में बताये अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल में किया जाता है. उपयोगी जीवन और शेष मूल्यों की आवधिक समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किसी आस्ति को अर्जित करते समय उस आस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है
Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate of the useful life of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on the management's estimate of useful life / remaining useful life.

ix. वर्ष के दौरान स्थायी आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अविध के लिए लगाया जाता है.
Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets are actually held.

x. स्थायी आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है: / The useful lives of Fixed assets are as follows:

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आस्ति Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में) Useful Life (in Years)
स्वामित्व वाले परिसर / Owned Premises	60
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture and fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी / Electrical installation and machinery	10
मोटर वाहन / Motor vehicles	8
कंप्यूटर / Computers	3
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण / VSAT equipment	6
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं / Consumer durables with employees	
क) फर्नीचर और फिक्सचर्स a) Furniture and fixtures	10
ख) पर्सनल कंप्यूटर b) Personal Computers	3

xi. लीज वाली भूमि को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है. लीजहोल्ड सुधारों को उसी आस्ति श्रेणी में पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है.

Leasehold land is amortized over the period of lease. Leasehold improvements are capitalized in the same asset category and amortized over period of lease. .

xii. ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले एकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत किया जाता है और इसे इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है जिसकी अवधि अधिकतम 6 वर्ष होती है.

Computer Software individually costing more than ₹ 2.50 lacs is capitalized and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Assets Management Limited

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को संचित मूल्यह्रास और ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर अर्जन/स्थापना लागत पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत और इच्छित उपयोग के लिए आस्ति को उसकी कार्यशील स्थिति में लाने की प्रत्यक्ष लागत शामिल है. प्रयोग में लाई जा रही आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इन आस्तियों से भावी लाभ/ कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि हो. मौजूदा आस्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव और कलपुर्जों के बदलाव की लागत सहित कुल खर्च को जिस अवधि में वे उपगत होते हैं उस अवधि में राजस्व के रूप में प्रभारित किया जाता है.

Property, plant and equipment are stated at cost of acquisition / installation and less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Cost comprises purchase price, borrowing costs if capitalisation criteria are met and directly attributable cost of bringing the asset to its working condition for the intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit/functioning capability from/of such assets. All expenses on existing assets, including repairs and maintenance and cost of replacement of parts are charged to revenue in the period in which they are incurred

ii. मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित रूप में सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) द्वारा किया जाता है. आस्तियों के मूल्यह्रास की दरें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल को ध्यान में रख कर तय की गई हैं. प्रबंधन के अनुमान के अनुसार यदि आस्तियों के अर्जन के समय अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल या इसके बाद की जाने वाली समीक्षा के आधार पर शेष उपयोगी जीवनकाल कम है तो मूल्यह्रास का निर्धारण उपयोगी जीवनकाल/ शेष जीवनकाल पर प्रबंधन के अनुमान के आधार पर उच्च दर पर किया जाता है. इस नीति के अनुसरण में निम्नलिखित दरों के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है:

Depreciation is provided on Straight Line Method (SLM) as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013. The rates of depreciation of assets have been arrived at after considering the useful life of the asset as per schedule II of the Companies Act 2013. If the management's estimate of the useful life of a fixed asset, at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/remaining useful life. Pursuant to this policy, depreciation has been provided using the following rates:

विवरण Description	उपयोगी जीवनकाल (वर्षों में) Useful life (in years)	अवशिष्ट मूल्य को छोड़कर मूल्यह्रास का प्रतिशत (%) Percentage of depreciation excluding salvage value (%)
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture & Fixtures	10.00	9.50
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	5.00	19.00
कंप्यूटर हार्डवेयर / Computer Hardware	3.00	33.33
संचार उपकरण Communication Equipment	3.00	33.33

iii. एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से अधिक की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत किया जाता है और 5 वर्ष की अवधि में मूल्यह्रासित किया जाता है, एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से कम की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को क्रय / अर्जन के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.

Computer software individually costing more than ₹ 2.50 lakhs is capitalized and depreciated over a period of 5 years, Computer software individually costing less than ₹ 2.50 lakhs is fully depreciated in the year of purchase/acquisition.

iv. कंपनी आस्ति के उपयोग में लाये जाने की तारीख से तथा बेची गई किसी आस्ति के लिए उसकी बिक्री तारीख तक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान करती है.

The Company provides pro-rata depreciation from the date the asset is put to use and for any asset sold until the date of sale.

v. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, सॉफ्टवेयर के अलावा, एकल रूप से ₹ 5,000 या उससे कम लागत को खरीद / अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रासित किया जाता है.

Property, plant and equipment, other than software, individually costing ₹ 5,000 or less are fully depreciated in the year of purchase / acquisition.

इ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Intech Limited

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को उनके संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन और ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर अधिग्रहण की लागत को दर्शाया जाता है. लागत में अभीष्ट उपयोग के लिए कार्यशील परिस्थितियों में लाने हेतु आस्ति के अधिग्रहण में हुए सभी व्यय शामिल होते हैं.

Property, Plant and Equipment's are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation / amortisation and impairment loss, if any. Cost includes all expenses incurred for acquisition of assets to bring them to working conditions for intended use.

ii. जो स्थायी आस्तियां रिपोर्टिंग तिथि को उनके इच्छित उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं, उनकी लागत को पूंजीगत चालू कार्य के रूप में दिखाया गया है.

The cost of the fixed assets that are not yet ready for their intended use at the reporting date are shown as capital work-in-progress.

iii. स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास और परिशोधन विशेषज्ञ तकनीकी सलाह / अधिनियम की अनुसूची II की शर्तों के आधार पर प्रबंधन द्वारा निर्धारित आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी-रेखा पद्धति पर किया जाता है. एकल रूप से ₹ 5,000/- से कम लागत वाली आस्तियों को खरीद के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रासित किया जाता है. वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई आस्ति पर मूल्यह्रास आनुपातिक रूप से प्रभारित किया जाता है.

Depreciation and amortisation on fixed assets is provided on straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as determined by the management based on the expert technical advice/stipulations of schedule II to the Act. Assets individually costing less than ₹ 5,000/- are fully depreciated in the year of addition. Depreciation on assets purchased / disposed off during a period is proportionately charged.

iv. निर्माण और स्थापना कार्य पूर्ण होने तक तथा आस्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने तक पूंजीगत चालू कार्य पर मूल्यह्रास दर्ज नहीं किया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Depreciation is not recorded on capital work-in-progress until construction and installation are complete and the asset is ready for its intended use.

v. मूल्यह्रास या परिशोधन विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में आवधिक रूप से की जाती है.
Depreciation or amortisation methods, useful lives and residual values are reviewed periodically at each year end.

आस्ति वर्ग Asset class	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल Estimated useful life
कंप्यूटर एवं सहायक उपकरण / Computer & accessories	
सर्वर एवं नेटवर्क / Servers & networks	6 वर्ष / 6 years
डेस्कटॉप एवं लैपटॉप / Desktops & laptops	3 वर्ष / 3 years
कार्यालय उपकरण / Office equipment's	
मोबाइल हैंडसेट / Mobile handsets	3 वर्ष / 3 years
अन्य उपकरण / Other equipment's	5 वर्ष / 5 years
शक्ति उपकरण / Power equipment's	10 वर्ष / 10 years
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स / Furniture & fixtures	10 वर्ष / 10 years
मोटर कार / Motor car	8 वर्ष / 8 years
विद्युत संस्थापनाएँ / Electrical installations	10 वर्ष / 10 years
अमूर्त आस्तियां / Intangible assets	5 वर्ष / 5 years

ई. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

स्थायी आस्तियों को अर्जन की मूल लागत तथा उनके अर्जन के संबंध में उपगत संस्थापना प्रभार पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य और आस्तियों को उनके अभीष्ट उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने से संबंधित लागत शामिल है. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार मूल्यह्रास निर्धारित दर पर अवलिखित मूल्य आधार पर प्रभारित किया जाता है. आस्ति के परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान ऐसे परिवर्धन की तारीख से और निपटान के लिए ऐसे निपटानों की तारीख तक किया जाता है. कम लागत वाली एकल आस्तियों (₹ 5000/- से कम राशि में अर्जित) को उनके अर्जन के वर्ष में मूल्यह्रासित किया जाता है.

Fixed assets are stated at original cost of acquisition plus installation charges incurred in connection with the acquisition. Cost comprises of purchase price and attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use. The depreciation is charged on Written down Value basis as prescribed in schedule II of the Companies Act 2013. The depreciation on the addition of the asset is provided from the date of such addition and for disposals up to the date of such disposals. Individual low cost assets (acquired for less than ₹ 5,000/-) are depreciated in the year of acquisition.

उ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज़ लिमिटेड के मामले में
E. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

i. संपत्ति की मदें, संयंत्र और उपकरण को आरंभ में लागत पर दर्शाया जाता है और तत्पश्चात संचित मूल्यह्रास तथा संचित ह्रासित हानि को घटाकर लागत पर दिखाया जाता है. संपत्ति की मदों, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम की अनुसूची II में निर्दिष्ट किए अनुसार उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल में उनकी मूल्यह्रास योग्य राशि पर सीधी रेखा पद्धति के द्वारा निम्नानुसार की जाती है:
Items of property, plant and equipment are initially recognised at cost and subsequently carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Depreciation on items of property, plant and equipment is calculated using the straight-line method to allocate their depreciable amounts over their estimated useful lives as specified in Schedule II to the Companies Act as follows:

आस्ति वर्ग Asset class	अनुमानित उपयोगी जीवनकाल Estimated useful life in years
भवन / Buildings	60 वर्ष / 60 years
कम्प्यूटर / Computers	3 वर्ष / 3 years
सर्वर्स एवं नेटर्वक / Servers & Networks	5 वर्ष / 5 years
फर्नीचर एवं फिक्सचर / Furniture & Fixtures	10 वर्ष / 10 years
कार्यालय उपकरण / Office Equipment's	5 वर्ष / 5 years
वाहन / Vehicles	5 वर्ष / 5 years

ii. सभी मूर्त आस्तियों, जिनका एकल मूल्य ₹ 5,000 से कम है, को आस्तियों की खरीद वाले वर्ष में ही तथा सक्रिय रूप से उपयोग से निवृत्त आस्तियों को पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है.

All Tangible Assets having individual value of less than ₹ 5,000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.

iii. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, जिनकी एकल लागत ₹ 5,000 अथवा इससे कम हो, को खरीद/अधिग्रहण वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है.

Property, Plant and Equipment, individually costing ₹ 5,000/ or less are fully depreciated in the year of purchase/ acquisition.

iv. संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अवशिष्ट मूल्यों और अनुमानित जीवनकाल की समीक्षा और समायोजन यथा उपयुक्त रूप से प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है. किसी भी संशोधन के प्रभाव को परिवर्तन होने पर लाभ या हानि में दिखाया जाता है.

The residual values and estimated useful lives of property, plant and equipment are reviewed, and adjusted as appropriate, at each balance sheet date. The effects of any revision are recognised in profit or loss when the changes arise.

ऊ. आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में
F. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Company Limited

स्वामित्व वाली आस्ति / **Owned Asset**

स्वयं के उपयोग के लिए रखी गई आस्तियों को उनके संचित मूल्यह्रास और ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मूल लागत पर दर्शाया जाता है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में क्रय मूल्य, शुल्क, कर और आस्तियों को उनके अभीष्ट उपयोग के लिए कार्य करने की स्थिति में लाने से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष लागत शामिल है.

Assets held for own uses are stated at original cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Cost of Property, plant and equipment comprises Purchase price, duties, levies and any directly attributable costs of bringing the assets to its working condition of the intended use.

आस्ति हेतु मूल्यह्रास योग्य राशि आस्ति की लागत या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि में से अनुमानित अवशिष्ट मूल्य घटाकर होती है.

Depreciable amount for asset is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its estimated residual value.

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवनकाल, नीचे वर्णित को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुरूप है और मूल्यह्रास की पद्धति नीचे बताई गई है:

The estimated useful life of Property, plant and equipment which except as stated hereunder is in line with schedule II to the Companies Act 2013 and the method of depreciation is set out here in below:

मोबाइल फोन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 5 साल का उपयोगी जीवनकाल निर्धारित है, जबकि कंपनी द्वारा आंतरिक रूप से प्राप्त तकनीकी सलाह के आधार पर इसे 3 साल की अवधि में मूल्यह्रासित किया जाता है.

For mobile phone the useful life is prescribed of 5 years under Companies Act, 2013, whereas it is depreciated for a period of 3 years based on the technical advice internally obtained by the company

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आस्तियां Assets	उपयोगी जीवनकाल Useful Life	मूल्यह्रास की पद्धति Method of Depreciation
संयंत्र एवं उपकरण / Plant & Equipment's	15 वर्ष / 15 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
फर्नीचर एवं फिटिंग्स / Furniture & Fittings	10 वर्ष / 10 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
विद्युत उपकरण / Electrical Equipment's	10 वर्ष / 10 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
वाहन / Vehicles	8 वर्ष / 8 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
कार्यालय उपकरण / Office Equipment's	5 वर्ष / 5 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
कम्प्युटर / Computers	3 वर्ष / 3 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
मोबाइल फोन / Mobile Phones	3 वर्ष / 3 years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method

10 प्रतिभूतीकरण लेनदेन / Securitization Transactions

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतीकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं ('एसपीवी') को बिक्री की जाती है, जो इसके बदले में निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक बिक्री के समय होने वाली किसी भी हानि के लिए तत्काल लेखांकन करता है और बिक्री से होने वाले लाभ/प्रीमियम को एसपीवी द्वारा, जिन्हें आस्तियां बेची गयी हैं, जारी की गयी या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.

Securitization of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognized when the control over the contractual rights in the securitized assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortized over the life of the securities issued/ to be issued by the SPV to which the assets are sold

11 प्रतिभूतीकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री
Sale of financial assets to Securitization Companies/Reconstruction Companies

प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्रतिभूति रसीद (एसआर)/ पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के मोचन मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य में से कमतर पर की जाती है.

Sale of financial assets to Securitization Companies (SCs) / Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

पूरी तरह से प्रावधान की गई आस्तियों और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए मामलों में प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की बैंक की निवेश बही में एक रुपये के रूप में गणना की जाती है.

In case of sale of assets which are fully provided and Technically Written off, the Security Receipts (SRs) are reckoned at Rupee one in the investment book of the Bank.

यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य(एनबीवी)(अर्थात् बही मूल्य में से धारित प्रावधान हटाकर) से कम मूल्य पर किया जाता है तो कमी को उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में डेबिट किया जाता है.

In case the sale value is at a price below the Net Book Value (NBV) (i.e., book value less provision held), the shortfall is be debited to the profit and loss account of that year.

यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक है तो आधिक्य प्रावधान को राशि के प्राप्त होने वाले वर्ष में ही प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है. तथापि, आधिक्य प्रावधान का ऐसा प्रत्यावर्तन आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकद राशि तक सीमित है.

In case, sale value is higher than the NBV, the excess provision is reversed to the profit and loss account in the year in which cash amounts are received. However, such reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

12 विदेशी मुद्रा लेनदेन / Foreign Currency Transactions

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI Bank Limited

i. विदेशी मुद्रा लेनदेनों को आरंभिक अभिनिर्धारण पर लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं की गई हैं, की शुरूआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.

Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized.

iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं हैं, का फेडाई की अंतिम दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है..

Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profits/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.

iv. वायदा विनिमय संविदाओं के समय से पहले समाप्त होने पर होने वाले लाभ/हानि, साथ ही परिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तिथि पर लाभ और हानि के विवरण में दिखाया जाता है.

Profits/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, are recognized in the statement of profit & loss on the date of termination.

v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की बंद दरों पर की जाती है.

Contingent liabilities in respect of outstanding forward exchange contracts are calculated at the contracted rates of exchange and those in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेशी शाखा के परिचालनों को 'गैर-एकीकृत विदेशी परिचालन' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनों के मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तारीख को फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर रूपांतरित किया जाता है, आय और व्यय मदों का त्रैमासिक औसत दरों पर रूपांतरित किया जाता है और विनिमय अंतरों से उत्पन्न परिणामी लाभ / हानि को विदेशी मुद्रा विनिमय खाते में तब तक संचय किया जाता है जब तक कि *एएस-11, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव और आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों* के अनुसार गैर-एकीकृत विदेशी परिचालनों का निपटान नहीं किया जाता है.

Operations of foreign branch are classified as `Non-Integral Foreign Operations'. Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the Balance Sheet date, Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates and the resulting profit / loss arising from exchange differences are accumulated in the Foreign Currency Translation Account until disposal of the non-integral foreign operations in accordance with *AS-11, The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates* and the extant RBI guidelines.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Assets Management Limited

विदेशी मुद्रा लेनदेनों को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के दौरान निपटान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेनों के कारण होने वाले विनिमय अंतर, यदि कोई हो, को लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transactions. Exchange difference, if any, arising out of the foreign exchange transactions settled during the year are recognized in the statement of Profit and Loss.

इ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

विदेशी मुद्रा लेनदेनों को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग बंद विनिमय दर का प्रयोग करते हुए की जाती है. उन पर उत्पन्न होने वाले तथा विदेशी मुद्रा की वसूली/भुगतान पर होने वाले विनिमय अंतर को संबंधित वर्ष में आय या व्यय के रूप में दिखाया जाता है.

Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction. At the year end, monetary items denominated in foreign currency are reported using the closing rate of exchange. Exchange difference arising thereon and on realization / payments of foreign exchange are accounted as income or expenses in the relevant year.

ई. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI Intech Limited

विदेशी मुद्रा में लेनदेनों को लेनदेन के समय प्रभावी विनिमय की मूल दर पर दर्ज किया जाता है. विदेशी मुद्रा लेनदेनों के निपटान से उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में दिखाया जाता है. विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों को तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग कर पुनःदर्शाया किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप होने वाले निवल विनिमय अंतर को लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है.

Transactions in foreign currency are recorded at the original rate of exchange in force at the time transactions are effected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Profit and Loss. Monetary items denominated in foreign currency are restated using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting net exchange difference is recognized in the Statement of Profit and Loss.

मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली अस्थिरता को न्यूनतम करने की दृष्टि से, कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा संविदाएं निष्पादित करती है. वायदा विनिमय संविदाएं और अन्य समान लिखत जो पूर्वानुमानित लेनदेनों के संबंध में नहीं हैं, उन्हें लेखांकन मानक ('एएस') 11 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' में दिये गये दिशानिर्देशों का उपयोग करते हुए लेखांकित किया गया है. इन वायदा विनिमय संविदाओं और एएस-11 द्वारा कवर किए गए अन्य समान लिखतों के संबंध में संविदा की प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर या तो संविदाओं को रिपोर्टिंग तिथि पर वायदा दर/उचित मूल्य के आधार पर दर्ज किया जाता है, या रिपोर्टिंग तिथि पर स्पॉट विनिमय दर के आधार पर दर्ज किया जाता है.

With a view to minimize the volatility arising from fluctuations in currency rates, the Company enters into foreign exchange forward contracts. Forward exchange contracts and other similar instruments that are not in respect of forecasted transactions are accounted for using the guidance in Accounting Standard ('AS') 11, 'The effects of changes in foreign exchange rates'. For such forward exchange contracts and other similar instruments covered by AS-11, based on the nature and purpose of the contract, either the contracts are recorded based on the forward rate/fair value at the reporting date, or based on the spot exchange rate on the reporting date.

उ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड के मामले में
E. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

विदेशी मुद्रा में लेनदेनों को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों को लागू कर बहियों में दर्ज किया जाता है. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं में मूल्यवर्गित सभी मौद्रिक मदों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर पुनः दर्शाया जाता है. निपटान या लेनदेन पर विनिमय अंतर के कारण आय या व्यय को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Transactions in foreign currencies are recorded in the books by applying the exchange rates prevailing on the date of the transaction. All monetary items denominated in foreign currency assets and liabilities are restated at the exchange rate prevailing at the year end. Any income or expense on account of the exchange difference either on settlement or on transaction is recognized in the profit & loss account.

ऊ. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में
F. In case of IDBI MF Trustee Company Limited

विदेशी मुद्राओं में लेन-देनों को लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया जाता है. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर पुनः दर्शाया जाता है. विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होने वाले सभी लाभ और हानियों को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है.

Transactions in foreign currencies are accounted for at the prevailing rates of exchange on the date of transaction. Foreign currency monetary items are restated at the prevailing rates of exchange as at the Balance Sheet date. All gains and losses arising out of fluctuations in exchange rates are accounted for in the Statement of Profit and Loss.

13. कर्मचारी लाभ / Employee Benefits

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI Bank Limited

(i) पेंशन / Pension

परिभाषित लाभ योजना के तहत पेंशन के लिए पात्र कर्मचारियों के समूह को देय पेंशन के संबंध में, बैंक अपने द्वारा स्थापित और न्यासी बोर्ड द्वारा प्रशासित पेंशन फंड ट्रस्ट को वेतन का 10% योगदान देता है. बैंक प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को पेंशन देयता के एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता में कमी के लिए अतिरिक्त राशि का योगदान देता है, जिसकी गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, नौकरी छोड़ने की दर, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है. प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके देयता / परिभाषित लाभ निर्धारित किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि लेखे में उस अवधि के लिए दिखाया जाता है जिसमें वे होते हैं.

In respect of Pension payable to the group of employees who are eligible for Pension under Defined Benefit Scheme, Bank contributes 10% of pay to Pension Fund Trust set up by the Bank and administered by the Board of Trustees. Bank further contributes for an additional amount towards the liability shortfall, based on an independent Actuarial valuation of Pension liability at each Balance Sheet date which is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate. The liability / defined benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

(ii) नई पेंशन योजना (एनपीएस) / New Pension Scheme (NPS)

नई पेंशन योजना(एनपीएस) के तहत कवर किए गए कर्मचारियों के संबंध में, बैंक परिभाषित योगदान योजना में कर्मचारियों के वेतन का एक निश्चित प्रतिशत योगदान देता है, जिसे पेंशन फंड कंपनियों द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाता है. बैंक का इसके योगदान के अलावा कोई दायित्व नहीं है और इस तरह के योगदान को वर्ष में किए गए खर्च के रूप में मान्यता देता है.

In respect of the employees covered under New Pension Scheme (NPS), Bank contributes a certain percentage of the Salary of employees to the defined scheme, a defined contribution plan, which is managed and administered by Pension Fund companies. Bank has no liability other that its contribution and recognizes such contribution as an expense in the year incurred.

(iii) क्षतिपूरित अनुपस्थितियां / Compensated Absences

बैंक के कर्मचारी विभिन्न क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के हकदार हैं. कर्मचारी अप्रयुक्त उपचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति के एक हिस्से को आगे ले जा सकते हैं और भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं या निर्दिष्ट दिनों तक कुछ प्रकार की अप्रयुक्त उपचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति के लिए सेवानिवृति या रोजगार की समाप्ति पर नकद प्राप्त कर सकते हैं. बैंक एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा तुलन पत्र की तारीख को किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर क्षतिपूरित अनुपस्थिति के लिए दायित्व उपचित करता है, मूल्यांकन में जनसांख्यिकी, समयपूर्व सेवानिवृति, वेतन वृद्धि, ब्याज दरों और छुट्टी के उपयोग के बारे में धारणाएं शामिल हैं. बैंकों के दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य तुलन-पत्र की तारीख को प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है. बीमांकिक लाभ/ हानि को उस वर्ष के लाभ और हानि लेखे में दिखाया जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

The employees of the Bank are entitled to various compensated absences. The employees can carry forward a portion of the unutilized accrued compensated absence and utilize it in future periods or receive cash compensation at retirement or termination of employment for certain types of unutilized accrued compensated absence upto specified number of days. The Bank accrues the liability for compensated absences based on the actuarial valuation as at the Balance Sheet date conducted by an independent actuary which includes assumptions about demographics, early retirement, salary increases, interest rates and leave utilization. The net present value of the Banks' obligation is determined using the Projected Unit Credit Method as at the Balance Sheet date. Actuarial gains / losses are recognized in the Profit and Loss Account in the year in which they arise.

(iv) स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस) / Voluntary Health Scheme (VHS)

बैंक की एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना (वीएचएस) है जो विभिन्न ग्रेड के कर्मचारियों के लिए निर्धारित सीमा (घरेलू और अस्पताल में भर्ती) के अनुसार कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चों (जो लागू हो) की सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करती है. यह योजना स्वैच्छिक थी और सदस्यता के लिए बंद कर दी गई है. इसके अलावा, बैंक तुलन पत्र की तारीख को इस योजना के लिए एक स्वतंत्र बीमांकिक

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

मूल्यांकन के आधार पर कमी राशि के लिए अतिरिक्त राशि का योगदान देता है, जिसकी गणना अवधि में फंड के वास्तविक उपयोग और उन लोगों के लिए शेष सीमा के आधार पर की जाती है जिन्होंने योजना में अभिदान किया है.

The Bank has a Voluntary Health Scheme (VHS) which caters to the post-retirement medical needs of the employees and their spouse & dependent children (as applicable) as per the limits (domiciliary and hospitalization) set for various Grades of employees. This scheme was optional and has been closed for subscription. Further, Bank contributes for an additional amount towards the shortfall amount based on an independent actuarial valuation for this scheme as on Balance Sheet date which is calculated based on the actual utilization of the fund for the period and the balance limits for those who have subscribed to the scheme.

(v) **ग्रेच्युटी / Gratuity**

बैंक का ग्रेच्युटी के लिए दायित्व है. यह एक परिभाषित सेवानिवृत्ति लाभ योजना है जिसमें सभी पात्र कर्मचारियों को इस्तीफा, सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या रोजगार की समाप्ति पर शामिल किया गया है. बैंक आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट में योगदान देता है, जिसे ट्रस्टियों द्वारा प्रशासित किया जाता है. जिन कर्मचारियों ने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है लेकिन 10 साल से कम हो, उन्हें ग्रेच्युटी अधिनियम के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है. ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए ग्रेच्युटी अधिनियम के नियमों के अलावा बैंक के पास ग्रेच्युटी नियम, 2004 का एक अलग सेट है. ग्रेच्युटी नियम, 2004 उन कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिन्होंने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है और उनके लिए ग्रेच्युटी की गणना के लिए एक अलग पद्धति है. ऐसे कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गणना ग्रेच्युटी अधिनियम और ग्रेच्युटी नियम दोनों के अनुसार की जाती है और जो भी कर्मचारी के लिए फायदेमंद हो, उसका भुगतान किया जाता है.

The bank has an obligation towards gratuity, a defined benefit retirement plan covering all eligible employees on resignation, retirement, death while in employment or on termination of employment. The Bank makes contributions to IDBI Bank Employees' Gratuity Fund Trust, administered by the Trustees. The employees who have completed 5 years of service but less than 10 years, Gratuity is paid as per Gratuity Act. Bank has a separate set of Gratuity Rules, 2004 apart from the rules as per Gratuity Act for payment of Gratuity. The Gratuity Rules, 2004 are applicable to those employees who have completed 10 years of service period and has a separate methodology for calculation of Gratuity. For such employees gratuity is calculated as per both Gratuity Act and Gratuity Rules and are paid the amount whichever is beneficial to employee.

बैंक त्रैमासिक आधार पर ग्रेच्युटी देयता के स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर देयता में कमी के लिए योगदान देता है, जिसकी गणना जनसांख्यिकी, वेतन वृद्धि, नौकरी छोड़ने की दर, मृत्यु दर और छूट दर के बारे में कुछ मान्यताओं के आधार पर की जाती है. प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके देयता / परिभाषित लाभ निर्धारित किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में उस अवधि में दिखाया जाता है जिसमें वे होते हैं.

Bank contributes towards the liability shortfall, based on an independent Actuarial Valuation of Gratuity liability on a quarterly basis which is calculated based on certain assumptions about demographics, salary increase, attrition rate, mortality rate and discounting rate. The liability / defined benefit is determined using the Projected Unit Credit Method. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

(vi) **भविष्य निधि / Provident Fund**

बैंक एक अलग ट्रस्ट (आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट) को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करता है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है. वर्ष के लिए निधि में योगदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है तथा लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है. बैंक का दायित्व ऐसे निश्चित योगदान करना तथा भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट (ईपीएफ़ओ दरों) के अनुसार सदस्यों के लिए न्यूनतम रिटर्न दर सुनिश्चित करना है. ईपीएफ़ओ प्रतिलाभ दर से मेल खाने के लिए फंड की आस्तियों में कमी, यदि कोई हो, जो स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है तो उसे बैंक द्वारा पूरा किया जाता है और लाभ एवं हानि लेखे से प्रभारित किया जाता है.

The Bank pays fixed contribution to the provident fund at predetermined rates to a separate trust (IDBI Bank Employees Provident Fund Trust), which invests the funds in permitted securities. The contributions to the fund for the year are recognized as expense and are charged to the Profit and Loss Account. The obligation of the Bank is to make such fixed contributions and to ensure a minimum rate of return to the members as specified by the Government of India (EPFO rates). Shortfall in the fund assets to match EPFO rate of return, if any, determined based on the independent actuarial valuation, is made good by the bank and charged to the Profit and Loss Account.

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

a. परिभाषित योगदान योजनाएं / Defined contribution plans

कंपनी की भारत में भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि के रूप में रोजगार के बाद के लाभों के लिए परिभाषित योगदान योजनाएं हैं जो भारत सरकार और/या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित हैं. योगदान को उस वर्ष के लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है जब संबंधित निधियों में योगदान देय होता है.

The Company has defined contribution plans for post-employment benefits in the form of provident fund and superannuation fund in India which are administered through Government of India and/or Life Insurance Corporation of India (LIC). Contributions are charged to the Profit & Loss Account of the year when the contributions to the respective funds are due.

b. परिभाषित लाभ योजनाएं / Defined benefit plans

i. ग्रेचुटी / Gratuity

कंपनी की भारत में अपने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी के रूप में रोजगार के बाद के लाभों के लिए परिभाषित लाभ योजनाएं हैं. कंपनी की ग्रेच्युटी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित है. तुलनपत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किये गये बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए देयता का प्रावधान किया जाता है. देयता को मापने के लिए स्वतंत्र बीमांकक द्वारा उपयोग की जाने वाली बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड है. बीमांकिक लाभ / हानि को तुरंत लाभ और हानि लेखे में ले जाया जाता है और आस्थगित नहीं किया जाता है.

The Company has defined benefit plans for post-employment benefits in the form of gratuity for its employees in India. The gratuity scheme of the Company is administered through Life Insurance Corporation of India (LIC). Liability for defined benefit plans is provided on the basis of actuarial valuations, as at the Balance Sheet date, carried out by an independent actuary. The actuarial valuation method used by independent actuary for measuring the liability is the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account and are not deferred.

ii. क्षतिपूरित अनुपस्थितियां / Compensated absences

कंपनी के कर्मचारी कंपनी की नीति के अनुसार क्षतिपूरित अनुपस्थिति के रूप में अन्य दीर्घकालिक लाभ के भी हकदार हैं. कंपनी की नीति के अनुसार ऊपरी सीमा से अधिक अवकाश शेष के लिए वार्षिक आधार पर कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण दिया जाता है. सेवानिवृत्ति के समय, रोजगार के दौरान मृत्यु या रोजगार की समाप्ति पर अवकाश नकदीकरण कंपनी की नीति के अनुसार एक ऊपरी सीमा के अधीन संचित अवकाश शेष के दिनों की संख्या के लिए देय वेतन के बराबर निहित है. इस तरह के लाभ के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है, जिसका निर्धारण तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किया जाता है. कंपनी की छुट्टी नकदीकरण योजना को जीवन बीमा कंपनी (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित किया जाता है. देयता को मापने के लिए स्वतंत्र बीमांकक द्वारा उपयोग की जाने वाली बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड है. बीमांकिक लाभ / हानि को तुरंत लाभ और हानि लेखे में ले जाया जाता है और आस्थगित नहीं किया जाता है.

The employees of the Company are also entitled for other long-term benefit in the form of compensated absences as per the policy of the Company. Leave encashment vests to employees on an annual basis for leave balance above the upper limit as per the Company's policy. At the time of retirement, death while in employment or on termination of employment leave encashment vests equivalent to salary payable for number of days of accumulated leave balance subject to an upper limit as per the Company's policy. Liability for such benefit is provided on the basis of actuarial valuations, as at the Balance Sheet date, carried out by an independent actuary. The leave encashment scheme of the company is administered through Life Insurance Company (LIC). The actuarial valuation method used by independent actuary for measuring the liability is the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the profit and loss account and are not deferred.

iii. अल्पकालिक कर्मचारी दायित्व / Short Term Employee Obligations

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं.

Short-term employee benefits are recognized as an expense in the statement of profit & loss of the year in which the employee rendered the services.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

इ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Intech Limited

क. रोजगार के बाद के लाभ
a. Post-employment benefits

कंपनी विभिन्न कर्मचारी लाभ योजनाओं में भाग लेती है. पेंशन और रोजगार के बाद के अन्य लाभों को परिभाषित योगदान योजनाओं या परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

The Company participates in various employee benefit plans. Pensions and other post-employment benefits are classified as either defined contribution plans or defined benefit plans.

परिभाषित योगदान योजना के तहत, कंपनी का एकमात्र दायित्व निश्चित राशि का भुगतान करना है तथा यदि निधि में सभी कर्मचारी लाभों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त आस्तियां नहीं है तो आगे योगदान का भुगतान करने की कोई बाध्यता नहीं है. संबंधित बीमांकिक और निवेश जोखिम कर्मचारी द्वारा वहन किए जाते हैं. परिभाषित योगदान योजनाओं के व्यय को उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में दर्शाया जाता है जिसमें कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.

Under a defined contribution plan, the Company's only obligation is to pay a fixed amount with no obligation to pay further contributions if the fund does not hold sufficient assets to pay all employee benefits. The related actuarial and investment risks are borne by the employee. The expenditure for defined contribution plans is recognized as an expense during the period when the employee provides service.

परिभाषित लाभ योजना के तहत, कर्मचारियों को सहमत लाभ प्रदान करने का कंपनी का दायित्व है. संबंधित बीमांकिक और निवेश जोखिम कंपनी द्वारा वहन किए जाते हैं. परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य की गणना एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके की जाती है. बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में पूर्ण रूप से दर्शाया जाता है जिसमें वे होते हैं.

Under a defined benefit plan, it is the Company's obligation to provide agreed benefits to the employees. The related actuarial and investment risks are borne by the Company. The present value of the defined benefit obligations is calculated by an independent actuary using the projected unit credit method. Actuarial gains and losses are recognized in full in the Statement of Profit and Loss for the period in which they occur.

पिछली सेवा लागत को तुरंत उस सीमा तक दर्शाया जाता है जिस समय तक लाभ पहले से ही निहित हैं, और अन्यथा एक सीधी रेखा के आधार पर औसत अवधि में परिशोधन किया जाता है जब तक कि लाभ निहित नहीं हो जाते.

Past service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and otherwise is amortized on a straight line basis over the average period until the benefits become vested.

तुलन पत्र में सेवानिवृत्ति लाभ देयता परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को दर्शाती है तथा इसे योजना की आस्तियों के उचित मूल्य से घटा कर गैर-मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत से समायोजित किया जाता है. इस गणना के परिणामस्वरूप होने वाली कोई भी आस्ति परिभाषित लाभ देयता के रूप में निर्धारित राशि और उपलब्ध रिफंड के वर्तमान मूल्य और / या योजना में भविष्य के योगदान में कमी, जो भी कम हो, तक सीमित है.

The retirement benefit liability recognized in the balance sheet represents the present value of the defined benefit obligation as adjusted for unrecognized past service cost, as reduced by the fair value of scheme assets. Any asset resulting from this calculation is limited to the lower of the amount determined as the defined benefit liability and the present value of available refunds and /or reduction in future contributions to the scheme.

ख. अल्पकालिक कर्मचारी लाभ
b. Short term employee benefits

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले भुगतान की जाने वाली अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस वर्ष के दौरान व्यय के रूप में दर्शाया जाता है जब कर्मचारी उन सेवाओं को प्रदान करता है. इन लाभों में क्षतिपूरित अनुपस्थिति जैसे एक वर्ष के भीतर ली जाने वाली छुट्टी और देय बोनस शामिल हैं. अल्पकालिक नकद बोनस या लाभ-साझाकरण योजनाओं के तहत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए एक देयता को उस स्थिति में दर्शाया जाता है, जब कंपनी के कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के कारण इस राशि का भुगतान करने के लिए वर्तमान में विधिक या रचनात्मक दायित्व है तथा इस दायित्व का विश्वासपूर्वक अनुमान लगाया जा सकता है.

The undiscounted amount of short term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized as an expense during the year when the employee renders those services. These benefits include compensated absences such as leave expected to be availed within a year and bonus payable. A liability is recognized for the amount expected to be paid under short-term cash bonus or profit-sharing plans, if the Company has a present legal or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated reliably.

ग. लाभ योजनाएं
c. Benefit plans

कंपनी की निम्नलिखित कर्मचारी लाभ योजनाएं हैं / The Company has the following employee benefit plans:

(i) **भविष्य निधि** / Provident fund

कर्मचारी भविष्य निधि से लाभ प्राप्त करते हैं, जो एक परिभाषित लाभ योजना है. नियोक्ता और कर्मचारी प्रत्येक कवर किए गए कर्मचारी के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर भविष्य निधि योजना में मासिक योगदान करते हैं. अंशदान का एक हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ('ईपीएफ़ओ') को दिया जाता है और शेष अंशदान सरकार द्वारा प्रशासित पेंशन निधि में किया जाता है.

Employees receive benefits from a provident fund, which is a defined benefit plan. The employer and employees each make monthly contributions to the Provident Fund Plan equal to a specified percentage of the covered employee's salary. A portion of the contribution is made to the Employees' Provident Fund Organisation ('EPFO') and the remainder of the contribution is made to the government administered pension fund.

(ii) **ग्रेच्युटी** / Gratuity

भारतीय कंपनियों पर लागू ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, कंपनी अंतिम आहरित वेतन और कंपनी के साथ रोजगार के वर्षों के आधार पर पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान करती है. ग्रेच्युटी निधि का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम ('एलआईसी') द्वारा किया जाता है.

In accordance with the Payment of Gratuity Act, 1972, applicable for Indian companies, the Company provides for a lump sum payment to eligible employees, at retirement or termination of employment based on the last drawn salary and years of employment with the Company. The gratuity fund is managed by Life Insurance Corporation of India ('LIC').

(iii) **राष्ट्रीय पेंशन योजना** / National Pension Scheme

कर्मचारी, अपने विकल्प के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से लाभ प्राप्त करते हैं, जो एक परिभाषित लाभ योजना है. निधि के लिए भुगतान/देय योगदान उस वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते के विवरण में प्रभारित किया जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा को बिना छूट के आधार पर प्रदान करता है.

Employees, at their option receive benefits from national pension scheme (NPS), which is a defined benefit plan. The contributions paid/payable towards the fund are charged to the statement of profit & loss account during the year in which the employee renders the related service on an undiscounted basis.

(iv) **क्षतिपूरित अनुपस्थितियां** / Compensated absences

कंपनी के कर्मचारी क्षतिपूरित अनुपस्थिति के हकदार हैं. कर्मचारी अप्रयुक्त संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति के एक हिस्से को आगे ले जा सकते हैं और भविष्य की अवधि में इसका उपयोग कर सकते हैं या सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर नकद प्राप्त कर सकते हैं. कंपनी उस अवधि में क्षतिपूरित अनुपस्थिति के लिए एक दायित्व दर्ज करती है जिसमें कर्मचारी इस पात्रता को बढ़ाने वाली सेवाएं प्रदान करता है. कंपनी क्षतिपूरित अनुपस्थिति की अपेक्षित लागत को अतिरिक्त राशि के रूप में मापती है जो कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप भुगतान करने की अपेक्षा करती है. कंपनी प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति को पहचानती है. गैर-संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति को उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें अनुपस्थिति होती है. कंपनी एलआईसी द्वारा प्रशासित समूह छुट्टी नकदीकरण योजना (जीएलईएस) में वार्षिक योगदान करती है.

The employees of the Company are entitled to compensated absences. The employees can carry forward a portion of the unutilized accumulating compensated absences and utilize it in future periods or receive cash at retirement or termination of employment. The Company records an obligation for compensated absences in the period in which the employee renders the services that increases this entitlement. The Company measures the expected cost of compensated absences as the additional amount that the Company expects to pay as a result of the unused entitlement that has accumulated at the end of the reporting period. The Company recognizes accumulated compensated absences based on actuarial valuation using the projected unit credit method. Non-accumulating compensated absences are recognized in the period in which the absences occur. The Company makes annual contribution to the Group Leave Encashment Scheme (GLES), administered by LIC.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ई. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI Asset Management Limited

i) ग्रेच्युटी / Gratuity

ग्रेच्युटी देयता एक परिभाषित लाभ दायित्व है और इसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित और प्रबंधित ग्रेच्युटी फंड के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है. कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भविष्य के ग्रेच्युटी लाभों के लिए देयता का हिसाब रखती है.

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is funded through a Gratuity Fund administered and managed by the Life Insurance Corporation of India. The Company accounts for liability for future gratuity benefits based on the actuarial valuation using Projected Unit Credit Method carried out as at the end of each financial year.

ii) भविष्य निधि / Provident fund

कंपनी एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में योगदान करती है. अंशदानों की गणना उपचय आधार पर की जाती है और उन्हें लाभ एवं हानि के विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.

The Company contributes to a recognized provident fund. The contributions are accounted for on an accrual basis and are recognized as an expense in the statement of profit and loss.

iii) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ / Short term employee benefits

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं.

Short term employee benefits are recognized as an expense in the statement of profit and loss of the year in which the services are rendered.

iv) क्षतिपूरित अनुपस्थितियां / Compensated absences

कंपनी कुछ नियमों के अधीन विशेषाधिकार छुट्टी नकदीकरण प्रदान करती है. कर्मचारी भविष्य में नकदीकरण के साथ-साथ छुट्टी लेने के लिए कुछ सीमाओं के अधीन छुट्टी जमा करने के हकदार हैं. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को अप्रयुक्त छुट्टी के दिनों की संख्या के आधार पर देयता का प्रावधान किया जाता है.

The Company provides for Privilege Leave Encashment subject to certain rules. The employees are entitled to accumulate leave subject to certain limits for future encashment as well as availment. The liability is provided based on the number of days of unutilized leave at each balance sheet date on the basis of an independent actuarial valuation carried out as at the end of each financial year.

उ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड के मामले में
E. In case of IDBI Trusteeship Service Limited

रोजगार की शर्तों के अनुसार वर्तमान और पिछली सेवाओं के लिए देय कर्मचारी लाभ, अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों देयताओं को ''भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई)'' द्वारा जारी किए गए लेखा मानक - 15 (संशोधित 2005) ''कर्मचारी लाभ'' के अनुसार रिकॉर्ड किया जाता है.

Liability for employee benefits, both short and long term, for present and past services which are due as per the terms of employment are recorded in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised 2005) “Employee Benefits” issued by the “Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)”.

परिभाषित योगदान योजनाएं / Defined Contribution Schemes

क) भविष्य निधि

a) Provident Fund

कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और उसके तहत बनाई गई योजनाओं के तहत पंजीकृत है. तद्नुसार, अधिनियम के तहत स्थापित निधियों/योजनाओं में सरकारी प्राधिकारियों को कंपनी कर्मचारियों के न्यूनतम अंशदान के बराबर अंशदान कर रही है. पात्र कर्मचारियों को सरकारी प्राधिकारियों से लाभ मिलता है. वर्ष के लिए देय योगदान लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.

The Company is registered under the provisions of Employee’s Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and schemes framed there under. Accordingly, the Company is contributing, in equal share of minimum contribution as those of employees, to the funds/ schemes established under the Act to Government Authorities. The eligible employees receive benefits from Government Authorities. The contribution due for the year is charged to profit and loss account.

ख) **ग्रेच्युटी**

b) **Gratuity**

कंपनी वर्ष के अंत में वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर "द ट्रस्टी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी योजना" के रूप में ज्ञात ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान करती है. कंपनी को वार्षिक प्रीमियम योगदान का भुगतान करना आवश्यक है. वर्ष के लिए इस प्रकार भुगतान/देय प्रीमियम को लाभ और हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

The Company provides for gratuity, known as "The Trustees IDBI Trusteeship Services Ltd Employee's Group Gratuity Scheme" based on annual actuarial valuation as on year end. The Company is required to pay annual premium contributions. The premium so paid / payable for the year is recognised in profit and loss account.

ग) **छुट्टी नकदीकरण**

c) **Leave Encashment**

वार्षिक छुट्टी नकदीकरण के लिए आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 15 (संशोधित 2005) "कर्मचारी लाभ" के अनुसार वर्ष के अंत में वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है.

Annual Leave encashment is accounted on based on annual actuarial valuation as on year end as per Accounting Standard – 15 (Revised 2005) "Employee Benefits" issued by the ICAI.

ऊ. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लि. के मामले में
F. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Co. Ltd.

प्रदान की गई सेवाओं के लिए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति की गणना कर्मचारी लाभ के बारे में लेखा मानक 15 के अनुसार की जाती है.

Compensation to employees for services rendered is accounted for in accordance with Accounting Standard 15 on Employee Benefits

14 खंड रिपोर्टिंग / Segment Reporting

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI Bank Limited

बैंक तीन खंडों यथा- होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और ट्रेजरी परिचालनों में कार्य करता है. इन खंडों का निर्धारण रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों और खंड रिपोर्टिंग के बारे में एएस-17 के अनुसार किया गया है जो योजनाओं व सेवाओं के स्वरूप व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद किया गया है.

The Bank operates in three segments wholesale banking, retail banking and treasury operations. These segments have been identified in line with extant RBI guidelines and AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों व देयताओं में प्रत्येक खंड हेतु अभिनिर्धारणीय राशि साथ ही प्रबंधन द्वारा अनुमानित किए अनुसार आबंटित राशि शामिल है. जिन आस्तियों व देयताओं को अभिनिर्धारणीय खंडों में आबंटित नहीं किया जा सकता है उन्हें गैर-आबंटित आस्तियों व देयताओं के रूप में समूहित किया जाता है.

Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Asset Management Limited

कंपनी म्यूचुअल फंड को निवेश प्रबंधन सेवा प्रदान करने के कारोबार में लगी हुई है और संचालन से संपूर्ण राजस्व भारत में प्रदान की गई उपरोक्त सेवा से है. इसलिए कंपनी के पास कोई अन्य रिपोर्ट करने योग्य व्यवसाय या भौगोलिक खंड नहीं है.

The company is in the business of providing Investment management service to the mutual fund, and the entire revenue from operations is from the above service rendered in India. Hence the company has no other reportable business or geographical segment.

इ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

कंपनी मुख्य रूप से ट्रस्टीशिप कारोबार का कार्य करती है और इसका व्यवसाय परिचालन भारत में केन्द्रित है. तदनुसार, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी एएस-17 खंड रिपोर्टिंग के अनुसार कोई भी अलग कारोबारी खंड एवं भौगोलिक क्षेत्र नहीं है.

The company is engaged primarily in the trusteeship business and its business operations are concentrated in India. Accordingly there are no separate business segments and geographical segments as per AS-17- Segment reporting issued by Institute of Chartered accountants of India.

ई. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Co. Limited

कंपनी मुख्य रूप से एकल क्षेत्र में अर्थात ट्रस्टीशिप के कारोबार में है. कंपनी प्रमुख स्रोत, प्रकृति और रिटर्न, आंतरिक संगठन एवं प्रबंधन संरचना के आधार पर प्राथमिक खंडों की पहचान करती है.

The Company is primarily in a single segment i.e. in the business of Trusteeship. The Company identifies primary segments based on the dominant source, nature and returns, the internal organization and management structure.

15 आय कर / Income Tax

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI Bank Limited

i. कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं. / Tax expense comprises of current and deferred tax.

चालू कर आय कर की वह निर्धारित राशि है जो किसी अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है. इसकी गणना आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा आय परिकलन और प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) के अनुसार की जाती है.

Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

ii. वर्ष के बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों को इनकी भविष्य में वसूली की पर्याप्त निश्चितता की सीमा तक हिसाब में लिया जाता है.

Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii. अनवशोषित मूल्यह्रास/नुकसान के मामले में आस्थगित कर आस्तियों को तभी पहचाना जाता है जब इस बात की आभासी निश्चितता हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति को भविष्य के कर योग्य लाभों से वसूल किया जा सकता है.

Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/ losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

iv. आस्थगित कर आस्तियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है और उस राशि को दर्शाने के लिए उचित रूप से समायोजित की जाती है जो यथोचित/वस्तुतः वसूल की जानी है.

Deferred tax assets are reviewed at each Balance Sheet date and appropriately adjusted to reflect the amount that is reasonably / virtually certain to be realized.

v. जहां यह संभव है कि विवादित करों के संबंध में कोई वर्तमान दायित्व मौजूद है, तो प्रावधान किया जाता है. जहां यह संभव नहीं है कि ऐसा कोई वर्तमान दायित्व मौजूद है, बैंक पिछले मूल्यांकन और अन्य प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों के संबंध में राय/विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर, एक आकस्मिक दायित्व का प्रकटन करता है, जब तक कि संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो, जहां कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया गया है.

Where it is probable that a present obligation exists in respect of disputed taxes, a provision is made. Where it is not probable that such a present obligation exists, the bank discloses a contingent liability, unless the possibility of an outflow of resources is remote, based on opinions/ various judicial decisions in respect of past assessment and other relevant judicial decisions, where in no provision or disclosure is made.

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड आय पर कर के मामले में
B. In case of IDBI Intech Limited

आयकर

Taxes on income

आयकर की गणना ''आय पर करों के लिए लेखांकन'' के बारे में लेखा मानक (एएस 22) के अनुसार की जाती है. कर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं. वर्तमान कर को लागू कर दरों का उपयोग करके कर अधिकारियों को भुगतान या वसूल किए जाने वाली अपेक्षित राशि से आंका जाता है. आस्थगित करों को भविष्य के कर परिणाम के लिए दर्शाया जाता है, जो कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अंतर के कारण होता है, जिसे प्रासंगिक अधिनियमित / पूर्ण रूप से अधिनियमित कर दरों पर आंका जाता है.

Income Taxes are accounted for in accordance with Accounting Standard (AS 22) on "Accounting for Taxes on Income". Tax expense comprises of current tax and deferred tax. Current tax is measured at the amount expected to be paid or recovered from the tax authorities using the applicable tax rates. Deferred taxes are recognised for future tax consequence attributable to timing difference between taxable income and accounting income, measured at relevant enacted / substantively enacted tax rates.

अनवशोषित मूल्यह्रास और आगे ले जाने वाली हानियों की स्थिति में, आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक दर्शाया जाता है, जो इस बात के पुख्ता सबूतों द्वारा आभासी रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि ऐसी आस्तियों की वसूली के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी. अन्य स्थितियों में, आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां उचित निश्चितता हो कि इन आस्तियों की वसूली के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी.

In the event of unabsorbed depreciation and carry forward losses, deferred tax assets are recognised only to the extent that there is virtual certainty supported by convincing evidence that sufficient future taxable income will be available to realise such assets. In other situations, deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available to realise these assets.

न्यूनतम वैकल्पिक कर ('एमएटी') क्रेडिट पात्रता को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी ''आयकर अधिनियम, 1961 के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में उपलब्ध क्रेडिट के लिए लेखांकन'' मार्गदर्शन नोट के अनुसार मान्यता दी गई है. एमएटी क्रेडिट को एक आस्ति के रूप में तभी दर्शाया जाता है जब इस हद तक इस बात के पुख्ता सबूत हों कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर से समायोजन करने में सक्षम होगी. प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को, कंपनी एमएटी क्रेडिट आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन करती है और जहां आवश्यक हो, उसे समायोजित करती है.

Minimum Alternate Tax ('MAT') credit entitlement is recognized in accordance with the Guidance Note on "Accounting for credit available in respect of Minimum Alternate Tax under the Income Tax Act, 1961" issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). MAT credit is recognised as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Company will be able to adjust against the normal income tax during the specified period. At each balance sheet date, the Company reassesses MAT credit assets and adjusts the same, where required.

भुगतान किए गए अग्रिम कर और वर्तमान आयकर के प्रावधान तुलन पत्र में निवल रूप में तभी प्रस्तुत किए जाते हैं जब ये एक ही कर क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हों तथा जहां कंपनी निवल आधार पर आस्ति और देयता का निपटान करने का इरादा रखती है.

Advance taxes paid and provisions for current income taxes are presented net in the balance sheet if arising in the same tax jurisdiction and where the entity intends to settle the asset and liability on a net basis.

इ. आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Asset Management Limited

कराधान / Taxation

आयकर व्यय में वर्तमान कर (अर्थात् आयकर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि), आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (अवधि के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के कर प्रभाव को दर्शाता है) शामिल हैं.

Income tax expense comprises current tax (i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law), deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period).

चालू कर / Current taxes

चालू आयकर के प्रावधान को भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मान्यता दी गई है और कर भत्ते एवं छूट के लिए क्रेडिट लेने के बाद कर देयता के आधार पर इसे वार्षिक बनाया जाता है. वित्तीय वर्ष 2021-22 से कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के अंतर्गत कर चुकाने का विकल्प चुना है, अतः आईएएमएल पर एमएटी लागू नहीं है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Provision for current income-tax is recognized in accordance with the provisions of Indian Income-tax Act, 1961 and is made annually based on the tax liability after taking credit for tax allowances and exemptions. From FY 2021-22 the Company has opted to pay tax U/s 115BAA of the Income Tax Act, 1961, hence MAT is not applicable on IAML

आस्थगित कर / Deferred taxes

आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को समय के अंतर के कारण भविष्य के कर परिणामों के लिए दर्शाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आय करों के लिए पेश किए गए लाभ और वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ के बीच अंतर होता है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके आंका जाता है जिन्हें तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव को उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें अधिनियमन तिथि शामिल है. आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां उचित निश्चितता हो कि भविष्य में आस्तियों की वसूली की जा सकती है. हालांकि, जहां कराधान कानूनों के तहत अनवशोषित मूल्यह्रास या अग्रेषित हानि होती है, आस्थगित कर आस्तियों को तभी मान्यता दी जाती है जब ऐसी आस्तियों की वसूली की आभासी निश्चितता हो. आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को उनके संबंधित वहन मूल्यों की उपयुक्तता के लिए किया जाता है.
Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to timing differences that result between the profits offered for income taxes and the profits as per the financial statements. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. The effect of a change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the period that includes the enactment date. Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in the future. However, where there is unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets. Deferred tax assets are reassessed for the appropriateness of their respective carrying values at each balance sheet date.

ई. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Co. Ltd.

कराधान / Taxation

आयकर व्यय में वर्तमान कर (अर्थात् आयकर कानून के अनुसार अवधि के लिए निर्धारित कर की राशि), आस्थगित कर प्रभार या क्रेडिट (अवधि के लिए लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतर के कर प्रभाव को दर्शाता है) शामिल हैं.
Income tax expense comprises current tax (i.e. amount of tax for the period determined in accordance with the income-tax law), deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period).

चालू कर / Current taxes

चालू आयकर के प्रावधान को भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मान्यता दी गई है और कर भत्ते एवं छूट के लिए क्रेडिट लेने के बाद कर देयता के आधार पर इसे वार्षिक बनाया जाता है. वित्तीय वर्ष 2021-22 से कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के अंतर्गत कर चुकाने का विकल्प चुना है, अतः कंपनी पर एमएटी लागू नहीं है.
Provision for current income-tax is recognized in accordance with the provisions of Indian Income-tax Act, 1961 and is made annually based on the tax liability after taking credit for tax allowances and exemptions. From FY 2021-22 the Company has opted to pay tax U/s 115BAA of the Income Tax Act, 1961, hence MAT is not applicable to the company.

आस्थगित कर / Deferred taxes

आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को समय के अंतर के कारण भविष्य के कर परिणामों के लिए दर्शाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आय करों के लिए पेश किए गए लाभ और वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ के बीच अंतर होता है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर दरों में बदलाव के प्रभाव को उस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें अधिनियमन तिथि शामिल है. आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां उचित निश्चितता हो कि भविष्य में आस्तियों की वसूली की जा सकती है. हालांकि, जहां कराधान कानूनों के तहत अनवशोषित मूल्यह्रास या अग्रेषित हानि होती है, आस्थगित कर आस्तियों को तभी दर्शाया जाता है जब ऐसी आस्तियों की वसूली की आभासी निश्चितता हो. आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को उनके संबंधित वहन मूल्यों की उपयुक्तता के लिए किया जाता है.
Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to timing differences that result between the profits offered for income taxes and the profits as per the financial statements. Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date. The effect of a change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized in the period that includes the enactment date.

Deferred tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in the future. However, where there is unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets. Deferred tax assets are reassessed for the appropriateness of their respective carrying values at each balance sheet date.

उ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. के मामले में
E. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd

चालू वर्ष का कर, चालू कर नियमों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और चालू वर्ष की कर योग्य आय के संबंध में देय कर की राशि लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाई जाती है.

Current year's tax is determined based on current tax laws and the amount of tax payable in respect of taxable income of the current year is provided in profit and loss account.

आस्थगित कर की पहचान समय अंतराल के कारण की जाती है; कर योग्य आय और लेखा आय के बीच का अंतर होना जो एक अवधि में आरंभ होता है और एक अथवा अधिक परवर्ती अवधि में रिवर्स करने में सक्षम होता है. आस्थगित कर आस्ति को मान्यता दी जाती है और केवल उस सीमा तक आगे ले जाया जाता है जहां एक आभासी निश्चितता होती है कि आस्ति की भविष्य में वसूल हो जाएगी. ऐसे मामलों में जहां आभासी निश्चितता कोई ठोस साक्ष्यों द्वारा समर्थित नहीं है, वहां आस्थगित कर आस्तियों को लेखा बहियों में उपचित नहीं किया जाता है.

Deferred tax is recognised on account of timing difference; being the difference between taxable incomes and accounting income that originate in one period and is capable of reversal of one or more subsequent periods. Deferred tax asset is recognised and carried forward only to the extent that there is a virtual certainty that the asset will be realised in future. In cases where there is no virtual certainty supported by convincing evidence, the deferred tax assets is not accrued in books of Accounts.

ऊ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एवं सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में
F. In case of IDBI Capital Markets and Securities Limited

i. चालू कर को आय कर अधिनियम के अनुसार, कर प्राधिकारियों को भुगतान / वसूली योग्य अनुमानित राशि पर आंका जाता है..

   Current tax is measured at the amount expected to be paid/ recovered from the tax authorities, in accordance with the Income Tax Act.

ii. कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच होने वाले समय अंतर का कर प्रभाव और एक या अधिक परवर्ती अवधियों में रिवर्स किये जाने के योग्य है, को आस्थगित कर आस्ति या आस्थगित कर देयता के रूप में दर्ज किया जाता है. आस्थगित कर आस्ति और देयताओं को भविष्य कर परिणामों के स्रोतजन्य समय अंतरालों के लिए पहचाना जाता है. उन्हें तुलन पत्र की तारीख में अधिनियमित या मूल रूप में अधिनियमित कर दरों और कर विनियमों का उपयोग कर आंका जाता है.

   The tax effect of the timing differences that result between taxable income and accounting income and are capable of reversal in one or more subsequent periods are recorded as a deferred tax asset or deferred tax liability. Deferred tax assets and liabilities are recognized for future tax consequences attributable to timing differences. They are measured using the enacted or substantively enacted tax rates and tax regulations as at the balance sheet date

iii. आस्थगित कर आस्तियों को केवल उस सीमा तक दर्शाया जाता है और आगे ले जाई जाती हैं जहां पर्याप्त निश्चितता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर आस्तियों की वसूली जा सकती है; हालांकि जहां अनवशोषित मूल्यह्रास है और हानियाँ आगे लाई गई हैं, आस्थगित कर आस्ति केवल तभी सृजित की जाती हैं जब आस्ति की वसूली की आभासी निश्चितता हो.

   Deferred tax assets are recognised and carried forward only to the extent there is reasonable certainty that sufficient taxable income will be available in future, against which the deferred tax assets can be realized; however where there is unabsorbed depreciation and carried forward losses, deferred tax assets is created only if there is virtual certainty of realization of assets.

iv. प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर आस्थगित कर आस्तियों को आगे ले जाने की राशि को उस सीमा तक कम किया जाता है जिस तक यह यथोचित रूप से निश्चित न हो कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की वसूली की जा सकती है.

   The carrying amount of deferred tax assets at each balance sheet date is reduced to the extent that it is no longer reasonably certain that sufficient future taxable income will be available against which the deferred tax asset can be realized.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

न्यूनतम वैकल्पिक कर

Minimum Alternate Tax

एक वर्ष में भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) वर्तमान कर के रूप में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है. कंपनी एमएटी क्रेडिट को एक आस्ति के रूप में तभी मान्यता देती है, जब इस बात के पुख्ता सबूत हों कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी, अर्थात् वह अवधि जिसके लिए एमएटी क्रेडिट को आगे ले जाने की अनुमति है. जिस वर्ष कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर के संबंध में उपलब्ध क्रेडिट के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार एमएटी क्रेडिट को एक आस्ति के रूप में मान्यता दी है, उस वर्ष उक्त आस्ति को लाभ-हानि विवरण में जमा करते हुए "एमएटी क्रेडिट पात्रता" के रूप में दिखाया जाता है. कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर "मैट क्रेडिट पात्रता" आस्ति की समीक्षा करती है और आस्ति को उस सीमा तक अपलिखत करती है, जिस तक कंपनी के पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं हैं कि वह पर्याप्त अवधि के दौरान सामान्य कर का भुगतान करेगी.

Minimum Alternate Tax (MAT) paid in a year is charged to the Statement of Profit and Loss as current tax. The company recognizes MAT credit available as an asset only to the extent there is convincing evidence that the company will pay normal income tax during the specified period, i.e., the period for which MAT Credit is allowed to be carried forward. In the year in which the Company recognizes MAT Credit as an asset in accordance with the Guidance Note on Accounting for Credit Available in respect of Minimum Alternate Tax under the Income Tax Act, 1961, the said asset is created by way of credit to the statement of Profit and Loss and shown as “MAT Credit Entitlement.” The Company reviews the “MAT Credit Entitlement” asset at each reporting date and writes down the asset to the extent the company does not have convincing evidence that it will pay normal tax during the sufficient period.

16 पट्टे / Leases

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI Bank Limited

i. पट्टा/ किराये के आधार पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/ रद्द करने योग्य हैं.

The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.

ii. बैंक द्वारा किया गया पट्टा सहमत अवधि के लिए है और पट्टे की अवधि के दौरान भी पट्टे को पारस्परिक सहमति से (प्रायः एक कैलेंडर माह) का लिखित नोटिस देकर समाप्त करने का विकल्प है.

The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed notice (normally one calendar month) in writing.

iii. परिचालन पट्टों के लिए भुगतान किए गए पट्टे के किराए को संबंधित वर्ष के लाभ और हानि लेखे में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.

Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates.

iv. परिचालन पट्टों के संबंध में प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत जैसे विधि लागत, दलाली लागत आदि को लाभ और हानि लेखे में तुरंत व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.

Initial direct costs in respect of operating leases such as legal costs, brokerage costs, etc. are recognized as expense immediately in the Profit and Loss Account

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Intech Limited

क. वित्त पट्टा

a. Finance lease

वित्त पट्टे पर ली गई आस्तियों को न्यूनतम पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य और उचित मूल्य में से कम पर स्थायी संपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है और समतुल्य राशि के लिए देयता मानी जाती है. लीज भुगतानों को वित्त प्रभार और बकाया देयता में कमी के बीच विभाजित किया जाता है.

Assets taken on finance lease are accounted for as fixed assets at lower of present value of the minimum lease payments and the fair value and a liability is recognised for an equivalent amount. Lease payments are apportioned between finance charge and reduction in outstanding liability.

ख. परिचालन पट्टा

b. Operating leases

पट्टे पर ली गई आस्तियां जिसके तहत पट्टेदार द्वारा स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को प्रभावी रूप से प्रतिधारित किया जाता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. परिचालन पट्टों के तहत पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है.

Assets taken on lease under which all risks and rewards of ownership are effectively retained by the lessor are classified as operating lease. Lease payments under operating leases are recognised as expenses on straight line basis over the lease term.

इ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

परिचालन पट्टे / Operating Leases

जिन पट्टों में पट्टेदार प्रभावी रूप से पट्टे की अवधि में स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी ढंग से प्रतिधारित करता है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. परिचालन पट्टे के भुगतान को पट्टे की अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर 'किराया दर और कर' के तहत लाभ और हानि लेखे में एक व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.

Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Profit and Loss account under 'Rent Rates and Taxes' on a Straight Line Basis over the lease term.

ई. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

परिचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा भुगतान को पट्टा करार की शर्तों के अनुसार लाभ और हानि लेखा विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.

Lease payment under an operating lease is recognised as expenses in the statement of Profit and loss account as per terms of lease agreement.

उ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले
E. In case of IDBI Asset Management Limited

परिचालन पट्टे / Operating Leases

पट्टे पर ली गई आस्तियां जिसके अंतर्गत पट्टेदार द्वारा स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कारों को प्रभावी रूप से प्रतिधारित किया जाता है, को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. परिचालन पट्टों के तहत पट्टे के भुगतान/ राजस्व को पट्टों से संबंधित करारों की शर्तों के अनुसार उपचय आधार पर व्यय/ आय के रूप में दर्शाया जाता है.

Lease of assets under which all the risk and rewards of ownership are effectively retained by the lessor are classified as operating leases. Lease payments/ revenue under operating leases are recognized as expense/ income on accrual basis in accordance with the terms of respective lease agreements.

17 प्रति शेयर अर्जन / Earnings Per Share

i. बैंक एएस 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर अर्जन की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.

The Bank reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत अर्जन उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाते हैं जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत अर्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के जोड़ से भाग देकर की जाती है.

Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

18 आस्तियों का ह्रास / Impairment of Assets

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI Bank Limited

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन इस बात का संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव-राशि वसूली योग्य नहीं है तो स्थायी आस्तियों के ह्रास की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूली योग्य मूल्य और उपयोग मूल्य की तुलना आस्ति की रखाव राशि से की जाती है. यदि ऐसी आस्तियां ह्रासित मानी गई हों तो निर्धारित किए जानेवाले ह्रास को उस आस्ति की दर्ज लागत से उसके चालू अनुमानित वसूली योग्य मूल्य अथवा उपयोग मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है. दावों के निपटान में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियों की ह्रास के लिए समीक्षा तभी की जाती है जब ह्रास के संकेत स्पष्ट हों.

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use. Non-banking assets acquired in settlement of claims are reviewed for impairment only when the indications of impairment are evident.

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Intech Limited

प्रबंधन बाहरी और आंतरिक स्रोतों का उपयोग करते हुए समय-समय पर मूल्यांकन करता है कि क्या कोई संकेत है कि एक आस्ति ह्रासित हो सकती है. ह्रासित हानि को तब दर्शाया जाती है जब किसी आस्ति का वहन मूल्य वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है. वसूली योग्य राशि आस्ति के निवल बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक है, जिसका अर्थ है कि भविष्य के नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य आस्ति के निरंतर उपयोग और इसके अंतिम निपटान से उत्पन्न होने की उम्मीद है.

The Management periodically assesses, using external and internal sources whether there is an indication that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised where ever the carrying value of an asset exceeds the recoverable amount. The recoverable amount is the higher of asset's net selling price and value in use, which means the present value of the future cash flows expected to arise from the continuing use of the asset and its eventual disposal.

एक आस्ति की ह्रासित हानि को केवल उस स्थिति में रिवर्स किया जाता है जब यह रिवर्सल ह्रासित हानि की पहचान के बाद घटित घटना से तटस्थ रूप से संबद्ध हो. एक आस्ति की आगे ले जाई जाने वाली राशि को उसकी संशोधित वसूली योग्य राशि तक बढ़ा दिया जाता है, बशर्ते कि यह राशि आगे ले जाने वाली निर्धारित राशि से अधिक न हो (किसी संचित परिशोधन या मूल्यह्रास को घटाकर) तथा पिछले वर्षों में आस्ति के लिए कोई ह्रासित हानि की पहचान नहीं की गई थी.

An impairment loss for an asset is reversed if, and only if, the reversal can be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognized. The carrying amount of an asset is increased to its revised recoverable amount, provided that this amount does not exceed the carrying amount that would have been determined (net of any accumulated amortization or depreciation) had no impairment loss been recognised for the asset in prior years.

इ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

i. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ह्रास का कोई संकेत है, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा की जाती है. यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो आस्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है.

The carrying amount of assets, is reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, recoverable amount of the assets is estimated.

ii. जब भी किसी आस्ति या उसकी नकद उत्पादन इकाई की अग्रणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तब ह्रासित हानि की पहचान की जाती है. वसूली योग्य राशि आस्ति के निवल बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक है, जो उनके वर्तमान मूल्यों पर बट्टाकृत अनुमानित भावी नकदी प्रवाह के आधार पर निर्धारित किया जाता है. सभी ह्रासित हानियों को लाभ और हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

An Impairment loss is recognized whenever the carrying amount of an asset or its cash generating unit exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the asset's net selling price and value in the use, which is determined, based on the estimated future cash flows discounted to their present values. All impairment losses are recognized in the profit and loss account.

iii. यदि वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए गए अनुमानों में कोई परिवर्तन होता है तो ह्रासित हानि को रिसर्व कर दिया जाता है और इसे लाभ और हानि लेखे में दिखाया जाता है.

An impairment loss is reversed if there is a change in the estimates used to determine the recoverable amount and is recognized in the profit and loss account.

ई. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI MF Trustee Company Limited

एक आस्ति को आस्तियों के ह्रास के बारे में लेखा मानक 28 के अनुसार तब ह्रासित माना जाता है, जब तुलन पत्र की तारीख को ह्रास के संकेत होते हैं और आस्ति की वहन राशि या जहां नकदी पैदा करने वाली इकाई जिससे आस्ति संबंधित होती है, उसकी वसूली योग्य राशि (अर्थात आस्ति के निवल बिक्री मूल्य और प्रयुक्त मूल्य में से जो अधिक हो) से अधिक राशि होती है. वहन राशि को वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है और कमी को लाभ और हानि के विवरण में ह्रासित हानि के रूप में दर्शाया जाता है.

An asset is considered as impaired in accordance with Accounting Standard 28 on Impairment of Assets when at the balance sheet date there are indications of impairment and the carrying amount of asset, or where applicable the cash generating unit to which the asset belongs, exceeds its recoverable amount (i.e. the higher of the asset's net selling price and value in use). The carrying amount is reduced to the recoverable amount and the reduction is recognized as an impairment loss in the Statement of Profit and Loss.

जब यह संकेत मिलता है कि पहले की लेखा अवधि में किसी आस्ति (पुनर्मूल्यांकन आस्ति के अलावा) के लिए मानी गई ह्रासित हानि मौजूद नहीं है या कम हो सकती है, तो ह्रासित हानि के इस तरह के रिवर्सल को लाभ और हानि के विवरण में उस सीमा तक दर्शाया जाता है, जितनी राशि पहले लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित की गई थी. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामले में ऐसे रिवर्सल को मान्यता नहीं दी जाती है.

When there is indication that an impairment loss recognized for an asset (other than a revalued asset) in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognized in the Statement of Profit and Loss, to the extent the amount was previously charged to the Statement of Profit and Loss. In case of revalued assets such reversal is not recognized.

उ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
E. In case of IDBI Asset Management Limited

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि आस्ति ह्रासित हो सकती है. यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी आस्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है. यदि ऐसे आस्ति की वसूली योग्य राशि इसके वहन राशि से कम है तो वहन राशि को इसके वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है. कमी को ह्रासित हानि माना जाता है तथा लाभ और हानि के विवरण दिखाया जाता है. यदि तुलन पत्र की तारीख को यह संकेत मिलता है कि पूर्व में मूल्यांकित ह्रासित हानि मौजूद नहीं है तो वसूली योग्य राशि को पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और आस्ति वसूली योग्य राशि पर अधिकतम अवक्षयी परंपरागत लागत के अधीन परिलक्षित किया जाता है. ह्रास के बाद, मूल्यह्रास आस्ति की शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित वहन राशि पर प्रदान किया जाता है.

The Company assesses at each Balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company estimates the recoverable amount of the asset. If such recoverable amount of the asset is less than its carrying amount, the carrying amount is reduced to its recoverable amount. The reduction is treated as an impairment loss and is recognized in the profit and loss account. If at the balance sheet date there is an indication that a previously assessed impairment loss no longer exists, the recoverable amount is reassessed and the asset is reflected at the recoverable amount subject to a maximum of depreciable historical cost. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the asset over its remaining useful life.

ऊ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के मामले में
F. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

आंतरिक/बाह्य कारकों के आधार पर ह्रास के लिए प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर आस्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है. किसी आस्ति को तब ह्रासित माना जाता है जब आस्ति की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है. ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में दिखाया जाता है जिसमें आस्ति की पहचान ह्रास के रूप में की जाती है. पिछले वर्षों में पहचानी गई ह्रासित हानि का रिवर्सल तब रिकॉर्ड किया जाता है जब यह संकेत मिलता है कि आस्तियों के लिए ह्रासित हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो गई हैं.

The carrying amounts of the assets are reviewed at each Balance Sheet date for impairment based on internal / external factors. An asset is treated as impaired when the carrying cost of the asset exceed its recoverable value. An impairment loss, if any, is

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

charged to Profit and Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired. Reversal of impairment loss recognised in prior years is recorded when there is an indication that the impairment losses recognised for the assets no longer exists or has decreased.

19 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI Bank Limited

i. एएस 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के मामले में, बैंक द्वारा कोई प्रावधान तभी किया जाता है जब पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों सहित संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके लिए दायित्व के बारे में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.

Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण किया जाता है और न ही इनका प्रकटन किया जाता है.

Contingent Assets are neither recognized nor disclosed.

v. आकस्मिक देयता का प्रकटन तब किया जाता है जबः / A disclosure of contingent liability is made when there is:

- संभाव्य दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम न होः

  a possible obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is not remote; or

- पिछली घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जिसे मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि यह संभाव्य नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है.

  a present obligation arising from a past event which is not recognized as it is not probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.

- जब कोई संभाव्य दायित्व या वर्तमान दायित्व हो जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम हो, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है.

  When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

प्रावधान

Provisions

i. प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है. यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है. इनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजन किया जाता है.

A provision is recognized when there is a present obligation as a result of past event. It is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and in respect of which a reliable estimate can be made. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

ii. एक आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब एक संभावित दायित्व हो या एक ऐसा वर्तमान दायित्व हो जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो या संभवतः न भी हो. जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना कम होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है. आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की जाती है.

A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made. Contingent Assets are not recognized.

iii. सभी बकाया ऋणों की मामला-दर-मामला समीक्षा करने के बाद अशोध्य और संदिग्ध आस्तियों की पहचान की जाती है. संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान प्रबंधन द्वारा उनकी वसूली-योग्यता के मूल्यांकन के आधार पर किए जाते हैं. यदि किसी भी संदिग्ध ऋण में वसूली की संभावना मौजूद नहीं है, तो उसे पूरी तरह से बट्टे खाते में डाल दिया जाता है.

Bad and doubtful assets are identified after carrying out a case by case review of all outstanding debts. Provisions are made on doubtful debts on management's evaluation of their realisability. In case the chances of recovery do not exist in any of the doubtful debts, the same is written off fully.

इ. आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Asset Management Limited

कंपनी उस स्थिति में प्रावधान सृजित करती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना हो और दायित्व की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है. एक आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब एक संभावित दायित्व या एक वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी. जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है.

The Company creates a provision when there is a present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य से बट्टाकृत नहीं किया जाता है और तुलन पत्र की तारीख को दायित्व को निपटाने के लिए उन्हें आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है.

Provisions are not discounted to their present value and are determined based on the best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date.

प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है. यदि यह संभावना नहीं हो कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, तो प्रावधान को रिवर्स कर दिया जाता है.

Provisions are reviewed at each balance sheet and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that the outflow of resources would be required to settle the obligation, the provision is reversed.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया जाता है. हालांकि, आकस्मिक आस्तियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और यदि आभाषी रूप से यह निश्चित हो कि एक आर्थिक लाभ उत्पन्न होगा, तो आस्ति और संबंधित आय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिवर्तन हुआ था.

Contingent assets are not recognized in the financial statements. However, contingent assets are assessed continually and if it is virtually certain that an economic benefit will arise, the asset and related income are recognized in the period in which the change occurred.

ई. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI Intech Limited

एक प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कंपनी की कोई वर्तमान देयता बनती हो और जो तर्कसंगत रूप से अनुमानित हो तथा इस बात की संभावना हो कि रिपोर्टिंग तारीख तक उक्त दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी. जहां विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता वहां आकस्मिक दायित्व के रूप में प्रकटीकरण किया जाता है. आकस्मिक देयताओं को मान्यता नहीं दी जाती है किंतु

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

इसे टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है. एक आकस्मिक दायित्व के लिए प्रकटीकरण तब भी किया जाता है जब एक संभावित दायित्व हो या एक ऐसा वर्तमान दायित्व हो जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो या संभवतः न भी हो. जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना कम होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है.

A provision is recognised if, as a result of past event, the company has a present legal obligation that is reasonably estimable and it is probable that an outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. Where no reliable estimate can be made, a disclosure is made as contingent liability. Contingent liabilities are not recognised but disclosed in the notes. A disclosure for a contingent liability is also made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. Where there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

उ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में
E. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

माप में अनुमानित पर्याप्त मात्रा वाले प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभावना है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी. आकस्मिक देयताओं को दर्शाया नहीं जाता है किंतु इसे टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है. आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है.

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognised when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation. Contingent liabilities are not recognised, but are disclosed in the notes. Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements

ऊ. आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में
F. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Co. Ltd

कंपनी उस स्थिति में प्रावधान सृजित करती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होती है और दायित्व की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है. एक आकस्मिक दायित्व के लिए प्रकटीकरण तब किया जाता है जब एक संभावित दायित्व या एक वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी. जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम होती है, तो कोई प्रावधान या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है.

The Company creates a provision when there is a present obligation as a result of a past event that probably requires an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. A disclosure for a contingent liability is made when there is a possible obligation or a present obligation that may, but probably will not, require an outflow of resources. When there is a possible obligation or a present obligation in respect of which the likelihood of outflow of resources is remote, no provision or disclosure is made.

प्रावधानों की प्रत्येक तुलन पत्र पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है. यदि यह संभावना नहीं हो कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, तो प्रावधान को रिवर्स कर दिया जाता है.

Provisions are reviewed at each balance sheet and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that: the outflow of resources would be required to settle the obligation, the provision is reversed.

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है. हालांकि, आकस्मिक आस्तियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और यदि आभाषी रूप से यह निश्चित हो कि आर्थिक लाभ उत्पन्न होगा, तो आस्ति और संबंधित आय को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें परिवर्तन हुआ हो.

Contingent assets are not recognized in the financial statements. However, contingent assets are assessed continually and if it is virtually certain that an economic benefit will arise, the asset and related income are recognized in the period in which the change occurs.

20 लाभांश का लेखांकन / Accounting for Dividend

लेखांकन मानक (एएस) 4 ''तुलनपत्र की तारीख के बाद होने वाली आकस्मिकताएं एवं घटनाएं'' के अनुसार, बैंक प्रस्तावित लाभांश या तुलनपत्र की तारीख के बाद घोषित लाभांश को चालू वर्ष के तुलनपत्र में लाभ-हानि खाते से विनियोजन के जरिये देयता के रूप में नहीं दिखाता है. इसे लेखों पर टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है. इसे शेयरधारकों के अनुमोदन वाले वर्ष में दिखाया जाता है. तथापि, बैंक पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिए पूंजी निधियों के निर्धारण में प्रस्तावित लाभांश को हिसाब में लेता है.

In terms of Accounting Standard (AS) 4 “Contingencies and Events occurring after the Balance sheet date” the Bank does not account for proposed dividend or Dividend declared after balance sheet date as a liability through appropriation from profit and loss account in current year balance sheet. This is disclosed in the notes to accounts. The same is recognized in the year of approval of shareholders. However, the Bank reckons proposed dividend in determining capital funds in computing the capital adequacy ratio.

21 अमूर्त आस्तियां / Intangible assets

अ. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI MF Trustee Company Limited

अमूर्त आस्तियों को अधिग्रहण की लागत में संचित परिशोधन और ह्रासित हानियों को घटाने के बाद दिखाया जाता है. अमूर्त आस्ति को उस स्थिति में दर्शाया जाता है, जब यह संभावना हो कि आस्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम को प्रवाहित होंगे और जब इसकी लागत को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है. अमूर्त आस्तियों की परिशोधन योग्य राशि को उसके उपयोगी जीवनकाल के सर्वोत्तम अनुमान पर सीधी रेखा आधार पर आबंटित किया जाता है.

Intangible Assets are stated at cost of acquisition less accumulated amortization and impairment losses, an intangible asset is recognized, where it is probable that the future economic benefits attributable to the asset will flow to the enterprise and where its cost can be reliably measured. The amortizable amount of intangible assets is allocated over the best estimate of its useful life on a straight-line basis

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

अधिग्रहीत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइसेंस शुरू में उस लागत पर पूंजीकृत किये जाते हैं, जिसमें खरीद मूल्य (किसी छूट और बट्टे को घटाकर) तथा आस्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने की अन्य सीधी लागत शामिल होती है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रदर्शन को इसके विनिर्देशों से बेहतर करने, जिसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को सॉफ्टवेयर की मूल लागत में जोड़ा जाता है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रखने से जुड़ी लागतों को खर्च के रूप में तब दिखाया जाता है जब खर्च किया जाता है.

Acquired computer software licenses are initially capitalised at cost, which includes the purchase price (net of any discounts and rebates) and other directly attributable cost of preparing the asset for its intended use. Direct expenditure which enhances or extends the performance of computer software beyond its specifications and which can be reliably measured, is added to the original cost of the software. Costs associated with maintaining the computer software are recognised as an expense when incurred.

पूंजीकरण के लिए पात्र सॉफ्टवेयर विकास पर व्यय को विकासाधीन अमूर्त आस्ति के रूप में दिखाया जाता है जहां ऐसी आस्तियां अभी तक उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं.

Expenditure on software development eligible for capitalisation are carried as Intangible assets under development where such assets are not yet ready for their intended use.

अमूर्त आस्तियों को उनके अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है. परिशोधन के लिए प्रयुक्त अमूर्त आस्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार हैंः

Intangible assets are amortized on a straight line basis over their estimated useful lives. The estimated useful lives of intangible assets used for amortization are:

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर -3 वर्ष / Computer Software -3 years

वेब ट्रेडिंग पोर्टल - 3 वर्ष / Web Trading Portal – 3 years

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कार्ड - 21 वर्ष / Bombay Stock Exchange Card – 21 years

प्रबंधन उपयोग में मूल्य के आधार पर बंबई शेयर बाज़ार ट्रेडिंग अधिकार के आर्थिक मूल्य का अनुमान लगाता है.

Management estimates the economic value of Bombay Stock Exchange Trading Rights based on the value in use.

अधिग्रहण के वर्ष में ₹ 5,000 से कम के एकल मूल्य वाली सभी अमूर्त आस्तियों और सक्रिय उपयोग से बाहर कर दी गई आस्तियों को पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.

All Intangible Assets having individual value of less than ₹ 5,000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.

इ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Intech Limited

सॉफ्टवेयर जैसी अमूर्त आस्तियों, जिस पर कंपनी के पास मालिकाना अधिकार जारी रहता है, को लागत पर पूंजीकृत किया जाता है. अनुसंधान लागत व्यय के रूप में खर्च की जाती है. सॉफ़्टवेयर उत्पाद विकास लागतों को तब तक व्यय के रूप में खर्च किया जाता है जब तक कि परियोजना की तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहार्यता का प्रदर्शन न हो, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित न हों, कंपनी के पास सॉफ़्टवेयर को पूरा करने और उपयोग करने या बेचने का

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

इरादा और क्षमता न हो और लागतों को विश्वसनीयता से मापा न जा सकता हो. जिन लागतों को पूंजीकृत किया जा सकता है, उनमें सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष मानव-शक्ति और उपरि लागत शामिल हैं जो आस्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं.

The intangible assets like software's, on which propriety rights continue with the company, are capitalized at costs. Research costs are expensed as incurred. Software product development costs are expensed as incurred unless technical and commercial feasibility of the project is demonstrated, future economic benefits are probable, the Company has an intention and ability to complete and use or sell the software, and the costs can be measured reliably. The costs which can be capitalized include the cost of material, direct man-power and overhead costs that are directly attributable to preparing the asset for its intended use.

इ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

लेखांकन मानक एएस-26 के अनुसार, अमूर्त आस्तियों को अधिग्रहण की लागत में संचित परिशोधन को घटाने के बाद दिखाया जाता है. अमूर्त आस्तियों का परिशोधन आस्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर किया जाता है.

In accordance with accounting standard AS-26, Intangible assets are stated at cost of acquisition less accumulated amortization. Amortization of Intangible assets is provided on written down value method on the basis of estimated useful life of the asset.

ई. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
E. In case of IDBI Asset Management Limited

अमूर्त आस्तियों की पहचान लागत पर उस वर्ष की जाती है जब इसे उपयोग में लाया जाता है. अमूर्त आस्तियों को संचित परिशोधन और ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर दिखाया जाता है.

InIntangible assets are recognised in the year it is put to use at cost. Intangible assets are carried at cost less accumulated amortization and impairment loss, if any.

22 उधार लेने की लागत / Borrowing Costs

आ. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI MF Trustee Company Limited

उधार लागतों के बारे में लेखा मानक 16 में यथा परिभाषित अर्हकारी आस्तियों के अधिग्रहण या निर्माण के लिए उधार लेने की लागत को आस्ति की लागत के हिस्से के रूप में उस तारीख तक पूंजीकृत किया जाता है जिस तारीख को आस्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है. अन्य उधार लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च की जाती हैं..

Borrowing costs that are attributable to the acquisition or construction of qualifying assets, as defined in Accounting Standard 16 on Borrowing Costs, are capitalized as part of the cost of the asset up to the date when the asset is ready for its intended use. Other borrowing costs are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Intech Limited

अर्हकारी आस्तियों के अधिग्रहण या निर्माण से संबंधित उधार की लागतों को ऐसी आस्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है. अर्हकारी आस्ति वह है जो अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है. अन्य सभी उधार लागतें राजस्व के रूप में प्रभारित की जाती हैं.

Borrowing costs attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalised as part of the cost of such assets. A qualifying asset is one that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. All other borrowing costs are charged to revenue.

इ. आईडीबीआई असेट मैनजमेंट लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Asset Management Limited

अर्हकारी आस्तियों के अधिग्रहण या निर्माण से संबंधित उधार लागत को जब तक ऐसी आस्तियां अभीष्ट उपयोग के लिए तैयार होती है तब तक आस्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है. अन्य सभी उधार लागतों का व्यय उस अवधि में किया जाता है, जिसमें वे होती हैं.

Borrowing costs attributable to the acquisition or construction of qualifying assets, till the time such assets are ready for intended use are capitalised as part of cost of Assets. All other borrowing cost are expensed in the period they occur.

ई. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI Capital Markets and Securities Limited

उधार लागत में ब्याज शामिल है. ब्याज व्यय बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू ब्याज दर द्वारा समय के आधार पर उपचित होते हैं. ब्याज को सुसंगत अवधि में व्यय के रूप में परिशोधित किया जाता है.

Borrowing cost includes interest. Interest expenses are accrued on a time basis, by a reference to the principal outstanding and at the interest rate applicable. The interest is amortised as an expense over the relevant period.

23 नकद और नकदी समतुल्य / Cash & Cash equivalents

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI bank Limited

नकद और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, आरबीआई के पास शेष, अन्य बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि शामिल हैं.

Cash and cash equivalents include cash in hand, balances with the RBI, balances with other banks and money at call and short notice.

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Intech Limited

कंपनी सभी अत्यधिक तरल वित्तीय लिखतों को शामिल करती है, जो नकदी की ज्ञात राशि में तत्काल परिवर्तनीय है और मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन है और समापन की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्व होने वाली जमाराशि को नकदी समतुल्य माना जाता है. नकद और नकदी समतुल्यों में बैंकों में शेष राशि शामिल है, जो आहरण और उपयोग के लिए अप्रतिबंधित है.

The company considers all highly liquid financial instruments, which are readily convertible in to known amounts of cash that are subject to an insignificant risk of change in value and the deposits maturing within Twelve Months from the closing date are considered to be Cash equivalents. Cash and Cash equivalents consists of balances with banks, which are unrestricted for withdrawal and usage.

इ. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कं. लि. के मामले में
C. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Co. Limited

नकद में हाथ में नकदी और बैंकों में मांग जमाराशियां शामिल हैं. नकदी समतुल्य अल्पावधि शेष हैं (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल जमाराशियां जो तत्काल नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तित हो जाती हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन होती हैं.

Cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short term balances (with an Original Maturity of Three months or less from the date of acquisition), Highly liquid deposits that are readily converted in to known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

ई. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI Asset Management Limited

नकद और नकदी समतुल्य में नकद और बैंकों में चालू खातों में शेष शामिल हैं. कंपनी खरीद की तारीख को तीन महीने या उससे कम की शेष परिपक्वता वाले सभी अत्यधिक तरल निवेशों को शामिल करती है और जो नकदी समतुल्य होने के लिए तत्काल नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं.

Cash and Cash equivalents comprises of cash and current account balances with banks. The company considers all highly liquid investments with a remaining maturity at the date of purchase of Three months or less and that are readily converted in to known amounts of cash to be cash equivalents

24 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व / Corporate Social Responsibility

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के लिए किये गये व्यय को लाभ और हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Expenditure towards corporate social responsibility, in accordance with Companies Act, 2013, is recognised in the Profit and Loss Account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

25 दुर्वह संविदा / Onerous contracts

दुर्वह संविदाओं के प्रावधानों को तब दर्शाया जाता है जब संविदा से बैंक को प्राप्त होने वाले अपेक्षित लाभ संविदा के तहत भविष्य के दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं. प्रावधान की गणना में संविदा समाप्त करने की अपेक्षित लागत और संविदा को जारी रखने की अपेक्षित निवल लागत के वर्तमान मूल्य में से कमतर पर की जाती है. किसी प्रावधान को निश्चित करने से पहले, बैंक उस संविदा से जुड़ी आस्तियों पर किसी ह्रासित हानि का निर्धारण कर लेता है.

Provisions for onerous contracts are recognised when the expected benefits to be derived by the Bank from a contract are lower than the unavoidable costs of meeting the future obligations under the contract. The provision is measured at the present value of the lower of the expected cost of terminating the contract and the expected net cost of continuing with the contract. Before a provision is established, the Bank recognises any impairment loss on the assets associated with that contract.

26 नकदी प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement

अ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के मामले में
A. In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह विवरणों से संबंधित लेखांकन मानक 3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि द्वारा तैयार किया जाता है और यह कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों द्वारा नकदी प्रवाह को प्रस्तुत करता है.

The Cash Flow Statement is prepared by the indirect method set out in Accounting Standard 3 on Cash Flow Statements and presents the cash flows by operating, investing and financing activities of the Company.

नकदी प्रवाह विवरण में दर्शाये गए नकद और नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी और बैंकों में मांग जमाराशियां शामिल हैं.

Cash and Cash equivalents presented in the Cash Flow Statement consist of cash on hand and demand deposits with banks.

आ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

नकदी प्रवाह विवरण (एएस-3) से संबधित लेखांकन मानक में वर्णित "अप्रत्यक्ष पद्धति" के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण तैयार किए जाते हैं. कंपनी के नियमित राजस्व उत्पन्न, वित्तपोषण और निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह को अलग-अलग किया जाता है.

Cash flow statements are prepared in accordance with "Indirect method" as explained in accounting standard on Cash flow statement (AS-3). The cash flows from regular revenue generating, financing and investing activities of the company are segregated.

इ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Asset Management Limited

नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि के प्रयोग द्वारा रिपोर्ट किए जाते हैं, जिससे गैर नकदी प्रकृति के लेनदेनों के प्रभाव, नकदी प्राप्ति या भुगतान के भूत या भविष्य में परिचालित किसी आस्थगन या उपचय और निवेश या वित्तीय नकद प्रवाहों से जुड़े आय या व्ययों के मद के लिए कर पूर्व निवल लाभ को समायोजित किया जाता है. कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह को अलग-अलग किया जाता है.

Cash Flows are reported using indirect method whereby net profits before tax is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments and item of income or expenses associated with investing or financing cash flows. The cash flows from operating, investing and financing activities of the company are segregated.

ई. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI MF Trustee Company Limited

नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष विधि के प्रयोग द्वारा रिपोर्ट किये जाते हैं, जिससे गैर नकदी प्रकृति के लेनदेनों के प्रभाव और नकदी प्राप्ति या भुगतान के भूत या भविष्य के किसी आस्थगन या उपचय के लिए असाधारण मदों और कर पूर्व लाभ/(हानि) को समायोजित किया जाता है. कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तीय कार्यकलापों से नकदी प्रवाह को उपलब्ध सूचना के आधार पर अलग-अलग किया जाता है.

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit/ (loss) before extraordinary items and tax is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated based on the available information.

अनुसूची 18 - समेकित लेखा टिप्पणियां
SCHEDULE 18 - NOTES TO CONSOLIDATED ACCOUNTS

1. अवधि के लिए निवल लाभ अथवा हानि, पूर्वावधि मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन (एएस-5)
NET PROFIT OR LOSS FOR THE PERIOD, PRIOR PERIOD ITEMS AND CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES (AS-5)

- 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/ व्यय मदें नहीं थी.
- There were no material prior period income/ expenditure items for the year ended March 31, 2024 and March 31, 2023.

- पिछले वित्तीय वर्ष में अनुसरण की गई नीतियों की तुलना में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.
- There is no change in significant accounting policies adopted during the year ended March 31, 2024 as compared to those followed in the previous financial year.

2. स्थायी आस्तियां (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण) (एएस-10)
FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT & EQUIPMENTS) (AS-10)

(i) 31 मार्च 2024 को पूनर्मूल्यन आरक्षित निधि में शेष ₹7,933 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8,201 करोड़) है.
The balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2024 is ₹7,933 Crores (Previous year ₹8,201 Crores).

(ii) वर्ष के दौरान आवासीय /कार्यालय भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री से ₹ 83 करोड़ (पिछले वर्षः निवल हानि ₹2 करोड़) का निवल लाभ हुआ है जिसे अनुसूची 14 - अन्य आय में शामिल किया गया है.
Net Profit amounting to ₹83 Crore (Previous year: Net Loss ₹2 crore) on account of sale of residential/office buildings and other assets during the year is included in Schedule 14 - Other Income.

(iii) लाभांश के वितरण के लिए पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि उपलब्ध नहीं है.
Revaluation reserve is not available for distribution of dividends.

(iv) बैंक ने एनबीसीसी द्वारा प्रदान किए गए स्वामित्व पत्र के आधार पर वाणिज्यिक स्थान के एक हिस्से को ₹334 करोड़ की राशि से पूंजीकृत किया है. हक विलेख को आईडीबीआई बैंक के नाम पर निष्पादित किया जाना बाकी है.
The Bank has capitalized a portion of commercial space amounting of ₹334 Crore on the basis of possession letter provided by the NBCC. The title deed is yet to be executed in the name of IDBI Bank.

3. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित) / EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (REVISED)

कर्मचारी लाभ योजना
Employee Benefit Schemes

I. **निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं** / Defined Contribution Schemes

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लाभ-हानि खाते में भविष्य निधि में अंशदान के लिए निर्धारित और शामिल राशि
The amount recognized and included for Contribution to Provident Fund in Profit and Loss Account in FY 23-24

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

संस्था Entity	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड / IDBI Bank Ltd	6	7
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड / IDBI Asset Management Limited	0.14	0.38
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड IDBI Capital Markets & Securities Limited	1	1

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

संस्था Entity	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड / IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.31	0.27
आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड / IDBI Intech Limited	6	5

क) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में :

a) In case of IDBI Bank Limited :

(i) **भविष्य निधि**

Provident Fund

31 मार्च 2008 से पूर्व बैंक में सेवा ग्रहण करने वाले कर्मचारियों, पेंशन का विकल्प चुनने वाले को छोड़कर, को भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भविष्य निधि योजना में निर्दिष्ट अंशदान करता है. भविष्य निधि योजना का प्रबंधन 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि न्यास (न्यास) के ट्रस्टी बोर्ड' द्वारा किया जाता है. आईडीबीआई होम फ़ाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) और आईडीबीआई गिल्टस लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संदर्भ में मई 2011 तक भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किया गया था और इसके बाद अंशदान ऊपर उल्लिखित निधि में किया गया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान ₹6 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹7 करोड़) पीएफएस में अंशदान किया गया है और लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is managed by "The Board of Trustees of IDBI Bank Employees' Provident Fund Trust (Trust)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the FY 2023-24 ₹6 crore (Previous FY 2022-23 ₹7 crore) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

(ii) **नई पेंशन योजना**

New Pension Scheme

1 अप्रैल 2008 के बाद बैंक में नियुक्त कर्मचारियों को आईडीबीआई बैंक लि. की नयी पेंशन योजना (आईबीएलएनपीएस) के अंतर्गत कवर किया गया है जिसमें बैंक वेतन और महंगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप में अंशदान करता है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, आईबीएलएनपीएस में ₹ 199 करोड़ (पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹177 करोड़) का योगदान किया गया है और लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by IDBI Bank Ltd. New Pension Scheme (IBLNPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the FY 2023-24, ₹199 crore (Previous FY 2022-23 ₹177 crore) has been contributed to IBLNPS and charged to Profit and Loss Account.

ख) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के मामले में:

b) In case of IDBI Trusteeship Services Ltd :

कंपनी स्थानीय विनियमनों के अनुसार सार्वजनिक रूप से प्रशासित भविष्य निधि में भविष्य निधि के अंशदान का भुगतान करती है. एक बार योगदान का भुगतान कर दिए जाने के बाद कंपनी का आगे कोई भुगतान दायित्व नहीं है. अंशदानों को परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में माना जाता है और योगदानों को कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जब वे खर्च किए जाते हैं. प्रीपेड योगदान को उस सीमा तक आस्ति के रूप में पहचाना जाता है, जहां तक नकद वापसी या भविष्य के भुगतानों में कमी उपलब्ध है. वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 0.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.27 करोड़) भविष्य निधि में योगदान के लिए व्यय की पहचान की है.

The Company pays provident fund contributions to publicly administered provident funds as per local regulations. The Company has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions are accounted for as defined contribution plans and the contributions are recognized as employee benefit expenses when they are incurred. Prepaid contributions are recognized as an asset to the extent that a cash refund or a reduction in the future payments is available. During the year, the company has recognized expense towards contributions to provident fund for ₹0.31 Crore (Previous year ₹0.27 Crore).

ग) **आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में**

c) **In case of IDBI Intech Limited**

कर्मचारी और कंपनी दोनों ही योजना में शामिल कर्मचारियों के वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर राशि भविष्य निधि योजना में मासिक आधार पर अंशदान करते हैं. कंपनी के उन कर्मचारियों के मामले में जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ़ओ) के पास पंजीकृत हैं और जिनके पास यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरपीवाई) के दिशानिर्देशों के अधीन नए कर्मचारियों के संबंध में भारत सरकार ने ईपीएफ़ और ईपीएस दोनों में पूर्ण नियोक्ता अंशदान का भुगतान किया है. शेष कर्मचारियों के लिए और सभी कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण योगदान सरकार द्वारा अभिशासित कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि में किया जाता है. लाभार्थियों को प्रति वर्ष देय ब्याज के बारे में सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है. वर्ष के दौरान, कंपनी ने भविष्य निधि में योगदान के लिए ₹6 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5 करोड़) दर्ज किये हैं.

Both the employees and the Company make monthly contributions to the Provident Fund Plan equal to a specified percentage of the covered employee's salary. In case of Company's employees enrolled with the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) having Universal Account Number (UAN), the Government of India had paid the full employer's contribution to both EPF and EPS in respect of new employees under the guidelines of Pradhan Mantri Rojgar Yojana (PMRPY). For the remaining employees and the entire contribution in respect of all employees is contributed to the Government administered Employee Provident and Pension Fund. The interest rate payable to the beneficiaries every year is being notified by the Government. During the year, the Company has recognized expenses towards contributions to provident fund for ₹ 6 Crore, (Previous year ₹5 Crore).

घ) **आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स और सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में**

d) **In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited**

कंपनी की भारत में भविष्य निधि और अधिवर्षिता निधि के रूप में रोजगार के बाद के लाभों के लिए निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं हैं जो भारत सरकार और/या भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से प्रशासित होती हैं. योगदान उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है जब संबंधित निधियों में योगदान देय होता है. वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 1 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1 करोड़) के भविष्य निधि में योगदान के लिए व्यय को मान्यता दी है.

The Company has defined contribution plans for post-employment benefits in the form of provident fund and superannuation fund in India which are administered through Government of India and/or Life Insurance Corporation of India (LIC). Contributions are charged to the Profit & Loss Account of the year when the contributions to the respective funds are due. During the year, the company has recognized expense towards contributions to provident fund for ₹1 Crore (Previous year ₹1 Crore).

ङ) **आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में**

e) **In case of IDBI Asset Management Limited**

वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹0.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.38 करोड़) के भविष्य निधि में योगदान के लिए व्यय को मान्यता दी है.

During the year, the company has recognized expense towards contributions to provident fund for ₹0.14 Crore (Previous year ₹0.38 Crore).

II. **निर्दिष्ट लाभ योजनाएं / Defined Benefit Schemes**

क) **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में**

a) **In case of IDBI Bank Limited**

(i) बैंक 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट' में कर्मचारियों के ग्रेच्युटी दायित्व के लिए अंशदान करता है.
The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust.

(ii) बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं जो 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा संचालित होती है.
Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust.

(iii) इन निर्दिष्ट लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागतों की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करते हुए की जाती है.
The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ख) आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में

b) In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

कंपनी की एक निर्दिष्ट लाभ ग्रेच्युटी योजना है. प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उसे सेवा-मुक्त होते समय सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (अंतिम आहरित वेतन) की ग्रेच्युटी मिलती है जो अधिकतम ₹ 0.20 करोड़ है.

The Company has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has completed five years or more of service gets a gratuity on departure at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service subject to a maximum of ₹0.20 crore.

ग) आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में

c) In case of IDBI Asset Management Limited

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार कंपनी सभी कर्मचारियों को कवर करने वाली निर्दिष्ट लाभ सेवानिवृत्ति योजना के रूप में ग्रेच्युटी का प्रावधान करती है. संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में उसके नियोजन के वर्षों के आधार पर निहित कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या सेवा समापन पर एकमुश्त राशि दी जाती है.

ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियंत्रित तथा प्रबंधित ग्रेच्युटी निधि के जरिए प्रदान किया जाता है. इन निधियों में वार्षिक अंशदान तथा प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.

In accordance with Payment of Gratuity Act, 1972, the Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering all employees. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirement or termination of employment based on the respective employee's salary and the years of employment with the Company.

The gratuity and leave encashment benefit are provided through a Gratuity Fund administrated and managed by the Life Insurance Corporation of India. The annual contributions to the these funds and provision is made on the basis of actuarial valuation.

घ) आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले

d) In case of IDBI Intech Limited

कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा प्रशासित कर्मचारी समूह उपदान बीमा योजना में वार्षिक अंशदान करती है जो अर्हताप्राप्त कर्मचारियों के लिए एक निधिक निर्दिष्ट लाभ योजना है. इस योजना में पूरे किए गए सेवा वर्षों के आधार पर या उसके भाग के रूप में छह माह से अधिक होने पर निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या सेवा की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान करने का प्रावधान है. यह लाभ पांच वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने पर मिलता है.

The company makes annual contribution to the Employee's Group Gratuity Assurance Scheme, administered by the Life Insurance Corporation of India (LIC), a funded defined benefit plan for qualifying employees. The scheme provides for lump sum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment based on completed years of service or part thereof in excess of six months. Vesting occurs on completion of five years of continuous service.

ङ) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में

e) In case of IDBI Trusteeship Services Limited

निर्दिष्ट लाभ ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में तुलन पत्र में देयता या आस्ति, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्दिष्ट लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में से योजना की आस्तियों का उचित मूल्य घटा कर दिखाई जाती है. प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का उपयोग करके बीमांककों द्वारा निर्दिष्ट लाभ दायित्व की गणना वार्षिक रूप से की जाती है.

The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of defined benefit gratuity plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of the plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by actuaries using projected unit credit method.

भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित निर्दिष्ट लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाज़ार प्रतिफल के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह की भुनाई कर निर्धारित किया जाता है, जिसकी शर्तें संबंद्ध दायित्व की शर्तों के लगभग अनुरूप हैं.

The present value of the defined benefit obligation denominated in INR is determined by discounting the estimated future cash outflows by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds that have terms approximating to the terms of the related obligation.

निवल ब्याज लागत की गणना निर्दिष्ट लाभ बाध्यता के निवल शेष तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य पर बट्टा दर लागू करके की जाती है. यह लागत लाभ और हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय में शामिल की जाती है.
The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expenses in the statement of profit and loss.

योजना में संशोधन या कटौती के परिणामस्वरूप निर्दिष्ट लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को पिछली सेवा लागत के रूप में तत्काल लाभ या हानि के रूप में दर्शाया जाता है.
Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognized immediately in profit or loss as past service cost.

निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और 31 मार्च 2024 को समूह के वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो एएस - 15 (संशोधित) के अनुसार है.
The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognized in the Group's financial statements as at March 31, 2024 which is as per AS-15 (Revised).

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	पेंशन यथा Pension As at 31 मार्च 2024 March 31, 2024	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at 31 मार्च 2024 March 31, 2024	पेंशन यथा Pension As at 31 मार्च 2023 March 31, 2023	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at 31 मार्च 2023 March 31, 2023
क) लाभ दायित्वों में परिवर्तन: **a) Change in benefit obligations:**				
वर्ष के प्रारम्भ में अनुमानित लाभ दायित्व # Projected benefit obligation beginning of the year #	3,793	985	3,619	970
ब्याज लागत / Interest cost	285	74	268	71
चालू सेवा लागत / Current Service cost	44	33	45	36
सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान हुई पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(226)	(88)	(215)	(89)
जनसांख्यिकीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि Actuarial (gain)/ loss due to change in Demographic assumptions	-	(0)	-	(0.03)
वित्तीय अवधारणाओं में बदलाव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	124	28	(95)	(19)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

	विवरण Particulars	पेंशन यथा Pension As at 31 मार्च 2024 March 31, 2024	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at 31 मार्च 2024 March 31, 2024	पेंशन यथा Pension As at 31 मार्च 2023 March 31, 2023	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at 31 मार्च 2023 March 31, 2023
	अनुभव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	226	18	171	16
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ / दायित्व **Projected benefit/obligation, end of the year**	**4,246**	**1,050**	**3,793**	**985**
ख) b)	**योजना आस्तियों में परिवर्तन :** **Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य # Fair value of plan assets, beginning of the year #	3,900	1,079	3,821	1,035
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected return on plan assets	293	81	283	75
	नियोक्ता का अंशदान Employer's contributions	26	3	54	55
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(226)	(88)	(215)	(89)
	बीमांकिक लाभ / (हानि) / Actuarial gain / (loss)	90	3	(43)	3
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य **Fair value of plan assets at the end of the year**	**4,083**	**1,078**	**3,900**	**1,079**
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान** **Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	4,246	1,050	3,793	985
	योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at end of the year	4,083	1,078	3,900	1,079
	तुलन-पत्र में दर्शाई गई निवल (देयता)/ आस्ति **Net (Liability)/Asset Recognized in the Balance Sheet**	**(163)**	**28**	**107**	**94**
घ) d)	**लाभ और हानि खाते में दर्शाए गए व्यय** **Expenses Recognised in Profit &Loss Account**				
	सेवा लागत / Service cost	44	33	45	36
	ब्याज लागत / Interest cost	285	74	268	71

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

	विवरण Particulars	पेंशन यथा Pension As at 31 मार्च 2024 March 31, 2024	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at 31 मार्च 2024 March 31, 2024	पेंशन यथा Pension As at 31 मार्च 2023 March 31, 2023	ग्रेच्युटी यथा Gratuity As at 31 मार्च 2023 March 31, 2023
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ Expected return on plan assets	(293)	(80)	(283)	(75)
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (gain)/ loss	260	43	119	(6)
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान स्वीकार की गई पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	-	-	-	-
	वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की वास्तविक लागत **Actual cost to P & L for the year**	296	70	148	26
ङ) e)	**आस्तियों की श्रेणी** **Category of Assets**				
	सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities	549	-	401	-
	कॉरपोरेट बॉण्ड/ Corporate Bonds	1,034	-	1,182	-
	विशेष जमा योजना / Special Deposits Scheme	-	-	-	-
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां Insurer Managed Funds	2,189	1,021	2,229	1,079
	नकद और नकदी समतुल्य Cash and Cash equivalents	-	-	11	-
	अन्य / Others	311	58	78	-
	कुल / Total	**4,083**	**1,078**	**3,900**	**1,079**
च) f)	**अगले वर्ष में अपेक्षित अंशदान** **Expected contribution in next year**	106	5	-	1
छ) g)	**लेखांकन में प्रयुक्त मान्यताएँ:** **Assumptions used in accounting:**				
	बट्टा दर / Discount rate	7.24%	7.14 % से 7.22% तक From 7.14 % to 7.22%	7.52%	7.20 % से 7.51% तक From 7.20 % to 7.51%
	योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर Rate of return on plan assets	7.24%	7.17 % से 7.22% तक From 7.17 % to 7.22%	7.52%	7.20 % से 7.51% तक From 7.20 % to 7.51%
	वेतन बढ़ोतरी दर Salary escalation rate	5.75%	5% से 10% तक From 5% to 10%	5.75%	5% से 10% तक From 5% to 10%

 # एजीस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से संबंधित राशि की सीमा तक समायोजन किया गया है, जिसका निस्तारण 21 सितंबर, 2022 को किया गया है.

 # Adjustment is made to the extent of amount pertaining to Ageas Federal Life Insurance Company Limited, which is disposed on September 21, 2022.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

विवरण Particulars	पेंशन यथा 31 मार्च 2024 Pension As at March 31, 2024	ग्रेच्युटी यथा 31 मार्च 2024 Gratuity As at March 31, 2024	पेंशन यथा 31 मार्च 2023 Pension As at March 31, 2023	ग्रेच्युटी यथा 31 मार्च 2023 Gratuity As at March 31, 2023
नौकरी छोड़ने की दर Attrition Rate	4 वर्ष और उससे कम सेवा के लिए 3.60% प्रति वर्ष. 5 वर्ष और उससे अधिक की सेवा के लिए 2.49% प्रतिवर्ष For service 4 years and below 3.60% p.a. For service 5 years and above 2.49% p.a	4 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा उसके बाद 2.49% 3.60% for service less than 4 years and 2.49% thereafter	4 वर्ष और उससे कम सेवा के लिए 3.60% प्रतिवर्ष तथा उसके बाद 2.49% 3.60% p.a. for 4 years and below service and 2.49% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.60% तथा उसके बाद 2.49% 3.60% for service less than 5 years and 2.49% thereafter
मृत्यु दर Mortality Rate	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban).	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban).	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर 2012-14 (शहरी) Indian Assured Lives Mortality 2012-14 (Urban)

बीमांकिक मूल्यांकन में भावी वेतन आय वृद्धि के आकलन में मुद्रास्फीति,वरिष्ठता,पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है.
The estimates of future salary income increases considered in the actuarial valuation takes into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors.

योजना आस्तियों को सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त प्रतिफल वक्र के आधार पर बाजार मूल्य पर चिन्हित किया जाता है. इसलिए प्रतिलाभ की अपेक्षित दर को छूट दर के समान रखा गया है.
The Plan assets are marked to market on the basis of the yield curve derived from government securities. Hence, the expected rate of return has been kept the same as the discount rate.

अनुभव समायोजन / Experience Adjustments

i. **उपदान योजना / Gratuity Plan**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
निर्दिष्ट लाभ दायित्व Defined benefit obligation	1050	985	973	952	946
योजना आस्तियां / Plan assets	1078	1,079	1,038	1,017	893
अधिशेष/(घाटा) / Surplus/(deficit)	28	94	64	65	(53)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan liabilities [Gain / (Loss)]	(18)	(16)	(23)	(14)	(55)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan assets [Gain / (Loss)]	3	3	13	(0.18)	4

ii. **पेंशन योजना / Pension Plan**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023	31 मार्च 2022 March 31, 2022	31 मार्च 2021 March 31, 2021	31 मार्च 2020 March 31, 2020
निर्दिष्ट लाभ दायित्व Defined benefit obligation	4,246	3,793	3,619	3,190	2,993
योजना आस्तियां / Plan assets	4,083	3,900	3,821	3,092	2,698
अधिशेष/(घाटा) / Surplus/(deficit)	(163)	107	201	(98)	(295)
योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन [लाभ/(हानि)] Experience adjustments On plan liabilities [Gain / (Loss)]	(227)	171	(245)	15	(351)
योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन [लाभ/हानि] Experience adjustments On plan assets [Gain / (Loss)]	90	(43)	154	41	14

अन्य दीर्घावधि लाभ
Other Long Term benefits

1. **छुट्टी नकदीकरण/ Leave Encashment/ Sick Leave**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2023
कुल बीमांकिक देयता / Total Actuarial Liability	915	749
धारणाएं / Assumptions		
छूट की दर / Discount Rate	7.14% से 7.22% तक From 7.14% to 7.22%	7.20% से 7.51% तक From 7.20% to 7.51%
वेतन वृद्धि दर / Salary Escalation Rate	5% से 10% तक From 5% to 10%	5% से 10% तक From 5% to 10%

2. **स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना / Voluntary Health Scheme**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2023
कुल बीमांकिक देयता / Total Actuarial Liability	61	60
धारणाएं / Assumptions		
छूट की दर / Discount Rate	7.24%	7.52%

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

3. बैंक के कर्मचारी विकलांगता सहायता के लिए पात्र हैं जो कि विकलांगता की घटना होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है.
Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

4. भविष्य निधि
Provident Fund

एएस15, कर्मचारी लाभ पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया है कि नियोक्ता द्वारा स्थापित भविष्य निधि, जहां ब्याज की गारंटी है, को निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के रूप में माना जाना चाहिए और दायित्व का मूल्यांकन किया जाना चाहिए. इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया (आईएआई) ने छूट प्राप्त भविष्य निधियों पर गारंटीकृत ब्याज दर के मूल्यांकन पर एक मार्गदर्शन नोट जारी किया है. बीमांकक ने तदनुसार इसका मूल्यांकन किया है और बैंक ने गारंटीकृत ब्याज लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के लिए 31 मार्च 2024 को शून्य का प्रावधान रखा है.

The guidance note on AS15, Employee Benefits, states that Employer established Provident Funds, where interest is guaranteed are to be considered as defined benefit plans and the liability has to be valued. The Institute of Actuaries of India (IAI) has issued a guidance note on valuation of interest rate guaranteed on exempt provident funds. The actuary has accordingly valued the same and the Bank held provision of NIL as on March 31, 2024 towards the present value of the guaranteed interest benefit obligation.

कर्मचारी लाभ के लिए अतिरिक्त प्रावधान \ Additional Provision towards Employee Benefits

नवंबर 2022-अक्तूबर 2027 की अवधि के लिए प्रस्तावित संशोधित वेतनमान के कार्यान्वयन के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त देयता को पूरा करने के लिए कर्मचारी लाभ हेतु अतिरिक्त प्रावधान निम्नानुसार किया गया है:
An additional provision towards employee benefits has been made to meet the additional liability which may arise in effect of implementation of proposed revised pay scale for the period Nov 2022- October 2027 as under

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended March 31, 2023
पेंशन / Pension	22	190
ग्रेच्युटी /Gratuity	3	48
छुट्टियाँ / Leave	148	112
कुल / Total	**173**	**350**

उपर्युक्त तालिका में ग्रेच्युटी की निर्दिष्ट लाभ योजना के अंतर्गत दिए गए विवरण उपर्युक्त प्रावधानों को प्रभावित नहीं करते हैं.
Details given under Defined benefit scheme of gratuity in table above do not have effect of the above provision

4. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17) / SEGMENT REPORTING (AS-17)

बैंक मुख्यतः निम्नलिखित तीन कारोबारी खंडों में परिचालन करता है :
The Bank primarily operates in three business segments as under:

i)	ट्रेजरी / Treasury	ट्रेजरी परिचालन में सभी निवेश, मुद्रा बाज़ार परिचालन, डेरिवेटिव सौदे, प्रोप्राइटरी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include all investments, money market operations, derivative trading, and foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
ii)	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में मोटे तौर पर ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से वैयक्तिक और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार सहित लघु कारोबार उन्मुख हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रेवल/ करेंसी कार्ड और लेनदेन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet Banking, mobile Banking, credit cards, debit cards, travel/currency cards, and transaction Banking services.

iii)	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अलावा जमा एवं ऋण कार्यकलाप सहित कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी/ समूहन, परियोजना मूल्यांकन भी शामिल है. कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में परिणाम, राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों संबंधी नियोजित पूंजी शामिल की जाती हैं. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal. Results, revenue and capital employed of international operations are included in Corporate/Wholesale Banking segment.
iv)	अविनिधानित / Unallocated	इसमें प्रावधान घटाकर अग्रिम प्रदत्त कर, आस्थगित कर और संस्था स्तर पर गणना किये गये प्रावधानों जैसी मदें शामिल हैं. Includes items such as tax paid in advance net of provision, deferred tax and provisions to the extent reckoned at the entity level.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित खंड सूचना
Consolidated Segment Information for the year ended March 31, 2024

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
क. a.	**खंड राजस्व Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	8,766	6,138
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	30,104	25,092
	ट्रेजरी / Treasury	13,362	9,606
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	587	452
	अविनिधानित / Unallocated	88	300
	कुल / Total	**52,907**	**41,588**
	घटाएं :- अंतर-खंड राजस्व / Less :- Inter-segment revenue	22,537	16,421
	निवल खंड राजस्व / Net Segment Revenue	**30,370**	**25,167**
ख. b.	**खंड परिणाम - कर पूर्व लाभ/ (हानि) Segment Results -Profit/(loss) before tax**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	3,579	3,439
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	2,261	977
	ट्रेजरी / Treasury	2,179	422
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	286	186
	अविनिधानित / Unallocated	87	300
	कर पूर्व लाभ/ (हानि) / Profit/(Loss) before tax	**8,392**	**5,324**
	आय कर / Income taxes	2,604	1,618
	निवल लाभ/ (हानि) / Net profit/(Loss)	**5,788**	**3,706**
ग. c.	**खंड आस्तियां Segment assets**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	50,460	46,142
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	1,41,951	1,29,710
	ट्रेजरी / Treasury	1,59,518	1,40,884
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	691	679
	अविनिधानीत आस्तियां / Unallocated assets	11,652	14,083
	कुल आस्तियां / Total assets	**3,64,272**	**3,31,498**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित खंड सूचना
Consolidated Segment Information for the year ended March 31, 2024

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
घ. d.	**खंड देयताएं Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	30,592	19,184
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	2,61,700	2,50,402
	ट्रेजरी / Treasury	20,692	15,403
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	215	190
	अविनिधानीत देयताएं / Unallocated liabilities	-	-
	कुल देयताएं / Total liabilities	**3,13,199**	**2,85,179**
ड़. e.	**पूंजी नियोजन (खंड आस्तियां- खंड देयताएं) Capital employed (Segment assets-Segment liabilities)**		
	कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale banking	19,868	26,958
	खुदरा बैंकिंग / Retail banking	(1,19,749)	(1,20,692)
	ट्रेजरी / Treasury	1,38,826	1,25,481
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other banking operations	476	489
	अविनिधानित / Unallocated	11,652	14,083
	कुल / TOTAL	**51,073**	**46,319**

- रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार और लागू लेखा मानक (एएस) - 17, 'खंड रिपोर्टिंग' के अनुपालन में, रिपोर्ट करने योग्य खंडों को ट्रेजरी, कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग कार्यों के रूप में पहचाना जाता है।
  As per extant RBI guidelines and in compliance with the applicable Accounting Standard (AS) – 17, 'Segment Reporting', reportable segments are identified as Treasury, Corporate/Wholesale Banking, Retail Banking and other banking operations.
- योजनाओं और सेवाओं के स्वरुप और जोखिम प्रोफ़ाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफ़ाइल, संगठन संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद इन खंडों की पहचान उक्त लेखा मानक (एएस) के अनुरूप की गई है।
  These segments have been identified in line with the said Accounting Standard (AS) after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.
- 'खंड परिणाम' निर्धारित करने में, बैंक द्वारा अपनाई गई निधि अंतरण मूल्य प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है।
  In determining 'Segment Results', the funds transfer price mechanism adopted by the Bank has been used.
- परिणाम, राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के नियोजित पूंजी को कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग खंड में शामिल किया गया है।
  Results, Revenue and Capital Employed of International operations are included in Corporate/Wholesale Banking segment.
- लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, योजनाओं और सेवाओं की प्रकृति, विभिन्न जोखिमों और प्रतिलाभों, संगठन संरचना, आंतरिक व्यापार रिपोर्टिंग प्रणाली को ध्यान में रखते हुए व्यापार खंडों की पहचान और रिपोर्ट की गई है और डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (डीबीयू) की स्थापना के बारे में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 7 अप्रैल 2022 के अपने परिपत्र के माध्यम से निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार रिज़र्व बैंक ने रिटेल बैंकिंग खंड के उप-खंड के रूप में डिजिटल बैंकिंग खंड की रिपोर्टिंग निर्धारित की है. बैंक के प्रस्तावित डीबीयू ने परिचालन शुरू नहीं किया है और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) (जिसमें बैंकों और रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं) द्वारा गठित डीबीयू वर्किंग ग्रुप की चर्चाओं के संबंध में, खुदरा बैंकिंग खंड के एक अलग उपखंड के रूप में डिजिटल बैंकिंग की रिपोर्टिंग डीबीयू वर्किंग ग्रुप के निर्णय के आधार पर बैंक द्वारा लागू किया जाएगा.
  Business Segments have been identified and reported taking into account the target customer profile, the nature of products and services, the differing risks and returns, the organization structure, the internal business reporting system and the guidelines prescribed by the RBI vide its circular dated April 7, 2022 on establishment of Digital Banking Units (DBUs), the RBI has

prescribed reporting of Digital Banking Segment as a sub-segment of Retail Banking Segment. The proposed DBUs of the Bank have not commenced operations and having regard to the discussions of the DBU Working Group formed by Indian Banks' Association (IBA) (which included representatives of banks and RBI), reporting of Digital Banking as a separate sub-segment of Retail Banking Segment will be implemented by the Bank based on the decision of the DBU Working Group.

- 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने नई प्रतिभूति रसीदों (मोचन को घटाकर) के अधिग्रहण के प्रति ₹265 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1426 करोड़) का प्रावधान किया है.
  During year ended March 31, 2024, bank has made provision of ₹265 crore (Previous Year: ₹1426 crore) against acquisition of new security receipts (Net of redemption).
- बैंक ने 31 मार्च 2024 को आरएफ 1.0, आरएफ 2.0 और एमएसएमई ओटीआर के तहत पुनर्संरचित ₹2315 करोड़ के कुल मानक खुदरा पोर्टफोलियो के 80% के लिए ₹1843 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1836 करोड़) का प्रावधान किया है.
  The bank has made provision of ₹1843 crore (Previous Year: ₹1836 crore) at 80% on the total standard retail portfolio restructured under RF 1.0, RF 2.0 and MSME OTR of ₹2315 crore as on March 31, 2024.
- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरण की गई निधि अंतरण कीमत निर्धारण प्रणाली के अनुसार संगणित अंतर-खंड राजस्व शामिल है.
  The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per Fund Transfer Pricing system followed by the Bank.
- बैंक मुख्य रूप से भारत में परिचालन करता है, अतः बैंक ने यह माना है कि इसके परिचालन मुख्य रूप से देशी खंड में होते हैं और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.
  The Bank primarily operates in India, hence the Bank has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.
- बैंक ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान आईआरएसी मानदंडों से अधिक ₹1332 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया है.
  During the year ended March 31, 2024, bank has made additional provision of ₹1332 crore over & above the IRAC norms.

5. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18) / RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

अ. एएस-18 के अनुसार संबद्ध पक्षकार की सूची
A. List of related party as per AS-18

I. प्रवर्तक / Promoter

- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) / Life Insurance Corporation of India (LIC)

II. सहयोगी संस्थाएं / Associates

- बायोटेक कॉन्सोर्टियम इंडिया लि. / Biotech Consortium India Ltd.
- नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. / National Securities Depository Ltd.
- नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फ़ाइनेंस कार्पोरेशन लि. / North Eastern Development Finance Corporation Ltd.
- पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल)
  Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd. (PIPDICL)

III. बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / Key management personnel of the Bank

- श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / Shri Rakesh Sharma, MD & CEO
- श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी (5 अप्रैल 2023 तक) / Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD (upto April 5, 2023)
- श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, डीएमडी (14 जनवरी 2024 तक)/ Shri Suresh Kishanchand Khatanhar, DMD (upto January 14, 2024)
- श्री जयकुमार एस. पिल्लै, डीएमडी (12 जून 2023 से) / Shri Jayakumar S. Pillai, DMD (From June 12, 2023)
- श्रीमती स्मिता हरीश कुबेर, सीएफ़ओ / Smt. Smita Harish Kuber, CFO
- श्रीमती ज्योति नायर, कंपनी सचिव / Smt. Jyothi Nair, Company Secretary

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

IV. **केएमपी के रिश्तेदार और उनकी हितबद्ध संस्थाएं** / Relative of KMP & their Interested entities

- श्रीमती अनिता शर्मा, श्री हर्षवर्धन शर्मा, श्री पार्थ शर्मा, श्रीमती करुन्या पुली गद्दा, श्री राजेश कुमार लव, श्रीमती आशा गोस्वामी, श्रीमती निधि शर्मा, श्रीमती शैलजा कौशल, डॉ. मुथुलक्ष्मी रामास्वामी, श्री सैम्युअल जॉर्ज स्टीफन जेबराज, श्रीमती मैरी जेबराज, श्री गेब्रियल स्टीफन राम्याकुमार सैम्युअल, इवांगेलिन मैरी किरुबा सैम्युअल, जॉन अलेक्जेंडर जेबराज, शांति लावण्या पॉल, इवांगेलिन सिंथिया राजकुमार, श्रीमती विदिशा सुरेश खटनहार, श्री किशनचंद खटनहार, श्रीमती रजनी खटनहार, श्री लवेश खटनहार, श्री रमेश खटनहार, श्रीमती पूनम करणी, श्रीमती सीतालक्ष्मी आर, श्री जे सुब्रमण्यम पिल्लै, श्रीमती पद्मावती अम्मल, श्री अरविंद जयन, कु. नंदना जयन, श्री पद्मकुमार एस, रानी पीएस, श्री हरीश विनायक कुबेर, श्री दत्तात्रेय जे. पाध्ये, श्रीमती शुभांगी डी. पाध्ये, चिन्मयी एच. कुबेर, श्री जितेंद्र डी. पाध्ये, श्रीमती भावना एच. पापट, श्री बीजू नायर, श्री कुट्टी कृष्णन नायर, श्रीमती देवी के नायर, अदित्री नायर, प्रीति जावजी, रेति नायर.
  Smt. Anita Sharma, Shri. Harshvardhan Sharma, Shri Parth Sharma, Smt. Karunya Puli Gadda, Shri.Rajesh Kumar Lav, Smt. Asha Goswami, Smt. Nidhi Sharma, Smt. Shailja Kaushal, Dr. Muthulakshmi Ramaswamy, Shri Samuel George Stephen Jebaraj, Smt. Mary Jebaraj, Shri Gabriel Stephen Ramyakumar Samuel, Evangeline Mary Kiruba Samuel, John Alexander Jebaraj, Shanthi Lavanya Paul, Evangeline Cynthia Rajkumar, Smt. Vidisha Suresh Khatanhar, Shri Kishanchand Khatanhar, Smt. Rajni Khatanhar, Shri Lavesh Khatanhar, Shri Ramesh Khatanhar, Smt. Poonam Karani, Smt. Seethalekshmy R , Shri J Subramonia Pillai , Smt. Padmavathy Ammal , Shri Aravind Jayan , Kum. Nandana Jayan , Shri Padmakumar S , Rani PS , Shri Harish Vinayak Kuber , Shri Dattatraya J. Padhye , Smt. Shubhangi D. Padhye , Chinmayee H. Kuber , Shri Jitendra D. Padhye Smt. Bhavna H. Papat ,Shri Biju Nair, Shri Kutty Krishnan Nair, Smt. Devi K Nair, Aditri Nair, Preethi Javaji, Rethi Nair.

- संस्थाएं जिनमें केएमपी का हित है - एसआईआरएफ इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. और सोशल फूटप्रिंट प्रा. लि. / Entities in which KMPs have Interest - SIRF Investment Pvt. Ltd. & Social Footprint Pvt. Ltd

आ. समूह के संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन का विवरण
B. Details of Transactions with Related Parties to the Group

(i) **31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन /शेष राशि**
Transactions/ balances with related parties during the year ended March 31, 2024

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी # Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $ @ Key Management Personnel $ @	कुल Total
वर्ष के दौरान बकाया उधार Borrowings Outstanding during the year	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया उधार की अधिकतम राशि Maximum amount of borrowings outstanding during the year	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को बकाया जमाराशियां Deposits outstanding as on March 31, 2024	4,696	-	61	-	4,757
वर्ष के दौरान बकाया जमाराशियों की अधिकतम राशि Maximum amount of Deposits outstanding during the year	23,524	-	219	-	23,743
31 मार्च 2024 को बकाया अन्य देयताएं Other Liabilities outstanding as on March 31, 2024	1	-	-	-	1
वर्ष के दौरान बकाया अन्य देयताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of other Liabilities outstanding during the year	1	-	-	-	1

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी[#] Associates[#]	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक[$ @] Key Management Personnel[$ @]	कुल Total
बकाया निवेश Investments Outstanding	-	-	-	-	-
बकाया अधिकतम निवेश Maximum investments outstanding	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को अग्रिम राशियां Advances as on March 31, 2024	500	-	-	-	500
वर्ष के दौरान अधिकतम अग्रिम राशियां Maximum Advances During the year	503	-	-	-	503
31 मार्च 2024 को बकाया प्राप्य Receivable Outstanding as on March 31, 2024	16	-	-	-	16
वर्ष के दौरान बकाया प्राप्य की अधिकतम राशि Maximum amount of receivable Outstanding during the Year	20	-	-	-	20
जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	1	-	36	-	37
पारिश्रमिक / Remunerations	-	-	-	10	10
से सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यय Expenses for receiving services from	10	-	1	-	11
को प्रदान की गई सेवाओं से आय Income from services rendered to	110	-	-	-	110
अग्रिम राशियों पर ब्याज आय Interest Income on Advances	11	-	-	-	11
आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के एयूएम को एलआईसी म्यूचुअल फंड में अंतरित करने से बिक्री प्रतिफल Sale consideration from transfer of AUM of IDBI Asset Management Company Limited to LIC Mutual Fund	89	-	-	-	89
उधार पर ब्याज व्यय / Interest Expense on borrowings	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधि प्रतिबद्धताएं Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधि प्रतिबद्धताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	-	-	-	-

 # पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में बैंक को कंपनी से कोई वित्तीय विवरण और लेनदेन विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, अतः उपर्युक्त में जानकारी समेकित नहीं है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में निवेश को एक रुपये तक कम कर दिया है.

 # In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the company hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one..

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

बैंक के पास नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 26.10% हिस्सा है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने 06 अक्तूबर 2023 के पत्र के माध्यम से एनएसडीएल में 14.99% से अधिक बैंक की हिस्सेदारी के संबंध में मतदान के अधिकार और सभी कॉर्पोरेट कार्रवाइयों को अतिरिक्त शेयरधारिता के वास्तविक विनिवेश तक प्रतिबंधित कर दिया. हालाँकि, प्रचुर प्रकटीकरण के हित में और कानूनी विशेषज्ञ की राय के आधार पर, बैंक ने बैंक द्वारा विभिन्न सांविधिक फाइलिंग के तहत एनएसडीएल को एक 'सहयोगी कंपनी' के रूप में मान्यता देना जारी रखने का निर्णय लिया है और नवीनतम उपलब्ध सीमित समीक्षा के वित्तीय विवरणों अर्थात् 31 दिसंबर 2023 को समाप्त नौ महीने की अवधि के एनएसडीएल के वित्तीय परिणामों को समेकित किया है.

The Bank holds 26.10% of the paid-up equity share capital of National Securities Depository Ltd (NSDL). The Securities Exchange Board of India, vide letter dated October 06, 2023 restricted the voting rights and all corporate actions in respect of bank's shareholding in NSDL in excess of 14.99%, until the actual divestment of the excess shareholding. However, in the interest of abundant disclosure and based on a legal expert's opinion, the Bank has decided to continue to recognize NSDL as an 'associate company' under the various statutory filings by the Bank and has consolidated financial results of NSDL based on the latest available limited reviewed financial statements, i.e. as at and up to the period of nine months ended December 31, 2023.

$ एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेनों को प्रकट नहीं किया गया है.

$ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

@ 1) *मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ एक समग्र पूल के हिस्से के रूप में उपचित होते हैं और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के प्रति आवंटित नहीं किया जाता है.*
Retiral Benefits for key managerial personnel are accrued as a part of an overall pool and are not allocated against key managerial personnel.

पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/तात्विक जोखिम लेने वाले और नियंत्रण कार्य करने वाले स्टाफ को क्षतिपूर्ति के बारे में दिनांक 4 नवंबर 2019 के रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2019-20/89 डीओआर.एपीपीटी.बीसी.सं.23/29.67.001/2019-20 के अनुसार

2) *In accordance with RBI Circular RBI/2019-20/89 DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 dated November 4, 2019 on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers and Control Function staff.*
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परिवर्ती वेतन (नकद घटक) के लिए कुल ₹1.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.48 करोड़) का प्रावधान किया गया था.
For the FY 2023-24, total amount of 1.16 Crore (previous year ₹1.48 crore) was provided for variable pay (cash component).

ii. 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन/ शेष राशि:
Transactions/ balances with related parties during the year ended March 31, 2023:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी # Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $ @ Key Management Personnel $ @	कुल Total
31 मार्च 2023 को बकाया उधार Borrowings Outstanding as on March 31, 2023	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान बकाया उधार की अधिकतम राशि Maximum amount of borrowings Outstanding during the year	1,450	-	-	-	1,450
जमा का नियोजन / Placement of deposit	-	-	-	-	-
31 मार्च 2023 को बकाया जमाराशियां Deposits Outstanding as on March 31, 2023	5,390	-	89	-	5479
वर्ष के दौरान बकाया जमाराशियों की अधिकतम राशि Maximum amount of Deposits Outstanding during the year	9,164	13	314	-	9491
31 मार्च 2023 को बकाया अन्य देयताएं Other Liabilities Outstanding as on March 31, 2023	0.31	-	-	-	0.31

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	प्रवर्तक Promoter	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी # Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक $ @ Key Management Personnel $ @	कुल Total
वर्ष के दौरान बकाया अन्य देयताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Other Liabilities Outstanding during the year	0.31	0.003	-	-	0.31
31 मार्च 2023 को बकाया निवेश Investments Outstanding as on March 31, 2023	-	-	37	-	37
अधिकतम बकाया निवेश Maximum investments Outstanding	-	200	37	-	237
31 मार्च 2023 को बकाया प्राप्य राशि Receivable Outstanding as on March 31, 2023	7	-	0.001	-	7
वर्ष के दौरान बकाया प्राप्य की अधिकतम राशि Maximum amount of receivable Outstanding during the Year	7	1	0.001	-	8
जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	1	0.003	7	-	8
पारिश्रमिक / Remunerations	-	-	-	8	8
से सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यय Expenses for receiving services from	2	-	1	-	3
को प्रदान की गई सेवाओं से आय Income from services rendered to	77	2	0.10	-	79
अग्रिम राशियों पर ब्याज आय Interest Income on Advances	-	-	-	-	0
उधार पर ब्याज व्यय Interest Expense on borrowings	70	-	-	-	70
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधिक प्रतिबद्धताएं Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	-	0.28	-	0.28
वर्ष के दौरान बकाया गैर-निधिक प्रतिबद्धताओं की अधिकतम राशि Maximum amount of Non-Funded Commitments outstanding during the year	-	0.25	0.28	-	0.53

पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में, बैंक को कंपनी से कोई वित्तीय विवरण और लेनदेन विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, अतः उपर्युक्त में जानकारी समेकित नहीं है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में निवेश को एक रुपये तक कम कर दिया है.

In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the company hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

$ एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप के लेनदेनों को प्रकट नहीं किया गया है.

$ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

@ 1) *मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ एक समग्र पूल के हिस्से के रूप में अर्जित होते हैं और मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों के प्रति आवंटित नहीं किए जाते हैं.*
Retiral Benefits for key managerial personnel are accrued as a part of an overall pool and are not allocated against key managerial personnel..

2) *पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/तात्विक जोखिम लेने वाले और नियंत्रक कार्य करने वाले स्टाफ को क्षतिपूर्ति के बारे में दिनांक 4 नवंबर 2019 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र आरबीआई /2019-20/89 डीओआर.एपीपीटी.बीसी.सं. 23/29.67.001/2019-20 के अनुसार*
In accordance with RBI Circular RBI/2019-20/89 DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 dated November 4, 2019 on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers and Control Function staff

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, परिवर्ती वेतन (नकद घटक) के लिए कुल ₹ 1.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1.66 करोड़) का प्रावधान किया गया था.
For the FY 2022-23, total amount of ₹1.48 Crore (previous year ₹1.66 crore) was provided for variable pay (cash component)

iii. **मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक ₹ 9.93 करोड़ है.**
Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ended March 31, 2024 is ₹9.93 crore.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore))

क्र. सं. Sr No.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23
1	श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Shri Rakesh Sharma, Managing Director & CEO	5.00	3.25
2	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक (5 अप्रैल 2023 तक) Shri Samuel Joseph Jebaraj, Deputy Managing Director (upto April 5, 2023)	1.20	1.69
3	श्री सुरेश किशनचंद खटनहार, उप प्रबंध निदेशक (14 जनवरी 2024 तक) Shri Suresh Kishanchand Khatanhar, Deputy Managing Director (upto January 14, 2024)	1.89	1.70
4	श्री जयकुमार एस. पिल्लै, उप प्रबंध निदेशक (12 जून 2023 से) Shri Jaya kumar S Pillai, Deputy Managing Director (From June 12, 2023)	0.69	-
5	श्रीमती स्मिता हरीश कुबेर, मुख्य वित्तीय अधिकारी Smt. Smita Harish Kuber, Chief Financial Officer	0.74	-
6	श्री पोथुकुची सीताराम, कार्यपालक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी (31 मार्च 2023 तक) Shri Pothukuchi Sitaram, Executive Director & Chief Financial Officer (upto March 31, 2023)	-	0.77
7	श्रीमती ज्योति नायर, कंपनी सचिव Smt. Jyothi Nair, Company Secretary	0.41	0.34
	कुल / Total	**9.93**	**7.75**

नोटः वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए परिवर्ती वेतन का अपफ्रंट घटक ₹0.43 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹0.74 करोड़ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भुगतान किया गया, चूंकि यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के उनके पारिश्रमिक में शामिल है इसलिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के उनके पारिश्रमिक में शामिल नहीं है.
Note: Upfront component of variable pay for FY 2021-22 `0.43 crore and for FY 2022-23 `0.74 crore paid to Key Management Personnel during the FY 2023-24, since included in their remuneration for FY 2022-23, is not included in their remuneration for FY 2023-24.

6. पट्टे (एएस-19) / Leases (AS-19)

अ. पट्टा /किराए पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/रद्द करने योग्य होती है.

A. The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.

आ. बैंक द्वारा लिए गए लीज सहमत अवधि के लिए होते हैं जिसमें लीज अवधि के दौरान भी पारस्परिक रूप से सहमत कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर लीज को समाप्त करने का विकल्प होता है.

B. The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.

इ. नवीकरण और वृद्धि खंड की शर्तें वे हैं जो सामान्य रूप से ऐसे करारों में प्रचलित हैं. करारों में कोई अनुचित प्रतिबंध या दुर्वह खंड नहीं है.

C. The terms of renewal and escalation clauses are those normally prevalent in similar agreements. There are no undue restrictions or onerous clauses in the agreements.

ई. परिचालनगत पट्टों के लिए भुगतान किए गए पट्टा किराये को उस वर्ष में जिससे यह संबंधित है, लाभ - हानि खाते में दर्शाया जाता है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दर्ज लीज किराया ₹461 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹412 करोड़) है.

D. Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognised during the FY 2023-24 is ₹461 Crore (Previous Year: ₹412 Crore)

उ. तुलन-पत्र की तारीख को गैर-निरसनीय परिचालन पट्टों के संबंध में सहायक संस्थाओं के लिए भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का सारांश निम्नानुसार हैः

E. The future minimum lease payments for subsidiaries in respect of non-cancellable operating leases as at Balance Sheet date are summarized as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 March 31, 2024	31 मार्च 2023 March 31, 2023
एक वर्ष के बाद नहीं / Not Later than One year	1	4
एक वर्ष के बाद लेकिन पांच वर्ष के बाद नहीं Later than one year but not later than five years	8	10
5 वर्ष के बाद / Later than 5 Years	6	8

7. क) प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (एएस-20)
a) EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2024 As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 As at March 31, 2023
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल समेकित लाभ/(हानि) (₹ करोड़) Consolidated Net profit/ (loss) considered for EPS calculation (₹ Crore)	5788	3706
वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares outstanding at the end of the financial year	1075,24,02,175	1075,24,02,175
मूल ईपीएस के लिए शामिल किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	1075,24,02,175	1075,24,02,175
जोड़ेंः मंजूर ईएसओपी का न्यून प्रभाव Add: Dilutive impact of ESOP granted	-	-
न्यूनीकृत ईपीएस गणना के लिए हिसाब में लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	1075,24,02,175	1075,24,02,175

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2024 As at March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 As at March 31, 2023
ईपीएस (मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	5.38	3.45
ईपीएस(न्यूनीकृत) (₹) / EPS (Diluted) (₹)	5.38	3.45
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹) / Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

ख) लाभांश:
b) Dividend:

निदेशक मंडल ने 04 मई 2024 को संपन्न अपनी बैठक में ₹1.5 प्रति शेयर (पिछले वर्ष - ₹1 प्रति शेयर) के लाभांश का प्रस्ताव रखा, जो आगामी वार्षिक महासभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है.
The Board of Directors at its meeting held on May 04, 2024, proposed a dividend of ₹1.5 per share (previous year - ₹1 per share), subject to approval of the members at the ensuing Annual General Meeting.

लेखा मानक (एएस)4 के अनुसार "तुलन पत्र की तारीख के बाद घटित आकस्मिकताओं और घटनाओं" के संदर्भ में बैंक ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते से ₹1612.86 करोड़ के प्रस्तावित लाभांश को विनियोजित नहीं किया है. तथापि 31 मार्च 2024 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना में पूंजीगत निधियों के निर्धारण में प्रस्तावित लाभांश के प्रभाव की गणना की गई है.
In terms of Accounting Standard (AS) 4 "Contingencies and Events occurring after the Balance Sheet date" the Bank has not appropriated proposed dividend aggregating to ₹1612.86 crore from the Profit and Loss account for the year ended March 31, 2024. However the effect of the proposed dividend has been reckoned in determining capital funds in the computation of Capital Adequacy Ratio as on March 31, 2024.

वर्ष के दौरान बैंक ने ₹1 प्रति शेयर के लाभांश का भुगतान किया है जिसे 13 जुलाई 2023 को संपन्न वार्षिक महासभा में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया गया था.
During the year, the Bank has paid dividend of ₹1 per share which was approved by the members at the Annual General Meeting held on July 13, 2023.

8. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22) / Accounting for Taxes on Income (AS-22)

समय-अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्ति एवं आस्थगित कर देयता के घटक निम्नानुसार हैं:
The component of Deferred Tax Asset & Deferred Tax Liability arising out of timing difference is as follows:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particular	यथा 31 मार्च 2024 As at March 31, 2024	वित्तीय वर्ष के दौरान घट-बढ़ 2023-24 Movement during the financial year 2023-24	यथा 31 मार्च 2023 As at March 31, 2023
आस्थगित कर आस्ति / Deferred Tax Asset			
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on fixed assets	18	(6)	24
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनर्जक आस्तियों से संबंधित अस्वीकृति तथा अन्य प्रावधानों की अनुमति नहीं है Disallowance related to provision for NPA and for other provisions not allowed under Income tax Act, 1961	1,879	(784)	2,663

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particular	यथा 31 मार्च 2024 As at March 31, 2024	वित्तीय वर्ष के दौरान घट-बढ़ 2023-24 Movement during the financial year 2023-24	यथा 31 मार्च 2023 As at March 31, 2023
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful advances	3	(0.28)	4
आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार अस्वीकृत Disallowance as per the provisions of Income Tax Act, 1961	342	104	238
उपदान / पेंशन / Gratuity/Pension	0.75	0.19	0.56
छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment	(0.03)	(0.69)	0.66
कारोबार हानि / Business Loss	6,956	(1,843)	8,799
अनवशोषित मूल्यह्रास / Unabsorbed depreciation	75	(31)	106
कुल (अ) / Total (A)	**9,274**	**(2,561)**	**11,835**
आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability			
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास Depreciation on fixed assets	0.76	0.26	0.50
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष रिज़र्व Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	308	0.29	308
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful advances	-	-	-
छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment	0.11	(0.01)	0.12
कुल (आ) / Total (B)	**309**	**0.54**	**309**
आस्थगित कर (देयता)/आस्ति (निवल) (अ) - (आ) **Deferred tax (Liability)/ Asset (net) (A) – (B)**	8,965	(2,561)	11,526

बैंक कारोबार हानि सहित आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) को इसके रिवर्सल होने की आभाषी निश्चितता को ध्यान में रखते हुए दर्ज करता है।
Bank is recognizing deferred tax asset (DTA) including that on business loss keeping in view the virtual certainty of its reversal.

वर्ष के दौरान बैंक ने विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, विशिष्ट मानक खातों और पुनर्गठित खातों पर सृजित प्रावधानों पर आस्थगित कर आस्ति को मान्यता नहीं देने का निर्णय लिया था और इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कर व्यय ₹400 करोड़ से अधिक है।

During the year Bank as a prudence measure, had decided not to recognize deferred tax asset on provisions created on specific standard accounts & restructured accounts and consequently tax expenses for the Year ended March 31, 2024 are higher by ₹400 crore.

9. कराधान हेतु प्रावधान / PROVISION FOR TAXATION

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2023
आयकर के लिए प्रावधान - वर्तमान कर Provision for Income Tax - Current Tax	42#	(179)@

 # आईडीबीआई बैंक के मामले में, वित्तीय वर्ष 2024 के लिए आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

#In case of IDBI Bank Ltd, no provision for Income Tax made for the FY 2024

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

@ आईडीबीआई बैंक के मामले में, वित्तीय वर्ष 2023 के लिए आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया. वित्तीय वर्ष 2004, वित्तीय वर्ष 2005 एवं वित्तीय वर्ष 2013 के लिए कुल ₹205 करोड़ का आधिक्य प्रावधान आयकर रिफ़ंड/मांग के कारण प्रतिलेखित किया गया.

@ In case of IDBI Bank Ltd, no provision for Income Tax made for the FY 2023. The excess provision for FY 2004, FY 2005 & FY 2013 aggregating to ₹205 crore was written back on account of Income tax refund/ demand.

10. 31 मार्च 2024 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था की सारांशीकृत वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है: Summarized financial information of Subsidiary Companies, Associate Companies & Jointly Controlled Entity as per requirement of the Companies Act, 2013 as at March 31, 2024 are as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

संस्था का नाम Name of the Entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		लाभ या हानि का हिस्सा Share of profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of consolidated net assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of consolidated profit or loss	राशि Amount
मूल संस्था : आईडीबीआई बैंक लि. Parent : IDBI Bank Ltd.	97.37%	49,882	97.34%	5,634
सहायक संस्थाएं: / Subsidiaries:				
भारतीय : / Indian :				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	0.66%	337	0.13%	7
2. आईडीबीआई इंटेक लि. / IDBI Intech Ltd.	0.23%	118	0.18%	10
3. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	0.42%	215	1.39%	81
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Co. Ltd.	0.00%	2	0.00%	(0.08)
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.66%	337	0.99%	57
विदेशी: / Foreign :	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित Minority Interest in all subsidiaries	0.30%	153	0.45%	26

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

संस्था का नाम Name of the Entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		लाभ या हानि का हिस्सा Share of profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of consolidated net assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of consolidated profit or loss	राशि Amount
सहयोगी संस्थाएं (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)# Associates (Investment as per the equity method) #				
भारतीय / Indian				
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड Biotech consortium India Limited	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	0.00%	0.00
2. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. National securities Depository Ltd.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	0.88%	51
3. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	0.00%	0.00
4. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल) Pondicherry Industrial Promotion Development & Investment Corporation Ltd.(PIPDICL)	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
विदेशी: / **Foreign :**	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
संयुक्त उद्यम / **Joint Ventures** (आनुपातिक समेकन के अनुसार / इक्विटी पद्धति के अनुसार) (as per proportionate consolidation / investment as per the equity method)				
भारतीय / **Indian**				
1. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंशुरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	0.00%	-	0.00%	-
विदेशी / **Foreign**	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
कुल / **Total**	**99.64%**	**51,044**	**100.46%**	**5,815**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

संस्था का नाम Name of the Entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets i.e. total assets minus total liabilities		लाभ या हानि का हिस्सा Share of profit or loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of consolidated net assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of consolidated profit or loss	राशि Amount
विलोपन / Elimination	0.36%	182	-0.46%	-27
निवल कुल / Net Total	**100.00%**	**51,226**	**100.00%**	**5,788**

नोटः उपर्युक्त सहायक संस्थाओं की कोई सहायक संस्था नहीं है.
Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

 # तीन सहयोगी संस्थाओं अर्थात् पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. (25%), बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड (27.93%) और पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (21.14%) से वित्तीय वर्ष 2024 के वित्तीय विवरण प्राप्त न होने के कारण समेकन के लिए हिसाब में नहीं लिया गया है और 1 सहयोगी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (26.10%) के मामले में वित्तीय विवरण दिसंबर 2023 तक लिये गये हैं, जिसका समेकित वित्तीय विवरणों पर उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है. सहयोगी संस्था पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में, उक्त कंपनी में निवेश को अवलेखित कर एक रुपये कर दिया गया है.
 # The Financials of three associates Viz., North Eastern Development Finance Corporation Limited (25%), Biotech Consortium India Limited (27.93%) and Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited (21.14%) are not considered for consolidation on account of non-receipt of Financial Statements for FY 2024 & in case of 1 associate National Securities Depository Limited (26.10%) the financials has been taken up to December 2023, impact of which on the Consolidated Financial Statements is not material. In case of an associate Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited, the investment in the said company has been written down to ₹ 1.

21 सितंबर 2022 को बैंक ने एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में पूरी हिस्सेदारी (25%) एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल एनवी को बेच दी थी.
On September 21, 2022 Bank had sold entire stake (25%) in Ageas Federal Life Insurance Company Ltd. to Ageas Insurance International NV

11. परिचालन बंद करना (एएस-24) / DISCONTINUING OPERATIONS (AS-24)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा के परिचालन बंद नहीं किया है, जिसके कारण देयता घटी है और आस्तियों की प्राप्ति हुई है और किसी भी परिचालन को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है जिससे उपर्युक्त पर प्रभाव पड़ेगा.

During the FY 2023-24, the Bank has not discontinued operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety which will have the above effect.

(क) आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में / (a) In case of IDBI Asset Management Limited

i. 29 दिसंबर, 2022 को आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड (कंपनी) और आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड के अनुमोदन के बाद, कंपनी ने एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (एलआईसी एमएफ एएमसी) के साथ एलआईसी एमएफ एएमसी को संपूर्ण आईडीबीआई म्यूचुअल फंड योजनाओं के अंतरण के लिए स्कीम ट्रांसफर एग्रीमेंट (एसटीए) किया था. कंपनी आईडीबीआई एमएफ की योजनाओं के प्रबंध के लिए प्रबंधन शुल्क अर्जित करती है, जो एएस 17, खंड रिपोर्टिंग के अनुसार कंपनी के लिए एकमात्र खंड है. उपर्युक्त निपटान सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1996 के प्रावधानों के तहत विनियामक आवश्यकताओं में से एक के अनुपालन में है. विलय की प्रक्रिया 29 जुलाई 2023 को पूरी हो गई थी.
On December 29, 2022, subsequent to approval of the Board of IDBI Asset Management Ltd (The Company) and IDBI MF Trustee Company Ltd, the company had entered into Scheme Transfer Agreement (STA) with LIC MF Asset Management Ltd (LIC MF AMC) for transfer of entire IDBI Mutual Fund Schemes to LIC MF AMC. The company earns management fee from management of the schemes of IDBI MF, which is the only segment for the company as per AS 17, Segment Reporting. The disposal is in compliance with one of the Regulatory requirements under the provisions of SEBI (Mutual Fund) Regulations 1996. The process of merger was completed on July 29, 2023.

ii. 31 मार्च 2024 को एएस 24 के अनुसार अन्य विवरण निम्नानुसार हैंः
The other details as per AS 24 are as at March 31, 2024 are as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्र सं. Sr. No.	एएस 24 प्रकटीकरण आवश्यकताएँ AS 24 Disclosure Requirements	वित्तीय वर्ष 2024 के लिए प्रकटीकरण Disclosure for FY 2024
अ) a)	बंद संचालन (नों) का विवरण A description of the discontinuing operation(s);	आईडीबीआई म्युचुअल फंड योजनाओं का प्रबंधन, जिससे प्रबंधन शुल्क अर्जित होता है जो एएमसी के लिए नियमित आय का एकमात्र स्रोत है. इस घटक में आईडीबीआई म्युच्युल फंड योजनाओं में निवेशित प्रारंभिक पूंजी (लागत ₹ 987 लाख) के अलावा, आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. (आईएएमएल) के तुलनपत्र में कोई संबद्ध आस्तियां और देयताएं नहीं हैं, प्रारंभिक पूंजी को आईडीबीआई एमएफ योजनाओं का एलआईसी म्यूच्युअल फंड में विलय के बाद के वर्ष में मोचित कर दिया गया. इसके अलावा, आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड योजना प्रबंधन व्यवसाय का आनुमानिक मूल्य हैं, जिसके लिए आईएएमएल को कुल ₹ 88.81करोड़ का प्रतिफल प्राप्त करना हैं, जिसमें से आईडीबीआई एएमसी को ₹ 55 करोड़ नकद और शेष राशि एलआईसी एमएफ़ एएमसी के इक्विटी शेयरों के रूप में प्राप्त हुई है. कंपनी ने उक्त प्राप्ति पर पूंजीगत लाभ की गणना की हैं और उसके लिए उचित अग्रिम कर का भुगतान किया है. Management of IDBI Mutual Fund Schemes, which earns management fee which is the only source of regular income for AMC. This component has no associated assets and liabilities on the balance sheet of IDBI Asset Management Ltd (IAML) except amount invested in IDBI Mutual Fund Schemes as Seed Capital (the cost is Rs.987 Lakh) which was redeemed during the year subsequent to merger of IDBI MF schemes with LIC Mutual Fund. Further, IDBI Mutual Fund scheme management business having notional value, for which IAML has to receive total consideration of Rs.88.81 Crore, out of which IDBI AMC has received Rs.55 crore in cash and balance it has received in the form of equity shares of LIC MF AMC. The company has calculated capital gain on the said receipt and paid appropriate advance tax for the same.
आ) b)	कारोबार या भौगोलिक खंड(डों) जिसमें एएस 17, खंड रिपोर्टिंग के अनुसार इसकी रिपोर्ट की जाती है the business or geographical segment(s) in which it is reported as per AS 17, Segment Reporting;	म्युचुअल फंड योजना प्रबंध Mutual Fund Scheme Management
इ) c)	प्रारंभिक प्रकटीकरण घटना की तारीख और प्रकृति; the date and nature of the initial disclosure event;	कंपनी और एलआईसी एमएफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (एलआईसी एएमसी) के बीच 29 दिसंबर, 2022 को स्कीम अंतरण करार हुआ था. यह प्रकटन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष और 30 सितंबर एवं 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरणों में किया गया था. The Scheme Transfer Agreement was executed on December 29, 2022 between the company and LIC MF Asset Management Ltd (LIC AMC). The disclosure was done in the financials for the year ended March 31, 2023 and period ended September 30 and December 31, 2023.
ई) d)	वह दिनांक या अवधि जब बंद होने का कार्य पूरा होने की उम्मीद है, यदि ज्ञात या निर्धारणयोग्य हो the date or period in which the discontinuance is expected to be completed if known or determinable;	आईडीबीआई म्यूचुअल फंड योजनाओं का अंतरण 29 जुलाई 2023 को पूरा हो गया. Transfer of IDBI Mutual Fund Schemes was completed on July 29, 2023.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्र सं. Sr. No.	एएस 24 प्रकटीकरण आवश्यकताएँ AS 24 Disclosure Requirements	वित्तीय वर्ष 2024 के लिए प्रकटीकरण Disclosure for FY 2024
ङ) e)	तुलनपत्र की तारीख को वहन राशि, निपटान की जाने वाली कुल आस्तियों और भुगतान की जाने वाली कुल देयताओं की; the carrying amounts, as of the balance sheet date, of the total assets to be disposed of and the total liabilities to be settled;	अंतरित/निपटान किये जाने वाले घटक के साथ कोई भौतिक आस्ति नहीं थी सिवाय आईडीबीआई एएमसी का एएमसी रेपो क्लीयरिंग एंड एमएफ यूटिलिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ₹ 26 लाख के रणनीतिक इक्विटी निवेश के, जिसका सेबी के अनुमोदन पर नियत समय में निपटान कर दिया जायेगा. There was no physical asset associated with the component transferred/ to be disposed off. except IDBI AMC has strategic equity investments in AMC Repo Clearing and MF Utility India Private Limited aggregating ₹26 lakh, which shall be disposed off in due course subject to approval of the SEBI.

iii. म्युचुअल फंड योजना प्रबंधन व्यवसाय की आस्तियों की वहन राशि ₹ 26 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1117 लाख) और देयताएं ₹ 15 लाख (पिछले वर्ष ₹ 110 लाख) थी. विवरण निम्नानुसार हैं:
The carrying amount of the assets of the Mutual Fund Scheme management business was Rs. 26 lakhs (previous year Rs. 1117 lakhs) and liabilities of Rs. 15 lakh (previous year Rs.110 lakhs). The details are as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	परिचालन चालू रखना Continuing operations		परिचालन बंद करना Discontinuing operations		कुल Total	
	वित्तीय वर्ष 2024 FY 2024	वित्तीय वर्ष 2023 FY 2023	वित्तीय वर्ष 2024 FY 2024	वित्तीय वर्ष 2023 FY 2023	वित्तीय वर्ष 2024 FY 2024	वित्तीय वर्ष 2023 FY 2023
आस्तियां / Assets						
आस्थगित कर आस्तियां Deferred Tax Assets	0.12	0.15	0.00	0.48	0.12	0.63
स्थायी आस्तियां / Fixed Assets	0.11	0.37	-	-	0.11	0.37
गैर-चालू निवेश Non-Current Investments	89	31	0.26	10	89	41
अन्य गैर-चालू आस्तियां Other Non-Current Assets	0.44	0.47	-	-	0.44	0.47
चालू आस्तियां / Current Assets	125	95	0	0.57	125	96
कुल आस्तियां / Total Assets	**215**	**126**	**0.26**	**11**	**215**	**137**
देयताएं / Liabilities						
पूंजी और आरक्षित निधि Capital and Reserves	215	124	0.11	10	215	134
गैर चालू देयताएं Non-Current Liabilities	0.01	0.21	-	-	0.01	0.21
चालू देयताएं Current liabilities	0.13	1.5	0.15	1	0.28	3
कुल देयताएं Total Liabilities	**215**	**126**	**0.26**	**11**	**215**	**137**

निम्नलिखित विवरण परिचालन जारी रखने और बंद करने के राजस्व और व्यय को दर्शाता है:
The following statement shows the revenue and expenses of continuing and discontinuing operations:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	परिचालन चालू रखना Continuing operations		परिचालन बंद करना Discontinuing operations		कुल Total	
	वित्तीय वर्ष 2024 FY 2024	वित्तीय वर्ष 2023 FY 2023	वित्तीय वर्ष 2024 FY 2024	वित्तीय वर्ष 2023 FY 2023	वित्तीय वर्ष 2024 FY 2024	वित्तीय वर्ष 2023 FY 2023
प्रबंधन शुल्क Management Fee	-	-	9	29	9	29
अन्य आय Other Income	22	7	0.14	0.24	22	7
कुल कारोबार Total Turnover	**22**	**7**	**9**	**29**	**31**	**36**
कर्मचारी लाभ Employee Benefits	2	3	4	8	6	11
वित्तीय प्रभार Financial Charges	-	-	-	0.26	-	0.26
मूल्यह्रास Depreciation	0.04	0.24	-	-	0.04	0.24
अन्य परिचालन व्यय Other Operating Expenses	3	5	4	5	7	10
परिचालन व्यय Operating Expenses	5	8	8	13	13	21
पूर्व अवधि के व्यय Prior Period Expenses	-	-	-	(0.08)	-	(0.08)
असाधारण मदें Exceptional Items	-	-	-	(0.52)	-	(0.52)
ह्रासित हानि Impairment Losses	-	-	0	-	-	-
परिचालन गतिविधियों से कर पूर्व Pre-tax from Operating Activities	17	(1)	1	16	18	15
आस्तियों की बिक्री /व्यवसाय बंद करने से लाभ Profit from sale of assets/ discontinue Business			84		84	
आयकर व्यय Income Tax Expenses	(2)	(1)	(19)	(0.27)	(21)	(1.27)
- वर्तमान वर्ष- चालू कर Current Year-Current tax	(2)	(1)	(19)	-	(21)	(1)
- पूर्व कर(कम/अधिक) Earlier tax (Short/Excess)	(0.14)	(0.23)	-	-	(0.14)	(0.23)
- एमएटी क्रेडिट/ बट्टे खाते में डालना MAT Credit/ Write off	-	-	-	(0.18)	-	(0.18)
- आस्थिगत कर व्यय Deferred tax expense	(0.03)	(0.04)	(0.5)	(0.09)	(0.53)	(0.13)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	परिचालन चालू रखना Continuing operations		परिचालन बंद करना Discontinuing operations		कुल Total	
	वित्तीय वर्ष 2024 FY 2024	वित्तीय वर्ष 2023 FY 2023	वित्तीय वर्ष 2024 FY 2024	वित्तीय वर्ष 2023 FY 2023	वित्तीय वर्ष 2024 FY 2024	वित्तीय वर्ष 2023 FY 2023
करों की परिचालन गतिविधियों से लाभ / (हानि) Profit / (Loss) from Operating activities from Taxes	15	(2)	66	15	81	13

12. आस्ति में ह्रास (एएस-28) / IMPAIRMENT OF ASSET (AS-28)

प्रबंधन की राय में चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान आस्तियों में कोई ह्रास नहीं हुआ है.
In the opinion of the Management, there is no impairment to the assets during the current year and previous year.

13. आकस्मिक देयताएं / CONTINGENT LIABILITY

(क) आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में / (a) In case of IDBI Bank Limited

अ. आकस्मिक देयताओं का विवरण (एएस-29)@
A. DESCRIPTION OF CONTINGENT LIABILITIES (AS-29)@

क्रम सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है. बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर कोई महत्वपूर्ण विपरीत असर पड़ेगा. This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
II	आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	यह मद आंशिक रूप से भुगतान किए गए निवेशों के लिए देयता की शेष अदत्त राशियों को दर्शाती है. इसमें उद्यम पूंजी निधियों के लिए अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं. This item represents amounts remaining unpaid towards liability for partly paid investments. This also includes undrawn commitments for Venture Capital Funds.

क्रम सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of Outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएँ निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरुप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृह्द मूल्य सृजित होता है, जबकि इसका निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
IV	संघटकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपने बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfill its financial or performance obligations.
V	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	यह मद ग्राहक की ऋण अवस्थिति में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करती है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance banking activities with a view to augment the customers' credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customers' obligations, either directly or in case the customer fails to fulfil their financial or performance obligations.
VI	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये योजनाएं उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृह्द मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

क्रम सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
		This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower. बैंक भारतीय कॉरपोरेट बांड से जुड़े ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है. The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.
VII	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये योजनाएं उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाज़ार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाज़ार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.
VIII	विवादित कर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed taxes, interest tax, penalty and Interest demands	बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधान मामलों में पक्षकार है. बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों एवं लागू कानूनों के अनुसार अपील प्राधिकारियों द्वारा पिछले वर्षों में ऐसे मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favorable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961 and applicable laws.
IX	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the Bank is contingently liable	इस मद में निम्नलिखित शामिल हैं: This item represents the following क) सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकारियों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गईं गारंटियां. a) Guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity

क्रम सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
		ख) **जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में राशि अंतरित की गई-** जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार योजना में विनिर्दिष्ट अनुसार दस वर्षों या उससे अधिक समय से बैंक के निष्क्रिय खातों में पड़ी राशि और दावा न की गई शेष राशि तथा उस पर अर्जित ब्याज को अगले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर अंतरित करता है. यदि ग्राहक/ जमाकर्ता अपनी अदावी राशि/ जमा के लिए मांग करते हैं, जिसे बैंक ने डीईए निधि योजना के अनुसार, पहले ही रिज़र्व बैंक को अंतरित कर दिया है, बैंक ग्राहक/ जमाकर्ता को ब्याज सहित, यदि लागू हो, भुगतान करता है और ग्राहक को भुगतान की गई राशि के समतुल्य राशि के लिए रिज़र्व बैंक से वापसी के लिए दावा करता है.
		b) **The amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) -** In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund Scheme 2014, the Bank transfers the proceeds of the inoperative accounts and the balances remaining unclaimed for ten years or more as specified in the scheme and the interest accrued thereon, on the last working day of the subsequent month. In case the customer / depositor(s) raises a demand for their unclaimed amount / deposit which the Bank has already transferred to RBI, as per DEA Fund Scheme, the Bank pays to the customer / depositor, along with interest, if applicable, and lodge a claim for refund from RBI for an equivalent amount paid to the customer / depositor.
		ग) पूंजी खाते में निष्पादन के लिए शेष और प्रावधान न की गई संविदाओं की अनुमानित राशि, अनाहरित आंशिक ऋण संवृद्धि सुविधाएं, जब जारी प्रतिभूतियां, प्रतिभूतियां जारी होने तक, आदि.
		c) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for, undrawn partial credit enhancement facilities, When Issued Securities till issue of securities etc.

आ. दीर्घावधि संविदाएं
B. Long term contracts

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का उल्लेखनीय पूर्वाभाषी हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसे दीर्घावधि संविदाओं पर उल्लेखनीय पूर्वाभाषी हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि / लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

इ. लंबित मुकदमें
C. Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और कर प्राधिकारियों के पास लंबित कार्यवाहियाँ शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की और जहां प्रावधान अपेक्षित है वहाँ पर्याप्त प्रावधान किए हैं तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू है वहाँ आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

@ मात्रात्मक प्रकटन के लिए अनुसूची-12 आकस्मिक देयताएँ देखें.

@ Refer Schedule-12- Contingent Liabilities for quantitative disclosure.

ई. आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधान में घट-बढ़
D. Movement of provision against Contingent Liabilities

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23
क / a)	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	178	115
ख / b)	वर्ष के दौरान परिवर्धन / (रिवर्सल) / Addition/ (reversal) during the year	63	63
ग / c)	अंतिम शेष / Closing Balance	241	178

(ख) आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में
(b) In case of IDBI Asset Management Limited

i) कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए आयकर विभाग ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 26-12-2017 के अपने कर-निर्धारण आदेश के जरिए कुछ व्ययों की अनुमति नहीं दी थी जिससे हानि कम हो गई थी और आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही शुरू की. तथापि कोई मांग नहीं की गई है. कंपनी ने उक्त कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील दायर की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. (पिछले वर्ष शून्य)

For the AY 2015-16 the Income Tax Department vide its assessment order under section 143(3) dated 26-12-2017 disallowed certain expenditures thereby reducing the loss and initiated penalty proceedings under section 271(1)(c) of the Income Tax Act. However, no demand has been raised. The Company has filed an appeal against the said assessment. No provision has been made in this regards. (Previous year Nil)

ii) कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 (परिशोधन) के लिए आयकर निर्धारण के संबंध में यद्यपि आदेश आय में शून्य वृद्धि के साथ पारित किया गया है, पर धनवापसी पर अतिरिक्त ब्याज का अनुमान लगाते हुए ₹ 0.25 करोड़ की मांग प्राप्त हुई थी. कंपनी ने आयकर विभाग के पास परिशोधन के लिए आवेदन किया है, क्योंकि धनवापसी पर ब्याज की गणना हेतु विभाग द्वारा गलत तारीख पर विचार किया गया था. इस बीच, विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए टीडीएस वापसी में से आदेश राशि को समायोजित कर लिया. आईडीबीआई एएमसी ने 06 अक्टूबर 2022 को अनुरोध के लिए एक अनुवर्ती पत्र दायर किया है. सुनवाई की सूचना और आदेश का इंतजार है.

In connection with income Tax Assessment for AY 2018-19 (Rectification), though order passed with Zero Addition to the income, demand for ₹0.25 Crores received on account of presumption of excess interest on refund. The company has filed rectification with Income Tax Department as wrong date was considered by the department for calculation of Interest of Refund. In the meantime, the Department adjusted the order amount against TDS refund for AY 2021-22. IDBI AMC has filed a follow up letter for the request on October 06, 2022. Notice for hearing & order is awaited.

इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.(पिछले वर्ष शून्य)

No provision has been made in this regards. (Previous Year Nil)

iii) बिक्री कर के उप-आयुक्त (वस्तु एवं बिक्री कर अधिनियम)

DY. Commissioner of Sales Tax. (Goods and Services Tax Act)

जीएसटी संवीक्षा निर्धारण वित्तीय वर्ष 2017-18.

GST Scrutiny Assessment FY 2017-18.

एक आदेश पारित किया गया जिसमें विभाग (2ए बेमेल) द्वारा ₹0.36 करोड़ की देयता निर्धारित की गई. इस राशि पर 30 मई 2022 तक का ब्याज लगाया गया है.

An order has been passed in which a liability of ₹ 0.36 Crore has determined by Department (2A Mismatch). In this Amount, Interest has been charged upto 30th May, 2022.

आईडीबीआई एएमसी ने विवाद के अधीन ₹ 0.36 करोड़ की संपूर्ण देयताओं का भुगतान कर दिया और अगस्त 2022 में बिक्री कर के उप आयुक्त के दिनांक 30 मई, 2022 के आदेश के विरुद्ध माननीय आयुक्त जीएसटी (अपील), मुंबई में अपील दायर की है. उक्त मामले पर अभी सुनवाई होना बाकी है. [चूंकि जमा की गई राशि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया नहीं गया है, ₹ 0.36 करोड़ की आकस्मिक देयता माना गया है].
IDBI AMC has paid entire liability of ₹ 0.36 Crore under dispute and in August 2022 has filed an appeal to HON'BLE Commissioner GST (Appeals), Mumbai against order dated May 30, 2022 of DY. Commissioner of Sales Tax. The matter is yet to come for hearing. [As the amount deposited is not recognized in Profit & Loss account, contingent liability is kept to the extent of ₹0.36 Crore]

iv) वस्तु और बिक्री कर
Goods and Services Tax

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी - एएसएमटी-10 नोटिस (जांच के बाद विवरणी में विसंगतियों को सूचित करने के लिए नोटिस). सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के तहत जीएसटी लेखा परीक्षा करने के लिए दिनांक 26 जून 2022 का नोटिस (नोटिस संख्या डीसी-ई-637/540/ एलटीयू-04/ 2018-19/ /एडीटी-01/2022-23/बी-121).
GST - ASMT-10 Notice for the Financial Year 2019-20 (Notice for intimating discrepancies in the return after scrutiny). Notice dated June 26, 2022 for conducting GST Audit u/s 65 of the CGST Act, 2017 (Notice No. DC-E-637/540/ LTU-04/ 2018-19/ /ADT-01/2022-23/B-121).

3बी बनाम 2ए के अनुसार आईटीसी में अंतर - ₹ 0.32 करोड़ (अंतर आईडीबीआई बैंक के सीजीएसटी-एसजीएसटी में रिवर्स आईटीसी और आईजीएसटी में दावा किए गए आईटीसी से था).
Difference in ITC as per 3B Vs 2A - ₹ 0.32 Crore (Difference was on account of ITC Reversed in CGST-SGST of IDBI Bank Reversed and ITC Claimed in IGST)

आईडीबीआई एएमसी ने उचित स्पष्टीकरण के साथ उक्त आदेश के विरुद्ध अपना निवेदन किया है. अभी तक विभाग से कोई अतिरिक्त मांग की प्राप्ति नहीं हुई है. विभाग से आगे की सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है. अतः इस स्तर पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
IDBI AMC has made its submission against the said order with due explanation. As of now, no further requirement from the Department has been received. Awaiting for further intimation from the Dept. Hence, no provision created at this stage.

(ग) आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि. के मामले में / (c) In case of IDBI Capital Markets & Securities Limited

i) अन्य मदें जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से दायी है - / Other items for which the Company is contingently liable-

1. कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे - ₹ 2 करोड़ (पिछली अवधि के दौरान ₹2 करोड़) है जिसमें 18% की दर से ₹0.24 करोड़ (पिछले वर्ष के दौरान ₹0.08 करोड़) का ब्याज शामिल है.
Claims against the company not acknowledged as debt ₹2 Crore (Previous period ₹2 Crore) including interest @ 18% amounting to ₹ 0.24 Crore (Previous year ₹0.08 Crore).

क) **विवादित आयकर मामले**
a) **Disputed Income Tax Matters**

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

कर-निर्धारण वर्ष Assessment Year	विवादित कर राशि / Disputed Tax Amount	
	यथा 31 मार्च 2024 As on March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 As on March 31, 2023
2014-15	-	0.29
2018-19	-	0.57
2022-23	5.44	-
कुल / Total	**5.44**	**0.86**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

उपर्युक्त विवादित आयकर के मामले विभिन्न अपील प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं. कंपनी को इसके विधिक परामर्शदाता द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि कंपनी के विरुद्ध कर की मांग असमर्थनीय है और मांग को मान्य ठहराए जाने की संभावना कम है. तद्नुसार इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
Disputed Income Tax matters as above are pending before various Appellate Authorities. The Company has also been advised by its legal counsel that the tax demand against the company is untenable and likelihood of demand being upheld is low. Accordingly no provision in respect thereof has been made.

कर निर्धारण वर्ष 2006-07 और 2008-09 के संबंध में आयकर विभाग ने अपीलीय कार्यवाही में कंपनी को अनुमत कुछ व्ययों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में अपील की है. तथापि आगे ले जाई गई हानियों/ एमएटी के अंतर्गत स्वीकार्य कर के समायोजन के कारण कंपनी से कोई कर मांग नहीं की गई. कर-निर्धारण वर्ष 2012-13 (वित्तीय वर्ष 2011-12) के संबंध में आयकर विभाग ने आईटीएटी आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की है. 31 मार्च 2024 को यह अपील उच्च न्यायालय में स्वीकारण हेतु विचाराधीन है और कंपनी ने अपने बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं.
In respect of Assessment Years 2006-07 and 2008-09, the Income Tax Dept. has gone in appeal before High Court pertaining to some of the expenses allowed to the Company in appellate proceedings. However there were no tax demands on the company due to adjustment of carried forward losses/admitted tax under MAT. In respect of Assessment Year 2012-13 (Financial Year 2011-12) Dept. has filed an appeal in High Court against the order of ITAT. This appeal before the High Court is pending for admission as on March 31, 2024 and Company has taken necessary steps to defend its position.

ख) विवादित सेवा कर मामले.

b) Disputed Service Tax Matters

विभाग द्वारा की गई सेवा कर लेखापरीक्षा के दौरान पाये गए निष्कर्ष के आधार पर निम्नलिखित वित्तीय वर्षों के लिए सेवा कर विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं.
Show cause notices have been raised by the Service Tax Dept. for following financial years based on the findings during the Service Tax Audit conducted by the Department.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

वित्तीय वर्ष Financial Year	विवादित सेवा कर राशि Disputed Service Tax Amount	
	यथा 31 मार्च 2024 As on March 31, 2024	यथा 31 मार्च 2023 As on March 31, 2023
2010-11	0.006	0.006
2011-12	2	2
2012-13	1	1
2013-14	2	2
2014-15	2	2
2015-16	1	2
2016-17	0.004	0.65
2017-18	1	2
2018-19	4	4
2019-20	3	3
2020-21	0.015	-
2021-22	0.023	-
कुल / TOTAL	**16**	**18**

कंपनी द्वारा सभी कारण बताओ नोटिसों और माँगों का प्रतिवाद किया गया है और ये संबन्धित प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन हैं.

All the show cause notices and demand raised have been contested by the Company and are pending before the respective authorities.

2. जुलाई, 2022 में कंपनी के रिटेल ब्रोकिंग कारोबार में धोखाधड़ी की एक घटना का पता चला. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता के नाम पर शिकायतकर्ता की सहमति के बिना धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेराफेरी कर एक ट्रेडिंग खाता खोला गया है. उक्त ट्रेडिंग खाते को आईडीबीआई बैंक के पास शिकायतकर्ता के मौजूदा डीमैट खाते से जोड़ा गया है और उक्त डीमैट खाते के शेयरों को शिकायतकर्ता की सहमति के बिना अवैध रूप से बेच दिया गया. बिक्री की आय को बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बारे में शिकायतकर्ता का दावा है कि वह शिकायतकर्ता से संबंधित नहीं है. (अंतरित राशि का मूल्य ₹ 0.75 करोड़ था). कंपनी द्वारा आर्थिक अपराध शाखा (मुंबई) को सौपी गई शिकायत स्वीकार कर ली गई हैं और मामले की जांच अपराध शाखा (मुंबई) द्वारा की जा रही हैं. इसके अलावा शिकायतकर्ता ने कंपनी और अन्य के खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की हैं, जिसमें शिकायतकर्ता की सहमति के बिना बेचे गए शेयरों की बहाली की मांग की गई हैं. मामले की सुनवाई बंबई उच्च न्यायालय में लंबित हैं.

An incident of fraud was detected in the Retail Broking Business of the Company in the month of July 2022. The Complainant has alleged that a Trading Account has been opened by the Company in the name of the Complainant without the Complainant's consent using fraudulent and manipulated documents. The said Trading account has been mapped to an existing Demat Account of the Complainant with IDBI Bank and the shares in the said demat account have been illegally sold without the consent of the Complainant. The proceeds of the sale have been transferred to Bank Accounts which the Complainant claims do not belong to the Complainant. (Value of proceeds transferred was ₹0.75 Crore). The complaint submitted by the Company to the Economic Offences Wing (Mumbai) has been accepted and the matter is under investigation by the Crime Branch (Mumbai). Further the Complainant has filed a Writ Petition before the High Court of Bombay against the Company and Others inter alia seeking reinstatement of the shares which have sold without the consent of the Complainant. The matter is pending hearing at the High Court of Bombay.

(घ) आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में / (d) In case of IDBI Intech Limited

i. कंपनी ने अपनी आईटी परियोजनाओं के लिए ग्राहकों को ₹12 करोड़ की बैंक गारंटी जारी की है. 31 मार्च 2024 को इन गारंटियों के अंतर्गत आकस्मिक देयताएं ₹12 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹5 करोड़) रहीं.

The Company has provided bank guarantee of ₹12 Crore to customers for its IT Projects. as at 31st March 2024, the contingent liabilities under these guarantees amounted to ₹12 Crore (previous year ₹5 Crore)

ii. पूर्ववर्ती ओबीएसटी वर्टिकल के एक पूर्व कर्मचारी को ₹ 0.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.04 करोड़) की प्रतिकर राशि अदा करने के जयपुर उच्च न्यायालय के आदेश के प्रति कंपनी ने प्रतिवाद किया है और उच्च पीठ में अपील दायर की है तथा अनुकूल निर्णय की आशा है. कंपनी ने अनुमानित सांविधिक बकायों सहित अनुमानित आधार पर प्रावधान किया है. तथापि, उक्त ओबीएसटी वर्टिकल के दूसरे पूर्व-कर्मचारियों को किसी अन्य मुआवजे का भुगतान करने के परिणाम का पता नहीं लगाया जा सकता है और इसलिए सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है.

The company has contested and has appealed at higher bench against an order passed by the Jaipur High Court for a claim to pay compensation amounting to ₹ 0.04 Crore (previous year ₹0.04 Crore) to one of the ex-employees of the erstwhile OBST vertical and expects favorable outcome. The company has made provision on estimated basis including the possible statutory dues. However the outcome to pay any further compensation to other ex-employees of the said OBST vertical cannot be ascertained and hence no separate provision, except the retiring benefits, has been made.

iii. ईएसआईसी के वसूली विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय तेलंगाना ने शाखा प्रबंधक, मेसर्स आईडीबीआई बैंक, गाच्चिबौली शाखा, तेलंगाना को कंपनी द्वारा ओबीएसटी वर्टिकल के लिए प्राप्त ईएसआईसी पंजीकरण के संबंध में अक्तूबर 2010 से जून 2011 की अवधि के लिए ईएसआईसी योगदान/ब्याज/नुकसान के लिए ₹0.13 करोड़ का भुगतान करने का आदेश जारी किया था और इसके बाद कंपनी के खाते से सीधे आईडीबीआई बैंक, तेलंगाना शाखा के माध्यम से उक्त राशि वसूल की गई थी. कंपनी का मानना हैं कि उक्त राशि ईएसआईसी द्वारा गलत तरीके से वसूल की गई हैं क्योंकि उक्त अवधि के लिए वास्तविक राशि पहले ही नियत तारीख के भीतर भेज दी गई थी. सलाहकार की सलाह के अनुसार कंपनी ने ईएसआईसी अदालत में उक्त राशि की वापसी के लिए अपील दायर करने के लिए कानूनी सलाह ली हैं. उक्त राशि को टिप्पणी 12(डी) के अंतर्गत 'अन्य गैर चालू आस्ति' के अंतर्गत दर्शाया गया हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. The Recovery Department of ESIC, Regional Office Telangana had issued an order to the Branch Manager, M/s IDBI Bank, Gachibowli Branch, Telangana, to make payment of ₹ 0.13 crore on account of ESI Contribution/ Interest/ Damages for the period from October 2010 to June 2011 with respect to ESIC registration obtained by the company for the OBST vertical and subsequently recover the said amount directly from the company's account through IDBI Bank, Telangana Branch. The company believe that the said amount has been wrongly recovered by ESIC, as the actual amount for the said period were already remitted within due date. The company, as per the advice of the consultant, has taken legal advice for filing an appeal for the refund of the said amount to the ESIC court. The said amount has been reflected under Note 12(d) under 'other non current asset'.

iv. आय पर करों के लिए दावे :
Claims for taxes on income:

जहाँ कंपनी अपील की प्रक्रिया में है :
Where the Company is in appeal:

क) सेवा कर प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि के संबंध सेवा कर लेखा परीक्षा के दौरान, कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए कुछ सीईएनवीएटी क्रेडिट को अस्वीकार करते हुए ब्याज तथा दंड सहित ₹0.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.84 करोड़) की मांग की है. केंद्रीय कर आयुक्त (अपील) ने इस मांग को घटाकर ₹0.78 करोड़ कर दिया था. कंपनी ने उक्त आदेशों के खिलाफ सीईएसटीएटी को अपील की है जहां लगाए गए जुमनि की राशि को अलग करके अपील को आंशिक रुप से स्वीकार किया गया था. हालांकि, कंपनी ने कर विशेषज्ञ द्वारा दी गई सलाह पर अधिक राहत पाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने का फैसला किया है और अनुकूल परिणाम की उम्मीद है. अतः ऐसी मांग के लिए किसी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है. तथापि कंपनी ने ₹0.51 करोड़ सविरोध भुगतान कर दिये हैं जिसे अन्य गैर-चालू आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है.

a) Service tax authority put a demand of ₹ 0.84 Crore (previous year ₹0.84 Crore) including interest and penalty by disallowing certain CENVAT credit availed by the Company during the Service tax audit in respect of period from FY 2012-13 to FY 2017-18. This demand was reduced to ₹0.78 Crore by the Commissioner of Central Tax (Appeal). The company has appealed to CESTAT against the Orders where the appeal had been partially allowed by setting aside the penalty amount imposed. However, the Company has decided to appeal before the Hon. High Court for further relief, based on the advise given by the tax expert and expected favorable outcome. Hence, no provision against such demand is considered necessary. However the company had paid ₹ 0.51 Crore under protest, which is reflected under other non-current assets.

ख) इंटेक ने वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए वैट माफी योजना, 2023 के तहत उक्त अवधि के लिए अपील वापस लेने के बाद ₹0.04 करोड़ की बकाया राशि का भुगतान किया हैं. अपील शुल्क के समायोजन के बाद, बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा की गई वैट की मांग शून्य (पिछली इसी अवधि में ₹0.25 करोड़) हैं.

b) Intech has paid dues under VAT amnesty scheme, 2023 for the period from FY 2010-11 to FY 2015-16 amounting to ₹ 0.04 Crore after withdrawing the appeals for the said period. After adjustment of the appeal fees, demand of VAT made by Sales tax authority amounts to Nil (previous corresponding period ₹ 0.25 Crore)

*** मात्रात्मक प्रकटन के लिए अनुसूची 12 आकस्मिक देयताएं देखें.**

***Refer Schedule 12 Contingent Liabilities for quantitative disclosure.**

14. अन्य प्रकटन / OTHER DISCLOSURES

I. वर्ष के दौरान अधिमान्य आधार पर कोई इक्विटी शेयर आबंटित नहीं किया गया (पिछले वर्ष शून्य).
During the year no Equity Shares were allotted on preferential basis (Previous year NIL)

II. **भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ़)** / Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)

वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार(जीओआई) ने गैर ब्याज वाली भारत सरकार की आईडीबीआई विशेष प्रतिभूति 2024 के समयपूर्व मोचन के लिए ₹206 करोड़ मोचित किये. तदनुसार, 31 मार्च 2024 को एसएएसएफ़ शेष ₹672.73 करोड़ हैं और पूरा प्रावधान किया गया हैं. 31 मार्च 2023 को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹1500 करोड़ एसएएसएफ़ प्रतिभूतियों को बट्टे खाते में डाल दिया था.
The Government of India (GOI) redeemed Rs.206 crore for pre-mature redemption of non-interest-bearing Govt. of India IDBI Special Securities 2024 in Financial Year 2023-24. Accordingly, SASF balance as on March 31, 2024 stand at ₹672.73 crore and stands fully provided. During Previous year ended March 31, 2023, Bank had written off SASF securities to the extent of ₹1500 crore.

III. **कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय** / Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure

क. वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली सकल राशिः ₹75 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹2 करोड़)
a. Gross amount required to be spent during the year: ₹ 75 Crore (Previous Year: ₹2 Crore)

ख. वर्ष के दौरान व्यय की गई राशिः
b. Amount spent during the year:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2023-24 FY 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23 FY 2022-23
नकद / In cash	41	3
नकद भुगतान किया जाना शेष है / Yet to be paid in cash	34	0.16
कुल / Total	**75**	**3**

IV. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसरण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में कुछ प्रकटीकरण करना आवश्यक है. बैंक उक्त अधिनियम के अधीन कवर की जाने वाली सम्बद्ध जानकारियों को आपूर्तिकर्ताओं से लेकर समेकित करने की प्रक्रिया में है. प्रबंधन की दृष्टि में, ब्याज का प्रभाव, यदि कोई हो, जो इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार देय हो सकता है, महत्वपूर्ण होने की उम्मीद नहीं है.
Pursuant to the provisions of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, certain disclosures are required to be made relating to micro, small & medium enterprise. The Bank is in the process of compiling relevant information from its suppliers about their coverage under the said Act. In view of the management, the impact of interest, if any, that may be payable in accordance with the provisions of this Act is not expected to be material.

क) 31 मार्च 2024 को बैंक के पास कोविड-19 से संबन्धित कुल प्रावधान ₹ 116 करोड़ (कोविड-19 मानकों के अधीन पुनर्संरचना के लिए धारित प्रावधान को छोड़कर) था.

a) As at March 31, 2024, the Bank held aggregate COVID-19 related provision of ₹ 116 crore (other than provisions held for restructuring under COVID-19 norms).

ख) समाधान संरचना 1.0 और समाधान संरचना 2.0 के बारे में आरबीआई के परिपत्र के अनुसार बैंक ने 31 मार्च 2024 को कुल ₹ 240 करोड़ के विनियामक प्रावधान को जारी रखा है. इसके अलावा, 31 मार्च 2024 को बैंक ने कोविड आरएफ़ 1, आरएफ़ 2 और एमएसएमईआर ओटीआर संरचना के तहत पुनर्संरचित खुदरा उधारकर्ताओं के लिए ₹ 1843 करोड़ का आकस्मिक प्रावधान रखा है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

b) In terms of RBI's circular on Resolution Framework 1.0 and Resolution Framework 2.0, Bank continues to hold regulatory provision aggregating to ₹ 240 crore as on March 31, 2024. In addition, as on March 31, 2024, Bank held contingency provision of ₹1843 crore for retail borrowers restructured under COVID RF 1, RF 2 and MSMER OTR framework.

VI. बैंक के पास 31 मई 2023 से ₹400 करोड़ की निवल ओवरनाइट खुली स्थिति (एनओओपी) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा है. वर्ष के दौरान (2023-24) खुली स्थिति स्वीकृत सीमा के भीतर थी और औसत उपयोग ₹153.96 करोड़ (पिछले वर्ष 2022-23 में ₹127 करोड़) था. वर्ष के दौरान अधिकतम उपयोग 12 जनवरी 2024 को ₹255.34 करोड़ था. (पिछले वर्ष 30 सितंबर 2022 को ₹223 करोड़).
The Bank has Board approved limit for Net Overnight Open Position (NOOP) fixed at Rs.400 crore w.e.f. May 31, 2023. During the year (2023-24) the open position was within the approved limit and the average utilization was ₹153.96 crore (Prev. Year 2022-23, Rs.127 crore). The maximum utilization during the year was at Rs.255.34 crore on 12.01.2024. (Prev. Year ₹223 crore on Sept 30, 2022).

VII. बैंक के पास नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 26.10% हिस्सा है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने 06 अक्तूबर 2023 के पत्र के द्वारा एनएसडीएल में 14.99% से अधिक बैंक की शेयरधारिता के संबंध में मतदान के अधिकार और सभी कॉर्पोरेट कार्रवाइयों को अतिरिक्त शेयरधारिता के वास्तविक विनिवेश तक प्रतिबंधित कर दिया. हालांकि प्रचुर प्रकटीकरण के हित में और कानूनी विशेषज्ञ की राय के आधार पर, बैंक द्वारा विभिन्न वैधानिक फाइलिंग के तहत एनएसडीएल को एक 'सहयोगी कंपनी' के रूप में मान्यता देना जारी रखने का निर्णय लिया है और नवीनतम उपलब्ध सीमित समीक्षा किए गए वित्तीय विवरण 31 दिसंबर 2023 को समाप्त नौ महीने की अवधि तक एनएसडीएल के वित्तीय परिणामों को समेकित किया गया हैं.

The Bank holds 26.10% of the paid-up equity share capital of National Securities Depository Ltd (NSDL). The Securities Exchange Board of India, vide letter dated October 06, 2023 restricted the voting rights and all corporate actions in respect of bank's shareholding in NSDL in excess of 14.99%, until the actual divestment of the excess shareholding. However, in the interest of abundant disclosure and based on a legal expert's opinion, the Bank has decided to continue to recognize NSDL as an 'associate company' under the various statutory filings by the Bank and has consolidated financial results of NSDL based on the latest available limited reviewed financial statements, i.e. as at and up to the period of nine months ended December 31, 2023.

VIII. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, आपसी समझ से, लिखित या अन्य प्रकार से, बैंक और सहायक संस्थाओं द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, विदेशी संस्था सहित ('मध्यवर्ती') से/को कोई भी राशि अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार से जुटाई गई राशि से) के रूप कोई निधि प्रदान नहीं की गई है और यह कि मध्यवर्ती बैंक द्वारा या की ओर से निर्धारित पक्षकार को उधार दे पाएंगे या उनमें निवेश करेगी (अंतिम लाभार्थी). इसके अतिरिक्त बैंक और सहायक संस्थाओं को किसी भी पक्षकार (निधीयन पक्षकार) से कोई भी निधि इस समझ के साथ प्राप्त नहीं हुई है कि बैंक और सहायक संस्थाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक और सहायक संस्थाओं द्वारा या इनकी ओर से अभिनिर्धारित किसी व्यक्ति या संस्था ('अंतिम लाभार्थी') को उधार या उसमें निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थी की ओर से गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार कुछ और प्रदान करेंगे.
During the year ended March 31, 2024, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Bank and Subsidiaries to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries") with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall lend or invest in party identified by or on behalf of the Bank (Ultimate Beneficiaries). Further, The Bank and Subsidiaries has not received any fund from any parties (Funding Party) with the understanding that the Bank and Subsidiaries shall whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified by or on behalf of the Bank and Subsidiaries ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

ix) 29 जुलाई 2023 से आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (आईएएमएल) के एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) को ₹88.81 करोड़ के बिक्री प्रतिफल पर एलआईसी म्यूचुअल फ़ंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया है. सेबी ने 12 मार्च 2024 के अपने पत्र के द्वारा आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड के लाइसेंस को सरेंडर करने के लिए 30 सितंबर 2024 तक समय बढ़ाने की मंजूरी दे दी है.
Asset Under Management (AUM) of IDBI Asset Management Ltd (IAML) has been transferred to LIC Mutual Fund Asset Management Ltd with effect from July 29, 2023 for a Sale Consideration of ₹ 88.81 crore. SEBI vide its letter dated March 12, 2024 has approved extension of time upto September 30, 2024 for surrender of license of IDBI Mutual Fund.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

x) पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्ससमुहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है ताकि इनकी संपुष्टि चालू वर्ष के लिए की गई प्रस्तुति के साथ की जा सके और साथ ही इसे 30 अगस्त 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 'वित्तीय परिणामों के बारे में मास्टर निदेश-प्रस्तुति और प्रकटन' (1 अप्रैल 2024 को अद्यतित) की अपेक्षाओं के अनुसरण में आवश्यकतानुसार संशोधित किया गया है.
Figures of the previous year are regrouped/ rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year and also pursuant to the requirement of Master Direction on financial results - Presentation and disclosure issued by Reserve Bank of India dated August 30, 2021 (updated as on April 01, 2024), as amended and wherever considered necessary.

'1' से '18' लेखा अनुसूचियों के लिए हस्ताक्षर
Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से / BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
डीआईएन/DIN: 06846594

(जयकुमार एस. पिल्लै)
(Jayakumar S. Pillai)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
डीआईएन/DIN: 10041362

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
डीआईएन/DIN: 01853823

(स्मिता कुबेर)
(Smita Kuber)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

के पी श्रीनिवास
K P Srinivas
साझेदार/Partner
स. सं. /M.No. 208520

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN-100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार/Partner
स. सं./M.No. 121546

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 04 मई 2024 / Date : May 04, 2024

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2024

(₹ '000 में / (₹ in '000s)

			31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2023
अ. A.	परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash flow from Operating Activities			
	(1)	**कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ / (हानि)** Net Profit/ (Loss) before tax and extra-ordinary items	8367 45 53	5305 30 17
	(2)	**गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन** Adjustments for non cash items:		
	-	स्थायी आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल) (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets (Net)	(83 25 24)	1 86 43
	-	मूल्यह्रास और पुनर्मूल्यन हानि Depreciation and revaluation loss	543 30 89	499 20 77
	-	परिपक्वता तक धारित निवेशों पर प्रीमियम का परिशोधन Amortisation of premium on Held to Maturity investments	173 25 49	220 34 60
	-	ऋणों/ निवेशों के लिए प्रावधान/ बट्टे खाते डालना Provisions/ Write off of Loans/ Investments	1295 73 93	22 71 87
	-	मानक और पुनर्संरचित आस्तियों के लिए प्रावधान Provisions for Standard and restructured assets	(172 88 29)	1848 97 04
	-	अन्य प्रावधान / Other Provisions	283 50 15	1634 68 88
	-	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर (लाभ)/हानि (Profit) / Loss on revaluation of Investments	(2 64 20)	(102 84 52)
	-	उधार राशियों पर ब्याज (परिचालन गतिविधियों के अलावा) Interest on borrowings (other than operational activities)	707 17 50	855 01 63
	-	व्युत्पन्न और विनिमय लेनदेनों के उचित मूल्य पर (लाभ)/ हानि (Gain)/ loss on fair value of derivatives and exchange transactions	30 45 57	(146 49 13)
			11142 11 33	**10138 77 73**
	(3)	**परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन** Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:		
	-	निवेश / Investments	(15676 29 24)	(18173 25 40)
	-	अग्रिम / Advances	(27030 40 95)	(24359 28 94)
	-	अन्य आस्तियां / Other Assets	2506 67 16	2592 89 75
	-	आयकर आस्ति / Income Tax Asset	(334 34 45)	1103 01 53
	(4)	**परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन** Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:		
	-	उधारराशियां / Borrowings	4444 94 58	901 96 51
	-	जमाराशियां / Deposits	22052 24 98	22463 67 48
	-	अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	1669 16 60	2630 81 45
		परिचालन कार्यकलापों (में प्रयुक्त) / से उत्पन्न निवल नकदी Net Cash (used in)/ generated from Operating activities	**(1225 89 99)**	**(2701 39 86)**
आ. B.	निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Investing activities			
	-	स्थायी आस्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर) Purchase (net of sale) of fixed assets	(221 94 96)	(294 45 14)
	निवेश कार्यकलापों (में प्रयुक्त)/ से जुटाई गई निवल नकदी Net cash (used in) / raised from Investing activities		**(221 94 96)**	**(294 45 14)**
इ. C.	वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Financing activities			
	-	लाभांश / Dividend	(1075 24 02)	-
	-	उधार राशियों पर चुकाया गया ब्याज/ Interest paid on borrowings	(707 28 26)	(948 30 93)
	-	बॉण्डों का मोचन/ Redemption of Bonds	-	(2609 20 10)
	-	अल्पसंख्यकों को लाभांश का भुगतान Dividend and dividend tax paid to minority	(11 61 46)	(11 58 46)

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2024

(₹ '000 में / (₹ in '000s)

		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2024	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2023
	वित्तपोषण कार्यकलापों (में प्रयुक्त)/ से जुटाई गई निवल नकदी Net cash (used in) / raised from Financing activities	(1794 13 74)	(3569 09 50)
	ट्रांसलेसन रिजर्व पर विनिमय के उतार-चढ़ाव का प्रभाव Effect of exchange fluctuation to translation reserve	4 53 17	11 40 41
	नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) **NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS**	(3237 45 52)	(6553 54 09)
	प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य **OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS**	29246 93 14	35800 47 23
	अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य **CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS**	**26009 47 62**	**29246 93 14**
	नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणी / Note to Cash Flow Statement:		
1.	नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में तुलन पत्र की निम्नलिखित मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:		
	नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष Cash & Balances with Reserve Bank of India	13990 99 92	16639 28 10
	बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रति देय राशि Balances with banks & money at call and short notice	12018 47 70	12607 65 04
	कुल / Total	**26009 47 62**	**29246 93 14**
2.	परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर की जाती है. Cashflow from operating Activities is reported by using indirect method.		

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची 17 और 18)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 & 18)

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं.
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से/ BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
डीआईएन/DIN: 06846594

(जयकुमार एस. पिल्लै)
(Jayakumar S. Pillai)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
डीआईएन/DIN: 10041362

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
डीआईएन/DIN: 01853823

(स्मिता कुबेर)
(Smita Kuber)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते वर्मा एंड वर्मा
For Varma & Varma
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN - 004532S

के पी श्रीनिवास
K P Srinivas
साझेदार/Partner
स. सं. 208520/M.No. 208520

कृते जी डी आप्टे एंड कंपनी
For G D Apte & Co
सनदी लेखाकार/Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/FRN-100515W

सौरभ पेशवे
Saurabh Peshwe
साझेदार/Partner
स. सं. 121546/M.No. 121546

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 04 मई 2024 / Date : May 04, 2024

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

सहायक/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित विवरण
STATEMENT CONTAINING SAILENT FEATURES OF THE FINANCIAL STATEMENT OF SUBSIDIARIES/ASSOCIATE COMPANIES/JOINT VENTURES

भाग ''अ'': सहायक कंपनियां
Part "A": Subsidiaries

(₹ '000 में) / (₹ in '000s)

विवरण Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.
सहायक संस्था की रिपोर्टिंग अवधि यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period			लागू नहीं Not Applicable		
विदेशी सहायक संस्थाओं के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को मुद्रा तथा विनिमय दर की रिपोर्टिंग Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries.			लागू नहीं Not Applicable		
शेयर पूंजी Share capital	128 10 00	6 03 28	200 00 00	20 00	15 55 15
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष Reserves & surplus	209 34 62	331 40 01	15 21 79	1 43 98	101 99 60
कुल आस्तियां Total assets	424 73 50	343 98 77	215 50 63	1 65 41	131 58 95
कुल देयताएं (पूंजी और आरक्षित निधियों के अलावा) Total Liabilities (excluding capital and reserves)	87 28 89	6 55 48	28 83	1 43	14 04 20
निवेश Investments	155 80 14	194 73 74	97 22 53	1 60 32	0
कुल कारोबार Turnover	113 42 20	99 12 08	114 39 21	14 26	156 30 28

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ '000 में) / (₹ in '000s)

विवरण Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI MF Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.
कराधान से पहले लाभ Profit before taxation	8 89 42	74 25 22	102 29 52	(8 27)	13 22 82
कराधान के लिए प्रावधान Provision for taxation	1 53 93	16 88 29	21 56 74	(11)	2 74 14
कराधान के बाद लाभ Profit after taxation	7 35 49	57 36 93	80 72 78	(8 16)	10 48 68
प्रस्तावित लाभांश (कॉरपोरेट लाभांश कर सहित) Proposed Dividend (including corporate dividend tax)	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
शेयरधारिता का % % of shareholding	100%	54.70%	*66.67%	100%	100.00%

** शेष 33.33% धारिता आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. के पास है*
** Balance holding of 33.33% is held by IDBI Capital Markets & Securities Ltd.*

टिप्पणियां / Notes:

1. कुल कारोबार से तात्पर्य प्रत्येक संस्था द्वारा उनके वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई कुल आय से है.
   Turnover is the total income reported by each of the entities in their financial statements.
2. सहायक संस्थाओं के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है: कोई नहीं
   Names of subsidiaries which are yet to commence operations: None
3. सहायक संस्थाओं के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या बेचा गया हो: कोई नहीं
   Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year: None

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

भाग ''आ'': सहयोगी कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
Part "B": Associates and Joint Ventures

(₹ '000 में) / (₹ in '000s)

क्रम सं. Sr. No.	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम Name of Associates/Joint Ventures	बायोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लिमिटेड Biotech Consortium India Limited	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड National Securities Depository Limited	नॉर्थ इस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेस कॉरपोरेशन लिमिटेड North Eastern Development Finance Corporation Limited
1.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख Latest audited Balance Sheet Date	31 मार्च 2023 को March 31, 2023	31 मार्च 2023 को March 31, 2023	31 मार्च 2023 को March 31, 2023
2.	**वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के धारित शेयर** **Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end**			
	इक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	150 00 04	1044 00 00	2500 00 02
	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यम में निवेश राशि Amount of Investment in Associates/Joint Venture	1 50 00	10 44 00	25 00 00
	धारिता का% Extend of Holding%	27.93%	26.10%	25.00%
3.	पर्याप्त प्रभाव होने के कारणों का विवरण Description of how there is significant influence	बायोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लिमिटेड में 27.93% की धारिता को लेखांकन एएस-23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in Biotech Consortium India Ltd being 27.93%, considered as an Associate as per AS-23	एनएसडीएल में 26.10% की धारिता को एएस-23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in NSDL being 26.10 %, considered as an Associate as per AS-23	नॉर्थ इस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में 25% की धारिता को एएस-23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in North Eastern Development Finance Corporation Ltd being 25%, considered as an Associate as per AS-23
4.	सहयोगी कंपनी/ संयुक्त उद्यम के समेकित नहीं होने का कारण Reason why the associate/joint venture is not Consolidated	लागू नहीं/ N.A.	लागू नहीं N.A.	लागू नहीं/ N.A.
5.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता स्रोतजन्य निवल मालियत Networth attributable to Shareholding as per latest audited Balance Sheet	8 27 84	372 93 29	281 03 47
6.	**31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/ हानि** **Profit / Loss for the year ended March 31, 2024**			
	i. समेकन में शामिल Considered in Consolidation	-	50 68 95	-
	ii. समेकन में शामिल नहीं Not Considered in Consolidation	-	-	-

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

टिप्पणियां / Notes:

1. उन सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू नहीं हुआ हैः कोई नहीं
   Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations: None
2. उन सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त अथवा बेचा गया हैः एजिस फेडरल लाइफ इन्शुरेंस कंपनी लि.
   Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year : None
3. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड का समेकन एएस-23 के अनुसार 31 दिसंबर 2023 के गैर-लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित है.
   National Securities Depository Ltd has been consolidated in accordance with AS-23 based on unaudited results as at December 31, 2023.
4. पोंडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के वित्तीय विवरणों का समेकन वित्तीय विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण नहीं किया गया है. सहयोगी संस्था में निवेश को बट्टे खाते डालकर एक रूपया कर दिया गया है.
   The financials of Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd. have not been consolidated on account of non receipt of financial statements/annual report. The investment in the Associate is written down to rupee one.
5. बॉयोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लि. और नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड से वांछित जानकारी प्राप्त न होने के कारण निवल मालियत वित्तीय वर्ष 2023 के अनुसार ली गई है.
   The Networth of Biotech Consortium India Limited,National Securities Depository Ltd and North Eastern Development Finance Corporaton Limited taken as per FY 2023 due to non availability of the desired information.

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
डीआईएन/DIN: 06846594

(जयकुमार एस. पिल्लै)
(Jayakumar S. Pillai)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
डीआईएन/DIN: 10041362

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
डीआईएन/DIN: 01853823

(स्मिता कुबेर)
(Smita Kuber)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chief Financial Officer

(ज्योति नायर)
(Jyothi Nair)
कंपनी सचिव
Company Secretary

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 04 मई 2024 / Date : May 04, 2024

समेकित
पिलर III प्रकटन
Consolidated
Pillar III Disclosures

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2024)

Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2024)

भारतीय रिज़र्व बैंक के बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2024 को पिलर III प्रकटन, तिमाही प्रकटनों के साथ बैंक की वेबसाइट पर 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2023-24 (Basel III) के अंतर्गत अलग से रखे गए हैं.

Pillar III disclosures at March 31, 2024 along with quarterly disclosures, as per Basel III guidelines of RBI have been disclosed separately on the Bank's website under 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2023-24 (Basel III).

नोट / NOTE

नोट / NOTE

नोट / NOTE

नोट / NOTE

RESULTS CORNER

IDBI Bank Q1 profit soars 62% on strong loan growth

AJAY RAMANATHAN
Mumbai, July 24

IDBI BANK ON Monday reported its best-ever financials since it had gone down under a pile of bad loans that peaked at over a third of its assets in FY18, with a robust all-round performance, led by a 62% jump in its net profit to ₹1,224 crore and an industry-leading margin for the June quarter.

Net advances grew 20% YoY to ₹1.7 trillion. Retail advances jumped to 69% of the overall loan book from ...

REPORT CARD

Retail advances jumped to 69% of the overall loan book from 63% a year ago, while corporate advances fell to 31% from 37%

आईडीबीआई बैंक में निकली 600 वैकेंसी

इच्छुक युवा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर भर्ती के लिए 30 तक ऑनलाइन करें अप्लाई

दिव्य हिमाचल ब्यूरो— नई दिल्ली

आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के जरिए 600 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन 15 सितंबर, 2023 से ...

अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे भर्ती के लिए नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आवेदन करें, क्योंकि गलत भरा हुआ फॉर्म किसी भी अभ्यर्थी का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद किया जाएगा।

भर्ती डिटेल्स— आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन 600 पदों पर नियुक्ति के लिए जारी किया गया है। आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर भर्ती 2023 में सामान्य वर्ग के लिए 243 पद रखे गए हैं।

CARE upgrades rating of IDBI Bank's Tier-II bonds

Our Bureau
Mumbai

CARE Ratings has upgraded the rating of IDBI Bank's Basel III Compliant Tier II Bonds aggregating ₹2,000 crore from "A+" to "AA-" and revised the outlook from "positive" to "stable".

The credit rating agency also reaffirmed the "Al+" rating for the bank's Certificate of Deposits aggregating ₹10,000 crore.

... over the past two years ended September 30, 2023, the agency said.

IDBI Bank goes live with Swift India's messaging platform

SP Correspondent

Mumbai: IDBI Bank announced that it has gone live on Swift India Inter Bank ... adhering to industry regulations and standards. This launch aligns with the Bank's dedication to provide a secure and efficient solution for financial communications.

... the principal key driver for major digital initiatives of the Bank. It is a matter of delight to join hands with SWIFT India in offering customers tools that simplify their financial interactions while maintaining the highest standards of security and privacy."

Kiran Shetty, CEO and Regional Head, Swift India said, "SWIFT India Interbank ...

आईडीबीआई बैंक ने किया शाखा विस्तार

मुंबई | आईडीबीआई बैंक ने अलीबाग, महाराष्ट्र में अपना नया रीजनल ऑफिस खोलने की घोषणा की है। इस नए क्षेत्र में 23 शाखाएं हैं, और यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में लोगों की बैंकिंग की ...

Ashok Leyland ties up with IDBI Bank

Chennai-headquartered Ashok Leyland has signed a memorandum of understanding (MoU) with IDBI Bank to finance its dealers. Gopal Mahadevan, CFO, Ashok Leyland, said, "Ashok Leyland dealers will now have financing to suit their needs." Suresh Khatanhar, deputy MD, IDBI Bank, said, "Our ... finance tool e-Supply ... is designed to meet ... capital requirements of ... dealers and traders of ... Our goal is to provide a ... financial support to Ashok ... dealers." - TNN

IDBI Bank launches e-Bank Guarantee (e-BG) facility in partnership with NeSL

CHENNAI: IDBI Bank has launched e-Bank Guarantee (e-BG) facility in partnership with National e-Governance Services Ltd (NeSL) that replaces paper based BG issuance process with e-stamping and e- signatures. With this the Bank has achieved another milestone in its endeavor to offer digital and user friendly services to its customers.

IDBI Bank sees this as a transformational change in the business ecosystem where bank guarantees are used in high volumes as the new initiative brings higher transparency and reduces turnaround time from days to minutes. e-BG can be processed with e-stamping and e-signatures and delivered instantly to the beneficiary all in a matter of few minutes. With secured transmission and enhanced transparency, beneficiaries are saved of efforts and time in verification of physical BGs. ...

IDBI Bank's net profit jumps 57% to ₹1,458 cr in December qtr

NEW DELHI: IDBI Bank on Saturday reported a 57 per cent growth in net profit to Rs 1,458 crore in the third quarter ended December 31, on lower provisioning and better interest income.

The LIC-controlled bank had a net profit of Rs 927 crore in the October-December quarter of 2022.

The bank's interest income improved during the third quarter of the current fiscal to Rs 6,541 crore, as against Rs 5,231 crore in the same period last fiscal.

The gross non-performing asset (NPA) ratio improved to 4.69 per cent as on December 31, 2023, as against 13.82 per cent as on December 31, 2022.

Similarly, the net NPA also declined to 0.34 per cent, as compared to 1.08 per cent at the end of December 2022.

The bank's interest income improved during the third quarter of FY24 to Rs 6,541 crore, as against Rs 5,231 crore in Q3 FY23

As a result provisioning and contingencies came down to Rs 320 crore in the December quarter, from Rs 784 crore in the same quarter of the last fiscal.

Provision Coverage Ratio (including Technical Write-Offs) stood at 99.17 per cent as on December 31, 2023.

During the quarter Capital Adequacy Ratio of the bank improved to 20.32 per cent, as compared to 20.14 per cent at the end of December 2022.

The bank has not raised capital during the December quarter and the earlier funds have been fully utilised, it said.

The government, which owns over 45 per cent stake in IDBI Bank, plans to sell its stake in the bank and the process could gather pace next financial year.

Meanwhile, life insurance behemoth LIC, which has a 49.24 per cent shareholding, is keen to hold strategic stake in the bank so that it can enjoy the benefit of bancassurance channel.

PTI

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय:
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400005
टोल फ्री नं : 1800-209-4324 / 1800-22-1070.
गैर-टोल फ्री नं.: 022-67719100.

सीआईएन - **L65190MH2004GOI148838**

IDBI Bank Limited
Regd. Office:
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai - 400005
Toll Free Nos.: 1800-209-4324 / 1800-22-1070.
Non-Toll Free Nos.: 022-67719100.

CIN - L65190MH2004GOI148838

www.idbibank.in **@idbi_bank** **/IDBIBank** **@idbibankofficial** **YouTube/idbibank** **/idbibank**

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई- 400 005
फोन-(022) 66553336/ 3147
ईमेल: idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट: www.idbibank.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** के सदस्यों की **20वीं वार्षिक महासभा मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों** (ओएवीएम) के जरिये आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगी:

सामान्य कारोबार

1. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के बैंक के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;

2. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करना;

3. श्री राज कुमार (डीआईएन: 06627311), एलआईसी के नामिती निदेशक को आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;

4. श्री जयकुमार एस. पिल्लै (डीआईएन: 10041362), उप प्रबंध निदेशक को आवर्ती निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करना, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;

5. सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना और उनका पारिश्रमिक तय करना तथा इसके लिए निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाये तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना :-

   "**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139-142 एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, को इस संबंध में जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पठित, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक (रिजर्व बैंक) द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों, बैंक के संस्था बहिर्नियम एवं अंतर्नियम, इस समय लागू अन्य कानून एवं दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसरण में बैंक के सदस्यों की सहमति मेसर्स चोकसी एंड चोकसी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (फर्म रजि. नं. 101872W/W100045) और मेसर्स सुरी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (फर्म रजि. नं. 004283S) को बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्ति करने के लिए प्रदान की जाए और एतद्द्वारा दी जाती है, जो इस वार्षिक महासभा के पूर्ण होने के बाद से वर्ष 2027 में संपन्न होने वाली तेईसवीं वार्षिक महासभा के समाप्त होने तक बने रहेंगे, यह नियुक्ति फर्मों द्वारा प्रति वर्ष पात्रता मानदंडों को पूरा करने और रिजर्व बैंक से वार्षिक आधार पर अनुमोदन लेने, जो बोर्ड द्वारा अनुशंसित शर्तों तथा वार्षिक पारिश्रमिक/फीस के अधीन होगी, जो स्पष्टीकरण विवरण में दी गई है, जिसमें बोर्ड/लेखा परीक्षा समिति को नियुक्ति की शर्तों को बदलने एवं रूपांतरित करने, शेष अवधि के लिए पारिश्रमिक में संशोधन ऐसे ढंग और

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai- 400 005,
Phone-(022) 66553336 / 3147
E-mail: idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbibank.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the **20th Annual General Meeting** of the Members of **IDBI Bank Limited** will be held on **Tuesday, July 23, 2024 at 11:00 a.m. exclusively through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)**, to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the Bank for the year ended March 31, 2024 and the Reports of the Board of Directors & Auditors thereon and the Audited Consolidated Financial Statements of the Bank and the report of the Auditors thereon for the year ended March 31, 2024;

2. To declare dividend on equity shares of the Bank for the financial year 2023-24;

3. To re-appoint Shri Raj Kumar (DIN: 06627311), LIC Nominee Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment;

4. To re-appoint Shri Jayakumar S. Pillai (DIN: 10041362), Deputy Managing Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment;

5. To appoint Statutory Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, pass the following resolution as an **Ordinary Resolution:-**

   "RESOLVED THAT pursuant to Sections 139-142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued in this regard, the Banking Regulation Act, 1949 and circulars & guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI), Memorandum and Articles of Association of the Bank and any other law or guidelines applicable, if any, for the time being in force, the consent of members of the Bank be and is hereby accorded for appointment of M/s Chokshi & Chokshi LLP, Chartered Accountants (Firm Regn. No. 101872W/W100045) and M/s Suri & Co., Chartered Accountants (Firm Regn. No. 004283S), as Joint Statutory Auditors of the Bank, to hold office from the conclusion of this Annual General Meeting till the conclusion of the Twenty Third Annual General Meeting to be held in the year 2027, subject to the firms satisfying the eligibility norms each year and subject to approval of the RBI on an annual basis, on such terms & conditions and at an annual remuneration/ fees as recommended by the Board and given in the explanatory statement, with a power to the Board/Audit Committee to alter and vary the terms and conditions of appointment, revision in the remuneration during the remaining tenure,

उस सीमा तक करने जो सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ आपसी सहमति से तय हों, के अधिकार के साथ होगी.''

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड (बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति या इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति (यों) सहित) को उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के संबंध में या उससे प्रासंगिक ऐसे सभी आवश्यक या वांछनीय कार्य, मामले, विलेख और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा किया जाता है, जिसमें कंपनी रजिस्ट्रार के पास आवश्यक फॉर्म दाखिल करना और इस संबंध में अन्य सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करने सहित लेकिन इस तक ही सीमित नहीं है."

विशेष कारोबार

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो इसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों तथा विधि के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों (जिसमें वर्तमान में लागू कोई संशोधन(नों), सांविधिक आशोधन(नों), या उनका पुनः अधिनियमन शामिल हैं) के अनुसरण में बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके बाद "बोर्ड" कहा गया है जिसमें बोर्ड द्वारा इस संकल्प के द्वारा दी गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए गठित / गठन की जाने वाली कोई भी समिति (यां) शामिल मानी जायेंगी) को बैंक के एक संबद्ध पक्षकार होने के नाते भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ संविदाएं/करार/लेनदेन करने और/या जारी रखने (एकल लेनदेन अथवा लेनदेनों का समूह या लेनदेनों की श्रृंखला अथवा अन्यथा) को पहले की व्यवस्थाओं/ लेनदेनों की निरंतरता (ओं) या नवीनीकरण (णों) या विस्तार (रों) या आशोधन (नों) के रूप में या नए और स्वतंत्र लेनदेन (नों) के रूप में अथवा अन्यथा रूप में निम्नानुसार करने का अनुमोदन प्रदान करते हैंः

1) एलआईसी से चालू खाता जमा या सावधि जमा ("जमाराशियां") सहित जमाराशियां (किसी भी रूप में और किसी भी नाम से) और उस पर ब्याज;

2) लागू कानूनों और बैंक की संबंधित नीतियों के अंतर्गत यथा अनुमत राशि और शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभूति, अवधि, आदि सहित) पर एलआईसी को किसी भी प्रकार का ऋण या अग्रिम, ऋण सुविधाएं अथवा किसी भी प्रकार की निधि-आधारित सुविधाएं और/या गारंटियां, साख पत्र अथवा किसी भी प्रकार की गैर-निधि आधारित सुविधाएं मंजूर करना;

3) एलआईसी को बैंक की ऋण प्रतिभूतियां जारी करना, ब्याज का भुगतान और उसकी मोचन राशि;

4) बीमा योजनाओं और अन्य संबद्ध व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन;

5) एलआईसी के साथ सहमत प्रतिफल पर अथवा समय-समय पर हुई सहमति के अनुसार तथा / अथवा बैंक / इसकी सहायक कंपनियों द्वारा निम्न कार्यों के लिए अन्य लेन-देन और/या व्यवस्थाएं और/ या संसाधनों/ सेवाओं का एलआईसी को/से अंतरणः (i) प्रतिभूतियों का क्रय/ विक्रय, शुल्क, प्रभार, राजस्व, कमीशन, प्रीमियम, ब्रोकरेज या कस्टडी/ डिपॉजिटरी सेवाओं, सलाहकारी

in such manner and to such extent as may be mutually agreed with the Statutory Auditors."

"**RESOLVED FURTHER THAT** Board (including the Audit Committee of the Board or any other person(s) authorized by the Board in this regard) be and is hereby authorized to do all such acts, matters, deeds and things necessary or desirable in connection with or incidental to give effect to the above resolution, including but not limited to filing of necessary forms with the Registrar of Companies and to comply with all other requirements in this regard."

SPECIAL BUSINESS

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Section 188 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and other applicable provisions of the Act read with rules made thereunder and any other relevant provisions of law, (including any amendment(s), statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Members of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the "Board", which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this resolution), for carrying out and /or continuing with contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), with Life Insurance Corporation of India (LIC), being a related party of the Bank, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

1) Deposits (in any form and by whatever name called), including Current Account Deposits or Fixed Deposits ("Deposits") from LIC and interest thereon;

2) Granting of any loans or advances, credit facilities, or any other form of Fund-based facilities, and/ or guarantees, letters of credit, or any other form of Non-Fund based facilities to LIC, sanctioned up to an amount and on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure etc.) as permissible under applicable laws and the relevant policies of the Bank;

3) Issue of debt securities of the Bank to LIC, payment of interest and redemption amount thereof;

4) Fees/commission for distribution of insurance products and other related business;

5) Other transactions and / or arrangements with and/ or transfer of resources / services from/to LIC, against the consideration agreed upon or as may be agreed from time to time and/ or where the Bank/ its subsidiaries would (i) purchase/ sell securities, receive fees, charges, revenue, commission, premium, brokerage or any other income, such as for custody / depository services, advisory services, insurance services, asset management fees, Issuing

सेवाओं, बीमा सेवाओं, आस्ति प्रबंधन शुल्क, अनुबंध शुल्क जारी करने व भुगतान करने, साझा सेवाएं, संग्रहण और भुगतान सेवाएं, प्रतिभूतियां जारी करने जैसे कार्यों से अन्य आय प्राप्त करने के लिए तथा/ अथवा (ii) उपगत व्यय, जो बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में टिप्पणियों में प्रकट किये गये हैं.

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष के दौरान इस तरह के अनुबंध/ व्यवस्था / लेनदेन, चाहे एकल रूप में तथा/ अथवा समग्र रूप में, ₹ 1,000 करोड़ अथवा बैंक के गत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार के 10%, इनमें से जो भी कम हो, अथवा समय-समय पर विधि/ विनियमनों के अंतर्गत प्रयोज्य अन्य तात्विक सीमा, जिसमें जमा व उस पर ब्याज ऐसे लेनदेन मूल्य का पर्याप्त हिस्सा हों, से अधिक हो सकते हैं; बशर्ते उक्त अनुबंध/ व्यवस्था/ लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार सिद्धांत आधार पर और बैंक के सामान्य व्यवसाय के तहत हो."

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बोर्ड (इस पद के अंतर्गत ऐसी कोई भी समिति शामिल है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा गठित की गई है या इसके बाद गठित की जाती है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है) द्वारा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करने और कोई करार, दस्तावेज तथा लिखावट निष्पादित करने के लिए, जो उनके एकल विवेकाधिकार के अंतर्गत उचित समझे जाएं तथा बैंक के किसी भी निदेशक (कों) तथा/ अथवा अधिकारी(रियों) को अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों के निष्पादन के लिए और इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए सभी या किसी भी अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं."

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम"), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 तथा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित अन्य लागू प्रावधानों तथा विधि के अन्य किसी प्रासंगिक प्रावधानों (जिसमें वर्तमान में लागू कोई संशोधन(नों), सांविधिक आशोधन(नों), या उनका पुनः अधिनियमन शामिल हैं) के अनुसरण में बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसमें इसके बाद "बोर्ड" के कहा गया है जिसमें बोर्ड द्वारा इस संकल्प में दी गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए गठित/ गठन की जाने वाली कोई भी समिति (यां) शामिल हैं) को बैंक के एक संबद्ध पक्षकार होने के नाते एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. के साथ संविदाएं/करार/लेनदेन करने और/या जारी रखने (एकल लेनदेन अथवा लेनदेनों का समूह या लेनदेनों की श्रृंखला अथवा अन्यथा) को पहले की व्यवस्थाओं/ लेनदेनों की निरंतरता (ओं) या नवीनीकरण (णों) या विस्तार (रों) या आशोधन (नों) के माध्यम से या नए और स्वतंत्र लेनदेन (नों) के रूप में अथवा अन्यथा रूप में निम्नानुसार करने का अनुमोदन प्रदान करते हैंः

क. लागू कानूनों और बैंक की संबंधित नीतियों के अंतर्गत यथा अनुमत राशि और शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभूति, अवधि, आदि सहित) पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को या उसकी ओर से ऋण या अग्रिम, ऋण सुविधाएं, या किसी अन्य प्रकार की निधि-आधारित सुविधाएं, और / या गारंटियां, साख पत्र, या किसी अन्य प्रकार की गैर-निधि आधारित सुविधाएं मंजूर करना.

इस तथ्य के बावजूद कि वित्तीय वर्ष के दौरान इस तरह के अनुबंध/ व्यवस्था / लेनदेन, चाहे एकल रूप में तथा/ अथवा समग्र रूप में, ₹ 1,000 करोड़ अथवा बैंक के गत लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार के 10%, इनमें से जो भी कम हो, अथवा समय-समय पर विधि/ विनियमनों के अंतर्गत

and Paying Agreement fees, shared services, collection and payment services, issue of securities and / or (ii) incur expenses, as may be disclosed in the notes forming part of the consolidated financial statements of the Bank.

Notwithstanding the fact that such contracts/ arrangements/transactions during a Financial Year, whether individually and/or in the aggregate, may exceed ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, or any other materiality threshold as may be applicable under law/ regulations from time to time; wherein Deposits and interest thereon would form a substantial portion of such transaction value; provided however, that the said contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the members of the Bank do hereby accord approval to the Board (which term shall include any Committee, which the Board of Directors of the Bank may have constituted or may hereafter constitute and delegated with the powers necessary for the purpose), to do all such acts, deeds, matters and things and to execute any agreements, documents and writings as may be required, in its sole discretion deem fit and to delegate all or any of its powers conferred herein to any Director(s) and/or Officer(s) of the Bank for execution of contracts/arrangements/transactions and to give effect to this Resolution."

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), Section 188 of the Companies Act, 2013 ("the Act") and other applicable provisions of the Act read with rules made thereunder and any other relevant provisions of law, (including any amendment(s), statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), the Members of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the "Board", which term shall be deemed to include any Committee(s) constituted/to be constituted by the Board to exercise its powers including the powers conferred by this resolution), for carrying out and /or continuing with contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise), with LIC Housing Finance Limited being a related party of the Bank, whether by way of continuation(s) or renewal(s) or extension(s) or modification(s) of earlier arrangements/ transactions or as fresh and independent transaction(s) or otherwise as mentioned hereunder:

a. granting of any loans or advances, credit facilities, or any other form of fund-based facilities, and / or guarantees, letters of credit, or any other form of non-fund based facilities to or on behalf of LIC Housing Finance Limited, sanctioned up to such amounts and on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure etc.) as permissible under applicable laws and the relevant policies of the Bank.

Notwithstanding the fact that such contracts/ arrangements/transactions during a Financial Year, whether individually and/or in the aggregate, may exceed ₹ 1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, or any other materiality threshold as may

प्रयोज्य अन्य तात्विक सीमा, से अधिक हो सकते हैं; बशर्ते उक्त अनुबंध/ व्यवस्था/ लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार सिद्धांत आधार पर और बैंक के सामान्य व्यवसाय के तहत हो.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के सदस्य एतद्द्वारा बोर्ड (इस पद के अंतर्गत ऐसी कोई भी समिति शामिल है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा गठित की गई है या इसके बाद गठित की जाती है और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है) द्वारा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करने और कोई करार, दस्तावेज तथा लिखावट निष्पादित करने के लिए, जो उनके एकल विवेकाधिकार के अंतर्गत उचित समझे जाएं तथा बैंक के किसी भी निदेशक (कों) तथा/ अथवा अधिकारी(रियों) को अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेनों के निष्पादन के लिए और इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए सभी या किसी भी अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन करने का अनुमोदन प्रदान करते हैं."

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाये तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः

संकल्प किया जाता है कि बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1)(iii) और (vii), बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 यथा संशोधित, की धारा 35 बी के प्रासंगिक प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, कंपनी अधिनियम, 2013 यथा संशोधित के अधीन बनाए गए प्रासंगिक नियमों के साथ पठित अधिनियम धारा 152, 160, 196, 197, 203 एवं अनुसूची V तथा सेबी सूचीबद्धता विनियमनों के विनियमन 17 (1सी) एवं अन्य लागू प्रावधानों और अन्य कोई लागू कानूनों (जिसमें वर्तमान समय में लागू उनका कोई सांविधिक संशोधन, आशोधन(नों), परिवर्तन(नों) या उसमें पुनः अधिनियमन शामिल है) के अनुसरण में तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) और बैंक के निदेशक मंडल की अनुशंसा के अनुसरण में, श्री सुमित फक्का (डीआईएनः 08259618) को बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे, बैंक में डीएमडी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्ति को बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाये तथा एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है, जिसका अनुमोदन रिज़र्व बैंक द्वारा 31 मई 2024 के अपने पत्र द्वारा और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा 1 जून 2024 को पारिश्रमिक सहित ऐसी शर्तों पर अनुमोदन प्रदान किया है जो एजीएम के नोटिस के इस संकल्प के व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट किया गया है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड या उसकी किसी समिति को पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक को बैंक में उनके कार्यकाल के दौरान संशोधित करने के लिए अधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा किया जाता है जो रिज़र्व बैंक से इस संबंध में वार्षिक आधार पर प्राप्त अनुमोदन के अधीन होगा."

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के कंपनी सचिव को ऐसे सभी करारों, दस्तावेजों, लिखतों और लिखावटों को निष्पादित करने, जिन्हें आवश्यक समझा जाए, सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों के पास अपेक्षित फॉर्म या आवेदन दाखिल करने तथा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करने, जिन्हें इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित समझा जाए, के लिए अधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा किया जाता है.''

be applicable under law/ regulations from time to time; provided however, that the said contracts/ arrangements/ transactions shall be carried out on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the members of the Bank do hereby accord approval to the Board (which term shall include any Committee, which the Board of Directors of the Bank may have constituted or may hereafter constitute and delegated with the powers necessary for the purpose), to do all such acts, deeds, matters and things and to execute any agreements, documents and writings as may be required, in its sole discretion deem fit and to delegate all or any of its powers conferred herein to any Director(s) and/or Officer(s) of the Bank for execution of contracts / arrangements/transactions and to give effect to this Resolution."

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Article 116(1)(iii) and (vii) of the Articles of Association of the Bank, relevant provisions of Section 35B and other applicable provisions, if any, of the Banking Regulation Act, 1949, as amended and the rules, guidelines and circulars as issued by the Reserve Bank of India (RBI) in this regard, from time to time, provisions of Sections 152, 160, 196, 197, 203 and Schedule V of the Companies Act, 2013 as amended, read with the relevant rules made thereunder and Regulation 17(1C) and other applicable provisions of the SEBI Listing Regulations and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) and pursuant to recommendation by the Nomination and Remuneration Committee (NRC) and the Board of Directors of the Bank, approval of members of the Bank, be and is hereby accorded to the appointment of Shri Sumit Phakka (DIN: 08259618) as Deputy Managing Director (DMD) of the Bank, liable to retire by rotation, for a period of three years commencing from the date of his taking charge as DMD of the Bank, as approved by the RBI vide their letter dated May 31, 2024 and by the Board of Directors of the Bank on June 01, 2024, on such terms and conditions including remuneration as set out in the explanatory statement to this resolution of the AGM Notice."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board or any Committee thereof, be and is hereby authorised to revise the remuneration payable to the Whole Time Directors, during their tenure in the Bank, subject to the approval received in this regard annually from the RBI."

"RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary of the Bank be and is hereby authorized to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, to file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities and to do all such acts, deeds, matters and things as may be considered necessary and appropriate to give effect to this Resolution."

9. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करनाः

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 150, 152, 160 और अनुसूची IV के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित उसके अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक नियमों (अधिनियम), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 (सेबी सूचीबद्धता के विनियम) के विनियम 16, 17 और 25 के प्रावधानों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2)(ए) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों तथा इस संबंध में समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा जारी नियमों, दिशानिर्देशों एवं परिपत्रों और किसी भी अन्य लागू कानूनों (जिसमें वर्तमान में लागू कोई सांविधिक संशोधन(नों), आशोधन(नों), विचरण(णों) या उसमें पुनः अधिनियमन शामिल हैं) के अनुसार, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) के संस्था के अंतर्नियम के प्रावधान तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और बैंक के निदेशक मंडल की सिफारिश के अनुसार, श्रीमती पी.वी. भारती (डीआईएन 06519925) जिनका बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पहला कार्यकाल 13 जनवरी 2025 को समाप्त होने वाला है और जो अधिनियम की धारा 149(6) और सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 16(1)(बी) के प्रावधानों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करती हैं और जो पात्र होने के कारण बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए स्वयं प्रस्ताव किया है, श्रीमती पी.वी. भारती को बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए बैंक के सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया जाये और एतदद्वारा किया जाता है, जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, लगातार चार साल की दूसरी अवधि 14 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी.

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बैंक के कंपनी सचिव को ऐसे सभी करारों, दस्तावेजों, लिखतों और लिखावटों को निष्पादित करने, जिन्हें आवश्यक समझा जाए, सांविधिक/विनियामक प्राधिकरणों के पास अपेक्षित फॉर्म या आवेदन दाखिल करना तथा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करना, जिन्हें इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित समझा जाए, के लिए अधिकृत किया जाये और एतद्द्वारा किया जाता है."

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएनः 06846594

पंजीकृत कार्यालयः
आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई- 400005.

दिनांकः 24 जून 2024

9. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 149, 150, 152, 160 & Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules made thereunder (the "Act"), the provisions of Regulations 16, 17 & 25 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI Listing Regulations"), Section 10A(2)(a) and other relevant provisions of the Banking Regulation Act, 1949, and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India (the "RBI"), in this regard, from time to time and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereto, for the time being in force), the provisions of the Articles of Association of IDBI Bank Limited (the "Bank") and pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and the Board of Directors of the Bank, Smt. P.V. Bharathi (DIN 06519925) whose first term as an Independent Director of the Bank is due to expire on January 13, 2025 and who meets the criteria of independence as prescribed under the provisions of Section 149(6) of the Act and Regulation 16(1)(b) of the SEBI Listing Regulations and who being eligible has offered herself for re-appointment as an Independent Director of the Bank, the approval of the members of the Bank, be and is hereby accorded for reappointment of Smt. P.V. Bharathi as an Independent Director of the Bank, not liable to retire by rotation, for second term of four consecutive years, with effect from January 14, 2025."

"RESOLVED FURTHER THAT the Company Secretary of the Bank be and is hereby authorized to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, to file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities and to do all such acts, deeds, matters and things as may be considered necessary and appropriate to give effect to this Resolution."

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005

Dated: June 24, 2024

टिप्पणियां :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक विशेष कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है.

2. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 25 सितंबर 2023 के परिपत्र संख्या 09/2023 द्वारा जारी सभी पूर्व परिपत्रों के साथ पठित तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिनांक 07 अक्तूबर 2023 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/167 द्वारा जारी सभी पूर्व परिपत्रों के साथ पठित अनुसार, सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में शामिल एवं सहभागिता कर सकते हैं. बैंक का पंजीकृत कार्यालय एजीएम के लिए स्थान माना जाएगा. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते शुक्रवार, 21 जून, 2024 तक केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड (बैंक का आरटीए)/नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीडीएसएल) के पास पंजीकृत हैं.

3. एमसीए द्वारा जारी दिनांक 25 सितंबर 2023 के परिपत्र के सं. 09/2023 के साथ पठित दिनांक 28 दिसंबर 2022 के परिपत्र सं.10/2022 के अनुसरण में, इस वार्षिक महासभा में सदस्यों को उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. तथापि, कॉरपोरेट निकाय वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने, सहभागिता करने और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान करने के हकदार हैं.

4. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक आरंभ होने के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता कर सकते हैं. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में सहभागिता करने की सुविधा 1000 सदस्यों को पहले आएं पहले पाएं आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें बड़े शेयरधारक (2% या इससे अधिक की शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और स्टेकधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं) जिन्हें पहले आएं पहले पाएं आधार संबंधी प्रतिबंध के बिना महासभा में भाग लेने की अनुमति है.

5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में सहभागिता करने वाले सदस्यों की उपस्थिति की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम का निर्धारण करने के प्रयोजन हेतु गणना की जाएगी.

6. कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा सेबी सूचीबद्धता विनियम (यथा संशोधित) के विनियम 44 और एमसीए द्वारा जारी 05 मई 2022, 13 जनवरी 2021, 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 और 5 मई 2020 के साथ पठित 25 सितंबर 2023, 28 दिसम्बर 2022 के परिपत्रों के अनुसरण में बैंक वार्षिक महासभा में संपन्न किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है. बैंक ने इस प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ करार किया है. सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा और साथ ही वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.

7. एमसीए के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 17/2020 के साथ पठित 25 सितंबर 2023 के परिपत्र सं. 09/2023 के अनुरूप वार्षिक महासभा के आयोजन का नोटिस बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर अपलोड किया गया है. वार्षिक महासभा का यह नोटिस स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ

NOTES:

1. Explanatory Statements in respect of each Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013 are annexed herewith.

2. In terms of Circular no. 09/2023 dated September 25, 2023 read with all earlier Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 read with all earlier Circulars issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI), members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Registered office of the Bank shall be deemed to be the venue for AGM. Further the Notice of AGM along with Annual Report for FY 2023-24 is being sent by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with KFin Technologies Limited (RTA of the Bank)/ National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services India Limited (CDSL) as on Friday, June 21, 2024.

3. Pursuant to the Circular No 09/2023 dated September 25, 2023 read with Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, issued by the MCA, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, the Body Corporates are entitled to appoint Authorised Representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate and cast their votes through e-Voting.

4. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc) who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.

5. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

6. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations (as amended) and the Circulars issued by the MCA dated September 25, 2023, December 28, 2022 read with May 05, 2022, January 13, 2021, April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020, the Bank is providing facility of remote e-Voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as e-voting on the date of the AGM will be provided by NSDL.

7. In line with the MCA Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 read with Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.idbibank.in. The AGM Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange

इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com और एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करानेवाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी देखा जा सकता है.

8. अनुच्छेद 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में यथा उपबंधित रूप में वार्षिक महासभा के लिए कोरम सभा में तीस सदस्यों (एलआईसी के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के वीसी के जरिए उपस्थित होने पर पूरा होगा.

9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, इकाईः आईडीबीआई बैंक, प्लॉट सं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500 032 [टोल फ्री नं. - 1800-309-4001, ईमेलः einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, 'बी' विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेलीफोन नं. (022) 66553147/3336/3062/2806, ईमेलः idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

10. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार वार्षिक महासभा के दौरान निरीक्षण के लिए रजिस्टर एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली https://www.evoting.nsdl.com/ पर लॉगिन करने पर उपलब्ध रहेंगे.

11. यथा संशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसारः

    i) वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.

    ii) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट दे चुके सदस्य वार्षिक महासभा में भी भाग ले सकते हैं परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट देने के पात्र नहीं होंगे.

    iii) लॉगिन आईडी का ब्योरा इस नोटिस में नीचे दिया गया है.

12. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ **बुधवार, 17 जुलाई 2024 से मंगलवार, 23 जुलाई 2024 तक (दोनों दिन शामिल)** बंद रहेंगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर उन शेयरधारकों द्वारा कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान देकर की जा सकती है जिनके नाम बहियों में सदस्यों या हिताधिकारी स्वामियों के रूप में **मंगलवार 16 जुलाई 2024** (दिनांत), वह तारीख जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार का निर्धारण करने हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में तय की गई है, को दर्ज होंगे.

13. 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश, यदि आगामी वार्षिक महासभा में अनुमोदित होता है, के लिए सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करने हेतु **''रिकार्ड तिथि'' मंगलवार, 16 जुलाई 2024 है**.

14. **सेबी ने दिनांक 7 मई 2024 के अपने परिपत्र सं. सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / पीओडी-1 / पी / सीआईआर/2024/37 और दिनांक 10 जून 2024 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/81** के द्वारा अधिदेशित किया है कि 1 अप्रैल 2024 से भौतिक प्रतिभूति धारकों को लाभांश का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा. ऐसा भुगतान पैन, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाएगा.

of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com .

8. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the LIC) present in the meeting through VC.

9. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., KFin Technologies Limited at their address at Selenium Tower B, Unit: IDBI Bank, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 [Toll Free No. 1800-309-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 22nd floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel. No.(022) 66553147/3336/3062/2806, E-mail: idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.

10. Registers as per Companies Act, 2013 shall be available for inspection during the AGM upon login at NSDL e-voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

11. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended :

    i) The Items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.

    ii) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

    iii) Details of login id are given below in this Notice.

12. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Wednesday, July 17, 2024 to Tuesday, July 23, 2024 (both days inclusive)**. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on **Tuesday, July 16, 2024** (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised by remote e-voting.

13. The "**Record Date**" fixed for determining entitlement of members to final dividend for the Financial Year ended March 31, 2024 if approved at ensuing AGM is **Tuesday, July 16, 2024**

14. **SEBI vide its Circular No: SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024 and Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/81 dated June 10, 2024** has mandated that with effect from April 01, 2024, dividend to physical security holders shall be paid only through electronic mode. Such payment shall be made only after furnishing the PAN, contact details, bank account details and specimen signature.

15. तदनुसार सदस्यों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित संबंधित आईएसआर फॉर्म के साथ समर्थनकारी दस्तावेज़ प्रस्तुत करके सेवा अनुरोध करें, जिसका प्रारूप बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिनटेक), अर्थात् बैंक के आरटीए www.kfintech.com पर उपलब्ध है. यह नोट किया जाये कि किसी भी सेवा अनुरोध पर तभी कार्रवाई की जायेगी जब फोलियो केवाईसी अनुपालक है.

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **गुरुवार, 18 जुलाई 2024 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)** शुरू होगी **और सोमवार, 22 जुलाई 2024 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)** समाप्त होगी. उक्त समयावधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा. जिन सदस्यों के नाम सदस्यों / हिताधारी स्वामियों के रजिस्टर में रिकॉर्ड की तारीख (कट-ऑफ तारीख), अर्थात् मंगलवार,16 जुलाई 2024 को दर्ज होंगे, वे अपना वोट इलेक्ट्रोनिक पद्धति से दे सकेंगे. शेयरधारकों के मताधिकार निर्दिष्ट तारीख अर्थात् **मंगलवार, 16 जुलाई 2024** को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी में उनके शेयर के अनुपात में होंगे.

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से किस प्रकार मतदान करूं?

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार ''दो चरण'' शामिल हैं:

चरण 1 : एसएनडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर एक्सेस करना

अ) ई-वोटिंग के लिए लॉगिन पद्धति तथा डीमैट पद्धति में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों द्वारा वर्चुअल बैठक में शामिल होना

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सुविधा के बारे में दिनांक 09 दिसंबर 2020 के सेबी के परिपत्र के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरियों और डिपॉजिटरी सहभागियों के पास खोले गए डीमैट खातों के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी गई है. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें.

डीमैट रूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति नीचे दी जा रही है:

15. Accordingly, Members are requested to make service requests by submitting supporting documents duly filled and signed with relevant ISR forms, the formats of which are available at Bank's website https://www.idbibank.in/idbi-bank-investor.aspx and that of KFin Technologies Limited (KFintech), viz. RTA of the Bank at www.kfintech.com. It may be noted that any service request can be processed only after the folio is KYC compliant.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The remote e-voting period begins on and from **Thursday, July 18, 2024 at 9.00 a.m. (IST) and ends on Monday, July 22, 2024 at 5.00 p.m (IST).** The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. Tuesday, July 16, 2024, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Bank as on the cut-off date, being **Tuesday, July 16, 2024.**

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

शेयरधारक का प्रकार	लॉगिन की पद्धति
वैयक्तिक शेयरधारक जो एनएसडीएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं	1. मौजूदा **आईडीईएएस** यूजर व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल से एनएसडीएल की ई-सर्विसेस वेबसाइट : https://eservices.nsdl.com पर जाएँ. ई-सेर्विसेस होम पेज पर **"Login"** के अंतर्गत **"Beneficial Owner"** आइकॉन पर क्लिक करें जो **"IDeAS"** सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. यह आपको अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करने के लिए कहेगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप मूल्य योजित सेवाओं के अंतर्गत ई-वोटिंग सर्विसेस देख पाएंगे. ई-वोटिंग सर्विसेस के अंतर्गत **"Access to e-Voting"** पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे. बैंक के नाम या **"e-Voting service provider अर्थात् NSDL"** पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे. 2. यदि यूजर आईडीईएएस ई-सर्विसेस के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. Register Online for **IDeAS Portal** सिलेक्ट करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें. 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जायें. अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलते ही "Login" आइकॉन पर क्लिक करें जो 'Shareholder/Member' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के पास सोलह अंकों का आपका खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप एनएसडीएल की डिपोजिटॉरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं. बैंक के नाम या e-Voting service provider i.e. NSDL पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे. 4. शेयरधारक/सदस्य निर्बाध वोटिंग अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल एप **''NSDL Speede''** सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं.

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1. Existing **IDeAS** user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the "**Beneficial Owner**" icon under "**Login**" which is available under '**IDeAS**' section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on **"Access to e-Voting"** under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on Bank name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2. If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for **IDeAS Portal**" or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on Bank name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 4. Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App "**NSDL Speede**" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience..

	NSDL Mobile App is available on App Store Google Play
वैयक्तिक शेयरधारक जो सीडीएसएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं	1. मौजूदा यूजर जिन्होंने सीडीएसएल ईजी/इजीएस्ट सुविधा का चयन किया है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं. बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के ई-वोटिंग पेज पर जाने का विकल्प उपलब्ध होगा. ईजी/इजीएस्ट पर लॉगिन करने हेतु उपयोगकर्ता से अनुरोध है कि सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जायें और लॉगिन आइकॉन तथा इसके बाद New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और अपना मौजूदा ईजी उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें. 2. सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद ईजी/इजीएस्ट यूजर पात्र कंपनियों का ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे, जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार वोटिंग जारी है. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, यूजर रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख सकेगा. इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुँचने के लिए लिंक भी प्रदान किए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें. 3. यदि यूजर ईजी/इजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. लॉगिन और New System Myeasi टैब पर क्लिक करें और उसके बाद पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें. 4. विकल्प के तौर पर, यूजर www.cdslindia.com के होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर डाल कर सीधे ई-वोटिंग पेज पर एक्सेस कर सकते हैं. सिस्टम, डीमैट खाते में रिकॉर्ड पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेज कर यूजर का सत्यापन करेगी. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, यूजर ई-वोटिंग का विकल्प देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाता सीधे सिस्टम में एक्सैस कर सकेंगे.

	NSDL Mobile App is available on App Store Google Play
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	1. Existing users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. . The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then use your existing Myeasi username & password. 2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there are also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Provider

वैयक्तिक शेयरधारक (जो डीमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखते हैं) जो अपने डिपॉज़िरी सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉज़िटरी सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग संबंधी विकल्प देख पाएंगे. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते ही सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद आप एनएसडीएल/सीडीएसएल के डिपॉज़िटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग फीचर देख सकते हैं. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य अपना यूजर आईडी/ पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हों वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध Forget User ID और Forget Password विकल्प का उपयोग करें.

डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए एनएसडीएल एवं सीडीएसएल जैसे डिपॉजिटरों के माध्यम से लॉगिन करने में आने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाई के लिए हेल्पडेस्क.

लॉगिन स्वरूप	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्यगण evoting@nsdl.com पर अपना अनुरोध भेजकर अथवा 022-4886-7000 को कॉल कर एनएसडीएल की हेल्पडेस्क से संपर्क करें.
सीडीएसएल में डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्यगण helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अपना अनुरोध भेजकर अथवा टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 को कॉल कर सीडीएसएल की हेल्पडेस्क से संपर्क करें.

आ) डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों और भौतिक स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग/ वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन कैसे करें ?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जायें. अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें.
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पृष्ठ एक बार खुल जाने पर "Login" आइकॉन पर क्लिक करें जो "Shareholders/ Member" खंड के अंतर्गत उपलब्ध है.
3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाया गया सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा.

Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important Note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forgot User ID and Forgot Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022-4886-7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

B) Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode..

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/ Member’ section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

विकल्प के तौर पर, यदि आप एनएसडीएल ईसेवाओं, अर्थात् आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएएस लॉगिन से https://eservices.nsdl.com/ पर लॉगिन कर सकते हैं. अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए एनएसडीएल ईसेवाओं पर लॉगिन हो जाने पर, e-Voting पर क्लिक कर आप चरण 2, अर्थात् "Cast your vote electronically" की तरफ बढ़ सकते हैं.

4. आपके यूजर आईडी संबंधी विवरण नीचे दिये गये हैं:

शेयर धारण करने की पद्धति, अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक		आपका यूजर आईडी है :
क)	उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर एनएसडीएल में डीमैट खाते में हैं.	8 करेक्टर का डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी. उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** और ग्राहक आईडी 12****** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12****** होगा.
ख)	उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर सीडीएसएल में डीमैट खाते में हैं.	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12************** है तो आपका यूजर आईडी 12************** होगा.
ग)	उन सदस्यों के लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं.	EVEN संख्या और उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो संख्या. उदाहरण के लिए, यदि फोलियो संख्या 001*** है और EVEN संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगा.

5. वैयक्तिक शेयरधारकों से इतर शेयरधारकों के पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं :

क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना वर्तमान पासवर्ड लॉगिन के लिए प्रयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं.

ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको भेजे गए 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्रीव करने की आवश्यकता होगी. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' रिट्रीव करने पर, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्रविष्ट करना होगा और इसके बाद प्रणाली आपको अनिवार्यतः पासवर्ड बदलने के लिए निर्देश देगी.

ग) **आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे रिट्रीव करें ?**

(i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या बैंक के पास पंजीकृत है तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा. अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को खोजें. ईमेल और अटैचमेंट, अर्थात् पीडीएफ फाइल खोलें. पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड, एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलिओ संख्या है. पीडीएफ फाइल में आपके 'यूजर आईडी' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' होंगे.

(ii) यदि आपका ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो आप नीचे उन शेयरधारकों संबंधी प्रक्रियाओं में उल्लिखित चरणों का पालन करें जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं.

6. यदि आप पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तोः

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below : :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical		Your User ID is:
a)	For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b)	For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12**************
c)	For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the bank. For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

c) **How to retrieve your 'initial password'?**

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered

6. If you are unable to retrieve or have not received the " Initial password" or have forgotten your password:

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प ''Forgot User Details/Password?'' पर क्लिक करें (यदि आपके शेयर एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में हैं).

ख) www.evoting.nsdl.com पर ''Physical User Reset Password?'' विकल्प उपलब्ध है (यदि आपके शेयर भौतिक रूप में हैं).

ग) यदि उपर्युक्त दोनों विकल्पों से भी आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/फोलिओ संख्या, अपना पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.com पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं.

घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं.

7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करते हुए सहमति के लिए ''Agree to Terms and Conditions'' पर टिक करें.
8. अब आपको ''Login'' बटन पर क्लिक करना होगा.
9. ''Login'' बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पृष्ठ खुलेगा.

चरण 2 : एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली से अपना वोट इलेक्ट्रोनिक रूप से करें और महासभा में शामिल हों:

एनएसडीएल ई-वोटिंग से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान और महासभा में शामिल कैसे हों?

1. चरण 1 के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप उन सभी कंपनियों के ''EVEN'' देख पाएंगे, जिनके आपने शेयर धारित कर रखे हैं तथा जिनका वोटिंग चक्र और महासभा सक्रिय स्थिति में हैं.
2. आप उस बैंक का ''EVEN'' चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करना चाहते हैं तथा महासभा के दौरान मतदान करना चाहते हैं. वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए आपको ''Join General Meeting'' के अंतर्गत ''VC/OAVM'' लिंक को क्लिक करना होगा.
3. अब वोटिंग पृष्ठ खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं.
4. उपयुक्त विकल्प, अर्थात् Assent या Dissent (सहमत या असहमत) का चयन करते हुए अपना मतदान करें. आप जिन शेयरों के लिए अपना मतदान करना चाहते हैं उनकी संख्या सत्यापित/संशोधित करें तथा ''Submit'' पर क्लिक करें और साथ ही प्रॉम्प्ट किए जाने पर Confirm पर क्लिक करें.
5. पुष्टिकरण के बाद, "Vote Cast Successfully" संदेश प्रदर्शित होगा.
6. आप पुष्टिकरण पृष्ठ पर "Print" विकल्प पर क्लिक कर अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.
7. संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आप अपने मतदान में संशोधन नहीं कर सकेंगे.

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से इतर) से अपेक्षा है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर, जिसे मतदान के लिए अधिकृत किया गया है, के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ, जेपीजी फॉर्मेट में) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति evoting@nsdl.com को भेजें. संस्थागत शेयरधारक अपने लॉगिन में "e-Voting" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "Upload Board Resolution/Authority/Letter" पर क्लिक करके निदेशक मंडल का संकल्प/मुख्तारनामा/प्राधिकारी पत्र आदि भी अपलोड कर सकते हैं.

2. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें. सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए

a) Click on "Forgot User Details/Password?"(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.com mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on "Login" button.
9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
2. Select "EVEN" of Bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join General Meeting".
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.com. Institutional shareholders can also upload their Board Resolution/Power of Attorney/Authority Letter, etc by clicking on "Upload Board Resolution/ Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical

आपको www.evoting.nsdl.com साइट पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" या "Physical User Reset Password?" के विकल्प पर जाना होगा.

3. किसी भी जानकारी के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध 'शेयरधारकों के लिए आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' तथा 'शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग मैनुअल' देख सकते हैं अथवा 022 4886 7000 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.com पर श्री संजीव यादव, सुश्री पल्लवी म्हात्रे और श्री अमित विशाल को अनुरोध मेल भेज सकते हैं.

इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों के लिए ई-वोटिंग करने हेतु यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयर भौतिक स्वरूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (मुखपृष्ट और पृष्ठ भाग), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें.

2. यदि शेयर डीमैट स्वरूप में धारित हैं तो कृपया डीपीआईडी -सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी+ सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें. यदि आप डीमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आप चरण 1 (अ) में बताई पद्धति से लॉगिन करें अर्थात डीमैट पद्धति में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति का उपयोग करें.

3. विकल्प के तौर पर शेयरधारक/सदस्य ऊपर उल्लिखित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.com पर अनुरोध ई-मेल भेज सकते हैं.

4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में सेबी के दिनांक 9 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट स्वरूप में प्रतिभूति धारक वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी व डिपॉजिटरी सहभागी के पास खोले गए डीमैट खाते के माध्यम से ई-वोटिंग करने की अनुमति दी गई है. इस ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को सही तरीके से अद्यतन करना होगा.

वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए दिए गए अनुदेशों के समान है.

2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर मतदान नहीं किए हैं तथा जो अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे वार्षिक महासभा में ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान करने के लिए पात्र होंगे.

3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान किया है वे वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे. तथापि, वे वार्षिक महासभा में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे.

4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण वही रहेगा जैसा रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लेख किया गया है.

वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. सदस्य एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के लिए एक्सेस संबंधी उपर्युक्तानुसार बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए एक्सेस कर सकते हैं. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप बैंक के नाम के सामने "Join Meeting" मेनू

User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav, Ms. Pallavi Mhatre and Mr. Amit Vishal at evoting@nsdl.com

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of email ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) by email to idbiequity@idbi.co.in

2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) to idbiequity@idbi.co.in . If you are an Individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at step 1 (A) i.e. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.

3. Alternatively shareholder/members may send a request to evoting@nsdl.com for procuring User ID and Password by providing above mentioned documents.

4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.

2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.

3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned above for Access to NSDL e-Voting system.

के अंतर्गत "VC/OAVM" लिंक देखेंगे. आपसे अनुरोध है कि "Join Meeting" मेनू के अंतर्गत "VC/OAVM" लिंक पर क्लिक करें. वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी की ईवीईएन प्रदर्शित की जाएगी. कृपया नोट करें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लेख किए अनुसार रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करते हुए इन्हें पुनः प्राप्त (रिट्रीव) कर लें ताकि अंतिम समय में होने वाली भीड़ से बचा जा सके.

2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्य लैपटॉप के जरिए बैठक में भाग लें.

3. इसके अलावा, सदस्यों को कैमरे के लिए अनुमति देनी होगी और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी प्रकार की रुकावट को टाला जा सके.

4. कृपया नोट करें कि मोबाइल उपकरणों अथवा टैबलेट अथवा मोबाइल हॉटस्पॉट के जरिए जुड़े लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले सहभागियों को उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ सकता है. अतः स्थिर वाई-फ़ाई अथवा लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है ताकि ऊपर उल्लेख की गई समस्याओं को कम किया जा सके.

5. ऐसे सदस्य जो बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं, वे एनएसडीएल ई-वोटिंग प्लेटफ़ार्म पर लॉगिन करके और "Speaker Registration" टैब पर क्लिक करके तथा अपनी पंजीकृत ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर और शहर का उल्लेख करते हुए गुरुवार, 18 जुलाई 2024 की सुबह 9.00 बजे से शनिवार, 20 जुलाई 2024 की शाम 5.00 बजे की अवधि तक अपना नाम वक्ता के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं.

6. अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक अपने नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्नों को अग्रिम रूप से सोमवार, 15 जुलाई 2024 की सुबह 9.00 बजे से 18 जुलाई 2024 की शाम 5.00 बजे तक ई-मेल idbiequity@idbi.co.in पर भेज सकते हैं. बैंक द्वारा उनके प्रश्नों के समुचित रूप से उत्तर दिए जाएंगे.

7. बैंक एजीएम के समुचित रूप से संचालन के लिए यथोचित समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को प्रतिबंधित करने का अधिकार रखता है. जिन शेयरधारकों ने वक्ता के रूप में अपना पंजीकरण कराया है, केवल उन्हीं को बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.

8. एजीएम से पहले या इसके दौरान वीसी/ओएवीएम के संबंध में किसी भी सहायता के लिए सदस्यगण एनएसडीएल से 022-4886-7000 पर संपर्क करें अथवा श्री संजीव यादव को sanjeevy@nsdl.com पर मेल करें.

ऐसे व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश, जो वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण के लिए निर्दिष्ट तारीख के बाद अर्थात् 21 जून 2024 के बाद और 16 जुलाई 2024 तक (जो शेयरधारकों के मताधिकार के लिए निर्दिष्ट कट-ऑफ तारीख है) बैंक के सदस्य बने हैं

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 21 जून 2024 (वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण के लिए निर्दिष्ट तारीख) से 16 जुलाई 2024 तक (सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित किए हैं और 16 जुलाई 2024 की उक्त निर्दिष्ट तारीख तक सदस्य बने हुए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसे सदस्य अपनी शेयरधारिता के विवरण अर्थात् नाम, धारित शेयर, फोलियो संख्या या डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी संख्या आदि देते हुए evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध 'Forgot User Details/ Password?' अथवा 'Physical User Reset Password?' विकल्प का प्रयोग कर उसे रीसेट कर सकते हैं.

After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join meeting" menu against Bank name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.

2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.

3. Further, Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

5. Members who would like to express their views or ask questions during AGM will have to register themselves as Speaker by logging into NSDL's e-Voting platform and clicking on the tab "Speaker Registration" and mentioning their registered e-mail id, mobile number and city during the period starting from Thursday, July 18, 2024 at 9.00 a.m. up to Saturday, July 20, 2024 at 5.00 p.m.

6. Shareholders who would like to express their views/ have questions may send their questions in advance mentioning their name, demat account no/folio no, email id, mobile number at idbiequity@idbi.co.in from 9.00 a.m. on Monday, July 15, 2024 till 5.00 p.m. on July 18, 2024. The same will be replied by the Bank suitably.

7. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time as appropriate for smooth conduct of AGM. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

8. Members who need assistance regarding VC/OAVM before or during the AGM, can contact NSDL on 022-4886-7000 or email to Mr. Sanjeev Yadav at sanjeevy@nsdl.com

Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice, i.e., June 21, 2024 and up to July 16, 2024 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders)

Persons who have acquired shares during the period from June 21, 2024 (cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice) till July 16, 2024 (cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing to be Members as on the said cut-off date of July 16, 2024, can exercise their voting right through remote e-voting. Such Members may obtain the login ID and password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.com by giving their shareholding details, viz., Name, Shares held, Folio No. or DP ID / Client ID No., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset the same by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com.

कृपया नोट करें कि:

- सदस्यों के मताधिकार 16 जुलाई 2024 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12(2) के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित वोटिंग कैप के अधीन होगा.
- कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक महासभा में भाग ले सकते हैं, किन्तु उन्हें वार्षिक महासभा में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध "Forgot User Details/ Password?" अथवा "Physical User Reset Password?" विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है जिनमें आप शेयरधारक हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें.
- सदस्य कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सोमवार, 22 जुलाई 2024 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) बंद कर दी जाएगी.
- ऐसे सदस्य, जो 16 जुलाई 2024 अर्थात् इस प्रयोजन के लिए नियत निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य नहीं है, वे इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझेंगे.

  इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के आरटीए केफिन टेक्नॉलॉजीस लिमिटेड (इकाई-आईडीबीआई बैंक लि.), प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, ईमेलः einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, बी विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 (022-66553147/2806/3062/3336) अथवा एनएसडीएल टेलीफोन नं. - 022-4886-7000 पर संपर्क करें.

16. बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया संचालित करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की साझेदार सुश्री अपर्णा गाडगिल अथवा उनके न रहने की स्थिति में श्री एस.एन. विश्वनाथन को संवीक्षक नियुक्त किया है.

17. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 25 जुलाई 2024 को या उससे पहले बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे. ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लि. तथा बीएसई लि. को भी सूचित किए जाएंगे.

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

01. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 की शर्तों के अनुसार, उन सभी सदस्यों से, जिन्होंने अपना ई-मेल आईडी बैंक के पास पंजीकृत/ अद्यतन नहीं करवाया है, अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त विवरण भेजें ताकि वे आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक रूप में महासभा की सूचना और/पोस्टल बैलेट/ ई-वोटिंग में सहभागिता, वार्षिक रिपोर्ट और/या अन्य सूचनाएँ प्राप्त कर सकें.

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of July 16, 2024 subject to Voting Cap restrictions provided by RBI in terms of Section 12(2) of the B.R. Act, 1949.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to "Forgot User Details/ Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Monday, July 22, 2024 at 5.00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on July 16, 2024, i.e., Cut-off date fixed for the purpose, shall treat this Notice for information only.

  For any further details in this regard, you may contact KFin Technologies Limited (Unit-IDBI Bank Ltd.), RTA of the Bank located at Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032 [Toll Free No.1800-309-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 22nd Floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005 (022- 66553147/2806/3062/3336) or NSDL - Tel. No. 022-4886-7000

16. The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil or failing her Mr. S. N. Viswanathan, Partners of M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

17. The result of e-voting along with Scrutinizer's Report will be announced on or before July 25, 2024 by displaying the same on Bank's Website www.idbibank.in and NSDL's website www.evoting.nsdl.com. The result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. on the same day.

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION:

01. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members, who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings/Postal Ballot, participate in e-Voting, receive Annual Report and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.

02. दिनांक 20 अप्रैल 2018 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/डीओपी1/ सीआईआर/पी/2018/73 के अनुसार, रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस)/ आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस)/ एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], नेफ्ट आदि के माध्यम से लाभांश के भुगतान में सुविधा प्रदान करने के लिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने संबंधित फोलियो/ डीमैट खाते में अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट करें. दिनांक 07 मई 2024 के सेबी मास्टर परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/37 और दिनांक 10 जून 2024 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/81 के अनुसार पैन, केवाईसी विवरण (ई-मेल, मोबाइल नंबर, नमूना हस्ताक्षर और बैंक खाता विवरण सहित) और भौतिक फोलियो के संबंध में नामांकन का चयन प्रस्तुत करना अनिवार्य है. कृपया यह सुनिश्चित करें कि ये विवरण पंजीयक के पास अद्यतित हैं ताकि निर्बाध सेवा अनुरोध और बैंक खाते में लाभांश क्रेडिट होने का लाभ उठाया जा सके क्योंकि 1 अप्रैल 2024 से भौतिक वारंट जारी करके भौतिक शेयरधारकों को किसी भी प्रकार के लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा.

03. लाभांश पर टीडीएसः वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा यथा संशोधित और के साथ पठित आय कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार, बैंक द्वारा घोषित और भुगतान किया गया लाभांश शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य है. इसीलिए बैंक को लागू दरों पर लाभांश आय के वितरण पर स्त्रोत पर कर (टीडीएस) कटौती की आवश्यकता होती है. वैध पैन की उपलब्धता, आवासीय स्थिति, शेयरधारक की श्रेणी आदि के आधार पर टीडीएस दर भिन्न हो सकता है और यह बैंक द्वारा प्राप्त अपेक्षित दस्तावेजों/ घोषणाओं के प्रावधान के अधीन है. कृपया ध्यान दें कि लागू टीडीएस का अनुपालन करने/ कर प्रावधानों को विथहोल्ड करने के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर में रिकार्ड तारीख को उपलब्ध इन विवरणों पर बैंक द्वारा भरोसा किया जाएगा. विभिन्न श्रेणियों के लिए टीडीएस की दर/ विथहोल्ड कर प्रावधान, अपेक्षित दस्तावेजों के साथ छूट की प्रयोज्यता (यदि कोई हो) की विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/ पर होस्ट की गई है.

04. आपके मामले में लागू अपेक्षित दस्तावेज (जैसे फॉर्म 15जी/15एच, टीआरसी, फॉर्म 10एफ, स्व-सत्यापित घोषणा, आदि) 10 जुलाई 2024 को या उससे पहले https://ris.kfintech.com/form15/ पर अपलोड किए जा सकते हैं. लागू कर की कटौती के लिए उपर्युक्त कट-ऑफ तिथि के बाद प्राप्त किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा. जहां दस्तावेजों की प्रतियां अपेक्षित हैं, ऐसी प्रतियां शेयरधारक या उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्व-सत्यापित की जानी चाहिए.

05. भौतिक शेयरों से संबंधित सभी जोखिमों को दूर करने और डीमैट धारिता के विविध लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने द्वारा भौतिक रूप में धारित शेयरों को इलेक्ट्रोनिक रूप में धारित करें. शेयरधारक अपने नजदीकी आईडीबीआई शाखा में डीमैट खाता खोल सकते हैं और इलेक्ट्रोनिक रूप में धारित शेयरों का लाभ उठा सकते हैं.

वार्षिक महासभा की सूचना की मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

सूचना की मद सं. 5 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

1. मेसर्स जी.डी. आप्टे एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (फर्म पंजीकरण सं. 100515डब्ल्यू) और मेसर्स वर्मा एंड वर्मा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (फर्म पंजीकरण सं. 0004532एस) को वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक तीन वर्षों के लिए बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था. वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / सांविधिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के लिए रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार("रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश"), सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति 3 वर्षों की निरंतर अवधि के लिए की जाएगी और इन दिशानिर्देशों में बताए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करने

02. In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018, in order to facilitate payment of dividend through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) / RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., we request you to update your bank account details in your respective folio/demat account. Pursuant to the SEBI master circular no. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024 & Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/81 dated June 10, 2024, it is mandatory to furnish PAN, KYC Details (including email, mobile number, specimen signature and bank account details) in respect of physical folios. Kindly ensure these details are updated with registrar to avail uninterrupted service request and dividend credit in bank account as no dividend will be paid to physical shareholders by way of issuance of physical warrant with effect from 1st April 2024.

03. TDS on Dividend: In accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 (“the Act”), as amended by and read with provisions of the Finance Act, 2020, the dividends declared and paid by a Bank are taxable in the hands of the shareholders. Therefore, the Bank is required to deduct Tax at Source (TDS) on the distribution of dividend income at applicable rates. The TDS rate may vary depending upon the availability of valid PAN, residential status, category of shareholder, etc. and is subject to provision of requisite documents / declarations received by the Bank. Please note that these details as available on record date in the Register of Members will be relied upon by the Bank, for the purpose of complying with the applicable TDS / withholding tax provisions. The detailed information on the rate of TDS/withholding tax provisions, applicability of exemption (if any) along with required documents for various category is hosted on Bank website at https://www.idbibank.in/

04 The requisite documents (such as Form 15G/15H, TRC, Form 10F, Self-Attested Declaration, etc.) as applicable in your case can be uploaded at https://ris.kfintech.com/form15/ on or before July 10, 2024. Any communication received after the above mentioned cut-off date will not be considered, for deduction of applicable tax. Where copies of the documents are required, such copies should be self-attested by the shareholder or its authorized signatory.

05 To eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of demat holding, shareholders are requested to dematerialize the shares held by them in physical form. Shareholders can open demat account with the nearest IDBI branch and avail the benefits of holding shares in electronic form.

Explanatory Statements in respect of items of the AGM Notice

Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 5 of the Notice.

1. M/s G.D. Apte & Co., Chartered Accountants (Firm Regn. No. 100515W) and M/s Varma & Varma, Chartered Accountants (Firm Regn. No. 0004532S) were appointed as the Joint Statutory Auditors of the Bank for three years w.e.f. FY 2021-22 upto FY 2023-24. As per the RBI Guidelines for Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs)/Statutory Auditors (SAs) of Commercial Banks (excluding RRBs), UCBs and NBFCs (including HFCs) (“RBI Guidelines”), the Statutory Auditors shall be appointed for a continuous term of 3 years and shall be reappointed annually for the succeeding two years subject to them continuing to satisfy eligibility norms stated in

के अधीन उन्हें अगले दो वर्षों के लिए वार्षिक तौर पर पुनः नियुक्त किया जाएगा. दिशानिर्देशों के अनुसार, मेसर्स जी.डी. आप्टे एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (फर्म पंजीकरण सं. 100515डब्ल्यू) और मेसर्स वर्मा एंड वर्मा, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (फर्म पंजीकरण सं. 0004532एस) ने तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए बैंक को रिज़र्व बैंक को एक नया आवेदन करना है.

तदनुसार, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने मेसर्स चोकशी एंड चोकशी एलएलपी (फर्म पंजीकरण सं. 101872डब्ल्यू / डब्ल्यू100045) और मेसर्स सूरी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (फर्म पंजीकरण सं. 004283एस) को बीसवीं वार्षिक महासभा के समापन से लेकर बैंक की वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली तेईसवीं वार्षिक महासभा के समापन तक 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया और निदेशक मंडल को सिफारिश की, जो इस कार्यकाल के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा, जिसमें निदेशक मंडल/ बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को रिज़र्व बैंक और / किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए आवश्यक कारण की शर्तों सहित नियुक्ति की शर्तों और निबंधनों में परिवर्तन और अंतर करने की शक्ति होगी.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन में मेसर्स चोकशी एंड चोकशी एलएलपी (फर्म पंजीकरण सं. 101872डब्ल्यू / डब्ल्यू100045) और मेसर्स सूरी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (फर्म पंजीकरण सं. 004283एस) ने संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त होने के लिए अपनी पात्रता की पुष्टि की है. इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने 22 अप्रैल 2024 के अपने पत्र के माध्यम से मेसर्स चोकशी एंड चोकशी एलएलपी (फर्म पंजीकरण सं. 101872W/W100045) और मेसर्स सूरी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (फर्म पंजीकरण सं. 004283S) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बैंक का संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है.

बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक मेसर्स चोकशी एंड चोकशी एलएलपी और मेसर्स सूरी एंड कंपनी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹ 262.50 लाख की समग्र लेखा परीक्षा शुल्क का भुगतान और ₹ 25.20 लाख तक के फुटकर खर्चों की प्रतिपूर्ति की जायेगी, साथ ही बोर्ड/बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के बीच समग्र लेखा परीक्षा शुल्क आवंटित करने का प्राधिकार होगा, जैसा कि बैंक और उक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के बीच उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के आधार पर और इसके अतिरिक्त फुटकर खर्च, परिव्यय और कर, जो भी लागू हों आपसी सहमति से तय किया जायेगा.

निदेशक मंडल एजीएम की सूचना की मद सं. 5 में दिया गया सामान्य संकल्प पारित करने की सिफारिश करता है. बैंक का कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, इस संकल्प को पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं.

2. सूचना की मद सं. 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 188 के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में संबंधित पक्षों से किए जाने वाले संव्यवहारों के मामले शेयरधारकों से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट प्राप्त हैं. तथापि यदि ऐसे संव्यवहार तात्विक प्रकृति के हों तो उनके लिए सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 23(4) के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार साधारण संकल्प के रूप में शेयरधारकों का पूर्वानुमोदन अनिवार्य होगा, भले

these guidelines. In terms of the guidelines, M/s G.D. Apte & Co., Chartered Accountants (Firm Regn. No. 100515W and M/s Varma & Varma, Chartered Accountants (Firm Regn. No. 0004532S) have completed three years & thus Bank is required to make a fresh application to the RBI for appointment of Statutory Auditors of the Bank for FY 2024-25.

Accordingly, the Audit Committee of the Board considered and recommended to the Board of Directors, the appointment of M/s Chokshi & Chokshi LLP (Firm Regn. No. 101872W/W100045) and M/s Suri & Co., Chartered Accountants (Firm Regn. No. 004283S) as the Joint Statutory Auditors of the Bank, to hold office for a period of 3 (Three) years from the conclusion of Twentieth Annual General Meeting till the conclusion of the Twenty Third Annual General Meeting of the Bank to be held in year 2027, subject to the approval of the RBI for each year during this tenure, with power to the Board/ Audit Committee of the Board, thereof, to alter and vary the terms and conditions of appointment, etc., including by reason of necessity on account of conditions as may be stipulated by the RBI and / or any other authority.

M/s Chokshi & Chokshi LLP (Firm Regn. No. 101872W/ W100045) and M/s Suri & Co., Chartered Accountants (Firm Regn. No. 004283S) have confirmed their eligibility to be appointed as Joint Statutory Auditors in terms of Section 141 of the Companies Act, 2013 and applicable Rules and the guidelines issued by the RBI. Further, the RBI vide its letter dated April 22, 2024 has approved the appointment of M/s Chokshi & Chokshi LLP (Firm Regn. No. 101872W/W100045) and M/s Suri & Co., Chartered Accountants (Firm Regn. No. 004283S) as Joint Statutory Auditors of the Bank for FY 2024-25.

M/s Chokshi & Chokshi LLP and M/s Suri & Co., Joint Statutory Auditors of the Bank, shall be paid overall Audit fees of ₹ 262.50 lakh plus reimbursement of out of pocket expenses upto ₹ 25.20 lakh for FY 2024-25, with authority to the Board/ Audit Committee of the Board, to allocate the overall audit fees between the Joint Statutory Auditors, as may be mutually agreed between the Bank and the said Joint Statutory Auditors, depending upon their respective scope of work., and additionally out of pocket expenses, outlays and taxes as applicable.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No. 5 of the AGM Notice. None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, are whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise in the passing of this resolution

2. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 6 of the Notice

As per the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 (the "Act"), transactions with related parties which are on an arm's length basis and in the ordinary course of business, are exempted from the obligation of obtaining prior approval of shareholders. However, such transactions, if material, require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course

ही ऐसे संव्यवहार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए हों.

1 अप्रैल 2022 से सेबी सूचीबद्धता विनियमावली के विनियम 23(1) के परंतुक के साथ पठित विनियम 2(1) के खंड (जेडसी) में किए गए संशोधनों के अनुसार एक ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी कोई सहायक कंपनी तथा दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबद्ध पक्ष के बीच संसाधनों, सेवाओं या बाध्यताओं से जुड़े लेनदेनों को "संबद्ध पक्ष लेनदेन" समझा जाएगा तथा पृथक रूप से किए गए लेनदेन अथवा वित्तीय वर्ष में हुए पिछले लेनदेनों को मिलाकर लेनदेन की राशि ₹ 1000 करोड़ अथवा सूचीबद्ध इकाई के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार उस सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10%, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक होने पर उस लेनदेन को "तात्विक संबद्ध पक्ष लेनदेन" माना जाएगा.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने एलआईसी के साथ किए जाने वाले तात्विक आरपीटी के लिए 13 जुलाई 2023 को संपन्न 19वीं वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया था, जो 20वीं वार्षिक महासभा तक वैध रहेगा. इसलिए, बैंक को तात्विक आरपीटी के लिए शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है.

बैंक कारोबार के सामान्य अनुक्रम में बैंक की संबद्ध पक्षकार होने के नाते एलआईसी से स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर अपनी व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविदाएँ/व्यवस्थाएँ/संव्यवहार (चाहे वे एकल संव्यवहार के रूप में हों अथवा कई संव्यवहारों के सम्मिलित रूप में हों अथवा संव्यहारों की शृंखला के रूप में हों अथवा अन्य रूप में हों) करता है. एलआईसी के साथ प्रस्तावित संव्यवहारों का विवरण निम्नानुसार हैः

जमाराशियाँ स्वीकार करना

बैंक को जनता से मांग या अन्यथा रूप में प्रतिदेय जमाराशियां स्वीकार करना होता है. एलआईसी बैंक के पास चालू खाता जमाराशियां परिचालित करती है जिसके लिए सभी ग्राहकों के लिए लागू जैसी शर्तें हैं. एक बार खाता खोलने के बाद बैंक ग्राहक के खाते में आने वाली राशियों को विधिक रूप से नहीं रोक सकता और यह पूर्णतः ग्राहक के विवेक पर होता है कि वह जमा के रूप में कितनी राशि रखना चाहता है. अतः लेनदेन का मूल्य निर्धारणयोग्य नहीं है. लेनदेन की अवधि एलआईसी द्वारा चुनी गई अवधि पर निर्भर करता है और बैंक द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता. बैंकिंग प्रभार बैंक द्वारा बैंक की नीतियों और रिज़र्व बैंक के मानदंडों के अनुसार सभी ग्राहकों के लिए एक समान लगाये जाते हैं. जमाएं और बैंकिंग प्रभार सामान्य बैंकिंग कार्यकलाप के अनुसार होते हैं, लेनदेन की राशि एलआईसी पर निर्भर करती है और बैंक इसका निर्धारण नहीं कर सकता. जमाराशियां स्वीकार करना और बैंक प्रभार प्राप्त करना सामान्य बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाना है और यह बैंक के हित में है.

निधिक और गैर-निधिक सुविधाएं

बैंक द्वारा अपने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के हिस्से के रूप में एलआईसी सहित सभी ग्राहकों को समान प्रक्रियाओं के आधार पर निधिक और गैर-निधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. सुविधा का प्रकार, शर्तें, अंतिम उपयोग और लेन-देन की अवधि, प्रत्येक मामले में, सामान्य अनुक्रम में बैंक के ग्राहक के रूप में एलआईसी की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है. मंजूरी के लिए सुविधाओं पर विचार रिज़र्व बैंक मानदंडों के अंतर्गत अनुमत और बैंक की प्रासंगिक नीतियों के तहत ऐसी शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभूति, कार्यकाल, आदि सहित) पर किया जाता है, जो सभी ग्राहकों के लिए समान रूप से लागू होती हैं. लेनदेन बैंक के सामान्य बैंकिंग लेनदेन का भाग होते हैं. मूल्य बैंक की उधार नीतियों और ऋण अनुमोदन प्रक्रिया पर निर्भर करता है और इसलिए लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है. यह रिज़र्व बैंक और बैंक की आंतरिक नीतियों द्वारा निर्धारित एकल और

of business, as per the requirements of the provisions of Regulation 23(4) of the SEBI Listing Regulations.

As per the amendments to clause (zc) of Regulation 2(1) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, which is effective from April 1, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand will be considered as “related party transactions”, and as “material related party transactions”, if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of above, the Bank obtained prior approval from shareholders for material RPTs with LIC at the Banks' 19th Annual General Meeting (AGM) held on July 13, 2023 which will be valid till the 20th AGM. Thus the Bank requires to obtain fresh approval from the shareholders for material RPTs.

The Bank in the ordinary course of business engages in contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise) with LIC being a related party of the Bank, on an arms’ length basis, to meet its business requirement. Details of the proposed transactions with LIC are as follows:

Acceptance of Deposits

The Bank is required to accept deposits from public, repayable on demand or otherwise. LIC operates current account deposits with the Bank on the same terms as applicable to all customers. Once an account is opened, a bank cannot legally stop amounts coming into the customer’s account and it is entirely up to the discretion of the customer how much amount it seeks to place into the deposit. Hence, the value of the transaction is not determinable. The tenure of the transaction depends on period opted for by LIC and cannot be ascertained by the Bank. Banking charges are levied by the Bank uniformly on all customers in accordance with Bank’s policies and RBI norms. Given that deposits or banking charges arise out of normal banking activities, the value of the transaction depends on LIC and cannot be ascertained by the Bank. Acceptance of deposits and receipt of banking charges are in furtherance of the normal banking business and are in the interest of the Bank.

Funded and Non-funded facilities

Funded and Non-funded facilities are provided by the Bank as a part of its normal banking business to all customers on the basis of uniform procedures, including to LIC. Type of facility, terms, end-use and tenure of the transaction, in each case, depends on the requirements of LIC as a customer of the Bank in the ordinary course. The facilities are considered for sanction, on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure, etc.) as may be permitted under applicable RBI norms and relevant policies of the Bank which are uniformly applicable to all the customers. The transaction forms part of the normal banking transactions of the Bank. The value is dependent upon the lending policies and credit approval process of

समूह उधारकर्ता एक्सपोजर / अंतः-समूह मानदंडों के अनुसार अधिकतम अनुमेय सीमा के अधीन होता है. सम्बद्ध पक्षों के लिए इन सुविधाओं का मूल्य निर्धारण प्रचलित बाज़ार दर पर आधारित होता है अथवा बाह्य बैंचमार्क से जुड़ा होता है, जिसे सभी ग्राहकों (संबंधित पक्षों सहित) को समान रूप से ऑफर किया जाता है और यह स्वतंत्र संव्यवहार पर आधारित होता है. सुविधाओं का कार्यकाल ग्राहकों की आवश्यकता (संबंधित/असंबंधित पक्ष) पर निर्भर करता है जो विनियामक दिशानिर्देशों और बैंक की आंतरिक नीतियों के अधीन होता है तथा जो सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू होता है. लेन-देन बैंक के बैंकिंग व्यवसाय को अग्रसित करने के लिए होते हैं और बैंक द्वारा सामान्य अनुक्रम (ऋण मूल्यांकन, मंजूरी और अनुमोदन प्रक्रिया सहित) के अनुसार निर्धारित मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं और इसलिए ये बैंक के हित में हैं.

ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन

बैंक अपने व्यवसाय के लिए धन जुटाने के लिए आमतौर पर निवेशकों (एलआईसी सहित) द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जैसी ऋण प्रतिभूतियां जारी कर सकता है, जिसके प्रतिफलस्वरूप सभी निवेशकों पर समान रूप से प्रयोज्य क़ानूनों और प्रस्ताव पत्र के अनुसार इच्छुक निवेशकों को प्रतिभूतियां आबंटित कर दी जाती हैं तथा ऐसी प्रतिभूतियों पर सभी निवेशकों को एक जैसे ब्याज का भुगतान किया जाता है. प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बैंक द्वारा जारी की जाने वाली ऋण प्रतिभूतियों के लिए एलआईसी की बोली के अधीन है. लेन-देन की अवधि बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगी जो लागू कानूनों के अनुपालन में होगी. यह बैंक की व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए है और इसलिए बैंक के हित में है.

बीमा योजनाओं और अन्य संबंधित व्यवसाय के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन

बैंक ने आईडीबीआई बैंक की शाखाओं के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री के लिए एलआईसी के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है. विनियामक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईआरडीएआई को उचित अनुमोदन/सूचना दी गई है. बैंक आईआरडीएआई द्वारा अनुमत दरों के अनुसार बीमा योजनाओं के वितरण के लिए शुल्क/कमीशन अर्जित करता है. एलआईसी के साथ समझौता, अनुबंध की शर्तों और विनियामकों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार नवीनीकरण के अधीन है. अर्जित शुल्क का स्तर व्यवसाय की मात्रा, बैंक की रणनीति, विनियामक दिशानिर्देश और अन्य बाहरी कारक जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है. इस प्रकार, लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है. बैंक अपनी व्यावसायिक रणनीति के एक भाग के रूप में एलआईसी की बीमा योजनाएं ऑफर करता है और समझौते की शर्तों के अनुसार शुल्क/ कमीशन अर्जित करता है और इसलिए यह बैंक के हित में है.

अन्य लेनदेन

मुद्रा बाज़ार लेनदेन में अन्य सामान्य बाज़ार सहभागियों/प्रतिपक्षकारों के समान बाज़ार आधारित लेनदेन, सरकारी प्रतिभूतियों/कॉरपोरेट बांडों और मुद्रा बाज़ार लिखतों की द्वितीयक बाज़ार में खरीद/बिक्री, बांडों में निवेश, कोई अन्य आय/व्यय अथवा बैंक के कारोबार के सामान्य क्रम में निक्षेपागार सहभागी, कस्टोडियन सेवाओं, निवेश बैंकिंग, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव लेनदेनों आदि के अनुसरण में की गई अन्य गतिविधियां.

बैंक अपने नियमित कारोबार में अपने द्वारा ऋण/अग्रिम या निवेश प्रदान करने से संबंधित कोई लेनदेन करने के लिए कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण

the Bank and hence the value of the transaction cannot be determined. This is also subject to maximum permissible limit as per the single and group borrower exposure/intra-group norms as prescribed by RBI and Bank's internal policies. The pricing of these facilities to related parties is based on prevailing market rate or linked to external benchmark which is uniformly offered to all customers (including related parties) and it is based on arm's length basis. Tenure of facilities is dependent on customers' requirement (related/ unrelated parties) subject to regulatory guidelines and Bank's internal policies which are uniformly applicable to all the customers. The transactions are in furtherance of banking business of the Bank and are undertaken in accordance with laid down norms, policies and procedures as followed by the Bank in ordinary course (including credit appraisal, sanction and approval process) and therefore, in the interest of the Bank.

Issuance of debt securities

The Bank may issue debt securities like Non-Convertible Debentures, for raising funds for business of the Bank, on platforms commonly accessed by investors (including LIC), pursuant to which the securities are allotted to interested investors in accordance with the provisions of the applicable laws and offer letter; and payment of interest on such securities uniformly to all investors. The value of transactions proposed cannot be ascertained as it is subject to LIC bidding for the debt securities proposed to be issued by the Bank. The tenure of the transaction will be as per the terms of the securities issued by the Bank that will be in compliance of the applicable laws. This is in furtherance of the business activities of the Bank and therefore, is in the interest of the Bank.

Fees/commission for distribution of insurance products and other related business

The Bank has entered into Corporate Agency Agreement with LIC for sale of Life Insurance Policies through IDBI Bank Branches. Due approval/intimation to IRDAI has been done as per the process laid down by the Regulator. The Bank earns fees/commission for distribution of insurance products as per the rates allowed by IRDAI. The agreement with LIC is subject to renewal as per the terms of agreement and norms prescribed by regulators. The level of fees earned is dependent on various factors i.e. business volume, Bank's strategy, regulatory guidelines and other external factors. Thus, value of transactions cannot be determined. The Bank offers insurance products of LIC as a part of its business strategy and earns fees/ commission as per the terms of agreement and therefore it is in the interest of the Bank.

Other transactions

Market based transactions in the manner similar with other general market participants / counterparties in Money market transactions, Secondary Market Buying / Selling of Govt. Securities / Corporate Bonds and money market instruments, investments in Bonds, any other income/ expense or other activities undertaken in pursuance of depository participant, custodian services, investment banking, foreign exchange and derivative transactions, etc, in the ordinary course of Bank's business.

The Bank, in its regular course of business, does not incur any specific financial indebtedness in order to undertake

नहीं लेता है. उपरोक्त लेनदेन में संबंधित पक्ष के सरोकार /हित की प्रकृति वित्तीय है.

उपरोक्त सभी लेनदेन बैंक द्वारा धारित विशिष्ट अनुमोदन/पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने तथा लागू कानूनों के अनुसार होते हैं और इसलिए बैंक के हित में होते हैं.

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ऊपर बताए गए लेनदेन सेबी सूचीबद्धता विनियमों के तहत एलआईसी के लिए "महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेनदेन" की सीमा अर्थात् ₹ 1,000 करोड़ अथवा बैंक के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित कारोबार के 10% (इनमें से जो भी कम हो) से अधिक हो सकते हैं. सभी लेन-देन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक और/या इसके संबंधित पक्षों के व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में दर्ज किए जाएंगे. सदस्यों से मांगा जा रहा अनुमोदन बैंक की अगली वार्षिक महासभा तक वैध रहेगा.

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और बैंक के निदेशक मंडल ने एलआईसी के साथ बैंक द्वारा प्रस्तावित सम्बद्ध पक्ष लेनदेन, संकल्प और व्याख्यात्मक विवरण में वर्णित सहित, के लिए अनुमोदन प्रदान किया है और यह भी नोट किया गया है कि एलआईसी के साथ उक्त लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में होंगे.

निदेशक मंडल सूचना की मद संख्या 6 में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) की अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक (एलआईसी के नामिती निदेशक को छोड़कर) या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबन्धित या हितबद्ध नहीं है.

सदस्य कृपया ध्यान दें कि सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी सम्बद्ध पक्ष संलग्न वार्षिक महासभा की सूचना की मद संख्या 6 के सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे, भले ही वे विशेष लेनदेन के लिए संबंधित पक्ष हों अथवा नहीं.

3. सूचना की मद सं. 7 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

बैंक कारोबार के सामान्य अनुक्रम में एलआईसी हाउसिंग फ़ाइनेंस लिमिटेड (एलआईसीएचएफ़एल) के बैंक के संबंधित पक्ष होने के नाते स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर अपनी व्यवसाय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविदाएँ/व्यवस्थाएँ/संव्यवहार (चाहे वे एकल संव्यवहार के रूप में हों अथवा कई संव्यवहारों के सम्मिलित रूप में हों अथवा संव्यहारों की शृंखला के रूप में हों अथवा अन्य रूप में हों) करता है. एलआईसीएचएफ़एल के साथ प्रस्तावित संव्यवहारों का विवरण निम्नानुसार हैः

निधिक और गैर-निधिक सुविधाएं

बैंक द्वारा अपने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के हिस्से के रूप में एलआईसीएचएफ़एल सहित सभी ग्राहकों को समान प्रक्रियाओं के आधार पर निधिक और गैर-निधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं. सुविधा का प्रकार, शर्तें, अंतिम उपयोग और लेन-देन की अवधि, प्रत्येक मामले में, सामान्य अनुक्रम में बैंक के ग्राहक के रूप में एलआईसीएचएफ़एल की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है. मंजूरी के लिए सुविधाओं पर विचार रिज़र्व बैंक मानदंडों के अंतर्गत अनुमत और बैंक की प्रासंगिक नीतियों के तहत ऐसी शर्तों (ब्याज दर, प्रतिभूति, कार्यकाल, आदि सहित) पर किया

any transactions relating to granting of loans / advances or investment by the Bank. The nature of concern/interest of the related party in the above transactions is financial.

All the aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Bank and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Bank.

The transactions as mentioned above at any time during the financial year may exceed the threshold of "material related party transactions" under the SEBI Listing Regulations i.e ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank, as per the last audited financial statement of the Bank, whichever is lower, for LIC. All the transactions will be entered on arm's length basis and in the ordinary course of the business of the Bank and/or its related parties. The approval being sought from the Members shall be valid till the next Annual General Meeting of the Bank.

The Audit Committee of the Board and Board of Directors of the Bank has granted approval for the related party transactions proposed to be entered into by the Bank with LIC including as stated in the resolution and explanatory statement and has also noted that the said transactions with LIC would be on an arm's length basis and in the ordinary course of the Bank's business.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.6 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than LIC Nominee Directors) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

The Members may please note that in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 6 of the accompanying AGM Notice, whether the entity is a related party to the particular transaction or not.

3. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 7 of the Notice

The Bank in the ordinary course of business engages in contracts/ arrangements/ transactions (whether individual transaction or transactions taken together or series of transactions or otherwise) with LIC Housing Finance Ltd (LICHFL) being a related party of the Bank, on an arms' length basis, to meet its business requirement. Details of the proposed transactions with LICHFL are as follows:

Funded and Non-funded facilities

Funded and Non-funded facilities are provided by the Bank as a part of its normal banking business to all customers on the basis of uniform procedures, including to LICHFL. Type of facility, terms, end-use and tenure of the transaction, in each case, depends on the requirements of LICHFL as a customer of the Bank in the ordinary course. The facilities are considered for sanction, on such terms and conditions (including rate of interest, security, tenure, etc.) as may be permitted under applicable RBI norms and relevant policies of the Bank which are uniformly applicable to all

जाता है, जो सभी ग्राहकों के लिए समान रूप से लागू होती हैं. लेनदेन बैंक के सामान्य बैंकिंग लेनदेन का भाग होते हैं. मूल्य बैंक की उधार नीतियों और ऋण अनुमोदन प्रक्रिया पर निर्भर करता है और इसलिए लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है. यह रिजर्व बैंक और बैंक की आंतरिक नीतियों द्वारा निर्धारित एकल और समूह उधारकर्ता एक्सपोजर / अंतः-समूह मानदंडों के अनुसार अधिकतम अनुमेय सीमा के अधीन होता है. सम्बद्ध पक्षों के लिए इन सुविधाओं का मूल्य निर्धारण प्रचलित बाज़ार दर पर आधारित होता है अथवा बाह्य बैंचमार्क से जुड़ा होता है, जिसे सभी ग्राहकों (संबंधित पक्षों सहित) को समान रूप से ऑफर किया जाता है और यह स्वतंत्र संव्यवहार पर आधारित होता है. सुविधाओं का कार्यकाल ग्राहकों की आवश्यकता (संबंधित/असंबंधित पक्ष) पर निर्भर करता है जो नियामक दिशानिर्देशों और बैंक की आंतरिक नीतियों के अधीन होता है तथा जो सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू होता है. लेन-देन बैंक के बैंकिंग व्यवसाय को अग्रसित करने के लिए होते हैं और बैंक द्वारा सामान्य अनुक्रम (ऋण मूल्यांकन, मंजूरी और अनुमोदन प्रक्रिया सहित) के अनुसार निर्धारित मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं और इसलिए ये बैंक के हित में हैं.

बैंक अपने नियमित कारोबार में अपने द्वारा ऋण/अग्रिम या निवेश प्रदान करने से संबंधित कोई लेनदेन करने के लिए कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेता है. उपरोक्त लेनदेन में संबंधित पक्ष के सरोकार /हित की प्रकृति वित्तीय है.

उपरोक्त सभी लेनदेन बैंक द्वारा धारित विशिष्ट अनुमोदन/ पंजीकरण/लाइसेंस के अनुसार किए जाते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने तथा लागू कानूनों के अनुसार होते हैं और इसलिए बैंक के हित में होते हैं.

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय ऊपर बताए गए लेनदेन सेबी सूचीबद्धता विनियमों के तहत एलआईसीएचएफएल के लिए "महत्वपूर्ण संबद्ध पक्ष लेनदेन" की सीमा अर्थात् ₹ 1,000 करोड़ अथवा बैंक के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार वार्षिक समेकित कारोबार के 10% (इनमें से जो भी कम हो) से अधिक हो सकते हैं. सभी लेन-देन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक और/या इसके संबंधित पक्षों के व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में दर्ज किए जाएंगे. सदस्यों से मांगा जा रहा अनुमोदन बैंक की अगली वार्षिक महासभा तक वैध रहेगा.

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति और बैंक के निदेशक मंडल ने एलआईसीएचएफएल के साथ बैंक द्वारा प्रस्तावित सम्बद्ध पक्ष लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है और यह भी नोट किया गया है कि एलआईसीएचएफएल के साथ उक्त लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के कारोबार के सामान्य अनुक्रम में होंगे.

निदेशक मंडल सूचना की मद संख्या 7 में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) की अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबन्धित या हितबद्ध नहीं है.

सदस्य कृपया ध्यान दें कि सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी सम्बद्ध पक्ष संलग्न वार्षिक महासभा की सूचना की मद संख्या 7 के सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे, भले ही वे विशेष लेनदेन के लिए संबंधित पक्ष हों अथवा नहीं.

the customers. The transaction forms part of the normal banking transactions of the Bank. The value is dependent upon the lending policies and credit approval process of the Bank and hence the value of the transaction cannot be determined. This is also subject to maximum permissible limit as per the single and group borrower exposure/intra-group norms as prescribed by RBI and Bank's internal policies. The pricing of these facilities to related parties is based on prevailing market rate or linked to external benchmark which is uniformly offered to all customers (including related parties) and it is based on arm's length basis. Tenure of facilities is dependent on customers' requirement (related/ unrelated parties) subject to regulatory guidelines and Bank's internal policies which are uniformly applicable to all the customers. The transactions are in furtherance of banking business of the Bank and are undertaken in accordance with laid down norms, policies and procedures as followed by the Bank in ordinary course (including credit appraisal, sanction and approval process) and therefore, in the interest of the Bank.

The Bank, in its regular course of business, does not incur any specific financial indebtedness in order to undertake any transactions relating to granting of loans / advances or investment by the Bank. The nature of concern/interest of the related party in the above transactions is financial.

The aforesaid transactions are undertaken pursuant to specific approvals/registrations/licenses held by the Bank and are in furtherance of the business activities and in accordance with the applicable laws and therefore, in the interest of the Bank.

The transactions as mentioned above at any time during the financial year may exceed the threshold of "material related party transactions" under the SEBI Listing Regulations i.e ₹1,000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the Bank, as per the last audited financial statement of the Bank, whichever is lower, for LICHFL. All the transactions will be entered on arm's length basis and in the ordinary course of the business of the Bank and/or its related parties. The approval being sought from the Members shall be valid till the next Annual General Meeting of the Bank.

The Audit Committee of the Board and Board of Directors of the Bank has granted approval for the related party transactions proposed to be entered into by the Bank with LICHFL and has also noted that the said transactions with LICHFL would be on an arm's length basis and in the ordinary course of the Bank's business.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No.7 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

The Members may please note that in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 7 of the accompanying AGM Notice, whether the entity is a related party to the particular transaction or not.

4. **सूचना की मद सं. 8 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण**

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ने 28 फरवरी 2024 को संपन्न अपनी बैठक में श्री सुमित फक्का को बैंक के डीएमडी के रूप में तीन साल की अवधि के लिए, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृति के लिए दायी होंगे, की नियुक्ति के प्रस्ताव पर विचार किया और बोर्ड को उनकी मंजूरी के लिए अनुशंसा की. एनआरसी की अनुशंसा के अनुसरण में बोर्ड ने 28 फरवरी 2024 को संपन्न अपनी बैठक में तीन साल की अवधि के लिए श्री फक्का की नियुक्ति के प्रस्ताव की पुष्टि की और इस संबंध में अनुमोदन के लिए रिज़र्व बैंक को भेजने की अनुशंसा की. इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने 31 मई 2024 के अपने पत्र के माध्यम से कार्यभार संभालने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए डीएमडी के रूप में श्री फक्का की नियुक्ति को अनुमोदित किया और निदेशक मंडल ने 01 जून 2024 को डीएमडी के रूप में कार्यभार संभालने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए श्री सुमित फक्का की नियुक्ति को, बैंक के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, मंजूरी प्रदान की. श्री फक्का ने सूचित किया है कि वे 10 जुलाई 2024 तक बैंक में कार्यभार ग्रहण करेंगे. इसके अतिरिक्त, श्री सुमित फक्का के डीएमडी के रूप में कार्यभार संभालने की तारीख के बारे में स्टॉक एक्सचेंजों को विधिवत सूचित किया जाएगा.

रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित श्री फक्का का कुल नियत वेतन ₹ 90,50,048/- है जिसमें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, छुट्टी किराया रियायत, मनोरंजन व्यय, मुफ्त सुसज्जित मकान/मकान किराया भत्ता और अन्य परिलब्धियां शामिल हैं. वर्तमान में, बैंक के प्रदर्शन के आधार पर और रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन, डीएमडी को नियत वेतन के 150% की दर से परिवर्ती वेतन देय होगा. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए श्री सुमित फक्का के साथ-साथ बैंक के अन्य डब्ल्यूटीडी का पारिश्रमिक एनआरसी और आईडीबीआई बैंक के बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर वार्षिक रूप से रिज़र्व बैंक से इस संबंध में प्राप्त अनुमोदन के अनुसार होगा. इसलिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन हर साल डब्ल्यूटीडी के पारिश्रमिक को मंजूरी देने के लिए बोर्ड/समिति को प्राधिकृत करें.

एसएस-2 और सेबी सूचीबद्धता विनियमनों के तहत अपेक्षित विवरण इस सूचना के अनुबंध के रूप में प्रदान किया गया है.

श्री फक्का का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार हैः

श्री सुमित फक्का जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से बी. कॉम एवं वित्त में एमबीए हैं और सीएआईआईबी हैं. वे एक वरिष्ठ बैंकिंग प्रोफेशनल हैं, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में शाखा बैंकिंग और लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण वितरण के पर्याप्त एक्सपोजर सहित विभिन्न क्षमताओं और भौगोलिक क्षेत्रों जैसे - नई दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, टोरंटो में कार्य करने का लगभग 30 वर्षों का अनुभव है. वे वर्तमान में एसबीआई, नई दिल्ली में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं. वे इससे पहले वाणिज्यिक ग्राहक समूह (सीसीजी), नई दिल्ली में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, जहां वे मुख्य रूप से मध्य-कॉरपोरेट अग्रिमों के कारोबार विकास और पोर्टफोलियो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे. वे ₹ 66,000 करोड़ की एफबी सुविधाओं और लगभग ₹ 11,000 करोड़ की एनएफबी सुविधाओं के पोर्टफोलियो को संभाल रहे थे. वे एसबीआई ऋण समिति के सदस्य भी थे और ₹ 155 करोड़ तक के एक्सपोजर वाले विभिन्न सीसीजी शाखाओं से प्राप्त कॉरपोरेट ऋण प्रस्तावों की मंजूरी के लिए जिम्मेदार थे. पहले वे चंडीगढ़ में नेटवर्क 1 के महाप्रबंधक के रूप में कार्य कर चुके हैं, जहां उन्होंने पंजाब राज्य में फैले 3 प्रशासनिक और 18 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ एसबीआई शाखाओं (₹ 1.71 लाख करोड़ के कुल तुलन-पत्र वाली 865 शाखाओं) के सबसे बड़े खुदरा नेटवर्क के प्रमुख थे. उन्होंने मुंबई में कॉरपोरेट लेखा समूहों में भी विभिन्न स्तरों पर काम किया है और शाखा बैंकिंग, खुदरा संसाधनों के संग्रहण के साथ-साथ

4. **Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 8 of the Notice**

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) at its meeting held on February 28, 2024 considered and recommended the proposal for appointment of Shri Sumit Phakka as the DMD of the Bank for a period of three years, liable to retire by rotation, to the Board for their approval. Pursuant to the recommendation of the NRC, Board at its meeting held on February 28, 2024 ratified the proposal for appointment of Shri Phakka for a period of three years and recommended for submission to the RBI for their approval in this regard. Further, RBI vide their letter dated May 31, 2024 approved the appointment of Shri Phakka as DMD for a period of three years w.e.f. the date of him taking charge as DMD and the Board of Directors on June 01, 2024 approved the appointment of Shri Sumit Phakka for a period of three years w.e.f. the date of him taking charge as DMD, subject to approval of the members of the Bank. Shri Phakka has informed that he would be joining the Bank by July 10, 2024. Further, the Stock Exchanges will be duly informed about the date of taking charge of Shri Sumit Phakka as DMD.

The total fixed pay for Shri Phakka as approved by the RBI is ₹ 90,50,048/- which includes Provident Fund, Gratuity, Leave Fare Concession, Entertainment Expenses, Free furnished house/ House rent allowances and any other perquisites. Presently, variable pay at the rate of 150% of fixed pay would be payable to DMDs, based on the performance of the Bank and subject to approval of the RBI. The remuneration of Sumit Phakka as well as other WTDs of the Bank, for each financial year would be as per approval received in this regard from RBI annually based on the recommendation of NRC and Board of IDBI Bank. Hence the members are requested to authorize Board/ Committee to approve remuneration of WTDs every year subject to approval of RBI.

The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations has been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Shri Phakka is provided hereinafter:

Shri Sumit Phakka is B.com & MBA in Finance from Jiwaji University, Gwalior and CAIIB. He is a senior banking professional with almost 30 years of experience in State Bank of India (SBI) in various capacities and geographies, viz., New Delhi, Chandigarh, Mumbai, Toronto with substantial exposure to branch banking and credit delivery to small and medium enterprises. He is presently working as Chief General Manager in SBI, New Delhi. He was earlier posted as GM Commercial Clients Group (CCG), New Delhi, wherein he was primarily responsible for business growth of mid-corporate advances and ensuring the portfolio quality. He was handling portfolio size of ₹ 66,000 crore of FB facilities and about ₹ 11,000 crore of NFB facilities. He was also the member of credit committee SBI and responsible for sanction of corporate credit proposals emanating from various CCG branches with exposure upto ₹ 155 crore. He has earlier worked as General Manager of Network 1 at Chandigarh where he has headed the largest retail network of SBI branches (865 branches with total balance sheet size of ₹ 1.71 lakh crore) with 3 administrative and 18 regional offices spread across the state of Punjab. He has also worked in various scales in Corporate Accounts Group in Mumbai and is experienced in branch banking, mobilization of retail resources as well

खुदरा, कृषि, एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में ऋण वितरण, वसूली आदि का अनुभव है. वे पांच वर्षों तक एसबीआई के कनाडा परिचालनों के उपाध्यक्ष (क्रेडिट) रहे, जहां उन्होंने कनाडा में बैंक के कॉरपोरेट ऋण पोर्टफोलियो का प्रबंधन किया, जिसमें द्विपक्षीय सौदों और सिंडिकेट अग्रिमों के साथ-साथ भारत आधारित सौदों सहित नए सौदों के लिए विपणन और ऋण गुणवत्ता बनाए रखना शामिल था.

निदेशक मंडल सूचना में निहित मद सं. 8 के सामान्य संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, यह प्रस्तुत किया गया है कि बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री सुमित फक्का के अलावा) या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, प्रस्ताव पारित करने में वित्तीय या अन्यथा रूप में संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री सुमित फक्का का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक या बैंक के किसी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

5. सूचना की मद सं. 9 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

श्रीमती पी.वी. भारती (डीआईएनः 06519925) को 14 जनवरी 2021 से 4 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. वह 13 जनवरी 2025 को अपने 4 साल का वर्तमान कार्यकाल पूरा कर रही हैं. बैंक के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 116(1) (vi) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(10) के अनुसार, श्रीमती पी.वी. भारती लगातार 4 वर्षों के दूसरे कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं. श्रीमती पी.वी. भारती ने स्वयं को पुनर्नियुक्ति के लिए ऑफर किया है. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के पैरा VIII (2) के प्रावधानों के अनुसार और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किए गए स्वतंत्र निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर, श्रीमती पी.वी. भारती को 14 जनवरी 2025 से लगातार 4 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करने और इस एजीएम के नोटिस की मद सं. 9 में दिये गए संकल्प को पारित करने का प्रस्ताव है. यह नोट किया जाये कि श्रीमती पी.वी. भारती ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के तहत यह घोषणा की है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी सूचीबद्ध विनियमों के विनियमन 16 में दिए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा कर रही हैं. इसके अलावा, बोर्ड के मतानुसार भी, वह ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों, सेबी सूचीबद्ध विनियमों और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हैं और निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र है.

श्रीमती पी.वी. भारती बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ-साथ अपने परिवहन, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था की प्रतिपूर्ति की हकदार होंगी. एनआरसी की सिफ़ारिश के आधार पर बोर्ड श्रीमती पी.वी. भारती को 14 जनवरी 2025 से लगातार 4 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा करता है.

एसएस-2 और सेबी सूचीबद्ध विनियमों के तहत अपेक्षित विवरण इस नोटिस के अनुबंध के रूप में प्रदान दिए गए हैं.

श्रीमती पी.वी. भारती का संक्षिप्त प्रोफाइल नीचे दिया गया हैः

श्रीमती पी.वी. भारती 31 मार्च 2020 को कॉरपोरेशन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में सेवानिवृत्त हुईं. 01 फरवरी 2019 से कॉरपोरेशन बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बैंक को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया और कासा जुटाने, कृषि, खुदरा और एमएसएमई अग्रिमों पर जोर देने के साथ गुणवत्तापूर्ण ऋण वृद्धि और आस्ति गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान

as credit delivery in sectors like Retail, Agriculture, MSME, Recovery, etc. He was the Vice President (credit) at SBI's Canadian Operations for five years where he managed the corporate credit portfolio of the Bank in Canada which included marketing for new deals including bilateral deals and syndicate advances as well as India based deals and maintaining credit quality.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No. 8 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri Sumit Phakka himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Shri Sumit Phakka is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

5. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 9 of the Notice

Smt. P.V. Bharathi (DIN: 06519925) was appointed as an Independent Director on the Board of IDBI Bank w.e.f. January 14, 2021 for an initial period of 4 years. She is completing her current tenure of 4 years on January 13, 2025. In terms of Section 149(10) of the Companies Act, 2013 read with Article 116(1) (vi) of the Articles of Association of the Bank, Smt. P.V. Bharathi is eligible for reappointment for second term of 4 consecutive years. Smt. P.V. Bharathi has offered herself for re-appointment. In terms of the provisions of Para VIII (2) of Schedule IV of the Companies Act, 2013 and based on the Annual Evaluation of Independent Directors carried out for FY 2023-24, it is proposed to re-appoint Smt. P.V. Bharathi as an Independent Director for second term of 4 consecutive years w.e.f. January 14, 2025 and pass the resolution contained under Item No.9 of this AGM Notice. It may be noted that Smt. P.V. Bharathi has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that she continues to meet the criteria of Independence as provided in Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Regulation 16 of SEBI Listing Regulations. Further, in the opinion of the Board also, she fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, SEBI Listing Regulations and the Banking Regulation Act, 1949 for such an appointment and that the Director is independent of the management.

Smt. P.V. Bharathi shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of her transport, travel and stay arrangements. Based on recommendation of the NRC, Board recommends the appointment of Smt. P.V. Bharathi as Independent Director for the second term of 4 consecutive year w.e.f. January 14, 2025.

The details as required under SS-2 and SEBI Listing Regulations have been provided as Annexure to this notice.

The brief profile of Smt. P.V. Bharathi is provided hereinafter:

Smt. P.V. Bharathi retired as Managing Director and CEO of Corporation Bank on March 31, 2020. During her tenure with Corporation Bank from February 01, 2019, she provided strong leadership to the Bank and put the Bank on a growth path through various strategic initiatives

केन्द्रित करने के साथ विभिन्न रणनीतिक पहलकार्यों के माध्यम से बैंक को विकास पथ पर अग्रसर किया. इससे पहले वह केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) थीं. श्रीमती भारती ने 1982 में बैंकिंग उद्योग में एक अधिकारी के रूप में केनरा बैंक में कार्यग्रहण किया और उन्होंने बैंक की शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य करने के साथ-साथ बैंक के हांगकांग कार्यालय में कार्य किया. महाप्रबंधक के रूप में वह बैंक की मुख्य जोखिम अधिकारी थीं. वह बैंकिंग परिचालनों में 37 वर्षों से अधिक के विविध अनुभव के साथ एक अनुभवी बैंकर हैं. वह केनरा बैंक की विभिन्न सहायक कंपनियों के बोर्ड में थीं और उन्हें भारत सरकार द्वारा इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफ़सीएल) के बोर्ड में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. श्रीमती पी.वी. भारती वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट भारत लिमिटेड, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में, नवकिसान फाइनेंस लिमिटेड में स्वतंत्र निदेशक एवं गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में, मंजूरी पश्चात ऋण पुनर्सरचना मामलों की प्रक्रिया को वैध करने के लिए आईबीए स्तर पर गठित विशेषज्ञ समिति में वैकल्पिक अध्यक्ष और समझौता प्रस्ताव, एआरसी/बैंक/एफआई/एनबीएफसी को बिक्री के लिए जांच और अनुशंसा के लिए एसबीआई की स्क्रीनिंग समिति की बाहरी सदस्य हैं.

निदेशक मंडल सूचना की मद संख्या 9 में निहित विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी निदेशक (स्वयं श्रीमती पी.वी. भारती के अलावा) या बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस संकल्प को पारित करने में, बैंक में अपनी शेयरधारिता, यदि कोई हो को छोड़कर, वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्रीमती पी. वी. भारती का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक या बैंक के किसी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

बोर्ड के आदेश द्वारा
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएनः 06846594

पंजीकृत कार्यालय:
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई-400005.

दिनांकः 24 जून 2024

with focus on Mobilizing CASA, Quality Credit growth with emphasis on Agriculture, Retail and MSME advances and improving asset quality. Prior to this, she was Executive Director (WTD) at Canara Bank. Ms. Bharathi joined the Banking Industry as an Officer in 1982 in Canara Bank and served in various capacities in Branches & Administrative Offices of the Bank as well as in Hong Kong office of the Bank. As a General Manager, she was Chief Risk Officer of the Bank. She is a seasoned banker with over 37 years of varied experience in Banking Operations. She was on the Board of various subsidiaries of Canara Bank and had been appointed as Scheduled Commercial Banks' (SCBs) Nominee Director on the Board of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) by Government of India. Smt. P.V. Bharathi currently serves as Independent Director on the Board of IDFC FIRST Bharat Limited, PTC India Financial Services Ltd., Independent Director and Non-Executive Chairman on the Board of NABKISAN Finance Ltd., Alternate Chairperson in Expert Committee set up at IBA level to validate the process of Loan Restructuring cases post sanction and External Member of SBI's Screening Committee for scrutiny and recommendation of Compromise Proposal, Sale to ARC/Bank / FI / NBFC.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as contained at Item No. 9 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Smt. P.V. Bharathi herself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank. Smt. P.V. Bharathi is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005

Dated: June 24, 2024

सूचना का अनुबंध

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 36(3)(ए) और महासभा की बैठकों के बारे में सचिवीय मानक-2 के अनुसार विवरण

निदेशक का नाम	**श्री सुमित फक्का**	**श्रीमती पी. वी. भारती**
पदनाम	उप प्रबंध निदेशक	स्वतंत्र निदेशक
जन्म तारीख / आयु	18.01.1969/ 55 वर्ष	22.03.1960 / 64 वर्ष
प्रथम नियुक्ति की तारीख	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से	14 जनवरी 2021
योग्यताएं	बी. कॉम, एमबीए (वित्त) और सीएआईआईबी	बी. एससी., एम.ए. (अर्थशास्त्र), बी.एड., सीएआईआईबी, बैंकिंग और वित्त में एकीकृत पाठ्यक्रम (एनआईबीएम)
विशेषज्ञता	लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, वित, लघु उद्योग, कारोबार प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन.	कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, जोखिम, अर्थशास्त्र, प्रशासन और कंपनी अभिशासन
अन्य संस्थाओं में निदेशक पद	कोई नहीं	1. आईडीएफसी फर्स्ट भारत लिमिटेड; 2. पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड; 3. नबकिसान फाइनेंस लिमिटेड; 4.मंजूरी पश्चात ऋण पुनर्संरचना मामलों की प्रक्रिया को वैध करने के लिए आईबीए स्तर पर गठित विशेषज्ञ समिति; 5.समझौता प्रस्ताव, एआरसी/बैंक/एफआई/ एनबीएफसी को बिक्री के लिए जांच और अनुशंसा के लिए एसबीआई की स्क्रीनिंग समिति

ANNEXURE to the notice

Details pursuant to Regulation 36(3)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards-2 on General Meetings

Name of Director	**Shri Sumit Phakka**	**Smt. P.V. Bharathi**
Designation	Deputy Managing Director	Independent Director
Date of Birth/ Age	18.01.1969 / 55 years	22.03.1960 / 64 years
Date of first appointment	From the date of taking charge.	January 14, 2021
Qualification	B.Com, MBA (Finance) and CAIIB	B Sc., MA (Economics), B.Ed., CAIIB , Integrated course in banking and finance (NIBM)
Expertise	Accountancy, Agriculture & Rural Economy, Banking, Finance, Small Scale Industry, Business Management, Administration and Corporate Governance	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, Risk, Economics, Administration and Corporate Governance
Directorship in other entities	NIL	1. IDFC FIRST Bharat Ltd.; 2. PTC India Financial Services Ltd.; 3. NABKISAN Finance Ltd.; 4. Expert Committee set up at IBA level to validate the process of Loan Restructuring cases post sanction; 5. SBI's Screening Committee for scrutiny and recommendation of Compromise Proposal, Sale to ARC/Bank / FI / NBFC

सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जिनसे निदेशकों ने पिछले 3 वर्षों में इस्तीफा दिया है, यदि कोई हो	कोई नहीं	शून्य
अन्य संस्थाओं की समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता	कोई नहीं	लेखापरीक्षा समिति की सदस्य: i. आईडीएफसी फर्स्ट भारत लि.; ii. पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लि.
निदेशक की शेयरधारिता	शून्य	शून्य
निदेशकों के बीच परस्पर संबंध	कोई नहीं	कोई नहीं
नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के निबंधन और शर्तें	डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 35बी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197, 203 और अनुसूची V धाराओं के प्रावधानों में प्रदान की गई हैं. बैंक के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार, डीएमडी ऐसी शक्तियों और प्राधिकरणों का प्रयोग करेंगे तथा बोर्ड या एमडी एवं सीईओ द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित ऐसे कार्यों का निर्वहन करेंगे जो बैंक के एमडी एवं सीईओ के पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण के अधीन होंगे.	स्वतंत्र निदेशक की पुनर्नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों और रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार हैं.
पारिश्रमिक	डीएमडी को देय परिश्रमिक रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक रूप से अनुमोदित होगा.	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ-साथ बैठकों में भाग लेने के लिए परिवहन, यात्रा और रहने की व्यवस्था की प्रतिपूर्ति की हकदार हैं.

Names of listed Entities from which the Directors has resigned in last 3 years, if any	NIL	NIL
Membership / Chairmanship in Committees of other entities	NIL	Member of Audit Committee in: i. IDFC First Bharat Ltd.; ii. PTC India Financial Services Ltd.
Shareholding of Director	NIL	NIL
Relationship between directors inter-se	NIL	NIL
Terms and Conditions of Appointment/ Re-appointment	Terms and conditions for Appointment of WTD are as provided in Section 35B of Banking Regulation Act, 1949, Sections 196, 197, 203 and Schedule V of the Companies Act, 2013. As per the Articles of Association of the Bank, the DMDs shall exercise such powers and authorities and discharge such functions as may be delegated to them by the Board or the MD & CEO, subject to the supervision, direction and control of the MD & CEO of the Bank.	Terms and conditions for re-appointment of Independent Directors are as provided in Schedule IV of the Companies Act, 2013, provisions of SEBI Listing Regulations and RBI Guidelines.
Remuneration	Remuneration payable to DMD would be as approved annually by the RBI.	Entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.

नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के लिए औचित्य और इस भूमिका के लिए अपेक्षित कौशल एवं क्षमताएं तथा ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने की पद्धति जिन्हें प्रस्तावित स्वतंत्र निदेशक पूरा करते हैं.	लागू नहीं	बैंक के बोर्ड में लगभग 4 वर्षों के निरंतर पिछले कार्यनिष्पादन के आधार पर और वित्तीय वर्ष 2023-24 के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर श्रीमती पी.वी. भारती को स्वतंत्र निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त करने का प्रस्ताव है.
इस अवधि में बोर्ड बैठकों में भाग लेने की संख्या (आयोजित/ जिनमें सहभागिता की गई)	लागू नहीं	13/12

Justification for Appointment/ Reappointment and skills & capabilities required for the role and the manner in which the proposed Independent Directors meets such requirements.	Not Applicable	Based on the continuous past Performance of around 4 years on the Bank's Board and based on the performance evaluation for FY 2023-24, Smt. P.V. Bharathi is proposed to be re-appointed for second term as Independent Director.
Number of Board meetings attended during their tenure (Held/Attended)	Not Applicable	13/12